

निदेशक सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19
भाग-1

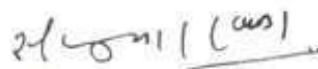
निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र० लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को मा० राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का कारण।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 में संशोधन दिनांक 30 मार्च 2011 के अनुसार निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र० द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे मा० राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को मा० राज्य विधान मण्डल के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र० द्वारा निम्नवत् अवगत कराते हुये इस प्रतिवेदन को सदन में रखने का अनुरोध किया गया है—

- (क) मा० पंचायती राज समिति का गठन 24 मार्च, 2014 को हुआ था। तत्पश्चात् त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
- (ख) प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 दिनांक 25.11.2014 को एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 दिनांक 20.12.2017 को लगभग तीन वर्ष बाद मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।
- (ग) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 19.02.2021 को, वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2021 को, वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 24.05.2022 को, वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2023, वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.11.2023 एवं वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2024 को मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।

तत्क्रम में वित्त विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को मा० राज्य विधान मण्डल के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकरण में वित्त विभाग के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है।


(सुरेश कुमार खन्ना)
वित्त मंत्री

पंचायतीराज संस्थाओं सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 का सारांश

निदेशालय सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा 30प्र0(पूर्व में सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा संगठन, 30प्र0) वित्त विभाग 30प्र0 शासन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1951-52 से कार्यरत है। इस विभाग द्वारा 30प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 में निहित व्यवस्थान्तर्गत प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की लेखापरीक्षा की जाती है। 30प्र0 पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 एवं 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) अधिनियम 1961 एवं नियमावली 1965 में दी गयी व्यवस्थानुसार इस विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित की जाती है।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के लेखों की लेखापरीक्षा राज्य सरकार के अधीन निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा, 30प्र0 द्वारा सम्पन्न कराते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन व अधिभार प्रतिवेदन जारी किया जाता है। अनिस्तारित प्रस्तरों को सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा, 30प्र0 का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 तैयार करके 30प्र0 पंचायती राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली 2011 के नियम-186 एवं 30प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा)(छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम- 176 के अन्तर्गत मा0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

जिला लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा जारी संस्थावार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित गम्भीर प्रकृति की ऐसी आपत्तियाँ(यथा अपहरण, दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित), जिनका अनुपालन प्रशासनिक विभागों द्वारा नहीं किया जाता है अथवा अनुपालन संतोषजनक नहीं होता है, उन्हें निदेशालय द्वारा संकलित करके त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखापरीक्षा 30प्र0 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2018-19 के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये गम्भीर प्रकरणों के साथ-साथ विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा वर्ष 2019-20 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में उद्धाटित आपत्तियों में सन्निहित धनराशि अपहरण/अपक्षय इत्यादि का संस्थावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	संस्था का नाम	गबन, अनियमित भुगतान, अग्राह्य भुगतान, अधिक भुगतान, अनानुमोदित भुगतान, राजकीय राजस्व क्षति व अन्य विविध अनियमितताएं(सम्मिलित प्रस्तर)	सन्निहित धनराशि (करोड़ ₹0 में)
1.	जिला पंचायत	641 प्रस्तर	524.22
2.	क्षेत्र पंचायत	2184 प्रस्तर	345.27
3.	ग्राम पंचायत	5984 प्रस्तर	674.45
	योग	8809 प्रस्तर	1543.94

वर्ष 2019-20 के दौरान 2018-19 के उपलब्ध अभिलेखों के सापेक्ष लेखापरीक्षित लेखों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	कुल संस्थाओं की संख्या	लेखापरीक्षित संस्थाओं की संख्या
1.	जिला पंचायत	75	41
2.	क्षेत्र पंचायत	822	445
3.	ग्राम पंचायत	58829	47938
	योग	59726	48424

इस वार्षिक प्रतिवेदन में कुल छः अध्याय सम्मिलित हैं तथा चार भागों (भाग एक, दो, तीन, चार) में तैयार किया गया है।-

अध्याय- 1. प्रस्तावना से सम्बन्धित इस अध्याय में विभाग का परिचय व संगठनात्मक ढांचा का वर्णन है।

अध्याय- 2. इस अध्याय में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, आय/प्रति के स्रोत, एवं क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण है।

अध्याय-3. इस अध्याय में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा प्रगति संबन्धी विवरण है।

अध्याय-4. इस अध्याय में क्रमशः जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा के उपरान्त जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन में उद्घाटित गंभीर प्रकृति की आपतियों का विवरण है।

अध्याय-5. इस अध्याय में निर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण है।

अध्याय-6. इस अध्याय में निष्कर्ष व सुझावों का उल्लेख है। इसमें आपतियों व वित्तीय अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा इनमें सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ भी की गयी है।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे जाने के पश्चात मा0 विधान सभा की पंचायती राज समिति द्वारा साक्ष्य बैठकों में प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की समीक्षा करके अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

विषय सूची

प्राक्कथन

अध्याय-1

प्रस्तावना

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	5
2	लेखा परीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	5-6
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	6
4	निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	6
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	7
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रुझान	1.6	7
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	7

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, आय/प्राप्ति के स्रोत, क्रियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	7-8
2	जिला पंचायत	2.2	8-10
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	10-11
4	ग्राम पंचायत	2.4	11-15

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	15
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	16
3	ग्राम पंचायत	3.3	16

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

क्र० सं०	जिला पंचायत	4.1	पृष्ठ संख्या
1	आगरा मण्डल		17 से 26
2	आजमगढ़ मण्डल		26 से 41
3	अलीगढ़ मण्डल		41-44
4	अयोध्या मण्डल		45-54
5	बरेली मण्डल		54-61
6	बस्ती मण्डल		61-95
7	चित्रकूटधाम मण्डल		95-98
8	देवीपाटन मण्डल		98-108
9	गोरखपुर मण्डल		108-162
10	झाँसी मण्डल		162-175
11	कानपुर मण्डल		176-243
12	लखनऊ मण्डल		243-270
13	मेरठ मण्डल		270-273
14	मुरादाबाद मण्डल		273-290
15	प्रयागराज मण्डल		290-316
16	वाराणसी मण्डल		316-331
17	विन्ध्यांचल मण्डल		331-342

क्र० सं०	क्षेत्र पंचायत	4.2	पृष्ठ संख्या
1	आगरा मण्डल		342-345
2	आजमगढ़ मण्डल		345-401
3	अलीगढ़ मण्डल		401-438
4	अयोध्या मण्डल		439-489
5	बरेली मण्डल		489-511
6	बस्ती मण्डल		511-592
7	चित्रकूटधाम मण्डल		592-633
8	देवीपाटन मण्डल		633-659
9	गोरखपुर मण्डल		659-868
10	झाँसी मण्डल		869-875
11	कानपुर मण्डल		875-935
12	लखनऊ मण्डल		935-1027
13	मेरठ मण्डल		1027-1108
14	मुरादाबाद मण्डल		1108-1129
15	प्रयागराज		1130-1160
16	सहारनपुर		1160-1163
17	वाराणसी		1163-1250
18	विन्ध्यांचल		1250-1277

क्र० सं०	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठ संख्या
1	आगरा मण्डल		1278–1387
2	आजमगढ़ मण्डल		1387–1499
3	अलीगढ़ मण्डल		1499–1589
4	अयोध्या मण्डल		1589–1762
5	बरेली मण्डल		1763–1976
6	बस्ती मण्डल		1976–2026
7	चित्रकूटधाम मण्डल		2026–2041
8	देवीपाटन मण्डल		2041–2117
9	गोरखपुर मण्डल		2118–2348
10	झाँसी मण्डल		2348–2361
11	कानपुर मण्डल		2361–2538
12	लखनऊ मण्डल		2538–2913
13	मेरठ मण्डल		2913–3002
14	मुरादाबाद मण्डल		3002–3189
15	प्रयागराज मण्डल		3189–3455
16	सहारनपुर मण्डल		3455–3476
17	वाराणसी मण्डल		3476–3658
18	विन्ध्यांचल मण्डल		3658–3719

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	3720
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	3720
3	ग्राम पंचायत	5.3	3720

अध्याय-6 निष्कर्ष व सुझाव

1	निष्कर्ष	6.1	3720–3722
2	सुझाव	6.2	3722

पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था

जिला पंचायत



क्षेत्र पंचायत



ग्राम पंचायत

पंचायती राज संस्थागत ढांचा

केन्द्र सरकार



राज्य सरकार



पंचायती संस्थाएं



जिला पंचायत



अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य



क्षेत्र पंचायत समिति



प्रमुख उप प्रमुख सदस्य



ग्राम पंचायत



प्रधान उप प्रधान वार्ड सदस्य

प्राक्कथन

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा—जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य सरकार के अधीन निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न कराते हुए इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा के आधार पर अनिस्तारित प्रस्तारों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था है।

सहकारी और पंचायती लेखा परीक्षा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वर्तमान प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019-20 की अवधि में वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में आये प्रकरणों के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों के प्रकरण, जिनकी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है।

यह वार्षिक प्रतिवेदन अध्याय में प्रस्तावना से प्रारम्भ होता है जिसमें प्रतिवेदन सम्बन्धी रूप रेखा, लेखा-परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा विभाग का प्रशासनिक ढाँचा व लेखा परीक्षा की योजना एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कार्यवाही सम्मिलित है। अध्याय 2 में लेखा परीक्षित संस्थाओं के कार्यों, आय स्रोत एवं क्रिया कलापों के वर्ष में सामान्य विवरण है। अध्याय 3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की प्रगति की स्थिति, अध्याय-4 में लेखा परीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आयी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण, अध्याय 5 में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदन आपत्तियों का अनुपालन, समीक्षा एवं नस्ति संग्रहीत की स्थिति तथा अध्याय-6 में निष्कर्ष एवं सुझाव को आच्छादित किया गया है।

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1-इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा-

1. निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।

2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।

3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है। व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुयी है। किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।

4. इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षित इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2-लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा-

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 75 जिला पंचायतें थीं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन हैं। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 822 क्षेत्र पंचायतें थीं। जो ब्लॉक प्रमुख के नियंत्रणाधीन हैं।
खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 58829 ग्राम पंचायतें थीं। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन हैं।
ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

इस प्रकार तत्समय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 59726 पंचायती राज संस्थाएँ थीं।

1.3—लेखा परीक्षा का प्राधिकार—

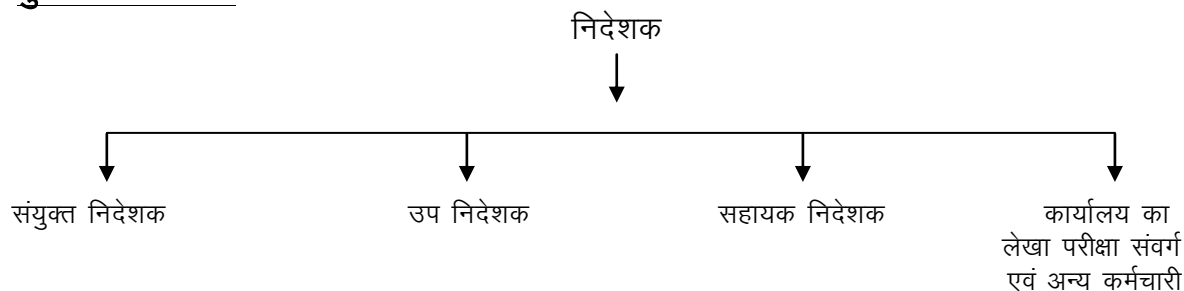
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम-2 व नियम-174 से 180 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 186 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ०प्र० में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

1.4—निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना

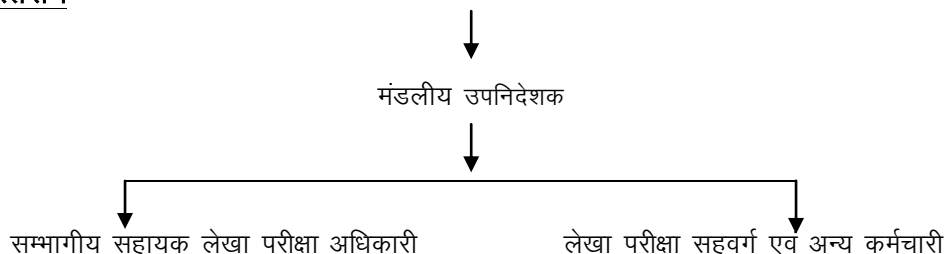
उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कार्मिकों (यथा—लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा—जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर उप निदेशक की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने वाले लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। विभाग का ढाँचा निम्न प्रकार है—

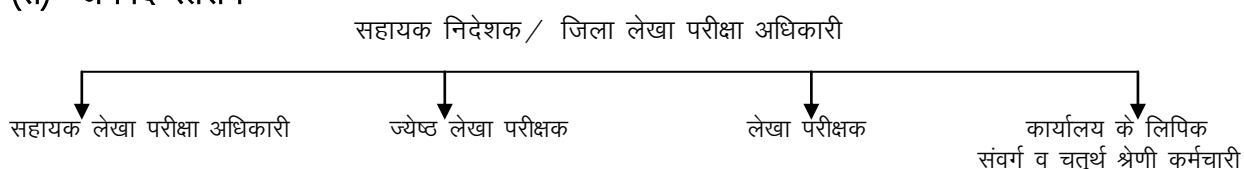
(अ) मुख्यालय स्तरीय



(ब) मंडल स्तरीय



(स) जनपद स्तरीय



1.5—लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन—

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तदनुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

प्रशासनिक विभागों के अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित परिक्षेत्र के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

1.6—निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रुझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन आख्या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। जैसा कि प्रशासनिक विभाग में संगत अधिनियमों/नियमावली में प्रख्यापित है।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन आख्या मांगे जाने का औचित्य यह है, कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं? इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही, ब्याज सहित वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ-साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके एवं लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही—

वर्ष 2010—11 (पूर्ववर्ती वर्षों को सम्मिलित करते हुए) वर्ष 2011—12, 2012—2013, 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 तथा 2016—17 के वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जिस पर विधान मण्डल की उच्च स्तरीय पंचायती राज समिति के समक्ष लेखा परीक्षा प्रस्तरों पर अधिभार की कार्यवाही चर्चा के अन्तर्गत हैं।

अध्याय—2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों आय/प्राप्ति के स्रोत, व क्रियाकलापों के संदर्भ में

2.1—सामान्य विवरण—

वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही हैं। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

प्रदान करने वाला तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 24.04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत्समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक—22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के उन्ही प्रावधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्रावधानों को भी संशोधित किया गया, जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गाँव सभा तथा गाँव पंचायत कहा जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवें संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त आयोग, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गांव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 58829 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में अरबों रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2018—19 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 47938 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2019—20 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2—जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। तत्समय उत्तर प्रदेश में कुल 74 जिला पंचायतों का गठन हुआ था। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वित्तीय परामर्शदाता, कार्याधिकारी, स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियंता टैक्स आफिसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिकार एवं कृत्य—

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

- 1 जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।
- 2 ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
- 3 जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
- 4 तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
- 5 ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास।
- 6 ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत —

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119—145 में जिला पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
 2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
 3. नौका हाउस पर कर
 4. कॉजी हाउस पर कर
 5. सिनेमा प्रदर्शनियों आदि पर कर
- जिला पंचायतों में सामान्त्याः निम्न मदों से आय प्राप्त होती है।
- 1 सम्पत्ति व विभव कर
 - 2 लाइसेंस शुल्क
 - 3 मृत पशु शव निस्तारण
 - 4 सम्पत्तियों आदि (दुकान, भवन किराया)
 - 5 नौका घाट
 - 6 मेला प्रदर्शनी
 - 7 हाट बाजार एवं तहबाजारी
 - 8 कॉजी हाउस
 - 9 कृषि एवं पशुपालन
 - 10 जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज
 - 11 अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) **वाह्य स्रोतों से आय**—जिला पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

- 1 भू-राजस्व अनुदान
- 2 राज्य वित्त आयोग
- 3 केन्द्रीय वित्त आयोग
- 4 डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
- 5 मनरेगा
- 6 सांसद निधि
- 7 विधायक निधि
- 8 आंचलिक निधि
- 9 अन्य विभिन्न मदों से

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका—

- 1 जिला योजना एवं श्रमिक बजट (लेबर बजट) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।
- 2 जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अर्न्तगत आगामी वर्षी में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी

2.3—क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को खण्डों में विभक्त किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान 822 क्षेत्र पंचायत गठित थी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा-99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य—

अधिनियम की धारा-84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित सदस्यों के 1/5 के लिखित अधियाचन पर अधियाचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा-86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।

- 1 क्षेत्र पंचायत विकास खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् विकास खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
- 2 यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।
- 3 विकास खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।
- 4 ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित है।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत –

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय–

1–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131–क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. सम्पत्ति व विभव कर
4. काँजी हाउस पर कर
5. अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) वाह्य स्रोतों से आय–

क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू–राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग
3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य–

अधिनियम की धारा–35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची–3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा–32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय – समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था यथासंभव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। लेखा परीक्षा काल में उ0प्र0 में कुल 58829 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारु रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रबी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम $1/5$ की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

- 1— ग्राम पंचायत के खातो का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।
- 2— पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।
- 3— ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।
- 4— ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।
- 5— ऐसे अन्य कार्य जो नियत किये जाये।

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:—

- क— सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।
- ख— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हितकारी की पहचान।
- ग— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार व कर्तव्य कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुदेशित कर सकती है।

- 1— पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।
- 2— पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था।
- 3— किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपण:—

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी।

क—उन क्षेत्रों में जहां उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमींदारी— विनाश तथा भूमि—व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख—उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग-प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

घ- ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनो तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ड- उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड-ग के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च- उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ- वधशालाओ और पडाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज-जल शुल्क- जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता है।

झ- यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ञ- सडकों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट- जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजनाओं जल सम्भरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर।

ठ- कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं / परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1 -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अन्तर्गत के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1-मनरेगा का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक है, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा को बढ़ाना है।

2—मनरेगा का लक्ष्य:—

1— जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का निर्माण करना है।

2— ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण हैं) जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि कटान, कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।

3— अधिनियम, ग्रामीण, जीविकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्णरूप से बदलने की क्षमता है।

4— ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

5— सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

1— जल संचयन व जल प्रबन्धन।

2— वानिकी व वृक्षारोपण।

3—सिंचाई हेतु नहरें, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।

4— सिंचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।

5— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।

6— परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोद्धार, जिसमें टैंकों की सफाई भी सम्मिलित है।

7— भूमि सुधार/विकास।

8— बाढ़ नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।

9— ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, सड़क का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले सड़कों पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अन्तर्गत सीमेन्ट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

10— कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।

11—अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य है।

12— मनरेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नहीं है।

2—छात्रवृत्ति योजना :—

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढ़ाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग-अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3—राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान:—

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायतें कर आरोपित कर सकती हैं उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयों/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम

सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4-मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में शासन द्वारा निर्धारित भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शासनादेशों द्वारा निर्धारित दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं गैस अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। शासनादेशों द्वारा निर्धारित परिवर्तन लागत विद्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गयी है।

- 1.मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6' / 8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सके।
- 2.भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ख-संगठनात्मक ढाँचा- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी , राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास , तेरहवें वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1-जिला पंचायतें वर्ष 2019-20 में राज्य की कुल 75 जिला पंचायतों में से 41 जिला पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लेखा उपलब्धता अपेक्षित सहयोग न मिलने पर लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.2—क्षेत्र पंचायतें

वर्ष 2019–20 में राज्य की कुल 822 क्षेत्र पंचायतों में से 445 क्षेत्र पंचायतों वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.3—ग्राम पंचायतें

वर्ष 2019–20 में राज्य की कुल 58829 ग्राम पंचायतों में से 47938 ग्राम पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

अध्याय—4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य— निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या—

- 1 संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।
- 2 किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
- 3 न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।
- 4 संस्था द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।
- 5 बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।
- 6 सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।
- 7 निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2018–19 तक की अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 59726 में से 48440 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की गयी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक की टिप्पणियों लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत की गयी।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जिला पंचायत आगरा वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-01 जिला पंचायत द्वारा 10 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की मरम्मत लेपन का कार्य शासन की महत्वाकांक्षा एवं प्राथमिकता के अनुसार संचालित की जाने वाली गंडडा मुक्ति योजना के अन्तर्गत कराया जाना था जिसके लिए टेण्डर की शर्तों के अनुसार कार्य एक माह में पूर्ण होना था जिसकी नियत तिथि अगस्त 2017 थी किन्तु सभी उप कार्यों में से कोई भी कार्य उक्त अवधि तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(2)क उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खण्ड (2क) एवं (2ग) **खण्ड (2क) – भुगतानों से कटौती** –समय ठेके का सारतत्त्व है। निर्माण कार्य प्रारम्भ और पूरा करने के लिए मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित दिनांक तक ठेके के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्य को ठेकेदार प्रारम्भ और पूरा करायेगा और उन दिनांक के अन्तराल में ऐसे प्रगति विवरण पत्र में दिखाये गये परिमाण की अनुसूची और दिनांक तक कार्य पूरा करेगा जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और टेण्डर के साथ संलग्न किया जायेगा। यदि निर्माण कार्य चाहे परिमाण में या समय में प्रगति विवरण पत्र से बकाया में रह जाये तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें निर्माण कार्य बकाये में रहे ठेकेदार प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि का देनदार होगा जैसा मुख्य अधिकारी सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर निश्चित करे जिसका लिखित रूप में निर्णय अन्तिम होगा।

जिला पंचायत आगरा की निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार विलंब पर एक प्रतिशत धनराशि की कटौती की जानी थी एवं समय वृद्धि हेतु प्रार्थनापत्र कार्य आदेश मिलने के तीन दिन में दिया जाना जबकि उक्त सभी कार्यों में पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद दिया गया जिससे शासन की मशा के अनुरूप मरम्मत का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हुआ। अतः समस्त 34 कार्यों की मूल धनराशि रु0 47653433.00 के एक प्रतिशत के बराबर धनराशि रु0 476534.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी थी और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जानी थी, जो नहीं की गई। अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता, अध्यक्ष जिला पंचायत से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

प्रस्तर संख्या-02 वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत आगरा की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी फार्म हाउस की नीलामी नहीं की गई है। फार्म हाउस की नीलामी हेतु प्रकाशित विज्ञापन से सम्बन्धित समाचार एवं तत्सम्बन्धी आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा है।

(ब) वर्ष 2018-19 में स्कूल कृषि में फार्म हाउस की जो सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई उसमें 57 कृषि फार्मों का विवरण एवं नीलामी की धनराशि को दर्शाया गया है लेकिन जिला पंचायत आगरा द्वारा समस्त कृषि फार्मों की सत्यापित सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्ष 1990-91 की संलग्न नीलामी सूचना के अनुसार कुल 95 कृषि फार्मों की नीलामी कराई जानी थी। इस प्रकार 38 स्कूल कृषि फार्मों की नीलामी नहीं कराई गई और न ही नीलामी कराये जाने का कारण स्पष्ट किया गया।

अतः 38 स्कूल कृषि फार्मों की नीलामी न कर औसतन रु0 19.80 लाख की वर्तमान दरों पर हानि पहुंचाई गई। अतः रु0 19.80 लाख की वित्तीय अनियमितता की गई।

57 कृषि फार्मों से प्राप्त आय को नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार स्कूल कृषि फार्म की नीलामी से अर्जित आय रु0 2937595.00 निजी स्रोत से अर्जित लाभ नहीं दर्शाई गई, कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों अपर मुख्य अधिकारी लेखाकार वित्तीय परामर्शदाता अध्यक्ष जिला पंचायत के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर संख्या-03 जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में सम्पत्ति व विभव कर मद में गत वर्ष अवशेष रु0 8416900.00, चालू मांग रु0 3711400.00 एवं वर्ष की कुल मांग रु0 12128300.00 दर्शाई है जिसके सापेक्ष

वर्ष में वसूली ₹0 4152500.00 रही इस प्रकार ₹0 7975800.00 की वसूली लक्ष्य से कम रही इससे संस्था की वित्तीय स्थिति पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ा। उक्त वसूली न कर गम्भीर अनियमितता की गई है। वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता, अध्यक्ष जिला पंचायत के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर संख्या-04 उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या-04 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। प्राविधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।

जिला पंचायत आगरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के मध्य कराये गये कुल 34 कार्यों में से 30 कार्यों में उपकर की एक प्रतिशत धनराशि प्रथमतः प्राक्कलनों में नियम विरुद्ध जोड़ी गई है तथा उसके पश्चात पुनः टेण्डर फाइनल करते समय बी0ओ0ए में पुनः 01 प्रतिशत लेबर सेस जोड़ दिया जाये इस प्रकार संस्था को 02 प्रतिशत ₹0 768150.00 की हानि पहुंचाई गई जिसके लिए अवर अभियन्ता, लेखाकार, वित्तीय परामर्श दाता, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा दोषी है, क्योंकि प्राक्कलन निर्माण जांच एवं टेण्डर प्रक्रिया के दौरान उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं कराया गया है। अतः पहुंचाई गई हानि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर संख्या-05 ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशियाँ अवमुक्त की जाती हैं। अवमुक्त धनराशियों का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लेना चाहिए। जिससे क्षेत्रीय जनता को विकास कार्यों का यथा संभव परिलाभ हो सके।

जिला पंचायत, आगरा के रोकड बही एवं बैंक खातों की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के अन्त तक कुल ₹0 2008.59 लाख अवशेष था। जिसका उपयोग मार्च 2019 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को उसी वर्ष प्राप्त हो सकें। वर्ष के आरम्भ में संस्था पर राज्य वित्त आयोग गत वर्ष का शेष अनुदान ₹0 3122.26 लाख था। आलोच्य वर्ष ₹0 3566.23 लाख प्राप्त होने पर कुल उपलब्ध धनराशि ₹0 6688.89 लाख होती है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का निर्माण , मरम्मत आदि पर व्यय के रूप में उपभोग मात्र 4680.30 लाख किया गया। इस प्रकार वर्षान्त को ₹0 2008.59 लाख राज्य वित्त आयोग कि धनराशि उपभोग नहीं की गई जो उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 17 (5) के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व है कि विनियोजन की धनराशि या उसके अंश को जिसकी वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो, जैसे ही उसके बचत या व्ययगत (लैप्सिस) होने का पूर्वाभास हो तो उसे समर्पित कर दिया जाना चाहिए, का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, तथा गम्भीर आपत्तिजनक है। ₹0 2008.59 लाख अवशेष था जिसका उपयोग मार्च 2019 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे उक्त धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिला क्योंकि किसी योजना हेतु प्राप्त किसी वर्ष की धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में उपभोग कर लेनी चाहिए जिससे उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को उसी वर्ष प्राप्त हो सके।

अतः ₹0 2008.59 लाख के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के व्यय न कर बैंक खातों में अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों अपर मुख्य अधिकारी ,लेखाकार ,वित्तीय परामर्शदाता, अध्यक्ष जिला पंचायत के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर संख्या-06 ई ग्राम स्वराज (प्रियासॉफ्ट) के वार्षिक आय-व्यय एवं कैश बुक के अनुसार अन्तर आय-व्यय निम्नवत् रहा-

ई ग्राम स्वराज के अनुसार आय	अभिलेखानुसार आय	अन्तर	ई ग्राम स्वराज अनुसार व्यय	अभिलेखानुसार व्यय	अन्तर
398257837.20	397998424.00	259413.20	495407392.50	496756563.50	1349171.00

उपरोक्त अन्तर के सम्बन्ध में जिला पंचायत द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अतः उक्त धनराशि में अन्तर के सम्बन्ध में वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता, अध्यक्ष जिला पंचायत के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर संख्या-07 वित्तीय वर्ष 2018-19 में अस्थाई असमायोजित विवरण पत्र के अनुसार श्री ऐ0 के0 पंवार को रू0 2000.00 अस्थाई अग्रिम वर्ष 2015-16 से पूर्व स्वीकृत किया गया था, जो दिनांक 31.03.2019 तक असमायोजित रहा। अतः उक्त धनराशि के समायोजन की सम्भावना शून्य है। अतः सम्बन्धित तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी से मय ब्याजके वसूल कर जिला पंचायत के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-29

जिला पंचायत जनपद मथुरा वर्ष 2018-19

प्रस्तर 01—राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रू0 877.76 लाख को नियमानुसार प्रत्यावर्तित न करके बैंक खातों में अवरुद्ध कर रखना।

क्र.	अनुदान दाता का नाम व मद	अनुदान उद्देश्य	आदेश सं0 व तिथि	वर्ष में प्राप्त	गत वर्ष का शेष	योग	उपभोग	शेष
1	राज्य वित्त आयोग बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव उ0प्र0 शासन	अभ्यर्थियों सडक / साईट के अनुरक्षण व कर्मचारियों के वेतन, पेंशन पर व्यय	शा0 संख्या 09 / 2018 / बी-2-770 / दस-2018-2 / 2018 दि0 10.05.2018	233151600	87776444.74	320928044.74	280891276.38	87514168.36
2	वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 लखनऊ	परफोरमेन्स अनुदान	शा0 संख्या 04 / 2019 / बी-2-136 / दस-2019-2 / 2018 दि0 30.03.2019	47477400		47477400		
योग				280629000	87776444.74	368405444.74	280891276.38	87514168.36

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशियों अवमुक्त की जाती है। अवमुक्त धनराशियों का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कर लेना चाहिये जिससे क्षेत्रीय जनता को

विकास कार्यों का यथासंभव त्वरित लाभ हो सके। जिला पंचायत मथुरा की रोकड बही एवं बैंक खातों की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2018-19 के अंत तक कुल अंतिम शेष रु0 87514168.36 शेष रहा। वर्ष के आरंभ में संस्था पर राज्य वित्त आयोग का गत वर्ष शेष अनुदान रु0 8776444.74 था। आलोच्य वर्ष में रु0 233151600 तथा परफारमेन्स अनुदान रु0 47477400 प्राप्त होने पर उपलब्ध धनराशि रु0 368405444.74 होती है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का निर्माण, मरम्मत आदि पर व्यय के रूप में उपभोग मात्र 280891276.38 किया गया। इस प्रकार से वर्षान्त को रु0 87514168.36 राज्य वित्त आयोग की धनराशि उपभोग नहीं की गयी जो आपत्तिजनक है। रु0 87514168.36 लाख अवशेष था जिसका उपयोग मार्च 2019 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे उक्त धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिला क्योंकि किसी योजना हेतु प्राप्त किसी वर्ष की धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग कर लेनी चाहिये जिससे उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को उसी वर्ष में प्राप्त हो सके। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नईम अख्तर एवं श्री सुधीर कुमार अपर मुख्य अधिकारी, श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री विजय कुमार शर्मा अभियंता, श्री रमेश चन्द्र यादव वित्तीय परामर्शदाता के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 02—जिला पंचायत मथुरा द्वारा देशी, विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों से लाईसेंस शुल्क वसूल न किया जाना—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 में प्राविधान है कि जिला पंचायत जिले में इस अधिनियम के प्रशासन को आगे बढ़ाने के निमित्त उपविधियाँ बना सकते हैं जो जिले के संपूर्ण ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर प्रवृत्त हो। उक्त धारा की उपधारा 2ग(ख) वस्तुएँ बेचने या व्यापार करने, किसी या समस्त सड़कों या स्थानों के प्रयोग या अध्यासन की अनुमति देना या निषेध या विनियमन करना तथा ऐसे प्रयोग या अध्यासन के निमित्त शुल्क उपग्रहीत करने की व्यवस्था की अनुमति देती है।

जिला पंचायत मथुरा द्वारा अधिनियम के उक्त प्राविधानों के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नये कारखाने, दुकानों, संग्रह केन्द्र एवं अन्य व्यवसाय आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु उपविधि तैयार की गयी जो कि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि (13 मार्च, 2003) से प्रभावी है। उपविधि के अंतर्गत देशी, विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों से रु0 2000 प्रति दुकान की दर से लाईसेंस शुल्क वसूलने का प्राविधान किया गया था। लाईसेंस शुल्क 31 मार्च तक न जमा होने पर उसे विलंब शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य था। जिला आबकारी अधिकारी मथुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मदिरा के दुकानों का विवरण निम्नवत है:—

ग्रामीण प्रास्थिति में संचालित मदिरा के दुकानों की संख्या					
क्र सं०	वर्ष	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	कुल
1	2018-19	89	124	140	353
कुल		89	124	140	353

उक्त विवरण के अनुसार 2018-19 के अवधि में कुल 353 मदिरा (देशी/विदेशी/बीयर) की दुकानें संचालित थी जिन्हें जिला पंचायत मथुरा द्वारा लाईसेंस प्रदान कर उनसे लाईसेंस शुल्क लिया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा किसी भी दुकानों को लाईसेंस नहीं प्रदान किया गया न ही लाईसेंस शुल्क की वसूली की गयी थी। उक्त तालिका के अनुसार जिला पंचायत मथुरा द्वारा क्रमशः प्रति दुकान 2000 की दर से लाईसेंस शुल्क की कुल धनराशि 706000 वसूल किया जाना चाहिये था। परन्तु उक्त अवधि में जिला पंचायत द्वारा कोई भी वसूली नहीं की गयी। अतः समस्त मदिरा की दुकानों से निर्धारित धनराशि वसूल नहीं कर पाने के कारण इकाई को धनराशि रु0 706000 की हानि हुयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कराकर शीघ्र ही लाईसेंस की वसूली की जायेगी। उत्तर से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा उपविधि अनुरूप मदिरा की दुकानों से लाईसेंस शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप संस्था को

706000 की हानि हुयी। श्री नईम अख्तर व श्री सुधीर कुमार अपर मुख्य अधिकारी, श्री राजवीर पचौरी कर निरीक्षक, श्री रमेश चन्द्र यादव उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 03—कर एवं करेत्तर की बकाया वसूली

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 119 के अनुसार जिला पंचायत आने वाले निजी स्रोतों से आय में वृद्धि कर संग्रहण शुल्क किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

जिला पंचायत के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018—19 के अंत में विभिन्न मदों की वसूली माँग के अनुरूप नहीं की गयी। विवरण निम्नवत है :—

क्र.	मद का नाम	वर्तमान मांग	गत वर्ष का बकाया	कुल योग	की गयी वसूली	अवशेष वसूली
1	मृत पशु शव निस्तारण	13.00	13.40	26.40	1.05	25.35
2	सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया	23.08	73.37	96.45	36.21	60.24
3	कृषि/तरुपालन	17.65	0.69	18.34	13.51	4.83
4	विविध राजस्व	49.14	0.00	49.14	21.15	27.99
योग		102.87	87.46	190.33	71.92	118.41

उपरोक्त विवरण के अनुसार रु0 118.41 लाख विभिन्न मदों में वसूली अवशेष थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018—19 के अंतर्गत वसूल न किया जाना शिथिलता का द्योतक था। उक्त विवरण में संपत्ति एवं विभव कर के रूप में अंकित वसूली की धनराशि वर्ष 2017—18 तक की ही है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जिला पंचायत द्वारा ऑकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया गया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी। संस्था का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी होती तो इतनी विशाल धनराशि की वसूली अवशेष न रहती जबकि माँग के सापेक्ष प्रति वर्ष वसूली सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

अतः कर एवं करेत्तर की बकाया वसूली रु0 118.41 लाख का प्रकरण श्री नईम अख्तर व श्री सुधीर कुमार अपर मुख्य अधिकारी, श्री राजवीर पचौरी कर निरीक्षक, श्री रमेश चन्द्र यादव उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018—19

संस्था का नाम — जिला पंचायत मैनपुरी

जिला पंचायत मैनपुरी

प्रस्तर 01. आलोच्य वर्ष 2016—17 में निजी स्रोत से वर्ष में प्राप्त आय 55.22 लाख दर्शित है। जिसकी पुष्टि कैशबुक से कर ली गयी है। किन्तु संस्था द्वारा वर्ष की मांग वसूली बकाया तथा गत वर्षों का बकाया सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। दर्शित वसूली की धनराशि 55.22 लाख किन किन बैंक खातों में किस-किस तिथियों में जमा हुआ है, इसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से नहीं करायी गयी। अतः एवं सम्बन्धित अभिलेख अनिवार्यतः आगामी लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0 02

प्रस्तर 02 वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान दि0 31.03.2017 को समाचार पत्रों में बधाई विज्ञापनों पर निम्न विवरणानुसार अनियमित व्यय दर्शाया गया है।

01.वा0न078 दि0 31.03.17 को जागरण प्रकाशन को गणतंत्र दिवस बधाई विज्ञापन हेतु	रु0	17170.00
02.वा0न080 दि0 31.03.17 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र को हाली बधाई विज्ञापन हेतु	रु0	24332.00
03.वा0न081 दि0 31.03.17 को हिन्दुस्तान समाचारपत्र को गणतंत्रदिवस बधाई विज्ञापन हेतु	रु0	14599.00
04.वा0न084 दि0 31.03.17 को अमरउजाला समाचारपत्र को गणतंत्र दिवस बधाई विज्ञापन हेतु	रु0	25613.00

इस प्रकार दर्शित कुल व्यय रु 81714.00 को राज्य वित्त से समाचार पत्रों में बधाई विज्ञापनों पर अनियमित व्यय दर्शाया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0 09

प्रस्तर 3—वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा 158 निर्माण कार्य पर हुए व्यय से की गयी कटौती यथारु 1629789.00 आयकर, रु 3637990.00 वैट / व्यापार कर, रु 377149.00 रायल्टी, रु 727238.00 लेवर सैस एवं रु 25000.00 जुर्माना की कटौती कर सम्बन्धित विभागों में जमा कराया जाना दर्शाया गया। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी कटौती की सम्बन्धित विभागों में जमा की पुष्टि हेतु ट्रेजरी चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये गये। ट्रेजरी चालान/दाखिल रिटर्न नहीं दिखाये जाने से उक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशि अपुष्ट रही। अतः उक्त कटौतियों की पुष्टि जमा ट्रेजरी चालान/दाखिल रिटर्न से कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अध्यक्ष, अ0मु0अ0, जे.ई. से ब्याज सहित वसूली / विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0 20

प्रस्तर 04—वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा विभिन्न स्थानों पर मृत पशुशव निस्तारण के ठेको की नीलामी में रु 172500.00 की आय हुयी। उ0प्र0 सरकार के शा0सं0 1054 मृरु33-03-61/76 दि0 21.02.1976 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा मृत पशुशव निस्तारण से प्राप्त आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना है। इसके अतिरिक्त शा0सं0 2937(01)/33-02-2002-15बी(04)/02 दि0 09.10.2002 के अनुसार अब तक देय बकाया का भुगतान भी जिला पंचायत द्वारा किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0 24

प्रस्तर 05— आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत मैनपुरी का जिला निधि का खाता कोषागार के अतिरिक्त 05 राष्ट्रीयकृत बैंको एवं एक अनुसूचित बैंक सहित 06 बैंकों में राज्य सरकार की वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना रखा गया है। जो उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 101(01) के विपरीत है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना खाता खोला जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। साथ ही आलोच्य वर्ष में उक्त खातों में जमा सरकारी अनुदानों से ब्याज के रूप में रु 23.59 लाख की आय अर्जित हुई है। अर्जित ब्याजको जिला पंचायत ने राजकीय कोष में जमा न करके अनियमित रूप से अपने व्यवसाय में शामिल कर रखा है। जोकि शा0संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दि0 29 मई 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0 25

प्रस्तर 06—वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायतों के प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किया गया। जिस कारण 31.03.17 को दर्शित अनुदान में विगत वर्षों से प्राप्त अनुदानों का शेष धन भी सम्मिलित है। प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप जनता को मिलने वाले लाभों से वांछित होना पड़ता है। आगामी वर्ष में सम्बन्धित कार्यों की लागत भी बढ़ जाती है जिस कारण बड़ी लागत की राशि से संस्था को क्षति उठानी पड़ती है। अतः समय से अनुदान का उपयोग किए जाने हेतु प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है:

क्र0सं0	अनुदान का विवरण	धनराशि लाख रु में	अभ्युक्ति
01	बारहवां वित्त	13.19	कोषागार में फ्रीज गत वर्षों से (आ.स.26)
02	तेरहवां वित्त	42.06	दि0 31.03.17 को अनुपयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।
03	राज्य वित्त	971.57	दि0 31.03.17 को अनुपयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

आ0सं0 27

प्रस्तर 07—उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 33(02) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अर्न्तगत जिला पंचायत जिला सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया। प्रकरण की समीक्षा दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धन कमेटी द्वारा भी इस हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 34(01) के अधीन जिला पंचायत को अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार वर्ष आलोच्य दौरान जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों का अतिक्रमण कर रु0 149.00 लाखका निम्न विवरणी के अनुसार कराया गया निर्माण कार्य आपत्तिजनक है।

क्रम	मद	विकास खण्ड	कार्यस्थल	धनराशि लाख रु में
01	राज्य वित्त आयोग	धिरोर	ग्राम भूमिराजपुर मौजा विक्रमपुर में राज कुमार के घर से सुनहरीलाल के घर की ओर स0मा0	9.95
02	राज्य वित्त आयोग	धिरोर	ग्राम कुतुरुपा में देवेन्द्र के घर से मोहर सिंह के घर की ओर स0मा0	10.09
03	राज्य वित्त आयोग	बेवर	तिगवां पूर्वी में नहर से जनवेद के घर की ओर स0मा0	9.90
04	राज्य वित्त आयोग	सुल्तानगंज	ग्राम अहिरवा में दयाराम शाक्य की चक्की वाले मकान से भारत सिंह के मकान की ओर स0मा0	10.10
05	राज्य वित्त आयोग	बरनाहल	शाहजहांपुर (दिहुली) श्री रघुनाथ सिंह के घर होते हुये श्री सूवेदार सिंह के घर की ओर स0मा0	9.95
06	राज्य वित्त आयोग	जागीर	ग्राम वधिरुआ में श्री त्रिशभान सिंह के घर से छोटे कुम्हार के घर की ओर स0मा0	9.89
07	राज्य वित्त आयोग	कुरावली	ग्राम हटऊ में कश्मीर सिंह के मकान से रामसेवक के मकान की ओर स0मा0	9.89
08	राज्य वित्त आयोग	कुरावली	नगला भारा में रामेश्वर दयाल उर्फ पण्डा के मकान से अन्तराम यादव के मकान की ओर स0मा0	9.95
09	राज्य वित्त आयोग	कुरावली	ग्राम बरखेडा में राजेश यादव की चक्की से कठेरिया मोहल्ला की ओर स0मा0	9.87
10	राज्य वित्त आयोग	करहल	ग्राम घुसूपुर में श्री कुँवरपाल के घर से अमरपाल तथा जोर सिंह के घर से विद्याशरन के घर के पीछे की ओर स0मा0	10.09
11	राज्य वित्त आयोग	करहल	ग्राम सहन में सुभाष वाल्मीकि के घर से कुलदीप पुत्र श्री जगदीश के घर की ओर स0मा0	9.88
12	राज्य वित्त आयोग	करहल	ग्राम बॉसक में अजबसिंह वाल्मीकि के मकान से राधेयाम के मकान तक स0मा0	9.90
13	राज्य वित्त आयोग	धिरौर	कैरावली शिवमन्दिर से प्रा0वि0 कैरावली की ओर स0मा0	9.69
14	राज्य वित्त आयोग	धिरौर	ग्राम चापरी में राजेन्द्र सिंह के घर से मिलाप सिंह के घर की ओर स0मा0	9.90
15	राज्य वित्त आयोग	धिरौर	ग्राम चापरी में सुभाषचन्द्र फित्तेराम के घर से श्री सतेन्द्र सिंह मास्टर के घर की ओर स0मा0	9.95
			योग	लाख रु में
				149.00

लेखा परीक्षा दौरान शा0सं0-4/-866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 ,दि024.06.2014 का संदर्भ ग्रहण कराने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सदस्यों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्ययोजना स्वीकृति की गयी एवं उक्त के सन्दर्भ में शासन से भी अनुमति ली गयी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इनके द्वारा कोई भी स्वीकृति विषयक शासनादेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उक्त समस्त निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अन्तर्गत आता है। उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम संख्या 179(02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली अधिभार के प्रावधानों के अनुसार बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों से की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0 29

प्रस्तर 08—देय रायल्टी नियमानुसार न काट कर राजस्व की क्षति की गयी :- जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में निर्माण बिलों से रायल्टी गणना नहीं दर्शाते हुये क्षति पहुंचायी गयी , जिस कारण पंचायत की आय में कमी हुयी है। शा0संख्या -594/77-5-2001-200/77-टीसी.1 दिनांक 02.02.2001 एवं शा0संख्या -389/77-5-2002-1(216) /93 दिनांक 05.08.2002 एवं अन्य शासनादेशों द्वारा उपखनिजों तथा गिट्टी पट्टिया , साधारण बालू , मौरंग एवं मिट्टी आदि की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर निर्धारित दर से रायल्टी का भुगतान कर वैध रमन्ना एम.एम. -11 के आधार पर ही परिवहन किये जाने चाहिये तथा रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ति कर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। संस्था में वैध रमन्ना एम.एम.-11 आदि उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है रायल्टी की कटौती न कर शासन को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। अतः रायल्टी का आगणन संस्था के अभियंता से कराकर रायल्टी के मूल्य के 5 गुना की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ठेकेदार/अध्यक्ष ,अ0मु0अ0 व जे.ई.से की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0 31

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

संस्था का नाम — जिला पंचायत फिरोजाबाद

प्रस्तर-1— ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किया जाना — संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 22 ईट भट्टों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 2.42 लाख की हानि हुई। उक्त धनराशि सम्बन्धित ईट भट्टों से न वसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा कर अधिकारी श्री शिवमसे उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या-179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रू0 2.42 लाख

प्रस्तर-2— शीतगृहों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किया जाना — संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 35 शीत गृहों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 7.35 लाख की हानि हुई। उक्त धनराशि सम्बन्धित ईट भट्टों से न वसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा कर अधिकारी श्री शिवमसे उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या-179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रू0 7.35 लाख

प्रस्तर-3—औद्योगिक संस्थानों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न किया जाना — संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों (प्रतिष्ठानों/मैरिजहोम/मैडिकल स्टोर/ बियर-शराब) से राजस्व की ससमय वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को ₹0 25.98 लाख की हानि हुई। इंगित 397 व्यावसायिक/औद्योगिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज होम/मैडिकल स्टोर इत्यादि से लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रूपया 25.98 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से वसूल न होने/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा, कर निरीक्षकश्री हरिओम तथा श्री शिवम कर अधिकारी से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(2)—डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 25.98 लाख

प्रस्तर-4—नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना—जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़कों द्वारा जोड़ना एवं उनका अनुरक्षण व अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों का कराना हैं, जिला पंचायतें जिला सड़कों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। कार्य कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव प्राप्त किये जाने चाहिए तथा कार्य दो क्षेत्र पंचायतों के मध्य ही किया जाना चाहिए। ₹0 22,54,12,832.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय ₹0 22,54,12,832.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों अमोल यादव अध्यक्ष जिला पंचायत रामबाबू मिश्रा अपर मुख्य अधिकारी सदन के सभी सदस्य, सदस्य जिला पंचायत के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5—देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना—संस्था द्वारा न तो एम0एम0.11 के आधार पर उप खनिजों का परिवहन प्राप्त ही किया गया है और न ही निर्धारित रॉयल्टी जमा करायी गयी है। ठेकेदारों द्वारा समस्त आपूर्ति अवैध खनन के उपरान्त ही की गयी है जिससे उक्त व्यवस्थानुसार संस्था ने खनिज का मूल्य जानबूझकर न वसूलकर ठेकेदारों को अधिक भुगतान कर उन्हें सीधा लाभ पहुँचाया है।

आगणित रॉयल्टी की धनराशि ₹0 72,05,712.08 तथा खनिज के मूल्य के बराबर धनराशि ₹0 3,60,28,560.42 न तो अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि ₹0 4,32,34,272.50 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853—अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली जिला पंचायत अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी/वित्तीय सलाहकार/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/प्रशासनिक अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 432.34 लाख

प्रस्तर-6—कैश रसीद के सापेक्ष बैंक में कम कैश जमा कर धन का अपहरण करना—जिला पंचायत फिरोजाबाद में रसीद नं0 0079604 दिनांक 12.04.2018 द्वारा ₹0 5000, रसीद नं0 0079605 दिनांक 18.04.2018 द्वारा ₹0 1000 तथा रसीद नं0 0079606 दिनांक 18.04.2018 द्वारा ₹0 6000 कुल ₹0 12000.00 प्राप्त हुए हैं। जबकि इस धनराशि के सापेक्ष संस्था द्वारा दिनांक 18.04.2018 को ₹0 11000.00 ही यूनियन बैंक जिला निधि खाते में जमा किया गया है। अतः ₹0 1000.00 की धनराशि सुजान सिंह राजस्व निरीक्षक द्वारा बैंक में कम जमा कर धन का सीधा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सुजान सिंह राजस्व निरीक्षक से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(2)—डी के प्राविधानों के अनुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 1,000.00

प्रस्तर-7-पशु हाट/पशु मेलों से बकाया लाईसेन्स शुल्क वसूल न कर संस्था को हानि पहुँचाना-11 पशु हाट/पशु मेलों से लाईसेन्स शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रूपया 55,000.00 (रूपया पचपन हजार) की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। शासन द्वारा निर्धारित उपविधियों तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत आयुक्त आगरा मण्डल आगरा द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-288/ इक्कीस-वि0सहा0-8 (3)/2013-14 दिनांक-01 नवम्बर 2014 (सरकारी गजट उ0प्र0 प्रकाशन तिथि 10 जनवरी 2015) के अन्तर्गत व्यवसायों के सम्मुख अंकित धनराशियाँ तथा संशोधित अर्थदण्ड रु0 1,000.00 प्रति संस्थान की दर से समय के अन्तर्गत लाईसेन्स फीस जमा न करने के कारण उपरोक्त प्रतिष्ठानों से वसूल किया जाना अपेक्षित है। यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 249 के अधीन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो 100.00 रु0 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से वसूल न होने/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा कर अधिकारी श्री शिवम से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(2)-डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 66,000.00

(55000 लाईसेन्स शुल्क +11000 अर्थदण्ड)

उत्तरदायी व्यक्ति	सन्निहित धनराशि	अर्थदण्ड	कुल धनराशि
श्री रामबाबू मिश्रा	27,500.00	5,500.00	33,000.00
श्री हरिओम	13,750.00	2,750.00	16,500.00
श्री शिवम	13,750.00	2,750.00	16,500.00
योग	55000.00	11000.00	66000.00

प्रारूप-02

जिला का नाम-आजमगढ़

मण्डल का नाम-आजमगढ़

जिला पंचायत-आजमगढ़ वर्ष 2018-2019

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर संख्या-1 वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति एवं विभवकर के मांग वसूली के विवरण पत्र के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार रही।

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	वर्ष की मांग	गत वर्ष का बकाया	ब्याज	योग	वसूली	अवशेष
1	लालगंज	286750.00	317683.00	6519.00	610952.00	407085.00	203867.00
2	रानी की सराय	397550.00	1310256.00	143981.00	1851787.00	484887.00	1366900.00
3	मार्टिनगंज	360800.00	972113.00	102076.00	1434989.00	470058.00	964931.00
4	बिलरियागंज	563050.00	1321176.00	101540.00	1985766.00	856362.00	1129404.00
5	महराजगंज	251150.00	442493.00	63094.00	756737.00	267630.00	489107.00
6	मिर्जापुर	272150.00	598445.00	78195.00	948790.00	326756.00	622034.00
7	अतरौलिया	235400.00	200907.00	18732.00	455039.00	208640.00	246309.00
8	अहरौला	371150.00	1107914.00	107605.00	1586669.00	343169.00	1243500.00

9	हरैया	232900.00	330436.00	14821.00	578157.00	320836.00	257321.00
10	मुहम्मदपुर	421800.00	183172.00	11006.00	615978.00	464054.00	151924.00
11	अजमतगढ़	426350.00	492227.00	54819.00	973396.00	514663.00	458733.00
12	तरवां	533700.00	732582.00	116037.00	1382319.00	617424.00	764895.00
13	पल्हना	92650.00	257939.00	28935.00	379524.00	129016.00	250508.00
14	ठेकमा	289000.00	461387.00	23414.00	773801.00	419413.00	354388.00
15	सठियांव	267450.00	450068.00	43123.00	760641.00	374043.00	386598.00
16	पल्हनी	307650.00	796607.00	87641.00	1191898.00	480519.00	711379.00
17	कोयलसा	367600.00	772058.00	85271.00	1224929.00	503099.00	721830.00
18	मेहनगर	159550.00	168052.00	16271.00	343873.00	218586.00	125287.00
19	जहानागंज	228450.00	257685.00	29506.00	515641.00	262569.00	253072.00
20	फूलपुर	195200.00	378923.00	26993.00	601116.00	256046.00	345070.00
21	तहबरपुर	323800.00	153770.00	15890.00	493460.00	380104.00	113356.00
22	पवई	392350.00	952952.00	76189.00	1421491.00	602689.00	818802.00
	योग—	6976450.00	12658845.00	1251658.00	20886953.00	8907648.00	11979305.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में बकाया रु012658845.00 एवं वर्ष की मांग रु0 6976450.00 के सापेक्ष मात्र रु0 8907648.00 की ही वसूली हो सकी है। इस प्रकार बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षान्त में कुल बकाया रु0 11979305.00 रहा। आलोच्य वर्ष के मांग 6976450.00 के सापेक्ष वसूली के रु .712650.00 (आलोच्य वर्ष का) बकाया रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी कर अधिकारी, कर समाहर्ता व कर निरीक्षक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-2)

प्रस्तर संख्या-2 वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से कार्यों के विलम्ब से पूरा करने के कारण विलम्ब प्रतिकर के रूप में 0.5 प्रतिशत की कटौती की गई है जबकि ठेके की शर्तों के अनुसार विलम्ब प्रतिकर के रूप में कम से कम 01 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए।

क्रम सं.	वाउचर सं.व तिथि	कुल धनराशि	विलंब प्रतिकर जो काटा गया 0.5 प्रतिशत	विलंब प्रतिकर जो काटना चाहिए 01 प्रतिशत	अंतर
1	3 / 2.6.18	534662.00	3013.00	5346.00	2333.00
2	4 ,, ,,	126760.00	634.00	1268.00	634.00
3	5 ,, ,,	606034.00	3031.00	6003.00	3002.00
4	45 / 23.6.18	118624.00	594.00	1188.00	594.00
5	46 ,, ,,	86129.00	431.00	862.00	431.00
6	64 ,, ,,	685400.00	3427.00	6854.00	3427.00
7	79 ,, ,,	870200.00	4351.00	8702.00	4351.00
8	83 ,, ,,	405839.00	2030.00	4060.00	2030.00
9	84 ,, ,,	927000.00	4635.00	9270.00	4635.00
10	97 ,, ,,	621700.00	3109.00	6218.00	3109.00
	योग—		25255.00	49830.00	24575.00

इस प्रकार विलंब शुल्क 0.5 प्रतिशत कम काटकर रु..24575.00 से संस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व अभियंता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर संख्या-3 आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्य विलंब से समाप्त होने के पश्चात भी बिल से विलंब-शुल्क काटा नहीं गया और संस्था को रु.37343.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाताए व अभियंता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

क्रम सं.	कार्य का नाम	कुल धनराशि	विलंब शुल्क 1 प्रतिशत
1	फाइल सं. 276-शंभुनगर उसरी पिचरोड से श्री विश्ववर्मा के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	रु.333424.00	रु.3334.00
2	फाइल सं.76-ग्राम विशुनपुरा में सौरभ सिंह के घर से भट्टा तक सी.सी. कार्य।	रु.1114200.00	रु.11142.00
3	फाइल सं.77-सिंहपुर बछवल से हैदराबाद बीरभान यादव के घर तक सी.सी. कार्य।	रु.1160000.00	रु.11600.00
4	फाइल सं.53-ग्रामसभा गंभीरवन के नहरपुलिया से सूर्यबली चौहान के घर तक अवशेष सी.सी. कार्य।	रु.1126700.00	रु.11267.00
	योग-		रु.37343.00

(सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर संख्या-4 आलोच्य वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा शासनादेश के विपरीत कई कार्य ग्राम सभा के अंदर कराए गए हैं। जो कि आपत्तिजनक है। शासनादेश सं. 1838/33-3-2015-03/201, पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ, दि.31.07.2015 के अनुसार निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार जो कार्य ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के स्तर पर बेहतर तरीके से कराया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाए और जिला पंचायतों द्वारा वह कार्य न कराए जाने के निर्देश हैं। जिला पंचायत द्वारा ग्राम सभा के अंदर कराये गए कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

क्र०	कार्य का नाम	व्यय धन० (लाख में)
1	विकास खंड महाराजगंज के ग्रामसभा काशीपुर में नहर से हरेंद्र यादव के घर होतू हुए सोनकर बस्ती तक सी.सी. कार्य।	10.290
2	विकास खंड महाराजगंज के ग्रामसभा रुद्रपुर में मैरेज हाल से बाहा तक नाली निर्माण कार्य।	4.940
3	विकास खंड महाराजगंज के ग्राम नौबरार देवरा में दशमी राम के घर तक नाली निर्माण कार्य।	7.927
4	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा सैदपुर उगरपट्टी में पिच रोड मतम्मत कार्य।	8.127
5	विकास खंड बिलरियागंज के ग्राम जमुआ में राकेश मास्टर के घर से प्रा.वि. संपर्क मार्ग पर सी.सी. कार्य।	15.167
6	विकास खंड बिलरियागंज के ग्राम गौरी नरायन में अंबेडकर पार्क पिच रोड से पहलू पासवान के मकान संपर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य।	9.069
7	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा हेंगाईपुर में खड़ंजा से आशिक के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	8.402
8	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा सियरहा में रामआसरे यादव के खेत से नाला तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	8.313
9	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा जलालपुर में होलपुर पिचरोड से गांव संपर्क मार्ग पर सी.सी. कार्य।	4.730
10	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा बनकठ में मेनरोड से दलित बस्ती खरभान के पुरवा तक सी.सी. कार्य।	3.850
11	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा फुलवारी में सोलिंग से आबादी तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	2.855

12	विकास खंड बिलरियागंज के ग्राम पहलवानपुर में सुरेंद्र यादव के खेत से नदी तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	6.184
13	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा गौरीनारायण में पिचरोड से संपत यादव के द्यूववेल तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	6.715
14	विकास खंड बिलरियागंज के ग्रामसभा फरेंदा में प्रा.पा.मंदीर के पूरब पिचरोड से गद्दीपुर चौहान बस्ती तक सी.सी. कार्य।	8.579
15	विकास खंड जहानागंज के ग्राम मोलनापुर में यादव बस्ती संपर्क मार्ग पर सी.सी. कार्य।	5.234
16	विकास खंड जहानागंज के ग्रामसभा रामपुर में महेन्द्रपुरम् मार्ग सी.सी.रोड से भट्ठा तक मिट्टी सोलिंग कार्य।	2.661
17	विकास खंड जहानागंज के ग्रामपंचायत बबुरा में सी.सी.रोड से बीरबल प्रजापति संपर्क मार्ग पर सी.सी. कार्य।	3.568
18	विकास खंड जहानागंज के ग्रामपंचायत काजीपुर में स्नान घाट निर्माण कार्य।	8.340
19	विकास खंड अजमतगढ़ के ग्राम अहिरौली में पिचरोड से एहसान के घर तक सी.सी. कार्य।	8.260
20	विकास खंड अजमतगढ़ के ग्रामसभा बड़ागांव पूरानार में डीहबाबा स्थान से आबादी संपर्क मार्ग तक सी.सी. कार्य।	3.328
योग—		109.721

इस प्रकार शासकीय निर्देशों का उल्लंघन कर निर्माण कार्यों में रु.109.721 लाख की अनियमितता की गई है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व अभियंता जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद— बलिया

संभाग— आजमगढ़

जिला पंचायत बलिया

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष में ग्रामीण अंचलों में संचालित ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न कर रु0 726000.00 राजस्व की हानि पहुँचाई गयी। संख्या 415/-1/2008-2011 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बलिया द्वारा जनपद बलिया में फिक्सड चिमनी ईट भट्टा लाइसेन्स— संख्या आदि के शुल्क की प्रचालित उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। जिसका अनुमोदन जिला पंचायत बलिया की बैठक में किया गया है। जिसके अनुसार चिमनी ईट भट्टों पर पूर्व में लाइसेन्स शुल्क 2000.00 वार्षिक से संशोधन कर रु0 6000.00 वार्षिक कर दिया गया।

जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों/लाइसेन्स शुल्क पंजिका की जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में उपविधि के अनुसार सभी चिमनी/ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किये जाने के कारण निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रु0 726000.00 की हानि हुई जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर वसूली अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	जनपद में स्थिति कुल	लाइसेन्स शुल्क की दर 6000.00 रु0 प्रति माह/ प्रति वर्ष	वसूली योग धनराशि	चिमनी/ईट भट्टा की मंदा	वसूली न की गयी	राजस्व की क्षति
2018-19	324	6000	1944000	203	121	726000

(आ0 सं0-3)

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत बलिया के उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत/अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत जिला पंचायत बलिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में देशी/अग्रेजी मदिरा के व्यवसाय पर लाइसेन्स शुल्क की दरों को अधिनियम की धारा 242 के अन्तर्गत करते हुए 06 जनवरी 2018 के द्वारा गजट प्रकाशित किया गया। प्रकाशित उपविधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रों में देशी/अग्रेजी मदिरा के दुकानों से अनुज्ञप्ति शुल्क ₹ 5000.00 प्रति दुकान प्रति वर्ष की दर से निर्धारित किया गया था। उक्त के अन्तर्गत जिला पंचायत को अपने परिधिगत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित देशी/विदेशी मदिरा से सम्बन्धित व्यवसायों अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में राजस्व वसूली किया जाना था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत बलिया द्वारा उपविधि के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित देशी/अग्रेजी मदिरा दुकानों से निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली हेतु वर्ष 2018-19 में तो मांग की गयी थी एवं न वसूली हेतु कार्यवाही की गयी थी। जबकि अनुमानित शुल्क की वसूली वर्ष 2017-18 से प्रभावी थी। आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार जनपद बलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित देशी/वियर/विदेशी की दुकान का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	देशी मदिरा	विदेशी/अग्रेजी	वियर	कुल दुकानों की संख्या
2018-19	119	31	24	174

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2018-19 में अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में वसूली योग्य धनराशि $174 \times 5000 = 870000.00$ की वसूली जिला पंचायत द्वारा उपविधि के क्रम में न कर जिला पंचायत के राजस्व की हानि की गई गई इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-4)

प्रस्तर-3 उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग के अधिसूचना 1411/36-2-2009-251/एस0एम0/95 दिनांक 20-11-2009 के अनुसार भवन एवं सन्निमार्ग कार्यकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1966 तथा तद् विषयक उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ग कार्य कार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) नियमावली 2009 के प्रयोजनार्थ उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक द्वारा भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कार्य की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर सेस वसूली एवं वसूल की गयी धनराशि उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निमार्ग कार्य कार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त नियमावली के अनुपालन में सभी प्रकार के सरकारी संस्थानों निकाय बोर्ड आदि द्वारा 20-11-2009 के अनुसार भवन एवं सन्निमार्ग कार्यवार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियमावली 2009 के प्रयोग नार्थ उपकर निर्धारित अधिकारी एवं उपकर संग्रहक द्वारा भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कार्य की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर (मेस) की वसूली एवं वसूल की गयी धनराशि उत्तर प्रदेश भवन और अन्य/सन्निमार्ग कार्यवार कल्याण कोई को स्थानान्तरित किया जाने का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त नियमावली के अनुपालन में सभी प्रकार के सरकारी संस्थानों निकाय बोर्ड दिनांक 20.11.2009 के बाद सम्पादित कराये गये समस्त निर्माण कार्यों की लागत पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर (मेस) की कटौती की प्रक्रिया होगी जो कि आयकर (टी0डी0एस0) कटौती में अपना की गयी है। इस प्रकार उक्त कटौती करके श्रम विभाग के लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा कार्यालय जिला पंचायत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2018-19 के माह जून 2018 से मार्च 2019 तक कराये गये कार्यों/भुगतान किये गये वाउचरों पर श्रम उपकर की धनराशि की कटौती नहीं की जा रही है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। भुगतान का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	माह	व्यय/भुगतान की धनराशि (लाख में)
1	6/2018	708.04
2	7/2018	952.87
3	8/2018	756.38
4	9/2018	266.69
5	10/2018	422.07
6	11/2018	303.84
7	12/2018	262.03
8	1/2018	184.71
9	2/2018	169.15
10	3/2018	731.69
	योग-	4757000

रु० 4754.47 लाख की 1 प्रतिशत की धनराशि रु० 47.57 लाख (4757000) का धनराशि उत्तर प्रदेश भवन और सन्नियणि कर्मवार कल्याण बोर्ड नें नहीं किया गया जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर निर्धारित अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। कटौती न किये गये कुछ कार्यों का विवरण निम्न है:-

दिनांक	योजना का नाम	कार्य का नाम	वाउचर सं०	धनराशि
13.6.18	राज्य वित्त	श्री नाथ कं० रसड़ा मीघागर पी०डब्ल्यू०डी० मोड़ से देवराज के पूरव तक इण्टर लाकिंग	69	263620
13.6.18	"	श्री नाथक सदलपुर से पाण्डेयपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर कार्य	70	263880
13.6.18	"	श्री नाथ राय महाराजपुर नाथ बाबा पिच से सुनील के घर होते हुए राजभर वस्ती की ओर पेवर्स ब्लाक	71	304400
13.6.18	राज्य वित्त	श्री नाथ कं० स्ट्रक्चर मदाय भारती नदीली पी०डब्ल्यू०डी० मार्ग खडण्जा मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य	72	299560
13.6.18	"	श्री नाथ क० ग्राम मुउददीलपुर से पी०डब्ल्यू०डी० पिच रोड़ से आ सरखीलपुर तक पेवर्स ब्लाक	73	329690
13.6.18	"	श्री नाथ कं० नरनी कालीपुर पी०डब्ल्यू०डी० रोड़ पाण्डेयपुर तक इ० कार्य	74	326500
13.6.18	"	मे० राज कम्पनी(सप्लायर्स) पल्व पी०डब्ल्यू०डी० मार्ग से ग्राम सभा लेन्दुआ पिपरोली में यादव के घर तक पेवर्स कार्य	75	242800
13.6.18	"	बलेसरा मिफीया पी०डब्ल्यू०डी० मार्ग आय समा पल्टा में अन्जान जिस बाबा के स्थान पर तक पंवर्स	76	105756
13.6.18	"	मे०राज कम्पनी एण्ड सप्लायर्स रायपुर असली पी०डब्ल्यू०डी० मार्ग पर महम्मदपुर रास्ते से शिव वचन के घर तक पेवर्स ब्लाक	77	170180
13.6.18	"	रतसड़ सिकरिया पी०डब्ल्यू०डी० से जय प्रकाश यादव के भट्टा होते हुए नेदा की जाने वाले मार्ग पर मो० कार्य	83	504000
21.6.18	"	मे० राजराय सिंह मल्य वैलोगस पी०डब्ल्यू०डी० मोड़ से मन्दा एवं देववीर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	95	848848
21.6.18	"	के० राजराम सिंह खलीलपुर नहर पिच से हरिजन वस्ती तक इ० कार्य	96	790839

21.6.18	..	मे० राजाराम सिंह खलीलपुर महर पिच से हरिजन वस्ती तक इ० कार्य	97	569968
21.6.18	..	मे० राजाराम सिंह नगरा मुलय पी०डब्लू०डी० रोड से बुदीन पुर तक लेपन कार्य	102	865900

(आ०सं०-7)

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत बलिया द्वारा कराये गये सड़कों का पिच के लिए विटुमिन का क्रय सीधे प्राइवेट फर्म से किया गया है। जबकि सरकार द्वारा निर्धारित फर्म से ही क्रय किया जाना चाहिए था। पी०डब्लू०डी० से लिया जाना अपेक्षित है।

इसके निम्न विवरण है :-

क्रम० सं०	कार्य का नाम	भुगतान की धनराशि
1	मे० राजाराय सिंह मलय वेलोन्स पी०डब्लू०डी० रोड से मन्दा एवं देववीर मार्ग तक एनेपन कार्य	848848
2	मे० राजाराय सिंह नगरा शूल्क पी०डब्लू०डी० मोड़ से बुढानपुर तक लेपन कार्य	865200
3	ग्राम सभा सुधपुरा में दिनरी मार्ग पर पिच रोड का निर्माण	837120
4	ग्राम सभा सुधपुरा में दिनरी मार्ग पर पिच रोड का निर्माण	415584
	योग-	2966752

इस प्रकार रू० 2966752.00 का अनियमितता भुगतान किया गया है इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-8)

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ठेकेदार को जमानत राशि की वापसी की गयी है लेकिन वाउचर के साथ जमानत राशि के लिए प्रार्थना पत्र एवं उसकी वापसी के लिए स्वीकृति आदि नहीं लगा हैं। इस प्रकार के भुगतान कर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम० सं०	ठेकेदार का नाम	दिनांक	वाउचर	धनराशि
1	श्री चन्या सिंह	14.9.19	66	49910
2	श्री चन्या सिंह	14.9.19	65	25000
3	मे० नायक कन्ट्रक्शन	14.9.19	67	90000
4	मे० नायक कन्ट्रक्शन	14.9.19	68	90000
5	मे० नायक कन्ट्रक्शन	14.9.19	69	90000
6	श्री चन्या सिंह	1.11.19	48	49910
7	श्री चन्या सिंह	1.11.19	49	34950
8	श्री हरिद्वार सिंह	1.11.19	50	150000
9	श्री राजा राय	1.11.19	51	40000
			योग-	619770

(आ० सं०-23)

प्रस्तर-6 शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-09/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा विधिन अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभचित करने वाले कार्य ही सम्पादित करायेगी परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया है। कि निम्नांकित कार्यों में शीर्ष ग्राम पंचायतों के अन्दर की कार्य कराकर शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह वित्तिय परामर्शदाता श्री विपुल कुमार सिंह एवं

आंकिक श्री कन्हैया सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है:-

क्रम0 सं0	दिनांक	कराये गये कार्य का विवरण	ठेकेदार को भुगतान
1	29.9.18	ग्राम सभा अस्तमपुर में चन्द्रशेखर सिंह के आवास से सीताराम वर्मा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	96778.00
2	29.9.18	ग्राम सभा गमहरा में लल्लन गोड़ के घर से विकास सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	392000.00
3	29.9.18	परिधरा में नई वस्ती में आशीष सिंह के घर से भोला सिंह घर तक कार्य	364800.00
4	18.3.19	ग्राम सभा चन्दुकी मठिया में विनोद के घर से वीरेन्द्र के खेत के पास खण्डजा निर्माण	51429.00
5	18.3.19	ग्राम पंचायत मनियर में अध्यक्ष के स्थान की दुकान से सतोष के घर तक लाकिंग कार्य	168857.00
6	18.3.19	ग्राम सभा दया छपरा में पुरानी वस्ती में विरहापुर राय के घर से एवं रामजी राय के घर से आगे तक नाली निर्माण	78580.00
7	18.3.19	ग्राम सभा बहादुरपुर में गोपाल पाण्डेय के घर होते हुए वरनगी के घर तक इण्टर कार्य	181484.00
8	21.1.19	ग्राम सभा निधरिया में काली मंदिर के पास से प्रदीप के घर तक पेवर्स कार्य	254400.00
9	23.1.19	ग्राम सभा छिब्बी में कल्पाप बाबा पूर्व मा0 विद्यालय होते हुए अजनी सिंह के घर तक इण्टर कार्य	89760.00
10	5.2.19	ग्राम सभा इब्राहिमापट्टी में राय वदिन के घर से राधेश्याम सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य	513951.00
11	11.2.19	मयडुहाविहरा में राय अवध यादव के घर से मुरलीकमकर के घर तक इण्टर कार्य	530840.00
12	16.3.19	ग्राम सभा नरौरा में करनी माउर पर प्रभुनासिर के खेत में सम्पर्क मार्ग	204364.00
13	16.3.19	ग्राम सभा सन्सापुर में लर्ती पार नहर से राय सिहासन वर्मा के खेत पर पुलिया निर्माण	1577714.00
14	16.3.19	ग्राम सभा हालपुर में अवधेश सिंह कटरा से श्री पलाग के घर तक नाली कार्य	426851.00
		योग-	4931808.00

(आ0सं0-29)

प्रारूप - 2

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत मऊ में उद्घाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपत्तियों का विवरण -

जनपद-मऊ

सम्भाग-आजमगढ़

प्रस्तर 1-आलोच्य वर्ष 2018-19 निर्माण कार्यो से सम्बन्धि भुगतान की जांच करते समय देखा गया कि निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत की सीमा के अन्तर्गत कराये गये है, जबकि शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर 2(3) के अनुसार जिला पंचायत प्राप्त अनुदानो से एक से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करायेगी। इस प्रकार

शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत 80 कार्यों पर रु 49244000.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **विवरण निम्नवत है—**

क्र०सं०	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम सभा फतेहपुर में पंजाब नेशनल बैंक से हाजी मोबीन के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 13,24,000.00
2	ग्राम सभा मोहम्मदपुर में सरवन राजभर के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 6,92,000.00
3	हृदयपट्टी ग्राम सभा में पिच रोड से सोनारी मौजा तक सोलिंग कार्य	रु० 3,56,000.00
4	ग्राम सभा परसिया जयरामगिरि में कल्लन अहमद के घर से भूषण के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 214000.00
5	ग्राम सभा रामपुर लतीफी मस्जिद से अलीम हाजी के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 487000.00
6	ग्राम सभा रामपुर लतीफी मस्जिद से प्रधान के घर होते हुए हाजी के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 495000.00
7	ग्राम सभा लघुबाई राजभर बस्ती से मीरपुर मझौवा होते हुए छतहरा सिवान तक सोलिंग कार्य	रु० 977000.00
8	ग्राम पंचायत काठतराँव जुडनपुर में रामआशीष यादव के घर से दूधनाथ के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 360000.00
9	हृदयपट्टी ग्राम रसूलपुर गौतम में चन्द्र भूषण सिंह के दरवाजे से रामनगीना के घर होते हुए नहर तक सी०सी० कार्य	रु० 845000.00
10	कटघरा शंकर में कृष्णमोहन मल के घर से पिच रोड तक सी०सी० कार्य	रु० 875000
11	ग्राम सभा गाई से सती स्थान तक सोलिंग कार्य	रु० 196000
12	ग्राम सभा गाजियापुर मधुबन डाकघर से प्राइमरी स्कूल तक सी०सी० कार्य	रु० 1028000
13	ग्राम हृदयपट्टी में शैलन्द्र सिंह आजाद के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 273000
14	परसपुर ग्राम सभा में शहीद मुख्य मार्ग से परसपुर तक विशेष लेपन कार्य	रु० 968000
15	ग्राम सभा खेरा नासिर में भटौली नहर से दलित वरसतिया इण्टर कालेज तक पिच मरम्मत कार्य	रु० 874000
16	पहाडपुर सिवान से मुस्तफाबाद चौराहे तक सी०सी० कार्य	रु० 533000
17	ग्राम सभा कोरौली मेन रोड से प्राथमिक पाठशाला तक सी०सी० कार्य	रु० 335000
18	ग्राम सभा बन्धनपुर में प्रा०पाठ शाला से करौदी नरायन तक सोलिंग कार्य	रु० 822000
19	ग्राम सभा दरगाह सिकडी कोल चि मार्ग से हरि यादव के खेत तक सी०सी० कार्य	रु० 593000
20	ग्राम पंचायत परिखापुर में सुबच्चन के दुकार से अजय के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 570000
21	ग्राम पंचायत नुरुलाहपुर में बृजानन्द के घर से संतोष के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 328000
22	ग्राम पंचायत पलिया में शिवमुनि धोबी के घर से प्रा०विद्यालय तक सी०सी० कार्य	रु० 842000
23	ग्राम सभा कोल्हुआ खास में सुनिल मौर्या के घर से सुरेन्द्र के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 836000
24	ग्राम पंचायत दरगाह में कौशल राजभर के घर से अमिला पिच रोड सडक तक सी०सी० कार्य	रु० 278000
25	ग्राम सभा अरियासो में सरोज के खेत से सिधारी के घर तक सी०सी० कार्य	रु० 544000
26	ग्राम सभा बेलागदायनपट्टी में मुनीर के घर से नरेश के घर तक सोलिंग कार्य	रु० 135000
27	ग्राम सभा गोबरीडीह में संतोष राय के घर से फकीराना तक सोलिंग कार्य	रु० 291000
28	ग्राम सभा बरुहा सराय गनेश मार्ग से रामगोविन्द के घर से तक सोलिंग कार्य	रु० 199000
29	ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर में बनही बस्ती किशुन के खेत से बलिया बार्डर पुल तक सोलिंग कार्य	रु० 280000
30	ग्राम ससभा रघोली में विरेन्द्र यादव के घर से दुर्गा मन्दिर होते हुए चकिया राजभर बस्ती तक सोलिंग कार्य	रु० 558000

31	ग्राम सभा हाजीपुर में रोड एन0एच0-29 से रामनारायन के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 574000
32	बजुआ पोखरा बाजार में रामकृष्ण के मकान से आनंद मेडिकल स्टोर के रास्ते सी0सी0 कार्य	रु0 337000
33	ग्राम सभा धर्मपुर कसापर सुडडन लाल के घर से ओमप्रकाश के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 591000
34	ग्राम सभा पिढवल में राधेश्य35म के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 887000
35	ग्राम सभा पहसा इटौरा मार्ग से राजदेव राजभर के घर के आगे सी0सी0 कार्य	रु0 625000
36	ग्राम पं0 छिछोर करौधी में मन्दिर से रमाशंकर के घर होते हुए मुन्नीलाल मौर्य के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 645000
37	ग्राम पं0 रतनपुरा में रविदास जी के मन्दिर से लालबहादुर राम के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 628000
38	ग्राम सभा देवदह में समोगरा पिच मार्ग से चौहान बस्ती शिवशंकर के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 287000
39	ग्राम पंचा0 हलधरपुर से बेलाझा मार्ग से मऊ कुबेर में पिच रोड से रामलखन के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 174000
40	ग्राम सभा बहरवार से बहरवार हरिजन बस्ती तक पिच कार्य	रु0 774000
41	ग्राम सभा इटैली में रामअधर सिंह के घर से संजय गौड के घर होते हुए सुरेश के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 235000
42	ग्राम सभा उसरी में ईश्वर चौहान के घर से शारदा सहायक नहर के आगे तक सी0सी0 कार्य	रु0 659000
43	ग्राम सभा हरधौली में मोती के मकान से भगवान चक तक इण्टर लाकिंग व नाली मरम्मत कार्य	रु0 444000
44	ग्राम सभा अतरसावा में मांटी मार्ग से बम्हानन्द के घर तक लेपन कार्य	रु0 616000
45	ग्राम सभा सरायसादी रामानन्द के घर से जालित चौहान के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 1449000
46	ग्राम पं0 रजपुरा में हीरा सोनकर के खेत से सकलू चौहान के घर तक पिच मरम्मत कार्य	रु0 888000
47	ग्राम सभा झोटपुर पिच मार्ग से चुम्मानार मार्ग तक खडन्जा कार्य	रु0 2543000
48	ग्राम सभा करौली पुल से एम0एस0बी0 स्कूल तक खडन्जा कार्य	रु0 1543000
49	ग्राम सभा हे मई पिपरी में लालबचन यादव के खेत से शिव मन्दिर के आगे सी0सी0 कार्य	रु0 800000
50	ग्राम सभा सोहरण में गौंधी आश्रम से रामपुर संजय के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	रु0 428000
51	ग्राम पं0 पूनापार बैरिया मार्ग से पूनापार में रामजीत यादव के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 583000
52	ग्राम पं0 टेघना में प्रभुनाथ गुप्ता के घर से अशोक सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 599000
53	ग्राम सभा दपेहडी में पिच रोड से नटडेढवा तक सी0सी0कार्य	रु0 319000
54	ग्राम सभा बडागाँव में बिरेचा सम्पर्क मार्ग से डा0 नईम के घर तक नाली व सोलिंग कार्य	रु0 620000
55	ग्राम सभा जमुई में लालता के घर से नेयाज अहमद के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 304000
56	ग्राम सभा नगपुर में सलारू बाबा के सीन से राजेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 कार्य	रु0 206000
57	ग्राम सभा सददोपुर में हनुमान मन्दिर से प्रमोद के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 2064000
58	ग्राम सभा सददोपुर छागुर राम के घर से फूलबदन के धश्र के आगे सी0सी0 कार्य	रु0 312000
59	ग्रामसभा सददोपुर पिच रोड से सेवक के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 235000
60	ग्राम सभा भदीड के सुदर्शन के घर से अच्छे लाल के गुमती तक सी0सी0 कार्य	रु0 894000

61	ग्राम सभा दाउदपुर वाहा पर आर0सी0 पुलिया निर्माण	रु0 603000
62	ग्राम सभा नसोपुर में गुफरान के खेत से भाटा पार तक सी0सी0 कार्य	रु0 396000
63	ग्राम सभा चौबेपुर में मेन रोड से बदन के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 251000
64	ग्राम सभा जहनियापुर में सुददन के घर से डीह स्थान तक सी0सी0 कार्य	रु0 820000
65	ग्राम सभा नसोपुर में रघुवीर के खेत से पारस के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 808000
66	ग्राम सभा गौरापार मेन पिच से कैलाश के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 812000
67	ग्राम सभा डोडा के एन0एच0 29 से डोडा गाँव तक मिटटी सोलिंग कार्य	रु0 976000
68	ग्राम सभा ढाढाचवर के विक्रान्त के ट्यूबवेल से रामप्रवेश चौहान के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 555000
69	ग्राम सभा धवरियासाथ में उसगढिया मार्ग से श्यामसुन्दर के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 732000
70	ग्राम साथ धवरियासाथ में उसगढिया मार्ग से श्यामसुन्दर के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 579000
71	ग्राम सभा कोपागंज मुख्य मार्ग से अरविन्द राय के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 488000
72	ग्राम सभा सरवा में दशरथ के घर से नरजा तक मिटटी सोलिंग कार्य	रु0 406000
73	ग्राम सभा देवखरी में रामनुज सिंह के घर से हरिजन बस्ती तक मिटटी सोलिंग कार्य	रु0 392000
74	ग्राम सभा अल्दे मऊ के हरिजन बस्ती से रविदास मन्दिर तक सी0सी0 कार्य	रु0 673000
75	ग्राम सभा सरोदा पलपुरावा मोड पिच मार्ग से विपुल यादव के घर तक सी0सी0 कार्य	रु0 829000
76	ग्राम सभा समाउददीनपुर में जितेन्द्र यादव के घर से हसनपुर मौजा गणेश के खेत तक सी0सी0 कार्य	रु0 733000
77	ग्राम सभा खुरहट में अमारी जाने वाली पिच रोड से मोती राजभर व देवदास के खेत तक सी0सी0 कार्य	रु0 162000
78	ग्राम पंचायत बडार में प्रधान मंत्री सड़क से पूर्वी चौहान बस्ती कुटी मार्ग पर सी0सी0 कार्य	रु0 256000
79	ग्राम सभा काझा के बार्डर से राजेश्वर यादव के घर होते हुए मन्दिर तक सी0सी0 कार्य	रु0 430000
80	ग्राम सभा कन्धेरी में सुदर्शन राम के घर से डुमराँव बार्डर तक सी0सी0 रोड कार्य	रु0 372000
	योग	रु 49244000.00

(स0आ0सं0-2)

प्रस्तर-2—आलोच्य वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुनील कुमार चौहान हेतु गाड़ी चलाने का गाड़ी मालिक श्री चन्द्रभान चौहान ग्राम-मतडी, पोस्ट-करहा, जनपद-मऊ से स्कार्पियो गाड़ी न0 यू0पी0 54 एम 1044 के मालिक को रु0 500 प्रतिदिन की दर से दिये जाने का अनुबन्ध किया गया था। किन्तु गाड़ी मालिक के विगत वर्ष 2015-16 के बकाया गाड़ी किराया का भुगतान दिनांक 15.02.2019 चेक नं0-577219 वा0नं0-46 द्वारा रु 161000 पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील कुमार चौहान को किया गया है। जबकि भुगतान गाड़ी मालिक श्री चन्द्रभान चौहान को किया जाना चाहिए था। बकाये किराये भुगतान के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समय कोई भी अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। धनराशि बकाया का भुगतान सम्बन्धित वर्षों में न किये जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं रहा। अतः रु0 161000 का अवास्तविक भुगतान कर अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द वित्ततीय परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव तथा लेखाकार श्री जयप्रकाश मिश्रा द्वारा अपहरण किया गया है। प्रत्येक से 1/3 भाग (यानि 161000 का 1/3) की वसूली अपेक्षित है इसके सम्बन्ध में यह भी उल्लेखित है कि बकाया का भुगतान किये जाने हेतु बोर्ड/संचालक मण्डल से स्वीकृत लिये जाने का प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा है। अतः रु0 161000 की वसूली ब्याज सहित उक्त अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-3)

प्रस्तर-3—आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेख परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि गाडी न0 यू0पी0-54 एम 1044 की लाग बुक में पाया गया कि वर्ष 15-16, 1 जून 2015 से 18 अप्रैल 2016 तक उक्त गाडी 20958 कि0मी0 चलाई गयी है । जिसमें कुल 2143 लीटर डीजल प्रयुक्त दिखाया गया है। गाडी की औसत चाल 1 लीटर में 10 कि0मी0 दर्शाया गया है । इस प्रकार 2095.8 लीटर डीजल का प्रयोग हुआ,दिनांक 18.04.2016 को 47.2 लीटर डीजल लेखा परीक्षा अनुसार अवशेष होना चाहिए। जबकि उक्त तिथि को डीजल की मात्रा शून्य दर्शित है। अतः $47.2 \times 52 = \text{रु } 2454$ अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है । जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है । जिसकी वसूली ब्याज सहित उक्त कर्मचारियों से किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0-4)**

प्रस्तर-4 वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में ईट भट्टा लाइसेन्स रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत मऊ के अर्न्तगत 339 भट्टे संचालित है जिसमें से मात्र 186 भट्टों का नवीनीकरण हुआ है जिसमें कुल रु 430063 वसूली हुई है शेष 153 भट्टे का नवीनीकरण न करके रु 2305 प्रति भट्टे की दर से रु 352665 की क्षति पहुचाई गयी है । जिसके लिए कार्य अधिकारी डा0 विरेन्द्र बहादुर पटल लिपिक श्री अनिल सोनकर तथा प्रत्येक ब्लॉक के कर निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक अपर मुख्य अधिकारी और वित्त परामर्शदाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ब्लॉक वार भट्टों का विवरण एवं कर निरीक्षकों का नाम निम्न भट्टों का नवीनीकरण शुल्क रु 352665 की वसूली न करके अनियमितता बरती गयी हैं। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	ब्लॉक का नाम	कार्यरत भट्टे की संख्या	नवीनीकरण किये गये भट्टों की संख्या	नवीनीकरण से प्राप्त धन	नवीनीकरण न किये गये भट्टों की संख्या	नवीनीकरण न होने से होने वाली क्षति रूपये में	ब्लॉक में कार्यरत कर निरीक्षक/ सहायक निरीक्षक का नाम
1	परदहां	36	24	59135	12	27660	श्री अमरेन्द्र राय
2	फतहपुर मण्डाव	37	14	31870	23	53015	श्री अनिल राय
3	बडरौव	32	18	42000	14	32270	श्री कन्हैया लाल
4	छोहरीघाट	31	18	38970	13	29995	श्री संतोष कुमार
5	घोसी	31	15	36135	16	36880	श्री शिवशंकर सिंह
6	रतनपुरा	27	24	53063	03	6915	श्री ओम प्रकाश यादव
7	कोपागंज	54	40	96675	14	32270	श्री राम केवल
8	रानीपुर	49	12	26070	37	85285	श्री चन्द्र मोहन चौहान
9	मुहम्मदाबाद	42	21	46145	21	48405	श्री राम विलाश शर्मा
	योग	339	186	430063	153	352665	

(सा0आ0सं0-5)

प्रस्तर संख्या-5 वर्ष 18-19 की फाइल नं0 172 की जांच में पाया गया कि परसपुर शहिद मार्ग से तिधरा तक विशेष लेपन कार्य 650 मीटर कराया गया है जिस पर रु 15 लाख व्यय किया गया है। काम कराने

की स्वीकृति जि०पं० द्वारा 15.02 2019 की दी गयी फाइल में संलग्न एम०एम० 22 गिट्टी की रसीद दिनांक 25.05.2017 से 10.12.2017 तक की लगायी गयी है जो नियमतः गलत है । अतः 165 घन मी० मिट्टी पर रु 160 प्रतिघन मी० की दर से रु 26400 की रायल्टी न काटकर अनियमितता बरती गयी है । जिसके लिए अभियन्ता श्री लाल देवेन्द्र विक्रम एवं लेखाकार श्री जयप्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(सा०आ०सं०-07)

प्रस्तर-6—वर्ष 18-19 में जिला पंचायत मऊ के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर/करेत्तर से राजस्व प्राप्त किये जाते हैं। निम्न आकड़े के अनुसार रु० 76.71 लाख वर्षान्त अवशेष दर्शित है। वर्ष 18-19 के अन्तर्गत वसूली न किया जाना शिथिलता का घटक है।

क्र०सं०	मद का नाम	गत वर्ष का बकाया	वर्ष की मॉग	योग	वर्ष की वसूली	अवशेष वसूली
1	सम्पति एवं विभव कर	38.22	23.95	62.17	24.08	38.09000
2	लाइसेन्स	—	15.20	15.20	11.90	3.30000
3	मृत पशु शव निस्तारण	—	0.10	0.10	—	.10000
4	सम्पति से आपकी दुकान भवन किराया	15.31	6.35	21.66	6.72	1494000
5	नौकाघाट	1.75	—	1.75	—	175000
6	मेला प्रदर्शनी	—	0.25	0.25	0.23	.02000
7	हाट बाजार	3.13	—	3.13	0.02	3.11000
8	पडाल अड्डा	14.90	—	14.90	—	14.90000
9	काजी हाउस	—	0.50	0.50	—	.50000
10	तरुण पालन	—	—	—	—	—
	योग	73.31	46.35	119.66	42.95	76.71000

निजी श्रोतो से आपकी वसूली समय से नहीं किये जाने के कारण रु 76.71000 शासकीय क्षति पहुचायी गई है। जिसके लिए कार्य अधिकारी डा० विरेन्द्र बहादुर एवं सभी कर निरीक्षक/सहायक कर निरीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर-7— आलोच्य वर्ष 2018-19 में कर अनुभाग द्वारा निम्नांकित विवरण अनुसार कुल रु 4294226 वसूल किया गया है।

क्र०सं०	नाम	धनराशि
01	विभव सम्पति कर	2408127
02	लाइसेन्स	1189063
03	तहबाजारी	2400
04	मेला प्रदर्शनी	23100
05	सम्पति किराया	671536
	योग	4294226.00

जबकि कर अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता पर कुल रु० 8714989 व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल आय के सापेक्ष रु 4420763 अधिक व्यय कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए कार्य अधिकारी श्री विरेन्द्र बहादुर एवं कर अनुभाग के समस्त कर निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक उत्तरदायी है । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 10)

प्रस्तर-8 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 16 के अनुसार 10 लाख से अधिक मूल्य के निर्माण कार्य पत्रावली के प्राविधिक स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी उ०प्र० शासन (राज्य सरकार) है किन्तु निम्न पत्रावलियों में शासन स्वीकृत का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया । इस प्रकार 10 लाख से अधिक निर्माण कार्यो पर शासन की स्वीकृति न लेकर जि०पं० द्वारा रु० 76.39000

की अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए अभियन्ता श्री श्रीलाल देवेन्द्र विक्रम सिंह अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द तथा वित्त परामर्श दाता श्री अजय कुमार यादव पूर्ण रूप से उत्तर दायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है –

क्र०स०	कार्य का नाम	धनराशि
1	कोपागंज कसारा पिच मार्ग कोपागंज देहात से संजय के घर तक पिच मरम्मत कार्य	1497000
2	ग्राम पंचायत नसोपुर में सी०सी० कार्य	1425000
3	ग्राम सभा सददोपुर में हनुमान मन्दिर से प्रमोद के घर तक सी०सी० रोड	2064000
4	बडुआ गोदाम काझा मा पर कटरा बहमस्थान से सरया रधुनाथ दलित बस्ती तक सोलिंग	1225000
5	बेड़ी बाजार से सबरहद विरैचा राम भवन मौर्या के घर तक सी०सी० कार्य	1428000
	योग	7639000

(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर संख्या-9 मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सी०ई०सी०जेड० सा०-7 दिनांक 31.01.07 द्वारा सडको के प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक निर्देश दिये गये हैं इनके अनुसार इण्टरलाकिंग टाइल्स का प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक 50 टाइल्स में से एक टाइल्स की गुणवत्ता जाच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइलो का प्रयोग इण्टरलाकिंग सडक निर्माण में ही की जाना चाहिए। निर्माण कार्य की जांच में देखा गया कि रु 299200 का व्यय इण्टरलाकिंग कार्य पर किया गया किन्तु पत्रावली में टाइल्स के टेस्टिंग का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	कार्य का नाम	धनराशि
01	ग्राम पंचायत भावनकोल में राजभर बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	170000
02	ग्राम पंचायत काछीकला श्री प्रकाश के घर से प्रमोद राय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	327000
03	खानपुर स्वास्थ्य केन्द्र से यादव बस्ती होते हुए काली सीन तक इण्टर लाकिंग कार्य	1604000
04	लाडनपुर विचौडा प्रा०पाठशाला से जयराम चौहान के घर तक लाकिंग कार्य	891000
	योग-	2992000

अतः गुणवत्तापूर्ण टाइल्स का प्रयोग न करके रु 2992000 की अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए अभियन्ता श्री लाल देवेन्द्र कुमार विक्रम सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्य वाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या-10 वर्ष 18-19 में तेरहवें वित्त की निर्माण कार्य में रु 647626 व्यय किया गया है उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 द्वारा तेरहवा वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत धनराशि का उपभोग पंचायती राज संस्थाओ द्वारा मूलभूत सुविधाओ के अन्तर्गत धनराशि का उपभोग पंचायती राज संस्थाओ द्वारा मूलभूत सुविधाओ जैसे पेयजल स्टीट लाईट,सीवेज व्यवस्था अन्य नागरिक सुविधाओ आदि के रख-रखाव /अनुराण पर किया जाना चाहिए था। जिला पंचायत मउ द्वारा उक्त शासनादेश के विरुद्ध करहों से संतोष के घर तक रु 648000 का सोलिंग कार्य कराकर अनियमितता किया गया है जिसके लिए अपर मु० अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द अभियन्ता श्री लाल देवेन्द्र विक्रम सिंह उत्तरदायी उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर संख्या-11 वर्ष 18-19 के पिच निर्माण कार्य में रु 9399000 की अनियमितता पायी गयी जिसके लिए अभियन्ता श्री लाल देवेन्द्र विक्रम सिंह उत्तरदायी है। प्रदेश के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों नव निर्माण हेतु

कार्यालय अभियन्ता विकास लखनऊ के पत्रांक 4619 दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित किया गया है।

वर्ष 18-19 में राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न लेपन कार्य कराया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	धनराशि
01	मधुबन बेलथरा मुख्य मार्ग से ढिलई फिरोजपुर तक लेपन कार्य	1551000
02	फहसा इटौरा र्मा से जगदीशपुर गांव तक पिच मरम्मत	1848000
03	ग्राम सभा कन्धेरी से फरीदपुर तक विशेष लेपन कार्य	2366000
04	ग्राम सभा चकभगवान दास नन्द लाल के घर से भारा के घर तक लेपन कार्य	1883000
05	अमिला घाट से रोड पर टेलीफोन एक्स चेन्ज से ग्राम पं०उसरीखुर्द सर्म्पक माग तक लेपन कार्य	1751000
	योग	9399000

पत्रावलियों की जांच में निम्न अनियमिततायें प्रकाश में आयी—

(क) आगणन में कास्ट की मोटाई के निर्धारण हेतु सी०सी०आर० का मूल्यांकन तथा यातायात गणना नहीं की गई थी। उक्त के बिना ही जी०एस०बी०(ग्रेड-1) हेतु 12.50 सेमी तथा डब्यू०वी०एम०ग्रेड-2 एवं डब्यू०वी०एम० ग्रेड-3 हेतु क्रमशः 7.5 सेमी एवं 7.5 सेमी कस्ट थिकनेस प्रावधानित की गई थी।

(ख) आगणन में कैरिजवे विडथ 3.75 मी०के स्थान पर 3मी० रखे जाने हेतु किसी प्रकार की ड्राइंग / डिजाइन एवं साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

(ग) मिट्टी के कार्य हेतु मिट्टी की मात्रा निर्धारण के लिए एल सेक्शन एवं क्रास सेक्शन बनाकर गणना नहीं की गई थी।

जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०14)

प्रस्तर-12 वर्ष 18-19 के ठेकेदारों के टी०डी०एस० रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्न तिथि में ठेकेदारों को रु 116.03 लाख के भुगतान की बिलों पर जी०एस०टी० 2 प्रतिशत की दर से न काटकर रु 2.32 लाख की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी है जबकि निम्न बिलों के भुगतान से टी०डी०एस० एवं लेबरसेस की कटौती की गयी है। जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है।

दिनांक	कराये गये कार्य की संख्या का क्रमांक न०	धनराशि	2/जी०एस०टी० नहीं काटा गया
06.09.2018	13 से 41 एवं 47	1527955	30559
20.09.2018	1 से 5 तक	2563535	51271
06.10.2018	1 से 15 तक	7512122	150242
	योग	11603612	232072

उपरोक्त विवरण के अनुसार रु 11603612 पर 2 प्रतिशत जी०एस०टी० काटने का नियम है जी०एस०टी० न काटकर रु 232072 की शासकीय क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए लेखाकार श्री जयप्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-19)

प्रस्तर-13 वर्ष 18-19 के ठेकेदारों के टी०डी०एस० रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों से ठेकेदारों के प्रस्तावित धनराशि पर 2 प्रतिशत आयकर न काटकर 12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़ने के पश्चात आयकर काटा गया है जो अनियमित है विवरण निम्नवत है —

दिनांक	कार्यों का क्रमांक न०	प्रस्तावित धनराशि	12 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित पर धनराशि	अन्तर
06.09.2018	13 से 41 एवं 47	1527955	1711310	183355
20.09.2018	1 से 5 तक	2563535	2871159	307624
06.10.2018	1 से 15 तक	7512122	8413577	901455
	योग	11603612	12996046	1392434

उपरोक्त आकड़े के आधार पर रू0 1392434 पर 2 प्रतिशत आयकर रू0 27849 ठेकेदारों से अधिक काटकर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री जयप्रकाश मिश्रा एवं अभियन्ता श्री लाल विक्रम देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-20)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद— हाथरस

मण्डल— अलीगढ़

अनुभाग— पंचायत

संस्था का नाम—जिला पंचायत— हाथरस

प्रस्तर-1 कृषि फार्म रजिस्टर व उसकी लेखाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि आलोच्य वर्ष 2014-15 में कृषि फार्म के मांग वसूली के पंजिका के अनुसार पिछली बकाया सहित वर्ष की कुल मांग रुपये 2125215.00 थी, जिसमें से वर्ष दौरान रुपये 1882300.00 की वसूली की गयी है, शेष रुपये 242915.00 रहा है। मांग से वसूली का प्रतिशत 88.56 प्रतिशत ही रहा है। जबकि कुल मांग की शत प्रतिशत वसूली की जानी चाहिए थी। उक्त बकाया काफी पुराना विवरणहीन है। बकाये दारों से बकाया की पुष्टि में पुष्टि प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। पंजिका में दर्शित बकायेदारों वास्तविक जांच पुष्टि प्रमाण पत्रों के अभाव में संदिग्ध एवं पुष्टि रहित है। उक्त की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो भी कृषि फार्म जिला पंचायत की सम्पत्ति में दर्शित है, कि पुष्टि हेतु तहसील से खशरा खतौनी उक्त कृषि फार्मों के उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में दर्शित कृषि फार्म राजस्व अभिलेखों में जिला पंचायत हाथरस के नाम दर्ज है अथवा नहीं की स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। सभी कृषि फार्मों की राजस्व अभिलेखों से खतौनी खशरा प्राप्त कर कृषि फार्मों के साथ सम्पत्ति रजिस्टर में चस्पाकर जांच करायी जानी अपेक्षित है। अनियमितता हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह एवं तत्कालीन पटल अधिकारी के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर वर्ष 2014-15 की जांच में पाया गया कि मुर्दा मवेशी की मांग वसूली पंजिका के अनुसार पुराना बकाया रुपये 429059.00 का दर्शित था। वर्ष की मांग रुपये 1210000.00 को सम्मिलित करते हुए कुल मांग रुपये 1639059.00 की दर्शायी गई है। जिसमें वर्ष दौरान केवल वर्ष की मांग रुपये 1210000.00 की ही वसूली की गयी है। पिछला बकाया रुपये 429059.00 ही वर्ष के अन्त में बकाया दर्शित है। उक्त से स्पष्ट है कि पिछले बकाया में से बिलकुल वसूली कर्मचारियों द्वारा नहीं की गयी है। कारण स्पष्ट नहीं कराया गया है। पुराने बकाया की पुष्टि में ठेकेदारों से उक्त पावना के सम्बन्ध में पुष्टि प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह धनराशि रुपये 429059.00 विगत वर्षों से ही यथावत पावना दर्शायी जा रही है। उक्त की वसूली हेतु ठेकेदारों को नोटिस आदि की कार्यवाही भी नहीं की जा रही है, कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह धनराशि पूर्ण रूप से वसूली के अभाव में संदिग्ध एवं अशोध्य प्रतीत हो रही है। जिस वर्ष के कार्यकाल में यह धनराशि बकाया दर्शित है उसी समय वसूली की ठोस कार्यवाही की जाति तो शायद यह धनराशि जिला पंचायत की अशोध्य न होती। उक्त धनराशि की वसूली न होने के कारण जिला पंचायत को प्रतिवर्ष असल ब्याज की आर्थिक क्षति हो रही है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है जिसके सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी/लेखाकार/निरीक्षक आदि पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त की वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अनियमितता हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह एवं तत्कालीन पटल अधिकारी के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 जिला पंचायत की सम्पत्ति व किराया रजिस्टर वर्ष 2014-15 की जांच व समीक्षा में पाया गया कि सम्पत्ति किराया अनुभाग के अनुसार पिछला बकाया किराये का रुपये 1943738.00 का था। वर्ष की मांग पिछला बकाया सहित रुपये 2435850.00 की थी। जिसमें से केवल रुपये 492112.00 की ही वसूली

की गयी है। जो अत्यन्त ही सोचनीय विषय है वर्ष की मांग केवल रुपये 492112.00 की ही शत प्रतिशत वसूली जिला पंचायत कार्मिकों द्वारा की गयी है। वर्ष दौरान केवल 20.20 प्रतिशत ही इस अनुभाग में वसूली की गयी है। पिछले बकाया रुपये 2435850.00 का प्रतिशत कुल मांग से 79.80 प्रतिशत अवशेष बकाया रहा है। पिछले बकाया में से कोई भी धनराशि वसूल नहीं की गयी है। जो गम्भीर अपेक्षित का विषय है। सभी दुकानदारों से वसूली की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त धनराशि वसूली न होना संदेहात्मक प्रक्रिया प्रतीत होती है। सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिला पंचायत के पास कितनी दुकाने कहां कहां पर है स्पष्ट नहीं है। सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करायी जानी

अपेक्षित है। रुपये 1943738.00 की वसूली न होने से जिला पंचायत निधि की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही प्रतिवर्ष कमजोर/क्षीण होती जा रही है। जिला पंचायत को प्रतिवर्ष असल धन एवं ब्याज का आर्थिक नुकसान हो रहा है। बिलकुल वसूली न होना संदेहात्मक प्रतीत होता है। उक्त धनराशि रुपये 1943738.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस 2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त राज्य वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग की अनुदान जमा धनराशियों पर ब्याज केनरा बैंक खाता 6411 जिला निधि/13वां वित्त आयोग पर रु734361/- तथा ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता संख्या 13090 जिला निधि राज्य वित्त आयोग पर ब्याज प्राप्त रु1451838/- कुल आयोग रुपये ब्याज प्राप्त रु2186199/- लेखा पर्ची तथा आय व्यय में दर्शित है। जिसे उक्त शासनादेश के अनुसार राजकीय कोषागार में ट्रेजरी चालान के द्वारा वर्षांत में जमा किया जाना चाहिए था। उक्त ब्याज जिला पंचायत की आय नहीं है। यह धनराशि शासन को वापिस की जानी चाहिए थी। जो शर्तों के अधीन राजकीय कोषागार में जमा नहीं की गई है। शीघ्र अतिशीघ्र उक्त शासनादेश के अनुसार रु2186199/- की धनराशि कोषागार में जमाकर ट्रेजरी चालान लेखा परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध कराए जाना अपेक्षित है। अनियमितता हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह एवं तत्कालीन पटल अधिकारी के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अधीन जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। फिर भी जिला पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में उक्त अधिनियम एवं शासनादेशों का उलघन कर ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराये गये हैं। इस प्रकार रु. 83058160.00 की धनराशियों से ग्राम सभाओं में कराये गये विकास कार्यों पर व्यय कर गंभीर अनियमितता दर्शयी गयी है। इस अनियमितता हेतु जिला पंचायत /आंकिक/वित्तीय परामर्श दाता/अपर मुख्य अधिकारी/निर्माण कार्य कर्मचारी/अभियन्ता आदि को पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ग्राम सभा में कराये गये विकास कार्यों की सूची जिला पंचायत द्वारा बार-बार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। स्वयं लेखा परीक्षा में सम्बन्धित अभिलेखों से विकास कार्यों की सूची तैयार कर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

- 1- 13वां वित्त आयोग से कराये गये विकास कार्यों की संख्या 30 धनराशि रु. 20515100.00।
- 2- राज्य वित्त आयोग से कराये गये विकास कार्यों की संख्या 102 धनराशि रु. 45464270.00।
- 3- विधायक निधि से कराये गये विकास कार्यों की संख्या 28 धनराशि रु. 13078790.00 संलग्न कुल सूचीयों का योग 83058160.00।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये हैं न ही कार्य कराने की पूर्ति में ग्राम प्रधानों से एवं ग्राम विकास अधिकारियों आदि से कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये हैं। यह भी आपत्ति का विषय है। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी हरमीक सिंह तत्कालीन बैठकों में किये गये प्रस्तावों में उपस्थित सदन के समस्त सम्मानितगण। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन— वर्ष 2018—19

जिला पंचायत कासगंज

संस्था का नाम— जिला पंचायत जनपद— कासगंज मण्डल— अलीगढ़

प्रस्तर 01—वर्ष 2014—15 में 634500 की नीलामी हुई थी वर्ष में वसूल किया गया जिसमें 50 प्रतिशत मु0 317250 ग्राम पंचायतों को ट्रान्सफर किया जाना चाहिये जो नहीं किया गया। इस प्रकार एक गम्भीर आपत्ति है। शासनादेश संख्या 2203/33-2-97-43 वी (8) 95 टी सी लखनऊ दिनांक— 30 मई 1997 के अनुसार पशुशव निस्तारण से होने वाली आय का आधा भाग नियमित रूप से ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना है। वर्ष 2014—15 में जिला पंचायत कासगंज में पशुशव निस्तारण मद में 634500 की आय हुई थी। जिसकी आधी धनराशि मु0 317250 ट्रान्सफर नहीं की गयी है। इसके लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह अपर मुख्य अधिकारी, एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—15

प्रस्तर 02—वर्ष 2014—15 की निर्माण पत्रावलियों की जांच करने पर पाया गया। कतिपय कार्य निर्धारित समय पर नहीं कराया गया न विलम्ब शुल्क लिया गया। कुछ पर 500 ही विलम्ब शुल्क लिया गया। जबकि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के ठेके की शर्तों के अनुसार 1 प्रतिशत वर्ष से 10 प्रतिशत तक लिया जा सकता है।

जो नहीं लिया गया है। इस प्रकार मु0 1728087 अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, अभियन्ता श्री के0 पी0 वर्मा, श्री रमेशचन्द्र विश्वकर्मा, जे0ई0 एकाउण्टेण्ट श्री राधेश्याम शर्मा, निर्माण लिपिक श्री रामविलास से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—19

प्रस्तर 03—वर्ष 2014—15 में जिला पंचायत कासगंज द्वारा एक की गांव सभा के अन्दर कार्य कराया गया था। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) के अनुसार एवं शासनादेश सं0 8307/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 तथा शासनादेश संख्या— 2/866/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक— 24.06.2014 के प्राविधानों के अनुसार दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य जिला पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार मु0 12833000 अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार प्रसाद, वित्तीय परामर्शदाता श्री सुरेशचन्द्र यादव, एकाउण्टेण्ट श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, निर्माण लिपिक श्री रामविलास से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—22

प्रस्तर 04— वर्ष 2015—16 की निर्माण पत्रावलियों की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण पत्रावलियों में कार्य समय से नहीं कराया गया। एवं उसका विलम्ब शुल्क भी नहीं किया गया। पत्रावलियों में विलम्ब से कार्य कराने का कारण उल्लेख नहीं किया गया। जबकि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली 1984 में ठेका की शर्तों में 1 से 10 प्रतिशत नीलामी की धनराशि ठेकेदार से लेने का अधिकार है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, इंजीनियर, अवर अभियन्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता तत्कालीन जिम्मेदार हैं।

इस प्रकार मु0 5823171.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, इंजीनियर श्री कामता प्रसाद वर्मा, जे0ई0 श्री रमेशचन्द्र विश्वकर्मा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—29

प्रस्तर 05—शासनादेश संख्या 2203/33-2-97-43 वी (8)/95 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 30 मई 1997 के अनुसार पशुशव निस्तारण में होने वाली आय का आधा भाग नियमित रूप से ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना है। वर्ष 2015—16 में जिला पंचायत कासगंज में पशुशव निस्तारण मद में रु0

943000 की आय हुयी है। जिसका आधा भाग रू0 471500 ग्राम पंचायतों कासगंज जनपद को हस्तान्तरित नहीं किया गया जो शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुरेशचन्द्र यादव, उत्तरदायी है। शासनादेश की व्यवस्था रू0 471500 की धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-34

प्रस्तर 06—वर्ष 2015-16 में जिला पंचायत कासगंज द्वारा एक ही गाँव सभा के अन्दर कार्य कराया गया था। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) के अनुसार एवं शासनादेश सं0 8307/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-2/866/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक- 24.06.2014 के प्राविधानों के अनुसार दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य जिला पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार मु0 36554000 अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री सुरेशचन्द्र यादव, इंजिनियर श्री कामता प्रसाद वर्मा अवर अभियन्ता श्री रमेशचन्द्र विश्वकर्मा एवं श्री अशोक कुमार, एकाउण्टेन्ट श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, निर्माण लिपिक श्री रामविलास से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-35

प्रस्तर 07—वर्ष 2016-17 की मृतपशु शव निस्तारण पत्रावाली की जांच करने पर पाया गया कि मात्र 7 विकास खण्डों में सहावर विकास खण्ड से 98000 एवं अमांपुर विकास खण्ड से 62000 कुल 160000 की नीलामी की गयी थी। शासनादेशानुसार नीलामी का 50 प्रतिशत मु0 80000 ग्राम पंचायतों का ट्रान्सफर किया जाना चाहिये जो नहीं किया गया। जो एक गम्भीर आपत्ति का विषय है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-39

प्रस्तर 08—वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलियों की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण पत्रावलियों कार्य समय से नहीं कराया गया था। और कुछ पत्रावलियों में विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया। विलम्ब से कार्य कराये जाने पर विलम्ब का कारण नहीं लिखा गया था। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 की ठेके की शर्तों में स्पष्ट है कि प्रतिकार/ विलम्ब दण्ड 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक लिया जायेगा। न लेने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, इंजीनियर श्री कामता प्रसाद वर्मा, श्री रमेश चन्द्र विश्वकर्मा जे0ई0 एवं अशोक कुमार जे0ई0 जिम्मेदार हैं। इस प्रकार मु0 4636644 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-44

प्रस्तर 09— वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत कासगंज द्वारा एक ही गाँव सभा के अन्दर कार्य कराया गया था। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) के अनुसार एवं शासनादेश सं0 8307/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-2/866/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक- 24.06.2014 के प्राविधानों के अनुसार दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य जिला पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार मु0 50970000 अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री सुरेशचन्द्र यादव, इंजिनियर श्री कामता प्रसाद वर्मा, अवर अभियन्ता श्री रमेशचन्द्र विश्वकर्मा, एकाउण्टेन्ट श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, निर्माण लिपिक श्री रामविलास से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 45

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद-अम्बेडकरनगर मण्डल – अयोध्यासंस्था का नाम-जिला पंचायत

प्रस्तर-1 दुकान किराया रजिस्टर प्रपत्र-27 (नियम 168) वर्ष 2018-19 की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत अम्बेडकरनगर क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में आवंटित 55 दुकानों पर कुल रुपये 742703.00 दुकान किराया दिनांक 31.03.2019 को बकाया दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	विकास खंड का नाम	दुकानों की सं०	दि० 31.03.2018 बकाया किराया रुपए	वार्षिक किराया रुपए	वर्ष 2018-19 के दौरान किराया वसूली रुपए	दि० 31.03.19 को किराया बकाया रुपए
1	जलालपुर	10	380983.00	75000.00	60500.00	395483.00
2	बसखारी	28	303300.00	168000.00	208000.00	263300.00
3	रामनगर	05	46800.00	22500.00	34800.00	34500.00
4	जहांगीरगंज (राजेसुल्तानपुर)	12	51670.00	54000.00	56250.00	49420.00
	योग	55	782753.00	319500.00	359550.00	742703.00

उपरोक्तानुसार दिनांक 31.03.2019 को दर्शित दुकान किराया बकाया रुपए 742703.00 बड़ी धनराशि है। कतिपय दुकानों पर विगत कई वर्षों से किराया बकाया है, जिसकी वसूली नहीं हुई है अथवा हुई है। बकाएदारों के विरुद्ध वसूली बाबत की गयी किसी ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके लिए सुश्री अमिता सिंह, कर अधिकारी एवं श्री अजय कुमार यादव, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। वसूली बाबत ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 2 उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 143 के साथ गठित धारा 239 (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत अम्बेडकरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टा को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से दिनांक 30.06.2012 को उपविधि बनायी गयी। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेकों के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएँ आदि जनपद अम्बेडकरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टा जिला पंचायत अम्बेडकरनगर से लाइसेंस प्राप्त किये बिना संचालित नहीं करेगा। उपविधि के अनुसार रुपए 10000.00 की दर से लाइसेंस शुल्क लेकर ईट भट्टों के संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत किये जाने थे। लाइसेंस नहीं लेने पर भट्टे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जानी थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार में संचालित ईट भट्टों की विकास खण्डवार संख्या एवं अनुज्ञापति शुल्क, सी0पी0 टैक्स आदि वसूल किये जाने का विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	विकास खण्ड	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		ईट भट्टों की संख्या	वसूली गयी धनराशि रुपए	ईट भट्टों की सं०	वसूली गयी धनराशि रुपए
1	अकबरपुर	53	741620.00	53	667515.00
2	कटेहरी	20	293990.00	20	221870.00
3	रामनगर	27	434330.00	27	404120.00
4	जहांगीरगंज	36	384810.00	38	400220.00
5	बसखारी	27	350110.00	27	354015.00
6	टाण्डा	76	1252875.00	76	1061425.00
7	भीठी	14	233870.00	15	231770.00
8	जलालपुर	47	747020.00	49	591990.00
9	भियांव	23	295985.00	24	259885.00
	योग	323	4734610.00	329	4192810.00

जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस शुल्क रुपये 10000.00 प्रतिवर्ष, सी0पी0 टैक्स रुपये 6000.00 प्रतिवर्ष, विलम्ब शुल्क रुपये 700.00 प्रतिवर्ष की दर से लेकर ईट भट्टों के संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत किये

जाने थे, परन्तु वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में किसी भी ईट भट्टों को लाइसेंस निर्गत नहीं किये गये। जबकि वर्ष 2017-18 में रुपये 4734610.00 एवं वर्ष 2018-19 में रुपये 4192810.00, कुल रुपये 8927420.00 ईट भट्टों से वसूली की गयी। इस प्रकार बगैर लाइसेंस के अवैध रूप से उक्त वर्षों में ईट भट्टों का संचालन होता रहा और उनसे अवैध रूप से दोनों वर्षों में रुपये 8927420.00 की वसूली की गयी, जिसके लिए श्री अजय कुमार यादव, अपर मुख्य अधिकारी एवं सुश्री अमिता सिंह, कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-18)

प्रस्तर-3 राज्य वित्त आयोग वर्ष 2018-19 सम्बंधी कतिपय कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त निर्धारित अवधि की समाप्ति तक केवल दो निविदायें प्राप्त होने पर ही टेण्डर खोला गया है। जबकि सामान्यतया न्यूनतम तीन निविदाओं के प्राप्त होने पर टेण्डर खोला जाना चाहिए। टेण्डर सम्बंधी लिफाफे पर तत्समय हस्ताक्षर करने वाले तीनों अधिकारियों की उपस्थिति की पुष्टि में कोई अभिलेख/ब्यौरा लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	विकास खंड	अनुमानित लागत रु.	वास्तविक व्यय रु.	निविदा डालने वालों के नाम एवं निविदा की धनराशि रु.
1	सिझौलिया के मजरे धीर का पुरवा में नाला निर्माण	नाला निर्माण 319 मी0	अकबरपुर	1980000.00	1971904.00	(1) अनिल कुमार वर्मा 2160000.00 (2) मे0 एस0 ट्रेडर्स, प्रो. तिलक देव वर्मा 1999400.00
2	ग्राम आशापार में भगल हरिजन के घर से कालू सिंह के घर के आगे तक	सी0सी0 मार्ग 397 मीटर	भियांव	1500000.00	1391356.00	(1) अरविंद कुमार सिंह 1499850.00 (2) संकट मोचन कांस्ट्रक्शन 1530000.00
3	लवङ्या संपर्क मार्ग तक	विशेष मरम्मत 1.100 किमी	भियांव	1900000.00	1882400.00	(1) मे. पीके कान्स्ट्रक्शन 19570000.00 (2) राजेन्द्र प्रसाद यादव 1898100.00
4	श्री यादव के घर से वैसोलिया से नगर तक का अवशेष भाग	लेपन 453 मीटर	भियांव	1500000.00	1483731.00	(1) अरविंद कुमार सिंह 1499850.00 (2) संकट मोचन कांस्ट्रक्शन 1545000.00
5	माधवपुर माइनर से माखन निषाद के घर तक	इ0ला0 110 मीटर	भियांव	500000.00	492861.00	(1) राजेन्द्र प्रसाद यादव 498250.00 (2) मां शारदा कांस्ट्रक्शन 550000.00
6	तिघरा स्टेट लालजी सिंह के घर से पिच रोड तक लेपन कार्य	लेपन 320 मीटर	जलालपुर	1680000.00	1658573.00	(1) अरविन्द कुमार सिंह 1679832.00 (2) 1747200.00
7	ग्राम बलुआ बहादुर पुर में निषाद बस्ती से नरायनपुर राजकीय नलकूप तक	विशेष लेपन मरम्मत कार्य 1.55 किमी0	जलालपुर	2660000.00	2636167.00	(1) ओम प्रकाश सिंह 2658670.00 (2) चंदेल कांस्ट्रक्शन 2793000.00
8	बरियावन किछौछा मार्ग पर गयासपुर श्री शिव कुमार सिंह के राइस मिल प्रा0वि0 तक	लेपन 461 मीटर	जलालपुर	1500000.00	1482057.00	(1) मे. चंदेल कांस्ट्रक्शन 1575000.00 (2) ओम प्रकाश सिंह 1499250.00
	योग				12999049.00	

इस प्रकार टेण्डर प्रक्रिया को दूषित करके गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए श्री अजय कुमार यादव, अपर मुख्य अधिकारी, श्री आनन्द कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री जयराम सिंह, अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-35)

प्रस्तर- 4 जिला पंचायत अम्बेडकरनगर द्वारा अवधि वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित सूची अनुसार रुपये 28739572.00 का व्यय ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कराये गये कार्यों पर किया गया है।

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का प्रकार	वास्तविक रूप से व्यय धनराशि
1	भीटी	ग्राम पंचायत चाचिकपुर में देवी प्रसार सिंह के घर (काली चौरा) से कपिलदेव के घर तक	लेपन मरम्मत	1053565.00
2	जलालपुर	ग्रामसभा सलाहुद्दीनपुर में गनपति यादव के ट्यूब्वेल से गनपति के खेत तक	सोलिंग	1187844.00
3	जहांगीरगंज	ग्राम पंचायत जगदीशपुर कादीपुर में रणधीर के घर से कस्तूरी उपाध्याय के ट्यूब्वेल तक	सोलिंग	1525700.00
4	रामनगर	ग्राम पंचायत पीपरपुर नसीरपुर अखिलेश यादव के घर से शिवतारा जयमंगल यादव के घर तक	लेपन	1774854.00
5	जहांगीरगंज	ग्राम पंचायत ढोलबजवा में स्व० रमेश भारती के घर से राम सकल की दुकान तक अवशेष कार्य (i) 448.50 मीटर में कार्य सम्पादित	लेपन	1544736.00
6	कटेहरी	अन्नावं पहितीपुर रोड नाजिम के चाय की दुकान से गांव के बीच से पुनः सड़क तक	सी०सी०	1081016.00
7	भियांव	तिघरा स्टेट लालजी सिंह के घर से पिचरोड तक	लेपन	1658673.00
8	कटेहरी	ग्राम छित्तनपट्टी में श्री राम सूरत तिवारी के मकान से श्री फते बहादुर के घर तक अवशेष कार्य	लेपन	1577185.00
9	जहांगीरगंज	ग्राम कोहड़ा में प्रदीप प्रजापति के घर से मुंशीराम के ट्यूब्वेल तक	50 लाख	1977500.00
10	भियांव	ग्राम आशापार में भगल हरिजन के घर से कालू सिंह के घर के आगे तक	सी०सी०	1391356.00
11	भीटी	चन्दापुर मिश्राना में हीरालाल के खेत से बद्री प्रसाद के घर तक	लेपन	1830045.00
12	कटेहरी	दांढ़पुर पहितीपुर मेनरोड से प्रेमनाथ के घर तक	लेपन	1136248.00
13	जलालपुर	ग्रामसभा गौरा महमूदपुर पारा में राजाराम राजभर की दुकान से रामआज्ञा राजभर के घर तक सी०सी०/नाली	सी०सी० /लेपन	1979981.00
14	जलालपुर	ग्राम एन्दलपुर में वंशीलाल यादव के घर से डीह बाबा के स्थान तक	इ०ला०	1471310.00
15	बसखारी	ग्राम भिदूण के मजरे कुत्तूपुर अम्बेडकर प्रतिमा के घर से राजमन भारती के घर तक	सी०सी०	2670600.00
16	जहांगीरगंज	ग्राम पंचायत मदैनिया में रामधनी भारती	लेपन	1034600.00

		के घर से रोहित निषाद के घर तक		
17	जहांगीरगंज	जहांगीरगंज बसखारी मार्ग पर ग्रामसभा अछती में अर्जुन पासवान के घर से मो0 इस्लाम के घर तक	इ0ला0	447700.00
18	जहांगीरगंज	ग्राम पंचायत ढोलबजवा में स्व0 रमेश भारती के घर से राम समुझ की दुकान तक अवशेष लेपन (ii) 448.50 मी0 लम्बाई में कार्य सम्पादित किया गया	लेपन	1537436.00
19	भीटी	नरहरपुर में राम शकल गुप्ता के घर से झगरू यादव के घर तक लेपन कार्य	लेपन	983055.00
20	भीटी	आदमपुर तिन्दौली में केशरी कहार के घर से समर बहादुर के घर तक	इ0ला0	876168.00
		योग—		28739572.00

इस पर निम्नलिखित आपत्तियां की जाती हैं—

- (i) पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली आय धनराशि के उपभोग सम्बंधी शासनादेश संख्या—1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर-3 द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिला पंचायतें विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को करेंगी, परन्तु जिला पंचायत अम्बेडकरनगर द्वारा उपरोक्तनुसार ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कराये गये कार्यों पर रुपये 28739572.00 व्यय किया गया है, जो दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है।
- (ii) जिला पंचायत द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बंधित ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रमाणपत्र कि “ग्राम पंचायत द्वारा इस परियोजना पर पूर्व में कोई कार्य नहीं किया गया है।” प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त अनियमितताओं के लिए सम्बंधित अवर अभियंता, अभियंता श्री जयरामसिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-36)

प्रस्तर-5 मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—सी0ई0सी0जेड0 सा0/7 दिनांक 31.01.2007 द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टाइल्स का प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक 500 टाइल्स में से एक टाइल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइल्स का प्रयोग इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

जिला पंचायत अम्बेडकरनगर द्वारा वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग मद से निर्मित इण्टरलाकिंग सड़कों सम्बंधी निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच की गयी। विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लाख रुपये में	वास्तविक व्यय रुपए
1	न्योरी रफीगंज मार्ग से रुस्तमपुर गोविन्द साहब मार्ग पर दाउदपुर तप्पा न्योरी जितेन्द्र मिश्र के खेत से परभरन के घर तक इ0ला0 कार्य	रामनगर	5.28	526000.00
2	ग्रामसभा रतना में डिहवा चौराहे से मुझमोर पुरवा होते हुए श्री रामधारी यादव के खेत से घर तक इ0ला0 कार्य	भियांव	10.00	998645.00
3	हंसवर बाजार रोड से उ0पू0 पूर्णमासी मास्टर के घर से मद्धेशिया रेस्टोरेंट होते हुए हनुमान की दुकान तक इ0ला0 कार्य	बसखारी	10.00	987800.00
4	तिघरा (मुड़ियारी) पिच से रामचन्द्र के घर तक इ0ला0 कार्य	भियांव	10.00	977510.00

5	ग्राम सभा रामपुर रामपट्टी में पुरवा सलिया में पठान बस्ती से अमरौला तक इ0ला0 कार्य	अकबरपुर	10.00	988185.00
6	अकबरपुर मार्ग पर सारंगपुर घनेपुर हरि सहाय के घर तक इ0ला0 कार्य	अकबरपुर	13.00	1282983.00
7	समसुद्दीनपुर में रमाशंकर वर्मा के घर तक इ0ला0 कार्य	टाण्डा	8.00	797892.00
8	आरोपुर रन्नापुर सम्पर्क मार्ग से ग्रामसभा खत्मीपुर में डा0 के0एस0 मिश्रा के घर तक इ0ला0 कार्य	रामनगर	8.46	837100.00
9	ग्राम टडवा मिश्र में डायट रोड से श्री रामधनी यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	बसखारी	8.00	719800.00
10	नरियांव पश्चिम का पूरा में इ0ला0 से विश्वनाथ के घर तक इ0ला0 कार्य	जहांगीरगंज	6.40	631300.00
	योग—			8747215.00

लेखा परीक्षा जांच में पत्रावलियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स की लैब टेस्टिंग सम्बंधी कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं पायी गयी। परिणामस्वरूप व्यय रुपये 8747215.00 से उपरोक्तानुसार निर्मित सड़कों में गुणवत्तापूर्ण इण्टरलाकिंग टाइल्स प्रयोग किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। इसके लिए श्री जयराम सिंह अभियंता एवं श्री अजय कुमार यादव अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-37)

प्रस्तर-6 कार्य पत्रावली वर्ष 2018-19, “इण्टरलाकिंग अकबरपुर मार्ग पर सारंगपुर धनेपुर हरि सहाय के घर तक”, अनुमानित लागत रुपये 13.00 लाख, लम्बाई 406 मीटर, वि0खं0 कटेहरी, ठेकेदार श्री राजेश प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट हरदोई, जनपद अम्बेडकरनगर की जांच में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं।

- तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 25.07.2017, निविदा स्वीकृति दिनांक 28.10.2017 और कार्यादेश दिनांक 20.03.2018 से स्पष्ट है कि वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद अधिक विलम्ब से कार्यादेश निर्गत किया गया है।
- भुगतान प्रथम चालू बिल वी-32/10.04.2018 चेक संख्या 580861 धनराशि रुपये 468900.00 से अन्य कटौतियों के साथ-साथ जमानत रुपये 65000.00 की कटौती की गयी है, जिसे वी-32/01.10.2019 चेक संख्या 600846 अंकन रुपये 65000.00 से ठेकेदार को वापस किया गया है, परन्तु जमानत वापसी बिल पर वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं (बिल पास नहीं है)। एम
- भुगतान फाइनल बिल वी-01/01.01.2019 चेक संख्या 580900 धनराशि रुपये 814083.00 से अन्य कटौतियों के साथ साथ रायल्टी कटौती मिट्टी 16.96 घन मीटर, रुपये 30.00 प्रति घन मीटर की दर से रुपये 509.00 और गिट्टी 68.10 घन मीटर, रुपये 75.00 प्रति घन मीटर की दर से रुपये 5108.00 की गयी, परन्तु पत्रावली में रान्ना/एमएम -11 संलग्न नहीं है। अतः गिट्टी पर की गयी रायल्टी कटौती का 5 गुना अर्थात रुपये 25540.00 और रायल्टी ठेकेदार से वसूल की जानी चाहिए। ठेकेदार से वसूली नहीं हो पाने की दशा में सम्बंधित अवर अभियंता, अभियंता श्री जयराम सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री आनन्द सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-39)

प्रस्तर-7 शासनादेश संख्या-495/1/77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय विभागों एवं बजट मैनुअल तथा शासनादेशों में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार शासन द्वारा विकास कार्यों हेतु जारी की गयी धनराशि को उसी वर्ष के अंत तक सम्बंधित कार्यों में उपभोग कर लिया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण जनता को त्वरित लाभ मिल सके।

जिला पंचायत अम्बेडकरनगर की अनुदान पंजिका पे रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में दिनांक 31.03.2019 को निम्न विवरणानुसार अवशेष रुपये 1334.01 लाख था। विवरण निम्नवत है—

क्र.	अनुदान मद	दि० 01.04.2018 को प्रारंभिक शेष (लाख रु. में)	वर्ष 2018-19 में प्राप्त (लाख रु. में)	वर्ष 2018-19 में व्यय (लाख रु. में)	दि० 31.03.2019 को अंतिम शेष (लाख रु. में)
1	राज्य वित्त	866.38	2357.10	2005.09	1218.39
2	तेरहवां वित्त	30.12	—	22.82	7.30
3	बी०आर०जी०एफ०	139.09	10.94	41.71	108.32
	योग	1035.59	2368.04	2069.62	1334.01

उपरोक्त विवरणानुसार वर्षान्त तक अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है और वर्षान्त में कुल रुपये 1334.01 लाख अनुदान अप्रयुक्त शेष दर्शित है, जिसका कार्य योजना अनुसार अविलम्ब उपभोग किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए श्री अजय कुमार यादव अपर मुख्य अधिकारी, श्री जयराम सिंह अभियंता एवं श्री चैतन्य कुमार लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-27)

प्रारूप – 02 वार्षिक प्रतिवेदन जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019

आपत्ति संख्या 01— जिला पंचायत बाराबंकी की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में मृत पशु शव निस्तारण सम्बंधी पत्रावली की जांच में पाया गया कि कुल 13 समितियों से लाइसेंस फीस की बकाया वसूली 31.03.2019 के अंत में कुल धनराशि रु० 611340.00 अवशेष रही जो कि वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत वसूली की जानी चाहिए थी उक्त बकाया धनराशि की वसूली न कर जिला पंचायत को वित्तीय क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त वित्तीय क्षति के लिए अपर मुख्य अधिकारी, पटल सहायक/लाइसेंस अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01)

आपत्ति संख्या 02— जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में ईट भट्टा लाइसेंस रजिस्टर की जांच में पाया गया कि कुल 06 ईट भट्टों से लाइसेंस फीस/नवीनीकरण की कुल बकाया धनराशि रु० 53030.00 है वर्ष के अन्त में उक्त धनराशि की वसूली न की जा सकी उक्त धनराशि की वसूली न कर पाने हेतु पटल सहायक, अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 05)

आपत्ति संख्या 03— जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में कुल 05 ईट भट्टों से नवीनीकरण की धनराशि वसूल न करके रु० 22500.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के ब्याज सहित विरुद्ध वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-06)

आपत्ति संख्या 04— जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि कई ईट भट्टे ऐसे हैं जिन पर कर तो निर्धारण किया गया है। परन्तु उनका नाम लाइसेंस रजिस्टर में नहीं अंकित है जिनकी पूर्ण सूचना होने के बावजूद भी उनसे न तो लाइसेंस शुल्क जमा कराया गया है और न ही संचालन ही बन्द कराया गया है। इस प्रकार कुल धनराशि रु० 126500.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी/कर अधिकारी/लाइसेंस अधिकारी/पटल सहायक/सहायक कर निरीक्षक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 08)

आपत्ति संख्या 05— जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में कुल 05 मत्स्य जीवी सहकारी समितियों से बकाया नीलामी की धनराशि रु० 119826.00 की वसूली न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिला पंचायत द्वारा बकाया नीलामी की वसूली के प्रयास हेतु कोई कठोर कार्यवाही भी नहीं की गयी है।

उक्त अनियमितता के लिए पटल सहायक/अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-09)

आपत्ति संख्या 06—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में जिले के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 388 शराब की दुकानों से लाइसेंस शुल्क रु0 116400.00 की वसूली न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए कर अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/पटल सहायक/कर निरीक्षक/सहायक कर निरीक्षक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
ए (सा0आ0सं0-16)

आपत्ति संख्या 07—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में सम्पत्ति व विभव कर की जाँच में पाया गया कि जिले की समस्त विकास खण्डों में कर की माँग, बकाया माँग और वसूली एवं बकाया के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत मात्र 13.65 रहा जो कि आपत्तिजनक है। बकाया माँग/ वसूली के प्रति जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है। सम्पत्ति एवं विभव कर की कुल बकाया धनराशि रु0 37134714.00 अवशेष रही रु0 37134714.00 की बकाया धनराशि की वसूली न करके अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी कर अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं।
ए(सा0आ0सं0-17)

आपत्ति संख्या 08—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में विकास खण्ड दरियाबाद में कुल 12 कर दाताओं/भट्ठों से रु0 18000.00 की धनराशि का कम निर्धारण कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए पटल सहायक/कर अधिकारी/राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-30)

आपत्ति संख्या 09—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में जिला पंचायत के अर्न्तगत जिले की विकास खण्डों में स्थित 115 दुकानों पर किराया समय से जमा न करके विलम्ब से जमा करने पर 2 प्रतिशत पैनल ब्याज कुल रु0 272698.00 की वसूली नहीं की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए पटल सहायक/अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-31)

आपत्ति संख्या 10—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में परिषदीय मानव चिकित्सालय जैदपुर के परिसर में स्थित दुकान संख्या 10 की पत्रावली जाँच में पाया गया कि दुकान के वास्तविक किराये से कम वसूल करके रु0 91283.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाकर धन का अपहरण किया गया है। उक्त आर्थिक क्षति के लिए कर अधिकारी/पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-33)

आपत्ति संख्या 11—जिला पंचायत बाराबंकी 2018-2019 दुकान सं0 10 के पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त दुकान का इकरारनामा /किरायानामा पंजीकृत न कराये जाने से रु0 8727.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। दुकान का प्रत्येक 3 वर्षों में 25 प्रतिशत किराये में वृद्धि करते हुए किराया नामा पंजीकृत किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। उक्त आर्थिक क्षति के लिए पटल सहायक, कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उक्त क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-34)

आपत्ति संख्या 12—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में दुकान संख्या 10 की जाँच में पाया गया कि आवंटी के स्वर्गवास के पश्चात बिना नीलामी तथा बिना प्रीमियम के ही सगे सम्बंधियों को दुकान हस्तांतरित करके रु0 19113.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाकर धन का अपहरण किया गया है। उक्त आर्थिक क्षति के लिए पटल सहायक कर अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/दुकान मालिक उत्तरदायी हैं। उक्त क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-35)

आपत्ति संख्या 13—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में परिषदीय मानव चिकित्सालय जैदपुर, (कस्बा जैदपुर) के परिसर में स्थित दुकान नं0 02 के पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त दुकान से 3 वर्ष के पश्चात 25 प्रतिशत की दर से दुकान किराया में वृद्धि नहीं की गयी है। उक्त किराये में वृद्धि न कर रु0 106803.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए पटल सहायक, कर अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कर निरीक्षक उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-36)

आपत्ति संख्या 14—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018–2019 में दुकान किराये की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कस्बा जैदपुर में स्थित जिला पंचायत की दुकान सं० 16 से प्रीमियम की सम्पूर्ण धनराशि ससमय जमा न करने पर जिला पंचायत को कुल ₹0 38338.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाकर धन का अपहरण किया है। जिसके लिए पटल सहायक, अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सँईदुदीन दुकानदार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०— 37)

आपत्ति संख्या 15—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018–2019 में कस्बा जैदपुर स्थित दुकान सं० 16 की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त दुकान से 3 वर्ष के पश्चात 25 प्रतिशत की दर से दुकान किराया में वृद्धि नहीं की गयी है। दुकान किराये में वृद्धि न कर जिला पंचायत को ₹0 112398.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए पटल सहायक, कर अधिकारी, एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०—38)

आपत्ति संख्या 16—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018–2019 में कस्बा जैदपुर स्थित दुकान संख्या 9 से 25 प्रतिशत की दर से दुकान किराये में वृद्धि करनी चाहिए परन्तु जिला पंचायत द्वारा वृद्धि नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों में 25 प्रतिशत की दर से दुकान किराये में वृद्धि करनी चाहिए थी। उक्त किराये में वृद्धि न करके ₹0 104400.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए पटल सहायक कर अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०—41)

आपत्ति संख्या 17—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018–2019 में विकास खण्ड— हैदरगढ में कस्बा हैदरगढ में दुकान सं० 07 से 25 प्रतिशत की दर से किराये में वृद्धि करनी चाहिए थी परन्तु जिला पंचायत द्वारा वृद्धि नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों में 25 प्रतिशत की दर से दुकान किराये में वृद्धि करना चाहिए। उक्त दुकान सं० 7 से किराये में वृद्धि न करके ₹0 66636.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए पटल सहायक कर अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०—43)

आपत्ति संख्या 18—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018–2019 में विकास खण्ड हैदरगढ स्थित दुकान सं० 07 से किराया वृद्धि न करके एवं दुकान से इकरारनामा न करके ₹0 12797.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। जब कि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों में 25 प्रतिशत की दर से किराया में वृद्धि करनी चाहिए एवं 3 वर्ष में इकरारनामा पंजीकृत कराया जाना चाहिए। आवंटन के समय ही इकरारनामा कराया जाना चाहिए उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत को ₹0 12797.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए पटल सहायक, कर अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०—44)

आपत्ति संख्या 19—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018–2019 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण ग्राम रानीगंज बंजरिया मार्ग से तोतरहा अवशेष लेपन कार्य के सम्बंध में लेपन कार्य की आदेश की तिथि 24.11.2016 को हुए कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.09.2017 थी लेकिन कार्य 15.05.2018 को पूर्ण हुआ। कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ उक्त कार्य पर ठेकेदार पर जुर्माना मात्र 1000.00 का लगाया गया है। उक्त कार्य पर स्वीकृत मूल्य 20 लाख थी उक्त कार्य जुर्माना 2 लाख 10 प्रतिशत की दर से लगाया जाना चाहिए इस प्रकार ₹0 199000.00 का जुर्माना ठेकेदार पर कम लगाया गया है। इस प्रकार ₹0 199000.00 की वित्तीय आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०— 90)

आपत्ति संख्या 20—जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018–2019 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य ग्राम पिपरही मजरे भिरिया में सी०सी०रोड निर्माण कार्य के सम्बंध में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत 13.06.2016 को हुई एवं कार्य आदेश 06.07.2016 को है। कार्य की वास्तविक समापन की तिथि 31.08.2016 को थी परन्तु कार्य अन्तिम रूप से 10.11.2018 को पूर्ण हुआ कार्य को पूर्ण करने में 2 साल लग गये। उक्त

विलम्बित अवधि के लिए ठेका की शर्तों के अनुसार लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार रु0 108300.00 का जुर्माना लगाया जा सकता है। रु0 107300.00 की आर्थिक क्षति जिला पंचायत को पहुंचायी गयी है। उक्त ठेकेदार पर केवल 1000.00 का जुर्माना लगाया गया है। उक्त क्षति के लिए अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 91)

आपत्ति संख्या 21—: जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य ग्राम सभा हमीरपुर में पक्की सड़क से गुड़डू वर्मा के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0रोड के सम्बंध में कार्य की स्वीकृत मूल्य 10 लाख थी उक्त कार्य भी स्वीकृत दिनांक 13.05.2016 एवं कार्य आदेश की तिथि 08.06.2016 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.09.2016 थी लेकिन अन्तिम रूप से कार्य 09.06.2018 को पूर्ण कराया गया। कार्य पूर्ण करने में 1 साल 10 महीने लगाया गया है। उक्त विलम्बित अवधि के लिए ठेकेदार पर 10 प्रतिशत की दर से रु0 100000.00 पेनाल्टी (जुर्माना) लगाया जाना चाहिए लेकिन उक्त कार्य पर ठेकेदार पर मात्र 5000.00 जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार 95000.00 जुर्माना कम लगाया गया है। इस प्रकार रु0 95000.00 की आर्थिक क्षति जिला पंचायत को पहुंचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 92)

आपत्ति संख्या 22—: जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य ग्राम सभा डूंडी के मजरे बंजरिया में सी0सी0रोड निर्माण कार्य की निविदा 16.09.2016 कार्य आदेश की तिथि 14.03.2017 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.05.2017 थी उक्त कार्य वास्तविक रूप से 30.05.2015 को पूर्ण कराया गया। कार्य को पूर्ण करने में 1 साल 8 महीने का समय लगाया गया। उक्त विलम्बित अवधि के लिए ठेकेदार पर 10 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी (जुर्माना) लगाया गया है। कार्य की भुगतानित धनराशि 1199060.00 है। उक्त कार्य पर 117900.00 जुर्माना कम लगाया गया है। जुर्माना कम लगा कर जिला पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त क्षति/अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी/अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 93)

आपत्ति संख्या 23—: जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य मीरापुर लोकई पुरवा मार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य के सम्बंध में कार्य की निविदा स्वीकृत 13.05.2016 कार्य आदेश की तिथि 23.09.2016 कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.11.2016 थी कार्य वास्तविक रूप से 30.04.2018 को पूर्ण हुआ उक्त कार्य 1 साल 8 महीने में पूर्ण हुआ। उक्त विलम्बित अवधि के लिए कार्य के वास्तविक भुगतान की लागत धनराशि का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है। अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेकेदार पर जुर्माना मात्र 3000.00 लगाया गया है। कार्य की भुगतानित धनराशि 12 लाख है। इस प्रकार रु0 117000.00 का जुर्माना ठेकेदार पर कम लगाकर जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए अपर मुख्य अधिकारी /अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-94)

आपत्ति संख्या 24—: जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य ग्राम- बैरागीपुर में अवशेष सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य के सम्बंध में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत 22.05.2018 को हुई कार्य आदेश 22.05.2018 को है। कार्य की वास्तविक समापन तिथि 31.08.2018 थी परन्तु कार्य अन्तिम रूप से 10.11.2018 को पूर्ण हुआ कार्य को पूर्ण करने में 6 महीने लगाया गया। कार्य का वास्तविक भुगतान 1183723.00 है। ठेका की शर्तों के अनुसार विलम्ब से कार्य पूर्ण कराये जाने पर ठेकेदार पर 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि उक्त कार्य पर विलम्बित अवधि के लिए ठेकेदार पर मात्र 500.00 जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार रु0 117800.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी /अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 95)

आपत्ति सं0 25—: जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य प्यारेपुर में जयपाल के घर से सियाराम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बंध में टेण्डर स्वीकृत 26.09.2016 उक्त कार्य समाप्त करने की प्रस्तावित तिथि 22.02.2017 थी परन्तु कार्य वास्तविक रूप से 19 माह विलम्ब से 24.09.2018 को पूर्ण हुआ उक्त कार्य का स्वीकृत टेण्डर 10 लाख का था ठेकेदार द्वारा

कार्य को समय से पूर्ण नहीं कराया गया है। उक्त विलम्बित अवधि के लिए अपर मुख्य अधिकारी द्वारा लागत धनराशि का 10 प्रतिशत जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जा सकता था लेकिन अपर मुख्य अधिकारी ने 5000.00 जुर्माना लगाया है। जब कि 01 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता था। अतः रू0 95000.00 का जुर्माना ठेकेदार पर कम लगाया गया है। जुर्माना कम लगाकर रू0 95000.00 की आर्थिक क्षति जिला पंचायत को पहुँचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 96)

आपत्ति संख्या 26—: जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में निर्माण कार्य की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं निर्माण कार्य व्ययों के सापेक्ष पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक को संकलित कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि वांछित है। व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां माँग करने पर भी प्रस्तुत न करना पटल सहायक/एवं सम्बंधित उत्तरदायी व्यक्ति की लापरवाही का द्योतक है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना वित्तीय अनियमितता है। अप्रस्तुत निर्माण कार्य की पत्रावलियों की समस्त धनराशि रू0 2304000.00 है। अतः रू0 2304000.00 की वित्तीय अनियमितता पटल सहायक/सम्बंधित उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-97)

आपत्ति संख्या 27—: जिला पंचायत बाराबंकी वर्ष 2018-2019 में जिला पंचायत द्वारा मृत पशु शव निस्तारण से हुयी आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिया जाना था परन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2018-2019 में हुयी आय 19.432 लाख का आधा भाग रू0 971600.00 को पंचायतों को न देकर वित्तीय अनियमितता की गयी। शासन के पत्र संख्या 2967/1 / 23.02.2002-15 बी (4) दिनांक 09.10.2002 के अनुसार उक्त आदेश का पालन जिला पंचायत द्वारा किया जाना था जो कि नहीं किया गया है। इस प्रकार रू0 971600.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी तत्कालीन पटल सहायक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 100)

प्रारूप-2

जनपद का नाम —पीलीभीत,

मण्डल का नाम—बरेली

जिला पंचायत—पीलीभीत

लेखा परीक्षा वर्ष— 2011-12

प्रस्तर संख्या-1 जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा संचालित बैंक खातों से लेखा परीक्षा वर्ष में जो धनराशि 819.85 लाख आहरित की गई है। उसमें से निर्माण कार्य एवं वेतन आदि मद पर व्यय 714.12 लाख व्यय करते हुये शेष, 105.73 लाख अधिक आहरित धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही। इस प्रकार 105.73 लाख बैंकों से आहरित धन कहाँ पर किस रूप में व्यय किया गया, इससे सम्बंधित व्यय प्रमाणक, एवं पत्रावलियाँ और विवरण आदि संस्था उपलब्ध कराने में असमर्थ रही। इस प्रकार 105.73 लाख का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 49, जिला पं0-पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर -2ग्राम अर्जुनपुर में प्रधानमंत्री सड़क से इण्डिया मार्क-11 हैण्ड पम्प (पीपल का पेड़) तक 235 मी0 सी0सी0 रोड/नाली निर्माण अनुमानित लागत 902600.00ए व्यय 902600.00 में निम्न आपत्तियाँ पाई गई। क.ई/डब्ल्यू के कार्य में प्राक्कलन में 12.5 प्रतिशत कटौती लोक निर्माण विभाग अनुसार के किस स्पेशीफिकेशनके अनुसार दिया गया है।

ख. उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति नं0- 09 (2011-12) दिनांक- 28.09.2011 को 9.16 लाख हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत द्वारा दी गई है। क्या अपर मुख्य अधिकारी तकनीकी स्वीकृति हेतु अधिकृत है। स्पष्ट करें। जब प्राक्कलन 902600.00 का ही तैयार किया गया है। तब 9.16 लाख की तकनीकी स्वीकृति किस आधार पर दी गई है।

ग. खंडजा विनिर्माण स्टीमेट के अनुसार 135 मी0,

खंडजा विनिर्माण, माँप पुस्तिका- के अनुसार 70 मी0

(मॉप पुस्तिका नं०- 18 पृष्ठ सं०- 35)

— इसी प्रकार मिट्टी भराव स्टीमेट अनुसार 1233.75 घन मी०

इसी प्रकार मिट्टी भराव, मॉप पुस्तिका अनुसार 1233.75 घन मी०

— इसी प्रकार नींव में मिट्टी खुदाई स्टीमेट अनुसार 99.88 घन मी०

इसी प्रकार नींव में मिट्टी खुदाई मॉप पुस्तिका अनुसार 39.05 घन मी०

ड. स्टीमेट अनुसार आइटम नं०- 2 के अनुसार 3.0 मी० दूर से मिट्टी लाकर 1.20 मी० गहराई में डाला जाना दर्शित है, जिसकी पुष्टि मापांकन पुस्तिका नं०- 18 के पृष्ठ सं०- 35 से भी हो रही है। मिट्टी 1.20 मी० से 1.35 मी० तक मिट्टी भराव के बाद सी०सी० कार्य की पुष्टि हो रही है मिट्टी दवाये जाने हेतु क्या किया गया है की पुष्टि नहीं हो पा रही है। नियमतः एक वारिस के बाद या रोड रोलर से दवाने के बाद ही कार्य कराये जाने को प्रावधान है। ऐसा नहीं किया गया है।

अतः बिन्दु 'ग' पर दर्शित व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

स्टीमेट एवं मापांकन पुस्तिका अनुसार अन्तर होने के बाद भी व्यय का भुगतान 902600000 हुआ है, जो स्टीमेट के ठीक बराबर है। स्पष्ट है कि मानमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 21, जिला पं०-पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर संख्या-3 जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा निजी खाते से प्राप्त आय को जिला निधि खाते में रखकर वेतन भत्ते एवं अन्य प्रशासनिक खर्च किये जाने चाहिए। कम पड़ने की स्थिति में 25 प्रतिशत तक की धनराशि राज्य वित्त से ली जा सकती है। किन्तु संस्था द्वारा जिला निधि मद में पर्याप्त मात्रा में धनराशि 157.25 लाख उपलब्ध रहने के बावजूद भी राज्य वित्त से वेतन के नाम पर 103.33 लाख व्यय की गई है। जब जिला पंचायत के पास जिला निधि मद में धनराशि उपलब्ध थी तो वेतन आदि के नाम पर राज्य वित्त से ली गयी धनराशि का औचित्य नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपर मुख्य अधिकारी एवं प्रबन्ध कमेटी द्वारा मनमाने तरीके से शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है, जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमिता है। अतएव धनराशि रहते हुए भी वेतन आदि के नाम पर धन का दुरुपयोग किया गया है। राज्य वित्त से व्यय धनराशि कुल अंकन 103.33 लाख शासन के पक्ष में वसूली सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 48, जिला पं०- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर संख्या-04 लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 में निम्नांकित 06 बैंक खाते संचालित किये गये हैं, परन्तु योजनावार बैंक खातों पर चिन्हांकित नहीं किया गया है। बिना चिन्हांकित किये खातों का संचालन का दुष्परणाम यह हाता है कि निजी स्रोत से होने वाली आय को बैंक खाते में जमा भी किया गया अथवा नहीं या किस खाते में जमा किया गया, यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नतीजा यह होता है कि निजी स्रोत से वसूल की जाने वाली धनराशियाँ ही कार्य/अन्य कार्य के नाम पर धनराशि आहरित दर्शाकर दूसरे बैंक खातों में ट्रान्सफर कराकर धनराशि प्राप्त/आहरण खाते खोले जाने चाहिए वह भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में स्वीकृति के बिना खोले गये बैंक खाते तत्काल बन्द करा दिये जाये। संचालित बैंक खातों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	खाता सं०	बैंक का नाम	प्रा०शेष	वर्ष मे प्राप्त	वर्ष में प्रयुक्त	अन्तिम अवशेष	अर्जित ब्याज
1	56250113546	ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-
2	5625012609		-	-	-	-	-
3	59410202851	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	-	10117852.00	5000000.00	5117852.00	46352.00
4	50049893788	इलाहाबाद बैंक पीलीभीत	10015342.00	341022.00	4088417.00	6267947.00	340923.00
5	0385000100293748	पंजाब नैशनल बैंक पीलीभीत	361028.00	7996.00	369024.00	खाता बन्द	7996.00

6	14120110410	बैंक ऑफ बड़ौदा गजरौला पीलीभीत	2062510. 00	78108.00	2000000.00	140618.00	78108.00
7	9844014603	बैंक ऑफ बड़ौदा कचहरी पीलीभीत	31413837. 62	58646196.50	64856613.50	25203420.62	1259114.00
8	8448001	ट्रेजरी पीलीभीत	5536950. 99	150603.99	5671067.99	16486.99	.
		योग	49389668.	69341778.49	81985122.49	36746324.61	1732493.00

कुल अर्जित ब्याज—1732493.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर , अर्जित किया गया ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाये किन्तु जमा नहीं जमा नहीं कराया गया। जो एक गम्भीर अनियमितता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-47, जिला पं0-पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-5 जिला पंचायत पीलीभीत के वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई निर्माण कार्य पत्रावलियों में प्रयुक्त सामग्री आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने वाले बैंध खनन एवं रायल्टी (राजस्व) में जमा की पुष्टि में जमा चालान उपलब्ध नहीं पाये गये। पूरी पत्रावली में नोट-सीट से लेकर कहीं भी इस सम्बन्ध में एक भी शब्द लिखा नहीं पाया गया। जबकि शासनादेशों के अनुसार, ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व बैंध खनन एवं रायल्टी (राजस्व) जमा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उप खनिज यथा मिट्टी वालू मोरंग आदि उप खनिज का प्रयोग बिना बैंध अभिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 एवं एम0एम0सी0 के किया जाता है तो प्रयुक्त उप खनिजों की रायल्टी के साथ खनिज मूल्य (खनिज मूल्य का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुये लेखा शीर्षक 0853 खनन तथा धातु कार्य उद्योग- 102- खनिज रियाशत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाये तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिला अधिकारी महोदय को भी दी जाये।

लेखा परीक्षा वर्ष में संस्था द्वारा राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त मद में निर्माण कार्य पर 504.18 लाख व्यय दर्शित किया गया है। निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय में 2 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 तथा 04 प्रतिशत की दर से बैट (व्यापार कर) की कटौती की गई, दर्शित है। परन्तु कुल कटौती का विवरण प्राप्त कर उसकी जमा की पुष्टि के दाखिल रिटर्न उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित रहा। उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अन्य विवरण निम्न प्रकार से है।

जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत कार्यों की विवरण पुस्तिका में राज्य वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत क्रमांक-12, 22, 29, 34 एवं 52 पर अंकित कार्यों का पता अस्पष्ट होने के कारण, कार्य कहाँ पर हुआ अथवा हुआ ही नहीं है ज्ञात कर पाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार इन कार्यों को वास्तव में कराया ही नहीं गया। इसलिये जान बूझकर योजना के तहत पता को गोलमाल कर दिया गया है, जैसे कि विकास खण्ड का नाम, कहाँ से कहाँ तक कार्य हुआ की माँप आदि का उल्लेख ही नहीं किया गया है।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पर कुल व्यय 504.18 लाख का व्यय मनमाने ढंग से दर्शाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर

मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

कार्य का विवरण :-

क्र०सं०	क्रमांक सं०	कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि (₹)
1	12	गजरौला सुहास मार्ग पर एक पुलिया निर्माण	0.39 लाख
2	22	गजरौला में कदिना नदी से आगे एक पुलिया निर्माण	0.46 लाख
3	29	ग्राम करगैना में मुख्य मार्ग में सी०सी० कार्य	6.84 लाख
4	34	थाना माधौटांडा में पेपर ब्लॉक कार्य	3.82 लाख
5	52	ग्राम हरदास पुर में सी०सी० निर्माण कार्य लाख	9.89 लाख

(सा०आ०सं०- 50, जिला पं०- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा वर्ष में निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कतिपय 1 प्रतिशत की दर से शेष टैक्स की कटौती की गई है। परन्तु कर योग्य आय के जोड़कर, फिर कटौती दर्शाई गई है। इस प्रकार कटौती ठेकेदार से नहीं करके, जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई है। उदाहरणार्थ

अ- पीलीभीत बरेली मोड़ पर स्वागत द्वारा का निर्माण कार्य का कार्य श्री भगवान ठेकेदार द्वारा कराया गया है, जिसकी एम०बी० बुक नं०-20 के पृष्ठ संख्या- 70 एवं 71 पर की जानी दर्शित है। एम०बी० अनुसार कुल भुगतान 659855.00 होना था, परन्तु इसमें 1 प्रतिशत शेष टैक्स 6599.00 जोड़कर कुल 666454.00 का भुगतान किया गया है। जबकि शेष की कटौती 659855.00 से होनी थी।

ब- पीलीभीत टनकपुर मार्ग पर स्वागत द्वार निर्माण कार्य का कार्य श्री राम नरेश ठेकेदार द्वारा कराया गया है, जिसकी एम०बी० अनुसार कुल भुगतान 660170.54 होना था, परन्तु इसमें 1 प्रतिशत शेष टैक्स 6601.70 जोड़कर कुल 666772.24 का भुगतान किया गया है। जबकि शेष की कटौती 660170.54 से होनी थी।

स- अधकटा में कबीरबक्श के घर से आरिफ के घर तक सी०सी० रोड कार्य श्री श्रवण कुमार द्वारा कराया गया है, जिसकी एम०बी० बुक सं०- 10 पृष्ठ सं० 85 से 87 एवं एम०बी० बुक नं०- 12 पृष्ठ सं०- 93 से 97 पर कुल 474835.00 का प्रमाणित किया है, जिस पर 1 प्रतिशत शेष टैक्स 4748.00 को जोड़कर कुल 479583.00 का भुगतान किया गया है। जबकि शेष की कटौती 474835.00 से होनी थी।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि शेष की कटौती ठेकेदार से न करके, जिला पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है। अतः अ. ब. स में कुल 17948.00 की क्षति पहुँचाई गई है। अतः 17948 ग 2 त्र 35896.00 की वसूली कर 17948.00 जिला पंचायत में जमा किया जाये एवं 17948.00 शेष टैक्स जमा किया जाना अपेक्षित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 46, जिला पं०- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा में निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कतिपय जिला पंचायत द्वारा 2 प्रतिशत टी०डी०एस० के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से टी० डी० एस० कटौती की गई है। **विवरण निम्न प्रकार से है:-**

क्रम सं०	कार्य का नाम	वाउचर नं० /दिनांक	कुल धनराशि	कटौती की गई 1 प्रतिशत की दर से	कटौती की जानी थी 2 प्रतिशत
1	ग्राम जार कल्लिया में रामचन्द्र के घर से राजाराम के घर तक सी०सी० कार्य	77/13.10.2011	249194.00	2492.00	4984.00
2	पीलीभीत माधौटांडा रोड से सुखदासपुर गौटिया तक खड़ण्जा	78/13.10.2011	379800.00	3798.00	7596.00
3	ग्राम अधकटा में कबीर बक्श के घर से आरिफ के घर तक सी०सी० रोड/नाली	80/13.10.2011	203000.00	2030.00	4060.00
4	माधौटांडा जू०हा० स्कूल से सी०सी० रोड तक सी०सी० रोड	79/13.10.2011	324574.00	3246.00	6491.00
5	ग्राम सादिया में सरजीत सिंह के मकान तक खड़ण्जा पुलिया	81/13.10.2011	284890.00	2849.00	5698.00

6	ग्राम महाराजपुर में मेनरोड से काली माता मन्दिर तक सी0सी0रोड	82/13.10.2011	181000.00	1810.00	3620.00
7	मा0 काशीराम बारात घर में कोल ट्रीटमेन्ट स्टोर निर्माण	89/20/10/2011	307805.00	3078.00	6156.00
8	महुआ में पोरिंग मार्ग से स्कूल तक सी0सी0रोड	91/20.10.2011	511000.00	5110.00	10220.00
9	पूरनपुर शेरपुर रोड से निरीक्षण भवन तक लेपन कार्य	111/24.10.2011	244000.00	2440.00	4880.00
	योग			26853.00	53705.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती 53705.00 की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु केवल 1 प्रतिशत की दर से 26853.00 की कटौती की गई है। अतः अन्तर धनराशि 26853.00 की वसूली कर टी0डी0एस0 जमा किया जाना अपेक्षित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-45, जिला पं0-पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-8 वाउचर नं0-14 दिनांक-02.11.2011 के द्वारा जिला पंचायत नियन्त्रणाधीन चल अचल सम्पत्ति, पेड़ पौधों आदि की देखरेख हेतु दैनिक मजदूरी पर रखे गये मजदूरों को 120.00 प्रतिदिन के हिसाब से कुल 29 दिन का (8×29×120) 27840.00 का भुगतान किया गया है। दिनांक 02.10.2011 में 07 मजदूर अनुपस्थिति रहने के उपरान्त भी उन्हें भुगतान किया गया है। अतः इस प्रकार किया गया अधिक भुगतान 840.00 की ब्याज सहित वसूली, भुगतान कर्ता श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-37, जिला पं0-पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-9 ग्राम महाराजपुर में मेन रोड से काली माता मन्दिर तक सी0सी0रोड निर्माण, पत्रावली में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई—

अ-कार्य की ड्राइंग एवं की प्लान पंजिका में संलग्न नहीं।

ब-185 मी0 कार्य हेतु स्टीमेट तैयार किया गया है, जिसमें चैनेज नहीं बनाये गये हैं। सम्पूर्ण कार्य को एक ही चैनेजसे पूर्ण होना दर्शाया गया है, जो सम्भव ही नहीं है, इससे स्पष्ट है कि स्टीमेट मौके पर बिना जाये तैयार किया गया है।

स-स्टीमेट के आइटम नं0-3 व 4 में कटिंग/ओवर राइटिंग एवं सफेदा का प्रयोग किया गया है, जो अनुमन्य नहीं है।

द-कार्य का ठेका कार्यालय पत्रांक- 20/नि0का0/2010-11 दिनांक-25.07.2011 के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया है कि कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक- 24.09.2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। परन्तु ठेकेदार श्री सुरेश चन्द्र राठौर के प्रार्थना पत्र पर अभियन्ता द्वारा दिनांक- 13.10.2011 को दिनांक- 15.11.2011 तक समय बद्ध की संस्तुति की गई है समय बद्ध से सम्बन्धित शासनादेश पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं रहा। अतः कुल 53 दिवस का 50.00 प्रतिदिन के हसाव से कुल 2650.00 बिलम्ब शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित।

य-अभियन्ता द्वारा कार्य की ए0बी0 बुक सं0- 18 के पेज संख्या 16-18 पर दर्ज होना पत्रावली में अंकित है, जिसके अनुसार कार्य की लम्बाई 207 मी0 दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व निर्धारित स्टीमेट के सापेक्ष 22 मी0 अधि कार्य पूर्ण कराया गया है, जो मनमाने ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति का घोटक है। स्पष्ट है कि स्टीमेट अथवा एम0बी0 कार्य स्थल पर गये बिना तैयार की गई है। पुष्टि में एम0 बी0 उपलब्ध नहीं कराई गई। पुष्टि अपेक्षित।

उक्त आपत्तियों के संदर्भ से स्पष्ट है कि कार्य मनमाने ढंग से कराया गया प्रतीत होता है। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 30, जिला पं0-पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-10 ग्राम परेवा वैश्य में बाजार से मस्जिद तक सी0सी रोड, लम्बाई 300 मी0, अनुमानित लागत 9.97 लाख, उक्त निर्माण पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई –

अ- स्टीमेट की जाँच में पाया गया कि सी0सी0 रोड की चौड़ाई आइटम नं0- 6 के अनुसार 3.15 मी0 है। जबकि आइटम नं0- 8 के अनुसार कास ड्रेन पर डिप की लम्बाई 3.50 मी0 दर्शित है। इस प्रकार 0.35 मी0 अधिक दर्शित है। जो सम्भव नहीं है।

ब- स्टीमेट सीट पर लम्बाई 300 मी0 दर्शित है। परन्तु एबस्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट सीट पर लम्बाई 310 मी0 अंकित है। यह विरोधाभास आखिर क्यों ? स्पष्ट करें।

स- स्टीमेट में आइटम नं0- 1, 3, 4 एवं 6 एवं एबस्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट सीट पर आइटम नं0- 6 में कटिंग की गई है, जिसे प्रमाणित नहीं किया गया है।

द- स्टीमेट अनुसार कार्य का क्षेत्रफल $300 \times 3.15 = 945$ वर्ग मी0, जिसमें $300 \times 0.11 = 33$ वर्ग मी0 सी0सी0 का क्षेत्रफल अधिक शामिल है। अतः $33 \times 1055 = 34815$ का सी0सी0 स्टीमेट में अधिक प्रावधान कर रखा है। जो त्रुटिपूर्ण है। स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

य- कार्य का ड्राइंग एवं की प्लान पत्रावली में संलग्न नहीं है कार्य में चैनैज एवं सेक्शन को भी नहीं बनाया गया है।

र- कार्य में संलग्न टेन्डर फर्म संख्या 1284, 962 एवं 964 अपूर्ण पाये गये, जबकि यह पूर्ण होने चाहिए।

ड- कार्य का अनुबन्ध कार्यालय पत्रांक- मेमों/नि0कार्य/2010-11 दिनांक- 30.07.2011 के द्वारा दिया गया था, जिसे दिनांक-29.09.2011 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु ठेकेदार श्री दीपेन्द्र सिंह ने अपने प्रार्थना-पत्र अनडेटेड के द्वारा दिनांक- 30.11.2011 तक कार्य पूर्ण करने हेतु समय बरू0द्धि की माँग की थी, जिसकी अभियन्ता द्वारा संस्तुति की गई है। जिसका कार्यालय में विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः अनुबन्ध के अनुसार 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से कुल 62 दिवस $\times 50.00$ प्रतिदिन की दर से कुल 3100.00 की वसूली ठेकेदार से की जानी अपेक्षित है।

उक्त कार्य का स्वीकृति स्टीमेट 997000.00 का है, जबकि भुगतान 998933.00 का हुआ है। इस प्रकार कुल 1933.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार कुल वसूली $3100.00 + 1933.00 = 5033.00$ की वसूली अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-28, जिला पं0- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर 11 ग्राम शेरपुर में धनाराघाट मार्ग से बाजार तक सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण कार्य, लम्बाई 170 मी0 अनुमानित लागत 3.65 लाख कार्य पर आपत्तियों निम्न प्रकार से हैं –

अ- उक्त कार्य का ठेका श्री राम नरेश को जिला पंचायत कार्यालय पत्रांक- 22/नि0का0/2010-11 दिनांक- 29.07.2011 को दिनांक- 28.09.2011 तक कार्य पूर्ण करने के प्रतिबन्ध के साथ दिया गया था, जिसमें ठेकेदार ने दिनांक- 15.01.2012 तक समय बरू0द्धि की माँग की थी, जिसे अभियन्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। पुष्टि में कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 01 मार्च, 1985, खण्ड-72 के अनुसार, अनुमानित लागत का 01 प्रतिशत अथवा 50.00 प्रतिदिन की दर से जो भी कम हो बिलम्ब शुल्क वसूली किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 78 दिन बिलम्ब के लिए $78 \times 50 = 3900.00$ की क्षति जिला पंचायत को पहुँचाई गई है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

मिट्टी भराव की दशा में स्लाइड स्लोप का ध्यान नहीं रखा गया है। मिट्टी कार्य की चौड़ाई तथा सी0सी0 रोड की चौड़ाई में भी अन्तर है। अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0- 26, जिला पं0- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-12 ग्राम पसियापुर गुरुद्वारा से चेना रुरिया वार्डर तक मिट्टी व खडण्जा कार्य, लम्बाई 1100 मी0 अनुमानित लागत 8.17 लाख। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं-

उक्त का ठेका श्री हरीश चन्द्र को कार्यालय पत्रांक 26/नि0 का0/2010-11 दिनांक 30.07.2011 को दिनांक 29.9.2011 तक पूर्ण करने के प्रतिबन्ध के साथ दिया गया था। जिसमें ठेकेदार ने 30.11.2011 तक

समय बरूद्ध की मांग की गई है। जिसकी संस्तुति अभियन्ता द्वारा दी गई है। सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। नियमानुसार इस हेतु विलम्ब शुल्क वसूला जाना चाहिये था। ऐसा नहीं कर जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई है। अतः 50.00 प्रतिदिन विलम्ब की दर से कुल 62 दिन के विलम्ब हेतु शुल्क 62 दिन X 50.00=3100.00 ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 25, जिला पं0-पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-13 ग्राम अटकोना गुरुद्वारे से मथना शाहगढ़ मार्ग की ओर खड़ण्जा कार्य, मार्ग की लम्बाई 01 किमी0, अनुमानित लागत 8.25 लाख। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गई है।

1. मिट्टी कार्य आइटम नं0- 1, स्टीमेट अनुसार मार्ग की चौड़ाई- 07 मी0 है। आइटम नं0- 02 के अनुसार खड़ण्जा 3.30 मी0 एवं दोनों ओर 01 + 01 = 02 मी0 पटरी, इस प्रकार कुल कार्य 5.30 मी0 कार्य सम्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में मिट्टी भरव 07 मी0 कैसे ले लिया गया। स्पष्ट किया जाये।
2. स्टीमेट में 12.5 प्रतिशत कटौती लोक निर्माण विभाग के किस स्पेशीफिकेशन के अन्तर्गत दिया गया है।
3. कार्य की एम0बी0 बुक सं0- 20 एवं 24 में की गई है, जो जाँच हेतु उपलब्ध नहीं रहीं। पुष्टि अपेक्षित।

ठेकेदार श्री दीन दयाल गंगवार को उक्त ठेका जिला पंचायत पीलीभीत के कार्यालय पत्रांक-17/नि0का0/2010-11 दिनांक- 20.06.2011 के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया था, कि वे उक्त कार्य दिनांक- 1.08.2011 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर देंगे। परन्तु उक्त ठेकेदार द्वारा प्रथम बार दिनांक- 30.12.2011 तक समय बरूद्ध की माँग की गई है, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन अभियन्ता द्वारा दी गई है। परन्तु समय बरूद्ध के प्रार्थना पत्र एवं स्वीकृति से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि समय बरूद्ध मनमाने ढंग से दी जा रही है जबकि नियमानुसार विलम्ब हेतु शुल्क 50.00 प्रतिदिन की दर से लिये जाने का प्रावधान है। ऐसा न कर जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित। अतः कुल 133 दिन के विलम्ब से कार्य पूर्ण कराया गया है। जिस पर 50.00 प्रतिदिन की दर से कुल 133 X 50.00 = 6650.00 की ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रीमती अनीता वर्मा, अध्यक्ष, श्री नत्थू लाल, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री अंगन लाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 24, जिला पं0- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-14 जिला पंचायत पीलीभीत की वर्ष-2011-12 की प्रगति आख्या के प्रपत्र संख्या-2 (वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाया क सापेक्ष वसूली की विवरण) के सम्पत्ति एवं विभव कर मद की जाँच में पाया गया कि स्तम्भ 5 व के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष में बकाया 2360450.00 के सापेक्ष 338473.00 ही वसूल किया जा सका। जबकि जिला पंचायत नियमावली-2003 विभव एवं सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और वसूली का प्रख्यायन अधिसूचना सं0-1531/33-02-2003-68/76 दिनांक 01.05.2003 के खण्ड-12 धारा- 140 'क' के अनुसार वकाये की वसूली पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से व्याज वसूल किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार 338473.00 पर 12 प्रतिशत की दर से कुल 40616.76 के ब्याज की वसूली की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है, जो पंचायत कर राजस्व निरीक्षकों 1. श्री रमेश चन्द्र, तहसील, पीलीभीत, 2. श्री हरिजीत सिंह, तहसील, पूरनपुर, 3. श्री पुष्पेन्द्र कुमार, तहसील बीसलपुर से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12, जिला पं0- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-15 शासनादेश संख्या सी0-ए/741/10-2002/स0वी0 मिल/2002 वित्त संसाधन केन्द्रीय (सहायता) अनुभाग जो कि सभी विभागीय प्रमुख सचिवों को पृष्ठांकित है, के बिन्दु -24 के अनुसार संस्था के अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र के वेतन से प्रतिमाह 400.00 (चार सौ प्रति माह) जीप/कार प्रयोग करने पर कटौती कराकर जिला पंचायत कोष में जमा किया जाना अनिवार्य था। जो कि आलोच्य वर्ष में नहीं की गई थी। अतः 400.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का कुल 4800.00 की वसूली ब्याज सहित श्री

उमेश चन्द्र अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08, जिला पं0- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर-16 मृत पशु शव निस्तारण मद के अन्तर्गत लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा 450000.00 की ही वित्तीय वर्ष में मांग लगायी गयी थी। जबकि जिला पंचायत के अन्तर्गत 599 ग्राम आते हैं तथा लाइसेंस शुल्क राशि 2000.00 प्रति ग्राम सभा है। इस प्रकार इस मद की मांग 1198000.00 होनी चाहिये थी। जोकि 7.48 लाख से कम है।

जिला पंचायत की उप-विधियों में किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने इन विधियों के अन्तर्गत लाइसेंस के लिये न तो प्रार्थना-पत्र दिये हो और न ही लाइसेंस प्राप्त किया हो, लाइसेंस अधिकारी इन उपविधियों के प्रयोजन को क्रियान्वित करने हेतु एक अभिकर्ता नियुक्त करेगा। जिन ग्राम सभाओं में मरुत पशु शव निस्तारण अभिकर्ता नियुक्त नहीं किये गये हैं। वहाँ यह कार्य अबैध रूप से किया जा रहा है। इस हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार अनुभागीय मुख्य लिपिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05, जिला पं0- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

प्रस्तर 17 लेखा परीक्षा वर्ष में निजी स्रोत से आय एवं बसूली तथा अवशेष की जाँच में पाया गया कि निजी स्रोत से अर्जित आय दिनांक- 01.04.2011 को 40.82 लाख वसूली हेतु अवशेष थी। लेखा परीक्षा वर्ष में 82.42 लाख निजी स्रोत से आय हेतु प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष 79.41 लाख की ही वसूली की जा सकी। इस प्रकार दिनांक- 31.03.2012 को कुल अवशेष धनराशि बढ़कर 43.83 लाख हो गई है। यह स्थिति संस्था हित में नहीं है तथा गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र, तथा कर/राजस्व निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र, हरजीत सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार, श्री बुद्धसेन सागर एवं श्री श्रीकान्त मराठे प्र0श्रे0लि0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिन पर दायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 51, जिला पं0- पीलीभीत, वर्ष-2011-12)

उत्तरदायी व्यक्ति-

1. अपर मुख्य अधिकारी-	श्री उमेश चन्द्र
2. अध्यक्ष -	श्रीमती अनीता वर्मा
3. वित्तीय परामर्शदाता-	श्री नत्थू लाल
4. लेखाकार-	श्री अंगन लाल

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (जिला पंचायतों से संबन्धित आपत्तियाँ)

जनपद-बस्ती

संभाग-बस्ती

प्रस्तर-01- जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों की डुप्लीकेसी से बचने के लिये शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी जारी किये गये दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया था कि जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाये और जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्य न कराये जायें एवं जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी।

संस्था की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य सम्पादित कराया गया है जिसका लाभ एक से अधिक ग्राम पंचायतों का नहीं मिल सकता।

कार्यों का नाम

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	31.03.2019 तक भुगतान
1	ग्राम सिकन्दरपुर में हरिजन बस्ती से बब्बन कहार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	1244219	500640
2	ग्राम कनेथू में कृष्ण प्रताप मिश्र मुन्नी प्रसाद के घर होते हुये विनय उपध्याय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	527440	451360
3	ग्राम कुरियार में रामनरेश प्रजापति के खेत से जिवलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	749568	713440

4	ग्राम निरंजनपुर में बाबूराम प्रजापति के घर से हरिराम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	349966	297920
5	ग्राम पं० नरखोरिया के रमजान-बसनी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	799531	891520
6	ग्राम महेवकुंवर में सी राम बदन सिंह अजय सिंह के घर की तरफ इण्टरलाकिंग	784000	765856
7	ग्राम भानपुर में तेनुआ असनहरा सं०मा० र केशव सिंह विजय सिंह के घर सं०मा० की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	1176000	1171520
8	ग्राम देवरिया में रामसिंह के घर से मो इंदरीश खां के घर सं०मा० की तरफ इण्टरलाकिंग	750150	131360
9	जुवाजाता के महेन्द्र पाल रामानन्द के घर सं०मा० पर इण्टरलाकिंग कार्य	497717	409860
10	ग्राम जखनी में इण्टरलाकिंग कार्य	1120000	548000
11	ग्राम चरकैला में मास्टर के पुरवां में परशुरा यादव के घर इण्टरलाकिंग कार्य	350205	304640
12	ग्रा०पं० खखरा अमानाबाद में ईश्वरचन्द्र प्रेम नारायण के घर सी०सी० रोड निर्माण	599963	52416
13	ग्राम भिरवा में सी तालू के दारे रामदिन के घर सं०मा० पर इण्टरलाकिंग कार्य	500085	278880.00
14	ग्राम सभा रामपुर में काली जी के स्थान से आलोक प्रताप सिंह के घर सं०मा० पर इण्टरलाकिंग कार्य	500135	421120
15	ग्राम पं० बनकटा के राजस्व ग्राम पिकौरा सी रामकिशुन सीताराम के घर सं०मा० पर इण्टरलाकिंग कार्य	400431	437248
16	ग्राम बक्सर से इण्टरलाकिंग कार्य	400658	438680
17	बैसुखिया में शिव मंदिर से कृष्ण गोपाल चौधरी के खेत तक पिच मरम्मत कार्य	528620	562128
18	ग्राम पं० चिलबनिया में पंकज सिंह के घर सं०मा० पर इण्टरलाकिंग कार्य	224752	235200
19	ग्राम हलुआपार में भकुरहा पिच मार्ग से अमित पाल के घर सं०मा० पर इण्टरलाकिंग कार्य	399444	438480
20	बेलसुही में इण्टरलाकिंग कार्य	999738	996800
21	ग्राम नयकापार में इण्टरलाकिंग कार्य	1000271	734000
22	ग्राम पडिया में इण्टरलाकिंग कार्य	999955	787360
23	ग्राम नाउडाड में इण्टरलाकिंग कार्य	989676	1084160
24	ग्राम इटैली पाण्डेय में इण्टरलाकिंग कार्य	999832	656000
25	ग्राम सोनूपार में इण्टरलाकिंग कार्य	999434	772000
26	ग्राम करमाकलां के यादव पुरवा में इण्टरलाकिंग कार्य	400385	440160
27	ग्राम सेहुडा खुर्द में इण्टरलाकिंग कार्य	699873	636160
28	ग्राम खम्भागांव में इण्टरलाकिंग कार्य	700153	422240
29	ग्राम मैनी में इण्टरलाकिंग कार्य	499863	436800
30	ग्राम कथकपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	481600	362880
31	ग्राम परसा जप्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	503912	342800
32	ग्राम हसनी में इण्टरलाकिंग कार्य	560000	332000
33	बांसखोर कथ के राजस्व ग्राम अखलिया में इण्टरलाकिंग कार्य	448617	253000
34	ग्राम अदलपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	784000	637280
35	छनबतिया मोहल्ले के सं०मा० पर खण्डजा एवं 1.5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पु० निर्माण	78400	284480
36	ग्राम पं० सिसवा बरुतार में दलित बस्ती से रामलाल के घर खण्डजा कार्य	168000	123000
		23922193	11833976

इस प्रकार शासनादेश के विपरीत ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराकर रु 11833976.00 व्यय कर अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री उदय शंकर सिंह एवं श्री संतोष

कुमार सिंह तथा अभियन्ता श्री मती हेमलता दोहरे पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-02—जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 3383 एम०टी०/69/एम०टी०/2007 दिनांक-13.06.17 में सर्फैस ड्रेसिंग, प्राइम कोट, टैंक कोट तथा सील कोट की विषिष्टियों का निर्धारण करते हुये स्पष्ट किया है कि ग्रामीण श्रेणी के मार्गों पर यदि वियरिंग कोट हेतु पी०सी० कार्य कराये जाने का प्राविधान किया जाता है तो पीएमजीवाई में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टॉप कोट/डब्लू०बी०एम० के ऊपर प्राइम कोट करके पी०सी० व सील कोट का कार्य कराया जायेगा।

जिला पंचायत की माह मार्च 2019 एवं मार्च 2018 में भुगतान किये बाउचरों एवं चयनित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संलग्नक में दिये गये कार्यों में वाटर बाउंड मैकेडम की सतह के ऊपर प्राइम कोट के स्थान पर टैंक कोट डालकर प्री-मिक्स कार्पेटिंग का कार्य कराया गया है प्राइम कोट का कार्य विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटीरियल्स (बिटुमिन इमल्सन) से कराया गया है, जिसकी खपत 0.70 किलोग्राम /प्रति स्क्वायर मीटर होती है, जबकि टैंक कोट का कार्य वीजी .10 बिटुमिन से किया गया, जिसमें मात्र 0.30 किलोग्राम /प्रति स्क्वायर मीटर की खपत की गयी। नान-बिटुमिनस लेयर के ऊपर बिटुमिन लेयर डालने के लिये बिटुमिन इमल्सन का प्राइम कोट डाला जाता है जिससे अधिक बिटुमिन के खपत से दोनों लेयर के मध्य की मजबूती अधिक रहे, जबकि टैंक कोट का प्रयोग दो बिटुमिन लेयर के मध्य वीजी .10 बिटुमिन से डाला जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संलग्नक में दिये गये सभी रु० 121.52 लाख के कार्य आईआरसी .16.2000 एवं उपरोक्त आदेश व क्रमांक अधोमानक हो गये।

इस प्रकार बिना प्राइम कोट के प्री-मिक्स कार्पेटिंग का कार्य किया गया है तथा अधोमानक कार्य करवाया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	पेमेंट मेड	बिल नं०	वाउचर न०	क्वांटिटी आफ टैंक कोट (इन स्क्वायर मीटर)	माह	क्वांटिटी आफ पीसी (इन स्क्वायर मीटर)	पेमेंट फार पीसी
1	भार टोलवा में अवशेष भाग पर सोलिंग से पिच कार्य	4,97,131	1 आरबी	78	458.40	मार्च 19	458.40	86,225
2	चिलबनिया में संपर्क मार्ग पर सोलिंग से लेपन कार्य	8,12,864	1 आरबी	79	970.35	मार्च 19	970.35	1,82,231
3	चिलबनिया में अवशेष भाग पर सोलिंग से पिच कार्य	7,95,221	1 आरबी	80	1031.37	मार्च 19	1031.37	1,93,691
4	गंगिया ग्राम संपर्क मार्ग पर सोलिंग से पिच कार्य	5,00,963	1 आरबी	81	466.20	मार्च 19	466.20	87,692
5	मस्जिदिया पिच रोड से पूरब तरफ खडंजा से लेपन कार्य	7,30,899	1 आरबी	82	680.50	मार्च 19	680.50	1,27,661
6	गंगिया में गांव के तरह अवशेष भाग पर सोलिंग से पिच कार्य	5,44,513	1 आरबी	83	643.20	मार्च 19	643.20	1,20,985
7	वाल्टर गंज मार्ग पर आमा टिनिच ईमलिया तिराहे से रेलवे गेट तक लेपन कार्य	6,00,000	1 आरबी	121	762.20	मार्च 19	762.20	1,45,580
8	भुदकुल गंज भगेरा रोड से बघना प्रधान तक लेपन	6,78,720	1 आरबी	123	540.00	मार्च 19	540.00	99,252
9	ग्राम पंचायत भाखटीया भवन के वशिनगर के मकान तक पिच	4,25,616	1 आरबी	283	525	मार्च 19	525	95,392
10	भवनपुर स्कूल के पिच मार्ग से नादयुपुर पिच मार्ग लेपन कार्य	3,00,000	1 आरबी	286	300	मार्च 19	300	54,570
11	ग्राम पंचायत भाखटीया भवनपुर के निवास से चक काली मंदिर तक पिच	3,84,850	1 आरबी	287	483	मार्च 19	483	87,857

12	बस्ती महुली से आम कोईल होते हुये टुकटुकैया पिच मार्ग	41,27,885	1 आरबी	288	194.50	मार्च 19	194.50	20,30,891
13	परसा तकिया पिच मार्ग का अवशेष पिच कार्य	5,22,272	1 आरबी	293	600	मार्च 19	600	1,12,260
14	संथुआ मेन रोड से गांव के अन्दर लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	40,299	1 आरबी	294	91.05	मार्च 19	91.05	15,927
15	दुबौला पंचपेड़वा मार्ग से असनहरा दलित बस्ती लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	69,409	1 आरबी	295	181.56	मार्च 19	181.56	32,063
16	गिधनी के लेपन मार्ग पर लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	34,479	1 आरबी	296	78.00	मार्च 19	78.00	13,743
17	पूरा के लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	38,212	1 आरबी	297	89.00	मार्च 19	89.00	15,478
18	इतवा राजा में लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	34,354	1 आरबी	298	74.12	मार्च 19	74.12	12,822
19	शुक्रौली में लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	40,108	1 आरबी	299	85.60	मार्च 19	85.60	15,116
20	पकोलिया नशिवाघाट मार्ग से बाबर तक लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	67,664	1 आरबी	300	178.54	मार्च 19	178.54	31
21	पांडेयपुर बाजार रोड से ग्राम सभा महुपुर संजय कॉलोनी	4,51,762	1 आरबी	303	1326.95	मार्च 19	1326.95	2,12,975
22	गोटवा रैकवार मार्ग से पेंगपुर संपर्क मार्ग पर पैच मरम्मत	61,515	1 आरबी	318	148.73	मार्च 19	148.73	26,444
23	विकास खण्ड रूदौली की युगहा संपर्क लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	40,000	1 आरबी	319	84.76	मार्च 19	84.76	15,256
24	विकास खण्ड सल्लौआ संपर्क मार्ग जोजिया मेन रोड से गांव के अस्पताल पिच मरम्मत	37,153	1 आरबी	340	177.80	मार्च 19	177.80	16,891
25	विकास खण्ड सल्लौआ संपर्क मार्ग मधवापुर सेगांव के अस्पताल पिच मरम्मत	35,407	1 आरबी	341	85	मार्च 19	85	15,138
26	हरैया अमरी पिच मार्ग सिंसई से भंडासी तक लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य	47,476	1 आरबी	352	122.98	मार्च 19	122.98	21,091
27	सेकहा पिच शिवशंकर पाण्डेय के घर से रामराज्य के घर होते हुये जोकहा छोटा पुरवा तक लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	47,440	1 आरबी	353	102.88	मार्च 19	102.88	17,736
28	स्करा कला काली मंदिर से संग्रामपुर लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	75,744	1 आरबी	354	166.05	मार्च 19	166.05	28,477
29	उ०म० विद्यालय पंचायत भवन संग्रामपुर में भूतपूर्व सदस्य जिला पंचायत श्रीमती कुमारी यादव के घर तक पैच मरम्मत	29,270	1 आरबी	355	59.95	मार्च 19	59.95	10,293
30	महुघाट कसौला पिच रोड	23,691	1 आरबी	356	56.14	मार्च 19	56.14	9,678

	से शिवपूजन विश्वकर्मा के दुकान से कशीपुर में गोमती सिंह के घर तक लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत							
31	जगदीशपुर में लेपन मार्ग पर पैच मरम्मत	57,694	1 आरबी	357	133.97	मार्च 19	133.97	23,150
	योग	1,21,52,611			10897.8		10897.8	39,57,613

इस प्रकार अद्योमानक कार्य करावाने से परियोजना पर किये गये सम्पूर्ण व्यय रु 12152611.00 निरर्थक हो गया जिससे भविष्य में सम्पूर्ण कार्य के नष्ट होने की सम्भावना है। इस प्रकार उक्त कार्य अनियमित रहा। इस अद्योमानक कार्य के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह तथा अभियन्ता श्री मती हेमलता दोहरे पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-03—जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में भारतीय सड़क कांग्रेस के कोड आई आर सी एस पी 63-2004 द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटर लाकिंग ब्लाक टाइल्स से मार्ग निर्माण की विषिष्टियां निर्माण पद्धति का तरीका एवं प्रविधान निर्धारित किया गया है। कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक-93सी0ई0सी0जेड-सामान्य/07 दिनांक-31.01.2007 के अनुसार इंटर लाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रण करने हेतुप्रत्येक निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली इंटरलाकिंग टाइल्स 30एमपीए एण्ड 4.5 किलोग्राम/न0 काम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ के होने चाहिये।

विभाग की निर्माण सम्बन्धी पत्रावली की लेखा परीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्नलिखित इंटर लाकिंग कार्य गुणवत्ता जांच कराये बिना ही किये गये। इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गयी इंटर लाकिंग टाइल्स गुणवत्ता के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। इंटर लाकिंग कार्यों पर व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्ष	योजना का नाम	व्यय धनराशि लाख में
1	पुरई यादव के घर से भरटोलवा सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग	2018-19	राज्य वित्त आयोग	8.73
2	ग्राम धौरहरा में सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.84
3	बड़ेबन के बगल ब्लूमिंगबर्ड्स ट्यूबवेल के आगे सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.18
4	आभा पाण्डेय के संपर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	नया सवेरा नगर विकास योजना	5.80
5	ग्राम लगुनी में सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	5.81
6	भुड़कुट्टी में विकिमा सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	7.05
7	पाकरडाड़ में सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	5.98
8	कुटवा मार्ग से पशुपति नाथ तक इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.0
9	ग्राम अकेला में पिच सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.89
10	बस्ती महुली मार्ग से भटपुरवा की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.56
11	हवेली खास सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.37
12	गेपालपुर में पिच रोड से आगे इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.05
13	जामडीह में मुन्ना सिंह के घर सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.14
14	खुशहाल गंज में ओमप्रकाश के घर तक सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	5.89
15	लंगड़ा में गांव के सं० मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	8.38
16	म्हसो में गल्लू खटिक के घर से आगे पुलिया से पप्पू पाण्डेय की ट्यूबवेल की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.71

17	खम्हरिया में मेन रोड से मजिस्द तक इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	7.18
18	जगन्नाथपुर पिच रोड से इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.17
19	खरका ननकार में मुख्य मार्ग से गांव की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.03
20	छेवा डीह पिच रोड से रामपुर की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	राज्य वित्त आयोग	6.21
			कुल योग	130.97

इंटर लाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराये बिना ही कार्यों पर रु 130.97 लाख का व्यय के संदर्भ में पूछे जाने पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में कराये जानेवाले कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। ईकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जांच के आधार पर ही गुणवत्ता के मानक का निर्धारण किया जाता है। जो ईकाई द्वारा सुनिश्चित किये बिना ही ठेकेदार को कार्य का पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

अतः इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराये बिना ही कार्यों पर धनराशि रु 13097000.00 व्यय कर अनियमितता की गई है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं अभियन्ता हेमलता दोहरे पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-04—जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या 6738/23-7-2006-176(सा0)/06 दिनांक 05 जनवरी 2007 में निहित प्राविधानों के अनुसार सभी निविदाओं को निदेशक सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाना चाहिये ताकि सभी निविदा सूचना निदेशक सूचना की वेब साईट पर प्रदर्शित हो सके शासनादेश संख्या 5864/23-07-2000-48 डै।/2000 दिनांक 01.12.2000 में भी निर्देशित किया गया था कि रु 2.00 लाख से ज्यादा लागत वाले कार्य की पूर्णकालिक निविदा प्रकाशित की जानी चाहिये ताकि विभागीय निविदा और उसकी कार्य प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके तथा विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरो का लाभ भी मिल सके।

जिला पंचायत बस्ती द्वारा उपलब्ध करायी गयी 2018-19 निविदा संबंधी पत्रावलियों की जांच में पाया गया ईकाई द्वारा वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 49 कार्यों में से 45 कार्यों के लिये अतिअल्पकालीन निविदा प्रकाशित कर कार्य कराये गये जिससे विभागीय निविदा और उसकी कार्य प्रणाली का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो सका तथा विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरो का लाभ भी नहीं मिल सका। जिला पंचायत बस्ती द्वारा 2018-19 में प्रकाशित अतिअल्पकालीन निविदा का विवरण निम्न प्रकार है। मा0 अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत बस्ती की स्वीकृति दिनांक 17.05.2018 के क्रम में जिला पंचायत बस्ती के पंजीकृत ठेकेदार जिनका पंजीयन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में करा लिया गया है। वे अपना ई-टेंडर एचटीटीपीएस//ईटेंडर.यूपी.निक.इन की वेबसाइट पर दिनांक 04.06.2018 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 08.06.2018 5.00 बजे तक ऑनलाईन ई-टेंडर भर सकते हैं। जो दिनांक 11.06.2018 को 12.30 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लागत जी०एस०टी० सहित (लाख रु में)
1	ग्राम सभा नरायनपुर में बाबू राम प्रजापति के घर से हरिराम यादव के घर सं० मार्ग पर इंला० कार्य	बहादुरपुर	3.50
2	दुबौला-टिनिच मार्ग से कर्मियों शुक्ल प्राथमिक विद्यालय सं० मार्ग पर पिच मार्ग	कप्तानगंज	8.92
3	ग्राम डडवा से सिहारी खुर्द सडक के सं० मार्ग पर इं०ला० कार्य	रुधौली	4.00
4	दसिया महनुआ मार्ग पर हरिहरपुर चौराहे से शेखापुर कमदा होते हुये शाहपुर दलित बस्ती तक लेपन	सल्टौआ	7.00
5	अनूप सिंह के घर से आमा सरहद तक इं०ला० कार्य	विक्रमजोत	21.77
6	राम रेखा मन्दिर सं०मार्ग पर इं०ला० कार्य	विक्रमजोत	7.00
7	10 नम्बर पर ठेकेदार पर छाजन	विक्रमजोत	5.00
8	चन्द्रिका प्रधान के घर से इन्द्रपाल के घर होते हुये	हरैया	7.00

	प्रा० पाठशाला रेवरादास तक सी०सी० रोड		
9	डडवा भईया काली माता मन्दिर के निकट सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	रुधौली	2.50
10	हरैया में खडण्जा कार्य	हरैया	5.00
11	पाण्डेय बाजार चौराहे के पास जल जमाव के निस्तारण हेतु ढक्कन दार नाली एवं गढढा मुक्ति कार्य	साउंघाट	6.00
12	बडेबन मडवानगर में तिलकपुर कोठे के बगल नाला निर्माण एवं मिटटी भराई कार्य	बस्ती सदर	6.50
13	विकास भवन के पास स्थित शापिंग काम्पलेक्स बी ब्लॉक के प्रथम तल पर शापिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य	बस्ती सदर	10.00
14	श्री लालमणि प्रसाद पूर्व सांसद के आवास मरम्मत कार्य	बस्ती सदर	5.00
15	भरवलिया में रामकेवल कहार के घर के सामने श्री संतबक्स पाल के घर तक सी०सी० रोड	बनकटी	4.00
16	जिला पंचायत की दुकान प्रज्ञा प्रकाशन में मरम्मत कार्य	बस्ती सदर	3.00
17	करिगहना नाले पर 16.5 मी० स्पान की आ०सी०सी० पुलिया	परसरामपुर	5.00
18	ग्राम करमा कला में पिच मार्ग के पश्चिम सं०मार्ग पर 4मी० स्पान की आ०सी०सी० पुलिया	रुधौली	7.90
19	ग्राम करमा कला के चौधरी पुरवा में इ०ला० कार्य	रुधौली	7.60
20	ग्राम आदमपुर में इ०ला० कार्य	रामनगर	7.00
21	ग्राम पंचायत शंकरपुर में ख० कार्य	रामनगर	6.30
22	ग्राम पठखौली में इ०ला० 1.5 मी० स्पान की आ०सी०सी० पुलिया कार्य	रामनगर	8.90
23	भानपुर रुधौली मार्ग स असुरैना गांव तक पिच मरम्मत कार्य	रामनगर	5.00
24	ग्राम आमा (मानपुरवा) में इ०ला० एवं नाली निर्माण कार्य	सल्टौआ	6.15
25	ग्राम सूरतगढ में हरिराम खेत से सूरतगढ मार्ग पर खण्डजा कार्य	सल्टौआ	5.00
26	ग्राम पंचायत रेहार जंगल में इ०ला० कार्य	सल्टौआ	4.20
27	ग्राम पंचायत ईटहिया सं०मार्ग पर ख० कार्य	गौर	5.50
28	ग्राम पंचायत हथिनास सं० मार्ग पर ख० कार्य	गौर	5.00
29	दुबौला पचपेडवा मार्ग पर पिच रोड से बरपेडा तक पिच मरम्मत कार्य	गौर	5.00
30	आमा भुईलापार के राजस्व ग्राम बलुआ लाला के भरटोला से राजसजिवन पाण्डेय के घर तक सं०मार्ग पर ख० कार्य	गौर	7.03
31	ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में इ०ला० कार्य	परसरामपुर	4.60
32	सरैया अतिबल गांव के दक्षिण 2 मी० स्पान की आ०सी०सी० पुलिया	दुबौलिया	5.00
33	हंगापुर से लक्ष्मीनाथ सिंह के संमार्ग पर इ०ला० कार्य	दुबौलिया	3.00
34	पिपरा गौतम अकारी मार्ग से सोनू सिंह के घर तक पिच रोड निर्माण कार्य	बहादुरपुर	5.00
35	रौसिंहापुर हरिजन बस्ती पिच रोड से कुरहा पट्टी दरियांव पृथी मार्ग पर पिच मरम्मत कार्य	बहादुरपुर	4.00
36	पाण्डेपुरवा में मन्दू पाण्डेय के घर से अम्बिका प्रसाद के घर सं० मार्ग पर इ०ला० कार्य	बहादुरपुर	7.05
37	ग्राम बगही में नेवास अली के घर से संतराम की घर के तरफ इ०ला० कार्य	कुदरहा	5.00
38	अमरौना में मिटटी एवं ख० कार्य	बनकटी	11.81
39	ग्राम सभा खोरिया में सर्वेश उपाध्याय के चक के	बनकटी	5.00

	बगल में नाला पर 2 मी0 पुलिया		
40	ग्राम सभा भौसिहापुर में इ0ला0 कार्य	बस्ती सदर	6.27
41	ग्राम सभा दोफडा विश्व बैंक मार्ग से सर्व0 राजीव चौधरी के घर सं0मार्ग पर मिटटी लेपन कार्य	कुदरहा	8.90
42	खुर्डा कुंवर में पंकज के घर से अशोक पुर सरहद तक 230/2.5 मी0 इं0ला0	हरैया	7.50
43	ग्राम मस्जिदिया में जनेश्वर मिश्र सामुदायिक केन्द्र अवशेष कार्य	बस्ती सदर	8.90
44	अकरी बेलारी मार्ग से पिपरा गौतम अखिलेश सिंह के घर स0 मार्ग पर इं0ला0 कार्य	बहादुरपुर	4.75
45	निपनिया तिरहा समसपुर मार्ग पर पुलिया मरम्मत कार्य	बस्ती सदर	4.12
		योग	283.17

अतः स्पष्ट है कि आगणित धनराशि रु 28317000.00 के कुल 45 कार्यों के लिये अति अल्पकालिन निविदा आमंत्रित कर विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरो से वंचित रखकर अनियमितता की गई है इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं अभियन्ता श्री मती हेमलता दोहरे जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-05—जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायतों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रावधानित राजस्व की वसूली अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिये। ईकाई के सम्पत्ति एवं विभव कर लाईसेंस शुल्क आदि से सम्बन्धित मांग के सापेक्ष वसूली अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मांग एवं वसूली की स्थिति निम्नवत् थी:— (धनराशि रु लाख में)

मद	वर्ष के दौरान मांग	वसूली	वसूली प्रतिशत	अवशेष वसूली
सम्पत्ति एवं विभव कर	89.00	21.65	24.32	67.35
लइसेंस	84.00	31.10	37.02	52.90
सम्पत्ति से आय, दुकान, भवन किराया एवं प्रिमियम	168.00	23.34	13.89	144.66
नौकाघाट	1.20	0	0	1.20
कृषि तथा तरुपालन	46.50	0.57	1.22	45.93
योग	388.70	76.66	19.72	312.04

उपरोक्त विवरण के अनुसार ईकाई द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त मद में की रु 388.70 लाख के सापेक्ष केवल रु 76.66 लाख 19.72 प्रतिशत की ही वसूली की जा सकी एवं रु 312.04 लाख की वसूली लम्बित पायी गयी।

उक्त के सम्बन्ध में संस्था द्वारा बताया गया कि वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। संस्था का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मांग के सापेक्ष वसूली बहुत ही कम है यह संस्था की स्वयं की आय है जिसे वसूल किया जाना संस्था का कार्य है। जिला पंचायतों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु निर्धारित प्राविधानित राजस्व की वसूली अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिये इस प्रकार संपत्ति एवं विभव कर, लाईसेंस शुल्क आदि की लम्बित वसूली रु 31204000.00 वसूली न कर अनियमितता की गई है जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं कर अधिकारी श्री अमित कुमार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-06— जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि जिला पंचायत का किराये पर दिये गये भवनों/कमरों के किरायों की वसूली विगत कई वर्षों से नहीं हो पा रही है जिसका विवरण दिनांक 31.03.19 को बकाया वसूली रजिस्टर के अनुसार निम्नवत् है—

क्र0सं0	बकायेदार/कार्यालय/व्यक्ति का नाम	31.03.2019 को बकाया धनराशि
1	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती	2482139

2	कार्यालय उपविद्यालय निरीक्षक बस्ती	651037
3	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड बस्ती	601737
4	श्री रामशंकर गुप्ता पुत्र सहदेव गुप्ता	10463
5	श्री मदनलाल गुप्ता एडवोकेट	90582
6	प्रबन्धक पी0एन0बी0 बैंक	40225
7	यू0पी0 एग्री बस्ती	14997
8	प्रदीप कुमार सिंह	29257
9	अवधेष कुमार पाण्डेय	4688
10	श्री मती किरन पाण्डेय	4688
11	शीला चौधरी	20445
12	सुभाष चन्द्र	6688
13	श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	74557
14	श्री अरविन्द्र कुमार	107952
15	श्री मजहर आजार पत्रकार	95723
16	श्री मती सुनीता मिश्र	7253
17	श्री राघवेन्द्र शरण	6142
18	श्री रामनरेश त्रिपाठी	2352
19	श्री शब्बीर खान	4236
20	श्री मती नीता यादव	31200
21	श्री रामप्रताप सिंह	32000
22	प्रबन्धक गांधी आश्रम	11087
23	श्री अमरनाथ पाण्डेय	6717
24	श्री रामपाल	5367
25	श्री राममिलन यादव	7488
26	श्री भोलानाथ	11577
27	श्री श्याम नारायण उपाध्याय	7842
28	श्री काशी राम	6022
29	श्री अरविन्द कुमार	28652
30	श्री लालजी	27252
31	श्री रामनारायण	16152
32	श्री बृजलाल	5338
33	श्री धीरेन्द्र कुमार	7402
34	श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	9217
35	श्री रामसागर चौहान	8202
36	श्री केशव प्रसाद	5400
37	श्री शेषमणि ओझा	15150
38	श्री राधेश्याम सिंह लेखाकार (वर्तमान में सं0क्र0न0)	78900
39	श्री जय प्रकाश नारायण	27970
40	श्री अयोध्या प्रसाद	8950
41	श्री बृजेश सिंह	15821
42	श्री अनूप कुमार सिंह	6523
43	श्री अनन्त सिंह	16872
44	अरबन को0 बैंक	5156
45	श्री बृज किशोर सिंह	136125
46	श्री शिव विशाल मौर्य	6176
47	श्री वशिष्ठधर द्विवेदी	7232
48	श्री रामानुज	5080
49	श्री जीतनारायण चौधरी	5456
50	श्री लालता प्रसाद	4842
51	श्री विजय कुमार	16377
52	श्री कमलेन्द्र पाण्डेय	6456
53	श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	16797
54	श्री रामदास पाण्डेय	16292
55	श्री सुमन प्रसाद	9372

56	श्री विजय कुमार	14314
57	श्री जगन्नाथ प्रताप शुक्ल	10306
58	श्री इसदत्त ओझा	49077
59	श्री चन्द्र देव तिवारी	22928
60	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	10972
61	श्री शत्रुघ्न प्रसाद	14372
62	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	28872
63	श्री रामजीत	6149
64	जिला विकास अधिकारी	10428
65	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय	37997
66	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय	47997
67	श्री अजय कुमार सिंह	16872
68	श्री अम्केश्वर प्रताप	16872
69	श्री राम प्रकाश सिंह	15000
70	श्री जुगल किशोर गुप्ता	15100
71	श्रीमती स्नेह शुक्ला	7500
72	श्री सुनील सिंह	22250
73	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	17657
74	श्री मोती लाल साहू	10500
75	श्री रामसुरेश	28500
76	श्री अयोध्या प्रसाद	23600
77	श्री रामकलेश	50900
78	श्री अनिमेश त्रिपाठी	50780
79	श्री महेन्द्र कुमार चौधरी	11327
80	श्री आनन्द दूबे	33980
81	श्री अभय दूबे	50600
82	श्री भूपेन्द्र यादव	59700
83	श्री कृष्ण मोहन पाठक	16880
84	श्री मोतिन अहमद	49700
85	श्री मालती आर्या	11452
86	श्री दिवाकर मिश्र	10800
87	श्री रामअशीष द्विवेदी	15000
88	श्री मती सावत्री देवी	54287
89	पी0एन0बी0 ए0टी0एम0	36000
	योग	5766292

अतः दिनांक-31.03.19 को बकाया अवशेष रु- 5766292 की वसूली क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 158(2) एवं रेवेन्यू रिकवरी उ0प्र0 रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 उपबन्धों के अधीन आर0सी0 की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

31.03.2019 को बकाया अवशेष धनराशि रु-5766292 रहने का मुख्य कारण कर वसूली कर्मचारियों द्वारा वसूली कार्य में रुचि न लेना, कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वसूली की समीक्षा नहीं करना, वसूली कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही एवं बकायादार पर वसूली हेतु विधिक कार्यवाही न किया जाना रहा। नियमानुसार वसूली न कर अनियमितता की गई है जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह, कर अधिकारी श्री अमित कुमार एवं वसूली कर्मचारी श्री महमूद अहमद राजस्व निरीक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद सहायक राजस्व निरीक्षक एवं श्री राजकुमार गौतम सहायक राजस्व निरीक्षक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-07- जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ किये गये थे परन्तु दिनांक- 30.03.19 तक अपूर्ण पाये गये, जिससे दर्शित कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता अलाभकारी रही। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	दिनांक-31.03. 2019 तक व्यय	अभ्युक्ति
1	ग्रा0पं0 नरसिंहपुर में इ0ला0 कार्य	10.00	3.31	कार्य अपूर्ण
2	रामजानकी जैतापुर मार्ग से देवाखाल बसुही	22.07	18.90	कार्य अपूर्ण

	मार्ग में शिवनारायन के फार्म तक पिच मरम्मत कार्य			
3	रामजानकी मार्ग से जददपुर पिच मरम्मत	9.95	5.57	कार्य अपूर्ण
4	मस्कनवा सिंकन्दरपुर मार्ग से किषनपुर श्री हरिराम किसान स्कूल तक पिच मरम्मत	15.40	13.47	कार्य अपूर्ण
5	हाजिपुरवा से विक्रमजोत मार्ग पिच मरम्मत	9.87	7.55	कार्य अपूर्ण
6	बैजलपुर सरनामगंज पिच रोड से जैतापुर तक पिच मरम्मत	14.32	7.50	कार्य अपूर्ण
7	नरायनपुर बाबा के मजार से लक्ष्मणपुर निविदा में संतराम मिश्रा के घर तक पिच मरम्मत	10.16	9.02	कार्य अपूर्ण
8	कलवारी मार्ग से वैष्णोपुर तक पिच मरम्मत	6.16	4.62	कार्य अपूर्ण
9	अगौना भटपुरवा से गोविन्दापुर दलित बस्ती से गोरिया जोत दलित बस्ती तक पिच मरम्मत	12.21	9.44	कार्य अपूर्ण
10	कप्तानगंज पिपरागौतम मार्ग से नहर पिच सम्पर्क मार्ग तक पिच मरम्मत	14.06	10.00	कार्य अपूर्ण
11	बिरऊपुर बभनियांव मार्ग से कैथवलिया मार्ग के दलित बस्ती तक पिच मरम्मत	10.78	9.81	कार्य अपूर्ण
12	भोयर बलुआ मार्ग से अतरपलिया सेखुआ मार्ग पर पिच मरम्मत	9.98	5.65	कार्य अपूर्ण
13	रामजानकी मार्ग से बैजलपुर पिच मरम्मत	5.46	3.43	कार्य अपूर्ण
14	भटनी चौराहा से कंचनपुर तक पिच मरम्मत	24.17	15.77	कार्य अपूर्ण
15	पचपेड़वा डुडवा पिपर मार्ग से अगया बुजुर्ग कठौतिया सांडडीह तक पिच मरम्मत	21.24	15.79	कार्य अपूर्ण
16	कसैला पिच रोड से मरवटिया तक पिच मरम्मत	26.88	21.68	कार्य अपूर्ण
17	सिकटिहवा प्रा0ग्रा0 सड़क योजना से आगे गांव तक पिच मरम्मत	2.71	1.57	कार्य अपूर्ण
18	कप्तानगंज नगर मार्ग से दुबौली मिश्र में राम प्रकाश ओझा के घर सम्पर्क मार्ग तक पिच मरम्मत	11.97	9.43	कार्य अपूर्ण
19	भारत नगर तेनुआ मार्ग से मझौवाबाबू तक पिच मरम्मत	10.16	5.84	कार्य अपूर्ण
20	खमरिया गंगा सम्पर्क मार्ग से पनेड़ा माई भावानी शंकर के पूर्वा तक पिच मरम्मत	1.16	0.70	कार्य अपूर्ण
21	महुघाट पिच रोड से बरगदवा माफी में मथुरा चौधरी के पूर्वा तक पिच मरम्मत	12.67	8.02	कार्य अपूर्ण
22	एन0एच0 28 पर आमा पाण्डेय से सोनबरसा तक पिच मरम्मत	20.85	18.49	कार्य अपूर्ण
23	एन0एच0 28 से चौकड़ी मुस्लिम बस्ती तक पिच मरम्मत	16.47	7.30	कार्य अपूर्ण
24	महुघाट विष्णेरगंज पिच रोड से नदायें गांव के पुजारी के घर तक पिच मरम्मत	6.42	2.73	कार्य अपूर्ण
25	बरहपुर से कोपवा तक पिच मरम्मत	27.15	24.25	कार्य अपूर्ण
26	बस्ती बांसी मार्ग घोड़ा रेहार स0मार्ग पर सियरापार तक पिच मरम्मत	17.27	13.68	कार्य अपूर्ण
27	बस्ती कांटे मार्ग से परसा तकिया रोड से नारंग रोड स0 मार्ग पर पिच मरम्मत	14.92	11.46	कार्य अपूर्ण
28	सहारनपुर पिच सड़क से उमरिया तक पिच मरम्मत	9.34	7.56	कार्य अपूर्ण
29	मंझरिया चौराहे से सिद्धनाथ पिच तक पिच मरम्मत कार्य	8.28	7.62	कार्य अपूर्ण
30	चरकैला से पाकडडाड गांव तक पिच मरम्मत	8.34	6.86	कार्य अपूर्ण
31	डीघापार अमानाबाद पिच रोड से पड़री हरिजन	3.59	2.38	कार्य अपूर्ण

	बस्ती तक पिच मरम्मत			
32	बस्ती महुली मार्ग से आमकोईल होते हुये दुक दुकहिया पिच मार्ग तक पिच मरम्मत	44.12	19.98	कार्य अपूर्ण
33	चौरी सामुदायिक केन्द्र के बजाय सड़क मरम्मत	8.50	6.00	कार्य अपूर्ण
	योग		315.38	

उपरोक्त दर्शित अपूर्ण कार्यों पर रु 31538000.00 व्यय अनियमित रहा जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं श्री मती हेमलता दोहरे अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-02 संत कबीर नगर (जिला पंचायत)

प्रस्तर-1 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश सं0-1838/33-3-2015-03/2015 पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के बिन्दु-3 में यह स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया कि जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा किसी भी दशा में ग्राम सभा के अन्दर कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव अनुमन्य नहीं होंगे। गांव के अन्दर निर्माण कार्य कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों का है तथा उन्ही के द्वारा भुगतान भी किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावली के जॉच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत संतकबीरनगर द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। इसके इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। जिससे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो सकती है अर्थात एक ही का भुगतान ग्राम पंचायत व जिला पंचायत द्वारा हो सकता है। उदाहरणार्थ-

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय लाख रु0 में
1	ग्रामसभा घूरापाली में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से आंगनबाड़ी के नद के होते हुए राजमन यादव के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	2018-19	798000.00
2	ग्रामसभा बरी रामलाल के मकान से प्राइमरी पाठशाला के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0कार्य।	2018-19	997360.00
3	ग्रामसभा गाई बसन्तपुर में भैसाटिकर मार्ग पर पिच मरम्मत कार्य।	2018-19	494144.00
4	दुल्हापार गोविन्दगंज पिच मार्ग से अतरौलिया के सम्पर्क मार्ग पर सामान्य मरम्मत कार्य।	2018-19	598080.00
5	ग्राम पंचायत फुलई के राजस्व गांव डडवा में पुराने इ0ला0/तिलक के खेत से सुभाष के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड निर्माण कार्य।	2018-19	898240.00
6	ग्रामसभा मैलाली में बीपत सिंह के घर से शोभित मिश्रा के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	996800.00
7	ग्राम परसा खरबूजहिया सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	1096480.00
8	शिवबखरी में सम्पर्क मार्ग से जयराम के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	1095360.00
9	ग्रामसभा अहिरौली में सन्तराज यादव के घर से उदयराज सिंह के खेत (नहर पुलिया) के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	1395744.00
10	ग्राम पंचायत देवरी में राजकुमार के घर से छोटेलाल के खेत के तरफ वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	995904.00
11	बराहिलापार में रामरक्षा के घर के तरफ से जाने वाले मार्ग पर इ0ला0कार्य।	2018-19	898240.00
12	ग्रामसभा जब्बार में प्रा0विद्यालय से काली मन्दिर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड निर्माण कार्य।	2018-19	897344.00
13	ग्रामसभा विहारे में विहारे-बनमानुष पुरवा पिच रोड से श्यामलाल के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड निर्माण कार्य।	2018-19	896224.00
14	ग्रामसभा हुजरा सुहावा में इ0ला0 कार्य।	2018-19	896000.00

15	ग्रामसभा साडेकला में मेहदावल-करमैनी बी0एम0 सी0टी0 मार्ग/जगदीश सिंह के घर से रामचरन चौधरी के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	1096480.00
16	ग्रामसभा उतरावल में सी0सी0रोड से रामउजागिर राय के घर के पीछे होते हुए नरेन्द्र राय के घर की तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	892864.00
17	ग्राम पंचायत परसा माफी सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	419440.00
18	ग्रामसभा सियाकटाई में छोटेलाल के घर से राकेश के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	440160.00
19	ग्रामसभा चंदनी में भवानीगाड़ा देउरवा पिच रोड से चन्दनी गांव के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड निर्माण कार्य।	2018-19	329280.00
20	ग्राम एकमा कोशल के घर से लालधर के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	428960.00
21	ग्रामसभा घोरांग में पिडिया-डिहवा पिच रोड से काली स्थान की तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड का निर्माण कार्य।	2018-19	601440.00
22	ग्रामसभा तरकुलवा में बखिरा-दुर्गजोत पिच रोड/मौलाना सहाबुद्दीन के घर से कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड निर्माण कार्य।	2018-19	605920.00
23	ग्राम दुधारा में हरिश्चन्द्र के घर से काली माता मन्दिर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत कार्य।	2018-19	526400.00
24	ग्राम पंचायत लोहरौली में लालमन पासी के घर से मुन्नीराम के घर की तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	616000.00
25	ग्रामसभा भिटिया कला में पिच रोड/हरिचन्द्र के घर से राम सुभग मिश्र के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 रोड का निर्माण कार्य।	2018-19	412160.00
26	ग्राम पंचायत गौरापार में सूर्यलाल के घर से शंकर चौधरी के घर तक नहर की तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	804160.00
27	ग्राम बछईपुर में चन्द्रप्रकाश जायसवाल के घर से शिवबखरी सम्पर्क मार्ग तक इ0ला0 कार्य।	2018-19	80800.00
28	ग्रामसभा रमवापुर में तिघरा विहारे पिच/प्राथमिक विद्यालय से यमुना प्रजापति के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग तक इ0ला0 कार्य।	2018-19	498400.00
29	ग्रामसभा फेउसी में पुराने इ0ला0 रोड/रामचन्द्र मिश्र के घर के सामने प्राथमिक विद्यालय के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड निर्माण कार्य।	2018-19	894880.00
30	ग्रामसभा परसहार पूर्वी में पिच रोड/राजबहादुर के घर के सामने से महेश राजभर के घर तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 रोड का निर्माण कार्य।	2018-19	566720.00
31	ग्राम पंचायत बौरब्यास में रामयज्ञ पाण्डेय के घर से अवशेष प्रधान के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	448224.00
32	ग्रामसभा जगदीशपुर में अशरफपुर-कुरी मार्ग से जगदीश गांव के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	982240.00
33	ग्रामसभा चिकनी में के0सी0 सिंह के घर से बाघापार पासाडाडी मोड के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	873600.00
34	ग्राम-सौराहा सिंहोरवा में पतिराज प्रजापति के घर से शिवकुमार के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	560000.00
35	ग्रामसभा बेलहसा में खलीलाबाद-बखिरा पिच रोड से प्रा0 विद्यालय के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 निर्माण कार्य।	2018-19	1161440.00
36	ग्रामसभा कोहरगड्डी में राम सिंह के घर से पोखरे के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	1096480.00
37	ग्राम पंचायत बौरब्यास में रामराज मिस्त्री के घर से यशवन्त के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग इ0ला0/नाली निर्माण कार्य।	2018-19	896448.00
38	ग्रामसभा बघौली में खलीलाबाद-बखिरा पिच रोड/कन्हैया यादव के मकान से बघौली-उतरावल पिच रोड के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	926240.00
39	ग्राम पंचायत गौरापार में सरैया बघौली मार्ग/महेन्द्र के दुकान से	2018-19	900480.00

	मलोरना नहर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।		
40	ग्रामसभा कुसुम्हा में गोरेलाल के बगीचे से बनदेवी स्थान तक इ0ला0 कार्य	2018-19	1541120.00
41	ग्रामसभा सिरसी में पिच रोड /प्रा0वि0 से शैलेश राय के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 निर्माण कार्य।	2018-19	838880.00
42	ग्राम सभा बनकटिया में बाहिलपार वाले सम्पर्क पिच से दिलीप के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	837760.00
43	ग्रामसभा शनिचरा बाजार में लालपुरवा के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	616000.00
44	ग्राम गौरापार में पुराने इ0ला0 रोड/सूर्य लाल यादव के खेत से कैलाश सिंह के खेत के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	1767360.00
45	ग्राम दुधारा में दि शान सेन्टर एकडमी के सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	655200.00
46	ग्रामसभा सिहटीकर में पिच रोड/मस्जिद से विजय नाथ के घर होते हुए कुबेर सिंह के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 निर्माण कार्य।	2018-19	952000.00
47	ग्राम पंचायत घोरांग में पिच रोड से हनुमान प्रजापति के घर होते हुए बन्धे के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 रोड निर्माण कार्य।	2018-19	1625120.00
48	ग्राम बरी में सरकारी ट्यूबेल से दयाराम के घर होते हुए प्रा0पाठशाला के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	1503992.00
49	ग्रामसभा गोरयाडाड में घुरापाली-चिकनियाडीह पिच रोड/राम सरन के घर से गोसाईपुर शंकर जी के स्थान के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच कार्य।	2018-19	1636320.00
50	सोनहन में कुतबुद्दीन काजी के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	392000.00
51	ग्राम बरडाड के सम्पर्क मार्ग पर सामान्य मरम्मत कार्य।	2018-19	698320.00
52	ग्राम मोहम्मदगढ ग्रामसभा के सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	897904.00
53	ग्राम पंचायत मौर्य के पठखौली टोला में पिचरोड के रामकेश यादव के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	623958.00
54	ग्राम उसरा शहीद के सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	898912.00
55	ग्रामसभा आनन्द राय छपिया मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	897792.00
56	ग्रामसभा साडे कला में सी0सी0 रोड से अनु0 बस्ती होते हुए प्रा0वि0 के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	599088.00
57	ग्राम पंचायत दुधारा के दि मार्टन पब्लिक स्कूल के तरफ जाने वाले मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य।	2018-19	797328.00
58	ग्रामसभा तिलजा सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0कार्य।	2018-19	598304.00
59	ग्राम पंचायत परसोइया सम्पर्क मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य।	2018-19	696640.00
60	ग्रामसभा चिरीपुर सम्पर्क मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य।	2018-19	697088.00
61	ग्राम पंचायत उसरा पार के सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत कार्य।	2018-19	797440.00
62	ग्राम सभा गरथवलिया सम्पर्क मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य।	2018-19	895440.00
63	ग्राम पंचायत कड़जा सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0कार्य।	2018-19	1094352.00
64	ग्रामसभा कैथवलिया जगदेव के घर से असर्फी के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	779520.00
65	ग्राम पंचायत निखरापार पिचरोड से लेकर रामबहाल के घर के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	821520.00
66	ग्राम पंचायत भगुरा अहिरानी सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	744680.00
67	ग्रामसभा बरपरवा में पिचरोड/झिनक के घर से राजेन्द्र सिंह के घर होते हुए पुरानी इण्टर लाकिंग रोड के तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	2018-19	962080.00
	योग		56599254.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय उक्त के अतिरिक्त निम्न आपत्तियां हैं—

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं0-39 के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने

के पूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा एवं 10 लाख रू0 से अधिक की लागत से सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यों के अन्तिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया है।

2. शासनादेश सं0-1838/33-3-2015-03-2015 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले 10 लाख से अधिक लागत के कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी। किन्तु जिला पंचायत संत कबीर नगर ने अधिकांश निर्माण कार्य रू0 10 लाख की लागत से कम लागत का कराया है। जो आपत्ति जनक है।

3. शासनादेश सं0-3852/33-सेल/2018 जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लखनऊ दिनांक 24 दिसम्बर 2018 द्वारा जिला पंचायत द्वारा निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गों के निर्धारण के सम्बन्ध में केवल लेपन, सयी0सी0 व खडन्जा के कार्य स्वीकृत किये जाने का दिशा निर्देश दिया गया है। इस प्रकार सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 के प्रस्ताव कार्य योजना में अनुमन्य नहीं होंगे। सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य अनुमन्य न होने के बावजूद इ0ला0 कार्य कराया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत संत कबीर नगर ने उक्त निर्माण कार्यों में रूपया 56599254.00 व्यय कर अनियमितता की है। इसके लिये अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संत कबीर नगर श्री रामश्रय प्रसाद व श्री अशोक कुमार मद्देशिया उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	56599254.00	56599254.00

प्रस्तर-2 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ईट भट्ठा पंजिका की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में निम्न ईट भट्ठों ने सी0पी0 टैक्स व लाइसेंस शुल्क नहीं जमा किया है।

क्र.सं.	नाम ईट भट्ठा	मालिक का नाम	जो धनराशि जमा होना था	
			सी0पी0टैक्स	लाइसेंस
1	महमूद ब्रिकफील्ड गगरी हरदी	श्री महमूद अहमद	6000	3900.00
2	रायल ब्रिकफील्ड घोरहदु	श्री करम हुसैन	6000	3900
3	एवन ब्रिकफील्ड	श्री हुसैन	6000	3900
4	स्टार ब्रिकफील्ड लोहियाभार	श्री सदरे आलम	6000	3900
5	शिवम ब्रिकफील्ड लोहियाभार	श्री दुर्गा सिंह	6000	3900
6	सुफिया ब्रिकफील्ड खैरहवा उर्फ गेरुई	श्रीमती सुफिया	6000	3900
7	पटेल ईट भट्ठा	श्री सहेन्द्र प्रताप वर्मा	6000	3900
8	मिथिलेश इण्टरप्राइजेज सुबखरी हरिहरपुर	श्रीमती मिथिलेश मिश्रा	6000	3900
9	भारत ब्रिकफील्ड नगुआ	श्री कमलेश कुमार उपाध्याय	6000	3900
10	सुपर ब्रिकफील्ड	श्री इरफान खॉ	6000	3900
11	खान ब्रिकफील्ड भानपुर	श्री अब्दुल बारी	6000	3900
12	नज ब्रिकफील्ड	श्री अतहर हुसैन	6000	3900
13	टाटा ब्रिकफील्ड	श्री शमसाद उर्फ गाया	6000	3900
14	परमात्मा ब्रिकफील्ड घटरम्हा	श्री अमरेन्द्र पाण्डेय	6000	3900
15	जायसवाल ब्रिकफील्ड दरुआ जप्ती	श्री सत्यवान सिंह	6000	3900
16	सिंह ब्रिकफील्ड	श्री रणबहादुर सिंह	6000	3900
17	के0एल0एम0 ब्रिकफील्ड	श्री जहीर अहमद	6000	3900
18	शिवम ब्रिकफील्ड	श्री रामअशीष उपाध्याय	6000	3900
19	मेसर्स ठाकुर प्रसाद ब्रिकफील्ड	श्री ठाकुर प्रसाद	6000	3900
20	बाबा हरिनाथ ब्रिकफील्ड	श्री रवि उदयपाल	6000	3900
21	सन्नी ब्रिकफील्ड	श्री प्रवीण कुमार सिंह	6000	3900

22	स्टार ब्रिकफील्ड बरगदवा वि०ख० सांथा	श्री प्र० मुबारक हुसैन	6000	3900
योग			132000.00	85,800.00

उक्त अंकित धनराशि रूपया 132000+85800=217800 की वसूली ईट भट्टों के मालिक से की जाय विपरीत अवस्था में दायित्व कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह का होगा। जिसके लिए आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	217800.00	217800.00

प्रस्तर-3 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत संत कबीर नगर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 31.03.2019 दुकान किराया पंजिका की वार्षिक लेखाबन्दी निम्न प्रकार है-

1	वर्ष 2018-19 की मांग	296760.00
2	गत वर्ष का बकाया	1695796.00
	योग	1992556.00
3	वर्ष की मांग के सापेक्ष वसूली	206080.00
4	गत वर्ष की सापेक्ष वसूली	263389.00
	योग	469469.00
5	वर्ष की मांग के विरुद्ध अवशेष	90680.00
6	गत वर्ष के बकाया के विरुद्ध अवशेष	1432407.00
	अवशेष	1523087.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किराया की एक बड़ी धनराशि वसूल न हो पाने के कारण बकाया है जिसकी वसूली सम्बन्धित किरायेदारों से की जानी अपेक्षित है। विपरीत अवस्था में दायित्व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री रामश्रय प्रसाद व श्री अशोक कुमार मद्धेशिया व कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह का होगा। जिसके लिए आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1523087.00	1523087.00

प्रस्तर-4 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत सम्पत्ति व विभव कर सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण पाये गये जो सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों का लापरवाही प्रदर्शित करता है। जिला पंचायत संत कबीर नगर के वर्ष 2018-19 के त्रैमास के अनुसार गत वर्ष 2017-18 की सम्पत्ति व विभव कर से कुल आय 3113974.00 था जो आलोच्य वर्ष 2018-19 में घटकर 1879180.00 हो गया है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में सम्पत्ति विभव कर धनराशि से आय में कमी आई है। अतः गत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रु० 3113974.00-1879180.00=1234794.00 की कम आय हुई है। उक्त कम आय की धनराशि रु० 1234794.00 के लिए कर अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह व कर समाहर्ता श्री भरत लाल, मोती लाल, राम प्रकाश तिवारी आशीष निलेश कुमार, राम जतन मौर्य व राजस्व निरीक्षक श्री राम शब्द कमलेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1234794.00	1234794.00

प्रस्तर-5 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से बिना अर्थदण्ड लिये समय वृद्धि कर दिया गया है जो अनियमित है। उदाहरणार्थ-जिला पंचायत संतकबीर नगर द्वारा वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है-

परियोजना का नाम	निविदा की धनराशि	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि	समय वृद्धि पश्चात कार्य	कार्य समय से पूर्ण न करने के

						समाप्ति तिथि	कारण अर्थदण्ड की धनराशि
	ग्राम सभा तुनिआहवा के टोल शेखपुर में पिच रोड से मस्जिद होते हुए रोजन के खेत तक इ0ला0	500000 / -	श्री कृष्ण कान्त शर्मा	13.06.2018	12.09.2018	31.03.2019	5000 / -
	मोतीपुर मुख्य मार्ग से मोतीपुर गांव की तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0	110000 / -	श्री कृष्ण कान्त शर्मा	20.06.2018	19.09.2018	31.03.2019	11000 / -
	ग्रामसभा साई बुजुर्ग में चिरैयाडाड-नन्दौर पिच रोड इ0ला0 कार्य	720000 / -	श्री अतिकुरहमान	13.06.2018	12.09.2018	31.03.2019	7200 / -
	ग्राम दुधारा में दी शान सेन्टर एकेडमी सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य	999000 / -	श्री सज्जाद अली	14.06.2018	13.09.2018	31.03.2019	9990 / -
	ग्रामसभा सिरसी में पिच रोड से शैलेश राय के घर जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य	110000 / -	श्री वंशीधर पाण्डेय	20.06.2018	19.09.2018	31.03.2019	11000 / -
	जयराम पट्टी में समय जी डिग्री कालेज तक सामान्य मरम्मत कार्य	500000 / -	श्री सुभाष चन्द्र यादव	20.06.2018	19.09.2018	31.03.2019	5000 / -
	लोहरपुरवा काली जी स्थान से रामजानकी मन्दिर की तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0 कार्य।	120000 / -	श्री अतिकुरहमान	20.06.2018	19.09.2018	31.03.2019	12000 / -
	मिश्रौलिया बन्धे से राम शब्द मिश्र के घर से जितना मिश्र के घर की तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0 कार्य	900000 / -	प्रो0 राजकुमार	14.06.2018	13.09.2018	28.02.2019	9000 / -
	वन विभाग कार्य से स्टेडियम मार्ग की तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर सामान्य निर्माण कार्य	600000 / -	श्री हमीदुल्लाह	14.06.2018	13.09.2018	28.02.2019	6000 / -
योग							76190.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ठेकेदारों से निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने पर अर्थदण्ड नहीं वसूला गया है जबकि जिला पंचायत नियमावली के ठेका के शर्तों के नियम सं0-2 क के अनुसार कम से कम 1 प्रतिशत अर्थदण्ड वसूल करना आवश्यक था। अतः उक्त विवरण में दर्शित अर्थदण्ड की धनराशि रूपया 76190.00 सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल किया जाये अन्यथा की स्थिति में दायित्व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संत कबीर नगर का होगा। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	76190.00	76190.00

प्रस्तर-6 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार जिला पंचायत संत कबीर नगर के दिनांक 31.03.2019 को शासकीय अनुदानों का अवशेष निम्न प्रकार था।

	अनुदान का प्रकार	कुल अवशेष मय ब्याज सहित
1	राज्य वित्त आयोग	30112097.00

2	जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर	15041377.00
3	तेरहवा वित्त आयोग	21299.00
4	बी0आर0जी0एफ0	1876225.00
	योग	47050998.00

नियमानुसार शासकीय अनुदानों का उसी वित्तीय वर्ष में उपभोग कर लिया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करने से उपरोक्त विवरण अनुसार अनुदान की धनराशि 31.03.2019 को अवशेष रही तथा आलोच्य वर्ष में श्यासन से प्राप्त धनराशि से जन कल्याणकारी कार्यों में न प्रयुक्त कर जनता को लाभ से वंचित किया गया जो आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में अलग-अलग मदों में प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया। अवशेष अनुदान प्रदायकर्ता को वापस नहीं भेजा गया इस प्रकार अनियमितता रही जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्री रामाश्रय प्रसाद व श्री अशोक कुमार मद्देशिया संत कबीर नगर उत्तरायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	47050998.00	47050998.00

प्रस्तर-7 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रिया साफ्ट में रिसीप्ट एकाउन्ट में संस्था की कुल प्राप्ति 20,81,38,784.00 अंकित है वही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार कुल आय 199614119.00 है इस प्रकार दोनो में अन्तर है। उक्त अन्तर की धनराशि रु0 20,81,38,784.00 - 199614119.00 = 8524665.00 है जो कि अनियमित है। उक्त अनियमितता के लिए लेखाकार श्री राधेश्याम सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार मद्देशिया उत्तरदायी है। उक्त का अन्तर खोज कर अन्तर समाधान किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	8524665.00	8524665.00

प्रस्तर-8 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रिया साफ्ट में अंकित पेमेण्ट एकाउन्ट के अनुसार कुल रूपया 235769976.50 अंकित है तथा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय विवरण पत्र के अनुसार वर्ष का कुल व्यय 230060353.50 है इस प्रकार दोनो में अन्तर है। उक्त अन्तर की धनराशि रु0 235769976.50 - 230060353.50 = 5709623.00 है जो कि अनियमित है। उक्त अनियमितता के लिए लेखाकार श्री राधेश्याम सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार मद्देशिया उत्तरदायी है। उक्त का अन्तर खोज कर अन्तर समाधान किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5709623.00	5709623.00

प्रस्तर-9 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-3 द्वारा शासन संख्या 6336/33-3-97-1850/97 दिनांक 27 दिसम्बर 1997 द्वारा जिला पंचायत की आय में वृद्धि हेतु निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। वर्ष 2011 में 25 प्रतिशत वृद्धि की गयी थी, उसके पश्चात वर्ष 2014 व 2017 में वृद्धि किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं किया गया लेखा परीक्षा अनुसार उपरोक्तानुसार वृद्धि करने पर संलग्न विवरण अनुसार वृद्धि होनी चाहिये थी। इस प्रकार यदि वृद्धि होता तो रूपया 309830.00 की राजस्व की आय और होती है। अतः उक्त आय रूपया 309830.00 की वसूली सम्बन्धित किरायेदारों से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में दायित्व कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संतकबीरनगर का होगा। जिसके लिए आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	309830.00	309830.00

प्रस्तर-10 जिला पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विवरण पत्र के अनुसार वर्ष में मृत पशु शव से कोई आय नहीं हुई जबकि गत वर्ष 2017-18 में रु0 46100.00 की आय दर्शित है। शासनादेश संख्या 2203/33-2-97-47वी/95 टी0सी0 दिनांक 30 मई 1997 के अनुसार हड्डी चमड़ा की

आय का 50 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए किन्तु वर्ष 2017-2018 में दर्शित उक्त धनराशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 23050.00 की धनराशि को जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तांतरित करने का कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तांतरित नहीं की गयी। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रामाश्रय प्रसाद उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	23050.00	23050.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19
जिला-सिद्धार्थनगर मण्डल-बस्ती

प्रारूप-01
जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ-

प्रस्तर सं0-01- जिला पंचायत कार्यालय परिसर में स्थित टाइप-3 आवास सं0 बी. 1 जो जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के अभियंता के लिए आरक्षित है। दिनांक 27.07.2018 को अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद द्वारा आवंटन हेतु आवेदन किए जाने पर दिनांक 26.08.2018 को उक्त आवास दिनांक 04.09.2018 से उन्हें आवंटित कर दिया गया। आवास आवंटन के बाद नियमानुसार उनसे दो माह का आवास भत्ता 4480 रु0 प्रति माह कटौति की गई। फिर अभियंता द्वारा उक्त आवास को रहने योग्य न होने के आवेदन पर माह दिसम्बर 18 में आवंटन निरस्त कर दिया गया और आवास भत्ता की कटौति बंद कर दी गई एवं कटौति की गई दो माह का आवास भत्ता भी वापस कर दिया गया। जबकि इससे पूर्व सभी अभियंता को यह आवास आवंटित था एवं उन्हें आवास भत्ता देय नहीं था। स्पष्ट है कि अभियंता हेतु आरक्षित आवास को पूरे वर्ष खाली दर्शाकर आवास का नियत किराया 290 रु0 प्रति माह एवं 4480 आवास भत्ता प्रति माह, कुल रु0 4770 प्रति माह की दर से आवंटित माह सितम्बर 2018 से 31.03.2019 तक सात माह कटौति न करके रु0 33390 का नुकसान संस्था को पहुंचाया गया है जिसके लिए अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चंद उत्तरदायी हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत कार्यालय, आवास, सड़क की मरम्मत एवं निमार्ण का समस्त कार्य जिला पंचायत अभियंत्रण अनुभाग द्वारा अभियंता के निरीक्षण में ही किया जाता है, फिर उक्त आवास को रहने लायक न बताकर किराया एवं आवास भत्ता की कटौति न किया जाना अत्यंत गंभीर प्रकरण है। जिसकी वसूली अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद एवं मुख्य अधिकारी श्री हरिओम से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-31)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	33390.00	33390.00

प्रस्तर सं0-02- दिनांक 31.08.18 प्रमाणक सं0 101 द्वारा जिला पंचायत अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद को सातवें वेतन का एरियर माह जनवरी 2017 से मई 2018 तक की राशि रु0 228912 भुगतान किया गया है। उक्त एरियर वेतन बिल की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि माह सितम्बर 2017 का अंतर देय राशि रु0 12235 दो बार अंकित करके कुल देय वास्तविक योग रु0 216677 के स्थान पर रु0 12235 ज्यादा रु0 228912 भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अधिक भुगतान रु0 12235 की वसूली सरकारी राजस्व वसूली के तरह किया जाना चाहिए। प्रकरण अत्यंत गंभीर है। जिसकी वसूली अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद, लेखाकार श्री नथुनी सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री हरि ओम से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-32)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12235.00	—	—	12235.00

प्रस्तर सं0-03- वर्ष 18.19 में बिजली किराया एवं विद्युत बिल संबंधित व्यय प्रमाणकों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष में कुल रु0 162332.00 बिजली उपभोग पर व्यय किया गया है। जिसमें कार्यालय एवं परिसर के आवसीय भवनों का एक ही मीटर है जिसका समस्त भार जिला पंचायत द्वारा वहन किया

जाता है। जबकि नियमों के अन्तर्गत कार्यालय का विद्युत मीटर अलग तथा आवसीय भवनों के प्रत्येक आवास के लिए अलग अलग मीटर होना चाहिए। आवास विशेष का उपयोग कर रहे अधिकारी/कर्मचारी को संबंधित उपयोगित बिजली के बिल का भुगतान करना चाहिए अन्यथा की स्थिति में बड़े पैमाने पर संस्था के राजकीय राजस्व की क्षति हो रही है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वर्ष 18.19 के लिए उक्त का आकलन कर समस्त भुगतान का आधा रु0 81166.00 कार्यालय के नाम तथा आधा रु0 81166.00 आवसीय भवनों के नाम की सूची तैयार कर भवन उपयोग करने वाले कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। विगत कई वर्ष में आपत्ति किए जाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गयी है जो गंभीर आपत्तिजनक है। जिसकी वसूली संबंधित उपयोगकर्ता ,अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	81166.00	81166.00

(सा0आ0सं0-33)

प्रस्तर सं0-04—राज वित्त के विकास खंड डुमरियागंज में जंगलीपुर गांव के दक्षिण मुरली के खेत के पास धौरहरा जाने वाली सड़क पर 2 मीटर आर सी सी पुलिया की निर्माण पत्रावली देखने से ज्ञात हुआ कि संलग्न प्राकलन के डिटेल् ऑफ मैजमेंट विवरण में क्रम सं0 3 पर ब्रिक वर्क फार फाउण्डेशन में कुल 22.06 घनमीटर कार्य अंकित है। जो पी0डबलूवडीव मानक एवं अन्य पुलिया परियोजनाओं के अनुसार सही है। परन्तु बिल ऑफ क्वान्टिटी में क्रम सं0 3 पर ब्रिक वर्क फार फाउण्डेशन 22.06 घनमीटर के स्थान पर 37.58 घनमीटर कार्य अंकित करके ब्रिक वर्क फार फाउण्डेशन को 15.52 घनमीटर बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार ब्रिक वर्क की निर्धारित दर रु0 5341 प्रति घनमीटर की दर से 15.52 घनमीटर बढ़े मापन के कारण प्राकलन में रु0 82892 की बढ़ोतरी कर दी गयी है। फिर ब्रिक वर्क फार फाउण्डेशन का मापन 22.06 घनमीटर के स्थान पर 37.50 घनमीटर 15.44 घनमीटर ज्यादा दिखाकर रु0 5341 प्रति घनमीटर की दर से रु0 82465 का ज्यादा भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया है। जिसके लिए अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम एवं अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम एवं अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-34)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	82465.00	82465.00

प्रस्तर सं0-05—विकास खंड डुमरियागंज में गंगवार सम्पर्क मार्ग पर इंटर लाकिंग कार्य की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्राकलन एवं मापन पुस्तिका के अनुसार सड़क की कुल लम्बाई 447.4 मीटर एवं चौड़ाई 1 से 2 मीटर है। संलग्न चित्र से भी स्पष्ट है कि यह कार्य ग्राम पंचायत के अंदर गली में है। प्राकलन के अनुसार परियोजना सोलिंग स्तर से है। मापन पुस्तिका के अनुसार 447.4 मीटर लम्बाई में 1 से 2 मीटर चौड़ी सड़क कुल 739.04 क्षेत्रफल में .075 मीटर उंची जी0एस0बी0 कुल 55.43 घनमीटर, श्री विलर रौलर, ट्रैक्टर विथ रोटोवेटर से किया गया का मापन अंकित कर रु0 3889 प्रति घनमीटर की दर श्री विलर रौलर, ट्रैक्टर विथ रोटोवेटर से 215559.49 का भुगतान किया गया। (3889 रु0 प्रति घनमीटर जी0एस0बी की दर श्री विलर रौलर, ट्रैक्टर विथ रोटोवेटर से किया जाना अंकित है) जबकि 1 से 2 मीटर चौड़ी गली में श्री विलर रौलर, ट्रैक्टर विथ रोटोवेटर से कार्य किया जाना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त जी0 एस0 बी0 का गलत मापन अंकित करके रु0 215559.49 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम एवं अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम एवं अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	215559.00	215559.00

(सा0आ0सं0-35)

प्रस्तर सं0-06—शासनादेश संख्या 1408/23.3.2009.62(जनरल)/08 दि0 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी

किया जाएगा जब बिटुमिन की मूल इनवायस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाय । उपलब्ध कराये गए पिच व लेपन कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त शासनादेशके अनुसार न तो संस्था द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय किया गया और न ही संबंधित ठेकेदार से बिटुमिन का मूल इनवायस ही प्राप्त किया गया। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा बिना मूल इनवायस प्राप्त किए बिटुमिन मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। प्रकरण अत्यंत गंभीर एवं शासन के आदेश के विपरित है। जिसके लिए ठेकेदार,अवर अभियंता, अभियंता, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली संघित ठेकेदार ,अवर अभियंता ,लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-36)

विवरण निम्नलिखित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	धनराशि
1	धोबहा विभूति सिंह के घर से नये नगर पी0डबलू0डी रोड तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	राज एंड ब्रदर्स, प्रो0 गोवर्धन यादव	370047
2	डिडई खैरटिया पिच रोड से खैरटिया पोखरे के ग्राम वैरिहवा रोड तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	श्री वैभवी कन्सट्रू0 प्रो0श्रीअनुराग गोयल	207669
3	वि0खं0 डुमरियागंज में खरकट्टी अमौना पीच से भालूकोनी जप्ती तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	में0 एम ए ट्रेडर्स प्रो0 श्री मुमताज अली	244310
4	ग्राम महथावल सेढमौर होते हुए सिकरी बखरिया की ओर विशेष मरम्मत लेपन कार्य	मे0 आदित्य कन्सट्रू0 प्रो0 श्रीमति झिनका देवी	521507
5	उसका भटिया मार्ग नवीनीकरण लेपन कार्य	श्री मारकण्डेय सिंह	470449
6	रामवृक्ष मार्ग से उपधीगांव तक नवीनीकरण लेपन कार्य	मे0 आदित्य कंसट्रू0 श्रीमति झिनका देवी	366985
7	पकडी चौराहे से मधवापुर चौराहे के बीच से खजूरडाड घाट तक नवीनीकरण लेपन	मे0 वर्षा इन्टरप्रा0 श्रीमति मंजू	339280
8	रजिस्ट्री कार्यालय सिद्धार्थनगर पी0डबलू0डी0 रोड अशोक मार्ग से मधुकरपुर सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत कार्य	मे0 वर्षा इन्टरप्रा0श्रीमति मंजू	255615
9	काषीपुर से रतनपुर गांव तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	मे0 वर्षा इन्टरप्रा0 श्रीमति मंजू	301010
10	वि0खं0 डुमरियागंज में चौखडा पी0डबलू0डी0 से महतिनियां प्रा0 स्कूल तक विशेष मरम्मत लेपन	में0 सागर कन्सट्रू0 प्रो0 गंगासागर पाण्डे	528252
11	दयालपुर नहर से डउवा भैया तक पिच कार्य	अनु0कन्सट्रू0 श्री अष्टभुजा श्रीवास्तव	245564
12	ककरहवा नौगढ मार्ग से मगरहिया अमहवा सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	मे0 वर्षा इन्टरप्रा0श्रीमति मंजू	136800
13	वृजमनगंज उसका पिच मार्ग से गंगाधरपुर का अवशेष लेपन मरम्मत कार्य	मां कन्सट्रू0 श्रीमति सिंधू सिंह	129275
15	रिवा करौता मार्ग का अवशेष पिच कार्य	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	55894
16	वि0खं0वर्डपुर स्वास्थ्य केंद्र वर्डपुर शंकरपुर नरन्दुपुर से रामनगर सीसी रोड तक अवशेष लेपन कार्य	श्री मेहताब आलम	80418
योग			4253075

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4253075.00	4253075.00

प्रस्तर सं0-07-वर्ष 18-19 में राज वित्त के अन्तर्गत कराये गए निम्न पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से अर्थदंड की निर्धारित न्यूनतम 1 शत प्रतिशत की वसूली नहीं की गयी है। ठेकेदारों से वसूली गयी अर्थदंड की धनराशि में एकरूपता नहीं है एवं मनमाने ढंग से अर्थदंड की वसूली करके संस्था को क्षति पहुँचाई गई है जो निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विरुद्ध है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली संबंधित अवर अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है । (सा0आ0सं0-37)

क्र०सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	प्राकलन की धनराशि	न्यूनतम अर्थदंड 1 शत प्रतिशत	वसूल अर्थदंड	कम वसूल
1	धोबहा विभूति सिंह के घर से नये नगर पी०डब्लू०डीरोडतक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	राज एंड ब्रदर्स, प्रो० गोवर्धन यादव	1526563	15265	5000	10265
2	डिडई खैरटिया पिच रोड से खैरटिया पोखरेके ग्राम वैरिहवा रोड तक विशेष मरम्मतलेपन कार्य	श्री वैभवी कन्सट्र०प्रो० श्रीअनुराग गोयल	1382717	13827	6500	7327
3	वि०ख० डुमरियागंज में खरकट्टी अमौना पीच से भालूकोनी जप्ती तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	में० एम ए ट्रेडर्स प्रो० श्री मुमताज अली	981434	9814	4500	5314
4	ग्राम महथावल से गढमौर होते हुए सिकरी बखरिया की ओर विशेष मरम्मत लेपन कार्य	मे० आदित्य कन्सट्र० प्रो०श्रीमतिज्ञिनका देवी	3796367	37963	11500	26463
5	उसका भटिया मार्ग नवीनीकरण लेपन कार्य	श्री मारकण्डेय सिंह	1647098	16470	4300	12170
6	रामवृक्ष मार्ग से उपधीगांव तक नवीनीकरण लेपन कार्य	मे० आदित्य कंसट्र० श्रीमतिज्ञिनका देवी	978678	9786	7500	2286
7	पकडी चौराहे से मधवापुर चौराहे के बीच सेखजूरडाड घाट तक नवीनीकरण लेपन	मे० वर्षा इन्टरप्रा० श्रीमति मंजू	1396031	13960	3000	10960
8	रजिस्ट्री कार्यालय सिद्धार्थनगर पी०डब्लू०डी रोड अशोक मार्ग से मधुकरपुर सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत कार्य	मे० वर्षा इन्टरप्रा० श्रीमति मंजू	1498295	14982	3000	11982
9	काषीपुर से रतनपुर गांव तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	मे० वर्षा इन्टरप्रा० श्रीमति मंजू	2075666	20756	8000	12756
10	वि०ख० डुमरियागंज में चौखडा पा०डब्लू०डी से महतिनियां प्रा० स्कूल तक विशेष मरम्मत लेपन	में० सागर कन्सट्र० प्रो० गंगासागर पाण्डे	3362171	33621	8000	25821
11	दयालपुर नहर से डउवा भैया तक पिच कार्य	अनु०कन्सट्र० श्री अष्टभुजा श्रीवास्तव	4158892	41588	3000	38588
12	पकडी चौराहा से भिटिया मार्ग के बीच मदनपुर चौराहे से मदनपुर गांव तक मरम्मत लेपन कार्य	मे० वर्षा इन्टरप्रा० श्रीमति मंजू	746950	7469	4500	2969
13	बसौनी से जगदीशपुर राजा तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	मे० वर्षा इन्टरप्रा० श्रीमति मंजू	4532646	45326	3000	42326
14	फायर विग्रेड पिच सडक का विशेष मरम्मत लेपन कार्य	मे० वर्षा इन्टरप्रा० श्रीमति मंजू	1729426	17294	7200	10094

15	उसका वृजमनगंज मार्ग से गंगाधर गांव तक नवीनीकरण लेपन कार्य।	मे0 वर्षा इन्टरप्रा0 श्रीमति मंजू	1366993	13669	4500	9169
16	ककरहवा नौगढ मार्ग से मगरहिया अमहवासम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	मे0 वर्षा इन्टरप्रा0 श्रीमति मंजू	1792860	17928	3000	14928
17	वृजमनगंज उसका पिच मार्ग से गंगाधरपुर का अवशेषलेपन मरम्मतकार्य	मां कन्सट्रक्शन श्रीमति सिंधू सिंह	708256	7082	3000	4082
18	रिवा करौता मार्ग का अवशेषपिच कार्य	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	884086	8840	3000	5840
19	वि0ख0वर्डपुर स्वास्थ्य केंद्र वर्डपुर शंकरपुर नरन्दुपुर से रामनगर सीसी रोड तक अवशेषलेपन कार्य	श्री मेहताब आलम	1200917	12009	00	12009
20	शेखपुर महनी मार्ग गंगाधरपुर सम्पर्क मार्ग पर इ0लाकिंग	मां कन्सट्रक्शन	1061658	10616	3000	7616
21	ग्राम पं0 दानोकुइयों के टोला जिगिना बुजुर्गसम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य	खान ट्रेडर्स	999888	9998	3000	6998
22	बसहिया पिच रोड से नौडिहवा सम्पर्क मार्ग पर इ0लाकिंग	श्री अनिरुद्ध नाथतिवारी	900956	9009	3000	6009
23	ग्राम बसंतपुर खंडजे से पूरब गांव तक इ0लाकिंग	श्री मेहताब आलम	700000	7000	3000	4000
24	टडिया ककहरी पिच मार्ग से पचफेडवा सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0	वर्षा इन्टरप्रा0	820533	8205	5000	3205
25	नगहिया मुख्य मार्ग से पश्चिम तरफ जाने वाले मार्ग पर इ0ला0	श्री मलिक जफर	630000	6300	3000	3300
26	नदवलिया पिच मार्ग से कोटिया दीगर सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0	सागर कन्सट0	700000	7000	3000	4000
27	धौरहरा सी सी रोड से धौरहरा पूरबडीह गंवतक इ0 लाकिंग	श्री ओम शंकर लाल	949798	9197	3000	6197
28	नौगढ बांसी मार्ग से जोगिया जू0हा0स्कूल होते हुए ककरही बांध सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0	युवराज इन्टरप्रा0	900000	9000	3000	6000
29	नोनहवा कपिलवस्तु मार्ग ससे महदेवा गोव के मुख्य मार्ग तक इ0ला0	श्रीमति इन्दू सिंह	400000	4000	3000	1000
30	काइरीडिहा से छतहरी माइनर सम्पर्क मार्ग पर इ0ला0	युवराज इन्टरप्रा0	1000000	10000	3000	7000
31	कपिया शुक्ल पिच के दक्षिण दिषा से कपिया शुक्ल गांव तक इ0 ला0	श्री अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी	850000	8500	3000	5500
32	ग्राम विशुनपर से नहर से सैनी गांव तक इ0लाकिंग	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	900000	9000	3000	6000

33	गौल्हौरा एक्सचेंज से ग्राम फेरवा दुर्गा स्थान मंदिर तक इ0ला0	श्री अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी	900000	9000	2000	7000
34	टउवा सम्पर्क मार्ग पर इ0लाकिंग	श्री दिवाकर दत्त यादव	999816	9998	3000	6998
35	शेखपुर महनी पिच मार्ग से गंगाधरपुर सम्पर्कमार्ग पर इ0ला0	मां कन्सट्र0	120048	12004	3000	9004
36	इटवा डिहवा गांव के खडंजा से दक्षिण सगरागांवमार्ग पर इ0ला0	श्री मेहताब आलम	1000000	10000	3000	7000
37	मुख्य मार्ग पर भानपुर महजिदिया गांव तक इ0 लाकिंग	श्री अवधेष कुमार	949585	9495	3000	6495
38	धनखरपुर पिच रोड से गांव तक इ0लाकिंग	में राज एंड ब्रदर्स	990025	9900	3000	6900
39	धेन्सापारा पिच मार्ग से खरगौरा संपर्क मार्गपुराने इ0लाकिंग से आगे इ0 लाकिंग	मे वैभववी कन्सट्र0	900460	9004	3000	6004
40	महतिनिया खुर्द पी0डबलू0डी0से शिव मंदिर तक इ0लाकिंग	मां कन्सट्र0	2900091	29000	3000	26000
41	चौखडा संपर्क मार्ग से कब्रिस्तान तक सी सी0 रोड	श्री मलिक जफर	800462	8004	3000	5004
42	सहहुल्लापुर से तरैना के बीच सडक मार्ग परआर सीसी पुलिया	श्री अमरनाथ	990065	3000	9900	6900
43	पी0डबलू0डी0 रोड से पिपरा कानुनगो गांव तक इ0 लाकिंग	श्री अमरनाथ	1499656	14996	3000	11996
44	बेलउख पक्की सडक मार्ग से बेलउख पासीडीहा ग्राम को जोडना इ0 लाकिंग	में हरजी ट्रेडर्स	1000700	10007	3000	7007
45	बहुती पी0डबलू0डी0 सडक से मंदिर तक इ0लाकिंग	श्री मेहताब आलम	1000185	10001	3000	7001
46	पिच मार्ग से ग्राम परसा जमाल कब्रिस्तान जाने वाले सडक पर इ0लाकिंग	श्री मलिक जफर	999790	9997	2000	7997
47	बनियाडीह पिच रोड से बरगदवा सोतिया डाडी संपर्क मार्ग पर इ0 लाकिंग	में0 मंगल ट्रेडर्स	2250262	22502	3000	19502
48	पिपरा भरवटिया मार्ग से दुर्गवा गांव जोडने हेतु इ0 लाकिंग	में0 हरजी ट्रेडर्स	900166	9001	3000	6001
49	कटया मुडिया पिच मार्ग से पकडी संपर्क मार्ग का इ0लाकिंग	में0 वर्षा इन्टप्रा0	750785	7507	3000	4507
50	तरकुलहा पिच मार्ग से छोटकी हरैया संपर्कमार्ग पर इ0लाकिंग	में0 वर्षा इन्टप्रा0	970263	9702	3000	6702
51	तेतरी गांव के सम्पर्क मार्ग पर इ0 लाकिंग	श्री मलिक जफर	999920	9999	2000	7999

52	तेजगढ़ से ग्राम मंदरहना मार्ग पर इ0लाकिंग	श्री मारकण्डेय सिंह	1000177	10007	3000	7007
53	देवरा पक्की सड़क से मसिना संपर्क मार्ग पर इ0लाकिंग	श्री अनिरुद्ध नाथ त्रिपाठी	1000000	10000	3000	7000
54	पंडित सेखुईया संपर्क मार्ग से गोव तक इ0लाकिंग	त्रिपाठी कन्सट्र0	999920	10000	3000	7000
55	पकरडीहा पुल से ग्राम जीवा तक इ0 लाकिंग	श्री अनिरुद्ध नाथ त्रिपाठी	508455	5084	3000	2084
56	पोखरभिटवा मार्ग से मेहनिया होते हुए कटहना नहर संपर्क मार्ग पर इ0 लाकिंग	सागर कन्सट्र0	1000000	10000	3000	7000
57	परसा दिवान में अकडहरा मार्ग पर पुलिया निर्माण	युवराज कन्सट्र0	800000	8000	3000	5000
58	ग्राम सवाडाड से ग्राम पिपरा मार्ग पर पोखरा के पास पुलिया निर्माण	श्री मेहताब आलम	940000	9400	3000	5400
59	ग्राम आजादनगर पिच रोड से ग्राम पचली जाने वाली रास्ते पर इ0लाकिंग	श्री प्रकाश	919962	9200	3000	6200
60	सिकहरा गाँव के संपर्क मार्ग पर इ0 लाकिंग	श्री मलिक जफर	999574	9900	5000	4900
61	टिकरिया संपर्क मार्ग से गांव तक इ0लाकिंग	में0 एम ए ट्रेडर्स	994833	9900	3000	6900
62	बांसी डुमरियागंज मार्ग से बरगदवा शिवानी इ0 कालेज तक इ0 लाकिंग	में0 एम ए ट्रेडर्स	990264	9900	2000	7900
63	कोल्हुआ संपर्क मार्ग से उचडीह संपर्क मार्ग पर इलाकिंग	में0 एम ए ट्रेडर्स	1000000	10000	2000	8000
						572582

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	572582.00	572582.00

प्रस्तर सं0-08—संस्था द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1996) कर्मकार उपनियमावली 1998 तथा ऊ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त नियमावली 2009 के अनुपालन में लेबर सेस की कटौती की गई है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था द्वारा लेबर सेस 1 प्रतिशत जोड़कर परियोजना का आगणन तैयार किया गया है। इस प्रकार कर्मकार उपकर की 1 शत प्रतिशत धनराशि प्रथमतया जोड़ी गयी एवं तदोपरांत उसके बराबर की धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में बिलों से काटी गयी। अतः प्रतिशत इन प्रकरणों में कर्मकार उपकर की धनराशि लेबर सेस ठेकेदार से कटौती न कर संस्था के अनुदान से रु0 274944 जमा किया गया है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में लेबर सेस की धनराशि रु0 274944 को आगणन में जोड़कर राजकीय अनुदान की क्षति की गई है एवं उक्त धनराशि का लाभ ठेकेदार को पहुँचाया गया है। जिसके लिए ऊ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम सं0 177 के अन्तर्गत अवर अभि0, अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली संबंधित अवर अभियंतागण, अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है।

(सा0आ0सं038)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लेबर शेष की धनराशि
1	धोबहा विभूति सिंह के घर से नये नगर पी0डबलू0डी रोड तक	15259

	विशेष मरम्मत लेपन कार्य	
2	डिडई खैरटिया पिच रोड से खैरटिया पोखरे के ग्राम वैरिहवा रोड तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	13821
3	वि०ख० डुमरियागंज में खरकट्टी अमौना पीच से भालूकोनी जप्ती तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	9649
4	ग्राम महथावल से गढमौर होते हुए सिकरी बखरिया की ओर विशेष मरम्मत लेपन कार्य	2367
5	उसका भटिया मार्ग नवीनीकरण लेपन कार्य	16415
6	रामवृक्ष मार्ग से उपधीगांव तक नवीनीकरण लेपन कार्य	9717
7	पकडी चौराहे से मधवापुर चौराहे के बीच से खजूरडाड घाट तक नवीनीकरण लेपन	13925
8	रजिस्ट्री कार्यालय सिद्धार्थनगर पी०डबलू०डी० रोड अशोक मार्ग से मधुकरपुर सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत कार्य	14966
9	काषीपुर से रतनपुर गांव तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	20158
10	वि०ख० डुमरियागंज में चौखडा पी०डबलू०डी० से महतिनियां प्रा० स्कूल तक विशेष मरम्मत लेपन	33618
11	दयालपुर नहर से डउवा भैया तक पिच कार्य	41443
12	पकडी चौराहा से भिटिया मार्ग के बीच मदनपुर चौराहे से मदनपुर गांव तक मरम्मत लेपन कार्य	7338
13	बसौनी से जगदीशपुर राजा तक विशेष मरम्मत लेपन कार्य	45319
14	फायर विग्रेड पिच सडक का विशेष मरम्मत लेपन कार्य	17280
15	उसका वृजमनगंज मार्ग से गंगाधर गांव तक नवीनीकरण लेपन कार्य।	13669
	योग	274944

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	274944.00	—	274944.00

प्रस्तर सं०-09—शासनादेश सं० —8307/33-2-2004-93जी/2004, दिनांक 12.01.2015 के द्वारा तीनों पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का निर्धारण किया गया है जिसमें जिला पंचायत को अपने कार्य क्षेत्र के अलावा दो विकास खण्डों को जोड़ने वाली सडक एवं अन्य कार्य कराना निर्धारित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लिए गाँव के अंदर के कार्य एवं सडक का निर्माण कराना निर्धारित है एवं क्षेत्र पंचायत के लिए दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराना निर्धारित है।

जिला पंचायत के कार्य रजिस्टर एवं उपलब्ध पत्रावली के संविक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला पंचायत द्वारा राज वित्त मद से गाँव के अंदर सडक निर्माण एवं इन्टरलाकिंग का कार्य कराया गया है। उक्त गाँव के अंदर कराये गये अधिकांश कार्यों में लोकेशन (कहाँ से कहाँ तक) भी अंकित नहीं है। स्थान विशेष का उल्लेख किए बिना निविदा आमंत्रित करने से लेकर कार्य कराने तथा उसका भूगतान करना पंचायती राज अनुभाग 2 के शासनादेश सं० 866/33-2-14-93 जी/2004 टी०सी० दि० 24जून 2014 में दिए गए निर्देशों के विपरीत रहा। पंचायती राज विभाग के शासनादेशों का उल्लंघन किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए सम्पूर्ण अभियंत्रण अनुभाग, अभियंता, निमाण पटल प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के अंदर कराये गए कार्यों से संबंधित गाँव पंचायतों से संदर्भित परियोजनाओं के ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र एवं सहमती भी नहीं ली गयी है। विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	कराये गए कार्यों का नाम	धनराशि
1	गाम पं० दानोकुइयों के टोला जिगिना बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० कार्य	982464
2	नगहिया मुख्य मार्ग से पश्चित तरफ जाने वाले मार्ग पर इ० लाकिंग	620928
3	धौरहरा सी सी रोड से धौरहरा पूरबडीह तक इ० लाकिंग	936320
4	कोइरीडिहा से छतहरी माइनर सम्पर्क मार्ग पर इ० लाकिंग	985600
5	गंगवार सम्पर्क मार्ग पर ग्राम के अंदर इ० लाकिंग	974424

6	वि०खं० डुमरियागंज टंडवा सम्पर्क मार्ग पर ई० लाकिंग	985600
7	अमहट पिच मार्ग से भरवटिया सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खडंजा	688240
8	शेखपुर महनी मार्ग गंगाधरपुर सम्पर्क मार्ग पर इ०लाकिंग	1179248
9	खजुरिया पिच रोड से महदेवा गोवर्धन बंधा सम्पर्क मार्ग/ मिट्टी खडंजा	981568
10	हटवा में इन्टर लाकिंग	197390
11	मुडिला कडवा मार्ग से पञ्चित चिल्हिया संपर्क मार्ग का इ०ला०	688016
12	रमवापुर उर्फ नेबुआ संपर्क मार्ग पर इ० लाकिंग	1238720
13	पिच मार्ग से ग्राम परसा जमाल कब्रिस्तान जाने वाले सडक पर इ०लाकिंग	985600
14	बनियाडिह पिच रोड से बरगदवा सौतिया डाडी संपर्क मार्ग पर इ० लाकिंग	2215360
15	तुरकौलिया तिवारी संपर्क मार्ग पर इ०लाकिंग	984128
16	चनरैया संपर्क मार्ग पिच से आगे अवशेषका इ०लाकिंग	884554
17	चंदापुर से ग्राम मठभरवा मार्ग पर इ०लाकिंग	924336
18	तेतरी गांव के संपर्क मार्ग पर इ०लाकिंग	985600
19	कनुआडीह से चिमटी संपर्क मार्ग का इ० लाकिंग	591360
योग		18029456

उपरोक्त अनियमित, नियम के विरुद्ध कार्य पर अनियमित भूगतान के लिए उत्तरदायी निर्माण अनुभाग पटल प्रभारी, अभियंता, एवं अपर मुख्य अधिकारी का दायित्व निर्धारण करते हुए (ऊ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 176 के अन्तर्गत) विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-39)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	18029456.00	18029456.00

प्रस्तर सं०-10- जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के कर अनुभाग के पत्रावली एवं अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत में विगत कई वर्षों से विकास खंडवार कर निर्धारण रजिस्टर, कर वसूली रजिस्टर नहीं बनाया गया है जबकि विकास खंडवार कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है। बार बार सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख एवं पत्रावली अनुपलब्ध रहा, जिससे गत वर्ष का बकाया, वर्ष की मांग एवं वर्ष में वसूली के पश्चात वर्षान्त में शेष की जाँच नहीं की जा सकी। वर्ष 18.19 के सम्पत्ति एवं विभवकर की प्राप्त 5095 करदाताओं की सूची के अनुसार प्रस्तावित कुल कर रु० 8065740 के सापेक्ष दिनांक 29.01.19 को जिला पंचायत के बैठक में रु० 8032290 सदन के द्वारा अनुमोदित किया गया। परन्तु दिनांक 31.03.19 के त्रैमासिक विवरण पत्र 03 में रु० 8032290 के स्थान पर वर्ष की मांग मात्र रु० 3600000 अंकित किया गया है जो वास्तविक अनुमोदित मांग से रु० 4432290 कम है। इस प्रकार सम्पत्ति एवं विभव कर के वर्ष की मांग को अनियमित रूप से रु० 4432290 कम करके संस्था को नुकसान पहुँचाया गया है। जिसके लिए समस्त कर अनुभाग, कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है। सुधार करब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-40)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4432290.00	4432290.00

प्रस्तर सं०-11- निम्नलिखित निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ कि इनमें प्रतिभाग करने वाले ठेकेदारों में से कतिपय ठेकेदारों का टेण्डर मूल्य रसिद या जमा चालान पत्रावलियों में संलग्न नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा टेण्डर मूल्य नहीं जमा किया गया है, इस संबंध में संस्था द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि बिना टेण्डर मूल्य प्राप्त किए टेण्डर में प्रतिभाग करके संस्था को रु० 12040 का नुकसान पहुँचाया गया है। जिसके लिए निर्माण लिपिक एवं टेण्डर समिति के तीनों सदस्य अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त रु० 12040 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है।

क्र०सं०	पारयाजना का नाम	प्रतिभाग करने वाल ठेकेदार का नाम/ जमा टेण्डर मूल्य		
1	पिच रोड से जगजीवनपुर गाँव तक इ० लाकिंग	श्री अमरनाथ रु. 00	अनुकन्सट्रू रु० 635	मेहताब आलम रु. 635
2	ग्राम मनिकौरो गनवरिया तक	वर्षा	आदित्य कन्स० रु०	रामविलास कन्स० रु० 00

	इ०लाकिंग	कन्सट्रू रु. 706	706	
3	टडिया ककरही पिच मार्ग से पचफेडवा सम्पर्क मार्ग पर इ०ला०	वर्षा इन्टप्रा० रु०744	आदित्य कन्सट्रू रु० 744	रामविलास कन्सट्रू रु० 00
4	शेखपुर महनी पिच मार्ग गंगाधरपुर सम्पर्क मार्ग पर इ०ला	मां कन्सट्रू रु० 00	गायत्री कन्सट्रू रु० 1089	शाम्भवी कन्सट्रू रु० 1080
5	वृजमनगंज उसका पिच मार्ग से गंगाधरपुर का अवशेषलेपन मरम्मत कार्य	मां कन्सट्रू रु० 00	गायत्री कन्सट्रू रु० 726	शाम्भवी कन्सट्रू रु० 726
6	महतिनिया खुर्द पी०डबलू०डी० रोड से शिव मंदिर तक इ०लाकि	मां कन्सट्रू रु० 00	गायत्री कन्सट्रू रु० 2632	शाम्भवी कन्सट्रू रु० 2632
7	मनोहरी पिच सम्पर्क से बनहरी एवं सबुला सम्पर्क मार्ग का खडंजा कार्य	मां कन्सट्रू रु० 00	गायत्री कन्सट्रू रु० 631	शाम्भवी कन्सट्रू रु० 631
8	सनई शोहरतगढ मार्ग पर सनई पूर्वांचल बैंक से महदेवा लाल खडंजा सम्पर्क मार्ग का इ० ला०	मां कन्सट्रू रु० 00	गायत्री कन्सट्रू रु० 454	शाम्भवी कन्सट्रू रु० 454
9	वर्डपुर पल्टादेवी मार्ग से मुसहरी पूरब सम्पर्क मार्ग पर इ० लाकिंग	प्रेम इन्टरप्रा० रु० 00	मिश्र एण्ड कम्पनी रु 817	सागर कन्सट्रू रु० 817
10	परसा स्टेशन पिच से सी०सी० तक इ० लाकिंग	यूवराजइन्ट० रु० 428	सागर कन्सट्रू रु० 00	अनिरुद्ध नाथ त्रिपाठी रु० 428
11	कनुवाडीह से चिमठी सम्पर्क मार्ग का इ० लाकिंग	श्री प्रकाश रु० 899	ओजस्वी कन्स० रु० 899	अपु कप्यट्रू०रु० 00
12	ग्राम आजादनगर पिच रोड से ग्राम पचली जाने वाली रास्ते पर इ० लाकिंग	श्री प्रकाश रु० 835	ओजस्वी कन्स० रु० 835	श्रीमति संगीता सिंह रु० 00
13	ग्राम मल्हवार में काली जी के स्थान से पिच रोड होते हुए ग्राम उज्जेनिया को जाने वाली रास्ते पर इ० लाकिंग	श्री प्रकाश रु० 536	ओजस्वी कन्स० रु० 536	श्रीमति संगीता सिंह रु० 00
14	नगरची खडंजा मार्ग से प्रा० वि०नगरा के पास पुल से नगरा सम्पर्क मार्ग पर इ० लाकिंग	यूवराजइन्ट० रु० 908	मारकण्डेय सिंह रु० 00	अनिरुद्ध नाथ त्रिपाठी रु० 908
			योग	12040

(सा०आ०सं०-41)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	12040.00	12040.00

प्रस्तर सं०-12—लेखा परीक्षा वर्ष 2018.19 में निम्न परियोजनाओं में मिट्टी भराई में 12.5 प्रतिशत सेटलमेंट ह्रास नहीं घटाया गया है जबकि मानक के अनुसार मिट्टी भराई में 12.5 प्रतिशत सेटलमेंट घटा कर मिट्टी मात्रा निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार वास्तविक मिट्टी मात्रा से 12.5 प्रतिशत ज्यादा मिट्टी मूल्य का भुगतान किया गया है। जिसके लिए संबंधित अवर अभियंतागण एवं अभियंता उत्तरदायी है। ज्यादा भुगतानित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है।

(सा०आ०सं०-42)

क.सं.	परियोजना का नाम	मिट्टी भराव अंकित	मिट्टी सेटलमेंट 12.5 प्रतिशत ह्रास जो नहीं घटाया गया	दर मिट्टी भुगतान	ज्यादा भुगतान
1	कपिया शुक्ल पिच के दक्षिण दिशा से कपिया शुक्ल गांव तक इ0 ला0	157.92 घनमी0	19.74 घनमी0	190.80	3766
2	कादिराबाद सुखई होटल से रेहरा सरहद तक इ0लाकिंग	107.24 घनमी0	13.4 घनमी0	190.80	2557
3	धनखरपुर पिच रोड गांव तक इ0लाकिंग	290.76 घनमी0	36.28 घनमी0	190.80	6159
4	मुख्य मार्ग पर भानपुर महजिदिया गांव तक इ0 लाकिंग	80.78 घनमी0	10.22 घनमी0	190.80	1950
5	धेसापारा पिच मार्ग से खरगौसा संपर्क मार्ग पुराने इ0ला0 से आगे इ0 लाकिंग	272.20 घनमी0	34.02 घनमी0	190.80	6491
6	मुख्य मार्ग से सोनबरसा गांव के मार्ग तक इ0 लाकिंग	160 घनमी0	20 घनमी0	190.80	3816
7	महतिनिया खुर्द पी0डबलू0डी0 रोड से शिव मंदिर तक इ0 ला0	694.80 घनमी0	86.85 घनमी0	190.80	16571
8	चौखडा संपर्क मार्ग से कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड	279.60 घनमी0	34.95 घनमी0	190.80	6654
9	रमवापुर उर्फ नेबुआ संपर्क मार्ग पर इ0 लाकिंग	206.85 घनमी0	25.85 घनमी0	190.80	4934
10	पी0डबलू0डी0 रोड से पिपरा कानुनगो गांव तक	120.96 घनमी0	15.12 घनमी0	190.80	2885
11	बांसी बस्ती मार्ग से छरहटा संपर्क मार्ग पर इ0लाकिंग	204. घनमी0	25.5 घनमी0	190.80	4865
12	बेलाउख पक्की सडक मार्ग से बेलउख पासीडीहा ग्राम को जोडना इ0लाकिंग	143 घनमी0	17.87 घनमी0	190.80	3410
13	पिच मार्ग से ग्राम परसा जमाल जाने वाले सडक पर इ0लाकिंग	199.58 घनमी0	24.99 घनमी0	190.80	4760
14	तरकुलहा पिच मार्ग से छोटकी हरैया मार्ग पर इ0लाकिंग	514. घनमी0	64.25 घनमी0	190.80	12259
15	चौखडा सी सी रोड चौखडा हरिजन आबादी तक इ0लाकिंग	353.22 घनमी0	44.15 घनमी0	190.80	8424
16	डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट मार्ग से मिश्रौलिया हिन्दू शमशान घाट होते औसानपुर सरहद तक इ0 लाकिंग	595.29 घनमी0	74.41 घनमी0	190.80	14198
17	ग्राम आजादनगर पिच रोड से ग्राम पचली जाने वाली रास्ते पर इ0लाकिंग	127.30 घनमी0	15.91 घनमी	190.80	3036
18	सिकहरा गाँव के संपर्क मार्ग पर इ0 लाकिंग	301.68 घनमी0	37.71 घनमी0	190.80	7195
19	टिकरिया संपर्क मार्ग से गांव इ0लाकिंग	312 घनमी0	39 घनमी0	190.80	7441
20	ग्राम धधुआ पिच से ग्राम मिरगा रोड परइ0 लाकिंग	318.84 घनमी0	39.75 घनमी0	190.80	7584
21	बांसी डुमरियागंज मार्ग से बरगदवा शिवानी इंटर कालेज तक इ0लाकिंग	355.38 घनमी0	44.42 घनमी0	190.80	8475
22	कोल्हुआ संपर्क मार्ग से उचडीह संपर्क मार्ग पर इलाकिंग	307.90 घनमी0	38.49 घनमी0	190.80	7344
				योग	144774

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

—	—	144774.00	144774.00

प्रस्तर सं०-13-वर्ष 2018.19 में निम्नलिखित पुलिया निर्माण कार्य की पत्रावलियों को देखने से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि निम्न परियोजनाओं में अर्थ वर्क फाउण्डेशन वर्क से खुदाई कर निकाली गई मिट्टी की मात्रा को डाईवर्जन / एपोच में मापन किए गए मिट्टी की मात्रा से नहीं घटाया गया है एवं डाईवर्जन/ एपोच में लगे कुल मिट्टी मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। जबकि खुदाई से निकाली गई मिट्टी को डाईवर्जन/ एपोच मिट्टी भराई में लगी मिट्टी की मात्रा से घटाकर शेष मिट्टी का ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इस ज्यादा भुगतान हेतु संबंधित अवर अभियंतागण एवं अभियंता उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम एवं अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण गंभीर है ।

(सा०आ०सं०-43)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एपोच/डाईवर्जन में लगी मिट्टी की मात्रा		फाउण्डेशन वर्क खुदाई से निकाली गयी मिट्टी की मात्रा	भुगतान किया गया मिट्टी मात्रा	ज्यादा भुगतान मिट्टी मात्रा	दर	ज्यादा भुगतान
		एपोच	डाईवर्जन					
1	सहहुल्लाहपुर से तरैना के बीच सड़क मार्ग पर आरसीसी पुलिया	1365 घनमीटर	—	97.56 घनमीटर	1365 घनमी०	97.56 घनमी०	190.80	18614
2	मनोहरपुर में स्थाल की पुलिया	68.25 घनमीटर	—	62.34 घनमी	68.25 घनमी०	62.34 घनमी०	190.80	11894
3	पोखरभिटवा शमशान घाट के रास्ते पर वरदहिया के पास पुलिया	294 घनमी०	—	54.87 घनमी	294 घनमी०	54.87 घनमी०	190.80	10469
4	तकीयवा गांव बंधे के उत्तर स्थान की पुलिया	673.7 घनमी०	—	35.79 घनमी	673.7 घनमी०	35.79 घनमी०	190.80	6829
5	जंगलीपुर गांव के दक्षिण मूरली के खेत के पास धौरहरा जान वाली सड़क पर स्थान पुलिया	82.70 घनमी०	—	25.93 घनमी	82.70 घनमी०	25.93 घनमी	190.80	4947
6	परसा दीवान में अकडहरा मार्ग पर पुलिया	96 घनमी०	56 घनमी०	71.13 घनमी०	152 घनमी०	71.13 घनमी०	190.80	13572
7	डेगहर से पूरब की तरफ काली माई के मंदिर के सड़क पर पुलिया	120 घनमी०	—	34.42 घनमी०	120 घनमी०	34.42 घनमी०	190.80	6567
8	ग्राम सवाडाड से ग्राम पिपरा मार्ग पोखरा के पास पुलिया	70 घनमी०	275 घनमी०	80.33 घनमी०	345 घनमी०	80.33 घनमी०	190.80	15327
9	वि० खंड बढनी ग्राम अकरहा में नाले पर पुलिया	182 घनमी०	33.47 घनमी०	53.89 घनमी०	215.47 घनमी०	53.89 घनमी०	190.80	10282
10	ग्राम पकडिहवा मार्ग से मिठवनिया संपर्क मार्ग पर पुलिया	96 घनमी०	63 घनमी	71.13 घनमी०	159 घनमी०	71.13 घनमी०	190.80	13572
11	सिकरी दुल्हा मार्ग से महदेइया संपर्क मार्ग पर पुलिया	98.10 घनमी०	130 घनमी०	54.90 घनमी०	228.10 घनमी०	54.90 घनमी०	190.80	10475
12	ग्राम पं० गजहडा संपर्क मार्ग में पुलिया	261 घनमी०	682 घनमी०	65.61 घनमी०	943 घनमी०	65.61 घनमी०	190.80	12518

13	जोगिया चौराहे से योगमाया मंदिर जाने वाले मार्ग पर पुलिया	206.72 घनमी०	211.05 घनमी०	75.73 घनमी०	418.45 घनमी०	75.73 घनमी०	190.80	14449
							योग	149515

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	149515.00	149515.00

प्रस्तर सं०-14—राज्य वित्त परियोजना ग्राम अवदहीकला गांव से पूरब इ० लाकिंग के निर्माण पत्रावली को देखने से यह गंभीर तथ्य ज्ञात हुआ कि प्राकलन में परियोजना की लम्बाई 303 मी० एवं चौड़ाई 3 मीटर अंकित है। जिसमें मिट्टी भराई 181.80 घनमीटर एवं पटरी पर मिट्टी भराई 22.73 घनमीटर का प्राकलन अंकित है। प्राकलन के सापेक्ष मापन में कुल 285 मीटर लम्बाई में इ० लाकिंग कराकर कार्य समाप्त कर दिया गया। जिसके सापेक्ष मापन संख्या 169/190-192/01.07.2018 में श्री बिनोद कुमार अवर अभियंता द्वारा 140 मीटर लम्बाई में मिट्टी भराई, बालू भराई, ईट कार्य, जी एस बी एवं इन्टरलाकिंग का मापन करने के उपरांत प्रस्तावित लागत का भुगतान किया गया। इस 140 मीटर लम्बाई मापन में कुल मिट्टी भराई 80 घनमीटर अंकित है। फिर श्री गौरव प्रकाश गौतम अवर अभियंता द्वारा मापन 197/164-167 दिनांक 23.12.2018 में 250 मीटर लम्बाई में 262.20 घनमीटर मिट्टी भराई अंकित करके 80+262.20 कुल 342.20 घनमीटर मिट्टी कार्य अंकित है। इस प्रकार इ० लाकिंग कार्य की कुल लम्बाई 285 मीटर के सापेक्ष मिट्टी भराई की लम्बाई 390 मीटर गलत ढंग से अंकित कर परियोजना की मापित कुल लम्बाई से 105 मीटर ज्यादा मापन अंकित करके रु० 42371 का अनियमित भुगतान गया है। जिसके लिए अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम एवं अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली अवर अभियंता श्री गौरव प्रकाश गौतम एवं अभियंता श्री रामाश्रय प्रसाद से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है।

(सा०आ०सं०-44)

विवरण निम्न है—

मद	प्राकलन में प्रावधान	मापन में अंकित	अंतर	दर प्रति घनमीटर	धनराशि
सड़क पर मिट्टी भराई	181.80 घनमी०	342.20 घनमी०	160.40 घनमी०	190.80	30604
पटरी पर मिट्टी भराई	22.73 घनमी०	84.40 घनमी०	61.67 घनमी०	190.80	11767
	204.53	426.60	222.07	190.80	42371

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	42371.00	42371.00

प्रस्तर सं०-15—निम्न परियोजनाओं के पत्रावलियों को देखने से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इन परियोजनाओं में सोलिंग पर जी० एस० बी० की उँचाई 0.075 मीटर से ज्यादा का मापन कर भुगतान किया गया है, जबकि अन्य सभी परियोजनाओं में पी०डब्लू०डी० मानक के अनुसार सोलिंग पर जी०एस० बी० की उँचाई 0.075 मीटर ही अंकित है। इस प्रकार निम्न परियोजनाओं में जी० एस० बी० की उँचाई पी०डब्लू०डी० मानक से ज्यादा अंकित कर वास्तविक से ज्यादा मापन दर्शाकर वास्तविक लागत से ज्यादा भुगतान किया गया है। जिसके लिए संबंधित अवर अभियंतागण एवं अभियंता उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है।

(सा०आ०सं०-45)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अंकित उँचाई जीएसबी	अंकित मापन के अनुसार जीएसबी	मानक के अनुसार जीएसबी कुल घनमी	अंतर जी०एस०बी घनमीटर	जी० एस०बी० दर प्रति घनमीटर	ज्यादा भुगतान धनराशि

			कुल घनमीटर				
1	बासाबडेडिह से मजार सरीफ तक सीसी रोड निर्माण	0.10 मीटर	46.32 घनमी 21 शत प्रतिशत अनड्यूलेषन सहित	34.93 घनमीटर 21 शत प्रतिशत अनड्यूलेषन सहित	11.39 घनमी	3889	44296
2	चौखडा सी0सी रोड से हरिजन आबादी क इ0 लाकिंग	0.10 मीटर	31.80 घनमी	23.50 घनमी	8.30 घनमी	3889	32279
3	विस्कोहर सी0 सी0 रोड से डिहवा तक इ0लाकिंग	0.10 मीटर	25.11 घनमी	18.83 घनमी	6.28 घनमी	3889	24423
4	चोरथरी गांव से बाहर पुल की तरफ सी0सी कार्य	0.125 मीटर	27.15 घनमी	16.25 घनमी	10.9 घनमी	3889	42390
						योग	143388

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितत	योग
—	—	143388.00	143388.00

प्रस्तर सं०-16—निम्न परियोजनाओं के पत्रावलियों को देखने से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि निम्न परियोजनाओं में मिट्टी भराई के बाद जी० एस० बी० की उँचाई 0.10 मीटर से ज्यादा का मापन एवं भुगतान किया गया है, जबकि अन्य सभी परियोजनाओं में पी०डबलू०डी० मानक के अनुसार मिट्टी पर जी०एस० बी० की उँचाई 0.10 मीटर ही अंकित है। इस प्रकार निम्न परियोजनाओं में जी० एस० बी० की उँचाई पीडब्लूडी मानक से ज्यादा अंकित कर वास्तविक से ज्यादा मापन दर्शाकर रू० 206116 ज्यादा भुगतान किया गया है। जिसके लिए अवर अभियंता एवं अभियंता उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है।

(सा०आ०सं०-46)

विवरण निम्नवत है—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अंकित उँचाई जीएसबी	अंकित मापन के अनुसार जीएसबी कुल घ०मी	मानक के अनुसार जीएसबी कुल घ०मी	अंतर जी०एस०बी घन मीटर	जी०एस० बी० दर प्रति घनमी	ज्यादा भुगतान धनराशि
1	तरकुलहा पिच मार्ग से छोटकी हरैया संपर्क मार्ग पर इ०लाकिंग	0.125 मीटर	56.80 घनमी०	45 घन०मीटर	11.8 घन०मी०	3889	45890
2	जम्हरिया हडहवा पिच मार्ग से अधियारी गांव जू० हा० स्कूल होते हुए खेतवल मिश्र संपर्क मार्ग पर इ०लाकिंग	0.125 मीटर	51.44 घनमी०	41.00 घनमी०	10.44 घ०मि०	3889	40601
3	डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट मार्ग से मिश्रौलिया हिन्दू शमशान घाट होते औसानपुर सरहद तक	0.125 मीटर	56.07 घनमी०	44.55 घनमी०	11.52 घन०मी०	3889	44801

	इ0ला0						
4	देवरा पक्की सडक से मसिना संपर्क मार्ग पर इ0लाकिंग	0.125 मीटर	53.69 घनमी0	42.50 घनमी	11.19 घनमी0	3889	43518
5	ग्राम धधुआ पिच से ग्राम मिरगा रोड पर इ0 लाकिंग	0.125 मीटर	40.25 घनमी0	32.20 घनमी0	8.05 घनमी0	3889	31306
						योग	206116

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	206116.00	206116.00

प्रस्तर सं0-17—लेखा परीक्षा में दुकान किराया रजिस्टर की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिला पंचायत के विभिन्न विकास खंडों में स्थित दुकानों को आवंटित किया गया है। जिनसे नियमानुसार प्रत्येक माह किराया वसूल किया जाना था। परन्तु कई आवंटियों द्वारा विगत कई वर्षों से किराया जमा नहीं किया जा रहा है। जिससे जिला पंचायत को राजस्व की क्षति हो रही है। जबकि आवंटन अनुबंध के अनुसार लगातार तीन महीने किराया न देने वाले आवंटियों से दूकान खाली कराने का प्रावधान है। उक्त नियम का कड़ाई से पालन करके किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा किराया वसूल न होने की समस्त जिम्मेवारी पटल सहायक, कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी की है। विवरण निम्नलिखित है।

(सा0आ0सं0-24)

क.सं.	आवंटी का नाम	दूकान नाम एवं संख्या	31.03.19 को बकाया धनराशि	बकाया विवरण
1	श्री रणविजय सिंह	डुमरियागंज पुरानी दुकान 12	25787	3 वर्ष 6 माह से
2	श्री रमेश चंद्र अग्रहरी	डुमरियागंज पुरानी दुकान सं0 13	17750	1 वर्ष 6 माह से
3	श्री तरकीब हसन	डुमरियागंज नई दुकान सं0 16	16974	2 वर्ष 3 माह से
4	श्री ओमप्रकाश मिश्र	डुमरियागंज नई दुकान सं0 17	21177	2 वर्ष 11 माह से
5	श्री मो0 अली अब्बास	डुमरियागंज नई दुकान सं0 19	20356	2 वर्ष 7 माह से
6	श्री रफातुल्लाह	डुमरियागंज नई दुमान सं0 27	23750	3 वर्ष 3 माह से
7	श्री ललित कुमार	डुमरियागंज नई दुमान सं0 31	13748	1 वर्ष 11 माह से
8	श्री सैयर वजीर हैदर	डुमरियागंज नई दुमान सं0 48	26843	3 वर्ष 8 माह से
9	श्री नजीर अहमद	डुमरियागंज नई दुमान सं0 55	22976	3 वर्ष 2 माह से
11	श्री अली हैदर	डुमरियागंज नई दूकान सं0 74	18543	2 वर्ष 6 माह से
12	श्री शकील	डुमरियागंज नई दूकान सं0 75	31545	4 वर्ष 4 माह से
13	श्रीमति पुष्पा श्रीवास्तव	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 2	16289	2 वर्ष 11 माह से
14	श्री मो0 जहीर	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 4	16003	4 वर्ष 3 माह से
15	श्री संतोष कुमार अग्रहरी	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 11 एवं 12	14825	2 वर्ष
16	श्री ओमप्रकाश मिश्र	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 17	36389	6 वर्ष 6 माह से
17	श्री शाहिल रिजवी	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 22	41389	7 वर्ष 4 माह से
18	श्री शिवबालक	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 25 एवं 26	18678	2 वर्ष 1 माह से
19	श्री मो0 मुश्तफा	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 28 एवं 29	12489	1 वर्ष 8 माह से
20	श्रीमति मेहरु निशा	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 31 एवं 32	82778	7 वर्ष 4 माह से
21	श्रीमति पुष्पा	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 33 एवं	46185	4 वर्ष 1 माह से

	श्रीवास्तव	34		
22	श्रीमति तसकीम फातीमा	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 35	41389	7 वर्ष 4 माह से
23	श्री अजय कुमार गुप्ता	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 38	21188	4 वर्ष 8 माह से
24	श्री जावेद अहमद	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 41	17250	3 वर्ष 10 माह से
25	श्री पटेश्वरी प्रसाद वर्मा	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 42	41389	7 वर्ष 4 माह से
26	श्री अब्दूल हई	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 43	17250	3 वर्ष 10 माह से
27	श्री मुजीब	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 44	17250	3 वर्ष 10 माह से
28	श्री मो0 गुफरान	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 46	17250	3 वर्ष 10 माह से
29	श्री शिवपूजन लाल	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 47	17250	3 वर्ष 10 माह से
30	श्री हरपाल सिंह भाटिया	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 48 एवं 49	34500	3 वर्ष 10 माह से
31	श्री अतुल कु0 श्रीवास्तव	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 50	17250	3 वर्ष 10 माह से
32	श्री एनुल हक	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 51 एवं 52	34500	3 वर्ष 10 माह से
33	श्री विष्णु बिहारी श्रीवा0	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 53	17250	3 वर्ष 10 माह से
34	श्रीमति निलम	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 54	17250	3 वर्ष 10 माह से
35	श्री श्रवण कु0 चौरसिया	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 58	17250	3 वर्ष 10 माह से
36	श्री अवधेष प्रताप सिंह	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 59	17250	3 वर्ष 10 माह से
37	श्री महेन्द्र प्रताप गुप्ता	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 63	17250	3 वर्ष 10 माह से
38	श्री प्रेमशंकर श्रीवास्तव	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 64	17250	3 वर्ष 10 माह से
39	श्री योगेश चंद	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 65	17250	3 वर्ष 10 माह से
40	श्री शेराल अहमद	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 66	41389	7 वर्ष 8 माह से
41	श्री विशाल कृष्ण श्रीवा0	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 67	17250	3 वर्ष 10 माह से
42	श्री आलोक कु0 श्रीवा0	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 69	17250	3 वर्ष 10 माह से
43	श्री राजेश कुमार श्रीवा0	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 70	17250	3 वर्ष 10 माह से
44	श्री संजय श्रीवा0	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 71	17250	3 वर्ष 10 माह से
45	श्री अष्टभूजा	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 72	17250	3 वर्ष 10 माह से
46	श्री अनिरुद्ध सिंह	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 73 एवं 74	34500	3 वर्ष 10 माह से
47	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 75 एवं 76	34500	3 वर्ष 10 माह से
48	श्री रामाशीष यादव	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 77	11438	2 वर्ष 7 माह से
49	श्री धीरेन्द्र प्रताप	डुमरियागंज उपरी तल दुकान सं0 78	11438	2 वर्ष 7 माह से
50	श्री कौशल किशोर सिंह	इटवा दुमान सं 2	20000	2 वर्ष 9 माह से
51	श्री सुरजीत सिंह	इटवा दुमान सं 4	27163	3 वर्ष 8 माह से
52	श्री रामकुबेर उपाध्याय	इटवा दुकान सं0 5	18148	2 वर्ष 6 माह से
53	श्री चन्द्र प्रकाश दूबे	इटवा दुकान सं0 6	38116	5 वर्ष 2 माह से
54	श्री ध्यामसुन्दर	इटवा दुमान सं0 9	55975	7 वर्ष 6 माह से
55	श्रीमति सेहरुनिशा	इटवा दुकान सं0 12 एवं 13	19970	1 वर्ष 4 माह से
56	श्री चन्द्र प्रकाश दूबे	इटवा दुकान सं0 15	13743	1 वर्ष 10 माह से
57	श्री मंगलाप्रसाद	शोहरतगढ दुकान सं0 1	29210	4 वर्ष से

	त्रिपाठी			
58	श्री रामलखन मिस्त्री	शोहरतगढ दुकान सं० 4	28721	3 वर्ष 11 माह से
59	श्री योगेन्द्र सिंह	शोहरतगढ छात्रावास 1	15159	2 वर्ष 7 माह से
60	श्री सुरेन्द्र कुमार	वर्डपुर जू.हा. स्कूल दुकान सं० 19	7472	1 वर्ष से
61	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	वर्डपुर जू.हा.स्कूल दुकान सं० 20 एवं 21	18875	1 वर्ष 8 माह से
62	श्री अनिल विश्वकर्मा	मानव अस्पताल बांसी गैलरी नं 1	23500	6 वर्ष 5 माह से
63	श्री अनिल विश्वकर्मा	मानव अस्पताल बांसी 7×18 फूट भूमि	14922	6 वर्ष 5 माह से
64	श्री रामलखन पाठक	मानव अस्पताल बांसी खपरैल आवास	23196.00	6 वर्ष 4 माह से
65	श्री विनय सिंह	नौगढ कार्यालय कैम्पस दुकान सं० 1	43387.00	7 वर्ष 5 माह से
66	श्री मिथिलेश कुमार	नौगढ कार्यालय कैम्पस दुकान सं० 2	7952.00	1 वर्ष 4 माह से
67	श्रीमति जुबैदा खातुन	नौगढ कार्यालय कैम्पस नई दुकान सं 2	19500.00	1 वर्ष 8 माह से
68	श्री अनिल कुमार मित्तल	नौगढ कार्यालय कैम्पस नई दुकान सं 3	7000.00	7 माह से
69	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	नौगढ कार्यालय कैम्पस नई दुकान सं 5	12000.00	1 वर्ष से
70	श्री रवि श्रीवास्तव	नौगढ कार्यालय कैम्पस नई दुकान सं 9 गैलरी	24000.00	2 वर्ष 6 माह से
71	श्री अल्ताफ अहमद	जू0हाई0स्कूल नौगढ दुकान सं० 2	8664.00	1 वर्ष 2 माह से
72	श्री अली राजा	जू0हाई0स्कूल नौगढ दुकान सं० 8	8619.00	1 वर्ष 2 माह से
73	श्रीमति सुरसती	जू0हाई0स्कूल नौगढ दुकान सं० 9	22875.00	3 वर्ष 1 माह से
		योग	1706656	

उपरोक्तानुसार बड़े बकायेदार के पास रु० 1706656 दुकान किराया बकाया है। स्पष्ट है दुकानों से किराया वसूली में लापरवाही एवं उदासिनता बरती जा रही है जिससे दुकानों से किराया वसूल नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए संबंधित सह० राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, कर अधिकारी, पटल प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उपरोक्त बकायादारों से दंड ब्याज सहित कड़ाई से किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिला पंचायत प्रशासन का ध्यान वसूली की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	1706656.00	—	1706656.00

सम्भाग—चित्रकूट प्रारूप—2 जिला पंचायत बांदा

प्रस्तर—1 जिला पंचायत द्वारा दिनांक 14-03-2019 को चिल्ला घाट में लाइट,टेन्ट, जनरेटर आदि का व्यय बाउचर नं० 889 के द्वारा धनराशि रु० 84795.00 का भुगतान किया गया। जिसमें निम्न लिखित गम्भीर आपत्तियाँ पायी गयी है—

- 1— धनराशि रु० 20000.00 से अधिक का भुगतान होने पर कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- 2— किसी भी जी०एस०टी० रजिस्टर्ड फर्म का प्रमाणक उपलब्ध न होने पर भी जी०एस०टी०, टी०डी०एस० की धनराशि रु० 1610.00 एवं टी०डी०एस० रु० 1437.00 तथा एक परसेन्ट लेबर सेस रु० 719.00 की कटौती की गयी है।
- 3— भुगतान फर्म के नाम न करके श्रीमती रीता सिंह को किया गया है।

जिला पंचायत द्वारा बिना प्रमाणक के किया गया उक्त भुगतान अनियमित व अपुष्ट रहा। टीडीएस व जीएसटी तथा लेबर सेस की अनियमिति कटौती करते हुए श्रीमती रीता सिंह के खाते में रु० 81029.00 का भुगतान वित्तीय नियमों के विपरीत अनियमित भुगतान किया गया है।

जिला पंचायत द्वारा किया गया उक्त भुगतान अनियमित एवं बिना प्रमाणक के अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन —अवर अभियंता श्री सुरेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियंता श्री सुरेश कुमार सिंह, लेखाकार श्री आत्माराम, अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्या एवं वित्त परामर्श दाता श्री बी०के० तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2— जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में ग्राम पैलानी में सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु संलग्न प्रमाणक संख्या— 549 दिनांक 29-12-2018 के द्वारा धनराशि रु0 101900.00 का भुगतान मेसर्स सोमिल कान्द्रैक्टर को किया जाना था। जबकि मे0 सोमिल कंपनी को 109900.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार धनराशि रुपए 8000.00 का अधिक भुगतान मेसर्स सोमिल कान्द्रैक्टर को किया गया है। उक्त अधिक भुगतान हेतु लेखाकार श्री आत्माराम जिम्मेदार हैं। अतः अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली उक्त ठेकेदार अथवा लेखाकार श्री आत्माराम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3—जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत जमरेही से बिलगांव खुरहण्ड सम्पर्क मार्ग का भुगतान बाउचर क्रमांक-728 के द्वारा दिनांक 12-02-2019 को धनराशि रुपए 1003800.00 का किया गया। जिला पंचायत द्वारा किए गए उक्त भुगतान में निम्नलिखित गंभीर आपत्तियाँ पाई गई—

- 1— उक्त कार्य का सत्यापन अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक— 29-12-2018 को किया गया।
- 2— उक्त कार्य हेतु सामग्री कय हेतु जारी रसीद एम0एम0 11 माह फरवरी-2019 की है इससे स्पष्ट है कि सामग्री कय किए बिना ही रनिंग बिल का भुगतान किया गया है।
- 3— पत्रावली में कराए कार्य की फोटो सहित अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि ठेकेदार को सामग्री कय करने के पूर्व ही धनराशि रुपए 1003800.00 में से आयकर रुपए 20077.00, जी0एस0टी0 टीडीएस रुपये 17926.00 श्रम कर रु0 8963.00 तथा ठेकेदार को धनराशि रुपए 956834.00 का भुगतान किया गया है। सामग्री में प्रयुक्त खनिज पदार्थ एम0एम0 11/एम0एम 09 प्रपत्र जारी करने वाले जनपद महोबा की जारी करने की तिथि माह फरवरी-2019 की है जबकि अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार द्वारा कार्य कि पैमाइश दिनांक— 29-12-2018 को सत्यापित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि बिना सामग्री कय किए ही कार्य का सत्यापन अवर अभियन्ता द्वारा करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। धनराशि 1003800.00 के अनियमित भुगतान हेतु मुख्य रुप से अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार, तत्कालीन-प्रभारी अधियंता श्री सुरेश कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री बी0के0 तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है, कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-02

जनपद—हमीरपुर

मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम, बांदा।

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर सं0— 01:—शासनादेश सं0— 623/33-2-2018-114 जी/2008 टी0सी0 दिनांक 15 फरवरी 2018 के द्वारा जिला पंचायतों को केवल उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाये खनिज परिवहन शुल्क वसूल किया जाये। इस प्रकार वर्ष 2018-19 के खनन परिवहन शुल्क के ठेका में विधिक अवरोध नहीं था। शासनादेश सं0-4009/33-2-16-43 जी/13 दिनांक 11 जनवरी 2016 द्वारा गत नीलामी पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये प्राप्त धनराशि पर ठेका दिये जाने के निर्देश थे। इस प्रकार ई-निविदा की न्यूनतम धनराशि 2.13 करोड़ संस्था द्वारा निर्धारित की गयी। वर्ष 2018-19 के खनन के ठेके में निम्न गंभीर आपत्तियां पायी गयी।

- (1) वर्ष 2018-19 के 08 माह 15 दिन खनन का ठेका नहीं उठाया गया, जिस कारण संस्था को भारी क्षति उठानी पड़ी।
- (2) वर्ष 2018-19 के अन्तिम 03 माह 15 दिन खनन का ठेका श्री वीरेन्द्र सिंह ठेकेदार पार्टनर श्री राजनारायन तेरहीमाफी तिन्दवारी बाँदा को मु0— 55,60,000.00 रुपये में दिया गया।
इस प्रकार 2.130 करोड़ वर्ष 2017-18 में 1.84 करोड़ का ठेका उठा था उस पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करके फिक्स किया गया। — 0.556 करोड़ वर्ष 2018-19 में उठाया गया ठेका, खनन अन्तर — 1.574 करोड़।
इस प्रकार मु0— 1.574 करोड़ रुपये की हानि संस्था को उठानी पड़ी।
- (3) उपरोक्त धनराशि की वसूली रसीद निर्गत कराकर नहीं की गयी जो आपत्तिजनक है, जबकि अनुबन्ध में स्पष्ट प्राविधान था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 02:-पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश सं०- 858/33-2-96-57 डब्लू/91 दिनांक 30 मार्च 1996 की संशोधित व्यवस्था के अनुसार जिला पंचायत में मृत पशु शव विच्छेदन की रायल्टी की धनराशि विगत 03 वर्षों के औसत वार्षिक आय अथवा गतवर्ष की आय जो भी अधिक हो के बराबर निर्धारित कर आगामी वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित की जाये।

आलोच्य वर्ष 2018-19 में हड्डी चमड़ा/मृत पशु शव विच्छेदन के ठेके निम्न विवरणानुसार ब्लाकवार उठाये गये हैं।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2017-18 की रायल्टी की धनराशि	10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद की धनराशि	वर्ष 2018-19 में उठाये गये ठेके की धनराशि	अन्तर/हानि की धनराशि
1	राठ	32,500.00	35,750.00	12,500.00	23,250.00
2	गोहाण्ड	32,500.00	35,750.00	12,500.00	23,250.00
3	सरीला	32,500.00	35,750.00	1,00,000.00	25,750.00
4	मुस्कुरा	50,000.00	55,000.00	20,000.00	35,000.00
5	मौदहा	1,00,000.00	1,10,000.00	30,000.00	80,000.00
6	सुमेरपुर	2,00,000.00	2,20,000.00	2,15,000.00	5,000.00
7	बुरारा	32,500.00	35,750.00	10,000.00	25,750.00
योग -		4,80,000.00	5,28,000.00	3,10,000.00	2,18,000.00

गतवर्ष 2017-18 की आय विगत 03 वर्षों के औसत आय से अधिक है। उपरोक्त ठेके पर निम्न आपत्तियां पायी गयी।

- (1) क्रमांक 06 पर अंकित सुमेरपुर विकास खण्ड का ठेका केवल मृत पशु विच्छेदन सहकारी समिति सुमेरपुर को दिया गया है शेष 06 विकास खण्डों का ठेका चमड़ा व्यवसायियों को दिये गये हैं। जबकि प्राथमिकता के आधार पर मृत पशु विच्छेदन सहकारी समितिको दिया जाना चाहिये था।
- (2) आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पंजीकृत मृत पशु विच्छेदन सहकारी समितियों एवं चमड़ा व्यवसाय करने वाली समितियों की कोई सूची जाँच/पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जो अपेक्षित थी, साथ ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो अपेक्षित था।

क्रमांक 06 को छोड़कर सभी ठेके निर्धारित रायल्टी की धनराशि से बहुत कम धनराशि पर ठेके दिये गये हैं। आलोच्य वर्ष 2018-19 में निर्धारित रायल्टी की धनराशि से कम पर ठेके दिये जाने के कारण संस्था को 2,18,000.00 रुपये की हानि हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 03 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 में अवशेष किराया दुकान/भवन, चालू वर्ष की माँग वर्ष में वसूल तथा वर्षान्त में अवशेष किराया की स्थिति निम्नवत् रही।

क्र० सं०	स्थित दुकाने/भवन	01.04.2018 को प्रा० अवशेष	चालू वर्ष की माँग	कुल माँग	वर्ष में वसूल	वर्षान्त में
1	हमीरपुर	23,75,968.00	4,75,037.00	28,51,005.00	3,40,542.00	25,10,463.00
2	मौदहा	6,16,716.00	1,85,231.00	9,01,947.00	3,60,230.00	4,41,717.00
3	मुस्कुरा	4,23,495.00	96,060.00	5,19,555.00	2,10,840.00	3,08,715.00
4	राठ	3,96,377.00	1,14,002.00	5,10,379.00	88,155.00	4,22,224.00
योग -		38,12,556.00	8,70,330.00	4682886.00	9,99,767.00	36,83,119.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2019 को अवशेष/बकाया किराया मु०- 36,83,119.00 रुपये रहा। जो कि जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों की वसूली के प्रति उदासीनता व लापरवाही का संकेत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 04 :-शासनादेश सं०- 1/2017 सी०ए०-400/10-2013-मित०-1/2017 दिनांक 24.10.2017 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उन्हें मु०- 800.00 रुपये प्रतिमाह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बन्धित मद में जिससे किराया दिया जाता है जमा किया जाना चाहिये। किन्तु जिला पंचायत हमीरपुर में वर्ष 2018-19 में कोई भी वाहन कटौती की धनराशि जमा नहीं की गयी। अतः दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक 12 माह की कुल धनराशि मु०- 9,600.00 रुपये की

कटौती की धनराशि तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०— 05 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 21.11.2018 को व्यय प्रमाणक संख्या 37 के द्वारा जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ को वाहन किराया/डीजल का भुगतान रु०— 31,970.00 किया गया है। इससे सम्बन्धित शासनादेश/आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं करायी गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-2

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद—बहराइच

मण्डल—देवीपाटन

जिला पंचायत बहराइच वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या—

1. मनवरिया गांव से निबिया गांव सम्पर्क मार्ग तक सोलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं० 76 दिनांक 05.11.18 से रु० 1044030.00 एवं बिल सं० 73 दिनांक 08.01.19 से रु० 165347.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी —

1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मात्र मेसर्स श्री सरताज ट्रेडर्स की निविदा प्राप्त रही जो विभागीय दर से 0.05 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। जबकि तकनीकी अर्हता प्रपत्र में एस०के०का० क्र० का नाम भी अंकित किया गया है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार हवील ट्रैक नहीं पाया गया। जबकि इस्टीमेट में इस पर 216 घनमी० मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है।

इस प्रकार 216 घनमी०, रु० 107.00 प्रति घनमी० की दर से रु० 23112.00 का व्यय संदिग्ध है।

3. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार साइड पैट्रेस पर मिट्टी नहीं डाली गयी। जबकि इस्टीमेट में इस पर 132.60 घनमी० मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है।

इस प्रकार 132.60 घनमी०, रु० 107.00 प्रति घनमी० की दर से रु० 14188.00 का व्यय संदिग्ध है।

4. मिट्टी के कार्य में स्लोप नहीं लिया गया है।

5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०—54)

2. ग्राम सभा इमलिया के नैपुरा में सुन्दर के खेत से मन्नी के घर तक सोलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं० 115 दि० 26.09.18 से रु० 804137.00 एवं बिल सं० 62 दि० 26.10.18 से रु० 193861.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी —

1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.02 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ कार्य पूर्ण होने के बाद का ही प्राप्त रहा। कार्य से पूर्व का फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं लगाया गया है जिससे हवील ट्रैक की जानकारी नहीं हो सकी। जबकि इस्टीमेट में इस पर 162 घनमी० मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 162 घनमी०, रु० 107.00 प्रति घनमी० की दर से रु० 17334.00 का व्यय संदिग्ध है।

3. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार साइड पैट्रेस नहीं पाया गया। जबकि इस्टीमेट में इस पर 97.44 घनमी० मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 97.44 घनमी०, रु० 107.00 प्रति घनमी० की दर से रु० 10426.00 का व्यय संदिग्ध है।

4. मिट्टी के कार्य में स्लोप नहीं लिया गया है।
 5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है।
उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-55)
3. ग्राम हसुलिया के मजरा महादेवा में खैरीपुरवा जाने वाले मार्ग खड़ण्जा से मेन रोड़ गौरा पिच रोड़ तक सोलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 32 दि0 12.09.18 से रू0 985149.00 एवं बिल सं0 44 दि0 02.11.18 से रू0 126732.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री राजकुमार यादव की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 3.81 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 2. कार्य के पूर्व एवं कार्य के समय का फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं लगाया है।
 3. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ, कार्य पूर्ण होने के बाद का ही प्राप्त रहा। कार्य से पूर्व का फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं लगाया गया है जिससे हवील ट्रेक की जानकारी नहीं हो सकी। जबकि इस्टीमेट में इस पर 243 घनमी0 मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 243 घनमी0, रू0 107.00 प्रति घनमी0 की दर से रू0 26001.00 का व्यय संदिग्ध है।
 4. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार साइड पैट्रेस नहीं पाया गया। जबकि इस्टीमेट में इस पर 130.56 घनमी0 मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 130.56 घनमी0, रू0 107.00 प्रति घनमी0 की दर से रू0 13970.00 का व्यय संदिग्ध है।
 5. मिट्टी के कार्य में स्लोप नहीं लिया गया है।
 6. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-56)
4. ग्राम पंचायत पिपरीमाफी सी0सी0 रोड़ से राम जानकी मंदिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 84 दिनांक 19.09.18 से रू0 422380.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री अनिरुद्ध प्रसाद ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.01 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 2. पत्रावली में कार्य के पूर्व का फोटोग्राफ नहीं पाया गया। कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ लगाया गया है। जिससे कार्य के पूर्व के रास्ते की स्थिति अज्ञात रही। जो आपत्तिजनक एवं संदिग्ध है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 3. पत्रावली में लगे तुलनात्मक विवरण में 4.28 लाख पर 0.010 प्रतिशत कम शिड्यूल रेट पर कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया है जबकि तुलनात्मक विवरण 4.23 लाख का होना चाहिए था।
 4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-57)
5. ग्राम सभा धर्मनपुर में नायब सिंह के आवास से मधुर सिंह के आवास तक सेलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 40 दिनांक 11.07.18 से रू0 795312.00 एवं बिल सं0 59 दि0 10.08.18 से रू0 352162.0 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्रीमती सावित्री देवी ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.52 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत

- की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
2. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ कार्य पूर्ण होने के बाद का ही प्राप्त रहा। कार्य से पूर्व का फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं लगाया गया है। जिससे कार्य की स्थिति संदिग्ध है।
 3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तों का प्रारूप अधूरा पाया गया जो आपत्तिजनक है।
 4. मिट्टी के कार्य में इस्टीमेट अनुसार 1402.69 घनमीटर रु0 107.00 प्रति घनमी0 की दर से रु0 150087.83 का व्यय दर्शाया गया है। जो कार्य के पूर्व के फोटोग्राफ के अप्राप्त होने की दशा में अप्रमाणित रहा।
 5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0-58)**
6. ग्राम पंचायत गंगापुर में नहर के पास आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण कार्य पर बिल सं0 61 दिनांक 24.07.18 से रु0 708617.00 एवं बिल सं0 81 दिनांक 19.09.18 से रु0 309740.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री एस0के0 कां0 कम्पनी की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.25 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 2. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार पुलिया का निर्माण रास्ते की ऊंचाई के बराबर ही कराया गया है। जिससे एप्रोच बनाने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि इस्टीमेट में इस पर 269.76 घनमी0 मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 269.76 घनमी0, रु0 107.00 प्रति घनमी0 की दर से रु0 28864.00 का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।
 3. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0-59)**
7. ग्राम सभा सखौता में मास्टर मो0 उमर के खेत से अटारी के खेत तक सोलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 57 दि0 10.08.18 से रु0 787752.00 एवं बिल सं0 79 दिनांक 20.09.18 से रु0 101428.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री रामफल वर्मा ठेकेदार की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से स्वीकृत की गयी। मात्र तीन निविदाएं ही प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 2. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ कार्य पूर्ण होने के बाद का ही प्राप्त रहा। कार्य से पूर्व का फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं लगाया गया है। जिससे कार्य की स्थिति संदिग्ध है।
 3. पत्रावली में लगाया गया ठेके की शर्तों का प्रारूप अधूरा पाया गया जो आपत्तिजनक है।
 4. मिट्टी के कार्य में इस्टीमेट अनुसार 848.66 घनमीटर रु0 107.00 प्रति घनमी0 की दर से रु0 90806.00 का व्यय दर्शाया गया है। जो कार्य के पूर्व के फोटोग्राफ के अप्राप्त होने की दशा में अप्रमाणित रहा।
 5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आ0सं0-60)**
8. ग्राम पंचायत झाला के मजरा चकैया में परशुराम यादव के खेत से राधेश्याम पाल के घर तक सोलिंग निर्माण कार्य पर बिल सं0 6 दि0 01.01.19 से रु0 575760.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मात्र 3 निविदाएं प्राप्त रही जिसमें मेसर्स श्री राजकिशोर दीक्षित की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.03 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र 3 निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 2. पत्रावली में प्राप्त कार्य के पूर्व के फोटोग्राफ अनुसार हवील ट्रेक नहीं पाया गया। जबकि

- इस्टीमेट में इस पर 119.48 घनमी० मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 119.48 घनमी०, रू० 137.00 प्रति घनमी० की दर से रू० 16368.76 का व्यय संदिग्ध है।
3. पत्रावली में प्राप्त फोटोग्राफ अनुसार साइड पैट्रेस पर मिट्टी नहीं डाली गयी। जबकि इस्टीमेट में इस पर 61.81 घनमी० मिट्टी का उपयोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 61.81 घनमी०, रू० 137.00 प्रति घनमी० की दर से रू० 8467.97 का व्यय संदिग्ध है।
 4. मिट्टी के कार्य में स्लोप नहीं लिया गया है।
 5. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-61)
9. ग्राम पंचायत भैंसाही में डामर रोड़ से शिवाला तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर बिल सं० 3 दिनांक 01.01.19 से रू० 456500.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में मात्र 3 निविदाएं ही प्राप्त रही जिसमें मेसर्स हरिगोविन्द सिंह की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.10 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र 3 निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 2. पत्रावली में प्राप्त कार्य के पूर्व के फोटोग्राफ अनुसार पहले से सोलिंग लगा था। कार्य पूर्ण होने के बाद का ही फोटोग्राफ लगाया गया है। जी.एस.बी. लगाते समय का फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं लगाया गया है जिससे जी.एस.बी. लगाने की जानकारी नहीं हो सकी। जबकि इस्टीमेट में इस पर 26.19 घनमी० जी.एस. बी. लगाया गया है। इस प्रकार 26.19 घनमी० रू० 4374.10 प्रति घनमी० की दर से रू० 114553.00 का व्यय संदिग्ध है।
 3. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 जून 2018 के चैप्टर 5 कण्क्रीट वर्क के क्र०सं० 4 व अनुसार पी.सी.सी. 1:2:4 का शिड्यूल ऑफ रेट 8770.00 रहा। जबकि इस्टीमेट में पी.सी.सी. कार्य रू० 8840.00 प्रति घनमी० की दर से दर्शाया गया है। जो आपत्तिजनक है।
 4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-62)
10. ग्राम पंचायत रमवापुर में इण्टरलाकिंग रोड़ से रमपुरवा गांव तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर बिल सं० 120 दिनांक 17.01.19 से रू० 253739.00 का भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी –
1. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में 3 निविदाएं ही प्राप्त रही। जिसमें मेसर्स एस.के. का० की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.10 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। मात्र 3 निविदाएं ही क्यों प्राप्त रही। स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
 2. पत्रावली में प्राप्त कार्य के पूर्व के फोटोग्राफ अनुसार पहले से सोलिंग लगा था। इण्टरलाकिंग के नीचे जी.एस.बी. लगाया गया है जबकि प्रतिवेदन में 48 मी० ल० एवं 2.54 मी० चौ० में कच्ची रोड़ पर 0.125 मी० जी.एस.बी. डालकर इण्टरलाकिंग लगाने की बात कही गयी है। जिससे स्पष्ट है कि बिना स्थलीय सत्यापन के इस्टीमेट तैयार किया गया। जो आपत्तिजनक एवं व्यय संदिग्ध है।
 3. अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 जून 2018 के चैप्टर 5 कण्क्रीट वर्क के क्र०सं० 4 व अनुसार पी. सी.सी. 1:2:4 का शिड्यूल ऑफ रेट 8770.00 रहा। जबकि इस्टीमेट में पी.सी.सी. कार्य रू० 8840.00 प्रति घनमी० की दर से दर्शाया गया है। जो आपत्तिजनक है।
 4. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर किया गया भुगतान जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6, 28 व 35 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है। उत्तरदायी

से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-63)

11. प्रमुख सचिव उ0प्र0 (पंचायत राज अनुभाग-03) के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर-3 के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। जिला पंचायत पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके अनियमितता की गयी है। जिला पंचायत द्वारा बहुत छोटे निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं। जबकि ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं। जिससे डुप्लीकेसी की संभावना बनी रहती है। झाला, इमलिया, नरौड़ा, हेमरिया, रामपुर कतर्निया, डिहवा, बमियावां, जगधरनगर, रामनगर, असवां, निधिनगर, उटघनियां में कार्य ग्राम पंचायतों में कार्य कराये गये हैं। अतः रु0 5201249.00 अनियमित भुगतान हेतु मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी तथा अभियन्ता उत्तरदायी रहे।

(आ0सं0-64)

12. ठेका पौण्ड पत्रावलियों की रैण्डम जांच में पाया गया कि अनुबन्ध किये जाने पर नीलामी की धनराशि पर रु0 125 प्रति हजार की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए थी किन्तु कम स्टाम्प पेपर लगाया गया है जो शासनादेश सं0 एस0आर0 2175/दस-500(112)/83 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग दिनांक 30 जून 1998 के लाभ पटित भारतीय स्टाम्प (उ0प्र0 संशोधन) अध्यादेश 1988 के अन्तर्गत संशोधित स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-बी के विरुद्ध है। सलीम पुत्र सहादत, अनीस अहमद पुत्र अब्दुल मजीद, गुलाम पुत्र सुभान, सिरताज पुत्र मासूम अली, मकबूल अहमद पुत्र रहमत अली, विनोद कुमार सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह, जुबेर खॉ पुत्र सद्दन खॉ, शब्बीर अहमद पुत्र मो0 इब्राहीम, नान्हे पुत्र अहमद जब्बार, तौफीक पुत्र मुन्ना में रु0 7951.00 कम स्टाम्प ड्यूटी लगा पाया गया जो नियम विरुद्ध रहा जिससे सरकार को रु0 7951.00 से स्टाम्प ड्यूटी/राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी।

अतः उक्त धनराशि रु0 7951.00 की ब्याज सहित वसूली अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-65)

प्रारूप-2

जिला पंचायत- बलरामपुर, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2018 -19

प्रस्तर संख्या-1 पंचायत बलरामपुर द्वारा वर्ष 2018-19 में ठेकेदारों के बिलों से कुल रु0 2740619.00 लेबर सेस की कटौती करके लेबर सेस खाता इलाहाबाद बंक बलरामपुर में जमा किया गया है। निर्माण कार्य पत्रावली की जांच से स्पष्ट रहा कि अवर अभियन्ता/अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य लागत 1 प्रतिशत लेबर सेस का लाभ देकर पुनः उनके बिलों के काटकर परोक्ष रूप से जिला पंचायत पर लेबर सेस का भार डाला गया है जबकि प्रमुख अभियन्ता (विकास) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक 9755 एम.टी./सामान्य वर्ग/40 एम.टी.- 45/2017, दिनांक- 19.12.2017 द्वारा आदेश के अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में रु0 2740619.00 का लेबर सेस भुगतान कर जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 वित्तीय वर्ष 2018-19 में जि.पंचायत बलरामपुर को कुल राजकीय अनुदान रु. 2635.35 लाख प्राप्त रहा तथा पूर्व अवशेष अनुदान सहित वर्ष में जमा कुल अनुदान पर रु. 9.82लाख ब्याज बैंक से प्राप्त हुआ। प्राप्त ब्याज सहित वर्ष का कुल अनुदान 2645.17 लाख रहा। जबकि जिला पंचायत द्वारा बी. आर.जी.एफ. का गत वर्ष का अवशेष अनुदान रु. 22.61लाख प्रयुक्त होने के उपरान्त शेष रही धनराशि को शासन को वापिस की जानी थी। किंतु जिला पंचायत द्वारा बी.आर.जी.एफ.की अवशेष धनराशि रु. 22.61 लाख शासन को वापस न करके जिला पंचायत के अन्य कार्यों में प्रयुक्त कर लिया गया जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, वित्त परामर्शदाता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 682बी/33-314(2)/84, दिनांक-10.03.1987 एवं 2203/3-2-787-43बी/(8)/95 टी.सी., दिनांक- 30.05.1997 के प्राविधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत शव निस्तारण से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु देय है।

जिला पंचायत बलरामपुर के राजस्व वसूली से संबंधित अभिलेखों एवं चतुर्थ त्रैमास माह मार्च 2019 के विवरण पत्र की जाँच में पाया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मृत पशु निस्तारण मद में वसूली गयी धनराशि रु०3.70लाख का 50 प्रतिशत रु०1.85 लाख कीधनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी, जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री हनुमान प्रसाद एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, जिला पंचायत बलरामपुर, का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 शासनादेश संख्या 315/10-2(9),दिनांक- 19.03.1997 के द्वारा सरकारी/स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसे अधिकारी जिन्हें राजकीय/संस्था वाहन (बोलेरो) आवंटित है, के वेतन से प्रतिमाह रु० 800.00 कटौती करके राजकीय कोष/जिलानिधि कोष में जमा करने का प्राविधान है लेकिन जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में अपर मुख्य अधिकारी को उपलब्ध कराये गये वाहन के लिए प्रतिमाह वेतन से रु०800.00 की कटौती करके जिला निधि में जमा नहीं किया गया है। अतः रु०9600.00 संस्था के उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री जी.के.सिंह से ब्याज सहित वसूल कर जिला निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा पटरी संरक्षण कार्य पर बेलदारों व मेट की मजदूरी का भुगतान रु.646835.00 किया जाना दर्शाया गया है जिसमें निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय रहा-

1. राज्य सरकार द्वारा वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत दिनांक 01.09.2008 से कर्मकारों के वेतन/मजदूरी का भुगतान संस्था द्वारा सीधे उनका खाता खुलवाकर किया जाना था किन्तु जिला पंचायत द्वारा समस्त कर्मकारों की मजदूरी का भुगतान अभियंता के नाम एक चेक जारी कर अभियंता द्वारा भुगतान किया गया है जो राज्य सरकार की वर्णित व्यवस्था के प्रतिकूल रहा।
2. जिला पंचायत द्वारा समस्त कार्य निविदा के आधार पर ठेकेदारों से कराया गया है किन्तु किस आधार पर पटरी कार्य अभियंता द्वारा मेट/मजदूर से कार्य कराया गया तथा भुगतान किया गया है।
3. दर्शित कार्य का कोई औचित्य एवं आधार स्पष्ट नहीं रहा। अतः लेखा परीक्षा अनुसार उक्त कार्य पर किया गया भुगतान पूर्णतया अनियमित रहा जिसके लिए अभियंता श्री राजेश कुमार मालवीय, अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं लेखाकार हनुमान प्रसाद उत्तरदायी रहे।

प्रस्तर संख्या-6 जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में कराये निर्माण कार्यों में अनेक कार्य जो विगत वर्षों में कराया गया था उसका अवशेष कार्य कराया गया है। संस्था द्वारा अवशेष कार्य में किये गये रु. 4665586.00 भुगतान के संबंध में निम्न आपत्तियाँ रहीं-

1. दर्शित अवशेष कार्य किस वर्ष में कराये गये, कार्य का अवशेष भाग है तथा पूर्व में कराये गये कार्य को अधूरा क्यों छोड़ा गया, स्पष्ट नहीं है तथा जब पूर्व में कराया गया कार्य पूर्ण नहीं रहा तो कार्य पूर्ण एवं संतोषजनक होने की रिपोर्ट अभियंता द्वारा देकर भुगतान किस आधार पर कराया गया, संदेहात्मक प्रतीत होता है।
2. सूची में दर्शित 05 लाख से अधिक निर्माण के भुगतान के संबंध में जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 में निहित प्रविधानों के अंतर्गत प्रान्तीय निर्माण खण्ड के अधीक्षण अभियंता स्तर से स्वीकृति नहीं ली गयी है।
3. चूँकि दस लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करने के उद्देश्य से जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा कराये गये कार्यों को टुकड़ों में बाँट कर कराया गया है जिससे उत्तर प्रदेश शासन से कार्य की स्वीकृति न प्राप्त करना पड़े।
4. क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा गठित समितियों का किसी भी स्तर पर किसी भी समिति जैसे- नियोजन एवं प्रशासनिक समिति, की स्वीकृत योजना निर्माण एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी है तथा भुगतान के समय कराये गये कार्यों को समितियों के संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही निर्माण समिति से संतोषजनक कार्य पूर्ण कराकर भुगतान करने की स्वीकृति ली गयी है।

उपर्युक्तानुसार जिला पंचायत द्वारा कराये गये अवशेष निर्माण कार्यों की नियमित पुष्टि नहीं होती है। उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7 जिला पंचायत परिसर में कम्युनिटी सेंटर बना है। कम्युनिटी सेंटर पर जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु. 1794680.00 धनराशि का व्यय किया गया जिसके संबंध में आपत्तियाँ निम्न रहीं-

1. शासनादेश संख्या 6685/23-06-20/ई.एम./1986, दिनांक- 30.09.1987 के अनुसार मिट्टी का कार्य कराने से पूर्व स्वीकृत संरेखण पर लेबल लेकर एल सेक्शन तथा क्रास सेक्शन बनाया जाना चाहिए तथा नजदीक से मिट्टी उपलब्ध न होने की स्थिति में मिट्टी ढुलाई की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी से ली जानी चाहिये। इसी आधार पर लीड तथा लिफ्ट का उल्लेख होना चाहिए परन्तु जिला पंचायत द्वारा उपर्युक्त प्रविधानों का पालन नहीं किया गया है अतः बिना शजरा एवं वारों एरिया प्लान के मिट्टी ढुलाई पर अनियमित व्यय किया गया है।
2. जिला पंचायत द्वारा कम्युनिटी सेंटर में मिट्टी भराई एवं रंगाई-पुताई में रु० 1794680.00 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किया गया उल्लेखनीय रहा कि कम्युनिटी सेंटर जिला पं. परिसर में बना है और उसका परिसर की जमीन जिला पं. परिसर की जमीन के लेबिल में है अलग से मिट्टी कहाँ भराई गयी, जबकि कम्युनिटी सेंटर के परिसर की जमीन आज भी ऊँची नहीं की गयी है। रंगाई-पुताई पर अत्यधिक धनराशि व्यय करना दर्शाकर न केवल वित्तीय गड़बड़ियाँ की गयी हैं अपितु राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 जिला पंचायत परिसर में स्थित अवर अभियंता आवास की मरम्मत व रंगाई-पुताई में रु० 898271.00 का व्यय किया गया है जबकि आवास विशेष में कार्य विशेष कराने का कोई औचित्य नहीं रहा परिसर के सभी आवासों का रखरखाव/मरम्मत सामान्य प्रक्रिया के अधीन की जाती है। अवर अभियंता आवास पर रु०8.98 लाख व्यय करना न केवल सन्देहास्पद रहा बल्कि वित्तीय अनियमितता का विशेष परिचायक है। जिसके लिए अवर अभियंता, अभियंता तथा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 जिला पंचायत परिसर द्वारा जिला पं. परिसर में मेन रोड के सामने बने दुकानों की मरम्मत पर रु०985474.00 का व्यय किया गया है जबकि दुकानों की मरम्मत में इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने का कोई औचित्य एवं आधार स्पष्ट नहीं है। उल्लेखनीय तो यह भी रहा कि इन दुकानों से जिला पं. को इतना किराया 5-7 वर्षों में भी नहीं मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानों की मरम्मत के नाम पर जिला पं. के फण्ड्स का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 माह सितम्बर- 2018 से श्री जी.के.सिंह अपर मुख्य अधिकारी के वेतन से मकान किराया भत्ता रु०370 बंद कर दिया गया तथा मकान किराया भत्ता रु०1890 वेतन में जोड़कर भुगतान किया गया है जबकि जिला पंचायत परिसर में अपर मुख्य अधिकारी का पदेन आवास है जिसमें अपर मुख्य अधिकारी अप्रैल-2018 से रह रहे हैं जिसका किराया उनके द्वारा अपने वेतन से रु०370.00 अप्रैल-2018 से की गयी है। उनके द्वारा अपर मुख्य अधिकारी का आवास छोड़ने का उद्देश्य तथा आवास खाली करने की तिथि का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट रहा कि उनके द्वारा अपर मुख्य अधिकारी आवास में रहते हुए किराया कटौती रु०370.00 बंद कर दिया गया तथा 1890.00 मकान किराया भत्ता भी लिया गया है। अतः माह-सितम्बर-2018 से माह-मार्च-19 तक $\text{रु० } 370 + 1890 = 2260 \times 7 \text{ माह} = 15820.00 \text{ रु०}$ की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है साथ ही साथ उक्त अनियमितता के लिए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जनपद का नाम – गोण्डा

मण्डल का नाम – देवीपाटन

नाम संस्था – जिला पंचायत गोण्डा वर्ष 2018-19

प्रस्तर- 1 जिला पंचायत गोण्डा की वर्ष 2018-19 को राज्य वित्त निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि परियोजनाओं पर अनुमानित लागत से अधिक व्यय कर संस्था को ₹0 800000.00 की क्षति पहुँचायी गयी है जो जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 एवं 16 का उल्लंघन है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल अभियन्ता श्री अभय सिंह तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री मनोज कुमार उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 05)

प्रस्तर- 2 अनुसचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 943/33-2-2017 दिनांक 08.05.2017 के अनुपालन में राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष जिला पंचायत गोण्डा द्वारा पूर्व निर्मित लेपन स्तर की सड़को को गढ़वा युक्त सामान्य मरम्मत एवं विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 172 कार्यों की कार्ययोजना लागत ₹0 733.83 लाख की उ0प्र0 ग्राम सड़क सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 के आधार पर तैयार की गयी। जिसमें से 65 परियोजनाएँ वर्ष 2018.19 में पूर्ण की गयी है। जिस पर ₹0 31437000.00 व्यय किया गया है। मुख्य सचिव उ0प्र0 के शासनादेश सं0 2392/23-1-2013-72-सा0/12 दिनांक 22.11.2013 जो उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 का उल्लंघन कर ₹0 31437000.00 की अनियमितता की गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 06)

प्रस्तर- 3 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के शासनादेश 5055 बी0/33-2-12 बी0(05)/85 दिनांक 13.10.1989 के अनुसार जिला पंचायत गोण्डा में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 27.01.2018 में लिए गए निर्णय पर नियुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति दिनांक 22.01.2018 के क्रम में श्री अखिलेश श्रीवास्तव को पदोन्नति राजस्व निरीक्षक के पद पर की गयी। लेकिन उनसे वसूली का कार्य न कराकर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी के साथ सम्बद्ध किया गया। श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को राजस्व निरीक्षक पद का वेतन मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक कुल ₹0 497685.00 भुगतान कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 07)

प्रस्तर- 4 वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत गोण्डा में क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत लेपन परियोजनाओं में प्रयोग होने वाला पैक्ड विटुमिन वी0जी0-10 की दुलाई हेतु आगणन में 500.00/एम0टी0 हैण्डलिंग चार्ज का प्रावधान किया गया है। जबकि पी0डब्लू0डी0 के शिड्यूल ऑफ रेट में हैण्डलिंग चार्ज का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार वी0जी0-10 की दुलाई में 500.00/एम0टी0 अधिक भुगतान कर ₹0 286122.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल, अभियन्ता श्री अभय सिंह एवं परामर्शदाता श्री मनोज कुमार उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 08)

प्रस्तर-5 वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत गोण्डा में दिनांक 16.02.2019 को रसीद सं0 3493 से 50 लीटर डीजल गाड़ी सं0 यू0पी0 43 जी0 0245 के प्रयोग हेतु क़य किया गया है। जिसका मूल्य ₹0 3243.00 था। लागबुक में 40 लीटर डीजल की प्रविष्टि की गयी है। इस प्रकार 10 लीटर डीजल लागबुक में कम दर्शित कर स्टाक मूल्य के रूप में ₹0 649.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल, एवं वाहन चालक श्री साधूशरण सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 09)

प्रस्तर-6 औसत डीजल की खपत 120 लीटर अधिक दर्शाकर संस्था को 120 गुणें $65.54 = 7865.00$ से क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए वाहन चालक श्री साधूशरण सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 10)

प्रस्तर- 7 वर्ष 2017-18 व 2018-19 को अनुदान से जिला पंचायत गोण्डा के क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत लेपन परियोजनाओं में प्रयुक्त वी0जी0- 10 की दर के आगणन में 500.00 ₹0/एम0टी0 हैण्डलिंग चार्ज जोड़ा

गया है। जबकि पी0डल्यू0डी0 को शिड्यूल ऑफ रेट में हैण्डलिंग चार्ज जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार 2017-18 एवं 2018-19 में 142 परियोजनाओं पर $572.36745 \times 500 = 286183.725$ या 286184.00 का अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिएअपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 11)

प्रस्तर- 8 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों में आइटम वाइज विचलन रहा। उ0प्र0 वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के नियम 38 में दी गयी व्यवस्था का पालन न कर एवं उ0प्र0 लेखा परीक्षा एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के नियम सं0 379(4) एवं नियम सं0 318 के विरुद्ध कार्य कर संस्था को रू0 2025069.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिएअपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री मनोज कुमार सिंह एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 12)

प्रस्तर-9 जिला पंचायत गोण्डा वर्ष 2018-19 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की परियोजनाए समय से पूर्ण नहीं है। उ0प्र0 क्षेत्रपंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 के खण्ड 2(ग) के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूरा न होने पर निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का कम से कम 1% प्रतिकर के रूप में वसूल किया जाएगा। लेकिन जिला पंचायत द्वारा ठेकेदारों से नाम मात्र कटौती कर संस्था को रू0 218557.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 13)

प्रस्तर-10 मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के प्रस्तर- 3 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए गए उपखनिजों के रायल्टी के सम्बन्ध में यदि ठेकेदार द्वारा प्रपत्र एम0एम0 11 प्रस्तुत किया जाता है। तब उसे रायल्टी भुगतान के प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया जाए। यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बंधित ठेकेदार द्वारा किसी भी उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य(सामान्यतः राल्टी का पाँच गुना)की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान से जमा करते हुए प्रति जिलाधिकारी को भेज दिया जाए। जिला पंचायत गोण्डा की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि संस्था की निर्माण पत्रावलियों में वैध अभिवहन प्रपत्र संलग्न नहीं है, अथवा कम संलग्न है। इस प्रकार बिना वैध रवाना (एम0एम0 11) प्राप्त किये ही ठेकेदार को भुगतान किया गया है। जिसके कारण राजकीय राजस्व की क्षति के साथ ही साथ सामाग्री मूल्य का भुगतान कर संस्था को रू0 1736046.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिएअपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल, वित्तीय परामर्श दाता श्री मनोज कुमार सिंह एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह व लेखाकार श्री जयप्रकाश यादव उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 14)

प्रस्तर-11 प्रमुख सचिव उ0प्र0 पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 को प्रस्तर-3 के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कारणों को सम्पादित कराएगी। जिला पंचायत गोण्डा की निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया की संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके अनियमितता कि गयी है। जिला पंचायत द्वारा बहुत छोटे-2 निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये है। जबकि ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान प्रश्न गत कार्यों को कराए जाने हेतु प्राप्त होते है। जिससे डुप्लीकेसी की सम्भवना बनी रहती है। अतः रू0 14531000.00 का अनियमितता भुगतान कर लिया गया है। जिसके लिएअपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 15)

प्रस्तर-12 जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में वी0जी0 10 के दुलाई हेतु परिवहन द्वारा रू0 184450.00 का व्यय किया गया है। भुगतान एक लाख से अधिक का रहा। जबकि शासनादेश सं0 01/864/दस-15(1) दिनांक 23.09.2018 के अनुसार एक लाख से अधिक का भुगतान निविदा आंत्रित करते हुए किया जाना चाहिए। जिसके लिएअपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं अभियन्ता श्री अभय सिंह

तथा लेखाकार श्री जयप्रकाश यादव उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 16)

प्रारूप-2

वर्ष 2018-19

जनपद-श्रावस्ती, सम्भाग- देवीपाटन गोण्डा ।
वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद-श्रावस्ती

सम्भाग-देवीपाटन गोण्डा

।
वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षित जिला पंचायत श्रावस्ती में उद्घाटित
अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर

अनियमितताओं का विवरण:-

प्रस्तर-1

1. उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 2 खण्ड-2(ग) के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने पर निर्माणी ठेकेदार प्रतिकर/ विलम्ब प्रतिकर का भुगतान करेगा, जो सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत होगा । किन्तु ठेकेदारों से मिलीभगत कर ठेकेदारों से निर्माण कार्यों का निर्धारित समय से पूर्ण न करने पर विलम्ब शुल्क कम अथवा बिल्कुल न लेकर संस्था को रू0 465970.00 की आर्थिक हानि पहुँचायी गयी। जिसके लिये श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार , श्री नीलोत्तम चौबे वित्तीय परामर्श दाता तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। अतः रू0 465970.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारियों तथा अधिकारियों से कर राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है।
2. शासनादेश सं0 पत्रांक 9755 एम टी/ सामान्य/ 40 एम टी 45/ 2017 दिनांक 19.12.2017 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से कर श्रमायुक्त के खाते में जमा कराया जाना चाहिए । किन्तु जिला पंचायत श्रावस्ती द्वारा ठेकेदारों के बिलों में अनियमित रूप से नियम विरुद्ध 1 प्रतिशत श्रम सेस की धनराशि जोड़कर कटौती की गयी तथा संस्था को रू0 686332.00 की आर्थिक हानि पहुँचायी गयी। जिसके लिये श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार , श्री नीलोत्तम चौबे वित्तीय परामर्श दाता तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। अतः रू0 686332.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारियों तथा अधिकारियों से कर राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है।
3. जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य के बिलों पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान किया जा रहा है। जिसमें से 2 प्रतिशत की कटौती संस्था द्वारा कर राजस्व विभाग में जमा कराया जा रहा है तथा शेष 10 प्रतिशत का भुगतान ठेकेदारों को ही कर दिया गया है। किन्तु ठेकेदारों द्वारा राजस्व विभाग में जी0एस0टी0 जमा कराने के साक्ष्य यथा चालानों की प्रतियाँ जिला पंचायत में जमा नहीं करायी गयी । इस प्रकार निर्माणी ठेकेदारों के बिलों में जी0एस0टी0 का भुगतान करके तथा ठेकेदारों द्वारा राजस्व विभाग में उनके द्वारा जमा न कराने के चालान संस्था में जमा न कराने से रू0 6675717.00 राजस्व की हानि होने की सम्भावना की अनियमित भुगतान । जिसके लिये श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार, श्री नीलोत्तम चौबे वित्तीय परामर्श दाता तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
4. शासनादेश के विरुद्ध ठेकेदारों द्वारा लेपन कार्यों के बिलों का भुगतान विटुमिन/ इमल्सन के मूल इन्वॉइस संस्था में जमा किये बिना कर रू0 3860355.00 का अनियमित भुगतान ठेकेदारों को किया गया । जिसके लिये श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह लेखाकार , श्री नीलोत्तम चौबे वित्तीय परामर्श दाता तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

5. संस्था द्वारा कॉजी हाउसों की गत वर्षों की बकाया धनराशि की वसूली न कर एवं वसूली के प्रयास न किये जाने से संस्था को रु0 442950. की आर्थिक हानि पहुँचायी गयी । वसूली न किये जाने के लिये श्री पंकज सिंह, कर-निरीक्षक, श्री बाबूराम पाण्डेय टैक्स कलेक्टर, श्री लवलेश कुमार टैक्स कलेक्टर , श्री योगेन्द्र कुमार यादव पटल प्रभारी तथा श्री श्री कान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
6. हडडी-चमड़ा नीलामी की वर्तमान एवं पिछली बकाया धनराशि की वसूली न करने एवं वसूली के प्रयासों में शिथिलता के कारण संस्था को रु0 368235.00 आर्थिक हानि पहुँचायी गयी । वसूली न किये जाने के लिये श्री पंकज सिंह, कर-निरीक्षक, श्री बाबूराम पाण्डेय टैक्स कलेक्टर, श्री लवलेश कुमार टैक्स कलेक्टर , श्री योगेन्द्र कुमार यादव पटल प्रभारी तथा श्री श्री कान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7. जिला पंचायत की सम्पत्तियों पर वाजिब मॉग न लगाकर एवं बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली न कर अथवा वसूली करने के प्रयासों में शिथिलता के कारण संस्था को रु0 5944000.00 की आर्थिक हानि वर्ष आलोच्य में पहुँचायी गयी । वसूली न किये जाने के लिये श्री पंकज सिंह, कर-निरीक्षक, श्री बाबूराम पाण्डेय टैक्स कलेक्टर, श्री लवलेश कुमार टैक्स कलेक्टर , श्री योगेन्द्र कुमार यादव पटल प्रभारी तथा श्री श्री कान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
8. आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ईट-भट्टों पर लाईसेन्स फीस की मॉग एवं वसूली न कर संस्था को रु0 85000.00 की आर्थिक हानि पहुँचायी गयी । वसूली न किये जाने के लिये श्री पंकज सिंह, कर-निरीक्षक, श्री बाबूराम पाण्डेय टैक्स कलेक्टर, श्री लवलेश कुमार टैक्स कलेक्टर , श्री योगेन्द्र कुमार यादव पटल प्रभारी तथा श्री श्री कान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
9. आलोच्य वर्ष में संस्था की स्वीकृत कार्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण/विकास कार्यों को पूर्ण न कर अपूर्ण छोड़कर रु0 9418000.00 राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया । जिसके लिये श्री कपिल देव यादव अवर अभियन्ता, श्री सहीम अहमद खान अवर अभियन्ता, श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव अभियन्ता एवं श्री श्रीकान्त दूबे अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं । इस प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

जनपद का नाम —देवरिया मण्डल का नाम — गोरखपुर
जिला पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर संख्या-1 जिला पंचायत देवरिया वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न कर्मचारी/अधिकारी जो वर्ष 2018-19 में सेवा निवृत्त हुए हैं उन पर निम्न प्रकार अपहरण, दुरुपयोग व गम्भीर अनियमितता के प्रकरण जिला पंचायत देवरिया को पावने थे विवरण निम्न प्रकार रहा—

वर्ष	व्यक्ति नाम जिन पर उक्त प्रकरण रहे	अपहरण	दुरुपयोग	गम्भीर अनियमितता
2009-10 से 2017-18	श्री विजय मिश्र प्रशा0अधि0	—	128.95 लाख	53.30 लाख
2009-10 से 2017-18	श्री रामजी यादव अभियन्ता	57.27 लाख	225.10 लाख	173.94 लाख
	योग	57.27 लाख	354.05 लाख	227.24 लाख
	कुल योग			638.56 लाख

(जिसका विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग एक में है।)

परीक्षक स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 के पत्रांक एम/8141 दिनांक 31.03.1976 इस विभाग के परिपत्र सं0 क/25 दिनांक 01.11.1973 के पैरा 9 में अपेक्षा की गयी थी कि पेंशन एवं आनुतोषिक के प्रकरणों को इस कार्यालय को भेजने के पूर्व इस बात की भली-भांति जांच कर लिया जाय कि सेवा निवृत्त कर्मचारी से आडिट आपत्तियों के फलस्वरूप अन्यथा जिला पंचायत की कोई धनराशि वसूल नहीं की जानी है। यदि ऐसी कोई धनराशि वसूल की जानी हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा शासनादेश के पैरा 8 में अपेक्षा की गई है कि पेंशन पत्रों के साथ कर्मचारी से सम्बन्धित अनिस्तारित आडिट आपत्तियों की सत्यापित प्रतिलिपि अवश्य भेजी जाय तथा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जाय कि जो प्रतिलिपि भेजी जा रही है उनको छोड़ कर कर्मचारी से सम्बन्धित आडिट आपत्तियां अनिस्तारित नहीं हैं। उक्त प्रकरण में अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल द्वारा बिना आडिट आपत्ति का संज्ञान लिए ही अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के कारण तथा उसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर लोकल फण्ड डायरेक्टर द्वारा भी बिना आडिट आपत्ति का संज्ञान लिए ही दोनों कर्मचारी/अधिकारी का क्लेम निकालने की अनुमति के आधार पर क्लेम निकाल दिया गया है जिससे जिला पंचायत की क्षति हुई है। अतएव उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
57.27 लाख	354.05 लाख	227.24 लाख	638.56 लाख

प्रस्तर संख्या-2 राज्य वित्त 2018-19 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य मथुरा से जिला पंचायत देवरिया तक बिटुमिन बी0जी0 10 दुलाई हेतु आगणन पी0डब्लू0डी के शेड्यूल रेट बी0जी0 10 के रेट से न करके गिट्टी की दर से करके रू0 4046.00 प्रति मीट्रिक टन किया गया है जबकि दुलाई हेतु पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट के अनुसार वर्ष 2017-18 का ही दर 2018-19 में रहा है जिसके अनुसार दुलाई हेतु दर रू0 3498.40 होना चाहिए। इस प्रकार दुलाई रेट हेतु गलत आगणन करके रू0 4046 प्रति मीट्रिक टन पर निविदा आमंत्रित 16.01.2019 को किया गया जिसमें कम दर पर भवानी रोड लाइन्स का रू0 3762.78 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार गलत आगणन कर प्रति मीट्रिक टन रू0 264.38 से अधिक का भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा।

14.03.2019 को	—	475 ड्रम
15.03.2019 को		130 ड्रम
23.03.2019 को	—	310 ड्रम
25.03.019 को		285 ड्रम

योग — **1200 ड्रम X 156=187200 किलोग्राम अथवा 187.200 मीट्रिक टन**
परिवहन व्यय 187.200 मीट्रिक टन X 3762.78=704392-42 अथवा 704392.00
जी0एस0टी0 12% 84527.00

योग — **788919.00**

बउचर सं0 144/28.03.2019 को भुगतान किया गया है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार भुगतान होना चाहिए।

187.200 मीट्रिक टन X 3498.40 = 654900.00
जी0एस0टी0 12% 78588.00

योग — 733488.00

इस प्रकार अन्तर रू0 55431.00 जिला पंचायत द्वारा दुलाई मद में अधिक भुगतान कर जिला पंचायत की क्षति किया गया जिसके लिए उत्तरदायी अभियन्ता श्री रामजी यादव अवर अभियन्ता श्री अच्छे लाल यादव से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
55431.00	0.00	0.00	55431.00

प्रस्तर संख्या-3 व्यय प्रमाणक वर्ष 2018-19 की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार जिला पंचायत द्वारा ठेकेदारों को संस्था द्वारा बी0जी0 10 का आपूर्ति कर उनके फाइनल बिल से बी0जी0 10 मूल्य का समायोजन किया गया है। लेकिन उन ड्रम मूल्य का समायोजन नहीं किया गया जिसमें बी0जी0 10 दिया गया है विवरण

बाउचर सं0	दिनांक	भुगतानित बी0जी0 व्यय
290	30.06.2018	5.90 मीट्रिक टन
286	30.06.2018	5.90 मीट्रिक टन
287	30.06.2018	5.90 मीट्रिक टन
288	30.06.2018	1.48 मीट्रिक टन
289	30.06.2018	8.86 मीट्रिक टन
74	21.02.2019	7.38 मीट्रिक टन
75	21.02.2019	7.38 मीट्रिक टन
76	21.02.2019	7.60 मीट्रिक टन
		50.42 मीट्रिक टन

इस प्रकार 50.42 मीट्रिक टन X1000=50420÷156=32 ड्रम मूल्य न्यूनतम दर 250 से रू0 80750.00 का समायोजन ठेकेदारों के बिल से न करके जिला पंचायत की क्षति किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी अवर अभियन्ता श्री अच्छेलाल यादव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है। ।

(आपत्ति-4)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
80750.00	0.00	0.00	0.00

प्रस्तर संख्या-4 आलोच्य वर्ष के निम्न कार्यों में इमल्सन का प्रयोग ठेकेदारों द्वारा किया गया है। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1408/23.03.2009 62 (सामान्य)/08 टी0सी0 दिनांक 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विटबिन/इमल्सन आपूर्ति का भुगतान भी किया जाय जब विटबिन/इसल्सन की भूल इनवाइस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाय लेकिन इमल्सन खरीद की इनबाइस लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न होना चाहिए विवरण-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त इमल्सन मात्रा मीट्रिक टन में
1.	महिया खरीद में अवशेष लेपन मरम्मत कार्य	0.750 मीट्रिक टन
2.	बंजरिया रोड़ से वेलही गांव काजी मन्दिर तक लेपन कार्य	0.416 मीट्रिक टन
3.	भुजौली से रामपुर अवस्थी तक लेपन कार्य	0.650 मीट्रिक टन
4.	छपिया चौराहे से मायापुर तक लेपन कार्य	0.445 मीट्रिक टन
5.	महुआपाटन नारायनपुर मार्ग से अमाव गांव तक लेपन कार्य	0.560 मीट्रिक टन
6.	अडिला सम्पर्क मार्ग का अवशेष लेपन कार्य	0.300 मीट्रिक टन
7.	बभनी गांव से पश्चिम हरिजन बस्ती तक लेपन कार्य	0.470 मीट्रिक टन
8.	भाटपाररानी कुईचवर मार्ग से भरौली से कटाईटीकर मार्ग से लेपन कार्य	0.600 मीट्रिक टन
9.	लार पिण्डी मार्ग से कोहरा हरिजन बस्ती तक लेपन कार्य	0.570 मीट्रिक टन
10.	पचकरवा से काझा नारायण होते अनुसा गांव तक लेपन कार्य	0.630 मीट्रिक टन
11.	आडिला सतरांव मार्ग से ग्राम गहिला तक लेपन कार्य	1.040 मीट्रिक टन

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों में कुल प्रयुक्त इमल्सन मात्रा 6.431 मीट्रिक टन का दर रू0 28490.00 से कुल रू0 183219.00 का अनियमित भुगतान कर जिला पंचायत की क्षति किया गया है जिसके लिए अवर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल व लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति

सं0-5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	183219.00	183219.00

प्रस्तर संख्या-5 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न निर्माण कार्य में आइटमवाइज विचलन रहा अर्थात् विभिन्न आइटम में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। यह यद्यपि उसकी पूर्ति अन्य आइटमों के बचत धनराशि से होती है। किन्तु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के नियम 38 में दिये गये नियम का पालन करते हुए कार्य समाप्ति से पूर्व जब ऐसी स्थिति का आभास हो तो संशोधित स्टीमेट तैयार कर शासन/बोर्ड से उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए जो नहीं लिया गया है। विवरण—

(क) देवरिया मीर मेन मार्ग से नहर तक सी0सी0 कार्य

क्रमांक	विवरण	स्टीमेट में माप	एम0बी0 में माप	अन्तर	छर	धनराशि
1.	सी.सी. 1:2:4	27.94 ³	34.06 ³	6.12	8800	53856

(ख) छपिया चौराहे से मायापुर तक लेपन मरम्मत कार्य

क्रमांक	विवरण	स्टीमेट में माप	एम0बी0 में माप	अन्तर	छर	धनराशि
1.	जी2	22.26	24.43	2.17	4494	25693
2.	जी3	41.12	44.50	3.38	4717	
	योग					79549.00

इस प्रकार विचलन के सम्बन्ध में जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सं0 15 वित्तीय हस्तपुस्तिक खण्ड VI के नियम 379 (ए) व नियम सं0 318 के विपरित कार्य किया गया है अतएव रु0 79549.00 की वसूली अपेक्षित रही। जिसके लिए अवर अभियन्ता व अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-6)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
79549.00	0.00	0.00	79549.00

प्रस्तर संख्या-6 मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के प्रस्तर 3 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये गये उप खनिजों के रायल्टी के सम्बन्ध में यदि ठेकेदार द्वारा प्रपत्र एमएम-11 प्रस्तुत किया जाता है तब उसे रायल्टी भुगतान के प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया जाय। यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (समान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान से जमा करते हुए एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दिया जाय। जिला पंचायत देवरिया के निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संस्था की निर्माण पत्रावलियों में वैध अभिवहन प्रपत्र संलग्न नहीं है अथवा कम संलग्न किया गया है। विवरण निम्न प्रकार रहा—

(क) छपिया चौराहे से मायापुर तक लेपन मरम्मत कार्य

क्रमांक	विवरण	एम0बी0 में माप	गिट्टी साइज	मानक के अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइल में लगा एमएम-11	कम लगा (एमएम-11)
1.	जी2	24.43 ³	45 मिलीमीटर से 63 मिलीमीटर	29.56		
2.	जी3	44.50	53 मिलीमीटर-22.2 11.2 मिलीमीटर	53.85 10.68		
3.	प्रीमिक्स	2513.80 ²	13.2 मिलीमीटर 11.2 मिलीमीटर	45.25 22.62		
4.	सील	2513.80	6.7 मिलीमीटर	22.62		
	योग			184.58 ³	123.70 ³	60.88 ³

(ख) अडिला सतराव मार्ग से ग्राम गहिला तक लेपन मरम्मत कार्य

क्रमांक	विवरण	एम0बी0 में माप	गिट्टी साइज	मानक के अनुसार प्रयुक्तगित	फाइल में लगा एमएम-11	कम लगा (एमएम-11)
1.	जी2	24.70 ³	45-63 मिलीमीटर	29.88		
2.	जी3	104.40	53-22.2 11.2 मिलीमीटर	126.32 25.05		
3.	प्रीमिक्स	3600	13.2 मिलीमीटर 11.2 मिलीमीटर	64.80 28.80		
4.	सील	3600	6.7	28.80		
	योग			303.65	127.00 ³	176.65 ³

(ग) लार सम्पर्क मार्ग से विशुनपुरा तक लेपन मरम्मत कार्य

क्रमांक	विवरण	एम0बी0 में माप	गिट्टी साइज	मानक के अनुसार प्रयुक्तगित	फाइल में लगा एमएम-11	कम लगा (एमएम-11)
1.	जी2	7.29 ³	45-63 मिलीमीटर	8.82		
2.	जी3	55.39 ³	53-22.2 मिलीमीटर 11.2 मिलीमीटर	67.02 13.29		
3.	प्रीमिक्स	2480.50 ²	13.2 मिलीमीटर 11.2 मिलीमीटर	44.65 19.84		
4.	सील	2480.50	6.7 मिलीमीटर	19.84		
	योग			173.46	18.00	155.46

(घ) पथरूखा से काझा नारायण होते अनुसा गांव तक लेपन मरम्मत कार्य

क्रमांक	विवरण	एम0बी0 में माप	गिट्टी साइज	मानक के अनुसार प्रयुक्तगित	फाइल में लगा एमएम -11	कम लगा (एमएम - 11)
1.	जी2	62.03	45-63 मिलीमीटर	75.06		
2.	प्रीमिक्स	3600	13.2 मिलीमीटर 11.2 मिलीमीटर	64.80 28.80		
4.	सील	3600	6.7 मिलीमीटर	28.80		
	योग			197.46	129.00	68.46

(ड.) भइया बिजौली से होते ग्राम परसिया चौबे तक लेपन मरम्मत कार्य

क्रमांक	विवरण	एम0बी0 में माप	गिट्टी साइज	मानक के अनुसार प्रयुक्तगित	फाइल में लगा	कम लगा (एमएम - 11)

					एमएम - 11	
1.	जी2	4.95	45-63 मिलीमीटर	8.82	कार्यादेश के एक वर्ष पूर्व का एमएम 11 लगा है जो मान्य नहीं है।	
2.	जी3	59.88	53-22.21 मिलीमीटर 12.2 मिलीमीटर	72.45 14.37		
3.	प्रीमिक्स	2464.85	13.2 मिलीमीटर 11.2 मिलीमीटर	44.37 22.18		
4.	सील	2464.85	6.7 मिलीमीटर	22.18		
	योग			184.37	-	184.37
	कुल योग			1043.52	397.70	645.82

इस प्रकार बिना वैध रवन्ना (एमएम -11) प्राप्त किये बिना ही क्रमांक क से 50 तक के कार्यों में मानक अनुसार 1043.52 घ0मी0 गिट्टी का प्रयोग हुआ है जबकि पत्रावलियों में 397.70 घ0मी0 का वैध एमएम - 11 लगाया गया है। शेष 645.82 घ0मी0 गिट्टी का बिना प्रयोग किये ही गिट्टी के रायल्टी मूल्य 645.82X160=103331=00 तथा शासनादेश अनुसार रायल्टी मूल्य का पांचगुना खनिज मूल्य 103331x5=516656=00 से संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल लेखाकार श्री परमात्मा सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-7)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
516656.00	0.00	0.00	516656.00

प्रस्तर संख्या-7 प्रमुख सचिव उ0प्र0 (पंचायत राज अनुभाग 03) के शासनादेश संख्या 1838/33.03. 2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर 03 के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त अनुदान से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी। लेकिन जिला पंचायत देवरिया के निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पादित कर अनियमितता किया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रमांक	कार्य का विवरण	लागत/धनराशि (लाख में)
1.	ग्राम सिरजम पिच से दक्षिण यादव टोला राम भवन के घर से आगे इण्टर लांकिंग कार्य	4.41
2.	ग्राम सभा रघुनाथपुर में इण्टर लांकिंग कार्य	5.30
3.	ग्राम खिरिया में शम्भू यादव के घर से ग्वाला बस्ती तक इण्टर लांकिंग	7.86
4.	ग्राम तिवई में लक्ष्मी यादव के घर मन्दिर ओर इण्टर लांकिंग	4.40
5.	ग्राम बोडिया अनन्त में प्रा0वि0 से पोखरे की ओर मि0/ख0	6.18
6.	ग्राम साडा में रामचन्द्र वर्मा घर से चन्दा सिंह घर तक इण्टरलांकिंग	3.19
7.	ग्राम बखरी बरवां पिच से सर्वोदय इण्टर कालेज बखरी गेट ओर इण्टरलांकिंग	5.29
8.	ग्राम बरौली में दुर्गा मन्दिर से जोगिया की ओर इण्टरलांकिंग	2.64
9.	ग्राम विशुनपुरा से बढ़या मार्ग पर गिट्टी/खण्डजा कार्य	9.65
	योग	48.92

इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा बहुत छोटे निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों में कराये गये हैं जबकि ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायत को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं। जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है ग्राम पंचायत से उक्त कार्य

संबंधी/प्रस्ताव नहीं लिया गया है। अतः रु0 48.92 लाख का अनियमित भुगतान किया गया है इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल उत्तरदायी रहे जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-8)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	48.92	48.92

प्रस्तर संख्या-8 समय ठेके का सारतत्व है। ठेकेदार टेण्डर में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा। अवधि की गणना उस दिनांक से की जायेगी जब ठीकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया जाय। जिला पंचायत देवरिया के निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित परियोजना समय से पूर्ण नहीं हुई है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 2 खण्ड 2 (ग) के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूरा न होने पर ठीकेदार प्रतिकर/विलम्ब के लिए प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो सम्पूर्ण निर्माण कार्य के अनुमानित लागत की धनराशि के एक प्रतिशत के बराबर होगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपवधों के अधीन भुगतान की जाने की प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि टेण्डर में दिखाई गयी निर्माण कार्य के अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक न होगी। संस्था द्वारा ठेकेदार के बिल से विलम्ब शुल्क की कटौती की गई है किन्तु एक प्रतिशत की दर से कटौती न करके नाम मात्र की कटौती की गई है। विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रमांक	निर्माण बिल बाउचर संस्था/तिथि	लागत मूल्य	की गई कटौती	जो कटौती किया जाना चाहिए था।
1.	89 / 18.07.2018	14.00 लाख	1000	14000
2.	91 / 18.07.2018	7.10 लाख	1000	7100
3.	94 / 18.07.2018	9.89 लाख	1000	9880
4.	96 / 18.07.2018	9.32 लाख	1000	9320
5.	112 / 24.07.2018	4.13 लाख	1000	4130
6.	126 / 24.07.2018	6.02 लाख	1000	6020
7.	127 / 24.07.2018	7.04 लाख	1000	7040
8.	128 / 24.07.2018	4.32 लाख	1000	4320
9.	188 / 30.07.2018	6.25 लाख	1000	6250
10.	189 / 30.07.2018	5.37 लाख	1000	5370
11.	191 / 30.07.2018	21.10 लाख	2000	21100
12.	192 / 30.07.2018	9.64 लाख	1000	9640
13.	194 / 30.07.2018	8.24 लाख	1000	8240
14.	195 / 30.07.2018	4.07 लाख	1000	4070
15.	196 / 30.07.2018	6.14 लाख	1000	6140
16.	18 / 03.08.2018	7.56 लाख	1000	7560
17.	45 / 03.08.2018	8.91 लाख	1000	8910
18.	50 / 03.08.2018	13.31 लाख	1000	13310
19.	103 / 25.01.2019	6.84 लाख	2000	6840
20.	106 / 25.01.2019	6.24 लाख	2000	6240
21.	116 / 25.01.2019	8.16 लाख	2000	8160
योग			25000	173640

इस प्रकार विलम्ब शुल्क के रूप में निर्धारित धनराशि से रु0 148640.00 से कम कटौती करके संस्था की क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
173640.00	0.00	0.00	173640.00

प्रस्तर संख्या-9 करदाता सूची 2018-19 के अनुसार प्रस्तावित कर निम्न प्रकार रहा लेकिन वर्ष में की गई वसूली को ही वर्ष का डिमाण्ड दर्शाकर डिमाण्ड रजिस्टर में वर्ष की डिमाण्ड कम दर्शाकर जिससे बकाया की धनराशि में वृद्धि न हो कूट रचना कर जिला पंचायत की क्षति किया गया है विवरण निम्न है।

क्रमांक	विकास क्षेत्र	करदाता सूचीनुसार प्रस्तावित कर	डिमाण्ड रजि०नुसार डिमाण्ड व वसूली	कम डिमाण्ड लगाना
1.	सलेमपुर	808830.00	203950	604880
2.	लार	433509	90000	343509
3.	बनकटा	528450	137550	390900
4.	भाटपारानी	567300	199170	368130
5.	भटनी	514200	138300	375900
6.	बैतालपुर	832740	324790	507950
7.	रामपुर कारखाना	484110	222626	261484
8.	रुद्रपुर	320390	158535	161855
	योग			3014608

इस प्रकार वर्षवार डिमाण्ड न लगाकर या वास्तविक से कम डिमाण्ड लगाकर अथवा वसूली को ही डिमाण्ड दर्शाकर रू० 3014608.00 से जिला पंचायत की क्षति किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल तथा कर अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
3014608.00	0.00	0.00	3014608.00

प्रस्तर संख्या-10 चिमनी लाइसेंस रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जिले में संचालित ईट भट्टों से लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया गया है जिससे वर्ष 2018-19 में रू० 1508725.00 से जिला पंचायत की क्षति हुई है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	विकास क्षेत्र	संचालित चिमनी की संख्या	कर समारहता अनुसार बंद चिमनी सं०	वसूली हुई चिमनी सं०	धनराशि	जिससे वसूल नहीं हुआ है।	धनराशि
1.	देवरिय	31	—	19	199875	12	124860
2.	बैतालपुर	27	02	07	73980	18	187290
3.	गौरीबाजार	16	01	10	105195	05	62430
4.	भलुअनी	23	03	12	125865	08	83240
5.	भागलपुर	17	01	08	83390	08	83240
6.	रामपुर कारखाना	35	—	20	212140	15	156075
7.	देसही देवरिया	13	01	07	73485	05	52025
8.	भटनी	26	01	17	180515	08	83240
9.	त्रकुलवा	16	01	10	104445	05	52025
10.	स्लेमपुर	29	03	09	93445	17	176885
11.	बनकटा	14	02	03	31115	09	93645
12.	लर	18	01	01	10405	16	166480
13.	भाटपारानी	19	02	15	159575	02	20810
14.	पथरदेवा	18	02	12	127460	04	41620
15.	ब्रह्म	11	—	06	62830	05	52025
16.	रुद्रपुर	14	01	06	63315	07	72835
	योग					144	1508725

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में 144 चिमनी से लाइसेंस शुल्क वसूल न करके रू० 1508725 से जिला पंचायत की क्षति किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल टेक्स अधि० श्री विनोद कुमार सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग

1508725.00	0.00	0.00	1508725.00

प्रस्तर संख्या-11 लेखा परीक्षा में अंग्रेजी शराब ठेके तथा देशी शराब ठेके की सूची विकास क्षेत्रवार की मांग किया गया लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया। विकास क्षेत्र देवरिया सदर से चार देशी व अंग्रेजी शराब ठेके से सम्पत्ति एवं विभव कर दर रू0 6000.00 से रू0 24000 की वसूली किया गया है लेकिन देवरिया विकास क्षेत्र के करदाता सूची में अवशेष 20 दुकानों से सम्पत्ति विभव कर वसूली न करके और न ही बकाया रू0 20X6000.00=120000.00 का अंकन कर जिला पंचायत का क्षति किया गया है। उक्त क्षति हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल टेक्स अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे हैं। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-18)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	120000.00	120000.00

प्रस्तर संख्या-12 रेंट रजिस्टर वर्ष 2018-19 की जांच में पाया गया कि निम्न स्थानों की दुकानों पर 31 मार्च 2018 को जो बकाया था दिनांक 01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष बकाया का लिखते समय कम कर दिया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा

क्र0	स्थान	31 मार्च 18 को बकाया	01.04.2018 को बकाया	बकाया कम किया गया
1.	बरहज	983018	981018	2000
2.	बैरौना	643605	643405	200
3.	गढ़रामपुर	571843	170880	400963
			योग	403163

इस प्रकार बिना कारण दर्शाये ही बकाया की धनराशि कम करके जिला पंचायत का रू0 403163.00 से क्षति किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल व कर अधि0 श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे हैं। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-19)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	403163.00	403163.00

प्रस्तर संख्या-13 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30 अप्रैल 2018 को लेखाकार द्वारा रोकड़ वही क्लोन करते हुए टिप्पणी अंकित किया गया है कि दिनांक 14.03.2018 को आय पक्ष में रू0 30964.00 अधिक जोड़ने के कारण रू0 30964.00 30 अप्रैल 2018 को घटाया गया। विवरण निम्न प्रकार रहा-

30 अप्रैल 2018 को रोकड़ वही का अवशेष — 259896940.60
गैर भूने चेक का योग — 571870.00

योग — 260468810.59

14.03.2018 का अधिक आय घटाया (-) **30964.00**

260437846.59

पुनः रोकड़ वही पृष्ठ सं0 21 दिनांक 21.05.2018 को दैनिक योग रू0 617445.10 से रू0 30964.00 घटा करके अब शेष रू0 586481.10 दर्शाया गया है। जबकि 31 मार्च 2018 को रोकड़ वही क्लोन करते हुए रोकड़ वही व बैंक अवशेष मिलान किया गया था। अतएव रू0 30964.00 की काल्पनिक आय को रोकड़ वही 2018-19 में दो बार घटाकर रू0 61928.00 रोकड़ का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली अपेक्षित रही। उक्त के लिए लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी हैं इनसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-21)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग

61928.00	0.00	0.00	61928.00

प्रस्तर संख्या-14 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को जी0एस0टी0 का भुगतान 12 प्रतिशत की दर से किया गया है लेकिन ठेकेदारों द्वारा उक्त जी0एस0टी0 की धनराशि ट्रेजरी में जमा किया गया अथवा नहीं उसका प्रमाण व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं किया गया है। उक्त धनराशि का अन्तरिम आपत्ति दिनांक 23.11.2019 को निर्गत किया गया लेकिन संस्था द्वारा इसका कोई उत्तर दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त जी0एस0टी0 जमा के प्रति संस्था गम्भीर नहीं है।

क्रमांक	प्रमाणक सं०	तिथि	भुगतानित धनराशि (लाख में)
1.	36 से 58 तक	14.06.2018	1146360.00
2.	59 से 80 तक	15.06.2018	998640.00
3.	81 से 109 तक	18.06.2018	1440840.00
4.	143 से 192 तक	20.06.2018	2656561.00
	योग		6242401.00

इस प्रकार रु० 6242401.00 ठेकेदारों द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि ट्रेजरी में जमा न करके अनियमितता किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल व लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी रहे हैं। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-25)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	6242401.00	6242401.00

प्रस्तर संख्या-15 निम्न लेपन मरम्मत कार्यों में जिला पंचायत देवरिया द्वारा ठेकेदारों को निर्गत वी0जी0 10 मूल्य का समायोजन ठेकेदारों के भुगतानित बिल से किया गया है लेकिन निर्गत ड्रम मूल्य का समायोजन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

कार्य का विवरण	बाउचर सं०/ दिनांक	निर्गत वी0जी0 10 मीट्रिक टन में	ड्रम की संख्या	कम से कम दर	धनराशि
सहिलपार करौदी मार्ग से रतनपुरा सम्पर्क मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य	94 / 21.02.19	6.64	43	250	10750
अहिल्यापुर मंदिर से रेलवे क्रासिंग से लेपन कार्य	58 / 16.03.19	5.54	36	250	9000
छपिया चौराहे से मायापुर तक लेपन मरम्मत कार्य	98 / 21.02.19	6.90	44	250	11000
अडिला सतराव मार्ग से ग्राम गहिला तक लेपन मरम्मत कार्य	190 / 30.07.19	8.86	57	250	14250
योग					45000

अतएव ड्रम मूल्य का समायोजन न करके रु० 45000/- से जिला पंचायत का क्षति किया गया है। जिसके लिए वी0जी0 10 स्टाक प्रभारी श्री अच्छे लाल यादव अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
45000.00	0.00	0.00	45000.00

प्रस्तर संख्या-16 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 65 दिनांक 23.06.2018 को रु० 200605.00 गृहकर व जलकर का नगर पालिका परिषद देवरिया को जमा किया गया है जिसमें रु० 28795.00 सरचार्ज देना पड़ा है जो विलम्ब से जमा करने के कारण जिला पंचायत को अतिरिक्त भारवहन करना पड़ा। इस प्रकार रु० 28795.00 से जिला पंचायत के क्षति के लिए लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी रहे हैं जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-32)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	0.00	28795.00

प्रारूप 02
वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

जनपद का नाम –गोरखपुर मण्डल का नाम – गोरखपुर

2.1 –जिला पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर सं0-01 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या –41965/2016 राजमन एवं अन्य 13 बनाम उ० प्र० सरकार एवं अन्य 2 में पारित आदेश दिनांक 15-09-2016 के क्रम में 14 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं रिट याचिका संख्या 60243/2016 राममूरत एवं 3 अन्य बनाम उ० प्र० सरकार एवं अन्य 2 में पारित आदेश दिनांक 20-02-2016 के क्रम में 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय आदेश पृष्ठ संख्या 639-650/ जि० पंचायत गो० /2016-17 दिनांक 13-10-2016 के द्वारा 14 दैनिक वेतन भोगी पारिश्रमिक एवं कार्यालय आदेश पृष्ठ संख्या 558-571 जिला पंचायत गोरखपुर 2017-18 दिनांक 30-06-2017द्वारा 4 दैनिक वेतन भोगी पारिश्रमिक का विनियमितीकरण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 24-02-2016 से किया गया । लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में उक्त 18 कर्मचारियों को किये गये भुगतान का विवरण निम्नलिखित है (विवरण आगे संलग्न है)उक्त दैनिक वेतन भोगी 18 कर्मचारियों को प्रमुख सचिव वित्त (वे० आ०) अनुभाग -2 के शासनादेश संख्या -44/2015/वे० आ० -2-795/दस -54 (एम) 2008 टी० सी० दिनांक 13 अगस्त 2015 एवं शासनादेश संख्या 9/2016/ वे० आ० -2-201/ दस -2016-08 (मु० स० सं०) /2011 टी० सी० वित्त (वे० आ०) अनुभाग -2 दिनांक 24 फरवरी 2016 के क्रम में विनियमित किया गया ।

प्रस्तर सं0-01 का संलग्नक

क्रम सं०	नाम कर्मचारी	मार्च 2018			अप्रैल 2018			मई 2018				जून 2018		वास्तविक देयक		
		वेतन	कटौती	भुगतान	वेतन	कटौती	भुगतान	वेतन	कटौती	भुगतान	वेतन	कटौती	भुगतान	मज दूरी	दिनों की संख्या	कुल मजदूरी
1	श्रीरामजन्म निषाद	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
2	श्रीरामपाल यादव	20135	5030	15105	20517	5030	15487	20517	5030	15487	20517	5030	15487	320	122	39040
3	श्री घुरहयादव	20495	2000	18495	20877	2000	18877	20877	2000	18877	20877	2000	18877	305	122	37210
4	श्रीरामदास	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
5	श्रीहरीलाल	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
6	श्रीराधेश्याम	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
7	श्री हरीप्रसाद	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
8	श्रीप्रभु	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
9	श्रीरामाज्ञा	21455	5000	16455	21837	5000	16837	21837	5000	16837	21837	5000	16837	305	122	37210
10	श्रीओमप्रकाश	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	5000	16837	21837	2000	19837	305	122	37210
11	श्रीसीताराम	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
12	श्रीपारस	21455	5000	16455	21837	5000	16837	21837	5000	16837	21837	5000	16837	305	122	37210
13	श्रीराम मूरत	21455	2000	19455	21837	2000	19837	दिनांक 16/05/2018 को मृत्यु हो गयी		320	76	24320	1983730512237210			
14	श्री लालमन	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000				

15	श्रीराम प्रसाद	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	305	122	37210
16	श्री बेचई	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	320	122	39040
17	श्री प्रदीप कुमार माली	20495	2000	18495	20877	2000	18877	20877	2000	18877	20877	2000	18877	230	122	28060
18	श्री दशरथ माली	21455	2000	19455	21837	2000	19837	21837	2000	19837	21837	2000	19837	230	122	28060
	योग	382950	45030	337920	389826	45030	344796	367989	46030	321959	367989	43030	324959			642250

	मार्च	अप्रैल	मई	जून	योग
वेतन	382950	389826	367989	367989	1508754
कटौती	45030	45030	46030	43030	179120
भुगतान	337920	344796	321959	324959	1329634

नकद भुगतान	1329634
वास्तविक होना चाहिए	642250
नकद अधिक भुगतान	687384
कटौती	179120
कुल अधिक भुगतान	866504

The order of the high court allahabad dated 15-09-2016 " In view of the aforesaid this writ petition is disposed of with liberty to the petitioners to make representation before A-M-A- raising all there grievenses within three weeks from today which shall be considered and decided by A-M-A- strictly in accordance with law within a further period of three months ß It is made clear that this court has not entered into the merits of the claim of the petitioners-

स्टाफिंग पैटर्न शासनादेश संख्या-1754-32-2-9 जी० 97 पंचायत अनुभाग-2 दिनांक 8-6-1997 के अनुसार जिला पंचायत गोरखपुर में चतुर्थ श्रेणी के 11 पद स्वीकृत थे तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद रिक्त नहीं था । शासनादेश के अनुसार अधिसंख्य पदों का सृजन वित्त विभाग की अनुमति लेते हुए उक्त 18 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया जाना चाहिए था । अतःप्रतिशत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15-9-2016 एवं 20-12-2016 के क्रम में वित्त विभाग से अधिसंख्य पदों के सृजन की स्वीकृति लिए बिना ही 18 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित कर माह मार्च से जून 2018 का कुल वेतन 1508754 में रु० 179120 कटौती काटकर रु० 1329634 भुगतान किया गया जबकि कुल वेतन रु० 1508754(-) वास्तविक भुगतान (दैनिक मजदूरी)रु० 642250 =866504.00 का भुगतान कटौती सहित कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है । जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी है उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	866504.00	866504.00

प्रस्तर सं०-02 कार्य रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निम्नलिखित विवरणानुसार उनके सम्मुख अंकित कार्यो पर आंशिक भुगतान किया गया है । कार्यालय जिला पंचायत गोरखपुर के पत्रांक -377-378/पी० डब्लू० सी० दृजिला पंचायत गोरखपुर 2018-2019 दिनांक 21-07-2018 के द्वारा कुल स्वीकृत 417 परियोजनाओ में कार्य समाप्ति की अवधि 3 माह निर्धारित की गयी है । नियमानुसार कार्यादेश के बाद एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसी वित्तीय वर्ष में अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य को पूर्ण हो जाना चाहिए । परन्तु संदर्भित प्रकरण में आंशिक भुगतान कर कार्य लंबित रखा गया एवं अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ एवं कुछ अद्यतन अपूर्ण रहा । जिस हेतु संस्था द्वारा यह उत्तर नहीं दिया गया कि कार्य क्यों अपूर्ण रहा जिससे स्पष्ट है कि किया गया भुगतान रु० 4392700 अलाभकारी व्यय रहा । अतःप्रतिशत अलाभकारी कार्य पर किया गया भुगतान रु० 4392700 उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क)से (ड.) के अंतर्गत दुरुपयोगित रहा । जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी है उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	विकास खण्ड	परियोजना का नाम	अनुबन्ध तिथि	समाप्ति तिथि	लागत (लाख में)	व्ययित धनराशि
1	ब्रह्मपुर	dijQksM+ok pwd IM+d Is vkfly HkkX; ih- MCY;w- Mh-egk fo0 jkukiqj rd ysiu dk;Z	2018/11/02	2019/04/14	लाख 30	2201700
2	बासगांव	ग्रा०पं० बैरोपुर साकित कल्याणपुरभरत पाल के घर से सरसों पार सम्पर्क मार्ग तक पिच कार्य	2018/12/10	2019/05/05	लाख 8	359000
3	कैम्पियर गंज	xzke lHkk jkeuxj dsoVfy;k le; ekrk eafnj ds lkeus —".k xksiky ds pd ds fcp vkj-lh-lh- iqfy;k ,cksp lMd	2018/11/06	2019/04/13	लाख 8	472000
4	गगहा	ग्राम मामखोर में बुझारत मौर्य के खेत से खरखाईच खोर पिच तक एवं ठूबवेले से असरेव के मड़ई तक मिटटी खडंजा का कार्य	2018/12/13	2019/04/01	लाख 12	890000
5	बेलघाट	राजस्व ग्राम मंझरिया में जनार्दन शर्मा के घर के पूरब नाले पर पुलिया निर्माण	2018/12/03	अपूर्ण	लाख 7.5	470000

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	4392700.00	4392700.00

प्रस्तर सं०-03 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार उनके सम्मुख अंकित कार्यो पर आंशिक भुगतान किया गया है , कार्य की समाप्ति तिथि अंकित नहीं है अर्थात कार्य अपूर्ण है जबकि नियमानुसार इन परियोजनाओ को कार्यादेश के बाद एक निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाना चाहिए था परन्तु संदर्भित प्रकरण में आंशिक भुगतान कर कार्य आतिथि तक लंबित रखा गया है जिससे स्पष्ट है कि किया गया भुगतान रु० 13139350 अलाभकारी रहा अतःप्रतिशत अलाभकारी कार्य पर किया गया भुगतान रु० 13139350 उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अंतर्गत दुरुपयोगित रहा जिस प्रति इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जिसके लिए अपरमुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी है उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर

उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। निम्नवत है-

नाम विकास खण्ड	क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनुबन्ध तिथि	कार्य प्रारम्भ तिथि	स्वीकृत लागत	व्यय धनराशि
पिपराइच	1	ग्राम सभा करमैना पिच मार्ग से आगे करमैनी तक इंटरलॉकिंग	18/12/03	18/12/03	लाख 6	423000
	2	ग्राम सभा मठिया रामकेश सिंह के घर से सिहोरिया मार्ग पर इंटरलॉकिंग	18/12/03	18/12/03	लाख 6	425300
	3	ग्राम सभा सोहसा में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	19/02/28	19/02/28	लाख 10	632000
	4	ग्राम सभा सिधावल में इंटरलॉकिंग	18/12/06	18/12/06	लाख 10	689000
	5	ग्राम सभा इस्माइलपुर में मिट्टी खडंजा	19/02/15	19/02/15	लाख 13	507000
	6	माडापार में जनता ई० का० से निषाद टोला मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	19/02/28	19/02/28	लाख 7.5	464800
	7	वि०ख०पिपराइच में गौनरहा में आरपुलिया.सी.सी.	19/02/28	19/02/28	लाख 7.5	533000
	8	रमवापुर में आरपुलिया.सी.सी.	19/02/28	19/02/28	लाख 10	616000
	9	ग्राम सभा बहरामपुर देवेन्द्र प्रताप सिंह एम.एल.सी. के गेट से 50 मी पूरब पिच रोड से सुधीर सिंह के गेट से होते हुए मणि जी के गेट तक पिच कार्य	18/12/04	18/12/4	लाख 24	765000
चरगावा	1	ग्राम सभा सियारामपुर के टोला रेनडाड में पुलिया	19/01/28	19/01/28	लाख 9	606000
भटहट	1	ग्राम सभा अशरफपुर में इंटरलॉकिंग	19/02/22	19/02/22	लाख 7.5	512500
उरुवा	1	ग्राम सभा रामडीह में शिवकुमार हरिजन के घर से होते हुए राघव के घर तक सम्पर्क मार्ग नव निर्माण पिच कार्य	18/11/05	18/11/5	लाख 30	509000
सरदारनगर	1	रसूलपुर में तिवारी के घर से सुरसर देवरी रास्ते पर इंटरलॉकिंग	19/02/01	19/02/01	लाख 7	560600
पिपरौली	1	महावीर छपरा जं० रानी सुहास कुंवरी मुख्य मार्ग से महावीर छपरा गाँव तक लेपन मरम्मत/	18/11/01	18/11/01	लाख 10	651500
गोला	1	ग्राम सभा धौरहरा टोला विमटी में पिच रोड से इंटरलॉकिंग	18/12/01	18/12/01	लाख 8	584000
	2	ग्राम सभा देवरी बारी मैलाड में सी सी रोड से आगे इंटरलॉकिंग	18/12/01	18/12/01	लाख 5	445600
खजनी	1	dkfleiqj ftxuh cklikj ds fcp esa rjSuk ukys ij vkj-lh-lh- iqfy;k	18/10/03	18/10/03	लाख 10	484000

	2	ग्राम पंचायत कटघर में टोला कल्यानपुर से राजबली के घर से रामकृपाल के घर तक इंटरलॉकिंग	18/11/28	18/11/28	लाख 9	655000
बेलघाट	1	ग्राम कुआं में दुदहिया टोला से बन टोला वाली सड़क पर आर०सी०सी० पुलिया	18/10/17	18/10/17	लाख 5	370700
	2	मकरहा मार्ग से पश्चिम पिच मरम्मत	18/10/10	18/10/10	लाख 5	300000
	3	शंकरपुर बेलघाट पिच मार्ग से ठेकू नाथ गाँव तक इंटरलॉकिंग	18/11/01	18/11/01	लाख 10	516000
जंगल कौड़िया	1	ग्राम डिहरिया बाजार से बढनी के समय माता मन्दिर संपर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण एवं खडन्जा कार्य	19/02/15	19/02/15	11.40 लाख	635700
	2	प्रभावती देवी मैना देवी ई०का० बढनी के ग्राम चकरा तक सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा कार्य	19/03/08	19/03/08	लाख 11.64	543000
सहजनवां	1	भिटनी पिच रोड से ब्रिज बिहारी के घर तक मार्ग पर इंटरलॉकिंग	18/10/11	18/10/11	लाख 6	535650
कौड़ीराम	1	ग्राम पंचायत गजपुर मेन रोड से मोती लाल गुप्ता के घर से आगे तक इंटरलॉकिंग	18/10/30	18/10/30	लाख 3	175000
					योग	13139350.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	13139350.00	13139350.00

प्रस्तर सं०-04 निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य समय से पूर्व न होने पर ठेकेदारों के बिलों से रु० 1000 से 2000 तक विलम्ब शुल्क कटा गया है जबकि जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 अध्याय-2 (ठेके की शर्तों) के अनुसार परियोजना के लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क कटा जाना चाहिए तथा ठेकेदारों द्वारा शपथ पत्र (एफिडेविट) में यह स्वीकार किया गया है कि यदि मेरे द्वारा अनुबंध में दी गयी समय सीमा के अंदर कार्य नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी मेरे भुगतान की धनराशि से 1 प्रतिशत अर्थदण्ड की कटौती कर ले किन्तु इकाई द्वारा ऐसा न कर नियमों का उलंघन एवं क्षतिकर रु० 225452 की अनियमितता की गयी है विवरण निम्नवत रहा।

विकास खण्ड	क्र० सं०	परियोजना का नाम	लागत मूल्य	काटना चाहिए	काटी गयी धनराशि	कम काटी गयी
भटहट	1	चकरामपुर में सन्तोष मौर्य के खेत से छठ माता स्थान तक खडन्जा कार्य	714200	7142	500	6642
ब्रह्मपुर	1	ग्राम नेवटी में इंटरलॉकिंग	625000	6250	500	5750
	2	xzke dijQksM+ok esa ih-MCY;w-Mh- IM+d ls vf[ky HkkX; egkfo0 jkukikj rd ysiu dk;Z	2246600	22466	500	23966
गोला	1	ग्राम सभा कान्हीपार ग्रा०पं० छितौना बुजुर्ग नहर से गाँव तक इंटरलॉकिंग	892800	8928	500	8428
गगहा	1	ग्राम सभा सिहाइगवार में पिच रोड से	892800	8928	-	8928

		हरिजन बस्ती में इंटरलॉकिंग				
ब्रह्मपुर	1	ग्राम मुकरहा में इंटरलॉकिंग	625000	6250	500	5750
	2	गोपाल टोला से राजी जगदीशपुर टोला तक इंटरलॉकिंग	1191500	11915	500	11415
	3	राजधानी प्रधानमन्त्री सड़क से गोपालपुर टोला तक पिच मरम्मत	1191400	11914	500	11414
कैम्पियरगंज	1	ग्राम पंचायत भरहरी में बहुआ मार्ग पर पुलिया मरम्मत	669600	6696	-	6696
	2	xzk0ia0 jkti qj esa yfyr o vaxn ds [ksr ds ikl fip jksM ls fHk[kkj h ds [ksr ls dye ukyk rd vkj-lh-lh- iqfy;k	625000	6250	1000	5250
चरगावा	1	ग्राम देवीपुर में पुलिया	669600	6696	500	6196
पिपराइच	1	xzke lHkk fii jk eksxyku tkus okys xzk0ia0 irjk ekxZ ij ugj ij vkj-lh-lh- iqfy;k	892800	8928	1000	7928
भट्ट	1	जं०डुमरी नं० रूसपुर से छोटे टीले तक 2 पिच मरम्मत	495900	4959	500	4459
	2	बनकुटिया बुजुर्ग ताज तियरा में पुलिया निर्माण	669600	6696	1000	5696
	3	सिरसिया में बबलू राय के घर से सन्तलाल सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग	535700	5357	1000	4357
	4	gjj[kki qj ls fii jkbp ekxZ ij vkj-lh-lh- iqfy;k	669600	6696	1000	5696
उरुवा	1	सूबी से सोनापुर लेपन (लखन तक)	1045400	10454	500	9954
	2	अमरनाथपुर में पिच मरम्मत	692700	6927	500	6427
	3	शान्ति चौराहे से मठिया मार्ग पर लेपन	1240300	12403	500	11903
सरदारनगर	1	सत्यप्रकाश गिरि के घर से सुरेश प्रसाद के घर तक पिच	100700	10070	500	9570
पिपरौली	1	बरवल बघौडा पिच रोड से बरवल गाँव को जोड़ने गोविन्द यादव के घर तक इंटरलॉकिंग	892800	8928	500	8428
	2	मुख्य बंधे से हरिशंकर यादव चोरिया के घर मार्ग पर इंटरलॉकिंग	357100	3571	500	3071
	3	कोलिया ड० लखनऊ रोड से मेवालाल के घर तक सम्पर्क मार्ग इंटरलॉकिंग	714200	7142	500	6642
	4	शेरगढ़ में पुलिया व रास्ते की मरम्मत	446400	4464	500	3964
	5	भगवानपुर नरेंद्र के दरवाजे के सामने काली मन्दिर में हनुमान मंदिर इंटरलॉकिंग	312500	3125	500	2625
खजनी	1	औजी में इंटरलॉकिंग	714200	7142	500	6642
खोरावार	1	vefg;k ih-MCY;w-Mh- jksM ls tax xkSjh ua0 1 fouksn ;kno ds ?kj lEidZ ekxZ fip dk;Z	1626300	16263	1000	15263
सहजनवां	1	ग्रा०पं० बसिया मे ग्रा०स० डोमरमाफ़ी सम्पर्क मार्ग पोखरी से मोड़ मार्ग पर इंटरलॉकिंग	446400	4464	500	3964

कौडीराम	1	ग्राम सभा मलांव में कनइल पिच से गाँव तक जाने वाले मार्ग पर इंटरलॉकिंग	892800	8928	500	8428
					योग	225452

इस प्रकार लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क न काटकर रु० 225452 की क्षति की गयी है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	225452.00	225452.00

प्रस्तर सं०-05 शासनादेश संख्या 6482 बी/33.2.91 दिनांक 9-12-91 के अनुसार वाह्य संस्था से यदि जिला पंचायत कोई कार्य कराती है तो 15प्रतिशत सेंटेज चार्ज कुल लागत का काटेगी लेकिन जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत उ० प्र० लघु उद्योग निगम एवं यूपीएसटीसी लिमिटेड से कार्य कराया है एवं माह मई में भुगतान किया है किन्तु 15प्रतिशत सेंटेज चार्ज नहीं कटा है विवरण इस प्रकार रहा।

क्रम	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि
1	गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर पुराना के स्थान पर नया बोर्ड लगाया क्षेत्र०पंच० लघु उद्योग	450858
2	चौरीचौरा नई बाजार रुद्रपुर देवरिया पर पुराना के स्थान पर नया बोर्ड लगाया क्षेत्र०पंच० लघु उद्योग	450858
3	सहजनवां बरियार मार्ग के पास चौराहे के पास पुराना के स्थान पर नया बोर्ड लगाया क्षेत्र०पंच० लघु उद्योग	450858
4	कैम्पियरगंज महाराजगंज मैनावली पर पुराना के स्थान पर नया बोर्ड लगाया क्षेत्र०पंच० लघु उद्योग	450858
5	कैम्पियर गंज सन्तकबीर नगर करमैनीघाट पर पुराना के स्थान पर नया बोर्ड लगाया क्षेत्र०पंच० लघु उद्योग	450858
6	गोरखपुर पिपराइच कप्तानगंज रोड स्वागत बोर्ड को हटाकर नया यूपीएसटीसी लिमिटेड	450858
7	गोरखपुर पिपराइच हाटा मार्ग पर मदवापुर के पास पूर्व बोर्ड को हटाकर नया यूपी एसटीसी लिमिटेड	450858
	योग	3156006.00

इस प्रकार रु० 3156006 का 15 प्रतिशत रु० 473400.90 सेंटेज चार्ज न काटकर अनियमित भुगतान किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	473400.90	473400.90

प्रस्तर सं०-06 शासनादेश संख्या 8307/33.2.04-93 जी/2004 दिनांक 12-01-05 के अनुसार जिला पंचायत प्राप्त अनुदान से दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं पर

कार्य करायेगी जिसके विपरीत जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों में लोगों के घरों को जोड़ने का कार्य किया है जो शासनादेश का उल्लंघन एवं अनियमितता है—

क्रम सं०	विकास खण्ड	कार्य का नाम	व्ययित धनराशि
1	सरदारनगर	लक्ष्मणपुर में इंटरलॉकिंग कार्य	624650
2	ब्रह्मपुर	1. राजी जगदीशपुर जयप्रकाश के घर से मुन्नीलाल के घर तक इंटरलॉकिंग	535400
		2. ठकुराई मुण्डेरा में जय प्रकाश कहार के घर से बलदेव पाण्डेय के घर तक इंटरलॉकिंग	535600
3	कैम्पियरगंज	ग्राम पं० सरस में रामलखन पासवान के घर से रामनरेश पासवान के घर तक इंटरलॉकिंग	490450
4	गगहा	ग्राम रकहट नवाब चक चाँद देव निषाद के घर से रामचंद्र निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग	891700
5	बेलघाट	बारी गाँव हंसा धोबी के घर से नवल बेलदार के घर सम्पर्क मार्ग पर इंटरलॉकिंग	400900
		योग	3478700

इस प्रकार इंटर लॉकिंग का कार्य दो क्षेत्र पंचायतों को न जोड़कर व्यक्तियों के घरों को जोड़ने का कार्य कर रु० 3478700 की अनियमितता की गयी है । जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य उत्तरदायी रहे । उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	3478700.00	3478700.00

प्रस्तर सं०-07 भारत सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार(रोजगार एवं सेवा शर्त विनिमय) 1996 अधिनियमित किया गया । उक्त अधिनियम के अनुरूप उ० प्र० सरकार ने उ० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनिमय) नियम 2009 बनाया । उक्त नियम के एवं शासनादेश संख्या 1312/33-2-11-30 मी० /2011 के अनुसार ठेकेदार के बिलों से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में काटी जाय । जबकि नियोक्ता द्वारा 1प्रतिशत की धनराशि ठेकेदार के बिल से नहीं काटा गया है । प्रमाणको की जाँच में पाया गया कि बिलों में 1प्रतिशत लेबर शेष काटने के बजाय पहले जोड़ा गया है पुनः 1प्रतिशत की कटौती की गयी है। इस प्रकार नियोक्ता द्वारा 1प्रतिशत की धनराशि ठेकेदार के बिल से न काटकर उक्त शासनादेश एवं जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अंतर्गत रु० 194012.24 का अनियमित भुगतान किया गया है । जिस हेतु श्री अशोक कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री सन्तोष कुमार मौर्य वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी रहे । विवरण निम्न है । उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रमाणक	दिनांक माह/	लेबर सेस की धनराशि
182	जुलाई 18	11889.63
189	2018/07/25	6028.15
191	2018/07/25	1910.25
203	जुलाई 18	15312.46
206	जुलाई 18	10050.91
239	2018/08/09	27736.07
41	2018/08/09	11378.18
42	2018/08/09	9816.66

43	2018/08/09	7253.61
65	2018/08/16	4111.49
99	2018/08/21	14244.47
100	2018/08/21	7718.31
101	2018/08/21	322066
102	2018/08/21	6178.24
103	2018/08/21	4443.93
123	2018/08/29	17792.99
124	2018/08/29	3904.48
125	2018/08/29	6075.36
146	2018/10/25	9680
47	2018/12/12	3739.48
53	2019/02/16	11527.31
	योग	194012.24

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	194012.24	194012.24

प्रस्तर सं०-08 आलोच्य वर्ष 18-19 में एम्प्लसन एवं वी० जी० 10 के स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष में ठेकेदारों को विटुमिन 414.37 एम० टी० (2658 ड्रम) एवं इमल्सन 62.32 एम० टी० (312 ड्रम) निर्गत किया गया है । इस प्रकार खाली ड्रमों की कीमत विटुमिन 2658 ड्रम की प्रति ड्रम रु० 200 की दर से रु० 531600 एवं इमल्सन 312 ड्रम की कीमत प्रति ड्रम रु० 250 की दर से रु० 78000 होती है । इस प्रकार कुल रु० 609600 का समायोजन ठेकेदारों के बिलों से किया जाना चाहिए था । जबकि आलोच्य वर्ष में रु० 333220 का ही ठेकेदारों के बिलों से कटौती की गयी है । इस प्रकार रु० 276380 का कम समायोजन कर जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गयी है । जिस हेतु पटल सहायक /स्टोर इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री सन्तोष कुमार मौर्य तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी रहे । विवरण निम्नवत है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा वित्तीय परामर्शदाता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

माह	प्रमाणक संख्या	कटौती का मूल्य
नवम्बर 18	25,111,122,125,128	17080
दिसम्बर 18	22,25,66,67,78,87,89,105,111,112,119,120	58420
जनवरी 19	33,39,40,83,125,132,147,208	46340
फरवरी 19	48,53,69,78	25200
मार्च 19	,5,9,11,12,13,43,93,101,104,105,108,109,112,158 161,164,192,196,203,206,210	186180
	योग	333220

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	276380.00	276380.00

प्रस्तर सं०-09 आलोच्य वर्ष 18-19 के जिला पंचायत गोरखपुर के दुकान किराया रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायतों के प्रांगण/बाजारों में स्थित दुकानों में अधिकांशतःप्रतिशत दुकानों का किराया जमा नहीं हो रहा है एवं अधिकांश दुकानों के किराया की वसूली नाम मात्रिक या शून्य हो रही है । जिससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित क्षेत्र के कर समाहर्ता / करनिरीक्षक /प्रभारी कर अधिकारी द्वारा

अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया जा रहा है जिससे संस्था को वित्तीय / आर्थिक क्षति हो रही है जो उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (5) तक के प्रावधानों के विपरीत रहा किराया न जमा होने के कारण विगत वर्षों तक के बकाये किराये की वसूली हेतु रु० 6239907 का अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जा चुका है किन्तु कार्यवाही/ अनुपालन न किये जाने के कारण आलोच्य वर्ष में कुल रु० 7780003 बकाया किराया रहा । अतःप्रतिशत किराया न जमा होने के लिए संलग्न तालिका के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए वसूली के प्रति लापरवाही के लिए जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों / प्रबंध तंत्र एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है विवरण निम्नवत है । उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा कर समाहर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तथा कर समाहर्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	क्षेत्र पंचायत कानाम	आपत्ति सं०	स्थल का नाम जहां दुकान स्थित है	वर्ष 18-19 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 में वसूली	31/03/19 को अवशेष	जिम्मेदार व्यक्तिका नाम	गत वर्ष की धनराशि जिस पर अधिकार कार्यवाही हो चुकी है
1	गगहा	45 (1)	जूनियर हाई स्कूल का प्रांगण	268464	615412	883876	37670	846206	रामशीष कर निरीक्षक, राजीव शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी, अशोक कुमार सिंहअपर मुख्य अधिकारी	615756
2	गगहा	45 (2)	मवेशी खाना हाटा बाजार	195840	563959	759799	53650	706149	उपरोक्त	563259
3	गगहा	45 (3)	मवेशी खाना मझगावा	18390	89815	108205	0	108205	उपरोक्त	89815
4	खजनी	45 (4)	जूनियर हाई स्कूल खजनी का प्रांगण	159960	61225	221185	122343	98842	दयाशंकर यादव कर समाहर्ता, राजीव शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी, अशोक कुमार सिंह	61225

									अपर मुख्य अधिकारी	
5	कौड़ीरा म	45 (5)	जूनियर हाई स्कूल कौड़ीरा म का प्रांगण	250289	514330	764619	84286	680333	राजेश सिंह कर निरीक्षक, राजीव शुक्ल प्रभारी कर अधिकारी, अशोक कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी	511697
6	कौड़ीरा म	45 (6)	पुराने दुकानों के छत के उपर	73314	147991	221305	24577	196728	उपरोक्त	148345
7	कौड़ीरा म	45 (7)	पुराने दुकानों के छत के नीचे	69000	201183	270183	63689	206494	उपरोक्त	190039
8	बांसगांव (क)	45 (8 क)	बोर्डिंग हाउस बांसगांव के प्रांगण में	183312	482908	666220	58002	608218	सन्तोष सिंह कर अधिकारी	
	बांसगांव (ख)	45 (8 ख)	नार्मल स्कूल बांसगांव खजनीरोड	137020	401185	538205	54718	483487	उपरोक्त	886244
				योग				1091705		
9	उरुवा	45 (9)	प्रा०पा० मालहन पार के प्रांगण में	186864	1271988	1458852	86800	1372052	उपरोक्त	1272988
10	उरुवा	45 (10)	सिकरीगंज	175200	461232	636432	237444	398988	उपरोक्त	974132
11	पाली	45 (11 क)	प्रा०पा० घघसरा बाजार	158700	432032	590732	160720	430012	अनिरुद्ध सिंह कर समाहर्ता	
	पाली	45 (11 ख)	मवेशी खाना घघसरा बाजार	162720	541205	703925	123045	580880	उपरोक्त	

								1010892		
12	चरगा वां	45 (12)	पादरीबा जार	117300	84876	202176	110146	92030	धरीक्षणकर समाहर्ता	84864
13	बडहल गंज	45 (13)	बडहलगं ज	574888	861531	1436419	465040	971379	पंचदेव चतुर्वेदी कर निरीक्षक	841543
				2731261	6730872	9462133	1682130	7780003		6239907

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	7780003.00	7780003.00

विस्तृत विवरणक्षेत्र पंचायतवार/स्थलवार निम्नवत है-
संलग्नक-09(1)

जूनियर हाई स्कूल काप्रांगण

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/ दुकानदार	वर्ष 18- 19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18- 19 में वसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	संजय कुमारसिंह	5712	30045	35757	0	35757
2	2	पन्नेलाल	5712	28028	33740	0	33740
3	3	परमहंससिंह	5712	17301	23013	0	23013
4	4	छेदीसिंह	5712	16652	22364	0	22364
5	5	शिवेंद्रसिंह	5712	5787	11499	0	11499
6	6	सुनीलकुमार सिंह	5712	5787	11499	0	11499
7	7	राजेशकुमार सिंह	5712	7913	13625	0	13625
8	8	शिवाजीसिंह	5712	15138	20850	0	20850
9	9	इन्द्रसेनसिंह	5712	30384	36096	0	36096
10	10	योगेश्वरसिंह	5712	29063	34775	0	34775
11	11	सत्यप्रकाशभारती	5712	15799	21511	0	21511
12	12	सतीशसिंह	5712	4110	9822	0	9822
13	13	रामानंदसिंह	5712	4110	9822	0	9822
14	14	मंगनीसाहू	5712	3584	9296	0	9296
15	15	दयाशंकर	5712	18672	24384	0	24384
16	16	आनंदशंकरसिंह	5712	19856	25568	0	25568
17	17	रामअवधयादव	5712	899	6611	0	6611
18	18	हीरालालसोनकर	5712	26967	32679	0	32679
19	19	श्रीमतीकिशोरीलाल	5712	18513	24225	0	24225
20	20	विनय कुमारसिंह	5712	20854	26566	0	26566
21	21	बालमुकुन्दचंद	5712	18172	23884	0	23884
22	22	उमेश कुमारसिंह	5712	11798	17510	0	17510

23	23	रणवीरसिंह	5712	3048	8760	2267	6493
24	24	श्रीराममूरत	5712	11340	17052	762	16290
25	25	श्रीपूजन	5712	9990	15702	2000	13702
26	26	श्रीराजाराम पटवा	5712	18586	24298	0	24298
27	27	रामसिंहासनसिंह	5712	12858	18570	2000	16570
28	28	अवधेशसिंह	5712	8605	14317	0	14317
29	29	सुरेन्द्रसिंह	5712	13448	19160	0	19160
30	30	श्रीमती सुधा सिंह	5712	18760	24472	0	24472
31	31	दिनेशसिंह	5712	21760	27472	0	27472
32	32	अच्छेलाल	5712	381	6093	6929	-836
33	33	श्री रामनारायण	5712	7733	13445	3048	10397
34	34		5712	5251	10963	6572	4391
35	35	श्री रामसुन्दर प्रसाद	5712	2178	7890	2286	5604
36	36	रामचन्द्रगुप्ता	5712	11392	17104	1000	16104
37	37	रामेश्वरसिंह	5712	29369	35081	0	35081
38	38	अंगनू	5712	10968	16680	0	16680
39	39	मदनेशभारती	5712	17261	22973	0	22973
40	40	परमेश्वरसाहू	5712	4572	10284	0	10284
41	41	सूर्यनाथसिंह	5712	2572	8284	0	8284
42	42	श्रीमतीचांदमती देवी	5712	9446	15158	0	15158
43	43	श्रीमतीसोना देवी	5712	8311	14023	0	14023
44	44	रामबली	5712	28255	33967	1662	32305
45	45	श्रीदेवीलाल	5712	2660	8372	2286	6086
46	46	श्रीमतीदुर्गावती देवी	5712	2664	8376	2286	6090
47	47	अलमबरदार	5712	4572	10284	4572	5712
		योग	268464	615412	883876	37670	846206

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	846206.00	89815.00

संलग्नक -09(2)

मवेशी खाना हाटा बाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	गौरीशंकर	19584	42439	62023	5220	56803
2	2	रामदेवतिवारी	19584	53696	73280	7830	65450
3	3	श्री निवासशाही	19584	39227	58811	7830	50981
4	4	अविनाशचन्द्र पाण्डेय	19584	78009	97593	5220	92373
5	5	श्री रामजीदूबे	19584	96862	116446	4000	112446

6	6	श्रीपृथ्वीराज सिंह	19584	62954	82538	0	82538
7	7	श्रीराधेश्याम चौरसिया	19584	62187	81771	6000	75771
8	8	श्री आशिकअली	19584	50034	69618	6025	63593
9	9	श्रीसुल्तान मोहम्मद	19584	31129	50713	5500	45213
10	10	श्रीइस्लाम अन्सारी	19584	47422	67006	6025	60981
योग			195840	563959	759799	53650	706149

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	706149.00	706149.00

संलग्नक -09 (3)

मवेशी खाना मझगांवा

क्रम सं०	दुकानसं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	हरिरामसिंह	3678	27941	31619	-	31619
2	2	राजमंगल	3678	19806	23484	-	23484
3	3	रामसिंहासनसिंह	3678	14306	17984	-	17984
4	4	परमात्माहलवाली	3678	12006	15684	-	15684
5	5	अशोक कुमारहलवाई	3678	15756	19434	-	19434
योग			18390	89815	108205	-	108205

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	108205.00	108205.00

संलग्नक -09 (4)

जूनियर हाई स्कूल खजनी का प्रांगण

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	सुशीलादेवी	13740	3461	17201	10789	6412
2	2	प्रेमनारायणतिवारी	13740	3461	17201	10789	6412
3	3	रामदेव	13740	3461	17201	10789	6412
4	4	चंद्रप्रकाश	13740	3461	17201	10789	6412
5	5	श्रीमतीसुलमा देवी	13740	3461	17201	10789	6412
6	6	दिनेशकुमार त्रिपाठी	13740	3461	17201	12621	4580
7	7	शिवदत्तराम त्रिपाठी	13740	3461	17201	12621	4580
8	8	वीरेन्द्रकुमार	13740	3461	17201	10789	6412
9	9	श्रीमतीचंपा देवी	13740	3461	17201	10789	6412

10	10	श्रीसच्चिदानंद	13740	3461	17201	10789	6412
11	11	श्री राकेशकुमार तिवारी	13740	3461	17201	10789	6412
12	12	श्रीप्रदीप कुमार गुप्ता	4410	11577	15987	0	15987
13	13	श्रीजनार्दन यादव	4410	11577	15987	0	15987
		योग	159960	61225	221185	122343	98842

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	98842.00	98842.00

संलग्नक-09 (5)

जूनियर हाई स्कूल कौडीराम का प्रांगण

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/ दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 को अवशेष
1	1	श्रीरामवृक्ष	3666	5014	8680	4000	4680
2	2	श्रीशम्भूशरण पाण्डेय	3539	0	3539	6500	-2961
3	3	श्री अजीतकुमार मिश्र	3666	13274	16940	5000	11940
4	4	श्रीयागवेंद्र सिंह	3666	19952	23618	3000	20618
5	5	श्री जयगोविन्द	7332	3176	10508	5910	4598
6	6	श्री कृष्णमुरारी पाण्डेय	7332	26058	33390	0	33390
7	7	श्री राघवराम	7332	23597	30929	0	30929
8	8	श्रीरामजतन	7332	7355	14687	0	14687
9	9	श्रीभैरवनाथ गुप्ता	7332	11100	18432	2000	16432
10	10	श्रीसुभाषचन्द्र सिंह	7332	21368	28700	0	28700
11	11	श्री सुनीलराय	7332	23098	30430	0	30430
12	12	श्री संजयकुमार राय	7332	23034	30366	0	30366
13	13	श्रीरामदरश राय	7332	9704	17036	0	17036
14	14	श्रीरामनिवास राय	7332	1490	8822	0	8822
15	15	श्री अनिलकुमार तिवारी	7332	10904	18236	16772	1464
16	16	श्रीहौसिला प्रसाद	7332	10476	17808	0	17808
17	17	श्री विजयनारायण	7332	1208	8540	0	8540
18	18	श्री रामनारायण यादव	7332	9716	17048	0	17048
19	19	श्रीमतीकलावती देवी	7332	21368	28700	0	28700
20	20	श्रीहौसिला प्रसाद मिश्र	7332	5868	13200	5868	7332
21	21	श्रीभोजनाथ राय	7332	26268	33600	0	33600
22	22	श्रीदिवाकर पाण्डेय	7332	22768	30100	0	30100

23	23	श्री अनिलकुमार राय	4794	0	4794	5868	-1074
24	24	श्रीमुरारी गुप्ता	3666	3000	6666	0	6666
25	25	श्रीराधेश्याम जायसवाल	7332	19268	26600	6000	20600
26	26	श्रीमतीलीलावती देवी	3666	2934	6600	5868	732
27	27	श्रीब्रह्मनंद राय	7332	24736	32068	0	32068
28	28	श्रीवैजनाथ राम	7332	3377	10709	0	10709
29	29	श्रीकेशभान राय	7332	19168	26500	6500	20000
30	30	श्रीसदावृक्ष मद्धेशिया	7332	5808	13140	0	13140
31	31	श्रीरामप्रवेश	7332	24968	32300	500	31800
32	32	श्री भगवानचौधरी	7332	5507	12839	0	12839
33	33	श्रीमतीफूलवासी देवी	7332	16868	24200	3000	21200
34	34	श्रीरविन्द्र सिंह	7332	14368	21700	1000	20700
35	35	श्रीमतीरीता देवी	7332	8212	15544	6000	9544
36	36	श्रीरामभवन यादव	7332	18088	25420	500	24920
37	37	श्रीरामवृक्ष	3666	6214	9880	0	9880
38	38	श्रीप्रेमसागर	3666	20794	24460	0	24460
39	39	श्रीमुक्तिबाथ राय	3666	24224	27890	0	27890
		योग	250289	514330	764619	84286	680333

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	680333.00	680333.00

संलग्नक -09 (6)

पुरानी दुकानों के छत के उपर

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/ दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	सुरेश राय	7332	14660	21992	0	21992
2	2	चन्द्रभान राय	7332	24994	32326	2000	30326
3	3	कन्हैया	7332	8934	16266	0	16266
4	4	श्री कैलाश	7332	10148	17480	6500	10980
5	5	श्री मोतीलाल	7332	17489	24821	2500	22321
6	6	श्री काली प्रसाद	7332	21388	28720	3500	25220
7	7	श्री यागवेन्द्र सिंह	7332	35094	42426	0	42426
8	8	श्री अनिल कुमार गुप्ता	7326	0	7326	4277	3049
9	9	श्री सच्चिदानंद तिवारी	7332	5808	13140	5800	7340
10	10	श्री परमेश्वर गौड़	7332	9476	16808	0	16808
		योग	73314	147991	221305	24577	196728

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	196728.00	196728.00

संलग्नक-09 (7)

पुरानी दुकानों के छत के नीचे

क्रम सं०	दुकान सं०	नाम किरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	सुरेशराय	6900	25502	32402	2000	30402
2	2	चन्द्रभानुराय	6900	32552	39452	3000	36452
3	3	श्रीसुभाष	6900	3415	10315	0	10315
4	4	श्रीभोलानाथ	6900	24552	31452	5000	26452
5	5	श्रीमोतीलाल	6900	17144	24044	9500	14544
6	6	श्रीदुर्गा	6900	11144	18044	15000	3044
7	7	श्रीयागवेन्द्र	6900	60612	67512	1000	66512
8	8	श्री अनिलकुमार राय	6900	18144	25044	22169	2875
9	9	श्रीशिवानन्द तिवारी	6900	202	7102	5520	1582
10	10	श्रीदिनेश	6900	7916	14816	500	14316
		योग	69000	201183	270183	63689	206494

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	206494.00	206494.00

संलग्नक-09 (8)

बोर्डिंग हाउस बासगांव के प्रांगण में

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	मानवेन्द्र सिंह	7332	2928	10260	0	10260
2	2	श्री धर्मपाल सिंह	7332	24429	31761	7300	24461
3	3	श्री शम्भुनाथ सिंह	7332	7435	14767	2444	12323
4	4	श्री मंजर आलम	7332	15304	22636	0	22636
5	5	श्रीमती पूनम सिंह	7332	16128	23460	2000	21460
6	6	श्री धर्मपाल सिंह	7332	23929	31261	0	31261
7	7	श्रीपवन कुमार सिंह व श्री लक्ष्मीकांत सिंह	7332	16541	23873	750	23123
8	8	श्रीमती कमलावती	7332	20260	27592	0	27592
9	9	श्रीमती गीता देवी	7332	2928	10260	7332	2928
10	10	श्री मुन्ना लाल	7332	18814	26146	5000	21146
11	11, 12	श्री शिवाजी सिंह	14676	20556	35232	0	35232
12	13	श्री वेद प्रकाश शाही	7332	36679	44011	0	44011
13	14	श्री अमरनाथ गुप्ता	7332	14479	21811	3000	18811
14	15	श्री शम्भुनाथ सिंह	7332	9635	16967	7944	9023
15	16	श्रीमती कमलावती	7332	35504	42836	0	42836
16	17	श्री सुरेश सिंह	7332	29843	37175	0	37175

17	18	श्री हरिश्चन्द्र सिंह	7332	24331	31663	0	31663
18	19	श्री दीनानाथ गुप्ता	7332	1796	9128	7332	1796
19	20	श्री अशोक सिंह	7332	38454	45786	0	45786
20	21	श्री शिवाजी पाण्डेय	7332	21333	28665	6000	22665
21	22	श्री सोमनाथ गुप्ता	7332	22629	29961	5000	24961
22	23	श्रीमती सुन्दावती देवी	7332	5815	13147	3900	9247
23	24	श्री सन्तकुमार सिंह	7332	38454	45786	0	45786
24	25	श्री सुभाष सिंह	7332	34704	42036	0	42036
योग			183312	482908	666220	58002	608218

नोट—दुकान सं० 26 से 51 तक का उल्लेख रजिस्टर में नहीं है, आगे दुकान सं० 51 से नार्मल स्कूल बासगांव खजनी रोड की दुकानों का विवरण है। दुकान सं० 26 से 50 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जानी अपेक्षित है।

नार्मल स्कूल बांसगांव खजनी रोड

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	51	श्री सुनील कुमार सिंह	7332	0	7332	5868	1464
2	52	श्री अशोक सिंह	7332	19996	27328	0	27328
3	53	श्री सोनूसिंह	2760	1470	4230	3807	423
4	54	श्री कृष्णकांत सिंह	2610	842	3452	3807	-355
5	55	श्री बलरामसिंह	2538	4674	7212	2538	4674
6	56	श्री अभिषेक कुमार सिंह	3666	5055	28721	0	28721
7	57	श्री रविन्द्र सिंह	5359	0	5359	5359	0
8	58	श्रीमती अनीता सिंह	7332	19514	26846	0	26846
9	59/1	श्री तीरथ सिंह	436	0	436	0	436
10	59/2	श्री गोधनगुप्ता	779	0	779	1000	-221
11	59/3	श्री गोधनगुप्ता	1230	1242	2472	0	2472
12	60	श्रीमोतीलाल	7332	26540	33872	5000	28872
13	61	श्रीरामचन्द्र पाण्डेय	7332	26270	33602	7332	26270
14	62	श्री दानबहादुर सिंह	7332	7064	14396	7332	7064
15	63	श्री महदेवसिंह	7332	49196	56528	0	56528
16	64	श्रीओमप्रकाश हलवाई	7332	26128	33460	0	33460
17	65	श्री सुरेशसिंह	7332	16128	23460	0	23460
18	66	श्री आनन्दसिंह	7332	32000	39332	2000	37332
19	67	श्रीरामजतन सिंह	7332	26474	33806	5500	28306
20	68/1	श्रीमोतीलाल	3720	13848	17568	0	17568
21	68/2	श्री राणाप्रताप सिंह	3720	10626	14346	0	14346
22	69	श्रीगिरजेश सिंह	7332	25174	32506	0	32506
23	84	रमेशसिंह	3174	6348	9522	3175	6347
24	81	महेशप्रसाद	6348	27924	34272	0	34272

25	82		6348	27924	34272	0	34272
26	85	राजेशसिंह	6348	6748	13096	2000	11096
		योग	137020	401185	538205	54718	483487

नोट— किराया रजिस्टर के अनुसार दुकान सं० 70 से 80 तक का विवरण रजिस्टर में अंकित न करके खाली छोड़ दिया गया है। दुकान सं० 83 में दुकानदार के नाम का उल्लेख है परन्तु मांग वसूली बकाया का कोई विवरण अंकित नहीं है। इसी प्रकार दुकान 86 से 89 तक रजिस्टर पर दुकानदार का नाम अंकित है परन्तु मांग वसूली बकाया का कोई विवरण अंकित नहीं है। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1091705.00	1091705.00

संलग्नक-09 (9)

प्रा०पा० मालहनपार के प्रांगण में

क्रम सं०	दुकानसं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	श्री विद्यापुरी	10992	112044	123036	0	123036
2	2	श्री ब्रह्मचर्यपाण्डेय	10992	105504	116496	0	116496
3	3	श्री रामसुमेर मौर्य	10992	70654	81646	0	81646
4	4	श्रीमती शान्ति देवी	10992	64844	75836	0	75836
5	5	श्री रामचन्द्र गुप्ता	10992	75294	86286	0	86286
6	6	श्री समर बहादुर चंद	10992	64094	75086	0	75086
7	7	श्री सत्य नारायण चंद	10992	64344	75336	27000	48336
8	8	श्री घनश्याम शुक्ल	10992	76544	87536	0	87536
9	9	श्री नारद पाण्डेय	10992	67594	78586	0	78586
10	10	श्री बेनी माधव	10992	79754	90746	0	90746
11	11	श्री रामनंदन मौर्य	10992	72504	83496	0	83496
12	12	श्री पुरुषोत्तम राम	10992	64594	75586	27300	48286
13	13	श्री राजेन्द्र सिंह	10992	64594	75586	0	75586
14	14	श्री चन्द्र देव राय	10992	64594	75586	0	75586
15	15	श्री राकेश	10992	76844	87836	0	87836
16	16	श्री विजय शंकर यादव	10992	66844	77836	0	77836
17	17	श्री दीनदयाल पाण्डेय	10992	81344	92336	32500	59836
		योग	186864	1271988	1458852	86800	1372052

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1372052.00	1372052.00

संलग्नक-09 (10)

सिकरीगंज

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	श्री भृगुनाथ सिंह	10992	6563	17555	2250	15305
2	2	श्री रामदेव प्रसाद	10992	11258	22250	15600	6650
3	3	श्रीमती अनारी देवी	8748	19315	28063	13100	14963
4	4	श्री रामवृक्ष	8748	21634	30382	27250	3132
5	5	श्रीमती मजिबुन निशा	8748	31914	40662	6000	34662
6	6	श्री राधेश्याम सिंह	8748	39422	48170	4500	43670
7	7	श्री सत्यानन्द	8748	40590	49338	7500	41838
8	8	श्री दिलीप कुमार	8748	19956	28704	10821	17883
9	9	श्री सरिक अन्सारी	8748	41922	50670	5000	45670
10	10	श्री उदयराज गुप्ता	11004	31207	42211	40451	1760
11	11	श्री केदार प्रसाद	10992	29152	40144	13616	26528
12	12	श्री उमेश प्रताप सिंह	8748	13278	22026	6000	16026
13	13	श्री जगदीश प्रसाद	8748	14634	23382	16384	6998
14	14	श्री त्रियुगी नारायणओझा	8748	24321	33069	1000	32069
15	15	श्री रामलाल	8748	42948	51696	12000	39696
16	16	श्री हरिराम	8748	23343	32091	11500	20591
17	17	श्री रामसिंहासन मिश्र	8748	0	8748	2916	5832
18	18	श्री रविन्द्रनाथ	8748	29556	38304	29556	8748
19	19	श्री विद्यासागर सिंह	8748	20219	28967	12000	16967
		योग	175200	461232	636432	237444	398988

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	398988.00	398988.00

संलग्नक -09 (11)

प्रा०पा० घघसरा बाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिराये दार/ दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	राजेश कुमार	6900	16144	23044	14000	9044
2	2	रामललित	6900	22384	29284	18500	10784
3	3	जगदम्बा मौर्य	6900	8716	15616	13700	1916
4	4	बलराम मौर्य	6900	7160	14060	5400	8660
5	5	दिनेश कुमार विश्वकर्मा	6900	17456	24356	8320	16036
6	6	बसंत लाल	6900	11034	17934	10100	7834
7	7	लालमन सिंह	6900	14296	21196	8200	12996
8	8	रामदरश गिरी	6900	44224	51124	6000	45124

9	9	धर्मेन्द्र मदेशिया	6900	14054	20954	6000	14954
10	10	रामकेवल	6900	0	6900	6900	0
11	11	कृष्ण मुरारी यादव	6900	0	6900	3500	3400
12	12	राजाराम सिंह	6900	0	6900	6900	0
13	13	चंद्रेश सिंह	6900	40678	47578	7400	40178
14	14	रामलौट पाण्डेय	6900	44334	51234	0	51234
15	15	फेरई प्रसाद	6900	12614	19514	6000	13514
16	16	हरिराम सिंह	6900	28234	35134	2600	32534
17	17	जंगली सिंह	6900	25404	32304	0	32304
18	18	रामजीवन	6900	19364	26264	7200	19064
19	19	द्वारिका प्रसाद	6900	19752	26652	11800	14852
20	20	विष्णु सिंह	6900	26304	33204	0	33204
21	21	अमर सिंह	6900	29134	36034	10000	26034
22	22	प्रदुम्न सिंह	6900	22614	29514	0	29514
23	23	चक्रधारी	6900	8132	15032	8200	6832
योग			158700	432032	590732	160720	430012

मवेशी खानाघसरा

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	सत्यनारायण सिंह	13740	22022	35762	21700	14062
2	2	कृष्णमुरारी	11460	41975	53435	8000	45435
3	3	भानमती देवी	11460	51005	62465	5000	57465
4	4	बनारसी पाण्डेय	11460	27636	39096	11095	28001
5	5	पत्थर गुप्ता	11460	48186	59646	10000	49646
6	6	राधेश्याम	11460	81011	92471	8750	83721
7	7	लालचंद गुप्ता	11460	65271	76731	5000	71731
8	8	सुनील दत्त मिश्र	11460	53729	65189	9000	56189
9	9	अशोक कुमार	11460	36679	48139	0	48139
10	10	राम सिंह	11460	8730	20190	11000	9190
11	11	सरोज पाण्डेय	11460	35529	46989	11000	35989
12	12	त्रियुगी नारायण दूबे	11460	28118	39578	9000	30578
13	13	गोपाल	11460	33479	44939	7000	37939
14	14	नागेश्वर राज	11460	7835	19295	6500	12795
योग			162720	541205	703925	123045	580880

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1010892.00	1010892.00

संलग्नक -09 (12)

पादरी बाजार

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 कीमांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1 व 2	उषा देवी	13800	0	13800	3680	10120
2	3 व 4	सन्तोष कुमार वर्मा	13800	10603	24403	24403	0
3	5	माता प्रसाद	6900	4520	11420	7800	3620
4	6	शरीक खां	6900	13331	20231	5600	14631
5	7 व 8	शंकर प्रसाद	13800	4540	18340	11800	6540
6	9	अलोक कुमार वर्मा	6900	5980	12880	4025	8855
7	10	मुखराम	6900	0	6900	4830	2070
8	11	सी० के० सिंह	6900	5520	12420	10000	2420
9	12	राजकुमार	6900	0	6900	6900	0
10	13	गणेश प्रसाद श्रीवास्तव	6900	15066	21966	2000	19966
11	14	रामसिंगारी	6900	8060	14960	5000	9960
12	15	बबिता सिंह	6900	5520	12420	7020	5400
13	16	रमाकांत चौहान	6900	5868	12768	9968	2800
14	17	विजय कुमार	6900	5868	12768	7120	5648
		योग	117300	84876	202176	110146	92030

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	92030.00	92030.00

संलग्नक-09 (13)

बडहलगंज

क्रम सं०	दुकान सं०	नामकिरायेदार/दुकानदार	वर्ष 18-19 की मांग	पिछला मांग	योग	वर्ष 18-19 मेंवसूली	31/03/19 कोअवशेष
1	1	ज्वाला प्रसाद दूवे	13032	15718	28750	15500	13250
2	2	ओमप्रकाश शुक्ल	13032	18335	31367	11428	19939
3	3	सत्य प्रकाश	13032	18140	31172	7500	23672
4	4	दयाशंकर	13032	9944	22976	10000	12976
5	5	मोहम्मद अली	13032	5211	18243	18000	243
6	6	राजाराम	6168	0	6168	12000	-5832
7	7	राम समुझ पाण्डेय	13032	13359	26391	5000	21391
8	8	राज बहादुर सिंह	13032	7704	20736	2000	18736
9	9	ओम प्रकाश चौरसिया	10296	0	10296	8232	2064
10	10	मुहम्मद हुसैन	10296	15923	26219	6000	20219
11	11	छविनाथ	10296	28099	38395	4000	34395
12	12	किशुन	10296	32876	43172	9000	34172

13	13	शिवपूजन	10296	47276	57572	10000	47572
14	14	राधेश्याम	10296	26925	37221	12000	25221
15	15	विद्या निवास शुक्ल	10296	14711	25007	8232	16775
16	16	हरिहर प्रसाद	5160	1127	6287	4128	2159
17	17	प्रशांतकुमार चौरसिया	10296	3430	13726	4800	8926
18	18	कैलाश	10296	13108	23404	10000	13404
19	19	ओम प्रकाश चौरसिया	10296	13108	23404	10000	13404
20	20	प्रमोद कुमार	10296	14108	24404	10000	14404
21	21	हरिशंकर	10296	15448	25744	8000	17744
22	22	रामनारायण	10296	20480	30776	8000	22776
23	23	विश्वनाथ	10296	8563	18859	8500	10359
24	24	नागेन्द्र सिंह	13032	26139	39171	8000	31171
25	25	प्रदीप कुमार मोदनवाल	13032	26784	39816	12100	27716
26	26	मुहम्मद इस्माइल	13032	27114	40146	15000	25146
27	27	अशोक कुमार गुप्ता	13032	26918	39950	10200	29750
28	28	शशिकला तिवारी	13032	11774	24806	8400	16406
29	29	मुन्नी देवी	13032	19749	32781	5700	27081
30	30	मुन्नी देवी	13032	28648	41680	3400	38280
31	31	अम्बिका प्रसाद मौर्य	13032	13274	26306	8000	18306
32	32	निवास शुक्ला	13032	39395	52427	10428	41999
33	33	राधेश्याम	13032	51786	64818	8000	56818
34	34	नैय्यर सुल्तान	13032	10349	23381	10000	13381
35	35	आफताब आलम	13032	9654	22686	10000	12686
36	36	रामनवल दूबे '	13032	9503	22535	3000	19535
37	37	सुरेश नाथ	13032	18799	31831	12300	19531
38	38	सुभाष	13032	21091	34123	9100	25023
39	39	दीपनारायण पाण्डेय	13032	32842	45874	8300	37574
40	40	विजय प्रताप शाही	13032	4345	17377	10000	7377
41	41	श्री राजबहादुर	13032	18765	31797	1000	30797
42	42	बलवंत शाही	13032	4245	17277	10500	6777
43	43	रामफकी जायसवाल	12806	0	12806	13000	-194
44	44	सन्तोष दूबे	10296	26062	36358	23500	12858
45	45	श्रवण कुमार शाही	5918	0	5918	0	5918
46	46-47/1	श्रीमती विंध्यवासिनी	15492	20180	35672	15000	20672
47	47/2	श्रीमतीरामप्यारी देवी	5160	18447	23607	3300	20307
48	47/3	सुरेन्द्रसिंह	5160	26306	31466	29500	1966
49	47/4	ध्रुवनारायण	5160	2759	7919	1650	6269
50	48	विनोदकुमार चौरसिया	10296	17490	27786	5500	22286
51	49	कृष्णचौरसिया	10296	5520	15816	7842	7974
योग			574888	861531	1436419	465040	971379

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	971379.00	971379.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

प्रारूप : 2

जनपद का नाम : कुशीनगर

मण्डल का नाम : गोरखपुर

जिला पंचायत : कुशीनगर

लेखा परीक्षा वर्ष : 2018-19

प्रस्तर संख्या : 1. पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन, पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 के बिन्दु-2 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें सबसीडियरीटी के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात् जो कार्य नीचे के स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से कराया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाये। बिन्दु-3 के अनुसार जिला पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य सम्पादित कराएगी। बिन्दु-7 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में दस लाख रुपये से अधिक की कार्य योजनाएं ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित कराएंगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु०2032900.00 आवंटित कर दिनांक 31.03.2019 तक रु०12891760.00 का अनियमित व्ययकिया गया है। जिसके लिए श्री अमितराज सिंह (अ.मु.अधि.) एवं श्री अनिल कुमार सिंह (लेखाकार) उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार इस प्रकार के कार्यों का विवरण अंकित है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	विकास क्षेत्र	31.03.2019 तक भुगतान की धनराशि
1.	ग्राम सभा चेगौना में सिकन्दर के घर से उमेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	980000.00	हाटा	448000.00
2.	ग्राम सभा कुड़वा के जीतबहादुर टोला में समला कुम्हार के घर के सामने से मैनुद्दीन के घर के पास पीच तक इण्टरलाकिंग कार्य	861000.00	कसया	693280.00
3.	ग्राम नोनिया पट्टी हनुमान गंज में लल्लन के घर से रामनरेश कुशवाहा के घर होते हुए नौका टोला जलीअंसारी के घोटा तक खड़न्जा कार्य	980000.00	फाजिलनगर	814240.00
4.	ग्राम सभा रतनवा में पीच रोड भरपटिया टोला जाने वाली मार्ग के तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	985000.00	पड़रौना	579712.00
5.	ग्राम सभा पटेरा खुर्द में किशोरकुम्हार के घर से काली स्थान जाने वाली मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	551000.00	विशुनपुरा	392000.00
6.	ग्राम सभा चितहौ में पीच रोड कृष्ण कुमार तिवारी के घर से मस्जिद जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	660000.00	विशुनपुरा	489440.00
7.	ग्राम सभा सरगटिया रामनगर में पीच रोड रणजीत पाण्डेय के घर से भीमल छपरा जाने वाली मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	960000.00	विशुनपुरा	749728.00
8.	ग्राम सभा झड़वा में दोमठ सेवरही पीच मार्ग से राजेन्द्र यादव के घर तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	700000.00	सेवरही	452480.00
9.	ग्राम सभा बुजुपट्टी पीचरोड अमर सिंह के घर से प्रा० वि० के तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	600000.00	सेवरही	420000.00

10.	ग्राम सभा बनजारी पट्टी में सोहरौना जाने वाली मार्ग पर छठ घाट का सुन्दरीकरण कार्य	1000000.00	सेवरही	713552.00
11.	ग्राम सभा मठिया प्रसिद्ध तिवारी में पीच रोड बत्तीस तिवारी के खेत से प्रा० वि० जानेवाली मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	999000.00	विशुनपुरा	577360.00
12.	ग्राम सभा कंठीछपरा के मुखिया टोला पीचरोड राजकुमार के घर से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग कार्य	711000.00	विशुनपुरा	283360.00
13.	हाटा-कप्तानगंज मार्ग के बेलवा सुदामा में घर्मपुर के तरफ 1.2 किमी. खडन्जा कार्य	999000.00	मोतीचक	423360.00
14.	रामपुर बगहा में सी.सी रोड से अमला सिंह के खेत के आगे के तरफ मिट्टी/खडन्जा कार्य	999000.00	मोतीचक	512960.00
15.	ग्राम सभा महुआ पीचरोड से सी.सी.रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	नेबुआनौरगिया	110880.00
16.	ग्राम सभा घर्मपर्वत में मेन पीच से शंकरजी के स्थान तक तक इण्टरलाकिंग कार्य	724000.00	दुदही	550032.00
17.	ग्राम सभा जंगल लाला छपरा के सोहनपुर टोला में पीचरोड नियाज मिया के घर से दयाल गोड़ के घर के तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	618000.00	दुदही	509936.00
18.	ग्राम सभा धुरिया रामचन्द्र के खेत से बनरहवा टोला मार्ग पर तक इण्टरलाकिंग कार्य	999000.00	कसया	319200.00
19.	ग्राम धिवही पीचमार्ग से ग्राम सोहनी मन्तू दीवान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	850000.00	कप्तानगंज	471520.00
20.	ग्रामझझवा पीचरोड से जनार्दन यादव के घर के तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	898000.00	कप्तानगंज	756000.00
21.	ग्राम सभा मोरवन में फलवरिया टोला के मेनरोड से अन्दर के तरफ जानेवालीमार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	731000.00	रामकोला	403088.00
22.	ग्राम सभा माण्डे राय में मेनरोड से रामनाथ के घर होते हुए शिव मन्दिर के तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	865000.00	रामकोला	487200.00
23.	ग्राम पचफेड़ा जटहॉ पड़रौना पीचरोड से जयप्रकाश राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	619000.00	विशुनपुरा	446096.00
24.	ग्राम भिसवा मठवालगिरी में अमेरिका के घर से छांगुर शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	550000.00	सुकरौली	470736.00
25.	ग्राम सभा लेहनी में सत्येन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	990000.00	सुकरौली	817600.00
योग		20329000.00		12891760.00

(मूल आपत्ति सं०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	12891760.00	12891760.00

प्रस्तर संख्या : 2- भारत सरकार के भवन व अन्य संनिर्माण कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनिमय) 1996 अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनिमय) 2009 बनाया। उक्त नियम एवं शासनादेश संख्या-1312/33-2-11-30मी०/2011 के अनुसार ठेकेदार के बिलों से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में काटी जाय, जबकि नियोक्ता द्वारा 1 प्रतिशत की धनराशि ठेकेदार के बिल से नहीं काटा गया है। प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि बिलों में 1 प्रतिशत लेबर सेस काटने के बजाय पहले जोड़ा गया है पुनः 1 प्रतिशत की कटौती की गयी है। इस प्रकार नियोक्ता द्वारा 1 प्रतिशत की धनराशि ठेकेदार के बिल से न काटकर उक्त शासनादेश एवं जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली के नियम 179(2) के क से ड के अन्तर्गत रु०18647.00 अनियमित

भुगतान किया गया है। जिस हेतु श्री अमितराज सिंह अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव. वित्तीय परामर्श दाता उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	विवरण	../दिनांक	लेबर सेस की धनराशि
1.	पुसही से कन्टी छपरा होते हुए जरार तक मरम्मत कार्य	59 / 19.09.2018	14642.00
2.	खोसिया में इण्टरलाकिंग कार्य	65 / 19.09.2018	4005.00
	योग		18647.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	18647.00	18647.00

(मूल आपत्ति सं०-16)

प्रस्तर संख्या : 3. लेखा परीक्षा 2018-19 के दौरान पाया गया कि विज्ञापन पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है। विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	विवरण	भुगतानित धन	टी.डी.एस. 10 प्रतिशत
1.	हिन्दुस्तान मिडिया बेन्चर्स लि०	98848.00	9884.80
2.	अमर उजाला	113659.00	11365.90
3.	दैनिक जागरण	427945.00	42794.50
4.	डी०ए० चेतना प्रकाशन	143206.00	14320.60
	योग	783658.00	78365.80

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्सन 194 जे के अनुसार यदि कोई संस्थान किसी व्यक्ति अथवा संस्था को प्रोफेशनल या तकनीकी सेवा के बदले रु०30000.00 या उससे ऊपर का भुगतान करता है तो 10 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी। लेकिन जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा उपरोक्त भुगतान बिलों से टी.डी.एस. की कटौती न करके रु०78366.00 से जिला पंचायत की अनियमितता पहुँचाई गई है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज उत्तरदायी रहे हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 23)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	78366.00	78366.00

प्रस्तर संख्या : 4. रोकड़ बही 2018-19 के अनुसार दिनांक 30.08.2018 को आदर्श पौधशाला, पडरौना से वृक्षारोपण हेतु रु०72060.00 मूल्य का वृक्ष क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त वृक्षारोपण कहाँ-कहाँ हुआ है से सम्बंधित सूची/रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। परिसम्पत्ति पंजी में प्रविष्टि की स्थिति अज्ञात रही। साथ ही उक्त वृक्षारोपण का अन्तिम सत्यापन प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार उक्त क्रय किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि के अभाव में धनराशि रु०72060.00 दुरुपयोगित रहा, जिसके लिए लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	72060.00	---	72060.00

प्रस्तर संख्या : 5. रोकड़ बही वर्ष 2018-19 के अनुसार दिनांक 11.03.2019 को प्रमाणक संख्या-122 द्वारा कार्यालय प्रयोगार्थ आलमारी रु०32400.00 का क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त की पुष्टि में सत्यापित डेड स्टॉक पंजी/सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। इस प्रकार उक्त क्रय की पुष्टि के अभाव में दुरुपयोगित रहा, जिसके लिए लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह व श्री अभिमन्यु कुमार गुप्त, पटल प्रभारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 25)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	32400.00	---	32400.00

प्रस्तर संख्या : 6. वर्ष 2018-19 के कैशबुक के अनुसार स्टेशनरी मद में रु०118663.00 क्रय दर्शित है। परन्तु स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर के अनुसार वर्ष दौरान मात्र रु०46532.79 के मूल्य के स्टॉक का अंकन है। अन्तर रु०72130.21 के स्टॉक का स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न कर रु०72130.21 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह एवं सम्बंधित स्टेशनरी पटल प्रभारी श्री उदय नारायण प्रसाद उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 26)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
72130.21	—	—	72130.21

प्रस्तर संख्या : 7. लेखा परीक्षा में देखा गया कि निर्माण कार्य में ठेकेदार के साथ जो अनुबन्ध किये गये थे वे मात्र रु०100/- के स्टाम्प पर थे। जबकि शासनादेश संख्या-429(2)-10-75-1-2के/सी./5-1988 दिनांक 26.04.1998 एवं शासनादेश संख्या-क०सं०वि०5-714/11-99 दिनांक 04.04.1999 के अनुसार जमानत धनराशि पर नगद की स्थिति में 125 प्रति हजार के दर से एवं जमानत एफ.डी. अथवा एन.एस.सी. पर होने पर रु०70/- प्रति हजार की दर से स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किये जाने चाहिए थे। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से निर्माण कार्य पर भुगतान रु०2741.39 लाख पर रु०70/- प्रति हजार की दर से रु०19189730.00 की अनियमितता की गई जिसे ठेकेदारों से ब्याज सहित वसूल कर स्टैम्प शुल्क में समायोजन किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 28)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	19189730.00	19189730.00

प्रस्तर संख्या : 8. उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (चल-अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के प्रस्तर-5 के अनुसार संस्था अचल सम्पत्ति पंजिका का प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार परीक्षण करायेगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप जनपद कुशीनगर में स्थित जिला पंचायत के समस्त दूकानों का बकाया किराया दिनांक 31.03.2019 तक रु०6412346.00 रहा जिसकी वसूली न कर अनियमितता की गई है, जो उ० प्र० बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 179(2) के क से ड तक के प्राविधानों के विपरीत रहा। जिसकी वसूली हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वसूली न होने पर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। वसूली न होने के लिए समस्त कर समाहर्ता पटल प्रमुख एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 29)

अचल सम्पत्ति सूचना वर्ष : 2018-19

आंकड़े लाख रुपये में

क्र. सं.	दुकान स्थल	वर्ष की मांग	किराया बकाया	कुल योग	वसूली	अवशेष	कर समाहर्ता का नाम
1.	पडरौना	313702.00	227072.00	540774.00	250211.00	290563.00	श्री अवधेश राय
2.	कसया	340728.00	769917.00	1110645.00	325196.00	785449.00	श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी
3.	फाजिलन गर	659639.00	1941842.00	2601481.00	725500.00	1875981.00	श्री चन्द्र प्रताप त्रिपाठी
4.	हाटा	390744.00	3090363.00	3481107.00	136120.00	3344987.00	श्री जयप्रकाश भारती
5.	बोदरबार	91836.00	54348.00	146184.00	30818.00	115366.00	श्री राम कुंअर
योग		1796649.00	6083542.00	7880191.00	1467845.00	6412346.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	6412346.00	6412346.00

प्रस्तर संख्या : 9. वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति कर, विभव कर के मांग, वसूली एवं बकाया का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.	क्षेत्र पंचायत	वर्तमान मांग	पुराना बकाया	कुल योग	वसूली	शेष धनराशि	कर समाहर्ता

सं.							का नाम
1.	फाजिलनगर	447900.00	185250.00	633150.00	447600.00	185550.00	श्री चन्द्र प्रताप त्रिपाठी
2.	हाटा	121200.00	208500.00	329700.00	125700.00	204000.00	श्री जयप्रकाश भारती
3..	पडरौना	404600.00	221893.75	626493.75	404600.00	221893.75	श्री अवधेश राय
4..	सेवरही	129100.00	122083.75	251183.75	129100.00	122083.75	श्री बालजी
5.	मोतीचक	198000.00	127200.00	325200.00	198000.00	127200.00	श्री मिथिलेश गुप्ता
6.	कप्तानगंज	382500.00	116150.00	498650.00	382500.00	116150.00	श्री राम कुंअर
7.	ने० नौरंगिया	229050.00	89724.00	318774.00	228750.00	90024.00	श्री अमरेन्द्रकुशवाहा
8.	खड्डा	122100.00	60000.00	182100.00	122100.00	60000.00	श्री अमरेन्द्रकुशवाहा
9.	विशुनपुरा	106500.00	315193.75	421693.75	106500.00	315193.75	श्री भंजन प्रसाद
10.	रामकोला	164800.00	95250.00	260050.00	167500.00	92550.00	श्री भंजन प्रसाद
11.	तमकुही	423400.00	75312.00	498712.00	423400.00	75312.00	श्री बालजी
12.	कसया	18000.00	261055.12	279055.12	18000.00	261055.12	श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी
13.	सुकरौली	119700.00	159700.00	279400.00	119700.00	159700.00	श्री अमरेन्द्रकुशवाहा
14.	दुदही	33000.00	187016.00	220016.00	33000.00	187016.00	श्री राजेश्वर राय
योग		2899850.00	2224328.37	5124178.37	2906450.00	2217728.37	

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु० 2899850.00 डिमाण्ड लगा तथा पुराना बकाया रूपया 2224328.37 रहा, वर्ष दौरान वसूली रु० 2906450.00 रहा। इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 को रु०2217728.37 अवशेष रहा, जिसमें अधिकांश पुराना बकाया है। उपरोक्त आंकड़ों में दर्शित विकास खण्ड वार वसूली से विदित होता है कि जितनी की वसूली होती है, लगभग उतना ही डिमाण्ड में दर्शाया गया है। बकाया वसूली हेतु के बाद नोटिस दिया गया है। लेकिन उसके बाद बिल डिमाण्ड जारी नहीं किया गया है और न ही कोई वैधानिक कार्यवाही की गयी है, जो विभव व सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और वसूली नियमावली 1994 के अध्याय-4 के प्रस्तर-15 के विपरीत रहा। विभव व सम्पत्ति कर की शत-प्रतिशत वसूल न कर अनियमितता की गई है, जिसके लिए पटल सहायक कर समाहर्ता सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 30)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2217728.37	2217728.37

प्रस्तर संख्या : 10. उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के टेका शर्तों के नियम खण्ड-2ग के अनुसार विलम्ब के लिए प्रतिकार के सम्बंध में उल्लेख है कि परियोजना के लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क की कटौती की जानी चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा शपथ-पत्र (एफिडेविट) में यह स्वीकार किया गया है कि यदि अनुबन्ध में दी गयी समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी मेरे भुगतान की धनराशि से 1 प्रतिशत अर्थदण्ड की कटौती करलें। परन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वा० सं०	दिनांक	लागत मूल्य	श्रमकर	विलम्ब शुल्क कटौती	अपेक्षित कटौती	अन्तर
1.	127	08.06.2018	2370578.77	23705.09	1000.00	23705.78	22705.78
2.	128	08.06.2018	970299.49	9702.99	—	9702.99	9702.99
3.	129	08.06.2018	591281.60	5912.81	1000.00	5912.81	4912.81
4.	130	08.06.2018	677965.09	6779.65	1000.00	6779.65	5779.65
5.	131	08.06.2018	520527.35	5205.27	1000.00	5205.27	4205.27

6.	65	19.09.2018	400513.61	4005.14	1000.00	4005.14	3005.14
7.	77	20.09.2018	524440.46	5244.40	2000.00	5244.40	3244.40
8.	02	11.03.2019	652369.90	---	500.00	6523.69	6023.69
9.	04	11.03.2019	401798.10	---	500.00	4017.98	3517.98
10.	07	11.03.2019	421773.05	---	400.00	4217.73	3817.73
11.	13	11.03.2019	665429.00	---	800.00	6654.29	5854.29
12.	14	11.03.2019	443865.86	---	500.00	4438.65	3938.65
13.	15	11.03.2019	661319.25	---	500.00	6613.19	6113.19
14.	16	11.03.2019	715957.40	---	600.00	7159.57	6559.57
15.	21	11.03.2019	228588.45	---	300.00	2285.88	1985.88
16.	23	11.03.2019	442930.21	---	600.00	4429.30	3829.30
17.	37	11.03.2019	517990.60	---	700.00	5179.90	4479.90
18.	38	11.03.2019	698284.20	---	500.00	6982.84	6482.84
19.	39	11.03.2019	474606.00	---	500.00	4746.06	4246.06
20.	40	11.03.2019	337296.20	---	400.00	3372.96	2972.96
21.	41	11.03.2019	315406.00	---	500.00	3154.06	2654.06
22.	59	11.03.2019	566098.10	---	500.00	5660.98	5160.98
23.	64	11.03.2019	251135.00	---	700.00	2511.35	1811.35
24.	72	11.03.2019	280128.00	---	500.00	2801.28	2301.28
योग							125305.75

इस प्रकार लागत मूल्य पर 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क न काट कर रु०125305.75 की अनियमितता की गयी है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या 31)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	125305.75	125305.75

प्रस्तर संख्या : 11. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक बिना टिन नं० का प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	प्रमाणक सं०/दिनांक	बिल नं०/दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1.	14 / 28.04.2018	182 / 02.04.2018	प्रभाकर फोटोस्टेट	1000.00
2.	26 / 28.04.2018	23 / 24.08.2017	नारायण प्रीन्टिंग प्रेस	1400.00
3..	45 / 21.08.2018	280 / 07.07.2018	ताज इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स	4800.00
4..	46 / 21.08.2018	279 / 06.07.2018	----- " -----	3900.00
5.	47 / 21.08.2018	275 / 05.07.2018	----- " -----	2380.00
6.	48 / 21.08.2018	273 / 05.07.2018	----- " -----	16000.00
7.	49 / 21.08.2018	281 / 06.07.2018	----- " -----	1060.00
8.	56 / 30.08.2018	284 / 18.08.2018	----- " -----	22315.00
9.	13 / 08.10.2018	286 / 20.08.2018	----- " -----	4600.00
10.	14 / 08.10.2018	673 / 31.08.2018	फ्रिज कूल सर्विस	4250.00
11.	15 / 08.10.2018	675 / 31.08.2018	----- " -----	4350.00
12.	16 / 08.10.2018	676 / 31.08.2018	----- " -----	2550.00
13.	17 / 08.10.2018	454 / 30.08.2018	प्रभाकर फोटोस्टेट	5000.00
14.	18 / 08.10.2018	--- / 30.08.2018	ओम प्रकाश गुप्ता	4439.00
15.	20 / 08.10.2018	50 / 12.08.2018	श्री साईं ड्राई क्लीनर्स	850.00
16.	16 / 02.11.2018	662 / 01.10.2018	अम्बे ट्रेडर्स	1000.00
17.	----- " -----	51 / 01.10.2018	श्री साईं ड्राई क्लीनर्स	980.00
18.	17 / 02.11.2018	55 / 05.10.2018	----- " -----	2000.00
19.	----- " -----	10 / 20.09.2018	----- " -----	4800.00
20.	18 / 02.11.2018	06 / 02.10.2018	गुप्ता किराना एवं जनरल स्टोर	2111.00
21.	71 / 19.11.2018	290 / 05.09.2018	ताज इलेक्ट्रानिक्स एण्ड	4050.00

			इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स	
22.	72 / 19.11.2018	289 / 04.09.2018	----- " -----	4500.00
23.	112 / 27.12.2018	482 / 10.12.2018	प्रभाकर फोटोस्टेट	4500.00
24.	112 / 27.12.2018	843 / 14.12.2018	प्रभाकर फोटोस्टेट	4040.00
25.	114 / 27.12.2018	722 / 05.12.2018	प्रांजल इलेक्ट्रानिक्स	5000.00
26.	115 / 27.12.2018	65 / 08.12.2018	श्री साईं ड्राई क्लीनर्स	1000.00
27.	125 / 21.01.2019	55 / 29.12.2018	नारायण प्रीन्टिंग प्रेस	2400.00
28.	127 / 21.01.2019	688 / 12.10.2018	फ्रिज कूल सर्विस	3800.00
29.	178 / 21.01.2019	--- / 18.12.2018	पिन्टू	4500.00
30.	129 / 12.01.2019	--- / 24.08.2017	मोमेन्ट्स स्टूडियो	4500.00
31.	130 / 21.01.2019	1 / 20.12.2018	ताज इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स	4150.00
32.	131 / 21.01.2019	479 / 10.08.2018	----- " -----	4952.00
33.	133 / 21.01.2019	345 / 20.12.2018	विनय आर्ट	800.00
34.	188 / 28.01.2019	54 / 20.12.2018	नारायण प्रीन्टिंग प्रेस	4500.00
35.	109 / 13.02.2019	03 / 28.01.2019	ताज इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स	4700.00
36.	112 / 13.02.2019	06 / 16.01.2019	विश्वकर्मा फर्निचर्स	3000.00
37.	113 / 13.02.2019	05 / 14.01.2019	----- " -----	3000.00
38.	114 / 12.02.2019	04 / 28.12.2018	----- " -----	1650.00
39.	23 / 01.12.2018	730 / 20.11.2018	अम्बे ट्रेडर्स	2330.00
40.	24 / 01.12.2018	60 / 19.11.2018	विश्वकर्मा फर्निचर्स	3500.00
41.	---- " ----	50 / 16.11.2018	----- " -----	350.00
योग				161007.00

(मूल आपत्ति संख्या 32)

इस प्रकार रु०161007.00 बिना दिन नं० के प्रमाणक प्रस्तुत कर अनियमितता की गई है। इसके लिए लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री अमित राज सिंह जिम्मेदार रहे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	161007.00	161007.00

प्रारूप - 2 (जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ)

जिला पंचायत :- महाराजगंज

लेखा परीक्षा वर्ष :-2018-19

प्रस्तर सं० (1)—राज्य वित्त आयोग के पत्रांक 1838/33.3.2015-03/2015 दिनांक-31.07.2015 एवं पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 866/33-2-14-93जी/2004 टी० सी० दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार से छोटे कार्य जो ग्राम पंचायत के स्तर से कराये जा सकते हैं, उसे जिला पंचायत द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही जिला पंचायत को ऐसे छोटे-छोटे कार्यों को अपने कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए, किन्तु ऐसा कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार शासनादेश/नियमों का परिपालन न कर संस्था द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु अभियंता, अपर मुख्य अधिकारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

01 कार्य का नाम—ग्राम सभा बरडाड़ टोला भेड़ियापार में पीडब्लूडी सड़क से संतोष त्रिपाठी के घर जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (धानी)
भुगतानित धनराशि—4.18 लाख

02 कार्य का नाम—ग्राम सभा नौसागर टोला पश्चिम पीडब्लूडी सड़क से रामरतन चौधरी के घर जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (धानी)
भुगतानित धनराशि—4.97 लाख

03 कार्य का नाम—ग्राम सभा बारातगाड़ा में पक्की सड़क से दक्षिण सुरेश चन्द्र कन्नौजिया के आवास जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—3.97 लाख

04 कार्य का नाम—ग्राम सभा गोपालपुर में महाराजगंज रोड से दुनदुन गुप्ता के घर जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—1.86 लाख

- 05 कार्य का नाम**—ग्राम सभा बड़हरा देवीचरन में श्री गोविन्द यादव के घर से शेषनाथ यादव के खेत जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—3.81 लाख
- 06 कार्य का नाम**—ग्राम सभा बड़िहारी में केशव के खलिहान से पक्की सड़क तक इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—2.39 लाख
- 07 कार्य का नाम**—ग्राम सभा कवलदह में दयाशंकर के खलिहान से पक्की सड़क तक इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—3.71 लाख
- 08 कार्य का नाम**—ग्राम सभा बड़हरी में कैलाश यादव के घर से रामनयन के घर होते हुए काली माता मंदिर जाने वाले मार्ग तक इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—4.18 लाख
- 09 कार्य का नाम**—ग्राम सभा पिपरा मौनी में गोरखपुर सोनौली मार्ग से इम्तियाज के खेत जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—2.40 लाख
- 10 कार्य का नाम**—ग्राम पचरूखी टोला बेलौहा कोलमन के घर से श्यामदेव के घर तक खड़जा कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—1.81 लाख
- 11 कार्य का नाम**—ग्राम भरथीपुर टोला ओडवलिया पिच से पूरव विन्ध्याचल चौधरी के घर तक इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—4.93 लाख
- 12 कार्य का नाम**—मधुकरपुर महदेवा टोला महदेवा राजाराम शर्मा के घर से दीनू चौधरी के घर तक इ० ला० कार्य (फरेन्दा)
भुगतानित धनराशि—4.98 लाख
- 13 कार्य का नाम**—ग्राम सभा इलाहाबास में पिच रोड से इ० ला० सड़क से इलाहाबास खास गांव तक इ० ला० कार्य (बृजमनगंज)
भुगतानित धनराशि—3.64 लाख
- 14 कार्य का नाम**—ग्राम सभा फुलमनहा मे फरेन्दा वृजमनगंज मार्ग से लार्ड कृष्णा डिग्री कालेज जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (वृजमनगंज)
भुगतानित धनराशि—4.38 लाख
- 15 कार्य का नाम**—सौरहा टोला पिपरी पिच से विश्राम के घर जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (वृजमनगंज)
भुगतानित धनराशि—4.83 लाख
- 16 कार्य का नाम**—ग्राम सभा इलाहाबास के टोला नवावगंज से लेहडा माइनर तक इ० ला० कार्य (वृजमनगंज)
भुगतानित धनराशि—4.95 लाख
- 17 कार्य का नाम**—ग्राम सभा हरखपुरा में ट्रांसफार्मर से अवशेष इ० ला० कार्य (पनियरा)
भुगतानित धनराशि—4.97 लाख
- 18 कार्य का नाम**—ग्राम सभा रामपुर खुर्द में मेन रोड खड़जा से आगे दक्षिण श्मशान घाट जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (पनियरा)
भुगतानित धनराशि—4.84 लाख
- 19 कार्य का नाम**—ग्राम सभा तेन्दुअहिया झुलनीपुर टोला में पिच रोड से इ० ला० कार्य (पनियरा)
भुगतानित धनराशि—2.48 लाख
- 20 कार्य का नाम**—ग्राम सभा रजौड़ा कला में रमाकान्त यादव के मकान से पश्चिम पक्की सड़क से पश्चिम जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (पनियरा)
भुगतानित धनराशि—1.48 लाख
- 21 कार्य का नाम**—ग्राम सभा सतगुरु संगार दास टोला पिच रोड से मोतीलाल सिंह के घर जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (पनियरा)
भुगतानित धनराशि—4.14 लाख
- 22 कार्य का नाम**—घनखरी में रामहजूर चौधरी के घर से आगे इ० ला० कार्य (पनियरा)
भुगतानित धनराशि—2.79 लाख
- 23 कार्य का नाम**—पिपरा खुर्द में पिच रोड पर शेषनाथ सिंह के घर से रामकिशुन विश्वकर्मा के घर जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (पनियरा)
भुगतानित धनराशि—4.98 लाख
- 24 कार्य का नाम**—ग्राम सभा अमवां भैसी में नटबाबा के मंदिर से नहर पट्टी पर चक रोड तक इ० ला० कार्य (घुघुली)
भुगतानित धनराशि—4.49 लाख
- 25 कार्य का नाम**—ग्राम सभा कोटवा में भंगड़ा चौराहे से अलगू के घर तक इ० ला० कार्य (घुघुली)

भुगतानित धनराशि—2.95 लाख

26 कार्य का नाम—ग्राम सभा अमसहा—अमसही में काली जी के स्थान से खड़जा तक इ० ला० कार्य (घुघुली)
भुगतानित धनराशि—3.01 लाख

27 कार्य का नाम—ग्राम सभा बोदना मुख्य मार्ग से काली मंदिर तक इ० ला० कार्य (निचलौल)
भुगतानित धनराशि—4.13 लाख

28 कार्य का नाम—ग्राम सभा कनभिसवा में बीपत के घर से पीच मार्ग तक इ० ला० कार्य (निचलौल)
भुगतानित धनराशि—3.69 लाख

29 कार्य का नाम—ग्राम सभा बाली में रामप्रसाद के खेत के बगल में सड़क पर पुलिया निर्माण (निचलौल)
भुगतानित धनराशि—4.88 लाख

30 कार्य का नाम—ग्राम सभा चरगहा में स्थित मवेशीखाना में मिट्टी तथा राबिस भराई कार्य (निचलौल)
भुगतानित धनराशि—2.98 लाख

31 कार्य का नाम—महराजगंज निचलौल मुख्य मार्ग से नवोदय विद्यालय जाने वाले सड़क के किनारे जल निकासी हेतु हुम पाइप पुलिया निर्माण (सदर)
भुगतानित धनराशि—2.90 लाख

32 कार्य का नाम—ग्राम सभा चेहरी टोला शिव स्थान में पीडब्लूडी से निराला के घर तक इ० ला० कार्य (सदर)
भुगतानित धनराशि—4.27 लाख

33 कार्य का नाम—ग्राम पंचायत दरौली राधारमण के मिल से श्रीपत यादव के घर तक इ० ला० कार्य (सदर)
भुगतानित धनराशि—4.98 लाख

34 कार्य का नाम—सिसवा मुन्शी चौराहा से गाँव तक इ० ला० (परतावल)
भुगतानित धनराशि—4.59 लाख

35 कार्य का नाम—कतरारी चौराहा नन्द मार्ग से हाइडिल के पीछे नहर पर जाने वाले मार्ग पर मिट्टी/खड़जा कार्य (परतावल)
भुगतानित धनराशि—4.79 लाख

36 कार्य का नाम—ग्राम सभा विषखोप टोला परसा भटोलिया में पीडब्लूडी सड़क से गाँव जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (नौतनवा)
भुगतानित धनराशि—1.99 लाख

37 कार्य का नाम—ग्राम सभा पिपरा मुंडेरी पीडब्लूडी सड़क से प्रा० वि० तक इ० ला० कार्य (नौतनवा)
भुगतानित धनराशि—4.49 लाख

38 कार्य का नाम—ग्राम सभा जगरनाथपुर टोला पंडितपुर में चन्द्रवली के मकान से सिवान की तरफ इ० ला० कार्य
भुगतानित धनराशि—3.55 लाख

39 कार्य का नाम—ग्राम सभा शेष फरेन्दा में मुख्य मार्ग से समय माता स्थान जाने वाले मार्ग पर इ० ला० कार्य (नौतनवा)
भुगतानित धनराशि—3.92 लाख

40 कार्य का नाम—ग्राम सभा खालिकगढ़ मंगरहिया चौराहे से इ० ला० कार्य (लक्ष्मीपुर)
भुगतानित धनराशि—2.99 लाख

41 कार्य का नाम—ग्राम पंचायत खजुरिया मुख्य मार्ग से आगे तक इ० ला० कार्य (मिठौरा)
भुगतानित धनराशि—4.11 लाख

42 कार्य का नाम—ग्राम पंचायत परसामीर से नन्दाभार सड़क से परसामीर प्रा० वि० तक इ० ला० कार्य (मिठौरा)
भुगतानित धनराशि—2.99 लाख

43 कार्य का नाम—ग्राम पंचायत हथियागढ़ में हथियागढ़ मिठौरा से ब्रह्मबाबा के स्थान तक इ० ला० कार्य (मिठौरा)
भुगतानित धनराशि—4.99 लाख

योग—163.36 लाख

उपरोक्त दर्शित कार्यों में कतिपय कार्य का नाम स्पष्ट नहीं है कि कार्य कहां से कहां तक हुआ है, जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 2)

प्रस्तर सं० (2)—शासनादेश सं०1838/33.3.2015-03/2015 दिनांक-31.07.2015 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिला पंचायतों को अपनी कार्य योजना में 10 लाख से ऊपर की परियोजनाएँ तथा पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश सं०866/33-2-14-93जी/2004 टी० सी० दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार एक से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों की कार्य योजना में सम्मिलित कर निर्माण कार्य संपादित करनी चाहिए। लेखा-परीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में (कहाँ से कहाँ तक कार्य हुआ है) का उल्लेख नहीं किया गया है और बिना उल्लेख के ही निविदाएँ आमंत्रित की गई है पत्रावली में संलग्न एग्रीमेन्ट में भी कार्य कराये जाने वाले स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। स्थान विशेष का उल्लेख किए बिना निविदा आमंत्रित करने से लेकर कार्य सम्पन्न होने तथा उसका भुगतान करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा कार्य के प्रति लापरवाही का सूचक है, जिसके लिए अभियंता से लेकर सम्पूर्ण अभियंत्रण विभाग उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के समस्त कार्यों के स्थान का पता कर यह भी जाँच किया जाना आवश्यक है कि उक्त कार्य कहीं किसी और दूसरे कार्यदायी संस्था द्वारा तो नहीं कराया गया है। इस प्रकार अनियमित रूप से बिना स्थान विशेष का उल्लेख किए निविदा आमंत्रित करने, एस्टीमेट तैयार करने कार्य कराने तथा उन कार्यों पर भुगतान कर रु०60.82 लाख की अनियमितता की गई है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी व अवर अभियंता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	31.03.2019 तक व्यय धनराशि	(आंकड़े लाख में)
01	ग्राम सभा बरातगाढ़ा में इण्टर लॉकिंग कार्य		9.88
02	ग्राम सभा पकड़ी चौबे में इण्टर लॉकिंग कार्य		9.98
03	ग्राम सभा मुंडेरा खुर्द में इण्टर लॉकिंग कार्य		9.97
04	ग्राम सभा पड़ौली में मदरसे से इण्टर लॉकिंग कार्य		9.61
05	ग्राम सभा जगरनाथपुर टोला परशुरामपुर में इण्टर लॉकिंग कार्य		7.49
06	ग्राम सभा बनरसिंहा के टोला भैंसहिया में इण्टर लॉकिंग कार्य		7.48
07	ग्राम पंचायत पकड़ियार बुरुंग में दीपनरायन पटेल के घर से इण्टर लॉकिंग कार्य		6.41

योग-60.82 लाख

(मूल आ० सं० 2ब 3)

प्रस्तर सं० (3)— उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (चल-अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के प्रस्तर 5 के अनुसार संस्था अचल सम्पत्ति पंजिका का प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार परीक्षण कराएगी और परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही करेगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप संस्था का विकास खंड सिसवा के टाउन एरिया में निरीक्षण गृह स्थित है, जिसमें पुलिस चौकी संचालित है। लेखा-परीक्षा में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। इस प्रकरण में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने पत्रांक 1174/जि०प०म०/18-19 दिनांक 04.02.2019 द्वारा निरीक्षण गृह अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराये जाने तथा दिसम्बर 18 तक अवशेष किराया रु० 1555765.00 को जमा कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, महाराजगंज से अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा तिथि तक तत्संबंधी कोई कार्यवाही/वसूली नहीं हुई है। दिनांक 31.03.2019 तक प्रदत्त सूचना के अनुसार रु० 5415.00 प्रति माह की दर से माह जनवरी 19 से मार्च 19 तक का किराया जोड़ने के उपरान्त अवशेष किराया रु०1572010.00 होता है। नियमानुसार जिलाधिकारी, महोदय के साथ-साथ तत्संबंध में शासन को अवगत कराते हुए विधिक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य अधिकारी के साथ ही मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, ताकि जिला पंचायत को हो रही आर्थिक क्षति की पूर्ति संभव हो सके एवं भविष्य में निजी स्रोत से अर्जित आय में वृद्धि हो सके। वसूली न होने के लिए सम्बन्धित कर समाहकर्ता, पटल प्रमुख श्री ब्रह्मदेव प्रसाद एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० (4)— लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की जाँच में पाया गया है कि प्राक्कलन में लेबर सेस की धनराशि जोड़ कर ठेकेदार को भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार रहा—

क्र०सं०	वाउचर सं०	तिथि	लेबर सेस
01	21	10.04.2018	9570.00

02	22	10.04.2018 14992.00
03	23	10.04.2018 22466.00
04	33	17.04.2018 28500.00
05	34	17.04.2018 24066.00
06	35	17.04.2018 18653.00
07	36	17.04.2018 8230.00
08	01	01.05.2018 12446.00
09	02	01.05.2018 9230.00
10	03	01.05.2018 13711.00
11	04	01.05.2018 6431.00
12	02	04.06.2018 22319.00
13	03	04.06.2018 16302.00
14	80	08.06.2018 29697.00
15	18	03.07.2018 29076.00
16	69	20.07.2018 11839.00

योग-277528.00

इस प्रकार लेबर सेस की धनराशि बिलों में जोड़कर कटौती किया गया है, जबकि शासनादेश संख्या 1312/33-2-11-30जी/2011 के अनुसार उक्त कटौती ठेकेदारों के लागत मूल्य से किया जाना चाहिए था। अतः अनुदान की धनराशि लेबर सेस के रूप में रु0 277528.00 ठेकेदारों को भुगतान कर पुनः वसूली किया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से अपहरण किया गया है। उक्त के लिए उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री चन्द्रशेखर सिंह, वि० पी० डी० श्री दुर्गेश यादव एवं लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह रहे हैं। जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 5)

प्रस्तर सं० (5)- वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति कर विभव कर के मांग, वसूली एवं बकाया का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	क्षेत्र पंचायत	कर समाहर्ता	वर्तमान मांग	पुराना बकाया	कुल योग	वसूली	शेष धनराशि
01	धानी	श्री अवनीन्द्र प्रताप मिश्र	116210	245465	361675	116210	245465
02	घुघुली	सुशील त्रिपाठी	207540	69160	276700	209940	66760
03	नौतनवां	गोपाल यादव	202530	1667845	1870375	195210	1675165
04	परतावल	विरेन्द्र प्रताप सिंह	286280	447667	733947	286280	447667
05	सदर	जिया लाल	307730	226262	533992	315730	218262
06	लक्ष्मीपुर	जिया लाल	196140	728506	924646	199440	725206
07	फरेन्दा	शिवमूर्ति सिंह	230020	122484	352504	193620	158884
08	बृजमनगंज	रामायन सिंह	212580	428892	641472	217980	423492
09	निचलौल	शैलेश सिंह	233650	230077	463727	233650	230077
10	मिठौरा	शिवमूर्ति सिंह	219440	230570	450010	220440	229570
11	पनियरा	संदीप सिंह	202420	116924	319344	203010	116334
12	सिसवा	शैलेश पटेल	280040	215150	495190	285060	210130
योग-			2694580	4729002	7423582	2676570	4747012

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि रु02694580.00 की डिमाण्ड लगी और वर्ष दौरान रु0 31.03. 2019 को रु04747012.00 बकाया अवशेष रहा, जिसमें अधिकांश पुराने बकाये हैं। उपरोक्त आंकड़ों में दर्शित ब्लाकवार वसूली से विदित होता है कि जितने की वसूली होती है लगभग उतना ही डिमाण्ड में दर्शाया गया है। बकाये की वसूली हेतु केवल नोटिस दिया गया है, लेकिन उसके बाद बिल डिमाण्ड जारी नहीं किया गया है और न ही कोई वैधानिक कार्यवाही किया गया है, जिसके लिए पटल सहायक, कर समाहर्ता सहित अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 6)

प्रस्तर सं० (6)- उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (चल अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के प्रस्तर 5 के अनुसार संस्था अचल सम्पत्ति पंजिका का प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार परीक्षण कराएगी,

परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप जनपद महाराजगंज, में स्थित जिला पंचायत के समस्त दूकानों का बकाया किराया दिनांक 31.03.2019 तक रु0 4614870.00 रहा। जिसकी वसूली हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वसूली न होने के लिए समस्त कर समाहर्ता, पटल प्रमुख एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

क्र०सं०	अचल सम्पत्ति (दुकान जहाँ स्थित है)	मासिक किराया वर्ष में वसूली	31.03.2019 को कुल अवशेष अभ्युक्ति
01	महाराजगंज	132555	2814388
02	नौतनवां	28185	283062
03	निचलौल एवं दुठीबारी	17643	408013
04	पनियरा	5519	115925

योग-4614870.00

(मूल आ० सं० 2ब 7)

प्रस्तर सं० (7)- उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के टेका शर्तों के नियम खंड-2(ग) के अनुसार विलम्ब के लिए प्रतिकार के सम्बन्ध में उल्लेख है कि परियोजना के लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क की कटौती की जानी चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा शपथ पत्र (एफिडेविट) में यह स्वीकार किया गया है कि यदि अनुबंध में दी गयी समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी मेरे भुगतान की धनराशि से 1 प्रतिशत अर्थदण्ड की कटौती कर ले। परन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार कटौती नहीं की गई है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	वा० सं०	दिनांक	लागत मूल्य	विलंब शुल्क कटौती	अपेक्षित कटौती	अंतर की राशि
01	19	10.04.2018	417564	2000	4175	2175
02	20	10.04.2018	874741	1000	8747	7747
03	21	10.04.2018	956927	1000	9569	8569
04	24	10.04.2018	256044	500	2560	2060
05	25	10.04.2018	414068.34	500	4140	3640
06	26	10.04.2018	260309	500	2603	2103
07	27	10.04.2018	450270.69	500	4502	4002
08	28	10.04.2018	111832.53	300	1118	818
09	33	17.04.2018	2851511.64	2000	28515	26515
10	36	17.04.2018	823004	1000	8230	7230
11	02	01.05.2018	922987.86	1000	9230	8230
12	03	01.05.2018	1371177.72	1000	13711	12711
13	04	01.05.2018	643184.27	1000	6431	5931
14	53	08.05.2018	880951.34	1000	8809	7809
15	55	08.05.2018	112832.31	500	1128	628
16	56	08.05.2018	865861	1000	8658	7658
17	85	17.05.2018	2021622.85	1000	20216	19216
18	94	17.05.2018	416179.94	1000	4161	3161
19	102	17.05.2018	483660.41	1000	4836	3836
20	128	24.05.2018	280967.51	1000	2810	1810
21	130	24.05.2018	808028.85	1000	8080	7080
22	03	04.06.2018	1630200.97	1000	16302	15302
23	64	08.06.2018	684344.70	1000	6843	5843
24	94	15.06.2018	529939.45	1000	5299	4299
25	129	26.06.2018	3535353.45	1000	35353	34353
26	123	26.06.2018	707066.39	1000	7070	6070
27	124	26.06.2018	1322515.49	1000	13225	12225
28	18	03.07.2018	2907630	1000	29076	28076

29	21	03.07.2018	384705.81	1000	3847	2847
30	24	03.07.2018	109444.34	1000	1094	94
31	32	13.07.2018	1056320.09	1000	10563	9563
32	33	13.07.2018	494126.07	1000	4941	3941
33	35	13.07.2018	693201.70	1000	6932	5932
34	38	13.07.2018	783378.02	1000	7833	6833
35	39	13.07.2018	794235	1000	7942	6942
36	40	13.07.2018	329802.10	1000	3298	2298
37	64	19.07.2018	2525000.53	1000	25250	24250
38	69	20.07.2018	1208133.69	1000	12081	11081
39	72	20.07.2018	496853.80	1000	4968	3968
40	81	20.07.2018	704744.85	500	7047	6547
41	85	20.07.2018	395496.57	1000	3955	2955
42	86	20.07.2018	581428.63	1000	5814	4814
43	140	30.07.2018	719812.61	1000	7198	6198
44	142	30.07.2018	603274.04	1000	6032	5032
45	143	30.07.2018	699897.92	1000	6998	5998
46	27	07.08.2018	1798199.88	1000	17981	16981
47	33	10.08.2018	865444.90	1000	8654	7654
48	38	10.08.2018	884181.01	1000	8841	7841
49	39	10.08.2018	879763.27	1000	8797	7797
50	40	10.08.2018	503396.56	1000	5034	4034
51	41	10.08.2018	918415.96	1000	9184	8184
52	73	28.08.2018	449929.70	1000	4499	3499
53	74	28.08.2018	574488.07	1000	5744	4744
54	44	14.09.2018	523340.34	1000	5233	4233
55	45	14.09.2018	568012.80	1000	5680	4680
56	47	14.09.2018	524078.85	1000	5240	4240
57	73	23.10.2018	892218.07	1000	8922	7922
58	78	23.10.2018	548902.57	1000	5489	4489
59	55	15.11.2018	840770.04	1000	8408	7408
60	98	29.11.2018	6185094.77	1000	61850	60850
61	91	12.12.2018	897002.43	1000	8970	7970
62	110	15.02.2019	885702.30	1000	8857	7857
63	111	15.02.2019	1336184.60	2000	13361	11361
64	142	15.02.2019	445792.72	2000	4458	2458
65	01	05.03.2019	669918	1000	6699	5699
66	04	05.03.2019	1599824.06	1000	15998	14998
67	05	05.03.2019	615219.80	1000	6152	5152
68	06	05.03.2019	465245.50	1000	4652	3652
69	30	11.03.2019	4950947.19	2000	49509	47509
70	52	13.03.2019	893400.70	1000	8934	7934
71	58	13.03.2019	891706.51	1000	8917	7917
72	59	13.03.2019	712896.95	1000	7128	6128
73	60	13.03.2019	891938.38	500	8919	8419
74	87	18.03.2019	890207.79	1000	8902	7902
75	90	18.03.2019	714019.97	1000	7140	6140
76	93	29.03.2019	3336806.26	1000	33368	32368
77	97	29.03.2019	705434.66	1000	7054	6054

78	101	29.03.2019	4014347.65	1000	40143	39143
79	102	29.03.2019	669097.06	1000	6690	5690
80	105	29.03.2019	259066.40	500	2590	2090
81	106	29.03.2019	436457.04	500	4364	3864
82	107	29.03.2019	389727.30	500	3897	3397
83	117	29.03.2019	350811.40	500	3508	3008

योग-759656.00

इस प्रकार लागत मूल्य का 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क न काटकर रु0759656.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं लेखाकार पुरुषोत्तम सिंह उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0 2ब 8)

प्रस्तर सं0 (8)- लेखा परीक्षा में देखा गया कि निर्माण कार्यों में ठेकेदार के साथ जो अनुबन्ध किये गये थे, वे मात्र रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर थे, जबकि शासनादेश संख्या 429(2)-10-75-1-2 के/सी0/5-1988 दिनांक 26.04.1988 एवं शासनादेश संख्या क्र0सं0वि05-714/11-99 दिनांक 04-04-1999 के अनुसार जमानत धनराशि पर नकद की स्थिति में 125 प्रति हजार की दर से एवं जमानत एफ0डी0 अथवा एन0एस0सी0 होने पर रु070.00 प्रति हजार की दर से स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किये जाने चाहिए थे। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से निर्माण कार्य भुगतान रु0331605208.00 पर रु0 70.00 प्रति हजार की दर से रु023212365.00 की अनियमितता की गयी है, जिसे ठेकेदारों से ब्याज सहित वसूल कर स्टैम्प शुल्क में समायोजन किया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह उत्तरदायी होंगे। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0 2ब 9)

प्रस्तर सं0 (9)- शासनादेश संख्या 3385 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 एवं शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12-09-2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज पदार्थों की मात्रा पर रायल्टी कटौती के रूप में एम0एम0-11 (खन्ना) संलग्न होना चाहिए। एम0एम0-11 संलग्न नहीं होने की दशा में प्रयुक्त खनिज पदार्थ का क्रय अवैध मानते हुए सामान्य रायल्टी के 5 गुना वसूल किया जाना चाहिए। परन्तु जिला पंचायत महाराजगंज द्वारा कराये गये कतिपय कार्यों की पत्रावलियों में वॉछित एम0एम0-11 संलग्न नहीं है और न ही पाँच गुना रायल्टी ही वसूल की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1- ग्राम सभा महुआ में आंगनबाड़ी केन्द्र से ब्रह्मा यादव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 **आईटम** **एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0 रायल्टी दर रायल्टी कटौती**

1	सी.सी.1:6:12	21.13	10.57	65.00	800.00
2	बी/डब्ल्यू 1:4	6.39	1.73		

2- ग्राम सभा पिपरा कल्याण में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 **आईटम** **एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0 रायल्टी दर रायल्टी कटौती**

1	सी.सी.1:6:12	3.95	16.98	65.00	1248.00
2	बी/डब्ल्यू 1:4	8.27	2.23		

3- ग्राम सभा बगही में अज्ञा टोला पर पट्टू के घर से सुकई के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 **आईटम** **एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0 रायल्टी दर रायल्टी कटौती**

1	सी.सी.1:6:12	8.31	4.16	65.00	332.00
2	बी/डब्ल्यू 1:4	3.47	0.94		

4- सिन्दुरिया चौराहे के देवरिया नहर के पश्चिम दुर्गा मंदिर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 **आईटम** **एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0 रायल्टी दर रायल्टी कटौती**

1	सी.सी.1:6:12	28.83	14.42	65.00	1124.00
2	बी/डब्ल्यू 1:4	10.62	2.87		

5- ग्राम पंचायत खजुरिया में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 **आईटम** **एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0 रायल्टी दर रायल्टी कटौती**

1	सी.सी.1:6:12	21.13	10.57	65.00	800.00
2	बी/डब्ल्यू 1:4	4.69	1.73		

6- ग्राम सभा हथिगढ़वा टोला खरहनिया में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	32.43	16.22	65.00 1392.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	19.22	5.19	
7- धानी में ग्राम पंचायत बरड़ाड में बैसार से बरगदही मार्ग के बगल में 3 मी० पुलिया।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	23.52	11.76	65.00 1468.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	40.10	10.83	
8- ग्राम सभा रतनपुर से मोतीपुर जाने वाले मार्ग पर 1.5 मी० पुलिया निर्माण।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	11.16	5.58	65.00 725.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	21.28	5.57	
9- ग्राम सभा पर साबेनी साहूबाजार टोला पर इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	79.21	39.61	65.00 2575.00
10- कृतपिपरा मे सतवान नायक के घर से होते हुए सहाबुद्दीन के घर तक एवं प्रहलाद के घर से रामप्रताप के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	55.37	27.69	65.00 2064.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	15.05	4.06	
11- ग्राम सभा हरपुर पकड़ी में अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	8.90	4.45	65.00 371.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	4.63	1.25	
12- ग्राम सभा पतरेगवा टोला शीतलापुर रोड के पूरब 3 मी० पुलिया निर्माण।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	18.57	9.29	65.00 1383.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	44.39	11.99	
13- अलमाइरी पब्लिक स्कूल के गेट के सामने इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	पी / एल 1:6:12	81.74	40.87	65.00 2656.00
14- ग्राम सभा कोइलीपुर से पक्की सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	पी / एल 1:6:12	58.96	29.48	65.00 1916.00
15- ग्राम सभा रुद्रापुर के जंगल टोला में दीनानाथा सिंह के घर से कन्हैया के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	34.72	17.36	65.00 1314.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	10.54	2.85	
16- ग्राम सभा करौता उर्फ नेबुइयां में इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	पी / एल 1:6:12	76.48	38.24	65.00 2486.00
17- ग्राम सभा हरपुर तिवारी के दुर्गावती पोखरे पर छठ घाट का निर्माण।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	42.24	21.12	65.00 2068.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	39.60	10.69	
18- ग्राम पंचायत दोसे पंडितपुर से प्रधानमंत्री सड़क के पश्चिम छोटेलाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	पी / एल 1:6:12	92.73	46.37	65.00 3014.00
19- ग्राम सभा बड़हरा कन्हई टोला बड़हारी में धर्मराज के घर से रामनयन यादव के खलिहान तक इन्टरलाकिंग कार्य।				
क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दररायल्टी कटौती
1	सी.सी.1:6:12	63.88	31.94	65.00 2498.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	24.02	6.49	

20- लक्ष्मीपुर में ग्रा0पं0 रानीपुर में पीडब्लूडी रोड से रानीपुर गांव तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 सी.सी.1:6:12 75.52 37.76 65.00 3022.00

2 बी /डब्ल्यू 1:3 32.37 8.74

21- ग्राम सभा बड़हरा कन्हई पीडब्लूडी रोड से किशोर के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 83.81 41.91 65.00 2724.00

22- ग्राम सभा गबडुआ विशुनपुर में सुन्दर के मकान के पास इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 44.36 22.18 65.00 1442.00

23- ग्राम सभा चौमुखा में सुकई यादव के नये मकान से इन्टरलाकिंग तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 92.04 46.02 65.00 2991.00

24- ग्राम सभा शाहाबाद के टोला रतनपुर के पूरब सड़क मुख्य मार्ग से सरिता देवी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 35.30 17.65 65.00 1147.00

25- ग्राम सभा मिश्रौलिया टिकोरी टोला में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 53.14 26.57 65.00 1727.00

26- ग्राम सभा सहजनवा में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 59.97 27.49 65.00 1787.00

27- ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 55.84 27.92 65.00 1815.00

28- ग्राम सभा मटकोपा में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 65.75 22.88 65.00 2137.00

29- ग्राम सभा मेहरौना तिवारी के टोला घूमिया गांव के पूरब पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 47.56 23.78 65.00 1546.00

30- ग्राम सभा विशुनपुर में 3 मी0 पुलिया कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 सी.सी.1:4:8 22.97 11.49 65.00 1994.00

2 बी /डब्ल्यू 1:3 71.04 19.18

31- ग्राम सभा गेरमा में गेरमा पिच से नहर पटरी तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती। पी

/एलसी.सी.1:6:12 63.99 32 65.00 2080.00

32- ग्राम सभा छपिया पुल से बलुआ गांव तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 95.26 47.63 65.00 3096.00

33- ग्राम सभा नगरौली में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 79.52 39.26 65.00 2552.00

34- ग्राम सभा धनेवा धनई में श्मशान घाट जाने वाले मार्ग का अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 192.63 96.32 65.00 6261.00

35- ग्राम सभा अमवां भैसहीन हरपटरी पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1 पी /एलसी.सी.1:6:12 118.60 59.30 65.00 3855.00

36- ग्राम सभा इलाहाबास में सहराज विश्वकर्मा के घर से अयोध्या गौड़ के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी /एलसी.सी.1:6:12	54.34	27.17	65.00	1766.00

37- ग्राम सभा महुआरी टोला में कुवर के घर से निशान के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी /एलसी.सी.1:6:12	61.25	30.63	65.00	1991.00

38- ग्राम सभा बमनी बुर्जुग में लोटन राजमंदिर मार्ग से बमनी बुर्जुग रोड तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी /एलसी.सी.1:6:12	61.05	30.53	65.00	1984.00

39- ग्राम सभा जौरहर में जौरहर पिच से गौनरिया खंडजा मार्ग तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी /एलसी.सी.1:6:12	72.24	36.12	65.00	2348.00

40- लक्ष्मीपुर एकडंगा में टावर टोले पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी० रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी /एलसी.सी.1:6:12	65.66	32.83	65.00	2134.00

41- ग्राम सभा अहिरौली पूरब टोला में रामप्यारे के घर से सुखराज व मुनिव अली के खेत व खंडजा तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी /एलसी.सी.1:6:12	92.23	46.12	65.00	2998.00

42- ग्राम सभा त्रिलोकपुर में फैज के घर से राकेश यादव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

सी.सी.1:6:12	58.29	29.15	65.00	1895.00

43- ग्राम सभा कंचनपुर कईया में राधेश्याम के घर से प्रभु के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	63.41	31.71	65.00	2446.00

2	बी /डब्ल्यू 1:4	21.92	5.92		

44- ग्राम सभा सेमरी में मुख्य मार्ग के उत्तर प्रा० स्कूल मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	71.10	35.55	65.00	2311.00

45- ग्राम सभा तिखुई में बरई टोला पर दासे के घर से भंडारी चौरसिया के 17 तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	83.05	41.53	65.00	2699.00

46- ग्राम सभा बरवा खुर्द बड़ी नहर पर छट घाट निर्माण।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	103.68	51.84	65.00	3370.00

47- पिच रोड से श्री विशुन के घर से लेकर रहमत के घर होते हुए कब्रिस्तान मार्ग पुनः रहमत के घर से मरखू के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	93.59	46.80	65.00	3042.00

48- ग्राम सभा परतावल के कप्तानगंज मार्ग से कामाख्या इन्टर प्राईजेज के सामने एन०एच० मार्ग से नहर पुलिया तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	93.53	46.77	65.00	3598.00

2	बी /डब्ल्यू 1:3	31.81	8.59		

49- ग्राम सभा कोल्हुई में गोरखपुर रोड से कोल्हुई में इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	59.56	29.78	65.00	1936.00

50- ग्राम सभा बासपोरबा में परसहवा टोला के उत्तर माता स्थान जाने वाले मार्ग पर 1x3 मी० आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।

क्र०सं० आईटम एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी० मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	13.68	6.84	65.00	444.60

2	बी / डब्ल्यू 1:4	67.60	18.25	150.00	2737.50
3	आर.सी.सी. 1:2:4	77.14	34.71	150.00	5260.60
योग—					8442.60

51— ग्राम सभा रजौड़ा खुर्द मे लाईन टोला के पास वन मार्ग पर 1×2 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी. 1:4:8	12.10	6.05	65.00	393.20
2	बी / डब्ल्यू 1:4सी./S	62.11	16.76	150.00	2514.00
3	आर.सी.सी. 1:2:4	5.40	2.43	150.00	364.50
योग—					3271.75

52— ग्राम सभा महदेइया में सुनील वर्मा के खेत के पास पर 1×3 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी. 1:4:8	16.98	8.49	65.00	551.85
2	बी / डब्ल्यू 1:4सी./S	84.75	22.80	150.00	3420.00
3	आर.सी.सी. 1:2:4	9.00	4.05	150.00	607.50
योग—					4579.35

53— ग्राम सभा पिपरा खुर्द नवीगंज में माइनर पर 1×2.50 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी. 1:4:8	11.22	5.61	65.00	365.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4सी./S	55.57	15.08	150.00	2262.00
3	आर.सी.सी. 1:2:4	6.05	2.72	150.00	408.00
योग—					3035.00

54— ग्राम सभा गौहरपुर टोला अमहवा चौराहे पर पीडब्लूडी सड़क से चिनक चौधरी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी. 1:6:12	9.92	4.96	65.00	322.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	34.02	9.18	150.00	1377.00
योग—					1699.00

55— ग्राम सभा कम्हरिया बुर्जुग में शिवमंदिर पोखरा के लंका कोने पर 1×2.50 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी. 1:4:8	12.00	6.00	65.00	930.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4सी./S	60.80	16.41	150.00	2461.50
3	आर.सी.सी. 1:2:4	6.84	3.07	150.00	460.50
योग—					3312.00

56— ग्राम सभा भुवना में गैस एजेन्सी के बगल में पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी. 1:4:8	22.27	11.14	65.00	724.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4सी./S	101.86	27.50	150.00	4125.00
3	आर.सी.सी. 1:2:4	8.96	4.03	150.00	604.00
योग—					5453.00

57— ग्राम सभा बाली मे हरि ओम धर्मकांटा के बगल में पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी. 1:4:8	17.39	8.70	65.00	565.50
2	बी / डब्ल्यू 1:4	93.02	25.12	150.00	3768.00
3	आर.सी.सी. 1:2:4	9.04	4.07	150.00	610.50
योग—					4944.00

58— ग्राम सभा खेम पिपरा में पिच रोड से गोदाम होते हुए रोड़ तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	पी / एलसी.सी. 1:6:12	8.81	4.41	65.00	287.00

2	बी / डब्ल्यू 1:4	25.91	7.00	150.00	1050.00
				योग—	1337.00

59— ग्राम सभा खोरिया में समय स्थान के पास भरई नाले पर 4 मी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	20.90	10.45	65.00	679.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	121.59	32.82	150.00	4923.00
3	आर.सी.सी./पी.सी.सी.1:2:4	13.68	6.15	150.00	922.00
				योग—	6524.00

60— ग्राम सभा बांसपार मे टोला रामनगर नहर तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	पी / एलसी.सी.1:6:12	10.86	5.43	65.00	353.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	26.98	7.28	150.00	1093.00
				योग—	1446.00

61— ग्राम सभा चिउटहा में दक्षिण मार्ग पर पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	23.36	11.68	65.00	759.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	97.56	26.34	150.00	3951.00
3	आर.सी.सी./पी.सी.सी.1:2:4	8.71	3.92	150.00	588.00
				योग—	5298.00

62— ग्राम सभा बेलवा बुर्जुग में सिसवा मुंशी जाने वाले सड़क पर 1×3 मी0 स्पान की पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	17.14	8.57	65.00	557.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	99.02	26.73	150.00	4009.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	9.84	4.42	150.00	663.00
				योग—	5229.00

63— ग्राम सभा चेहरी में कोलुआ के खेत के पास से निकला रोड़ पर राजेन्द्र निषाद के खेत के पास पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	28.61	14.30	65.00	930.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	99.87	27.00	150.00	4045.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	8.71	3.92	150.00	588.00
				योग—	5563.00

64— ग्राम सभा छपवा से खैराटी कच्चे मार्ग पर पुलिया निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	18.23	9.11	65.00	592.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	83.68	22.59	150.00	3388.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	8.69	3.91	150.00	586.00
				योग—	4567.00

65— ग्राम सभा हरपुर टोला बेलहिया में पिच रोड़ से प्रा0 स्कूल मोड़ तक सीसी रोड़ निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	7.69	3.85	65.00	250.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	23.80	6.43	150.00	964.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	49.09	22.05	150.00	3308.00
				योग—	4522.00

66— ग्राम सभा बेलहिया में प्रा0 स्कूल जाने वाले मोड़ से अमर शहीद पंकज त्रिपाठी के दरवाजे तक सीसी रोड़ निर्माण।

क्र0सं0	आईटम	एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	4.44	2.22	65.00	144.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	10.89	2.94	150.00	441.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	32.23	14.50	150.00	2176.00
				योग—	2761.00

67— ग्राम सभा बड़हरा टोला चौरी में गांव से दक्षिण नहर पर 1×3 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	18.26	9.13	65.00	593.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	88.39	23.86	150.00	3579.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	9.54	4.29	150.00	643.00
योग—					4815.00

68— ग्राम सभा हरखपुर टोला झुगहिया पिच सड़क से फुलचन्द के घर के तरफ इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:6:12	9.67	4.83	65.00	314.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	24.61	6.64	150.00	996.00
योग—					1310.00

69— ग्राम सभा सोनबल में उत्तम चौधरी के घर की तरफ पोखरा शिवमंदिर मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:6:12	7.50	3.75	65.00	244.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	27.30	7.37	150.00	1105.00
योग—					1349.00

70— ग्राम सभा बभनौली टोला नहर के पुल से हरिजन बस्ती तक इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	पी / एलसी.सी.1:6:12	11.95	5.97	65.00	388.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	27.72	7.48	150.00	1122.00
योग—					1510.00

71— ग्राम सभा टीकर में पीडब्लूडी मार्ग से पश्चिम चक रोड पर 3 मी० की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	18.23	9.11	65.00	592.00
2	बी / डब्ल्यू 1:321:4	87.34	23.58	150.00	3537.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	8.36	3.76	150.00	564.00
योग—					4693.00

72— ग्राम सभा खरौटी में खैराटी खोरिया मुख्य मार्ग से मैनहवां जाने वाले कच्चे मार्ग पर ठूठी नाले में 4 मी० पुलिया निर्माण।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	23.43	11.71	65.00	761.00
2	बी / डब्ल्यू 1:321:4	115.55	31.19	150.00	4678.50
3	आर.सी.सी.1:2:4	14.35	6.45	150.00	967.50
योग—					6407.00

73— ग्राम सभा पतरेगवा में मुख्य मार्ग के बगल में प्रा० पाठशाला के पास 3 मी० की पुलिया निर्माण।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	23.52	11.76	65.00	764.00
2	बी / डब्ल्यू 1:321:4	100.88	27.24	150.00	4086.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	3.91	3.91	150.00	598.00
योग—					5448.00

74— ग्राम सभा कनभिसवा में नेपाल जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:4:8	19.65	9.83	65.00	639.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	101.36	27.44	150.00	4116.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	8.95	4.03	150.00	604.00
योग—					5359.00

75— ग्राम सभा रमपुरवा से सोहट जाने वाले मार्ग पर ड्रेन पर पुलिया निर्माण।

क्र०सं०	आईटम	एम०बी० में अंकित कार्य की माप घ०मी०	मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ०मी०	रायल्टी दर	कटौती
1	सी.सी.1:6:12	36.98	18.49	65.00	1202.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	134.03	36.19	150.00	5428.00

3	सी.सी.1:6:12	20.60	9.27	150.00	1390.00
				योग—	8020.00

76— ग्राम सभा पकड़ियार बुर्जुग में दीपनारायन पटेल के घर के सामने ई0 ला0 कार्य व नाली निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	6.45	3.22	65.00	209.00
2	बी /डब्ल्यू 1:4	31.55	8.51	150.00	1276.00
3	सी.सी.1:6:12	34.32	17.61	150.00	2574.00
				योग—	4059.00

77— ग्राम सभा हरैया मौलाही के लाल टोला पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	6.59	3.29	65.00	214.00
2	बी /डब्ल्यू 1:4	32.33	8.72	150.00	1308.00
				योग—	1522.00

78— ग्राम सभा अगयां में बहादुर के खेत के पास 3 मी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	22.37	11.19	65.00	727.00
2	बी /डब्ल्यू 1:4	105.10	28.38	150.00	4257.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	9.09	4.09	150.00	614.00
				योग—	5598.00

79— ग्राम सभा रसूलपुर में सिध्दार्थ पू0 मा0 वि0 सम्पर्क मार्ग पर प्रधान टोला पर पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	45.00	22.50	65.00	1462.00
2	बी /डब्ल्यू 1:4	177.73	47.97	150.00	7198.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	20.56	9.25	150.00	1387.00
				योग—	10047.00

80— ग्राम सभा शिकारपुर में मुख्य सड़क से गांव जाने वाले सड़क पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी /एलसी.सी.1:6:12	19.87	9.94	65.00	646.00
2	बी /डब्ल्यू 1:3	36.64	9.89	150.00	1489.00
3	12मिलीमीटर 1:3	181.41	2.72	150.00	408.00
				योग—	2537.00

81— ग्राम सभा पिपरहिया टोला घोड़हिया में 4 मी0 स्पान की पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	29.17	13.12	65.00	853.00
2	बी /डब्ल्यू 1:3	50.71	13.69	65.00	890.00
3	बी /डब्ल्यू 1:4	41.28	11.14	65.00	724.00
4	आर.सी.सी.1:2:4	0.96	0.43	150.00	65.00
				योग—	2532.00

82— ग्राम सभा पिपरा कल्याण के बौलिया माइनर पर 3 मी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	23.52	11.76	150.00	1764.00
2	बी /डब्ल्यू 1:3	55.00	14.85	150.00	2227.00
3	बी /डब्ल्यू 1:4	36.64	9.89	150.00	1483.00
4	आर.सी.सी.1:2:4	8.24	3.71	150.00	556.00
				योग—	6030.00

83— ग्राम सभा मुजहना में 3 मी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	23.52	11.76	150.00	1764.00
2	बी /डब्ल्यू 1:3	57.33	15.48	150.00	2322.00
3	बी /डब्ल्यू 1:4	36.88	9.96	150.00	1494.00
4	आर.सी.सी.1:2:4	8.69	3.91	150.00	587.00
				योग—	6167.00

84— ग्राम सभा बारातगाड़ा में खडन्जा से जय सिंह के घर जाने वाले मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:6:12	11.82	5.91	65.00	384.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	49.31	13.31	150.00	1997.00
					योग— 2381.00

85— ग्राम सभा रूदलापुर से जाने वाले मार्ग पर स्थित नहर पर 4 मी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	20.92	10.46	65.00	680.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	117.66	31.76	65.00	2064.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	16.34	7.35	150.00	1102.00
					योग— 3846.00

86— ग्राम सभा सबया बिचला टोला के पश्चिम नहर पर 4 मी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	32.79	14.76	150.00	2214.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	120.41	32.51	150.00	4876.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	14.19	6.39	150.00	958.00
					योग— 8048.00

87— ग्राम सभा नरकटहा में नहर चौराहे पर 2x3 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	सी.सी.1:4:8	25.57	12.78	65.00	831.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	120.60	32.56	150.00	4884.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	18.04	8.11	150.00	1216.00
					योग— 6931.00

88— ग्राम पंचायत बेलासपुर नर्सरी में माता के स्थान पर पुलिया एवं एप्रोच निर्माण।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी / एलसी.सी.1:4:8	30.48	15.24	65.00	991.00
2	बी / डब्ल्यू 1:4	206.37	55.71	150.00	8356.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	21.28	9.57	150.00	1435.00
					योग— 10782.00

89— जिला पंचायत कार्यालय परिसर में सीसी एवं चहारदीवारी मरम्मत कार्य।

क्र0सं0 आईटम एम0बी0 में अंकित कार्य की माप घ0मी0 मानकानुसार प्रयुक्त बालू घ0मी0रायल्टी दररायल्टी कटौती

1	पी/एलसी.सी.1:6:12	32.83	16.42	65.00	1067.00
2	बी / डब्ल्यू 1:3	17.09	4.61	150.00	692.00
3	आर.सी.सी.1:2:4	27.60	12.42	150.00	1863.00
4	12मिलीमीटर 1:3	31.05	0.47	150.00	70.00
5	पी.सी.सी.1:2:4	0.75	0.33	150.00	50.00
					योग— 3742.00

इस प्रकार शासनादेश के अनुसार रू0 290804.70 रायल्टी का पांच गुना (5x290804.70) 1454023.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए। इस प्रकार 1454023.50 - 290804.70 = 1163218.80 कम वसूली कर अपरहण किया गया है, जिसके लिए लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री चन्द्र शेखर सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0 2ब10)

सम्भाग—झांसी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 जिला पंचायत उरई

आपत्तियों का पूर्ण विवरण

प्रस्तर 01 उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-1/2017- सी0ए0-400/ दस/2017- सित0-1 /2017 दि0 24 सितम्बर 2017 के अनुसार कार के लिये रू0 1000.00 तथा जीप के लिये आवंटित वाहन पर रू0 800.00 प्रतिमाह कटौती की जानी चाहिये किन्तु संस्था द्वारा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह का आवंटित वाहन पर कोई कटौती नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक 800.00 प्रतिमाह की दर से कटौती न कर प्रति वर्ष रू0 9600.00 की संस्था को हानि पहुंचायी गयी।

अतः श्री अरुण कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी से रु0 9600.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी चाहिये।

5 मूल आपत्ति सं0-03

प्रस्तर 02 जनपद जालौन में वर्ष 2018-19 में कुल आठ ईट भटठा संचालित थे किन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त ईट भटठों को न तो बंद कराया गया और न ही लाइसेंस निर्गत कर शुल्क की वसूली की गयी। इस प्रकार प्रति वर्ष 2000/प्रतिवर्ष की दर से संस्था को रु0 16000.00 की हानि हो रही है जिसके लिये श्री अरुण कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी व सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-04

प्रस्तर 03 जिला पंचायत जालौन द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2ग(ख) के प्रावधानों के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन/मोबाइल टावर आदि को नियंत्रित/नियमित करने हेतु तैयार की गयी उपविधि के अनुसार (शासकीय गजट में प्रकाशन तिथि 14 जून 2014 से प्रभावी) टेलीफोन/मोबाइल टावर का लाइसेन्स शुल्क प्रति वर्ष रु0 5000.00 निर्धारित किया गया तथा लाइसेन्स शुल्क 31 मार्च तक जमा न करने की दशा में विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने का प्राविधान किया गया है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 47 टेलीफोन/मोबाइल टावर स्थापित हैं जिनसे उपविधि के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाइसेन्स शुल्क वसूल नहीं किया गया है जिससे संस्था को प्रतिवर्ष रु0 2.35 लाख की हानि हो रही है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-05

प्रस्तर 04 जिला पंचायत के उपविधि के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नये कारखानों, दुकान, संग्रह केन्द्र एवं अन्य व्यवसाय आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु देशी, विदेशी मदिरा एवं वियर की दुकानों से प्रतिवर्ष रु0 1000.00 प्रति दुकान की दर से लाइसेन्स शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। शुल्क 31 मार्च 2019 तक न जमा करने की स्थिति में विलम्ब शुल्क के साथ वसूलने का प्राविधान किया गया है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 210 देशी, विदेशी मदिरा एवं वियर की दुकानों के कोटा/लाइसेंस के सापेक्ष संस्था द्वारा मात्र 56 देशी, विदेशी मदिरा एवं वियर की दुकानों के लाइसेंस प्रदान किये गये थे जिनसे मात्र रु0 62080.00 की वसूली की गयी है। इस प्रकार संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण संस्था को प्रतिवर्ष रु0 154000.00 की हानि हो रही है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी व सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-06

प्रस्तर 05 जिला पंचायत जालौन स्थान-उरई के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि दि0 31-03-2019 को निम्न विवरणानुसार शासन से प्राप्त अनुदानों की धनराशि अप्रयुक्त रही जो शासन के नीतियों के प्रतिकूल है। उक्त हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन निरंजन उत्तरदायी रहे। वर्षान्त में अप्रयुक्त /अवशेष राजकीय अनुदान की धनराशि रु 170407709.00 या तो शासन को वापस की जाय, या अगले वर्ष में प्रयोग करने हेतु शासन से प्रयोग करने हेतु (एक्सटेंशन) की अनुमति प्राप्त की जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	योजना का नाम	31.03.19 को अवशेष
1.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 2015-16	256959.00
2.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 2016-17	3271.00
3.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 2017-18	12271043.00
4.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 2018-19	155749368.00
5.	बुन्देलखण्ड पेयजल योजना 2016-17	940228.00
6.	13वां वित्त वर्ष 2015-16 (अवयोजना बंद)	48.00
7.	पुराना अन्य अवशेष	27580.79
8.	जे०डी०सी० बैंक उरई का अवशेष	30917.00
9.	काजी हाउस	1128295.00
	योग	170407709.00

मूल आपत्ति सं0-08

प्रस्तर 06 वर्ष 2018-19 में मृत पशु शव निस्तारण मद में संस्था को रु0 59700.00 की आय हुई है किन्तु उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2967/1/33-2-2005-15 वी0 14/02 दि0 07.10.2002 के प्रावधानों

के क्रम में जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु 50 प्रतिशत अंश रु0 29850.00 का भुगतान नहीं किया गया है जो अपेक्षित रहा। उक्त हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-09

प्रस्तर 07 वर्ष 2018-19 के लेखा में जिला पंचायत की दुकानों का किराया रु. **4987826.00** का बकाया लेखा परीक्षा के अनुसार है जिसकी वसूली हेतु रु. 5.00 प्रतिदिन से अर्थदण्ड का प्राविधान जिला पंचायत की बैठक में कराकर वसूली की ठोस कार्यवाही की जाये, क्योंकि जिला पंचायत में स्टाफ की कमी को देखते हुये दिन प्रतिदिन बकाया बढ़ने की संभावना को रोका नहीं जा सकता। अतः मा0 अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अपर मुख्य अधिकारी व पटल प्रभारी/कर्मचारियों के खिलाफ बकाया किराया की वसूली नहीं करने के कारण इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। बकाया किराया का गोस्वारा निम्नवत है।

क्र0	बाजार का नाम	दुकान सं0	वर्तमान मांग	गत वर्ष का बकाया	योग	वसूली	31.03.19 को अव0
1	जालौन चुर्खी रोड उरई	01 से 46	618420	1473426	2091846	563046	1528800
2	जालौन उरई की दुकानें व छत	01 से 76	412440	570876	983316	330043	653273
3	कोंच	22	216720	446705	663425	128773	534652
4	कुठौन्द	24	94860	227331	322191	200499	121692
5	हदरुख	01 से 11	62220	261595	323815	116714	207101
6	ईटों तिरहा गोहन	3	46920	82650	129570	68490	61080
7	गांधी बाजार उरई	44	1938007	1248899	3186906	1780859	140647
8	नेहरू बाजार उरई	90	1061286	790196	1851482	863467	988015
9	नार्मल स्कूल उरई	49	348312	438183	786495	253090	533405
10	पौण्ड एट	11	123300	40324	163624	85110	78514
	योग		4922485	5580185	10502670	4390091	4987826

मूल आपत्ति सं0-15

प्रस्तर 08 इंडियन रोड कांग्रेस के आईआरसी:एसपी:62:2004 अथवा लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के किसी भी दिशा निर्देश में सी सी रोड निर्माण कार्य में दोनों साइडएम-150 ब्रिक वर्क विद1:4सीमेंट -सैंड-मोर्टार लगाये जाने की अनुमन्यता नहीं थी।

2018-19 में प्राप्त विकास क्षेत्र कदौरा, कोंच व डकोर के सी सी रोड का निर्माण कार्यों के आडिट में उपलब्ध पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि एम-150 क्लासब्रिक्सवर्कविद 1:4 सीमेंटएंडसैंडमोर्टार का कार्य भी कराया गया था। इसका उपयोग सी सी रोड के दोनों साइड एज (एज) बनाने में किया गया था। ब्रिक्स एज कार्य के पश्चात् 1:6:12 का सीमेंट कोर्स सैंड एंड एग्रीगेट का कार्य बेस कोट हेतु ब्रिक एज के बीच में किया गया तत्पश्चात् टाप कोट का कार्य (1:2:4 सीमेंट कोर्स सैंड एंड अप्रूव्ड एग्रीगेट) बेस कोट एवं ब्रिक्स के ऊपर किया गया था। टाप कोट का कार्य बेस कोट एवं एम-150 ब्रिक वर्क के ऊपर किये जाने के फलस्वरूप ब्रिक वर्क कराये जाने का कोई औचित्य नहीं था। संस्था द्वारा सी सी रोड निर्माण कार्यों में ब्रिक वर्क की आवश्यकता न होने पर भी धनराशि रु0 **23.84 लाख** का बिक वर्क कराया गया था।(संलग्नक-अ) लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सी सी रोड निर्माण में रोड की गुणवत्ता व मजबूती बनाये रखे जाने के लिये ब्रिक वर्क कराया गया था। उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि सी सी रोड निर्माण कार्य में ब्रिक वर्क की कोई भी औचित्यता नहीं थी। साथ ही सी सी रोड निर्माण कार्य में ब्रिक वर्क का कराया जाना प्रावधानित भी नहीं है।

अतः रोड निर्माण पर किया गया धनराशि रु0 **23.84 लाख** का व्यय किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अतः धनराशि रु0 **23.84 लाख** के अनियमित व्यय के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह एवं अभियन्ता श्री राधाकृष्ण जायसवाल एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता उत्तरदायी रहे। विवरण निम्नवत है। अतः रु **23.84** के अनियमित व्यय की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी

श्री अरुण कुमार सिंह एवं अभियन्ता श्री राधाकृष्ण जायसवाल एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

संलग्नक (अ) सी0सी0रोड

क्रमांक	कार्य का नाम	मात्रा	दर (रु० में)	कुल लागत
1	ग्रा0प0 चतेला में कन्या पाठशाला से मेन रोड की ओर सी.सी.रोड का निर्माण	7.48	6317	47251.16
2	ग्राम मुमताज बाद में मुख्य मार्ग पंचायत घर से कब्रिस्तान गेट तक 205 मी सी.सी.रोड व नाला निर्माण	25.53	6227	158975.31
3	ग्राम करनचन्दपुर में कालका के दरवाजे से दुलीचन्द के दरवाजे एवं राजनारायण के दरवाजे से नहर के पुल तक सी.सी.रोड का निर्माण	7.72	6290.30	48561.12
4	ग्राम जकसिया मजरा मुश्ताक नगर में पंचम चौधरी के मकान से गुल्लू बसोर के मकान की ओर सी.सी.रोड	12.05	6440.90	77612.85
5	ग्राम बड़ागांव मुख्य मार्ग से गांव की ओर सी.सी.रोड	9.09	5135	46677.15
6	ग्राम उकूरुवा में सहबाज के दरवाजे से फुल खाँ के दरवाजे की ओर सी.सी.रोड का निर्माण	2.48	6188.20	15346.74
7	ग्राम सन्दी में सूरज कुशवाहा के मकान से मुख्य मार्ग की ओर सी.सी.रोड का निर्माण	25.59	6197.70	158599.14
8	ग्राम इटौरा गुरु में इटौरा दादूपुर बम्बा से इण्टरलाकिंग रोड निर्माण	51.99	5725	297642.75
9	ग्राम निस्वापुर मजरा मझवार में राज बहादुर के दरवाजे से नब्बा खाँ दरवाजे तक सी.सी.रोड	11.27	5271	59404.12
10	ग्राम हांसा में मेन सड़क से किशोरी के मकान तक सी.सी.रोड	10.60	5189	55003.40
11	ग्राम घूमरी में मेन रोड से जूनियर व प्राइमरी पाठशाला की ओर सी0सी0रोड व पुलिया निर्माण	68.92	5135.00	353904.200
12	ग्राम पिरौना में गधेहापुल से गांव की ओर सम्पर्क मार्ग का अनुरक्षण कार्य	6.44	5135	33069.40
13	ग्राम अजनारा में फूल सिंह के बाड़ा से मिनौरा की ओर सी0सी0रोड निर्माण कार्य	14.79	5340.40	78984.52
14	ग्राम चौरसी सम्पर्क मार्ग से निजाम के दरवाजे होते हुये हड़डी मील की ओर सी0सी0रोड व पुलिया निर्माण	26.68	5135	137001.80
15	ग्राम विनौरा में रामप्रसाद कुशवाहा के मकान से पुल तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण	30.31	5430.70	164604.52
16	ग्राम करथरा में मुख्य खडन्जा मार्ग से बलबीर यादव के मकान की ओर (शंकर जी के मन्दिर) तक सी0सी0रोड निर्माण	22.36	5135	114818.60
17	ग्राम गूढा में पंचायत भवन से गांव के बाहर द्वार की ओर सी0सी0रोड व एक ओर नाली निर्माण	49.40	5428.00	268143.20
18	योग			2383743.18

मूल आपत्ति सं0-30

प्रस्तर 09- 2018-19 में प्राप्त विकास क्षेत्र कदौरा, कोंच व डकोर के आडिट में उपलब्ध निर्माण कार्यों के पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि संस्था द्वारा निम्न अंकित निर्माण कार्यों पर प्रीमिक्स सीलकोट का कार्य किये जाने के पूर्व डब्लू0बी0एम0 सतह पर 24 घंटे के अन्दर रु **207777.30** का टैंक कोट डालकर पी0सी0 का कार्य कराया गया है जो अनियमित रहालोकनिर्माण विभाग के परिपत्र सं0 3583 एम0टी0/60 एम0टी0/2007 दि0 13.06.2007 के अनुसार डब्लू0बी0एम0 के ऊपर प्राइम कोट डालकर सीधे पी0सी0 का कार्य कराया जायेगा। यदि 24 घंटे के अन्दर पी0सी0 का कार्य कराया गया हो तो टैंक कोट डाले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्तु रु **207777.30** के अनियमित ब्यय के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह एवं अभियन्ता श्री राधाकृष्ण जायसवाल एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता उत्तरदायी रहे। अतः रु **207777.30** के अनियमित ब्यय की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार

सिंह एवं अभियन्ता श्री राधाकृष्ण जायसवाल एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	वर्क	मात्रा	रेट/स्क्वायर मीटर	धनराशि
1	ग्राम पिरौना में नहर के पुल से बबनपुरापुरल द्विगांव की तरफ सम्पर्क मार्ग में मरम्मत एवं लेपन कार्य	1800	12.20	21960.00
2	उरई कोंच रोड स्थित भदारी रोड के सामने वाले रोड से अण्डा तक सम्पर्क मार्ग के अनुरक्षण व पुलिया निर्माण	9567.8	15.00	143517.00
3	ग्राम पिरौना में गधेहापुरल से गांव की ओर सम्पर्क मार्ग का अवशेष अनुरक्षण कार्य	1092	14.90	16270.80
4	ग्राम अमीरा में पुलिया से अण्डा माइनर का ओर 630 मी0 सम्पर्क मार्ग का अनुरक्षण कार्य	1942.50	13.40	26029.50
	योग			207777.30

मूल आपत्ति सं0-31

प्रारूप-2 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद का नाम—झांसी
जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ आपत्ति का विवरण
प्रस्तर 1

मण्डल का नाम—झांसी

सम्पत्ति एवं विभव कर की जिला पंचायत झांसी की वर्ष 2018-19 की कुल बकाया की ब्लॉक वार स्थिति निम्न प्रकार है —

क्र0	विकासखण्ड	गत वर्ष का शेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	कुल अवशेष
1—	बबीना	2574950	374800	2949750	625840	2323910
2—	बडागौंव	19884190	452750	2336940	496150	1840790
3—	चिरगौंव	1680012	291800	1971812	260400	1711412
4—	मोंठ	1192204	253800	144604	135100	1310904
5—	मऊरानीपुर	2305600	418200	2723800	298750	2425050
6—	बंगरा	2442946	320480	2763426	159150	2604276
7—	बामौर	493360	65700	559060	66710	492350
8—	गुरसराय	1344000	317030	1561030	390590	1170440
	योग —	13917262	2394560	16311822	2432690	13979132

इस प्रकार वर्ष 2018-19 तक कुल बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर का रू0 13979132-00 है। वर्ष 2015-16 में रू0 11119520-00 एवं वर्ष 2017-18 में 2797742-00 का विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया जा चुका है। उक्त धन राशि को घटाते हुए शेष रू0 61870-00 का अधिभार किया जाए। वसूली हेतु उत्तरदायी पटल प्रभारी एवं वसूली कर्मचारी श्री हरिओम द्वारा वसूली के सार्थक प्रयास नहीं किये गये। इस ओर प्रबन्ध एवं उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

शासनादेश संख्या 6735 /33-3-97-213 जी /97 पंचायती राज अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 19 मार्च 1988 में जिला पंचायतों के आर्थिक सुदृढीकरण हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार जिला पंचायतों में सम्पत्ति एवं विभव कर की उपविधियों बनाकर प्रभावी नहीं की गयी है, उनको अविलम्ब बनाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासन से अनुमोदन प्राप्त किये जाये। वसूली में प्रगति लायी जाये। ब्याज सहित वसूली समयबद्ध तरीके से की जाये।

(मूल आपत्ति संख्या 14)

प्रस्तर 2 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दुकान/भवन किराया की बकाया मद में वर्ष की कुल मांग रू0 4191779.00 थी। वर्ष में कुल जमा रू0 2336629.00 हुआ। वर्षान्त में अवशेष रू0 1855150.00 की वसूली अपेक्षित है। समय से वसूली न होने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति हो रही है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वसूली हेतु संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं वसूली न करने हेतु

पटल प्रभारी श्री देवेन्द्र धारिया एवं वसूली कर्मचारी उत्तरदायी है । अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उक्त वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 18)

प्रस्तर 3 जनपद झांसी के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रा० पा०/जू० हा० से सम्बद्ध से कृषि योग्य भूमि की नीलामी वर्ष 2018 से 2021 तक के लिए निम्न विवरण अनुसार विभिन्न ठेकेदारों को की गयी थी। जिसकी अवशेष वसूली रु० 311000.00 की ठेकेदारों से अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	प्रा० पा०/जू० हा० से सम्बद्ध भूमि स्थल का विवरण	ठेकेदार/बोली दाता का नाम व पता	सर्वोच्च बोली की धनराशि	बोली के सापेक्ष जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1.	प्रा० पा० सरसैड़ा	श्री बलराम पटेल पुत्र स्व० श्री रामलाल नि० ग्राम व पोस्ट सरसैड़ा तहसील टहरोली जिला झांसी	19500.00	10000.00	9500.00
2.	प्रा० पा० गौती	श्री भगवान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह नि० ग्राम व पोस्ट गौती तह० गरौठा जिला झांसी	45500.00	23000.00	22500.00
3.	डाक बंगला बदौरा	श्री जाहर सिंह पुत्र जंगीराम नि० ग्राम व पोस्ट बदौरा जिला झांसी	53000.00	26500.00	26500.00
4.	प्रा० पा०/जू० हा० सकरार	श्री शमशुद्दीन पुत्र नवी बक्स नि० ग्राम व पोस्ट सकरार तह० मउरानीपुर जिला झांसी	171000.00	86000.00	85000.00
5.	प्रा० पा० मगरपुर	श्री सन्तोष पुत्र श्री जानकी नि० ग्राम व पोस्ट मगरपुर तह० मउरानीपुर जिला झांसी	28500.00	15000.00	13500.00
6.	प्रा० पा० शाहजहांपुर	श्री अभय यादव पुत्र जनक सिंह नि० गोपुरा तह० मोंठ जिला झांसी	62000.00	41000.00	21000.00
7.	जू० हा० घाट लहचूरा	श्री भानुप्रकाश पुत्र श्री ठाकुर दास नि० व पोस्ट घाट लहचूरा	62000.00	31000.00	31000.00
8.	प्रा० पा० बरनाया	श्री काशीराम पुत्र श्री सल्लू नि० व पोस्ट पुलिया तह० मोंठ जिला झांसी	109500.00	55000.00	54000.00
9.	प्रा० पा०/जू० हा० अमरौख	श्री अभय यादव पुत्र श्री जनक सिंह नि० गोपुरा तह० मोंठ जिला झांसी	60000.00	30000.00	30000.00

10.	प्रा० पा० बंका पहाड़ी	श्री मुकेश पुत्र रामप्रसाद नि० ग्राम व पोस्ट बंका पहाड़ी थाना गुरसराय जिला झांसी	33000.00	15000.00	18000.00
		योग			311000.00

इस वसूली का उत्तरदायित्व पटल प्रभारी श्री देवेद्र धारिया एवं वसूली कर्मचारियों का है। उक्त वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 19)

प्रस्तर 4 मृत पशु एवं शव निस्तारण के लाइसेंस/ठेके की धनराशि विगत कई वर्षों से विभिन्न ठेकेदारों से अवशेष चली आ रही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	बकायेदारों का नाम व पता	वसूली की मद	अवधि	अवशेष
1.	श्री गिरजा प्रसाद पुत्र श्री नाथूराम नि० ग्राम स्यावरी तह० मउरानीपुर	वि०ख० मउरानीपुर के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	1997-98	53900-
2.	श्री कल्लू श्री भगो चमार नि० ग्राम व पोस्ट उल्दन रोड़ बंगरा जिला झांसी	वि०ख० बंगरा के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	1997-98	30000-
3.	श्री रामप्रकाश अहिरवार सभापति पशु शववच्छेदन बंगरा	वि०ख० बंगरा के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	2005-06	10000-
4.	श्री रामकिशुन पुत्र श्री नाथूराम नि० ग्रा० व पो० स्यावरी मउरानीपुर	वि०ख० गुरसराय के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	1997-98	31350-
5.	श्री हसन खां पुत्र श्री सुवराती नि० नुनार पण्डवाहा	वि०ख० गुरसराय के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	2000-01	20000-

6.	श्री शहाबुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री अलीमउद्दीन कुरैशी नि० 364 बाहर सैयर गेट झांसी	वि०ख० बड़ागांव के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	2003-04	30000-
7.	श्री राहत कुरैशी पुत्र आशिक कुरैशी नि० कोयला वाली गली सीपरी बाजार झांसी	व०ख० बबीना के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	2009-10	59000-
8.	श्री सलीम कुरैशी पुत्र श्री वशीर नि० ग्रा० छिरौना हाल नि० कपूर टेकरी जिला झांसी	वि०ख० चिरगांव के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	1997-98	31350-
9.	कल्लू पुत्र चन्ने चमार नि० ग्रा० पो० खैलार जिला झांसी	वि०ख० बबीना के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	2004-05	50000-
10.	मै० पशु शवच्छेदन छिरौना चिरगांव जिला झांसी सचिव विजय अहिरवार नि० ग्राम मिरौना चिरगांव	वि०ख० चिरगांव के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	2004-05	108000-
11.	श्री प्रकाश वाल्मीकि पुत्र हरचरन नि० ग्रा० पहाड़ी ब्लाक चिरगांव झांसी	वि०ख० चिरगांव के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ ठेके की धनराशि	1997-98	13990-
12.	श्री रमजानी पुत्र श्री युसूफ मट्टा नि० बाहर ओरछा गेट झांसी	वि०ख० बबीना के मृत पशु शव निस्तारण के ठेके की धनराशि	2009-10	59000-
13.	श्री शगीर कुरैशी पुत्र हमीद कुरैशी नि० बाहर ओरछा गेट झांसी	वि०ख० बड़ागांव के मृत पशु शव निस्तारण के ठेके की धनराशि	2017-18	5000-
14.	श्री मु० शहीद कादरी पुत्र अब्दुल अजीज नि० 323 बाहर ओरछा गेट झांसी	वि०ख० चिरगांव के मृत पशु शव निस्तारण के ठेके की धनराशि	2017-18	5000-
योग				506590-

इस प्रकार मृत पशु शव निस्तारण के ठेके/ लाइसेंस की ठेकेदारों से अवशेष वसूली रु० 506590.00 की धनराशि अपेक्षित है। इसका उत्तरदायित्व पटल प्रभारी श्री देवेद्र धारिया एवं सम्बन्धित वसूली कर्मचारियों का है। ब्याज सहित वसूली हेतु ठोस कार्यावाही अपेक्षित है। इस प्रकार प्रबन्ध/अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या 20)

प्रस्तर 5 मुख्य सड़क से जू0 हा0 मियांपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (सोलिंग से लेपन स्तर तक) लागत 13.50 लाख का किया गया। जिसे ठेकेदार श्री प्रताप सिंह पुत्र महाराज सिंह नि0 औपारा चिरगांव झांसी के द्वारा किया गया है। इसमें विटूमीन एवं इमलसन प्राइवेट फर्म स्टीलपेटो-केम इण्टरप्राइसिस बम्हौरीसर तालबेहट से खरीद की गई। जबकि शासनादेश संख्या-1408। 23-0-09-02(जनरल) 08 मई 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा आपूर्ति मूल इनवाइस इण्डियन ऑयल रिफाइनरी की होनी आवश्यक है। विटूमीन की धनराशि (1)- रू0 126378 (2)- रू0 48650.00 एवं इमलशन रू0 61950.00 का खरीदा गया। कुल धनराशि 236978.00 का व्यय विटूमीन एवं इमलशन में किया गया। सड़क की गुणवत्ता खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 13.50 लाख का दुर्विनियोग है। इसका उत्तरदायित्व श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव अपर अभियंता श्री गोविन्द कोटार्य एवं ठेकेदार श्री प्रताप सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर 6 ग्राम पंचायत इटवों खुर्द से पहाड़ी खुर्द तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी मरम्मत से लेपन स्तर तक नव निर्माण कार्य रू0 38.96 लाख का मैसर्स रुद्र कन्सट्रक्शन द्वारा ठेकेदार श्री राम शंकर पुत्र श्री गुलाब प्रसाद शर्मा चिरगांव झांसी द्वारा किया गया। जिसमें विटूमीन रू0 96410.00, रू0 48640 एवं इमलशन 43400.00 कुल व्यय खरीद 188450.00 का किया गया। उक्त खरीद मै0 स्टीलपेटो-केमि0 इण्टरप्राइसेस बम्हौरीसर, तालबेहट जिला झांसी से की गई। शासनादेश संख्या 1408/23-03-09-02 (जनरल) 08 मई 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा आपूर्ति मूल इनवाइस इण्डियन ऑयल रिफाइनरी की होनी आवश्यक है। सड़क की गुणवत्ता खराब होनी की संभावना है। 38.96 लाख का दुर्विनियोग है। इसका उत्तरदायित्व श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव अभियंता एवं ठेकेदार श्री रमाशंकर पुत्र गुलाब प्रसाद शर्मा का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप- 2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम-झांसी

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपित्तियाँ- जिला पंचायत ललितपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न अनियमितता प्रकाश में आयी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 1 मृत पशु शव निस्तारण की पत्रावली की नीलामी की जांच में पाया गया कि पत्रांक 4009/03-02-2016/13 दिनांक 11 जनवरी 2016 अधिक कार्य की अधिकृति पर नीलामी लेना चाहिए जबकि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि नीलामी कम पर की गयी है जो कि गंभीर आपत्ति का विषय है इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री के0 जी0 गुप्ता व श्री रमेशचंद्र अपर मुख्य अधिकारी है। विवरण निम्नवत है।

विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	3 वर्ष का औसत योग	3 वर्ष के औसत का 15% अधिक	कम से कम नीलामी धनराशि (5+6)	वर्ष 2018-19 की वास्तविक नीलामी की धनराशि	कम नीलामी की धनराशि (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बार	360000	200000	100000	220000	33000	253000	40000	213000
तालबेहट	276000	80000	50000	135333	20299	155632	20000	135632
बिरधा	332000	150000	75000	185667	27849	213516	30000	183516
महरौनी	316000	125000	61000	167333	25099	192432	30000	162432
मड़वरा	51000	100000	30000	60333	9050	69383	20000	49383
जखौरा	551000	250000	125000	308667	46299	354966	35000	319966
योग								1063929

इस प्रकार सचिव के शासनादेशानुसार कम नीलामी करने पर रू० 1063929 की संस्था को क्षति पहुंची जिसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री के० जी० गुप्ता व श्री रमेशचंद्र अपरमुख्य अधिकारी हैं। क्षतिकीब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या— 10**

प्रस्तर संख्या —2 शासनादेश सं० 2203/33-297-43 की (8) 95 टी० सी० लखनऊ दिनांक 30 मई 1997 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण में होने वाली आय का आधा भाग नियमित रूप से ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाना है वर्ष 2018-19 के जिला पंचायत ललितपुर में मृत पशु शव निस्तारण में रू० 175000.00 की आय हुयी जिसका आधा भाग रू० 87500.00 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना था परन्तु कोई भी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गयी जो शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल है। इस हेतु श्री के०जी० गुप्ता, श्री रमेश चन्द्र उत्तरदायी हैं। शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार 87500.00 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता की भी उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—3 शासनादेश संख्या 1838/33-03-0215-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न अनुदानों से उपलब्ध होनी वाली धनराशि के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर 6 के अनुसार जिला पंचायत को हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की 50 प्रतिशत तक व्यय यथा अवश्यकतानुसार जिला पंचायत के स्वयं की या हस्तांतरित सम्पत्तियों यथा स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रख रखाव पर अवश्य किया जाये।

वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत कुल रू० 1733.10 लाख की धनराशि हस्तांतरित की गयी तथा पूर्व वर्षों का रू० 593.44 लाख बकाया था इस तरह वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सक्रमिक कुल धनराशि 2326.54 लाख उपयोग हेतु उपलब्ध थी। उक्त शासनादेश अनुसार इसमें 50 प्रतिशत धनराशि 1163.27 लाख को उक्तानुसार समपत्तियों के मरम्मत एवं रख रखाव पर व्यय किया जाना परन्तु वर्ष 2018-19 में मरम्मत एवं रख रखाव पर 1163.27 लाख रू० व्यय नहीं की गयी एवं वर्ष दौरान निर्माण कार्यों पर 1256.05 लाख रू० व्यय किये गये जिस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी हैं।

शासनादेशों के अनुसार वर्ष 2018-19 में सम्पत्तियों के मरम्मत पर कोई व्यय न करना स्पष्ट रूप से शासनादेश का उल्लंघन है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री के०जी० गुप्ता व रमेश चन्द्र तथा वित्तीय परामर्श दाता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

शासनादेशों के अनुसार वर्ष 2018-19 में सम्पत्तियों के मरम्मत पर व्यय रू० 1163.27 लाख नहीं किया गया जो कि गंभीर अनियमितता है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी के०जी० गुप्ता, श्री रमेश चन्द्र तथा वित्तीय परामर्शदाता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अतः इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाया जाना अपेक्षित है।

शासनादेश संख्या 8307/03-02-2004-93-जी०/2004 दिनांक 12.01.2015 के शासनादेश संख्या 4/866/33-4-14-93जी०/2004 दिनांक 29.06.2004 के अनुसार जिला पंचायत विभिन्न अनुदानों में 2 या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभांशित करने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है।

आलोच्य वर्ष में 179/9-7-9/जी०-09 दिनांक 30.07.2009 शासनादेश सं० 151 नो-9-2010-164 जी/2009 दिनांक 16.10.2010 के द्वारा किसी निर्माण कार्य/लेपन कार्य हेतु प्रयुक्त विटुमिन के भुगतान हेतु विटुमिन की आपूर्ति सीधे रीफाईनरी से ही प्राप्त की जाएगी तथा ठेकेदार द्वारा सीधे रीफाईनरी की मूल इनवॉइस पत्रावली में रखी जायेगी तदनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा परन्तु संस्था द्वारा शासनादेशों के विपरीत भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी।

शासनादेश के विपरीत कार्य करने अधिकृत की स्थिति में भी संस्था द्वारा ग्राम प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं लिय गया कि उक्त निर्माण को उनके द्वारा नहीं कराया गया जिससे गम्भीर अनियमितता की गई उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 12

प्रस्तर संख्या—4 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान कराये गये निर्माण कार्यों पर सेल टैक्स/वैट टैक्स की कटौती 4: विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों पर नहीं की गयी है केवल जिन ठेकेदारों द्वारा अपने अनुबंध पत्र पर वैट टैक्स 4: काटने का अनुरोध किया गया उन्ही ठेकेदारों के प्रथम बिल से उक्त टैक्स की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजकीय राजस्व की

क्षति हुई है इसके लिए श्री के०जी० गुप्ता व श्री रमेश चन्द्र अपर मुख्य अधिकारी, दयाशंकर सिंह वित्तीय परामर्श, लेखाकार श्री रुपेश तिवारी, अभियंता श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अतः कम काटे गए वैट टैक्स रू० की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि 454107.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	बिल की धनराशि	4% वैट की धनराशि	काटा गया वैट	कम काटा गया वैट टैक्स
1.	ग्राम पंचायत गोरा में राजन लोधी के मकान से गौड़ बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	श्री प्रभु दयाल	156217	6249	—	6249
2	ग्राम पंचायत गोरा में राजन लोधी के मकान से गौड़ बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	श्री प्रभु दयाल	647295	25889	—	25889
3	ग्राम पंचायत गोरा में राजन लोधी के मकान से गौड़ बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	श्री प्रभु दयाल	202405	8096	—	8096
4	ग्राम पंचायत मैनवार में नावई रोड़ से नाला तक संपर्क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य	लक्ष्मीशंकर	632560	25302	—	25302
5	ग्राम पंचायत मैनवारा में नावई रोड़ से नाला तक संपर्क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य	लक्ष्मीशंकर	801212	32048	—	32048
6	ग्राम पंचायत मैनवारा में नावई रोड़ से नाला तक संपर्क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य	लक्ष्मीशंकर	261927	10477	2000	8477
7	ग्राम थानागांव में खेरापति मंदिर से धीरज के घर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	शिशिर जयसवाल	119582	4783	2000	2783
8	ग्राम थानागांव में खेरापति मंदिर से धीरज के घर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	शिशिर जयसवाल	880681	35227	—	35227
9	बार देवरान रोड़ पर लेपन का कार्य	में० कमलेश	274562	10982	—	10982
10	बार देवरान रोड़ पर लेपन का कार्य	में० कमलेश	430225	17209	—	17209
11	ग्राम पतौरा में संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	में० कमलेश	432030	17281	—	17281
12	ग्राम पतौरा में संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	में० कमलेश	302014	12081	—	12081
13	ग्राम वरोद में पेवर ब्रिक्स निर्माण	प्रभु दयाल	982939	39317	—	39317
14	ग्राम पतौरा में यादवेंद्र सिंह बुंदेला के मकान से स्टैंड की आरे पेवर ब्रिक्स निर्माण	में० खजुरिया बिल्डर्स	978994	39160	—	39160
15	ग्राम गौना में यादवेंद्र सिंह बुंदेला के मकान से स्टैंड की ओर पेवर ब्रिक्स निर्माण	में० खजुरिया बिल्डर्स	159409	6376	—	6376
16	ग्राम पतौरा में घनीराम यादव के मकान से मुकुंद प्रजापति के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	में० कमलेश	113600	4544	—	4544
17	ग्राम रोड़ा से रिपटा तक संपर्क मार्ग निर्माण कार्य पर लेपन का कार्य	में० श्री हृदेश कुमार हुण्डैत	855749	34230	—	34230

18	ग्राम रोड़ा से रिपटा तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	में0 श्री हृदेश कुमार हुण्डैत	929022	37161	—	37161
19	ग्राम खडोबरा में शहजाद नदी के पुल से गाँव की ओर संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	में0 श्री हृदेश कुमार हुण्डैत	294482	11779	—	11779
20	ग्राम खडोबरा में शहजाद नदी के पुल से गाँव की ओर संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	में0 श्री हृदेश कुमार हुण्डैत	323406	12936	—	12936
21	ग्राम गुगरवारा में कांजी हाउस निर्माण	श्री कैलाश नारायण कुशवाहा	94900	37984	—	37984
22	ग्राम गुगरवारा में कांजी हाउस निर्माण	श्री कैलाश नारायण कुशवाहा	724900	28996	—	28996
योग						454107.00

मूल आपत्ति संख्या- 43

प्रस्तर संख्या —5 उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 में दिये गये प्राविधान के अनुसार “समय ठेके का सारतत्व है” निर्माण कार्य प्रारम्भ और समाप्त करने के लिए मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निश्चित दिनांक तक ठेके के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य को ठेकेदार प्रारम्भ और पूर्ण उन दोनों के अंतराल में ऐसे पत्र में दिखाये गए “परिभाषा की अनुसूची और दिनांक तक निर्माण कार्य पूरा करेगा जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। और टेंडर के साथ संलग्न किया जायेगा। अनुबंध तहत काम पूरा होने की देरी की स्थिति में प्रत्येक दिवस के लिए पूरे कार्य की अनुमति लागत का 1% से 10% तक की दर से काम की अधूरी मात्रा के लिये ठेकेदार के बिलों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जानी थी। अनुबंध पत्र में जिसकी 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए दर्शित पायी गयी जबकि संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति प्रतिकार की धनराशि की कटौती न करके मामूली रूप में करके ठेकेदारों को लाभ पहुंचाकर संस्था को हानि पहुंचाई गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है जो नियमावली में उल्लिखित “समय ठेकेदारी का सारतत्व है” के पूर्णतः विपरीत है। तथा विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार ठेकेदारों के बिलों से अपेक्षित कटौतियां नहीं की गयी जिसके कारण निम्न विवरणानुसार रु0 72438 से ठेकेदारों को फायदा है वहीं संस्था की आय में कमी हुई है। कम कटौती की वसूली सम्बंधित ठेकेदारों से ब्याज सहित किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में रु0 72438 की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री के0जी0 गुप्ता एवं रमेशचन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

क्र. स.	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	बिल की धनराशि	1% अर्थदण्ड काटना चाहिए	अर्थदण्ड जो काटा गया	अंतर
1	ग्राम पंचायत गोरा में राजन लोधी के मकान से गौण बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	श्री प्रभु दयाल	647295	6472	—	6472
2	ग्राम गोरा में राजन लोधी के मकान से गौण बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	श्री प्रभु दयाल	202405	2024	—	2024
3	ग्राम मैनवारा में नावई रोड़ से नाला तक संपर्क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य	लक्ष्मीशंकर गोस्वामी	632560	6326	2000	4326
4	ग्राम मैनवारा में नावई रोड़ से नाला तक संपर्क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य	लक्ष्मीशंकर गोस्वामी	801212	8012	—	8012
5	ग्राम थानागांव में खेरापति मंदिर से धीरज के घर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	शिशिर जयसवाल	880681	8807	—	8807

6	ग्राम बार में कांजी हाउस निर्माण	लक्ष्मीशंकर गोस्वामी	261927	2619	2000	619
7	ग्राम बरखेड़ा में हनुमान जी मंदिर के बाहर टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण	श्रीमती मीरा देवी	306245	3062	—	3062
8	ग्राम बरखेड़ा के मजरा सेवन मोहल्ला में हनुमान जी मंदिर के बाहर टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण	श्रीमती मीरा देवी	304873	3049	2000	1049
9	ग्राम मैलार में हनुमान जी के मंदिर के बाहर टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण	राजेश कुमार जैन	270645	2706	—	2706
10	ग्राम धमकना में देवमाता मंदिर के पास टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण	प्रदीप कुमार जैन	139648	1396	—	1396
11	बार देवरान रोड़ पर श्री हरिराम के खेत से तुडासर की ओर निरन के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	430221	4302	—	4302
12	बार देवरान रोड़ पर श्री हरिराम के खेत से तुडासर की ओर निरन के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	274562	2746	1000	1746
13	ग्राम गौना में यादवेंद्र सिंह बुंदेला के मकान से स्टैंड की ओर पेवर ब्रिक्स निर्माण	खजुरिया बिल्डर्स	978994	9790	—	9790
14	ग्राम गौना में यादवेंद्र सिंह बुंदेला के मकान से स्टैंड की ओर पेवर ब्रिक्स निर्माण	खजुरिया बिल्डर्स	159409	1594	—	1594
15	ग्राम पतौरा में श्री धनीराम यादव के मकान से बारियों की ओर श्री मुकुंद प्रजापत के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	432030	4320	—	4320
16	ग्राम पतौरा में श्री धनीराम यादव के मकान से बारियों की ओर श्री मुकुंद प्रजापत के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	302014	3020	—	3020
17	ग्राम पतौरा में श्री धनीराम यादव के मकान से बारियों की ओर श्री मुकुंद प्रजापत के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	113600	1136	500	636
18	ग्राम रोड़ा से रिपटा तक संपर्क मार्ग निर्माण कार्य पर लेपन का कार्य	हृदेश कुमार हुण्डैत	855749	8557	—	8557
योग						72438

मूल आपत्ति संख्या— 44

प्रस्तर संख्या—6 आलोच्य वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्या की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों को भुगतान किये गये बिलों की धनराशि से सेस टैक्स की कटौती निर्धारित नियमों के अनुसार 1% से कम करके ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है। जिससे राजस्व की हानि हुई है। अतः सेस की 1% से कम की वसूली की धनराशि ठेकेदारों से वसूल किया जाना चाहिए। राजस्व की निर्धारित दस से कम कटौती करना नियमों का उल्लंघन करना है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी के 0जी0 गुपता तथा श्री रमेश चन्द्र तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री दयाशंकर सिंह उत्तरदायी है। ठेकेदारों से वसूली न होने की दशा में ₹0 10084.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त अधिकारी/कर्मचारी से किया जाना अपेक्षित है।

क्र. स.	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	बिल की धनराशि	1% सेस की धनराशि	काटी गयी धनराशि	अंतर
1	ग्राम गौरा में राजन लोधी के मकान	श्री प्रभु दयाल	647225	6472	5778	694

	से गौड़ बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण					
2	ग्राम गोरा में राजन लोधी के मकान से गौड़ बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	श्री प्रभु दयाल	156217	1562	1395	167
3	ग्राम गोरा में राजन लोधी के मकान से गौड़ बाबा मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	श्री प्रभु दयाल	202405	2024	1807	217
4	ग्राम मैनवारा में नावई रोड़ से नाला तक संपर्क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य	लक्ष्मीशंकर गोस्वामी	632560	6326	5647	679
5	ग्राम मैनवारा में नावई रोड़ से नाला तक संपर्क मार्ग पर पेंटिंग का कार्य	लक्ष्मीशंकर गोस्वामी	801212	8012	7054	958
6	ग्राम थनागांव में खेरापति मंदिर से धीरज के घर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	शिशिर जयसवाल	880681	8807	7863	944
7	ग्राम थनागांव में खेरापति मंदिर से धीरज के घर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	शिशिर जयसवाल	119582	1196	1068	128
8	ग्राम बार में कांजी हाउस निर्माण	लक्ष्मीशंकर	261927	2619	2339	280
9	बार देवरान रोड़ पर श्री हरिराम के खेत से टुडासर की ओर निरन के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	274562	2746	2451	295
10	बार देवरान रोड़ पर श्री हरिराम के खेत से टुडासर की ओर निरन के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	430221	4302	3841	461
11	ग्राम पतौरा में श्री धनीराम यादव के मकान से वारयो की ओर श्री मुकुंद प्रजापति के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	302014	3020	2697	323
12	ग्राम पतौरा में श्री धनीराम यादव के मकान से वारयो की ओर श्री मुकुंद प्रजापति के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	432030	4320	3857	463
13	ग्राम पतौरा में श्री धनीराम यादव के मकान से वारयो की ओर श्री मुकुंद प्रजापति के खेत तक संपर्क मार्ग पर लेपन का कार्य	कमलेश	113600	1136	1014	122
14	ग्राम गौना में यादवेंद्र सिंह बुंदेला के मकान से स्टैंड की ओर पेवर ब्रिक्स निर्माण	खजुरिया बिल्डर्स	979894	9789	8741	1048
15	ग्राम गौना में यादवेंद्र सिंह बुंदेला के मकान से स्टैंड की ओर पेवर ब्रिक्स निर्माण	खजुरिया बिल्डर्स	159409	1594	1423	171
16	ग्राम रोड़ा से रिपटा तक संपर्क मार्ग निर्माण पर लेपन का कार्य	हृदेश हुण्डैत	855749	8557	7641	916
17	ग्राम रोड़ा से रिपटा तक संपर्क मार्ग निर्माण पर लेपन का कार्य	हृदेश हुण्डैत	929022	9290	8295	995
18	ग्राम बरखेड़ा के मजरा शिवनी	मीरा देवी	306245	3062	2734	328

	मोहल्ला में हनुमान जी मंदिर के बाहर टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण					
19	ग्राम बरखेड़ा के मजरा शिवनी मोहल्ला में हनुमान जी मंदिर के बाहर टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण	मीरा देवी	304873	3049	2728	321
20	ग्राम मैलार में हनुमान जी मंदिर के बाहर टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण	राजेश जैन	270645	2706	2416	290
21	ग्राम उत्तम धमना टीनशेड के नीचे चबूतरा निर्माण	श्री देशपत	264651	2647	2363	284
योग						10084

मूल आपत्ति संख्या-45

प्रस्तर संख्या-7 श्री राजकुमार नायक प्रभारी राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.08.2018 को मु0 385000 रु0 थी की प्रपत्र पंच की रसीद संख्या 795148 से 795149 काटी गयी थी। किन्तु श्री राजकुमार नायक को 385000 रु0 की उपरोक्त धनराशि सेंट्रल बैंक में न जमा करके अपने पास रोके रखी जिससे जिला पंचायत ललितपुर को राजस्व की क्षति हुई, श्री नायक ने उक्त रु0 385000 दिनांक 21.08.18 में जमा किये, श्री नायक से मु0 3228.00 ब्याज की धनराशि वसूल की जाय।

धनराशि	अवधि	दिनों की संख्या	आंकलित ब्याज दर
385000.00	05.08.2018 से 21.08.2018	17	3228

अतः श्री राजकुमार नायक प्रभारी राजस्व निरीक्षक ने जिला पंचायत ललितपुर को रु0 3228 राजस्व की क्षति पहुंचायी जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार नायक से अवलिंब की जाए।

मूल आपत्ति संख्या- 50

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-19

जनपद का नाम : औरैया

मण्डल : कानपुर

संस्था का नाम जिला पंचायत औरैया ले.प.वर्ष 2018-19

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 01- अध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ हायर गाड़ी सं0 यूपी79पी6777 द्वारा वर्ष दौरान कुल 24608 कि0मी0 यात्रा दौरान 2889 लीटर डीजल व्यय किया गया इस प्रकार वर्ष दौरान के घट-बढ़ डीजल मूल्य की औसत कीमत 65.00 रु0 प्रति लीटर से कुल रु0 187785.00 का डीजल मूल्य एवं रु 750.00 प्रतिदिन कि दर से गाड़ी भाड़ा रु 273750.00 कुल योग्य रु 461535 का गाड़ी संचालन पर व्यय हुआ है जबकि बजट रजि0 के अनुसार अध्यक्ष महोदय की गाड़ी अनुरक्षण मद पर रु 300000.00 का बजट प्रस्तावित है जबकि वास्तव में उक्त मद पर रु 548300.00 खर्च खरिज है जो प्रस्तावित बजट का लगभग 2 गुना है। साथ ही अध्यक्ष महोदय हेतु भाड़ा गाड़ी का मयडीजल मूल्य किराया सहित एकल व्यय रु 461535.00 है ऐसे में बजट से अधिक एवं वास्तविक से भी रु 86765.00 का अधिक खर्च कैश बुक में खारिज किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्याधिकारी श्री रामपाल सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ0स011)**

प्रस्तर 02- कर्मचारी प्राविडेन्ट फण्ड रजि0 के अवलोकन में यह देखा गया कि श्री हरगोविंद सिंह द्वारा माह अगस्त 2018 में प्रा0 फण्ड ऐसे निकाले गए अग्रिम को एक मुस्त जमा कर दिया गया पुनः 20.09.2018 को इन्हे अग्रिम के रूप में रु 158400.00 स्वीकृत कर दिया गया तथा पुनः 13.02.2019 को रु 80000.00 बिना पूर्व रिकवरी के अग्रिम स्वीकृत किया गया जिससे इनकी मासिक कटौती रु 13000.00 प्रति माह हो गयी जो कुल परिलार्थ के 50 प्रतिशत से अधिक है जो अनियमित प्रकार से अग्रिम स्वीकृति दर्शाता है। अतः रु 80000.00 बिना पूर्व धनराशि के रिकवरी के पुनः अग्रिम स्वीकृति जो अनियमित है हेतु अपर

मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0स013)

प्रस्तर 03— विकास खण्ड भाग्यनगर में फफूंद बाजार स्थित जिला पंचायत की दुकान जो क्रीडा स्थल के सामने स्थित है के निम्न दुकानों का निम्नलिखित विवरण अनुसार विगत कई वर्षों से क्रमागत किराया गांग वसूली रजि0 अनुसार वाकी है।

दुकान क्र0 सं0	वकाया शेष धनराशि	वकाया की स्थिति
1	9375.00	पीछे से लाया गया
5	9375.00	पीछे से लाया गया
13	17875.00	पीछे से लाया गया
16	2689.00	पीछे से लाया गया
18	2500.00	पीछे से लाया गया
31	14750.00	पीछे से लाया गया
35	7500.00	पीछे से लाया गया
36	11250.00	पीछे से लाया गया
योग	75314.00	पीछे से लाया गया

उक्त से स्पष्ट है कि जिला पंचायत कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कि गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह एवं सम्बन्धित क्षेत्र कर संग्रहकर्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0स021)

प्रस्तर 04— जिला पंचायत बजट रजि0 के अवलोकन में यह पाया गया की विभिन्न मदों पर प्रस्तावित बजट से अधिक धन वास्तव में व्यय किया गया है जिस हेतु पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट अनुमोदित कराकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो अनियमित एवं आपत्ति जनक है।

यथा—

क्र0 मद	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
1 उगाही	125500.00	212013.00	86513.00
2 नगर प्रतिकर भत्ता	2600.00	8650.00	6050.00
3 मेला वेतन कर्मचारी	813500.00	845074.00	31574.00
4 सार्वजनिक निर्माण वेतन	2386716.00	2559623.00	172907.00
5 जि0 निधि से निर्माण कार्य	-----	4338217.00	4338217.00
6 प्रकीर्ण (नोटिस/विज्ञापन)	200000.00	801042.00	601042.00
7 प्रकीर्ण (मुकदमा)	60000.00	28538.00	—
		योग	5236303.00

इस प्रकार प्रस्तावित बजट से रु 5236303.00 अधिक व्यय हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0स023)

प्रस्तर 05— जिला पंचायत औरैया के वर्ष 2018-19 के लाइसेन्स शुल्क मांग वसूली रजि0 की जाँच दौरान पाया गया की निम्न पावर मिलों को वर्ष दौरान लाइसेन्स जारी नहीं किया गया और न ही उनसे लाइसेन्स शुल्क की वसूली ही की गयी। इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 को इन पावर मिलों से निम्न विवरण अनुसार लाइसेन्स शुल्क वसूल पाना शेष रहा।

क्रमांक	मील मालिक का नाम व पता	वि0ख0	लाइसेन्स की शुल्क धन0
1.	श्री गोपाल नारायण पुत्र सुरेन्द्र, सेगनपुर	औरैया	500.00
2.	श्रीमती विमला देवी पत्नी बालक राम	"	500.00
3.	श्री रामनारायण पुत्र श्याम लाल	"	500.00
4.	श्री हाकिम सिंह पुत्र साहब सिंह	"	500.00
5.	श्री प्रदीप सिंह पुत्र हरी राम	"	800.00
6.	श्री ब्रजेश कुमार पुत्र राम सनेही	"	800.00
7.	श्री राजीव चतुर्वेदी पुत्र राम मनोहर	"	800.00
8.	श्री धर्म नारायण पुत्र बनारसी दास	"	500.00

9. श्री अवधेश कुमार पुत्र छोटे लाल	"	800.00
10. श्री अरविन्द पुत्र महेन्द्र सिंह	"	500.00
11. श्री रामस्वरूप पुत्र टीकाराम	"	500.00
12. श्री रामकृष्ण शुक्ला पुत्र जगतनारायण	"	500.00
13. श्री कृष्ण आटा चक्की	"	500.00
14. श्री एवरन सिंह पुत्र चन्द्रभान	"	500.00
15. श्री योगेश पाल पुत्र रामशंकर	"	500.00
16. श्री जगत सिंह पुत्र छक्कीलाल	"	800.00
17. श्री राहुल पुत्र अनिल पाण्डेय	"	800.00
18. श्री विजय सिंह पुत्र राममूरत	"	500.00
19. श्री अर्जुन सिंह पुत्र राजाराम	"	500.00
20. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र शोवरन	"	800.00
21. श्री रामऔतार पुत्र मेवालाल	"	500.00
22. श्री अम्बे आटा चक्की	"	800.00
23. श्री सकील पुत्र फैजान	"	800.00
24. श्री भगवानदीन पुत्र गंगा चरण	बिधूना	500.00
25. श्री खुशनू पुत्र शरीफ खॉ	"	500.00
26. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र बालक राम	"	500.00
27. श्री महेश चन्द्र पुत्र सियालाल	"	800.00
28. श्री यतीन्द्र कुमार पुत्र राधा चरण	"	500.00
29. श्री रामशंकर पुत्र होरीलाल	"	800.00
30. श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र लालाराम	सहार	800.00
31. श्री धूप चन्द्र पुत्र छेदा लाल	अछल्दा	500.00
32. श्री जय किशन पुत्र रामकिशन	"	500.00
33. श्री राजेश कुमार पुत्र हरि शंकर	भाग्यनगर	500.00

योग— 20100.00

इस प्रकार जिला पंचायत कार्मिकों की शिथिलता एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण वर्ष 2018-19 में उक्त पावर मिले बिना लाइसेन्स के ही अवैध रूप से संचालित रही। साथ ही लाइसेन्स शुल्क न वसूले जाने से जिला पंचायत को रु 20100.00 की आर्थिक हानि हुई जिसके लिए तत्कालीन क्षेत्रीय वसूली कर्मी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0स0 26)

प्रस्तर 06—जिला पंचायत औरैया के लाइसेन्स शुल्क मांग वसूली रजिस्ट्रों की जांच में पाया गया की वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित ईट भट्टों को लाइसेन्स जारी नहीं किए गए ओर न ही उनसे लाइसेन्स शुल्क वसूल किया गया।

क्रमांक	वि0ख0	संस्था का नाम	31.03.2019 को बकाया शुल्क
1	सहार	मैं कृष्णा ईट उद्योग	2000.00
2.	सहार	वावा ईट उद्योग	2500.00
3.	औरैया	महादेव ईट उद्योग	2000.00
4.	औरैया	शिवा हनुमान ईट उद्योग	2000.00
5.	अजितमल	गंगा ईट उद्योग	2000.00

योग— 10500.00

इस प्रकार जिला पंचायत कार्मिकों के अपने कर्तव्यों के प्रति शिथिलता से लाइसेन्स शुल्क रु0 10500.00 वसूल किया जाना शेष रहा जिसके लिए संबन्धित क्षेत्रीय कर संग्रहता कार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह उत्तरदाई रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0स027)

प्रस्तर 07—जिला पंचायत औरैया के वर्ष 2018-19 के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जांच में यह पाया गया की वर्ष आलोच्य में अधिकांश दुकानों को लाइसेन्स जारी नहीं किए गए है न ही लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है।

जिला पंचायत औरैया की उप विधियों के अनुसार उक्त दुकानों की किस्म अनुसार रु 90 से रु 15100.00 तक लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जाता रहा है। नवीनीकरण के अभाव में जो प्रत्येक 3 वर्ष में संशोधित किया जाना चाहिए उक्त का औसत यदि 120.00 मान लिया जाए तो कुल 676 दुकानों पर रु

120.00 कुल रु 81120.00 शुल्क बनता है। जो जिला पंचायत कार्मिकों की शिथिलता एवं उनके कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण जिला पंचायत को वर्ष आलोच्य में रु 81120.00 की क्षति हुई है जिसके लिए संबन्धित क्षेत्रीय वसूली कर्मी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह उत्तरदायी है उक्त दुकानों से दुकानों के किस्म अनुसार बकाया लाइसेन्स शुल्क नियम अनुसार वसूल किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 28)

प्रस्तर 08—जिला पंचायत कार्यालय में लगे जनरेटर संचालन पर वर्ष 2018–19 में निम्न विवरण अनुसार डीजल व्यय दर्शाया गया है।

माह/दिनांक	पेट्रोल पम्प टोकन सं० व तिथि	डीजल की मात्रा (ली० में)	औसत दर प्रति लीटर रु	डीजल मूल्य रु
अप्रैल	(टोकन अप्राप्त)लागत बुक अनुसार	120	65.48	7858.00
मई	(टोकन अप्राप्त)लागत बुक अनुसार	160	67.28	10764.00
30 जून 2018	2136 / 08.06.2018 2137 / 18.06.2018	40 40	68.60 68.60	2760.00 2728.00
31 जुलाई 2018	2140 / 2.07.2018 2142 / 6.07.2018 2144 / 19.07.2018 2145 / 24.7.2018 2146 / 24.7.2018 2147 / 30.7.2018	40 40 40 40 40 40	68.35 68.35 68.35 68.35 68.35 68.35	2712.40 2756.00 2746.80 2728.80 2727.20 2766.65
31 अगस्त 2018	2148 / 5.08.2018 2142 / 10.08.2018 2144 / 14.08.2018 2145 / 15.08.2018 2146 / 21.08.2018 2147 / 30.08.2018	40 40 40 40 40 40	69.83 69.83 69.83 69.83 69.83 69.83	2775.20 2770.40 2791.802 1047.00 2799.20 2832.00
30 सितम्बर 2018	2154 / 06.09.2018 2155 / 10.09.2018 2156 / 20.09.2018 2157 / 29.09.2018	40 40 40 40	74.55 74.55 74.55 74.55	2940.00 2950.80 3004.00 3034.00
31 अक्टूबर 2018	2158 / 06.10.2018 2155 / 09.10.2018 2156 / 20.10.2018 2157 / 27.10.2018 2162 / 31.10.2018	40 40 40 40 40	63.03 63.03 63.03 63.03 63.03	2865.00 2888.00 2948.00 2886.00 2886.00
30 नवम्बर 2018	2163 / 05.11.2018 2164 / 13.11.2018 2165 / 20.11.2018	40 40 40	70.66 70.66 70.66	2862.00 2824.80 2792.00
31 दिसम्बर 2018	2166 / 05.12.2018 2167 / 05.12.2018 2168 / 28.12.2018	40 40 40	64.34 64.34 64.34	2626.80 2562.00 2532.00
31 जनवरी 2019	2169 / 17.01.2019 2170 / 22.01.2019 2171 / 28.01.2019	40 40 40	64.21 64.21 64.21	2569.20 2608.00 2608.00
28 फरवरी 2019	2172 / 02.02.2019 2173 / 10.09.2019 2174 / 20.09.2019 2175 / 27.02.2019	40 40 40 40	65.26 65.26 65.26 65.26	2601.60 2596.00 2599.60 2644.00
31 मार्च 2019	2176 / 07.03.2019 2177 / 12.03.2019 2178 / 16.03.2019	40 40 40	66.25 66.25 66.25	2668.00 2658.80 2652.20

	2179 / 29.03.2019	40	66.25	2622.00
			योग	124247.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

क- विभिन्न तिथियों में पेट्रोल पम्प से प्राप्त टोकन क्रमांक क्रमागत हैं जिससे स्पष्ट है की यह एक तिथि में लिए गए हैं।

ख- जनरेटर संचालन कतिपय दिनों यथा रविवार एवं राजकीय अवकाश में संचालित रहा है जो सर्वथा अनुचित है।

यथा-

27.05.2018	रविवार	3 घंटा चला है
16.06.2018	रविवार	3 घंटा चला है
05.08.2018	रविवार	7 घंटे चला है (4 बजे से 11 बजे अमानक समय)
09.09.2018	रविवार	2 घंटे चला है
04.10.2018	रविवार	4 घंटे चला है
02.10.2018	राजकीय अवकाश	4 घंटे चला है (11:15 प्रातः से 3:15 समय)

इस प्रकार 23 घंटा शुद्ध दुरुपयोगित ढंग से चलाकर 3ली0 प्रति घंटा से रु 4651.77 फर्जी संचालन व्यय दर्शित है।

उक्त तथ्यों से जनरेटर पर दर्शित डीजल व्यय संदिग्ध रहा जिसकी जिम्मेदारी जनरेटर संचालक श्री नागेन्द्र सिंह, नाजिर श्री उदयवीर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0स030)

प्रस्तर 09- जिला पंचायत निर्माण पत्रावली अनुसार ग्राम भीकमपुर में प्रताप सिंह सेंगर के घर से तालाब तक नाला निर्माण पर मै0 इन्द्र कुमारी कन्स्ट्रक्शन को रु 404200.00 का भुगतान किया गया है उक्त निर्माण भुगतान पत्रावली में 3 फोटो ग्राफ नत्थी है। परन्तु निर्देशानुसार त्रिस्तरीय फोटोग्राफ न संलग्न कर 3 भिन्न स्थानों की फोटोग्राफ संलग्न है उक्त तीनों ही फोटोग्राफ से नाला पूर्व से ही निर्मित स्पष्ट दिख रहा है नाला की लंबाई 168 मी0 है जबकि चौ0 भिन्न-भिन्न यथा कही 1.20मी0, 1मी0, 3.5मी0, 3.0मी0 एवं 78मी0 है तथा गहराई भी भिन्न-भिन्न .50मी0, 1.5मी0, .50मी0, .100मी0 एवं .025मी0 है। साथ ही उक्त स्थल पर किसी अन्य संख्या द्वारा 5 वर्ष पूर्व कोई निर्माण नहीं कराया गया था नियमतः यह प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नाला निर्माण औचित्यहीन एवं संदिग्ध स्पष्ट होता है उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत एम एम 11(खनिज सामग्री हेतु) की वैधता तिथि दिनांक 01.08.2018 दर्शित है जबकि कंपनी द्वारा टेंडर ठेका डाले जाने का शपथ पत्र दिनांक 06.08.2018 है जिससे भी स्पष्ट है की एम एम11 संदिग्ध एवं फर्जी है कार्य में प्रयुक्त मोरम खरीद चालान नं0-0593 पर डुलाई गंतव्य मेरठ है जो दिनांक 25.10.2018 को जारी है तथा गिट्टी का एम एम11 चालान नं0- 1268 का गंतव्य झॉंसी से बलिया जनपद है जिससे स्पष्ट है की प्रयुक्त एम एम11 फर्जी एवं संदिग्ध है जिसकी जिम्मेदारी अधिशासी अभिन्यता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह की निर्धारित की जाती है।

(मूल आ0सं031)

प्रस्तर 10- केशरी के पुरवा में विनोद राजपूत के घर से हरी सिंह के घर तक शीशी रोड निर्माण पर कुल रु 623400.00 का भुगतान हुआ है। उक्त के भुगतान पत्रावली का अवलोकन दौरान निम्न कमियां पायी गयी।

1. टेंडर खुलने का दिनांक पत्रावली में अंकित नहीं है।
2. कार्य विज्ञापन टेंडर की पेपर कटिंग संलग्न नहीं पायी गयी।
3. कार्य सम्पादन के तीनों चरणों की फोटोग्राफ नत्थी नही है। मात्र एक फोटो है।
4. इस तथ्य का प्रमाण पत्र नत्थी नहीं है कि उक्त कार्य स्थल पर विगत 5 वर्षों के दौरान किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।
5. अंतिम बिल भुगतान पर अभिन्यता द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रमाण पत्र पर कार्य प्रारम्भ की तिथि अंकित नहीं है।
6. श्रम विभाग द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिकों का पंजीकरण पत्र संलग्न नहीं है जैसा जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट है।

उक्त के आलोक में उपरोक्त भुगतान अनियमित एवं संदिग्ध स्पष्ट होता है जिसकी जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह की निर्धारित की जाती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0सं033)

प्रस्तर 11—राहतपुर के केशरीपुरा में सुरान जौरा मार्ग से बंबा की पट्टी होते हुए केशरीपुरा तक मिट्टी कार्य एवं खंडजा निर्माण पर कुल रु 912200.00 देय कर ठेके पर कार्य सम्पादन एवं भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की मात्र एकल फोटो संलग्न है। जिसमें अपर मु0 अधि0 एवं अभियन्ता दिख रहे हैं। फोटोग्राफ किसी छोटे माइनर या नाले के साथ चलता हुआ कार्य प्रदर्शित करता है कार्यस्थल सतह पर लंबे घास के निके जीवंत दिख रहे हैं। उक्त कार्य 433मी0 लम्बा तथा .210 स .650मी0 ऊंची मिट्टी डाला जाना मूल्यांकन में दर्शित है। उक्त फोटो ग्राफ में कहीं भी ईट खंडजा लक्षित नहीं होता है। उक्त कार्य का नहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है उक्त के 5 वर्षों पूर्व तक किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्य न कराये जाने का प्रमाण भी नहीं है न ही श्रम विभाग में लेबरों की रजिस्ट्रेशन का प्रमाण है। उक्त के आलोक में कार्य भुगतान संदिग्ध स्पष्ट होता है। जिसकी जिम्मेदारी अधिशासी अभि0 श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी एवं अपर मु0 अधि0 श्री रामपाल सिंह की निर्धारित की जाती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0सं036)

प्रस्तर 12—निर्माण पत्रावलियों की जांच के दौरान देखा गया की प्रत्येक कार्य की एम0बी0 दौरान स्थान एवं कार्य की पहचान हेतु रु 3000+3000=6000.00 का दो साइन बोर्ड मूल्यांकित है। परन्तु जिला पंचायत ठेका कार्य भुगतान पत्रावलियों में संलग्न फोटोग्राफ में कहीं भी एक भी सूचनापट देखा नहीं गया। जबकि वर्ष आलोच्य में जिला पंचायत में कुल 77 कार्यों की एम0बी0 वाद अन्तिम भुगतान किया गया इस प्रकार रु 6000की दर से कुल रु 462000.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी जिम्मेदारी अधिशासी अभिन्यता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामपाल सिंह की निर्धारित की जाती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0सं039)

प्रस्तर 13— शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के द्वारा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की सम्भावना को देखते हुए जिला पंचायतों को प्राप्त विविध अनुदानों से दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित करने के दिशा निर्देश दिये गए हैं। लेखा परीक्षा दौरान जिला पंचायत औरैया में यह पाया गया की आलोच्य वर्ष में कतिपय कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर कराये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है।

योजना का नाम	ग्रा0पं0 स्तर पर संपादित कार्यों की सं0	व्यय धन राशि
राज्य वित्त आयोग	31	301.56 लाख

इस प्रकार स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिला पंचायत द्वारा उक्तानुसार रु 301.56 लाख अनियमित प्रकार से व्यय किया गया जिसके लिए अपर मु0 अधि0 श्री रामपाल सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ0सं0 40)

प्रारूप-2

मण्डल-कानपुर मण्डल कानपुर जिला पंचायत- इटावा।

आपत्तियों का विवरण-

प्रस्तर-1 लाइसेंस शुल्क रजिस्टर प्रपत्र-26 विकास खण्ड महेवा की जाँच में पाया गया कि ग्राम महेवा में निम्नलिखित दुकानों से लाइसेंस शुल्क जमा न कराकर वर्ष 2016-17 की आय प्रभावित की गयी।

क्र0सं0	नाम दुकानदार	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वसूली	शेष
1	रमेश चन्द्र पुत्र श्री प्रभुदयाल	मिठाई	400	निल	400
2	बाबू राम पुत्र श्री जमुना प्रसाद	किराना	400	निल	400
3	कृष्ण कुमार पुत्र श्री गेंदालाल	सिलाई	200	निल	200
4	फतेह सिंह पुत्र श्री पुनू सिंह	गल्ला फड	200	निल	200
5	लल्ला सिंह पुत्र श्री हीरालाल	डेकोरेशन	500	निल	500

6	ररेन्द्र पुत्र श्री राम स्वरूप	सिलाई	200	निल	200
7	भारती टेंट हाउस प्रो० श्री कृष्ण	टेंट हाउस	1000	निल	1000
8	अवधेश कुमार पुत्र श्री सीहाराम	लोहा मरम्मत	600	निल	600
9	दीपांशु इन्जीनियरिंग पो० पदम नारायण	कृषि यन्त्र मरम्मत	500	निल	500
10	मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रो० ब्रजेन्द्र सिंह	इले० मरम्मत	500	निल	500
11	राम चन्द्र पुत्र श्री मेवालाल	जनरल स्टोर	400	निल	400
12	शिवा आटो प्रो० बीनू तिवारी	आटो पार्ट्स	400	निल	400
13	सत्यवती पत्नी श्री अशोक कुमार	परचूनी	400	निल	400
14	दीपक तिवारी पुत्र श्री राम जीवन	परचूनी	400	निल	400
15	राठौर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रो० सुनील राठौर	इलेक्ट्रॉनिक्स	500	निल	500
16	माता प्रसाद पुत्र श्री राम किशोर	बैलडिंग मशीन	600	निल	600
	योग-		7200	निल	7200

उपरोक्त विवरण के अनुसार अवधारित लाइसेंस शुल्क 7200 के सापेक्ष वर्ष दौरान वसूली शून्य रही । अतः 31.03.2017 को बकाया रुपये 7200.00 की तत्काल वसूली सम्बन्धित दुकानदारों से जमाकराकर जिला निधि खाते में जमा करायी जाये । दुकानदारों से जमा न होने की दशा में क्षेत्रीय कर निरीक्षक पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-2 विकास खण्ड महेवा के ग्राम अहेरीपुर में निम्नलिखित दुकानदारों से वर्ष दौरान लाइसेंस शुल्क जमा न कराकर वर्ष की आय प्रभावित की गयी ।

क्र०सं०	नाम दुकानदार	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वर्ष में वसूली	वर्षान्त में शेष
1	पब्लिक टेंट हाउस प्रो० राम शंकर	टेंट हाउस	1000	निल	1000
क्र०सं०	नाम दुकानदार	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वर्ष में वसूली	वर्षान्त में शेष
2	सत्य नारायण पुत्र श्री राधे लाल	घड़ी मरम्मत	200	निल	200
3	प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप	वर्तन	400	निल	400
4	अशोक कुमार पुत्र श्री अशर्फी लाल	आभूषण मरम्मत	600	निल	600
5	रूप सिंह पुत्र श्री काली चरण	खाद	800	निल	800
6	रफीक पुत्र श्री रसूली खॉ	बैलडिंग मरम्मत	600	निल	600
7	कृष्णा ज्वैलर्स	आभूषण मरम्मत	400	निल	400
8	आभूषण मेडीकल स्टोर अंकित सिंह	मेडिकल स्टोर	1200	निल	1200
9	जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामबहादुर	परचूनी	200	निल	200
10	अनिल कुमार पुत्र श्री सुमित नारायण	किराना	400	निल	400
11	कमलेश कुमार पुत्र श्री राम किशुन	परचूनी	200	निल	200
12	उज्जवल ज्वेलर्स पुत्र श्री रामचन्द्र	आभूषण मरम्मत	400	निल	400
13	इम्रियाज पुत्र श्री मुन्नू खॉ	सिलाई	200	निल	200
14	आलोक गुप्ता पुत्र श्री संतोष गुप्ता	किराना	400	निल	400
15	छोटेलाल पुत्र श्री तुलसी राम	मिठाई	400	निल	400
16	पवन किराना स्टोर प्रो० पवन कुमार	किराना	400	निल	400
17	खुशी जनरल स्टोर प्रो० बाबी कुशवाहा	जनरल स्टोर	400	निल	400
18	प्रदीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण	मिठाई	400	निल	400
19	संदीप कुमार पुत्र श्री रूप सिंह	स्टेशनरी	250	निल	250
20	राजपूत टेलर प्रो० सौरभ कुमार	सिलाई	200	निल	200
21	अनुरुद्ध कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप	मोबाइल	500	निल	500
22	छोटू सीमेन्ट एजेंसी मनोज तिवारी	सीमेन्ट	400	निल	400

23	सर्वेश पुत्र श्री गंगा सिंह	कपड़ा	400	निल	400
24	सुरेश चन्द्र पुत्र श्री राम प्रकाश	जनरल स्टोर	400	निल	400
25	प्रयाग नारायण पुत्र श्री राजाराम	गल्ला	600	निल	600
			11500		11500

उपरोक्त विवरण के अनुसार अवधारित लाइसेंस शुल्क रुपये 11500 के सापेक्ष वर्ष में वसूली शून्य रही। अतः वसूली हेतु शेष रुपये 11500.00 की वसूली की कार्यवाही कर सम्बन्धित दुकानदारों से लाइसेंस शुल्क जमा कराया जाना अपेक्षित है। दुकानदारों से वसूली न होने की दशा में क्षेत्रीय कर निरीक्षक पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 विकास खण्ड ताखा के ग्राम ऊसराहार में वर्ष के दौरान निम्नलिखित दुकानदारों से लाइसेंस शुल्क जमा न कराकर संस्था की आय प्रभावित की गयी। विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	नाम दुकानदार	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वसूली	शेष
1	कमलेश कुमार पुत्र श्री रामौतार	पुस्तक भण्डार	250	निल	250
2	पप्पू खॉ पुत्र शहजादे खॉ	साइकिल मरम्मत	200	निल	200
3	राम सहाय पुत्र श्री मुरलीधर	सिलाई	200	निल	200
4	शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार	जनरल स्टोर	400	निल	400
5	उमा शंकर पुत्र श्री राम भरोसे	जनरल स्टोर	400	निल	400
6	केदार सिंह पुत्र श्री तुलाराम	आभूषण	1200	निल	1200
7	अनवार खॉ पुत्र श्री बुददु खॉ	साइकिल मरम्मत	200	निल	200
8	वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री काली चरन	जनरल स्टोर	400	निल	400
9	मों दुर्गा साड़ी सेंटर प्रो० प्रान्शू गुप्ता	कपड़ा	600	निल	600
10	सुनील कुमार यादव पुत्र श्री राजवीर	शू स्टोर	800	निल	800
11	रामौतार पुत्र धनीराम	वर्तन	800	निल	800
			5450	निल	5450

उपरोक्त दुकानदारों पर अवधारित लाइसेंस शुल्क रुपये 5450.00 के सापेक्ष वर्ष दौरान वसूली शून्य रही। अतः सम्बन्धित दुकानदारों बकाया लाइसेंस शुल्क जमा कराया जाना अपेक्षित है। दुकानदारों से धन जमा न होने की दशा में सम्बन्धित कर निरीक्षक पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 विकास खण्ड ताखा के ग्राम सरसई नावर में निम्नलिखित दुकानदारों से वर्ष 2016-17 लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया गया। जिससे संस्था वर्ष आय प्रभावित हुई।

क्र०सं०	नाम दुकानदार	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वसूली	शेष
1	ओम प्रकाश पुत्र श्री चक्र पान	जनरल स्टोर	400	निल	400
2	विशुनदयाल पुत्र श्री मोती लाल	वर्तन	800	निल	800
			1200	निल	1200

अतः सम्बन्धित दुकानदारों से लाइसेंस शुल्क जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 विकास खण्ड ताखा के ग्राम ताखा व खडकपुर सरैया में निम्नलिखित दुकानों व आटा चक्की व स्पेलर से लाइसेंस शुल्क जमा न कराकर वर्ष 2016-17 की आय प्रभावित की गयी। अतः सम्बन्धित दुकानदारों/व्यवसायी से लाइसेंस शुल्क वसूली कर जिला निधि में जमा करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम व्यवसायी	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वसूली	शेष
1	गणेश पुत्र श्री विद्याधर ताखा	पुस्तक भण्डार	250	निल	250
2	सियाराम पुत्र श्री मोती लाल ताखा	साइकिल	600	निल	600
3	सर्वेश कुमार पुत्र श्री रघुनाथ सिंह	साइकिल	600	निल	600
4	जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र	परचूनी	400	निल	400
5	शिव कुमार पुत्र श्री सीताराम खडकपुर	आटाचक्की स्पेलर	1100	निल	1100
		योग-	2550	निल	2550

प्रस्तर -6 विकास खण्ड सैंफई वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित दुकानदारों से लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं हुआ। जिससे संस्था को वर्ष दौरान होने वाली आय प्रभावित रही। विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	नाम दुकानदार	पता	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वसूली	शेष व्यवसाय
1	श्रीराम पुत्र श्री गिरधारी लाल	वैदपुरा	सिलाई	200	निल	200

2	वृन्दावन पुत्र श्री रामेश्वर दयाल	वैदपुरा	लकड़ी	400	निल	400
3	कुलदीप मेडिकल स्टोर प्रो० रामदास	वैदपुरा	मेडिकल	1800	निल	1800
4	योगी जी बीज भण्डार पुरुषोत्तम सिंह	वैदपुरा	बीज	1200	निल	1200
5	गिरिजा शंकर पुत्र श्री जयराम	वैदपुरा	हेयरकटिंग	300	निल	300
6	महेशचन्द्र पुत्र श्री राम नाथ	हरदोई	परचूनी	400	निल	400
7	रियाज खॉ पुत्र श्री यासीन खॉ	हरदोई	इलेक्ट्रॉनिक्स	500	निल	500
8	मौनी ज्वेलर्स प्रो० सिपाही राम	हरदोई	अभूषण	1200	निल	1200
9	जाकिर हुसैन पुत्र श्री असरफ खॉ	हरदोई	जनरल स्टोर	400	निल	400
10	जगदीश पुत्र श्री मुंशीलाल	कुम्हावर	मिठाई	300	निल	300
11	बैजनाथ पुत्र श्री देवीदीन	कुम्हावर	परचूनी	400	निल	400
12	श्री नरायन मेडिकल प्रो० जयनरायन	कुम्हावर	मेडिकल स्टोर	1200	निल	1200
13	नेशनल हार्डवेयर प्रो० ज्योति	कुम्हावर	हार्डवेयर	400	निल	400
14	सुशीला कुमार पुत्र श्री रमेश बाबू	कुम्हावर	मोबाइल	400	निल	400
15	ऊषा देवी पत्नी श्री राकेश	कुम्हावर	परचूनी	400	निल	400
16	राघवेन्द्र पुत्र श्री ग्या प्रसाद	कुइया	परचूनी	400	निल	400
17	वीरेश कुमार पुत्र श्री धीर सिंह	नगला वरी	आटा चक्की	500	निल	500
			योग—	10400		10400

उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष दौरान अवधारित लाइसेंस शुल्क रुपये 10400 के सापेक्ष वसूली शून्य रही। जिससे वर्ष की आय प्रभावित हुई। अतः सम्बन्धित व्यक्तियों/दुकानदारों से बकाया लाइसेंस शुल्क वसूल कर जिला निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 विकास खण्ड बढपुरा की निम्नलिखित दुकानों से वर्ष 2016-17 में लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं हुआ। जिससे वर्ष की आय प्रभावित रही। विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	नाम दुकानदार	पता	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वसूली	शेष व्यवसाय
1	हलीम बेग पुत्र श्री सलीम बेग	बढपुरा	परचूनी	400	निल	400
2	अजय प्रताप भदौरिया पुत्र श्री सकेल सिंह	बढपुरा	परचूनी	400	निल	400
3	राम औतर पुत्र श्री जगराज सिंह	जैतपुरा	मिठाई	400	निल	400
4	श्यामबाबू पुत्र श्री शिवनाथ	जैतपुरा	परचूनी	400	निल	400
5	जगबाबू पुत्र श्री चन्द्र विहार गुप्ता	जैतपुरा	परचूनी	400	निल	400
6	सद्दीक अली पुत्र श्री जुगन खॉ	उदी मोड	हेयर कटिंग	300	निल	300
7	श्री कृष्ण टेण्ट हाउस प्रो० संग्राम सिंह	उदी मोड	टेण्ट हाउस	1500	निल	1500
8	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह	पछाय गाँव	परचूनी	400	निल	400
9	गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह	पूठन सकरौली	परचूनी	400	निल	400
10	राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनोखे लाल	पूठन सकरौली	साइकिल मरम्मत	1100	निल	1100
11	मूलचन्द्र पुत्र श्री रामौतार	पूठन सकरौली	साइकिल मरम्मत	1100	निल	1100
12	राजीव कुमार पुत्र श्री दर्शन सिंह	कचौरा रोड	रेडियो मरम्मत	750	निल	750
13	शान सिंह पुत्र श्री चेताराम	नगला अजीत	परचूनी	400	निल	400
14	सीताराम पुत्र श्री कृष्ण	राजा का बाग	साइकिल मरम्मत	600	निल	600
15	पुल्ली पुत्र श्री रूपलाल	राजा का बाग	साइकिल मरम्मत	600	निल	600

16	राकेश बाबू पुत्र श्री राम भरोसे	मानिकपुर मोहन	जनरल स्टोर्स	600	निल	600
17	विमल कुमार पुत्र श्री जबर सिंह	सराय एसर	परचूनी	400	निल	400
18	नरेन्द्र सिंह	सराय एसर	परचूनी	400	निल	400
			योग—	10550.00	निल	10550.00

सम्बन्धित दुकानदारों से लाइसेंस शुल्क वसूल कर जिला निधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—8 विकास खण्ड चकरनगर की निम्नलिखित दुकानदारों से लाइसेंस शुल्क जमा न कराकर वर्ष 2016—17 की आय प्रभावित की गयी। विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	नाम दुकानदार	पता	व्यवसाय	अपेक्षित शुल्क	वसूली	वर्षान्त शेष
1	अली वक्स पुत्र श्री सदावक्स	चकरनगर	साइकिल मरम्मत	300	निल	300
2	विद्या भूषण पुत्र श्री थानेदार सिंह	चकरनगर	परचूनी	400	निल	400
3	चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री उमाशंकर	चकरनगर	वर्तन	800	निल	800
4	बिड़ला सेठ पुत्र श्री अहिवरन सिंह	चकरनगर	परचूनी	400	निल	400
5	मो० सलीम पुत्र श्री अली बक्स	चकरनगर	साइकिल मरम्मत	300	निल	300
6	रोशन टेलर्स प्रो० कुतुबुद्दीन	चकरनगर	सिलाई	200	निल	200
7	सुनील सिंह पुत्र श्री विजय सिंह	चकरनगर	परचूनी	400	निल	400
8	न्यू गौतम टेण्ट हाउस प्रो० सुनीता देवी	चकरनगर	टेण्ट हाउस	1000	निल	1000
9	राम सागर पुत्र श्री लाखन सिंह	चकरनगर	जनरल स्टोर	600	निल	600
10	शिवनरेश पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह	सहसों	परचूनी	400	निल	400
11	राजवीर सिंह पुत्र राम सेवक	सहसों	साइकिल मरम्मत	300	निल	300
12	श्रीमती सूर्यवती पत्नी श्री सुखराम	पिपरौली गढ़िया	साइकिल मरम्मत	300	निल	300
13	विनोद कुमार पत्नी श्री जनवेद	पिपरौली गढ़िया	साइकिल मरम्मत	300	निल	300
14	शिशुपाल पुत्र श्री राम सेवक	हनुमन्तपुरा	साइकिल मरम्मत	300	निल	300
15	अमरनाथ पुत्र श्री राधा चरन	हनुमन्तपुरा	साइकिल मरम्मत	300	निल	300
16	श्री कृष्णा स्वीट हाउस प्रो० हेमन्त	हनुमन्तपुरा	मिठाई	600	निल	600
17	विवेक गुप्ता पुत्र श्री सुरेश बाबू	हनुमन्तपुरा	परचूनी	400	निल	400
18	श्री राम किशोर पुत्र श्री घसीटे	हनुमन्तपुरा	मुर्गा	600	निल	600
19	राम चन्द्र पुत्र श्री रघुवीर सिंह	हनुमन्तपुरा	मिठाई	600	निल	600
			योग—	7800		7800

अतः दिनांक 31.03.2017 को सम्बोधित दुकानदारों से लाइसेंस शुल्क वसूल कर जिलानिधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित दुकानदारों लाइसेंस शुल्क की धनराशि जमा न होने की दशा में क्षेत्रीय कर निरीक्षक धन जमा कराने हेतु अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—9 वर्ष 2016—17 में विकास खण्ड बड़पुरा में संचालित पावर मिल व आटा चक्की कारखानों से लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया गया। जिससे संस्था की आय प्रभावित रही। साथ ही संस्था को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	नाम लाइसेंस धारी	पता	व्यवसाय	अवधारित शुल्क	वसूली	बकाया शेष
1	प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह	उदी मोड़	पावरमिल	1100	निल	1100
2	शहजाद खॉ	उदी मोड़	पावरमिल	1100	निल	1100
3	प्रहलाद सिंह पुत्र श्री छिद्दी सिंह	राजा का बाग	आटा चक्की	500	निल	500

4	उमेश कुमार पुत्र श्री सुखवासी लाल	राजा का बाग	पावर मिल	1100	निल	1100
5	मोनू पुत्र श्री रघुवीर	अड्डा बीरवल	आटा चक्की	500	निल	500
6	कमल सिंह पुत्र श्री लट्टू सिंह	सराय एसर	आटा चक्की	500	निल	500
7	मै० यादव आटा चक्की प्र० रघुराज सिंह	बढ़पुरा	आटा चक्की	500	निल	500
8	मोहन लाल पुत्र श्री तुलसी राम	नगला बाबा	पावरमिल	1100	निल	1100
9	नेशनल फ्लोर मल प्र० अशोक कुमार	पिलखर	फ्लोर मिल	1100	निल	1100
10	पवन आटा चक्की प्र० कुसुम देवी	नगला बाबा	आटा चक्की	500	निल	500
11	श्रीमती महारानी पत्नी श्री राम सिंह	सराय एसर	आटा चक्की	500	निल	500
12	श्री हरिबाबू पुत्र श्री सीताराम	देसरमऊ	आटा चक्की	500	निल	500
			योग—	9000		9000

अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार बकाया लाइसेंस शुल्क की तत्काल वसूली किया जाना अपेक्षित है। वसूली न होने की दशा में सम्बन्धित कर निरीक्षक श्री महेश बाबू से धन रुपये 9000.00 की वसूली कर धन जमा कराया जाना संस्था हित में होगा। इस ओर अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 वर्ष 2016-17 के सम्पत्ति दुकान/भवन किराया माँग वसूली बकाया रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित भवन जो विभिन्न विभागों को किराये पर आवंटित है। वर्ष दौरान उनसे किराया वसूली की स्थिति निम्नवत है।

क्र०सं०	किराये दार का नाम	पिछला बकाया	वर्ष की माँग	योग	वसूली	वर्षान्त शेष
1	सहायक अभियंता दूरदर्शन रिले केन्द्र इटावा	54354	69756	124090	51150	72940
2	अधिकांशी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पंचायती राज महिला छात्रावास	1428504	519456	1947960	995665	952296
			योग—	2072050	1046815	1025235

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दोनों विभागों पर बकाया किराया पिछली बकाया सहित रुपये 2072050.00 वर्ष की माँग थी। जिसके सापेक्ष वर्ष 2016-17 में रुपये 1046815.00 की किराया की वसूली की गयी। इस प्रकार दिनांक 31.03.2017 को दोनों विभागों पर क्रमशः सहायक अभियन्ता दूरदर्शन रिले केन्द्र इटावा पर रुपये 72940.00 व विद्युत वितरण निगम इटावा पर रुपये 952296.00 किराया शेष रहा। जिसकी तत्काल वसूली किया जाना अपेक्षित है। जिससे संस्था की आय बढ़ायी जा सके। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 वर्ष 2016-17 के सम्पत्ति दुकान/भवन किराया माँग वसूली रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित विभागों से किराया वसूली की स्थिति निम्नवत रही।

क्र०सं०	किरायेदार का नाम	पिछला बकाया	वर्ष की माँग	योग	वसूली	वर्षान्त शेष
1	अधिकांशी अभियन्ता उ०प्र० समाज कल्याण निगम महिला छात्रावास	11408	136896	148304	निल	148304
2	शिक्षा भवन क्षेत्रीय यूनानी आर्युवेदिक अधिकारी इटावा	67381	18276	85657	निल	85657
			योग—	233961	निल	233961

स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों विभागों पर पिछली बकाया सहित वर्ष की माँग रुपये 233961.00 के सापेक्ष वर्ष दौरान किराया वसूली शून्य रही। जिससे वर्ष की आय प्रभावित रही। अतः दोनों विभागों पर 31.03.2017 को बकाया किराया जमा कराया जाना संस्था हित में होगा। इस ओर अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 31.03.2017 को दोनों विभागों पर बकाया किराया रुपये 233961.00 शेष रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 वर्ष 2016-17 की मृत पशु शव निस्तारण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विकास खण्डों से उक्त मद में होने वाली आय शून्य रही। विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष की माँग	वर्ष में आय	हानि
1	मृत पशु शव निस्तारण तालाब मण्डी जसवन्तनगर	98615	निल	98615

2	मृत पशु शव निस्तारण सैंफर्ड	51425	निल	51425
3	मृत पशु शव निस्तारण भर्थना	57725	निल	57725
4	मृत पशु शव निस्तारण निलोई जसवन्तनगर	51425	निल	51425
5	मृत पशु शव निस्तारण चकरनगर	6270	निल	6270
	योग-	265460	निल	265460

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बन्धित मृत पशु शव निस्तारण की वर्ष में ठेकों की नीलामी न कर संस्था को होने वाली आय रुपये 265460.00 की हानि हुई। इस पर सम्बन्धित पटल प्रभारी श्री तेज सिंह पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी व उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है

प्रस्तर-13 माह अक्टूबर 2016 को गार्ड फाइल के प्रमाणक संख्या 73 दिनांक 27.10.2016 को संजीव कुमार स्थापना लिपिक द्वारा रुपये 37957.00 का बिल बावत् जिला पंचायत में मान चिलकार के रिक्त पदों की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशन प्रस्तुत कर जिला निधि खाते से भुगतान किया गया।

शासनादेश संख्या 6337-बी/33-2-91-72-जी-87 लखनऊ दिनांक 24.07.1992 के अनुसार जिला निधि से रुपये 5000 से अधिक के भुगतान की स्वीकृति आयुक्त पंचायती राज से किया जाना आवश्यक है किन्तु श्री संजीव कुमार स्थापना लिपिक ने बिना आयुक्त की स्वीकृति किये रुपये 37957.00 का अनियमित भुगतान प्राप्त किया। साथ ही उक्त से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः अनियमित किये गये भुगतान की वसूली श्री संजीव कुमार से रुपये 37957.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 संस्था के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2016-17 में ब्याज मद में आय रुपये 3004031.00 दर्शायी गयी। जो अनुदान की धनराशि बैंक में रख कर प्राप्त हुई। लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा जिला सहकारी बैंक शाखा बड़पुरा में क्रमशः रुपये 5000000.00 व रुपये 10000000.00 की सावधि जमा में निवेश है। जिसपर वर्ष 2016-17 में ब्याज क्रमशः रुपये 386739.00 व रुपये 773584.00 कुल रुपये 1160321.00 प्राप्त हुआ। उक्त ब्याज की धनराशि का किसी भी अभिलेख यथा कैश बुक, सारपत्र, मासिक लेखे, त्रैमासिक लेखे में उल्लेख नहीं किया गया। जिससे वर्ष का आय-व्यय विवरण पत्र रुपये 1160321.00 से प्रभावित रहा। उक्त प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 निर्माण कार्य रजिस्टर(प्रथम)- के पृष्ठ संख्या 26 के अनुसार कार्य का नाम मद राज्य वित्त आयोग से विकास क्षेत्र / ताखा के दौरा जिन्द मार्ग से महावीर के मकान से राम सिंह के मकान होकर रौरा जिन्द मार्ग तक इ0ला0 कार्य।

कार्य के आदेश का दिनांक - 04.10.2016
 ठेकेदार का नाम - मै0 इन्द्र प्रभाम कन्ट्रक्सन नगला भोज भर्थना इटावा
 ठेका की स्वीकृत लागत - 1196400.00
 कार्य पूर्ण करने की सहमति तिथि - 31.01.2017
 कार्यपूर्ण करने की तिथि - 12.04.2018

क्र०सं०	माह	बिल संख्या व दिनांक	ठेकेदार को भुगतान	आयकर	वाणिज्यकर	उपकर	योग
1	अक्टूबर 2017	23 09.10.2017	725383	11517	31280	7820	782000
2	जून 2018	57 05.06.2018	349715	8270	45006	3692	414400
		योग-	1075098	19787	76286	19029	1196400

उपरोक्त विवरण के अनुसार कार्यादेश दिनांक 04.10.2016 को ठेकेदार को प्राप्त होने बाबजूद ठेकेदार द्वारा वर्ष दौरान कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। जबकि कार्य दिनांक 31.01.2017 को पूर्ण किया जाना था। विभागीय नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि में अगर ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता तो ठेके का अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए। जबकि ऐसा न करके उक्त कार्य को अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूरा कराया गया व ठेकेदार को भुगतान किया गया। जो पूर्णतयः विभागीय नियमों के विपरीत है जिसपर सम्बन्धित अभियन्ता श्री नीरज रस्तोगी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 निर्माण कार्य रजिस्टर (द्वितीय भाग) पर अंकित पृष्ठ संख्या 104 के अनुसार

कार्य का नाम	— विकास क्षेत्र महेवा के ग्राम सिंगोली में पाल वस्ती में इण्टर
लॉकिंग कार्य	
कार्यदेश दिनांक	— 04.10.2016
ठेकेदार का नाम	— रमेश बाबू कल्यानपुर राहिन, इटावा।
ठेका की धनराशि	— 1196400.00
कार्य पूर्ण करने की सहमति तिथि	— 31.01.2017
कार्य पूर्ण होने की तिथि	— 07.01.2018

क्र०सं०	माह	बिल संख्या व दिनांक	ठेकेदार को भुगतान	आयकर	वाणिज्यकर	उपकर	योग
1	अप्रैल 2017	52 28.04.2017	781967	18883	33720	8430	843000
2	फरवरी 2018	14 06.02.2018	315539	7910	14125	3532	353104
		योग—	1097506	26793	47845	11962	1196105

उपरोक्त विवरण के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 31.01.2017 तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया जाना था। विभागीय नियमानुसार किसी कार्य की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार पूर्ण किया जाना चाहिए। ताकि जिस उद्देश्य हेतु कार्य स्वीकृत किया गया है, उसकी पूर्ति हो सके। उक्त कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति तक प्रारम्भ ही नहीं किया जाता है। तो ठेका का अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित किया जाये। अतः उक्त नियम का पालन न कर ठेकेदार को अनियमित भुगतान किया गया। जिसके लिए अभियन्ता श्री नीरज रस्तोगी उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—17 वर्ष 2016—17 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से 195 निर्माण कार्यों पर कुल व्यय रुपये 154153509.00 किया गया। राज्य वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार 25 प्रतिशत धनराशि पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों के अनुरक्षण पर व्यय किया जाना था। जिसे न कराकर सम्पूर्ण धनराशि से नवीन कार्य कराये गये।

इस प्रकार अनुरक्षण के मद की धनराशि रुपये 38899652.25 का दुरु विनियोग किया गया। जिसके लिए श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती सुकीर्ति मिश्रा अभियन्ता 08.09.2016 तक, श्री नीरज रस्तोगी अभियन्ता 16.09.2016 से 31.03.2017 तक तथा श्री हरिशचन्द्र यादव वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। जिनके प्रति आवश्यक कार्य वाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—18 टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार से ठेका शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ और निश्चित दिनांक तक कार्य पूरा कराएगा यदि निर्माण कार्य निर्धारित समय में बकाये में रह जाये तो वकाये में रहे ठेकेदार से प्रतिकर के रूप में एक प्रतिशत के बराबर विलम्ब शुल्क अनुमानित लागत पर ठेकेदार जमा करायेगा।

जिला पंचायत इटावा वर्ष 2016—17 में निम्नलिखित निर्माण कार्य निर्धारित सहमति तिथि तक अथवा दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा अनुसार निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदारों से प्रतिकर के रूप में विलम्ब शुल्क बसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम कार्य का विवरण	ठेके की स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण करने की सहमति तिथि	कार्यपूर्ण करने की तिथि	अवधारित बिलम्ब शुल्क	वर्ष में बिलम्ब शुल्क जमा	बिलम्ब शुल्क अवशेष
1	विकास क्षेत्र बसरेहर में जल निकासी हेतु नाला निर्माण	972096	31.08.2016	17.09.2017	9721	0	9721
2	विकास क्षेत्र महेवा के गौतमपुरा से विराही तक लेपन अनुरक्षण कार्य	1994000	31.01.2017	24.04.2017	19940	0	19940
3	विकास क्षेत्र सैफई के ग्राम खुशालपुरा में इ०ला०	1196400	31.01.2017	26.04.2017	11964	0	11964

4	विकास क्षेत्र सैफई के ग्राम रामेत में इ0ला0 कार्य	998500	31.01.2017	17.06.2017	9985	9973	0
5	विकास क्षेत्र भरथना के ग्राम कुसना में मस्जिद वाली गली में इ.ला0	997500	31.01.2017	17.06.2017	9975	9931	0
6	विकास क्षेत्र भरथना के ग्राम न0 सोलंकी निगोह मार्ग से महेश पाल के दरवाजे तक इ0ला0 कार्य	997000	31.01.2017	18.06.2017	9970	9950	0
7	विकास क्षेत्र भरथना के न0 धनी में सुखवीर के मकान से रामगोपाल के मकान होते हुए दंगल सिंह यादव के मकान तक इ0ला0 कार्य	1098350	31.01.2017	27.04.2017	10984	0	10984
8	विकास क्षेत्र महेवा के ग्राम पंचायत निवाड़ी कला में राम भरोसे सिसोदिया के घर से रघुराज सिंह के घर तक तथा अनवर खों के घर तक इ0ला0	1097250	31.01.2017	19.06.2017	10973	0	10973
9	विकास क्षेत्र महेवा के नौधना में मुख्य मार्ग से शिवनाथ कुशवाह के घर तक इ0ला0	1271812	31.01.2017	18.04.2017	12718	0	12718
10	विकास क्षेत्र चकरनगर के ग्राम बछेड़ी में तिवारी के बाड़ा से हनुमान मंदिर तक इ0 ला0 कार्य	1396500	31.01.2017	25.04.2017	13965	0	13965
11	विकास क्षेत्र महेवा के ग्राम पंचायत सिंगौली में पाल बस्ती में इ0ला0 कार्य	1196400	31.01.2017	07.01.2018	11964	0	11964
12	विकास क्षेत्र सैफई के ग्राम नगला नत्थू में पक्की सड़क से कमलेश के दरवाजे तक इ0ला0	1246875	31.01.2017	19.06.2017	12469	12405	0
13	विकास क्षेत्र ताखा के ग्राम पंचायत कौआ रमपुरा में योगेन्द्र के दरवाजे	1007980	31.01.2017	26.04.2017	10080	0	10080

	से रतन सिंह के दरवाजे तक इ0ला0						
14	विकास क्षेत्र महेवा के ग्राम धर्मशाला में मंशाराम के मकान से महावीर के मकान तक इ0ला0	1118320	31.01.2017	28.04.2017	11183	0	11183
15	विकास क्षेत्र बढपुरा के ग्राम रमीकावर में इ0ला0	1147125	31.01.2017	26.04.2017	11471	0	11471
16	विकास क्षेत्र बढपुरा के कुण्डेश्वर मंदिर के बगल में इ0ला0 कार्य	1297400	31.01.2017	27.04.2017	12974	0	12974
17	विकास क्षेत्र चकरनगर के ग्राम चकरनगर में सुशीला बेगम को एवं जनवेद अली की गली में इ0ला0	1246250	31.01.2017	18.06.2017	12463	0	12463
18	विकास क्षेत्र बसरेहर के ग्राम न0 मल्लाह मौजा अकबरपुर में रतन सिंह के घर से मुकुट सिंह के घर तक इ0 ला0	1006970	31.01.2017	18.06.2017	10070	9956	0
19	विकास क्षेत्र सैफई के ग्राम हैवरा में राम लोटन के दरवाजे से शिव किशोर के दरवाजे एवं रामवीर के दरवाजे तक इ0ला0	1007980	31.01.2017	17.06.2017	10080	0	10080
20	विकास क्षेत्र ताखा के रौरा जिन्द मार्ग से महावीर के मकान से राम सिंह के मकान होकर रौरा जिन्द मार्ग तक इ0ला0	1196400	31.01.2017	12.04.2018	11964	7517	0
21	विकास क्षेत्र ताखा के जबरपुरा मसनई मार्ग से नगला खेमी तक इ0ला0 कार्य	1147700	31.01.2017	28.09.2017	11477	0	11477
22	विकास क्षेत्र जसवन्तनगर के ग्राम छोटा के वाला में इ0 ला0	997500	31.01.2017	25.04.2017	9975	0	9975
23	विकास क्षेत्र सैफई ग्राम नगला मटियार में मुख्य मार्ग से प्रा0पा0	1197600	31.01.2017	27.04.2017	11976	0	11976

	होते हुए उपेन्द्र के घर तक इ0ला0						
24	विकास क्षेत्र महेवा के नगला हर में इ0ला0 कार्य	997500	31.01.2017	17.06.2017	9975	9953	0
25	विकास क्षेत्र बसरेहर के ग्राम रिटौली में इटावा महामई डामर रोड से राजवीर सिंह के घर तक इ0ला0	1147700	31.01.2017	17.06.2017	11477	11447	0
26	विकास क्षेत्र भरथना के नगला बेर में डामर रोड से मुन्ना खों के मकान होते हुए प्रा0 पा0 तक इ0 ला0 कार्य	1226160	31.01.2017	18.06.2017	12262	12718	0
27	विकास क्षेत्र ताखा के ग्राम पंचायत कुदरैल के ग्राम कढ़ोतिया में महेन्द्र सिंह शाक्य के घर से अमोल चन्द्र के घर तक इ0ला0	1596000	31.01.2017	27.09.2017	15960	0	15960
28	विकास क्षेत्र भरथना के मौजा ढकपुरा ग्राम गुरैया बरोह में रोड से जोर सिंह के दरवाजे होते हुए घासीराम के दरवाजे तक इ0ला0	998000	31.01.2017	17.06.2017	9980	9980	0
29	विकास क्षेत्र सैंफई के ग्राम टिमरुआ में विकास के घर से गोंव के तालाब तक इ0ला0 कार्य	998000	31.03.2017	18.06.2017	9980	9966	0
30	विकास क्षेत्र भरथना ग्राम खन्ता में विशम्भर पुजारी के घर से राजवीर के घर होते हुए बृजेन्द्र के घर तक इ0ला0	997500	31.03.2017	17.06.2017	9975	0	9975
31	विकास क्षेत्र महेवा के ग्राम घुघसीना में अवशेष मार्ग पर इ0ला0	1172620	31.01.2017	16.06.2017	11726	0	11726
32	विकास क्षेत्र बड़पुरा के ग्राम कोठी (विचारपुरा) में काली माँ के मंदिर से रामकेशव के घर तक इ0ला0	998000	31.03.2017	27.04.2017	9980	0	9980
33	विकास क्षेत्र बड़पुरा के ग्राम पछौय गोंव में इ0ला0	987525	31.03.2017	15.06.2017	9875	0	9875

34	विकास क्षेत्र सैफई के ग्राम भुजपुरा में सी0सी0 मार्ग से पप्पन दुबे के दरवाजे होते हुए गाँव तक इ0ला0	1297400	31.03.2017	15.06.2017	12974	0	12974
35	विकास क्षेत्र सैफई के परासना चन्देपुरा मार्ग पर हरीशंकर की दुकान से वृन्दावन वाल्मीकि के दरवाजे से कामता कोरी के घर तक इ0ला0	992512	31.03.2017	25.04.2017	9925	0	9925
	योग	40197325			402430	113796	284323

अतः वसूली हेतु बिलम्ब शुल्क की अवशेष धनराशि रु0 284323.00 सम्बन्धित ठेकेदारों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जिला पंचायत फर्रुखाबाद वर्ष 2010-11

प्रस्तर 1- वर्ष 2010-11 में दिनांक 09.02.2011 को राज्य वित्त आयोग योजना के धन से डाक बंगला मुख्यालय का अवशेष निर्माण कार्य कराने हेतु ठेकेदार श्री ब्रजपाल सिंह को रु0- 990000.00 का ठेका दिया गया एवं स्वीकृति प्रदान की गई, उक्त निर्माण कार्य हेतु कुल रु0- 988075.00 का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान में से 04 प्रतिशत की दर से रु0- 39523.00 की व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी, किन्तु रु0 30810.00 की ही व्यापार कर की कटौती की गई।

इस प्रकार रु0 8713.00 ठेकेदार श्री ब्रजपाल से मय ब्याज वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने के कारण में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर 2- वर्ष 2010-11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से चिरनिगला से भगतन नगला शेष निर्माण कार्य का ठेका श्री जगदीश प्रसाद को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0 1127376.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0 38680.00 के व्यापार कर की कटौती की गई, जबकि 04 प्रतिशत की दर से रु0 45095.00 की कटौती की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार रु0 6415.00 की व्यापार कर की कटौती कम की गई है। अतः रु0 6415.00 ठेकेदार श्री जगदीश प्रसाद से मय ब्याज वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर 3-वर्ष 2010-11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से कराये गये निम्नांकित निर्माण कार्यों पर किये गये कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गई है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	आयकर कटौती की गई	आयकर कटौती की जानी चाहिए थी	आयकर कटौती कम की गई
1	चिरनिगला से भगतन नगला का शेष कार्य	श्री जगदीश प्रसाद	1127376.00	21664.00	25253.00	3589.00
2	कायमगंज बस अड्डा से अताईपुर का शेष भाग	श्री रामानन्द प्रसाद	951530.00	13768.00	21314.00	7546.00
3	शान्तीपुर से लोचन नगला	श्री बलराम	1210111.00	20967.00	27106.00	6139.00

	का शेष भाग	सिंह यादव				
4	मोहम्मदाबाद में मॉडल शंकरपुर से मलोखर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	श्री जगदीश प्रसाद	1758066.00	34445.00	39381.00	4936.00
5	पखना से भूडनगरिया सम्पर्क मार्ग	श्रीमती जलधारा देवी	1654378.00	34461.00	37058.00	2597.00
6	नवली से देवसनी सम्पर्क मार्ग निर्माण	श्री विनय कुमार शुक्ला	1536702.00	31309.00	34422.00	3113.00
7	गांधी ग्राम से नवसरा बस्ती निर्माण कार्य	श्री कैलाश बाबू मिश्रा	1037020.00	20365.00	23229.00	2864.00
8	अचरा रोड से अल्हादादपुर सम्पर्क मार्ग	श्री रामानन्द मिश्रा	1145495.00	13035.00	25659.00	12624.00
योग						43408.00

इस प्रकार रु0 43408.00 की आयकर की कटौती कम की गई है। अतः रु0 43408.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 4—वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना से कराये गये निम्नांकित निर्माण कार्य पर किये गये कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गई है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	आयकर कटौती की गई	आयकर कटौती की जानी चाहिए थी	आयकर कटौती कम की गई
1	फरुखाबाद जहानगंज से सितौली सम्पर्क मार्ग	श्री भिखारी दास	634871.00	10813.00	14221.00	3408.00
2	बसैली उखरा सम्पर्क मार्ग का द्वितीय भाग	श्रीमती अंजली पाठक	616375.00	10628.00	13807.00	3179.00
3	बसैली उखरा सम्पर्क मार्ग का प्रथम भाग	श्रीमती अंजली पाठक	640737.00	10804.00	14353.00	3549.00
4	खेरे नगला से तलैया सम्पर्क मार्ग	श्री भिखारी दास	668646.00	11560.00	14978.00	3418.00
5	कठेरिया राइस मिल के सामने से नगला सुभान खां सम्पर्क मार्ग	श्रीमती ताराबेगम	627979.00	11302.00	14067.00	2765.00
6	विलावलपुर से खड़गपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण	श्री मुकेश यादव	661642.00	11627.00	14821.00	3194.00
योग						19513.00

इस प्रकार रु0 19513.00 की आयकर की कटौती कम की गई है। अतः रु0 19513.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 5—वर्ष 2010-11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से भगवानपुर मार्ग से मुशी नगला सम्पर्क निर्माण कार्य का ठेका श्री रामानन्द मिश्रा को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0 1279164.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0 12792.00 की आयकर की कटौती की गई है, जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 28653.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रु0 15861.00 की आयकर की कटौती कम की गई है। अतः रु0 15861.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ठेकेदार श्री रामानन्द मिश्रा से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 6—वर्ष 2010-11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से कायमगंज मार्ग से टीका नगला सम्पर्क निर्माण कार्य का ठेका श्री कैलाश बाबू मिश्रा को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0 1845112.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0 37179.00 की आयकर की कटौती की गई है, जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 41330.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रु0 4151.00 की आयकर की कटौती कम की गई है। अतः रु0 4151.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ठेकेदार श्री कैलाश बाबू मिश्रा से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 7—वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना के धन से कटेरिया राइस मिल मार्ग से नगला सुभान खां सम्पर्क निर्माण कार्य का ठेका श्रीमती ताराबेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु 1010.40 घन मीटर मिट्टी पुराई का कार्य कराया गया है। किन्तु मिट्टी कार्य पर रु0 14.00 प्रतिघन मी0 की दर से रु0 14146.00 की रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व को रु0 14146.00 की क्षति पहुँचायी गई है। अतः रायल्टी की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी से संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 8—वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना के धन से विलावलपुर से खड़गपुर सम्पर्क निर्माण कार्य का ठेका श्रीमुकेश चन्द्र यादव को दिया गया। उक्त निर्माण कार्य हेतु 1088.94 घन मीटर मिट्टी पुराई का कार्य कराया गया है। किन्तु मिट्टी कार्य पर रु0 14.00 प्रतिघन मी0 की दर से रु0 15245.00 की रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व को रु0 15245.00 की क्षति पहुँचायी गई है। अतः रायल्टी की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी से संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 9—वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम रखा बुढ़नामऊ सम्पर्क मरम्मत कार्य का ठेका श्रीमती ताराबेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु 91.88 घन मीटर मिट्टी पुराई का कार्य कराया गया है। किन्तु मिट्टी कार्य पर रु0 14.00 प्रतिघन मी0 की दर से रु0 1286.00 की रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व को रु0 1286.00 की क्षति पहुँचायी गई है। अतः रायल्टी की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी से संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 10— वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना से कराये गये निम्नांकित निर्माण कार्यों पर किये गये कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गई है—

क्र0सं 0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	आयकर कटौती की गई	आयकर कटौती की जानी चाहिए थी	आयकर कटौती कम की गई
1	घटियाघाट मार्ग से शमशान घाट तक मरम्मत कार्य	श्री भिखारी दास	934280.00	15730.00	20928.00	5198.00
2	ग्राम रखा बुढ़नामऊ के सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य	श्रीमती ताराबेगम	481674.00	10149.00	10789.00	640.00
3	दरौरा उबरीखेड़ा मार्ग से सिधौली कालेज तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य	श्रीमती ताराबेगम	708197.00	10990.00	15864.00	4874.00
4	जिला पंचायत के मुख्य द्वार तक सड़क चौड़ीकरण एवं पटरी निर्माण कार्य	श्री मुकेश चन्द्र यादव	539674.00	10897.00	12089.00	1192.00
योग						11904.00

इस प्रकार रू0 11904.00 की आयकर की कटौती कम की गई है। अतः रू0 11904.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 11—वर्ष 2010—11 में दिनांक 18.09.2010 को जिला निधि कैश बुक में पृष्ठ संख्या 28 पर प्रमाणक संख्या 63 द्वारा कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन में भरवाये गये ईंधन का भुगतान कटियार फिलिंग स्टेशन को लिखकर रू0 4067.00 का व्यय खारिज किया गया है। जबकि कटियार फिलिंग स्टेशन के बिल/वाउचर पर रू0 4047.00 का भुगतान अंकित है एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सत्यापित/पारित किया गया है। इस प्रकार रू0 20.00 का अधिक व्यय खारिज करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार अजय अवस्थी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 12—वर्ष 2010—11 में दिनांक 09.02.2011 को ठेकेदार श्रीमती ताराबेगम को राज्य वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम दरौरा उबरीखेड़ा मार्ग से सिधौली कालेज तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य का रू0 704788.00 का ठेका स्वीकृत किया गया था, किन्तु उक्त कार्य हेतु रू0 708197.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि से रू0 3409.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 13—वर्ष 2010—11 में दिनांक 03.01.2011 से दिनांक 20.01.2011 तक जिला पंचायत प्रपत्र-05 रसीद संख्या 2814/4 से 23 तक श्री सुखपाल कर समाहर्ता द्वारा रू0 20450.00 वसूल किये गये। उक्त वसूली के सापेक्ष दिनांक 01.02.2011 को चालान द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फतेहगढ़ में रू0 20350.00 ही जमा किये गये। जिला निधि कैश बुक में भी आय रू0 20350.00 की ही दर्शायी गई है। इस प्रकार रू0 100.00 से आय कम दर्शायी गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्मिक कर समाहर्ता श्री सुखपाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 14—वर्ष 2010—11 में दिनांक 02.03.2011 से दिनांक 15.03.2011 तक जिला पंचायत प्रपत्र-05 रसीद संख्या 2814/58 से 94 तक श्री सुखपाल कर समाहर्ता द्वारा रू0 9660.00 वसूल किये गये। उक्त वसूली के सापेक्ष दिनांक 16.03.2011 को चालान द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फतेहगढ़ में रू0 9560.00 ही जमा किये गये। जिला निधि कैश बुक में भी आय रू0 9560.00 की ही दर्शायी गई है। इस प्रकार रू0 100.00 से आय कम दर्शायी गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्मिक कर समाहर्ता श्री सुखपाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 15—वर्ष 2010—11 में बारवां वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से निम्नांकित कार्यों में मिट्टी पुराई का कार्य कराया गया, किन्तु सम्बन्धित भुगतानों से रू0 14.00 की दर से रायल्टी की कटौती नहीं की गई है।

क्र0सं 0	अंतिम भुगतान की तिथि	कुल भुगतान की धनराशि	ठेकेदार का नाम	मिट्टी की माप (घनमी0)	रायल्टी की धनराशि	कार्य का विवरण
1	18.08.2011	824487.00	श्री मुकेश चन्द्र यादव	535.69	7500.00	कमालुद्दीनपुर से सीढ़ेपुर मार्ग से शून्य से लेपन स्तर तक प्रथम भाग
2	23.08.2011	824544.00	श्री मुकेश चन्द्र यादव	664.62	6505.00	कमालुद्दीनपुर से सीढ़ेपुर मार्ग से शून्य से लेपन स्तर तक द्वितीय भाग
3	23.08.2011	826539.00	श्री मुकेश चन्द्र यादव	393.42	5508.00	कमालुद्दीनपुर से सीढ़ेपुर मार्ग से शून्य से लेपन

						स्तर तक तृतीय भाग
4	23.085.2011	523530.00	श्री मुकेश चन्द्र यादव	225.27	3154.00	कमालुद्दीनपुर से सीढ़ेपुर मार्ग से शून्य से लेपन स्तर तक चतुर्थ भाग
5	14.06.2012	803721.00	श्री मुकेश चन्द्र यादव	268.41	3758.00	खाकमऊ से कमालुद्दीनपुर का शेष भाग
योग					26425.00	

इस प्रकार रु0 26425.00 रायल्टी की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गई है। अतः रु0 26425.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री साहित्य कुमार कटियार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी से संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 16—दिनांक 22.02.2011 को सेन्ट्रल जेल चौराहा की तहबाजारी का ठेका बोलीदाता श्रीमती कुसुम दुबे पत्नी श्री महेश दुबे को रु0 124000.00 का वर्ष 2010-11 हेतु दिया गया, किन्तु श्रीमती दुबे से रु0 2430.00 का ही स्टाम्प शुल्क जमा कराया गया जबकि ठेके की धनराशि का 02 प्रतिशत की दर से रु0 2480.00 का स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना चाहिए था। अतः कम जमा कराये गये रु0 50.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्मिक श्री संजीव कुमार सिंह से जमा कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 17—वर्ष 2010-11 में जिला निधि कैश की बुक में रु0 524151.00 जिला पंचायत की गाड़ियों पर डीजल व अन्य मदों पर दर्शाया गया है। इन व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहे। वाहनों की लॉग बुकें अपूर्ण पाई गईं। इस प्रकार लॉग बुक एवं व्यय प्रमाणकों को अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके लिए तत्कालीन नाज़िर श्री संजीव कुमार सिंह, लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एस0 यादव, ए0के0 सिंह चन्दौल व श्री वी0के0 सिंह चौहान एवं श्री ज्योति कुमार दीक्षित संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 18—वर्ष 2010-11 में जिला निधि की कैश बुक में रु0 134803.00 स्टेशनरी खरीद पर व्यय दर्शाया गया है। क्रय की गई स्टेशनरी का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में स्टेशनरी खरीद पर दर्शित व्यय औचित्यपूर्ण नहीं रहा। इस प्रकार औचित्यहीन व्यय रु0 134803.00 के लिए तत्कालीन नाज़िर श्री संजीव कुमार सिंह, लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री वी0के0 सिंह चौहान व श्री ए0के0 सिंह चन्दौल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 19—दिनांक 31.03.2011 को जिला पंचायत के विभिन्न खातों में जमा धनराशियों एवं इन खातों में कैश बुकों में दर्शित अवशेषों में निम्नवत् अन्तर विद्यमान रहा—

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31.03.2011 को बैंक अनुसार शेष	दिनांक 31.03. 2011 को कैश बुक अनुसार शेष	अन्तर
1	राज्य वित्त+बारहवां/तेरहवां 1.आर्यावर्त ग्रामीण बैंक 2.यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 3.पी0एल0ए0 खाता	0002 0114 8448 योग	118105.00 14644040.31 51892789.93 66657934.34	42885448.34	23772486.00
2	जिला निधि 4.यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 5.पंजाब नेशनल बैंक फतेहगढ़ 6.डी0सी0बी0 लि0 फर्रुखाबाद 7.एस0बी0आई0 फतेहगढ़	1888 9388 4714 5468 5604 योग	13951955.59 2302973.00 2268350.71 950152.46 24595.00 19498026.76	18743072.00	754954.76

	8.पोस्ट ऑफिस फतेहगढ़				
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि				
	9.पंजाब नेशनल बैंक	2958	25740826.00	7118395.00	18622431.00
	फतेहगढ़	6765	68706184.00	68248683.00	457501.00
	10.यूनियन बैंक ऑफ	5750	1735919.00	1735919.00	—
	इण्डिया	0909	11507572.00	9397720.00	2109852.00
	11.यूनियन बैंक ऑफ				
	इण्डिया				
	12.बैंक ऑफ इण्डिया				
	योग		107690501.00	86500717.00	21189784.00
	01 से 12 तक का कुल योग		193846462.10	148129237.34	45717224.76

इस प्रकार अन्तर रू0 45717224.76 के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किये गये हैं। जबकि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 84 के अनुसार प्रत्येक मास के अन्त में पाये जाने वाले अन्तरों के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जायेगा। इस प्रकार जिला पंचायत में दिनांक 31.03.2011 को रू0 45717224.76 का असमाधानित अन्तर विद्यमान रहा जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत फर्रुखाबाद वर्ष 2011-12

प्रस्तर 20— वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नही की गयी है:—

क्र०सं 0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की धनराशि जो काटी जानी चाहिये
1	जहानगंज से इकटरिया सर्म्पक मार्ग के शेष भाग का प्रथम भाग	श्री भिखारी दास	712722.00	7127.00
2	जहानगंज से इकटरिया सर्म्पक मार्ग के शेष भाग का प्रथम भाग	श्री भिखारी दास	697283.00	6973.00
3	वि०खण्ड राजपुर में मिराचिन चौरामार्ग से माखन नगला मार्ग निर्माण कार्य	श्री भिखारी दास	976076.00	9761.00
4	मा० कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढिया मुख्य मार्ग से मस्जिद तक सर्म्पक मार्ग निर्माण कार्य	श्री भिखारी दास	986082.00	9861.00
5	कमालगंज में ग्राम जरारी में महुये से तलाब तक सी०सी० निर्माण कार्य	श्री भिखारी दास	926978.00	9270.00
6	वि० खण्ड कमालगंज में भीखानगला सर्म्पक मार्ग से प्यारेलाल के मकान तक निर्माण कार्य।	श्री भिखारी दास	978902.00	9789.00
7	वि० खण्ड कमालगंज में जहानगंज मार्ग से मजरा खलासपुर होते हुये जरारी सर्म्पक मार्ग निर्माण कार्य।	श्री भिखारी दास	947522.00	9475.00
योग:—				62256.00

उ०प्र० सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-1141/36-2-2009-251(एम,एम)/95 लखनऊ दिनांक 20.11.2009 जो कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली) अधिनियम 1966 तथा तदविषयक, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली) अधिनियम 2009 के प्रयाजनार्थ उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रह अधिकारीद्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर वसूल कर धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना है। इस प्रकार 1 प्रतिशत श्रम उपकर की धनराशि को ठेकेदार के बिलो से आयकर की भाँति एवं उसी भावना से काटा जाना है।

इस प्रकार रु0-62256.00 ठेकेदार श्री भिखारी लाल से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 21- वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड-कमालगंज जरारी पश्चिम सर्म्पक मार्ग से अखलास के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य का ठेका श्रीमती तारा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0- 418005.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0- 4180.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-4180.00 ठेकेदार श्रीमती तारा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 22- वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड-कमालगंज में लुधैया मार्ग से ग्राम नगरिया में खुशीराम के घर तक सडक मार्ग निर्माण कार्य का ठेका श्री अवधेश कुमार सिंह को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0- 808621.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0- 8086.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-8086.00 ठेकेदार श्री अवधेश कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 23- वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड-कमालगंज में बिल्सडी कम्पिल मार्ग से पी0एच0सी0 बिल्सडी होते हुये खेमपुर मोड तक निर्माण कार्य का ठेका श्री बलराम सिंह यादव को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-804526.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-8045.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-8045.00 ठेकेदार श्री बलराम सिंह यादव से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 24- वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की धनराशि जो काटी जानी चाहिये
1	वि0खण्ड-शमशाबाद में चौमुखमहादेव मन्दिर से शहदपुर कोटिया तिराहे होते हुये मूसेपुर पक्की सडक तक सर्म्पक मार्ग निर्माण कार्य	श्री मुकेश चन्द्र यादव	979316.00	9793.00
2	वि0खण्ड-नबाबगंज में रजीत कुमार सिंह के फाटक से नबाबगंज कुददीपुर मार्ग तक नगला दमू में सडक निर्माण कार्य	श्री मुकेश चन्द्र यादव	741113.00	7411.00
3	वि0खण्ड मुहम्मदाबाद में कटिन्ना मानिकपुर सडक निर्माण कार्य	श्री मुकेश चन्द्र यादव	970240.00	9702.00
4	वि0खण्ड कमालगंज में केशपुर से अहमद बेबरिया तक सडक निर्माण कार्य	श्री मुकेश चन्द्र यादव	762602.00	7626.00
5	वि0खण्ड कमालगंज में विश्व बैंक रोड से ईशेपुर गाँव की पुलिया तक सडक निर्माण कार्य	श्री मुकेश चन्द्र यादव	988826.00	9888.00
6	वि0खण्ड बढपुर में ग्राम सभा गुतासी में पुठरी सर्म्पक मार्ग से प्रा0स्कूल तक सडक निर्माण कार्य	श्री मुकेश चन्द्र यादव	988789.00	9888.00

योग:-	54308.00

इस प्रकार रु0-54308.00 ठेकेदार श्री मुकेश चन्द्र यादव से मय ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 25—वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से विकास खण्ड-बढपुर में सेन्ट्रल बैंक चौराहा से जिला जेल मुख्य मार्ग से निकट श्री सर्वेश यादव के बाग से विश्वनाथ के घर के पास तक सर्पक मार्ग निर्माण कार्य का ठेका श्रीमती रीता यादव को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-994951.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-9950.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-9950.00 ठेकेदार श्रीमती रीता यादव से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 26—वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम पंचायत भडौसा मजरा न्यामतपुर नगर में तसलीम के दरवाजे से इस्लामिया मदरसा तक मार्ग निर्माण का ठेका श्रीमती आमरा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-962890.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-9629.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-9629.00 ठेकेदार श्रीमती आमरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 27—वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की धनराशि जो काटी जानी चाहिये
1	वि०खण्ड-कमालगंज में महमदपुर अचला (निवादा) दलित बस्ती से नफीस के ट्यूबवेल तक मार्ग निर्माण कार्य	श्री सन्तार अली	394972.00	3950.00
2	वि०खण्ड-कमालगंज में ग्राम सभा भौसडा में सन्तार के दरवाजे से जरारी मार्ग तक सडक निर्माण कार्य	श्री सन्तार अली	422036.00	4220.00
योग:-				8170.00

इस प्रकार रु0-8170.00 ठेकेदार श्री सन्तार अली से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 28— वर्ष 2011-12 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की धनराशि जो काटी जानी चाहिये
1	मुहमदपुर में चन्देलानगला सर्पक मार्ग के अवशेष भाग का मरम्मत कार्य	श्रीमती आमरा बेगम	1193320.00	11933.00
2	जसमई सिरौली मार्ग से कुडजिया सर्पक मार्ग का मरम्मत कार्य	श्रीमती आमरा बेगम	2013435.00	20134.00
3	जसमई सिरौली मार्ग से पटयन नगला	श्रीमती आमरा	995447.00	9954.00

समर्पक मार्ग का मरम्मत कार्य	बेगम		
योग:-			42021.00

इस प्रकार रु0-42021.00 ठेकेदार श्रीमती आमरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 29- वर्ष 2011-12 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से पहाडपुर से सिमरपुर मार्ग का डामरी करण का मरम्मत कार्य का ठेका श्री मुकेश चन्द्र यादव को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-1344602.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-13446.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-13446.00 ठेकेदार श्री मुकेश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 30- वर्ष 2011-12 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से जसमई सिरौली से पटयन नगला समर्पक मरम्मत कार्य का ठेका श्रीमती आमरा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-995447.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0-9954.00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 2.24 प्रतिशत की दर से रु0-22298.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रु0-12344.00 की आयकर की कटौती कम की गयी है। अतः रु0-12344.00 ठेकेदार श्रीमती आमरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 31- वर्ष 2011-12 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से खिमसेपुर ज्योता मार्ग से नगला सूदन समर्पक मार्ग एवं पुलिया निर्माण एवं मरम्मत कार्य का ठेका श्रीमती तारा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-1914273.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0-75937.00 की व्यापार कर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 4 प्रतिशत की दर से रु0-76571.00 की व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रु0-634.00 की व्यापार कर की कटौती कम की गयी है। अतः रु0-634.00 ठेकेदार श्रीमती तारा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 32- वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम पंचायत सोता बहादुरपुर में इशाक की दुकान से गंगा के किनारे तक समर्पक मार्ग निर्माण का ठेका श्री भिखारी दास को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-973166.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-9732.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-9732.00 ठेकेदार श्री भिखारी दास से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 33- वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर से कोटला चौराहे के पहले दुलारे के घर तक समर्पक मार्ग निर्माण का ठेका श्री सूरज को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-967607.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-9676.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-9676.00 ठेकेदार श्री सूरज से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 34— वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम भौसाड में बहोरिकपुर मार्ग से रामबाबू जाटव के मोहल्ले से होते हुये पंचायत भवन तक सर्मक मरम्मत कार्य का ठेका श्रीमती सायरा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-973140.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0-9732.00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 2.24 प्रतिशत की दर से रु0-21798.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रु0-12066.00 की आयकर की कटौती कम की गयी है। अतः रु0-12066.00 ठेकेदार श्रीमती सायरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 35— वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम पंचायत भौसाड में बहोरिकपुर मार्ग से रामबाबू जाटव के मोहल्ले से होते हुये पंचायत भवन तक सर्मक मार्ग निर्माण का ठेका श्रीमती सायरा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-973140.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-9731.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-9731.00 ठेकेदार श्रीमती सायरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 36— वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम नगला दाऊद में रफी खॉ पूर्व प्रधान के घर से निसार खॉ के घर तक सर्मक मरम्मत कार्य का ठेका श्रीमती आमरा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-268570.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0-3676.00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 2.24 प्रतिशत की दर से रु0-6016.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रु0-2340.00 की आयकर की कटौती कम की गयी है। अतः रु0-2340.00 ठेकेदार श्रीमती आमरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 37— वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम कमाजगंज गढिया मार्ग से राजेपुर सरायमेदा में सर्मक मार्ग का शेष भाग का निर्माण कार्य का ठेका श्रीमती आमरा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-824926.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0-8250.00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 2.24 प्रतिशत की दर से रु0-18478.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रु0-10228.00 की आयकर की कटौती कम की गयी है। अतः रु0-10228.00 ठेकेदार श्रीमती आमरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 38— वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से ग्राम नबाबगंज अचरा मार्ग से ग्राम त्योरी में कमल सिंह बाबा के घर से विमला के घर तक सर्मक मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य का ठेका श्रीमती ममता अवस्थी को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-944623.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0-17391.00 की आयकर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 2.24 प्रतिशत की दर से रु0-21160.00 की आयकर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रु0-3769.00 की आयकर की कटौती कम की गयी है। अतः रु0-3769.00 ठेकेदार श्रीमती ममता अवस्थी से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 39— वर्ष 2011-12 में निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गयी है:-

क्र०	कार्य का नाम	योजना का	ठेकेदार का	कुल भुगतान	कुल भुगतान	वास्तविक	कम काटी

स0		नाम	नाम	की धनराशि	मे से कीगयी आयकर कटौती की धनराशि	आयकर कटौती की धनराशि	गयी आयकर कटौती की धनराशि
1	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उ दहीनपुर तक सर्पक मार्ग का प्रथम भाग	तेरहवाँ वित्त	श्री सुनील कुमार यादव	703323.00	7033.00	15754.00	8721.00
2	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उ दहीनपुर तक सर्पक मार्ग का द्वितीय भाग	तेरहवाँ वित्त	श्री सुनील कुमार यादव	774128.00	7741.00	17340.00	9599.00
3	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उ दहीनपुर तक सर्पक मार्ग का तृतीय भाग	तेरवाँ वित्त	श्री सुनील कुमार यादव	777750.00	7778.00	17422.00	9644.00
4	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उ दहीनपुर तक सर्पक मार्ग का चतुर्थ भाग	तेरवाँ वित्त	श्री सुनील कुमार यादव	290725.00	2908.00	6512.00	3604.00
5	ग्राम जरारी में पुराने चौराहे से अशफाक पुत्र श्री मजहर के मकान तलाब तक सर्पक मार्ग का निर्माण	तेरवाँ वित्त	श्री सुनील कुमार यादव	446612.00	4466.00	10004.00	5538.00
योग:-							37106.00

इस प्रकार उक्त भुगतानों पर कम की गयी आयकर की कटौती की धनराशि रू0-37106.00 ठेकेदार श्री सुनील कुमार यादव से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 40- वर्ष 2011-12 में तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान योजना के धन से नबाबगंज अचरा मार्ग से ग्राम त्योंरी में कमल सिंह बाबा के घर से विमला के घर तक तक सर्पक मार्ग एवं नाली निर्माण का ठेका श्रीमती ममता अवस्थी को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रू0-944623.00 का भुगतान किया गया, कुल

भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-9446.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-9446.00 ठेकेदार श्रीमती ममता अवस्थी से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 41- वर्ष 2011-12 में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान निधि योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है:-

क्र०स०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की धनराशि जो काटी जानी चाहिये
1	ग्राम नगला दाऊद में रफी खॉ पूर्व प्रधान के घर से निसार खॉ के घर तक सर्पक मार्ग का निर्माण कार्य	श्रीमती आमरा बेगम	268570.00	2686.00
2	कमालगंज गढिया मार्ग से राजेपुर सरायमेदा सर्पक मार्ग का शेष भाग का निर्माण कार्य	श्रीमती आमरा बेगम	824926.00	8249.00
योग:-				10935.00

इस प्रकार रु0 10935.00 ठेकेदार श्री आमरा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 42- वर्ष 2011-12 में तेरवें वित्त आयोग अनुदान निधि योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है:-

क्र०स०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की धनराशि जो काटी जानी चाहिये
1	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उददीनपुर तक सर्पक मार्ग का प्रथम भाग	श्री सुनील कुमार यादव	703323.00	7033.00
2	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उददीनपुर तक सर्पक मार्ग का द्वितीय भाग	श्री सुनील कुमार यादव	774128.00	7741.00
3	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उददीनपुर तक सर्पक मार्ग का तृतीय भाग	श्री सुनील कुमार यादव	777750.00	7778.00
4	रजीपुर ऊधरनपुर मार्ग से ग्रामआला-उददीनपुर तक सर्पक मार्ग का चतुर्थ भाग	श्री सुनील कुमार यादव	290725.00	2907.00
5	ग्राम जरारी में पुराने चौराहे से अशफाक पुत्र श्री मजहर के मकान तलाब तक सर्पक मार्ग का निर्माण	श्री सुनील कुमार यादव	446612.00	4466.00
योग:-				29925.00

इस प्रकार रु0 29925.00 ठेकेदार श्री सुनील कुमार यादव से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 43-वर्ष 2011-12 में तेरवें वित्त आयोग अनुदान निधि योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो में मिटटी पुराई का कार्य भी कराया गया है। किन्तु मिटटी कार्य पर रु0-14/- प्रतिघन मीटर की दर से रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। जो अपेक्षित रही :-

क्र०स०	पत्रावली	ठेकेदार	कार्य का विवरण	वि० क्षेत्र	मिटटी की माप	रायल्टी की

0	संख्या	का नाम		का नाम	(घन मी० में)	धनराशि रु०-14/- प्रतिघन मी०
1	1	श्री भिखारी दास	ग्राम सोता बहुदरपुर में इशाक की दुकान से गंगा किनारे जक सर्म्पक मार्ग का निर्माण	बढपुर	118.27	1656.00
2	4	श्रीमती सायरा बेगम	ग्राम भौसडा बहोरिकपुर में रामबाबू जाटव के मोहल्ले से होते हुये पंचायत भवन तक सर्म्पक मार्ग का निर्माण कार्य	कमालगंज	483.88	6774.00
3	6	श्री सुनील कुमार यादव	रजीपुर ऊधरन मार्ग से अलाउददीनपुर तक सर्म्पक मार्ग का निर्माण कार्य का प्रथम भाग	कमालगंज	349.72	4896.00
4	7	श्री सुनील कुमार यादव	रजीपुर ऊधरन मार्ग से अलाउददीनपुर तक सर्म्पक मार्ग का निर्माण कार्य का द्वितीय भाग	कमालगंज	279.76	3917.00
5	8	श्री सुनील कुमार यादव	रजीपुर ऊधरन मार्ग से अलाउददीनपुर तक सर्म्पक मार्ग का निर्माण कार्य का तृतीय भाग	कमालगंज	248.25	3476.00
6	10	श्रीमती आमरा बेगम	कमालगंज गढिया मार्ग से राजेपुर सरायमेदा सर्म्पक मार्ग के शेष भाग का निर्माण कार्य	कमालगंज	82.30	1152.00
7	12	श्रीमती ममता अवस्थी	नबाबगंज अचरा मार्ग से ग्राम त्योरी में कमल सिंह बाबा के घर से विमल के घर तक सर्म्पक मार्ग नाली निर्माण कार्य	नबाबगंज	480.0	6720.00
योग:-						28591.00

इस प्रकार रु०-28591.00 की रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की रु०-28591.00 से आर्थिक क्षति पहुचायी गयी है। अतः रु०-28591.00 ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 44- वर्ष 2011-12 में तेरवों वित्त आयोग अनुदान निधि योजना के धन से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यों में मिटटी पुराई का कार्य भी कराया गया है। किन्तु मिटटी कार्य पर रु०-14/- प्रतिघन मीटर की दर से रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। जो अपेक्षित रही :-

क्र० स०	पत्रावली संख्या	ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	वि० क्षेत्र का नाम	मिटटी की माप (घन मी० में)	रायल्टी की धनराशि रु०-14/- प्रतिघन मी०
1	1	श्री भिखारी दास	जहानगंज मार्ग से इकटरिया सर्म्पक मार्ग के शेष भाग का निर्माण प्रथम भाग	कमालगंज	563.87	7894.00
2	2	श्री भिखारी दास	जहानगंज मार्ग से इकटरिया सर्म्पक मार्ग के शेष भाग का निर्माण द्वितीय भाग	कमालगंज	671.90	9407.00
3	3	श्री भिखारी दास	वि०खण्ड राजेपुर में किराचिन चौरा मार्ग से माखन नगला मार्ग निर्माण कार्य	राजेपुर	804.61	11265.00
4	4	श्री भिखारी दास	मा०कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढिया मुख्य मार्ग से मस्जिद तक सर्म्पक मार्ग का निर्माण कार्य	बढपुर	483.05	6763.00

5	10	श्री मुकेश चन्द्र यादव	रंजीत कुमार सिंह के फाटक से नबावगंज कुददीपुर मार्ग तक नगला रमू में सर्पक मार्ग का निर्माण	नबावगंज	377.35	5283.00
6	13	श्री अवधेश कुमार सिंह	वि०खण्ड-कायमगंज में लुधैया मार्ग से ग्राम नगरिया में खुशीराम के घर तक सडक निर्माण कार्य	कायमगंज	443.76	6213.00
7	14	श्री बलराम सिंह यादव	विल्सडी कम्पिल मार्ग से पी०एच०सी० बिल्सडी होती हुयी खेमपुर मोड तक सडक निर्माण कार्य	कायमगंज	232.53	3255.00
8	21	श्री मुकेश चन्द्र यादव	देवरा नगढिया मार्ग से मस्जिद के पास होकर आजाद नगर भटपुरा कब्रस्थान तक मार्ग निर्माण कार्य	कमालगंज	2165.62	30319.00
योग						80399.00

इस प्रकार रू०-80399.00 की रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की रू०- 80399.00 से आर्थिक क्षति पहुचायी गयी है। अतः रू०-80399.00 ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 45- वर्ष 2011-12 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से विकास खण्ड मोहम्मदाबाद में कटिन्ना मानिकपुर सडक निर्माण कार्य का ठेका श्री मुकेश चन्द्र यादव को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रू०-970240.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रू०-29458.00 की व्यापार कर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 4 प्रतिशत की दर से रू०-38810.00 की व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रू०-9352.00 की व्यापार कर की कटौती कम की गयी है। अतः रू०-9352.00 ठेकेदार श्री मुकेश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 46-वर्ष 2011-12 में निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यों पर भुगतान दर्शाये गये हैं। किन्तु कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गयी है :-

क्र० स०	कार्य का नाम	योजना का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	कुल भुगतान मे से की गयी आयकर कटौती की धनराशि	वास्तविक आयकर कटौती की धनराशि	कम काटी गयी आयकर कटौती की धनराशि
1	जहानगंज मार्ग से इकटरिया सर्पक मार्ग के शेष भाग का निर्माण कार्य का प्रथम भाग	राज्य वित्त	श्री भिखारी दास	712722.00	7128.00	15965.00	8837.00
2	जहानगंज मार्ग से इकटरिया सर्पक मार्ग के शेष भाग का निर्माण कार्य का	राज्य वित्त	श्री भिखारी दास	697283.00	6973.00	15619.00	8646.00

	द्वितीय भाग						
3	वि० खण्ड—राजेपुर में मिराचिन चौरा मार्ग से माखन नगला मार्ग तक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री भिखारी दास	976076.00	9761.00	21864.00	12103.00
4	वि० खण्ड—बढपुर में मा० कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढिया मुख्य मार्ग से मस्जिद तक सर्पक मार्ग का निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री भिखारी दास	986082.00	9861.00	22088.00	12227.00
5	वि० खण्ड—कमालगंज में ग्राम जरारी में महुये से तलाब तक सी०सी० निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री भिखारी दास	926978.00	9270.00	20764.00	11494.00
6	वि०खण्ड—कमाल गंज में भीखा नगला सर्पक मार्ग से प्यारे लाल के मकान तक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री भिखारी दास	978902.00	9789.00	21927.00	12138.00
7	वि० खण्ड—कमालगंज में कमालगंज जहानगंज मार्ग से मजरा खलासपुर होतं हुये जरारी सर्पक मार्ग निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री भिखारी दास	947522.00	9475.00	21225.00	11750.00
	योग						77195.00

इस प्रकार उक्त भुगतानों पर कम की गयी आयकर की कटौती की धनराशि रू०—77195.00 ठेकेदार श्री भिखारी दास से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 47— वर्ष 2011—12 में निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यों पर भुगतान दर्शाये गये हैं। किन्तु कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गयी है:—

क्र०स०	कार्य का नाम	योजना का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	कुल भुगतान में से की गयी आयकर कटौती की धनराशि	वास्तविक आयकर कटौती की धनराशि	कम काटी गयी आयकर कटौती की धनराशि
1	वि० खण्ड शमशाबाद में चौमुख महादेव मंदिर से कोटिया तिराहे होते हुये मूसेपुर पक्की	राज्य वित्त	श्री मुकेश चन्द्र यादव	979316.00	11545.00	21937.00	10392.00

	सडक प्याऊ तक सर्म्पक मार्ग निर्माण कार्य						
2	वि०खण्ड नबाबगंज में रंजीत कुमार सिंह के फाटक से नबाबगंज कुइलीपुर मार्ग तक नगलादमू में सडक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री मुकेश चन्द्र यादव	741113.00	7411.00	16601.00	9190.00
3	वि०खण्ड मोहम्मदाबाद में कटिन्नामानिकपुर सडक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री मुकेश चन्द्र यादव	970240.00	8628.00	21733.00	13105.00
4	वि०खण्ड कमालगंज में केशपुर से अहमद वेवरिया तक सडक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री मुकेश चन्द्र यादव	762602.00	8877.00	17082.00	8205.00
5	वि०खण्ड कमालगंज में विश्व बैंक रोड से झैशपुर गाँव की पुलिया तक सडक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री मुकेश चन्द्र यादव	988826.00	9888.00	22150.00	12262.00
6	वि०खण्ड बढपुर में ग्राम सभा गुतासी में पुढरी सर्म्पक मार्ग प्रा० स्कूल तक सडक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री मुकेश चन्द्र यादव	988789.00	9888.00	22150.00	12261.00
योग							65415.00

इस प्रकार रु०—65415.00 ठेकेदार श्रीमुकेश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 48—वर्ष 2011—12 में निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर भुगतान दर्शाये गये है। किन्तु कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गयी है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	कुल भुगतान में से कीगयी आयकर कटौती की धनराशि	वास्तविक आयकर कटौती की धनराशि	कम काटी गयी आयकर कटौती की धनराशि
1	वि०खण्ड कमालगंज में जरारी पश्चिम सर्म्पक मार्ग से अखलाक के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्रीमती तारा बेगम	418005.00	4180.00	9375.00	5195.00
2	वि०खण्ड कायमगंज में लुधैया मार्ग से ग्राम नगरिया में खुशीराम के घर तक सडक निर्माण	राज्य वित्त	श्री अवधेश कुमार सिंह	808621.00	8086.00	18113.00	10027.00

	कार्य						
3	वि०खण्ड कयामगंज मे बिल्सडी कम्पिल मार्ग से पी०एच०सी० बिल्सडी होती हुयी खेमपुर मोड तक सडक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री बलराम सिंह	804526.00	8045.00	18021.00	9976.00
4	वि०खण्ड बढपुर मे सेन्द्रल जेल चौराहा से जिला जेल मुख्य मार्ग से निकट सर्वेश यादव के बाग से विश्वनाथ के घर के पास तक सर्म्पक मार्ग का निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्रीमती रीता यादव	994951.00	9950.00	22287.00	12337.00
5	ग्राम पंचायत भडौसा मजरा न्यामतपुर नगर में तसलीम के दरवाजे से इस्लामिया मदरसा तक मार्ग निर्माणकार्य	राज्य वित्त	श्रीमती आमरा बेगम	962890.00	9629.00	21562.00	11940.00
6	वि०खण्ड कमालगंज में महमदपुर अचला सवादा दलित बस्ती से नफीस के टयूबबेल तक मार्ग निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री सन्तार अली	394972.00	3950.00	8847.00	4897.00
7	वि०खण्ड कमालगंज में ग्राम सभा भडौसा में सन्तार के दरवाजे से जरदारी मार्ग तक सडक निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री सन्तार अली	422036.00	6258.00	9454.00	3196.00
योग							57568.00

इस प्रकार उक्त भुगतानों पर कम की गयी आयकर की कटौती की धनराशि रू०-57568.00 सम्बन्धित ठेकेदारो से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 49- वर्ष 2011-12 में निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यों पर भुगतान दर्शाये गये हैं। किन्तु कुल भुगतान में से आयकर की कटौती कम की गयी है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान की धनराशि	कुल भुगतान मे से कीगयी आयकर कटौती की धनराशि	वास्तविक आयकर कटौती की धनराशि	कम काटी गयी आयकर कटौती की धनराशि
1	पहाड़पुर से शिकारपुर	पिछड़ा क्षेत्र	श्री मुकेश	1344602.00	10986.00	30119.00	19133.00

	मार्ग का डामरीकरण व मरम्मत कार्य		चन्द्र यादव				
2	म्हमदपुर से चन्देला सर्म्पक मार्ग का अवशेष भाग का मरम्मत कार्य	पिछड़ा क्षेत्र	श्रीमती आमरा बेगम	1193320.00	11933.00	26730.00	14797.00
3	जसमई सिरौली मार्ग से सर्म्पक मार्ग का मरम्मत कार्य	पिछड़ा क्षेत्र	श्रीमती आमरा बेगम	2013435.00	20135.00	45101.00	24966.00
4	खिमसेपुर ज्योता मार्ग से नगला सूदन सर्म्पक मार्ग एवं पुलिया निर्माण का मरम्मत कार्य	पिछड़ा क्षेत्र	श्रीमती तारा बेगम	1914273.00	36835.00	42880.00	5945.00
योग:-							64841.00

इस प्रकार उक्त भुगतानों पर कम की गयी आयकर की कटौती की धनराशि रु0-64841.00 सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 50-वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से पहाड़पुर से शिकारपुर मार्ग का डामरीकरण व मरम्मत कार्य का ठेका श्री मुकेश चन्द्र यादव को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-1344602.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से रु0-43944.00 की व्यापार कर की कटौती की गयी है। जबकि कुल भुगतान में से 4 प्रतिशत की दर से रु0-53784.00 की व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिये। इस प्रकार रु0-9840.00 की व्यापार कर की कटौती कम की गयी है। अतः रु0-9840.00 ठेकेदार श्री मुकेश चन्द्र यादव से वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 51-वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से खिमसेपुर ज्योता मार्ग से नगला सूदन सर्म्पक मार्ग एवं पुलिया निर्माण व मरम्मत कार्य का ठेका श्रीमती तारा बेगम को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-1914273.00 का भुगतान किया गया, कुल भुगतान में से 1 प्रतिशत की दर से रु0-19143.00 के श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी। अतः रु0-19143.00 ठेकेदार श्रीमती तारा बेगम से ब्याज सहित वसूल कर वसूली की धनराशि को नियमानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री उजैर अहमद एवं लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

प्रस्तर 52-वर्ष 2011-12 में जिला पंचायत प्रपत्र-05 रसीद संख्या-2821/67 से 90 तक (रसीद संख्या-2821/74 को छोड़कर) कुल रु0-7100/- श्री राम प्रताप सिंह कर समाहर्ता द्वारा वसूल किये गये। उक्त वसूली के सापेक्ष दिनांक 30.01.2012 को जिला निधि कैश बुक में उक्त रसीदों द्वारा रु0-7040/- की आय दर्शायी गयी है। इस प्रकार रु0-60/- से आय कम दर्शायी गयी है। रु0-60/- उत्तरदायी कार्मिक कर समाहर्ता श्री राम प्रताप सिंह से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 53-वर्ष 2011-12 में दिनांक 02.12.2011 से 14.12.2011 तक जिलापंचायत प्रपत्र-05 रसीद संख्या-2826/4 से 13 तक श्री सुखपाल कर समाहर्ता द्वारा रु0-19630/- वसूल किये गये। उक्त वसूली

के सापेक्ष दिनांक 16.12.2011 को चालान द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फतेहगढ़ में रु०-19485/- जमा किया गया, और रु०-19485/- की आय जिला निधि कैश बुक में दर्शायी गयी है। इस प्रकार रु०-145/- से आय कम दर्शायी गयी है। रु०- 145/- उत्तरदायी कार्मिक कर समाहर्ता श्री सुखपाल सेब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 54—वर्ष 2011-12 में जिला पंचायत की जिला निधि कैशबुक में रु०-133075.00 स्टेशनरी पर व्यय दर्शाया गया है। स्टेशनरी खरीद का स्टाक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर के अभाव में स्टेशनरी की खरीद पर दर्शित उक्त व्यय औचित्य पूर्ण नहीं रहा।

इस प्रकार औचित्यहीन व्यय रु०-133075.00 के लिये तत्कालीन नाजिर श्री संजीव कुमार सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित एवं श्री नरेश कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 55—दिनांक 31.03.2012 को जिला पंचायत के विभिन्न खातों में जमा धनराशियों एवं इन खातों में कैशबुको में दर्शित अवशेषों में निम्नवत् अंतर विद्यमान रहा :-

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	दि० 31.03.2012 को बैंक के अनुसार शेष	दि० 31.03.2012 को कैशबुक के अनुसार शेष	अन्तर की धनराशि
1	2	3	4	5	6
	जिला निधि:-				
1	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	1888	11083808.02	10800142.43	3724881.76
2	पंजाब नैशनल बैंक फतेहगढ़	9388	2394244.00		
3	जिला सहकारी बैंक लि० फतेहगढ़	4714	72224.71		
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया फतेहगढ़	5468	950152.46		
5	पोस्ट ऑफिस फतेहगढ़	5604	24595.00		
	योग:-		14525024.19		
	राज्य वित्त-बारहवाँ-तेरहवाँ वित्त:-				
6	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	0002	118105.00	20892209.34	18151937.00
7	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	0114	28010148.31		
8	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	0290	340287.00		
9	पी०एल०ए० खाता	8448	10575606.03		
	योग:-		39044146.34		
	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना:-				
10	पंजाब नैशनल बैंक फतेहगढ़	2958	65208497.00	65208497.00	
11	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	6765	56836298.00	56836298.00	
12	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	5750	1954408.00	1921190.00	33218.00
13	बैंक ऑफ इण्डिया	0909	211709.00	15594089.00	(-)15382380.00
	क्रमांक 01 से 13 तक का महायोग		177780082.53	171252425.77	6527656.76

उक्त अंतर रु०-6527656.76 के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किये गये हैं। जबकि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 84 के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में पाये जाने वाले अंतरों के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जायेगा। इस प्रकार जिला पंचायत में दिनांक 31.03.2012 को रु०-6527656.76 का असमाधानित अंतर विद्यमान रहा, जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 56— वर्ष 2011-12 में जिला निधि केशबुक में निम्नानुसार जिला पंचायत की गाडियो पर डीजल व अन्य मदो एवं कार्यालय से सम्बद्ध बोलेरो पर व्यय दर्शाये गये है—

1—जिला पंचायत की गाडियो एवं जनरेटर पर डीजल व अन्य मदो पर व्यय	रु0—410525.00
2—कार्यालय से सम्बद्ध बुलेरो का भुगतान	रु0—33000.00
3—अध्यक्ष महोदय श्री तहसीन सिद्दीकी की किराये की गाडी का भुगतान	रु0—250000.00

योग:—रु0 693525.00

उक्त व्ययों से सम्बन्धित निम्नांकित न्यूनतायें रहीं :—

- 1—वाहनो की लॉगबुकें अपूर्ण पायी गयी, जिससे दर्शित डीजल व्यय भुगतान को प्रमाणित नहीं किया जा सका।
- 2—जनरेटर की लॉगबुक तैयार नहीं की गयी, जिससे जनरेटर पर व्यय दर्शित डीजल को प्रमाणित नहीं किया जा सका।
- 3—क्रमांक 02 पर दर्शित कार्यालय ये सम्बद्ध बुलेरो का अनुबन्ध नहीं किया गया।
- 4—जिला पंचायत में अध्यक्ष की गाडी होने के बाऊजूद जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा किराये की गाडी का प्रयोग किया जाना आपत्ति जनक रहा।
- 5—अध्यक्ष महोदय की गाडी किराये पर लेते समय गाडी मालिक से कियें गये अनुबन्ध की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे किराये की दर व अन्य शर्तों की जानकारी नहीं हो सकी।

इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित तरीके से किये गये है। जिसके लिये तत्कालीन नाजिर श्री संजीव कुमार सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्योति कुमार दीक्षित एवं श्री मुखलाल प्रसाद एवं श्री नरेश कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 57— वर्ष 2011-12 में तेरहवाँ वित्त योजना के धन से नगला सबल मौला सिंग तुइया में श्री वीरेन्द्र सिंह के दरवाजे से अहिवरन सिंह के घर तक सर्पक मार्ग निर्माण कार्य का ठेका ठेकेदार श्री सूरज सिंह को दिया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-649870.00 की स्वीकृति दी गयी। उक्त से सम्बन्धित निम्नांकित आपत्तियाँ पाई गयीं:—

- 1—कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र संख्या-7399/एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिन्दु 01 के अनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डाईग्राम तैयार किया जायेगा एवं तदनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डाईग्राम संलग्न नहीं है।
- 2—ग्राम सभा में सर्पक मार्ग निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।
- 3—सर्पक मार्ग निर्माण कार्य से पूर्व एवं कार्य प्रारम्भ होने के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी।
- 4—पत्रावली में उल्लेख किया गया कि ठेकेदार की 05 प्रतिशत जमानत रु0-32500/-एफ0डी0 क्रमांक-ई0एम0-701758 यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया फतेहगढ़ बंधक की गयी, किन्तु बंधक एफ0डी0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। शेष 05 प्रतिशत जमानत राशि ठेकेदार के प्रथम रनिंग बिल से कटौती की गयी है, जो अनियमित रहा। ठेकेदार की जमा जमानत का लेखा नहीं बनाया गया, जिससे स्पष्ट न हो सका कि ठेकेदार की जमानत जब्त कर ली गयी अथवा उन्हे वापस कर दी गयी।
- 5—ठेकेदार को उक्त कार्य हेतु प्रथम रनिंग बिल द्वारा रु0-80700.00 एवं द्वितीय रनिंग बिल द्वारा रु0-203500.00 कुल रु0-284200.00 का भुगतान किया जा चुका है। किन्तु उक्त निर्माण कार्य में कितना कार्य हुआ है, इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 6—उक्त कार्य अद्यावधि तक अपूर्ण है।

इस प्रकार अधूरे निर्माण कार्य पर रु0-284200.00 व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन अभियन्ता श्री वजीह उददीन एवं तत्कालीन निर्माण लिपिक श्री सर्वेश कुमार यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी एवं तत्कालीन अपर मुख्य

अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव सयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जिला पंचायत फर्रुखाबाद वर्ष 2012-13

प्रस्तर 58- वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराए गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित भुगतान में से रु० 9227.00 वैट, रु० 217280.00 टी०डी०एस० की कम कटौती की गई तथा 201984.00 सेस नहीं काटा गया है जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव एवं तत्कालीन वित्त परामर्शदाता श्री सुशील यादव उत्तरदायी हैं। अतः रु० 428491.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन वित्त परामर्शदाता श्री सुशील यादव से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	योजना का नाम	लेखा परीक्षा अनुसार आगणित वैट	संस्था द्वारा काटा गया वैट	कम काटा गया	लेखा परीक्षा अनुसार आगणित टी०डी० एस०	संस्था द्वारा काटा गया टी०डी० एस०	कम काटा गया	लेखा परीक्षा नुसार आगणित सेस	नहीं काटा गया
1	धुमईया रसूलपुर मजनु के घर से सीताराम के खेत तक	39738.00	39511.00	227.00	22353.00	22127.00	226.00	5681.00	5681.00
2	डनासी मार्ग से नाला शाक्य सम्पर्क मार्ग	18068.00	18068.00	0	10163.00	10118.00	45.00	3835.00	3835.00
3	याकूतगंज दरियावगंज मुख्य मार्ग ईदगाह से जू०स्कूल मार्ग चौंसपुर तक सम्पर्क मार्ग	29915.00	29915.00	0	16752.00	7479.00	9273.00	6725.00	6725.00
4	कुबेरपुर प्रा०पाठ० से पप्पू के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	20524.00	20524.00	0	11494.00	9428.00	2066.00	4832.00	4832.00
5	ग्राम पितौरा में पितौरा सम्पर्क मार्ग सये रविन्द्र माथुर के घर तक	23856.00	23856.00	0	13359.00	13359.00	0	5286.00	5286.00
6	वायमगंज बस स्टैण्ड अताईपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम कला ढोल गिर्द	9050.00	9050.00	0	5068.00	2263.00	2805.00	2144.00	2144.00

	कायमगंज में मजहर खौं के घर तक का कार्य								
7	ग्राम उबरी खेड़ा मकरन्द नगर मार्ग से नगला वसा तक द्वितीय भाग का निर्माण	39402.00	31402.00	8000.00	22064.00	9850.00	12214.00	9169.00	9169.00
8	ग्राम उबरी खेड़ा मकरन्द नगर मार्ग से नगला वसा तक प्रथम भाग का निर्माण	39386.00	39386.00	0	22056.00	9846.00	12210.00	8849.00	8849.00
9	गुलरिया गाँव में डामर रोड से गाँव की प्राथमिक पाठशाला तक सम्पर्क मार्ग	33770.00	33770.00	0	18911.00	8443.00	10468.00	7515.00	7515.00
10	जरारी ईदगाह से कल्लन खौं की मजार तक सम्पर्क मार्ग का शेष भाग द्वितीय	19400.00	19400.00	0	10864.00	5869.00	4995.00	4192.00	4192.00
11	जरारी ईदगाह से कल्लन खौं की मजार तक सम्पर्क मार्ग का शेष भाग प्रथम	30444.00	30444.00	0	17048.00	7611.00	9437.00	6724.00	6724.00
12	शेखपुर मख्दुम दरगाह से पप्पू ड्राइवर के घर तक सम्पर्क मार्ग	13820.00	13820.00	0	7739.00	3455.00	4284.00	3102.00	3102.00
13	पट्टी प्रद्धमन से पीपड़गाँव मंदिर तक	23236.00	23236.00	0	13013.00	11671.00	1342.00	4959.00	4959.00

	सम्पर्क मार्ग द्वितीय भाग								
14	पट्टी प्रद्धमन से पीपडगाँव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग प्रथम भाग	23096.00	23096.00	0	12934.00	10501.00	2433.00	4938.00	4938.00
15	ग्राम दरौरा में सीताराम के मकान से रामनाथ कुदेसिया के मकान तक निर्माण कार्य	12273.00	12273.00	0	6873	3068.00	3805.00	2710.00	2710.00
16	शमसाबाद रोशनाबाद मार्ग से बडी ईदगाह तक सी0सी0 रोड निर्माण	14614.00	14614.00	0	8183.00	3653.00	4530.00	3269.00	3269.00
17	ग्राम दरौरा में सतीश चन्द्र के मकान से बादाम सिंह के मकान तक सी0सी0 निर्माण	10612.00	10612.00	0	5943.00	2653.00	3290.00	2265.00	2265.00
18	जसमई सिरोली मार्ग से कुडनियाँ मार्ग	80537.00	80537.00	0	45101.00	20135.00	24966.00	17922.00	17922.00
19	जरारी ईदगाह से कल्लन खाँ के मजार तक	22899.00	22899.00	0	12824.00	5725.00	7099.00	5032.00	5032.00
20	जसमई सिरोली मार्ग से पटपन नगला सम्पर्क मार्ग	39818.00	39818.00	0	22298.00	9954.00	12344.00	8851.00	8851.00
21	न्वाबगंज फरूखाबाद मार्ग से जोगपुर सम्पर्क मार्ग	7360.00	7360.00	0	4121.00	1840.00	2281.00	1248.00	1248.00
22	प्रतापुर	33920.00	33920.00	0	18996.00	8480.00	10516.00	13230.00	13230.00

	मार्ग से उधरनपुर जू0हा0 स्कूल सम्पर्क मार्ग								
23	शुर्बाद जू0हा0 स्कूल से दादामियाँ की मजार तक सम्पर्क मार्ग	11569.00	11569.00	0	6478.00	2892.00	3586.00	9018.00	9018.00
24	गदनपुर देवरामपुर से मजरा पराई नगला सम्पर्क मार्ग	21807.00	21807.00	0	12212.00	5452.00	6760.00	5174.00	5174.00
25	अमृतपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम तौफक मडैया तक सम्पर्क मार्ग	8148.00	8148.00	0	4563.00	2037.00	2526.00	2037.00	2037.00
26	लभेड़ा करनपुर दत्त नोकारा से मेहत्तर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	25452.00	24452.00	1000. 00	14253.00	6363.00	7890.00	6040.00	6040.00
27	रठौरा मोहददीपुर डामर रोड से कोठी तिराहा सम्पर्क मार्ग	7224.00	7224.00	0	4045.00	1806.00	2339.00	1316.00	1316.00
28	खिमसेपुर ज्योता मार्ग से नगला सूदन सम्पर्क मार्ग	18896.00	18896.00	0	10582.00	4724.00	5858.00	3288.00	3288.00
29	महमदपुर से चन्देला नाला अवशेष भाग	47733.00	47733.00	0	26731.00	11933.00	14798.00	11933.00	11933.00
30	खुदागंज श्रृंगीरामपुर मार्ग से केसरी नगला का अवशेष भाग	30869.00	30869.00	0	17287.00	7717.00	9570.00	7717.00	7717.00
31	पहाड़पुर से शिकारपुर	43944.00	43944.00	0	24608.00	10986.00	13622.00	10986.00	10986.00

	मार्ग का डामरीकरण								
32	खाखरमऊ से कमालुददी नपुर मार्ग का निर्माण कार्य	16090.00	16090.00	0	9010.00	5803.00	3207.00	4022.00	4022.00
33	खाखरमऊ से कमालुददी नपुर प्रथम भाग का निर्माण कार्य	38824.00	38824.00	0	17861.00	11366.00	6495.00	7975.00	7975.00
	योग			9227.00			217280.00		201984.00

प्रस्तर 59— सम्पत्ति रजिस्टर के जाँच में ज्ञात हुआ कि निम्न किराएदारों के नाम बकाया विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, उक्त बकाया के सापेक्ष क्या कार्यवाही की जा रही है, आदि से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त बकाए के सापेक्ष सार्थक प्रयास करते हुए बकाए धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	सम्पत्ति का विवरण किराएदार	बकाया	माँग	प्राप्त धनराशि	शेष
1	मुख्य अधिकारी आवास, श्री रणवीर सिंह अ०मु०अधि०	370.00	—	—	370.00
2	प्राथमिक पाठशाला, संकिसा	7950.00	8310.00	7950.00	8310.00
3	अधूत विद्यालय, चिलांका, कायमगंज नगर पालिका	3831.00	116.40	—	3947.70
4	पैन्ड भवन, कमालगंज, परगना अधिकारी, नगर क्षेत्र, कमालगंज	11088.00	—	—	11088.00
5	अधिकारी आवास, पूर्वी भाग	—	96.00	—	96.00
6	आर०ई०एस० गोदाम	885508.00	35352.00	—	920860.00
7	परि० निदेशक, जि० ग्रा० विकास अभिकरण	—	72456.00	—	72456.00
8	परि० अधि०, नेडा, वैकल्पिक ऊर्जा	208500.00	36000.00	—	244500.00
9	जिला साक्षरता समिति	210567.00	22764.00	—	233331.00
10	पंचस्थानी चुनावालय	27192.00	13596.00	—	40788.00
11	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी	296589.00	23760.00	12384.00	307965.00
12	श्री राहुल शुक्ला (कैण्टीन)	242.00	—	—	242.00
13	कैण्टीन भवन	7093.00	—	—	7093.00
14	दुकान प्रा०पाठ० मोहम्मदाबाद के प्रांगण में	19675.00	4692.00	—	24367.00
15	दुकान प्रा०पाठ० मोहम्मदाबाद के प्रांगण में	27875.00	4692.00	—	32567.00
16	दुकान प्रा०पाठ० मोहम्मदाबाद के प्रांगण में	37359.00	4692.00	—	42051.00
17	अधि० आवास श्री हरिनाथ सिंह नेडा पी०डी०	13520.00	—	—	13520.00
18	दुकान प्रा०पाठ० मोहम्मदाबाद के प्रांगण में	16191.00	4692.00	—	20883.00
19	कैण्टीन भवन	8300.00	—	—	8300.00
20	कैण्टीन भवन का कुछ अंश, फोटो कापी	43500.00	6300.00	—	49800.00
योग					2042534.70

उक्त किराएदारों से वर्ष में कोई वसूली नहीं हो रही है। जोकि गंभीर आपत्ति का विषय है। जिस हेतु श्री मधुकर गुप्ता, तत्कालीन पटल प्रभारी एवं श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन अपर मुख्य

अधिकारी पर दायित्व पर निर्धारित करते हुए विभाग एवं प्रबन्ध का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित किराएदारों से वसूली की कार्यवाही की जाए।

प्रस्तर 60— ठेका रोड, पटरी, तहबाजारी, घटिया घाट, फर्रुखाबाद के लिए 2012-13 में मो० कासिम पुत्र मो० यासिन निवासी भूसा मंडी, फतेहगढ़ को ठेका रू० 460000.00 पर दिया गया जिसके सापेक्ष मात्र रू० 300000.00 ही जमा कराया गया है। रू० 160000.00 अद्धतन जमा नहीं कराया गया है जिसके लिए श्री संजीव कुमार पटल प्रभारी एवं श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेवार हैं। उक्त धनराशि के वसूली हेतु सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 61— ठेका रोड, पटरी तहबाजारी, मसेनी के पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त ठेका श्री आलोक कुमार मिश्र पुत्र श्री राजेन्द्र बाबू मिश्र, पुरानी घटिया घाट, फर्रुखाबाद को रू० 330000.00 में दिया गया था जिसके सापेक्ष रू० 100000.00 जमा कराए जाने का उल्लेख है, जिसका रसीद संख्या व दिनांक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। रू० 230000.00 नहीं जमा कराए जाने हेतु श्री संजीव कुमार पटल प्रभारी एवं श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेवार हैं। उक्त धनराशि के ब्याज सहित वसूली हेतु सार्थक प्रयास किये जाने हेतु विभाग एवं प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 62— ठेका रोड पटरी तहबाजारी, सलेमपुर का ठेका वर्ष 2012-13 में श्री अवधेश पाण्डे पुत्र श्री बलराम पाण्डे, नवदिया, फतेहगढ़ को रू० 70000.00 में दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि रू० 70000.00 के सापेक्ष 40000.00 ही जमा कराए गए, जिससे सम्बन्धित पत्रावली में रसीद संख्या व दिनांक भी पत्रावली में अंकित नहीं हैं। शेष रू० 30000.00 की ब्याज सहित वसूली कर अविलम्ब जिला पंचायत में जमा करायी जानी अपेक्षित है। इस हेतु श्री संजीव कुमार पटल प्रभारी एवं श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेवार हैं।

प्रस्तर 63— ठेका रोड पटरी तहबाजारी, नवाबगंज का ठेका श्री शिवरतन राजपूत पुत्र श्री नन्हें, नगला धोबियान पो०— नवाबगंज को रू० 100000.00 में दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त रकम के सापेक्ष मात्र रू० 50000.00 ही जमा कराए गए। उक्त कम जमर कराए गए रकम हेतु श्री नरेश कुमार यादव तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री संजीव कुमार, पटल प्रभारी जिम्मेवार हैं। अतः शेष रू० 50000.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 64— ठेका रोड पटरी फ़ैजबाग का ठेका श्री विनोद पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता 1/197, हाथी खाना फतेहगढ़ को रू० 40000.00 का दिया गया। जिसके सापेक्ष रू० 20000.00 ही जमा करने का जिक्र पत्रावली में अंकित किया गया है। जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव एवं पटल प्रभारी श्री संजीव कुमार जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 65— वर्ष 2012-13 में तहबाजारी ठेका रोड पटरी कायमगंज का ठेका श्री सुबोध गुप्ता पुत्र श्रीश्याम द्वारा रू० 40000.00 के सापेक्ष रू० 10000.00 ही जमा किया गया है। शेष रकम रू० 30000.00 अभी तक नहीं जमा करायी गयी है, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव एवं पटल प्रभारी श्री संजीव कुमार जिम्मेदार हैं। बकाया धनराशि के ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 66— ठेका रोड पटरी जसमई दरवाजा का ठेका वर्ष 2012-13 में श्री सुदेश कुमार यादव पुत्र श्री रामऔतार यादव, गढ़ी असरफ अली, रेलवे क्रॉसिंग, फर्रुखाबाद को रू० 54500.00 में दिया गया, जिसके सापेक्ष रू० 30000.00 जमा किए जाने का उल्लेख पत्रावली में अंकित हैं। शेष रू० 24500.00 की ब्याज सहित वसूली कर अविलम्ब जमा कराए जाने हेतु प्रबन्ध एवं विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव एवं पटल प्रभारी श्री संजीव कुमार जिम्मेदार हैं।

प्रस्तर 67— वर्ष 2012-13 में कुल अनुदान प्राप्त रू० 13240547.00 दर्शित है जिसमें जिला निधि अनुदान की श्रेणी में नहीं आता है, उक्त रकम को घटाने के बाद रू० 3638551.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष कुल

अनुदान के उपभोग रु0 47425522.00 में रु0 17650808.00 (जोकि जिला निधि का है) घटाने के बाद रु0 29774714.00 का उपभोग होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नियमतः अपर मुख्य अधिकारी द्वारा उपभोग की प्रमाण पत्र जो कि शासन द्वारा विहित प्रपत्र 42-1(नियम पैराग्राफ 369-11 आएफ 11बी-वॉल्यूम -V, पार्ट 1½ निर्गत नहीं की गई या की गई तो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त का विहित प्रपत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में समस्त धनराशि का दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव पर निर्धारित किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 68—आलोच्य वर्ष में बजट के सापेक्ष अधिक व्यय किया गया है, नियमानुसार पुनरीक्षित बजट पास कराकर व्यय किया जाना चाहिए। कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पुनरीक्षित बजट पास किया गया या नहीं। तालिका अनुसार निम्नविवरणानुसार अधिक व्यय किया गया है जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव एवं पटल प्रभारी श्री सुशील यादव तत्कालीन वित्त परामर्शदाता जवाबदेह हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आंकड़े (लाख रु0 में)

क्र0 सं0	मद	बजटानुसार	वास्तविक व्यय	अन्तर	कम	अधिक
क.	अन्य भत्ता	2.29	2.62	0.33	—	0.33
ख.	मोटर गाड़ी अनुरक्षण पर व्यय	8.00	9.09	1.09	—	1.09
ग.	केन्द्रिय संक्रम्य संवर्ग की पेंशन	20.00	29.60	9.60	—	9.60
घ.	अकेन्द्रिय संक्रम्य संवर्ग की पेंशन	20.00	36.02	16.02	—	16.02
योग		50.29	77.33	27.04	—	27.04

जिला पंचायत फर्रुखाबाद वर्ष 2013-14

प्रस्तर 69— वर्ष 2013-14 के जिला निधि के व्यय पक्ष में प्रमाणक संख्या 3 के अनुसार वेतन मुख्य अनुभाग माह अप्रैल 2013 रु0 192215.00 अंकित है जबकि वाउचर के अनुसार यह राशि रु0 195455.00 है। वेतन बिल पंजिका के माह अप्रैल 2013 में अवर अभियन्ता की शीतला प्रसाद शर्मा को मूल वेतन रु0 13510.00 के स्थान पर मूल वेतन रु0 16750.00 निर्गत कर दिया गया। इसी कारण अन्तर की धनराशि रु0 3240.00 जोकि अधिभार के अन्तर्गत आती है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री शीतला प्रसाद शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 70— दिनांक 12.03.2014 के क्रम में जिला निधि के व्यय पक्ष में प्रमाण संख्या 3 द्वारा श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री बद्री प्रसाद के वाहन संख्या (एम्बेस्डर कार) यूपी 32-डीडब्ल्यू 9093 से सम्बन्धित किराया रु020000.00 उपर्युक्त को भुगतान किया गया जो कि अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत श्री तहसीन सिद्दीकी के प्रयोगार्थ लायी गई। परन्तु सम्बन्धित वाउचर अनुपलब्ध है। अतः यह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री राजेन्द्र सिंह गौर एवं लेखाकार श्री अजय अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 71— दिनांक 19.05.2013 को जिला पंचायत के प्रयोगार्थ किराये पर लिए गये वाहन बोलेरो वाहन संख्या यूपी 76एन-3406 में भराये गये 30 लीटर डीजल से सम्बन्धित बिल/कूपन संख्या 2093/4100 पर अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः भुगतान रु0 1042.00 अनियमित है। स्थिति अस्पष्ट होने के कारण यह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 72— दिनांक 09.07.2013 को जिला पंचायत के प्रयोगार्थ जनरेटर में भराये गये डीजल संबंधी भुगतान की संलग्न पर्चियों (कटियार फिलिंग स्टेशन की) पर अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः भुगतान रु0 9832.00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। इस धनराशि को अपहरण की श्रेणी में मानते हुए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 73—जिला पंचायत फर्रुखाबाद के अध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ किराये पर ली गई एम्बेस्टर कार वाहन संख्या यूपी 32—डीडब्ल्यू 9093 में भराये गये पेट्रोल का कुल भुगतान रु0 17528.00 दिनांक 09.07.2013 को एच0एस0ए0 फिलिंग कमालगंज को किया गया। परन्तु लेखा परीक्षानुसार संबंधित बिलों/कूपनों में से 627/47747 व 628/47998 पर तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव के हस्ताक्षर होने के कारण भुगतान अपुष्ट रहा। अपुष्टित का कारण अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 74— दिनांक 02.05.2013 को वर्ष 2013-14 के जिला निधि रजिस्टर के प्रमाणक संख्या 12 के अनुसार श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल अधिवक्ता को प्रतिमाह रु0 750.00 की दर से 14 माह का कुल रु0 10500.00 का भुगतान किया गया परन्तु संबंधित मूल प्रमाणक अनुपलब्ध रहने के कारण भुगतान अपुष्ट रहा। इसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव एवं लेखाकार श्री अजय अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 75—जिला पंचायत के वर्ष 2013-14 के रसीदों (प्रपत्र-5) से जिला निधि की कैशबुक से जाँच में पाया गया कि निम्नांकित रसीदों से जमा धनराशि की प्रतिष्ठि जिला निधि के आय पक्ष में अंकित नहीं की गई है। उपर्युक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव एवं लेखाकार श्री अजय अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	रसीद संख्या	दिनांक	धनराशि
1	2839/41	17.06.2013	100000.00
2	2840/44	14.07.2013	1020.00
योग			101020.00

प्रस्तर 76—आलोच्य वर्ष की रसीद बुक से जिला निधि की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि कतिपय तिथियों में चेक द्वारा बैंक में धनराशि जमा की गई है और रसीद भी कटी है किन्तु कैशबुक में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः स्थिति अस्पष्ट रही। यह संपूर्ण धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, एवं श्री शिशुपाल सिंह यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	रसीद संख्या	दिनांक	जिला निधि खा० सं० (यूनियन बैंक)	धनराशि	चेक संख्या	चेक की दिनांक	संबंधित बैंक व शाखा
1	2850/35	31.03.2014	1888	10000.00	019299	27.03.2014	बी०ओ०बी० फर्रुखाबाद
2	2840/43	25.07.2013	1888	4000.00	000917	12.07.2013	सेंट्रल बैंक फर्रुखाबाद
3	2840/45	01.08.2013	1888	7000.00	082823	18.07.2013	सेंट्रल बैंक फर्रुखाबाद
4	2840/46	01.08.2013	1888	2000.00	082824	18.07.2013	सेंट्रल बैंक फर्रुखाबाद
5	2846/68	01.03.2014	1888	10000.00	005004	25.02.2014	यूनियन बैंक फर्रुखाबाद
6	2846/77	31.03.2014	1888	10000.00	000347	27.03.2014	सेंट्रल बैंक फतेहगढ़
7	2846/79	31.03.2014	1888	7000.00	075813	27.03.2014	सेंट्रल बैंक फतेहगढ़
8	2839/15	17.04.2013	1888	7050.00	082091	01.04.2013	सेंट्रल बैंक फर्रुखाबाद
9	2839/24	16.05.2013	1888	7100.00	116470	05.05.2013	सेंट्रल बैंक फतेहगढ़
10	2839/53	01.08.2013	1888	2000.00	082825	18.07.2013	सेंट्रल बैंक फर्रुखाबाद

11	2848 / 32	01.03.2014	1888	2000.00	005006	25.02.2014	यूनियन बैंक फर्रुखाबाद
12	2846 / 69	01.03.2014	1888	2000.00	005005	25.02.2014	यूनियन बैंक फर्रुखाबाद
13	2848 / 34	01.03.2014	1888	10000.00	000943	26.02.2014	यूनियन बैंक फर्रुखाबाद
योग				80150.00			

प्रस्तर 77— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से निम्नांकित विवरणानुसार ठेकेदार श्रीमती मीना बेगम को भुगतान किया गया परंतु आयकर व वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार न करके कम की गई है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	नगला दाउद में अलीशेर के मकान से मस्जिद तक सी०स० निर्माण कार्य	143.00	255.00
2	पैगामे हक हायर सेकेंड्री स्कूल कमालगंज नगला दाउद सम्पर्क मार्ग	19.00	35.00
3	मौलाना आजाद हायर सेकेंड्री स्कूल कमालगंज नगला दाउद सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	19.00	33.00
4	कमालगंज में ग्राम शेखपुर में अन्दर मुख्य मार्ग से शेख मकदूम दरगाह गेट तक सी०सी० निर्माण कार्य	193.00	345.00
5	राजेपुर मुख्य मार्ग से राजेपुर राठौरी संपर्क मार्ग का शेष भाग, सी०सी० व पुलिया निर्माण	99.00	177.00
6	गदनपुर तुरा में महिपाल बाल्मीकि के दरवाजे मिडियाबाबा मंदिर तक सी०स० निर्माण कार्य	137.00	246.00
7	अमानाबाद से चिलसरा संपर्क मार्ग निर्माण	195.00	350.00
8	शेखपुर रुस्तमपुर में यूसुफ नाई के घर से महेश नेता के मकान तक सी०स० निर्माण कार्य	177.00	305.00
9	नसीम के दरवाजे से पंचायत घर होते हुए दरगाह तक सी०सी० निर्माण	202.00	361.00
10	ग्राम भडौसा उसीम प्रधान के घर से सगीर प्रधान के घर तक सी०सी० निर्माण	136.00	241.00
11	शुबाद मोबीन के घर से असलम के घर तक सी०सी० निर्माण	134.00	239.00
12	शेखपुर अमानाबाद मार्ग से जीरागौर रोड तक पेंटिंग कार्य	205.00	367.00
13	ग्राम भडौसा न्यामत नगर का शेष भाग सी०सी० निर्माण	107.00	192.00
योग		1766.00	3146.00
कुल योग		4912.00	

प्रस्तर 78— आलोच्य वर्ष में तेरहवां वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से निम्नांकित विवरणानुसार ठेकेदार श्रीमती मीना बेगम को भुगतान किया गया परंतु आयकर व वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार न करके कम की गई है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

क्र०सं०	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	ग्राम निनौरा में 200मी० मार्ग निर्माण कार्य	284.00	313.00
2	चाचूपुर कड़हर मार्ग से ग्राम लभेड़ा की मड़ैया में सी०सी० निर्माण कार्य	82.00	—

3	अमृतपुर बदायूँ मार्ग से ग्राम गूजरपुर में सी0सी0 निर्माण कार्य	133.00	237.00
4	मुख्य सड़क से ग्राम दुर्जन पुरवा तक सी0सी0 निर्माण कार्य	113.00	202.00
5	रजीपुर उधरनपुर मार्ग से भगुआ नगला मंदिर तक संपर्क मार्ग शून्य से लेपन स्तर तक	155.00	275.00
6	भरहेपुर कड़हर मार्ग से परमनगर महमदगंज तक सी0सी0 निर्माण कार्य	118.00	212.00
7	ग्राम जरारी, कमालगंज उधरनपुर-रजीपुर मार्ग होते हुए तिराहे से प्रतीक्षालय की ओर नाला निर्माण कार्य	105.00	182.00
8	कटारन नगला से राजेपुर सरायमेदा संपर्क मार्ग	203.00	360.00
9	राजस्व ग्राम बम्मेरा मलिक पट्टी मजरा बड़ेरा संपर्क मार्ग (शून्य से पी0सी0 स्तर तक) निर्माण कार्य	198.00	393.00
10	वि0खं0 कमालगंज जहाँगीरपुर में आफाक खाँ के कयूम के दरवाजे तक सी0सी0 निर्माण	170.00	302.00
11	नसरतपुर में मुख्य मार्ग से बस्ती तक सी0सी0 मार्ग	208.00	372.00
12	रजीपुर में हुए तिराहे से ट्यूबवेल तक मार्ग निर्माण कार्य	164.00	294.00
13	वि0खं0 शमसाबाद में फजलेगंज से ग्राम ममापुर फाटक तक संपर्क मार्ग	197.00	350.00
योग		2130.00	3452.00
कुल योग		5582.00	

प्रस्तर 79— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से मेसर्स एस0आर0 कन्स्ट्रक्शन भूडनगरिया फतेहगढ़ निम्नांकित विवरणानुसार आयकर व वाणिज्य कर की कम कटौती की गई है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	जहानगंज मोहम्मदाबाद मार्ग पर बेंचेलाल के मकान से मतबूल के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य	160.00	284.00
2	कंधरापुर में प्राथमिक विद्यालय मार्ग शरकाबाद मार्ग से मन्दिर तक संपर्क मार्ग	160.00	284.00
3	जहानगंज मार्ग से ग्राम सभा दानमंडी का जीर्णोद्धार कार्य	188.00	334.00
4	देवधरापुर नगरिया मुख्य मार्ग से ग्राम देवधरापुर में मेवाराम वर्मा के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	85.00	151.00
5	रठौरा नगला नींव में अवशेष भाग निर्माण	48.00	86.00
6	ग्राम सभा पतौजा में अवशेष सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	113.00	202.00
7	फतेहगढ़ जहानगंज मार्ग से पकरिया संपर्क मार्ग निर्माण	196.00	352.00
8	जहानगंज मार्ग से चके नगला संपर्क मार्ग निर्माण	176.00	312.00
योग		1126.00	2005.00
कुल योग		3131.00	

प्रस्तर 80— आलोच्य वर्ष में तेरहवां वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से मेसर्स एस0आर0 कन्स्ट्रक्शन, भूडनगरिया फतेहगढ़ निम्नांकित विवरणानुसार आयकर व वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार कम की गई है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	जहानगंज मोहम्मदाबाद रोड से ग्राम पतौजा तक सी0सी0	93.00	164.00

	निर्माण कार्य		
2	राजस्व ग्राम रठौरा नगला नीवमजर नगला संपर्क मार्ग (शून्य से पी0सी0 स्तर तक)	192.00	342.00
3	फतेहगढ़ गुरसहायगंज मार्ग पर आजाद नगर से बहेलियन नगला वाया नौखंडा होते हुए गनपाती राम की समाधि तक संपर्क मार्ग (शून्य से पी0सी0 स्तर तक) भाग-एक	195.00	347.00
4	फतेहगढ़ गुरसहायगंज मार्ग पर आजाद नगर से बहेलियन नगला वाया नौखंडा होते हुए गनपाती राम की समाधि तक संपर्क मार्ग भाग-दो	194.00	346.00
5	फतेहगढ़ गुरसहायगंज मार्ग पर आजाद नगर से बहेलियन नगला वाया नौखंडा होते हुए गनपाती राम की समाधि तक संपर्क मार्ग भाग-तीन	191.00	340.00
6	रसीदपुर संपर्क मार्ग (शून्य से पी0सी0 स्तर तक) निर्माण कार्य	182.00	325.00
7	फतेहगढ़ जहानगंज मार्ग से पकरिया संपर्क मार्ग निर्माण कार्य	189.00	337.00
योग		1136.00	2201.00
कुल योग		3437.00	

प्रस्तर 81— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से श्रीमती तारा बेगम को निम्नांकित विवरणानुसार आयकर व वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार न करके भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	चन्दा फौजी के मकान से जामा मस्जिद तक सी0सी0 निर्माण कार्य	181.00	324.00
2	ग्राम कुबेरपुर में अन्नेखां के मकान से कस्तूरबा स्कूल तक सी0सी0 निर्माण कार्य	202.00	361.00
3	ग्राम जरारी सईद के पी0सी0ओ0 से नसीम चौधरी के मकान तक सी0सी0 निर्माण	64.00	114.00
योग		447.00	799.00
कुल योग		1246.00	

प्रस्तर 82— आलोच्य वर्ष 2013-14 में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से श्रीमती तारा बेगम को निम्नांकित विवरणानुसार आयकर व वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार न करके भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	ईसापुर में मेनरोड से प्यारे जाटव के मकान तक सी0सी0 गली निर्माण	135.00	242.00
2	ग्राम ईसापुर जरारी रोड से बब्लू के मकान होते हुए कब्रिस्तान तक सी0सी0 मार्ग	67.00	119.00
योग		202.00	361.00
कुल योग		563.00	

प्रस्तर 83—उपर्युक्त आपत्तियों की भांति आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग अनुदान से ठेकेदार श्री संजीव कुमार वर्मा, श्री आशाराम शुक्ला, श्री बलराम सिंह यादव, श्रीमती सुमन कुमारी, श्री सुशील कुमार मिश्र एवं श्री सुनील सिंह राठौर द्वारा क्रमशः आठ, एक, दो, एक, एक एवं दो कार्य कराये गये तथा इन ठेकेदारों को भुगतान करते समय आयकर व वाणिज्य कर की धनराशि कम काटी गई। अतः अंतर की धनराशि जो क्रमशः रू0 4222.00, रू0 491.00, रू0 607.00, रू0 579.00, रू0 549.00 एवं रू0 2074.00 (कुल धनराशि 8522.00) बनती है, की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा

की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

क्र०सं०	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	ग्राम पुराना गनीपुर में अजय दीक्षित के होटल से कन्या जू०हा० स्कूल तक सी०सी० निर्माण कार्य (श्री संजीव कुमार वर्मा)	201.00	357.00
2	भरतपुर में डामर रोड से अजय पाल सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य (श्री संजीव कुमार वर्मा)	159.00	284.00
3	ग्राम सभा जिराऊ में कोठी नगला में वीरपाल के दरवाजे से आराम सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण (श्री सुनील सिंह राठौर)	296.00	—
4	गांधी पार्क का जीर्णोद्धार कार्य (श्री संजीव कुमार वर्मा)	162.00	291.00
5	फरुखाबाद सिरोली मार्ग से दनियापुर संपर्क मार्ग निर्माण (श्री संजीव कुमार वर्मा)	200.00	358.00
6	मोहम्मदाबाद नवाबगंज मार्ग से जसमापुर संपर्क मार्ग निर्माण (श्री संजीव कुमार वर्मा)	196.00	348.00
7	चिलसरा से सिरमौरा संपर्क मार्ग निर्माण (श्री संजीव कुमार वर्मा)	204.00	365.00
8	आंकलगंज सत्यदेव के कमान से बाबरपुर पंचायत घर तक डामर रोड व नाली निर्माण कार्य (श्री संजीव कुमार वर्मा)	192.00	340.00
9	बेलासरायगजा में मुख्य मार्ग से गन्ना सेन्टर तक संपर्क मार्ग (श्री आशाराम शुक्ला)	176.00	315.00
10	मदनपुर मजरा उगरपुर संपर्क मार्ग का शेष भाग (श्री बलराम सिंह यादव)	45.00	81.00
11	गुलाल नगला संपर्क मार्ग का शेष भाग (श्री बलराम सिंह यादव)	173.00	308.00
12	जिला पंचायत गेट से डाकघर संपर्क मार्ग का जीर्णोद्धार (श्रीमती सुमन कुमारी)	208.00	371.00
13	संकिसा मार्ग से पुनपालपुर संपर्क मार्ग निर्माण (श्री सुशील कुमार मिश्र)	197.00	352.00
14	ग्राम भरखा में फतेह सिंह के मकान से सलेमपुर मुख्य मार्ग तक सी०सी० निर्माण कार्य (श्री सुनील सिंह राठौर)	1464.00	414.00
15	नगला हूसा में पेट्रोल पम्प के पास से डबल पुलिया एवं नाला निर्माण (श्री संजीव कुमार वर्मा)	203.00	362.00
योग		3976.00	4546.00
कुल योग		8522.00	

प्रस्तर 84— आलोच्य वर्ष 2013-14 में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से ठेकेदार श्री संजीव कुमार वर्मा को निम्नांकित विवरणानुसार आयकर व वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार न करके भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

क्र०सं०	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	शिकारपुर डामर रोड से पूर्व मा०वि० रूपपुर मंगलीपुर तक संपर्क मार्ग	60.00	212.00
2	जहानगंज मार्ग से बरूआ नगला संपर्क मार्ग	481.00	859.00
योग		541.00	1071.00
कुल योग		1612.00	

प्रस्तर 85— आलोच्य वर्ष में 2013-14 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान से कराये गये कार्यों से ठेकेदार श्री सुनील सिंह राठौर को निम्नांकित विवरणानुसार आयकर व वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार कम की

गई है। इस प्रकार अंतर की धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं 0	कार्य का नाम	आयकर जो कम काटा गया	वाणिज्य कर जो कम काटा गया
1	ग्राम सभा बराबिकू नगला शम्भू में सी०सी० निर्माण कार्य	143.00	258.00
2	ब्लॉक गेट से हनुमान मंदिर तक मिट्टी व सी०सी० कार्य	31.00	(-) 5.00
3	मऊरशीदाबाद स्कूल से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य	71.00	127.00
4	ग्राम सभा जिराऊ में कोठी नगला में वीरपाल के दरवाजे से आराम सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण	296.00	0.00
योग		541.00	380.00
कुल योग		921.00	

प्रस्तर 86— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत श्रीमती तारा बेगम द्वारा ग्राम कुबेरपुर में अन्नेखां के मकान से कस्तूरबा स्कूल तक सी०सी० निर्माण कार्य में भुगतान करते समय 1 प्रतिशत की दर से श्रम उपकर की कटौती न करके रु० 145.00 कम काट कर भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार इस धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 87— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत श्रीमती मीना बेगम द्वारा शेखपुर रूस्तमपुर यूसुफ नाई के घर से महेश नेता के मकान तक सी०सी० निर्माण कार्य में भुगतान करते समय 1 प्रतिशत की दर से श्रम उपकर की कटौती न करके रु० 80.00 कम काट कर भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार इस धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 88— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग अनुदान से कराये गये निम्नांकित कार्यों में मिट्टी पुराई का कार्य भी किया गया है परंतु निर्धारित रु० 14.00 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है—

क्र०सं 0	पत्रावली सं०	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	मिट्टी की माप (घन मी० में)	रॉयल्टी की धनराशि
1	05	मे० एस० आर० कन्स्ट्रक्शन	जहानगंज मार्ग से ग्राम सभा दानमंडी का जीर्णोद्धार कार्य	487.37	6823.00
2	15	श्री बराम सिंह यादव	मदनपुर मजरा उगरपुर संपर्क मार्ग का शेष भाग	228.84	3204.00
3	34	श्रीमती मीना बेगम	चाचूपुर कड़हर मार्ग से ग्राम लभेड़ा की मड़ैया में सी०सी० निर्माण कार्य	315.22	4413.00
4	46	श्रीमती मुन्नी देवी	याकूतगंज दरियावगंज मुख्य मार्ग ईदगाह से जू०हा० स्कूल चौंसपुर तक संपर्क मार्ग	407.54	5706.00
5	54	श्री गणेश प्रसाद	ढिलावल में मार्ग निर्माण मेन रोड से बस्ती तक	492.75	6899.00
योग					27045.00

इस प्रकार रु० 27045.00 की रॉयल्टी की कटौती न करके राजकीय कोष को क्षति पहुँचाई गई। अतः इस धनराशि को ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 89—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 सेक्शन 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव से जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु0 9857001.00 का निर्माण काय कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	नगला दाउद में अलीशेर के मकान से मस्जिद तक सी०सी० निर्माण कार्य	687811.00
2	ग्राम पुराना गनीपुर में अजय दीक्षित के होटल से कन्या जू०हा० स्कूल तक सी०सी० निर्माण कार्य	959264.00
3	गदनपुर तुरा में महिपालन बाल्मीकि के दरवाजे मिड़ियाबाबा मंदिर तक सी०सी० निर्माण कार्य	740623.00
4	ग्राम सभा पतौंजा में अवशेष सी०सी० मार्ग निर्माण कार्य	542672.00
5	शेखपुर रुस्तमपुर में यूसुफ नाई के घर से महेश नेता के मकान तक सी०सी० निर्माण कार्य	849255.00
6	ग्राम निनौरा में 200 मी० मार्ग निर्माण कार्य	766862.00
7	ग्राम जहाँगीरपुर में आफाकखाँ के कयूम के दरवाजे तक सी०सी० निर्माण	813877.00
8	ग्राम अताईपुर जदीद मस्जिद से हसीन मियाँ के घर होते हुए बाबू मियाँ के घर तक सी०सी० मार्ग	943586.00
9	ग्राम कुईयाँ विकास खण्ड राजेपुर में सुआलाल के मकान से राजेश पाठक के मकान तक सी०सी० कार्य	767658.00
10	शुबाद मोबीन के घर से असलम के घर तक सी०सी० निर्माण	645009.00
11	ग्राम सभा जिराऊ में कोठी नगला में वीरपाल के दरवाजे से आराम सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण	816888.00
12	ग्राम अताईपुर वि०ख० कायमगंज में इदरीश निजामी के घर के सामने सी०सी० एवं नाली क्रास आदि कार्य	674070.00
13	ग्राम भड़ौसा उसीम प्रधान के घर से सगीर प्रधान के घर तक सी०सी० निर्माण	649426.00
योग		9857001.00

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 सेक्शन 33(2) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत जिला सड़कों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का कार्य उक्त धारा द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179 (02) (ए) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय गंभीर आर्थिक अनियमितता के अन्तर्गत आता है, जिसके लिए बैठक में उपस्थित जिला पंचायत के सदन के तत्कालीन समस्त माननीय सदस्य एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 90— आलोच्य वर्ष में पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी में रु0 307122.00 की आय हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 1054 मृ० पशु 33—03—61/76 दिनांक 21.02.1976 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार धनराशि 153561.00 की गंभीर आर्थिक अनियमितता की गई जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव तथा श्री राजेन्द्र सिंह गौर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 91— आलोच्य वर्ष 2013—14 में जिला पंचायत की जिला निधि कैशबुक में रु0 78052.00 स्टेशनरी व्यय दर्शित है तत् संबंधी स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिस कारण व्यय अपुष्ट रहा। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, नाजिर श्री संजीव सिंह एवं लेखाकार श्री अजय अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 92— आलोच्य वर्ष 2013-14 में राजकीय अनुदानों से ब्याज के रूप में ₹0 6181712.00 की आय अर्जित हुई है। अर्जित आय को जिला पंचायत ने राजकीय कोष में जमा न करके अनियमित रूप से अपने व्यवसाय में शामिल कर तत्संबंधी शासनादेश का उल्लंघन किया है। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुशील यादव तथा श्री राजेन्द्र सिंह गौर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रारूप-2

जनपद-कन्नौज

मण्डल - कानपुर

जनपद कन्नौज में स्थित जिला पंचायत में लेखा परीक्षा दौरान अधिभार योग्य पाये गये प्रस्तर

प्रस्तर सं0-1 दिनांक 31.03.16 को मृत पशु शव निस्तारण ठेका नीलामी का निम्न धन वसूली हेतु शेष रहा ।

क्रम सं0	नाम व्यक्ति	वर्ष	धनराशि
1	श्री नरेश सभापति, जलालाबाद	1998-99	13000.00
2	मो.आबिद	1998-99	9212.00
3	श्री अब्दुल शहीद पुत्र रहीमबक्श, छिबरामऊ	1998-99	2000.00
4	श्री अब्दुल हमीद पुत्र मौलाबक्श, कन्नौज	1998-99	33700.00
5	श्री सुभाष चन्द्र, उमर्दा	1998-99	4986.00
6	श्री नवीहसन उर्फ बबू पुत्र बाबू हसन, तालग्राम	2000-01	7000.00
7	मो. शहीद उर्फ पप्पू फवरी, कन्नौज	2001-03	30000.00
8	मेदनलाल पुत्र कल्लू उमर्दा	2002-03	4250.00
9	सुरेन्द्र कुमार पुत्र कालीचरण उमर्दा	2002-03	6920.00
10	हारुन पुत्र अब्दुल हमीद कन्नौज	2002-03	36000.00
11	मो. हाशीम पुत्र अब्दुल हमीद कन्नौज	2003-04	40000.00
12	मो. आविद हसेरन	2003-04	5000.00
13	मो. शाफिक छिबरामऊ	2004-05	2500.00
14	वासिम पुत्र अब्दुल अनीस कन्नौज	2004-05	8000.00
15	आसिफ पुत्र अब्दुल हमीज कन्नौज	2005-06	16000.00
16	हसीन पुत्र रसीद, हसेरन	2006-07	5000.00
17	सुरेन्द्र कुमार पुत्र कालीचरण उमर्दा	2008-09	13700.00
18	इमरान पुत्र भोले छिबरामऊ	2010-11	6000.00
19	वीर पाल पुत्र इतवारी तालग्राम	2011-12	15000.00
20	जुनेद पुत्र रुआव खां, हसेरन	2011-12	5000.00
21	रमेशचंद जाटव पुत्र लल्लू सिंह, सौरिख	2011-12	1000.00
22	मुस्ताक पुत्र सफी	2012-13	12000.00
23	मो. हनिफ सभापति में0 आ0 व0 श0 औ0 उप0 सह0 स0 लि0 , जलालाबाद	2014-15	73100.00
24	श्री मुन्ना पुत्र रुआव, हसेरन	2015-16	16500.00
		योग	365868.00

जिला पंचायत के कार्मिकों की निष्क्रियता अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण जिला पंचायत की उक्त धनराशियां वसूली हेतु शेष पड़ी हुई हैं और जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही हैं। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत हित में नहीं हैं। उक्त धनराशियों की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि ₹.365268 की वसूली न होने के लिये तत्कालीन पटल अधिकारी, वसूली कर्ता एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(आ0सं0-04)

प्रस्तर सं0-2 वर्ष 2015-16 में मृत पशु शव निस्तारण पंजिका के अनुसार रु.424700.00 वसूल किया गया। शासनदेश संख्या-2203/33.02.97/43वीं/81/95 टी.सी दिनांक 30/05/97 के अनुसार इसका आधा 212350.00 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से लौटाया जाना चाहिये,इसे लौटाया नहीं गया। इस अनियमितता के लिये लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम शर्मा उत्तरदायी रहे।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-05)

प्रस्तर सं0-3 दिनांक 31.03 16 को नौका घाट ठेका नीलामी का निम्न धन वसूली हेतु शेष रहा।

क्रम सं0	नौका घाट का नाम	बकाया धन	बकाया वर्ष
1	जलेसर	1137.00	1949-50
2	कुसुम खोर	423.28	1949-50
3	राजघाट	953.35	1952-53
4	जलेसर	5681.00	1955-56
5	राजघाट	5608.00	1955-56
6	जलेसर	21859.00	1959-60
7	कुसुम खोर	8475.00	1959-60
8	राजघाट	2088.00	1961-62
9	दाईपुर	666.00	1961-62
10	दाईपुर	1551.00	1962-63
11	जलेसर	1968.71	1968-69
12	जलेसर	250.00	1968-69
13	कुसुम खोर	42866.00	1971-72, 1973-74
14	दाईपुर	3000.00	1975-76, 1976-77
15	कपूरापुर	800.00	1989-90
16	धोभी घाट	205.00	1990-91
17	दाईपुर	8000.00	1994-95
18	धोभी घाट	11000.00	1994-95
19	धोभी घाट	18000.00	1995-96
20	डहेलपुर	19750.00	1995-96
21	जलेसर	9000.00	1995-96
22	धोभी घाट	8200.00	1996-97
23	कुसुम खोरद	1100.00	1998-99
24	तहसीपुर	31000.00	1998-99
25	कुहलापुर	216667.00	1999 से 2001-02
26	सददुपुर	1000.00	1999 से 2001-02
27	चियासर	70000.00	2012-13
28	दाईपुर	2500.00	2012-13
29	चियासर श्री सतीश पत्र कप्तान	25000.00	2013-14
	योग	518748.34	

जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण जिला पंचायत की उक्त धनराशियां वसूली हेतु शेष पड़ी हुई हैं और जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही हैं। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत हित में नहीं हैं। उक्त धनराशियों की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि रु.518748.34 की वसूली न होने के लिये तत्कालीन पटल अधिकारी, वसूली कर्ता एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-06)

प्रस्तर सं0-4 दिनांक 31.03 16 को हाट बाजार एवं तहबाजारी का निम्न धन वसूली हेतु शेष रहा।

क्रम सं0	नाम बाक्येदार	पटरी का नाम	वर्ष	धनराशि
1	श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी	प्रेमवर	2007-08	33000.00
2	श्री सुरेश पुत्र गुरुदयाल	इंदरगढ मजुरिया	2008-09	23000.00
3	श्री शमशाद	जलालाबाद	1998-99	1000.00

4	श्री सत्य प्रकाश पुत्र मेवासन	हसेरन	2009-10	3500.00
5	श्री शैलेन्द्र कुमार	घिलोई	2009-10	1750.00
6	श्री अरविद जाटव	विशुनगढ	2010-11	7000.00
7	कश्मीर सिंह	सराय प्रयाग	2010-11	46000.00
8	रमेश चन्द	सराय प्रयाग	2011-12	100000.00
				215250.00

जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण जिला पंचायत की उक्त धनराशियां वसूली हेतु शेष पड़ी हुई हैं और जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही हैं। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं हैं। उक्त धनराशियों की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि रु0 215250.00 की वसूली न होने के लिये तत्कालीन पटल अधिकारी, वसूली कर्ता एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं।

(आ0सं0-07)

प्रस्तर सं0-5 दिनांक 31.03 16 को मत्स्य आखेट ठेका नीलामी का निम्न धन वसूली हेतु शेष रहा -

क्रम0 सं0	नाम बाक्येदार	पटरी का नाम	वर्ष	धनराशि
1	त्रिलोकी नाथ	असौलिया से वरके गाँव	1997-98	10000.00
2	सुरेन्द्र नाथ	बाराम से चांदपुर	1998-99	5250.00
3	सुरेन्द्र नाथ	फराहरन गंगा नदी	1998-99	3400.00
4	सुरेन्द्र नाथ	गौरी बांगर से जलेसर	1998-99	12000.00
5	अल्ताफ हुसैन	गौरी बांगर से जलेसर	2006-07	32000.00
6	श्रमवीर	असौलिया से वरके गाँव (गंगा नदी)	2007-08	20000.00
7	नफीसुल	असौलिया से वरके गाँव(काली नदी)	2007-08	100.00
8	वसीनूर अली	गौरी बांगर से जलेसर	2008-09	20700.00
9	वसीनूर अली	असौलिया से वरके गाँव	2008-09	21000.00
10	वीरेन्द्र कुमार	दानियापुर से मेंहदीपुर	2009-10	8000.00
11	खुशीद अलाम	असौलिया से वरके गाँव	2009-10	10000.00
12	रमेश चन्द	पांडु नदी	2010-11	5000.00
13	श्रामपाल	दानियापुर से मेंहदीपुर	2010-11	5000.00
14	श्री वीरेन्द्र कुमार	दानियापुर से मेंहदीपुर	2012-13	20500.00
15	बलवीर सिंह पुत्र कामता प्रसाद	कल्सना से दाईपुर गंगा नदी	2013-14	5000.00
16	श्री कृष्ण पुत्र उमाशंकर	वीलमपुर से नीचे औरैया बॉर्डर रिन्द नदी	2013-14	7500.00
17	विनीत कुमार पुत्र हरीश चन्द्र	दानियापुर से मेंहदीपुर	2015-16	15500.00
		योग		200950.00

जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण जिला पंचायत की उक्त धनराशियां वसूली हेतु शेष पड़ी हुई हैं और जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही हैं। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं हैं। उक्त धनराशियों की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि रु.200950.00 की वसूली न होने के लिये तत्कालीन पटल अधिकारी, वसूली कर्ता एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-08)

प्रस्तर सं0-6 जिला पंचायत कन्नौज की लाइसेंस शुल्क, माँग वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस जारी नहीं किये और न ही उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया। इस प्रकार इन (संस्थाओं) कोल्ड स्टोरेज दिनांक 31.03.16 को निम्नवत लाइसेंस शुल्क बकाया रहा।

क्रम सं0	संस्था/कोल्ड स्टोरेज का नाम/पता	धनराशि
1	मे0 आशीवाद कोल्ड प्रा0लि0 नजरापुर प्रो. श्रीकृष्ण नारायण	5000.00
2	मे0 मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज	5000.00

3	मे0 हिन्दुस्तान होटल (कोल्ड हाउस) प्रबंधक नगरपालिका क्षेत्र में	5000.00
4	मे0 मशरूर एग्रीगेट इंडिया लि ग्प्रण शमशाद अहमद	5000.00
5	मे0 जिया कोल्ड स्टोरेज महमूदपुर प्रो0 श्री वरुण कटियार	5000.00
6	मे0 शीतला कोल्ड स्टोरेज कर मुल्लापुर	5000.00
7	मे0 पी0 एन0कोल्ड स्टोरेज	5000.00
8	मे0 एम0 वाई0 कोल्ड स्टोरेज, इस्मादुरल्कर	5000.00
9	मे0 आर0बी0 कोल्ड चपुन्ना खान	5000.00
10	मे0 विजय सिंह व लाल सिंह कोल्ड स्टोरेज किसई जगदीशपुर	5000.00
	योग	50000.00

जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण उक्त कोल्ड स्टोरेज बिना लाइसेंस के ही संचालित होते रहे तथा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत के हित में नहीं है। उक्त धनराशियों रु. 50000.00की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि रु.50000.00 की वसूली समय न होने के लिये तत्कालीन पटल अधिकारी, वसूलीकर्ता एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-10)

प्रस्तर सं0-7 जिला पंचायत कन्नौज की लाइसेंस शुल्क मांग वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित ईट भट्टोंको लाइसेंस जारी नहीं किए गए, और न ही उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया। इस प्रकार इन ईट भट्टोंपर दिनांक 31.03.2016 को निम्नवत लाइसेंस शुल्क बकाया रहा।

क्रम सं0	ब्रिक फील्ड का नाम पता	वर्ष बकाया	धनराशि
1	मे0 शारदा ब्रिक फील्ड ईजलपुर	2015-16	10000.00
2	मे0 अन्नपूर्णा ब्रिक ताहपुर	2015-16	10000.00
3	मे0 यादव ब्रिक फील्ड किशवापुर	2015-16	10000.00
4	मे0 संगम ब्रिक फील्ड, मानीमऊ	2015-16	10000.00
5	मे0 पारस ब्रिक फील्ड लबोहामऊ	2015-16	10000.00
6	मे0 किसान ईट भट्टा	2015-16	10000.00
7	मे0 राजू ब्रिक फील्ड ठठिया	2015-16	10000.00
8	वंशी ब्रिक फील्ड ईजलपुर	2015-16	10000.00
9	मे0 न्यू वंशी ब्रिक फील्ड ठठिया	2015-16	10000.00
10	मे0 ओम ईटउद्योग ब्योरे पो0 बमरौरी	2014-15, 2015-16	2000.00
11	मे0 कुलदीप ब्रिक फील्ड ईजलपुर	2015-16	10000.00
12	मे0माँ दुर्गा ब्रिक्स फील्ड, अहिरआ	2015-16	10000.00
13	मे0 दोलेश्वर ब्रिक्स फील्ड कनपुरा	2014-15, 2015-16	2000.00
14	मे0 न्यू वारसी ब्रिक्स फील्ड मियागंज	2015-16	10000.00
	योग		160000.00

जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण की उक्त ईट भट्टे बिना लाइसेंस के ही संचालित होते रहे तथा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत हित में नहीं है। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत हित में नहीं है। उक्त धनराशियों रु. 160000.00की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। उक्त दर्शित धनराशि रु.160000.00की वसूली समय न होने के लिये तत्कालीन पटल अधिकारी, वसूली कर्ता एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-11)

प्रस्तर सं0-8 जिला पंचायत कन्नौज की ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जिला अबिकारी अधिकारी कन्नौज द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 में देशी शराब, अंग्रेजी शराब एवं बियर की दुकानों विवरण के अनुसार लाइसेंस प्रदान किया गया था।

क्रमसं०	दुकान का नाम	2012-13	2013-14	2015-16	2016-17
1	देशी शराब	117	117	117	118
2	अंग्रेजी शराब	21	21	21	21
3	बियर	11	11	15	15

जिला पंचायत के लाईसेंस शुल्क वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विगत चार वर्षों में उक्त में से कतिपय दुकानों से व लाईसेंस शुल्क वसूल नहीं किया है और न ही दुकानों का जिला पंचायत द्वारा

लाईसेंस ही निर्गत किया गया। इस प्रकार विगत चार वर्षों से उक्त कतिपय दुकान जनपद में अवैध रूप से संचालित होती रही एवं लाईसेंस शुल्क न वसूल किये जाने से जिला पंचायत को आर्थिक क्षति भी होती रही। जिला पंचायत नियमों में दी गयी लाईसेंस शुल्क दरों के अनुसार निम्नलिखित दुकानों पर बकाया सूची इस प्रकार रही –

अंग्रेजी शराब—

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	दुकान का नाम	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1	प्रकाशचन्द पुत्र श्रीकांत	उमर्दा	500	—	—	—
2	उमेशचन्द वर्मा पुत्र गंगाराम	पाल चौराह	500	500	500	500
3	विपिन कुमार पुत्र स्व. छोटेलाल	जशोदा	500	—	—	—
4	नरेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह	हसेरन	500	500	500	500
5	देवानन्द तिवारीपुत्र सुरेशनन्द	सरवौली रोड	500	—	—	—
6	राम आसरे पुत्र सरनाम सिंह	सराय प्रयाग	500	—	—	—
7	प्रबल कुमार पुत्र चन्द्र पाल	सकरावा	500	—	—	—
8	अवनेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेश	मित्रसेनपुर	500	—	500	—
9	दुष्यंत पुत्र श्री जयवीर	चौपान्ना	500	—	—	—
10	सोनी गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता	अकबरपुर	500	—	—	500
11	श्री अशोक कुमार पुत्रस्व नवाब सिंह	उमर्दा	—	500	—	—
12	श्रीमती पूजा वर्मा पत्नी श्री उमेश चन्द्र वर्मा	पटेल नगर तिराहा	—	500	500	500
13	श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री दीनदयाल	पटेल नगर तिराहा	—	500	—	—
	श्री अमर निवासपुत्रश्री दीनदयाल					
14	श्री अनिल तिवारीपुत्र श्री योगेन्द्र नाथ तिवारी		—	500	—	—
15	श्री पंकजपुत्र श्री राज बहादुर	प्रेमपुर बाजार	—	500	—	—
16	श्री ओम नारायण सिंह पुत्र श्री स्व. सुरेश चन्द्र	सकरावा	—	500	—	—
17	श्री मनीष यादवपुत्र श्री बलदेव सिंह	उमर्दा	—	—	500	500
18	श्री राजीवपुत्र श्री मंगल पाल सिंह	गंगागंज	—	—	500	500
	श्री अरविंद कुमार यादव पुत्र श्री मुन्नु सिंह यादव		—	—	500	—
20	श्री राम औतार पुत्र श्री जीवालाल	खडिनी	—	—	500	—
21	श्री हरीश कुमारपुत्र श्री गिरिश चन्द्र	नादेमऊ	—	—	500	—
22	श्री अरविंद कुमार यादव पुत्र श्री मुन्नु सिंह	सराय प्रयाग	—	—	—	500
	श्री लाखन यादव पुत्र श्री जसराज सिंह	प्रेमपुर बाजार	—	—	—	500

24	श्री अनिल कुमारपुत्र श्री बनबारी लाल गुप्ता	खडिनी	—	—	—	500
25	श्री बबलूपुत्र श्री बाबूराम	सकरावा	—	—	—	500
26	श्री अजय पाल सिंहपुत्र श्री सुधर पाल	—	—	—	—	500
	योग		5000	4000	4500	5500

बियर शराब.

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	दुकान का नाम	वर्ष 2012—13	वर्ष 2013—14	वर्ष 2014—15	वर्ष 2015—16
1	श्रीमती शशी गुप्ता पत्नी श्री लालाराम गुप्ता	इन्दरगढ	500	500	500	500
2	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री सत्यवीर	नादेमऊ	500	500	500	—
3	श्री शिव कुमार दिवेदी पुत्र श्री रामस्वरूप	जलालपुर पनवारा	500	—	—	—
4	श्री अखिलेश कुमार पुत्र स्व. राम प्रसाद	प्रेमपुर	500	500	500	500
5	श्री शिव कुमार दिवेदी पुत्र श्री रामस्वरूप	जशोदा	—	500	—	—
6	श्रीमती विमलेश गुप्ता पत्नी श्री राजेश	पाल चौराह	—	—	500	500
7	श्री मिथलेश श्री युगल किशोर	ठठिया	—	—	500	—
8	श्रीमती रेशम पत्नी श्री मनीराम	खडिनी	—	—	500	—
9	श्री भूरे सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह	उमर्दा	—	—	500	500
10	श्री सन्नी यादव पुत्र श्री राजवीर सिंह यादव	भाउलपुर	—	—	500	500
11	श्री मिथलेश कुमारी पत्नी श्री कुलदीप सिंह	हसेरन	—	—	500	500
	योग		2000	2000	4500	3000

देशी शराब

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	दुकान का नाम	वर्ष 2012—13	वर्ष 2013—14	वर्ष 2014—15	वर्ष 2015—16
1	शिव कुमार पुत्र राम स्वरूप	सलेमपुर	500	—	500	—
2	अनिल कुमार पुत्र शिव प्रसाद	जलालपुर पनवारा	500	—	500	500
3	दीप कुमार पुत्रस्व. छोटे लाल	जसरापुर सरैया	500	—	—	—
4	दिनेश कुमार दीक्षित पुत्र कैलाशचन्द्र	सतौरा	500	—	—	—
5	सुशील कुमार पुत्र राम सागर	उमर्दा	500	500	500	500
6	लालाराम पुत्र गेंदा लाल	पट्टी बाजार	500	—	—	—
7	प्रीती पटेल पत्नी मनोज पटेल	तेरा मल्लू	500	—	—	—
8	मिथलेश कुमारी पत्नी राम सरन	भुन्ना चौराह	500	—	500	—
9	अंजुल कुमार पत्नी लल्लू सिंह	लिलुइया	500	500	500	—
10	मनोज पटेल पुत्र स्व. छोटे	हसेरन	500	—	—	—

	लाल					
11	मालती देवी पत्नी श्री राघवेन्द्र सिंह	अनौगी	500	500	500	500
12	सुधीर कटियार पुत्र राज कुमार	मंझिला	500	500	500	500
13	रविन्द्र सिंह पुत्र राम दयाल	कन्दौती पट्टी	500			
14	जुगल किशोर पुत्र सिद्धेश्वर प्रसाद	मांगेमऊ	500	—	—	—
15	राम प्रताप पुत्र गुरु बक्स सिंह	मढपुरा	500	—	—	—
16	कुलदीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह रेखा यादव पत्नी वीरेश कुमार	बारामऊ सराय	500	500	500	500
17	प्रभु दयाल पुत्र स्व. सोहन सिंह	खानपुर	500	500	500	500
18	राजा राम पुत्र राम दयाल	उमरन	500	500	500	500
19	ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह योगेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह	अज्यौरा मि. पूर्वा	500	500	—	—
20	दिनेश यादव पुत्र हरदयाल	सखौली,तिर्वा रोड	500	—	—	—
21	सदानन्द दुबे पुत्र राजा राम	प्रेमपुर बाजार	500	—	—	—
22	हर प्रसाद जायसवाल पुत्र मुन्नु लाल जायसवाल	घिलोई	500	—	—	—
23	अशोक कुमार चौहान पुत्र श्री राम राम चन्द्र चौहान	अकबरपुर	500	—	—	—
24	विशाल गुप्ता पुत्र लालाराम	सरायप्रयाग	500	500	—	—
25	लालाराम पुत्र मेदलाल	सराय दौलत	500	500	500	500
26	रामदास पुत्र गुरुबख्श सिंह	अमोलर	500	—	—	—
27	सुरेश सिंह पुत्र थम्मन सिंह	सकरावा	500	500	500	500
28	प्रवीण कुमार पुत्र नादाम सिंह	विरियम नगला	500	500	500	500
29	अमित कुमार पुत्र महेंद्र पाल सिंह	भाउलपुर	500	500	500	500
30	सर्वेश कुमारी पत्नी शिवराज सिंह	जाफराबाद	500	500	500	500
31	प्रेम कुमार पुत्र लालाराम	मलिकपुर	500	—	—	—
32	साहब सिंह पुत्र सुधर सिंह	डडौनी	500	500	500	500
33	अशोक कुमार गुप्ता पुत्र जगदीश प्रताप गुप्ता	इस्माइलपुर	500	500	—	—
34	देवेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह संजीव सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह	मिरगावन बाजार	500	500	500	500
35	प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता	सलेमपुर	500	—	500	500
36	कुलीदप सिंह पुत्र सत्यनाथ सिंह	परौर	500	500	500	—
37	संजीव कुमार पुत्र बृजमोहन	मतौली	500	500	500	—
38	साहब सिंह पुत्र सुधीर सिंह	हसनपुर	500	500	500	—
39	दिलीप सिंह पुत्र शिव सिंह	राजपुर	500	500	—	—
40	रोहित दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	नेहरारनास	500	500	—	—
41	कमलेश कुमार पुत्र आदेश कुमार	मिर्जापुर	500	500	—	500
42	आशुतोष पुत्र गया प्रसाद	दौलताबाद	500	—	—	500

43	जिलेदार सिंह पुत्र स्व. वस्थम लाल	सिलुवापुर	500	—	—	—
44	अजय कुमार पुत्र श्री राम विलास सिंह	खोजीपुर	500	—	—	—
45	सुरेश सिंह पुत्र राम स्नेही	वीरपुर	500	—	—	—
46	यात्री बन्धु पुत्र राम शंकर	बडौरा चियासर	500	—	—	—
47	प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता	बेंहटा	500	—	—	—
48	राम किशोर पुत्र मुंशी लाल	इन्दुइयागंज	500		500	500
49	ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह	जनखत	500	500	500	500
50	अननीप कुमार अग्निहोत्री पुत्र देवेन्द्र कुमार	बहबलपुर	500	—	—	—
51	विवेक यादव पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह	जुनैदपुर	500	—	—	—
52	उमाशंकर पुत्र नन्दराम	रौसेन	500	500	—	—
53	जितेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश	मंगापुरवा	500	—	—	—
54	संजय कुमार पुत्र मुंशी लाल	माधव नगर	500	—	—	—
55	अमित कुमार सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह	मलिकपुर खडनी रोड	500	—	—	—
56	वीरेश कुमार दूबे पुत्र बालक राम	भाउलपुर न. 02	500	—	—	—
57	श्री अमरीश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम	कुसुमखोर	—	500	500	—
58	श्री मयंक चतुर्वेदी पुत्र श्री चन्द्रपाल चतुर्वेदी श्री संदीप चतुर्वेदी पुत्र श्री कृष्णनंदन चतुर्वेदी	मुलरियम पूर्वा	—	500	—	—
			—	—	—	—
59	श्री पुष्पेन्द्र यादव पुत्र श्री सिपाही लाल	औसेर	—	500	500	500
60	श्री छवलाल सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह	हरेईपुर	—	500	500	500
61	श्री दीनदयाल पुत्र श्री नाथूराम	बेलामऊ सराय	—	500	—	—
62	श्री धनश्याम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	इन्दरगढ	—	500	—	—
63	श्री अंजुल कुमार पुत्र श्री लल्लू सिंह	लिलुईया	—	500	—	—
64	श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथूराम	लाख बहौसी	—	500	—	—
65	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री देवीशरण	सुरसी	—	500	—	—
66	श्री देवानन्द तिवारी पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ	मित्रसेनपुर	—	500	—	—
67	श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री शेर सिंह	अकबरपुर	—	500	—	—
68	श्री गौरव यादव पुत्र श्री महेश सिंह	तेराजाकेट	—	500	—	—
69	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री बृजमोहन सिंह	रोहली	—	500	—	—
70	श्रीमती नन्ही देवी पत्नी श्री श्यामलाल	कसावा	—	500	—	—
71	श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री वीरेश सिंह	कुंवरपुर कन्दौली	—	500	—	—
72	श्री छोटे सिंह तोमर पुत्र श्री	मिघौली	—	500	—	—

	लाल बहादुर सिंह					
73	श्री अरविन्द सिंह यादव पुत्र श्री अर्जुन सिंह	सिलुवापुर	—	500	—	—
74	श्रीमती सर्वेश कुमार पत्नी श्री शिवराज सिंह	खोजीपुर	—	500	—	—
75	श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री राजाराम श्री मती स्नेहालता पत्नी श्री जयवीर सिंह	हाथिन	.	500	—	—
			—		—	—
76	श्री मती ज्योती गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप कुमार	बहादुरपुर मझिगवां	—	500	—	—
77	श्री छोटे सिंह तोमर पुत्र श्री लालबहादुर	बेहटा	—	500		—
78	श्री हरिश कुमार पुत्र श्री गिरिश चन्द्र	भीकमपुर सानी	—	500	500	—
79	श्री अविनाश सिंह पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह	बृहलपुर	—	500	—	—
80	श्री तवम मिश्रा पुत्र श्री राजेश मिश्रा	अनीभोज	—	500	—	—
81	श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीकान्त तिवारी	जुनैदपुर	—	500	—	—
82	श्री राधा कृष्ण गुप्ता पुत्र श्री लालमन गुप्ता	नंगापुरवा	—	500	—	—
83	प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता	वरगावां	—	500	500	—
84	श्री अजय कुमार पुत्र श्री रावेन्द्र कुमार	तिसौली	—	500	—	500
85	श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री मन्नी लाल	मघवापुर	—	500	—	500
86	श्री देवेश चन्द्र पुत्र श्री राम नरेश मिश्रा	भवानीपुर चचासंडा	—	500	—	500
87	श्री सुरेन्द्र चन्द्र पुत्र श्री बाबूराम	मलिकपुर खडनी रोड	—	500	—	—
88	श्री मती रामेश्वरी पुत्र श्री निर्मल कुमार	जलालाबाद	—	—	500	—
89	श्री सतोंष पुत्र श्री गिरजेश	देवा पट्टी	—	—	500	—
90	श्री सूर्यकान्त पुत्र श्री रामकान्त कटियार	कदियापुर तिराहा	—	—	500	500
91	श्री मती विमला देवी पुत्र श्री इन्द्रपाल	ईटखासी	—	—	500	500
92	श्री दीनदयाल पुत्र श्री नाथूराम	डमीपुर डिब्बापूर्वा	—	—	—	—
93	हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजबहादुर	सिमरिया	—	—	—	—
94	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामऔतार	अज्यौरा मिश्री पूर्वा	—	—	—	—
95	श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री गुलजारी	खडनी	—	—	—	—
96	श्री योगेश कुमार पुत्र श्री अरविंद कुमार	अकबरपुर	—	—	500	
97	श्री गौरव यादवपुत्र श्री महेश सिंह	तेरजाकेट	—	—	500	
98	श्री अशोक पुत्र श्री छोटे लाल	रोहली	—	—	500	
99	श्री राजेन्द्र बाबू पुत्र श्री ईश्वर	टडारायपुर	—	—	500	500
100	श्री योगेश कुमार पुत्र श्रीकान्त	इस्माइलपुर	—	—	500	500

101	श्री इन्देश नारायण दीक्षित पुत्र स्व. श्री चन्द्रशेखर	खजुरागढ़.	—	—	500	
102	श्री अजय पाल सिंह पुत्र श्री सुधीर सिंह	राजपुर	—	—	500	500
103	श्री विमलेंद्र सिंह पुत्र श्री फूल सिंह	बेहटा खास	—	—	500	
104	श्री राजेंद्र प्रसाद पुत्र श्री संत राम पाल	सिलुआपुर	—	—	500	
105	श्रीमती सर्वेश कुमारी पत्नी श्री शिवराम सिंह	खोजीपुर	—	—	500	500
106	श्री शत्रुघ्न सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह	सुल्तानपुर	—	—	500	500
107	श्री अजय पाल सिंह पुत्र श्री ईश्वर दयाल	वीरपुर	—	—	500	500
108	श्री राजेन्द्र बाबू पुत्र श्री ईश्वर श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार	हाथिन	—	—	500	
			—	—	500	
109	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राधेश्याम	बेहटा	—	—	500	
110	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बंसत सिंह	मिदुइया	—	—	500	
111	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राज कुमार	बहबलपुर	—	—	500	
112	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री अजय पाल	अनीभोज	—	—	500	500
113	श्री ब्रजेश कुमार पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार	जुनैदपुर	—	—	500	
114	श्री संजय कुमार पुत्र श्री मुंशी लाल	माधव नगर	—	—	500	500
115	श्री देवेश चन्द्र पुत्र श्री राम नरेश	भवानीपुर चचासंडा	—	—	500	
116	श्रीमती फूलन देवी पत्नी स्व. श्री दयाराम	मलिकपुर खडनी रोड	—	—	500	500
117	श्री समोद कुमार पुत्र श्री राम गोपाल	भाउलपुर न. 02	—	—	500	.
118	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राधेश्याम	सौलंकीढाबा गुरसहायगंज देहात	—	—	500	.
119	श्री बंधन जायसवाल पुत्र श्री सूर्य प्रसाद	अकबरपुर	—	—	.	500
120	श्री अकित कटियार पुत्र श्री शिव सिंहकटियार श्री अमित कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार	तेरजाकेट	—	—	.	500
			—	—		
121	श्री कृष्ण सागर पुत्र श्री राधेश्याम	सराय प्रयाग	—	—	—	500
122	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रावेन्द्र सिंह श्री अजमेर पुत्र श्री लाखन	कुवैरपुर कुंदौली	—	—	—	500
			—	—	—	.
123	श्रीमती राजेश कुमारी पत्नी श्री रमेंद्र सिंह	सकतपुर	—	—	—	500
124	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भगवंत सिंह	खजुरागढ़.	—	—	—	500
125	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री बृजमोहन	मतौली	—	—	—	500

126	साहब सिंह पुत्र सुधर सिंह	ळसनपुर	—	—	—	500
127	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री पातीराम	सिलुआपुर	—	—	—	500
128	श्रीमती कीर्ति कटियार पत्नी श्री रामनाथ कटियार	हाथिम	—	—	—	500
129	श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप सिंह	बहादुरपुर मंझगांव	—	—	—	500
130	श्रीमती राजेश कुमार पुत्र श्री बाबू सिंह	बेहटा	—	—	—	500
131	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह	भीकमपुर सानी	—	—	—	500
132	श्री अनिल तिवारी पुत्र श्री राम बाबू दीक्षित	बैगवा	—	—	—	500
133	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम नाथ कटियार	बहबलपुर	—	—	—	500
134	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राधेश्याम	जुनैदपुर	—	—	—	500
135	श्री आशीष तिवारी पुत्र श्री जनार्दन गोपाल	मंगापुरवा	—	—	—	500
136	वीरेश कुमार दूबे पुत्र बालक राम	भाउलपुर न. 02	—	—	—	500
137	श्री दीशेन्द्र सिंह पुत्र श्री दामोदर सिंह	सौलंकी ढाबा गुरसहायगंज देहात	—	—	—	500
	योग		28000	28500	33500	30500

उपरोक्तनुसार अंग्रेजी शराब, बियर, एवं देशी शराब लाईसेंस की फीस निम्नांकित बकाया रहा —

अंग्रेजी शराब : $5000+4000+4500+5500=19000$

बियर : $2000+2000+4500+3000=11500$

देशी शराब : $28000+28500+33500+30500=120500$

इस प्रकार जिला पंचायत के कर्मियों की निष्क्रियता, अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं जिला पंचायत की धनराशियों की वसूली के प्रति रुचि न लेने के कारण उक्त अंग्रेजी शराब, बियर, एवं देशी शराब की दुकाने बिना लाइसेंस के ही संचालित होती रही तथा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति होती रही। यह स्थिति किसी भी दशा में जिला पंचायत हित में नहीं है। उक्त धनराशियों $19000+11500+120500=151000$ रु. 151000.00 की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये। उक्त दर्शित धनराशि रु. 151000.00 की वसूली समय से नहोने के लिए तत्कालीन पटल प्रभारी, वसूली कर्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम शर्मा जिम्मेदार हैं।

(आ0सं0-13)

प्रस्तर सं0-9 दिनांक 31.03.16 कोजिला पंचायत कन्नौज में निम्न विवरण के अनुसार अनुदान उपभोग किया जाना शेष रहा।

क्रम सं0	मद का विवरण	31.03.16 का शेष अनुदान	90 दिनों के अन्दर प्राप्त अनुदान	90 दिनों के पूर्व प्राप्त अनुदान
1	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	111617852.62	79609579.00	32008273.62
2	तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	13099789.37	—	13099789.37
3	डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समय योजना	541400.00	—	541400.00
		125259041.99	79609579.00	45649462.99

उल्लेखनीय है कि वित्त आयोगों द्वारा जिला पंचायत को अनुदान का आवंटन इस निर्देश के साथ दिया गया था कि समुचित कार्य योजना तैयार कर प्राप्त अनुदान का 90 दिन के अंदर जिला पंचायत

परि क्षेत्र में विकास कार्य कराने, जिला पंचायत की सम्पत्तियों का स्रजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने में उपभोग कर लिया जाय। किन्तु जिला पंचायत व उसके कर्मिकों का शिथिलता एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण रु. 45649462.99 का अनुदान उपभोग हेतु शेष रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप त्रिपाठी, अपर मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम शर्मा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता दोहरे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-14)

प्रस्तर सं0-10 रूप पत्र 5 बुक सं0 599901 से 599999 तक में रसीद क्रमांक 599936 से रसीद क्रमांक 599947 तक की आय का योग रु. 49010.00 होता है। जबकि बैंक में उक्त रसीद की जमा धनराशि दिनांक 20/10/15 को रु.47010.00 ही जमा किया गया है। रसीद क्रमांक 599936 की आय श्री कुलदीप पुत्र श्री सत्यजीत से वर्ष 08-09 व 12-13 से 15-16 तक का शराब के लाईसेंस शुल्क की आप रु. 2770 हुई जिसे केवल रु. 770.00 ही आय में लिया गया। इस प्रकार कर समाहर्ता द्वारा रु. 2000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः रु. 2000.00 ब्याज सहित वसूली कर समाहर्ता श्री संजीव पालीवाल से जमा कराना जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-15)

प्रस्तर सं0-11 मत्स्य आखेट माँग व वसूली रजि0 की पत्रवालिओं की जाँच से निम्न ठेकों में स्टाम्प लगाकर ठेकोदारों से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया गया जिससे राजकीय राजस्व की हानि हुई।

क्रम सं0	नाम घाट	ठेका उठा	जमा	स्टाम्प कम
1	सिंहपुर से खाता गाँव काली नदी	8500.00	8500.00	680.00
2	फराहरन से सदुपुर गंगा नदी	10000.00	10000.00	800.00
3	वीलमपुर से औरैया बॉर्डर, अरिन्द नदी	15000.00	15000.00	1200.00
4	कन्नौज सीमा से कानपुर बॉर्डर ताहपुर से नीचे, पांडू नदी	3000.00	3000.00	240.00
5	इन्दुइयागंज से सिंहपुर काली नदी	5000.00	5000.00	400.00
			योग	3320.00

अतः कम जमा स्टाम्प शुल्क रु.3320.00 एवं इस पर दंडात्मक शुल्क उक्त ठेकेदारों से जमा कराया जाय। ठेकेदारों से वसूली न हो पाने की दशा में उक्त धनराशि एवं दंडात्मक शुल्क का दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राधे श्याम शर्मा पर निर्धारित कर उनसे धनराशि वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-23)

प्रस्तर सं0-12 2015-16 में राज्य वित्त अनुदान से निम्न फर्नीचर क्रय किया गया हैं-

क्रमसं0	दुकान का नाम	कैशमेमो क्रमांक	जारी करने की तिथि	समान का विवरण	भुगतान की धनराशि
1	पटेल फर्नीचर	1478	18.06.15	रिवालिंग कुर्सी-1 रिवालिंग कुर्सी-4 मेज-1	83000.00
2	पटेल फर्नीचर	1488	18.06.15	जेड कुर्सी स्टील-28	98000.00
3	पटेल फर्नीचर	1482	15.06.15	जेड कुर्सी स्टील-12 मैट 1000 वर्ग मी.	99500.00
4	पटेल फर्नीचर	1477	10.06.15	जेड कुर्सी स्टील-25	87500.00
5	पटेल फर्नीचर	1609	02.10.15	पर्दा रॉड मय फिटिंग-96 फीट पर्दा 32 फीट सेंटर टेबल-1 मैट 450 फुट	60189.00
6	पटेल फर्नीचर	1610	02.10.15	तौलिया-5 गददा-6X4-1 तकिया-1 कवर-1	55802.00

				बेडशीट-1 पैरदान-5 पंखा सीलिंग-1	
			योग		483991.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. उत्तर प्रदेश सरकार के शासनदेश ए-1864/10-08-15 (1) 86 दिनांक-23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु. एक लाख से अधिक की सामग्री एक फर्म से क्रय करने की दशा में सामग्री क्रय करने हेतु टेंडर आमंत्रित कर न्यूनतम दर की टेंडर वाली फर्म से आपूर्ति ली जानी चाहिए, किन्तु उक्त सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित नहीं किये गए एवं अपनी पंसद की फर्म से सीधे सामग्रीक्रय करना दर्शाया गया है जो उक्त शासनादेश के विपरीत रहा।
2. उक्त समस्त सामग्री क्रय पटेल फर्नीचर कन्सोर्स से दर्शायी गयी है, सामग्री क्रय की पुष्टि में उक्त फर्म द्वारा जारी कैशमेमो क्रमांक बढ़ती हुयी तिथियों के क्रम में नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि फर्म से सादे कैशमेमो प्राप्त कर उन्हें संस्था कार्मिको द्वारा स्वयं लिख कर कागजी खानापूर्ति कर ली गयी हैं।
3. संदर्भित कैशमेमो के साथ फर्म का सामग्री निकासी चालान संलग्न नहीं हैं। जिससे दर्शित सामग्री आपूर्ति की पुष्टि नहीं होती हैं।
4. कैशमेमोद्वारा खरीदी गयी सामग्रीमृत स्कन्ध पंजिका के जिस पर अंकित की गई है उसकी पेज संख्या कैशमेमो में संदर्भित मद के सम्मुख अंकित नहीं की गई हैं। जिससे स्पष्ट है कि क्रय की गयी सामग्री का लेखा मृत स्कन्ध पंजिका में नहीं किया गया है।

उक्त तथ्यों सेस्पष्ट है कि उक्त क्रय दर्शित सामग्री मूल्य 483991.00 वास्तव में क्रय ही नहीं की गयीं। संदर्भित फर्म से साँठ गांठ कर कैशमेमो प्राप्त लिखे गए एवं उनमें काल्पनिक सामग्री का अंकन कर एवं धनराशिका काल्पनिक भुगतान दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। अतःअपहरण की धनराशि रु.483991.00 में से रु.241995.50 तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी से एवं रु. 241995.50 तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम शर्मा से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-25)

प्रस्तर सं0-13 शासन के पत्र सं0 881/33-सेल/दिनांक 31.7.2015 द्वारा स्वीकृत तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष जिला पंचायत कन्सोर्स के निर्माण कार्यो की सूची के क्रमांक 31 पर अंकित कार्य घिलोई पंथरा मार्ग से ग्राम कुंदेपुर में ओमप्रकाश त्रिपाठी के घर होते हुए होली तक सी0 सी0 कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

(क) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उ0 प्र0 लखनऊ के परिपत्र सं0 7399/एम.टी./सामान्य वर्ग/60एम.टी./2008 दिनांक के बिन्दु 01 के अनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जाएगा एवं तदनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार किया जाएगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डायग्राम संलग्न नहीं हैं। स्पष्ट है कि स्टीमेट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है।

(ख) शासनदेश सं0 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 द्वारा जिला पंचायतों को ऐसे कार्य करना था। जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभाविन्त हो सके किन्तु उक्त कार्य पत्रावली से प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम कुंदेपुर के अन्तर्गत ही कराया गया है जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा।

(ग) उक्त निर्माण कार्य की अनुमानित लम्बाई 300 मी0 प्राकलन में अंकित की गयी है। किन्तु मिटटी भराई का कार्य 360 मी0 लम्बाई में कराए जाने का प्रावधान स्टीमेट में किया गया है इस प्रकार 60 मी0 लम्बाई अर्थात् 27 घन मी0 मिटटी भराई का अधिक प्रावधान किया गया है जिसकी कीमत 4528 रु है। इस प्रकार स्टीमेट की लागत रु.4528 से काल्पनिक रूप से बढ़ाई गयी है। एवं तदानुरूप अधिक भुगतान भी किया गया है। इस प्रकार काल्पनिक भुगतान रु.4528 के लिए अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबु त्रिपाठी एवं सहा0 अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव उत्तरदायी है।

(घ) उक्त कार्य का विवरण 15-7-15 को निविदा आमंत्रित की गयी तथा 4-8-2015 को प्रस्तुत निविदाएँ खोली गयी जिसमें तीन ठेकेदारों की प्राप्त हुई तथा न्यूनतम बोली के आधार पर इस्टीमेट की दर पर श्री अशोक कुमार को उक्त कार्य का ठेका दिया गया एवं इस कार्य हेतु उन्हें दिनांक 6-8-15 को कार्यालय पत्रांक 410 द्वारा कार्यादेश जारी किया गया तथा उनसे 3-10-2015 तक कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की गयी/पत्रावली में प्रयुक्त उप खनिज 20एम.एम. स्टोन ग्रेड की आपूर्ति की पुष्टि में प्रपत्र एम.एम.11 सलंगन नहीं हैं। जिससे प्रयुक्त स्टोन ग्रेड की आपूर्ति अपुष्ट रही, जो निर्माण कार्य को संदिग्ध बनाता है।

(ङ) उक्त निर्माण कार्य में 402.94 घन मी मिट्टी प्रयुक्त होना दर्शाकर इसका मूल्य भुगतान ठेकेदार को किया गया है। प्रयुक्त मिट्टी पर 14.00 रु प्रति घन मी 0 रु 5641.00 रॉयल्टी की कटौती बिल से की जानी चाहिए थी किन्तु अन्तिम बिल भुगतान दिनांक 3-10-15 में मात्र 5145 रु. ही मिट्टी पर रॉयल्टी की कम कटौती की गयी है। इस प्रकार रु. 496.00 रॉयल्टी की कटौती की गयी है।

(च) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य व कार्य के पूर्ण होने के बाद की कार्य स्थल की फोटो सलंगन नहीं हैं।

(छ) उक्त निर्माण कार्य की परिमाण पुस्तिका लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं रही। जिससे दर्शित भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी

(झ) उक्त निर्माण कार्य में निम्न विवरण के उप खनिजों का प्रयोग किया गया है—

1.4 बी/डब्ल्यू 41.93 घन मीटर में प्रयुक्त मौरंग की मात्रा	41.93 X 0.27 = 11.32 घन मीटर
1:6:12 बी/बी कार्य घन मी. में प्रयुक्त मौरंग की मात्रा	72.12 X 0.47 = 33.90 घन मीटर
1:4 प्लास्टर कार्य प्रयुक्त मौरंग की मात्रा	288 X 0.15 = 4.32 घन मीटर
1:2:4 स्टोन ग्रेड कार्य में प्रयुक्त मौरंग	89.26 X 0.445 = 39.85 घन मीटर
कुल मौरंग की मात्रा =	89.39 घन मीटर
मौरंग पर रॉयल्टी की 89.39 X 33	= 2949.87
1:2:4 स्टोन ग्रेड कार्य में प्रयुक्त मिट्टी की मात्रा	= 89.26 X 0.89
	= 79.44 घन मीटर
मिट्टी पर रॉयल्टी की धनराशि 79.44 X 75	= 5958.00
कुल रॉयल्टी की धनराशि	= 8908.00

प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के पत्रांक 3891/77-5-2002-01-(216)93 दिनांक 05-08-2002 एवं शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292 दिनांक 15-10-2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उप खनिज (पत्थर मिट्टी, साधारण बालू मौरंग, साधारण मिट्टी आदि) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिजों पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.11) द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है। साथ ही रॉयल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म/ संस्था से रॉयल्टी का भुगतान ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखा जांच तथा जिन मामलों में बिना रॉयल्टी का भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी हो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर धनराशि कोषागार में जमा कराया जाए।

उक्त शासनादेश के बिंदु तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ठेकेदार द्वारा उपखनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.11) के करने पर रॉयल्टी का 5 गुना ठेकेदार के बिलों से कटौती कर लेखा शीर्षक (0853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 102-खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क) जमा कराया जाँच उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों की आपूर्ति की पुष्टि में एम.एम.-11 प्रस्तुत न होने के कारण बिंदु (च), (छ) आकलित रॉयल्टी रु. 9404 एवं इसका 5 गुना रु. 47020 कुल रु. 56424 उक्त शीर्ष में जमा न कर राजकीय राजस्व को इस धनराशि रु. 56424 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए निर्माण कार्य लिपिक श्री बेचे राम वर्मा सहायक अभियंता श्री सुरेश चन्द्र यादव अभियंता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी एवं अपर श्री राधेश्याम शर्मा उत्तरदायी हैं। अतः इनसे उक्त धनराशि 56424.00 की ब्याज सहित वसूली कर संदर्भित शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए।

(आ०सं०-34)

प्रस्तर सं०-14 जिला निधि खाता की कैशबुक में दिनांक 31.03.2016 को बैंक समाधान विवरण बनाया गया है, जिसमें बैंक त्रुटि लिख कर रु. 11150.00 रोकड बही में बिना दिनांक विवरण लिखे घटाया गया है, अर्थात् बैंक पासबुक रु.11150.00 से डेबिट हुई है। यह धनराशि किस दिनांक को किस कारण डेबिट हुई दर्शित नहीं रहा। धनराशि गलत तरीके से डेबिट हो जाने के बावजूद लेखाकार द्वारा इसधनराशिको बैंक से प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। जिससे ऐसा परिलक्षित होता है की बैंक द्वारा डेबिट उक्त धनराशि को डेबिट करने में लेखाकार की भी संलिप्तता है। अतः उक्त धनराशि बैंक से प्राप्त करने हेतु ठोस कार्यवाही की जाय एवं धनराशि बैंक से प्राप्त न हो पाने की दशा में उक्त धनराशि रुपये 11150.00 तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी से सुसंगत ब्याज सहित वसूल कर जिला पंचायत निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। (आ०सं०-42)

प्रारूप-2

जनपद:- कानपुर नगरमण्डल का नाम-कानपुर जिला पंचायत कानपुर नगरवर्ष-2018-19

प्रस्तर 1 जिला पंचायत कानपुर नगर के सम्पत्ति (दुकान एवं भवन किराया)सम्बन्धी अभिलेख संलग्न विवरण के अनुसार

गत बकाया- 2359647

(2018-19) वर्ष की मांग- 319308

योग- 2678955

(2018-19) वर्ष की वसूली-1275559

31-3-20को अवशेष- 1403396

दिनांक 31-3-20 को 14,03,396 बकाया अवशेष है, इस विवरण पर निम्न आपत्तियां हैं-

(1) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामऔतार एवं धर्मेन्द्र पुत्रमहावीर पर बकाया व अवशेष दर्शित नहीं है,इन पर मांग भी नहीं लगाई गई है।टिप्पणी में लिखा गया कि वाद विचाराधीन है।वाद कितनी धनराशि का है,अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।इनका अवशेष व गत बकाया,मांग न लिखा जाना आपत्ति का विषय है।

(2) 1-प्रशासनिक टाउन एरिया बिटूर जून्बेसिक स्कूल बिटूर,2-विजय कुमार पुत्ररामाधीन से कई वर्षों से वसूली नहीं हो रही है।

(3)इसी प्रकार क्रमांक 14,15,16 एवं 18 से 27,29 से 35, 37 से 39, 41 एवं 43 से वर्ष में कोई वसूली नहीं हुई है।

उपरोक्त वसूली व गत बकाये की वसूली न होने का कारण सम्बन्धित स्थानों के सहायक राजस्व निरीक्षक व राजस्व निरीक्षक जिम्मेदार है चूँकि जनवरी 19 से मार्च 19 तक कोई भी कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी नहीं था।इसलिए कार्य अधिकारी का कार्य देख रहे कर अधिकारी श्री विनोद कुमार प्रमुख रूप से जिम्मेदार है।रु 1403396 की धनराशि वसूल न किये जाने की लेखा परीक्षा गम्भीर अनियमितता हेतु श्री विनोद कुमार कर अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-3}

प्रस्तर 2 विभव एवं सम्पत्ति कर में गत बकाया 31-3-18 को 4,13,34,438 वसूल किया जाना था।वर्ष की मांग 41,31,285 जोडने पर कुल वसूली 4,54,65,723 की जानी चाहिये थी जबकि कैश बुक से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018-19 में मात्र 31,69,992 की ही वसूली हुई जो कि वर्ष की मांग से भी 9,66,293 कम है।यह गम्भीर स्थिति है।इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक,सहायक राजस्व निरीक्षक व कर अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं किया जा रहा है।लेखा परीक्षा कुल वसूल योग्य धनराशि 4,54,65,723 -वर्ष में वसूल 31,69,992=रु4,22,95,731 की वसूली न कर पाने के लिए कर अधिकारी श्री विनोद कुमार को प्रमुख रूप से व सम्बन्धित सहायक राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-8}

प्रस्तर 3 चकरपुर मण्डी में जि०पं०के अधिकार क्षेत्र की 1197 दुकानें हैं जिनसे गत कई वर्षों से वसूली लाइसेंस शुल्क व विभव कर की वसूली नहीं की जा रही है।उ०प्र० सरकार के गजट 12-07-2014 के अनुसार लाइसेंस शुल्क रु2500×1197=29,92,500 एवं विभव कर रु 6000×1197=71,82,000 कुल 1,01,74,000 प्रति वर्ष के आधार पर गत बकाया 3 वर्ष का 3,05,22,000 सहित कुल 4,06,96,000 की वसूली

न कर पाने के लिए श्री आशुतोष कुमार यादव तत्कालीन कार्य अधिकारी व कर अधिकारी श्री विनोद कुमार कर अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-9}

प्रस्तर 4 दिनांक 31-3-19 को बैंक स्टेटमेंटों के अनुसार रु 37,15,33,413.20 कुल अवशेष था जबकि कैश बुक के अनुसार 35,90,29,188.15 अवशेष था। इस प्रकार कैश बुक में 1,25,04,225.05 कम था। अंतर रु 1,25,04,225.05 का बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया। श्रीमती रेखा देवी लेखाकार है। यह कार्य उनके द्वारा किया जाना था। बैंक समाधान विवरण पत्र न बनाये जाने से किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना है। इसके लिए श्रीमती रेखा देवी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-10}

प्रस्तर 5 तहबाजारी का 31-3-19 को बकाया रु 8,77,308 था। यह काफी पुराना है। चूंकि तहबाजारी बन्द हो चुकी है। अतः इसकी वसूली के आसार नगण्य है। वर्तमान कर अधिकारी इस पुरानी वसूली के लिए किये गये प्रयासों से अवगत नहीं करा सकें। इस बचत के लिए लेखा परीक्षा तत्कालीन अधिकारियों व वर्तमान कर अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-12}

प्रस्तर 6 कृषि भूमि का 31-3-19 को बकाया रु 87,550 था, यह काफी पुराना है। इसकी वसूली के लिए प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। इस बकाये के लिए तत्कालीन अधिकारी व कर अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-13}

प्रस्तर 7 मृत पशु शव निस्तारण में वर्ष में रु 14,300 की वसूली हुई। उ०प्र० के शासनादेश सं० 682बी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10-03-87 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त धन 14300 का 50 प्रतिशत अंश अर्थात् 7150 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु देय है। उपरोक्त शासनादेशों का उल्लंघन करते हुये ग्राम पंचायतों को धन आवंटित नहीं किया गया है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानधन सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-15}

प्रस्तर 8 गत वर्ष की भांति 31-3-19 को बालू, खनन, मोरंग ठेका का बकाया रु 1,77,000 यथावत है। इस बकाया के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-16}

प्रस्तर 9 शासनादेश सं० 623/33-2-2018-114जी/2008 टी०सी० दिनांक 15/02/2018 द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-142, 143 के साथ पठित धारा 239 एवं 242(2) के अंतर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग करते हुये यह निर्देश जारी किये गये थे कि खनिजों के उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये वसूली किये जाने हेतु सभी जिला पंचायतें अपनी उपविधि में नियमानुसार संशोधन कर लें। उत्तर में बताया गया कि 26-04-2018 को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गई थी परन्तु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में बोली प्राप्त न होने की स्थिति में जिला पंचायत द्वारा स्वयं शुल्क वसूली की व्यवस्था करनी चाहिये थी। इस प्रकार विगत वर्ष के सापेक्ष 21.30 लाख राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव व कार्य अधिकारी आशुतोष कुमार जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-17}

प्रस्तर 10 वर्ष 2018-19 में देशी विदेशी शराब की दुकानें 261 थीं जिनमें से मात्र 52 से ही वसूली की गई। शेष 209 दुकानों से वसूली हेतु न तो मांग सृजित की गयी एवं न ही वसूली की गई जिसके फलस्वरूप $209 \times 5000 = 10,45,000$ की राजस्व की क्षति हुई। इसके लिए कर अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। {मूल आपत्ति-18}

प्रस्तर 11 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 19 जून 2015 के द्वारा जिला पंचायतों को संकर्मित की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन सिद्धान्त निर्गत किये गये थे। शासनसदेशों के प्रस्तर-26 के बिन्दु संख्या 1 व 11 में स्पष्ट है कि जिला पंचायतों को संकर्मित की जाने वाली धनराशि से जि०पं० कर्मियों का वेतन एवं पेंशन अनुदान को छोड़कर 25% भाग अनुरक्षण पर व्यय किया जायेगा एवं 5% धनराशि जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों

के रख रखाव व्यय की जायेगी। वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से आय-व्यय का विवरण-

प्राप्त धनराशि	पेंशन वेतन पर व्यय	अवशेष धनराशि	अनुरक्षण पर/नये मार्गों पर व्यय 25%	परिसम्पत्तियों पर 5%	व्यय हेतु अनुमोदित धनराशि	
					अनुरक्षण पर/नये मार्गों पर	परिसम्पत्तियों पर
1927.07	237.69	1689.31	422.32	44.46	1562.42	0.00

1562.42-422.32=1140.10 धनराशि से परिसम्पत्तियों के रख रखाव पर कोई व्यय न कर शासनादेशों का उल्लंघन किया गया। रु 44.46 लाख का दुरुपयोग के लिए श्री सुनील कुमार यादव अपर मुख्य अधिकारी व अभियंता श्री विनाद सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-19}

प्रस्तर 12 ओरछी पी०डब्ल्यू०डी० डामर रोड से आंगनवाडी केन्द्र तक इण्टरलाकिंग कार्य लम्बाई 330 मी का कार्य न्यूनतम निविदा के आधार पर कार्यों के क्रियान्वन हेतु मै०आशाकरण कंस्ट्रक्शन को न्यूनतम निविदा के आधार पर 16.34 लाख में स्वीकृत किया गया कार्य पूर्ण करने की तिथि 11-07-2018 थी जिसका भुगतान प्रमाणक सं० 46/21-08-2018 द्वारा 8.52 लाख, प्रमाणक सं० 31/25-10-18 द्वारा 00.86 लाख, प्रमाणक सं० 86/30-01-2019 द्वारा 1.50 लाख कुल 10.88 लाख का भुगतान किया गया। मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक 93सी०ई०सी०जेड०-सामान्य/07 दिनांक 31-01-2007 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि इण्टरलाकिंग टाईल्स के मानकों के अनुसार शक्ति 300 किमी/1 वर्गसेमी से भी कम नहीं लेनी चाहिये। अतः इससे अधिक 400 किमी/वर्गसेमी शक्ति की टाईल्स लेनी चाहिये। यह भी निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक स्थल पर 500 से 1000 टाइल्स में एक टाईल्स को अचानक लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाये। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इस प्रकार गुणवत्ता की जांच नहीं की गई जांच रिपोर्ट के अभाव में भुगतान कुल 10.88 लाख की धनराशि का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिए अभियंता श्री विनोद सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-20}

प्रस्तर 13 राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत विकास खण्ड विधनू के रमईपुर मेहरवान सिंह पुरवा मार्ग से दुक्हा मार्ग तक कार्य चैनेज 00किमी से 0.750 किमी लागत रु 23.20 लाख की स्वीकृति मार्च 2018 को प्रदान की गई थी। ठेकेदार को इस कार्य के लिए 18.43 लाख का भुगतान किया गया। जिला पंचायत के अभियंता द्वारा दिनांक 12-12-18 को जांच कराये जाने पर कार्य मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। ठेकेदार पी.एम.एस. फीनिक्स काल्टेण्ट द्वारा किन कमियों का निकरण कराया गया था। निराकरण हुआ अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि 18.43 लाख का भुगतान अनियमित किया गया। इसके लिए अभियंता श्री विनोद सिंह व अपर मुख्य अधिकारी सुनील कुमार यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-21}

प्रस्तर 14 राज्य वित्त योजनान्तर्गत 15-6-18 को आमंत्रित निविदा प्रस्ताव सं० 4 के क्रम में विकास खण्ड बिल्हौर में छोटी खजुरी रोड से बरौली बम्बा तक नाला निर्माण लम्बाई 300 मी के निर्माण हेतु मै०विमला कंस्ट्रक्शन को 18.58 लाख से 9.25 कम पर रु 16,86,135 में दिया गया। कार्यदेश दिनांक 07-07-18 को दिया गया कार्य अवधि 11-07-18 से 10-09-18 तक पूर्ण किया जाना था। जांच में पाया गया कि कार्य विलम्ब से प्रारम्भ किया गया। प्रथम रनिंग बिल से रु 5 लाख 16-3-19 को व द्वितीय रनिंग बिल से 3-10-19 को 12.00 लाख भुगतान किये गये। कार्य 300 मी के सापेक्ष 295 मी अद्यतन बनाया गया है। नाला अंतिम बिन्दु तक नहीं बनाया गया अर्थात् अभी अपूर्ण है। नाले का प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार 17 लाख के भुगतान को अनियमित मानते हुये श्री सुनील कुमार यादव अपर मुख्य अधिकारी व अभियंता श्री विनोद सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-22}

प्रस्तर 15 13वां वित्त से विकास खण्ड सरसौल के ग्राम पाली में काले रोड से रामकुमार गुप्ता तक सी०सी० कार्य 03/09/2016 को प्रस्ताव सं० 193 टेण्डर 09/04/2016 को न्यूनतम टेण्डर के आधार पर पर यू०पी० डेवलपर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन को स्वीकृत किया गया। कार्यदेश की तिथि 19-12-16 पूर्ण करने की तिथि 18-02-17 की थी। दिनांक 06/01/2018 को अवर अभियंता श्री स्वतंत्र कुमार ने पत्र लिखा कि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। 08-01-2018 को अवर अभियंता द्वारा अभियंता को पुनः पत्र लिखा गया। परन्तु अवर अभियंता की रिपोर्ट पर 04/05/2018 को 7,30,000 एवं 17-05-2018 को रु 1,01,000 कुल 8,31,000 का भुगतान कर दिया गया। पत्रावली में कार्य प्रारम्भ की तस्वीर, कार्य समाप्त की तस्वीर, श्रम पंजीयन, एम०एम०-11 संलग्न नहीं पाये गये। भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। श्री विनोद सिंह अभियंता मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल

आपत्ति-23}

प्रस्तर 16 कैथा मुख्य बाजार से बन्दी गांव तक मार्ग के लेवन का कार्य 0.750 किमी से 01.500 किमी तक 20-02-2018 को आमंत्रित निविदा में 24.49 लाख का स्वीकृत किया गया। कार्यदेश की तिथि 03-05-2018 पूर्ण करने का दिनांक 02-07-2018 था। अवर अभियंता श्री अशोक कुमार की जांच के आधार पर प्रमाणक सं० 54/19-05-2018 को रु 6,90,000, प्रमाणक सं० 81 दिनांक 22-05-2018 को 47,200 एवं प्रमाणक सं० 64 दिनांक 19/01/2019 को 10,98,600 कुल 22,60,600 का भुगतान रोकने के आदेश दिये गये थे। मार्ग का निरीक्षण टी०ए०जी० द्वारा 10-07-2018 को निरीक्षण करने पर कार्यालय पत्र सं० 2676/एस०टी०/टी०ए०सी०/जांच/2018 दिनांक 20-11-2018 द्वारा कई कमियां पाई गईं। जैसे डस्ट में बालू मिक्स पाया गया परन्तु इन शिकायतों के बावजूद भुगतान कर दिये गये रु 22,60,600 के अनियमित भुगतान के लिए प्रमुख रूप से अवर अभियंता श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-24}

प्रस्तर 17 कैथा मुख्य बाजार से बन्दी गांव तक मार्ग के लेवन का कार्य 00 से 0.750 किमी तक 23.62 लाख में 26-02-18 को श्री शैलेन्द्र तिवारी ठेकेदार को दिया गया। प्रमाणक सं० 73 दिनांक 22-05-2018 द्वारा 7,30,000 एवं प्रमाणक सं० 70 द्वारा दिनांक 19-01-2019 को रु 14,56,400 कुल रु 21,86,400 का भुगतान अवर अभियंता श्री अशोक कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। कराये गये कार्य में कई अनियमितता के बावजूद शिकायतों पर ध्यान न देकर भुगतान करने के लिए 21,86,400 को अनियमित भुगतान मानते हुये अवर अभियंता श्री अशोक कुमार को उत्तरदायी मानती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

{मूल आपत्ति-25}

प्रारूप -02

जनपद-हरदोई

मण्डल-लखनऊ

जिला पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

प्रस्तर-जिला पंचायत को वर्ष 2018-19 में मृत पशुशव निस्तारण मद से रु० 11,03,450.00 की आय हुई है। जिला पंचायत द्वारा उक्त आय का 50 प्रतिशत धनराशि रु० 5,51,725.00 ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया है। जो शासनादेश सं० 2967 (1)/33-2-2002-15 बी (4)/02 दिनांक 07.10.2002 में दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री आर० एस० यादव विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। एस० यादव व लेखाकार श्री योगेश सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-09)

नाम संस्था - जिला पंचायत जनपद - लखीमपुर-खीरी

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-1 नौका घाट नीलामी सूचना के अनुसार नीलामी में भाग लेने वाली समितियों के लिये रु० 5000/- प्रति नौका घाट की दर से जमानत राशि जमा करना अनिवार्य था परन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों में उक्त जमानत राशि की प्राप्ति एवं वापसी की पुष्टि में कोई रसीद/पत्र संलग्न नहीं पाई गई और न ही केशबुक में इस सम्बन्ध में पुष्टि हो पाई। अतः पुष्टि के अभाव में रु० 5000/- प्रति घाट की दर से तीन

नौका घाट की जमानत राशि रु0 15000/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 नौका घाट सम्बन्धी लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार दिनांक 01/04/2018 को नौका घाट ठेके की बकाया मांग का विवरण वर्ष वार निम्न प्रकार था :-

वर्ष	बकाया राशि	समिति की संख्या	वर्ष	बकाया राशि	समिति की संख्या
1948.49	3075.00	1	1979.80	2000.00	1
1956.57	1294.00	1	1981.82	425.00	1
1957.58	307.00	1	1993.94	1602.00	1
1958.59	215.00	1	1994.95	300.00	1
1959.60	544.00	1	2002.03	236000.00	1
1960.61	14323.00	6	2003.04	32500.00	2
1963.64	7496.00	2	2004.05	22500.00	2
1964.65	9069.00	4	2006.07	49000.00	2
1966.67	4750.00	1	2007.08	50000.00	1
1967.68	7158.00	3	2008.09	74717.00	1
1969.70	14505.00	7	2009.10	42000.00	1
1968.69	6528.00	4	2010.11	52000.00	2
1970.71	850.00	1	2011.12	245000.00	2
1971.72	3609.00	3	2013.14	16000.00	1
1972.73	2164.00	2	2014.15	262000.00	2
1974.75	388.00	1	2016.17	207000.00	1
1977.78	4620.00	4	2017.18	555200.00	3
1978.79	2000.00	4			
योग	82895.00	47		1848244.00	25
महायोग				1931139.00	72

उक्त बकाया राशि के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में वर्ष 2017-18 के बकाया से मात्र रु0 57000/- की ब्याज सहित वसूली की गयी। जब शेष राशि रु0 1874139/- दिनांक 31.03.2019 को बकाया रही। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली हेतु धारा 150 एवं धारा 151 के अन्तर्गत नोटिस एवं वारण्ट की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त राशि की भूराजस्व की भांति वसूली हेतु आर0सी0 जारी करने की भी कार्यवाही नहीं की गयी। अधिकांश राशि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत कालातीत हो चुकी है। स्पष्ट है कि रु0 1874139/- की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई सक्रिय प्रयास न किये जाने से संस्था को वित्तीय क्षति पहुँची है और इस प्रकार संस्था को क्षति पहुँचाकर रु0 1874139/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 वर्ष 2018-19 के पशु बाड़ा (कांजी हाउस) लाइसेंस रजि0 के अनुसार दिनांक 01/04/2018 को कांजी हाउस ठेके की बकाया मांग का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार था -

क्र0 सं0	विकास खण्ड	बकाया राशि 01/04/2018 को	ठेकेदारों की संख्या	दी गयी नोटिस की संख्या	आर0 सी0 की संख्या
1	मोहम्मदी	309.00	1	0	.
2	बांकेगंज	2006.00	5	0	.
3	कुम्भी	6514.00	4	0	.
4	ईसानगर	16110.00	19	2	.
5	लखीमपुर	4787.00	5	1	.
6	मितौली	7282.00	5	0	.
7	रमियाबेहड़	16932.00	12	2	.
8	निघासन	22055.00	7	2	.
9	बिजुआ	1155.00	4	0	.
10	धौरहरा	1325.00	6	0	.
11	फूलबेहड़	2622.00	9	0	.

12	नकहा	360.00	1	0	.
	योग :-	81457.00	78	7	.

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं :-

(i)-लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार 01/04/2018 को गत वर्ष की बकाया राशि रु0 60561/- होनी चाहिये थी जबकि योग करने पर उक्त राशि कुल रु0 81457/- पायी गयी। इससे स्पष्ट है कि वसूली की राशि की प्रविष्टि लाइसेंस रजिस्टर में यथोचित तरीके से नहीं की जा रही है। वर्षवार बकाया राशि में सुधार किया जाना अपेक्षित है।

(ii)-उक्त बकाया राशि कुल 78 ठेकेदारों पर बकाया थी जबकि मात्र 7 ठेकेदारों को ही मांग नोटिस जारी की गयी जबकि शेष ठेकेदारों को कोई नोटिस जारी न करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii)-किसी भी ठेकेदार के विरुद्ध धारा-151 के अन्तर्गत वारंट की कार्यवाही नहीं की गयी।

(iv)-उक्त ठेकेदारों के विरुद्ध भू-राजस्व की भौति वसूली करने हेतु आर0सी0 भी जारी नहीं की गई।

(v)- उक्त बकाया राशि के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में मात्र रु0 300/- की ही वसूली की गयी है जबकि शेष राशि रु0 60261/- की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया।

अधिकांश बकाया राशि भारतीय परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा-3 के अन्तर्गत कालातीत हो चुकी है। उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि बकाया राशि रु0 60261/- की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई भी सक्रिय प्रयास न करके एवं संस्था को क्षति पहुँचाकर **वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं।** आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 जिला पंचायत के हड़्डी चमड़ा लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31/03/2019 को गत वर्ष की बकाया राशि का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार था-

क्र0सं0	वर्ष	बकाया राशि	क्र0सं0	वर्ष	बकाया राशि
1	1967.68	5026.00	18	1998.99	211100.00
2	1968.69	16043.00	19	1999.2000	35000.00
3	1969.70	18453.00	20	2002.2003	50000.00
4	1970.71	47591.00	21	2003.2004	31700.00
5	1971.72	9579.00	22	2004.2005	85490.00
6	1972.73	29668.00	23	2005.2006	209842.00
7	1974.75	58075.00	24	2007.2008	84745.00
9	1975.76	24301.00	25	2008.2009	195975.00
9	1976.77	19941.00	26	2009.2010	291690.00
10	1987.88	80464.00	27	2010.2011	131500.00
11	1988.89	24598.00	28	2011.2012	375405.00
12	1989.90	77800.00	29	2012.2013	90000.00
13	1991.92	186626.00	30	2013.2014	151300.00
14	1992.93	60360.00	31	2014.2015	286900.00
15	1993.94	194736.00	32	2015.2016	736059.00
16	1994.95	280553.00	33	2016.2017	254171.00
17	1997.98	91000.00	34	2017.2018	10500.00
योग		1224814.00			3231377.00
महायोग					4456191.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं :-

(i)- लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31/03/2019 को गत वर्ष की बकाया राशि रु0 4534154.00 होनी चाहिये थी जबकि योग करने पर उक्त राशि कुल रु0 4456191.00 पायी गयी जो कि रु0 77963.00 से कम थी। इससे स्पष्ट है कि वसूली की राशि की प्रविष्टि लाइसेंस रजिस्टर में यथोचित

तरीके से नहीं की जा रही है। वर्षवार लेखा बंदी को सही करके उक्त राशि में सुधार किया जाना अपेक्षित है।

(ii)- वर्ष 2011-12 के पश्चात के कुछ ठेकेदारों को मांग नोटिस जारी की गयी है जबकि इससे पूर्व के किसी भी ठेकेदार को नोटिस जारी किये जाने का प्रमाण नहीं मिला।

(iii)- किसी भी ठेकेदार के विरुद्ध धारा-151 के अन्तर्गत वारंट की कार्यवाही नहीं की गयी।

(iv)- उक्त ठेकेदारों के विरुद्ध भू-राजस्व की भौति वसूली करने हेतु आर0सी0 भी जारी नहीं की गयी।

(v)- स्पष्टतः बकाया राशि की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया।

अधिकांश बकाया राशि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के नियम-3 के अन्तर्गत कालातीत हो चुकी है। उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि बकाया राशि रु0 4456191.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई सक्रिय प्रयास न करके एवं संस्था को क्षति पहुँचा कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 वर्ष 2018-19 के ईट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार जिला पंचायत में कुल 240 ईट भट्ठा पंजीकृत हैं जिसमें से कुल 34 भट्ठों से वर्ष 2018-19 का लाइसेंस शुल्क दिनांक 31/12/2019 तक प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त ईट भट्ठों का विकास खण्ड वार विवरण निम्न प्रकार था –

क्र0सं0	ईट भट्ठे का नाम	विकास खण्ड
1	मे0 रतन लाल अग्रवाल ईट उद्योग	लखीमपुर
2	मे0 गुरुकृपा ब्रिक फील्ड	लखीमपुर
3	मे0 श्रीराम कुटीर उद्योग	लखीमपुर
4	मे0 जनता ब्रिक फील्ड	गोला
5	मे0 न्यू जनता ब्रिक फील्ड	गोला
6	मे0 जनता ईट भट्ठा	गोला
7	मे0 अमर ब्रिक फील्ड	मितौली
8	मे0 राधे ब्रिक फील्ड	मितौली
9	मे0 कस्ता ईट उद्योग	मितौली
10	मे0 अमर ईट उद्योग	मितौली
11	मे0 गणेश ईट उद्योग	मितौली
12	मे0 अंशुल ब्रिक फील्ड	मितौली
13	मे0 जमुना ब्रिक फील्ड	पसगवां
14	मे0 हाशमी ब्रिक फील्ड	पसगवां
15	मे0 राज ब्रिक फील्ड	पसगवां
16	मे0 अरुण ब्रिक फील्ड	पसगवां
17	मे0 शाबान ब्रिक फील्ड	पसगवां
18	मे0 आर0 एल0 संस ईट उद्योग	नकहा
19	मे0 साई बाबा ईट उद्योग	नकहा
20	मे0 किसान ब्रिक फील्ड	धौरहरा
21	मे0 शाजी ब्रिक फील्ड	धौरहरा
22	मे0 बालाजी ईट उद्योग	धौरहरा
23	मे0 हनुमान जी ईट उद्योग	धौरहरा
24	मे0 ओएल ईट उद्योग	बेहजम
25	मे0 भारत ईट उद्योग	बांकेगंज
26	मे0 सुशील कुमार सिंह ईट उद्योग	बांकेगंज
27	मे0 रतन लाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स	बांकेगंज
28	मे0 रतन लाल जगदीश प्रसाद ब्रिक फील्ड	बांकेगंज
29	मे0 रतन लाल जगदीश प्रसाद ब्रिक फील्ड	बांकेगंज
30	मे0 अनन्तराम वर्मा ईट भट्ठा	बांकेगंज
31	मे0 रतन लाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी	बांकेगंज
32	मे0 आर0एल0 एण्ड कम्पनी ईट उद्योग	बांकेगंज
33	मे0 पूर्वांचल ब्रिक फील्ड	बांकेगंज
34	मे0 न्यू अमन ब्रिक फील्ड	फूलबेहड़

उक्त 34 ईट भट्टों से रु0 7700.00 प्रति भट्टे की दर से कुल रु0 261800.00 की राशि लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूल करने का कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। चूँकि भट्टों को बंदी दर्ज नहीं है अर्थात् इनका संचालन किया जा रहा है। अतः लाइसेंस शुल्क की ब्याज सहित वसूली न करके एवं संस्था को वित्तीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 ईट भट्टा लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार कतिपय ईट भट्टों पर गत वर्षों का लाइसेंस शुल्क भी बकाया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दिनांक 31/12/2019 तक नहीं की गयी थी –

क्र०सं०	ईट भट्टे का नाम	विकास खण्ड	वर्ष 2017-18 का बकाया लाइसेंस शुल्क
1	मे० अमर ब्रिक फील्ड	मितौली	7600.00
2	मे० राधे ब्रिक फील्ड	मितौली	7600.00
3	मे० कस्ता ईट उद्योग	मितौली	7600.00
4	मे० अमर ईट उद्योग	मितौली	7600.00
5	मे० अंशुल ब्रिक फील्ड	मितौली	7600.00
6	मे० किसान ब्रिक फील्ड	धौरहरा	7600.00
7	मे० ओएल ईट उद्योग	बेहजम	7600.00
8	मे० रतनलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी	बांकेगंज	7600.00
योग :-			60800.00

लाइसेंस रजिस्टर में उक्त ईट भट्टों के सम्मुख “बंदी” दर्ज नहीं पाई गई। भट्टा मालिक की ओर से संचालन न किये जाने का कोई प्रार्थना-पत्र भी पत्रावली में नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि उक्त राशि रु0 60800/- की ब्याज सहित वसूली का कोई सक्रिय प्रयास किया ही नहीं गया। ईट भट्टों को लाभ पहुँचाने तथा संस्था को वित्तीय क्षति पहुँचाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 वर्ष 2018-19 के ईट भट्टा लाइसेंस रजिस्टर में कतिपय ईट भट्टों के सम्मुख “बंदी” दर्ज करके लाइसेंस वसूली शून्य दर्शित की गयी है –

क्र०सं०	ईट भट्टे का नाम	विकास खण्ड
1	मे० केवलमल दयाराम ब्रिक फील्ड	लखीमपुर
2	मे० मीन ब्रिक फील्ड	लखीमपुर
3	मे० बालाजी ईट उद्योग	लखीमपुर
4	मे० रजा ब्रिक इण्डस्ट्रीज	गोला
5	मे० एल०आर०जी० ब्रिक फील्ड	गोला
6	मे० हाजी उल इस्लाम ईट उद्योग	मोहम्मदी
7	मे० साबिर अली ईट उद्योग	रमियाबेहड़
8	मे० सोना ब्रिक फील्ड	रमियाबेहड़
9	मे० मों दुर्गा ईट उद्योग	ईसानगर
10	मे० ओम ब्रिक फील्ड	बांकेगंज
11	मे० जनता ब्रिक फील्ड	बांकेगंज

उक्त भट्टों की “बंदी” की पुष्टि में बंदी सम्बन्धी कोई पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं रही अतः भट्टा संचालक का प्रार्थना-पत्र, प्रार्थना-पत्र प्राप्ति की तिथि, राजस्व निरीक्षक द्वारा निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण आख्या, बंदी की तिथि, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी को प्रमाणित किये जाने के आदेश एवं तिथि आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

“बंदी” के अपुष्ट होने के कारण इन भट्टों से रु0 7700.00 की दर से कुल रु0 84700.00 लाइसेंस शुल्क की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये थी। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण ढंग से बंदी दर्ज करके एवं लाइसेंस शुल्क वर्ष 2018-19 की ब्याज सहित वसूली न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति एवं विभवकर रजिस्टर (विकास खण्ड वार) की जाँच करने पर यह पाया गया कि कई ईट भट्टे ऐसे हैं जिन पर वर्ष 2018-19 में कर का अवधारण किया गया है परन्तु उनका नाम ईट भट्टा लाइसेंस रजिस्टर में अंकित नहीं पाया गया, यथा-

क्र० सं०	ईट भट्टे का नाम	विकास खण्ड	चालू मांग	बकाया	योग	वसूली	शेष
1	आर०एल० ईट उद्योग नीमगांव	बेहजम	6000	6000	12000	12000	0
2	अजीमुल्ला ब्रिक फील्ड करिया	लखीमपुर	6000	0	6000	6000	0
3	गुप्ता कॉटेज उद्योग गूमचीनी	लखीमपुर	6000	0	6000	6000	0
4	करन ब्रिक फील्ड, बांसखेड़ा	लखीमपुर	6000	0	6000	6000	0
5	आलोक अहमद जमील अहमद ब्रिक फील्ड मनिकापुर	लखीमपुर	6000	0	6000	6000	0
6	देव कुमार चोपड़ा ईट भट्टा राजापुर	लखीमपुर	6000	0	6000	6000	0
7	भारत ब्रिक फील्ड सुआबोझ	बांकेगंज	6000	0	6000	6000	0
8	गणेश ब्रिक फील्ड, सेमरी	रमियाबेहड़	6000	6000	12000	18000	(-)6000
9	श्याम ब्रिक फील्ड धर्मपुर	मोहम्मदी	6000	0	6000	6000	0
10	भारत ब्रिक फील्ड पोखरी	निघासन	6000	0	6000	6000	0
11	हिन्दुस्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज बेनीपुरवा	निघासन	6000	0	6000	6000	0
12	शान ब्रिक फील्ड अयोध्यापुरवा	निघासन	6000	0	6000	12000	(-)6000

उक्त भट्टों के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं -

(i)-चालू वर्ष में उक्त भट्टों पर कर अवधारण किया गया है एवं उसकी ब्याज सहित वसूली भी की गयी है अर्थात् उक्त सभी भट्टे वर्तमान में संचालित हैं। उक्त भट्टों के संचालन की जानकारी होने के बाद भी उनसे लाइसेंस शुल्क वर्ष 2017-18 का जमा नहीं कराया गया है।

(ii)-लाइसेंस शुल्क जमा न होने के बाद भी उक्त भट्टों को संचालन बंद करने की कोई विधिक नोटिस नहीं दी गयी है।

(iii)-लाइसेंस शुल्क जमा न करने के कारण उक्त भट्टों का संचालन पूर्णतया अवैध है।

(iv)- भट्टों के अवैध संचालन की कोई सूचना उपजिलाधिकारी को नहीं दी गयी है।

(v)- जिला पंचायत के कर अधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वर्ष में कभी भी लाइसेंस रजिस्टर एवं कर रजिस्टर का मिलान नहीं किया गया।

अतः आपत्तियों से स्पष्ट है कि लापरवाही के कारण संस्था को लाइसेंस शुल्क के रूप में मिलने वाली धनराशि (वर्ष 2017-18) ₹0 7600.00 की दर से कुल ₹0 91200.00 की आय की क्षति हुयी है। अर्थात् उक्त ₹0 91200.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर (विकास खण्ड वार) एवं ईट भट्टा लाइसेंस रजिस्टर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि कतिपय ईट भट्टे ऐसे हैं जिसका नाम लाइसेंस रजिस्टर में है तथा वर्ष 2017-18 का लाइसेंस शुल्क भी जमा है परन्तु उन पर वर्ष 2018-19 में कर का अवधारण नहीं किया गया है -

क्र०सं०	ईट भट्टे का नाम	क्षेत्र	विकास खण्ड
1	अतीक अहमद जमील अहमद ब्रिक फील्ड	मसिकापुर	लखीमपुर
2	रतनलाल अग्रवाल ईट उद्योग	खरहौल	लखीमपुर
3	वी० के० ईट भट्टा	निपनिया	लखीमपुर
4	श्रीराम कुटीर उद्योग	बरगदिया	लखीमपुर
5	अजीज जुल्फिकार ब्रिक फील्ड	कटिया	लखीमपुर
6	नव भारत ब्रिक फील्ड	निजामुद्दीन पहाड़पुर	लखीमपुर
7	धीरेन्द्र ब्रिक फील्ड	फत्तेपुर	मितौली

8	शिव ब्रिक फील्ड	मितौली	मितौली
9	भीखमपुर ब्रिक फील्ड	मितौली	मितौली
10	श्री गणेश ब्रिक फील्ड	कस्ता	मितौली
11	सममिलया प्रसाद शुक्ल ब्रिक फील्ड	बैरहा	मितौली
12	अनमोल ब्रिक फील्ड	रंगीलानगर	नकहा
13	रफी ब्रिक फील्ड	रंगीलानगर	नकहा
14	लखीमपुर ब्रिक फील्ड	पन्नीकला	नकहा
15	आजाद ब्रिक फील्ड	अभयपुर	रमियाबेहड़
16	बरनवाल ब्रिक फील्ड	कफसा	रमियाबेहड़
17	आर0एल0ए0 ईट उद्योग	तिगुड़वा	बेहजम
18	अनन्तराम वर्मा ईट उद्योग	अम्बरपुर	बांकेगंज
19	हाजी ब्रिक फील्ड	भुड़वारा	बांकेगंज
20	पूर्वांचल ब्रिक फील्ड	भुड़वारा	बांकेगंज
21	वी0 के0 ईट उद्योग	रहीमनगर	बिजुआ
22	अमित ईट उद्योग	पिपरियागंज	बिजुआ
23	गुप्ता ब्रिक फील्ड	गोविन्दपुरा	पसगवां
24	एम0पी0एम0के0 ब्रिक फील्ड	मानखेड़ा	पसगवां
25	अरुज ब्रिक फील्ड	जानमढी	पसगवां
26	शाबान ब्रिक फील्ड	जानमढी	पसगवां
27	के0जी0एन0 ट्रेडर्स	पिपरिया	धौरहरा
28	गाजी ब्रिक फील्ड	नयागॉव	धौरहरा
29	गाजी ईट उद्योग	नयागॉव	धौरहरा
30	श्री हनुमान जी ब्रिक फील्ड	नयागॉव	धौरहरा
31	ख्वाजा ब्रिक फील्ड	कोनिया बबुरी	धौरहरा
32	मिलन ब्रिक फील्ड	बेहरी	मोहम्मदी
33	आर0के0एस0 ब्रिक फील्ड	बगवाही	मोहम्मदी
34	शिव आराधना ईट उद्योग	खैरीगढ़	निघासन
35	हिन्द ब्रिक फील्ड	पोखरी	निघासन
36	पनहा ब्रिक फील्ड	सकेथू	कुम्भी
37	राजा ब्रिक फील्ड	प्रसादपुर	कुम्भी
38	न्यू जनता ब्रिक फील्ड	सकेथू	कुम्भी
39	जनता ईट भट्टा	देवीपुर	कुम्भी
40	रियाजुल्ला खॉ ईट भट्टा	रोशननगर	कुम्भी
41	राजा ईट उद्योग	रामपुरग्रन्ट	कुम्भी

चूँकि उक्त सभी भट्टों को वर्ष 2017-18 में लाइसेंस निर्गमित किया गया है अतः वर्ष 2017-18 की आय पर उनसे वर्ष 2018-19 में कर का अवधारण अवश्य किया जाना चाहिये था जो कि नहीं किया गया और इस प्रकार संस्था को रू0 6000.00 की दर से कुल रू0 246000.00 की क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिये कर अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 सम्पत्ति एवं विभव कर (विकास खण्ड वार) वर्ष 2018-19 का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि कतिपय ईट भट्टे ऐसे हैं जिन पर गत वर्षों का कर बकाया था। यथा –

क्र0 सं0	ईट भट्टे का नाम	क्षेत्र	विकास खण्ड	बकाया कर 01/04/18
1	मे0 जय अम्बे ब्रिक फील्ड	कोरैयागफूर	बेहजम	4000.00
2	मे0 शान्ति ईट उद्योग	कालाआम	लखीमपुर	6000.00
3	मे0 समी ब्रिक फील्ड	गरकटिया	लखीमपुर	2000.00
4	मे0 बालाजी ब्रिक फील्ड	गरकटिया	लखीमपुर	2000.00
5	मे0 लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	देवकली रोड	लखीमपुर	2000.00
6	मे0 गुरुनानक देव ब्रिक फील्ड	सलेमपुर	लखीमपुर	2000.00
7	मे0 सुल्तान अहमद ब्रिक फील्ड	चहलाबार	ईसानगर	8208.00
8	मे0 अब्दुल खालिद ब्रिक फील्ड	चहलाबार	ईसानगर	1584.00
9	मे0 मों दुर्गा ब्रिक फील्ड	पकरिया	ईसानगर	6000.00
10	मे0 नारायण ब्रिक फील्ड	रामपुर	ईसानगर	4000.00

11	मे0 कन्हैयालाल अवस्थी ब्रिक फील्ड	हसनपुरकटौली	ईसानगर	2000.00
12	मे0 ललिता ब्रिक फील्ड	हसनपुरकटौली	ईसानगर	6000.00
13	मे0 गौधी ब्रिक फील्ड	लाल्हापुर	ईसानगर	6000.00
14	मे0 सलीम बेग अजीज बेग ब्रिक फील्ड	अमेठी	मितौली	11125.00
15	मे0 अजीज खॉ ब्रिक फील्ड	अमेठी	मितौली	1200.00
16	मे0 गोल्डन ब्रिक फील्ड	मुरारखेड़ा	पलिया	1563.00
17	मे0 तारा ब्रिक फील्ड	भूड़ा	पलिया	5563.00
18	मे0 एस0आर0एफ0 ईट भट्टा	टेंगनहा	धौरहरा	2000.00
19	मे0 एस0बी0एफ0 ईट भट्टा	अचवापुर	धौरहरा	2000.00
20	मे0 राम ईट भट्टा	बसन्तापुर	धौरहरा	2000.00
21	मे0 नसीर ब्रिक फील्ड	बसन्तापुर	धौरहरा	2000.00
22	मे0 वेदप्रकाश ब्रिक फील्ड	बबुरी	धौरहरा	4000.00
23	मे0 प्रहलाद नारायण ब्रिक फील्ड	अदलीसपुर	धौरहरा	1042.00
24	मे0 शान ईट भट्टा	सिनहोना	निघासन	1800.00
25	मे0 विजय ईट भट्टा	सुथनाबरसोला	निघासन	12000.00
26	मे0 गर्ग ब्रिक फील्ड	हरिहरनगर	कुम्भी	2000.00
27	मे0 गोवर्धन लाल ब्रिक फील्ड	हरिहरनगर	कुम्भी	3000.00
28	मे0 रतनलाल अग्रवाल ईट भट्टा	मोहम्मदी रोड	कुम्भी	6000.00
29	मे0 भगौती प्रसाद ब्रिक फील्ड	कोरया बगहा	कुम्भी	1000.00
	योग :-			110885.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- (i)-वर्ष 2018-19 में उक्त भट्टों से बकाया कर की ब्याज सहित वसूली शून्य रही है।
- (ii)-धारा-150 नियम-16 के अन्तर्गत उक्त भट्टों को मांग की नोटिस नहीं दी गयी।
- (iii)-धारा-151 के अन्तर्गत भट्टा संचालकों के विरुद्ध वारंट एवं अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी।
- (iv)-धारा-158 के अन्तर्गत भट्टा संचालकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही नहीं की गयी।
- (v)-नियम-17 एवं नियम-3 के अन्तर्गत बकाया कर की भू-राजस्व की भौति वसूली हेतु आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही नहीं की गयी।
- उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि बकाया कर की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार कर वसूली में लापरवाही द्वारा तथा भट्टा संचालकों को लाभ पहुँचाकर कुल राशि **रु0 110885/-** की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 विभव सम्पत्ति कर रजिस्टर (विकास खण्ड वार) के अनुसार वर्ष 2018-19 में कर की मांग, वसूली एवं अवशेष का विवरण निम्न प्रकार था –

वर्ष 2018-19 की चालू मांग	—	7043963.00
वर्ष 2018-19 की बकाया मांग	—	10385701.00
कुल मांग	—	<u>17429664.00</u>
वर्ष 2018-19 में कुल वसूली	—	5961501.00
31 मार्च 2019 को अवशेष	—	<u>11468163.00</u>

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं –

- (i)- कुल मांग रु0 17429664/- के सापेक्ष कुल वसूली मात्र रु0 5961501/- रही है जो कि कुल मांग का मात्र 34.2 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि वसूली के प्रति लापरवाही बरती जा रही है।
- (ii)- धारा-150 नियम-16 के अन्तर्गत वसूली हेतु मांग की नोटिस नहीं भेजी गई।
- (iii)- धारा-151 के अन्तर्गत कर की ब्याज सहित वसूली हेतु वारंट एवं अभिहरण की कार्यवाही नहीं की गई।

(iv)- धारा-158 के अन्तर्गत बकाया कर दाताओं के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही नहीं की गयी।

(v)- नियम-17 के अन्तर्गत बकाया कर की भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु प्रारूप 'घ' पर जिलाधिकारी को भेजी गयी आर0सी0 की सूची उपलब्ध नहीं रही।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि कर की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार कर वसूली में लापरवाही से कुल **रु0 11468163/-** की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 निर्माण कार्य बिल सम्बन्धी व्यय प्रमाणक-50/14-08-2018 जो निर्माण कार्य - "नकहा में शारदानगर पी0डब्लू0डी0 रोड से रंजीत वर्मा के घर मार्ग पर अवशेष इण्टर लॉकिंग" से सम्बन्धित है के चालू बिल के अनुसार -

विवरण	बिल में वास्तविक गणना	लेखा परीक्षा के अनुसार गणना
कार्य की एम0बी0	586907.00	586907.00
(-)टी,पी,0.08%से कम	47.00	47.00
	586860.00	586860.00
(-)पूर्व भुगतान	-238000.00	- 58686.00
	348860.00	528174.00
(-)10%नियम 37(1)	- 34886.00	-238000.00
	313974.00	290174.00
स्वीकृत बिल	313000.00	290174.00
	बिल होना चाहिए अधिक भुगतान	22826.00

उक्त गणना से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण गणना द्वारा संस्था को रु0 22826/- की वित्तीय क्षति पहुँचाई गई है। ठेकेदार को अधिक भुगतान करके उक्त राशि रु0 22826/- का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, लेखाकार, अवर अभियन्ता उत्तरदायी है अतः उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 निर्माण कार्य बिल सम्बन्धी व्यय प्रमाणक-47/11-10-2018 जो निर्माण कार्य, "मझगई में ग्राम छब्बापुरवा से बाहर से अजी अहमद के घर से तालाब होते हुए सरजू के घर मार्ग पर खडन्जा कार्य" से सम्बन्धित है, के चालू बिल के अनुसार कार्य की एम0बी0 रु0 854000/- थी जिसमें से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली-1984 का नियम-37(1) के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कटौती रु0 85400/- के बाद रु0 768600/- का भुगतान पास किया जाना चाहिये था परन्तु 10 प्रतिशत कटौती के बिना ही रु0 854000/- का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार रु0 85400/- का अधिक भुगतान करके संस्था को वित्तीय क्षति पहुँचाई गई है। ठेकेदार को अधिक भुगतान करके रु0 85400/- की अनियमितता किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रु0 85400/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 जिला पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लगभग 50 पत्रावलियों की जाँच लेखा परीक्षा में की गयी जिनमें से कुछ कार्यों के सम्बन्ध में आपत्तियाँ पायी गयीं। यथा -

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कुल व्यय राशि	स्थिति
1	विकास खण्ड मितौली में चमीरा से कैमा तक लेपन व मरम्मत कार्य	2818600.00	पूर्ण
2	वि0ख0 लखीमपुर में शंकरपुर पेन्टेड रोड से परसेहरा होते हुए पी0डब्लू0डी0 रोड तक लेपन/मरम्मत कार्य	1677000.00	पूर्ण
3	विकास खण्ड कुम्भी में अलीगंज मार्ग से वन विभाग मार्ग पर लेपन व मरम्मत कार्य	2886600.00	पूर्ण
4	विकास खण्ड बिजुआ में गौरिया से अम्बारा तक लेपन व मरम्मत कार्य	1566350.00	पूर्ण
5	विकास खण्ड नकहा में प्राथमिक विद्यालय जिगनिया से हनीफ खॉ	724500.00	पूर्ण

	के खेत मार्ग पर खडन्जा कार्य		
6	वि०ख० ईसानगर में ग्राम सभा सिरसी में ईसानगर रोड से सोखत के घर तक खडन्जा/मिट्टी कार्य	762300.00	पूर्ण
7	विकास खण्ड कुम्भी में बेलहरी जमालपुर सम्पर्क मार्ग से बसही तक मिट्टी व खडन्जा कार्य	2891000.00	पूर्ण
8	विकास खण्ड लखीमपुर में बिझौली से अमकुटवा मार्ग पर खडन्जा कार्य	822553.00	पूर्ण
योग :-		14148903.00	

उक्त कार्यों के सम्बन्ध में अग्रलिखित आपत्तियाँ पायीं गयीं –

(i) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 24 के अन्तर्गत ई-निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि सावधि जमा पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि जो राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस द्वारा निर्मित हो एवं जो जिला पंचायत, खीरी के पक्ष में बंधक हो, की छायाप्रति एवं उनके सत्यापन सम्बन्धी पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

(ii) निविदा के साथ संलग्न शपथ पत्रों पर नोटरी द्वारा प्रमाणन तो था परन्तु उन पर ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं थे।

(iii) शपथ पत्र पर प्रायः कार्य का क्रमांक तो अंकित किया गया था परन्तु कार्य का विवरण, ठेकेदार का पैन नम्बर, मोबाइल नम्बर, दिनांक आदि स्थान रिक्त थे।

(iv) जिला पंचायत एवं ठेकेदार के मध्य किये गये एग्रीमेन्ट पर कहीं भी तिथि अंकित नहीं की गयी थी।

(v) उक्त सभी पत्रावलियों में कार्य पूर्ण होने के बाद की एवं बोर्ड की एक फोटो तो लगी थी परन्तु कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व की एवं कार्य के दौरान की प्रमाणित फोटो के अभाव में कार्य की स्थिति, गुणवत्ता, कार्य स्थल की पहचान आदि की जानकारी नहीं हो सकी। सभी फोटो एक ही लोकेशन पर एक ही एंगिल से ली जानी चाहिये।

(vi) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-39 के अनुसार रु० 1000000/- (रु० दस लाख) से कम की लागत वाले निर्माण कार्य का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) से एवं रु० 1000000/- (रु० दस लाख) से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्य का अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) से निरीक्षण कराया जायेगा परन्तु किसी भी पत्रावली में ऐसा नहीं पाया गया।

(vii) नियम-37 के अनुसार अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है। परन्तु उक्त किसी भी पत्रावली में अभियन्ता द्वारा प्रमाणित पूर्णता प्रमाण-पत्र लगा नहीं पाया गया।

(viii) पत्रावलियों में लगे नियम-41 प्रपत्र-8 के किसी भी बिल पर कार्य पूर्ण होने की तिथि अंकित नहीं पायी गयी मात्र कार्य का माप लेने की तिथि ही अंकित थी। पूर्णता की तिथि भी अंकित की जानी चाहिये। उक्त सभी आपत्तियों के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त कार्यों पर लापरवाही एवं अनियमितता की गयी है

अतः कुल व्यय राशि रु० 14148903/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रु० 14148903/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय-4 में वर्णित ठेका की शर्तें खण्ड-2(ग) के अनुसार, यदि ठेकेदार निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करता है तो विलम्बित अवधि के लिये अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत प्रतिदिन तथा अधिकतम लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जा सकता है परन्तु किसी भी कार्य में इस नियम का पालन नहीं किया गया। यथा –

क्र०सं०	कार्य का नाम व विवरण	कार्य की कुल लागत	लागत का 10 प्रतिशत
1	वि०ख० बांकेगंज में कन्हईपुर नाग झाला से मन्दिर से सुखचैनापुर तक मिट्टी व खडन्जा कार्य	2158300.00	215830.00
2	वि०ख० फूलबेहड़ में ग्राम पंचायत पयाग में अवघटा में मेड़ईपुरवा अवशेष मार्ग पर खडन्जा कार्य	851200.00	85120.00
3	वि०ख० पलिया में मझगई में गाँव छब्बापुरवा से बाहर से अजी	1972300.00	197230.00

	अहमद के घर से तालाब होते हुए सरजू के घर मार्ग पर खडन्जा कार्य		
4	वि०ख० नकहा में प्रा०वि० जिगनिया से हनीफ खों के खेत मार्ग पर खडन्जा कार्य	817000.00	81700.00
5	वि०ख० पसगवां में ग्राम सभा शाहपुरजागीर जसवन्त के झाला के चौराहे से शाहपुरजागीर खडन्जा मार्ग पर मिट्टी व खडन्जा कार्य	1367700.00	136770.00
6	वि०ख० लखीमपुर में शंकरपुर पेन्टेड रोड से परसेहरा होते हुए पी०डब्लू०डी० रोड तक लेपन मरम्मत कार्य	1905062.00	190506.00
7	वि०ख० बिजुआ में गौरिया से अम्बारा तक लेपन व मरम्मत कार्य	1771075.00	177107.00
8	वि०ख० कुम्भी में अलीगंज मार्ग से वन विभाग मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य	3200000.00	320000.00
9	वि०ख० मिताली में चटौरा से कैमा तक लेपन व मरम्मत कार्य	3013000.00	301300.00
10	सुजानपुर खैरीपुरवा रोड से जिला पंचायत द्वारा निर्मित खडन्जा सहजदिया मार्ग पर अवशेष खडन्जा कार्य	2317800.00	231780.00
	योग :-	19373437.00	1937343.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों के अनुसार कुल रू० 1937343/- का विलम्ब शुल्क कम वसूल कर वित्तीय अनियमितता की गई जिसके लिये अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं अतः उक्त सम्पूर्ण राशि रू० 1937343/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 वर्ष 2018-19 में राना स्टील वर्क्स, बक्सा मार्केट, लखीमपुर-खीरी से डेड स्टॉक में अलमारी एवं बक्सा क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	व्यय प्रमाणक संख्या व तिथि	धनराशि
1	62 / 17.09.2018	3450.00
2	60 / 27.09.2018	4500.00
3	61 / 27.09.2018	4500.00
4	38 / 02.02.2019	4900.00
	योग :-	17350.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं -

(i)- उक्त प्रमाणकों के सापेक्ष सम्बन्धित फर्म के बिल/क्रय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी अतः क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।

(ii)- उक्त क्रय की पुष्टि में डेड स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii)- शासनादेश के अनुसार जी०ई०एम० पोर्टल से क्रय नहीं किया गया है।

(iv)- उक्त अलमारी/बक्सा किस अनुभाग के लिये क्रय किया गया है, यह स्पष्ट नहीं रहा। सम्बन्धित अनुभाग से क्रय मांग प्राप्त हुयी थी या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो सका।

उक्त आपत्तियों के आधार पर स्पष्ट है कि बिना उद्देश्य/मांग के क्रय किया गया है तथा कैशमेमो एवं डेड स्टॉक रजिस्टर से पुष्टि न होने के कारण उक्त राशि रू० 17350/- का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः रू० 17350/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 व्यय प्रमाणक संख्या-79 दिनांक 21/05/2018 रू० 61000/-, व्यय प्रमाणक संख्या-62 दिनांक 23/08/2018 रू० 69000/- एवं व्यय प्रमाणक संख्या-133 दिनांक 19/01/2019 रू० 64000/- जिला पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु माननीय सदस्यों को वितरित वाहन भत्ते से सम्बन्धित है जिनकी पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहे अतः सदस्यों की संख्या एवं भुगतान राशि तथा कार्यवाही की पुष्टि नहीं हो सकी। पुष्टि के अभाव में उक्त व्यय अनियमित व्यय है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, पटल सहायक एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं अतः रू० 194000/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 व्यय प्रमाणक संख्या 35 दिनांक 22/06/2018 रू० 5000/-, व्यय प्रमाणक संख्या-42 दिनांक 22/06/2018 रू० 5000/-, व्यय प्रमाणक संख्या-89 दिनांक 30/08/2018 रू० 5000/- एवं

व्यय प्रमाणक संख्या-13 दिनांक 04/10/2018 रू0 5000/- कुल राशि रू0 20000/- जनरेटर डीजल क्रय के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी को नकद भुगतान से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं -

- (i)- उक्त राशि का नकद आहरण क्यों किया गया?
- (ii)- उक्त राशि सीधे जनरेटर प्रभारी को देने के बजाय अपर मुख्य अधिकारी के माध्यम से दी गई।
- (iii)- डीजल विक्रेता फर्म का बिल उपलब्ध नहीं रहा।
- (iv)- जनरेटर की लॉग बुक प्रस्तुत नहीं की गयी।
- (v)- धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में जनरेटर प्रभारी को रसीद उपलब्ध नहीं रही।

उपरोक्त आपत्तियों के आधार पर उक्त भुगतान को अपुष्ट व अमान्य माना जाता है। स्पष्ट है कि बिना किसी आवश्यक प्रमाणक के डीजल क्रय का भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, जनरेटर प्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू0 20000/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 कार्यालय परिसर में इण्डियन ओवरसीज बैंक के विस्तार पटल से सम्बन्धित किराया पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए -

(i)- उक्त भवन बैंक को दिनांक 16/10/1993 को 15 वर्ष के लिये आवंटित किया गया था जिसके लिये तय शर्तों के अनुसार प्रथम 5 वर्ष पश्चात किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी पुनः 5 वर्ष बाद 10 प्रतिशत वृद्धि की जानी थी।

(ii)- उक्त शर्तों पर सहमति के बाद भी कोई अनुबन्ध बैंक द्वारा नहीं किया गया और बिना अनुबन्ध के ही किरायेदारी एवं किराये का अवधारण चलता रहा।

(iii)- उक्त आवंटन की अवधि दिनांक 15/10/2008 को समाप्त हो गयी परन्तु किरायेदारी को चालू रखा गया। यद्यपि किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी गयी परन्तु बैंक द्वारा पुनः कोई अनुबन्ध नहीं कराया गया।

(iv)- दिनांक 26/06/2009 एवं दिनांक 06/11/2009 को सहायक आयुक्त स्टैम्प द्वारा अपर मुख्य अधिकारी को पत्र लिया गया कि बैंक द्वारा अनुबन्ध न करने के कारण भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक बी के अनुच्छेद-35 के अन्तर्गत देय स्टैम्प शुल्क की ब्याज सहित वसूली बैंक से नहीं की जा सकी। अतः यथाशीघ्र अनुबन्ध कराकर सूचित किया जाये परन्तु फिर भी 10 वर्षों तक भी कोई अनुबन्ध नहीं कराया गया।

(v)- अनुबन्ध न होने के कारण बैंक द्वारा बाद में नियमित किराये का भुगतान भी बंद कर दिया गया जिसके कारण दिनांक 31/03/2019 को बकाया किराया राशि रू0 228647/- हो गयी थी। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा जानबूझकर अनुबन्ध न करके किरायेदारी में विवाद उत्पन्न किया गया। इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- (i)- बकाया किराया के साथ अर्थदण्ड भुगतान की कोई नोटिस नहीं दी गयी।
- (ii)- बकाया किराये के आधार पर आवंटन को निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
- (iii)- बैंक द्वारा अनुबन्ध न कराने के कारण 4 प्रतिशत की दर से राजकीय राजस्व की क्षति हुई।
- (iv)- बकाया किराया रू0 228647/- एवं अर्थदण्ड की ब्याज सहित वसूली हेतु धारा-151 एवं धारा-158 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि बैंक प्रबंधन के साथ किसी दुरभिसंधि के कारण बैंक को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी और इस प्रकार संस्था को रू0 228647.00 + अर्थदण्ड की वित्तीय क्षति तथा अनुबंध न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता के समतुल्य है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रू0 228647/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 विकास खण्ड निघासन की दुकान संख्या 26 से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए -

(i)- उक्त दुकान दिनांक 22/12/1997 को श्री माया शुक्ला को रू0 375/- प्रति माह किराये पर आवंटित की गई थी।

- (ii)- दिनांक 08/08/2014 को सदस्य उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा जिला पंचायत को सूचना दी गयी कि उक्त दुकान श्री माया शुक्ला द्वारा किसी व्यक्ति को रु0 700000/- में बेच दी गयी है।
- (iii)- उक्त सूचना की जाँच श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, टी0सी0 से करायी गयी जो कि सही पायी गयी। जाँच आख्या पत्रावली में संलग्न पायी गयी।
- (iv)- उक्त सूचना के सही पाये जाने के बाद भी वर्ष 2018-19 तक न तो श्री माया शुक्ला का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की गयी और न ही निबंधन कार्यालय से प्रकरण की जाँच करके उक्त दुकान की रजिस्ट्री को निरस्त करने का कोई अनुरोध पत्र दिया गया। जो कि अपेक्षित था।
- (v)- आवंटन निरस्त करने के बजाय किराया का अवधारण अद्यतन करते हुए मांग की नोटिस भेजी जाती रही परन्तु किराया वसूल न होने पर बकाया किराया में वृद्धि होती रही।
- (vi)- एग्रीमेन्ट के अनुसार किराये में प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी परन्तु 2008 से किराया वृद्धि प्रत्येक 3 वर्ष पर 25 प्रतिशत कर दी गयी। उक्त के हिसाब से किराये का अवधारण नहीं किया गया। यथा -

22.12.1997 से 22.12.2000 तक	375	375	.
23.12.2000 से 22.12.2003 तक	375	431	$56 \times 36 = 2016$
22.12.2003 से 22.12.2006 तक	375	496	$121 \times 36 = 4356$
23.12.2006 से 22.08.2009 तक	375	570	$195 \times 32 = 6240$
23.08.2009 से 31.07.2012 तक	486	713	$227 \times 36 = 8172$
01.08.2012 से 31.07.2015 तक	608	891	$283 \times 36 = 10188$
01.08.2015 से 31.07.2018 तक	760	1114	$354 \times 36 = 12744$
01.08.2018 से 31.07.2021 तक	950	1393	$443 \times 8 = 3544$
		योग	47260.00

उक्त तालिका के अनुसार रु0 47260/- का किराया कम अवधारित करके श्री माया शुक्ला को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

- (vii) किराया पंजिका के अनुसार श्री माया शुक्ला से दिनांक 31/03/2018 से पूर्व का रु0 14440/- का किराया बकाया था। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल रु0 10450. 14440 त्र 24890 रही, जिसके सापेक्ष मात्र रु0 14655/- की ही वसूली की गयी है अतः दिनांक 31/03/2019 को रु0 10235/- की राशि बकाया रही जिस पर शर्त-9 के अनुसार 10 प्रतिशत अर्थदण्ड रु0 1024/- की ब्याज सहित वसूली भी की जानी अपेक्षित है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में निम्न आपत्तियाँ प्रकट हुई -

- (i)- बकाया किराया के साथ अर्थदण्ड भुगतान की कोई नोटिस नहीं दी गयी।
- (ii)- बकाया किराया के आधार पर आवंटन को निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
- (iii)- प्रत्येक बार किराया नवीनीकरण के समय नया अनुबंध न करके राजस्व को क्षति पहुँचाई गई।
- (iv)- श्री माया शुक्ला द्वारा दुकान बेचे जाने की सूचना के सत्यापन के बाद भी उनके विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी, किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।
- (v)- धारा-151 एवं धारा-158 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
- (vi)- दुकान पर कब्जा प्राप्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि श्री माया शुक्ला से कम किराया अवधारित करके रु0 47260.00 + अर्थदण्ड न लेकर रु0 1024.00 + अवैध बिक्री की राशि की मांग न करके रु0 700000.00 कुल राशि रु0 748284/- की वित्तीय क्षति संस्था को पहुँचाई गयी है। दुकान की बाजार कीमत यदि रु0 700000/- से अधिक आती है तो क्षति उस सीमा तक बढ़ जायेगी। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में

आता है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रु0 748284/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-2
जनपद- लखनऊ मण्डल-लखनऊ वर्ष-2018-19
जिला पंचायत लखनऊ सम्बन्धी आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-1 जिला पंचायत लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट का सम्पत्ति एवं विभवकर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि ग्राम नरेन्दी के श्री राम खेलावन पेशा नौकरी पर रु0 726.00 पूर्व वर्षों का सम्पत्ति एवं विभव कर का बकाया दर्शित है तथा वर्ष के दौरान कोई माँग दर्शित नहीं है और न ही कोई कारण उल्लिखित है। श्री रामखेलावन ने बकाया कर की धनराशि की वसूली से संबंधित जिला पंचायत द्वारा क्या प्रयास किया गया जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 147 के अनुसार बाकीदार की चल सम्पत्ति का अभिहरण तथा बिक्री करके वसूली किये जा सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में जिला पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिस कारण रु. 726.00 की हानि हुई है।

जिसे हेतु पटल सहायक, लेखाकार और श्री नरेन्द्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 त्रैमासिक विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रारूप 3 के क्रमांक 5 पर अंकित नौकाघाट का कुल अवशेष रु 1.25 लाख दर्शित है जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के त्रैमास में नौकाघाट की गत वर्ष बकाए की धनराशि 1.45 लाख अंकित है , अतः गत वर्ष के अंतिम अवशेष व आलोच्य वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष रु 0.20 लाख का अंतर पाया गया जिससे संबंधित स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में अपेक्षित रहा जिस हेतु पटल प्रभारी , कर अधिकारी , श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं । उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 शासनादेश संख्या 2127/33-2-2000-57 डब्ल्यू/91 दिनांक 25 अप्रैल 2000 एवं शासनादेश सं0 858/33-2-96-57 डब्ल्यू/91 दिनांक 30.07.96 जिसमें जिला पंचायतों द्वारा पशुशव निस्तारण हेतु रायल्टी की धनराशि एक मुश्त जमा करने के स्थान पर मासिक किस्तों में जमा करायी जाये।

प्रस्तर एक में मासिक किस्तों के स्थान पर ठेका स्वीकृत होने के समय रायल्टी की सम्पूर्ण धनराशि का आधा भाग एक मुश्त जमा करा लिया जाय प्रस्तर दो में शेष धनराशि तीन माह के अन्दर तीन किस्तों में जमा कराने की अपेक्षा की गई है। जबकि उक्त प्रकरण में वर्षान्त तक निम्न नियमानुसार ठेके की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली नहीं की गई और न ही ठेका निरस्त किया गया। वित्तीय वर्ष के मांग के सापेक्ष बकाये की स्थिति निम्नवत है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत	समिति/ठेकेदार का नाम	स्वीकृत धनराशि	ठेके के सापेक्ष जमा धनराशि	बकाया की धनराशि
1	बख्शी का तालाब	महिगवा	प0 औ0 उ0श0 वि00 अरिगवा	113644.00	56822.00	56822.00
2	बख्शी का तालाब	अटेसुआ	भरतलाल	89565.00	65000.00	24565.00
3	बख्शी का तालाब	उसरना	प0 औ0 उ0श0 वि0असनहा राकेश कुमार	51921.00	31000.00	20921.00
					योग-	102308.00

इस प्रकार रु. 102308.00 का बकाया रहने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति पहुंची। इस हेतु पटल प्रभारी व श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 जिला पंचायत लखनऊ का वर्ष 2018-19 के कांजी हाउस से सम्बन्धित त्रैमास सूचना (चतुर्थ) के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 में कुल मांग रु. 75000.00 एवं गत वर्ष का अवशेष रु.शून्य अर्थात् कुल मांग रु. 75000.00 दर्शित है जिसके सापेक्ष वर्ष 2018-19 में रु. 15300.00 की वसूली हुई तथा 59700.00 अवशेष रहा अवशेष से सम्बन्धित विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वर्ष 2017-18 में कांजी हाउस मद में कुल बकाया रु 55000.00 दर्शित था परंतु वर्ष 2018-19 में गत वर्ष बकाया शून्य दर्शित है । अतः रु 55000.00 का अवशेष आगामी वित्तीय विवरण में क्यों छोड़ा गया इससे संबंधित स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा । विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर बकाये व वसूली की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। जिसके लिए पटल प्रभारी , कार्य अधिकारी , श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 141 के अनुसार सम्पत्ति तथा विभवकर से होने वाले अपनी शुद्ध आय से जिले की ग्राम पंचायतों की निधियों में ऐसी राशियों देगी जो वह ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवधारित करें। जिला पंचायत लखनऊ का वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति एवं विभव कर की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमिक आय 41.348 लाख थी जिसमें से कोई धनराशि ग्राम पंचायत निधि में हस्तान्तरित नहीं किया गया है। जिसके लिए श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6 जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2018-19 के किराये की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संस्था द्वारा विकलांग कल्याण कार्यालय को दिनांक 23.11.2007 को किराये पर क्षेत्रफल 83.72 वर्गमीटर रु0 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् अद्यतन तिथि 31.03.2019 तक किराये की दर में कोई संशोधन नहीं किया गया है जबकि जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में कई बार इस अवधि में वृद्धि हुई है तथा संस्था द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को अपने कार्यालय में अधिक दरों पर कार्यालय आवंटन किया है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किल रेट व अन्य विभागों को आवंटन के समय किराये की क्रमिक बढ़ोत्तरी क्षेत्रफल × दर × माह	आडिट के अनुसार किराया	संस्था द्वारा अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि
1	विकलांग कल्याण कार्यालय तुलनात्मक	23.11.07 / 100	$83.72 \times 100 \times 30$	251160		
2	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय	25.5.10 / 130	$83.72 \times 130 \times 29$	315624.40		
3	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	6.11.12 / 170.00	$83.72 \times 170 \times 26$	370042.40		
4	अपर आयुक्त वित्त राजस्व परिषद	16.01.15 / 185.00	$83.72 \times 185 \times 06$	92929.00	विकलांग कल्याण कार्यालय से कुल अवधारित किराया	
5	बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी)	22.07. / 205.00	$83.72 \times 205 \times 44$	755154.40	विकलांग कल्याण कार्यालय से कुल अवधारित किराया 83. $72 \times 100 \times 135$	

		विकलांग कल्याण कार्यालय 1784910.20	1130220	654690. 20

इस प्रकार संस्था द्वारा रु. 1130220.00 अवधारित किराया था जबकि लेखा परीक्ष द्वारा आगणित किराया रु. 1784910.40 है इस प्रकार संस्था को रु. 654690.20 की क्षति हुई है जिसकी वसूली विकलांग कल्याण कार्यालय से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7 जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2018-19 के किराये की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संख्या द्वारा सहायक निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग लखनऊ को दिनांक 06.11.2012 को किराये पर क्षेत्रफल 145.2 वर्ग मीटर रु0 170 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन किया गया था। तत्पश्चात अद्यतन तिथि 31.3.2018 तक किराये की दर में कोई संशोधन नहीं किया गया है। जबकि जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में कई कार इस अवधि में वृद्धि हुई है। तथा संस्था द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को अपने कार्यालय में अधिक दरों पर कार्यालय आवंटन किया है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किल रेट व अन्य विभागों को आवंटन के समय किराये की क्रमिक बढ़ौत्तरी क्षेत्रफल × दर × माह	आडिट के अनुसार किराया	संस्था द्वारा अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि
1	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग लखनऊ तुलनात्मक	6.11.12 / 170.00	145.2 × 170 × 26	641784.00		
2	अपर आयुक्त वित्त (राजस्व परिषद)	16.01.15 / 185.00	145.2 × 185 × 06	161172.00	हथकरघा व वस्त्रोद्योग कार्यालय से कुल अवधारित किराया	
3	बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी	22.07.15 / 205.00	145.2 × 205 × 44	1309704.00	145.2 × 170 × 76	
				2112660.00	1875984.00	236676.00

इस प्रकार संस्था द्वारा रु0 1875984.00 अवधारित किराया था जबकि लेखा परीक्षा द्वारा अवधारित किराया रु0 2112660.00 था, इस प्रकार संस्था को 236676.00 की क्षति हुई। जिसकी वसूली निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग लखनऊ से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2018-19 के किराया की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संस्था द्वारा अपर आयुक्त राजस्व परिषद को दिनांक 16.1.2015 को किराये पर क्षेत्रफल 1050 वर्गमीटर रु. 185 प्रतिवर्ग मीटर की दर से आवंटित किया गया है। तत्पश्चात अद्यतन तिथि 31.3.2018 तक किराये में कोई संशोधन नहीं किया गया है। जबकि जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में कई कार इस अवधि में वृद्धि हुई है। तथा संस्था द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को अपने कार्यालय में अधिक दरों पर कार्यालय आवंटन किया है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किल रेट व अन्य विभागों को आवंटन के समय किराये की	आडिट के अनुसार अपेक्षित किराया	संस्था द्वारा अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि

			क्रमिक बढ़ौतरी क्षेत्रफल × दर × माह			
1	अपर आयुक्त वित्त राजस्व परिषद	16.01.15 / 185.00	105 × 185 × 06	116550.00		
2	बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी	22.07.15 / 205.00	105 × 205 × 44	947100.00	अपर आयुक्त वित्त (राजस्व परिषद) कार्यालय से कुल अवधारित किराया 105 × 185 × 50	
				1063650.00	971250.00	92400.00

इस प्रकार संस्था द्वारा रु. 971250.00 अवधारित किया गया था जबकि लेखा परीक्षा द्वारा आगणित किराया रु0 1063650.00था। इस प्रकार संस्था को कुल रु. 92400.00 की क्षति हुई, जिसकी अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व वसूली परिषद से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 जिला पंचायत में दुकान किराये से सम्बन्धित पंजिका में दिनांक 01.04.2018 कुल अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	नाम	दुकान का वितरण	अवशेष धनराशि
1	चिनहट	1 से 3, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 24 से 28	128728.00
2	मलिहाबाद	1 से 13 ए1 से ए6	110616.00
3	मलिहाबाद चिकित्सालय	1 से 9	210873.00
4	गोसांईगंज	1 से 5	130581.00
5	गंगागंज चिकित्सालय	1 से 6	87590.00
6	गंगागंज	1 से 5	151250.00
7	बिजनौर	1 से 6	112610.00
8	अर्जुनगंज	1 से 5	193970.00
9	बथरा	1 से 3	52550.00
10	काकोरी	1, 3, 4 व 6	8720.00
11	काकोरी चिकित्सालय	2, 3	9600.00
12	सिसेण्डी पोण्ड	1 से 4	91900.00
13	मेहनलालगंज	1 से 6	479395.00
14	निगोहा पोण्ड	1 से 5	58160.00
		योग	1826543.00

शासनादेश संख्या 6336 / 33-3-97-185 जी / 97 दिनांक 27.12.1997 के प्रस्तर 6 के अनुसार निर्धारित किराये में तीन वर्ष बाद 25 बढ़ौतरी किया जाना चाहिए। दुकानों से संबन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संबन्धित दुकानों से किराये में बढ़ौतरी हुई भी या नहीं। 131-03-19 तक दुकान किराये की बकाया धनराशि बढ़ी थी। उक्त वसूली के लिए पटल प्रभारी, वं सम्बन्धित कर निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु तत्कालीन पटल प्रभारी, कर निरीक्षक, श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 ईट भट्ठा से सम्बन्धित रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्नांकित भट्ठों की वसूली नहीं हो रही है। विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	नाम	पृष्ठ	धनराशि
1	मे० शान्ति ब्रिक फील्ड	05	22000.00
2	मे० मानस ब्रिक फील्ड	05	10000.00

3	मे0 रमेश ब्रिक फील्ड	08	14000.00
4	मे0 न्यू साई बिक फील्ड	08	14000.00
5	मे0 मुस्कान ब्रिक फील्ड	11	14000.00
6	मे0 बजरंगी ब्रिक फील्ड	14	20000.00
7	मे0 बाबा श्री दयाल ब्रिक फील्ड	14	18000.00
8	मे0 साई ब्रिक फील्ड	17	16000.00
9	मे0 रामदुलारे ब्रिक फील्ड	20	18000.00
10	मे0 तिवारी दउवा ब्रिक फील्ड	20	10000.00
11	मे0 बी0के0टी0 ब्रिक फील्ड	20	4000.00
12	मे0 सहाय ब्रिक फील्ड	23	10000.00
13	मे0 रामदुलारे ब्रिक फील्ड	23	18000.00
14	मे0 बाबू जी ब्रिक फील्ड	26	10000.00
15	मे0 वचस्व ब्रिक फील्ड	26	16000.00
16	मे0 वर्मा ब्रिक फील्ड	29	10000.00
17	मे0 एकता ब्रिक फील्ड	38	4000.00
18	मे0 सिद्धार्थ ब्रिक फील्ड	41	10000.00
19	मे0 शिवानी ब्रिक फील्ड	44	16000.00
20	मे0 न्यू बजरंगी ब्रिक फील्ड	44	16000.00
21	मे0 मां काली जी ब्रिक फील्ड	47	14000.00
22	मे0 जगन्नाथ ब्रिक फील्ड	47	14000.00
23	मे0 रमेश कमल ब्रिक फील्ड	47	14000.00
24	मे0 कुंवर ब्रिक फील्ड	50	14000.00
25	मे0 दुर्गा ब्रिक फील्ड	50	20000.00
26	मे0 जनार्दन ब्रिक फील्ड	53	14000.00
27	मे0 मिलन ब्रिक फील्ड	56	14000.00
28	मे0 मां वैष्णव ब्रिक फील्ड	56	14000.00
29	मे0 नवीन ब्रिक फील्ड	68	16000.00
30	मे0 सीताराम ब्रिक फील्ड	68	16000.00
31	मे0 राज उद्योग	74	10000.00
32	मे0 प्रधान ब्रिक फील्ड	83	4000.00
33	मे0 रामेश्वर ब्रिक फील्ड	89	18000.00
34	मे0 हनी ब्रिक फील्ड इण्डस्ट्रीज	98	4000.00
35	मे0 जय मां ब्रिक फील्ड	101	4000.00
36	मे0 शिवा ब्रिक फील्ड	101	22000.00
37	मे0 बाबा आनंदेश्वर ब्रिक फील्ड	101	18000.00
38	हरीश ब्रिक फील्ड	162	12000.00
39	यश ब्रिक फील्ड भदुआ	165	8000.00
40	राजपाल बिल्डर्स	174	12000.00
41	भरत ब्रिक फील्ड	174	6000.00
42	महेश ब्रिक फील्ड	177	6000.00
43	नमन ब्रिक फील्ड	180	6000.00
44	राम ब्रिक कंपनी	180	6000.00
45	साधना ब्रिक फील्ड	207	6000.00
	योग		562000.00

उ0प्र0 जिला पंचायत (विभव सम्पत्ति कर) नियमावली 1994 के नियम 17 के अनुसार सम्पत्ति एवं विभव कर के बकाये की वसूली भू राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी परन्तु दिनांक 31.3.19 को रु. 562000.00 बकाया के सापेक्ष उपरोक्त नियम का पालन नहीं किया गया जिस हेतु कर समाहर्ता, कर अधिकारी, कार्याधिकारी, श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 तेरहवा वित्त आयोग के अनुदान सार-प्रपत्र के अनुसार वर्ष 2018-19 में प्रारम्भिक शेष 56.67 लाख था वर्ष में 78.90 लाख व्यय किया जाना दर्शित है 31.03.19 का अंतिम शेष 33.86 लाख दर्शित है वित्त आयोग का संस्तुति काल वर्ष 2015-16 में समाप्त हो चुका है परन्तु आयोग का शेष

अनुदान वर्ष 2018-19 तक, विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया जा सका है। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि रु 78.90 लाख व्यय के सापेक्ष सक्षम स्तर से अनुमति / स्वीकृति ली गयी थी अथवा नहीं। सक्षम स्तर की अनुमति / स्वीकृति के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिस हेतु श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 शासनादेश सं0-2967 दिनांक 9 अक्टूबर 2002 के अनुसार समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को आदेशित है कि पशु शव निस्तारण से होने वाली आय का आधा भाग नियमित रूप से ग्राम पंचायतों को देना सुनिश्चित करें एवं अब तक देय बकाया का भी भुगतान को परन्तु वर्ष 2018-19 में हुयी इस मद से कुल आय रु0 17.00 लाख का आधा भाग रु0 8.50 लाख पंचायतों को हस्तान्तरित न करके उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है जिस हेतु श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2018-19 के किराये की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संख्या द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय को दिनांक 23.10.2007 का किराये पर क्षेत्रफल 117.73 मी² रु0 130 प्रति वर्ग मीटर की दरन से आवंटन किया गया था तत्पश्चात अद्यतन तिथि 31.03.18 तक किराये करी दर में कोई संसोधन नहीं किया गया है। जबकि जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में कई बार इस अवधि में वृद्धि हुयी है तथा संख्या द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को भी अपने कार्यालय में दरो पर कार्यालय आवंटन किया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किल रेट व अन्य विभागों को आवंटन के समय किराये की क्रमिक बढ़ोतरी क्षेत्रफल × दर × माह	आडिट के अनुसार किराया	संस्था द्वारा अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि
1	क्षेत्रीय कार्यालय तुलनात्मक	23.11.07 / 130.00	117.73 × 130 × 29	443842.10		
(i).	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कार्यालय	6.11.12 / 170.00	117.73. × 170 × 26	520366.60		
(ii).	अपर आयुक्त वित्त (राजस्व परिषद)	16.01.15 / 185.00	117.73. × 185 × 06	130680.30	हथकरघा व वस्त्रोद्योग कार्यालय से कुल अवधारित किराया	
(iii).	बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी	22.07.15 / 205.00	117.73. × 205 × 44	1061924.60	117.73. × 130 × 105	
				2156813.60	1607014.50	549799.10

इस प्रकार संस्था द्वारा रु0 1607014.50 वसूल/अवधारित किराया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा अवधारित किराया रु0 2156813.30था। इस प्रकार संस्था को रु0 549799.10 की क्षति हुई जिसकी वसूली क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, श्री नरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्रीमती माया यादव (जिला पंचायत अध्यक्ष) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-02
जिला पंचायत-उन्नाव।

वर्ष 2018-19
अधिभार आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या 1—उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2127/33-2-2000-57डब्ल्यू /91 दिनांक 25 अप्रैल 2000 एवं शासनादेश सं0 858/33-2-96-57डब्ल्यू/91 दिनांक 30.07.96 जिसमें जिला पंचायतों द्वारा मृत पशु शव निस्तारण हेतु रायल्टी की धनराशि एक मुश्त जमा करने के स्थान पर मासिक किस्तों में जमा करायी जाये।

प्रस्तर एक में मासिक किस्तों के स्थान पर ठेका स्वीकृत होने के समय रायल्टी की सम्पूर्ण धनराशि का आधा भाग एक मुश्त जमा करा लिया जाय प्रस्तर दो में शेष धनराशि तीन माह के अन्दर तीन किस्तों में जमा कराने की अपेक्षा की गयी है। जब कि उक्त प्रकरण में वर्षान्त तक नियमानुसार ठेके की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली नहीं की गयी और न ही ठेके निरस्त किये गये हैं। वित्तीय वर्ष के बकाया सहित वर्ष के मांग के सापेक्ष बकाये की स्थिति निम्नवत है—

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ठेकेदार का नाम	बकाया सहित कुल मांग की धनराशि	मांग के सापेक्ष जमा धनराशि	कुल बकाया की धनराशि	अन्य विवरण
1	औरास	श्री बैजनाथ उपा0 सभापति	14485.00	—	14485.00	
2	औरास	श्री उमाशंकर सभापति	14485.00	—	14485.00	
3	बीघापुर	श्री सलमान सभापति	24240.00	—	24240.00	
4	गंजमुरादाबाद	श्री इशितयाक अली पुत्र उसमान अली	1502.90	—	1502.90	
5	पुरवा	श्री सफीक पुत्र अ0हफीज	3250.00	—	3250.00	
6	बांगरमऊ	श्री इदरीश पुत्र सिकन्दर	33000.00	—	33000.00	
7	मियागंज	श्री वाजिद पुत्र कुदरत	16000.00	—	16000.00	
8	बांगरमऊ	श्री शाकिर अली पुत्र हैदर अली	21500.00	—	21500.00	
9	सुमेरपुर	श्री एवज अली पुत्र सुबराती	28000.00	—	28000.00	
10	सुमेरपुर	श्री बचानी मनिकापुर	11170.00	—	11170.00	
11	पुरवा	श्री खैराती सभापति	21350.00	—	21350.00	
12	सि0पुर कर्ण	श्री नब्बन खॉ सभापति	34030.00	—	34030.00	
13	सि0पुर सरोसी	मो0 अली पुत्र नवीबक्स	3000.00	—	3000.00	
14	सुमेरपुर	श्री सत्यनारायण	38250.00	—	38250.00	
15	सि0पुर सरासी	श्री नूर मुहम्मद पुत्र नवीबक्स	12000.00	—	12000.00	
16	बीघापुर	श्री नन्कौनू सभापति	15410.00	—	15410.00	
17	बीघापुर	श्री राम स्वरूप सभापति	14700.00	—	14700.00	
18	सुमेरपुर	श्री प्रेमलाल सभापति	38266.00	—	38266.00	
19	नवाबगंज	श्री केशन सभापति	30220.00	—	30220.00	
20	पुरवा	श्री रईस पुत्र रसीद	10720.00	—	10720.00	
21	सुमेरपुर	श्री नशीम बाबू सभापति	16700.00	—	16700.00	
22	हसनगंज	श्री सुरेन्द्र कुमार सभापति	19350.00	—	19350.00	
23	असोहा	श्री रमजान सभापति	23000.00	—	23000.00	
24	असोहा	श्री अयूब सभापति	29900.00	—	29900.00	
25	पुरवा	श्री जलील सभापति	30000.00	—	30000.00	
26	सफीपुर	मो0 अख्तर खॉ सभापति	34985.00	—	34985.00	
27	सि0पुर सरोसी	मो0 असलम सभापति	10000.00	—	10000.00	
28	औरास	श्री राम केशन सभापति	13170.00	—	13170.00	
29	फतेहपुर 84	श्री मुशीर अहमद मु0 प्रवर्तक	25840.00	—	25840.00	
30	फतेहपुर 84	श्री शमीम अहमद सभापति	12920.00	—	12920.00	
31	बांगरमऊ	श्री सईद अहमद सभापति	9000.00	—	9000.00	

32	बीघापुर	श्री कल्लू सभापति	14865.00	—	14865.00	
33	सि०पुर सरोसी	श्री अमरपाल सभापति	18700.00	—	18700.00	
34	औरास	श्री मुईद अहमद सभापति	28975.00	—	28975.00	
35	औरास	श्री अखिलेश सभापति	28975.00	—	28975.00	
36	मियागंज	श्री मिश्रीलाल सभापति	16090.00	—	16090.00	
37	औरास	श्री कालिका प्रसाद सभापति	43460.00	—	43460.00	
		योग	761508.90		761508.90	

इस प्रकार 31.03.2019 को कुल पुरानी मांग का रू० 761508.90 वसूली हेतु अवशेष है पशु शव निस्तारण ठेका की रायल्टी की धनराशि समयान्तर्गत वसूली नहीं की गयी और न ही ठेको के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की गयी जिससे जिला पंचायत की आय प्रभावित रही। जिसके लिये तत्कालीन पटल सहायक,अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2— उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं० 2203/11/03.02.202—15पी /4—02 दिनांक 10.03.1987 पत्रांक 3/138/2004—03/85 दिनांक 13.02.2004 के प्राविधानों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को निर्देश है कि मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय का आधा भाग जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष में इस मद में आय रू० 3.952 लाख जिला पंचायत को हुयी है। परन्तु इस धनराशि का आधा भाग रू० 1.976 लाख जिले की ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया, जो शासनादेशों की अवहेलना के साथ-साथ अनियमित है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 3—उ०प्र० क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 141(करों में ग्राम पंचायतों का अंश) के प्राविधानुसार जिला पंचायत को सम्पत्ति एवं विभव कर से होने वाली शुद्ध आय में से जनपद की ग्राम पंचायतों की निधियों में ऐसी धनराशियों को देगी जो वह प्रत्येक ग्राम पंचायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अवधारित करें। आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत को सम्पत्ति एवं विभव करके रूप में रू० 33.932 लाख की हुयी। परन्तु ग्राम पंचायतों को कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया जो अधिनियम की धारा 141 की अवहेलना है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 4—राजस्व निरीक्षक श्री रोहित त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11.06.2018 रसीद प्रपत्र—5 संख्या 301397 रू० 2810.00 बावत लाइसेंस ढाबा वर्ष 18—19 श्री प्रसान्त रस्तोगी के नाम निर्गत किया जाना पर्णप्रति के पृष्ठ भाग व कार्बन प्रतिलिपि पर दर्शित है। सन्दर्भित रसीद की धनराशि बैंक में जमा मात्र रू० 1110.00 ही किया गया है। रसीद में अंकित धनराशि (रू० 2810.00) अंकों एवं शब्दों में ऊपर लेखन कर वास्तविक वसूली से रू० 1700.00 कम जमा का प्रकरण प्रकाश में आया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 5— राजस्व निरीक्षक श्री रोहित त्रिपाठी द्वारा वसूली हेतु निर्गत (प्रपत्र—5) रसीदों की धनराशि बैंक (जिला निधि खाता) में निम्न विवरण के अनुसार कम जमा करने के प्रकरण प्रकाश में आये—

रसीदों(प्रपत्र-5) का विवरण	रसीदों में अंकित धनराशियों का योग	बैंक में जमा धनराशि का विवरण	अन्तर	
313105 से 313125	22740.00	16.08.18	22440.00	300.00
313148 से 313185	27560.00	17.09.18	27120.00	440.00
354343 से 354354	46050.00		39610.00	6440.00
303636 से 303675	38570.00	16.07.18	36970.00	1600.00

योग	134920.00	126140.00	8780.00

अतः सन्दर्भित रसीदों की सघन जांच कर कम जमा धन का नियमानुसार सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 6—सं०—1962/21 ए—15/(2016—17) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 143 के साथ पठित धारा—145 एवं 239(2) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण

क्षेत्रों की दूकानों को नियंत्रित एवं विनियमन करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधि की धारा-2 अद्यतन संशोधन/सर्वधन के अनुसार धारा-2 लाइसेंस प्राप्त (व्यवसायों व दुकानों को 30 अप्रैल तक) करना होगा। लाइसेंस निर्गमन का दायित्व राजस्व निरीक्षक व कर/कार्य अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है। वर्ष 2018-19 के निम्नांकित ग्रामीण शराब व्यवसायियों/दुकानों के लाइसेंस निर्गत नहीं पाये गये जिससे जिला पंचायत की आय (हानि से) प्रभावित रही।

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	दुकान का प्रकार	दुकान/व्यवसायी का नाम सर्वश्री
1.	असोहा	देशी शराब	मंगत खेड़ा श्री बद्री विशाल द्विवेदी पुत्र धर्म चन्द्र द्विवेदी।
2.	असोहा	देशी शराब	मिरी कला श्रीमती रानी पत्नी बद्री प्रसाद द्विवेदी
3.	असोहा	देशी शराब	असोहा श्री रामबालक पुत्र गुरु बालक
4.	असोहा	देशी शराब	कांथा श्रीमती रानी पत्नी बद्री प्रसाद द्विवेदी
5.	असोहा	देशी शराब	जोरावरगंज श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र सुन्दर लाल
6.	असोहा	देशी शराब	दरेहटा श्री प्रवीन कुमार पाठक पुत्र शिव कुमार पाठक
7.	असोहा	देशी शराब	वैगौव श्री सन्त राम पुत्र फकीरे
8.	असोहा	विदेशी शराब	काँथा श्री विनय कुमार पुत्र शिव प्रकाश
9.	असोहा	विदेशी शराब	मंगत खेड़ा श्री सुकेश कुमार पुत्र स्व० हीरा लाल जायसवाल
10.	असोहा	विदेशी शराब	मिरीकला श्री विनय कुमार पुत्र स्व० शिव प्रकाश
11.	असोहा	विदेशी शराब	सहरावाँ श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामशंकर सिंह
12.	असोहा	विदेशी शराब	असोहा श्री कामता प्रसाद सिंह पुत्र केशव प्रसाद सिंह
13.	असोहा	बियर दुकान	मंगत खेड़ा श्री लक्ष्मी शंकर पुत्र स्व० रामसहाय
14.	असोहा	बियर दुकान	कालू खेड़ा श्रीमती दीप्ती जायसवाल पत्नी राकेश कुमार जायसवाल
15.	सुमेरपुर	देशी शराब	तकिया श्री श्याम कुमार गुप्ता पुत्र सुधर लाल
16.	सुमेरपुर	देशी शराब	ऊँचगाँव श्री उमेश प्रताप सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह
17.	सुमेरपुर	देशी शराब	बक्सर श्री राजेश शर्मा पुत्र राम चन्द्र शर्मा
18.	सुमेरपुर	देशी शराब	मनिकापुर श्री मनोज सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह
19.	सुमेरपुर	देशी शराब	विजयी खेड़ा श्रीमती रानी देवी पत्नी राजेश कुमार
20.	सुमेरपुर	देशी शराब	भदेउरा श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र राजाराम सिंह
21.	सुमेरपुर	देशी शराब	चैनपुर श्रीमती माया जायसवाल पत्नी श्री कृष्ण
22.	सुमेरपुर	देशी शराब	कधियानी श्रीमती सरोज जायसवाल पत्नी श्याम बाबू जायसवाल
23.	सुमेरपुर	देशी शराब	जगतपुर पुष्पलता सिंह पत्नी शिवप्रताप सिंह
24.	सुमेरपुर	देशी शराब	भगवान खेड़ा महेश सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
25.	सुमेरपुर	विदेशी शराब	पाटन अरविन्द बाजपेयी पुत्र गनेश शंकर
26.	सुमेरपुर	विदेशी शराब	बक्सर श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र राम सुमेर सिंह
27.	सुमेरपुर	बियर दुकान	बिहार श्री अंचलेश पुत्र राकेश सिंह
28.	बीघापुर	देशी शराब	पुरई श्री भगवती प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद
29.	बीघापुर	देशी शराब	गंगानगर श्रीमती अनीता पत्नी कृष्ण कुमार
30.	बीघापुर	देशी शराब	निहालखेड़ा श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र रामराज सिंह
31.	बीघापुर	देशी शराब	धनुही खेड़ा श्री जयप्रकाश पुत्र प्रताप नारायण सिंह
32.	बीघापुर	देशी शराब	बारा सगवर श्री संजय कुमार सिंह पुत्र गंगाप्रसाद सिंह
33.	बीघापुर	देशी शराब	टेढ़ा श्री उमेश प्रताप सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह
34.	बीघापुर	देशी शराब	खरझारा श्रीमती शालिनी जायसवाल पत्नी जय कृष्ण जायसवाल
35.	बीघापुर	देशी शराब	इन्देमऊ श्रीमती शालिनी जायसवाल पत्नी जय कृष्ण जायसवाल
36.	बीघापुर	देशी शराब	ओसिया श्री राजेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
37.	बीघापुर	देशी शराब	रायपुर (थाना बारासगवर) श्री महेश सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
38.	बीघापुर	देशी शराब	मगरायर श्रीमती शशि देवी पत्नी विजय कुमारी दीक्षित
39.	बीघापुर	विदेशी शराब	टेढ़ा श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामसुमेर सिंह
40.	बीघापुर	बियर दुकान	लाल कुंआ (रुझहई मागि) श्री पंकज यादव पुत्र राम बिहारी

41.	बीघापुर	बियर दुकान	धानी खेड़ा श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र दिनेश सिंह
42.	हिलौली	देशी शराब	सगौली श्री विजय नारायण पुत्र राम नारायण जायसवाल
43.	हिलौली	विदेशी शराब	अकोहरी चौराहा श्री दिनेश कुमार पुत्र वलभद्र प्रसाद
44.	हिलौली	विदेशी शराब	भवानीगंज खेड़ा दीपक जायसवाल पुत्र श्रवण कुमार जायसवाल
45.	बांगरमऊ	देशी शराब	गौरिया कला श्री गणेश जायसवाल पुत्र गोविन्द
46.	बांगरमऊ	देशी शराब	नौबतगंज श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी बाबूराम जायसवाल
47.	बांगरमऊ	देशी शराब	मदार नगर श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र झब्बू लाल गुप्ता
48.	बांगरमऊ	देशी शराब	नेवलजगटापुर श्री जगदीश प्रसाद पुत्र शिवशंकर
49.	बांगरमऊ	देशी शराब	भिखारीपुर रुल्ल श्रीमती रामकली पत्नी स्व देवी प्रसाद
50.	बांगरमऊ	देशी शराब	भिखारीपुर श्री रत्ना जायसवाल पत्नी सुभाष जायसवाल
51.	बांगरमऊ	विदेशी शराब	अरगूपुर नौसहरा श्री रामजीवन सिंह पत्नी दुल्लर सिंह
52.	बांगरमऊ	विदेशी शराब	नौबतगंज श्रीमती सविता जायसवाल पत्नी अनिल कुमार
53.	बांगरमऊ	बियर दुकान	नौबतगंज श्रीमती अनीता जायसवाल पत्नी राकेश कुमार जायसवाल
54.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	बेहटा श्री अशोक कुमार कटियार पुत्र विशेषर दयाल
55.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	ब्योली श्री विजय कुमार तिवारी पुत्र प्रकाश नारायण
56.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	मटुकरी श्री पंकज बाबू श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
57.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	अटवा बैंक श्रीमती शीला पत्नी जगतपाल
58.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	हरईपुर श्री सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र नत्था सिंह
59.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	मेला रामकुंवर श्री राकेश कुमार जायसवाल पुत्र आनन्द प्रसाद
60.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	बल्लापुर चौराहा श्री अकील अहमद पुत्र अब्दुल रहीम
61.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	कलवारी श्री सुशील कुमार सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह
62.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	सचानकोट श्री दीपू पुत्र स्व0 राजकुमार
63.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	लहरापुर श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी सुल्तान सिंह
64.	गंजमुरादाबाद	देशी शराब	गहर पुरवा श्री धीरू सिंह पुत्र अहिबरन सिंह
65.	गंजमुरादाबाद	विदेशी शराब	बेहटा श्री उदय प्रताप सिंह पुत्र बचान सिंह
66.	गंजमुरादाबाद	विदेशी शराब	रूरी श्रीमती मीनू शुक्ला पत्नी मुकुल शुक्ला
67.	गंजमुरादाबाद	बियर दुकान	बेहटा श्री विवके जायसवाल पुत्र रमेश जायसवाल
68.	फतेहपुर चौरासी	देशी शराब	अखियारपुर मोड़ श्री आशीष कुमार जायसवाल पुत्र हीरालाल जायसवाल
69.	फतेहपुर चौरासी	विदेशी शराब	दबौली देवेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल
70.	फतेहपुर चौरासी	बियर दुकान	तकिया चौराहा श्री शिवबालक पुत्र महवीर
71.	पुरवा	देशी शराब	भिटौलीमोड़ श्री राजीव तिवारी पुत्र आनन्द मोहन तिवारी
72.	पुरवा	विदेशी शराब	त्रिपुरार पुर श्री सन्तोष कुमार जायसवाल पुत्र सत्यनारायण
73.	पुरवा	विदेशी शराब	चमियानी श्री शिव प्रकाश पुत्र शिवमंगल
74.	पुरवा	विदेशी शराब	पनहन श्रीमती अर्पणा तिवारी पत्नी अजय कुमार तिवारी
75.	हसनगंज	देशी शराब	हाजीपुर श्री आशीष कुमार पुत्र मोहन लाल
76.	हसनगंज	देशी शराब	नयी सराय श्रीमती मालती बाजपेयी पत्नी त्रिवेणी प्रसाद
77.	हसनगंज	देशी शराब	देव तारा श्रीमती सुमन सिंह पत्नी संजय सिंह चौहान
78.	हसनगंज	देशी शराब	नारायणपुर श्री कधइया लाल पुत्र द्वारिका प्रसाद
79.	हसनगंज	देशी शराब	मदनापुर श्रीमती मीना सिंह पत्नी मनोज सिंह
80.	हसनगंज	देशी शराब	अरसुन खेड़ा श्रीमती मालती बाजपेयी पत्नी त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला
81.	हसनगंज	देशी शराब	रसूलपुर बखिया श्री धनन्जय सिंह पुत्र अमरजीत सिंह
82.	हसनगंज	देशी शराब	पूरा बरौना श्रीमती मुन्नी पत्नी स्व0 सरोज कुमार जायसवाल
83.	सफीपुर	देशी शराब	परियर श्री अंकित जायसवाल पुत्र सुरेशचन्द्र जायसवाल
84.	सफीपुर	देशी शराब	गौरा श्री शिव गोपाल पुत्र देवी प्रसाद
85.	सफीपुर	देशी शराब	मुण्डा श्री रामकुमार पुत्र नन्हा
86.	सफीपुर	देशी शराब	मिर्जापुर श्रीमती मंजू देवी जायसवाल पुत्र कमलेश कुमार
87.	सफीपुर	विदेशी शराब	मिर्जापुर श्री रामचरन पुत्र बाबू लाल

88.	सफीपुर	बियर दुकान	मिर्जापुर श्री रामचरन पुत्र बाबू लाल
89.	औरास	देशी शराब	मिर्चलौला श्री राम चन्द्र पुत्र नन्द किशोर
90.	औरास	देशी शराब	तेंदा श्री रामजी जायसवाल पुत्र लक्ष्मी नारायण
91.	औरास	देशी शराब	रामपुर खंझरी श्री धनन्जय सिंह पुत्र अमर जीत सिंह
92.	औरास	देशी शराब	अजगॉव श्री दिनेश पुत्र रमेश चन्द्र
93.	औरास	देशी शराब	हेतनगर श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र राम कुमार
94.	औरास	देशी शराब	गोढवा श्रीमती रानी पत्नी प्रीतम
95.	औरास	बियर दुकान	इनायतपुर श्री अजय मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा
96.	मियागंज	देशी शराब	वादिलपुर श्री अनन्त सिंह पुत्र महेश सिंह
97.	मियागंज	देशी शराब	मियागंज श्रीमती उर्मिला जायसवाल पत्नी कृष्ण मोहन जायसवाल
98.	मियागंज	देशी शराब	कटरा श्री सोमदेव पुत्र शिवरतन लाल
99.	मियागंज	देशी शराब	ताजपुर श्री कमलेश पुत्र मन्नालाल
100.	सिं0 सरोसी	देशी शराब	शंकरपुर सराय श्रीमती सेफाली जायसवाल पत्नी संजय कुमार
101.	सिं0 सरोसी	देशी शराब	मरौंदा श्री पंकज कुमार जायसवाल पुत्र पुत्तन लाल जायसवाल
102.	सिं0 सरोसी	देशी शराब	मतौव श्री भास्कर दत्त पुत्र मिश्री लाल
103.	सिं0 सरोसी	देशी शराब	हाजीपुर श्रीमती आशादेवी पत्नी यमुना प्रसाद
104.	सिं0 सरोसी	देशी शराब	सरोसी श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह
105.	सिं0 सरोसी	विदेशी शराब	गंगा बैराज (गोरेपुरवा) श्री अनिल कुमार पुत्र रामखेलावन
106.	सिं0 सरोसी	विदेशी शराब	रेरा चौराहा श्रीमती शालिनी पत्नी जितेन्द्र कुमार
107.	सिं0 सरोसी	बियर दुकान	गंगा बैराज श्री देशराज पुत्र मोहन लाल
108.	सिं0 सरोसी	बियर दुकान	परियर श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी रवि प्रताप सिंह
109.	बिछिया	देशी शराब	वसीरतगंज श्रीमती अल्का सिंह पत्नी रवि प्रताप सिंह
110.	बिछिया	देशी शराब	बिछिया श्री स्मिता जायसवाल पत्नी जय प्रकाश जायसवाल
111.	बिछिया	देशी शराब	पडरी खूर्द श्री विजयलक्ष्मी पत्नी गोपाल कृष्ण
112.	बिछिया	देशी शराब	शिवपुर श्री शकुन्तला देवी पत्नी महारानी दीन
113.	बिछिया	देशी शराब	टीकरगढ़ी श्री नवरंग पुत्र श्री प्रसाद
114.	बिछिया	देशी शराब	नेवरना श्री जगतपाल पुत्र देवी प्रसाद
115.	बिछिया	देशी शराब	लालपुर श्री चन्द्र प्रकाश जायसवाल पुत्र द्वारिका प्रसाद
116.	बिछिया	देशी शराब	रूपरु श्री जितेन्द्र दीक्षित पुत्र विजय शंकर दीक्षित
117.	बिछिया	देशी शराब	ओरहर श्री गौरवावर्मा श्री रामप्रसाद
118.	बिछिया	देशी शराब	सिंधूपुर श्री सुनील कुमार पुत्र उमाशंकर
119.	बिछिया	देशी शराब	चपरी श्री संजय तिवारी पुत्र आनन्द मोहन तिवारी
120.	बिछिया	देशी शराब	घटोरी श्री विष्मी दुबे पुत्र राकेश दुबे
121.	बिछिया	देशी शराब	कोरारी कला श्रीमती सुमन देवी पत्नी पिकू
122.	बिछिया	देशी शराब	रायपुरगढ़ी श्री नीरज यादव पुत्र विनय कुमार
123.	बिछिया	विदेशी शराब	तुर्कमान नगर श्रीमती सोमवती पत्नी रमेश नारायण
124.	बिछिया	विदेशी शराब	नेवरना श्रीमती सविता पत्नी रवी कुमार
125.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	गजिया खेड़ा श्रीमती निर्मला देवी पत्नी कृष्ण कुमार
126.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	कर्मी विजलामऊ श्रीमती लीना जायसवाल पत्नी शिव प्रकाश जायसवाल
127.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	अचलगंज पश्चिम श्रीमती अनुराधा जायसवाल पत्नी अनिल कुमार जायसवाल
128.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	मलपुर/बहुराजमऊ श्री जयपाल यादव पुत्र छत्रपाल यादव
129.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	दयाल खेड़ा श्री तेवेन्द्र पाल सिंह सेठी पुत्र सतनाम सिंह
130.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	शेखपुर नरी श्री विनय कुमार पुत्र शिवराम
131.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	सिकन्दरपुर कर्ण श्री उमाशंकर जायसवाल पुत्र रामकुमार
132.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	सतन श्रीमती चित्रा पत्नी शिवकुमार
133.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	खरौली श्री विजय कुमार दीक्षित पुत्र बाबू लाल दीक्षित

134.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	अचलगंज पूर्वी श्री रोशन सिंह पुत्र संकटा सिंह
135.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	रतीरामपुरवा (जार्जमऊ) पुत्र अजीत प्रताप सिंह पुत्र सी0एल सिंह
136.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	कृष्णा नगर श्रीमती ममता जायसवाल पत्नी शंकर जायसवाल
137.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	सुवासी गॉव श्री मीनू जायसवाल पत्नी तेज प्रकाश
138.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	कोटी ग्राम सभा लोहचा श्री मनोरमा यादव पत्नी वेद प्रकाश यादव
139.	सिकन्दरपुर कर्ण	देशी शराब	कोल्हुआ गाडा श्री मिथलेश जायसवाल पुत्र रामस्वरूप
140.	सिकन्दरपुर कर्ण	विदेशी शराब	अचलगंज श्री नीरज कुमार वर्मा पुत्र श्री कृष्ण
141.	सिकन्दरपुर कर्ण	विदेशी शराब	कृष्णापुरम श्री नीरज तिवारी पुत्र रामशंकर तिवारी
142.	सिकन्दरपुर कर्ण	विदेशी शराब	सिकन्दरपुर कर्ण श्री कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
143.	सिकन्दरपुर कर्ण	विदेशी शराब	त्रिभुवन खेड़ा श्रीमती ललिता देवी पत्नी शिव राकेश
144.	सिकन्दरपुर कर्ण	बियर दुकान	गजिया खेड़ा नारायणपुर श्री आशीष कुमार पुत्र राम कृष्ण
145.	सिकन्दरपुर कर्ण	बियर दुकान	अचलगंज श्री रोशन सिंह पुत्र संकटा सिंह
146.	सिकन्दरपुर कर्ण	बियर दुकान	गहरा (बन्धर) फैं0 एरिया श्री प्रकाश पुत्र मेवालाल
147.	सिकन्दरपुर कर्ण	बियर दुकान	सिकन्दरपुर कर्ण श्री सत्यबोध पुत्र प्यारे शुक्ला
148.	सिकन्दरपुर कर्ण	बियर दुकान	डकारी श्री राजीव तिवारी पुत्र आनन्द मोहन तिवारी
149.	सिकन्दरपुर कर्ण	बियर दुकान	कृष्णापुरम श्री शिवप्रकाश त्रिवेदी पुत्र शिव मंगल त्रिवेदी
150.	नवाबगंज	देशी शराब	सधीरा श्री खुशबू सिंह पुत्र अजय बहादुर
151.	नवाबगंज	देशी शराब	भौली श्री राजेश सिंह पुत्र सुरेश कुमार सिंह
152.	नवाबगंज	देशी शराब	सेरसा श्री शिव बालक पुत्र निधई
153.	नवाबगंज	देशी शराब	कुशुम्भी श्रीमती ज्योति जायसवाल पत्नी अमित जायसवाल
154.	नवाबगंज	देशी शराब	रसूलपुर श्री माया पत्नी गौरी शंकर
155.	नवाबगंज	देशी शराब	जोगा सरॉय श्री रामसिंह पुत्र द्वारिका प्रसाद
156.	नवाबगंज	देशी शराब	भैसौरा श्री संजय पाठक पुत्र शिव कुमार पाठक
157.	नवाबगंज	देशी शराब	पैंथर गोकुलपुर मार्ग श्री ताईन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र गंगाचरन
158.	नवाबगंज	देशी शराब	सलेमपुर श्री रज्जन लाल वर्मा पुत्र रामआसरे
159.	नवाबगंज	देशी शराब	मकदूमपुर श्रीमती सुमन पत्नी गज्जू
160.	नवाबगंज	देशी शराब	हिम्मतगढ़ श्रीमती पिकी पत्नी श्री किशन जायसवाल
161.	नवाबगंज	देशी शराब	हरचन्द्रपुर श्री मन्ना पुत्र मुरली
162.	नवाबगंज	देशी शराब	गोरिन्दा श्रीमती जूली बाजपेयी पत्नी वीरेन्द्र पाण्डे
163.	नवाबगंज	देशी शराब	वीर सिंह पुर श्री रमेश कुमारी पत्नी सुरेन्द्र कुमार
164.	नवाबगंज	देशी शराब	चमरौली श्री प्रवेश सिंह पत्नी जगरूप सिंह
165.	नवाबगंज	देशी शराब	महमूदपुर नौदहा श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामशंकर सिंह
166.	नवाबगंज	विदेशी शराब	सोहरामऊ श्री राजकुमार राठौर पुत्र मेवालाल
167.	नवाबगंज	विदेशी शराब	अजगैन श्रीमती मीनू जायसवाल पत्नी अरविन्द
168.	नवाबगंज	विदेशी शराब	मकदूमपुर श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र कृष्ण बहादुर सिंह
169.	नवाबगंज	विदेशी शराब	चमरौली श्री श्याम प्रकाश तिवारी पुत्र रविशंकर
170.	नवाबगंज	विदेशी शराब	भौली श्रीमती सुशीला जायसवाल पत्नी रामचरन जायसवाल
171.	नवाबगंज	विदेशी शराब	जैतीपुर श्री जमुना प्रसाद पुत्र रामलाल
172.	नवाबगंज	विदेशी शराब	कुशुम्भी (स्टेशन रोड) श्री श्रीकान्त गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद
173.	नवाबगंज	बियर दुकान	सोहरामऊ श्री सुरजीत कुमार पुत्र रामआसरे
174.	नवाबगंज	बियर दुकान	अजगैन श्री पप्पू चौधरी पुत्र चौधरी मुस्ताक अहमद
175.	नवाबगंज	बियर दुकान	मकदूमपुर श्री जमुना प्रसाद पुत्र रामलाल
176.	नवाबगंज	बियर दुकान	चमरौली श्री प्रवीन कुमार पाठक पुत्र शिव कुमार पाठक
177.	नवाबगंज	बियर दुकान	जैतीपुर श्री रज्जन लाल वर्मा पुत्र रामआसरे
178.	नवाबगंज	बियर दुकान	भौली श्री कीर्ति सिंह पुत्र रामशेर बहादुर

उपरोक्त शराब दुकान/व्यवसायों के लाइसेंस सम्बन्धित विकास क्षेत्र में नियुक्त राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षकों द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप जिला-पंचायत की वर्ष की निजी आय की निम्नानुसार क्षति हुई है।

विवरण	संख्या	ला0 शुल्क दर	धनराशि
देशी शराब दुकान	121	X 1510 = 00	रु- 182710 = 00
विदेशी शराब दुकान	33	X 2010 = 00	रु - 66330 = 00
वियर दुकान	24	X 1010 = 00	रु- 24240 = 00
योग-			रु - 273280 = 00

क्षतिपूर्ति उत्तरदायी से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 7—वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि रसीद (प्रपत्र-5) क्रमांक 354308 द्वारा दिनांक 10.01.2019 में श्री सुधीर वर्मा, जिनकी शटरिंग की दुकान का लाइसेंस शुल्क रु0 2510.00 अंकों व शब्दों में रूपया दो हजार पांच सौ दस मात्र का निर्गत किया जाना दर्शित है किन्तु वसूली धन जमा करते समय धनराशि रु0 2010.00 मात्र ही जिला पंचायत में जमा किया गया है। इस प्रकार रु0 500.00 वसूली धन कम जमा कर अनियमितता की गयी एवं रसीद की पर्ण प्रति पर शब्दों एवं अंकों में उपरिलेखन किया गया है। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः रु0 500.00 की क्षतिपूर्ति उत्तरदायी से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 8—लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी निर्माण पत्रावली कार्य—ग्राम पंचायत परियर मे बाजार वाली गली में सी सी कार्य लागत रु0-8.00 लाख में उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक 14-9-15 को किया गया था कार्यपूर्ण करने की समय सीमा दिनांक 13-11-15 थी सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने हेतु रु0-2000.00 विलम्ब प्रतिकर लगाते हुए दिनांक 30-5-17 तक समय विस्तार दिया गया था। जबकि विलम्ब प्रतिकर अनुमानित लागत (8.00 लाख) का 1% अर्थात् रु0 8000.00 लगाया जाना चाहिये था। इस प्रकार सम्बन्धित प्रकरण में रु0 6000.00 कम विलम्ब प्रतिकर लिया गया। कम प्रतिकर की पूर्ति अपेक्षित है।

सन्दर्भित कार्य की फाइनल एम0बी0 247 / 162-165 दि0-29-5-2017 को अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद द्वारा किया गया दर्शित हैं। निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज स्टोन ग्रेट के एम0एम0 11 अन्तिम बिल व एम0बी0 तिथि के पश्चात के पाये गये। एम0बी0 तिथि के पश्चात के एम एम 11 में कुल 93 घन मीटर पत्थर गिट्टी के एम0एम011 संलग्न पाये गये। (मूल आपत्ति में अंकित) निर्देशानुसार इन पर रायल्टी (93 घन मीटर रु 160.00 की दर से) रु0 14880.00 अधिभार योग्य है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 9—वित्तीय वर्ष 2018-19 की मांग एवं गतवर्ष के बकाये के सापेक्ष वसूली के त्रैमासिक विवरण पत्र (चतुर्थ त्रैमास दिनांक 31-3-2019) के अनुसार लाइसेंस मद में वर्ष की मांग रु0 135.00 लाख, गत वर्षों के बकाया की धनराशि-शून्य दर्शाया गया है। जबकि वर्ष 2017-18 के इसी प्रपत्र -31-3-2017 में दर्शित वर्षान्त शेष 1-4-2018 के प्रारम्भिक शेष में अंतर रु0-33.799 लाख के अन्तर पर पूर्व वर्ष के ले0प0 प्रति0 में आपत्ति सं0-18 अंकित है, का सुधार नहीं किया गया। साथ ही यह भी उल्लेखनीय कि वर्ष आलोच्च (18-19) में वर्ष की मांग रु0 135.00 लाख के सापेक्ष वसूली मात्र रु0 88.117 लाख ही की गयी दर्शित है। वित्तीय वर्ष की मांग के सापेक्ष वसूली (88.117 लाख) के पश्चात वर्षान्त मे वसूली हेतु शेष रु0-46.883 लाख होना चाहिए जो अवशेषों में दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2017-18 के प्रारम्भिक शेष रु0-33.799 लाख वर्ष 18-19 के वर्षान्त में शेष रु0-46.883 लाख कुल वसूली हेतु शेष 80.682 लाख लाइसेंस मद में बकाया कम दर्शित है। यह स्थिति संस्था हित में नहीं है। बकाया कम दिखाने के बजाय उसकी वसूली का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसूली का प्रतिशत अधिक दिखाने के लिए पिछला बकाया नहीं दिखाया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 10— जि0पं0 द्वारा वर्ष 2017-18 में स्वीकृत एवं वर्ष 2018-19 में कराये गये इण्टर लाकिंग कार्य पवई मार्ग से मुलुकपुर गडार गॉव तक सम्पर्क मार्ग इण्टर लाकिंग कार्य प्राक्कलन में प्राकलित (ल0 170 मी चौ0 2 मी) 340 वर्ग मी इण्टर लाकिंग कार्य का भुगतान प्र0सं0 71 दि0-13.12.18 एम बी. नम्बर 272/106-108/10-11-18 के अनुसार 80 एम एम इण्टर लाकिंग टाइल्स से 350 मी² रु0 672=00/ मी² रु0 235200-00 का किया गया है। जो अनुमन्य नहीं था। इन्डियन रोड कांग्रेस एस0पी0-063-2004 के बिन्दु सं0-5.2 के अनुसार लाइट ट्रैफिक पेवमेन्ट (ग्रामीण सम्पर्क मार्ग) हेतु 60 एम0एम0 इण्टर लाकिंग टाइल्स

ही अनुमन्य या सन्दर्भित इण्टर लाकिंग कार्य ग्रामीण सम्पर्क मार्ग था अतः 60 एम0 एम0 इण्टर लाकिंग के उपयोग से रू0 544.00/मी² रू0 190400.00 (लो0नि0वि0 लो0निर्माण वृत्त उन्नाव की दर अनुसूची 24.11. 2017 से प्रभावी) ही भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार 60 एम0एम0 इण्टर लाकिंग टाइल्स रू0-544. 00/मी² के स्थान पर 80 एम0 एम0 इण्टर लाकिंग टाइल्स रू0 672.00/मी² का प्रयोग करके रू0 128.00/ मी² की दर से(350 मी² x 128.00) रू0 44800.00 का अधिक भुगतान किया गया। जबकि स्पेसिफिकेशन में " समस्त कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय डाटा बुक भारत सरकार के प्राविधानों के तहत कराया जायेगा", की बात कही गयी है। अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद व अभियन्ता श्रीमती मंजू सिंह थी। अतः इस प्रति नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 11— वर्ष 2017-18 की कार्य योजना से वर्ष 18-19 में कराये गये कार्य दोस्ती नगर नहर पटरी से दोस्तीनगर गाँव तक इण्टर लाकिंग कार्य का प्राकलित (ल0 415मी0 चौ0 3मी0) 1245 वर्ग मी0 कार्य सम्पादित (एम बी न. 240/151-155) 1301-59 वर्ग मी0 इण्टर लाकिंग का भुगतान प्रमाणक सं0-79 दिनांक-22.09.2018 को किया गया है। पत्रावली की जाँच में निम्नांकित कमियां पायी गयी—

- (1) कराये गये इण्टर लाकिंग टाइल्स के क्रय बिल, चालान संलग्न नहीं पाये गये।
- (2) कार्यादेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- (3) कार्य में प्रयुक्त गिट्टी के एम0एम 11 कार्य का कार्यादेश (अनुबंध) गठन के पूर्व के संलग्न पाये गये उदाहरण—

एम एम 11 संख्या	दिनांक	मात्रा
31791704010102516	9-8-2017	9 घनमीटर
31791704010102097	9-5-2017	9घनमीटर
31791704007302103	9-7-2017	9घनमीटर
31791704007302649	9-10-2017	9घनमीटर
31791704010102681	9-9-2017	9घनमीटर

योग— 45 घनमीटर

पंचायती राज अनुभाग-2 के आदेश सं0-1580/33-2-12-7 आर डी/12 दिनांक-20 जुलाई 2012 अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा तथा आपूर्ति की सामग्री का उपयोग प्रत्येक दशा में तीन माह में अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा, का पालन नहीं होता है। अनुबन्ध से पूर्व के एम एम 11 कार्य से सम्बन्धित नहीं है। अतः 45 घनमीटरगिट्टी पर रायल्टी (रू0 160.00 की दर से/घनमीटर) रू0 7200.00 अधिभार योग्य है। अतः ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 12—पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1580/33-2-12-7 आर डी/12 दिनांक-20 जुलाई 2012 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा तथा आपूर्ति सामग्री का उपभोग प्रत्येक दशा में तीन माह में अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा। वर्ष 2017-18 की स्वीकृत कार्य व वर्ष 18-19 में कराये गये कार्य उन्नाव रायबरेली रोड से कठार गाँव की ओर इण्टर लाकिंग कार्य की अनुमानित लागत रू0-15.00 लाख (रू-315 मी x 3 मी) 945 वर्ग मी0 के कार्य में प्रयुक्त गिट्टी के एम0एम0 11 कार्यादेश— (240/सा0नि0/जि0प0उ018-19 दिनांक 28 अप्रैल 2018) निर्गमन के पूर्व की तिथियों के संलग्न पाये गये उदाहरण

एम0एम0-11-	31791704009101125	9 घनमीटर	दिनांक-29.9.2017
एम0एम0-11-	31791704009101085	9 घनमीटर	दिनांक-28.9.2017
एम0एम0-11-	31791704010903489	9 घनमीटर	दिनांक-9.10.2017
एम0एम0-11-	31791704010903644	9 घनमीटर	दिनांक-11.11.2017

योग— 36 घनमीटर

एम0एम0-11 की निर्गमन तिथि से सामग्री के उपयोग हेतु निर्गत सन्दर्भित शासनादेश का पालन नहीं होता है। कार्यादेश के पूर्व के एम0एम011 कार्य से सम्बन्धित नहीं है। अतः 36घनमीटरगिट्टी पर रायल्टी (रु0 160.00 की दर से/ घनमीटर) रु0 5760.00 अधिभार योग्य है। अतः ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 13- इण्डियन रोड कांग्रेस एस0पी0 063-2004 के बिन्दु 5.2 के अनुसार लाइट ट्रैफिक पेवमेन्ट हेतु 60 एम0एम0 इण्टर लाकिंग टाइल्स का प्रयोग अनुमन्य था। वर्ष 18-19 में कराये गये निम्न इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य में 60 एम0एम0 इण्टर लाकिंग के स्थान पर 80 एम0एम0 इण्टर लाकिंग टाइल्स का प्रयोग किया गया है (ट्रैफिक सेन्स का विवरण भी पत्रावलियों में संलग्न नहीं था) लोक निर्माण विभाग दर अनुसूची-अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त दिनांक-24.11.2017 प्रभावी दर में 80 एम0एम0 इण्टर लाकिंग टाइल्स रु0-21.00 प्रतिनग और 60 एम0एम0 इण्टर लाकिंग टाइल्स रु0-17.00 प्रतिनग दर्शित है। अतः 60 एम0एम0 के इण्टर लाकिंग टाइल्स के स्थान पर 80 एम0एम0 के इण्टर लाकिंग के उपयोग से अन्तर की धनराशि से अधिक व्यय हुआ-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	पू0सं0	माप पू0 सं0	निर्मित क्षेत्र वर्ग मी0 में	80 एम0एम0 टाइल्स मूल्य	60 एम0एम0 टाइल्स मू0	अन्तर
1.	दोस्ती नगर नहर पटरी से दोस्ती नगर गौव तक इण्टर ला0	79 / 22.9.2018	240 / 151-155	1301.59	874668	708065	166603
2.	लूटापुर से हनुमान मंदिर भिनकीपुर इण्टर लाकिंग कार्य	161 / 29.6. 2018	240 / 127-130	927.00	622944	504288	118656
3.	उन्नाव रायबरेली रोड़ से कठार गौव की ओर इण्टर लाकिंग	76 / 22.9.2018	240 / 147-150	957.00	643104	520608	122496
			योग	3185.59	2140716	1732961	407755

इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0-407755.00 का अधिक व्यय परिलक्षित होता है। अतः ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष-2018-19

प्रारूप-02

जनपद का नाम-हापुड.मण्डल का नाम-मेरठ

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में गढ मेले में अस्थाई पुल निर्माण में ठेकेदार को अंकन रु0 440159.00 का अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुँचाई गयी। जिसके लिये श्रीमती सुनीता यादव,अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश यादव,वित्तीय परामर्श दाता श्री संजय अग्रवाल,अभियन्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता श्री आदेश कुमार व लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार है। अतः संबंधितों से रु0 4,40,159.00 की **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में गढ मेले में कराये गये कार्यों पर अंकन रु0 448321.50 का अनियमित भुगतान कर संस्था को क्षति पहुँचाई गयी। जिसके लिये श्रीमती सुनीता यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश यादव, वित्तीय परामर्श दाता श्री संजय अग्रवाल,अभियन्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता,अवर अभियन्ता श्री आदेश कुमार व लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार है। अतः संबंधितों से रु0 4,48,321.50 की **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में बैंक खातों से धनराशि रु0 125.84 लाखों में अन्य खातों में संक्रमित कर अनियमितता की गयी। जिसके लिये श्रीमती सुनीता यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश यादव, वित्तीय परामर्श दाता श्री संजय अग्रवाल, अभियन्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता श्री आदेश कुमार व लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार है। अतः संबंधितों से रु0 1,25,84,000.00 की **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग व तेरहवों वित्त आयोग पर कराये गये निर्माण कार्यों पर रु0 70.9 लाखों में, करों की वसूली न करके अनियमितता की गयी। अतः रु0 70,90,000.00 की वसूली ठेकेदार की जानी चाहिये, ठेकेदार से वसूली न होने की स्थिति में उक्त धनराशि की **ब्याज सहित** वसूली संबंधित लेखाकार, वित्तीय परामर्श दाता, ए0एम0ए0 व अभियन्ता और अवर अभियन्ता से ब्याज सहित की जाय।

प्रस्तर संख्या-05 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सम्पत्ति एवं विभव कर रु0 63.95 लाखों में की वसूली जमा न करके दुर्विनियोग किया गया। जिसके लिये श्रीमती सुनीता यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश यादव, वित्तीय परामर्श दाता श्री संजय अग्रवाल, अभियन्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता श्री आदेश कुमार व लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार है। अतः संबंधितों से रु0 63,95,000.00 की **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत की (सम्पत्तिकर, तहबाजारी, शराब आदि) की बकाया धनराशि रु0 142.07 लाखों में निजी हित में व्यय कर अपहरण किया गया। जिसके लिये संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश यादव, अभियन्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता श्री आदेश कुमार व कर अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह एवं कर निरीक्षक श्री विजेन्द्र कुमार जिम्मेदार है। अतः संबंधितों से रु0 1,42,07,000.00 की **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामान्य रोकड बही में योग गलत दर्शाकर रु0 152.85 लाखों में गम्भीर अनियमितता किया गया। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में मृत मवेशी व्यवसाय हेतु निविदा आमंत्रण हेतु अखबार में विज्ञापनों पर रु0 9,429.96 व्यय किन्तु कोई टेंडर डलवाने के बजाय गलत वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर ठेके दिये गये। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। अतः रु0 9,429.96 की **ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर संख्या-09 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में मृत मवेशी व्यवसाय हेतु पुराने ठेकेदारों को दस प्रतिशत बढ़ाकर ठेके दिये गये, जबकि उन ठेकेदारों द्वारा पिछले बकाया बकाया अनुबंध के अनुसार त्रैमासिक किस्तों में नहीं दिया गया एवं अन्य समितियों को व्यवसाय करने का अवसर नहीं दिया गया। पुराने बकायेदार समितियों को विशेष अनुकम्पा के साथ पुनः ठेका दिया गया। उक्त समितियों के द्वारा अनिवार्य रूप से धारा उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में इंटरलाकिंग के कार्य हेतु विशेष अनुकम्पा के आधार पर कुछ ही ठेकेदारों को काम देकर उक्त ठेकेदारों को रु0 129.95 लाखों में का लाभ पहुँचाया गया। इसके लिये उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश कुमार यादव है। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में मृत मवेशी व्यवसाय के बकायेदारों से बकाया रु0 162692.00 की वसूली हेतु कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके लिये जिम्मेदार अपर मुख्य अधिकारी है। संबंधित से बकाया **ब्याज सहित** वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में बंद पड़ें चिकित्सालय में कम्पाउण्डर को बिना कार्य वेतन दिया गया एवं चिकित्सालय को खुलवाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं

किये गये। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत अंतर्गत आने वाली दुकानों से वसूली के कोई भी कारगर प्रयास नहीं किये गये। जिस कारण बकाया की धनराशि रु0 21.95 लाखों में की वृद्धि हुई। इसके लिये अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। बकाया रु0 21,94,481.00 के संबंधित से **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदानों को लापरवाही व राजकीय कार्य के प्रति उदासिनता के कारण उपयोग में न लाये जाने के कारण राजकीय अनुदान अवरुद्ध पड़ा रहा। तथा जिला पंचायत अंतर्गत विकास कार्य भी अवरुद्ध हुआ। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में संस्था की आय व्यय पंजिका के अनुसार गत वर्षों का बकाया अंकन रु0115.94 लाख था और आलोच्य वर्ष 2015-16 की मांग अंकन रु0 115.55 लाख दर्शित है। तथा वर्षान्त अर्थात् दिनांक 31.03.2016 को बकाया धनराशि कुल 117.98 लाख दर्शित है। इन आंकड़ों की पुष्टि में संस्था के द्वारा मदवार रजिस्टर जिसमें वर्ष की मांग एवं वसूली तथा बकाया व गत वर्षों का अवशेष का उल्लेख करते हुए लेखा बंदी नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में संभव है कि वसूली अधिक करके जमा कम कराया गया और शेष धनराशि का अपहरण कराया जा रहा है। दर्शित वसूली की धनराशि 412.82 लाख रु0 किस बैंक खाते में किन किन दिनाकों को जमा किया गया उसकी पुष्टि भी बैंक स्टेटमेंट से नहीं होती है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2016 को कैशबुक के अनुसार अंतिम शेष रु0 115562136.32 दर्शाया गया है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को रु0 116253186.32 जमा दर्शित है इस प्रकार दोनों में अंतर रु0 691050.00 परिलक्षित होता है, जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिये उत्तरदायी लेखाकार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में 121.81 की वसूली दर्शित की गयी किन्तु न तो लेखा बंदी की गयी और न ही बैंकों के संबंध में सूचना दी गयी। जिनमें उक्त धनराशि को विविध समयों में जमा करवाया गया होगा, अतः संभावना है कि दर्शित वसूली से अधिक वसूली की गयी। दर्शाया कम गया होगा। योजनाबद्ध तरीके से अपहरण करने के उद्देश्य से अभिलेखों को अपूर्ण रखने हेतु अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में शासनादेश के अनुसार संस्था के द्वारा मृत मवेशी निस्तारण मद से अर्जित आय का आधा भाग रु0 4.03 लाख में ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में नियमानुसार संस्था के द्वारा वाहन प्रयोग करने के निहित अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा प्रतिमाह 400.00 जमा नहीं कराये गये। कुल रु0 0.05 लाख जमा नहीं कराये गये। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। **उक्त धन जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर संख्या-20 जिला पंचायत-हापुड. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में कुल अंकन रु0 1093.96 लाख का निर्माण करवाया गया दर्शित है। जिसमें से अंकन रु0 24.50 लाख टी0डी0एस0 2.24 प्रति0 की दर से व्यापार कर 4.1 प्रतिशत की दर से अंकन रु0 44.85 लाख एवं श्रम आयकर अंकन रु0 10.93 लाख 1 प्रतिशत की दर से कुल कटौतियाँ करते हुए शेष धनराशि का भुगतान किया गया होगा। किन्तु उक्त कटौती संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः **रु0 80,28,000 की वसूली ठेकेदार की जानी चाहिये, ठेकेदार से वसूली न होने की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित**

वसूली संबंधित लेखाकार, वित्तीय परामर्श दाता, ए0एम0ए0 व अभियन्ता और अवर अभियन्ता से बराबर बराबर की जाय।

प्रस्तर संख्या-21 वर्ष-2016-17 की लेखा परीक्षा में मृत पशु शव निस्तारण रजिस्ट्रों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को ठेकें से नीलामी की धनराशि रु0 6,85,797.00 अवशेष रहीं हैं। जिसकी वसूली नहीं की जा रही है। तथा प्रति वर्ष बकाये की धनराशि में वृद्धि हो रही है। अतः वसूली की जानी अपेक्षित है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री नरेश यादव व कर अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 वर्ष-2016-17 में जिला पंचायत द्वारा 23 लाख रुपये का निर्माण कार्यो पर व्यय धनराशि का 1 प्रतिशत श्रम उपकर (लेबर सेस) का भुगतान किया गया है। उल्लेखनिय है कि निर्माण कार्यो के बिलो में 1 प्रतिशत की धनराशि अनियमित रुप से जोडकर भुगतान किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त अनियमित भुगतान की शासनादेशों से काटे जानी की पुष्टि की जाय। पुष्टि न होने की दशा में 23 लाख की ब्याज सहित वसूली श्री अपर मुख्य अधिकारी, श्री नरेश यादव, लेखाकार श्री बाबूराम व वी.पी.डी. श्री संजय अग्रवाल से की जाय।

प्रस्तर संख्या-23 वर्ष-2016-17 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी लता को रु0 10,500.00 प्रति माह मानदेय का भुगतान किया गया है। जबकि कि नियमनुसार 10,000.00 प्रतिमाह की दर से किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रु0 500.00 प्रतिमाह से 12 माह का कुल 6,000.00 अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 वर्ष-2016-17 की लेखा परीक्षा में जिला निधि से विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट से अधिक धनराशि की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	मद का नाम	स्वीकृत बजट	व्यय की धनराशि	अंतर
01	तदर्थ कर्मी	3,00,000.00	3,96,000.00	96,000.00
02	कार्यालय भत्ता	75,000.00	1,10,000.00	35,000.00
03	विधुत व्यय	25,000.00	1,14,000.00	89,000.00
04	निजी श्रोत से निर्माण कार्य पर व्यय	58,60,000.00	64,87,000.00	6,27,000.00
05	पेट्रोल/मोटर गाडी मरम्मत कार्य	5,00,000.00	5,84,000.00	84,000.00
	योग-	67,60,000.00	76,91,000.00	9,31,000.00

उपरोक्तानुसार कुल रु0 9,31,000.00 की धनराशि स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गयी है। जो गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा श्री नरेश यादव, ए0एम0ए0, श्री बाबू राम लेखाकार व श्री संजय यादव वी0पी0डी0 से ब्याज सहित वसूल की जाय।

त्रिस्तरीय पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रारूप-2

जनपद का नाम :- अमरोहा

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

जिला पंचायत :- अमरोहा

प्रस्तर संख्या-01 आलोच्य वर्ष 2018-19 अमरोहा जिला पंचायत में हड्डी-खाल मद से आय 431200.00 हुयी है। उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 2967/11/32-2002 दिनांक 07-10-2002 के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि के अर्थात 215600.00 ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिये थी, किन्तु यह धनराशि ग्राम पंचायतों को नहीं दी गयी है। इस सन्दर्भ अनियमितत हेतु विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ.प.-15)

प्रस्तर संख्या-02 आलोच्य वर्ष 2018-19 में डी.पी.आर.सी मद में रु-11999982.00 वर्ष के प्रारम्भ में था। मासिक लेखा प्रपत्र के अनुसार वर्ष में डी.पी.आर.सी मद में रु-8000000.00 प्राप्त हुये। मासिक लेखा प्रपत्र के अनुसार व्यय पक्ष में निर्माण कार्य में डी.पी.आर.सी मद में कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है। आलोच्य

वर्षान्त दिनांक 31-03-19 को डी.पी.आर.सी में अवशेष 11999982.00 दर्शाया है। स्पष्ट है कि वर्ष दौरान प्राप्त 8000000.00 को अन्य निर्माण कार्य अथवा वेतन, भत्ता, पेंशन आदि में खर्च किया गया है। यह धनराशि का दुरुपयोग प्रकरण है। इस गंभीर आपत्ति प्रकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ.प.-20)

प्रस्तर संख्या-03 जिला पंचायत अमरोहा द्वारा आलोच्य वर्ष में प्रकीर्ण व्यय में मासिक लेखा प्रपत्र के अनुसार रु-207698.00 हुआ है। प्रकीर्ण व्यय सम्बंधित कोई पत्रावली अभिलेख, सूची आदि ऑडिट में अनुपलब्ध रही। अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। उक्त धनराशि की पुष्टि न होने से गंभीर अनियमितता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ.प.-35)

प्रस्तर संख्या-04 आलोच्य वर्ष 2018-19 में संख्या द्वारा रु-136500.00 विभिन्न ठेकेदारों को जमानत वापिस की गयी है। अभिलेखों, सूची आदि की अनुपलब्धता में यह राशि अपुष्ट रही। अपुष्ट होना गंभीर अनियमितता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ.प.-36)

प्रस्तर संख्या-05 शासनादेश संख्या 1838/33-3-201503/2015 दिनांक 31-07-2015 से जिला पंचायत को ग्राम सभा के अन्दर कार्य करने से रोक लगायी गयी है। जिसके कार्य की डुप्लीकेसी न हो। परंतु वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य श्रमांश 23020491.00 धनराशि के किये गये हैं। जिसमें उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमित कार्य किया गया है। इस सन्दर्भ में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ.प.-37)

प्रारूप-2

जपनद :- बिजनौर

जिला पंचायत :- बिजनौर

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां:-

मण्डल :- मुरादाबाद

वर्ष :- 2018-19

प्रस्तर संख्या 1—मृतक पशु शव निस्तारण के रजिस्टर में दिनांक 31-03-19 को लेखाबन्दी नहीं की गई है। लेखाबन्दी कर अवशेष बकाया प्रमाणित नहीं की गई है। वार्षिक लेखा प्रपत्र संख्या 03 में मृतक पशु शव निस्तारण के अन्तर्गत गत वर्ष की बकाया दिनांक 01.04.18 को रुपये 96.64 लाख तथा वर्ष की मांग रुपये 10.00 लाख कुल 106.64 लाख के सापेक्ष वसूली रुपये 14.26 लाख घटाने के उपरान्त दिनांक 31-03-19 को रुपये 92.38 लाख बकाया दर्शाया जाना चाहिए था। किन्तु प्रस्तुत वार्षिक लेखा प्रपत्र संख्या 03 में गत वर्ष की बकाया दिनांक 01.04.18 को रुपये 33.02 लाख तथा वर्ष की मांग रुपये 10.00 लाख कुल रुपये 43.02 लाख के सापेक्ष रुपये 14.26 लाख की वसूली दर्शाने के उपरान्त दिनांक 31.03.19 को रुपये 28.76 लाख बकाया दर्शाया गया है। इस प्रकार दर्शित बकाया में रुपये 63.62 लाख का अन्तर है। अतः उपरोक्त मद की बकाया रुपये 28.76 के स्थान पर रुपये 92.38 लाख दर्शाया जाना चाहिए था। यहा यह विशेष रूप से उल्लेख करना है कि लेखा परीक्षा में मृतक पशु शव निस्तारण के बकायेदारों की सूची दिनांक 31.03.19 तक अनुलग्नक-8 के अनुसार कम संख्या 01 से 64 तक कुल रुपये 3231164.00 ही बकाया की सूची उपलब्ध कराई गयी है। इस प्रकार वार्षिक लेखा प्रपत्र संख्या 03 एवं प्रस्तुत बकाया सूची में रुपये 6006836.00 का भारी अन्तर है अन्तर की स्थिति अस्पष्ट रही। उपरोक्त बकाया की स्थिति स्पष्ट करते हुए वास्तविक बकाया राशि की पुष्टि एवं ब्याज सहित वसूली हेतु ठोस कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

पशु शव विच्छेदन के पुराने बड़े बकायेदारों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है—

क्र०सं०	नाम बकायेदार	विकास खण्ड	वर्ष जब से बकाया है।	बकाया (रजिस्टर अनुसार)
1	इसरार अहमद	मौ०पुर देवमल	---	181559.00
2	कश्मीरी सिंह सभापति औरंगपुर बसन्त	—	1997-98	48100.00
3	खलील पुत्र अ०शकूर	मौ०पुर देवमल	2004-05	243965.00
4	हरिराज सिंह, बुद्धा सिंह	कोतवाली	2006-07	109548.00
5	फरीद अहमद पुत्र शरीफ अहमद	नजीबाबाद	2008-09	211347.00
6	छोटे लाल	कोतवाली	2008-09	120780.00
7	इरशाद पुत्र अच्छन नि० मौ० जाटान,	हल्दौर	2008-09	150200.00

8	इरशाद पुत्र अच्छन नि० मौ० जाटान,	मौ०पुर देवमल	2008-09	250000.00
9	भोलू पुत्र अब्दुल रसीद	नहतौर	1999-2000	11900.00
10	अकबर पुत्र सद्दीक करौन्दा पचदू	—	2009-10	49000.00
11	मौ० यूसूफ पुत्र हकीममुल्ला	कोतवाली	2009-10	150000.00
12	शकील पुत्र अ० वहीद	जलीलपुर	2009-10	150000.00

आदि आदि।

उपरोक्त के लिए श्री डा० श्याम बहादुर शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार, लेखाकार उत्तरदायी है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2—उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 682 पी-33-314(2)84 दिनांक 10-03-1987 एवं 2203/03-02-797-48(पी)(87)/95 टी.पी. दिनांक 30-05-1997 एवं शासनादेश संख्या 2957/1-33-2-20045 सा०/०४/०१/०२ दिनांक 09-10-2002 के द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष दिया जाना है। आलोच्य वर्ष 2018-19 में रुपये 1425920.00 की आय में ग्राम पंचायतों को उनका अंश नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायतों को धन न हस्तान्तरित करके एक तरफ शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा पहुँचाई जा रही है। आलोच्य वर्ष के साथ ही साथ गत वर्ष 2017-18 में रुपये 1694920.00, 2016-17 में हुई आय रुपये 1435783.00, वर्ष 2015-16 में हुई आय रुपये 1260620.00 व उसके पूर्व वर्ष 2014-15 में हुई आय रुपये 2763950.00 को भी ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है उपरोक्त के लिए श्री डा० श्याम बहादुर शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार, लेखाकार उत्तरदायी है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 3—राज्य वित्त आयोग से 3292.31 लाख रुपये अनुदान प्राप्त हुए। गत वर्ष का रुपये 3254.79 लाख शेष था तथा वर्ष में 4502.01 लाख व्यय किये गये। इस प्रकार 2045.09 लाख 31-03-2019 को शेष रहे। वर्ष में प्राप्त अनुदान का उपभोग वित्तीय वर्ष में ही किया जाना चाहिये। पूर्ण धनराशि प्रयुक्त न करना अनियमित रहा। इसके लिए श्री डा० श्याम बहादुर शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार, लेखाकार उत्तरदायी है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रारूप-2

जनपद का नाम :-मुरादाबाद मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

जिला पंचायत:-मुरादाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष -2018-19

जिला पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

प्रस्तर संख्या-01 जिला पंचायत में वर्ष 2018-19 में दुकानों एवं भवनों पर किराया पुराना बकाया किराया सहित कुल रु० 66,86,427.00 आवास रजिस्टर के अनुसार प्राप्त किया जाना था। किन्तु वर्ष ऑडिट में मात्र रु० 31,00,945.00 ही किराया प्राप्त किया गया है। इस प्रकार किराया रु० 35,85,482.00 कम प्राप्त हुआ है। दुकानों एवं भवनों के बकाया किराया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	दुकानों/भवन	सं०	गत वर्षों की बकाया	वर्तमान माँग	योग	वर्ष में वसूल	कुल बकाया
01	व्यवसायिक दुकान	82	16,72,637	12,56,735	29,29,372	15,36,535	13,92,837
02	सरकारी भवन	8	14,24,473	9,34,836	23,59,309	8,70,277	14,89,032
03	आवास कालोनी	32	8,37,533	5,60,213	13,97,746	6,94,133	7,03,613
	कुल योग		39,34,643	27,51,784	66,86,427	31,00,945	35,85,482

कुल बकाया किराए की राशि रु० 35,85,482.00 में रु० 23,58,305.00 पुराना किराया बकाया है। बताया गया कि रु० 5,52,7710.00 की आर०सी० निर्गत हो चुकी है। किन्तु बकाया वसूली की प्रगति नगण्य है। अविलम्ब सभी बकायेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए बकाया किराए की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 02 दिनांक 31.03.19 को विभव तथा सम्पत्ति कर, कृषि भूमि एवं मृत पशु शव विच्छेदन आदि में अत्यधिक मात्रा में धनराशि बकाया पड़ी है। अधिकांश धनराशियां विगत वर्षों की भांति यथावत प्राप्य दर्शित हैं। जिनकी वसूली हेतु ठोस एवं कारगर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। बकाया धनराशियों की वसूली न होने की दशा में जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति उठानी पड़ रही है। जिसके लिये जिस अवधि में बकाया रही है और वसूली हेतु कारगर कार्यवाही नहीं की गई। उस समय के पटल कार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी इस प्रति जिम्मेदार है। बकाया धनराशियों की वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—03 वर्ष ऑडिट में जिला पंचायत के कार्मिकों के वेतन व पेन्शन पर राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ₹0 1,71,91,355.00 व्यय किया गया है जो प्राप्त अनुदान का 6.93 प्रतिशत है। वर्षान्त पर जिला पंचायत की निजी श्रोत की आय ₹0 2,11,36,036.41 शेष थी निजी श्रोत की आय होते वेतन एवं पेन्शन पर राज्य वित्त के अनुदान से व्यय किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—04 दिनांक 31.03.19 को मृत पशु शव विच्छेदन के ठेकों का बकाया ₹0 14,69,704.00 है जिसमें वर्ष की मांग ₹0 25,077.00 की है। वर्षान्त में इस मद के बकाएदारों की सूची नहीं बनाई गई है। प्रत्येक वर्ष आपत्ति किए जाने के बाद भी अभी तक पुरानी बकाया वसूली नहीं की गई है। अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करते हुए बकाया राशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। बकाया वसूली न हो सकने पर संस्था को हानि वहन करनी पड़ रही है। जिन पटल कार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी के कार्यकाल में यह बकाया पड़ी है। उनका दायित्व निर्धारित एवं करके उनसे इस बकाया राशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—05 प्रमुख सचिव उ0प्र0 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दि0 31.07.2015 के प्रस्तर-3 के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएंगी। जिला पंचायत मुरादाबाद की निर्माण पत्रावलियों कर जॉच में पाया गया कि संस्था द्वारा ग्राम अनुदान से कराए गए निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके अनियमितता की गई है, जिला पंचायत द्वारा बहुत छोटे निर्माण कार्यों ग्राम पंचायत के अन्दर कराए गए हैं। जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराए जाने हेतु प्राप्त होते हैं, जिसकी डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत रही:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	धनराशि (लाख ₹0 में)
1	वि०ख० मुरादाबाद के ग्राम बागडपुर की मढैया में जाकिर के घर से प्रेमपाल डीलर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	12.2800
2	वि०ख० डिलारी के ग्राम तैलीपुर में बन्धे से शकिल के घर तक टाइल्स रोड तक डामर रोड कार्य।	17.280
3	वि० ख० बिलारी के ग्राम खनपुरा चक हबीब पुर टाइल्स रोड से ग्रामके बाहर डामर रोड ते मिटटी एवं खंडजा कार्य।	14.250
4	वि०ख० छजलैट के ग्राम करनपुर में छत्रपाल सिंह के घर से रमेश की खेत की ओर सी०सी० कार्य।	12.840
5	वि०ख० ठाकुदद्वारा के ग्राम शाहपुर कलों में मुन्ना के घर से दुधारी बाबा देव स्थान के खंडजे तक मिटटी खंडजा कार्य।	12.250
6	वि०ख० छजलैट के ग्राम मिश्रीपुर में मेन रोड से सोहनलाल के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	14.640
7	वि०ख० मुढापाडें के ग्राम गनेश घाट में अर्जुन सिंह के घर से शिव मंदिर की मडई तक मिटटी एवं खंडजा कार्य।	4.600
8	वि०ख० भगतपुर पीपलग्राम में मुरादाबाद काशीपुर मार्ग की आंर मरम्मत नाली अनुरक्षण कार्य।	25.465
	योग	114.12

अतः ₹0 1,14,12,000.00 अनियमित भुगतान हुआ स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—06 मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के निर्देशानुसार प्रदेश के खनिज परिहार धारकों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले

वाहनों के साथ मुद्रित प्रपत्र एम0एम0-11 के स्थान पर ई0 अभिवहन प्रपत्र की व्यवस्था दिं0 01.08.2017 से की गई। परन्तु मुरादाबाद जिला पंचायत के कतिपय निर्माण पत्रावली में मैनुअल एम0एम0-11 संलग्न है जो अवैध है :-

कार्य-वि0ख0 कुन्दरकी के ग्राम मिलक मौहम्मदपुर बस्तोर से चन्दौसी रोड की ओर अन्दर पास तक सी0सी0 रोड निर्माण में मैनुअल एम0एम0 11 निम्नवत संलग्न रहे।

क्र० सं०	तिथि	अभिवहनपास एम0एम0-11 एल सी ए	मिट्टी की मात्रा	रेता व बजरी
01	07.10.18	एल सी ए 1049840	20 घनमी०	
02	27.07.18	एल सी ए 0274592	20 घनमी०	
03	06.10.18	एल सी ए 1049811	18 घनमी०	
04	04.06.18	एल सी ए 1105774		
05	22.08.18	एल सी ए 0477694	11.20 घनमी०	
06	03.10.18	एल सी ए 1049723	16.00 घनमी०	
07	04.10.18	एल सी ए 1049754		18.00 घ०मी०
08	05.10.18	एल सी ए 1049785	18.00 घनमी०	
09	01.10.18	एल सी ए 0164138	16.00 घनमी०	
10	07.10.18	एल सी ए 1049841	17.00 घनमी०	
11	27.08.18	एल सी ए 0141961		11.00 घ०मी०
12	13.06.18	एल सी ए 0285476		19.00 घ०मी०
13	30.09.18	एल सी ए 0164108		18.00 घ०मी०
14	01.10.18	एल सी ए 0154137		18.00 घ०मी०
15		एल सी ए 1049722		11.00 घ०मी०
16	06.10.18	एल सी ए 1049810		16.00 घ० मी०
17	05.10.18	एल सी ए 1049784	16.00 घनमी०	
18	17.06.18	एल सी ए 1049429	20 घनमी०	
		योग	172.00 घनमी०	111घ० / 18 घ०मी०

उक्त एम0एम0 11 मैनुअल होने के कारण एवं दिनांक 01.08.2017 के बाद के होने से अवैध सिद्ध होते हैं स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, इनकी जगह ई0-एम0एम0-11 क्यों नहीं प्रयुक्त रहा। विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 07 वाउचर संख्या 41 दिनांक 05.10.18 को रेलगाडी फर्स्ट ए०सी० का किराया 2,605.00 एं० मुश्त अनुदान 50 प्रतिशत रू० 51,400.00 का अभियान श्री राजेश्वर हि को भुगतान किया गया ए०सी० फर्स्ट का टिकट भी वाउचर के साथ नहीं संलग्न है। श्री सिंह बोंदा से स्थानान्तरित हुए हैं, किन्तु यह अस्पष्ट रहा कि कौन सी ट्रेन वहाँ से सीधे मुरादाबाद के लिए आती है। एक मुश्त अनुदान 40 प्रतिशत होना चाहिए जो शासन के परिपत्र के अनुरूप होगा। अतः रू० 41,120.00 एक मुश्त अनुदान अर्थात् रू० 10,280.00 की वसूली ब्याज सहित श्री राजेश्वर सिंह अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है तथा आवश्यक कार्यवाही भी इनके विरुद्ध की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 08 जिला पंचायत द्वारा अधिकृत रसीद निर्गत न किए जाने के कारण यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वास्तव में भवन किराए के रूप में किस अवधि का किस दर से यह किराया प्राप्त हुआ था। रू० 58,200.00 नकद धनराशि प्राप्त किया जाना तथा स्थानीय निधि कार्यालय द्वारा जिला पंचायत को दिए जाना दांनों ही कार्यालयों द्वारा गम्भीर अनियमितता की गई है। स्थानीय निधि कार्यालय से पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है कि वास्तव उनके द्वारा नकद रू० 58,200.00 ही बतौर भवन किराया दिया गया था जिसमें किराया दर व अवधि का उल्लेख भी होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर इसमें हेराफेरी होना सम्भावित है। रू० 1,92,500.00 की पी०एन०बी बैंक की चेक संख्या 472600/18.02.19 जिला निधि मुरादाबाद में जमा दर्शित है परन्तु इसे जनरल कैश बुक में प्रविष्ट किया गया। इस सन्दर्भ में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 जिला पंचायत की सामान्य बैठको में जिला पंचायत सदस्यो, आदि को मानदेय रू० 108000.00 भुगतान राज्य वित्त की धनराशि से किया गया है, जो कि जिला निधि से किया जाना चाहिए

था। त्रुटि पूर्ण ऐव अनियमित रहा। आवश्यक ट्रॉस्फर एन्ट्री पारित करके दिए गए मानदेय को जिला निधि से दिया जाना दिखाया जाना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 10 श्री योगेश कुमार चपरासी द्वारा दिनांक 13.01.2018 को मुरादाबाद से लखनऊ यात्रा — भत्ता बिल संलग्न रहा, परन्तु इस यात्रा हेतु कोई आदेश नहीं पाया गया और लखनऊ में दस्ती डाक प्राप्ति की रसीद आदि भी संलग्न है। वाउचर संख्या 9/1.1.2019 द्वारा ₹0 628.00 का भुगतान दर्शित है। इस तथ्य के आधार पर यात्रा संदिग्ध सिद्ध होती है। सम्बन्धित कर्मचारी से उक्त राशि ब्याज सहित वसूल कर जिला पंचायत निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 11 आलोच्य वर्ष 2018-19 में आबकारी विभाग द्वारा जिला पंचायत की पंजीकृत 138 दुकाने शराब की ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रही जिसका विभव व सम्पत्ति कर प्रति दुकान ₹0 6,000.00 वार्षिक निर्धारित है, दुकानों की कोई सूची लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराई गई और न ही वर्ष में कोई वसूली संचालित शराब की दुकानों से विभव व सम्पत्ति कर की गई तथा यह भी उल्लेखनीय है कि गत कई वर्षों से शराब की दुकानों की सम्पत्ति व विभव कर की वसूली नहीं की जा रही है। आलोच्य वर्ष की 138 दुकानों की ₹0 6,000.00 की दर से ₹0 8,28,000.00 की वसूली न किया जाना संस्था के प्रशासक अधिकारी की उदासीनता का घेतक है एवं वसूली न होने की स्थितिमें यह राशि संदिग्ध एवं अशोध्य हो जाएगी। इस सन्दर्भ में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-12 वर्ष 2018-19 का ₹0 50000.00 लेखा परीक्षा शुल्क भुगतान किया दिखाया गया है जिसकी पुष्टि में कोषागार में जमा का चालान नहीं पाया गया है। शासन द्वारा पंचायत संस्थाएं लेखा परीक्षा शुल्क से मुक्त कर दी गयी है। ऐसी स्थिति ₹0 50000.00 लेखा परीक्षा शुल्क भुगतान दिखाना व पुष्टि में चालान भी न होना व्यय का फर्जी होना सिद्ध करता है, जिसके लिए श्री शिशुपाल वर्मा अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती कमलजीत और वित्तीय सलाहकार एवं लेखाकर उत्तरदायी है। ₹0 50000.00 मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 13 वर्ष 2018-19 के जिला पंचायत मुरादाबाद की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथियों में कर निरीक्षकों द्वारा करदाता से कर वसूली की गयी है, और प्रपत्र सं0 5 भी काटा गया है, किन्तु इसकी प्रविष्टि लाइसेंस रजिस्टर में नहीं की गई। विवरण इस प्रकार है:-

क्र०सं०	दिनांक	रसीद संख्या	धनराशि	ब्लाक	करदाता
01	22.09.19	074753	10500	कुंदरकी	याहिया ब्रिक
02	27.02.19	074757	10500	कुंदरकी	मै0 एम0एच ब्रिक
03	06.12.18	089161	10500	ठाकुरद्वारा	मै0 रियाज ब्रिक
04	04.02.19	382873	10500	मुरादाबाद	मै0 एम के जेड0
05	12.03.18	089203	10500	छजलैट	मै0 कृष्ण ब्रिक
06	27.02.19	381934	10500	छजलैट	मै0 देवल ब्रिक
07	17.03.19	381941	10500	छजलैट	मै0 उममेद ईट
08	07.03.19	381942	10500	डिलारी	मै0 के0के0 ब्रिक
09	08.03.19	381944	10500	छजलैट	मै0 बी0एस0 ब्रिक
10	23.03.19	381948	10500	डिलारी	मै0 एफ एण्ड एफ
		योग	105,000		

उक्त रसीदों की लाइसेंस रजिस्टर में प्रविष्टि न करके संस्था के धन का सम्बन्धित कर निरीक्षकों द्वारा अपहरण किया गया। इस संबंध में अंतरिम आडिट आपत्ति निर्गत किये जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट न किया जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है। अतः अविलम्ब उक्त धनराशि की उनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 14 कृषि भूमि से आय संबंधित पत्रावली की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम समाथल में कृषि भूमि का ठेका दिये जाने हेतु दियं गये विज्ञापन के अनुसार दिनांक 28.05.2018 की नीलामी हेतु तिथि निर्धारित किये जाने के बाद तथा नियत तिथि पर बोली लगाने वाले ठेकेदारों के आने के बाद भी अध्यक्ष महोदया के द्वारा नीलामी स्थगित कर दी गयी थी, किन्तु नीलामी स्थगित किये जाने का कोई कारण नहीं बताया था। अध्यक्ष महोदया का आदेश पत्रावली में नहीं पाया गया। वित्तीय परामर्श दाता के हस्ताक्षर से नीलामी हेतु पुनः विज्ञापन पर ₹0 2725.00 खर्च किये जाने से संस्था को अनुचित व्यय को भार वहन करना पडा है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस राशि की वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

जिला पंचायत—

लेखा परीक्षा वर्ष—2018-19

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर (1) जिला निधि खाते में धनराशि उपलब्ध रहने के बावजूद भीनियमों के विपरीत राज्य वित्त खाते से आहरण कर वेतन मद में भुगतान किया जाना रु0 124.19 लाख चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण के उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के पैरा-3 त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्मान एवं सुविधाएं के शीर्ष के शासनादेश सं0 1113/33-2-2006-34 जी 01 टी0सी-11 दिनांक 20 मार्च, 2006 एवं शासनादेश सं0 06368/33-2-2006-34 जी/2001 टी0सी-11 दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 तथा शासनादेश सं0 02/33-2-2014-34 जी 01 टी0सी-11 दिनांक 07 जनवरी, 2014 प्रभावी रहेगा।

उक्त शासनादेश के अनुसार पंचायतों के पदाधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत कमशः अपनी गांव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिलानिधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेगी।

जिला पंचायत के जिला निधि खाता में वर्ष में दिनांक 31-03-2019 को रु0 190,98,233.23 अवशेष धनराशि रहने के बावजूद राज्यवित्त खाते से नियमों के विरुद्ध आहरण कर वेतन मद में भुगतान किया गया है अर्थात् उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

दिनांक 1.4.2018 को जिलानिधि खाता सं0 24532 में 139,37,975.87 अवशेष जमा थी जिसमें से बताया गया कि रु0 15,19,080.00 जमानत की धनराशि अवशेष जमा है अर्थात् 139,37,975.87-15,19,080.00=124,18,895.87 धनराशि स्वयं जिलानिधि की है।

अतः जिला पंचायत के जिला निधि खाता में वर्ष में दिनांक 1.4.2019 को रु0 124,18,895.87 अवशेष धनराशि रहने के बावजूद राज्य वित्त खाते से नियमों के विरुद्ध आहरण कर वेतन मद में भुगतान किया गया है अर्थात् उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं010)

प्रस्तर (2) मृत पशु-शव-निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को न दिया जाना रु0 3.38 लाख

शासनादेश सं0 682बी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी(8)95 टी0सी0 दिनांक 30.03.1997 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा प्राप्त मृत पशु-शव-निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को विकास कार्य हेतु हस्तान्तरित की जानी चाहिए।

जिला पंचायत को वर्ष 2018-19 में रु0 6.76 लाख की धनराशि की आय प्राप्त हुई किन्तु इस आय में से नियमानुसार पचास प्रतिशत रु0 3.38 लाख धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी जो कि अनियमित है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं014)

प्रस्तर (3) सम्पत्ति एवं विभव-कर के रूप में कम डिमांड लगाया जाना धनराशि रु0 0.94 लाख

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 121 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर सम्पत्ति एवं विभव-कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा हो। इसी धारा के अनुसार कर की दर आय पर अधिक से अधिक तीन पैसे प्रति रुपये निर्धारित की जानी थी। किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि रु0 6000.00 प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होगी। अग्रेतर, बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व बकाये की तरह वसूल करने का प्राविधान इस अधिनियम में था। उक्त नियमावली के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष माह मार्च तक समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए कर निर्धारण सूची के अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जानी थी जिससे परसम्पत्ति एवं विभव-कर की वसूली की जा सके। कार्यालय जिला पंचायत रामपुर के वर्ष 2018-19 के सम्पत्ति एवं विभव-कर से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि किसी व्यवसायिक द्वारा ड्यू डेट तक आपत्ति

दर्ज नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है कि जिला पंचायत रामपुर द्वारा बनायी गयी सूची ही अन्तिम है जो निम्न प्रकार विकास खण्डवार है –

क्र०सं०	विकास खण्ड	कर दाता की संख्या	सम्पत्ति एवं विभव-कर की धनराशि
1	विलासपुर	202	947400.00
2	स्वार	142	591000.00
3	सैदनगर	094	369600.00
4	शाहबाद	113	460800.00
5	चमरौआ	150	508800.00
6	मिलक	145	616800.00
7	योग	846	34,94,400.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2018-19 हेतु सम्पत्ति एवं विभव-कर का निर्धारण रु० 34.94 लाख किया गया परन्तु प्रगति प्रपत्र-3(संलग्न-1) में रु० 34.00 लाख की डिमांड दर्शायी गयी है। इस प्रकार रु० 0.94 लाख से डिमांड कम दर्शाकर अनियमितता की गयी है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं०16)

प्रस्तर (4) (क) अवशेष करों की वसूली न होना रु० 39.85 लाख

जिला पंचायत द्वारा सम्पत्ति एवं विभव कर का रजिस्टर पूर्ण कर नहीं रखा गया है, परन्तु वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकायों के सापेक्ष वसूली का विवरण (प्रपत्र-3) में निम्न प्रकार धनराशि दर्शित है- कार्यालय जिला पंचायत रामपुर प्रगति सूचना चतुर्थ त्रैमास प्रपत्र-3 द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्न प्रकार बकाया करों की सूचना तैयार की गयी है-

क्र०सं०	मद	वर्ष की मांग	गत वर्षों का बकाया	कुल मांग का योग	कुल वसूली	दिनांक 31.3. 2019 को कुल बकाया	10 वर्षों से अधिक बकाया	कुल वसूली का प्रतिशत	आर०सी० के अर्न्तगत
1	सम्पत्ति कर, वं विभव कर	34.00	30.00	64.00	33.61	30.39	अभिलेख अप्राप्त	15.34	0
2	लाइसेंस	35.61	0	35.61	35.61	0		100	0
3	मृत पशु शव निस्तारण	4.83	3.31	6.14	6.76	1.38	0.46	72.60	2.35
4	भवन किराया	8.50	8.00	16.50	8.64	7.86	अभिलेख अप्राप्त	43.88	0.21
5	नौकाघाट	0	0	0	0	0	0.61	43.88	1.88
6	मेला प्रदर्शनी	22.00	0	22.00	23.19	0	0.20	89.23	3.99
7	कृषि	1.86	0.22	2.08	1.86	0.22	0.22	89.22	0.22
8	अन्य	16.36	0	16.36	16.36	0	0	100	0
9	व्याज	40.44	0	40.44	40.44	0	0	100	0
10	योग	163.60	41.53	205.13	166.47	39.85	1.49		8.65

उपरोक्त से स्पष्ट है कि-

सम्पत्ति एवं विभव कर तथा भवन किराया की वसूली का प्रतिशत क्रमशः 15.34प्रतिशत व 43.88प्रतिशत है, जो अत्यन्त ही निम्न स्तर की है। अतः स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा अपनी आय बढ़ने के कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं तथा कम वसूली के प्रति जिला पंचायत द्वारा अपने सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रति कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी थी। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं०17 क)

(ख) गत वर्ष की अवशेष वसूली को वर्ष की डिमांड व बकाया की सूची में कम दर्शाया जाना रु० 11.69 लाख

गतवर्ष 2017-18 की कुल सभी मदों में अवशेष वसूली रु० 53.22 लाख दर्शित थी (प्रपत्र-3)। जो (प्रपत्र-3) वर्ष 2018-19 की वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकायों के सापेक्ष वसूली का विवरण में वसूली (गत वर्ष की बकाया कालम) में कुल रु० 41.53 लाख अंकित कर रु० 11.69 लाख से आय कम

दर्शाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है(संलग्न गतवर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 का प्रपत्र-3 वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग व वसूली के सापेक्ष बकाया का प्रपत्र)।

इस प्रकार से उक्त की तरह आंकड़ों में हेर-फेर कर गलत व अनियमित आकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं, ऐसे और भी आकड़े होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो गम्भीर अनियमितता है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं017 ख)

(ग) (1) मासिक लेखा में भवन, दुकान व गोदाम किराया की प्राप्तियों का वर्ष में कम दर्शाया जाना रु0 2.44 लाख

जिला पंचायत में किराया पंजिका के अनुसार दिनांक 31.3.2019 को मांग, वसूली व बकाया का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है—

		वर्ष की स्थिति			वर्ष की कुल वसूली			अवशेष		
क्र0 सं0	ब्लाक	चालू मांग	गत बकाया	कुल मांग	विगत	वर्तमान	कुल वसूली	विगत	वर्तमान	कुल बकाया
1	विलास पुर	397488	529120	92608	208518	52256	260774	320602	345232	665834
2	शाहबाद	49620	63650	113270	41422	38640	80062	22228	10980	33208
3	मिलक	173256	285775	459031	41256	53920	95176	244519	119336	363855
4	किराया भवन	407152	407090	1111242	140962	530775	671737	266128	173377	142505
5	योग	1027516	1285635	2313151	432158	675591	1107749	853477	684925	1205402

उक्त से स्पष्ट है कि किराया पंजिका के अनुसार वर्ष में कुल किराया की वसूली रु0 11.08 लाख की वसूली हुई दर्शित है और मासिक लेखा में रु0 8.64 लाख दर्शित है अन्तर रु0 2.44 से आय कम दर्शायी जा रही है।

(आ0सं017 ग(1))

(2) किराया मद में कुल मांग, वसूली व बकाया में अन्तर होते हुए कुल मांग में रु0 6.63 लाख से कम दर्शाया जाना

		वर्ष की स्थिति			वर्ष की कुल वसूली			अवशेष
क्र0सं0	किराया मद में	चालू मांग	गत बकाया	कुल मांग	विगत	वर्तमान	कुल वसूली	कुल बकाया
1	प्रपत्र-3में (बकायों के सापेक्ष वसूली का विवरण)	8.50	8.00	16.50	7.24	1.40	8.64	7.86
2	किराया पंजिका के अनुसार	10.27	12.86	23.13	4.32	6.76	11.08	12.05
3	अन्तर	1.77	4.86	6.63	2.92	5.36	2.44	4.19

उक्तानुसार कुल मांग, किराया पंजिका के अनुसार रु0 23.13 लाख व प्रपत्र-3 में 16.50 लाख अंकित है अन्तर रु0 6.63 लाख से प्रपत्र-3 में कुल मांग कम दर्शायी जा रही है।

(आ0सं017 ग(2))

(3) किराया मद में कुल बकाया धनराशि में कम दर्शाया जाना रु0 4.19

उक्तानुसार आपत्ति ग (2) के टेबुल के अनुसार कुल बकाया, किराया पंजिका के अनुसार रु0 12.05 लाख व प्रपत्र-3 में 7.86 लाख अंकित है अन्तर रु0 4.19 लाख से प्रपत्र-3 में कुल बकाया कम दर्शायी जा रही है।

उक्तानुसार किराया पंजिका से अलग आकड़ों का लेखा कर विभाग को अवास्तविक आकड़े भेजे जा रहे हैं। जो गम्भीर अनियमितता है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं017 ग(3))

प्रस्तर(5) (1) शासन की स्वीकृति से बचने के लिए रु0 26.66 लाख मूल्य के एक ही निर्माण कार्य को टुकड़ों में बांटकर कार्य सम्पादित कराया जाना

अनुदान पंजिका के अनुसार राज्य वित्त आयोग के खाते से मेला राठौडा पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित है—

क्र0सं0	वाउचर/दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	24/09.04.2018	मेला राठौडा परिसर में ग्रा0पं0कार्यालय के सामने अवशेष दीवार	471000.00

2	67 / 14.5.2018	मेला राठौडा परिसर में टिन शेड का निर्माण	527923.00
3	27 / 2.6.2018	मेला राठौडा परिसर में टिन शेड का कार्य	530000.00
4	81 / 18.12.2018	मेला राठौडा परिसर में कार्यालय गेट के सामने दीवार निर्माण	352782.00
5	57 / 14.1.2019	मेला राठौडा परिसर में रंगाई पुताई	158275.00
6	52 / 18.3.2019	मेला राठौडा परिसर में रंगाई पुताई मरम्मत कार्य	626000.00
		योग	2665980.00

शासन की सदैव मंशा होती है कि शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का उपभोग क्षेत्र के चौमुखी विकास पर व समानता के आधार पर किया जायेगा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अनुदान की एक बड़ी धनराशि एक विशेष जगह के लिए व्यय किया गया जो एक प्रकार की अनियमितता है। निर्माण कार्य टिन शेड, रंगाई पुताई व मरम्मत का नियमानुसार एस्टीमेट नहीं बनाया गया है तथा पारित प्रस्ताव भी लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा।

जिला पंचायत में रु0 10.00 लाख से अधिक के कार्यों की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है इससे कम मूल्य के कार्यों की स्वीकृति की शक्ति अध्यक्ष जिला पंचायत में निहित है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वित्तीय स्वीकृति से वचने के लिए उक्त कार्यों को टुकड़ों में बांटकर कराया गया तथा उक्त कार्य के निर्माण के लिए बोर्ड के प्रस्ताव पारित हैं या नहीं? प्रस्ताव वही अप्राप्त रही। अतः उक्तानुसार कार्य कराया जाना वित्तीयनियमोंकीअवहेलनावअनियमितताहै। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं018)

प्रस्तर(6) गाडियों के उपयोग में सरकारी नितियों का पालन न कर सम्बन्धित खाते में जमा न किया जाना रु0 0.12लाख

राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में गाडियों के उपयोग आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण प्रदेश के विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने तथा अनुत्पादक व्यय को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 19.3.97 को वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये थे।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश सं0710/दस-सं0वि0-मित्त-2/97 दिनांक 29.05.1999 के अनुसार मोटर कार के लिए रु0 500.00 प्रतिमाह व जीप के लिए रु0 400.00 लेखाशीर्षक 00700 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60अन्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए था।

पुनः शासनादेश सं0-1/2017-सी0ए0-400/दस/2017-मित्त0-1/2017 के शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा की जाने वाली प्रतिवाहन की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक 24 सितम्बर, 2017 से कार के लिए रु0 1000.00 प्रतिमाह तथा जीप के लिए रु0 800.00 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाये।

जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा (जो अधिकृत हैं) पूरे वर्ष 2018-19 में वाहन का प्रयोग किया है अर्थात् 12 माह का रु0 1000.00 प्रति माह की दर से कुल रु0 12000.00 अपने वेतन से जमा नहीं किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार से कर उक्त खाते या विभाग द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं022)

प्रस्तर(7) अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनियमित रूप से मकान किराया भत्ता लिया जाना रु0 1,57,410.00

जिला पंचायत में कतिपय अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने हेतु आवास निर्मित हैं, जैसे-मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता तथा अन्य कर्मचारियों हेतु आवास का निर्माण किया गया है। कतिपय अधिकारियों व कर्मचारियों को जिनको आवास आंबटित है, को नियमानुसार जो आवास भत्ता वेतन में दिया जा रहा था, की कटौती उनके वेतन से की जा रही है तथा निश्चित आवास मरम्मत की धनराशि भी वसूल की जा रही है।

जिला पंचायत के प्रमुख शीर्ष अधिकारियों जैसे मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता के पदनाम से जिला पंचायत कार्यालय में आवास निर्मित है, उक्त अधिकारी के पद पर कोई नियुक्ति न हो, फिर भी ये आवास किसी और को आंबटित नहीं हो सकते।

उक्त अधिकारियों की नियुक्ति यदि इस कार्यालय में है तो इन अधिकारियों द्वारा चाहे आवास आंबटित करायें या न करायें उनका मुख्यावास यही माना जायेगा। और इन्हें किसी प्रकार का आवास-भत्ता नियमानुसार देय नहीं है।

परन्तु अपर मुख्य अधिकारी श्री सुशील कुमार(जो स्वयं में डी0डी0ओ0हैं) द्वारा अनियमित रूप से मकान किराया भत्ता आहरण कर भुगतान निम्न प्रकार लिया जा रहा है, जो गम्भीर आपत्ति है।

	मद	प्रति माह	दिनांक 1.7.2017 से दिनांक 1.3.2020 तक कुल 33 माह	धनराशि
	मकान किराया भत्ता	4480.00	33	1,47,840.00
	आवास मरम्मत	290.00	33	9,570.00
	योग			1,57,410.00

उक्त धनराशि रू0 1,57,410.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुशील कुमार अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं023)

प्रस्तर(8) (क) शासनादेश के विपरीत किया गया निर्माण कार्य और इस पर किया गया भुगतान रू0 363.66 लाख शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक जुलाई 31, 2015 में स्पष्ट है कि चतुर्थ राज्यवित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1639/33-3-3015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्गत किया गया है जिससे ग्राम पंचायत, क्षेत्रपंचायत व जिला पंचायत में निर्माण में डुप्लीकेसी की संभावनाएं न रहे। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सबसीडियरिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करें। अतः त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं—

(1) ग्राम पंचायत को जो धनराशि अनुदान कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्रामपंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जायें।

(2) क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि अनुदान कार्यों के लिए दी जाती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के कार्य सम्पन्न कराये जायें।

(3) जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों एक से अधिक ग्रामपंचायतों को लाभान्वित करने के कार्य सम्पन्न कराये जायें।

परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश के विपरीत अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए एक ही ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से कतिपय निर्माण कार्य कराया गया है, जो नियमों के प्रतिकूल है—

क्र0 सं0	वाउचर नं0/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	09/9.4.18	ग्राम छतरपुर से सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड	310000.00
2	53/16.4.18	ग्राम खेमपुर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड	516000.00
3	79/19.4.18	ग्राम मैनी में मुख्यमार्ग से तालाब की ओर सी0सी0रोड	607000.00
4	80/19.4.18	ग्राम बरखेडा सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा	660000.00
5	81/19.4.18	ग्राम पहाडपुर सम्पर्क पर खडण्जा	630000.00
6	04/1.5.18	छलकी सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड	430000.00
7	06/1.5.18	पनवडिया प्रा0स्कूल की ओर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड	760000.00
8	22/1.5.18	ठोकपुरी टाण्डा सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड	522000.00
9	26/1.5.18	मझरा में स्कूल से मोड तक अवशेष खडण्जा	391000.00
10	28/1.5.18	मसूरपुर में तालाब की दीवार	573000.00
11	33/1.5.18	ग्राम चकसनइया सम्पर्क पर नाली व सी0सी0रोड	464000.00
12	34/1.5.18	ग्राम सैफनी में कब्रिस्तान की ओर खडण्जा व नाली	644000.00
13	36/1.5.18	ग्राम जागीर पुर में सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड	534000.00
14	42/1.5.18	ग्राम ललवारा मुख्य मार्ग से मन्दिर की ओर	520800.00
15	71/1.5.18	लालपुर दडियाल मार्ग से नाली व सी0सी0 रोड	615000.00
16	72/1.5.18	चकशादी पुर में नाले की पुलिया से मन्दिर तक नाली व सी0सी0 रोड	295616.00
17	93/31.5.18	रामनगर लतीफपुर से प्रथमा बैंक के सामने सी0सी0रोड	513000.00
18	101/31.5.18	सैजनीनानकार से मुख्य मार्ग की ओर सी0सी0 रोड	381355.00
19	15/2.6.18	रम्पुरा उपस्वस्थ केन्द्र तक खडण्जा	655000.00
20	16/2.6.18	ग्राम सिप्ला में सम्पर्क मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	260000.00
21	17/2.6.18	ग्राम दलकी सम्पर्क पर सी0सी0 रोड	123000.00

22	18/2.6.18	ग्राम टाण्डा गोलू की तरफ डामर	97577.00
23	19/2.6.18	ग्राम बढापुर शर्की मार्ग पर डामर	95159.00
24	20/2.6.18	ग्राम नानकट के मझरे तक सी0सी0 रोड	700000.00
25	21/2.6.18	ग्राम चकफेरी में अवशेष सी0सी0 रोड	685000.00
26	23/2.6.18	फैजुल्लानगर में नाला निर्माण	265699.00
27	25/2.6.18	मुतियापुरा में सी0सी0 रोड	544000.00
28	76/22.6.18	ग्राम खेमपुर से सम्पर्क मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	442357.00
29	79/22.6.18	ग्राम पनवडिया से प्रा0स्कूल की ओर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	201000.00
30	82/22.6.18	ग्राम मुस्तफाबाद सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	171500.00
31	83/22.6.18	लाडपुर सेमरा में गुरुनानक स्टोन केशर तक सी0सी0 रोड	605000.00
32	96/22.6.18	पहाड पुर सम्पर्क पर खडण्जा	162800.00
33	18/13.7.18	ग्राम धनौरी सम्पर्क मार्ग से सहकारी समिति तक सी0सी0 रोड	168202.00
34	20/13.7.18	चमरौआ में तालाब की दीवार व खडण्जा	373859.00
35	21/13.7.18	चकसनैया मार्ग पर सी0सी0 रोड	154336.00
36	25/13.7.18	रामनगर लतीफपुर से प्रथमा बैंक के सामन नाली व सी0सी0 रोड	23395.00
37	27/13.7.18	ग्राम ढोकापुरी टाण्डा से सम्पर्क मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	136500.00
38	26/13.7.18	छतरपुर से सम्पर्क पर सी0सी0 रोड	82800.00
39	30/13.7.18	ग्राम लोधीपुर में मन्दिर से श्मशानघाट की ओर खड.जा	500000.00
40	35/13.7.18	प्रेम सिंह के फार्म एवं पुंसवाडा सम्पर्क मार्ग पर मिटटी व खडण्जा	163187.00
41	37/13.7.18	पुंसवाडा फाजलपुर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी व खडण्जा	149439.00
42	40/13.7.18	ग्राम सैफनी में कब्रिस्तान की ओर खडण्जा व नाली	225462.00
43	41/13.7.18	ग्राम जहागीर में सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	143079.00
44	43/13.7.18	मिलक काजी सम्पर्क मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	94854.00
45	54/13.7.18	ग्राम वन्दार से जाटव वस्ती सम्पर्क मार्ग पर डामर व नाला	478358.00
46	02/2.8.18	ग्राम वैरवा में मन्दिर की ओर नाली व सी0सी0 रोड	300000.00
47	24/10.8.18	खिरका में देवी स्थान से मुख्यमार्ग पर सी0सी0 रोड	400000.00
48	17/14.9.18	रामपुर बरेली मार्ग से विजली घर की दीवार	183218.00
49	20/14.9.18	मंसूरपुर में तालाब की दीवार आदि कार्य	156504.00
50	24/14.9.18	पंजाब नगर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	841800.00
51	42/14.9.18	नंद गांव से झील के पास होते हुए मार्ग पर खडण्जा कार्य	278615.00
52	43/14.9.18	फतेहपुर में इण्डिया डोनल फैक्ट्री की ओर खडण्जा कार्य	700000.00
53	51/20.9.18	चैनपुर में देवी स्थान की ओर खडण्जा कार्य	532000.00
54	70/24.9.18	खजुरिया सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा कार्य	801171.00
55	16/15.10.18	वीवरा सम्पर्क मार्ग से सरदार के डेरे की ओर खडण्जा कार्य	770000.00
56	17/15.10.18	वीवरा सम्पर्क मार्ग पर अमर जीत सिंह के डेरे की ओर खडण्जा कार्य	840000.00
57	25/15.10.18	मुझयाना में मुख्य मार्ग से श्मशान घाट की ओर खडण्जा कार्य	395000.00
58	37/15.10.18	चैनपुर में देवी स्थान की ओर खडण्जा कार्य	84359.00
59	39/15.10.18	बैरुआ में मन्दिर की ओर सी0सी0 रोड	203696.00
60	53/24.10.18	रठौडा मुख्य मार्ग से स्कूल की ओर सी0सी0 रोड	884216.00
61	65/24.10.18	भमरौआ में सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	323000.00
62	67/24.10.18	ककरौआ मार्ग से श्मशान घाट की ओर सी0सी0 रोड	201067.00
63	69/24.10.18	ग्राम मिश्रीनगर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	1027000.00
64	86/31.10.18	किरा मुख्यमार्ग से प्रा0स्कूल के सामने मार्ग पर सी0सी0 रोड	95000.00
65	33/7.12.18	अब्बास नगर मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	429642.00
66	34/7.12.18	ग्राम खजुरिया सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	197930.00
67	42/7.12.18	ग्राम मिश्रीनगर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	622200.00
68	43/7.12.18	रठौडा मुख्य मार्ग से स्कूल की ओर सी0सी0 रोड	153962.00
69	44/7.12.18	पसियापुर उत्तराखण्ड की ओर खडण्जा कार्य	953150.00
70	79/18.12.18	मिलकदुन्दी सम्पर्क मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	734047.00
71	88/18.12.18	उदयपुर जागीर में होली चौराहा पर सी0सी0 रोड	756301.00
72	62/31.1.19	मिल्क सिकरोल में पी0डब्ल्यू डी0रोड से मन्दिर की ओर सी0सी0 रोड	499000.00
73	64/31.1.19	मुफरमपुर से सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	800000.00
74	19/8.2.19	केसरपुर से काशीपुर की ओर खड.जा कार्य	761400.00
75	69/16.2.19	ग्राम गम्मनपुर सम्पर्क मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	141000.00

76	74 / 16.2.19	फतेहपुर में इण्डिया डोनलफैक्ट्री मार्ग पर खडण्जा कार्य	200000.00
77	76 / 26.2.19	कोयली की ओर जाने वाले मार्ग पर सी0सी0 रोड	527355.00
78	77 / 26.2.19	सितोरा में जगवीर सिंह के घर से मार्ग पर सी0सी0 रोड	875116.00
79	78 / 26.2.19	गोदीस सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	863545.00
80	31 / 14.3.19	मुरसैना से स्वार रोड की ओर खडण्जा कार्य	406716.00
81	50 / 18.3.19	निपनिया सम्पर्क मार्ग पर नाली व सी0सी0 रोड	308491.00
82	51 / 18.3.19	मुझयाना से श्मशान भूमि की ओर खडण्जा कार्य	576494.00
83	53 / 18.3.19	अजीत पुर देवी स्थान की ओर खडण्जा कार्य	413571.00
84	60 / 18.3.19	टिकट गंज से मन्दिर मार्ग पर सी0सी0 रोड	61152.00
		योग	363,66,052.00

(1) उक्त निर्माण के शीर्ष से स्पष्ट होता है कि जिला पंचायत द्वारा गांव की सडकों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप जिला पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की सडकों का निमार्ण (क्षेत्रपंचायत अथवा ग्रामपंचायत द्वारा जो निमार्ण किया जाना चाहिए था) किया जा रहा था। जो उपरोक्त शासनादेश के विरुद्ध हैं।

(2) प्राक्कलन के साथ आवश्यक कार्य का एल सेक्शन, कास सेक्शन तथा थ्री-डी साइड प्लान भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

(3) उक्त कतिपय कार्य लम्बाई में 30मीटर से अधिक होने पर भी प्राक्कलन में लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई/गहराई को एक साथ औसत निकाल कर लिया गया है जबकि प्राक्कलन में चैनैजवार बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं।

(4) मिट्टी के कार्य में जो दोनों तरफ पटरी ली गयी है उसमें बाटम व टाप की चौड़ाई एक समान एस्टीमेट में दिखाया गया है जो कि सर्वथा असम्भव है, बाटम की चौड़ाई अधिक व टाप की कम होनी चाहिए थी अर्थात् अर्थ वर्क क्वांटिटी

वास्तविक नहीं निकाली जा रही है। अतएव इस प्रकार बनाया गया प्राक्कलन अवास्तविक व संदिग्ध है तथा इस पर किया गया भुगतान भी संदिग्ध है।

4) कतिपय कार्यों के प्रस्ताव भी लेखापरीक्षा में अप्राप्त होने से कार्यों की पुष्टि भी नहीं हो सकी।

इस प्रकार उपरोक्त आपत्तियों व शासनादेशों का पालन न करने तथा अनियमित प्रकार से बनाये गये प्राक्कलन/एस्टीमेट के आधार पर किये गये भुगतान रु० 363.66 लाख भी अनियमित हैं। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं024 क)

(ख) (1) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं०3082/33-3-2005-100-77/2005 दिनांक 15.12.2005 तथा निदेशक पंचायतीराज के पत्रांक शा०-5/741/05-5/19/ 02 दिनांक 03.01.2005 में निर्देशित किया गया था कि राज्य वित्त आयोग की आबंटित धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर नागरिक सुविधाएं यथा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव तथा उन्नयन पर व्यय किया जायेगा।

जिला पंचायत के अभिलेखों के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि को पूंजीगत कार्यों पर व्यय की गयी थी, आबंटित धनराशि का व्यय मार्ग दर्शिका के अनुसार नहीं किया था।

(2) निर्माण पत्रावलियों के रेण्डम परीक्षण से प्रमाणित होता है कि अधिकांश कार्यों में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व्योरेवार नक्शे का अनुमान नहीं तैयार किया गया, टेण्डर के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक अंकित नहीं किया गया, निर्माण कार्य व सामाग्री की माप सम्यक रीति से नहीं की गयी, माप पुस्तिकों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का पालन नहीं किया गया तथा एम0बी0 नियमानुसार नहीं बनायी गयी। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए अनियमित भुगतान किया गया, जिसके लिए अध्यक्ष जिला पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं।

(3) प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए केवल तीन ही टेण्डर प्राप्त हुए, तीन से अधिक क्यों नहीं ? तीनों टेण्डरों में पते व रेटों का कम व अधिक अंकित किया जाना, एक ही हस्तलिपि में होना तथा टेण्डर के लिए प्राप्त लिफाफे व टेण्डर पत्र मुड़ा न होना, लिफाफा सील न होना ऐसा प्रतीत होता है तीनों टेण्डर एक ही व्यक्ति द्वारा भरा गया है और मनोवांछित कार्य जिला पंचायत से ले लिया गया, जो संदेह पैदा करता है।

(4) पुरानी रोडो पर मिट्टी खडंजा या सी0सी0 या डामर रोड बनायी गयी है उसके नीचे लेवल का खुदान नहीं लिया गया है क्योंकि पुरानी रोड सेट होने के बाद उसका लेवल अप-डाउन हो सकता है इसका लेवल समान करने का प्रोसीजर नहीं दिखाया गया है, मिट्टी के कार्य में स्लोप भी नहीं लिया गया है।

इस प्रकार बनाया गया प्राक्कलन संदिग्ध प्रतीत होता है तथा इस पर किया गया भुगतान भी संदिग्ध है।

इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6, 28, 35 व 36 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं024 ख)

प्रस्तर (9) जिला पंचायत परिसर में नियम विरुद्ध रूपया दस लाख से अधिक के कार्य को विभागीय आदेश न लेकर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य को टुकड़ों में बांट कर कराया जाना रु0 58.71लाख

क्र0सं0	वाउचर नं0/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	68/14.5.18	जिला पंचायत आवासीय परिसर में आवासों की मरम्मत	700000.00
2	69/14.5.18	जिला पंचायत परिसर में अध्यक्ष प्रतीक्षालय की मरम्मत	700000.00
3	70/14.5.18	जिला पंचायत कार्यालय परिसर में रंगाई पुताई	373596.00
4	99/31.5.18	जिला पंचायत आवासीय परिसर में स्थित भवनों की रंगाई पुताई	137000.00
5	22/2.6.18	जिला पंचायत आवासीय परिसर में भवन निर्माण	97744.00
6	98/22.6.18	जिला पंचायत परिसर में पार्क की बाउन्ड्री वाल मरम्मत	529000.00
7	17/13.7.18	जिला पंचायत पार्किंग में लाइट का भुगतान	400000.00
8	74/13.7.18	अध्यक्ष महोदय का ए0सी0	69000.00
9	11/14.9.18	कार्यालय परिसर में अध्यक्ष महोदय का कक्ष आदि मरम्मत	281000.00
10	41/14.9.18	अध्यक्ष कक्ष व अपर मुख्य अधिकारी के हाल हेतु फर्नीचर आदि	915800.00
11	54/20.9.18	जिला पंचायत आवासीय परिसर में दीवार व बाथ रूम में निर्माण	302000.00
12	63/24.9.18	कार्यालय प्रयोगार्थ वाटर आर0ओ0 कय	14900.00
13	71/29.9.18	अध्यक्ष जी हेतु टी0वी0 कय	61000.00
14	63/24.10.18	पंचायत पार्क में हाई मास्क लाइट स्थापित किया जाना	191700.00
15	83/18.12.18	जिला पंचायत आवासीय परिसर में स्थित भवनों की रंगाई पुताई	270550.00
16	100/29.12.18	जिला पंचायत परिसर कार्यालय में दीवार व बाथ रूम में निर्माण	341700.00
17	23/8.2.19	जिला पंचायत परिसर में पार्क की बाउन्ड्री वाल मरम्मत	435000.00
18	34/8.2.19	अध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ फर्नीचर की आपूर्ति	50740.00
19		योग	58,70,730.00

उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

1—उक्त कार्य के पारित प्रस्ताव लेखापरीक्षा में अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

2—निर्माण कार्य के नियमानुसार एस्टीमेट नहीं बनाये गये हैं, रंग पुताई के एस्टीमेट नहीं थे।

3—एक ही कार्य की मरम्मत बार-बार यानी लगभग प्रतिवर्ष करायी जा रही है जबकि नियमानुसार कम से कम पांच वर्ष का अन्तराल होना चाहिए था। जिसका पालन नहीं किया गया है इस प्रकार से अनियमित व्यय दर्शाया जा रहा है।

4—पहले से लगे टी0वी0 व ए0सी0 सही हालत में होने के बावजूद भी पुनः अधिक दर से कय किया जा रहा है तथा स्टॉक का हिसाब नहीं रखा जा रहा है जो अनियमित है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं025)

प्रस्तर(10) विगत कई वर्षों से अवशेष हड्डी खाल की धनराशि का वसूल न किया जाना रु0 3.29 लाख हड्डी खाल पंजिका के अनुसार निम्न प्रकार दिनांक 31.3.2019 को धनराशि वसूली हेतु अवशेष थी—

क्र0सं0	नाम सदस्य	धनराशि	बकाया वर्ष से
1	लतीफ अहमद	2100.00	1982.83
2	मो0 हनीफ	4150.00	2000.01
3	सभापति चर्म उत्पादन सह0समिति	38200.00	2005.06
4	सभापति चर्म उत्पादन सह0समिति लोदीपुर	54020.00	2007.08
5	सभापति चर्म उत्पादन सह0समिति विलासपुर	18850.00	2007.08

6	सभापति चर्म उत्पादन सहसमिति पंजाबा	21800.00	2008.09
7	हनीफ मिलक	70700.00	2009.10
8	इन्तेजार ग्राम लोरी पुर स्वार	18910.00	2010.11
9	तिलक राज बाली मिलक	100000.00	2017.18
10	योग	328730.00	

उक्त की वसूली ब्याज सहित आर०सी० जारी कर राजस्व की भांति वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०26)

प्रस्तर(11) यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे भुगतान पर टी०डी०एस० की कटौती न किया जाना रू० 0.05

उक्त फर्म को निम्न प्रकार भुगतान किया जाना दर्शित है—

क्र०सं०	वाउचर नं०/दिनांक	फर्म	धनराशि
1	87 / 21.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
2	88 / 21.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
3	89 / 21.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
4	90 / 21.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
5	91 / 21.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
6	104 / 25.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
7	105 / 25.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
8	106 / 25.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
9	107 / 25.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
10	108 / 25.5.18	यूनाइटेड इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विस मेला राठौडा मे	5000.00
11		योग	50000.00

जिला पंचायत एक स्वायत्तशासी/अर्द्ध सरकारी संस्था है जिसके द्वारा भुगतान की दशा में (यदि रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो) विना पैन कार्ड के किये गये भुगतान पर दस प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु उक्त भुगतान रू० 50,000.00 पर दस प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० रू० 5000.00 की कटौती नहीं कर फर्म को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया। अतः अब इसकी वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०27)

प्रस्तर(12) जिला पंचायत द्वारा पूर्ण किये बिना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृति सड़क का निर्माण बन्द कर दिये जाने के कारण अलाभकारी व्यय रू० 30.56 लाख

उ०प्र०शासन के लोक निर्माण विभाग अनुभाग-9 द्वारा जारी शासनादेश सं० 4387 / 23-9-2005-21पी०एम०/०4दिनांक 08 नवम्बर, 2006 द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में संचालित है, जिसका भारत सरकार द्वारा उच्चस्तरीय मानक व विशिष्टियां निर्धारित की गयीं हैं। किसी भी परियोजना को जिला योजना अथवा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्य के पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाके क्रियान्वयन हेतु जिलों में गठित प्रोजेक्ट इन्प्लीमेंटेशन यूनिट, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अधिशासी अभियन्ता से जानकारी अवश्य प्राप्त कर ली जाय कि प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित या स्वीकृति तो नहीं है। यदि उक्त परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है तो इन परियोजनाओं को जिले के किसी अन्य योजना से सम्मिलित न की जाय।

कार्यालय जिला पंचायत रामपुर के सड़क निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम करखेड़ा में मेन रोड बेसिक स्कूल चौराहे से ग्राम कसिया कुण्डा सम्पर्क मार्ग पर डामर रोड व सी०सी० मार्ग (1810मी०+300मी०=2110मी०)कार्य की स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा दिनांक14-01-2016की बैठक में प्रस्ताव सं० 01(2) के अन्तर्गत चतुर्थ राज्यवित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से कराये जाने हेतु दी गयी। कार्य की आगणन लागत रू० 73.19 लाख स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा दिनांक 4.5.2016 को प्रदान की गयी जिसकी तकनीकी स्वीकृति आगणन लागत पर उ०प्र०शासन द्वारा पत्रांक 583सा०/33-सेल/2016 दिनांक 17मई,2016 द्वारा प्रदान की गयी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित उक्त सड़क पी०एम०जी०एस०वाई०-2,बैच-1 पैकेज संख्या यू०पी०-5994 के अन्तर्गत लाडपुर बीबी मार्ग से बादली मार्ग लम्बाई 8.800किमी० के अन्तर्गत स्वीकृति थी।पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सड़क स्वीकृति होने की

सूचना ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत रामपुर की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 19.11.2016 की बैठक में भी दी गयी थी तथा पूर्व में भी अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग रामपुर के पत्रांक 145/दिनांक 11.8.2016, पत्रांक 270/दिनांक 13.10.2016 एवं पत्रांक 358/दिनांक 18.11.2016 द्वारा उक्त कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत होने एवं निविदा तथा अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान होने के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रामपुर को सूचित किया गया था।

जिला पंचायत द्वारा पत्रांक 4712/जि0पं0 दिनांक 24.12.2016 द्वारा शासन से संशोधित प्राक्कलन रु0 56.16 लाख की स्वीकृति हेतु वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करते हुए 1210 मी0डामर एवं 220मी0सी0सी0 निर्माण कार्य हेतु रु0 56.16 लाख की निविदा स्वीकृति करते हुए उक्त कार्य का कार्यादेश पत्रांक 479 दिनांक 24.12.2016 द्वारा जारी किया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 23.6.2017 निर्धारित थी। इस कार्य हेतु पी0आई0यू0पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही कार्यादेश जारी किया गया। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की आपत्ति के बावजूद पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा अनुबन्धित पैकेज सं0यू0पी0-5994 लाडपुर बीबी मार्ग से बादली, के 6.450किमी0 से 6.640किमी0 तक सी0सी0कार्य तथा 7.565किमी0 से 8.800तक डामर रोड का कार्य जिला पंचायत द्वारा भी अपनी कार्ययोजना में शामिल किया गया। जिला पंचायत द्वारा सी0सी0रोड के लिए बेस कोट तथा नाली का कार्य करा दिया गया एवं टॉप कोट में सी0सी0 का कार्य नहीं किया गया। डामर के कार्य में 7.565किमी0 से 8.418किमी0 जी-2 एवं जी-3 का कार्य कराया गया तथा 8.460किमी0 से 8.800किमी0 तक जी-2 स्तर तक का कार्य कराया गया था। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य पर गिट्टी कुटाई का कार्य कराकर अधूरा छोड़ दिया गया एवं निम्न विवरणानुसार अन्तिम भुगतान कर दिया गया-

क्र0सं0	विवरण	स्वीकृत तिथि	धनराशि (लाख रु0 में)
1	प्रथम चालू बिल(एसबी-307/पी/172-173)	21.03.2017	15.00
2	द्वितीय चालू बिल(एसबी-307/पी/175-176)	22.03.2017	15.00
3	तृतीय चालू बिल(एसबी-307/पी/181-182)	12.05.2017	0.56
4	योग		30.56

इस प्रकार पी0आई0यू0पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही योजनान्तर्गत स्वीकृति कार्य को जिला पंचायत द्वारा कराये जाने के कारण एक ओर जहाँ सड़क का निर्माण कार्य अधूरी स्थिति में विना सी0सी0/लेपन कराए छोड़ दिया गया वहीं दूसरी ओर राज्यांश की हानि हुई।

प्रकरण लेखापरीक्षा में इंगित करने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि बोर्ड के निर्णय के क्रम में कार्य योजना से उक्त कार्य शामिल कर, कराया गया एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त कार्य रोक दिया गया एवं जिस स्तर तक कार्य कराया गया था, का भुगतान किया गया।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि कार्य पी0आई0यू0पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित कर दिया गया था एवं कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त किए बिना ही कार्यादेश जारी करते हुए कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं029)

प्रस्तर(13) जिलानिधि की धनराशि को बिना बजट व विना पारित प्रस्ताव के अनियमित तरीके से व्यय किया जाना रु0 3.20 लाख

मेला राठौडा परिसर में जिला पंचायत द्वारा अतिथियों के सत्कार हेतु अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम दिलाकर आंटा, चावल, दाल, बेसन, रिफाईंड, चीनी, सरसों का तेल, मिर्च, धनिया, चना, घी, राजमा, बिस्कुट, नमकीन, बासमती चावल, बिस्कुट, पापड, काजू, कच्ची सब्जी आदि क्रय कराकर तथा सफाई आदि पर भुगतान किया गया है। जो निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	प्रमाणक सं0/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	01/7.3.19	श्री सुभाष चन्द्र कर अधिकारी को अतिथि सत्कार हेतु	2000.00
2	02/7.3.19	श्री मो0 गुलफाम अभियन्ता को अतिथि सत्कार हेतु	2000.00

3	03 / 7.3.19	कार्यालय हेतु तीन ताला कय परन्तु स्टाक अप्राप्त	991.00
4	05 / 7.3.19	विजली का सामान परन्तु स्टाक अप्राप्त	3898.00
5	36 / 18.3.19	आभ्या चौधरी को मेला प्रचार प्रसार हेतु	5000.00
6	37 / 18.3.19	आभ्या चौधरी को मेला प्रचार प्रसार हेतु	5000.00
7	38 / 18.3.19	आभ्या चौधरी को मेला प्रचार प्रसार हेतु	5000.00
8	46 / 18.3.19	श्री मो0 गुलफाम अभियन्ता मेला कैम्पस सफाई,मजदूरी	56730.00
9	26 / 8.3.19	श्री अश्विनी कुमार को मेला में सा0आ0	4900.00
10	27 / 8.3.19	श्री अश्विनी कुमार को मेला में सा0आ0	12083.00
11	61 / 18.3.19	श्री मो0 गुलफाम अभियन्ता मेला कैम्पस सफाई,मजदूरी	32745.00
12	81 / 27.3.19	श्री सुनील कुमार को मेला में कार्यक्रम पर व्यय	40000.00
13	90 / 27.3.19	श्री सुभाष चन्द्र कर अधिकारी को अतिथि सत्कार हेतु	3913.00
14	91 / 27.3.19	श्री मो0 गुलफाम अभियन्ता को अतिथि सत्कार हेतु	7183.00
15	92 / 27.3.19	गोयल ट्रेडर्स को अतिथि सत्कार हेतु	2470.00
16	93 / 27.3.19	श्री अश्विनी कुमार को अतिथि सत्कार हेतु	19355.00
17	94 / 27.3.19	श्री अश्विनी कुमार को अतिथि सत्कार हेतु	3650.00
18	95 / 27.3.19	श्री अश्विनी कुमार को अतिथि सत्कार हेतु	6755.00
19	96 / 27.3.19	श्री मो0 गुलफाम अभियन्ता मेला कैम्पस सफाई,मजदूरी	15930.00
20	97 / 27.3.19	श्री मो0 गुलफाम अभियन्ता मेला कैम्पस सफाई,मजदूरी	35850.00
21	62 / 16.4.18	मेला राठौडा में दूध मूल्य भुगतान	4080.00
22	63 / 16.4.18	मेला राठौडा में सामान कय	2295.00
23	64 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4615.00
24	65 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4930.00
25	66 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4840.00
26	67 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4490.00
27	68 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4660.00
28	69 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4970.00
29	70 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4950.00
30	71 / 16.4.18	अतिथि सत्कार	4490.00
31	17 / 1.5.18	सोमपाल चन्द्रा को खाना दरी का भुगतान	5000.00
32	18 / 1.5.18	सोमपाल चन्द्रा को खाना दरी का भुगतान	5000.00
33		योग	3,19,773.00

जिस पर निम्न लेखापरीक्षा आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

- (1) मेला में अतिथियों के सत्कार हेतु भोजन आदि की व्यवस्था हेतु पारित कोई प्रस्ताव व बजट लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (2) मेले की व्यवस्था में जिले का जो अधिकारी या कर्मचारी मेले में व्यवस्था के लिए जाता है उसकी सम्बन्धित विभाग से ड्यूटी लगती है और जिसके लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा सरकार द्वारा प्रदत्त/अनुमन्य टी0ए0,डी0ए0 दिया जाता है। अतः जिला पंचायत द्वारा उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर व्यय किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और नियम विरुद्ध भी है।
- (3) मेले में जो भी आता है वह सभी मेले के मेहमान है और सभी मेहमान के सत्कार पर व्यय नहीं किया जा सकता और न ही जिला पंचायत के पास इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने का फण्ड होता है क्योंकि जिला पंचायत अपने कर्मचारियों के वेतन,पेंशन व अन्य खर्च के लिए स्वयं सरकार पर निर्भर है। इसलिए इतनी बड़ी धनराशि अनप्रोडक्टिव पर व्यय किया जाना अनियमित है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं030)

प्रस्तर(14) मेला राठौडा में नियमों के विपरीत निर्माण कार्य कराया जाना रु0 18.27 लाख
मेला राठौडा परिसर में निम्न निर्माण कार्य कराया गया दर्शित है—

क्र0सं0	वाउचर नं0/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	27 / 2.6.18	मै0शिखर इन्टर प्राइजेज को राठौडा मेला में टिन शेड कार्य	530000.00
2	28 / 2.6.18	मै0शिखर इन्टर प्राइजेज को राठौडा मेला में टिन शेड कार्य	527000.00
3	29 / 2.6.18	कार्यालय के सामने विजली के घर की ओर सी0सी0	535000.00
4	30 / 2.6.18	मेला राठौडा में गुलाब टेंट हाउस को प्रबन्धन कार्य	290648.00
5		योग	1882648.00

उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

- (1) उक्त कार्य के पारित प्रस्ताव लेखापरीक्षा में अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।
 (2) निर्माण कार्य के नियमानुसार एस्टीमेट नहीं बनाये गये हैं।
 (3) एक ही प्रकार के कार्य को जैसे टिन शेड, बिजली का कार्य आदि को और एक ही स्थान पर राठौडा मेला में बार-बार लगभग प्रतिवर्ष कराया जा रहा है। शासन की सदैव मंशा होती है कि शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान/जिला निधि का उपभोग क्षेत्र के चौमुखी विकास पर व समानता के आधार पर किया जायेगा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अनुदान/जिलानिधि की एक बड़ी धनराशि एक विशेष जगह के लिए व्यय किया गया जो एक प्रकार की अनियमितता है। निर्माण कार्य का नियमानुसार एस्टीमेट नहीं बनाया गया है। अर्थात् **अर्थ वर्क क्वान्टी** वास्तविक नहीं निकाली जा रही है। तथा पारित प्रस्ताव भी लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 32)

प्रस्तर(15) मासिक लेखा प्रपत्र में अन्तर का होना रु0 105.12 लाख

जिला पंचायत की अनुदान पंजिका एवं मासिक लेखा प्रपत्र (ड)(नियम 22) माह मार्च 2019 के अनुसार निम्न प्रकार आय-व्यय दर्शित है—

क्रम	मद का नाम	प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
					बैंक में
1	मनरेगा	0	0	0	0
2	राज्य वित्त आयोग	2570.51	2136.41	2644.22	2062.70
3	बारहवाँ/ तेरहवाँ वित्त आयोग	38.55	1.15	17.50	22.20
4	जिला निधि	139.38	152.02	94.18	197.22
5	योग	2748.44	2289.58	2755.90	2282.12

उक्तागणनानुसार वर्ष में व्यय रु0 2755.90 लाख होता है परन्तु मासिक लेखा (नियम 22 प्रपत्र(ड)ध्वतउ म) वर्ष में कुल व्यय रु0 2861.02 लाख दर्शित है अतः अन्तर रु0 105.12 लाख से मासिक लेखा में व्यय अधिक दर्शित है। इससे निम्नांकित बातों में से किसी एक बात का होना प्रतीत होता है—

- (1) या तो लेखाकार द्वारा अवास्तविक मासिक लेखा प्रपत्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है।
 (2) यदि मासिक लेखा सही तो जिला पंचायत में अवास्तविक व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जा रहे हैं और अवास्तविक व्यय प्रमाणक के आधार पर भुगतान किये जा रहे हैं जो बहुत ही बड़े संदेह की तरफ इशारा करते हैं। अतः स्थिति संदेहात्मक है।
 (3) इससे यह भी प्रतीत होता है कि विभाग या शासन को वास्तविक सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और जिला पंचायत केवल व्यय करने की एक संस्था है। इस ओर कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं033)

प्रारूप-2

नाम संस्था— जिला पंचायत फतेहपुर

जनपद—फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2018–19

मण्डल —प्रयागराज।

प्रस्तर-1 नौकाघाट निलामी/ ठेका का बकाया धनराशि वर्ष 1951–52 से वर्ष 2006–07 तक का बकाया चला आ रहा है जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। उक्त वर्षों के वर्षवार बकाया एवं उसके सापेक्ष वसूली का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0सं 0	बकाया वर्ष	बकाया की धनराशि	बकाया के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में वसूली की धनराशि	31.03.2019 को बकाया अवशेष की धनराशि
1	1951–52 से 1961– 62 तक	8411.00	0.00	8411.00
2	1952–63 से 1972– 73 तक	43398.78	0.00	43398.00
3	1973–74 से 1983– 84 तक	215608.00	0.00	215608.00
4	1984–85 से 1994– 95 तक	123144.00	0.00	123144.00
5	1995–96 से 2005–2006 तक	760120.00	27500.00	732620.00
6	2006–07	50000.00	0.00	50000.00
	योग	1200681.78	27500.00	1173181.78

नौकाघाट के पट्टेदारों से पट्टे में देय बकाया वसूली वर्मा फेरी अधिनियम 18578 (1873 का 2) के धारा 09 में यह उपलब्ध है कि उक्त बकाया की वसूली भू राजस्व की वसूली के जैसे की जानी चाहिये, परन्तु इतने वर्षों से उक्त बकाया चला आ रहा है। वर्ष 2018-19 में रूपया 120681.78 के सापेक्ष मात्र रूपया 27500.00 की वसूली दर्शित पायी गयी है। इस प्रकार दिनांक-31.03.2019 को बकाये का पावना रूपया 11733181.78 रहा।

उक्त बकाये की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिये, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के साथ ही साथ उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -2 दिनांक-01.04.2018 को तहबजारी शीर्ष के अन्तर्गत वसूली हेतु रूपया 202807.00 अवशेष दर्शित रहा, जिसमें रूपया 1500.00 वर्ष के दौरान वसूली दर्शित रहा। दिनांक-31.03.2019 को अवशेष रूपया 2001307.00 का पावना दर्शित रहा। उक्त पावना वर्ष 1974-75 से 2006-07 तक कुल 139 बकायेदारों का पावना चला आ रहा है, जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -3 दिनांक- 01.04.2018 को प्रपत्र संख्या 29 के अनुसार बालू, मोरंग की वसूली हेतु बकाया रूपया 3580062.00 दर्शित रहा, जिसमें वर्ष 2018-19 में कोई वसूली नहीं हुई तथा वसूली शून्य रही। इस प्रकार दिनांक-31.03.2019 को अवशेष पावना रूपया 3580062.00 दर्शित रहा। उक्त बकाये की वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रूपया 3580062.00 का गत वर्ष अधिभार किया गया है। अग्रेत्तर उल्लिखित है कि उक्त मद में वर्ष की मांग रूपया 8350060.00 के सापेक्ष वर्ष के दौरान रूपया 500000.00 रु० वसूली दर्शित रही। मांग के सापेक्ष अवशेष रूपया 335060.00 दर्शित रहा। उक्त ठेके को जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर द्वारा 11 मार्च 2019 को बंद कर दिया गया तथा जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर द्वारा 31 मार्च 2019 तक वसूली रोक दी गयी, जिसमें गणनानुसार उक्त अवधि का रूपया 2319630.00 की वसूली को रोककर शेष अवधि का रूपया 103100.00 वसूली हेतु बकाया दर्शित है। रूपया 103100.00 की वसूली के लिये अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु ठोस विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर -4 कांजी हाउस का नीलामी ठेका का वर्षवार बकाया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	बकाया वर्ष	दिनांक 01.04.2018 को बकाया की धनराशि	बकाया के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में वसूली की धनराशि	31.03.2019 को बकाया अवशेष की धनराशि
1	1974-75 से 1977-78 तक	5543.00	0.00	5543.00
2	1979-80 से 1983-84 तक	12206.00	0.00	12206.00
3	1984-85 से 1989-90 तक	17915.00	2125.00	15790.00
4	1990-91 से 1994-95 तक	19186.00	0.00	19186.00
5	1995-96 से 1999-2000 तक	22375.00	550.00	21825.00
6	2002-03 से 2005-06 तक	21450.00	1100.00	20350.00
	योग-	98675.00	3775.00	94900.00

उक्त मद में दिनांक-31.03.2019 को अवशेष रूपया 94900.00 दर्शित रहा। उक्त की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे संस्था को निजी स्रोतों से होने वाली आय की क्षति हो रही है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 मृत पशु शव निस्तारण (चमड़ा/ हड्डी) के नीलामी/ ठेका का बकाया विगत वर्षों से अवशेष दर्शाया जा रहा है। जिसका वर्षवार बकाया एवं वसूली का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	बकाया वर्ष	दिनांक-01.04.2018 को बकाया की धनराशि	बकाया के सापेक्ष - वर्ष 2018-19 में वसूली की धनराशि	31.03.2019 को बकाया अवशेष की धनराशि
1	1996-97	35060.00	0.00	35060.00
2	1997-98	54575.00	0.00	54575.00
3	1998-99	21153.00	0.00	21153.00
4	1999-2000	44177.00	0.00	44177.00
5	2000-01	42495.00	0.00	42495.00

6	2001-02	10000.00	0.00	10000.00
7	2002-03	63900.00	0.00	63900.00
8	2003-04	17500.00	0.00	17500.00
9	2004-05	43000.00	0.00	43000.00
10	2005-06	33900.00	0.00	33900.00
11	2006-07	44200.00	0.00	44200.00
12	2010-11	18000.00	0.00	18000.00
13	2011-12	16000.00	0.00	16000.00
14	2016-17	191000.00	29500.00	161000.00
15	2017-18	26300.00	0.00	26300.00
	योग-	661960.00	29500.00	631760.00

उक्त मद में दिनांक-01.04.2018 को गत वर्षों का बकाया रूपया 661960.00 था। बकाये के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में रूपया 29500.00 की वसूली दर्शित है। दिनांक-31.03.2019 को बकाया अवशेष रूपया 631760.00 दर्शित रहा। बकाये की ब्याज सहित वसूली हेतु ठोस वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -6 दिनांक- 31.03.2019 को प्रपत्र संख्या 29 के अनुसार दुकानों का किराया मद में बकाया चला आ रहा है। दिनांक-31.03.2019 को अवशेष किराया रूपया 407609.00 दर्शित रहा। दर्शित बकाया की धनराशि की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जनपद फतेहपुर में जिला पंचायत की कुल 151 दुकाने हैं किन्तु दुकानों का नवीनीकरण वर्षों से नहीं किया जा रहा है, जिसे दुकानों के किराये में होने वाली वृद्धि की आय से जिला पंचायत को हानि हो रही है, जबकि शासनादेश संख्या 6336/33-03-1993-185जी/92 दिनांक-27 दिसम्बर 1997 के पैरा-6 के अनुसार निर्धारित किराये में प्रत्येक 03 वर्षों के बाद 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किया जाना चाहिये था, किन्तु शासनादेश का उल्लंघन कर दुकान के किराये से होने वाली आय से हानि पहुँचायी जा रही है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -7 विभिन्न मत्स्य जीवी सहकारी समितियों से वर्ष 1991-92 से वर्ष 2005-06 तक का बकाया विगत वर्षों से बकाया चला आ रहा है किन्तु दिनांक-01.04.2018 को बकाया रूपया 418901.00 दर्शित रहा। वर्ष 2018-19 में रूपया 173500.00 की वसूली दर्शित है। दिनांक-31.03.2019 को उक्त में अवशेष बकाया रूपया 245401 दर्शित रहा। उक्त रूपया 245401.00 दर्शित बकाये की धनराशि की वसूली हेतु ठोस वैधानिक कार्यवाही संस्था के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके लिये संस्था को निजी श्रोत से होने वाली आय की क्षति हो रही है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 जिला पंचायत फतेहपुर की उपविधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टों का संचालन जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ईट भट्टों के संचालन हेतु विभिन्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार ईट भट्टों का संचालन उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड से गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति (वायु) तथा स्टेट एनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिये।

जिला पंचायत के ईट भट्टों से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ईट भट्टों से प्रति वर्ष रूपया 10000.00 कि दर से लाइसेन्स शुल्क लेकर लाइसेन्स निर्गत किये जाने थे। जिला पंचायत फतेहपुर में कुल 349 ईट भट्टे हैं, जिसमें से 189 ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क वसूल किया गया था। इस प्रकार 13 ईट भट्टा रूपया 10000.00 की दर से लाइसेन्स शुल्क न वसूल कर 130000.00 की क्षति पहुँचायी गयी। इसी प्रकार प्रत्येक ईट भट्टों से ही सी0 पी0 टैक्स वसूल किया गया है। 113 ईट भट्टों से सी0पी0 टैक्स वसूल न होने की दशा में जिला पंचायत को कुल रूपया 678000.00 की क्षति हुई। इस प्रकार लाइसेन्स शुल्क व सी0पी0 टैक्स वसूली न होने के कारण जिला पंचायत को कुल रूपया 1808000.00 की राजस्व की क्षति हुई है। कुल 349 ईट भट्टों में से मात्र 46 ईट भट्टों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत किया गया। शेष 256 ईट भट्टों का बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किये अवैध संचालन होता रहा जो जिला पंचायत के संज्ञान में था, किन्तु जिला पंचायत द्वारा इसकी लिखित सूचना प्रशासन को नहीं दी गयी। 256 ईट भट्टों के अवैध संचालन से पर्यावरणीय क्षति पहुँची है। उक्त के लिये श्री रामकृष्ण कुशवाहा प्रभारी ए0एम0ए0 तथा श्री कमलेश कुमार कर अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत फतेहपुर के नाम से गाड़ी संख्या यू0पी0-71 जी0 125 अम्बेस्डर आवंटित है किन्तु उनके वेतन से गाड़ी मद में जो प्रतिमाह रूपया 800.00रु0 की कटौती होनी चाहिये वों नही की गयी है। अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पन्त ने 01 माह 10 दिन का रूपया 1067.00 एवं प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पन्त से 01 माह 10 दिन रूपया 1067.00 एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रामकृष्ण कुशवाहा से रूपया 800.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह 20 दिन का रूपया 8533.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2018-19

नाम संस्था – जिला पंचायत कौशाम्बी

जनपद. – कौशाम्बी मण्डल. – प्रयागराज

शासनादेश सं0 385/33-1-99-133/98 दिनांक 18-02-99 एवं तत्क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या- 114 सी.एस./33-3-2001-133/981 टी.सी.-3 दिनांक 04-09-2001 को राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक जिला निधि में ट्रान्सफर कर सकती है। जब संस्था के निजी श्रोतों के आय की धनराशि वेतन एवं पेंशन देने हेतु पर्याप्त धनराशि न हो किन्तु लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग के कैशबुक की जांच में पाया गया कि –

- (1) पेंशन निधि बाउचर संख्या 18 दिनांक 29-09-2018 को रु0 2500000.00 तथा बाउचर संख्या-60 दिनांक 22-02-2019 को रु0 3000000.00 योग रु0 5500000.00 राज्य वित्त आयोग के खाते से जिला निधि में ट्रान्सफर किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण उक्त धनराशि ट्रान्सफर की गयी है, जबकि उक्त तिथि में जिला निधि खाते में रु0 32440376.00 अवशेष था, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के व्यय के लिए पर्याप्त था, फिर जिला निधि में कुल रूपया 5500000.00 (पचपन लाख) ट्रान्सफर किया जाना अनियमित है। इस प्रकार किये गये अनियमित ट्रान्सफर के लिए श्री एल0एन0 खरे अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री राम भजन द्विवेदी लेखाकार सामान रूप से जिम्मेदार हैं जिनसे ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।
- (2) नौका घाट से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों से काफी पुराना बकाया वसूल नहीं किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एल.एन. खरे एवं पटल सहायक श्री आशीष कुशवाहा जिम्मेदार है विवरण निम्नवत है :-

क्र.	नौका घाट का नाम	ठेकेदार का नाम	बकाया अवधि	बकाया की धनराशि
1	पवोषा	श्री राजेश कुमार निषाद	2007-08 से अब तक	10000.00
2	मनिकपुर	मत्स्यजीवी सह0समि0 कड़ा	2007-08 व 2008-09 से अब तक	15000.00
3	उमरवल	श्री मेराजुल हक	2007-08 से अब तक	5000.00
4	हिसामाबाद	श्री रामेश्वर निषाद	2007-08 से 2008-09 तक	5000.00
5	पाली	मत्स्यजीवी सह0समि0 सचिव कामता	2009-10 से	15000.00
6	हिसामाबाद	श्री रामेश्वर निषाद	21-09-2009 से	168000.00
7	उमरवल	श्री रामजीत	19-02-2019 तक	75000.00
8	सिधवल	श्री रामजीत	2010-11 से	980000.00
			योग	4140000.00

विभाग द्वारा नीलामी की तिथि को ही ठेके की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली हो जानी चाहिए जो नहीं किया गया है। अतः श्री एल.एन. खरे व श्री आशीष कुशवाहा से बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

- (3) हड़डी, चमड़ा ठेकेदार साविर अली पुत्र सदिक अली निवासी कूड़ामार सैयद सरावा कौशाम्बी वर्ष 2011-12 से रु0 8000.00 बकाया है वसूली हेतु प्रयास नहीं किया गया है जिसके लिए श्री एल. एन. खरे अपर मुख्य अधिकारी एवं सूबेदार पथिक/तत्कालीन जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- (4) मत्स्य आखेट नीलामी रजिस्टर की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों से ठेके की धनराशि गत कई वर्षों से वसूल नहीं हो पाया है जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र.	मत्स्य आखेट ठेकेदार का नाम	ब्लाक	वर्ष	धनराशि

1	श्री शिवपूजन निषाद निवासी मऊ चित्रकूट	कौशाम्बी	2002-03 से	11000.00
2	मत्स्यजीवी सह0 समि0 लि0 कौशाम्बी सचिव जितेन्द्र कुमार निषाद	कौशाम्बी	2007-08	1000.00
3	श्री देवराज निषाद पुत्र साधोराम निषाद सरसंवा निवासी लोहारी मजरा कटरी	सरसवां	2009-10	117500.00
4	रामेश्वर निषाद पुत्र रामस्वरूप निषाद वासी बलका, गढ़वा	कौशाम्बी	2009-10	925.00
			योग	222000.00

नियमानुसार ठेके की औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात् एकमुश्त धनराशि वसूली के पश्चात् ही ठेका स्वीकृत करना चाहिए किन्तु नियम का पालन न कर जिला पंचायत को रु० 222000.00 की क्षति हुई है। अतः श्री एल.एन. खरे व पटल सहायक श्री आशीष कुशवाहा द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों लोगों से बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

- 5- वाहन स्टैण्ड/तहबजारी रजिस्टर की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों से ठेके के उपरान्त धनराशि की वसूली नहीं की गयी है जिससे जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एल०एन०खरे एवं तत्कालीन कर अधिकारी व पटल सहायक समान रूप से जिम्मेदार हैं मु०-1586930.00 रुपये की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्र.	वाहन स्टैण्ड तहबजारी का नाम	ठेकेदार का नाम	वर्ष	बकाया		योग धनराशि
1	देवीगंज	श्री शिव कैलाश मिश्रा पुत्र राम दुलारे मिश्र निवासी अफजालपुर सातो कड़ा कौशाम्बी	1998-99 से 02-03 तक	215900.00	2159.00	237490.00
2	मूरतगंज वेनीराम कटरा	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र देवी नाथ निवासी गौसपुर वि०ख० मूरतगंज, कौशाम्बी	2002-03	40000.00	4000.00	44000.00
3	वेनीराम कटरा	श्री रामकृपाल पुत्र रामसजीवन निवासी गौसपुर वि०ख० मूरतगंज, कौशाम्बी	2001-02	35000.00	3500.00	38500.00
4	सैनी	नमोनारायण शुक्ल पुत्र गया प्रसाद निवासी जानकीपुर, विल कड़ा, कौशाम्बी	2004-05	82000.00	8200.00	90200.00
5	करन चौराहा	तारकनाथ पाण्डेय पुत्र वंशीलाल निवासी प्रगरासपुर, कौशाम्बी	2002-03	38500.00	2850.00	40350.00
6	करन चौराहा	तारकनाथ पाण्डेय पुत्र वंशीलाल निवासी प्रगरासपुर, कौशाम्बी दिनांक 17-07-19 को रु० 25000.00 जमा किया गया	2003-04	95700.00 -2500.00 70700.00	9570.00	105270.00
7	सैनी	सत्यवीर सिंह पुत्र शिवलाल सिंह निवासी अगुवा कड़ा, कौशाम्बी	2001-02	35000.00	3500.00	38500.00
8	चरवा	रामचन्द्र पाण्डेय पुत्र राम बहादुर निवासी चरवा, चायल, कौशाम्बी	2003-04	9100.00	910.00	10010.00
9	कड़ा	राजेश तिवारी पुत्र वृजकिशोर तिवारी निवासी सुल्तानपुर, कड़ा, कौशाम्बी	1998-99	144000	14400.00	158400.00
10	करन चौराहा	राजेश कुमार पुत्र अवध नारायण निवासी चनौल, कौशाम्बी	2006-07 2007-08	1000.00 10000.00	100.00 1000.00	1100.00 10100.00

11	देवीगंज	मुन्नालाल पुत्र कालका निवासी जफरपुर, दारानगर, कौशाम्बी	2007-08	1000.00	100.00	1100.00
12	करन चौराहा	मिठाई लाल पुत्र मिल्कू चितईपुर सराय अकिल कौशाम्बी	2000-01	20500	2050.00	23650.00
13	करन चौराहा	सरद अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी घोसिया, नेवादा कौशाम्बी	2001-02	15100.00	1510.00	16610.00
14	तिल्हापुर मोड़	कंचन सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी चलौली, चायल, कौशाम्बी	2002-03	51000.00	5100.00	56100.00
15	मनौरी	जितेन्द्र सिंह पुत्र कमला सिंह निवासी मनौरीगांव, चायल कौशाम्बी	2002-03	4000.00	400.00	4400.00
16	मनौरी	जन्मेजय सिंह पुत्र सन्तोष सिंह निवासी चन्द्रशेन, पो0 शंकरगढ़, चायल, कौशाम्बी	1998-99	11000.00	1100.00	12100.00
17	सैनी	जयकृष्ण मिश्र पुत्र मनमोहन निवासी दारानगर, कड़ा कौशाम्बी	2002-03	45000.00	4500.00	49500.00
18	देवीगंज	बच्चन खरे पुत्र निहाल अहमद निवासी कमालपुर, पो0 दारानगर, कौशाम्बी	2003-04	5000.00	500.00	5500.00
19	पुरखास	एजाज अहमद पुत्र मंजूर अहमद निवासी निजामपुर खास, पुरखास, कौशाम्बी	2001-02	500.00	50.00	550.00
20	कड़ा	आद्या प्रसाद पाण्डेय पुत्र चन्द्रदत्त पाण्डेय निवासी दारानगर, कड़ा, कौशाम्बी	2001-02	70000.00	7000.00	77000.00
21	देवीगंज	अचल कुमार पुत्र शिवकान्त निवासी दारानगर, कड़ा, कौशाम्बी	2004-05	104000.00	10400.00	114400.00
22	मूरतगंज	अभयकुमार पुत्र इन्द्र नारायण निवासी रसूलपुर, गिरसा कौशाम्बी	2001-	20000.00	2000.00	22000.00
23	उमैसा	अभयकुमार पुत्र इन्द्र नारायण निवासी रसूलपुर, गिरसा कौशाम्बी	2003-04	25000.00	2500.00	27500.00
24	हिनौता	आत्मा प्रकाश पुत्र गोपाल निवासी कड़ा, कौशाम्बी	1998-99	10000.00	1000.00	11000.00
25	कड़ा	आत्मा प्रकाश पुत्र गोपाल निवासी कड़ा, कौशाम्बी	1999-2000	280000.00	28000.00	308000.00
26	मनौरी	विनय कुमार पाण्डेय पुत्र कृष्ण प्रसाद निवासी 275 लिंकनगर, अल्लापुर प्रयागराज	2003-04	9100.00	910.00	10100.00
27	वेगम बाजार	अकरम पुत्र सलाउद्दीन निवासी बम्हरोली, इलाहाबाद	1998-99	15000.00	1500.00	16500.00
28	मूरतगंज	अकरम पुत्र सलाउद्दीन निवासी बम्हरोली, इलाहाबाद	1998-99	50000.00	500.00	55000.00
		योग		1347700 + 95700 1418400	130270 +9570 139840	1490660 -9000 1481660

						+105270 1586930

प्रस्तर-06 :- शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते हैं जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्रों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रशंगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है। इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतों सब्सिडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वह उसी स्तर पर कराया जाय और उपर के स्तर पर वह न कराया जाय किन्तु जिला पंचायत के निर्माण कार्य रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन निर्माण कार्यों में नहीं किया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा। उदाहरणार्थ -

क्र.	निर्माण कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्राम नीवा में कबीर आश्रम से यादवपुर गांव तक की सरहद तक सी0सी0 निर्माण (चायल)	4.32 लाख
2	ग्राम शाखा में अझूवा शाखा मार्ग से हनुमान मंदिर तक इन्टरलाकिंग (सिराथू)	3.21 लाख
3	ग्राम पहाड़पुर कुर्मियान के पूरब में सिराथू थोन मार्ग से राकेश मास्टर के घर तक इन्टरलाकिंग	5.46 लाख
4	दारानगर में टेढ़ी मोड़ मार्ग से रामजानकी मंदिर बड़ी दिवार तक इन्टरलाकिंग (कड़ा)	4.53 लाख
5	केसरिया में जी0टी0 रोड केसरिया धर्मशाला मार्ग से मिश्रीलाल के घर तक इन्टरलाकिंग (कड़ा)	5.15 लाख
6	ग्राम मोहम्मदपुर असवा में काली माता के स्थान से रामराज पासी के घर तक इन्टर लाकिंग	5.00 लाख
7	ग्राम वक्शीपार के मजरा कन्टीपार में शिवरानी सरोज के घर से केशव रैदास के घर तक इन्टरलाकिंग (सरसवा)	5.00 लाख
8	ग्राम पं० पाराहसनपुर में लेहदरा मार्ग रामधनी मौर्य के खेत के आगे तक इन्टरलाकिंग (मंझनपुर)	5.00 लाख
9	ग्राम सभा पुरैनी में पक्की सड़क हरिजन वस्ती में इन्टरलाकिंग	2.23 लाख
10	ग्राम पं० निजाम मई में प्यारेमिया के घर से मस्जिद तक इन्टरलाकिंग	3.31 लाख
11	ग्राम सभा विसारा में रोशन के घर से केशव के घर तक इन्टरलाकिंग (सिराथू)	3.75 लाख
12	ग्राम सभा म्योहरिया में नहर काली सड़क से रघुराज के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य (कौशाम्बी)	5.00 लाख
13	ग्राम ढोकसहा में रघुनाथ द्विवेदी के घर से सोमदत्त के घर तक इन्टरलाकिंग (कौशाम्बी)	5.00 लाख
14	ग्राम पं० विसहरा में अशोक पण्डा के दुकान से रामभजन तिवारी के घर तक इन्टरलाकिंग (सिराथू) (सरसवा)	5.00 लाख
15	ग्राम पं० सिधिया में पक्की सड़क से अशोक मौर्या के घर तक इन्टर लाकिंग (सिराथू)	5.00 लाख
16	रामपुर धमावा में हनुमान इ०का० से एम०सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग (सिराथू)	5.65 लाख
	योग	72.61 लाख

शासनादेश के बिन्दु 7 पर स्पष्ट उल्लेख है कि जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु० 10 लाख से अधिक की लागत का कार्य क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के परिक्षेत्र में कराये जाने चाहिए, किन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 07 :- वर्ष 2017-18 राज्यवित्त आयोग

परियोजना - कल्यानपुर से अहिरारा स०मा० पर पी०सी० कार्य, वि०ख०- सिराथू

अवर अभि - श्री मनीष कुमार

अभि० - श्री अखिलेश्वर मल्ल

अ०मु०अधि०- श्री एल०एन० खरे

अध्यक्ष - श्री अखण्ड प्रताप सिंह (जिलाधिकारी)

परियोजना की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

- (i) जब प्राक्कलन में 1 प्रतिशत सेस जोड़ा जा चुका है तब बिल भुगतान के समय सेस का 1 प्रतिशत जोड़कर फिर कटौती किया जाना औचित्य विहीन रहा। कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

प्राक्कलन

बिल प्रथम

टोटल कास्ट	28.64 लाख	13.94 लाख
सेस (+)	.23	(+) .14
	28.87 लाख	14.05 लाख

(ii) उ०प्र० क्षेत्र० तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 के अनुसार 10 लाख से ऊपर की परियोजना की प्राविधिक स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी आवश्यक है। उक्त परियोजना 10 लाख के उपर की रही परन्तु परियोजना को प्राविधिक स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। निर्माण नियमावली के नियमों के पालन न करने के कारण स्पष्टीकरण किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(iii) जब प्राक्कलन में ओल्ड पीसी के स्कैपिंग की लागत सम्मिलित है तब ब्रिक एजिंग के उखाड़ने की बात नहीं कही गयी अर्थात् बीओई सही था अथवा बीओई उखाड़ी गयी तो उससे निकली ईटे कहा गयी। बीओई पर खर्च रु० 104860.00 का स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा।

(iv) निर्माण नियमावली के अनुसार प्राक्कलन के साथ कंजम्प्सन ऑफ मटीरियल संलग्न होना चाहिए किन्तु प्राक्कलन के साथ कंजम्प्सन ऑफ मटीरियल संलग्न नहीं रहा। स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा।

(v) ठेकेदार श्री अभिलाषचन्द्र सोनकर ने 64 एम.टी. गिट्टी की रायल्टी कटौती हेतु दिनांक 03-04-2018 को प्रत्यावेदन दिया किन्तु दिनांक 17-04-2018 को बिल से रु० 19490.00 की कटौती की गयी, जबकि लेम० अनुसार रायल्टी $64 \times 110/-$ की दर से $7040 \times 6 =$ रु० 42240.00 होना चाहिए। इस प्रकार अन्तर रु० 22750.00 से कम रायल्टी की कटौती की गयी है जिसके लिए लेखाकार श्री रामभजन द्विवेदी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री एल०एन० खरे समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-08 :- राज्य वित्त आयोग वर्ष 2017-18

परियोजना - ग्राम सभा कोटिया गांव से तिल्हुपुर मोड तक बेनीराम कटरा स०मा०का पैच मरम्मत

अनुमानित लागत - 1.19 लाख ठेके की राशि - 0.94 लाख

अवर अभि०- श्री गजराज सिंह

अभियंता - श्री अखिलेश्वर मल्ल

ए०एम०ए०- श्री एल०एन० खरे

उपरोक्त पत्रावली में संलग्न नोट सीट में अंकित है कि जि०पं० की बैठक दिनांक 01 अप्रैल 2017 के प्रस्ताव सं० 6/08 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा विगत वर्षों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का गड़ढामुक्त कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2016-17 के परफारमेन्स ग्राण्ट से पैच मरम्मत कार्य कराया जाना है। यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश सं० 562 सा० 133 सेल/2017 जि०प० अनुश्रवण प्रको० लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल 2019 द्वारा प्राप्त धनराशि परफारमेन्स ग्राण्ट पर अग्रिम आदेशों तक कोई व्यय आदि न किये जाने का निर्देश दिया गया है। परन्तु पत्रावली में आदेश की प्रति नहीं मिली अर्थात् आदेश के विपरीत व्यय किया गया। इसके लिए श्री एन०एन० खरे अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री अखिलेश्वर मल्ल अभियंता पूर्णरूप से जिम्मेदारी हैं जिसकी वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 :- वर्ष 2017-18 के सामान्य कोष वही की जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

(i) सामान्य कोष वही प्रथम में अप्रैल माह में दिनांक 28-04-2017 को जिला पंचायत

कार्यालय में कार्यरत गैगमैनों का पारिश्रमिक माह मार्च 2017 मु० 59670.00 चेक सं० 011879 दिनांक 28-04-2017 से भुगतान दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में श्रमिकों का मस्टर रोल उपलब्ध नहीं रहा जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि नहीं हो पायी। अतः इस हेतु श्री रामभजन द्विवेदी लेखाकार व श्री एल०एन० खरे अ०मु०अ० समानरूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(ii) सामान्य कोष वही में प्रमाणक सं० 59 दिनांक 28-04-2017 को जिला पंचायत में लगे जनरेटर पर ईंधन व्यय बिल नं० 728 दिनांक 10-03-2017 बिल नं० 728 मु० 4498.00 तथा बिल नं० 729 दिनांक 31-03-2017 मु० 4498.00 का भुगतान दर्शित है, किन्तु उक्त ईंधन बिल ले०प० में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं रहा, जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः इस हेतु श्री रामभजन द्विवेदी लेखाकार व श्री

एल0एन0खरे अ0मु0अ0 समानरूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(iii)बोलेरो जीप सं0 यू0पी0 73 सी 1505 पर व्यय ईधन—

क्र.सं.	बिल सं0	दिनांक	धनराशि
1—	731	21-03-2017	4498
2—	730	10-03-2017	4438
3—	732	31-03-2017	2999
4—	734	31-03-2017	599
5—	728	31-03-2017	8976

योग 21530

प्रमाणक सं0 59-63 द्वारा रू0 21530 चेक सं0 016880 से दिनांक 28-04-17 का एम0एस0एण्ड फ्रेण्डस फिलिंग स्टेशन को भुगतान किया गया है।

उपरोक्त बिल सं0 728 से 734 चेक सं0 016880 से सम्बन्धित है जिनका बिल लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं हुआ जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि न हो सकी। अतः इस हेतु श्री रामभजन द्विवेदी लेखाकार व श्री एल0एन0खरे अ0मु0अ0 समानरूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(iv) सा0 कोष वही दिनांक 28-04-2017 के पृष्ठ सं0 9 पर स्पेशल अपील सं0 775/2016 के लिए बिल सं0 शून्य दिनांक 04-04-2017 चेक सं0 16884 मु0 4500/- का भुगतान श्री कमल कृष्ण राय को किया गया दर्शित है। किन्तु बिल ले0प0 में अप्राप्त रहा जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः इस हेतु श्री रामभजन द्विवेदी लेखाकार व श्री एल0एन0खरे अ0मु0अ0 समानरूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 :-आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित बालू परिवहन ठेकेदारों से ठेके की धनराशि निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा की तिथि तक वसूली नहीं की गयी है, जिससे राजस्व की हानि रही, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी (जि0प0) श्री एल0एन0 खरे एवं श्री आदित्य कुमार कुशवाहा कर अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली श्री एल0एन0खरे एवं श्री आदित्य कुमार कुशवाहा कर अधिकारी से समान रूप से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

क्र.	तहसील का नाम	बकाया की अवधि	ठेकेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि
1	मंझनपुर	2009-10 से	श्री दयाशंकर त्रिपाठी पुत्र हीरालाल नि0ग्रा0 समदा, जिला कौशाम्बी	590830.00
2	मंझनपुर	2010-11 से	श्री संदीप ठाकुर पुत्र कैलाश ठाकुर नि0 ए-ब्लाक, गांधी नगर, तेलीबाग, लखनऊ	775000.00
3	चायल	2013-14 से	श्री मो0 इदरीस पुत्र रूस्तम अली निवासी घोसिया, जिला-कौशाम्बी	655000.00
योग				2020830.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि लेखा परीक्षा की तिथि तक वसूल नहीं की गयी है, जबकि बालू-मोरंग की धनराशि निलामी के समय एकमुश्त जमा किये जाने का प्राविधान है, प्रकरण में परिवहन शुल्क की निलामी सम्पादित की गयी तथा ठेकेदार ने वर्ष भर शुल्क की वसूली की, परन्तु जिला पंचायत की शिथिलता के कारण निलामी धनराशि की वसूली सम्बन्धित वर्षों में नहीं हो पायी। अतः परिवहन शुल्क की बकाया की धनराशि रू0 2020830.00 की हानि रही, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0एन0 खरे एवं श्री आदित्य कुमार कुशवाहा कर अधिकारी उत्तरदायी है जिसकी वसूली श्री एल0एन0 खरे एवं श्री आदित्य कुमार कुशवाहा कर अधिकारी से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -11 :- आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित ठेकेदारों को अवशेष जी0एस0टी0 का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है, किन्तु ठेकेदारों द्वारा जमा अवशेष जी0एस0टी0 का

प्रमाणक/चालान उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे रु0 3618677.00 की राजस्व की हानि हुई है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0एन0 खरे एवं श्री राम भजन द्विवेदी लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत रहा।

क्र.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	बिल के भुगतान की तिथि	अवशेष जी0एस0टी0 की धनराशि
1	मंझनपुर में फर्जीपुर से भवानी का पुरवा पी. सी. कार्य (पेन्टिंग)	श्री रमाकान्त	29-01-2019	105100.00
2	सिराथू में रामपुर मड़ुकी की चौराहा से हटवा गाँव तक पक्की रोड मरम्मत व पेन्टिंग कार्य	श्री रमाकान्त	23-01-2019	121000.00
3	कौशाम्बी में जाठी से मोहीउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत व पेन्टिंग कार्य	श्री रमाकान्त	23-01-2019	30317.00
4	मंझनपुर में सुजातपुर स0मा0 से नहर की पटरी होते हुए सिराथू मंझनपुर रोड तक नवीनीकरण कार्य (IIरीच)	श्री प्रदीप कुमार	23-01-2019	301852.00
5	उक्त कार्य (प्रीच)	श्री प्रदीप कुमार	23-01-2019	348552.00
6	जफरपुर से गौसपुर तक लेपन कार्य	श्री प्रदीप कुमार	23-01-2019	170900.00
7	ग्राम-नेवादा से तालाब किनारे से बड़गांव स0मा0 पर पेन्टिंग कार्य	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी	23-01-2019	16787.00
8	मवई से भटवा स0मा0 तक मरम्मत व पेन्टिंग	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी	23-01-2019	117584.00
9	फरीदगंज मार्ग से रब्ब की मई पेन्टिंग कार्य	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी	23-01-2019	73200.00
10	देवखर पुरवा चौराहे से दिलीप पासी के घर होते हुए पंचायत भवन तक पेन्टिंग	श्री अभिलाषचन्द सोनकर	23-01-2019	36210.00
11	गौहानी रोड सक काली माता मंदिर के पास होते हुए अनूप के दरवाजे तक पेन्टिंग	श्री अभिलाषचन्द सोनकर	23-01-2019	53868.00
12	पुरवासचक पिनहा वयां मिन हाजपुर मार्ग पेन्टिंग कार्य	श्री अभिलाषचन्द सोनकर	23-01-2019	189134.00
13	कल्यानपुर से अहिरान स0मा0 पेन्टिंग कार्य	श्री अभिलाषचन्द सोनकर	23-01-2019	171522.00
14	काजू मरवारी रोड से बेरुआ होते हुए पेरियार स्वामी नायक उद्यान तक पेन्टिंग कार्य	श्री महेश चन्द	23-01-2019	122986.00
15	सरायअकिल पक्की सड़क से उत्तर तरफ तक चमार पुरवा एवं बहुमरा कोरी के मकान तक पेन्टिंग कार्य	श्री महेश चन्द	23-01-2019	20463.00
16	जलीलपुर ग्राम सभा से काजू बड़ा गांव तक मरम्मत एवं पेन्टिंग कार्य	श्री महेश चन्द	23-01-2019	151128.00
17	जलालपुर साना पक्की सड़क से समदा होते हुए रामदयाल के पूरा चौराहा तक पैच मरम्मत	श्री मंगल (अभिराज इण्टर प्राइजेज)	23-01-2019	24514.00

18	अकबरपुर सड़क से लाल मण्डप घाट तक पेन्टिंग कार्य	श्री मंगल (अभिराज इण्टर प्राइजेज)	23-01-2019	13089.00
19	करारीशाहपुर रोड से गुलामीपुर नहर पटरी मरम्मत एवं पेन्टिंग कासर्ग	श्री मंगल (अभिराज इण्टर प्राइजेज)	23-01-2019	56700.00
20	गौसपुर नवावा नहर के पुल से अजीतपुर तक पेन्टिंग कार्य	श्री मंगल (अभिराज इण्टर प्राइजेज)	23-01-2019	39500.00
21	देवा घाट मार्ग से उलौली मार्ग होते हुए देवरा मार्ग तक पेन्टिंग कार्य	श्री मंगल (अभिराज इण्टर प्राइजेज)	23-01-2019	155600.00
22	पश्चिम शरीरा समाधीन के पुरवाँ होते हुए नगरेहा तक पेन्टिंग कार्य	श्री महेश चन्द	23-01-2019	101981.00
23	नगरेहा खुर्द से नगरेहा कला स0मा0 पेन्टिंग	श्री महेश चन्द	23-01-2019	45222.00
24	जी0टी0 रोड से सिकन्दरपुर वजहां गाँव तक पैच मरम्मत	श्री मोहन लाल	23-01-2019	5244.00
25	कोटिया गांव से तिलहापुर मण्डे वेनीराम कतरा स0मा0 पैच मरम्मत	श्री मोहन लाल	23-01-2019	7013.00
26	ककसहाई में जूड़ी छोटीन्दर के पुल से होते हुए सीपोहरवा तक पेन्टिंग कार्य	श्री मोहन लाल	23-01-2019	27256.00
27	मनौरी सरकारी रोड से चमुहा रोड तक पेन्टिंग	श्री मोहन लाल	23-01-2019	38544.00
28	गढ़ी से वरुआ स0मा0 पेन्टिंग कार्य	श्री मोहन लाल	23-01-2019	37304.00
29	जी0टी0 रोड इलाहाबाद मूरतगंज मार्ग से नौआपुर तक पैच मरम्मत कार्य	श्री मोहन लाल	23-01-2019	10368.00
30	भरवारी मोन रोड से उत्तर बसवनपुर ग्राम सभा तक पैच मरम्मत	श्री मोहन लाल	23-01-2019	4269.00
31	मनौरी चायल रोड से भीखपुर मेड़वारा तक पेन्टिंग कार्य	श्री मोहन लाल	23-01-2019	100634.00
32	सिराथू सराय अकील मार्ग से यूसुफपुर तक पेन्टिंग	श्री मोहन लाल	23-01-2019	18400.00
33	काजू एवं हौजी के गांव वीना से रामदयालपुर गांव तक पैच मरम्मत	श्री मोहन लाल	23-01-2019	7191.00
34	नवावा नहर से दादूपुर उचरावा स0मा0	श्री रामपाल	23-10-2019	27600.00
35	भरवारी करारी मार्ग से भिखियापुर मार्ग तक पेन्टिंग कार्य	श्री रामपाल	23-10-2019	53984.00
36	मानिकपुर रोड से रसूलपुर गांव तक मरम्मत एवं पेन्टिंग	श्री रामपाल	23-10-2019	96900.00
37	टुबाना शहजादपुर वाया हिसानपुर बरसली तक पेन्टिंग	श्री रामपाल	23-10-2019	242500.00
38	हाजीपुर फतौना से नहर तक पैच मरम्मत	श्री रामपाल	23-10-2019	12600.00
39	ठसया तालाब मार्ग से फरीदगंज तक पैच मरम्मत	श्री रामपाल	23-10-2019	10600.00
40	मूरतगंज राजनपुर स0मा0 गुलौली मार्ग तक पेन्टिंग	श्री रामपाल	23-10-2019	240900.00
41	मूरतगंज मार्ग से रसूलपुर गिरसा होते हुए पेट्रोल पम्प तक पेन्टिंग कार्य	श्री रामपाल	23-10-2019	94400.00
42	कनौली से मुलायमपुर मार्ग से जरगड़ी तक मरम्मत व पेन्टिंग काय	श्री रामपाल	23-10-2019	48320.00

43	दौलतपुर सुल्तानपुर स0मा0 से शैलेश सिंह के घर तक पैच मरम्मत	श्री रामपाल	23-10-2019	4500.00
44	सोरई से समसाबाद तक पैच मरम्मत	श्री रामपाल	23-10-2019	17300.00
45	जी0टी0 रोड ननमई मार्ग से ननमई गाँव तक पैच मरम्मत	श्री रामपाल	23-10-2019	28500.00
46	सुशीला देवी उ0मा0वि0 से शीतला धाम रोड तक पैच मरम्मत	श्री रामपाल	23-10-2019	9700.00
47	उदहिन बुजुर्ग चौराहा से उदयभान पटेल के ट्यूबेल तक पेन्टिंग कार्य	श्री रामपाल	23-10-2019	105761.00
48	वाराताफारीक गाँव में मलाक की जयी गाँव तक पैच मरम्मत कार्य	श्री रमेश चन्द्र यादव	23-10-2019	44900.00
49	पैगम्बरपुर से भीटी तक पेन्टिंग कार्य	श्री मान सिंह	23-10-2019	32659.00
50	सम्मुड़ पक्की सड़क से मुबारक प्रधान के घर तक पेन्टिंग कार्य	श्री विजय सिंह	23-10-2019	17300.00
51	जी0टी0 रोड से नहर तक पेन्टिंग कार्य	श्री मंगल सिंह	23-10-2019	32600.00
52	सिराथू घाट मार्ग से समसाबाद तक पैच मरम्मत कार्य	श्री शशिकान्त सिंह (एस.के. इन्टरप्राइजेज)	23-10-2019	72504.00
	योग			3618677.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा तक अवशेष जी.एस.टी. की धनराशि रु0 3618677.00 की जमा की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः रु0 3618677.00 उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा अपहरण किया गया है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0एन0खरे एवं श्री राम भजन द्विवेदी लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-2 जिला पंचायत-2018-19

जनपद-प्रतापगढ़

सम्भाग-प्रयागराज

प्रस्तर-1 वित्तीय वर्ष 2018-19 दौरान "बालू मौरंग " मद से जनपद की आय " प्रपत्र संख्या 01 "निजी श्रातो से आय का विवरण" में कुल रु0 3.00 लाख की डिमाण्ड अंकित है जबकि प्रपत्र संख्या 3 जोकि "वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018.19 की मांग शून्य अंकित है। इस प्रकार एक ही वर्ष के दो अलग - अलग प्रपत्रों में मांग एवं रु0 3.00 लाख का अन्तर है जिसका समाधान किया जाना अपेक्षित है। प्रपत्र 03 "वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" में उक्त मद में मांग शून्य दर्शित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 प्रपत्र संख्या 01 के अनुसार बालू मौरंग के अर्न्तगत 3.00 लाख की डिमाण्ड की गयी थी जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान वसूली शून्य रही। वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रपत्र -3 "वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" में गत वर्ष की बकाया की धनराशि शून्य दर्शित है। ऐसी स्थिति में सम्भाव्य है कि वसूली ज्यादा करके जमा कम किया गया और योजनाबद्ध तरीके से गत वर्ष की मांग शून्य अंकित कर सीधे वर्ष दौरान ही एक ही मद से रु0 3.00 लाख की अनियमितता की गयी। वर्ष दौरान भी उक्त मद में किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गयी। लेखा परीक्षा की दृष्टि से कठोर वित्तीय अनुशासन का पालन ही करने के कारण अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा द्वारा संस्था को कुल 6.00 लाख की हानि पहुचायी गयी। उक्त कार्य में अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा के साथ लेखाकार श्री बृजेश सिंह के साथ राजस्व निरीक्षक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ,श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय ,श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री राम चन्द्र, श्री अभय सिंह यादव, एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय भी सीधे उत्तरदायी है। उक्त अधिकारियों एवं कार्मिकों से अवशेष धनराशि की ब्याज सहित वसूली विभागीय निर्देशानुसार अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवाशर्त विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4 (3) के अनुसार:-"ठेकेदार के बिल से कुल लागत की 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुवन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन

नहीं किया जायेगा”। शासनादेश सं० 741/छत्तीस- 2-2013 दि० 20 अगस्त 2013 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के निर्माण देयको से 1: धनराशि पूरे देयक धनराशि से कटौती की जानी थी। जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष के निम्न निर्माण कार्यों में से सभी कार्यों में कर्मकार उपकर की 1 प्रतिशत धनराशि प्रथमतः प्राक्कलनों में नियम विरुद्ध जोड़ी गयी तथा ठेकेदारों को अन्तिम भुगतान भी प्राक्कलन के समतुल्य ही किया गया है। जिला पंचायत के उक्त कार्य से स्पष्ट है कि देय कर्मकार उपकर का व्यय भार ठेकेदार के स्थान पर संस्था द्वारा ही वहन किया गया। लेखा परीक्षा के अनुसार इस प्रकार से राजकीय कोष को रु०337612.00 का अनियमित भुगतान कर आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी। उक्त क्षति के लिये प्रथम श्रेणी लिपिक, प्रशासनिक अधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाकार, लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है क्योंकि प्राक्कलन निर्माण/एम०बी०जांच/भुगतान प्रक्रिया के समय अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर लेबर सेस के समतुल्य धनराशि ठेकेदारों को भुगतान कर संस्था को आर्थिक हानि पहुँचायी गयी अतः अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा, अभियन्ता श्री अमीर चन्द्र दूबे एवं श्रीमती हेमलता दोहरे, अवर अभियन्ता श्री कमलेश कुमार, श्री राजबली यादव, श्री राम अनुज सिंह एवं श्री दिवाकर यादव एवं लेखाकार श्री बृजेश सिंह पर दायित्व निर्धारित करके उनसे वापसी/ ब्याज सहित वसूली की जाये।

क्रमांक कार्य का नाम

लेबर सेस कटौती

1. ग्राम देवरपट्टी में शारदा सहायक नहर पुल से सूर्यबली गुप्ता के घर तक	17498.00
2. दैवी रजानी नाला से बेहड़ा मवैया घाट	8876.00
3. फूलपुर मौरी प०स० से मौरी अनु०जाति हरि० बस्ती	19745.00
4. विजईमऊ प०स० से बधवा तक स०मा०	9852.00
5. चौहर्जन देवी लच्छीपुर मार्ग से विनोद दूबे के घर तक	7894.00
6. अठेहा जटियारी मार्ग से धनोवा ग्राम तक	6430.00
7. ग्राम पं० रामपुर मुस्तर्का में वीरापुर जाने वाली सड़क	8019.00
8. मेन सड़क किठानापुर से अनिल सिंह शहीद मार्ग प्रधानमंत्री सड़क	8885.00
9. अर्जुन अतरू (फरिश्ता) म०स० से नहर पुल तक	10650.00
10. हीरागंज बाजार में सी०सी० कार्य	7860.00
11. पूही तिवारीपुर रमईपुर स०अ० से फतेहपुर वर्मा तक	7917.00
12. अमारी स०म० अवशेष भाग	9357.00
13. ग्राम पंचायत कोडरजीत सचिवालय निर्माण कार्य	14597.00
14. इला० उन्नाव मार्ग से ब्रह्मौली स०मा०	10198.00
15. महिमामऊ स०मा० की अवशेष भाग वि० मरम्मत	10000.00
16. मोहनगंज जेठवारा मार्ग से सरियापुर पुल से प्रमोद	7901.00
17. जहानाबाद प०स० से लक्ष्मीपुर चौराहा	4049.00
18. ग्राम पूरे कालूराम (बेलदा)में एल०वी० मार्ग से पूरेकालएम	2601.00
19. ग०स० दयालपुर बारादरी से कलकतियापुर	10009.00
20. मादीपुर में सचिवालय निर्माण	8556.00
21. इला० विलाग्राम मार्ग से जिया का पुरवा	12921.00
22. गहरू की पुरवा प०स० से अब्दुल वाहिदगंज	8910.00
23. परियावां लवाना मार्ग से अस्थान पुल से अब्दुलवाहिद	25126.00
24. पक्की सड़क म.डल मासौ-रामवनगमन मार्ग तक	8919.00
25. बेलधरी से दौलतपुर स०मा०	8902.00
26. कुसुवापुर अंदलाबाद मार्ग से अब्दुल वाहिदगंज	20641.00
27. कांदीपुर प्रा०पा० से शेष दूबे के फरता	7632.00
28. महिमामऊ स०मा० का शेष भाग	21037.00
29. जेठवारा कु.डा मार्ग से चिन्तामनपुर	14833.00
30. कनांवा प०स० से दिकरिया बुजुर्ग	9898.00
31. मुख्य मार्ग से बी०पी० पाल के घर तक	7899.00

प्रस्तर-3 जेठवारा कुन्डा मार्ग से चितामनपुर तक इन्टरलाकिंग कार्य को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार रु0 15.00 लाख की लागत से 419 मी0 लम्बाई में इन्टरलाकिंग की जानी थी। उक्त कार्य को 2 माह में पूर्ण किया जाना था। प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 27.07.17 से कार्यारम्भ किया गया एवं ससमय रु0 9.30 लाख के रनिंग बिल का भुगतान भी किया गया। लेकिन कार्य बीच में ही छोड़ दिये जाने के कारण अंततः 19.12.18 को पूर्ण किया गया। कार्य विलम्ब से सम्पन्न किया गया एवं इस कारण उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-खण्ड 2(ग) के अनुसार विलम्ब के लिए प्रतिकर की धनराशि निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के एक प्रतिशत के बराबर या ऐसी अल्प धनराशि होगी जो मुख्य अधिकारी विनिश्चय करें। उक्त निर्देशों के आलोक में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मात्र रु0 8000.00 के नाममात्रिक विलम्ब शुल्क की कटौती की गयी। वास्तव में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा दण्ड की धनराशि रु0 150000.00 के स्थान पर मात्र रु0 8000.00 की पेनाल्टी वसूल कर दण्ड की धनराशि को कम करने के विवेकाधिकार को स्वैच्छिक तरीके से लागू किया गया एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा दिनांक 14.08.2018 को इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड को रु0 354600.00 मात्र आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि प्रेषित की गयी। जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के पास संस्था का विगत वर्ष की धनराशि रु0 157179.00 अवशेष थी। इस प्रकार इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के पास कुल रु0 511779.00 की धनराशि होने के बावजूद मैक्सफाल्ट की आपूर्ति वित्तीय वर्ष दौरान नहीं की गयी। जिला पंचायत द्वारा वर्ष दौरान मैक्सफाल्ट के परिवहन हेतु अभियन्ता के पदनाम से रु0 40000.00 की अग्रिम धनराशि आहरित किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण उक्त प्रकरण की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी। मैक्सफाल्ट क्रय की प्रक्रिया के अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये इसे विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है तथा उक्त मद में वित्तीय वर्ष में भुगतानित धनराशि कुल रु0 394600.00 (354600+40000= 394600) की अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा, अभियन्ता श्री अमीर चन्द्र दूबे के साथ सहायक लेखाकार श्री बृजेश कुमार सिंह पर दायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा निम्न विवरण के अनुसार समाचार पत्रों पर विज्ञापन एवं शासन की नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये रु0 279314.00 का भुगतान किया गया गया। अंकित समाचार पत्रों की प्रचार एवं प्रसार संख्या नगण्य होने के कारण तथा सीमिति क्षेत्र में प्रसार के कारण जिला पंचायत के महत्वपूर्ण विज्ञापनों से प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त करना सम्भव नहीं है। प्रतीत होता है कि उक्त समाचार पत्रों में विज्ञापन केद्वारा राजकीय निर्देशों की औपचारिकता पूर्ण की गयी। उक्त मद में भुगतान में अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा सम्यक भूमिका का निर्वहन नहीं किया गया। अतः रु0 279314.00 के अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा, एवं सहायक लेखाकार श्री बृजेश कुमार सिंह पर दायित्व निर्धारित करते हुये की जानी अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार है—

1. हल्ला बोल इण्डिया	3750.00
2. इंकलाबी आवाज	20000.00
3. लोकमित्र	19516.00
4. ट्रू इंडिया	4000.00
5. स्पष्ट आवाज	4963.00
6. सदाये मजलूम	7422.00
7. राष्ट्रीय स्वरूप	218122.00
8. राजनैतिक बुलेट	1541.00

योग 279314.00

प्रस्तर-6 वित्तीय वर्ष 2018-19 दौरान मेला प्रदर्शनी से जनपद की आय प्रपत्र 01 “निजी श्रोतो से आय का विवरण” के अनुसार रु0 5.00 लाख की आय वजट में प्रस्तावित की गयी जबकि प्रपत्र 03 “वर्तमान

वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" में उक्त मद में मांग 03.00 लाख दर्शित है। इस प्रकार एक ही वर्ष के दो अलग – अलग प्रपत्रों में मांग एवं रु0 2.00 लाख का अन्तर है जिसका समाधान किया जाना अपेक्षित है। मेला प्रदर्शनी मद से गत वर्ष भी रु0 5.00 लाख की ही मांग प्रस्तावित की गयी। इकाई द्वारा से मेला प्रदर्शनी आय की वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017.18 प्रपत्र संख्या 01 के अनुसार लाइसेंस शुल्क के अर्न्तगत 05.00 लाख की डिमाण्ड की गयी थी जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान वसूली शून्य रही। वित्तीय वर्ष 2018.19 के प्रपत्र –3 "वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" में गत वर्ष की बकाया की धनराशि शून्य दर्शित है। संस्था द्वारा जानबूझकर एवं योजनाबद्ध तरीके से मेला प्रदर्शनी मद में गत वर्ष की मांग का रु0 5.00 लाख अंकित नहीं किया गया। संस्था द्वारा कूट रचित ढंग से मनमाने ढंग से धनराशि के व्यपहरण हेतु आधारहीन आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा वसूली ज्यादा करके जमा कम किया गया और योजनाबद्ध तरीके से गत वर्ष की मांग शून्य अंकित कर सीधे वर्ष दौरान ही एक ही मद से रु0 5.00 लाख की अनियमितता की गयी। संस्था द्वारा वर्ष की मांग का भी रु0 5.00 लाख की वसूली नहीं की गयी। लेखा परीक्षा की दृष्टि से संस्था को कुल रु0 10.00 लाख की हानि पहुचायी गयी। उक्त कार्य में अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा, लेखाकार श्री बृजेश सिंह के साथ राजस्व निरीक्षक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री राम चन्द्र, श्री अभय सिंह यादव, एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय सीधे उत्तरदायी है। उक्त अधिकारियों एवं कार्मिकों से व्यपगत धनराशि की ब्याज सहित वसूली विभागीय निर्देशानुसार करने एवं विगत वर्षों की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 वित्तीय वर्ष 2018-19 दौरान "हाट बाजार एवं तहबाजारी" से जनपद की आय प्रपत्र 01 "निजी श्रोतो से आय का विवरण" एवं प्रपत्र 03 "वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" में उक्त मद में मांग शून्य दर्शित है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा सम्भावित राजस्व की खोज एवं वर्तमान राजस्व में वृद्धि का किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। प्रपत्र संख्या 03 के अनुसार "हाट बाजार एवं तहबाजारी" के मद में गत वर्षों का रु0 20.69 लाख की धनराशि अवशेष है जिसके सापेक्ष मात्र रु0 0.06 लाख की वसूली (0.28 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी। जिला पंचायत के संसाधनों एवं उनके उपयोग का अनुश्रवण सम्यक ढंग से नहीं होने के कारण उक्त मद में अभी भी रु0 20.63 लाख अवशेष है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से कठोरवित्तीय अनुशासन का पालन ही करने के कारण अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा द्वारा संस्था को कुल 20.63 लाख की हानि पहुचायी गयी। उक्त कार्य में अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा के साथ लेखाकार श्री बृजेश सिंह के साथ राजस्व निरीक्षक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री राम चन्द्र, श्री अभय सिंह यादव, एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय भी सीधे उत्तरदायी है। उक्त अधिकारियों एवं कार्मिकों से अवशेष धनराशि की ब्याज सहित वसूली विभागीय निर्देशानुसार अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वित्तीय वर्ष 2018-19 दौरान नौकाघाटो से जनपद की आय प्रपत्र 01 "निजी श्रोतो से आय का विवरण" के अनुसार रु0 3.00 लाख की आय वजट में प्रस्तावित की गयी जबकि प्रपत्र 03 "वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" में उक्त मद में मांग शून्य दर्शित है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है जिसका समाधान किया जाना अपेक्षित है। नौकाघाटो के मद से गत वर्ष भी रु0 3.00 लाख की ही मांग प्रस्तावित की गयी। इकाई द्वारा नौकाघाटो से आय की वृद्धि हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को उक्त कार्य हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिये साथ ही मछुआ समुदाय अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों की गोष्ठी आहुत कर प्रस्ताव मांगे जाने चाहिये थे जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अंचल के जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्राप्त होता एवं जिला पंचायत की भी निजी श्रोत की पूंजी में वृद्धि होती। नौकाघाटो से जनपद को आय की कमी हेतु अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। प्रपत्र संख्या 03 के अनुसार जिला पंचायत प्रतापगढ़ की नौकाघाट के मद में रु0 4.18 लाख का बकाया शेष है। इस प्रकार वर्ष की मांग रु0 3.00 एवं गत वर्षों की मांग रु0 4.18 लाख के सापेक्ष वर्ष दौरान मात्र 0.12 लाख की वसूली की जा सकी। जिला पंचायत प्रतापगढ़ में 10 राजस्व निरीक्षकों के बाद भी "नौकाघाट" मद में रु0 7.04 लाख के बकाया के लिये इस राजस्व निरीक्षकों के साथ प्रति पटल प्रभारी जिला पंचायत के साथ आकिक एवं प्रमुख रूप से अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त

मद की शेष धनराशि की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीतवर्मा, लेखाकार श्री बृजेश सिंह, पटल प्रभारी श्री रमेश चन्द्र दुबे , एवं राजस्व निरीक्षक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ,श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय ,श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री राम चन्द्र, श्री अभय सिंह यादव, एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय सीधे उत्तरदायी है। उक्त अधिकारियों एवं कार्मिकों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय निर्देशानुसार अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 वित्तीय वर्ष 2018-19 दौरान “कृषि एवं तरुपालन ” मद से जनपद की आय “ प्रपत्र संख्या 01 “निजी श्रातो से आय का विवरण” में कुल रु0 4.00 लाख की डिमाण्ड अंकित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त मद में रु0 4.00 लाख की डिमाण्ड की गयी थी जिसकी सापेक्ष मात्र 0.331 लाख की वसूली की जा सकी। स्पष्ट है कि गत वर्ष का उक्त मद में रु0 3.669 लाख बकाया था। जबकि प्रपत्र संख्या 3 जोकि “वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण” के अन्तर्गत गत वर्षों की बकाया की मांग शून्य अंकित है। वर्ष दौरान उक्त मद में रु0 0.66 लाख की वसूली की जा सकी है। “कृषि एवं तरुपालन ” मद में रु0 7.009 लाख का बकाया शेष है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा द्वारा संस्था कार्मिकों पर नियन्त्रण न कर संस्था को कुल 7.009 लाख की हानि पहुचायी गयी। उक्त कार्य में अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा के साथ लेखाकार श्री बृजेश सिंह के साथ राजस्व निरीक्षक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ,श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय ,श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री राम चन्द्र, श्री अभय सिंह यादव, एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय भी सीधे उत्तरदायी है। उक्त अधिकारियों एवं कार्मिकों से अवशेष धनराशि की ब्याज सहित वसूली विभागीय निर्देशानुसार अपेक्षित है।

प्रारूप-2

संस्था का नाम- जिला पंचायत प्रयागराज

जनपद का नाम -प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-1 वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त से निर्माण कार्य हेतु पत्रांक 266 (1 बी) निर्माण/जिला पंचायत/2018-2019 दिनांक 29.05.2018 के द्वारा कार्यों का टेण्डर स्वीकृत किया गया। प्रत्येक कार्य हेतु न्यूनतम तीन टेण्डर डाले गये। निर्माण कार्य स्वीकृत अनुमानित लागत के अनुसार टेण्डर फार्म की विक्री की गई। इस प्रकार 174 कार्यों के (प्रत्येक कार्य हेतु तीन टेण्डर फार्म) टेण्डर फार्म विक्री मूल्य रु0 511842.00 प्राप्त हुआ जिस पर 12 प्रतिशत जी०एस०टी०ए० 61419.00 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तेरहवां वित्त के अन्तर्गत आदेश सं० 3214/33-सेल/2018 दिनांक 23.08.2018 के अनुसार 15 कार्यों का टेण्डर स्वीकृत किया गया जिसमें न्यूनतम 3 टेण्डर डाले गये। 15 कार्यों हेतु (तीन टेण्डर फार्म प्रति कार्य) टेण्डर फार्म का मूल्य रु० 49650.00 प्राप्त हुआ। जिस पर 12 प्रतिशत जी०एस०टी०ए० 5918.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त कुल जी०एस०टी० की धनराशि रु० 67377.00 जिला पंचायत को प्राप्त हुई। जो जिला निधि में जमा रहें। जबकि उक्त जी०एस०टी० की धनराशि जी०एस०टी० खाते में जमा की जानी चाहिए। ऐसा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जो नियम विरुद्ध रहा जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह, ज्येष्ठ लेखाकार श्री कैलाश नाथ पाण्डेय एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री नागेन्द्र कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी रहे। राजकीय राजस्व (जी०एस०टी० की धनराशि रु० 67377.00 जिला निधि खाते से जी०एस०टी० खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2)

प्रस्तर-2 कैश बुक वर्ष 2018-19 के अनुसार अंतिम रोकड़ रु0 706732721.20 दर्शित है। बैंक पास बुक के अनुसार 31.03.2019 को विभिन्न पास बुकों के अग्रिम अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) जिलानिधि -

	बैंक का नाम	खाता संख्या		रकम
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाइन	70010110003436	राज्य वित्त	147147772.93
2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा इलाहाबाद	11075910921	तेरहवां वित्त एवं राज्य वित्त	391535084.68
3	भारतीय स्टेट बैंक शाखा इलाहाबाद	11075911595	जिला निधि	13503284.79
4	विजया बैंक गया कटरा बेली रोड	72201011006066	तेरहवां वित्त	22292776.00

5	एच०डी०एफ०सी० शाखा कटरा	50100140379132	जिला निधि	115560828.06
6	पी०एल०ए० ट्रेजरी इलाहाबाद	844800101		16911377.74
			योग	706732721.20
			कैश बुक के अनुसार अन्तिम रोकड़	
			असमायोजित चेक की धनराशि	218403.00

असमायोजित चेकों का विवरण

(1)	जिला निधि	1	126910 दिनांक 25.05.2017	4095.00
		2	126917 दिनांक 25.05.2017	19200.00
		3	126918 दिनांक 25.05.2017	3840.00
		4	126943 दिनांक 01.07.2017	4800.00
		5	126961 दिनांक 03.08 2017	9259.00
		6	120978 दिनांक 01.00 2017	9600.00
		7	611741 दिनांक 05.06.2018	29216.00
			योग	80010.00
(2)	एस.एफ.सी.	1	904881 दिनांक 30.07.2018	138393.00
			कुल योग	218403.00

उपरोक्त सभी असमायोजित चेकें कालातीत हो चुकी हैं। जिसका भुगतान होना सम्भव नहीं है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि चेक सं० 611741 दिनांक 05.06.2018 श्री चन्द्र मोहन लोधी (चपरासी) का सामुहिक बीमा की धनराशि है। जिसका भुगतान किन कारणों से नहीं हुआ, कारण अपेक्षित है एवं चेक सं० 904881 दिनांक 30.07.2018 धनराशि रु० 138393.00 रायल्टी जमा का चेक है। जो रायल्टी खाता जमा नहीं हो पाया जिसका समायोजन 29.06.2019 को किया गया है। उक्त सभी कालातीत चेकों की धनराशि असमायोजित चेक से प्राप्त रु० 218403.00 आय पक्ष में पकड़कर असमायोजित चेक की धनराशि समाप्त कर दी जानी चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पी०एफ०ए० ट्रेजरी इलाहाबाद में रु० 16911377.74 अनावश्यक धनराशि पड़ी है और प्रतिवर्ष बढ़ रही है। उक्त धनराशि पर जिला पंचायत को कोई ब्याज प्राप्त न होने से लगातार प्रतिवर्ष क्षति हो रही है। कुल धनराशि रु० 16911377.74 में रु० 12082663.00 अनुदान की धनराशि वापस करनी है एवं रु० 4828714.74 जिला निधि की धनराशि है। पी०एल०ए० की समस्त धनराशि स्थानान्तरित कर अनुदान वापसी के साथ जिला निधि की धनराशि जिला निधि खाते में स्थानान्तरित कराया जाना अपेक्षित है। जिला पंचायत की क्षति को देखते हुए इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 3)

प्रस्तर-3 वर्ष 2018-19 में सम्पत्ति एवं विभव कर एवं लाइसेन्स शुल्क वसूली रजिस्टर अनुसार विकास खण्डवार वसूली की स्थिति निम्नवत् रही :-

क्र०	विकास खण्ड का नाम	सम्पत्ति एवं विभव कर वसूली	लाइसेंस की वसूली	योग
1	चाका	569900.00	1008335.00	1578235.00
2	करछना	366400.00	686225.00	1052625.00
3	कौधियारा	123010.00	225995.00	34005.00
4	शकरगढ़	151900.00	135008.00	286908.00
5	जसरा	159150.00	274395.00	433545.00
6	कोरांव	56000.00	114530.00	170530.00
7	मेजा	96000.00	168525.00	264525.00
8	उरुवा	198000.00	440760.00	638760.00
9	माण्डा	79200.00	203155.00	282355.00
10	हण्डिया	78000.00	284575.00	362575.00
11	धनपुर	138430.00	471940.00	610370.00

12	प्रतापपुर	180900.00	474655.00	655555.00
13	सैदाबाद	289700.00	569070.00	858770.00
14	फूलपुर	163400.00	210290.00	373690.00
15	बहादुरपुर	371700.00	1101470.00	1473170.00
16	बहरिया	219900.00	454395.00	674295.00
17	सोरांव	201620.00	337400.00	539020.00
18	कौड़िहार प्रथम	439945.00	1086070.00	1526015.00
19	मऊआइमा	191635.00	286375.00	478010.00
20	होलागढ़	113900.00	167335.00	281235.00
21	कौड़िहार द्वितीय	144000.00	346895.00	490895.00
		4332690.00	9047398.00	13380088.00

यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर के अनुसार वसूली की धनराशि रु0 4332690.00 प्राप्त हुई जिसमें चेक से वसूली की धनराशि अनादृत हुई रु0 72000.00 रही। इस प्रकार सम्पत्ति एवं विभवकर के अनुसार वर्ष 2018-2019 की वास्तविक वसूली रु0 4260690.00 की हुई। कैश बुक के अनुसार सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली रु0 3741045.00 दर्शाया जा रहा है। प्रपत्र 1 निजी स्रोतों से आय का विवरण में वित्तीय वर्ष की कुल वसूली रु0 37.39 लाख दर्शाया गया है। यदि कैश बुक की वसूली ही मान लिया तो भी धनराशि रु0 519645.00 की वसूली कम पकड़ी गयी है। इस प्रकार लाइसेन्स रजिस्टर के अनुसार वसूली की धनराशि रु0 9047398.00 में चेक से प्राप्त धनराशि से रु0 357995.00 का चेक अनादृत रहा। इस प्रकार लाइसेन्स रजिस्टर के अनुसार वास्तविक वसूली रु0 8689403.00 रही जबकि कैशबुक के अनुसार लाइसेन्स शुल्क वसूली की धनराशि रु0 8264755.00 की रही। प्रपत्र 1 निजी स्रोतों से लाइसेंस की आय रु0 82.657 लाख रही। यदि कैशबुक की वसूली मान लिया जाय तो धनराशि रु0. 424648.00 की प्रविष्टि कम रहें। इस प्रकार सम्पत्ति एवं विभवकर एवं लाइसेन्स की कुल कम वसूली रु0 944293.00 रही जिसके लिए सम्बन्धित विकास खण्ड के राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी, सम्बन्धित पटल सहायक, ज्येष्ठ लेकाकार एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-4)

प्रस्तर-4 वर्ष 2018-19 में किराये की दुकानें जो जिला पंचायत से सम्बन्धित हैं पर वर्ष में लगाए गए डिमाण्ड (मांग) के सापेक्ष वसूली की स्थिति निम्नवत रही:

क्र0	स्थान जहाँ दुकाने स्थित है	वर्ष 2018-10 की माँग	वर्ष 2018-19 में वसूली	मांग के सापेक्ष कम वसूली
1	सिरसा	368750.00		368750.00
2	हण्डिया	442500.00	53150.00	389350.00
3	मऊआइमा	59000.00	22000.00	37000.00
4	जिला पंच गेट के पीछे की दुकान	29500.00		29500.00
5	जिला पंचायत गेट पर कैन्टीन	93810.00		93810.00
	योग	993560.00	75150.00	918410.00

इस प्रकार जिला पंचायत की दुकानों की वर्ष 2018-19 की माँग रु0 993560.00 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में वसूली रु0 75150.00 रही। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में माँग के सापेक्ष रु0 918410.00 की वसूली कम करके जिला पंचायत की क्षति की जा रही है जिसके लिए कार्य अधिकारी श्री अभिषेक कुमार सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह उत्तरदायी रहे। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि 31.03.2019 तक उक्त दुकानों पर बकाया किराया रु0 4267478.00 अवशेष रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-5)

प्रस्तर-5 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कर सूची एवं सम्बन्धित पटल सहायकों से प्राप्त सूचना के आधार पर एवं गत वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर निम्न विकास खण्डों के माँग के सापेक्ष वर्ष 2018-19 की सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली एवं बकाया की धनराशि की गणना के आधार पर संस्था को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति का विवरण निम्न रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 की डिमाण्ड नहीं लगी है। इस कारण से गत वर्ष 2017-18 की डिमाण्ड पकड़ी गयी है। जिसका विवरण निम्न रहा :-

क्र0	विकास खण्ड का नाम	01.04.2018 को बकाया	वर्ष 2018-19 के स्थान पर 2017-18	मांग के सापेक्ष वसूली	31.03.2019 को अवशेष कर

			की डिमाण्ड		
1	मेजा	877140.00	419900.00	96000.00	1201040.00
2	माण्डा	1633000.00	1263550.00	79200.00	2817350.00
3	हण्डिया	264830.00	1431760.00	78000.00	1618590.00
4	चाका	3440920.00	2105630.00	569900.00	4976650.00
5	करछना	439300.00	873060.00	366400.00	945960.00
6	कौधियारा	417790.00	723350.00	123010.00	1018130.00
7	शंकरगढ़	607400.00	933900.00	151900.00	1389400.00
8	जसरा	1082710.00	1368960.00	159150.00	2292520.00
9	कोरांव	1011750.00	1267650.00	56000.00	2223400.00
10	उरुवा	788850.00	1263550.00	198000.00	1854400.00
11	धनूपुर	624260.00	801090.00	138430.00	1286920.00
12	प्रतापपुर	1764850.00	1896500.00	180900.00	3480450.00
13	सैदाबाद	677150.00	1086800.00	289700.00	1474250.00
14	फूलपुर	416700.00	890350.00	163400.00	1143650.00
15	बहादुरपुर	1981350.00	2080900.00	371700.00	3690550.00
16	बहरिया	1322550.00	1737850.00	219900.00	2840500.00
17	सोरांव	741775.00	1722730.00	201620.00	2262885.00
18	कौड़िहार प्रथम	672880.00	1220430.00	439945.00	1453365.00
19	मऊआइमा	589555.00	665350.00	191635.00	1063270.00
20	होलागढ़	697850.00	873000.00	113900.00	1456950.00
21	कौड़िहार द्वितीय	300550.00	515000.00	144000.00	671550.00
	योग	20353160.00	25141310.00	4332690.00	41161780.00

इस प्रकार उपरोक्त विकास खण्डों की बकाया वर्ष की माँग के सापेक्ष वसूली के बाद 31.03.2019 को बकाया रु0 41161780.00 रहा। बकाया रु0 20353160.00 एवं वर्ष की माँग रु0 25141310.00 के सापेक्ष वसूली 9 प्रतिशत रही जबकि डिमाण्ड के सापेक्ष 17.23 प्रतिशत रही। इस प्रकार सम्पत्ति एवं विभवकर वसूल न किए जाने के कारण संस्था को क्षति हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारियों के बीच दुःरभि सन्धि के तहत निज हित में संस्था हित की घोर उपेक्षा की जा रही है। जिसके लिए सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ संस्था के कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी एवं तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-6)

प्रस्तर-6 सी०पी० कर एवं लाइसेन्स वसूली रजिस्टर के अनुसार लाइसेन्स वसूली वर्ष 2018-19 में चेक के माध्यम से की गयी थी। लेकिन वर्षान्त तक चेक भुगतानित न हो सका और न बाद में लाइसेन्स धारकों से नकद या चेक के माध्यम से उक्त धनराशि प्राप्त की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि वसूली बढ़ाने हेतु इस प्रकार की चेकें प्राप्त की गयी। ये भी सम्भव है कि बाद में धनराशि नकद प्राप्त कर ली गयी हो। लेकिन वसूली में धनराशि न आयी हो। उक्त बाउन्स हुए चेकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	दिनांक	चेक नं० एवं दिनांक		चेक की धनराशि	फर्म/संस्था का नाम	राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी
1	27.04.2018	4095	27.04.2018	4020.00	मोहन फिलिंग स्टेशन, झूसी	श्री विमल कुमार चौधरी
2	11.06.2018	017	10.06.2018	11405.00	काजल ब्रिक फील्ड	श्री राजेश कुमार तिवारी
3	21.06.2018	367763	21.06.2018	28205.00	जनता ब्रिक फील्ड रसूलपुर	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
4	20.07.2018	850904	09.07.18	28405.00	सम्राट ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार दूबे
5	20.08.2018	048	16.08.18	13210.00	राधा कृष्ण ईट उद्योग	श्री विमल कुमार चौधरी
6	20.09.2018	0167	15.09.18	27205.00	जय मां शारदा ईट उद्योग	श्री सतीष कुमार उपाध्याय
7	20.09.2018	00180	19.09.18	10005.00	बाबा राजाराम ब्रिक फील्ड	श्री प्रभात कुमार शुक्ला
8	12.11.2018	0233871	31.10.18	10210.00	संजीव ईट उद्योग	श्री विमल कुमार चौधरी

9	12.11.2018	0028	29.10.18	10405.00	राज ईट उद्योग	श्री राजेश कुमार तिवारी
10	10.12.2018	0024	29.04.18	10610.00	ओम साई ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार शुक्ला
11	31.12.2018	0076	28.12.18	10610.00	एस0एस0के0 ईट उद्योग	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
12	31.12.2018	0526	28.12.18	29610.00	नीलकण्ठ इण्टरप्राइजेज	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
13	11.01.2019	0611098	04.01.19	17210.00	आर0एन0एस0 ब्रिक फील्ड	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
14	11.01.2019	0003	15.01.19	10810.00	संतोष ब्रिक फील्ड	श्री प्रभात कुमार दूबे
15	12.01.2019	591895	11.01.19	12405.00	यदुवंशी ईट उद्योग	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
16	21.01.2019	00163	19.01.19	10810.00	गरीब नवाज ब्रिक फील्ड	श्री राजेश कुमार तिवारी
17	23.01.2019	00228	23.01.19	10810.00	प्रयाग ब्रिक फील्ड	श्री विमल कुमार चौधरी
18	11.02.2019	046222	31.01.19	11005.00	बजरंग ईट उद्योग	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
19	20.02.2019	332219	19.02.19	11010.00	जय मां ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार दूबे
20	20.02.2019	881061	18.02.19	11205.00	अमन ईट उद्योग	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
21	11.03.2019	00134	05.03.19	11205.00	दीपक एण्ड कम्पनी	श्री सतीष कुमार उपाध्याय
22	11.03.2019	859638	25.02.19	11205.00	शिव ब्रिक फील्ड	श्री प्रभात कुमार दूबे
23	11.03.2019	00211	11.03.19	11205.00	इण्डिया ब्रिक फील्ड	श्री प्रभात कुमार दूबे
24	11.03.2019	005	06.03.19	11205.00	विराट ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार दूबे
25	11.03.2019	660286	05.02.19	11205.00	शारदा ब्रिक फील्ड	श्री प्रभात कुमार दूबे
26	19.03.2019	332222	19.03.19	11605.00	जय मां ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार दूबे
			योग	357995.00		

उक्त समस्त धनराशि न वसूलने हेतु सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०- 7)

प्रस्तर-7- सी०पी०कर के अन्तर्गत वसूली रजिस्टर में वर्ष 2018-19 में निम्नांकित फार्मों से चेके प्राप्त की गयी थी। लेकिन उक्त चेकों का भुगतान वर्षान्त तक न हो सका। और न तो बाद में फार्मों से उक्त धनराशि नकद अथवा चेक के माध्यम से प्राप्त की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि सी०पी०कर वसूली बढ़ाने हेतु इस प्रकार का चेक प्राप्त किया गया। जिसका विवरण निम्न रहा :-

क्र०सं०	दिनांक	चेक नं० एवं दिनांक	चेक की धनराशि	फर्म/संस्था का नाम	राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी
1	20.02.2019	446959 21.07.18	6000.00	पटेल ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार दूबे
2	11.03.2019	00129 08.09.18	6000.00	रघू ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार दूबे
3	11.03.2019	00535 18.09.18	12000.00	इण्डिया ब्रिक फील्ड	श्री प्रभात कुमार दूबे
4	11.03.2019	046221 17.01.19	12000.00	बजरंग ईट उद्योग	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
5	11.03.2019	502631 24.01.19	6000.00	राजीव ज्योति	श्री प्रवीण प्रकाश
6	11.03.2019	046227 10.02.19	12000.00	बजरंग ईट उद्योग	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
7	19.03.2019	503479 15.03.19	18000.00	जय मां लक्ष्मी ईट उद्योग	श्री प्रभात कुमार दूबे
		योग	72000.00		

यहाँ ये उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.01.2019 चेक सं० 046221 दि० 17.01.2019 धनराशि रु० 12000.00 बजरंग ईट उद्योग से श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा चेक लिया गया था जो बाउन्स हो गया था। महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा बजरंग ईट उद्योग से पुनः दिनांक 11.02.2019 को चेक सं० 046227 दिनांक 10.02.2019 धनराशि रु० 12000.00 का चेक लिया गया जो पुनः बाउन्स हो गया। इस प्रकार काल्पनिक वसूली बढ़ाने हेतु इस प्रकार का चेक लिया गया है। बाउन्स चेकों के खिलाफ कोई वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-8)

प्रस्तर 8-आलोच्य वर्ष 2018-19 में निम्नांकित ईट भट्टे जो निम्न विकास खण्ड से सम्बन्धित है लाइसेन्स रजिस्टर के अनुसार ईट भट्टों की संख्या एवं उनके सापेक्ष वसूली एवं अवशेष का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	विकास खण्ड नाम	ईट भट्टों की संख्या	ईट भट्टों से वसूली की संख्या		वसूली से वंचित ईट भट्टों की सं०
1	मेजा	1	01		00
2	माण्डा	19	07		12
3	उरुवा	30	23		07
4	जसरा	11	09		02
5	चाका	96	60	08 बन्द है।	28
6	करछना	48	35		13
7	कौधियारा	11	04		07
8	हण्डिया	23	09		14
9	धनूपुर	43	25		18
10	सैदाबाद	62	20		42
11	फूलपुर	15	11		04
12	बहादुरपुर	69	38	16 बन्द है।	15
13	बहरिया	55	33	08 बन्द है।	14
14	सोरांव	19	07		12
15	मऊआइमा	11	03		08
16	होलागढ़	11	03	03 बन्द है।	05
17	कौड़िहार प्रथम	73	48	05 बन्द है।	20
18	कौड़िहार द्वितीय	21	00		21
19	प्रतापपुर	23	08		15
		641	344	40 बन्द है।	257

सम्बन्धित विकास खण्डों के समस्त राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा 641 ईट भट्टों में से मात्र 344 ईट भट्टे से वसूली (लाइसेंस कर) की गयी साथ ही लाइसेन्स रजिस्ट्रार पर 40 ईट भट्टों को बन्द दर्शाया गया है। इस प्रकार 257 ईट भट्टे से लाइसेन्स शुल्क की वसूली (प्रत्येक ईट भट्टे से रु० 10005.00 × 257 = 2571285.00) रु० 2571285.00 न करके जिला पंचायत की क्षति की गयी है। चूँकि ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली निजी स्रोतों से आय का एक महत्वपूर्ण भाग है जिस ओर विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में रु० 2571286.00 वसूल न करने के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आरएन सिंह सम्बन्धित विकास खण्ड के राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक एवं कर अधिकारी श्री धमेन्द्र कुमार तिवारी जिला पंचायत की क्षति के लिए उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 9)**

प्रस्तर- 9 वर्ष 2018-19 में निम्नांकित विकास खण्डों में स्थित पेट्रोल/डीजल एजेंसियों की संख्या एवं उनसे वसूली (लाइसेन्स शुल्क) की स्थिति का विवरण निम्नवत् दर्शित है:

क्र०	विकास खण्ड का नाम	रजिस्टर्ड डीजल पेट्रोल एजेंसियों की संख्या	डीजल पेट्रोल एजेंसियों की संख्या जिनसे वसूली हुई		अवशेष डीजल पेट्रोल एजेंसियों की संख्या जिनसे वसूली नहीं की गयी
1	मेजा	09			09
2	माण्डा	04			04
3	हण्डिया	07			07
4	चाका	14	09		05
5	करछना	04			04
6	कौधियारा				
7	शंकरगढ़	03	03		
8	जसरा	09			09
9	कोरांव	06			06
10	उरुवा	04			04

11	धनूपुर	02	02		
12	प्रतापपुर	03	03		
13	सैदाबाद	04			04
14	फूलपुर	08	08		01
15	बहादुरपुर	13	11	01 बन्द है	01
16	बहरिया	03	03		
17	सोरांव	12	09		03
18	कौड़िहार प्रथम	05	04		01
19	मऊआइमा	07	07		
20	होलागढ़	04	02		02
21	कौड़िहार द्वितीय	13	10	02 बन्द है	01

सम्बन्धित विकास खण्डों के समस्त राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा विकास खण्डों में 150 डीजल/पेट्रोल एजेन्सियों में से 73 एजेन्सियों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है एवं 03 एजेन्सियां बन्द दर्शायी जा रही है। डीजल/पेट्रोल एजेन्सियों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली निजी स्रोत से आय का एक बड़ा भाग है। ऐसी स्थिति में 74 डीजल/पेट्रोल एजेन्सियों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके (डीजल/पेट्रोल एजेन्सी से $4020.00 \times 74 = ₹ 297480.00$ की क्षति जिला पंचायत की गयी है। जिला पंचायत की उक्त क्षति के लिए तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एस०न०सिंह, सम्बन्धित विकास खण्ड के राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक एवं कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-10)

प्रस्तर- 10 वर्ष 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में मेट एवं बेलदार को नीचे दर्शित कार्यों हेतु भुगतान किया जाना कोषवर्ही दर्शित है। सम्बन्धित कार्य पर मेट/बेलदार के भुगतान की पुष्टि हेतु मस्टर रोल प्रस्तुत किए गए हैं। उन मस्टररोलों पर भी मेट/बेलदार के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है

क्र०	कार्य का नाम	मस्टर रोल सं०	चेक सं०	दिनांक	भुगतानित धनराशि एवं अन्य विवरण	
1	मेजा भटौती सम्पर्क मार्ग	5908	611724	28.05.18	45900.00	मस्टर रोल पर मेट/बेलदार के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं
2	कुंवर पट्टी से रैमुरा सम्पर्क मार्ग	5909	611724	28.05.18	48375.00	
3	मस्टर रोल पर कार्य का नाम अंकित नहीं है।	5911	611773	20.07.18	100620.00	
4	मस्टर रोल संलग्न नहीं होने के कारण कार्य का नाम इंगित नहीं	5912	879244	27.08.18	50310.00	
5	मस्टर रोल संलग्न नहीं होने के कारण कार्य का नाम इंगित नहीं	5913	04035	06.10.18	48375.00	
6	मस्टर रोल संलग्न नहीं होने के कारण कार्य का नाम इंगित नहीं		04041	17.10.18	44505.00	
					338085.00	

ऐसा लगता है कि कार्य एम०बी० मनमाने ढंग से करके मनमाने ढंग से मस्टर रोल का भुगतान किया गया। जिसके लिए अवर अभियन्ता श्री राज सिंह अभियन्ता जिला पंचायत श्री राकेश कुमार यादव एवं

लेखाकार श्री कैलाश नाथ पाण्डेय एवं तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-11)

प्रस्तर-11 वर्ष 2018-19 में अपर मुख्य अधिकारी हेतु वाहन सं० यू०पी० 91 एल-8541 दिनांक 01.05.2018 को की गयी यात्रा के पूर्व गाड़ी की रीडिंग 00651 किमी० अंकित था। वर्ष 2018-19 में जितनी यात्रा की गयी है। उसमे केवल किलोमीटर दर्शाया गया है। गाड़ी की रीडिंग पूरे वर्ष एवं वर्ष के अन्त में भी अंकित नहीं किया गया है। गाड़ी का औसत एवं डाले गये डीजल से जो यात्रा दर्शायी गयी है उसका भी कोई तालमेल नहीं है। जिसका विवरण निम्न है :-

माह	तिथि	यात्रा की दूरी	डीजल की मात्रा	यात्रा का उद्देश्य
मई 2018	1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 23, 28, 29 एवं 30.05.2018	1029 कि०मी०	112.26 लीटर	प्रत्येक दिवस में निर्माण कार्य का निरीक्षण दर्शित है।
जून 2018	4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 28, 29.6.18	1889 कि०मी०	201.21 लीटर	
जुलाई 2018	2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30.7.18	1689 कि०मी०	183.57 लीटर	
अगस्त 2018	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31	2093 कि०मी०	231.74 लीटर	
सितम्बर 2018	1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29,	2153 कि०मी०	224.42 लीटर	
अक्टूबर 2018	1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 30, 31	2394 कि०मी०	246.56 लीटर	
नवम्बर 2018	2, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20, 22, 26, 28, 29	1597 कि०मी०	192.99 लीटर	
दिसम्बर 2018	1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,	2134 कि०मी०	231.55 लीटर	
जनवरी 2019	1, 6, 8, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 30	1593 कि०मी०	163.9 लीटर	
फरवरी 2019	6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	2317 कि०मी०	248.83 लीटर	
मार्च 2019	1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30	2679 कि०मी०	287.8 लीटर	
		21567 कि०मी०	2324.83 लीटर	

गाड़ी का औसत 10 किमी० प्रति लीटर हैं। इस प्रकार 21567 कि०मी० की यात्रा के लिए 2156.70 लीटर डीजल प्रयुक्त होना चाहिए जबकि 2324.83 लीटर डीजल प्रयुक्त किया गया। अतः 160.13 लीटर डीजल अधिक प्रयुक्त किया गया जिसका दर 67.90 प्रति लीटर से रु० 11416.00 की जिला पंचायत की क्षति की गयी। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य अधिकारी/अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा काफी यात्राएँ द्वितीय शनिवार एवं राजकीय अवकाशों जैसे इदुलफितर एवं होली आदि में की गयी है जिसका विवरण निम्न है-

दिनांक	यात्रा हेतु तय की गयी दूरी	यात्रा किसके द्वारा की गयी
9 जून द्वितीय शनिवार	235	अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता
16 जून ईडुल फितर	138	अभि० जिला पंचायत
8 सितम्बर द्वितीय शनिवार	96	अभि० जिला पंचायत
13 अक्टूबर द्वितीय शनिवार	93	अभि० जिला पंचायत
8 दिसम्बर द्वितीय शनिवार	93	अपर मुख्य अधिकारी
9 फरवरी द्वितीय शनिवार	189	अभियन्ता जिला पंचायत
20 मार्च होलिका दहन	138	अभियन्ता जिला पंचायत
21 मार्च होली	92	अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता
	1074	

इस प्रकार 1074 कि०मी० की गयी यात्रा संदिग्ध प्रतीत होती है जिसके लिए 107.40 लीटर डीजल अनावश्यक कन्ज्यूम दर्शाकर जिला पंचायत $(107.40 \times 67.90) = 7292.00$ रुपये की क्षति की गयी है। इस

प्रकार अधिक डीजल प्रयुक्त कर रु० 11416.00 एवं राजकीय दिवसों में यात्रा करके कुल रु० 1870.00 की जिला पंचायत की क्षति की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माह जनवरी एवं फरवरी 19 में अपर मुख्य अधिकारी / अभियन्ता जिला पंचायत की ड्यूटी माघ मेला कन्ट्रोल रूम में लगी थी। फिर भी यात्राएँ की गयी हैं। अतः धनराशि रु० 18708.00 की क्षतिपूर्ति अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन०सिंह, अभियन्ताजिला पंचायत श्री राकेश कुमार यादव एवं श्री एस० के० श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं०- 12)

प्रस्तर-12 वर्ष 2018-19 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला पंचायत प्रयागराज तथा शासन द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर जो निर्माण कराये गये हैं। उनमें अधिकतर निर्माण कार्य पंचायत अन्तर्गत कराये गए हैं जिसका विवरण निम्न है:-

क्रम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि लाख में	व्यय धनराशि एवं कार्य की स्थिति
1	ग्राम पंचायत बदौआ में पी०डब्लू०डी० की सड़क से लोटर की घर की ओर इण्टर लाकिंग	9.95	9.92 पूर्ण
2	लवायन टिकुरी में इण्टर लाकिंग	16.00	15.96 पूर्ण
3	ग्राम पंचायत बैरी में दीना नाथ पाल के घर से नहर की पुलिया की ओर इण्टरलाकिंग काय	9.75	9.73 पूर्ण
4	ग्राम पंचायत बरहाकला में बरहाकला लिंग मार्ग अमृत लाल पटेल के घर से करन का तारा मुसलमान एवं यादव बस्ती की ओर पक्की सड़क की ओर पी०सी०कार्य	9.75	9.72 पूर्ण
5	सत्येवरा गांव में बिन्दा कशरी के घर से बस्ती की ओर इण्टर लाकिंग कार्य।	8.00	7.96 पूर्ण
6	ग्राम मनया सी०सी० रोड से श्री राम सूचित द्विवेदी ली के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	8.30	8.27 पूर्ण
7	ग्राम सभा शिवरामपुर में श्रीराम दर्शन के घर से शिव मोहन सिंह के चक की ओर पी०सी० एवं पुलिया निर्माण	9.90	9.68 पूर्ण
8	ग्राम पंचायत महाराजगीर देवा में रणजीत सिंह के डेरी से सुरेश सिंह के घर होते हुए वंश पंति के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	9.70	9.64 पूर्ण
9	ग्राम कपूरी में मुख्य सड़क से मजार होते हुए नवाब के पर की ओर पी०सी० कार्य	9.75	9.71 पूर्ण
10	गोसाई के पुरा में इण्टर लाकिंग कार्य	9.80	9.50 पूर्ण
11	ग्राम सभा निरीया में जटाशंकर यादव के घर से बाघम्बरी मठ तक लेपन कार्य।	3.70	3.65 पूर्ण
12	ग्राम पंचायत भरारी -1 के राजस्वग्राम भरुही में नहर से उलित बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य	9.90	9.89 पूर्ण
13	ग्राम पंचायत महुआरी कला में रासम बहादुर पटेल की दुकान से लालता प्रसाद कुशवाहा के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	9.75	9.72 पूर्ण
14	ग्राम शीकीकला में कुशवाहा बस्ती से प्रजापति बरती की ओर पी०सी० कार्य	9.95	9.84 पूर्ण
15	ग्रामसभा घाव में श्रीपति पाल के घर से त्रिवेणी पाल के घर की ओर सम्पर्क मार्ग इण्टर लाकिंग कार्य	9.95	9.92 पूर्ण
16	ग्राम सभा मागपुर बीरेन्द्र सिंह के घर से मुन्ना सिंह के बगीचे की ओर इण्टर लाकिंग कार्य।	9.90	9.73 पूर्ण
17	ग्राम पंचायत गोती गांव में विजय शंकर पाण्डेय के घर से मन्दिर तक एवं राजा पाण्डेय के घर से अशोक	10.90	10.86 पूर्ण

	पाण्डेय की घर तक इण्टर लाकिंग कार्य			
18	ग्राम पंचायत माण्डा खास में हृदय नारायण्य द्विवेदी के घर से प्रेम बिहारी मिश्रा के घर की ओर इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण	9.98	9.66	पूर्ण
19	ग्राम सभा साड़ी में मुशहर बस्ती से अमृत लाल के घर की ओर नाली निर्माण	9.90	9.80	पूर्ण
20	जगौती में इण्टर लाकिंग कार्य	9.75	9.63	पूर्ण
21	ग्राम पंचायत राजापुर जगन्नाथ के दुकान से स्कूल की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	9.75	9.73	पूर्ण
22	ग्राम गीवा जीह में प्रयोग चौहान के घर से दिनेश के घर तक पेन्टिंग कार्य	3.80	3.74	पूर्ण
23	ग्राम सभा रेहथू में रेहथू सम्पर्क मार्ग से सन्त लाल यादव प्रधान के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9.75	9.55	पूर्ण
24	ग्राम सभा बिहका में पुरानी इण्टर लाकिंग के आगे इण्टर लाकिंग	9.20	9.03	पूर्ण
25	ग्राम पंचायत बेला में चौहान राजेन्द्र सिंह के घर से काली रोड तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण	6.80	6.75	पूर्ण
26	ग्राम कुदर में राजेन्द्र सिंह के घर से सड़क तक इण्टर लाकिंग कार्य	9.75	9.73	पूर्ण
27	ग्राम सभा देवरिया में ब्रह्म बाबा के चौराहे से मन्दिर की इण्टर लाकिंग कार्य	9.50	8.94	पूर्ण
28	ग्राम सभा छीड़ी मजरा गोदलापुर में इण्टर लाकिंग कार्य	9.00	8.97	पूर्ण
29	ग्राम सभा सराय मंशूर में कमला प्रसाद भारतीय के घर से कैलाश पटेल के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	7.00	6.96	पूर्ण
30	ग्राम खाई कल्याण साहब का पुरा में सत्यानन्द पाण्डेय के घर होते हुए मुस्लिम बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	13.00	12.96	पूर्ण
31	ग्राम पंचायत अरैक नयी बस्ती में गंगाराम पाल के घर से द्विवेदी जी के घर के पास तक इण्टर लाकिंग कार्य	9.00	9.95	पूर्ण
32	ग्राम सभा चिरौड़ा में अनिल कुमार के घर से जगदीश सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	7.40	7.12	पूर्ण
33	ग्राम गुरुदत्त का पुरा में रंगलाल यादव के घर से ब्राह्मण बस्ती की तरफ इण्टर लाकिंग कार्य	9.30	9.22	पूर्ण
34	ग्राम सभा द्विली का पुरा शिवमुरत धोबी के घर से चाई हरिजन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	18.19	18.17	पूर्ण
35	ग्राम जमोली में गजराज सिंह के घर से सरकारी नलकूप की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	10.80	10.05	पूर्ण
36	ग्राम धनुपुर में मोर्या बरती से किरौँव बस्ती की ओर इण्टर लाकिंग कार्य ।	5.39	5.36	पूर्ण
37	ग्राम पंचायत अरैल में काली सड़क से तेज बहादुर के घर तक नया इण्टर लाकिंग कार्य	9.15	9.10	पूर्ण
38	ग्राम सभा बरौत में राजाराम के घर के बगल से संजीवन भारतीया के घर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	13.20	12.63	पूर्ण
39	ग्राम नासिर पट्टी में शेष नन्द यादव बी०डी०सी० के घर तक अवशेष इण्टर लाकिंग	10.00	9.98	पूर्ण

40	ग्राम सभा असरावलकला में जहीर पेटोल पम्प से सन्तोष गुप्ता के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	17.80	17.80	पूर्ण
41	ग्राम सभा आंबा में आंबा में रामसागर पाण्डेय के घर से राम भवन ओझा के घर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	13.50	13.42	पूर्ण
42	आमा में राम सागर के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	9.75	9.69	पूर्ण
43	ग्राम पंचायत अरायई में अरविन्द कोटेदार के घर शिवराम के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	9.00	8.83	पूर्ण
44	मकनपुर में राम विशाल के घर से पासी बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य	9.98	9.97	पूर्ण
45	ग्राम सभा भीटी में उप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से राम सिरोमणि के घर की ओर पेंटिंग मरम्मत कार्य	14.60	14.52	पूर्ण
46	ग्रामसभा विरभानपुर में पक्की सड़क से बाजार की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	12.80	7.48	पूर्ण
47	ग्राम सभा बतौर में उमा यादव के घर से राजेश यादव के घर होते हुए सरकारी ट्यूबवेल की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	13.30	7.18	अपूर्ण
48	प्रतापपुर ग्राम में हरिजन बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य	14.80		अपूर्ण
49	ग्राम सभा बिरगापुर में काली सड़क से बजरंगी के घर होते हुए राम नाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	8.80	5.41	अपूर्ण
50	ग्राम पंचायत वृरदीहा नाथू राम मास्टर के घर के बगल से मौजी लाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	4.50	3.30	अपूर्ण
		503.39	468.33	

शासन के शासनादेश सं० 4 / 866 / 33-2-14-93 जी / 2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें सबसीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करेगी अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय। इसी शासनादेश में जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराया जायेगा। इसका उल्लंघन शासनादेश 8307/33-2-2004-93जी०/2004 दिनांक 12.01.2015 के निर्देशों का उल्लंघन है। पुन. पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश 1838/33-2-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी एवं जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु० 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाएँ ही अधिकांश रूप में अपने कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी। पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 5837/33-2-2017-122जी/17 दिनांक 20.12.2017 द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत द्वारा गाँव के अन्दर कार्य नहीं कराया जायेगा अगर ऐसा किया जाता है तो उसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त सभी शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत राज द्वारा रु 503.39 लाख की योजनाएँ गाँव सभा के अन्दर की स्वीकृत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।। (मूल आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर-13 वर्ष 2018-19 में अपर मुख्य अधिकारी हेतु हन सं० यू०पी० 91 एल-8541 दिनांक 01.05.2018 से सम्बद्ध की गयी थी। दिनांक 01.05.2018 को की गयी यात्रा के पूर्व गाड़ी की रीडिंग 00651 कि०मी० अंकित था। वर्ष 2018-19 में जितनी यात्रा की गयी है उसमें केवल किलोमीटर दर्शाया गया है, गाड़ी की रीडिंग पूरे वर्ष एवं वर्ष के अन्त में भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसा करने से प्रतिमाह की गयी निजी यात्रा में भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसा करने से प्रति माह की गयी निजी यात्रा को छिपा लिया गया है। जिससे

शासनादेश सं० 12017-सी०ए०-400/ दस- 2017- मित०-1 / 2017 दिनांक 24 सितम्बर 2017 के अनुसार जिसको शासकीय वाहन आवंटित है, 200 कि०मी० प्रति माह तक निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रतिमाह प्रतिवाहन कार के लिए 1000.00 एवं जीप के लिए रु० 800.00 जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। चूँकि अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह द्वारा मई 18 से मार्च 19 तक एवं आगे तक भी गाड़ी उपयोग किया गया है लेकिन उनके वेतन से रु० 800 प्रतिमाह की दर से 11 माह की कटौती रु० 8800. 00 नहीं की गयी है। अतः रु० 8800.00 की ब्याज सहित वसूली श्री आर०एन० सिंह अपर मुख्य अधिकारी से करके राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-15)

प्रारूप-2
जिला पंचायत
वर्ष 2018-19
जनपद- चन्दौलीमण्डल- वाराणसी
जिला पंचायत चन्दौली
वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-1 संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में लेबर सेस मद में कुल रु० 1834567.00 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा दर्शित है किन्तु सम्बन्धित विभाग से इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी है। जमा की पुष्टि न कराये जाने के प्रति लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 मनरेगा योजना की पत्रावलियां/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहीं। संस्था द्वारा तैयार किये गये विवरण के अनुसार वर्ष 18-19 में कुल स्वीकृत लागत रु० 118532000 में से रु० 71870200 अवमुक्त रहा जिसके सापेक्ष रु० 57138426 का ही कार्य कराया शेष दि० 31.03.2019 को रु० 14733870 अवशेष रहा। इसी प्रकार गत वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि रु० 88412900 रही, जिसके सापेक्ष रु० 78808556 का ही कार्य कराया शेष दि० 31.03.2019 तक रु० 9604344 अवशेष रहा। इस प्रकार वर्षान्त में दि० 31.03.2019 को मनरेगा मद का रु० 24338214.00 रहा। समय से कार्य न कराकर शासकीय धन को रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री सुजीत कुमार मिश्र उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 के सी०पी० टैक्स निर्धारण पंजी की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण के उद्देश्य से जिन मदों/व्यवसायों की प्रविष्टि की गयी थी उनमें मदिरा व्यवसाय भी सम्मिलित था। लेखा परीक्षा में बताया गया कि मदिरा दुकानों की सूची आबकारी विभाग से प्राप्त कर ली गयी है। आबकारी विभाग चन्दौली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में 217 दुकानें संचालित थीं। जिला पंचायत द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार मदिरा दुकानों की न्यूनतम कर योग्य आय रु० 2.00 लाख वार्षिक आंकलित की गयी। अतः वर्ष 2018-19 में इन दुकानों से सी०पी० टैक्स मद में निम्न विवरण के अनुसार न्यूनतम रु० 1302000.00 निजी राजस्व की क्षति हुई-

- 1- जनपद में स्थित दुकानों की संख्या- 217
- 2- कर योग्य आय प्रति दुकान- रु० 200000.00
- 3- 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित सी०पी० टैक्स प्रति दुकान - रु० 6000.00
- 4- सी०पी० टैक्स आरोपण योग्य धनराशि (217×6000)- रु० 1302000.00

इस प्रकार मदिरा दुकानों पर सी०पी० टैक्स निर्धारण न होने के कारण संस्था को रु० 1302000.00 के राजस्व की क्षति हुई जिस अनियमितता के प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री सुजीत कुमार मिश्र उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-2

नाम संस्था-जिला पंचायत	जनपद-गाजीपुर	सम्भाग-वाराणसी

प्रस्तर-1 दिनांक 01.04.18 को दुकान किराया रजिस्टर के अनुसार जिला पंचायत गाजीपुर के दुकानों का बकाया किराया 472068.00 दर्शित था। आलोच्य वर्ष का किराया डिमाण्ड रु0 421738.00 एवं कुल बकाया 893806.00 रुपये के सापेक्ष मात्र 512521.00 रुपये की वसूली हुई तथा दिनांक 31.03.19 की बकाया किराया 381285.00 रुपये अवशेष रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेश कुमार जिम्मेदार है। अवशेष किराया की अतिशीघ्र वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 संस्था द्वारा मकान किराया रजिस्टर के अतिरिक्त अनुबंध किरायानामा, आवंटन की तिथि एवं अवधि, किराया की शर्तें, जमानत की धनराशि एवं वसूली हेतु कृत कार्यवाही की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। दुकान में किराये में प्रति तीन वर्ष बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि (शासनादेश संख्या 6336/3373-97-185 जी/97दि0 17.12.97 के प्रस्तर-6) नहीं करके संस्था को क्षति पहुंचाई गयी। आलोच्य वर्ष की मांग किराया रजिस्टर के अनुसार- 421738 रु0।

शासनादेश के अनुसार (25 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त) मांग- 527172 रु0।

संस्था द्वारा कम लगाई गई मांग- 105434 रु0।

इस प्रकार किराये में शासनादेशानुसार वृद्धि न करके संस्था को 105434 रु0 की क्षति पहुंचाई गयी जिसके लिए कर अधिकारी श्री बालेश्वर यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेश कुमार जिम्मेदार है। शासनादेश का पालन कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 जिला पंचायत के निजी स्रोतों से प्राप्त आय में वृद्धि के स्थान पर कतिपय मदों में कमी लाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। निजी स्रोतों के विभिन्न मदों की वसूली तालिका के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि लाइसेन्स फीस, सार्व0 नौकाघाट व पशु शव निस्तारण मद में अपेक्षाकृत (विगत वर्ष) कम वसूली की गयी है जो कि संस्था के हितों के विपरीत है।

क्र0सं0	मद का नाम	गतवर्ष की वसूली	वर्ष में वसूली	गतवर्ष की अपेक्षा कम वसूली
1	लाइसेन्स	4304636	3723857	580779
2	नौकाघाट	93302	40993	52302
3	पशु शव	110650	55884	54776
	योग			687857

संस्था द्वारा वसूली को वर्ष के मांग व बकाया के सापेक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया है।

नियमानुसार वर्ष की मांग का 30 प्रतिशत एवं बकाया के सापेक्ष 80 प्रतिशत से कम की वसूली नहीं की जानी चाहिए। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा नियमानुसार वसूली नहीं की जा रही है। उपरोक्त दर्शित मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष 687857.00 रुपये की कमी लाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेश कुमार की है। क्षति की भरपायी उत्तरदायी व्यक्ति से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष में दिनांक 13.03.18 को कैशबुक में रु0 372998734.04 रोकड़ शेष के रूप में दर्शित है। बैंक पासबुकों के अनुसार बैंक जमा कुल 387790012.43 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 14791278.39 का अंतर रहा। अन्तर के समाधान हेतु निम्न तथ्य दिये गये हैं-

क- असमायोजित चेके (+) 14689863.00

ख-1 बैंक चार्ज (2482)

2 धन जो पासबुक में आया किन्तु कैशबुक में नहीं आया (16048.50) 43530.50

3 धन जो पासबुक में आया किन्तु कैशबुक में नहीं आया (24000.00)

ग-अन्तर जिसका समाधान अभी भी नहीं निकाला गया 144945.89

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि रोकड़ बही एवं बैंक अवशेषों के बीच के अन्तर (14791278.38) का समाधान होना अभी भी बाकी है। उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क- संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्र मानक के अनुसार तैयार नहीं किया गया है।

ख- अन्तर की धनराशि में से रु0 144945.89 का समाधान लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।

ग- बैंक जमा शेष की पुष्टि बैंक प्रमाण पत्र द्वारा नहीं करायी गयी।

घ- बैंक चार्ज की प्रविष्टि कैशबुक में न किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

ड.— अनकैश चेकों के विवरण में चेकों के कैश होने (समायोजित होने की तिथियों का कोई उल्लेख नहीं है। नियमानुसार अंतर की धनराशि 14791278.39 की पुष्टि न कराये जाने के जिम्मेदार श्री सुरेश कुमार अ0मु0अ0 एवं लेखाकार श्री मुन्ना यादव है। उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—5 आलोच्य वर्ष (2018—19) में जिला पंचायत गाजीपुर के अनुदान सम्बन्धी प्राप्ति, व्यय न अवशेष की स्थिति इस प्रकार है —

	मद	प्रा0शेष	प्राप्त अनुदान	व्यय/प्रतिशत	अवशेष
1	शासकीय अनुदान	383591285.00	319348100.00	362969263.00	309839549
	आयोजनेत्तर व्यय			30130573.00	
	योग	383591285.00	319348100.00	393099836.00	309839549

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा वर्ष में प्राप्त व विगत वर्ष के अवशेष, अनुदान को मिलाकर कुल उपलब्ध धन 702939385.00 में से मात्र 55.92 प्रतिशत धन (अर्थात् 393099836.00) ही आलोच्य वर्ष में उपभोग किया गया है। यह स्थिति निर्माण कार्य के प्रति संस्था की उदासीनता का द्योतक है। वर्षान्त के प्रारम्भ में भी 3836 लाख अनुपयोगित पड़ा रहा। वर्ष आलोच्य में इस हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गयी। अनुदान की धनराशि रोके रखे जाने के कारण न केवल स्थापित श्रमिकों हेतु रोजगार का सृजन ही कम होते हैं, अपितु वांछित विकास की दर ही कम हो जाती है।

उपरोक्त के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्षान्त में शेष अनुदान 309839549.00 को रोक रखा गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव शासन के शासनादेश सं0 बी-1-1197/दस-1999/दि0 30.03.1999 का अनुपालन न कराने हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेश कुमार जिम्मेदार है। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-02

जिला पंचायत—जौनपुर

जनपद—जौनपुर

वर्ष—2018—19

प्रस्तर —1 वर्ष 2018—19 में अप्रैल 2018 गैंग वेतन के रूप में रू0 181088.00 का भुगतान मस्टररोल बनाकर किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

आपत्तियाँ:—

- (1) मस्टररोल पर प्रत्येक मजदूर / गैंगमैन को 26 दिन की ही हाजिरी दिखायी गयी तो क्या वर्ष में राजकीय अवकाश या गैंगमैन की स्वयं द्वारा ली गयी कोई छुट्टी नहीं रही।
- (2) गैंगमैन द्वारा केवल एक कार्य सड़कों के किनारे मिट्टी कार्य दिखाया गया है। जिसकी कोई कार्य योजना, फाइल स्वीकृति इत्यादि नहीं रखी गयी है।
- (3) प्रत्येक मस्टररोल भुगतान तिथि को ही एक साथ एक ही राइटिंग एवं पेन से लगभग बनाये गये हैं जो संदिग्ध प्रतीत होता है।
- (4) गैंग मैनों के कार्यों की देख-रेख एवं उपस्थिति किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित नहीं है।
- (5) पटरी मरम्मत कार्य जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों का किया गया है या अन्य सड़कों का भी कोई प्रमाण नहीं है।
- (6) पटरी मरम्मत सम्बन्धी कोई आदेश आवश्यकता स्टीमेट न होना कार्य की पुष्टि नहीं करता है।
- (7) इतने गैंग मैन किस आधार पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में क्यों लगाये गये हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

उक्त से स्पष्ट होता है कि गैंग मैनों के नाम पर सोची समझी रणनीति के तहत फर्जी तरीके से बिना किसी कार्य को सम्पन्न कराये मजदूरी भुगतान किया गया है जो पूर्णतया अनियमित रहा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी श्री राहुल सिंह, अभियन्ता श्री अखिलेश जी एवं लेखाकार श्री राधेरमण की है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0—5

प्रस्तर—02 वर्ष 2018—19 में अनुदान रजिस्टर में विधायक निधि में प्रारम्भिक अवशेष रू0 5916661.00 का अंकन किया गया है। जबकि वर्ष 2017—18 का अन्तिम अवशेष रू0 7949130.00 था। इस प्रकार प्रारम्भिक अवशेष में बिना किसी मिलान एवं समाधान विवरण के रू0 2032469.00 से अवशेष कम किया जाना संस्था लेखाकार द्वारा जानबूझ कर पिछली अन्तरों/अनियमितता को समाप्त करने का उद्देश्य परिलक्षित करता

है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार श्री राधेरमण है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-37

प्रस्तर-03 वर्ष 2018-19 अनुदान रजि0 के अनुसार विधायक निधि में अनुदान 31.03.2019 को अवशेष रू0 3583039.00 एवं ब्याज सहित अवशेष अंकित है। जबकि इस मद हेतु चिन्हित बैंक ओ0बी0सी0 खाता सं0 0189 में रू0 3651303.00 ही है। इस प्रकार रू0 68268.00 का भारी अन्तर विद्यमान है, विधायक निधि मद में प्रतिवर्ष प्रा0 शेष एवं अन्तिम अवशेष अनुदान रजि0 में पिछले वर्ष के ऑकड़ों से भिन्न दर्शाकर हेराफेरी की जाती है तथा ब्याज की वास्तविक धनराशि नहीं दर्शायी जा रही है। जो यह दर्शाता है कि अनुदान की धनराशि का अन्य मदों में व्यय कर लिया गया है, जो एक गम्भीर अनियमितता है, कारण स्पष्ट करते हुए अनुदान रजि0 एवं बैंक खाते का समाधान विवरण पत्र बनाया जाय तथा यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0-18

प्रस्तर -04 वर्ष 2018-19 अनुदान रजिस्टर के अनुसार बी0आर0जी0एफ0 मद में अनुदान 31.03.2019 को रू0 32303998.00 अंकित किया गया है। इसी मद की कैशबुक एवं बैंक खाते (समाधान के बाद) पी0एन0बी0 खाता सं0 2207000100355272 में रू0 34229305.00 दर्शाया गया है, इस प्रकार इस मद अनुदान रजि0 एवं कैशबुक में रू0 1925307 का अन्तर विद्यमान है। अन्तर समाधान की स्थिति स्पष्ट करते हुए यथोचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-19

प्रस्तर -05 वर्ष 2018-19 अनुदान रजिस्टर के अनुसार तेरहवॉ वित्त आयोग मद में अनुदान 31.03.2019 को रू0 4748195.00 अंकित है। इसी मद के बैंक आई0डी0बी0आई0 के खाता सं0 48781 में रू0 4726155.00 दर्शित है। इस प्रकार अन्तर रू0 22040.00 विद्यमान है। जिसका कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। अन्तर समाधान विवरण पत्र बनाकर अन्तर के कारणों की स्थिति स्पष्ट की जाय। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस मद में प्रारम्भिक अवशेष रू0 4755154.00 था वर्ष दौरान प्राप्त ब्याज रू0 235041.00 को वर्ष की आय मानते हुए कुल धनराशि रू0 4990195.00 के सापेक्ष रू0 242000.00 व्यय किया गया। जबकि यह योजना कई वर्ष पूर्व ही बन्द हो चुकी है। नियमतः अनुदान की धनराशि एवं ब्याज की धनराशि अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिये था। उक्त के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-20

प्रस्तर-06 वर्ष 2018-19 अनुदान रजिस्टर के अनुसार राज्यवित्त आयोग मद में 31.03.2019 को अनुदान अवशेष रू0 575817481.00 एवं ब्याज अवशेष रू0 56799959.00 कुल रू0 632617440.00 अंकित है राज्यवित्त आयोग की कैशबुक के अनुसार 31.03.2019 को रू0 646998737.36 दर्ज है। इस प्रकार रू0 14381297.36 का भारी अन्तर विद्यमान है। कैशबुक एवं बैंक खाते तो समाधानित है। जिससे इस धन के अन्य कही ट्रान्सफर होने की पूर्ण सम्भावना बनी हुयी है। इसका तत्काल समाधान विवरण पत्र बनाया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0-21

प्रस्तर-07 वर्ष 2018-19 में अनुदान रजिस्टर में राज्य वित्त आयोग का प्रारम्भिक अवशेष रू0 405075429.00 तथा वेतन मद में अवशेष रू0 6819102.00 का अंकन किया गया है। जबकि वर्ष 2017-18 में अन्तिम अवशेष रू0 400575924.00 वेतन मद में रू0 5918108.00 दर्शित था। इस प्रकार प्रारम्भिक अवशेष में क्रमशः रू0 4499505.00 एवं रू0 900994.00 कुल रू0 5400499.00 से अधिक प्रारम्भिक अवशेष दर्शाया जाना केवल पिछली अन्तरों को बिना सत्यापन एवं मिलान किये ही समाप्त करने अनियमितता का उद्देश्य परिलक्षित करता है। जिसके लिए संस्था लेखाकार श्री राधेरमण पूर्णरूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0-36

प्रस्तर-08 वर्ष 2018-19 में बी0आर0जी0एफ0 मद से निम्न सचिवालयों के निर्माण में निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्र0सं 0	नाम सचिवालय	स्टैम्प पेपर के अनुसार निर्माण प्रा0 एवं समाप्ति	ठेकेदार का नाम	पूर्व में भुगतानित धनराशि	वर्ष में भुगतानित धनराशि	कुल भुगतान/ अवशेष
1	रामगढ	09-09-11 से 08-12-11	श्री अनिल कुमार यादव	713700.00	553000.00	1266700.00 217300.00
2	औरा	03-11-11 से 02-05-12	श्री चित्रसेन सिंह	730800.00	488000.00	1218800.00 265200.00
3	करनपुर	03-10-11 से 02-03-12	दिवाकर एसोसियट	566000.00	650500.00	1216500.00

						267500.00
4	जनहित ई0का0सोल नापुर सेनेटरी कार्य	01-07-15 से 30-09-15	श्री रविशंकर शुक्ल	288300.00	111400.00	399700.00
			योग-	-	-	4101700.00

आपत्तिया:-

- (1) वर्ष में भुगतानित धनराशि के बिलों पर अन्तिम भुगतान लिखा गया है। जबकि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं प्रमाण पत्र दर्ज नहीं है।
- (2) यदि वर्ष का भुगतान अन्तिम बिल का था तो भुगतान हेतु शेष धनराशि का क्या हुआ इसका कोई विवरण दर्ज नहीं है।
- (3) कार्य में बिलम्ब होने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया तथा प्रतिकर की धनराशि सम्बन्धी कोई विवरण नहीं है।
- (4) बी0आर0जी0एफ0 मद से पूर्ण सचिवालय का हस्तान्तरण किस संस्था / विभाग को किया गया इसका कोई विवरण नहीं है। इस मद से निर्मित परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण बनाकर जॉच एवं पुष्टि करायी जाय।
- (5) कार्य पूर्ण होने में देरी के लिए सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा प्रार्थना पत्र बिना दिनांक के ही दिया गया है। जिसमें दविर्शत कारणों की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकर्ता द्वारा भी कोई दिनांक एवं कारणों को नहीं दर्शाया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0-39

प्रस्तर-09 दिनांक 19.04.18 को जनरेटर हेतु डीजल माह जनवरी 2018 रू0 10000.00 एवं माह फरवरी रू0 13000.00 कुल रू0 23000.00 का भुगतान अपर मुख्य अधिकारी द्वारा लिया जाना दविर्शत है। प्रमाणक के साथ किसी भी फिलिंग स्टेशन का बिल / कैशमेमों संलग्न नहीं पाया गया तथा खरीद एक मुस्त की गयी या विभिन्न तिथियों में इसका कोई विवरण / चालान नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि भुगतान अनियमित रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री राहुल सिंह स्वयं प्राप्त किया गया है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्री राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी की होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-47

प्रस्तर -10 दिनांक 19.04.2018 को जनरेटर रिपेयर हेतु रू023886.00 का भुगतान निम्न बिलों के आधार पर किया गया है, लेकिन जनरेटर आपरेटर द्वारा जनरेटर खराब होने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है तथा रिपेयर करने हेतु कोई स्टीमेट नहीं बनवाया गया तथा कोटेशन भी नहीं प्राप्त किया गया तथा इसी बिल के साथ अन्य खरीद (कार्यालय प्रयोग हेतु) का भुगतान भी किया गया। भुगतान सम्बन्धित फर्म / दुकान न करते हुए श्री धनन्जय सिंह संस्था कर्मचारी को किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल नं0	दिनांक	धनराशि	अन्य विवरण / टिप्पणी
1	प्रकाश इन्जीनियरिंग स्टोर	52	26.03.18	7933.00	इसकी कोई रसीद नहीं है।
2	" " "	53	26.03.18	12453.00	
3	" " मेहनताना	-	-	3500.00	
4	विविध व्यय कार्यालय	-	-	500.00	
5	ए0सी0 मरम्मत	-	-	3175.00	
6	कप , ग्लास	-	-	3529.00	
			योग-	31090.00	

कप, ग्लास, तौलियों इत्यादि खरीद 19.04.2018 को ही रू0 3529.00 अभिषेक इण्टरप्राइजेज के बिल नं0 777 दिनांक 26.03.2019 के आधार पर किया जा चुका है। अर्थात् इस धनराशि का भुगतान दुबारा किया गया। इस प्रकार दुरुपयोग करते हुए उक्त धनराशि का भुगतान किया गया है। जिसकी जिम्मेदारी धनन्जय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राहुल सिंह की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-48

प्रस्तर -11 वर्ष 2018-19 में अम्बेस्डर कार यू0पी 62/002 में निम्न प्रकार डीजल खरीद की गयी है:-

क्र0सं0	दिनांक	माह डीजल खरीद	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	05.05.18	नवम्बर 2017	16318.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता
		दिसम्बर 2017	17515.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता
		जनवरी 2018	16750.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता
		फरवरी 2018	17393.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता
		मार्च 2018	11170.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता
		मार्च 2018	3215.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता
		योग-	82361.00	
2	10.07.18	अप्रैल 2018	28479.00	प्रभा फीलिंग स्टेशन
		मई 2018	15771.00	प्रभा फीलिंग स्टेशन
		जून 2018	8214.00	प्रभा फीलिंग स्टेशन
		-	15495.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता
		योग-	67959.00	
3	06.10.18	जुलाई 2018	13759.00 2729.00	प्रभा फीलिंग स्टेशन बिल नं0 2878/31.03.18 श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा कृष्णा सर्विस स्टेशन बिल नं0 1631/04.07.18
		"	2729.00	श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा कृष्णा सर्विस स्टेशन बिल नं0 1623/8.07.18
		"	3113.00	श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा बिल नं0 1137/18.07.18
		योग-	22330.00	
4	24.10.18	अगस्त 2018	22718.00	प्रभा फीलिंग स्टेशन बिल नं0 2916/31.08.18
5	01.12.18	जुलाई से अक्टूबर 2018	52779.00 10491.00	श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता प्रभा फीलिंग स्टेशन
		योग-	63270.00	
6	04.12.18	दिसम्बर 2018	17559.00	श्री शत्रुघ्न वर्मा
		अक्टूबर 2018	17458.00	आयुष सर्विस स्टेशन +राजेश्वरी सर्विस स्टेशन
		योग-	35017.00	
7	12.12.18	नवम्बर 2018	20297.00	राजेश्वरी सर्विस स्टेशन
8	23.01.18	दिसम्बर 2018	16346.00	राजेश्वरी सर्विस स्टेशन
9	16.08.19	जनवरी 2019	24106.00	राजेश्वरी सर्विस स्टेशन बिल नं0 292/ 01.02.19
		कुल योग-	331686.00	

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल रू0 331686.00 का भुगतान उक्त विवरण के अनुसार किया गया है। जिस पर निम्न आपित्तियाँ पायी गयी:-

- (1) प्रदत्त जानकारी के अनुसार अम्बेस्डर कार पिछले वर्षों से ही निष्प्रयोज्य / खराब स्थिति में पड़ी हुई है। इसका परिचालन नहीं किया जा रहा है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि पिछले वर्षों से इसमें न तो मोबिल भराया गया है और न तो पुरानी गाड़ी होते हुए भी किसी प्रकार की रिपेयरिंग करायी गयी है। साथ में गाड़ी की कोई लागबुक भी नहीं है।
- (2) डीजल भरवाने हेतु जि0पं0 से निर्मित पर्चियों में गाड़ी ने अलग पेन से दूसरे व्यक्ति की राइटिंग में भरा गया है। जबकि पर्ची में एक साथ डीजल ही मात्रा दिनांक गाड़ी नं0 एक साथ भरा जाता है।
- (3) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि डीजल मूल्य का भुगतान सम्बन्धित कार्यों के बिल के आधार पर न करके जि0पं0 में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं अन्य को किया गया है।

- (4) दिनांक 01.12.18 को जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 तक रु0 63270.00 के भुगतान में इं0 श्री अनुराग श्रीवास्तव अवर अभियन्ता को रु0 52779.00 एवं प्रभा फीलिंग को रु0 10491.00 किया गया है। पुनः 04.12.2018 को सितम्बर एवं अक्टूबर का भुगतान रु0 35017.00 किया गया, जो दर्शाता है कि फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान किया जा रहा है।
- (5) दिनांक 16.03.19 को राजेश्वरी सर्विस स्टेशन के बिल 291 दिनांक 01.02.19 के आधार रु0 24106.00 का भुगतान किया गया है। इसी माह जनरेटर के डीजल हेतु राजेश्वरी सर्विस स्टेशन का बिल 9194 से 1197 नवम्बर से फरवरी तक का बिल प्रस्तुत है। बिल नं0 में भिन्नता दर्शाता है कि अम्बेस्टर कार का बिल काल्पनिक एवं स्वयं निर्मित है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि निष्प्रयोज्य पड़ी अम्बेस्टर कार में वर्ष दौरान डीजल भरवाना पूर्ण रूप से अनियमित रहा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी श्री राहुल सिंह, अवर अभियन्ता श्री अनुराग एवं शत्रुधन प्रसाद वर्मा की रही। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-49

प्रस्तर-12 उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खण्ड (2क) एवं (2ग) के अनुसार समय ठेके का सारतत्त्व हैं। कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने के लिए मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित दिनांक तक कार्य पूरा करना होता है तथा विलम्ब के लिए निर्धारित प्रतिकर देना होता है।

शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93जी0/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं उसी क्रम में शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93जी0/2004 दिनांक 24 जून 2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का मार्गदर्शी सिद्धान्त का निर्धारण किया गया है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण का कार्य विभाजन किया गया है। जिला पंचायत को बड़े कार्यों एक क्षेत्र पंचायत से दूसरे क्षेत्र पंचायत को जोड़ने हेतु निर्धारित किया गया है। जिससे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल न किया जाय तथा कार्य की पुनरावृत्ति (एक ही कार्य दो संस्थाओं द्वारा किया जाना) न हो सके।

जिला पंचायत में निर्माण पटल लिपिक श्री अशोक कुमार एवं श्री सुजीत कुमार यादव द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं प्रस्तुत लिस्ट राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत (संलग्न-1) के अनुसार दिनांक 12.07.2018 को किये गये टेण्डर के सापेक्ष 31.03.2019 तक कुल 25 कार्य टेण्डर मूल्य 162.76 लाख तथा संलग्नक-2 के अनुसार दिनांक 28.12.2019 को किये गये टेण्डर के सापेक्ष 31.03.2019 तक कुल 172 कार्य टेण्डर मूल्य रु0 1000.87 लाख कुल 197 कार्य टेण्डर मूल्य 1163.63 लाख का कार्य अधूरा पाया गया तथा इसमें दक्षिण सभी कार्य (लगभग) ग्राम सभाओं जो कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र होता है। उसमें कराया गया है तथा इसमें कोई बड़े कार्य को शामिल नहीं किया गया है सभी कार्य तीन लाख से आठ लाख के अन्दर के ही पाये गये। इन कार्यों के अपूर्ण होने सम्बन्धी कोई नोटिस एवं अन्य कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गयी है। जो उक्त नियमों एवं शासनादेशों के विपरीत होने के कारण गम्भीर अनियमितता बरती जाना दर्शाता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी श्री राहुल सिंह एवं अभियन्ता श्री अखिलेश की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0-50

प्रस्तर-13 दिनांक 19.04.2018 को टेण्डर के विज्ञापन हेतु दैनिक समाचार पत्रों के बिलों का रु0 36923.00 का भुगतान किया गया है। संलग्न बिल के अनुसार टेण्डर पिछले वर्षों के कार्यों हेतु विज्ञापित कराया गया था। लेकिन विज्ञापन किस लिए किया गया स्पष्ट नहीं है तथा भुगतान इतने दिनों बाद क्यों किया गया कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सम्बन्धित दैनिक समाचार पत्रों द्वारा कोई मॉग या भुगतान करने सम्बन्धी कोई पत्र भी नहीं दिया जाना भुगतान संदिग्ध होना दर्शाता है। क्योंकि इतने पुराने बिल सम्बन्धी कोई पत्राचार भी नहीं किया गया है।

क्र0सं0	बिल नं0	दिनांक	धनराशि
1	जीडी/1/वीवी/ 1707000906	31.07.2017	11077.00
2	जीडी/1/वीवी/ 1707000107	15.07.2017	3692.00
3	जीडी/1/वीवी/ 1707000094	13.07.2017	11077.00
4	जीडी/1/वीवी/ 1707000019	04.07.2017	11.077.00
		योग-	36923.00

उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-41

प्रस्तर -14 दिनांक 19.04.2018 को अमर उजाला को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	बिल नं0	दिनांक	धनराशि
1	16080562	16.09.2016	3949.00

2	16090967	28.09.2016	4607.00
3	16100852	24.10.2016	3291.00
		योग—	11547.00

आपत्तियाँ:-

- (1) उक्त दविशत भुगतान के सापेक्ष सम्बन्धित संस्था का बिल संलग्न नहीं हैं, केवल बिल संख्या अंकित है।
- (2) इतना पुराना बिल भुगतान हेतु क्यों शेष रहा। दुबारा भुगतान होना परिलक्षित होता है।
- (3) प्रमाणक के साथ पेपर कटिंग संलग्न नहीं है, भुगतान का उद्देश्य क्या रहा कोई विवरण अंकित नहीं है।
- (4) भुगतान प्राप्तकर्ता कौन है सुस्पष्ट नहीं रहा। बैंक स्टेटमेंट / चेक से प्रमाणित कराया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-42

प्रस्तर-15 दैनिक समाचार पत्रों में नौकाघाटों की नीलामी हेतु निम्न प्रकार बिना किसी बिल, पेपरकटिंग तथा पिछले वर्षों का भुगतान किया जाना पूर्णतया संदिग्ध है। इसके द्वारा भुगतान होने की पूर्ण सम्भावना है। भुगतान प्राप्तकर्ता का भी कोई विवरण अंकित नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र0सं0	बिल नं0	दिनांक	धनराशि
1	जीडी / 1 / वीवी / 609000215	25.09.2016	4483.00
2	जीडी / 1 / वीवी / 609000083	11.08.2016	3736.00
3	जीडी / 1 / वीवी / 609000197	24.10.2016	3736.00
		योग—	11955.00

आ0सं0-43

प्रस्तर-16 दिनांक 24.07.2018 को नौकाघाट नीलामी हेतु किये गये विज्ञापन के बिलों का भुगतान अमर उजाला को किया जाना निम्न प्रकार दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	बिल नं0	दिनांक	धनराशि
1	278 / 29.07.2016 डीवीएनएस16080027	29.07.2016	16785.00
2	278 / 29.07.2016 डीवीएनएस 16100505	07.10.2016	22709.00
		योग—	39494.00

आपत्तियाँ:-

- (1) इतना पुराना भुगतान हेतु शेष क्यों रहा, इसके दुबारा भुगतान होने का पूर्ण सम्भावना है।
- (2) भुगतान प्राप्तकर्ता कौन रहा, इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी।
- (3) बिल के साथ पेपर कटिंग संलग्न नहीं है।
- (4) इतने पुराने के अवशेष रहने पर सम्बन्धित समाचार पत्र द्वारा कोई माँग एवं पत्र न होना भुगतान संदिग्ध होना दर्शाता है।

उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-44

प्रारूप-2

नाम संस्था — जिला पंचायत जनपद — वाराणसी सम्भाग — वाराणसी

प्रस्तर-1

1. (1) जिला पंचायत वाराणसी के विकास खण्ड— पिण्डरा के वर्ष 2018-19 में कर माँग व उगाही रजिस्टर की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी :-

क. पृष्ठ संख्या 113 का योग रू0 18780.00 अंकित है (पेंसिल से) जबकि माँग रू0 16980.00 आता है। विवरण निम्न प्रकार है :-

कन्हैया पुत्र बांके	1964 / 87	रू0 10260.00
बब्लू पुत्र हींगू	1934 / 86	रू0 1560.00
दिलीप पुत्र रामजी	1954 / 52	रू0 1800.00
जायसवाल वस्त्रालय	1971 / 34	रू0 1800.00
शिवचन्दर पुत्र रज्जन	1940 / 66	रू0 1560.00
	योग	<u>रू0 16980.00</u>

इस प्रकार योग ₹0 1800.00 से अधिक किया गया है जिसके कारण कुल वसूली ₹0 772230.00 के स्थान पर ₹0 774030.00 अंकित किया गया है। इस प्रकार ₹0 1800.00 से योग अधिक रहा।
ख. लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि गत वर्ष के बकाया को वर्ष की मॉग के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। परन्तु कतिपय फर्मों से गत वर्ष की बकाया को आलोच्य वर्ष के साथ वसूल किया गया है, परन्तु मॉग से कम वसूली की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.		मॉग		वसूली	
286	शिवम ज्वेलर्स	1800	1800	1560	1560
291	श्यामनारायण / गुददर	1800	1800	1560	1560

इस प्रकार 240+240+240+240 = ₹0 960.00 कम वसूल कर संस्था को हानि पहुँचाई गयी है।

ग. मॉग व उगाही रजिस्टर पर पृष्ठ योग तथा क्रमिक योग पेंसिल से किये गये हैं। रजिस्टर पर न तो किसी प्रभारी के हस्ताक्षर पाये गये न तो अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

1. (2) जिला पंचायत वाराणसी के विकास खण्ड— हरहुआ के मॉग व उगाही रजिस्टर की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी :-

क— मॉग व उगाही रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 23 पर क्रमांक 313 पर पोस्टिंग शिवदास पुत्र हरि के नाम से की गयी है, जबकि कैश रसीद संख्या 1963/08 दिनांक 20.02.19 शिववरन पुत्र हरि के नाम से काटी गयी है।

ख— मॉग व उगाही रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 23 पर क्रम संख्या 301 पर सिंह मेडिकल स्टोर पर मॉग 1560.00 के सापेक्ष मात्र ₹0 1200.00 की वसूली की गयी है। इस प्रकार ₹0 360.00 कम वसूली कर संस्था को क्षति पहुँचाई गयी है।

ग— मॉग व वसूली रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 03 पर वसूली की धनराशि का योग ₹0 3360.00 अंकित है, जबकि योग ₹0 4920.00 आता है। इस प्रकार ₹0 1560.00 से योग कम किया गया है।

घ— उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 29 पर पृष्ठ योग ₹0 11100.00 अंकित है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार योग ₹0 48300.00 आता है। इस प्रकार ₹0 37200.00 से कम किया गया है।

ङ— मॉग व उगाही रजिस्टर पर पृष्ठ योग पेंसिल से किया गया है। रजिस्टर पर न तो पोस्टिंगकर्ता के हस्ताक्षर हैं और न ही अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

च— लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि गत वर्ष के बकाया को आलोच्य वर्ष की मॉग के साथ न ही सम्मिलित किया गया है और न ही बकाया की सूची बनाई गयी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 वर्ष 2018-19 के ईट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार विकास खण्डवार लाइसेंस निर्गत किये जाने का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम विकास खण्ड	2017-18 में निर्गत लाइसेंस	जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार	2018-19 में निर्गत लाइसेंस
1	हरहुआ	01	70	—
2	चोलापुर	35	69	—
3	आराजी लाईन	46	68	—
4	चिरईगाँव	20	52	13
5	पिण्डरा	14	20	07
6	बड़ागाँव	06	28	—
7	सेवापुरी	28	38	10
8	काशी विद्यापीठ (पश्चिमी)	08	06	08
9	काशी विद्यापीठ (पूर्वी)	—	13	—
	योग	158	364	38

उक्त पर निम्न आपत्तियाँ पाई गयी :-

क— संस्था द्वारा 364 ईट भट्ठों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। सूची एवं निर्गत लाइसेंस का मिलान करने पर पाया गया कि काशी विद्यापीठ (पश्चिमी) में कुल 06 ईट भट्ठों की सूची है, जबकि लाइसेंस 08 ईट भट्ठों को दिया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :-

प्रस्तुत सूची के अनुसार नाम	निर्गत लाइसेंस के अनुसार नाम
1— शर्मा ब्रिक फील्ड	1— शर्मा ब्रिक फील्ड
2— राजा मार्का ईट भट्ठा	2— मिलन ईट उद्योग

- 3- मिलन ईट उद्योग
- 4- मे0 देवमल ईट उद्योग
- 5- शिव ईट उद्योग सुमन सिंह
- 6- मोती ब्रिक फील्ड

- 3- मे0 देवमल ईट उद्योग
- 4- शिव ईट उद्योग
- 5- मोती ब्रिक फील्ड
- 6- महादेव के0 ब्रिक फील्ड
- 7- अमलेश प्रसाद सिंह ईट भट्टा
- 8- शिवा ईट भट्टा- ओ0पी0सिंह, भिखारीपुर

इसी प्रकार विकास खण्ड- सेवापुरी में 38 भट्टों की सूची में आलोच्य वर्ष में निर्गत लाइसेंस हनुमत ब्रिक फील्ड का नाम नहीं है।

ख- उक्त विवरण के अनुसार कुल ईट भट्टों की संख्या 368 है, जिसके विरुद्ध मात्र 38 फर्मों के ही लाइसेंस निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार $368 - 38 = 330$ फर्मों के लाइसेंस निर्गत न कर संस्था को कुल $\text{रु0 } 330 \times 5010 = \text{रु0 } 1653300.00$ की क्षति पहुँचाई गयी है। इसके साथ ही विभव कर के रूप में $\text{रु0 } 330 \times 6000 = \text{रु0 } 1980000.00$ की क्षति हुई। इस प्रकार संस्था को कुल $\text{रु0 } 3633300.00$ की क्षति हुई। सम्बन्धित से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 3 विकास खण्ड पिण्डरा के लाइसेंस रजिस्टर एवं कर निर्धारण रजिस्टर एवं मॉग व उगाही रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि विकास खण्ड- पिण्डरा में 1617 फर्मों कर निर्धारण किया गया था, जिसके सापेक्ष मॉग व उगाही रजिस्टर में मात्र 1578 फर्मों के नाम ही अंकित किये गये। उक्त फर्मों में से मात्र 337 फर्मों के ही लाइसेंस जारी किये गये हैं। इस प्रकार बिना लाइसेंस नवीनीकरण किये ही विभव कर की वसूली की गयी है। इससे स्पष्ट है कि लाइसेंस जारी न कर संस्था को क्षति पहुँचाई गयी है। कतिपय विवरण निम्न प्रकार है, जिनके विभव कर की वसूली की गयी है, परन्तु लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं :-

पृ0 सं0	नाम फर्म/संचालक	रसीद संख्या व तिथि	धनराशि	ले0प0 अनुसार वाजिब लाइसेंस शुल्क
283	सैयद पुत्र अजीमुल्ला	1889/19 दि0 27.02.18	1560	100
283	फिरोज पुत्र अफरोज	1964/56 दि0 14.03.19	1560	100
283	शाहीन वि0मै0	1964/22 दि0 05.03.19	1800	100
287	दीपक मेडिकल व जनरल स्टोर	1964/59 दि0 15.03.19	1560	200
271	सम्राट ब्रिक्स फील्ड	1935/52 दि0 08.10.18	6000	5000
	गोरखनाथ वर्मा	1964/28 दि0 06.03.19	1800	100
		योग		5600.00

सम्बन्धित से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार मेला, प्रदर्शनी पर कुल $\text{रु0 } 416450.00$ व्यय किया गया है। मेला पर हुए व्यय सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया और न ही सक्षम अधिकारी के आदेश लेखा परीक्षा में देखने को मिला। अतः समस्त भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1	91	18.04.2018	36750.00	लोटा भंटा मेला पर व्यय
2	126	18.04.2018	46500.00	शूटकेश्वर मन्दिर पर व्यवस्था हेतु
3	36	11.09.2018	235200.00	पंचकोशी परिकर्मा मार्ग पर साफ- सफाई हेतु
4	70	19.09.2018	98000.00	पंचकोशी यात्रा में कन्दवा, भीमचन्दी, रामेश्वर मार्ग व्यवस्था हेतु
		योग	416450.00	

आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 जिला पंचायत परिसर में निर्मित 10 दुकानों में से 09 दुकानों का आवंटन किया गया था। जिसमें से एक दुकान नं0 09 का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। शेष 08 दुकानों का किराया मॉग व वसूली के विवरण की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015 में किराये में 25% की वृद्धि की गयी थी। इस प्रकार अप्रैल 2018 से पुनः 25% किराया बढ़ाया जाना चाहिए था। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018 में किराये में वृद्धि नहीं की गयी है। शासनादेश सं0 6336/33-3-97 दिनांक 27.12.97 के अनुसार 25% किराये में वृद्धि करते हुए लेखा परीक्षा अनुसार दिनांक 31.03.2019 को बकाये का विवरण निम्न प्रकार होता है, जिसकी वसूली अविलम्ब की जानी अपेक्षित है :-

दुकान नं०	अप्रैल 2018 में किराया दर	दिनांक 31.03.2018 को बकाया	वर्ष 2018-19 में वाजिब	वर्ष 2018-19 में जमा	दिनांक 31.03.19 को बकाया	25% वृद्धि के पश्चात् वाजिब	ले०प० अनुसार 31.03.19 को बकाया
1	489	22979	7335	12000	18314	9015.00	19994.00
2	1952	64272	29280	30000	63552	35990.00	70262.00
3	1189	75365	17835	20000	73200	21921.50	77286.50
4	1189	49496	17835	—	67331	21921.50	71417.50
5	1189	75416	17835	—	93251	21921.50	97337.50
6	1954	95594	29310	9500	115404	36025.50	122119.50
7	1189	74365	17835	20000	72200	21921.50	76286.50
8	—	23218	—	—	23218	—	23218.00
9	1189	71140	17835	—	88975	21921.50	93061.50
					615445		650983.00

उक्त बकाया की वसूली ससमय न करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 6 संस्था द्वारा निजी स्रोत से आय से सम्बन्धित रजिस्टर (विभव कर) विकास खण्डवार मॉग व उगाही रजिस्टर बनाया गया है, किन्तु प्रत्येक रजिस्टर तीन वर्षों हेतु तैयार किये गये हैं। किन्तु किसी भी वर्ष के पिछला बकाया की धनराशि को वर्ष की मॉग के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही बकाया की सूची बनाई गयी है न तो बकाया के सापेक्ष वसूली ही दर्शित है। संस्था द्वारा मात्र वर्ष की मॉग के सापेक्ष वसूली की धनराशि को ही संस्था की आय की धनराशि में सम्मिलित किया जा रहा है तथा बकाया की धनराशि को विलुप्त कर वर्ष प्रति वर्ष संस्था को भारी क्षति पहुँचाई जा रही है। जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कुल कितनी इकाइयाँ स्थित है, तथा समस्त इकाइयों के सापेक्ष मॉग लगायी गयी है अथवा नहीं, अस्पष्ट है। मॉग व उगाही रजिस्टर की समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि कुल मॉग के मात्र लगभग 30% की ही वसूली संस्था कर पा रही है अर्थात् 70% की क्षति संस्था को उठानी पड़ रही है। इस सम्बन्ध में विगत वर्षों से ही लेखा परीक्षा आपत्ति उठाई जाती रही है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

वर्ष 2018-19 में कुल मॉग व वसूली का विवरण निम्नवत् रहा :-

क.सं.	नाम विकास खण्ड	वर्ष 2018-19 की कुल मॉग	वर्ष 2018-19 में कुल वसूली	दिनांक 31.03.19 को बकाया
1	काशी विद्यापीठ (पश्चिमी)	3077160	915350	2161810
2	पिण्डरा	2823160	772230	2050930
3	चिरईगाँव	2296760	369780	1926980
4	बड़ागाँव	1826640	—	—
5	हरहुआ	3267060	1504820	1762240
6	काशी विद्यापीठ (पूर्वी)		अपूर्ण	
7	सेवापुरी		अपूर्ण	
8	चोलापुर		अपूर्ण	
9	आराजी लाईन		अपूर्ण	
	योग		योग	7901960

लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभव कर रजिस्टर के पोस्टिंग पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे संस्था के निजी स्रोत से प्राप्ति एवं बकाया की स्थिति पूर्णतया अस्पष्ट है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय पाया गया कि आलोच्य वर्ष में भुगतानित समस्त निर्माण परियोजनाओं की लागत रु० 10 लाख से कम रहा। उक्त के अतिरिक्त अधिकांश निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ही कराये गये, जो शासनादेश संख्या 8307/33-2-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश संख्या 04/866/33-2-14-93जी/2004 टी०सी० दिनांक 24 जून 2014 तथा शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम परियोजना	वर्ष 2018-19 में व्यपित धनराशि
1	ग्रा0स0 रामसिंहपुर में चकनदा नहर से मंगलावीर तक जल निकासी	576500.00
2	ग्रा0स0 बेलवा में नहर से नवानीपुर आश्रय की ओर ले0म0	414400+391000
3	ग्रा0स0 बनौली सेवापुरी ब्लाक रोड से बनौली ग्रा0स0 की ओर ले0म0	461216+348000
4	वाराणसी चुनार मार्ग से उपासना नगर कॉलोनी में मरम्मत	312783.00
5	ग्रा0स0 रोड में मेनरोड से बस्ती तक ले0म0	433185.00
6	चांदपुर एक्सटेंशन एरिया में पुराना आटोमोबाइल से भाटिया के फर्म तक	
7	ग्रा0स0 उन्दी में राजेश यादव के घर से गर्वित राय के घर तक इ0ला0	620368.00
8	ग्राम सन्दहा में गिरजाशंकर यादव के मकान से उत्तर पुलिया की ओर सीवर	300000+330400
9	पंचरांव में पलटू यादव के मकान जीउत यादव के मकान तक इ0ला0	307440.00
10	ग्रा0स0 रोड में मेनरोड से बस्ती तक ले0म0	71737.00
11	ग्रा0स0 बहेरवां में मेनरोड से हरिजन बस्ती की ओर लेपन	411040.00
12	ग्रा0स0प्रतापपुर में मेन हाईवे से बिल्लीपुर	425600.00
13	पंचकोशी मार्ग रेवाजी पोखरा के पास कर्मदेश्वर नगर कालोनी में लेपन कार्य	318251.00
14	पंचरांव तराई (चिंता) सीजन चौराहा से अमरनाथ मिश्र के घर	573680.00
15	पुआरी कला से महदेपुर तक मार्ग का मरम्मत	114591.00
16	कवतपुर चौबेपुर मार्ग से नेवादा भूमिहर बस्ती तक ले0म0	522445.00
17	पलकहर मुस्लिम बस्ती यादव बस्ती होते हुए कौवापुर जल निकासी	568512.00
18	ग्रा0पं0 खालिसपुर में सुखु यादव के घर से चौरसिया के घर तक	753760.00
19	चन्दापुर में रामधनी के दरवाजे से झिंगुरी यादव के घर तक इ0ला0	383040.00
20	ग्राम लमही में मेनरोड से दिनेश सिंह के मकान तक इ0ला0	313152.00
21	ग्राम रमरापुर में गुरु बिहारी के घर से नन्दलाल के घर तक इ0ला0	253120.00
22	ग्राम पिसौर में हरिचरन मिश्रा के घर से महेन्द्र सिंह के घर तक इ0ला0	380000.00
23	सरैया नं0 01 से चमरहां अईली सम्पर्क मार्ग से कैलाश यादव के मकान तक इ0ला0	430416.00
24	ग्राम कटैया मेनरोड हर्षनारायण के खेत से हीरालाल के मकान तक लेपन मरम्मत	385280.00
25	हरहुआ वाराणसी जौनपुर मार्ग काजी सराय में चन्दी पट्टी गाँव तक लेपन मरम्मत	445760.00
26	तेवर बरइचा पोखरा मर्याद यादव के घर की ओर इ0ला0	462560.00
27	ग्रा0पं0 जाही में पंचायत भवन की ओर इ0ला0	464800.00
28	आदित्य नगर में मार्ग मरम्मत	358400.00
29	नेवादा हरिजन बस्ती की ओर इ0ला0	495040.00
30	ग्रा0स0 उपरवार रेलवे स्टेशन से उपरवार की ओर लेपन मरम्मत	399840.00
31	ग्राम कटियारी शहीद राकेश सिंह के घर नये आवास तक लेपन	410256.00
32	पियरी में पिचरोड से राजभर बस्ती की ओर इ0ला0	374080.00
33	चोलापुर में धरसौना मार्ग नियार मार्ग से हथियर सम्पर्क मार्ग लेपन	450576.00
34	जयापुर ब्लाक रोड से नरसड़ा तदुआपुर हनुमान मन्दिर तक इ0ला0	478240.00
35	चोलापुर नियार मार्ग से दुमिलवां सम्पर्क मार्ग तक ले0म0	479360.00
36	ग्राम सिन्धोरा में हरिजन बस्ती से सिंधोरा मार्ग तक	143360.00
37	ग्राम सुइलरा राजपूत बस्ती से नहर मार्ग की ओर लेपन	190400.00
38	सेवापुरी विद्युत केन्द्र से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र तक मार्ग लेपन	270816.00
39	हरिपुर मं बीर बाबा मन्दिर से कृष्ण मोहन के घर तक इ0ला0	300048.00
40	श्री निवास चौबे देवराई मार्ग पर धोबी देवराई में मोहन यादव की पट्टी से गौरव विद्यालय तक सी0सी0	245952.00
41	चौदपुर एक्टेसन इंडस्ट्रीयल एरिया में पुराना ऑटोमोबाइल से अनिल जैन की ओर लेपन मरम्मत	562240.00
42	वाराणसी जौनपुर मार्ग से शीट इंटर कॉलेज से दीपनगर तक जल निकासी	351680.00
43	ग्राम बसांव में विक्रमापुर मेन रोड से सुशील पटेल के घर तक इ0ला0	346080.00
44	ग्राम सभा मेहदीगंज नियामह के घर से रणजीत के खेत तक मिट्टी, खडंजा	496160.00
45	ग्रा0स0सुसुवाही में गौतम नगर कालोनी में ले0न0 01 से स्पर्श हास्पिटल की	191520.00

	ओर इ0ला0	
46	ग्राम भरथरा में राम व्यास पाल के घर से अशोक राय के घर होते हुए जल निकासी	442400.00
47	पिण्डरा में भानुपुर ट्रांसफार्मर से रविशंकर पटेल के घर तक इ0ला0	356160.00
48	वाराणसी गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम पनहारी में विकानू यादव के घर तक इ0ला0	300000.00
49	ग्राम अहिरोली में आंगनबाड़ी के सामने भोजूबीर सिंधोरा मार्ग से शंकर जी के मन्दिर तक इ0ला0	281232.00
50	छितौनी पी0डब्लू0डी0 रोड रोड से कैलाश यादव के घर तक सी0सी0	238560.00
51	ग्राम कोटवां में पंचक्रोशी रोड से ओम प्रकाश के घर तक जल निकासी	347200.00
52	ग्राम महदू में मेनरोड से गणेश सिंह के घर तक इ0ला0	200000.00
53	ग्राम बहरामपुर में मेनरोड से सोनकर बस्ती डीह बाबा मन्दिर तक इ0ला0	500000.00
54	अवध रामपुर तिलकधारी यादव के घर से हथियर वार्ड0 2 तक इ0ला0	750000.00
55	दनियालपुर में पत्थर चौक से लेकर हनुमान मन्दिर तक इ0ला0	478240.00
56	भवानीपुर मेन रोड से बस्ती की ओर	201580.00
57	बाबतपुर चौबेपुर मार्ग से नेवादा भूमिहर बस्ती तक ले0म0	522445.00
58	ग्रा0स0 रामसिंहपुर चकनदा नहर से मंगलावीर तक जल निकासी	576500.00
59	तोफापुर में राधे श्याम सिंह के घर से रमना प्रा0वि0 तक मार्ग मरम्मत	124400.00
60	गौराडीह खुटहना मार्ग से छन्नू यादव के घर होते हुए रघुनाथ के घर तक	41300.00
61	हीरामनपुर से राजभर बस्ती तक मार्ग मरम्मत	152000.00
	योग	23829101.00

उक्त के अतिरिक्त निम्न आपत्तियां भी पाई गयी :-

1. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजना एवं निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह ज्ञात न हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा कराये गये हैं, उन कार्यों को कराये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।
2. प्राक्कलन पत्र यह स्पष्ट नहीं है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता क्या है। मानचित्र भी नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किये गये हैं, जिससे कार्य के दशा एवं दिशा का बोध अस्पष्ट है।
3. संस्था स्तर पर सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। संस्था स्तर पर कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं और किस वर्ष के हैं।

अतः उपर्युक्त स्थिति में निर्माण कार्य पर व्यपित धनराशि रु0 23829101.00 अनियमित रहा। इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली किराये के वाहनों पर निम्न विवरणानुसार व्यय कैशबुक में दर्शित है :-

अध्यक्ष

क्र.सं.	दिनांक	वाहन संख्या	माह	डीजल पर व्यय	किराया	आयकर कटौती
107	18.04.18	यू0पी065ई0टी0 8383	फरवरी, मार्च 2018	31743.00	60000	—
17	19.06.18	यू0पी065ई0टी0 8383	अप्रैल, मई 2018	31701.00	60000	—
37	11.09.18	यू0पी065ई0टी0 8383	जून, जुलाई, अगस्त 2018	49709.00	90000	—
14	05.11.18	यू0पी065ई0टी0 8383	सितम्बर, अक्टूबर 2018	35724.00	60000	—
25	08.01.19	यू0पी065ई0टी0 8383	नवम्बर, दिसम्बर 2018	31942.15	60000	1200
22	28.03.19	यू0पी065ई0टी0	जनवरी, फरवरी	31653.00	60000	1200

		8383	2019			
			योग	212472.15	390000	2400

अपर मुख्य अधिकारी

क.सं.	दिनांक	वाहन संख्या	माह	डीजल पर व्यय	किराया	आयकर कटौती
108	18.04.18	यू0पी065ए0जे ड0 1177	फरवरी, मार्च 2018	36909	54000	9720
18	19.06.18	यू0पी065ए0जे ड0 1177	अप्रैल, मई 2018	63668	54000	1080
38	11.09.18	यू0पी065ए0जे ड0 1177	जून, जुलाई, अगस्त 2018	52324	81000	1620
15	05.11.18	यू0पी065ए0जे ड0 1177	सितम्बर, अक्टूबर 2018	47621	55620	2700
26	08.01.19	यू0पी065ए0जे ड0 1177	नवम्बर, दिसम्बर 2018	46548	54000	1080
23	28.03.19	यू0पी065ए0जे ड0 1177	जनवरी, फरवरी 2019	41814	54000	1080
			योग	288884	352620	17280

उक्त पर निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई :-

क-उक्त विवरणानुसार वाहन किराया मद में कुल ₹0 742620.00 तथा ईंधन मद में ₹0 504356.15 कुल ₹0 1246976.15 व्यय कैशबुक में अंकित है। उक्त व्यय की पुष्टि में लागबुक, मूवमेंट रजिस्टर तथा करारनामा पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
ख-अपर मुख्य अधिकारीके वाहन संख्या यू0पी065ए0जेड0/1177पर माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2018 में डीजल पर व्यय ₹0 47621.00 किया गया है तथा किराया ₹0 55620.00 का भुगतान किया गया है। जबकि दो माह का किराया ₹0 54000.00 ही होता है। इस प्रकार ₹0 1620.00 अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायित्व श्री राम अधीन सिंह, पटल प्रभारी, लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता का है।

ग-वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त वाहन संख्या यू0पी065ई0टी0/8383 पर किराये के रूप में कुल ₹0 390000.00 का भुगतान किया गया है। जिसपर 2% की दर से ₹0 7800.00 आयकर काटा जाना चाहिए था, परन्तु आलोच्य वर्ष में मात्र ₹0 2400.00 ही आयकर काटा गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में भी उक्त वाहन पर किराये के रूप में कुल ₹0 420000.00 का भुगतान किया गया है, जिसपर आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिसपर 2% की दर से ₹0 8400.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार कुल ₹0 5400+8400 = ₹0 13800.00 की आयकर न काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। उत्तरदायित्व पटल प्रभारी, लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता का है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 वर्ष 2018-19 के जी0एस0टी0 के रिटर्न की जाँच में पाया गया कि माह फरवरी 2019 का रिटर्न विलम्ब से दाखिल करने पर जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 दोनों मद में 100-100 ₹0 ब्याज तथा 200-200 ₹0 विलम्ब शुल्क कुल ₹0 600.00 जमा करना पड़ा है। इस प्रकार संस्था की कुल ₹0 600.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 वर्ष 2018-19 में माह अप्रैल एवं मई 2018 में ठेकेदारों के किये गये भुगतान से व्यापार कर की कटौती निम्न विवरणानुसार कटौती की गयी है। कटौती की धनराशि काटकर जिला निधि में जिला पंचायत अपने पास रखी गयी है जबकि जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागू है। जी0एस0टी0 के नियमों का पालन

न करने से रू0 662139.00 जी0एस0टी0 के रूप में राजकीय राजस्व की क्षति हुई। उत्तरदायित्व वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी का है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

माह	व्यापार कर कटौती दर 4%	वाजिब जी0एस0टी0 दर 12%
अप्रैल 2018	184945	554835
मई 2018	35768	107304
योग	220713	662139

प्रस्तर-11 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय पाया गया कि निर्माण कार्यों के भुगतान से 01% की दर से सेस की कुल रू0 261790.00 की कटौती की गयी हैं जिसकी जमा की पुष्टि में कोई प्रमाणक/अभिलेखीय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त धनराशि रू0 261790.00 की जमा की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 वर्ष 2018-19 में भुगतानित निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कतिपय निर्माण कार्य एक टेंडर/दो टेंडर पर ही कार्य सम्पन्न कराया गया है, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	वा0सं0 व तिथि	धनराशि रू0 में	अभ्युक्ति
1	ग्राम बर्थरा में अजाव सम्पर्क मार्ग	04 दि0 05.10.17 111 दि0 18.04.18	285400 63400	दो टेंडर
2	धौरहरा में महुआ टावर से राजा सिंह के घर तक मार्ग मरम्मत	05 दि0 05.10.17 112 दि0 18.04.18	428000 43700	एक टेंडर
3	भतसार से मड़ई तक मार्ग का मरम्मत	86 दि0 29.12.17 120 दि0 18.04.18	282800 49840	एक टेंडर
4	आजमगढ़, वाराणसी मार्ग से हरिश्चन्द्र कॉलेज होते हुए आदमपुर तक मार्ग का मरम्मत कार्य	12 दि0 05.10.17 79 दि0 18.04.18	451500 50400	एक टेंडर
5	घमहापुर में घमहापुर गाँव तक मार्ग का मरम्मत कार्य	46 दि0 23.11.17 82 दि0 18.04.18	352900 58000	एक टेंडर
6	दनियालपुर मोलन मिश्रा के मशीन से फूलचन्द्र मिश्रा के घर तक मार्ग का मरम्मत	45 दि0 23.11.17 85 दि0 18.04.18	365300 49500	एक टेंडर
7	दिलावलपुर भिखमपुर मार्ग लवनाडीह कुत्तूपुर बार्डर तक मार्ग मरम्मत	48 दि0 26.10.17 117 दि0 18.04.18	360000 138000	एक टेंडर
8	भाउपुर कालिका धाम मार्ग से भिटकुरी गाँव तक मरम्मत कार्य	42 दि0 23.11.17 90 दि0 18.04.18	534000 106000	दो टेंडर
9	तेदुई में उमासिंह के घर तक मार्ग मरम्मत	13 दि0 05.10.17 51 दि0 26.10.17 115 दि0 18.04.18	406800 144000 170500	दो टेंडर
10	वाराणसी गाजीपुर मार्ग से ग्राम ढाका तक मार्ग मरम्मत	11 दि0 05.10.17 01 दि0 02.02.18	158000 257600	दो टेंडर
	योग		4755640	

उक्त के अतिरिक्त निम्न आपत्तियाँ भी प्रकाश में आयी :-

क- पत्रावली में संलग्न एम0एम0 11 प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होते हैं। अधिकांश/प्रायः रायल्टी प्रपत्र दिनांक 01.08.17 के पूर्व के हैं। शासनादेश संख्या 2146/86-2018-52(सा0)/2018 दिनांक 30.09.2019 के प्रस्तर 02 के अनुसार मुद्रित प्रपत्र एम0एम0 11 का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के खनिज अनुभाग से कराया जाना था, परन्तु शासनादेश का भुगतान नहीं किया गया है।

ख- शासनादेश संख्या 1408/23-3-9-62 (सा0)/108 दिनांक 08.05.2009 द्वारा सड़क निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से विटुमिन क्रय का मूल इनवाइस (कंसाइनी रसीद चालान) प्राप्त करने के उपरान्त भुगतान किया जाना था। परन्तु पत्रावली में उक्त इनवाइस नहीं पाये गये जिससे उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

ग- साइन बोर्ड के फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाये गये।

आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 प्रमाणक संख्या 04 दिनांक 02.03.2019 के अनुसार आकस्मिक बिल रु0 4801.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित है। उक्त धनराशि किलोस्कर इलेक्ट्रॉनिक क0 दुर्गाकुण्ड, वाराणसी से 63के0वी0ए0 जनरेटर के सर्विस चार्ज एवं पार्ट्स कय से सम्बन्धित है। उक्त पर निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

क- बिल पर जनरेटर पार्ट्स कय तिथि दिनांक 23.08.2016 अंकित है। इतनी पुरानी बिल के भुगतान के विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं है :-

ख- बिल पर निम्न प्रकार दरें अंकित पायी गयी -

मोबिल फिल्टर 01 पीस	रु0 427.00
डीजल फिल्टर 02 पीस	रु0 674.00
जनरेटर सर्विस चार्ज	रु0 700.00
	रु0 1801.00

परन्तु बिल पर सर्विस चार्ज 700.00 के स्थान पर रु0 3700.00 अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार 1801.00 को रु0 4801.00 अपलेखन कर अंकित किया गया है। इस प्रकार अपलेखन कर रु0 3000.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायित्व पटल सहायक, लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता का है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रारूप-2

जनपद -भदोही मण्डल का नाम विन्ध्याचल जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

प्रस्तर संख्या 1 जिला पंचायत भदोही के विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 2017-18 में राईस मिल, आटा चक्की, स्पेलर लाईसेंस अवधारित किया गया था परन्तु वर्ष 2018-19 में लाईसेन्स न बनाकर रु 2850.00 की संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः लाईसेन्स धारक से अद्यावधि अर्थदण्ड सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। नही किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्ति से क्षति पूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत	नाम/पता	लाईसेंस	वर्ष	धनराशि	कुल धनराशि
1	ज्ञानपुर	श्री छबू लाल गुप्ता पुत्र जगरनाथ गोसाई बाजार ज्ञानपुर	राईस मिल आटा चक्की स्पेलर	2018-19	300.00 150.00 75.00	525.00
2	ज्ञानपुर	श्री हरिचन्द पुत्र भुल्लन प्रसाद कारीगाँव ज्ञानपुर	राईस मिल	2018-19	300.00	300.00
				योग		825.00
1	औराई	श्री गिरजाशंकर सोनकर पुत्र मेवालाल महाराजगंज औराई	मिनीराईस मिल आटा चक्की स्पेलर	2018-19	300.00 150.00 75.00	525.00
				योग		525.00
1	भदोही	श्रीमती कलावती पत्नी श्री रामकरन मौर्य सरोई भदोही	आटा चक्की स्पेलर हालर	2018-19	150.00 75.00 75.00	300.00
2	भदोही	श्री जय प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री मुरली पाण्डेय भगवानपुर सरोई भदोही	आटा चक्की	2018-19	150.00	150.00
3	भदोही	श्री जय शंकर दूबे पुत्र	आटा चक्की,	2018-19	150.00	225.00

		श्री हरिहर ममहर भदोही	स्पेलर		75.00	
4	भदोही	श्री रमा शंकर यादव पुत्र श्री जोखन राम दुर्जनपुर रयां भदोही	आटा चक्की, स्पेलर	2018-19	150.00 75.00	225.00
5	भदोही	श्री कमलाशंकर पुत्र श्री लल्लन सुरहन चौरी भदोही	आटा चक्की	2018-19	150.00	150.00
				योग		1050.00
1	सुरियाँवा	श्री राम कुमार पुत्र बैजनाथ महजूदा सुरियाँवा	आटा चक्की, स्पेलर	2018-19	150.00 75.00	225.00
2	सुरियाँवा	श्री महबूब अली पुत्र मो० इन्दू हरीपुर सुरियाँवा	आटा चक्की, स्पेलर	2018-19	150.00 75.00	225.00
				योग		450.00
				महायोग		2850.00

(सा०आ०सं०-2)

प्रस्तर संख्या-2 जिला पंचायत भदोही के विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 2018-19 में लाईसेन्स न बनाकर रु 138000.00 की संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः लाईसेन्स धारक से अद्यावधि अर्थदण्ड सहित वसूल नहीं किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्ति से क्षति पूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	क्षेत्र पंचायत	नाम/पता	लाईसेंस	वर्ष	धनराशि
1	ज्ञानपुर	यम० यल० वाई० ईट उद्योग मेही लाल पुत्र देवराज भिखमापुर ज्ञानपुर	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
2	ज्ञानपुर	अमर ईट उद्योग प्रो० संदीप कुमार शुक्ला पुत्र लालमणि शुक्ल कारिगाँव रायपुर ज्ञानपुर	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
				योग	12000.00
1	भदोही	शिवशक्ति ईट उद्योग रमेश कुमार सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह पीपरीस भदोही	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
2	भदोही	आर.पी.वाई. ईट उद्योग घसकरी प्रो० रामप्यारे यादव पुत्र श्री राम यादव	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
3	भदोही	गुनगुन ईट उद्योग दत्तीपुर (बहरी) प्रो० शशांक शेखर सिंह	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
				योग	18000.00
1	सुरियाँवा	शीतल ब्रिक्स फिल्ड रबरनपुर मोढ़ प्रो० सन्तोष कुमार मिश्रा पुत्र स्वं शीतला प्रसाद मिश्रा (स्टेशन रोड भदोही)	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
2	सुरियाँवा	साई शीतल ब्रिक्स फिल्ड सिंहपुर प्रो० मनोज कुमार मिश्रा पुत्र स्वं श्री शीतला प्रसाद बसावनपुर अमलौरी रयां	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
3	सुरियाँवा	आनन्द ईट उद्योग चमरूपट्टी मोढ़ भदोही प्रो० सुरेश कुमार यादव पुत्र फूलचन्द्र रजपुरा भदोही	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
4	सुरियाँवा	सत्यम ईट उद्योग प्रो० श्री लालचन्द्र दूबे पुत्र स्वं श्री सुमिरन दूबे निवासी- बनकट पोस्ट- भिखरीरामपुर सुरियाँवा	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00

5	सुरियावा	पंकज ईट उद्योग सिंहपुर प्रो० पंकज कुमार मिश्रा पुत्र जय प्रकाश मिश्र बदलीपुर सुरियावां	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
				योग	30000.00
1	अभोली	जय श्री राम ईट उद्योग प्रो० श्री उमेश सिंह स्वं श्री गनपति सिंह निवासी- गुवाली अभोली	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
2	अभोली	विशाल ईट उद्योग प्रो० श्री हरिशंकर चौहान पुत्र चिन्तामणि चौहान स्थान दमगढा शेरपुर निवासी- कौडर पोस्ट- सुरियावां वि०ख० अभोली	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
3	अभोली	अश्वनी ईट उद्योग मउरामशाला निवासी परउपुर पोस्ट सदौपुर अभोली, भदोही प्रो० अश्वनी सिंह पुत्र राजेश सिंह	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
				योग	18000.00
1	डीघ	देवेन्द्र ईट उद्योग गोपालपुर प्रो० देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र जय प्रकाश पाण्डेय निवासी वेश्वापहाड़पुर डीघ	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
2	डीघ	यस.के.यस. ईट उद्योग प्रो० अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री सूर्यबली सिंह निवासी मठहां वारीपुर	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
3	डीघ	आदर्श ईट उद्योग गोलखरा श्रीराम ,श्री सुभाष चन्द्र तिवारी अक्षैवर तिवारी गोलखरा कौईरौना डीघ	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
				योग	18000.00
1	औराई	बेचन ईट उद्योग दुखरनपुर प्रो० श्री नागेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री बेचन गुप्ता निवासी दुखरनपुर वि. ख. औराई	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
2	औराई	आर.बी.पी. ईट उद्योग कुकरौली प्रो० श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय पुत्र राजवंश पाण्डेय निवासी कुकरौली, बाबूसराय, सारीपुर, वि.ख. औराई	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
3	औराई	यस.के.यस. ईट उद्योग अल्मउहॉल्ट प्रो० श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री शम्भू नारायण सिंह निवासी अल्मउहॉल्ट औराई	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
4	औराई	कुमार ईट उद्योग प्रो० श्री जयदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्वं श्री विजय शंकर पाण्डेय निवासी भवेशपट्टी खम्हरिया भदोही	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
5	औराई	आर्दश ब्रिक्स फिल्ड चिमलहा, प्रो० श्री सुभाष चन्द्र पुत्र स्वं श्री खरभान निवासी असवारी राजातलाब वाराणसी	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00
6	औराई	महेश्वरी ईट उद्योग प्रो० श्री अनुज कुमार महेश्वरी पुत्र जय कुमार महेश्वरी निवासी परानापुर महाराजगंज औराई	चिमनी भट्ठा	2018-19	6000.00

7	औरार्ई	शिव ईट उद्योग प्रो० श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्वं श्री वंश बहादुर सिंह स्थान कैयरमउ औरार्ई	चिमनी भट्टा	2018-19	6000.00
				योग	42000.00
				महायोग	138000.00

(सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर संख्या-3 वर्ष 2018-19 में लाइसेंस मद में अवधारित रुपये 3100000.00 के सापेक्ष रु 2400540.00 की ही वसूली की गयी है। इस प्रकार लाइसेंस मद अवधारण के सापेक्ष रुपये 699460.00 की कम वसूली करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी सुभाष चन्द्र भारतीया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्ति से क्षति पूर्ति करायी जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-5)

प्रस्तर संख्या-4 लेखा परीक्षा में देखा गया कि आलोच्य वर्ष में काजी हाउस मद में रु 11500.00 शुल्क का अवधारण वसूली हेतु किया गया है। पूर्व वर्ष का वसूली हेतु अवशेष रु 10000.00 एवं वर्ष का अवधारण रु 11500.00 कुल रु 21500.00 वसूली हेतु अवशेष रहा। वर्ष 2017-18 के अधिभार प्रतिवेदन में रु 10000.00 की वसूली हेतु अधिभार कार्यवाही की गयी है। जिसकी वसूली अद्यतन नहीं हो पायी है। अतः रु 21500.00 वसूली न करके संस्था द्वारा अनियमितता की गयी है। इस हेतु संस्था के अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्ति से क्षति पूर्ति करायी जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-7)

प्रस्तर संख्या -5 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं की धनराशि पर रुपये 174727.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। जिसमें विधायक निधि से प्राप्त ब्याज रुपये 27722.00 एवं राज्य वित्त को छोड़कर अन्य मदों से प्राप्त ब्याज रुपये 147005.00 है। रुपया 174727.00 ब्याज की उक्त धनराशि को वर्ष में शासन को वापस नहीं किया गया है जबकि ब्याज की उक्त धनराशि रुपया 174727.00 शासन को वापस की जानी चाहिए। उक्त स्थिति आपत्तिजनक है। जो कि अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-9)

प्रस्तर संख्या-6 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कस्तूरीपुर लालीपुर भौत पी.एम.जी.एस.वाई. मार्ग से ललापुर दूबे बस्ति तक 600 मीटर लेपन कार्य हेतु रु 947100.00 दिनांक 31.03.2018 को अवशेष था। वर्ष पर्यन्त में लेपन कार्य न कराये जाने के कारण दिनांक 31.03.2019 को रु 947100.00 यथावत अवशेष रहा तथा लेखा परीक्षा तिथि तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है। जो कि अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-29)

प्रस्तर संख्या-7 जिला पंचायत भदोही मे यू०प० 66 एफ 9222 बोलोरो जीप मार्च 2016 तक रु 14500.00 प्रतिमाह की दर से श्री शेष नारायण पाण्डेय की जीप सम्बद्ध थी, गाड़ी खराब होने पर उसे ठीक करवाने का आदेश न देकर उसकी जगह श्री रमेश चन्द्र यादव के साधारण आवेदन पर अपर मुख्य अधिकारी महोदय द्वारा पत्रांक 2ए दिनांक 02.04.2016 के आदेश के क्रम मे बोलोरो जीप यू०प० 66 टी 5093 का रु 16000.00 प्रतिमाह की दर से अनुबन्धित कर दिया गया इस प्रकार अधिक दर पर दूसरी गाड़ी सम्बद्ध कर दी गयी। उक्त हेतु कोटेशन नहीं लिया गया लॉगबुक प्रस्तुत नहीं रहा डीजल का भुगतान जिला पंचायत करेगा। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया का पालन किये बिना दूसरी गाड़ी सम्बद्ध करके तथा लॉगबुक प्रस्तुत न करके रु० 192000.00 अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-31)

प्रारूप-2

जिला पंचायत

जनपद-मीरजापुर

मण्डल-विन्ध्याचलधाम

संस्था का नाम -जिला पंचायत

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-1. सम्प्रेक्षण वर्ष में दुकान/भवन किराया पंजिका अनुसार प्रारम्भिक शेष रु० 8,88,835.00 वर्ष की माँग रु० 6,06,500.00 कुल माँग रु० 14,95,335.00 के सापेक्ष वर्ष की वसूली रु० 2,78,170.00 तथा वर्षान्त में बकाया रु० 12,17,165.00 रही । गत वर्ष की वसूली रु० 11,88,867.00 थी। कम वसूली के प्रति अपर

मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रति तीन वर्ष पर 25 किराया वृद्धि अथवा जिलाधिकारी के सरकिल रेट के अनुरूप किराया वृद्धि होनी चाहिए। गैपुरा की आठ दुकानों व इंजन शेड 1 का मामला न्यायालय में लम्बित होने के कारण किराए में वृद्धि नहीं हुई है किन्तु इंजन शेड 2 दुकान का किराया जनवरी 2008 से, संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय का किराया दिनांक 01.06.1999 से और अधिशासी अभियन्ता बाण सागर नहर प्रखण्ड-8 का कार्यालय व भूखण्ड का किराया दि० 18.03.05 को 5 वर्ष हेतु देने पर दि० 18.03.2010 से कोई वृद्धि नहीं हुई है और न नया अनुबन्ध किया गया जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-04)**

प्रस्तर-2. सम्प्रेक्षण वर्ष 18-19 के पाषाण खनिज परिवहन शुल्क ठेके हेतु मार्च 18 में ओम साई कान्स्ट्रक्शन व पारस नाथ सिंह से, अप्रैल 18 में जगदीश तिवारी से टेण्डर की धनराशि क्रमशः रु० 50,000.00 जमा तथा मार्च 18 में ओम साई कान्स्ट्रक्शन और पारसनाथ सिंह से क्रमशः रु० 51.00 लाख व रु० 51.00 लाख जमानत जमा हुई है। जमानत की धनराशि दि० 25.04.18 व 21.08.18 को वापस भी की गयी है। ठेका न होना बताया गया, ठेके की पत्रावली सुलभ नहीं करायी गयी। वर्ष में बरकछा व दामोदरपुर बैरियर से रु० 1,03,300.00 की विभागीय वसूली हुई है। लगातार तीन वर्षों से पाषाण खनिज परिवहन शुल्क का ठेका न दिए जाने के कारण जिला पंचायत की निजी आय को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

प्रस्तर-3. प्रमाणक संख्या-7 दि० 28.05.18 द्वारा चेक रु० 40,559.00 विज्ञापन बिल का रु० 811.00 आयकर कटौती उपरान्त रु० 39,748.00 अमर उजाला दैनिक को भुगतान दर्शित है। विज्ञापन दर रु० 106.83 प्रतिवर्ग से०मी० की पुष्टि में डी०ए०वी०पी० रेट सुलभ नहीं कराया गया है। प्रमाणक के साथ पेपर की विज्ञापित प्रति संलग्न न होने से भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है :

बीजक संख्या	विज्ञापन तिथि	धनराशि
17120984	12.12.17	14,985.00
18030110	07.03.18	14,806.00
18030125	08.03.18	10,768.00

इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-15)**

प्रस्तर-4. प्रमाणक संख्या-8 दिनांक 28.05.18 द्वारा रु० 87,494.00 विज्ञापन बिल का रु० 1750.00 आयकर कटौती कर रु० 85,744.00 दैनिक जागरण को भुगतान दर्शित है। विज्ञापन दर रु० 109.89 प्रति वर्ग से०मी० की पुष्टि डी०ए०वी०पी० रेट से नहीं करायी गयी। प्रमाणक के साथ पेपर की विज्ञापन प्रति संलग्न न होने से दर्शित भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। विवरण निम्नवत् है :

बीजक संख्या	विज्ञापन तिथि	धनराशि जीडी
वीवी 01711000135	28.11.17	12,462.00
वीवी 0172000149	22.12.17	11,077.00
जीडी /1/ वीवी 1709000106	16.09.17	4,615.00
जीडी /1/ वीवी 1705000151	18.05.17	59,340.00

इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-16)**

प्रस्तर-5. प्रमाणक संख्या-46 दि० 13.06.18 द्वारा चेक रु० 6,25,074.00 कार पार्किंग बोली की धनराशि वापस की गयी है। बाउचर फाइल में प्रमाणक सुलभ नहीं है। प्रमाणक न होना तथा ठेका देने व पुनः ठेके की बोली की धनराशि वापस करने का सुस्पष्ट कारण साक्ष्य सहित सुलभ न होने से भुगतान अपुष्ट एवं अप्रमाणिक रहा है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व लेखाकर श्री जवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-17)**

प्रस्तर-6. प्रमाणक संख्या-26 दि० 21.07.18 को रु० 14,750.00 एक आलमारी क्रय हेतु मे० स्टार स्टील हाउस, सती रोड, मीरजापुर को व प्रमाणक संख्या-27 दिनांक 21.07.18 रु० 5700.00 (रु० 1000 पुरानी बैटरी की कीमत कम करते हुए) एक बैटरी क्रय हेतु मे० बी०आर०डी० बैटरी एजेन्सी, पीली कोठी, मीरजापुर

से क्रय दर्शित है। यद्यपि इन फर्मों को द्वारा चेक भुगतान हुआ है किन्तु संलग्न इनवायस/बिल पर जी0एस0टी0 नम्बर प्रिन्टेड नहीं है जिससे बिल / इनवायस अनाधिकृत पाया गया। प्रकरण पर अपवंचन का है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर-7. प्रमाणक संख्या-15 दि0 28.11.18 रु0 1900.00 टोनर बिल का भुगतान, प्रमाणक संख्या-18 दि0 28.11.18 रु0 1765.00 टेलीफोन बिल का भुगतान, प्रमाणक संख्या-6 दिनांक 06.02.19 रु0 6,700.00 कार्यालय जनरेटर डीजल का भुगतान और प्रमाणक संख्या-9 दिनांक 06.02.19 रु0 3660.00 गोताखोरों का भुगतान हुआ दर्शित है, किन्तु बाउचर फाइल में इनके आकस्मिक बिल, संलग्नक, रसीदें आदि संलग्न न होने से भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रति कैशियर श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं। उपरोक्त धनराशि की वसूली श्री जितेन्द्र कुमार व जवाहरलाल से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर-8. दिनांक 28.11.18 को प्रमाणक संख्या-9 द्वारा रु0 1,17,720.00 कार्यालय वाहन (ए0एम0ए0, संख्या यू0पी0-63-जी-0135 में माह जून 18 से अक्टूबर 18 तक डीजल व्यय रु0 86,240.00 व चालक वेतन रु0 31,480.00 भुगतान दर्शित है। डीजल व्यय रु0 86,240.00 के संलग्नक फिलिंग स्टेशनों के कैश मेमो पर क्रेता का नाम व पता तथा वाहन नम्बर अंकित नहीं पाया गया, प्रायः कैशमेमो में जय श्री फिलिंग स्टेशन चुनार रोड, राजपुर, मीरजापुर के हैं जिनके क्रमिक कैश मेमो नम्बर (संलग्न) से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पम्प से मात्र इसी गाड़ी में डीजल क्रय हुआ है जो स्थिति को संदिग्ध बनाता है। डीजल व्यय की पुष्टि में गाड़ी की लागबुक मांग के बावजूद सुलभ नहीं करायी गयी। दैनिक वेतनभोगी चालक को पांच माह बाद पारिश्रमिक भुगतान मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित पाया गया। डीजल व्यय में रु0 3500.00 का चेक कैशियर श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय व रु0 82,740.00 का चेक अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा को भुगतान हुआ है जबकि नियमानुसार डीजल व्यय का भुगतान द्वारा चेक फिलिंग स्टेशन को होना चाहिए। व्यय मनमाने ढंग से दर्शाकर अनियमितता की गयी है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर-9. प्रमाणक संख्या-2 दिनांक 10.08.18 द्वारा विज्ञापन मद में साप्ताहिक समाचार पत्र "मर्द" में चैत्र नवरात्र 2017 के अवसर पर शुभकामना संदेश प्रकाशन बिल का भुगतान रु0 10,000.00 दर्शित है। संलग्न बिल में विज्ञापन साइज व दर का अंकन नहीं पाया गया। भुगतान की प्रमाणिकता की पुष्टि में मॉग के बावजूद डी0ए0वी0पी0 रेट सुलभ नहीं कराया गया। विज्ञापन की पुष्टि में संलग्न मर्द समाचार पत्र की एक प्रति जो 20 X 15 से0मी0 साइज की छः पन्ने की जिसके मुख पृष्ठ पर जिला पंचायत मीरजापुर मय अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के नाम, पदनाम प्रिन्टेड पाए गए। बिना विज्ञापन आदेश के भुगतान अनियमित व संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रकरण है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-10. प्रमाणक संख्या-4 दिनांक 10.08.18 द्वारा चेक रु0 4090.00 वर्ष 17-18 हेतु कर्मचारियों के आयकर का ई-फाइलिंग बिल का भुगतान दर्शित है, किन्तु आकस्मिक बिल के साथ सुमित मैनी का बिल संलग्न नहीं पाया गया। अतः भुगतान अप्रमाणिक पाया गया। पुनः प्रमाणक संख्या 2 दिनांक 05.10.18 द्वारा वेतन सम्बन्धी आयकर कटौती ई-रिटर्न का बिल रु0 44,990.00 सुमित मैनी को द्वारा चेक भुगतान दर्शित है जिसमें वर्ष 17-18 का रु0 6135.00 तथा वर्ष 2009-10 व 2010-11 का संशोधन का बिल रु0 32,720.00 दर्शित है। वर्ष 17-18 का दूसरी बार भुगतान (कर्मचारियों के आयकर ई-फाइलिंग व्यक्तिगत व्यय है) और 8-9 वर्ष पूर्व का विवरण रहित भुगतान सम्बन्धी कारण व स्पष्ट स्थिति साक्ष्यों सहित आडिट में सुलभ न होने से भुगतान अनियमित व वसूली योग्य पाया गया। रु0 4090.00 व रु0 32720.00 कुल रु0 36,810.00 अनियमित भुगतान पाया गया। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली व विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-11. संस्था के फोटोस्टेट मशीन मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स, इलाहाबाद के बिल दिनांक 04.08.18 का प्रमाणक संख्या-1 दिनांक 05.10.18 द्वारा रु0 11,050.00 का भुगतान हुआ है। इसके बावजूद प्रमाणक संख्या-3 दिनांक 05.09.18 द्वारा रु0 5054.00, प्रमाणक संख्या-24 दिनांक 28.01.19 द्वारा रु0 3526.00, प्रमाणक संख्या-25 दिनांक 18.03.19 द्वारा रुपए 8159.00 गुप्ता फोटोस्टेट एण्ड स्टूडियो, कचहरी रोड, मीरजापुर को द्वारा चेक भुगतान किया गया है। संस्था में फोटोस्टेट मशीन होने तथा उसकी मरम्मत पर रु0 11,050.00 व्यय होने के बावजूद बाहर से फोटोस्टेट कराना तथा रु0 16,739.00 का भुगतान होना पूर्णतया अनियमित एवं संस्था के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर-12. राज्य वित्त आयोग प्रमाणक संख्या-33 दिनांक 21.07.18 ग्राम पंचायत छटहॉ से ककरहा सम्पर्क मार्ग के अन्तिम बिल रु0 51000.00 से रु0 5091.00 सेस उपकर की कटौती की गयी है जिसे भुगतान पंजिका में रायल्टी शीर्ष में दर्शाकर रायल्टी शीर्ष में जमा किया गया है। इस प्रकार मिसहेडिंग करके रु0 5091.00 सेस उपकर को रायल्टी शीर्ष में जमा किया जाना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है तथा गम्भीर अनियमितता है। इस प्रति लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं। इस पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर-13. राज्य वित्त आयोग प्रमाणक संख्या-15 दिनांक 20.07.18 रु0 1,11,896.00 जिला पंचायत कार्यालय में बिजली, पंखा, ए0सी0 आदि मरम्मत कार्य का ठेकेदार राजेश कुमार श्रीवास्तव का बिल पास कर, कर कटौती करते हुए भुगतान दर्शित है। बिल के क्रमांक 2 व 16 पर 4 नग व 2 नग कुल 6 नग सीलिंग फैन उषा 40 वाट दर2000—कुल रु0 12,000.00 चार्ज है जो डेड स्टॉक पंजिका में दर्शित नहीं है। बिल के क्रम संख्या-1 व 15 पर 6 नग व 3 नग कुल 9 नग ट्यूबलाइट 36 वाट दर1000—कुल रु0 9000.00 चार्ज है। बिल के क्रमांक 3 पर 65 वाट एल0ई0डी0 बल्ब दो नगदर 2500—रु0 5000.00 क्रमांक 4 पर 23 वाट एल0ई0डी0 बल्ब 5 नगदर 500—रु0 2500.00 तथा 12 वाट एल0ई0डी0 बल्ब 5 नग दर 300—रु0 1500.00 और क्रमांक 17 पर 12 वाट एल0ई0डी0 बल्ब 3 नग दर 300—रु0 900.00 कुल—रु0 9,900.00 एल0ई0डी0 बल्बों की खरीद बिल में दर्शित है। क्रमांक-12 पर रु0 4400.00 मेट क्रय का व क्रमांक-6 पर मीटिंग हाल साउण्ड सिस्टम का किराया रु0 8,000.00 का विवरण रहित चार्ज है। बिल मरम्मत कार्य का है जिसमें दर्शित क्रय व किराया मरम्मत से सम्बन्धित नहीं है। डेड स्टॉक व पेरिसेबुल स्टॉक ठेकेदार द्वारा क्रय होना तथा रेट बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना, क्रय डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्शित न होना, क्रय सम्बन्धी फर्मों का बिल न होना, साउण्ड सिस्टम किराए का बिल न होना अनियमितता पाया गया। बिलों के आधार पर ही इनकी प्रविष्टि एम0बी0 में की जानी चाहिए थी। बिल मनमाने ढंग से बनाया व पास किया गया है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव सीधे उत्तरदायी हैं। इस पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर-14. आई0ए0पी0 (नक्सल) योजनान्तर्गत ग्राम सभा कोन भरुहवा से कुड़ी नहर तक सड़क एवं आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण का टेण्डर वर्ष 2014-15 में हुआ था जिसकी स्वीकृत लागत रु0 57,95,360.00 थी और कार्य वर्ष 2014-15 से हस्तगत है। गत वर्ष इस कार्य पर कोई व्यय नहीं हुआ था। सम्प्रेक्षण वर्ष तक वर्क रजिस्टर अनुसार इस कार्य पर रु0 45,95,000.00 का भुगतान हो चुका है, कार्य अपूर्ण है। पत्रावली सुलभ नहीं हुई। प्रदत्त जानकारी अनुसार कार्य विवादित हो गया था तथा विवाद समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया तथा भुगतान भी किया गया। बताया गया कि विभागीय जाँच में कार्य मानक के अनुरूप न होने से ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करते हुए जमानत राशि रु0 5.80 लाख की सावधि निक्षेप जम्मा कर ली गयी। तदोपरान्त कार्य का पुनः टेण्डर किया गया। स्थिति अत्यन्त संदिग्ध है। स्वीकृत लागत रु0 57,95,360.00 में रु0 45,95,000.00 अर्थात् 79 प्रतिशत भुगतान होने के बाद तथा अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला का स्थानान्तरण होने के बाद जाँच में पता चला कि कार्य मानक के अनुरूप नहीं है तथा ठेकेदार पर आवश्यक कार्यवाही कर कार्य कराने का पुनः टेण्डर किया गया। स्पष्ट है कि धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य पाँच वर्षों से हस्तगत रखने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित रही तथा योजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा। इस कार्य पर व्यय रु0 45,95,000.00 जनोपयोगी न होने के कारण अनुदान के दुरुपयोग का प्रकरण है जिस प्रति सम्बन्धित अवर अभियन्ता अनिल कुमार शुक्ला सहित अपर

मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा सीधे उत्तरदायी हैं। इसके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर-15. दिनांक 31.03.19 को राज्य वित्त आयोग के 73 हस्तगत कार्यो में अद्यावधि 66 कार्य पूर्ण के पश्चात् 7 कार्य हस्तगत रहे। त्वरित विकास योजना के तीन हस्तगत कार्यो में अद्यावधि दो कार्य पूर्ण के पश्चात् एक कार्य हस्तगत रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकास योजना के 7 हस्तगत कार्यो में 2 कार्य पूर्ण के पश्चात् 5 कार्य अद्यावधि हस्तगत रहे। उक्त तीनों योजनाओं के अद्यावधि हस्तगत कार्यो का विवरण निम्नलिखित है-

क्र०सं०	कार्य विवरण	व्यय धनराशि
1.	आदर्श स्कूल से पंचायत भवन तक लेपन व पुलिया निर्माण	8,52,000.00
2.	लालगंज-गैपुरा रोड से मलंग बाबा के मजार तक लेपन कार्य	6,80,624.00
3.	ग्राम हर्दीहा में इण्टरलॉकिंग कार्य	3,24,128.00
4.	लालगंज में इण्टरलॉकिंग कार्य	3,87,632.00
5.	ग्राम जगदीशपुर में इण्टरलॉकिंग कार्य	4,28,624.00
6.	गड़बड़ा धाम मंदिर के पास इण्टरलॉकिंग कार्य	2,41,472.00
7.	चरकी कुर्मियान बस्ती सम्पर्क मार्ग निर्माण	6,22,160.00
8.	छविनाथ मौर्या के घर से पोखरा अरगजा पाण्डेयपुर तक सम्पर्क मार्ग सामान्य मरम्मत	6,86,700.00
9.	हलिया-मतवार मार्ग से कुबरा बस्ती सम्पर्क मार्ग	15,48,960.00
10.	हलिया-ददरी मार्ग से बसकुड़िया सम्पर्क मार्ग	22,84,352.00
11.	साधू के घर से चरावघाट सम्पर्क मार्ग	5,61,792.00
12.	ग्राम हलिया में मैरिज हाल/मीटिंग हाल निर्माण	9,22,880.00
13.	ग्राम अहुंगीकला में कम्प्यूनिटी हाल निर्माण	6,31,120.00
योग-		1,01,72,444.00

धन की उपलब्धता के बावजूद निर्माण कार्य हस्तगत/अपूर्ण रहने के कारण उन्हें जनोपयोगी नहीं बनाया जा सका। एक तरफ कार्य अपूर्ण होने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित रही, वहीं दूसरी तरफ योजना का अपेक्षित उद्देश्य अपूर्ण रहा। रु० 1,01,72,444.00 के प्रति अभियन्ता श्री अनन्त सिंह सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं। इसके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-30)

प्रारूप-1

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-19

जनपद-सोनभद्र। मण्डल का नाम-विन्ध्याचल

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर संख्या-1 आलोच्य वर्ष 2018-19 में अनुदान मद में दिनांक 31.03.2018 को 13वाँ वित्त खाता सं०-277573 पर अंकित धनराशि रु 523741.49 का जिलानिधि में विचलन कर अपहरण कर लिया गया जबकि उक्त धनराशि रु 523741.49 शासन को वापस किया जाना चाहिये था बल्कि ऐसा न करके संस्था के लेखाकार तथा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा विचलन कर लिया गया जिससे कि जिलानिधि के धन का बोर्ड द्वारा पास करा कर धन का अन्य कार्य में दुरुपयोग किया जा सके अतः उक्त धनराशि की वसूली जिलानिधि खाते से पुनः मूल खाते में स्थानांतरित कर शासन को वापस किया जाय अन्यथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत से संयुक्त रूप से धनराशि रु 523741.49 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०(2)

प्रस्तर संख्या-2 आलोच्य वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी०आर०जी०एफ० अनुदान मद में अंकित धनराशि रु 2336186.00 का खाता बन्द कराके जिलानिधि खाते में विचलन कर लिया गया है। जो गंभीर आपत्तिजनक विषय है। इस प्रकार अनुदान मद से सम्बन्धित शासकीय धन को व्यय न कर पाने की दशा में शासन को वापस किया जाना चाहिये था। जबकि ऐसा न करके जिलानिधि में विचलन करना एक

तरह से संस्था के लेखाकार. वित्त परामर्शदाता तथा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि रु 2336186.00 का साइलेन्ट अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए संस्था के लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(3)

प्रस्तर संख्या-3 विगत वर्ष की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उठायी गई आपत्ति में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना मद की अवशेष धनराशि रु0 42263.00 से संबंधित कोई भी अभिलेख ले0प0 में उपलब्ध नहीं करायी गई। अतएव उक्त अवशेष धनराशि रु 42263 से संबंधित अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाय अन्यथा उक्त धन की वसूली प्राथमिकता के आधार पर संस्था के लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(4)

प्रस्तर संख्या-4 आलोच्य वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विगत वर्ष से अनुदान मद अम्बेडकर ग्राम सी0सी0 रोड मद में प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त होता रहा है। जो आलोच्य वर्ष 2018-19 के वर्षान्त 31.03.2019 में रु 26928940.00 दर्शित रहा जिसे संस्था द्वारा अनुदान की तरह व्यवहार न करके जिला निधि में शामिल कर लिया गया है। उक्त धन को संबंधित मद पर व्यय न करने की दशा में शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। अतः अम्बेडकर ग्राम सी0सी0 रोड मद की धनराशि रु 26928940.00 का विचलन जिलानिधि में करके गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए संस्था के लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका व श्री विपीन चन्द्र पंत संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(5)

प्रस्तर संख्या-5 विगत वर्ष 2017-18 के चतुर्थ तिमाही में दिनांक 31.01.2018 को संस्था को जिला पंचायत संसाधन केन्द्र मद में रु 20512562.00 प्राप्त हुआ है। परन्तु लेखा परीक्षा को उक्त धनराशि प्राप्ति से संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई थी जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। आलोच्य वर्ष 2018-19 में उक्त मद में कुल व्यय रु 2813446.16 से संबंधित किसी प्रकार की व्यय पत्रावली ले0प0 में प्रस्तुत नहीं की गई। रोकडबही में उक्त धनराशि मे0 पी0एण्ड एस0 इन्टरप्राइजेज प्रो0संतोष राय को भुगतान किया गया है। अतः व्यय पत्रावली के अभाव में उक्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए संस्था के लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(6)

प्रस्तर संख्या-6 आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था के निजी स्रोत मद सम्पत्ति व विभव कर का बकाया वर्ष आरम्भ 01.04.2018 को रु 25215051.48 था परन्तु मदवार मॉग बकाया सूची में रु 20030051.00 ही अंकित की गई है जो रु 5185000.48 कम कर दी गई है। इस प्रकार रुपया- 5185000.48 से बकाया कम कर गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संयुक्त रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत, कर समाहर्ता व अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री दिनेश कुमार दूबे की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(7)

प्रस्तर संख्या-7 आलोच्य वर्ष में निजी स्रोत दुकान/ भवन किराया मद में 31.03.2019 को बकाया रु 558995.00 रहा जिसकी वसूली न करके गम्भीर अनियमितता की गई है। अतः इस ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान प्रमुख रूप से आकृष्ट किया जाता है। इसके लिए कर समाहर्ता, कर अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(8)

प्रस्तर संख्या-8 आलोच्य वर्ष 2018-19 की नौका घाट पंजिका की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिले में नौका घाट बन्द हो चुका है परन्तु इस मद में बकाया रु0 3041160.00 पडा हुआ है जिसकी वसूली विगत वर्ष से ही बाधित है जबकि बन्द हो चुके मद में बकाया रहना संस्था के लिए क्षतिदायक है। इस बकाया वसूली की ओर संस्था के कर्मचारी उदासीन रहे जो अनियमित रहा। उक्त बन्द हो चुके मद में बकाया रु0 3041160.00 की वसूली न करके गम्भीर अनियमितता की गई है। इसके लिए कर समाहर्ता, कर

अधिकारी, अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री दिनेश कुमार दूबे तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(9)

प्रस्तर संख्या-9 विगत वर्ष से ही तहबाजरी बन्द हो चुकी है परन्तु जिला पंचायत सोनभद्र के तहबाजारी मद का बकाया रु0 5052667.00 की वसूली नहीं की जा रही है तथा वसूली हेतु ठोस प्रयास का कोई साक्ष्य भी लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। अतः स्पष्ट है कि तहबाजारी मद में बकाया की वसूली न करके संस्था को क्षति पहुँचायी जा रही है। इसके लिए कर समाहर्ता, कर अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(10)

प्रस्तर संख्या-10 आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में मछली मद में बकाया रु0 384845.00 रहा तथा वर्ष आलोच्य में मांग रु0 235000 रहा जिसकी वसूली वर्ष दौरान हो गई परन्तु संस्था का बकाया 31.03.2019 में धनराशि रु 384845.00 बनी रही अतः बकाया वसूली की ओर ध्यान न देकर गम्भीर अनियमितता की गई है इसके लिए कर समाहर्ता, कर अधिकारी, अनुभागीय मु0 लिपिक, तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(11)

प्रस्तर संख्या-11 आलोच्य वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 तक में कुल 27 परियोजना का कार्य टेण्डर व स्टीमेट से प्रारम्भ किया गया तथा आलोच्य वर्षान्त तक उसपर कुल रु0 16067234.00 व्यय करने के बाद भी परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जबकि परियोजना का कार्य पूर्ण करने की अधिकतम समय सीमा 03 माह है। अपूर्ण कार्य एक वर्ष, दो वर्ष या पुनः जब भी शुरू किया जाता है उसका लगभग आधा कार्य टुटफूट कर पूर्ववत् की स्थिति आ जाती है। इसप्रकार परियोजना का कार्य आरम्भ कर उसके स्टीमेट की अधिकतम धनराशि को व्यय करके कार्य को अपूर्ण छोड़ देना शासकीय/संस्था के धन का दुरुपयोग करना है। वर्ष (2017-18)-6071613.00 वर्ष (2018-19) -9995621.00 योग - 16067234.00 अतएव रु 16067234.00 की धनराशि के दुरुपयोग के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत तथा अभियन्ता श्री शीतला प्रसाद पांडेय तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(12)

प्रस्तर संख्या-12 आलोच्य वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत सोनभद्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 10.07.2018 को राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण हेतु रु0 5000000.00 की धनराशि प्राप्त हुई हैं जिसे अनुदान मद में गणना न कर जिलानिधि मद में गणना की गई है जो अनियमित रहा अतएव इस अनियमितता के लिए संस्था के लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(14)

प्रस्तर संख्या-13 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था की सम्पत्ति तीन ताली स्थित भूखण्ड रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा का किराया ओमप्रकाश, जयप्रकाश, रविप्रकाश, पुत्र स्व0 हीरालाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम बहुअरा, तहसील रौवर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा रुपया 19200.00 प्राप्त किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड का वार्षिक किराया बाजार दर पर कम से कम रुपया 12000.00 प्रति बीघा होना चाहिये (जुलाई 2004 से जून 2017 तक 13 वर्ष 1200=15600.00 जून 2017 से जुलाई 2020 तक 03 वर्ष 1200=3600.00 योग=19200.00)

इस प्रकार उक्त भूखण्ड का वार्षिक किराया रुपया 19200.00 बाजार दर पर निर्धारित होना चाहिये। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड का जुलाई 2004 से जुलाई 2020 तक कुल 16 वर्षों का किराया रुपया 307200.00 वसूल किया जाना चाहिये जबकि मात्र रुपया 19200.00 ही वसूल किया गया है। इसप्रकार अन्तर की धनराशि रुपया 288000.00 से कम वसूली करके संस्था को क्षति पहुँचायी गई। इसके लिए कर समाहर्ता, कर अधिकारी, अनुभागीय मुख्य लिपिक, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूखण्ड के किराया सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि किराया के नियम शर्त तथा उसकी किराया वृद्धि के बारे में जानकारी ज्ञात नहीं हो सका। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0(15)

प्रस्तर संख्या-14 आलोच्य वर्ष 2018-19 में सम्पत्ति व विभव कर में कुल वसूली रु0 3437412.00 रही तथा हड़डी चमड़ा मद में वसूली रु0 55000.00 रही। इसप्रकार दोनों वसूली का योग रुपया 3492412.00 का 50 प्रतिशत अंशदान रुपया 1746206.00 ग्राम सभाओं को देय होना चाहिये जिसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गई है जिसके लिए प्रमुख रुपये संस्था के लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव व अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत उत्तरदायी है।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0(17)**

प्रस्तर संख्या-15 आलोच्य वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा निर्माणदायी संस्था को रु0 28544744.00 का जमानत वापस किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यक्तिवार/संस्थावार जमानत जमा तथा वापसी पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि उक्त धनराशि रुपया 28544744.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः इस अनियमितता के लिए प्रमुख रुपये संस्था के अभियन्ता, वित्त परामर्शदाता श्री राय, लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, व अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0(18)**

प्रस्तर संख्या-16 आलोच्य वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत सोनभद्र के अध्यक्ष, तथा अपरमुख्य अधिकारी की गाड़ी हेतु रुपया 514680.00 का ईंधन खरीद किया गया है परन्तु उक्त की पुष्टि लागू बुक के अभाव में नहीं की जा सकी अतएव उक्त अनियमित भुगतान का उत्तरदायित्व लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 शासनादेश सं0 495/(1)/77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय नियमों व बजट मैनुअल तथा शासनादेश में निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिये जिस वित्तीय वर्ष हेतु उसका आवंटन किया जाए तथा उसका उपभोग प्रमाण पत्र भी निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाना चाहिये जिससे प्राप्त धनराशि का उपभोग जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत के विकास कार्य में किया जा सके। जिला पंचायत सोनभद्र की अनुदान पंजिका की जाँच में पाया गया कि 31.03.2019 को राज्य वित्त आयोग मद में रुपया 273750178.54 जिला पंचायत संसाधन केंद्र मद में रुपया 18519318.84 योग -292269497.38 रुपया 292269497.38 शासन से प्राप्त अनुदान को अप्रयुक्त कर अवशेष रखकर अनियमितता की गई है जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री राय व अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत पर रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0 (20)**

प्रस्तर संख्या-18 आलोच्य वर्ष 2018-19 के वर्षान्त 31.03.2019 में संस्था की अनुदान रोकड बही के अनुसार रोकड शेष रुपया 292269497.38 रहा तथा बैंक पासबुक के अनुसार रुपया 295794284.38 रहा। इसप्रकार दोनों अभिलेख में अन्तर रुपया 3524787.00 का रहा। जिला पंचायत द्वारा इसप्रकार की धनराशि का समाधान विवरण पत्र तैयार कर बैंक शाखा से उसकी पुष्टि न कराकर अनियमितता की गई है। जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री राय व अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत पर रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0 (21)**

प्रस्तर संख्या-19 आलोच्य वर्ष 2018-19 के वर्षान्त 31.03.2019 में संस्था की जिलानिधि रोकड बही के अनुसार रोकड शेष रुपया 202868247.85 रहा तथा बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार अवशेष रुपया 203762415.85 रहा। इसप्रकार दोनों अभिलेख में अन्तर रुपया 894168.00 का रहा। जिला पंचायत द्वारा इसप्रकार की धनराशि का समाधान विवरण पत्र तैयार कर बैंक शाखा से उसकी पुष्टि न कराकर अनियमितता की गई है। जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, वित्त परामर्शदाता श्री राय व अपर मुख्य अधिकारी पर रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0 (22)**

प्रस्तर संख्या-20 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विगत वर्ष की तरह जनपद में कुल 307 नग हैण्ड पम्प अधिष्ठान में रुपया 18091970.00 को व्यय किया गया है। हैण्डपम्प पत्रावली जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत की निजी आय से जिला कमेटी व जिला पंचायत की वित्तीय समिति के प्रस्ताव द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति दी गई है। विगत वर्ष की मासिक लेखा सूचना तथा आलोच्य वर्ष की मासिक लेखा सूचना से ज्ञात होता है कि हर वर्ष जनपद के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प

लगाया जाता है। पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किये बिना समस्त भुगतान कर दी गई वर्ष दर वर्ष लगाए गए तथा आलोच्य वर्ष में लगाए गए हैण्डपम्प की सूची को परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्जकर परिसंपत्ति रजिस्टर ले0प0 में उपलब्ध नहीं कराया गया। विगत वर्षों में लगाए गए हैण्डपम्प की स्थिति से ले0प0 को अवगत नहीं कराया गया। इसप्रकार हर साल हैण्डपम्प के नाम पर एक अच्छी धनराशि को कुछ चिन्हित फर्म के माध्यम से संस्था की धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए अवर अभियन्ता श्री विनोद वर्मा व श्री रमेश राम चौरसिया, अनुभागीय मुख्य लिपिक, लेखाकार अजय शंकर शर्मा तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपीन चन्द्र पंत उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0 (23)

प्रस्तर संख्या-21 आलोच्यवर्ष 2018-19 में जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा राज0 अनुदान से राज्य वित्त आयोग मद से रुपया 194692919.30 का निर्माण कार्य कराया गया है जिसपर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

(क) जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदित संस्था को निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्य की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(ख) जिला पंचायत द्वारा वर्ष दर वर्ष सृजित निर्माण कार्य का परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही तैयार ही किया जा रहा है जिससे कार्य की पुनरावृत्ति कर उसपर लागत की धनराशि का दुरुपयोग किये जाने की प्रबल सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

(ग) किसी भी निर्माण कार्य का आलोच्य वर्ष में कार्य की पूर्णता पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज0 अनुदान राज0वित्त से कराए गए विभिन्न कार्य में कुल रु0 194692919.30 का व्यय अनियमित रूप से कर लिया गया है जिसके लिए अधिकारीगण अपर मु0 अधिकारी, श्रीमती वर्तिका व श्री विपीन चन्द्र पंत, अभियन्ता श्री शीतला प्र0 पांडेय, वित्त परामर्शदाता, लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा, आदि प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0 (24)

क्षेत्र पंचायत सम्बन्धी आपत्तियाँ-

क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद जनपद आगरा वर्ष 2018-19

प्रस्तर 01:- उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32 (1)-(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियाँ एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन- "क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं।" ग्राम सडको को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आया, कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र व राज्य वित्त आयोग की धनराशि से क्षेत्र पंचायत-फतेहाबाद द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32 अनुसूची (1) व खण्ड (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर कुल रुपया 46,78,180.00 के निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है।

क्र.	कार्य का नाम व पूर्ण पता	भुगतानित धनराशि
1.	सी.सी.कार्य-रामबाबू के घर से सुरेश के घर तक 180 मी.	15,39,714.00
2.	सी0 सी0 कार्य-बहादुर सिंह के घर से महावीर सिंह के घर तक-छतरियां में)	10,82,228.00
3.	सी.सी. कार्य-प्यारे लाल के घर से जगदीश के घर तक-न0 देवहंश	20,56,238.00
	योग	46,78,180.00

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में उक्त कार्यों हेतु खर्च की गयी कुल धनराशि रु0 46,78,180.00 का उक्त नियम की अनदेखी कर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय किया गया, जिस हेतु संबंधित बी0 डी0 ओ0, ब्लॉक प्रमुख, कार्यप्रभारी, जे0 ई0 एवं लेखाकार जिम्मेदार है। अतः उक्त नियमों के अधीन रु0 46,78,180.00 का अनियमित व्यय संबंधी प्रकरण शासन/विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 2. लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कुल व्यय रु0 48,88,456.50 के सापेक्ष रु0 46,78,180.00 का व्यय निर्माण कार्यों पर एवं रु0 98,000.00 मानदेय (ब्लॉक प्रमुख व सदस्यों) सहित कुल रु0 47,76,180.00 से

सम्बन्धित व्यय पत्रावली तो लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। शेष व्यय धनराशि ₹0 1,12,276.50 की स्थिति संदिग्ध रही, अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना, नियमानुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त स्थिति में नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जे0ई0, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा नियम 179 के अधीन कुल ₹0 1,12,276.50 की धनराशि का अपहरणसंबन्धी प्रकरण शासन/विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत एत्मादपुर

प्रस्तर 03 :- उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32 (1)–(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन- "क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं।" ग्राम सड़को को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आया, कि वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 में केन्द्र व राज्य वित्त आयोग की धनराशि से क्षेत्र पंचायत-एत्मादपुर द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32 अनुसूची (1) व खण्ड (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर कुल ₹0 4502282.00 (वर्ष 17–18 में ₹0 3514906.00, वर्ष 18–19 में ₹0 987376.00) के निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 4. लेखा परीक्षा वर्ष 2017–18 में कुल व्यय ₹0 3580597.47 के सापेक्ष कुल ₹0 3514906.00 के प्रमाणक उपलब्ध कराये गये। शेष व्यय की धनराशि ₹0 65651.47 संदिग्ध रही। लेखा परीक्षा वर्ष 2018–19 में कुल व्यय ₹0 1361582.80 के सापेक्ष कुल ₹0 987375.00 के प्रमाणक उपलब्ध कराये गये। शेष व्यय की धनराशि ₹0 374207.80 संदिग्ध रही। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना, नियमानुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त स्थिति में नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जे0ई0, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा नियम 179 के अधीन कुल ₹0 439899.27 की धनराशि का अपहरण संबन्धी प्रकरण शासन/विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बेबर

प्रस्तर 05 लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय मद में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 शून्य तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ₹0 184417.00 के सापेक्ष ₹0 174417.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः ₹0 174417.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर 06 लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय/गठन मद में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 10000.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ₹0 194301.00 के सापेक्ष ₹0 204301.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः ₹0 204301.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाषचन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर 07 लेखा परीक्षा वर्ष में पेयजल प्रशिक्षण मद में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 33488.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ₹0 64580.00 के सापेक्ष ₹0 32274.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली

मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 32274.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-33)

क्षेत्र पंचायत किशनी

प्रस्तर 08 लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय मद में प्रारम्भिक अवशेष रु0 शून्य तथा वर्ष के दौरान प्राप्त रु0 184417.00 के सापेक्ष रु0 174417.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 174417.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर 09 लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय/गठन मद में प्रारम्भिक अवशेष रु0 10000.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त रु0 194301.00 के सापेक्ष रु0 204301.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 204301.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर 10 लेखा परीक्षा वर्ष में पेयजल प्रशिक्षण मद में प्रारम्भिक अवशेष रु0 33488.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त रु0 64580.00 के सापेक्ष रु0 32274.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 32274.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-33)

क्षेत्र पंचायत धिरोर लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13

प्रस्तर -11 शाहजहाँपुर बादशाहपुर मार्ग से सेंट जीबीएम उ0मा0वि0 तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण से सम्बन्धित भुगतान में 101.09 वर्ग मीटर का कुल रु0 68235.75 अधिक भुगतान श्री राजेश कुमार ठेकेदार को किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री निर्मल कुमार द्विवेदी व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं0 06

प्रस्तर-12 ठकरई में लायक सिंह के घर से पक्के सम्पर्क मार्ग तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण से सम्बन्धित मिटटी भराव कार्य पर रु0 3780.48 का अधिक भुगतान किया गया। साथ ही सरला देवी कन्सल्टेशन एवं सप्लायर्स के बिल सं0 1 में रु0 516.60 का अधिक भुगतान किया गया। कुल रु0 4247.08 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम0 लाल व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं0 07

प्रस्तर -13 कोसमा में पुरानी नाली से पक्की सड़क के किनारे तक नाली निर्माण से सम्बन्धित भुगतानों में आदेश में दर्शित मात्रा से अधिक भुगतान कर रु0 31470.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम.लाल व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं0 08

प्रस्तर-14 नगला भारा पक्के सम्पर्क मार्ग से अनिल के सम्पर्क मार्ग तक खंडजा व नाली निर्माण से सम्बन्धित भुगतान से रु0 4765.00 रायल्टी नहीं काटी गई। साथ ही रु0 47082 के स्थान पर रु0 64747 का भुगतान किया गया। रु0 17665 का अधिक भुगतान किया गया। कुल रु0 22450.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम.लाल व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं0 09

प्रस्तर-15 वर्ष 2012-13 में आर्थिक जनगणना 2012 पर रु0 8000.00, एसजीएसवाई सुविधा दाता मानदेय पर रु0 65105.00 एवं एसजीएसवाई प्रशिक्षण पर रु0 89370.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिनसे सम्बन्धित पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। कुल रु0 162475.00 की ब्याज

सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री निर्मल कुमार द्विवेदी व श्री एम०लाल से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं० 22

क्षेत्र पंचायत धिरोर लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14

प्रस्तर-16 ग्राम चपरी में कैलाश फौजी के मकान से श्री कृष्ण के घर तक खंडजा व नाली निर्माण से सम्बन्धित मिट्टी कार्य के भुगतान में रायल्टी रू० 728.00 नहीं काटी गई। साथ ही अनुबंध पर दर्शित कार्य समाप्त की तिथि के बाद की गई सामान आपूर्ति का अनियमित रूप से रू० 42346.00 का भुगतान किया गया। कुल रू० 43074.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०लाल व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं० 01

प्रस्तर -17 कोसमा भौसामई मार्ग से शिवमंदिर तक इंटरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित मिट्टी कार्य के भुगतान में रू० 207.00 रायल्टी नहीं काटी गई। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० के० रावत व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं० 02

प्रस्तर -18 नगला महारम में कच्चे सम्पर्क मार्ग से माता मंदिर तक खंडजा व नाली निर्माण सम्बन्धित मिट्टी कार्य के भुगतान में रू० 504.00 रायल्टी नहीं काटी गई। साथ ही मस्टरोल से सम्बन्धित भुगतान रू० 87400.00 किसे किया गया स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। कुल रू० 87904.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० के० रावत व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं० 03

प्रस्तर-19 नगला मिनते में लोकप्रिय उ०मा०वि० से सम्पर्क मार्ग तक इंटरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित बिल सं० 53 का भुगतान रू० 8.00 अधिक किया गया। साथ ही राजेश कुमार यादव को रू० 144711.00 का भुगतान न कर रू० 1271724.00 का भुगतान किया गया। रू० 1127013 का भुगतान अपुष्ट रहा। कुल रू० 1127021.00 के अपुष्ट भुगतान की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद व लेखाकार श्री राजीव कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं० 04

प्रस्तर -20 दि० 31.03.2014 को राज्य वित्त योजना में रू० 1443520.00, 13वां वित्त में रू० 2159503.00, 12वां वित्त में रू० 3355.00 व विधायक निधि में रू० 2101043.00 की धनराशि अवशेष रही। इस प्रकार प्राप्त अनुदान का शत प्रतिशत उपयोग न कर क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यो से वंचित रखा गया है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल माजिद पूर्ण रूपेण उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
आपत्ति सं० 20

प्रस्तर-21 वर्ष 2013-14 में पेयजल पर रू० 30000.00, एसजीएसबाई सुविधा दाता मानदेय पर रू० 101501.00 एवं एसजीएसबाई प्रशिक्षण पर रू० 2290.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जिनसे सम्बन्धित पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। कुल रू० 133791.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री निर्मल कुमार द्विवेदी व श्री एम०लाल से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं० 21

प्रारूप-3

जनपद का नाम-आजमगढ़

मण्डल का नाम-आजमगढ़

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत आजमतगढ़

प्रस्तर संख्या-01 दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न मदों में रू० 3704937.00 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवशेष रखा गया है। स्पष्ट है की अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के बाद अनुदान अवशेष रहा है। अनुदान रोके जाने का कोई कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है, जो सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212 (5) के विरुद्ध रहा। इससे सम्बंधित अधिकारियों का सम्बंधित कार्यो के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। इस अप्रयुक्त धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और लेखाकार का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	योजना का नाम	दिनांक 31.03.2019 का अन्तिम अवशेष
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	3183031.00
2.	13-वाँ वित्त	7574.0
3.	आंगनवाडी	100610.00
4.	मुख्य मंत्री सामुहिक विवाह योजना	360052.00
5.	पंचायत निर्वाचन	53670.00
	योग	3704937.00

(सामान्य आपत्ति सं०-3)

क्षेत्र पंचायत-अजमतगढ़

प्रस्तर संख्या-02 टेंडर जमानत सामग्री क्रय मद में 31.03.2018 को रु०325508.00 अवशेष रहा जबकि वर्ष 2018-19 कुल रु० 12000.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 31.03.2019 को टेंडर जमानत सामग्री क्रय में कुल रु० 337508.00 की धनराशि को सम्बंधित पक्षों को वापस न करके संस्था द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और लेखाकार की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपात्ति संख्या-10

क्षेत्र पंचायत-अजमतगढ़

प्रस्तर संख्या-03 अर्जित ब्याज के मद में दिनांक 31.03.2019 के अंत में कुल धनराशि रु० 626501.00 अवशेष है। इस धनराशि को राजकीय कोष में जमा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार सोनकर और लेखाकार श्री जफ़र मसूद अब्बासी जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपात्ति संख्या - 9

क्षेत्र पंचायत-अजमतगढ़

प्रस्तर संख्या-04 उत्तर प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने समस्त निर्माण कार्यों पर 01 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित करने का आदेश सितम्बर 2009 में दिया गया था। इसकी वसूली आयकर की तरह से प्रत्येक कार्य की लागत भुगतान के समय श्रोत पर किया जाना अपेक्षित है। संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में राज्य वित्त) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर कुल रु० 13304091.00 व्यय किया गया है। कुल कराये गये कार्यों में निधारित 01 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती रु० 133040.91 नहीं किया गया है। इस प्रकार लेबर सेस का धन श्रम आयुक्त कोष में न जमा कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और लेखाकार की है। अतः उक्तधनराशि की ब्याज सहित वसूली इन लोगों से किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	मद का नाम व वर्ष 2017-18	निर्माण कार्य	1 प्रतिशत लेबर सेस
1	चतुर्थ राज्य वित्त	6238552.00	
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वर्ष (2018-19)	154215.00	
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	6911324.00	
	योग	13304091.00	133040.91

आपात्ति संख्या-9

क्षेत्र पंचायत-मार्टिनगंज

प्रस्तर संख्या-05 दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न मदों/निर्माण कार्यों में रु० 9948421.78 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवशेष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को रोकें जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। जो सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के वि: रहा। इससे सम्बन्धित

अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। अतः अप्रयुक्त अनुदान रु० 9948421.78 वित्तीय सहायतादाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	मद का नाम	दिनांक 31.03.2019 का अन्तिम अवशेष
01	राज्य वित्त	4657856
02	सांसद / विधायक निधि	4255379
03	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	906982
04	स्वच्छता कार्यक्रम	123953
05	मु0 सा0 विवाह योजना	4251.78
	योग	9948421.78

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-09)

क्षेत्र पंचायत मिर्जापुर

प्रस्तर संख्या-06 दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न मदों/निर्माण कार्यों में रु0 4856573.58 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवशेष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को रोके जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। जो सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के विरुद्ध रहा। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इसके प्रति आकृष्ट किया जाता है। अतः अप्रयुक्त अनुदान रु0 4856573.58 वित्तीय सहायतादाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0	मद का नाम	दिनांक 31.03.2019 का अन्तिम अवशेष
01	राज्य वित्त	3977563.58
02	विधायक निधि	395105.00
03	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	466230.00
04	मु0 सा0 विवाह योजना	17675.00
	योग	4856573.58

(आ0सं0-09)

क्षेत्र पंचायत मिर्जापुर

प्रस्तर संख्या-07 31.03.18 को निर्माण जमानत मद में रु0 22593.00 शेष रहा। वर्ष 2018-19 में रु0 6232.00 प्राप्त रहा। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 28825.00 को वर्ष दौरान सम्बन्धित पक्षों को वापस किया जाना चाहिए था। अतः निर्माण जमानत की अवशेष धनराशि को सम्बन्धित पक्षों को वापस न करके संस्था द्वारा गम्भीर अनियमितता की गई है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 21)

क्षेत्र पंचायत मेंहनगर

प्रस्तर संख्या-08 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली-2009 के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार तथा शासनादेश संख्या-1312/33-2-11-10 जी/2011, दिनांक 04.08.2011 के अनुसार कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 01 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित करने का आदेश दिया गया था। इसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जाना अपेक्षित था। संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, सांसद निधि, विधायक निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। विवरण निम्नलिखित है-

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का सम्पूर्ण योग-रु0 10169113.00

रु0 1016913.00 का 01 प्रतिशत-रु0 101691.00

क्र0 सं0	व्यय धनराशि का विवरण	2017-18	2018-19
01	राज्य वित्त आयोग	1741841.00	912000.00
02	तेरहवां वित्त	00.00	00.00
03	सांसद निधि	363732.00	815144.00
04	विधायक निधि	1888846.00	4447550.00
	योग-	3994419.00	6174694.00
	सम्पूर्ण योग-		10169113.00

उक्त कार्यों पर निर्धारित 01 प्रतिशत की दर से रु0 101691.00 लेबरसेस की कटौती नहीं की गयी है। नियमावली के प्रावधान का पालन न किए जाने से रु0 101691.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री केशवकान्त यादव एवं सहायक लेखाकार श्री रमेश तथा श्री शम्सुद्दीन खान का है।

अतः रू0 101691.00 की जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-03)

क्षेत्र पंचायत मेंहनगर

प्रस्तर संख्या-09 शासनादेश संख्या-6512/38-7-2010-10 एन0आर0जी0ए0/05 टी0सी0, दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का कार्यप्रभारी क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को ही बनाया जाना चाहिये। जहां क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था है और यदि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यप्रभारी के रूप में उक्त योजना पर कार्यरत हैं तो वह स्वयं तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे। ऐसी परियोजनाओं की वसूली भी उक्त अधिकारियों से की जाएगी।

क्षेत्र पंचायत मेंहनगर के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का कार्यप्रभारी/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को बनाया गया। इस प्रकार शासनादेश का पालन न करके कार्य कराया गया है। अतः परियोजना की लागत धनराशि की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री केशवकान्त यादव एवं कार्यप्रभारी श्री विनोद कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अशोक कुमार यादव, ए0डी0ओ0एस0टी0 से अपेक्षित है।

राज्य वित्त आयोग/केन्द्र वित्त आयोग द्वारा अवमुक्त धनराशि द्वारा कराये गये कार्यों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि वर्ष 2017-18 में रू0 1741841.00 एवं वर्ष 2018-19 में रू0 912000.00 है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0 2653841.00 तत्कालीन अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

क्षेत्र पंचायत लालगंज

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम्य विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-6512/38-7-2010-10 एन0आर0जी0ए0/05 टी0सी0, दिनांक 25.08.2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का कार्यप्रभारी क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को ही बनाया जाय, जहां क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था है और यदि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में उक्त योजना पर कार्य कर रहे हैं तो वह स्वयं तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे। ऐसी परियोजनाओं की आगणन की धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी उक्त अधिकारियों से की जायेगी।

लालगंज क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का प्रभारी/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को बनाया गया है। अतः परियोजना की लागत धनराशि की वित्तीय अनियमितता की गई है। कराये गये कार्यों का विवरण अग्रलिखित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	वर्ष	कार्य का नाम	लागत धनराशि (रू0 लाख में)
1	2017-18	रेतवा चन्द्रभानपुर में खड़न्जा से पुनवासी के घर तक खड़न्जा कार्य(राज्य वित्त) कार्यप्रभारी-श्री ओमप्रकाश सिंह, ग्रा0पं0अधिकारी	0.652
2	2017-18	चेवार प0 के नहर के पास पिच रोड से (झुराराम) के चक-डोमनपुर सरहद तक खड़न्जा कार्य 450मी0(राज्य वित्त) कार्यप्रभारी-श्री लालसाहब, ग्रा0पं0अधि0	5.981
3	2017-18	पकड़ी खुर्द में विरेन्द्र सिंह के घर से जनार्दन के घर तक मि0/खड़न्जा 80मी0(राज्य वित्त) कार्यप्रभारी-श्रीलालसाहब, ग्रा0पं0अधि0	1.09
4	2017-18	चाकीडीह में दलजीत यादव मे घर से सतमेसरा सरहद तक खड़न्जा कार्य(200×2.50 मी0) (राज्य वित्त) कार्यप्रभारी-श्री ओमप्रकाश सिंह, ग्रा0पं0अधिकारी	2.22
5	2017-18	ग्राम पंचायत अगेहता में वालीपुर सम्पर्क मार्ग ये राजेश शुक्ला के घर तक खड़न्जा कार्य(200×3.0मी0)(राज्य वित्त) कार्यप्रभारी-श्री ओमप्रकाश सिंह, ग्रा0पं0अधिकारी	2.64
6	2017-18	मरहती में अवधेश के घर से शंकर जी के मंदिर तक खड़न्जा कार्य(100×3.00मी0)	1.352

		कार्यप्रभारी—श्री ओमप्रकाश सिंह, ग्रा0पं0अधिकारी	
क्र0सं0	वर्ष	कार्य का नाम	लागत धनराशि (रु0 लाख में)
1	2018—19	ताहीपुर सपहा सरहद से रामजनम दूबे के चक से बैजू सोनकर के घर तक खड़न्जा कार्य(राज्य वित्त) कार्यप्रभारी—श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह, ग्रा0पं0अधिकारी	1.282
2	2018—19	बड़ी नहर से बेला सरहद लौटूराम के घर तक खड़न्जा कार्य(राज्य वित्त) कार्यप्रभारी—श्री गणतन्त्र श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधिकारी	0.874
3	2018—19	कल्लू के घर से सलहरी पोखरी तक ह्यूम पाइप युक्त नाला निर्माण(राज्य वित्त) कार्यप्रभारी—श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह, ग्रा0पं0अधिकारी	4.583
		योग—(वर्ष 2017—18 + 2018—19)	20.674

(सा0आ0सं0—04)

क्षेत्र पंचायत लालगंज

प्रस्तर संख्या—11 क्षेत्र पंचायत लालगंज के वर्ष 2017—18 एवं 2018—19 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.01.19 से दिनांक 11.01.19 तक एवं दिनांक 26.10.18 से दिनांक 04.11.18 तक कार्य कराये जाने वाले मस्टर रोल जिसका नम्बर अज्ञात है, उसमें न तो मजदूरों के हस्ताक्षर हैं और न ही मजदूरों के अंगूठे का निशान है। इस मस्टर रोल के अनुसार मजदूरों को क्रमशः रु0 3,750.00 एवं रु0 20,675.00 धनराशि का भुगतान किया गया है। इस तरह के भुगतान में रु0 24,425.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0—05)

क्षेत्र पंचायत—रानी की सराय

प्रस्तर संख्या—12 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के द्वारा प्रमुख सचिव, श्रम एवं रोजगार तथा शासनादेश सं0 1312/33—2—11—10जी/2011 दिनांक 04.08.2011 के अनुसार कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित करने का आदेश दिया था। इसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जाना अपेक्षित था। संस्था द्वारा वर्ष 2017—18 से 2018—19 तक में चतुर्थ राज्य वित्त एवं विधायक निधि पर व्यय किया गया है। उक्त कराये गये कार्यों पर निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती रु0 148798 की नहीं की गयी। नियमावली के प्राविधान का पालन न किये जाने से रु0 148798.20 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है, जिसके निमित्त सहायक लेखाकार श्री महेन्द्र प्रताप गोयल व श्री विनोद कुमार सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार चतुर्वेदी, श्री विनोद कुमार यादव, श्री राजीव कुमार वर्मा, श्री मु0 जुल्फेकार अली, श्री डा0 बी0के0 सिंह, श्री सलीम अंसारी, श्री संतोष नारायण गुप्ता, श्री रामदयाल राम, श्री अभिमन्यू सिंह उत्तरदायी हैं। अतः रु0 148798 जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	व्यय धनराशि का विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
		2017—18	2018—19
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	6340107.83	6190897.80
2	विधायक निधि	357492.00	1991323.00
	योग	6697599.83	8182220.80

सम्पूर्ण योग—14879820.63 का 1 प्रतिशत लेबर सेस—148798.20

(आपत्ति सं0 2)

क्षेत्र पंचायत—रानी की सराय

प्रस्तर संख्या—13 दिनांक 31.03.2017 को निम्नलिखित योजनाओं/मदों में निम्नवत् धनराशि अवशेष पड़ी हुई है, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस/जमा नहीं करके अनियमितता की गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है—

क्र०सं०	मद	धनराशि
1	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	28282.84
2	जमानत राशि	8888.00
3	आयकर	51210.00
4	व्यापार कर	54034.00
	योग	142414.84

उपरोक्त के लिये लेखाकर श्री विनोद कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री अभिमन्यू सिंह जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 3)

क्षेत्र पंचायत-रानी की सराय

प्रस्तर संख्या-14 वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2018-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर-2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये, किन्तु गत वर्षों तथा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में ₹0 522934.83 अवशेष पड़ा है। जिसे राजकोष में जमा न करके लेखाकार श्री महेन्द्र प्रताप गोयल व श्री विनोद कुमार सिंह तथा कार्य अवधि में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 8)

क्षेत्र पंचायत-रानी की सराय

प्रस्तर संख्या-15 ग्रांट रजिस्टर-3 के वर्ष 2018-19 के मद विषयक निधि व मनरेगा प्रशासनिक मद में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अन्तर पाया गया-

क्र० सं०	नाम मद	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम अवशेष ग्रांट-3 के अनुसार	लेखा परीक्षा अनुसार	अन्तर
1	विधायक निधि	240000	3089000	1991323	1325765	1337677	11912
2	मनरेगा प्रशासनिक मद	89447	6603785	3190930	3096292	3502302	406010
योग							417922

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विधायक निधि व मनरेगा प्रशासनिक मद में ₹0 417922 का अपहरण किया गया है, जिसके लिये सहायक लेखाकार श्री विनोद कुमार सिंह व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 16)

क्षेत्र पंचायत-महराजगंज

प्रस्तर संख्या-16 प्रमुख सचिव, श्रम एवं रोजगार तथा शासनादेश सं० 1372/33-2-11-10जी/2011 दिनांक 04.08.2011 के अनुसार कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेवर सेस आरोपित करने का आदेश दिया था। इसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जाना अपेक्षित था। संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक में चतुर्थ राज्य वित्त एवं विधायक निधि पर व्यय किया गया है। उक्त कराये गये कार्यों पर निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेवर सेस की कटौती ₹0 108493 की नहीं की गयी। नियमावली के प्राविधान का पालन न किये जाने से ₹0 108453 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है, जिसके निमित्त सम्बन्धित सहायक लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 108493 जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 2)

क्र०सं०	व्यय धनराशि का विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
		2017—18	2018—19
1	तेरहवां वित्त आयोग	58527.00	0.00
2	सांसद निधि	41403.00	0.00
3	सांसद निधि सोलर लाइट	413998.00	
4	राज्य वित्त आयोग	4579724.20	5751656.52

क्षेत्र पंचायत-महाराजगंज

प्रस्तर संख्या-17 वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2018-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर-2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये, किन्तु गत वर्षों तथा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में रु0 98432.76 अवशेष पड़ा है। जिसे राजकोष में जमा न करके लेखाकार श्री पवन श्रीवास्तव व श्री ओमप्रकाश मौर्य तथा कार्य अवधि में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 11)

क्षेत्र पंचायत-महाराजगंज

प्रस्तर संख्या-18 दिनांक 31.03.2019 को निम्नलिखित योजनाओं/मदों में निम्नवत् धनराशि अवशेष पड़ी हुई है, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस/जमा नहीं करके अनियमितता की गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	आयकर	83455.00
2	आंगनबाड़ी	24317.00
	योग	107772.00

उपरोक्त के लिये लिये लेखाकर श्री पवन श्रीवास्तव व खण्ड विकास अधिकारी श्री धनंजय सिंह जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 12)

क्षेत्र पंचायत-कोयलसा

प्रस्तर संख्या-19 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस जमा किये जाने का प्राविधान किया है किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर 1 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी। आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराया गया।

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
1	राज्य वित्त आयोग	4282555.84	3503678.32
2	तेरहवां वित्त आयोग	—	146908.00
3	चौदहवां वित्त आयोग	107979.00	281242.00
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	165620.00	—
	योग-	4556154.84	3931828.32

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में 1 प्रति0 लेबर सेस रु0 45561.00 व वर्ष 2018-19 में लेबर सेस रु0 39318.00 कुल रु0 84879.00 लेबर सेस का धन श्रम आयुक्त कोष में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार यादव व श्री धनंजय सिंह तथा लेखाकार श्री रामजतन यादव व श्री पवन कुमार श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 02)

क्षेत्र पंचायत-कोयलसा

प्रस्तर संख्या-20 शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(32)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है किन्तु दिनांक 31.03.2019 तक ब्याज रु0 32035.21 जमा करना शेष रहा। इस प्रकार अवशेष ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी सर्वश्री विनोद कुमार यादव व धनंजय सिंह तथा लेखाकार सर्वश्री रामजतन यादव व पवन कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 03)

क्षेत्र पंचायत –ठेकमा

प्रस्तर संख्या-21 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस जमा किये जाने का प्राविधान किया है किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर 1 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी। आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराया गया।

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
1	म0गा0रा0ग्रा0रो0 योजना	21,11,901.00	60,32,647.00
2	विधान मण्डल क्षेत्र वि0नि0	1,76,656.00	28156.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त योजना	54,06,076.00	53,94,995.00
योग-		76,94,633.00	1,14,55,798.00

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में 1 प्रतिशत लेबर सेस रू0 76,946.00 व वर्ष 2018-19 में लेबर सेस रू0 1,14,557.00 कुल रू0 1,91,503.00 लेबर सेस का धन श्रम आयुक्त कोष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी सर्वश्री लालजी प्रेमचन्द राम, रामचन्द्र शर्मा एवं लेखाकार श्री सौरभ अस्थाना का रहा। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उक्त उत्तरदायी पदाधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 02)

क्षेत्र पंचायत –ठेकमा

प्रस्तर संख्या-22 शासनादेश सं0 ए.1.122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है किन्तु दिनांक 31.03.2019 तक ब्याज रू0 1,86,55,923.60 जमा करने हेतु अवशेष है। इस प्रकार रू0 1,86,55,923.60 ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी। खण्ड विकास अधिकारी सर्व श्री लालजी, प्रेमचन्द राम व रामचन्द्र शर्मा एवं लेखाकार श्री सौरभ अस्थाना उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 03)

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदपुर

प्रस्तर संख्या-23 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस जमा किये जाने का प्राविधान किया है किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर 1 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी। आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराया गया।

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
1	चतुर्थ रा0वि0 आयोग	3798341.00	5589800.00
2	विधायक क्षेत्र निधि	1211947.00	5076653.00
3	बी0आर0जी0एफ0	—	891420.50
योग-		5010288.00	11557873.50

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में 1 प्रतिशत लेबर सेस रू0 50102.00 व वर्ष 2018-19 में लेबर सेस रू0 115578.00 कुल रू0 165680.00 लेबर सेस का धन श्रम आयुक्त कोष में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी सर्वश्री मनोज कुमार वर्मा, जितेन्द्र कुमार एवं संतोष नारायण गुप्त तथा लेखाकार सर्वश्री मनोज श्रीवास्तव, सुनील अग्रवाल, प्रताप नारायण राय एवं विजय कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 02)

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदपुर

प्रस्तर संख्या-24 शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(32)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है किन्तु दिनांक 31.03.2019 तक ब्याज रू0 358088.22 जमा करना शेष रहा। इस प्रकार अवशेष ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी। खण्ड विकास

अधिकारी श्री संतोष नारायण गुप्त तथा लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 03)

क्षेत्र पंचायत –बिलरियागंज

प्रस्तर संख्या-25 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार तथा शासनादेश सं० 1312/33-2-11-10जी/2011 दिनांक 04.08.2011 के अनुसार कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित करने का आदेश माह सितम्बर 2009 में दिया था। इसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जाना अपेक्षित था। संस्था द्वारा वर्ष 1017-18 से 2018-19 तक राज्य वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कुल रु० 7264510 व्यय किया गया। उक्त कराये गये कार्य में निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती रु० 72645 नहीं की गयी, जो अनियमित है, जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री विनीत सोनकर व सहायक लेखाकार श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव का है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कम सं०

व्यय धनराशि का विवरण

धनराशि

01

राज्य वित्त

7264510.00

1 प्रतिशत लेबर सेस

72645.00

(आपत्ति सं० 02)

क्षेत्र पंचायत –बिलरियागंज

प्रस्तर संख्या-26 शासनादेश सं० 6512/38-7-2010-10-एन०आर०जी०ए०/०5टी०सी० दिनांक 25.08.2011 के प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का कार्य प्रभारी क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को ही बनाया जाय। जहां क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था और यदि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे तो वह स्वयं तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे। ऐसी परियोजनाओं की आगणन की धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी उक्त अधिकारियों से की जायेगी।

क्र०	वर्ष	कार्य का नाम	लागत धनराशि
1	2017-18	पण्डेय चवर पिच रोड से राय के खेत के पास पुलिया नि०। कार्य प्रभारी-श्री हरिशंकर ओझा(ग्र० वि० अधि०)	462765.00
2	2017-18	पहलवानपुर यादव बस्ती के द० तक खण्डजे का अवशेष नि०। कार्य प्रभारी-श्री हरिशंकर ओझा(ग्र० वि० अधि०)	450968.00
3	2017-18	विजरवां में राजेन्द्र के नलकूप से दलित बस्ती गुलउर के सी० सी० रोड का अवशेष नि०। कार्य प्रभारी-श्री हरिशंकर ओझा(ग्र० वि० अधि०)	668238.00
4	2017-18	भेन पिच रोड से मोहिउददीनपुर सरहद से नामवर यादव के घर तक नाली नि०। कार्य प्रभारी-श्री हरिशंकर ओझा(ग्र० वि० अधि०)	181185.00
		योग	1763856.00

(आपत्ति सं० 03)

क्षेत्र पंचायत –बिलरियागंज

प्रस्तर संख्या-27 क्षेत्र पंचायत बिलरियागंज की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से काटे गये आयकर रु० 229530 को रानकीय कोष में जमा न कर बैंक खाते में रोक कर रखा गया है, जो अनियमित है, जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री विनीत सोनकर व सहायक लेखाकार श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव का है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 04)

क्षेत्र पंचायत –बिलरियागंज

प्रस्तर संख्या-28 वित्त (लेखा अनुभाग -1) के शासनादेश सं० 4-1-22/4-2010-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर-3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा। किन्तु संस्था द्वारा ब्याज की धनराशि रु० 128853.88 को

राजकिय कोष मे जमा न करके खाते मे रोक कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री विनीत सोनकर व सहायक लेखाकार श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव का है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।
(आपत्ति सं० 05)

क्षेत्र पंचायत –तहबरपुर

प्रस्तर संख्या-29 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार तथा शासनादेश सं० 1312/33-2-11-10जी/2011 दिनांक 04.08.2011 के अनुसार कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित करने का आदेश माह सितम्बर 2009 में दिया था । इसकी ब्याज सहित वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जाना अपेक्षित था । संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कुल रु० 7163756.00 व्यय किया गया । उक्त कराये गये कार्य में निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती रु० 71637.00 नहीं की गयी , जो अनियमित है ,जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री रामरेखा सिंह यादव, श्री अनुराग यादव व सहायक लेखाकार श्री अवध बिहारी मोर्य का है । आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

कम सं०	व्यय धनराशि का विवरण	धनराशि
01	राज्य वित्त	7163756.00
1 प्रतिशत लेबर सेस	71637.00	

(आपत्ति सं० 02)

क्षेत्र पंचायत –तहबरपुर

प्रस्तर संख्या-30 शासनादेश सं० 6512/38-7-2010-10-एन०आर०जी०ए०/०5टी०सी० दिनांक 25.08.2011 के प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का कार्य प्रभारी क्षेत्र पंचायत/ विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को ही बनाया जाय । जहां क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था और यदि ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे तो वह स्वयं तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे । ऐसी परियोजनाओं की आगणन की धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी उक्त अधिकारियों से की जायेगी ।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

क्र०	वर्ष	कार्य का नाम	लागत धनराशि
1	2018-19	ब्लाक परिसर में इण्टर लाकिंग कार्य नि० । कार्य प्रभारी-श्री दुर्गा राय (ग्र० वि० अधि०)	683748.00
2	2018-19	ब्लाक परिसर में मुख्य गेट नि० । कार्य प्रभारी-श्री दुर्गा राय (ग्र० वि० अधि०)	291047.00
		योग	974795.00

(आपत्ति सं० 03)

क्षेत्र पंचायत –तहबरपुर

प्रस्तर संख्या-31 शासनादेश सं० 866/33-2-4-93जी /2014 व शासनादेश सं० 8307/33-2-2004-93 जी /2004 दिनांक 12.01.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को प्राप्त धनराशि से कार्य कम से कम दो राजस्व गाँवों को जोड़ने वाले कार्यों का चयन कर कार्य कराये जाय । किन्तु क्षेत्र पंचायत तहबरपुर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराया गया है , जो अनियमित है ।वर्ष 2018-19 में कुल 13 कार्यों पर रु० 3329035.00 का व्यय कर अनियमित भुगतान कर अनियमितता की गयी है ,जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री रामरेखा सिंह यादव व सहायक लेखाकार श्री अवध बिहारी मोर्य का है । आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(आपत्ति सं० 04)

क्षेत्र पंचायत –फूलपूर

प्रस्तर संख्या-32 वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 452030.00 श्रमांश का भुगतान दर्शाया गया है ।श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके श्री सुरेश तथा ज्ञान सिंह को किया गया है । मजदूरी भुगतान कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना था । मस्टरोल पर मजदूरों के भुगतान प्राप्ति हस्ताक्षर पर लगे अंगूठा का निशान प्रमाणित नहीं है । अन्य

कार्यदायी संस्था द्वारा विगत वर्षों में कार्य नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र नहीं लगा है। उक्त गम्भीर अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी वर्मा व लेखाकार श्री अरविन्द अस्थाना व कार्य प्रभारी श्री सुरेश व ज्ञान सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 02)

क्षेत्र पंचायत –फूलपूर

प्रस्तर संख्या-33 वर्ष 2018-19 में कराये गये निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1563540.00 श्रमांश का भुगतान दर्शाया गया है। श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके श्री गौरव यादव तथा प्रमोद कुमार को किया गया है। मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना था। मस्टरोल पर मजदूरों के भुगतान प्राप्ति हस्ताक्षर पर लगे अंगूठा का निशान प्रमाणित नहीं है। अन्य कार्यदायी संस्था

द्वारा विगत वर्षों में कार्य नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र नहीं लगा है। उक्त गम्भीर अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी वर्मा व लेखाकार श्री अरविन्द अस्थाना व कार्य प्रभारी श्री गौरव यादव व प्रमोद कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 02)

क्षेत्र पंचायत –फूलपूर

प्रस्तर संख्या-34 वर्ष 2018-19 रु० 4440248.24 के अनुदान का उपभोग नहीं किया गया है। वर्षान्त उपभोग नहीं होने की स्थिति में अनुदान दाता/सरकार को धनराशि वापस किया जाना था। क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदान का उपभोग नहीं कर तथा नहीं अनुदान दाता/सरकार को वापस कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी वर्मा व लेखाकार श्री अरविन्द अस्थाना उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 08)

क्षेत्र पंचायत –हरैया

प्रस्तर संख्या-35 उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 नियम-4(3) तथा शासनादेश संख्या 1312/01-02-2011-10जी०/2011 दिनांक 04.08.2011 द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर से आरोपित करने का आदेश सितम्बर 2009 में दिया था। जिसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समस्त श्रोत पर किया जाना अपेक्षित है। संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, तेरहवाँ वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि तथा बी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर निम्न विवरणानुसार कुल रु० 12454724.80 व्यय किया गया। उक्त कराये गये कार्यों में निर्धारित 01 प्रतिशत की दर से लेबर सेस (कर्मकार उपकर) की धनराशि रूपया 124547.00 का न तो प्राक्कलन में प्रावधान किया गया और न ही उसकी कटौती की गयी है, जो नियम विरुद्ध है।

क्र० सं०	वर्ष	मद का नाम	निर्माण कार्य पर लेबर सेस व्यय	
01.	2017-18	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	5214192.80	52142.00
02.	2017-18	तेरहवाँ वित्त आयोग	33385.00	334.00
03.	2017-18	सांसद निधि	443645.00	4436.00
04.	2018-19	विधायक निधि	403987.00	4040.00
05.	2017-18	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	218717.00	2187.00
06.	2018-19	चतुर्थ राज्य आयोग	6140798.00	61408.00
योग –			12454724.80	124547.00

नियमावली के प्रावधान का पालन न किये जाने से रु० 124547.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र शर्मा, श्री देवकुमार चतुर्वेदी, श्री गुलाब चन्द, श्री संगम सिंह, श्री बीवी० सिंह एवं लेखाकार श्री सुभाष चन्द राय एवं श्री राजेश्वर प्रसाद उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ०सं० 2)

क्षेत्र पंचायत –हरैया

प्रस्तर संख्या-36 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2019 को निम्नलिखित मद की धनराशि अवशेष पड़ी हुई है, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस/जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम योजना/मद	धनराशि
01.	आंगनबाड़ी केन्द्र	783448.00
02.	टेण्डर जमानत धनराशि	5000.00
योग -		788448.00

उपरोक्त अनियमितता के लिए लेखाकार श्री राजेश्वर प्रसाद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बी०वी० सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ०सं० 14)**

क्षेत्र पंचायत -पल्हनी

प्रस्तर संख्या-37 शासनादेश संख्या-01/864/दस-15(1) दिनांक 23.09.08 के प्रस्तर -2 के अनुसार रु० 20000 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के किया जायेगा। तथा रु० 20001 से रु० 99999 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर तथा 100000 से अधिक सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में पाया गया की 100000 से अधिक की सामग्री बिना निविदा आमंत्रित किये क्रय किया गया है। इस प्रकार 1719675.00 रु० का अनियमितता कि गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्री रामरेखा सिंह, श्री अभिमन्यु सिंह, तथा श्रीमती कल्पना मिश्रा, लेखाकार- श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री उथल कुमार दत्ता, श्री बृजेश चौरसिया उत्तरदायी रहें। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् रहा-

क्र० सं०	कार्य का नाम	क्रय की गयी सामग्री का विवरण	बाउचर सं० व दिनांक	धनराशि
01	विकास खण्ड के प्रमुख कक्ष की मरम्मत एवं सुन्दरीकरण कार्य	सीमेंट, बालू आदि क्रय	33/16.03.19	246585
02	विकास खण्ड कार्यालय हाल एवं बरामदा मरम्मत	सीमेंट, बालू आदि क्रय	29/29.10.18	596932
03	खण्ड विकास अधिकारी के आवास का मरम्मत व सुन्दरीकरण	सीमेंट, बालू आदि क्रय	32/16.03.19	354481
04	विकास खण्ड पल्हनी के रिसोर्स सेन्टर की मरम्मत एवं सुन्दरीकरण	सीमेंट, बालू आदि क्रय	60/18.12.18 61/18.12.18	440737 80940
योग-				1719675.00

(सा० आ० सं०-02)

क्षेत्र पंचायत -पल्हनी

प्रस्तर संख्या-38 प्रमुख सचिव उ०प्र० पंचायत राज अनुभाग-03 कि शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर (2) के अनुसार क्षेत्र पंचायतों की जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती हैं, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें। क्षेत्र पंचायत पल्हनी की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यों में उक्त शासनादेश का पालन न करके अनियमितता की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा बहुत कार्य निर्माण ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं। जबकि ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों को भी भारत सरकार व राज्य सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं। जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् रहा :-

क्र०	कार्य का नाम	वर्ष	धनराशि
01	ग्राम ममरखापुर पिचरोड से मो० तकी के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	2018-2019	619985

02	ग्राम अईनियों में मार्टन स्कूल से मस्जिद तक खड्डन्जा निर्माण	018-2019	600958
03	ग्राम पंचायत बलरामपुर में मेन रोड से स्व0 अशरफी के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	018-2019	652178
योग-			1873121.00

(स0 आ0 सं0-04)

क्षेत्र पंचायत-पल्हनी

प्रस्तर संख्या-39 शासनादेश संख्या 01/2015/ए0-01-502/10-2015-10 (33) /2010 दिनांक 29.05.2015. के प्रस्तर 03 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो, अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय। क्षेत्र पंचायत पल्हनी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 तक कुल अर्जित ब्याज रु 1588408.3 जमा रहा। इस प्रकार अर्जित ब्याज रोक कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामरेखा सिंह, श्री अभिमन्यु सिंह, श्रीमती कल्पना मिश्रा एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री उथल कुमार दत्ता, श्री बृजेश चौरसिया उत्तरदायी रहें। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(स0 आ0 सं0-04)

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद- बलिया

संभाग- आजमगढ़

1. क्षेत्र पंचायत का नाम- नगरा

प्रस्तर-1 राज्य वित्तत योजना/चतुर्थ राज्य वित्तत से कराये गये कार्यों की तालिका 1 के क्रमांक 9 पर अंकित कार्य ब्लाक परिसर में ह्यूमपाइप कार्य एवं समर सेवल कार्य जिसे कोटेशन के आधार पर कराया गया है की पत्रावली की जांच से यह ज्ञात हुआ कि रु0 30000.00 समर सेवल क्रय एवं रु0 19094.00 सामग्री क्रय (ईट,सीमेंट, बालू आदि) तथा रु0 6095.00 मजदूरी भुगतान पर व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल व्यय रु0 55189.00 हुआ परन्तु उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी श्री रमाकान्त राम ए0डी0ओ0 को किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि समरसेवल क्रय एवं सामग्री क्रय का भुगतान भी कार्य प्रभारी को करके धन का अपहरण किया गया है। इस प्रकार रु0 49094.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। जिसका दायित्व खण्ड विकास श्री रमाकान्त राम ए0डी0ओ0 (कृषि) का रहा।

(आ0 सं0-5)

प्रस्तर-2 चतुर्थ राज्य वित्तत योजना से कराया गये कार्य (तालिका 1 व 2 के क्रमांक 1 ऊपर अंकित कार्य) ब्लाक परिसर में प्रधान मंत्री माडल आवास का वाऊडी वाल एवं टाइल्स कार्य में कुल रु0 63553.00 की सामग्री क्रय की गयी है। क्रीत सामग्री पर न तो आयकर की कटौती की गयी है और न ही जी0एस0टी0 की/आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। दर 2 प्रतिशत की दर से रु0 1271.00 आयकर तथा 1 प्रतिशत की दर से एस0 जी0एस0टी0 रु0 635.50 कुल रु0 2542.00 की राजकीय क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष राम तथा लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह का रहा। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(आ0 सं0-7)

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तालिका 1 एवं 2 के अनुसार विधायक निधि योजना से कराये गये कार्यों (क्रमांक 1 से 6 तक) के सापेक्ष कीट सामग्री पर जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार दर्शित है।

क्र0 सं0	तालिका 1/2 में दर्शित कार्य की क्रम0 सं0	कीट सामग्री का मूल्य	सी0जी0एस0टी0 कटौती	एस0जी0एस0टी0 कटौती
1	1	613240	—	—
		322570	—	—
		65040	—	—
2	2	269387	—	—
3	3	459093	—	—
4	4	459093	—	—
5	5	195705	—	—
6	6	435703	—	—

योग—	2819831	—	—

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 की कटौती न कर दर 2 प्रतिशत रू0 56397.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष एवं लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह का रहा। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(आ0 सं0-8)

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तालिका 1 व 2 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त योजना में वर्ष 2018-19 में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यो पर सामग्री क्रय एवं उस पर आयकर/जी0एस0टी0 कटौती विवरण दर्शित है।

तालिका 1 व 2 के अनुसार कार्य क्र0 सं0	सामग्री का मूल्य	सी0जी0एस0टी0 कटौती	एस0जी0एस0टी0 कटौती	आयकर कटौती	शुद्ध भुगतान
1	65028			2601	62427
2	149738			5990	143748
3	247362			9894	237468
4	80403			3216	77187
5	773823			30953	742872
6	584525			23381	561144
10	2566382			10255	246127
11	384072			15363	368709
योग—	2541335			101653	2439682

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तालिका 1 व 2 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त योजना में वर्ष 2018-19 में क्रमांक 1 से 6 तथा 10 से 11 तक के कार्यो की सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की गयी है। तथा सी0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार आयकर की अधिक कटौती किये जाने की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। तथा सी0जी0एस0टी0 व सी0जी0एस0टी0 की कटौती न किये जाने से कुल क्रय रू0 2541335.00 पर 2 प्रतिशत की दर रू0 50827.00 राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त राजस्व क्षति का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष एवं लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह का रहा। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(आ0 सं0-9)

प्रस्तर-5 विधायक निधि योजना से कराये गये कार्य ग्राम पंचायत नगरा में पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन का निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय एवं आयकर की कटौती की गयी है।

क्र0 सं0	बिल सं0	दिनांक	बिल की धनराशि	आयकर कटौती	शुद्ध भुगतान
1	02	4.2.2018	54173	12257	534916
2	05	6.3.2018	760591	17037	743554
3	08	27.3.2018	192156	4304	187852
4	04	18.5.2018	269387	6034	263353
		योग—	1769307	39632	1729675

उक्त कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री मूल्य रू0 1769307.00 पर (4 प्रतिशत कमी एवं जोड़ने के अन्तर की धनराशि) 8 प्रतिशत से जी0एस0टी0 अन्तर की धनराशि का आकलन रू0 141544.00 किया गया है जिसे फर्म के मालिक श्री राजेश कुमार को भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है यहां उल्लेखनीय है कि जी0एस0टी0 राजकीय राजस्व है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा काटकर सीधे राजकीय कोषागार में जमा किया जाना था। यदि जी0एस0टी0 की धनराशि फर्म द्वारा जमा की गयी होती तो बिल/वाउचर के कच्चे प्रमाणक बिल ही प्रस्तुत रहे। जिससे फर्म द्वारा जी0एस0टी0 जमा की भी पुष्टि नहीं होती है।

(आ0 सं0-10)

इस प्रकार जी0एस0टी0 की धनराशि को फर्म के मालिक को भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है उक्त का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार क्रमांक श्री राम आशीष एवं विजयन्त प्रताप सिंह का रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 (क)सांसद निधि योजना से कुल रू0 20128.00 आयकर की कटौती की गयी है जिसे 31.3.2019 तक राजकीय कोषागार में जमा न कर वित्तीय अनियमितता वरती गयी है जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष एवं लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप का रहा।

(आ0 सं0-11(2))

(ख)जी0एस0टी0 कटौती चतुर्थ राज्य वित्त योजना विधायक निधि योजना तथा सांसद निधि योजना से

(वर्ष 2018-19) क्रमशः ₹0 15940.00, 61188.00 तथा ₹0 17972.00 रही। जिसे 31.3.2019 तक राजकीय कोषागार में जमा न कर वित्तीय अनियमितता वरती गयी है। कुल ₹0 95100.00 की वित्तीय अनियमितता का खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष राम एवं लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (11(3))

प्रस्तर-7 प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1838/33-3-2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के क्रमशः 6 पर यह स्पष्ट निर्देश है कि क्षेत्र पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित्त योजनाओं से संकमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशुचिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रख-रखाव अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्ण में हुए विकास कार्यों/सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा।

वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत नगरा में चतुर्थ वित्त योजना से कुल ₹0 3457114.00 की सामग्री क्रय एवं ₹0 800265.00 मजदूरी पर भुगतान किया गया है। उपरोक्त व्यय से कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। तथा जो भी नये निर्माण कार्य कराये गये हैं वे एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले भी नहीं हैं। इस प्रकार माननीय प्रमुख सचिव महोदय के उक्त निर्देश का अनुपालन कर मनमाने ढंग से कार्य कराकर कुल व्यय धनराशि (सामग्री पर व्यय ₹0 3457114.00 तथा मजदूरी पर व्यय ₹0 800265.00) ₹0 4257379.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री रामआशीष राम, लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह तथा प्रमुख श्री अनिल कुमार सिंह का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-12)

प्रस्तर- 8 विविध व्यय मद से वर्ष 2018-19 में कुल ₹0 174646.00 व्यय किया गया है। उक्त मद से खण्ड विकास अधिकारी आवास की मरम्मत एवं रंगाई पोताई कार्य किया गया है। जिसमें ₹0 139691.00 की सामग्री क्रय तथा ₹0 34955.00 का मजदूरी भुगतान है। सम्बन्धित कार्य एक लाख ₹0 से अधिक मूल्य का है। अतः उक्त कार्य के कराये जाने की निविदा न निकालकर मनमाने ढंग से कार्य कराकर तथा क्रय कर वित्तीय अनियमितता वरती गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष राम एवं लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह का रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-13)

प्रस्तर-9 दिनांक 11.3.2019 को चेक सं0 019086 से ₹0 270440.00 का भुगतान श्री दयाशंकर राय व0 सहा0 विकास खण्ड नगरा को किया गया है। उक्त भुगतान ब्लाक स्वच्छता कार्य क्रय मद से विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है। कि योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किसी विज्ञापन एजेंसी को भुगतान न कर विकास खण्ड के वरिष्ठ सहा0 को भुगतान कर प्रकार ₹0 270440.00 का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व विकास खण्ड अधिकारी श्री राम आशीष राम एवं लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह का रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0-15)

प्रस्तर-10 गोवंश आश्रम स्थल मद में वर्ष 2018-19 में कुल ₹0 199800.00 का अनुदान प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष कुल ₹0 190000.00 उपभोग किया गया है। वर्षान्त में उक्त मद शेष अनुदान विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले दो गोवंश आश्रमों हेतु (विकास खण्ड नगरा में टंकी के नीचे भीमपुरा नं0-1 में अस्थाई गोशाला हेतु) व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान पशुओं के चोर हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी को किया गया है। व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली में भूसा/पूआल आदि व्यय के प्रमाणक सलंग्न रहे। परन्तु पशुओं की संख्या की पुष्टि में कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत रहा। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। खाद्यान मानेक एवं पशु संख्या के आधार बिना भूसा पुआल क्रय दर्शाकर सरकार के गोरक्ष योजना के नियमों की अवलेहनाकार मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमितता वरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार एवं पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-16)

2. क्षेत्र पंचायत का नाम- सोहॉव

प्रस्तर-11 क्रमांक 1,2,6 तथा 7 के क्रयों ₹0 59445.00 (101527+183513+152980+156431) पर जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है, कम से कम 2 प्रतिशत की दर से ₹0 11889.00 जी0एस0टी0

की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त क्षति का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया एवं लेखाकार श्री वृजेश कुमार गुप्ता का रहा। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-11क)

क्रम० सं०	कार्य का नाम	क्रय की गई सामग्री का मूल्य	जी०एस० टी० की कटौती	आयकर की कटौती	शुद्ध भुगतान	चेक नं०	दिनांक
1	ग्राम महरौई में काली मन्दिर के बगल में इण्टर लाकिंग कार्य	101527	—	2305	99222	017194	7.3.19
2	सोहौव के अन्तर्गत बलिया भरौली मुख्य मार्ग से सेवा संघ इण्टर कालेज के बगल से सर्वजन कल्याण बा०वि० सोहौव तक पेवर्स कार्य	183513 81920	— 1638	4166 1860	179347 78422	016287 016293	20.11.18 01.12.18
3	लक्ष्मणपुर घोष राय के कोने से अरविन्द राय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य व नाली निर्माण	67623	2705	1535	63383	012736	17.5.18
4	भरौली गोलम्बर स्थिति स्वामी सहजानन्द सरस्वती पार्क का सुन्दरी करण	101162	4046	2296	94820	012736	17.5.18
5	सरया(नसीरपुर) में मानपूर्ण के स्थान पर रैन वसेरा का निर्माण	97451	3898	2212	91341	875006	28.5.18
6	सरया कोटा (सिकन्दरपुर) सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति पण्डाल के पास आर०सी०सी० सडंक से केशव चौधरी / एकबाल के घर के तक पेवर्स सोलिंग एवं आर०सी०सी० ढक्कन सहित नाली / के०सी० डेन निर्माण तथा भगवान के घर से दीनदयाल के घर तक आर० सी०सी० ढक्कन सहित नाली निर्माण	152980	—	3060	149920	015516	23.8.18
7	ग्राम सभा कोठिया सिन्दुरिया में शिवराम के दरवाजे से विपीन सिंह के घर तक सतीश राय के घर के पास अनिल राय एडवोकोट के दरवाजे सूरज ब्रह्म बाबा के के स्थान तक पेवर्स ब्लाक व नाली निर्माण	156431	—	3129	153302	015116	23.8.18

	योग—	942607	12287	20563	909757		

कुल सामग्री क्रय रु0 942607.00 दर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु0 21114.00 आयकर की कटौती की जानी थी। परन्तु उक्त के सापेक्ष मात्र रु0 20563.00 ही आयकर की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 551.00 कम आयकर की कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया एवं लेखाकार श्री वृजेश कुमार गुप्ता का रहा। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-11 घ)

प्रस्तर-12 क्रमांक 3,6,12,13,17 एवं 18 कार्यों हेतु सामग्री क्रय रु0 1097771.00(248455+461062+189336+57611+51589+89718) पर जी0एस0टी0 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त राजकीय क्षति का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया एवं लेखाकार श्रीवृजेश कुमार गुप्ता का रहा। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। (आ0 सं0-12 क)

क्रम0 सं0	कार्य का नाम	क्रय की गई सामग्री का मूल्य	जी0एस0 टी0 की कटौती	आयकर की कटौती	शुद्ध भुगतान	चेक नं0	दिनांक
1	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा सोवन्धा में एन0एच0 सोवन्धा से पाल वस्ती होते हुए लल्लन यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	305320 178284 239652	36638 21394 4793	6932 4047 5440	261750 152843 229419	015102 015109 016297	18.7.18 13.8.18 17.12.18
2	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा बधौना में जय प्रकाश के खलिहान से बशिष्ट यादव के दरवाजे होते हुए हनुमान मन्दिर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	91596	10991 7832	2079 8889	78526 374862	015102 017166	18.7.18 15.3.19
3	सोहॉव के अन्तर्गत फिरोजपुर नरही मार्ग से प्राइमरी स्कूल के मोड़ तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	248455	—	5640	242815	015106	13.8.18
4	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम टमीरपुर डीह में शिवप्यार के ट्यूबवेल से रमायन यादव के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक कार्य	417824 57400	8356 1148	9485 1303	399983 54949	016292 019662	1.12.18 4.1.19
5	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम भरौली में रमायन के घर से हनुमान मंदिर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	356305 112242	7126 2245	8088 2548	341091 107449	016692 019662	1.12.18 4.1.19
6	सलेमपुर में अशोक सिंह के घर से रामदेव के घर तक पेवर्स कार्य	461062	—	10466	450596	016288	20.11.18
7	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहपुर बभनोली में कालिका पाल के घर से राजेन्द्र पाल के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	212545 172092 264177	25505 20651 5284	4825 3906 5997	182215 147535 252896	015102 015109 016297	18.7.18 13.8.18 17.12.18
8	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा उजियार कुमकुम पट्टी में इस्लामियां स्कूल से कब्रिस्तान	179518 258216 283195	19234 30986 5664	3638 5861 6429	156646 221369 271102	012735 075008 016296	17.05.18 2.8.05.18 17.12.18

	होते हुए मुन्ना गोड के घर पेवर्स ब्लक कार्य						
9	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोहॉव गांव में 100मी0 पहले पुलिया निर्माण	168824 345585 290387	20259 41470 5808	3832 7845 6592	144733 296270 277987	012739 875016 016296	25.5.18 2.07.18 17.12.18
10	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा पलिया खास में हनुमान मन्दिर से नसगस बाबा के स्थान तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	175003 248499 281869	21000 29820 5637	3973 5641 6398	150030 213038 269834	012739 015107 016298	29.5.18 13.8.18 17.12.18
11	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा पिपरा कला में दरोगा भर के घर से गगु तेली के घर तक पेवर्स ब्लक निर्माण	130702 245063 205058	14004 29408 4101	2649 5563 4655	114049 210092 196302	012735 875008 016296	17.5.18 28.5.18 17.12.18
12	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा फिरोजपुर में शाबुद्दिनपुर बबलू यादव के घर के सामने से प्रा0पा0 तक पवर्स ब्लक निर्माण	332664 189336	6654 —	7551 4298	316459 185038	017152 017164	1.3.19 15.3.19
13	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगहरा में राजनाथ यादव के घर से काली माँ मन्दिर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण	273004 57611	5460 —	6197 1308	261347 56303	019670 017167	20.2.19 15.3.19
14	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम कुतुबपुर में डोकरी यादव के घर रेनू देवी के घर तक पेवर्स कार्य	333267	6666	7565	319036	019670	20.2.19
15	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम नसीरपुर मठ में सुरेश गुप्ता के घर से विनय सिंह के दरवाजे होते हुए प्रमोद उपाध्याय के जमीन तक पेवर्स ब्लक कार्य	379702	7594	8619	8619	019670	20.2.19
16	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा दौलतपुर मेन रोड़ से दीपक सिंह के घर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण	260910	5218	5923	249769	019670	20.2.19
17	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दरियापुर पिपरा खुर्द प्रा0 पा0 से नरही बस्ती सोधारी डीह बाबा के स्थान पर पेवर्स ब्लक कार्य	383658 51589	7674 —	8709 1171	367275 50418	019670 017167	20.2.19 15.3.19
18	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा दुलारपुर में शिव दयालवीर बाबा के स्थान से राम प्रकाश के घर होते हुए प्रा0 पा0 दुलारपुर मेन रोड़ तक पेवर्स ब्लक कार्य	276872 89718	5538 —	6285 2037	265049 87681	019670 017167	20.2.19 15.3.19

19	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम टेउवा के मठिया में काली मन्दिर से कन्हैया के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण	410197 85287	8204 1706	9311 1936	392682 81645	016292 019662	1.12.18 4.1.19
योग—		9299538	434068	213631	8651839		

सांसद निधि योजना के कुल 19 कार्यों हेतु कुल ₹0 9299538.00 की निर्माण कार्य सामग्री क्रय की गयी है। उक्त क्रय पर 2.00 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 185991.00 आयकर की कटौती की जानी थी। परन्तु उक्त के सापेक्ष कुल ₹0 213631.00 आयकर की कटौती की गयी है। अर्थात् ₹0 27640.00 अधिक आयकर की कटौती की गयी है। अधिक आयकर कटौती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। साथ ही साथ नियमानुसार कटौती किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0—12 ख)

प्रस्तर—13 क्रमांक 1,4,5,15,16,20,25 तथा 26 के कार्यों, पर जी0एस0टी0 की कटौती न तो फर्मों से की गयी है। तथा न ही संस्था द्वारा कटौती करके उसे अलग जी0एस0टी0 खाते में रखा गया है।

उपरोक्तानुसार कुल क्रय सामग्री मूल्य ₹0 (228588 +36854+370968+57647+448000+336000+112000+49000+113608+11365) 1764030.00 पर जी0एस0टी0 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। कुल क्रम ₹0 1764030 पर दर 2 प्रतिशत से 35281.00 जी0एस0टी0 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया तथा लेखाकार श्री वृजेश कुमार गुप्ता का रहा।

(आपत्ति सं0 —13,ख)

क्रमांक 6 हेतु सामग्री कं0 ₹0 184751 पर ₹0 22170 जी0एस0टी0 जोड़कर तथा क्रमांक 24 पर आलमारी क्रय हेतु पर ₹0 6534.00 जी0एस0टी0 जोड़कर सम्बंधित फर्मों को भुगतान किया गया है। परन्तु प्रस्तुत व्यय प्रमाणको की जांच से जी0एस0टी0 भुगतान की पुष्टि नहीं हो पायी। अतः ₹0 (22170+6534) 28704.00 जी0एस0टी0 भुगतान की पुष्टि न होने के कारण राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया एवं लेखाकार श्री वृजेश गुप्ता का रहा।

(आपत्ति सं0—13,ग)

कार्य क्रमांक सं0 15,16,17,18,19,20,25 तथा 26 पर क्रय सामग्री मूल्य ₹0 2450273.00(44800+336000+448000+4488000+4488000+112000+49000+36300+113608+11365) से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। दर 2.00 प्रतिशत की दर से ₹0 49005.00 आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया एवं लेखाकार श्री वृजेश गुप्ता जिम्मेदार क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0—13,घ)

क्रम0 सं0	कार्य का नाम	क्रय की गई सामग्री का मूल्य	जी0एस0 टी0 की कटौती	जी0एस0 टी0 की कटौती	आयकर की कटौती	शुद्ध भुगतान	दिनांक	चेक नं0
1	नरही थाना परिसर में सी0सी0 रोड़ निर्माण	228588	—	—	5189	223399	29.9.18	012453
2	बढवलिया के टिकरी में पिच रोड़ से माधो ब्रह्म स्थान तक अवशेष पेवर्स ब्लाक कार्य	206184	24742	—	4680	176762	12.7.18	009117
3	ग्राम पंचायत बसंतपुर में एन0एच0 रोड़ से रामगत बाबा चिल्ड्रेन स्कूल तक पेवर्स ब्लाक कार्य	155305 129360	— 13860	18637 —	3525 2622	151780 112878	27.7.18 30.8.18	09120 00446
4	पलिया खास पिच रोड़ से कुल्हडिया	36854	—	—	837	36017	29.9.18	012452

	रोड़ पर मिट्टी एवं खडंजा कार्य							
5	ग्राम पंचायत दुलारपुर में एक वनी में पिच रोड़ से ज्ञानदीप सुयेदीप शिक्षण संस्थान तक पेसर्व बलाक कार्य	370968 57647	—		8421 1309	362547 56338	29.9.18 13.3.19	012453 013468
6	सोवन्था में एन0एच0 रोड़ से अवधेश के घर के आगे तक पेवर्स ब्लाक कार्य	206727 184751	—	24807 (+)22170	4692 4194	202035 202727	28.5.18 2.11.18	009113 0124562
7	सेहॉव में वीरेन्द्र पासवान के घर से सुधीर राम के घर तकसी0सी0 रोड़ निर्माण	183389 177390	—	22007 21287	4163 4027	179226 173363	28.5.18 27.07.18	009113 009120
8	नरही थाना में परिसर में रास्ते के दोनों तरफ पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	213231	—	25588	4840	208391	28.5.18	09113
9	ग्राम पंचायत नसीरपुर कला में राजेन्द्र राजभर का डेरा होते हुए भीम व लालजी के घर होते हुए राजा रात के द्वार तक पेवर्स कार्य	35689 104640	—	4282 12557	810 2375	34879 102265	11.7.18 28.5.18	009115 09113
10	ग्राम सभा चौरा में नाथ बाबा परिसर में पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	181816 54942	—	21818 6593	4127 1247	177689 53695	28.5.18 11.7.18	009113 009115
11	बढ़बलिया के टिकरी पिच रोड़ से माधो ब्रह्म स्थान तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	206727 180034	—	24807 21604	4692 4087	202035 175947	28.5.18 11.7.18	009113 009115
12	अख्तियापुर में प्रेम के डेरा से शम चीत के डेरा तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	233716 127340	—	28046 15280	5305 2891	228411 124449	28.5.18 11.7.18	09113 09115
13	उजियारपुर रामगढ़ रोड़ से एन0बी0एस0 कान्वेन्ट स्कूल तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	210916 215180	—	25310 25822	4788 4885	206128 210295	28.5.18 11.7.18	009113 009115
14	भटौली में पारस यादव के घर से शिव नारायण के घर तक ढक्कन सहित नाली निर्माण	84044 76827	—	10085 9219	1908 1744	82136 75083	27.7.18 28.5.18	09120 09113
15	विकास खण्ड सोहॉव में स्ट्रीट लाइट कार्य	448000	—	—	—	448000	18.12.18	012459

16	विकास खण्ड सोहाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट कार्य	336000	—	—	—	336000	16.1.19	012461
17	विकास खण्ड सोहाँव में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट कार्य	448000	8960	—	—	439040	20.2.19	012462
18	विकास खण्ड सोहाँव में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट कार्य	448000	8960	—	—	439040	20.2.19	012463
19	विकास खण्ड सोहाँव में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट कार्य	448000	8960	—	—	439040	13.3.19	012470
20	विकास खण्ड सोहाँव में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट कार्य	112000 49000	— —	— —	— —	112000 49000	15.3.19 6.10.18	012471 012455
21	मेड़वरा खुर्द पिच रोड से शिवपूजन यादव के घर के आगे तक इण्टर लाकिंग कार्य	128692	13787	—	2608	112297	13.8.18	012441
22	नगवां में मेन रोड से बन्न के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण	82696	8860	—	1676	72160	4.4.18	09111
23	धर्मापुर गोसलपुर बन्धा से प्रभावती झोका0 तक पेवर्स ब्लाक निर्माण	110004	—	13200	2497	107507	4.4.18	09111
24	आलमरी	36300	—	+6534	—	42834	4.4.18	091107
25	कम्प्यूटर क्रय	113608	—	—	—	113608	4.4.18	091108
26	कम्प्यूटर कक्ष में वायरिंग हेतु सामग्री क्रय	11365	—	—	—	11365	4.4.18	091109
	योग—	6633930	88129	330949 +28704	94139	6480366		

प्रस्तर—14 वित्तीय वर्ष 2018—19 में विधायक निधि योजना से कुल 7 कार्यो सांसद निधि योजना से कुल 19 कार्यो तथा राज्य वित्त योजना से कुल 24 कार्यो को कराया गया है। जिसका विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तालिका 1व 2 में योजनावार किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2018—19 में कुल 50 कार्यो को कराया गया है। परन्तु किसी भी कार्य के कराये जाने से सम्बंधित निविदा प्रपत्रों की न तो विक्री की गयी है और न ही निविदा निकाली गयी है। जबकि प्रत्येक कार्य हेतु कम से कम तीन निविदा प्रपत्रों की विक्री की जानी थी। अर्थात् 150 निविदा प्रपत्रों की विक्री से हुई आप का लेखाकन कोषवही में न करके अपहरण किया गया है। दर 500 प्रति निविदा प्रपत्र की दर से रु0 75000.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया एवं लेखाकार श्री वृजेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0 14)

प्रस्तर—15 सांसद निधि योजना से कराये गये कार्यो की पत्रावलियों की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत फिरोजपुर में शावुद्धिनपुर बबलू यादव के घर के सामने से प्राइमरी पाठशाला

तक पेवर्स ब्लॉक निर्माण कार्य की पत्रावली में रु0 75600 मजदूरी भुगतान किया गया है। परन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं है।

इस प्रकार विना मस्टर रोल के मजदूरी भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द प्रकाश चौरसिया एवं लेखाकार श्री वृजेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-19)

प्रस्तर -16 राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवयुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 16391-3-2015-03/2015 दिनांक 13.06.2015 के क्रमांक 6 में यह उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत व्यय क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हे हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र वीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव पर अवश्य किया जाये। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य आयोग से कुल रु0 6633930.00 की सामग्री क्रय तथा रु0 708380.00 का मजदूरी भुगतान अर्थात् कुल रु0 7342,310.00 का नया कार्य कराया गया है। जबकि उपयुक्त शासनादेश के अनुसार कुल 50 प्रतिशत धनराशि मरम्मत पर व्यय की जानी थी परन्तु ऐसा न कर रु0 367115.00 धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के सम्बंध में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तथा उक्त का दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया एवं लेखाकार श्री वृजेश कुमार गुप्ता का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 21)

प्रस्तर -17 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट पर व्यय दर्शित किया गया है। उपरोक्त क्रय के सम्बंध में निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी।

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण	फर्म का नाम
18.12.18	448000	स्ट्रीट लाइट कार्य	साई कृपाइ0/इलेक्ट्रॉनिक
16.1.19	336000	सोलर लाइट कार्य	साई कृपाइ0/इलेक्ट्रॉनिक
20.2.19	448000	स्ट्रीट लाइट कार्य	पाठक इण्टर प्राइजेज
20.2.19	448000	स्ट्रीट लाइट कार्य	पाठक इण्टर प्राइजेज
13.3.19	448000	स्ट्रीट लाइट कार्य	पाठक इण्टर प्राइजेज
15.3.19	112000	स्ट्रीट लाइट कार्य	पाठक इण्टर प्राइजेज
6.10.18	49000	स्ट्रीट लाइट कार्य	लक्ष्मी इण्टर प्राइजेज
योग-	2289000		

1. उपयुक्त कार्य के कराये के जाने का इस्टिमेट एवं निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी।

2. स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय हेतु नियम फर्म नेडा से क्रय न कर मनमाने ढंग से क्रय से किया गया।

3. उपयुक्त कार्य के कराये जाने के पूर्व निविदा नहीं आमंत्रित की गयी है।

4. स्ट्रीट लाइट लगाये जाने हेतु लाभार्थियों के विद्युत कनेक्शन की स्थिति अज्ञात रही।

5. सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट लगाते समय लगने के पूर्व तथा लगने के पश्चात् फोटोग्राफ आप्राप्त रहा।

6. सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट जैसा कार्य ग्राम पंचायत स्तर का है क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराया जाना पूर्णतया अनियमितता रहा।

1. किन-2 स्थानों पर स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट लगाई गयी है उसकी सूची भी नहीं प्रस्तुत रही।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट पर व्यय पूर्णतया अनियमितता रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-22)

प्रस्तर-18 दिनांक 18.7.2018 को ग्रांट रजिस्टर भाग-2 पर सांसद निधि योजना के कुल कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु0 13836.00 आयकर एवं रु0 86970.00 जी0एस0टी0 की कटौती किये जाने का विवरण अंकित है। परन्तु सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में निम्न विवरणानुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती का विवरण दर्शित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री का मूल्य	जी0एस0टी0 कटौती	आयकर कटौती	शुद्ध भुगतान
1	सोहॉव में ग्राम सभा सोवन्धा में	305320	36638	6932	261750

	एन0एच0 सोवन्धा से पाल वस्ती होते हुए लल्लन यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य				
2	सोहॉव के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहपुर वभनौली में कालिका पाल के घर से राजेन्द्र पाल के घर तक सी0सी0 निर्माण	212545	25505	4825	182215
3	सोहॉव के अन्तर्गत वधौना में जय प्रकाश के खलिहान से वशिष्ठ यादव के दरवाजे होते हुए हनुमान मन्दिर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	91596	10991	2079	78526
	योग—	609461	73134	13836	522491

उपरोक्तानुसार पत्रावलियों के अनुसार मात्र रू0 73134.00 ही जी0एस0टी0 कटौती की गई थी। परन्तु ग्रांट रजिस्टर भाग-2 सांसद निधि खाते से 2018-19 को रू0 86970.00 जी0एस0टी0 के रूप में एस0टी0 खाते में ट्रान्सफर किया गया है। अर्थात् रू0 13836.00 अधिकारी जी0एस0 टी0 का भुगतान/हस्तान्तरण कर दिया गया है। उक्त सुधार किया जाना अपेक्षित है। क्योंकि कटौती की गयी जी0एस0टी0 से रू0 13836.00 अधिक ट्रान्सफर करते हुए भुगतान कर दिया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-18)

3. क्षेत्र पंचायत का नाम— नवानगर

प्रस्तर-19 वर्ष 2018-19 में कराये गए निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 845870.00 श्रमांश का भुगतान दर्शाया गया है। श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके श्री जयप्रकाश सिंह, शमसाद अहमद, जावेद आलम, हरेन्द्र सिंह, इरशाद अहमद, अनिल कुमार वर्मा, रामपुकार राम को किया गया। मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना था। मस्टर रोल पर मजदूरों के भुगतान प्राप्ति हस्ताक्षर पर लगे अगूठा का निशान प्रमाणित नहीं है। अन्य कार्यवाही संस्था द्वारा विगत वर्षों में कार्य नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र नहीं लगा है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0-2)

4. क्षेत्र पंचायत का नाम—चिलकहर

प्रस्तर-20 शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अन्तिम तिथि को लेखाशीर्ष 0021 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वित्तरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वित्तरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कड़ोर करावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। राज्य वित्त के अन्तर्गत रू0 5817937.00 की सामग्री क्रय की गयी है 2.00 प्रतिशत की दर से रू0 116359.00 आयकर होता है परन्तु आलोच्य वर्ष में रू0 119981.00 आयकर कटौती दर्शित है जबकि बैंक स्टेट मेन्ट के अनुसार रू0 20125.8 आयकर जमा करना दर्शित है परन्तु इससे सम्बन्धित आयकर प्रमाण पत्र, इश्यू, चालान नं0 इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0 116359.00 के आयकर जमा में गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह तथा लेखाकार श्रीनाथ सिंह (दिनांक 30.6.18 तक) तथा वर्तमान लेखाकार श्री विनोद सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0- 2)

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष में रू0 1816847.00 के सामग्री पर व्यापार कर 4 प्रतिशत से 31805.00 की कटौती की गई है परन्तु लेखा परीक्षा के अनुसार यह धनराशि रू0 72674.00 होता है। परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित कटौती से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेख के अभाव धनराशि की पुष्टि नहीं हो पायी। जी0एस0टी0 के लागू होने के बाद वैट की कटौती शून्य है तथा कटौती की गयी धनराशि वसूली अर्थात् 31805.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्रीनाथ सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह से किया जाना चाहिए।

(आ0 सं0-3(1))

प्रस्तर-22 1 जुलाई से वैट इत्यादि को समाप्त कर पूरे देश में टैक्स की एकरूपता लाते हुए जी0एस0टी0 लागू की गयी इसी एक्ट के धारा 51 जो उ0प्र0 में दिनांक 01.10.18 से प्रभावी है के अनुसार स्रोत पर 2

प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती किया जाना अनिवार्य है परन्तु आलोच्य वर्ष में संस्था के द्वारा 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 न काट कर हानि पहुंचाई गयी है लेखा परीक्षा के अनुसार जी0एस0टी0 दिनांक 01.10.18 को लागू होने के बाद रू0 2679280.00 की सामग्री क्रय की गयी है 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 से रू0 53586.00 होता है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह तथा विनोद सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (आ0 सं0-3(2))

प्रस्तर-23 चार कार्यों क्रमशः वसनवार में केशव सिंह के घर से राधामोहन के घर होते डीह बाबा तक मिट्टी खंडजा मंगरौली में पिच रोड़ से नलकूप तक इंटर लौकिंग कोडरा में साधु के खेत के पास पुलिया निर्माण तथा नरांव में चन्द्रशेखर आजाद की छावनी का निर्माण कार्य में रू0 10000×4=40000.00 जमानत की धनराशि सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से ली गयी है परन्तु ग्रांट रजिस्टर में अंकित न कर धन का अपहरण कर लिया गया है इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह तथा श्रीनाथ सिंह लेखाकार जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-17)

प्रस्तर-24 राज्य वित्त के अन्तर्गत जोगापुर, कुरेजी, बुढऊ मार्ग से गया राजभर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की लागत रू0 3.62 लाख है, प्रस्ताव सं0 194/2017-18/दिनांक 29-1-18 है। तथा तकनीकी स्वीकृति सं0 194/आर0ई0डी0 दिनांक 29-1-18 है। एम0बी0 वीरेन्द्र कुशवाहा द्वारा किया गया है। जबकि दिनांक 3-1-18 को ही कार्य प्रभारी श्री प्रमोद सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को नियुक्त किया है। अतः यह एक फर्जी नियुक्त है। टेण्डर प्रक्रिया में कोई तिथि अंकित नहीं आर0डी0 एसोसिएट जोगापुर को सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदार दी गयी है परन्तु अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं। सामग्री आपूर्ति प्रमाणक रू0 268715 पर तिथि अंकित नहीं इसके अलावा जे0ई0 तथा कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया अतः स्पष्ट यह एक काल्पनिक प्रमाणक है। परन्तु पेमेन्ट हेतु नोटशीट पर जे0ई0 का हस्ताक्षर है। प्राप्त मस्टर रोल रू0 33600 है। परन्तु मस्टर रोल कार्य का दिनांक अंकित नहीं है जो गंभीर अनियमितता इंगित करता है। जी0एस0टी0 लागू होने के बाद 4 प्रतिशत व्यापार कर रू0 11463 की कटौती की गयी उक्त की पुष्टि किया जाना आवश्यक है अन्यथा यह सरकारी धन अनियमितता का मामला हो सकता है। अतः कार्य के कुल व्यय रू0 268715+33600= 302315 के प्रत्येक चरण में अनियमितता प्रदर्शित हो रही है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह लेखाकार श्री नाथ सिंह जे0ई0 वीरेन्द्र कुशवाहा तथा श्री प्रमोद सिंह कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित हैं। (आ0 सं0-15)

प्रस्तर-25 बछईपुर में बाबूलाल के घर से गड़ही तक नाली निर्माण कार्य की लागत 3.07 लाख है कार्य का प्रस्ताव सं0 195/2017-18/29-1-18 है जबकि तकनीकी स्वीकृति सं0 195/29-1-18 है इस कार्य का एम0बी0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा ने किया है। जबकि कार्य प्रभारी श्री प्रमोद सिंह की नियुक्ति दिनांक 3-1-18 को ही कर दी गयी अर्थात् कार्य के तकनीकी स्वीकृति के पहले ही कार्य प्रभारी की नियुक्ति काल्पनिक हैं। टेण्डर/कोटेशन प्रपत्रों पर न कोई दिनांक संख्या ही डाली हुई है। आर0डी0 एसोसिएट जोगापुर को कार्य का टेण्डर दिया गया, रू0 100 का नाम जुडिशियल स्टाम्प लगा है। न ही अर्नेस्ट मनी, जमानत या धरोहर की धनराशि ही जमा करायी गयी है। स्पष्टतः यह टेण्डर का स्वरूप देकर कोटेशन पर कार्य कराया गया है जो अनियमितता है रू0 229673.00 के प्रमाणक पर जे0ई0 तथा कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया, नही जे0ई0 द्वारा सामग्री आपूर्ति के पश्चात् कोई आख्या ही दी गई है अतः रू0 215343 धनराशि अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी जे0ई0, कार्य प्रभारी, लेखाकार जिम्मेदार है वसूली अपेक्षित हैं। जी0एस0टी0 के बिल पर वैट 9186 काटा गया है जो प्रथम दृष्टया गलत है। क्योंकि जी0एस0टी0 लागू होने के बाद वैट की धनराशि नहीं जमा करायी जा सकती है इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री नाथ सिंह जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। कार्य से सम्बंधित मस्टर रोल रू0 49800.00 का है परन्तु कार्य की तिथि अंकित नहीं है न ही मस्टर रोल पर विकास से कोई नम्बर ही डाला गया है जिससे यह साबित हो सके कि मस्टर रोल विकास खण्ड से ही निर्गत है कार्य से सम्बंधित फोटो भी पत्रावली में नहीं पाया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कार्य सम्पन्न किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है रू0 215343.00 का अपहरण कर लिया गया है वसूली अपेक्षित है। तथा मस्टर रोल से सम्बंधित धनराशि के व्यय में भी गंभीर अनियमितता की गई है अतः उक्त हेतु श्रीमती मीना सिंह खण्ड विकास अधिकारी जे0ई0 वीरेन्द्र कुशवाहा कार्य प्रभारी प्रमोद सिंह तथा श्री नाथ सिंह लेखाकार जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली रू0 265143.00 अपेक्षित है। (आ0 सं0-16)

प्रस्तर-26 राज्य वित्त के अन्तर्गत चिलकहर में पिच रोड़ से भानु सिंह के डिग्री कालेज तक मिट्टी तथा खंडजा कार्य में क्रमशः रु0 150000.00 तथा 50000.00 का चेक कुल रु0 200000.00 सामग्री क्रय पर तथा वसनावार में लाल जी वर्मा के घर से राम प्रवेश के घर होते पेवर्स के घर होते पेवर्स ब्लॉक निर्माण कार्य क्रमशः रु023437.00 तथा रु0 115745.00 कुल रु0 139182.00 सामग्री क्रय किया गया परन्तु आयकर नहीं काटा गया अतः कुल रु0 339182.00 का 2 प्रतिशत की दर से रु0 6784.00 आयकर नहीं काट कर सरकार को हानि पहुंचाया गयी है। अतः रु0 6784.00 की वसूली श्रीमती मीना सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री नाथ सिंह तथा विनोद सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ सं0-18)

प्रस्तर-27 विधायक निधि के अन्तर्गत बलेसरा में राजेन्द्र चौधरी के घर से अजित सिंह के घर होते हुए पिच रोड़ तक सी0सी0 रोड़ व 100 मी0 नाली निर्माण की लागत रु0 16.5 लाख है। परन्तु कार्य की वित्ततीय स्वीकृति जिलाधिकारी से नहीं लिया गया जबकि प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति ली गयी है अतः यह एक गंभीर अनियमितता का मामला है। प्रमोद सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। तथा एम0बी0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा ने किया है। अभिषेक इंटर प्राइजेज बलेसरा को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया गया है परन्तु टेण्डर सम्बन्धित प्रक्रिया में भारी अनियमितता पायी गयी है। क्योंकि टेण्डर हेतु मंगाये गये प्रापत्र पर नम्बर नहीं है, सभी तीनों फर्मों से जमानत की राशि नहीं ली गई तुलनात्मक चार्ट में तिथि अंकित नहीं है। एम0बी0 सं0 22 तथा पत्रावली के अवलोकन से निम्न कमियां दृष्टिगोचर हुई-

(1) एम0बी0 के पृष्ठ सं0 1 तथा 6 पर दर्शित सामग्री मूल्य को जोड़ने पर रु0 358097.00 होता है परन्तु भुगतान एक ही चेक सं0 822445 दिनांक 4.4.18 को 335753 का किया गया है। जब कि मजदूरों को रु0 49200.00 का मस्टर रोल कार्यप्रभारी श्री प्रमोद सिंह को देना दर्शित है परन्तु मस्टर रोल पर मस्टर रोल नं0 दर्शित नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत है।

(2) एम0बी0 के पृष्ठ सं0 8 तथा 11 पर क्रमश सामग्री मद में रु0 326247 तथा मजदूरी मद में रु0 54600 का भुगतान दर्शित है। पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि सामग्री भुगतान की आख्या में जे0ई0 द्वारा सिर्फ हस्ताक्षर पाया गया। मस्टर रोल पर कोई नं0 अंकित नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत है।

(3) एम0बी0 के पृष्ठ सं0 12 तथा 14 पर दर्शित तथा दिनांक 25-5-18 को सामग्री मद में रु0 110719 का भुगतान अभिषेक इंटर प्राइजेज को तथा दिनांक 1-6-18 को मजदूरी मद में रु0 45400 को चेक कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत है। यहां भी जे0ई0 द्वारा की भुगतान की आख्या नहीं दी गयी है जो आपत्तिजनक रहा। मजदूरों का हस्ताक्षर तथा अगूठा निशानी संदेह साफ प्रतीत होता है।

(4) एम0बी0 के पृष्ठ सं0 15 से 20 तथा पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 15-12-18 को अभिषेक इंटर प्राइजेज को रु0 522421 का चेक (यहां आयकर रु0 11970 काटा गया है परन्तु जी0एस0टी0 नहीं काटा गया) तथा मजदूरी मद में कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह रु0 128400 का चेक निर्गत किया गया परन्तु सामग्री क्रय के प्रमाणक पर जे0ई0 द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया जो अनियमितता रहा पुनः पेमेन्ट हेतु प्रार्थना पत्र पर आख्या नहीं पायी गयी बल्कि सिर्फ हस्ताक्षर किया गया है। इस कार्य के सामग्री मूल्य रु0 1368133, परन्तु सामग्री मूल्य रु0 833742 व्यापार कर 4 प्रतिशत से रु0 33349 काटा गया है।

(क) परन्तु रु0 534591 के भुगतान में सिर्फ आयकर रु0 11970 काटा गया परन्तु अन्य कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, जो अनियमितता का द्योतक है क्योंकि जी0एस0टी0 दिनांक 1-7-17 से पूरे देश में किया गया इसके कारण वैट 4 प्रतिशत कटौती स्वतः समाप्त हो गयी। जी0एस0टी0 एक्ट के धारा 51 जो उत्तर प्रदेश में दिनांक 1-10-18 से प्रभावी है के अनुसार स्रोत पर 2 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कटौती न करके न करके संस्था द्वारा सरकार को हानि पहुंचायी गयी है। जिसके लिए श्रीमती मीना सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री विनोद सिंह लेखाकार जिम्मेदार है।

(ख) उक्त कार्य पर रु0 33349 व्यापार कर काटा गया है इसकी पुष्टि कराया जाना चाहिए तथा क्या इसे सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा किया गया अथवा नहीं अन्यथा यह सरकारी धन का अपहरण होगा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह तथा लेखाकार श्री नाथ सिंह जिम्मेदार होंगे। इस कार्य से सम्बन्धित फोटो (प्रारम्भ कार्य के दौरान तथा समाप्ति में) पत्रावली में नहीं पाया गया। अतः इस कार्य पर कुल व्यय रु0 (1304140 सामग्री मद में मजदूरी पर रु0 277600) 1581740 के व्यय में गम्भीर अनियमितता प्रदर्शित हो रही है अतः सम्बद्ध सभी पक्ष श्रीमती मीना सिंह खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 वीरेन्द्र कुशवाहा

लेखाकार श्री नाथ सिंह तथा श्री विनोद सिंह तथा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद सिंह जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-20)

प्रस्तर-28 क्षेत्र निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड चिलकहर के आवासों के मरम्मत व रंगाई पुताई की लागत रु0 299425 है। परन्तु सम्बंधित कार्य का तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति तो लिया गया वित्तीय स्वीकृति सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया मानक के अनुसार नहीं रहे अतः यह आपत्ति मेटेरियल जनक है सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी मां कामाख्या बिल्डिंग को दिया गया जबकि कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार चौरसिया रहे आलोच्य वर्ष में सामग्री पर कुल रु0 186502 का तथा मजदूरी पर रु0 108650 व्यय दर्शित है। परन्तु मस्टर रोल पर मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भ्रामक पाया गया दिये गये एम0बी0 में पेड एंड कैसिल नहीं लिखा है। इसके अलावा कार्य में कुल रु0 4273 आयकर कटौती दर्शित है इसे सम्बंधित लेखा शीर्ष में जमा किया गया अथवा नहीं जानकारी न मिल सकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-)

प्रस्तर-29 राज्य वित्त के अन्तर्गत 21 कार्य किये गये जबकि निधि के अन्तर्गत एक कार्य तथा दो अन्य कार्य कराये गये इस प्रकार कुल 24 कार्य कराये गये प्रत्येक कार्य तीन-तीन निविदाये प्राप्त हुई प्रत्येक निविदा फार्म न्यूनतम रु0 500 है तो इस प्रकार 24 3 500=3600 कुल आय होनी चाहिए परन्तु विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्य में टेण्डर फार्म की बिक्री से रु0 1500 की आय प्राप्त दर्शित है अतः 34500+29000 ग्रांट रजिस्टर में धनराशि में इसे न लिखकर रु0 63500 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए श्रीमती मीना सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री विनोद सिंह लेखाकार जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0- 23)

5. क्षेत्र पंचायत का नाम- बांसडीह

प्रस्तर-30 उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण नियमावली 2009 एवं शासनदेश सं0 1312/3-2-11-10जी/2011 दिनांक के द्वारा कायकारो के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कारए जाने वाले समस्त निम्नण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित करना था। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जाना था। किन्तु क्षेत्र पंचायत बांसडीह द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कराए गये निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है। विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों पर व्यय- 7574773.00

वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर व्यय- 4364117.00

योग- 11938890.00

इस प्रकार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में निर्माण कार्यों पर व्यय कुल धनराशि रु0 11938890.00 पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु019388.90 की कटौती नहीं करके अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-02)

प्रस्तर-31 शासनादेश सं0 977/45-वि(अति उ0 स्रोत वि0)/2017 दिनांक 29.8.2017 के अनुसार सोलर का क्रय प्राइवेट फर्म से न करके उत्तर प्रदेश नेडा से किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत बांसडीह में राज्यवित्तत योजना 2018-19 के अन्तर्गत कुल रु0 1920620.00 का क्रय प्राइवेट फर्म परिहार कम्प्यूनिकेशन, बलिया को किया गया है। इस प्रकार सोलर लाइट का क्रय नेडा से न करके रु0 1920620.00 की अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी एवं लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-03)

प्रस्तर-32 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य सैदपुरा मार्ग से रामलखन राजभर के घर होते हुए शिवनारायण के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य में कार्य प्रभारी श्री रजनीश कुमार सिंह को चेक सं0 488319 दिनांक 13.6.2017 को मजदूरी हेतु रु0 74340.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में मस्टर रोल उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार बिना मस्टर रोल के रु0 74340.00 का भुगतान कर धन का अपहरण किया गया जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री रजनीश कुमार सिंह, लेखाकार विनोद श्रीवास्तव एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-04)

प्रस्तर-33 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ग्राम रूकुनपुरा में राम कुमार यादव के घर से योगेन्द्र यादव के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य में मजदूरी हेतु ₹0 55220.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री रजनीश कुमार सिंह को चेक सं0 458420 दिनांक 7.9.2017 को किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार फर्जी/काल्पनिक मस्टर रोल के द्वारा ₹0 55220.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रजनीश कुमार सिंह, लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-05)

प्रस्तर-34 क्षेत्र पंचायत बांसडीह की वर्ष 2017-18 राज्यवित्तत योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु विभिन्न फर्मो को सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया है, किन्तु दर्शाए गए कार्य का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

इससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्यो पर श्रमिको को भुगतान न करके केवल फर्म को भुगतान कर काल्पनिक कार्य दर्शाकर ₹0 351998.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-06)

प्रस्तर-35 वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान रजिस्टर 2 में बी0डी0सी0 सदस्यों की बैठक हेतु बी0डी0सी0 सदस्यों के यात्रा भत्ता भुगतान चेक के माध्यम से कैशियर श्री महातम राय एवं सहायक लेखाकार श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को किया है किन्तु सदस्यों के यात्रा भत्ता की पुष्टि में प्राप्ति रशीद प्रस्तुत नहीं किया गयी है। बी0डी0सी0 सदस्यों के यात्रा भत्ता की पुष्टि में प्राप्ति रशीद के अभाव में ₹0 138500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। श्री महातम राय कैशियर एवं श्री कृष्ण कुमार गुप्ता सहायक लेखाकार से उक्त धन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-07)

प्रस्तर-36 बैंक खाता सं0 3306838900 के स्टेट मेंट में निम्नानुसार धनराशि का हस्तान्तरण खाता सं0 0093114010293 में किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/स्टेटमेंट/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस प्रकार ₹0 982902.00 का हस्तान्तरण अपुष्ट खाता में करके गम्भीर अनियमितता की गई। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शोभनाथ मौर्य एवं लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0-08)

प्रस्तर-37 क्षेत्र पंचायत बांसडीह की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश आया है कि दिनांक 31.3.2019 को आयकर मद में ₹0 12348.00 अवशेष था। आयकर की शेष धनराशि को राजकोष में जमा न करके अनियमितता की गई है, जिसके लिए लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-09)

6. क्षेत्र पंचायत का नाम- रसड़ा

प्रस्तर-38 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी) के अन्तर्गत शासकीयनिर्माण कार्यो में सामग्री आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से आयकर की कटौती बिल से करनी चाहिए तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 274(वी) के अनुसार काटे गये कर को जमा न करना अपराधिकृत्य मानना गया है जिससे सम्बन्धित अधिकारी की कारावास की सजा तक हो सकती है।

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत रसड़ा में कुल ₹0 6305651.37 की सामग्री क्रय की पुष्टि विभिन्न निर्माण पत्रावलियों से है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से ₹0 141246.59 टी0डी0एस0 कटना चाहिए, जबकि कुल क्रय की सामग्रियों पर ₹0 130511.00 टी0डी0एस0 काटने की पुष्टि निर्माण पत्रावलियों एवं ग्रान्ट-2 से होती है। इस प्रकार 10735.59 कम टी0डी0एस0 काटकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। साथ ही आलोच्य वर्ष में कुल काटे गये टी0डी0एस0 में से केवल ₹0 78233.00 जमा दर्शित है, किन्तु इसकी पुष्टि हेतु चेक इश्यु रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित रहा। ध्याक्ष्य काटी गयी शेष टी0डी0एस0 की धनराशि ₹0 63013.59 जमा न कर राजकीय राजस्वा की क्षति पहुंचाई कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष सिंह और

श्री अशोक कुमार तथा लेखाकार मो० जफर एवं श्री शिवजी सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ० सं०-4)

प्रस्तर-39 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियावली 2009 एवं शासनादेश संख्या 1312/3-2-11-10जी/2011 दिनांक 4.8.2011 के द्वारा कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित किया जायेगा जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जायेगा किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि रु० 7495494.00 पर 1 प्रतिशत लेबर सेस रु० 74955.00 की कटौती न करके अनियमितता की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अशीष एवं श्री अशोक कुमार एवं लेखाकार श्री मौहम्मद जफर एवं श्री शिवजी सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ० सं०-2)

प्रस्तर-40 क्षेत्र पंचायत रसड़ा के आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त के अन्तर्गत किये गये कार्य विकास खण्ड परिसर रसड़ा में आर०ओ० प्लाट, समर सेबुल एवं स्ट्रीट लाइट पर 19000.00 की मजदूरी का भुगतान 16 मजदूरों हेतु किया गया है। किन्तु मस्टर रोल पर किसी भी मजदूर का नाम हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के बिना मजदूरों के नाम पर उक्त श्रमांश को भुगतानित कर अनियमितता किया गया। इसके लिए मुख्य रूप से तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री कुमार/कार्य प्रभारी श्री विजय शंकर सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-6)

प्रस्तर-41 क्षेत्र पंचायत रसड़ा के आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त के अन्तर्गत किये गये कार्य शाहमुहम्मदपुर में डीह स्थान से ऋषि मुनि के घर तक इण्टर लांकिंग की नोट सीट पर चेक सं० 021892/10.12.18 द्वारा रु० 56800.00 श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारी श्री विजय शंकर सिंह को किया गया अंकित है, जबकि बैंक पास बुक से इसकी पुष्टि नहीं होती। बैंक पास बुक के अनुसार उक्त श्रमांश की धनराशि का आहरण श्री शिवजी सिंह (लेखाकार) द्वारा किया दर्शित है। इस प्रकार तत्कालीन बी०डी०ओ०/कार्य प्रभारी एवं लेखाकार द्वारा मिली भगत कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(आ० सं०-7)

प्रस्तर-42 क्षेत्र पंचायत रसड़ा के समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त के मद से विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु रु० 480000.00 की सोलर लाइट औघड़दानी इण्टर प्राइजेज से क्रय की गयी है। जिसके सन्दर्भ में आपत्तियां निम्नवत है—(1) शासनादेश सं० 977/45वि० (अति०उ०सो०लि०) /2017 दिनांक 28.9.2017 के अनुसार क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट केवल यू०पी० नेडा या उसके द्वारा अधिकृत एजेन्सी से क्रय की जायेगी तथा सामग्री की गुणवत्त एवं मानक नेडा द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगा। उक्त सोलर लाइट औघड़दानी इण्टर प्राइजेज से क्रय की गयी है। यह फर्म नेडा द्वारा अधिकृत है या नहीं इसकी पुष्टि में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सोलर लाइट क्रय कर अनियमितता की गयी।

(2) टेण्डर प्रक्रिया का भी समुचित पालन नहीं किया गया।

(3) सोलर लाइट क्रय पर प्राप्त फ्री मेन्टिनेन्स अनुबंध पत्र एवं गारण्टी कार्ड लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

(4) क्रय की गयी सोलर लाइट किन-किन स्थलों पर लगी है उससे सम्बन्धित विवरण एवं फोटो ग्राफ अनुपलब्ध रहा।

(5) कार्यवाही पुस्तिका एवं माप-पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

उपयुक्त अनियमितता के लिए बी०डी०ओ० श्री अशोक कुमार एवं लेखाकार श्री शिवजी सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ० सं०-10)

7. क्षेत्र पंचायत का नाम- सीयर

प्रस्तर-43 क्षेत्र पंचायत सीयर के वर्ष 2018-19 की चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, और विधायक निधि योजना की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और विधायक निधि योजना के अन्तर्गत तालिका नं०-1 विवरण के अनुसार कराये गये कार्यों में नियमानुसार “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम 2009 के नियम 4(3)” के अनुसार ठेकेदार के बिल से

कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत कर्मकार उपकर की कटौती नहीं की गयी है। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और विधायक निधि योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो पर तालिका नं०-1 विवरण के अनुसार कुल रू० 8374916.00 खर्च किया गया। उक्त कराये गये कार्यो में निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस (कर्मकार उपकर) की कटौती रू० 83749.16 नहीं की गयी है। जो कि शासनादेश के विरुद्ध है। लेबर सेस की कटौती न करके अनियमितता बरती गयी है। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०एन० त्रिपाठी व लेखाकार श्री हीरालाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-04)

प्रस्तर-44 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 के सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर राज्य वित्त आयोग और विधायक निधि योजना के तहत कराये गये कार्यो पर रू० 10046890.00 की सामग्री क्रय होती (तालिका नं० 1) जिसके भुगतान के समय 2 प्रतिशत की दर से रू० 200938.00 टी०डी०एस० की कटौती होनी चाहिए। जिसमें से रू० 182658.00 की टी०डी०एस० कटौती दर्शित है और शेष रू० 18280.00 की टी०डी०एस० कटौती फर्म द्वारा दर्शित नहीं है। फर्म/संख्या द्वारा रू० 18280.00 की टी०डी०एस० कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर व पेनाल्टी के साथ आहरण/वित्तरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०एन० त्रिपाठी व लेखाकार श्री हीरालाल से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-05)

प्रस्तर-45 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 के राज्य वित्त योजना और विधायक निधि योजना के तहत कराये गये कार्यो की पत्रावली की लेखा परीक्षा में यह उजागर हुआ कि सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर रू० 10046890.00 की सामग्री क्रय होती है। जिसके भुगतान के समय 2 प्रतिशत की दर से रू० 200938.00 की टी०डी०एस० कटौती होनी चाहिए। जिसमें से रू० 182658.00 की टी०डी०एस० कटौती दर्शित है, लेकिन टी०डी०एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। इस धनराशि को राजस्व खाते में न जमा करके राजस्व क्षति पहुंचायी गयी। जिससे धन का दुरुपयोग हो रहा है। इस धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०एन० त्रिपाठी और लेखाकार श्री हीरालाल से जमा कराया जाना अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(आ० सं०-06)

प्रस्तर-46 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त योजना व विधायक निधि योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो संस्था द्वारा उपयुक्त कार्यो पर रू० 1209911.00 व्यय दर्शित किया गया है। जबकि उपर्युक्त कार्य पर मजदूरी/श्रमांश का भुगतान नहीं किया गया है। और न ही लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावलियों की लेखा परीक्षा करते समय मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि रू० 1209911.00 का खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०एन० त्रिपाठी व लेखाकार श्री हीरालाल द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ० सं०-07)

8. क्षेत्र पंचायत का नाम-बेलहरी

प्रस्तर-47 पोछरी में कमला तिवारी के ट्यूबवेल से पुरास तक सोलिंग मरम्मत कार्य से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। वर्तमान लेखाकार द्वारा पूछने पर चार्ज लिस्ट प्रस्तुत किया गया जिससे सम्बंधित पत्रावली उधृत नहीं था, अतः कार्य में व्यय रू० 149323.00 को अनियमितता के श्रेणी में रखा जाना सर्वदा उपयुक्त है। पत्रावली प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, सम्बंधित कार्य का एम०बी० पाया गया परन्तु उसमें दिनांक दर्शित नहीं था जिसके लिए तत्कालीन जे०ई० विनय कुमार जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ० सं०-2)

प्रस्तर-48 क्षेत्र पंचायत बेलहरी में 20 सोलर लाइट की स्थापना हेतु (पांच पत्रावलियों बनाई गयी है) जिस पर कुल लागत रू० 4.92 लाख दर्शित है उक्त के सम्बंध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(क) सम्बंधित कार्य की वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

(ख) टेण्डर/कोटेशन के नियमों का पालन न करके गंभीर अनियमितता की गई। जिसके अनुसार रू० 20000.00 तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रय की जा सकेगी और निर्माण कार्यो एवं मरम्मत से सम्बंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रू० एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के क्रय के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। (शासनादेश सं०-ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23-9-2008)

(ग) एक ही चेक सं० 084314 से इस पांचों पत्रावलियों में दर्शित व्यय रु० 481565.00 का पेमेन्ट किया गया जो अनियमितता है क्योंकि कार्यों को टुकड़े में विभक्त करके नियमों का उल्लंघन किया गया है।

(घ) सोलर लाइट की स्थापना हेतु न्यू प्रशान्त इलेक्ट्रानिक्स विकास इलेक्ट्रानिक्स तथा आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एवं सोलर केन्द्र से कोटेशन मंगवाया गया जो निर्धारित प्रारूप पर न होकर लेटर पैड तथा कम्प्यूटर स्कैन कागज पर पाया गया जो वैध नहीं है क्योंकि विकास इलेक्ट्रानिक्स तथा आदर्श इलेक्ट्रानिक्स तथा आदर्श इलेक्ट्रानिक्स के टिन नं० एक ही पाया गया। (शासनादेश सं० 35/2015/656/45-वि०(अति०ऊ०सो०वि०) 2015 दिनांक 2-7-2015 तथा 1581-45-वि०(अति० ऊ० सो०वि०)/2015 दिनांक 16-11-2015 तथा अन्य सम्बंधित शासनादेशों के अनुसार सोलर लाइट उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम नेडा द्वारा ही क्रय किया जाना अनुमान्य है न कि प्राइवेट एजेंसियों द्वारा। अतः ऐसा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है। वर्ष 2017-18 में नेडा द्वारा घोषित मूल्य रु० 22740.00 है परन्तु यहां मे० आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र द्वारा रु० 24630.00 प्रति नग आपूर्ति किया गया है।

(ङ) यहां एक उल्लेखनीय तथ्य प्रकाश में आया है कि आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र द्वारा कोटेशन में लगाये गये कम्प्यूटर द्वारा स्कैन प्रपत्र में टिन सं० 09785605561 दर्शित है। जबकि इसके अध्ययन से पता चलता है कि यह टिन सं० विकास इलेक्ट्रानिक्स का है। जबकि पेमेन्ट हेतु दर्शित वाउचर में टिन नं० 09585611657 पाया गया स्पष्टतः कूट रचना करके दूसरे फर्म के टिन नं० प्रस्तुत करके, सामग्री आपूर्ति का अधिकार प्राप्त कर तथा सम्बद्ध अधिकारी से मिली भगत करके रु० 481565.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी अंगद कुशवाहा जे०ई० पिन्टू राम लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (इसके अलावा प्रत्येक एम०बी० रु० 98000.00 का किया गया जबकि रु० 9852.00 का बिल है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।) पत्रावली में प्राप्त फोटो से स्थान की पुष्टि नहीं होती तथा स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया गया है। जिससे क्रय की पुष्टि हो सके। **(आपत्ति सं०- 3)**

प्रस्तर-49 बेलहरी में ब्रिटिश क्रयकर के घर से खिचड़ी विन्द के घर तक इंटरलाकिंग कार्य का लागत रु० 619348.00 है। प्राक्कलन सं० 41 दिनांक 1-5-17 तथा तकनीकी स्वीकृति सं० 65/2017-18 दिनांक 28-6-17 है, परन्तु वित्तीय स्वीकृति की तिथि नहीं लिख है। टेण्डर/कोटेशन खोलने की तिथि 19-8-17 है जिसके अनुसार मे० भगवती कन्सट्रक्शन तथा सप्लायर को सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गयी परन्तु सामग्री की मात्र आपूर्ति हेतु नहीं लिखा गया जो अनियमितता रहा। टेण्डर हेतु तुलनात्मक चार्ट पर सिर्फ खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर है अन्य का नहीं। अतः टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया में अनियमितता की गयी। दिनांक 12-9-15 को शशांक शेखर को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। दिनांक 5-3-18 को रु० 354748.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी परन्तु जे०ई० द्वारा कोई आख्या नहीं दी गयी जो आवश्यक था न ही सामग्री आपूर्ति हेतु कार्य प्रभारी द्वारा उक्त फर्म को पत्र लिखा गया। अतः रु० 517765.00 के व्यय में प्रत्येक चरण में अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, पिन्टू राम लेखाकार, अंगद कुशवाहा जे०ई० जिम्मेदार है। पत्रावली में न ही फोटो न ही साइन बोर्ड का ही फोटो ग्राफ पाया जिससे कृत कार्य की पुष्टि हो सके। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ० सं०-4)**

प्रस्तर-50 कठही में राजगुरु कुल विद्या पीठ के सामने पेवर्स ब्लाक द्वारा पटरी निर्माण की लागत रु० 378317.00 है, परन्तु इस कार्य की वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति नहीं लेकर अनियमितता की गयी इसके अलावा टेण्डर प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं से जमानत धरोहर की धनराशि जमा नहीं करायी गयी। अतः कार्य में संलग्न सम्पूर्ण धनराशि रु० 364328.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, पिन्टू राम लेखाकार तथा श्रीमती अर्चना तिवारी ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है, अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ० सं०-5)**

प्रस्तर-51 विकास खण्ड बेलहरी के (1) प्रमुख के कक्ष में (2) कम्प्यूटर कक्ष में तथा (3) कार्यालय में तथा (4) खण्ड विकास अधिकारी के कक्ष में सोलर पावर की स्थापना में दर्शित चार कार्यों पर कुल रु० 103625×4=414500.00 का व्यय दर्शित है। इन कार्यों के पत्रावलियों में कार्य का नाम नहीं कार्य योजना में क्रमांक नहीं तुलनात्मक चार्ट फोटो उस पर तिथि अंकित नहीं है। इन सभी कार्यों में सामग्री आपूर्ति मे० आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र आलभचक दुबहड़ द्वारा किया गया। परन्तु कोटेशन/टेण्डर में कम्प्यूटर द्वारा स्कैन लेटर पैड पर तथा फोटो स्टेट पेज पाया गया, जो वैध नहीं है। आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र द्वारा प्रस्तुत टेण्डर प्रपत्र पर टिन नं० 09785605561 दर्शित है जबकि अध्ययन से पता

चला कि यह टिन सं० विकास इलेक्ट्रानिक्स बलिया का है जबकि पेमेंट हेतु प्रस्तुत वाउचर में टिन नं० 09585611657 पाया गया स्पष्टतः कूट रचना कर फर्जी टिन नं० प्रस्तुत कर तथा खण्ड विकास अधिकारी से मिली भगत करके सम्पूर्ण रू० 414500.00 का अपहरण कर लिया गया है इसके अलावा इन कार्यों का एम०बी० भी वही किया गया है जो पत्रावली के नोट शीट में स्पष्टतः लिखा है। अतः अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, अंगद कुशवाहा जे०ई० (क्योंकि पत्रावली में उनका हस्ताक्षर पाया गया है) पिन्टू राम लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार है, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ० सं०-6)

प्रस्तर-52

1.(क) विगही में कन्हैया तिवारी, तिवारी भरत तिवारी, उदवन्त दहपरा में रिकू यादव व नीरूपुर में मनोज तिवारी के घर के पास सोलर लाइट स्थापना कार्य पर रू० 96121.00 का व्यय दर्शित है परन्तु पत्रावली के तथा एम०बी० के अध्ययन से स्पष्ट है कि कार्य की एम०बी० नहीं हुई है तथा आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र द्वारा कोटेशन हेतु दिये प्रपत्र में टिन नं० 097856055615 तथा पेमेंट हेतु वाउचर मे० 09585611657 टिन नं० पाया गया अतः स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी से मिली भगत करके रू० 96121.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार अंगद कुशवाहा जे०ई०, पिन्टू राम लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-7)

(ख) (क) इसी तरह बजरहा में संजय पासवान, भरखोखा में विनय कुमार सिंह भरसौता में महंगू बिन्द व सूर्यदेव सिंह के घर के पास तथा (ख) नन्दपुर में सुनील पाण्डेय सीताकुण्ड में श्रीराम तिवारी कृपाल पुर में भरत धोबी व गंगापुर में भटेलू पासवान के घर के पास (ग) पिण्डारी में नित्यानन्द, रोहुआ में तेजन सिंह व लखीचन्द मास्टर तथा परास में राम अवध विन्द के घर के पास सोलर लाइट स्थापना पर कुल $3 \times 96121 = 288363.00$ तथा (घ) विगही में 10, स्वयंवर छपरा में पांच तथा चोलन चक में आठ स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु रू० 95560.00 कुल रू० 383923.00 का चेक मे० आदर्श इलेक्ट्रानिक्स तथा सोलर केन्द्र, आलमयक को दिया गया परन्तु पत्रावली की जांच में नोटशीट पर लिखा पाया गया कि उक्त कार्यों की एम०बी० नहीं हुई है, सिर्फ स्टीमेट बनाकर **1.(क)** विगही में कन्हैया तिवारी, तिवारी भरत तिवारी, उदवन्त दहपरा में रिकू यादव व नीरूपुर में मनोज तिवारी के घर के पास सोलर लाइट स्थापना कार्य पर रू० 96121.00 का व्यय दर्शित है परन्तु पत्रावली के तथा एम०बी० के अध्ययन से स्पष्ट है कि कार्य की एम०बी० नहीं हुई है तथा आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र द्वारा कोटेशन हेतु दिये प्रपत्र में टिन नं० 097856055615 तथा पेमेंट हेतु वाउचर मे० 09585611657 टिन नं० पाया गया अतः स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी से मिली भगत करके रू० 96121.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार अंगद कुशवाहा जे०ई०, पिन्टू राम लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-7)

(ख) (क) इसी तरह बजरहा में संजय पासवान, भरखोखा में विनय कुमार सिंह भरसौता में महंगू बिन्द व सूर्यदेव सिंह के घर के पास तथा (ख) नन्दपुर में सुनील पाण्डेय सीताकुण्ड में श्रीराम तिवारी कृपाल पुर में भरत धोबी व गंगापुर में भटेलू पासवान के घर के पास (ग) पिण्डारी में नित्यानन्द, रोहुआ में तेजन सिंह व लखीचन्द मास्टर तथा परास में राम अवध विन्द के घर के पास सोलर लाइट स्थापना पर कुल $3 \times 96121 = 288363.00$ तथा (घ) विगही में 10, स्वयंवर छपरा में पांच तथा चोलन चक में आठ स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु रू० 95560.00 कुल रू० 383923.00 का चेक मे० आदर्श इलेक्ट्रानिक्स तथा सोलर केन्द्र, आलमयक को दिया गया परन्तु पत्रावली की जांच में नोटशीट पर लिखा पाया गया कि उक्त कार्यों की एम०बी० नहीं हुई है, सिर्फ स्टीमेट बनाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। प्रत्येक कार्यों के (क),(ख),(ग),(घ) पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है इन सभी कार्यों पर न्यू प्रशान्त इलेक्ट्रानिक्स विकास इलेक्ट्रानिक्स तथा आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र में टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया में भाग लिया है, परन्तु इनके प्रपत्र फोटो स्टेट/टेण्डर/कोटेशन खोलने की तिथि अंकित नहीं है, आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र के प्रपत्र में टिन नं० 09785605561 अंकित है, जबकि सामग्री आपूर्ति वाले वाउचर में टिन नं० 09585611657 दर्शित है। अतः फर्जी ढंग से सामग्री आपूर्ति दिखाकर सरकारी धन रू० 382923.00 + 96121.00 = 480044.00 मिली भगत करके का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, पिन्टू राम लेखाकार तथा अंगद कुशवाहा (पत्रावली में हस्ताक्षर किया गया है) तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०- 8)

प्रस्तर-53

1.(क) सोनवानी हल्दी मार्ग में राजगुरु कुल विद्यालय व सीता कुण्ड में शैलेश तिवारी के घर के पास तथा (ख) पियरौटा में मोहन पासवान, नीरूपुर में श्याम बिहारी यादव के घर के पास (ग) रामगढ़ में पुलिस चौकी के पास तथा नीरूपुर में कमला तिवारी के घर के पास इंडिया मार्क 2 हैण्डपम्प स्थापना पर कुल रु0 78403235020.00 का व्यय दर्शित है। इन तीनों कार्यों के टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया में रजनीश कन्सट्रक्शन, शिवशक्ति इंटर प्राइजेज तथा पंचेव देवी बिल्डिंग मैटेरियल ने भाग लिया तथा सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी पंचेव देवी को दिया गया जबकि तीनों आपूर्तिकर्ताओं के प्रपत्र फोटो स्टेट तथा कम्प्यूटर से स्कैन कर बनाये गये जो वैध नहीं है। पंचेव देवी बिल्डिंग मैटेरियल का टिन नं0 (कम्प्यूटर द्वारा स्कैन प्रपत्र/लेटर पैड पर) 08574504373 है, जो फर्जी/अवास्तविक है, परन्तु अन्यत्र स्थान तथा ग्राण्ट रजिस्टर में टिन नं0 09685605632 पाया गया है। पत्रावलियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि जगह-जगह पर जे0ई0 अंगद सिंह कुशवाहा का हस्ताक्षर तो पाया गया पर उक्त कार्यों की एम0बी0 नहीं हुई बल्कि स्टीमेट के आधार पर पेमेंट कर सरकारी धन रु0 235020.00 का अपहरण कूट रचना कर तथा मिली भगत कर लिया गया जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, पिन्टू राम लेखाकार जे0ई0 अंगद कुशवाहा तथा श्रीमती अर्चना तिवारी, प्रमुख जिम्मेदार है, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। इस कार्यों से सम्बन्धित फोटो ग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण नहीं करने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अलावा शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक अधिक राजस्व गावों को लाभाविक्त करने के लिए कार्य कराये जाए परन्तु उपरिलिखित आपत्तियों में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, हैण्डपम्प स्थापना का कार्य दर्शित है जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-9)

प्रस्तर-54

1.(क) सीताकुण्ड में शैलेश तिवारी, सुजीत तिवारी, मलिकपुरा में सुनीता तिवारी, बहादुर में रामजी तिवारी के घर के पास
(ख) नीरूपुर में अभिषेक तिवारी, सुनील तिवारी, पिन्टू तिवारी, सनातन तिवारी के घर
(ग) कमलेश सिंह, विनोद सिंह, रवीन्द्र तिवारी तथा पियरौटा में काली मां के स्थान पर तथा
(घ) महावीर स्थान, बजहां में पूर्णवासी, नित्यानन्द उपाध्याय तथा राधेश्याम के दरवाजे
(ङ) विगही में मलकौली बाबा हल्दी में धनजय एच0एन0 सिंह तथा पतंजली स्कूल में पर सोलर लाइट की स्थापना पर कुल $5 \times 89470 = \text{रु0 } 447350.00$ का व्यय दर्शित है। इन सभी कार्यों पर तीन आपूर्तिकर्ता क्रमशः न्यू प्रशान्त इलेक्ट्रानिक्स, विकास इलेक्ट्रानिक्स तथा आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र ने टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया में भाग लिया। प्रत्येक कार्य के पत्रावलियों में प्रस्ताव संख्या तकनीकी/वित्ततीय स्वीकृति इत्यादि नहीं पाया गया जो वांछित रहा। जे0ई0 एम0के0 गौतम को इस आशय से निदेशित किया गया है कि वे अपने तकनीकी देख-रेख में सोलर लाइट लगवाना सुनिश्चित करें परन्तु कोटेशन प्रपत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि आदर्श इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सोलर केन्द्र द्वारा जो प्रपत्र उद्युत किया गया है उसमें टिन नं0 09785605561 दर्शित है। वह फर्जी है क्योंकि वह टिन सं0 विकास इलेक्ट्रानिक्स, बलिया के नाम से रजिस्टर्ड है। जबकि पेमेंट हेतु प्रस्तुत वाउचर में टिन नं0 0958611657 दर्शित है जबकि मूल वाउचर प्रस्तुत कर तथा मिली भगत करके सरकारी धन रु0 447350.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता कर लिया गया है। जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, पिन्टू राम लेखाकार जे0ई0 एम0के0 गौतम तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-10)

प्रस्तर-55

(क) क्षेत्र पंचायत बेलहरी में कार्यालय एवं डवाकरा हाले के दरवाजा खिड़की मरम्मत तथा सेनेटटी फिटिंग कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव सं0 नहीं लिखा है, और न ही तकनीकी तथा वित्ततीय स्वीकृति की ही तिथि ही लिखा है। दिनांक 5-2-2018 के प्रत्रांक के आलोक में प्रेम प्रकाश सिंह को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा एम0बी0 मिथलेश कुमार गौतम ने किया है कार्य की लागत रु0 198792.00 था। जिसका अवशेष आलोच्य वर्ष में रु0 94792.00 व्यय दर्शित है सामग्री पर रु0 78982.00 तथा मजदूरी पर रु0 6110.00 व्यय दर्शित है परन्तु प्राप्त मस्टर रोल पर मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी दर्शित नहीं है

स्पष्टतः मजदूरी की धनराशि रु0 16110.00 मजदूरों को न देकर कार्य प्रभारी श्री प्रेम प्रकाश को दे दिया गया अतः इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार, पिन्टू राम लेखाकार कार्य प्रभारी पी0पी0 सिंह तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-11)

प्रस्तर-56

दुधैला मौना मिल्की में वरिष्ठ यादव के घर से रमाकान्त यादव के घर तक इंटरलाकिंग कार्य में दिनांक 1-6-2017 को रु0 13910.00 मजदूरी कार्य प्रभारी श्री प्रेम प्रकाश सिंह को देना दर्शित है परन्तु पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मस्टर रोल पत्रावली में नहीं पाया गया अतः बिना मजदूरी दिये ही सामग्री मद का रु0 120782.00 का पेमेन्ट कर दिया गया है अतः सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता/दुरुपयोग की गयी तथा श्रमांश मद का धन रु0 13910.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए नन्दलाल खण्ड विकास अधिकारी, अंगद कुशवाहा जे0ई0, लेखाकार पिन्टू राम, कार्य प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह तथा ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति सं0- 15)

प्रस्तर-57 परसिया में पराशर मुनि के स्थान पर सरोवर के चारो ओर सी0सी0 कार्य के पत्रावली के अवलोक से स्पष्ट है मजदूरी मद में रु 62570.00 का चेक दिनांक 1-6-2017 को कार्य प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह को दिया गया परन्तु मस्टर रोल पत्रावली से नहीं पाया गया स्पष्ट है बिना मजदूरी दिये ही धन का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए नन्दलाल खण्ड विकास अधिकारी जे0ई0 अंगद सिंह कुशवाहा, पिन्टू राम लेखाकार, प्रेम प्रकाश सिंह कार्य प्रभारी तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-16)

प्रस्तर-58 उदवन्त छपरा में काली मंदिर से शिव शंकर कानू के घर से सी0सी0 रोड निर्माण कार्य के कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया में संजय सीमेंट, हल्दी ने भान नहीं लिया परन्तु उसके बाद भी उसने सामग्री आपूर्ति दिनांक 1-6-2017 को रु0 81335.00 तथा दिनांक 16-9-2017 को रु0 26939.00 का किया है जो टेण्डर प्रक्रिया का उल्लंघन है कर कुल रु0 108274.00 का अनियमितता भुगतान किया गया है इसके लिए नन्दलाल कुमार/अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार पिन्टू राम जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-17)

प्रस्तर-59 विधायक निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु0 634906.00 सामग्री व्यय पर किया गया है। इन कार्यों से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं के टिन नं0 के अध्ययन से स्पष्ट है कि वाणिज्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इन फर्मों के टिन नं0 निरस्त किया जा चुका है। फिर भी इन फर्मों ने टेण्डर/कोटेशनप्रक्रिया में भाग लिया इसके अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार द्वारा इन फर्मों की टैक्स देनदारियों की जांच नहीं करके पद का दुरुपयोग की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार जिम्मेदार है अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-18)

प्रस्तर-60

(क) आलोच्य वर्ष 2017-18 में कुल रु0 6637948.00 की सामग्री विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गयी उस पर आयकर 2.00 प्रतिशत की दर से रु0 132758.00 होता है, परन्तु इसके जमा की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट, चालान इश्यू चेक इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे आयकर जमा की पुष्टि नहीं हो पायी आलोच्य वर्ष में रु0 148690.00 आयकर काटना दर्शित है अतः रु0 148690.00 आयकर जमा की पुष्टि तथा लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा पिन्टू राम लेखाकार जिम्मेदार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-19)

(ख) वर्ष 2018-19 में राज्य वित्तत के अन्तर्गत कुल रु0 2404833.00 की सामग्री विभिन्न कार्यों हेतु क्रय किया गया जिसके सापेक्ष 2 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 48097.00 होता है। जबकि प्राप्त अभिलेखों के आधार पर रु0 52963.00 आयकर काटना दर्शित है। परन्तु सम्बद्ध लेखा शीर्ष में जमा किये जाने के पुष्टि में कोई अभिलेख नहीं दिया गया। अतः रु0 53868.00 आयकर जमा किया जाना अपेक्षित है उक्त तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजेश यादव तथा लेखाकार राजकुमार सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-28)

प्रस्तर-61

(क) वर्ष 2017-18 में कुल रु0 6637948.00 की सामग्री विभिन्न कार्य हेतु क्रय दर्शित है परन्तु माह जून 17 तक रु0 28263.00 व्यापार कर के रूप में काटा गया इसके उपरान्त 1 जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लगने के बाद कोई कर नहीं वसूला गया। एम0बी0 तथा स्टीमेट में भी जी0एस0टी0 क्रय सामग्री पर जोड़ा

नहीं गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है। रु0 28263.00 व्यापार कर के जमा की पुष्टि हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा अतः जमा की पुष्टि कराया जाना तथा लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार पिन्दू राम जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0- 29)

(ख) वर्ष 2018-19 में सामग्री क्रय रु0 2404833.00 का हुआ है परन्तु व्यापार कर/जी0एस0टी0 रु0 11500.00 ही लगाया गया है अतः उक्त क्रय पर जी0एस0टी0 लगाया जाना अपेक्षित है मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त कर नहीं काटने के कारण सम्बद्ध व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। एम0बी0 करते समय जे0ई0 द्वारा जी0एस0टी0 नहीं लगाया/जोड़ा जाना अत्यन्त आपत्तिजनक रहा क्योंकि विभिन्न सामग्रियों पर जी0एस0टी0 दर भिन्न-भिन्न है तथा जब तक सामग्रियों पर जी0एस0टी0 नहीं आरोपित होगा तब तक आपूर्तिकर्ताओं से जी0एस0टी0 कैसे लिया जायेगा। अतः उपयुक्त मामले से सम्बद्ध जे0ई0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है क्योंकि इनके इस कार्य के चलते सरकार को अतुलनीय राजस्व की हानि हुई है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0- 29)

प्रस्तर-62

(क) राज्य वित्त वष 2018-19 में विकास खण्ड बेलहरी में विभिन्न स्थानों पर 25 अदद सोलर लाइट स्थापना कार्य की लागत रु0 622677.00 है जिसकी तकनीकी स्वीकृति सं0 118/20018-19/ई0ई0 दिनांक 20-7-18 द्वारा जे0ई0आर0ई0एस0 द्वारा दिया गया परन्तु वित्तीय स्वीकृति नहीं लिया गया। इसके अलावा टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं से जमानत धरोहर की धनराशि ली गयी है। विभिन्न शासनादेशों के द्वारा यह निदेशित किया गया है, कि सोलर लाइट की स्थापना/क्रय उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम नेडा द्वारा ही किया जाएगा क्योंकि यह उपक्रम सोलर लाइट की पांच वर्ष की गारन्टी देती है। परन्तु इन शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट एजेंसी मे0 शिवम इंटर प्राइजेज रेवती द्वारा 25 सोलर लाइट क्रय किया गया। इस कार्य का एम0बी0 अरुण कुमार मौर्य द्वारा किया गया तथा प्रेम प्रकाश सिंह कार्य प्रभारी रहे। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सोलर लाइट स्थापना तथा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है न ही स्टाक रजिस्टर और न ही प्रमाण स्वरूप जियो टैगिरी ही प्रस्तुत किया गया प्राप्त फोटो ग्राफ से स्थान की पुष्टि नहीं होती है। अतः रु0 608027.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी जे0ई0 अरुण मौर्य, लेखाकार राज कुमार सिंह, कार्य प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-21)

(ख) विभिन्न स्थानों पर 20 अदद स्ट्रीट लाइट की स्थापना की लागत रु0 100026.00 है इस काग की तकनीकी स्वीकृति ली गयी है परन्तु प्राक्कलन संख्या/दिनों नहीं लिखा है। इस कार्य का कोटेशन मे0 शिवम इंटर प्राइजेज को दिया गया परन्तु कोटेशन मंगाने की प्रक्रिया में भारी कमियां पायी गयी। यहां विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर प्राइवेट सप्लायर से स्ट्रीट लाइट क्रय कर सरकारी धन रु0 98006.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है। पुनः स्ट्रीट लाइट से होने वाले बिजली बिल का भुगतान कैसे किया जायेगा स्पष्ट नहीं है, अतः इस कार्य के हर चरण में अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 मिथलेश गौतम, पिन्दू राम लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-22)

(ग) विभिन्न स्थानों पर दो अदद तथा रामगढ़ ढाले पर एक हाई मास्टर एल0ई0डी0 की स्थापना की लागत क्रमश रु0 2.49 लाख तथा 1.25 लाख है। कार्य की तकनीकी स्वीकृति सं0 119/2018-19/ई0ई0/20-7-18 तथा 253/2018-19-ई0ई0-3-11-18 है परन्तु प्रस्ताव संख्या तथा दिनांक नहीं लिखा है। टेण्डर दैनिक अमर उजाला में छपा है उसमें टेण्डर प्राप्त करने तथा खोलने का समय उद्धृत है। यहां प्रेम प्रकाश सिंह को कार्य प्रभारी तथा अरुण मौर्य जे0ई0 के तकनीकी देखरेख में कार्य सम्पन्न कराया जाना है। टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया में भारी अनियमितता पायी गयी है क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं से कोई जमानत/धरोहर की धनराशि नहीं ली गयी। टेण्डर में शिवम इंटर प्राइजेज रेवती को दिया गया, जबकि शासना संख्या 1581/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2015 दिनांक 2015 के अनुसार सड़क पर बिजली व्यवस्था हेतु यह संयंत्र लगाया जाता है जो उत्तर प्रदेश नेडा द्वारा इ टेंडरिंग के माध्यम क्रय किया जाएगा परन्तु उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर प्राइवेट फर्म का टेण्डर दिया गया स्पष्टतः सरकारी धन रु0 243191+121937=365128.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है। यहां पत्रावली

में कही नहीं पाया गया कि कार्य प्रभारी ने सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को लिखा प्राप्त मस्टर रोल से कार्य दिनांक 21-9-2018 से 28-9-2018 तथा 20-1-2019 से 24-1-2019 तक कराया गया। मस्टर रोल से स्पष्ट है कि बिना मिस्त्री के ही कार्य सम्पन्न हुआ है। साथ ही पत्रावली में इससे सम्बंधित कोई फोटो ग्राफ या जियो टैगिंग नहीं करने के कारण व्यय की पुष्टि न हो सकी न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ही पायी गयी। अतः इस कार्य में हुए गंभीर अनियमितता के लिए अशोक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 अरुण मौर्य, लेखाकार पिन्टू राम, कार्य प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार है, प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0- 23)

(घ) दिनांक 28-1-2019 को क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत 10 सोलर लाइट तथा दिनांक 27-2-2019 को 12 अन्य जगहों पर सोलर लाइट स्थापित करने हेतु रू0 2.50 लाख तथा रू0 3 लाख की लागत है सम्बंधित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति को ली गयी है परन्तु वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। एम0बी0 वी0बी0 मणि त्रिपाठी द्वारा किया तथा उनके तकनीकी देख-रेख में कार्य सम्पन्न कराया जाना है। टेण्डर सम्बंधित प्रक्रिया में काफी कमियों पायी गयी क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रपत्र का मूल्य/जमानत/धरोहर की धनराशि नहीं ली गई जिसमें राजस्व की हानि हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोलर लाइट की स्थापना हेतु विभिन्न शासनादेशों के अनुसार सोलर लाइट उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम नेडा द्वारा ही क्रय किया जायेगा, परन्तु इन शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट फर्म मे0 शिवम इंटर प्राइजेज रेवती से सोलर क्रय किया गया परन्तु पत्रावली में सम्बंधित स्पेशी फिकेशन तथा गारन्टी कार्ड अप्राप्त रहा। न ही सम्बंधित सोलर लाइट स्थापना का प्रमाणिक फोटोग्राफ/जियोटैगिंग अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन/उपभोग पत्र ही पत्रावली में पाया गया जिससे व्यय रू0 531416.00 की पुष्टि हो सके। अतः हर चरण में गंभीर अनियमितता प्रदर्शित हो रही है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार, जे0ई0 वी0बी0 मणि त्रिपाठी, पिन्टू राम लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना तिवारी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0- 24)

9. क्षेत्र पंचायत का नाम- वेरुआरवारी

प्रस्तर-63 उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यकार कल्याण उपकर नियम 2019 नियम 4(3) के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार ने कर्म कारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेंस आरोपित करने का आदेश 04 फरवरी 2009 में दिया गया अपेक्षित है। संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक राज्य वित्त आयोग तेरहवां वित्त आयोग, मनरेगा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर निम्न विवरणानुसार कुल रूपया 87368.13 किया गया। उक्त कराये गये कार्यों में निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेंस (कार्यकार उपकर) की कटौती रू0 87368.13 की नहीं की गयी है। जो नियम विरुद्ध है। अतः रू0 87368.13 जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-2)

प्रस्तर-64 ग्राम सभा शाहपुर में राजा यादव के घर के पास नहर पर पुलिया निर्माण में कार्य प्रभारी श्री रविशंकर सिंह यादव को 67800.00 रू0 मजदूरी हेतु भुगतान किया गया। किन्तु निर्माण पत्रावली में मस्टर रोल नहीं पाया गया। जिसके लिए श्री विनोद सिंह एवं पिन्टू राम उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0-6)

10. क्षेत्र पंचायत का नाम- गड़वार

प्रस्तर-65 क्षेत्र पंचायत परिसर के दोनों तरफ पेवर्स ब्लाक कार्य में दैनिक पेपर के आज में 1 अक्टूबर 2018 को उक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रिता की गयी जिसमें यह शर्त रही कि धरोहर राशि रू0 37100.00 निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 765.00 होगा। लेकिन पत्रावली जांच में तीनों फर्मों (कौशिक कन्सट्रक्शन शाहपुर) मेसर्स भारती कन्सट्रक्शन गड़वार, माँ कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणापाली से निविदा प्रपत्र का मूल्य धरोहर राशि लिया गया कि नहीं, पत्रावली में इससे सम्बंधित रूपपत्र-7 निर्गत कर उसकी फोटो प्रति सलग्नक किया गया है कि नहीं रहा। जांच आवश्यक है यदि उक्त धनराशि रू0 765 × 3+37=113595 नहीं ली गयी है तो निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गयी है। उक्त कार्य में पत्रावली के अनुसार कार्य प्रभारी एवं अन्य विवरण निम्न रहा-

बी0डी0ओ0 श्री प्रभात कुमार सिंह जे0ई0 श्री विजय कुमार यादव, प्रभारी प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) लेखाकार श्री शिवजी राम इस्टीमेट (श्रम 10753982, सामग्री 74242401) तकनीकी

स्वीकृति 212/18-19/ई0ई0/3.10.18 उक्त में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी है जो अनियमित रहा।

तीनों फर्मों से लेटर पैड पर सामग्री का कोटेशन मूल्य पत्रांक अज्ञात से प्राप्त किया गया है, माँ कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणपाली जिसे सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया गया है कि जी0एस0टी0 दिनांक 201.12.2019 जांच में स्टेटस कैन्सिल था। अतः उक्त फर्म के जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की जांच आवश्यक है कि सामग्री आपूर्ति के समय रजिस्ट्रेशन सक्रिय था कि नहीं

दिनांक 2.12.2018 को कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणपाली द्वारा रू0 270495.75 का सामग्री आपूर्ति का बिल प्रस्तुत रहा जिस पर फ्लैट 5 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती कर चेक नं0 014856 से रू0 256971.00 का चेक फर्म को जारी कर दिया गया तथा इसी बिल पर कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) द्वारा सामग्री प्राप्ति कर हस्ताक्षर है लेकिन मस्टर रोल 01.11.2018 से 29.11.2018 तक का रहा अतः स्पष्ट है कि यदि बिल 02.12.2018 का रहा तो मस्टर रोल से तालमेल नहीं रहा जांच आवश्यक है।

मस्टर रोल की जांच में यह प्रकरण प्रकाश में आया कि मस्टर रोल पर वर्क इंचार्ज के हस्ताक्षर नहीं रहे मस्टर रोल क्रमांक अंकित नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-2)

प्रस्तर-66 राज्य वित्त/चतुर्थ वित्त द्वारा विसुकिया (पूरापर) नहर से रामाधार यादव के घर तक पेवर्स बलाक निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न विवरण रहा-बी0डी0ओ0 श्री प्रभात कुमार सिंह जे0ई0 श्री विजय कुमार यादव कार्य प्रभारी प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) लेखाकार श्री शिवजी राम इस्टीमेट41935.80 एलएवं 354403.13 एम0396 लाख तकनीकी स्वीकृति 217/2018-19/ई0ई0/3.10.1 कौशिक कन्सट्रक्शन शाहपुर भारती कन्सट्रक्शन गड़वार माँ कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणपाली की पत्रावली में कोई शपथ पत्र, कोटेशन पर प्रोपाइटर का हस्ताक्षर नहीं रहा।

उक्त टेण्डर हेतु दैनिक पेपर आज में विज्ञापन दिनांक 01.10.2018 को रहा जिसमें धरोहर राशि रू0 17300.00 निविदा फार्म मूल्य जी0 एस0टी0 सहित रू0 974.00 अंकित है लेकिन कोई भी धनराशि तीनों फर्मों से प्राप्ति का साक्ष्य नहीं मिला अतः टेण्डर प्रक्रिया में घोर लापरवाही (अनियमितता) बरती गयी है।

बिल क्रमांक 7.8 दिनांक 02.12.18 को फर्म माँ कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणपाली द्वारा रू0 278862.00 का बिल भुगतान प्राप्त हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्य सामग्री प्राप्ति की गयी है लेकिन मस्टर रोल 01.11.18 से 13.11.18 तक ही रहा, अतः सामग्री आपूर्ति संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-3)

(4) इस्टीमेट से ज्यादा भुगतान रू0 14537.00 का किया गया है। सामग्री आपूर्ति का बिल कामाख्या कन्सट्रक्शन द्वारा टैक्सइन्वल्स पर प्रस्तुत किया गया है जिस पर भुगतान की सस्तुति कर भुगतान कर दिया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-4(4))

प्रस्तर-67 राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त से क्षेत्र पंचायत द्वारा जगदीशपुर में राजेन्द्र के मकान से सुरेन्द्र के कमान तक पेवर्स ब्लाक पत्रावली जांच में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये-

1.कार्य विज्ञापन दैनिक समाचार "आज" में दिनांक 01.10.18 को प्रकाशित किया गया जिसमें टेण्डर फार्म का मूल्य जी0एस0टी0 सहित रू0 688.00 एवं धरोहर राशि रू0 20750.00 अंकित रहा जिसके सापेक्ष तीन फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया विवरण निम्न रहा।

कौशिक कन्सट्रक्शन एवं सप्लायर्स शाहपुर भारती कन्सट्रक्शन गड़वार कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणपाली ।

उपरोक्त फर्मों के प्रपत्रों की जांच में स्पष्ट हुआ कि तीनों फर्मों द्वारा लेटर पैड पर बिना पत्रांक के कोटेशन दिया गया है टेण्डर फार्म नहीं बेचा गया है तथा "कौशिक" एवं "भारती" कन्सट्रक्शन से धरोहर के रूप में कोई भी अमानत नहीं ली गयी है। कामाख्या कन्सट्रक्शन जिसे सामग्री आपूर्ति का टेण्डर दिया गया है। धरोहर के रूप में यू0 0बी0आई0 का फिक्स डिपोजिट क्रमांक 939107 दिनांक 28.9.18 रू0 40000.00 का वाण्ड की फोटो कापी रहा जिसे उपरोक्त कार्य में भी प्रयोग किया गया है अतः धरोहर की राशि अमान्य है।

2.प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी है तकनीकी स्वीकृति पत्रांक 214/2018-19/ई0ई0/3.10.18 (इस्टीमेट मजदूरी रू0 51573 एवं सामग्री रू0 415429.36) ली गयी है।

3.मस्टर रोल 01.11.18 से 17.11.18 तक रहा लेकिन कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) द्वारा कामाख्या कन्सट्रक्शन द्वारा सामग्री आपूर्ति का बिल क्रमांक (टैक्स इन भाइस) — 74 दिनांक 02.12.18 पर सामग्री प्राप्ति दिखाया गया है यदि कार्य 17.11.18 को ही समाप्त हो गया तो 02.12.18 को सामग्री प्राप्ति कैसे की गयी है तथा उसी बिल पर एम0बी0 बुक का विवरण देते हुए दिनांक 19.12.18 चेक नं0 014854 से रू0 293127.54 से रू0 14656.00 जी0एस0टी0 काटकर रू0 278472.00 काचेक निर्गत है जांच आवश्यक है।

4. सामग्री क्रय के भुगतान हेतु टैक्स इन्वायस पर बिल प्रस्तुत किया गया है। जो अपत्तिजनक रहा।

अतः उक्त कार्य में भुगतान की गयी धनराशि सामग्री मद हेतु रू0 407358.69 एवं मजदूरी हेतु रू0 50850.00 कुल रू0 458208.69 में घोर अनियमितता बरती गयी है सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह जे0ई0 श्री विजय कुमार यादव (आर0ई0डी0) लेखाकार श्री शिवजी राम, कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह (ए0डी0 ओ0 एल0एस0बी0) पर विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-5)

प्रस्तर-68 राज्य वित्त से क्षेत्र पंचायत द्वारा “ग्राम सभा सिहांचवर में पिच रोड से स्वामीनाथ यादव के डेरा तक सोलिंग मरम्मत कार्य” की पत्रावली जांच में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये—

1. उक्त कार्य का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र “आज” में क्रमांक 01.10.18 को प्रकाशित किया गया जिसमें निविदा फार्म का मूल्य जी0एस0टी0 सहित रू0 715 एवं धरोहर राशि रू0 26350.00 अंकित रहा जिसके क्रय में निम्न तीन फर्म का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया कौशिक कन्सट्रक्शन शाहपुर, भारती कन्सट्रक्शन गड़वार कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणापाली

उक्त तीनों फर्मों के लेटर पैड पर बिना पत्रांक के सामग्री का कोटेशन लिया गया है कौशिक एवं भारती कन्सट्रक्शन से धरोहर राशि प्राप्त नहीं की गयी है कामाख्या कन्सट्रक्शन से धरोहर के रूप में यू0बी0आई0 का कफन्स डिपोजिट क्रमांक 939107 दिनांक 28.9.18 को रू0 40000.00 का वाण्ड फोटो कापी सलंगन रही जिसे उक्त वाण्ड कार्यों में भी प्रयुक्त किया गया है। अतः धरोहर वाण्ड अमान्य रहा। टेण्डर फार्म का मूल्य रू0 715.00 तीनों फर्मों से नहीं लिया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. उक्त कार्य में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी तकनीकी पत्रांक 213/2018/ई0ई0/3.10.18 के क्रम में (इसटीमेट मजदूरी रू0 34250.00 एवं 527874.90 कुल रू0 873124.90) की ली गयी है।

3. किसी भी सामग्री बिल पर आयकर कटौती नहीं की गयी है जी0एस0टी0 की दर प्लैट 5% की दर से प्रस्तुत बिल पर की गयी है जो गलत रहा जबकि सामग्रीवार कटौती की जानी आवश्यक रही।

4. मस्टर रोल(1) के क्रम में मिस्ट्री एवं मजदूरों की उपस्थिति 1.11.18 से 27.11.18 तक रू0 110860.00 एवं मस्टर रोल 2 के अनुसार उपस्थिति 1.12.18 से 29.12.18 के क्रम में मजदूरी रू0 23034500.00 कुल मस्टर रोल रू0 341205.00 का पत्रावली में सलंगन रहा लेकिन भुगतान चेक नं0 014852 दिनांक 29.11.18 से रू0 110860.00 चेक नं0 019924 दिनांक 3.1.19 से रू0 100000.00 एवं चेक नं0 019925 दिनांक 3.1.19 से रू0 130000.00 कुल रू0 340860.00 का निर्गत किया गया। (345 की धनराशि मस्टर रोल से कम रही जिसका तात्पर्य रहा कि किसी मजदूर को कम मजदूरी दी गयी) जांच आवश्यक है।

उपरोक्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि कार्य में घोर अनियमितता की गयी है कार्य मनमाने तरीके से कराया जा रहा है जो आपत्ति जनक रहा अतः रू0 495904.50 सामग्री मूल्य का भुगतान एवं रू0 340806.00 मजदूरी कुल रू0 836710.50 के भुगतान की प्रक्रिया में घोर अनियमितता की गयी है। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह लेखाकार श्री शिवजी राम कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) पर प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-6)

प्रस्तर-69

3. सामग्री मूल्य का भुगतान हेतु टैक्स अन्वायस को बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो गलत रहा। बिना सही प्रमाणक प्राप्त किये ही टैक्स इन्वायस नं0 64 दिनांक 27.10.18 पर रू0 207595.50 से जी0एस0टी0 रू0 9576.00 कटौती कर रू0 1747.00 चेक नं0 014841 दिनांक 5.11.18 एवं टैक्स इन्वायस क्रमांक 67 दिनांक 12.11.18 के क्रम में सामग्री मूल्य रू0 34932.45 से रू0 1747.00 की जी0एस0टी0 कटौती कर रू0 33195.00 चेक नं0 012847 दिनांक 29.11.18 का चेक कामाख्या कन्सट्रक्शन को जारी कर दिया गया है जो अमान्य है रू0 231214.00 की धनराशि के भुगतान में अनियमितता की गयी है खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री शिवजी राम पर प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-7(3))

4. उक्त कार्य में मजदूरी भुगतान हेतु श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) कार्य प्रभारी को रू0 60825.00 का चेक नं0 014848 दिनांक 29.11.18 को निर्गत है। लेकिन मस्टर रोल की जांच में स्पष्ट हुआ कि मस्टर रोल पर क्रमांक कार्य की अवधि माह तिथि अंकित नहीं रहा। मजदूरों की उपस्थिति 1 से 18 तारीख तक लगायी गयी है एम0बी0 बुक का विवरण भी मस्टर रोल पर अंकित नहीं रहा। अतः मस्टर रोल संदिग्ध प्रतीत रहा। धनराशि रू0 60825.00 की पुष्टि आवश्यक है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार सिंह, लेखाकार श्री शिवजी राम, कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) कार्य प्रभारी एवं जे0ई0 श्री विजय कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।
(आ0 सं0-7(4))

प्रस्तर-70 राज्य वित्त मद से क्षेत्र पंचायत से निर्माण कार्य “धनौती सलेम में कन्हैया के डेरा से भैरोनाथ सीवान तक खडंजा निर्माण कार्य की पत्रावली जांच में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये—

1. उक्त कार्य का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र “आज” में दिनांक 1.10.18 को प्रकाशित किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहा कि निविदा फार्म का मूल्य जी0एस0टी0 सहित रू0 686.00 एवं धरोहर राशि रू0 20132.00 होगी जिसके क्रम में निम्न तीन फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया विवरण निम्न रहा—

कौशिक कन्सट्रक्शन शाहपुर में भारती कन्सट्रक्शन गड़वार, माँ कामाख्या कन्सट्रक्शन नारायणापाली उक्त तीनों फर्मों द्वारा टेण्डर फार्म धरोहर राशि का मूल्य लिया गया कि नहीं से सम्बन्धित रूप 4 से 7 निर्गत नहीं रहा। जांच आवश्यक है।

उक्त तीनों फर्मों के लेटर पैड (पत्रांक अज्ञात) पर सामग्री का कोटेशन स्वीकार किया गया। कौशिक एवं भारती कन्सट्रक्शन से धरोहर राशि ली गयी कि नहीं अज्ञात रहा। माँ कामाख्या कन्सट्रक्शन से धरोहर के रूप में डाक जीवन वीमा का फिक्स डिपोजिट खाता नं0 4015924047 दिनांक 13.4.18 रू0 10000.00 का वाण्ड की फोटो कापी जो सलग्न रही स्वीकार किया गया है जबकि विज्ञापन में रू0 20132.00 की धरोहर राशि अंकित है अतः स्वयं के आदेशों की अवहेलना की गयी है।

2. कार्य प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी कार्य का इस्टीमेट नहीं बनाया गया है।

3. दिनांक 12.11.18 टैक्स इन्वाल्स नं0 69 से सामग्री भुगतान हेतु कामाख्या कन्सट्रक्शन द्वारा रू0 393056.50 का बिल प्रस्तुत है जिस पर 5 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 रू0 19653.00 की कटौती मस्टर रोल की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मस्टर रोल पर यह, तिथि कार्य की अवधि एम0बी0 बुक का डिटेल अंकित नहीं रहा। मिस्त्री एवं मजदूरों की उपस्थिति 1 तारीख से 25 तारीख तक अंकित रही अतः बिना सही प्रमाणक प्रस्तुत किये ही चेक नं0 014850 दिनांक 29.11.18 को रू0 101835.00 की धनराशि का चेक कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) कार्य प्रभारी को निर्गत कर दिया गया है जो अमान्य रहा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य प्रक्रिया में घोर लापवाही करते हुए रू0 373403.00 सामग्री एवं रू0 101835.00 मजदूरी कुल धनराशि रू0 475238.00 का भुगतान मनमाने तरीके से कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसे लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार सिंह, लेखाकार श्री शिवजी राम, जे0ई0 श्री विजय कुमार यादव (आर0ई0डी0) जिम्मेदार है प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 सं0-8)

प्रस्तर-71 आलोच्य वर्ष 2018-19 के प्रशासनिक मद (इन्दिरा आवास योजना) में अप्रैल में रू0 201774.00 माह मई में रू0 10315.00 तथा मार्च -2019 में रू0 12000.00 इस प्रकार कुल खर्च रू0 22489.00 रहा जिससे सम्बन्धित खर्च वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया बिना प्रमाणक के व्यय कि रू0 224089.00 का अपहरण कर लिया है खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार से ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिए।
(आ0 सं0-9)

प्रस्तर-72 यू0बी0आई0 शाखा गड़वार खाता सं0 304902010004551 का 1.4.18 का प्रारम्भिक 2597377.83 रहा जबकि ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार प्रारम्भिक रू0 2177485.00 अंकित है रू0 419892.83 का अन्तर रहा की खोज कर लेखा का समाशोधन किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 सं0-15)

प्रस्तर-73 राज्य वित्त के खाता यू0बी0 आई0 खाता 304902010004551 से दिनांक 13.6.18 एवं 14.4.18 को चेक नं0 10010575 एवं 10010576 से क्रमशः रू0 47200+88500 कुल रू0 135700.00 खर्च की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान संदिग्ध रहा उक्त भुगतान रू0

135700.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी बी0डी0ओ0 श्री प्रभात कुमार सिंह (कार्य काल अज्ञात) श्री जय प्रकाश यादव (कार्यकाल अज्ञात) श्री विनोद मणि त्रिपाठी (कार्यकाल अज्ञात) लेखाकार श्री विजय कुमार उपाध्याय, शिवजी राम/ लेखाकार, श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक (कार्य प्रभारी) से अपेक्षित है।

(आ0 सं0-16)

प्रस्तर-74 दिनांक 29.10.18 के राज्य वित्त खाता यू0बी0आई0 शाखा गड़वार खाता सं0 3044902010004551 से चेक नं0 010578 से क्रमशः आयकर कटौती (2018-19) की धनराशि 68059.00 एवं व्यापार कर कटौती (2017-18) रू0 73529.00 की धनराशि ग्रांट 2 के अनुसार स्टेट बैंक शाखा बलिया में चालान जमा दिखाया गया है जबकि पास बुक की जांच में उक्त धनराशि की निकासी नहीं रही। यदि नकद जमा है तो आय के स्रोत का पता नहीं किया जा सका तथा चालान नं0 वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया बिना प्रमाणक के व्यय रू0 152166.00 रू0 बैंक जमा दर्शाकर राजकीय राजस्व की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से किया जाना चाहिए।

(आ0 सं0-17)

प्रस्तर-75 दिनांक 20.12.18 का यू0बी0आई0 शाखा गड़वार खाता सं0 304902010004551 से चेक नं0 014859 से रू0 41475.00 लेखाकार द्वारा आहरित है पास बुक के अनुसार जबकि ग्रांट रजिस्टर 2 में यह धनराशि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (ए0डी0ओ0एल0एस0बी0) को मजदूरी हेतु (विसुकीया नहर से रामाधार यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य) भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रू0 41475.00 की धनराशि आहरित है तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री प्रभात कुमार सिंह (कार्य काल अज्ञात) श्री जयप्रकाश यादव (कार्य काल अज्ञात) श्री विनोद मणि त्रिपाठी (कार्य काल अज्ञात) एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उपाध्याय एवं श्री शिवजी राम से 41475.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ0 सं0-18)

प्रस्तर-76 क्षेत्र पंचायत का स्वच्छ भारत मिशन खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिबिल लाईनबलिया में खाता संख्या6176000100070297 में है आलोच्य वर्ष 2018-19 में खाते से खर्च हेतु रू0 906726.00 की धनराशि आहरित है पासबुक की जांच करने पर स्पष्ट हुआ कि कई फर्मो पेट्रोल पम्प एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री विनोद कुमार पाण्डेय, श्री रामदेव शर्मा एवं अन्य को भुगतान किया गया है। परन्तु खर्च की पुष्टि में व्यय वाउचर लाग बुक पेट्रोल पम्प की रसीद वाहन स्वामी का समझौता इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक लागबुक पेट्रोल पम्प वाहन स्वामी को भुगतान किये जाने से सम्बंधित बिना प्रमाणक की भुगतान कर रू0 906726.00 का अपहरण कर किया गया है।

अतः उक्त धनराशि रू0 90676.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार सिंह (कार्य काल अज्ञात) श्री जय प्रकाश यादव (कार्य काल अज्ञात) श्री विनोद मणि त्रिपाठी (कार्य काल आत) लेखाकार श्री विजय कुमार उपाध्याय श्री शिवजी राम, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री विनोद कुमार पाण्डेय एवं श्री रामदेव शर्मा से अपेक्षित है।

(आ0 सं0-19)

प्रस्तर-77 आलोच्य वर्ष 2018-19 के विधायक निधि मद खाते यूबीआईगड़वार खाता संख्या3049020100040424 से वर्ष दौरान रू0 1133082.00 की धनराशि आहरित है जिससे सम्बंधित कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया पत्र देने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि के खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित बी0डी0ओ0 श्री प्रभात कुमार सिंह, श्री जय प्रकाश यादव, श्री विनोद मणि त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उपाध्याय एवं श्री शिवजी राम से जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0-20)

प्रस्तर-78 आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य सभा सांसद निधि मद के खाते यूबीआईशाखागड़वार खाता संख्या30490201000502 से वर्ष के दौरान रू0 5785530.56 की धनराशि आहरित है, आहरित धनराशि की पुष्टि में निर्माण पत्रावली कोटेशन/टेण्डर फाईल, इस्टीमेट एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रशासनिक, तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश, खर्च वाउचर, कार्य योजना, प्रस्ताव संख्या इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि के खर्च की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकी। धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित बी0डी0ओ0 श्री प्रभात कुमार सिंह, श्री जयप्रकाश यादव, श्री विनोद मणि त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उपाध्याय श्री शिवजी राम से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0-21)

प्रस्तर-79 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में सामग्री भुगतान रु0 3334126.20 फर्म को दिया गया है जिसपर आयकर 2 % की दर से रु0 66823.00 हुआ जबकि सामग्री पर आयकर कटौती रु0 2189.00 रहा। रु0 68872.00 की कम कटौती कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है इसी प्रकार जी0एस0टी0 की कटौती उक्त सामग्री भुगतान पर रु0 170233.00 रहा लेकिन पत्रावली जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सामग्रीवार कटौती न कर कहीं-2 फ्लैट 5 % की दर से की गयी है तो कहीं शून्य तरीके से मिली जैसा कि अन्य आपत्तियों में उल्लेख अंकित है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 सं0-22)

11. क्षेत्र पंचायत का नाम- हनुमानगंज

प्रस्तर-80 ग्रांट रजिस्टर भाग-2 पेज -16, मौनी बाबा के मठिया पर पेवर्स ब्लाक व बाउन्ड्री कार्य मे मे0 चौधरी इंटरप्राइजेज के नाम निर्गत चेक संख्या-068031/12-1-17 रु-259621.00 के कैंश न हो पाने के कारण पुनः चेक संख्या-068035/19-4-18 द्वारा भुगतान किया गया है। इससे संबंधित प्रमाणक/ बिल/ रसीद पत्रावली मे उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु-259621.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव , लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर-81 ब्लॉक परिसर में अतिरिक्त विस्तार /बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1-कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक/ दिनांक अंकित नहीं है।
- 2-पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
- 3-पत्रावली मे संलग्न मस्टररोल रु- 46900.00 एवं रु- 51600.00 पर कार्य प्रारंभ/समाप्ति का दिनांक एवं मजदूरों का नाम ,पता, हस्ताक्षर भी भुगतान प्राप्ति की पुष्टि मे अंकित नहीं है। मजदूरी रु- 46900.00 एवं रु- 51600.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 068040/7-6-18 एवं चेक संख्या 068045/7-9-18 द्वारा किया गया है।
- 4-फर्म चौधरी इंटरप्राइजेज बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 5-पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रु0 234031.00 एवं रु- 144935.00 फर्म के लेटर पैड पर तैयार किया गया है जिस पर क्रम संख्या एवं दिनांक भी अंकित नहीं है, जो आपत्तिजनक है।
- 6-कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
- 7-इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0 बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 8- इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित व्यय सामग्री मद रु0-359129.00 (टैक्स काटकर) एवं मजदूरी मद रु0-98500.00 कुल रु0-457629.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता कर आपसी मिलीभगत कर उक्त व्यय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी ,अवर अभियंता श्री प्रशांत श्रीवास्तव , लेखाकार श्री मनोज कुमार, सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-82 ग्रांट रजिस्टर -2 पेज 17 एवं 18 पर राज्य वित्त मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है :-

क्र0	चेक सं0/दिनांक	धनराशि (रु0)	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति
1	068042/13-8-21	83000.00	सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सहा0 लेखाकार	क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय

2	068041/13-8-21	83000.00	सजीत कुमार श्रीवास्तव ,सहायक लेखाकार	क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय
3	068043/13-8-21	4680.00	एसबीआई, बलिया	आयकर जमा
4	0678059/12-2-19	65000.00	मे0 माँ दुर्गा भगवती कं०	फागिना मशीन क्रय का भुगतान
5	068060/16-2-19	186000.00	मे0 माँ दुर्गा कं०	4 लाइट आपूर्ति
6	216775/27-2-19	52250.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव,,आईएसबी	डवाकरा भवन में बिजली मरम्मत
	योग-	473930.00		

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक , बिल , वाउचर आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक बिहीन व्यय राजकीय धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव,आईएसबी, लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत बनरही में मेन रोड के पास पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

1—कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक/ दिनांक अंकित नहीं है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।

2—पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं हैं, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

3—पत्रावली में संलग्न मस्टररोल रु-47800.00 पर कार्य समाप्ति का दिनांक 27-8-18 अंकित है। मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 0068047 /29-9-18 द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान एक माह बिलम्ब से किया गया है। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है।

4—फर्म चौधरी इंटरप्राइजेज बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

5—पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रु0 345449.00 फर्म के लेटर पैड पर तैयार किया गया है जिस पर क्रम संख्या एवं दिनांक भी अंकित नहीं है, जो आपत्तिजनक है।

6—कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है।

7—इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0 बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

8— इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान बिलंब से किया गया है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित व्यय सामग्री मद रु- 324717.00 (टैक्स काटकर) एवं मजदूरी मद रु-47800.00 कुल रु- 372517.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी , लेखाकार श्री मनोज कुमार, सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री प्रशांत श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार हैं। व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-84 बसन्तपुर शिवपुर पिच मार्ग से कास्टल ब्रिज के सामने जय नारायण के घर के सामने तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं :-

1—कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।

2-पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं हैं, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

3-फर्म चौधरी इंटरप्राइजेज बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

4-पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रु0 115540.00 एवं रु- 185104.00 फर्म के लेटर पैड पर तैयार किया गया है जिस पर क्रम संख्या एवं दिनांक भी अंकित नहीं है, जो आपत्तिजनक है।

5-कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है।

6-इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0 बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7- पत्रावली में संलग्न मस्टररोल रु- 10600.00 एवं रु- 37800.00 कुल रु- 48400.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 068051/5-11-18 द्वारा किया गया है। भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल पर मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है। पुनः उसी तिथि में रु- 37800.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को इसी कार्य हेतु चेक संख्या 068053/5-11-18 द्वारा दोबारा किया गया है। (ग्रांट रजिस्टर 2 में भी इसी कार्य हेतु मजदूरी दर्शित है।) रु- 37800.00 का कोई मस्टररोल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस्टीमेट में भी मजदूरी हेतु मात्र रु- 49660.00 का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार मजदूरी हेतु कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को रु- 48400.00 + 37800.00 = 86200.00 का भुगतान किया गया है।

उपरोक्त के आधार पर लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि कार्य सम्पादन में दर्शित व्यय सामग्री मद् रु- 280607.00 (टैक्स काटकर) एवं मजदूरी मद् रु-86200.00 कुल रु- 366807.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता कर आपसी मिलीभगत कर उक्त व्यय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी, अवर अभियंता श्री वीरेंद्र कुशवाहा, लेखाकार श्री मनोज कुमार, सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार से व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर-85 विकास खंड परिसर में कार्यालय के पीछे विभिन्न गलियों में लगे पेवर्स ब्लॉक रोड का मरम्मत एवं निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

1-कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। इस्टीमेट पर ब्लॉक प्रमुख का नाम अंकित नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।

2-पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

3-फर्म चौधरी इंटरप्राइजेज बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

4-पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रु0 266137.00 पर आपूर्ति करता का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान माँगपत्र पर भी आपूर्ति करता का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

5-कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है।

6-इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0 बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7- कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को मजदूरी भुगतान हेतु चेक संख्या 216764/27-2-19 द्वारा रु-35100.00 का भुगतान किया गया है। कार्य होने /मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त के आधार पर लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि कार्य सम्पादन में दर्शित व्यय सामग्री मद् रु- 228879.00 (टैक्स काटकर) एवं मजदूरी मद् रु-35100.00 कुल रु- 263979.00 में प्रक्रियात्मक

विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता कर आपसी मिलीभगत कर उक्त व्यय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी ,अवर अभियंता श्री वीरेंद्र कुशवाहा , लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार हैं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर-86 विकास खंड परिसर में कार्यालय के पीछे बाउंड्री से डवाकरा हाल के आगे तक सीसी रोड के पटरी पर पेवर्स ब्लाक रोड का मरम्मत एवं निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं :-

1—कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का नाम अंकित नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।

2—पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं हैं, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

3—फर्म चौधरी इंटरप्राइजेज बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

4—पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रु0 291448.00 पर आपूर्ति करता का दिनांक अंकित नहीं है। आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान माँगपत्र पर भी आपूर्ति करता का हस्ताक्षर पर तिथि अंकित नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

5—कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है।

6—इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0 बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7— कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को मजदूरी भुगतान हेतु चेक संख्या 216762/27-2-19 द्वारा रु- 37800.00 का भुगतान किया गया है। कार्य होने /मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त के आधार पर लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि कार्य सम्पादन में दर्शित व्यय सामग्री मद रु- 250683.00 (टैक्स काटकर) एवं मजदूरी मद रु-37800.00, कुल रु- 288483.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता कर आपसी मिलीभगत कर उक्त व्यय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी ,अवर अभियंता श्री वीरेंद्र कुशवाहा,लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर-87 ग्रांट रजिस्टर-2 पेज 18 पर राज्य वित्त मद में बसन्तपुर पिच मार्ग पर मीरा देवी के घर के सामने से राजेन्द्र वर्मा के खेत तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य हेतु रु-243000.00 चेक संख्या 216768 / 12-3-19 द्वारा फर्म चौधरी इंटरप्राइजेज बलिया को सामग्री हेतु एवं रु- 50400.00 श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 216769 / 12-3-19 द्वारा भुगतान किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, कार्य की पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु-243000.00 + 50400.00 = 293400.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव , लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर-88 ग्राम सभा पांडेपुर मिश्र में विजय कुमार मिश्र के घर के पास से रमाशंकर मिश्र के डेरे तक गली में सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

1—कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।

2-पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं हैं, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

3-फर्म साईं कंस्ट्रक्शन बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

4-पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रु0 507400.00 पर दिनांक अंकित नहीं है। आपूर्ति केसापेक्ष भुगतान माँगपत्र पर भी आपूर्ति करता का हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

5-कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है।

6-इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0 बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7-कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को मजदूरी भुगतान हेतु चेक संख्या 121798/4-4-19 द्वारा रु- 88100.00 का भुगतान किया गया है। कार्य होने/मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त के आधार पर लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि कार्य सम्पादन में दर्शित व्यय सामग्री मद रु- 436364.00(टैक्स काटकर) एवं मजदूरी मद रु-88100.00 कुल रु- 524464.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता कर आपसी मिलीभगत कर उक्त व्यय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी ,अवर अभियंता श्री वीरेंद्र कुशवाहा , लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर-89 ग्रांट रजिस्टर -2 पेज 11 एवं 12 पर विधायक निधि मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है :-

क्रम	चेक संख्या /दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता मे0/सर्वश्री	अन्य विवरण
1	332877 / 13-04-18	215980.00	मे0 बृजेश पाठक	नाली/सीसी रोड निर्माण सामग्री
2	332879 / 13-04-18	66600.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	उक्त की मजदूरी
3	332881 / 08-06-18	173741.00	मे0 बृजेश पाठक	नाली/सीसी रोड निर्माण सामग्री
4	332879 / 08-06-18	26200.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	उक्त की मजदूरी
5	332887 / 08-06-18	7000.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	नाली की मजदूरी
6	332888 / 25-09-18	50400.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	पेवर्स ब्लाक की मजदूरी
7	332889 / 25-09-18	58300.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	सीसी रोड की मजदूरी
8	121783 / 30-10-18	192016.00	मे0 घनश्याम सिंह	नाली/सीसी रोड निर्माण सामग्री
9	121784 / 30-10-18	61200.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	उक्त की मजदूरी
10	121786 / 07-12-18	102293.00	मे0 राजाराम सिंह	पेवर्स रोड निर्माण सामग्री
11	121787 / 07-12-18	57600.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	उक्त की मजदूरी
12	121788 / 13-02-19	7080.00	एस.एस. श्रीवास्तव सीए	आयकर
13	121789 / 22-02-19	132316.00	मे0 साईं कंस्ट्रक्शन	सीसी रोड निर्माण सामग्री
14	121790 / 22-2-19	42020.00	धर्मेन्द्र कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0	उक्त की मजदूरी
	योग-	1192746.00		

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल, वाउचर, पत्रावली आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक बिहीन व्यय रु- 1192746.00 , अनुदान का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव कव पेड़, लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर-90 जीरा बस्ती में लल्लन पासवान के घर से प्रेमचंद के डेरा तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

1— कार्य प्रभारी श्री रवि भूषण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।

2—पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं हैं, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

3— कार्य प्रभारी श्री रवि भूषण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने के बाद अंतिम मजदूरी का भुगतान श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। परन्तु इनके कार्यप्रभारी नियुक्ति से संबंधित आदेश ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।

4—कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है।

5—इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0 बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6—पत्रावली में संलग्न मस्टररोल रु-56540.00 के मजदूरी भुगतान हेतु कार्य प्रभारी श्री रवि भूषण सिंह ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 000084, दिनांक 22-2-19 द्वारा रु- 56540.00 का भुगतान किया गया है। प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरों का नाम, पता, हाजिरी एवं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में हस्ताक्षर या अंगूठा निशान अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि मजदूरी की धनराशि रु- 56540.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, अवर अभियंता श्री वीरेंद्र कुशवाहा, लेखाकार श्री मनोज कुमार, सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रवि भूषण सिंह ग्राम विकास अधिकारी समान रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर-91 ग्रांट रजिस्टर -2 पेज 4, 5 एवं 8 पर सांसद निधि मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है :-

क्रम	चेक संख्या /दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता मे0/सर्वश्री	अन्य विवरण
1	000044 / 3-11-18	307472.00	मे0 राजेश्वरी एंड कंस्ट्रक्शन	अज्ञात कार्य
2	000045 / 3-11-18	48890.00	रविभूषण सिंह ग्रा0वि0अ0	अज्ञात मजदूरी
3	000046 / 3-11-18	294026.00	मे0 बिशेन कंस्ट्रक्शन	अज्ञात कार्य
4	000047 / 3-11-18	41000.00	रविभूषण सिंह ग्रा0वि0अ0	अज्ञात मजदूरी
5	000048 / 3-11-18	254459.00	मौ एंड कम्पनी	अज्ञात कार्य
6	000049 / 3-11-18	33100.00	रविभूषण सिंह ग्रा0वि0अ0	अज्ञात मजदूरी
7	000050 / 3-11-18	378928.00	साई कंस्ट्रक्शन	अज्ञात कार्य
8	000051 / 3-11-18	37385.00	रविभूषण सिंह ग्रा0वि0अ0	अज्ञात मजदूरी
9	000052 / 3-11-18	245878.00	विजयंत कंस्ट्रक्शन	अज्ञात कार्य
10	000053 / 3-11-18	35665.00	रविभूषण सिंह ग्रा0वि0अ0	अज्ञात मजदूरी
11	000054 / 3-11-18	289647.00	मौ एंड कम्पनी	अज्ञात कार्य
12	000055 / 3-11-18	36975.00	रविभूषण सिंह ग्रा0वि0अ0	अज्ञात मजदूरी
13	000060 / 29-3-19	31990.00	सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन	निविदा विज्ञापन
	योग-	2035415.00		

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, बिल, वाउचर, पत्रावली आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्रांट रजिस्टर भाग 2 पर भी किस कार्य हेतु व्यय किया गया है अंकित नहीं किया गया है। प्रमाणक बिहीन व्यय रु0-2035415.00 से अनुदान का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, श्री रविभूषण सिंह ग्राम विकास अधिकारी, लेखाकार श्री मनोज कुमार, सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर-92 ग्रांट रजिस्टर -2 पेज 21 एवं 22 पर प्रधानमंत्री आवास का प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है :-

क्रम	चेक संख्या /दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता मे0/सर्वश्री	अन्य विवरण
1	322880 / 13-4-18	34500.00	मे0 लाइट हाउस	दो बैटरी क्रय

2	322881 / 13-4-18	73741.00	श्री एम. कुमार विकासखंड हनुमानगंज	डीजल, स्टेशनरी ,कार्टेज, प्रिंटर क्रय
3	322883 / 13-4-18	23695.00	श्री एम. कुमार विकासखंड हनुमानगंज	प्रचार /प्रसार हेतु कुर्सी मेज आदि
4	332884 / 13-4-18	32800.00	श्री एम. कुमार विकासखंड हनुमानगंज	बीडीओ कार्यालय हेतु फ्रीजर क्रय
5	121782 / 29-11-18	5510.00	एसकेएस सेल्स सर्विस	बायोमेट्रिक का भुगतान
6	121782 / 29-11-88	70000.00	श्री एम. कुमार विकासखंड हनुमानगंज	पीएम आवास की द्वितीय किश्त
7	121792 / 6-3-19	10000.00	श्री एम. कुमार विकासखंड हनुमानगंज	पीएम आवास की द्वितीय किश्त
8	121794 / 14-3-19	25240.00	मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन	पीएम आवास लाभार्थियों की सूची पेंटिंग
9	121795 / 15-3-19	14400.00	मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन	पीएम आवास लाभार्थियों की सूची पेंटिंग
10	322882 / 13-4-18	40000.00	श्री एम. कुमार विकासखंड हनुमानगंज	पीएम आवास की प्रथम किश्त
11	योग-	329886.00		

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक , बिल , वाउचर, पत्रावली आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक बिहीन व्यय रु- 329886.00 से अनुदान का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या-17)**

प्रस्तर-93 ग्रांट रजिस्टर-2 पेज 4, 5 एवं 8 पर सांसद निधि मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किया गया है :-

क्रम	चेक संख्या /दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता मे0/सर्वश्री	अन्य विवरण
1	121761 / 23-1-19	36400.00	धमेन्द्र कुमार यादव स. वि. अ.	स्वच्छता प्रचार प्रसार बैठक नाश्ता कुर्सी मेज किराया
2	121764 / 25-1-19	3750.00	सत्येन्द्र नाथ मिश्र स्वच्छताग्राही	शौचालय निर्माण फोटो अपलोड का भुगतान
3	121765 / 25-1-19	3207.00	विवेक सिंह कंप्यूटर आपरेटर	शौचालय निर्माण एम आई एस फीडिंग
4	127766 / 25-1-19	10000.00	मनोज कुमार स्वच्छताग्राही	शौचालय निर्माण फोटो अपलोड का भुगतान
5	121767 / 12-2-19	15230.00	राहुल ट्रेडर्स	स्वच्छता प्रचार प्रसार का पलैक्स बोर्ड स्थापना
6	121768 / 12-2-19	17325.00	पीएनबी कुँवर सिंह चौराहा	शौचालय फोटो अपलोड का भुगतान स्वच्छताग्राही
7	121769 / 12-2-19	3750.00	मनोज कुमार स्वच्छताग्राही	शौचालय निर्माण फोटो अपलोड का भुगतान
8	121771 / 13-2-19	3975.00	नवीन पाण्डेय स्वच्छताग्राही	शौचालय निर्माण फोटो अपलोड का भुगतान
9	121772 / 22-2-19	2600.00	राहुल ट्रेडर्स	स्वच्छता प्रचार प्रसार का पलैक्स बोर्ड स्थापना
10	1321773 / 22-2-19	3750.00	सत्येन्द्र नाथ मिश्र स्वच्छताग्राही	शौचालय निर्माण फोटो अपलोड का भुगतान
11	121775 / 22-2-19	51000.00	बलिया एनर्जी प्वाइंट	डीजल क्रय का भुगतान
12	121776 / 25-2-19	12000.00	शौर्य इन्टरप्राइजेज	पानी बोतल क्रय का भुगतान
13	121777 / 25-2-19	18000.00	मनोज कुमार लेखाकार	गोरखपुर रैली हेतु लंच पैकेट
	योग-	180987.00		

इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक , बिल , वाउचर, पत्रावली आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक बिहीन व्यय रु- 180987.00 से अनुदान का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु खंड

विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, लेखाकार श्री मनोज कुमार ,सहायक लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव, श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव स. वि. अ. समान रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर-94 वर्ष आलोच्य 18-19 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य, निविदा प्रक्रिया का नियमानुसार पालन करते हुए सम्पादित की जानी थी। परन्तु निविदा आमंत्रण हेतु बिक्री टेण्डर फार्म के सापेक्ष रूप पत्र 385 निर्गत नहीं हैं। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को प्रति निविदा फार्म रू0 300.00 के आधार पर कुल रू0 45000.00 की राजस्व की क्षति आंकलित की गयी। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर-95 वर्ष आलोच्य 18-19 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत कुल पत्रावलियों के अनुसार कुल रू0 7117820.00 की सामग्री क्रय की गयी। जिस पर निम्न प्रकार आयकर एवं व्यापार कर/जी0एस0टी0 आंकलित किया गया। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं

(क).उपरोक्त विवरण के अनुसार आयकर में रू0 39312.00 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार हुई क्षति की क्षतिपूर्ति इनसे की जानी अपेक्षित है।

(ख).उपरोक्त विवरण के अनुसार जी0एस0टी0 के रूप रू0 392918.00 की कटौती फर्मों से की जानी चाहिये थी। जो नहीं की गयी है।

(ग).उपरोक्त आयकर/व्यापार कर कटौती की धनराशि सम्बंधित विभाग में जमा किये जाने सम्बंधी कोई प्रमाणक/विवरण/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-26)

प्रारूप - 3

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायतों में उद्घाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपत्तियों का विवरण -

जनपद -मऊ

सम्भाग - आजमगढ़

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद वर्ष 2018-19

प्रस्तर 1-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त मद से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी जिससे पूरा निर्माण कार्य संदिग्ध एवं तत्सम्बन्धित सामग्री व मजदूरी पर समस्त भुगतान फर्जी सिद्ध होता है अर्थात फर्जी पत्रावलियों के आधार पर कार्य दर्शाकर कुल रू 2005050.00 धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार चतुर्वेदी व लेखाकार/कैशियर श्री रामनगीना यादव उत्तरदायी है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्य का नाम व पूर्ण पता	टेण्डर आमंत्रण का दिनांक	टेण्डर खुलने का दिनांक	समाग्री की धनराशि	मजदूरी /श्रमांश	कुल लागत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरहुरपुर में पिच रोड से राम लखन के चट्टी तक कुवर यादव के ट्यूबवेल तक खण्डजा मरम्मत कार्य	01.04.2018	25.08.2017	336040	162050	498090
2	कमालपुर में सददोपुर पिच रोड से प्रा0पा0 होते हुए पुलिया तक खण्डजा मरम्मत कार्य	01.04.2018	25.08.2017	128960	62300	191260
3	सुरहुरपुर में भुजही	01.04.2018	25.08.2017	336040	162050	498090

	पिरोड से गुलहरिया पोखारा से पहले पुलिया तक खडण्जा मरम्मत कार्य					
4	देवसीपुर में भूपेन्द्र के घर से लक्ष्मीपुर सरहद तक खडण्जा मरम्मत कार्य	01.04.2018	25.08.2017	219480	105875	325355
5	हाफिजपुर में बरहदपुर से नन्हकु के ट्यूबवेल तक खडण्जा मरम्मत कार्य	01.04.2018	25.08.2017	331080	161175	492255
6		योग		1351600	653450	2005050.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 01 से 05 तक के कार्यों के टेण्डर दिनांक 01.04.2018 को आमंत्रित की गयी हैं जिसकी पुष्टि संलग्नक समाचार पत्र की कटिंग से की गयी तथा पत्रावलियों की जाँच में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित टेण्डर खुलने सम्बन्धित पत्रावली में टेण्डर खुलने का दिनांक 25.08.2017 अंकित की गयी है जिसकी जाँच की गयी साथ ही कराये गए कार्यों क्रमांक 01 से 05 तक के मजदूरी सम्बन्धित मस्टर रोल की प्रमाणिकता भी संदिग्ध है कारण कि मस्टर रोल पर किस तिथि से किस तिथि तक कार्य कराया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं है साथ ही मस्टर रोल पर श्रमिकों की संख्या के अनुपात में अंगूठे का निशान बहुत कम लगे हैं व हस्ताक्षर तो किसी श्रमिक के हैं ही नहीं, जैसे क्रमांक 01 पर कुल 59 श्रमिकों से कार्य कराया गया है और अंगूठे के निशान मात्र 29 श्रमिकों के ही हैं क्रमांक 2 पर कुल 24 श्रमिकों से कार्य कराया गया है किन्तु अंगूठे का निशान 13 श्रमिकों के ही है। इसके साथ ही कार्य के प्रारम्भ, मध्य व समाप्ति के दौरान के फोटो ग्राफ भी पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। टेण्डर आमंत्रण से सम्बन्धित बंद लिफाफे भी पत्रावली से संलग्न नहीं रहे, साथ ही निविदा खुलने का प्रमाण पत्र अर्थात् किन किन लोगों के सामने निविदा खोली गयी संलग्न नहीं है कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यस्थल पुस्तिका सामग्री कय से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर व परिसम्पत्ति अप्राप्त रहा। ब्याज सहित वसूली के साथ ही उच्चस्तरीय जाँच भी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-2 दिनांक 13.04.18 को चेक संख्या 15835 द्वारा मनरेगा कंटेजेंसी मद से रु 7700 व दिनांक 30.03.19 को चेक संख्या 12025473 द्वारा रु 10850 श्री राजेश कुमार दूवे को वेतन बिल तैयार करने हेतु भुगतान दर्शित है इस प्रकार कुल रु 18550 बाहर से वेतन बिल तैयार कराने हेतु भुगतान धनराशि का दुरुपयोग है क्योंकि क्षेत्र पंचायत में लिपिक स्तर के कई कर्मचारी व लेखाकार इत्यादि के होते हुए तथा क्षेत्र पंचायत में कम्प्यूटर, प्रिन्टर की कई संख्या होते हुए व कोषागार द्वारा समय समय पर वेतन बिल के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित करने के उपरान्त भी बाहर से वेतन बिल तैयार कर, राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है व सम्बन्धित पटल पर नियुक्त कर्मचारी की अयोग्यता को भी प्रदर्शित करता है, जिसके सम्बन्ध में विभागीय जाँच करायी जानी अपेक्षित है इस प्रकार रु 18550 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार चतुर्वेदी, श्री विजय कुमार सिंह व लेखाकार/कैशियर श्री रामनगीना यादव व श्री सुनील कुमार यादव से अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर-03 लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटेजेंसी मद से दिनांक 14.11.2018 व दिनांक 09.01.2019 को क्रमशः चेक संख्या 25432, 25434, 25453 व 25454 द्वारा क्रमशः रु 18716 रु 15084, रु 20220 व रु 21588 अर्थात् कुल रु 75608.00 फोटो कापी मद में व्यय दर्शित है, क्षेत्र पंचायत में फोटो कापी की गई मशीनें, कम्प्यूटर प्रिन्टर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हुए तथा वर्ष के दौरान स्टेशनरी, कार्टेज, ए-4 पेपर इत्यादि मदों में लाखों रुपये की सामग्री कय करने के बावजूद बाहर से फोटो कापी मद में श्री संजय कुमार गुप्ता भण्डार लिपिक को भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश कुमार यादव व लेखाकार/कैशियर श्री सुनील कुमार यादव व भण्डार लिपिक श्री संजय कुमार गुप्त उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा-वर्ष 2017-18 से 18-19

प्रस्तर 4- शासना देश सं 4/866/33-2/14जी0/2004 टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि "क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या अधिक ग्राम

पंचायतो को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय" इसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतो के अन्दर कराकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार/कैशियर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	धनराशि	नाम कार्य प्रभारी
1	गढवा में जयनाथ के धन से सनेही राजभर के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य	310050.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
2	गढवा में बेचन चौहान के घर से भानू के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य	165605.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
3	गढवा में रामनाथ के घर से बाबू लाल के घर से होते हुए रामायन के घर तक मिटटी /सोलिंग कार्य	218408.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
4	जमीन सहरुल्लाह में अवधेश के घर से मुराली के घर तक खण्डजा मरम्मत वित्तिय वर्ष 18-19	334650.00	श्री कान्त मिश्रा (ए०डी०ओ)
5	नसीराबाद कला में दीपचन्द्र के घर से नन्दलाल के घर तक नाली निर्माण	177494.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
6	पिल्ली गोर्नईपुर में राजेन्द्र के घर से अरविन्द के घर से होते हुए सरकारी नाला तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य	460499.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
7	बड़ागोँव में त्रिभुवन के घर से बिहारी राम से घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य	191682.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
8	भुडसुरी में धनंजय यादव के घर से सीताराम के घर तक मिटटी कार्य	100414.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
9	पिपरसाथ में मुन्ना यादव के घर से राजेश के घर तक मिटटी /खण्डजा कार्य	477878.00	श्री श्रीकान्त मिश्रा (ए०डी०ओ)
10	गुलौरी में मोहन के घर से खरपतू के घर तक खण्डजा कार्य	284830.00	श्री श्रीकान्त मिश्रा (ए०डी०ओ)
11	रतनपुरा में राम किशुन के घर से बहादुर के घर तक नाली निर्माण कार्य	219616.00	श्री मुन्नीलाल (ए०डी०ओ)
	योग	2941126.00	

क्षेत्र पंचायत-कोपागंज-वर्ष 2018-19

प्रस्तर -5 शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14 जी/2004 टी०सी० दिनांक 24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि "क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों का लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय" इसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर अनुदान राशि का अनियमित भुगतान किया गया है, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार/कैशियर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है -

कार्य का नाम	व्यय	कार्य प्रभारी का नाम
1-ग्राम पंचायत नौसेमर में जगदीश के घर से राजसरीख के घर तक खण्डजा मरम्मत	172494.00	श्री अशोक पाण्डेय (आईएसबी)
2-ग्राम पंचायत नौसेमर में राजेश के घर से राकेश के घर तक इन्टरलाकिंग	411109.00	श्री दुर्ग विजय सिंह (एजी)
3-यूसूफपुर में सुदामा के घर से मुरारी के घर तक नाली /पटिया निर्माण	159409.00	श्री अशोक पाण्डेय एडीओ (आईएसबी)
	योग	743012

पंचायत-रानीपुर वर्ष 2018-19

प्रस्तर-6 प्रधान मंत्री आवास प्रासंगिक मद से विकास खण्ड रानीपुर कार्यालय के जनरेटर हेतु निम्न विवरणानुसार डीजल आदि क्य किया गया है—

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	04.04.18	1000.00	दिनांक 25.06.2018 को चेक संख्या 753392 द्वारा धनराशि रु 14346

2	23.04.18	200.00	का चेक कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु श्री अनिल कुमार सोनकर के नाम निर्गत किया गया है उक्त धनराशि में ही डीजल क्य की धनराशि रु 8400 समाहित है डीजल क्य की धनराशि रु 8400 का भुगतान श्री अनिल कुमार सोनकर को न करके सम्बन्धित पेट्रोल पंप के मालिक/डीलर को किया जाना चाहिए था।
3	26.04.18	200.00	
4	27.04.18	1000.00	
5	08.05.18	1000.00	
6	12.05.18	1000.00	
7	16.05.18	1000.00	
8	08.06.18	2000.00	
9	12.06.18	1000.00	
	योग	8400.00	
10	03.08.18	500.00	दिनांक 22.09.2018 को धनराशि 16055 का चेक संख्या 502531 साज सज्जा /डीजल आदि पर व्यय हेतु श्री अनिल कुमार सोनकर सहायक लेखाकार के नाम से निर्गत किया गया है डीजल क्य हेतु रु 5100 की धनराशि उक्त धनराशि में समाहित है। डीजल क्य की धनराशि श्री अनिल कुमार सोनकर को न करके सम्बन्धित पेट्रोल पंप के मालिक/डीबू को किया जाना चाहिए था।
11	06.08.18	2000.00	
12	07.08.18	1000.00	
13	08.08.18	500.00	
14	14.08.18	400.00	
15	21.08.18	1000.00	
16	25.08.18	500.00	
17	27.08.18	1000.00	
	योग	5100.00	
18	04.12.2018	1700.00	कार्यालय कार्य हेतु बड़े जनरेटर का पी0एफ0 किट खराब होने के कारण बदला गया। इसे माडर्न ट्रेडर्स पाण्डेय कटरा भीटी चौक मऊ से क्य किया गया जिसका मूल्य 1700 था लेकिन चेक संख्या 502536/04-12-2018 धनराशि 1700 श्री अनिल कुमार सोनकर के नाम निर्गत किया गया जबकि विक्रेता माडर्न ट्रेडर्स पाण्डेय कटरा भीटी चौक मऊ को किया जाना चाहिए था।
योग	क्र0सं0 1 से 18 तक	15200	

उक्त व्ययों की पुष्टि में जनरेटर की लाग बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। लाग बुक के अभाव में डीजल मोबिल एवं मरम्मत पर किया गया व्यय रु0 8400 + रु0 5100 + रु0 1700 कुल व्यय रु0 15200.00 दुरुपयोगित है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री रजनीश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री इरशाद अहमद जिम्मेदार रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 मे0 लालचन्द चौहान ईट उद्योग भुसुवा को माडल आवास निर्माण हेतु रु 57000.00 का भुगतान चेक संख्या 753399/9.07.2018 द्वारा किया गया है, उक्त भुगतान के सम्बन्ध में कोई भी आधार पत्र/कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। पुष्टि प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त धनराशि रु 57000 अपुष्टित होने की दशा में दुरुपयोगित है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री रजनीश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री इरशाद अहमद जिम्मेदार रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8—ग्राण्ट रजिस्टर 2 पेज नं0 27 पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु चेक संख्या 502576/06-09-2018 द्वारा रु 63000.00 का भुगतान आसिका कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर को किया गया है, उक्त भुगतान के सम्बन्ध में कोई भी आधार पत्र /निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। पुष्टि प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त धनराशि रु 63000.00 का व्यय अपुष्टित होने की दशा में दुरुपयोगित है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री रजनीश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री इरशाद अहमद जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 डी0आर0 डी0ए0 की जीप संख्या यू0पी0 54-4530 जो खण्ड विकास अधिकारी रानीपुर के प्रयोगनार्थ लगाई गयी है उसमें रु 18006 का डीजल भरवाया गया है उक्त धनराशि के भुगतान हेतु चेक पेट्रोल पंप मालिक डीलर को किया जाना चाहिए था। जबकि चेक संख्या 753381/25.04.2018 धनराशि 18006 का चेक जीप चालक श्री रामचन्द्र को किया गया है। व्यय की पुष्टि में लाग बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है, लाग बुक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि दुरुपयोगित है, जिसके लिये

खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय एवं जीप चालक श्री राम चन्द्र जिम्मेदार रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान इन्कम टैक्स / ट्रेड टैक्स मद में रु 190500 प्राप्त हुआ, पिछले वर्ष का अवशेष 122325 था इस प्रकार कुल धनराशि 312825 रही जिसमें से 43911 श्री इरशाद अहमद लेखाकार को आयकर मद में जमा करने हेतु चेक द्वारा दिया गया है, जिसकी आपति इस आपति पत्र में लिखी जा चुकी है इसके बाद वर्षान्त में रु 268914 इस मद में अवशेष रहा, जिसे राजकीय मद में जमा न कर अनियमितता बरती गयी है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री रजनीश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री इरशाद अहमद जिम्मेदार रहे। आयकर की धनराशि को जमा कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – परदहॉ(2018-19)

प्रस्तर-11 राज्य वित्त के ग्रांट रजि 11 पृष्ठ संख्या 30 पर दिनांक 28.06.2018 को निमिशा इलेक्ट्रानिक मऊनाथ भजन से 3 नग एसी रु 159000.00 की क़य की गयी है सम्बन्धित पत्रावली की लेखा परीक्षा से विदित होता है कि इस क़य के पूर्व निविदा टेण्डर नहीं किया गया है इस प्रकार नियम विरुद्ध रु 159000.00 की ए0सी0 क़य करके वित्तिय अनियमितता की गयी है इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी व लेखाकारी श्री जमील अहमद उत्तरदायी है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं-2)

प्रस्तर-12 राज्य वित्त निर्माण कार्य पत्रावली कार्य सं0 17 कार्य प्राथमिक विद्यालय कुशमौर के उत्तर भार में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना क्षेत्र पंचायत द्वारा दर्शित है। सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य प्रारम्भ के पूर्व की जो फोटो ग्राफी पत्रावली में संलग्न है वह विद्यालय के दक्षिणी भाग यानी कि पीछे भाग की है कार्य प्रगति पत्रावली में संलग्न नहीं है, साथ ही विद्यालय पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिये बेसिक शिक्षा विभाग से (एनओसी) नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं ली गयी है। जिससे रु 844484.00 का व्यय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी व लेखाकार जमील अहमद उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं-3)

प्रस्तर-13 मनरेगा ग्रांट-11 पृष्ठ संख्या 32 पर क्रमांक 27 तथा सम्बन्धित पत्रावली मनरेगा कन्टीजेंसी में दिनांक 26.11.2018 को कुल रु 19815.00 का समान कुसी, मेज, बाल्टी, मग इत्यादि खण्ड विकास अधिकारी के आवास में उपयोग हेतु क़य किया गया है। इस क़य का कोई शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर रु 19185 का दुरुपयोग किया गया है जिस प्रति खण्ड अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी तथा लेखाकार श्री जमील अहमद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं-4)

प्रस्तर-14 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर तृतीय (राज्य वित्त , मनरेगा) के अनुसार विभिन्न मदों के अनुदान को बैंक खातों में वर्ष के दौरान कुल रु 262215.00 व्याज प्राप्त हुआ है। सचिव उ0प्र0 के शासनादेश सं0-10/2015/ए-1-502 दस 2015-10(33) मई 29, 2010 के अनुसार अनुदान पर अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन नहीं पाया गया इस प्रति खण्ड अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी एवं लेखाकार श्री जमील अहमद उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं-5)

प्रस्तर-15 ग्रांट रजिस्टर तृतीय मनरेगा +राज्य वित्त के निम्नांकित विवरणानुसार कुल रु 8939039.93 दिनांक 31.03.2019 को बैंक खातों में अवशेष पड़ा है।

(सा0आ0सं-5)

क्रमांक	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	4179045
2.	बायोगैस	40380
3.	संगणना मानदेय	450
4.	प्रा0 मंत्री आवास कन्टीजेंसी	2025
5.	आगनबाडी	69034

6.	व्याज मद	1047783-93
7.	मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह	233744
8.	नवयुवक मंगल दल	39914
9.	गोवंश संरक्षण	386580
10.	मनरेगा कन्टीलजेन्सी	821424
11.	व्याज मनरेगा	191973
12.	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	1200000
13.	मनरेगा कर्मचारी सेल	727137
	योग	8939039.93

मुख्य सचिव उ०प्र० के शासनादेश संख्या बी -01-1197/दस 99 दिनांक 30.09-1999 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च को अवशेष अनुदान सम्बन्धित अनुदान दाता को वापस किया जायेगा, परन्तु ऐसा न कर रु 8939039.93 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी एवं लेखाकार श्री जमील अहमद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत –दोहरीघाट(2018-19)

प्रस्तर-16 शासनादेश सं० 4/866/32-2-14 जी०/2004 टी०सी० दिनांक 24 जून 2014 के द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होते हैं इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्न लिखित कार्य पंचायतों के अन्दर करा कर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का विवरण	लागत धनराशि
1.	ग्राम पंचायत नगरीपार श्री सुरेश यादव के घर से श्री यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत	3,22,868.00
2.	ग्राम पंचायत पिडसुई अहिलासपुर में जय प्रकाश के घर से टोनी के घर तक खडन्जा मरम्मत	3,03,460.00
3.	ग्राम पंचायत घनौली में नगीना के घर से मोहन यादव के खेत तक खडन्जा मरम्मत	2,51,488.00
4.	ग्राम पंचायत खुर्द राम दरश के घर से राजीव के घर होते हुए हरिवश के तक खडन्जा मरम्मत	3,20,098.00
5.	ग्राम पंचायत सियरही वर्जला में पिच रोड से अखिलेश के घर तक खडन्जा मरम्मत	3,28,423.00
6.	ग्राम पंचायत नगरीपार में कलन्डर के घर से भोला के मडई तक खडन्जा मरम्मत कार्य	1,60,054.00
	योग	16,86,391.00

क्षेत्र पंचायत-घोसी (2018-19)

प्रस्तर-17 शासनादेश सं० 4/866/33-2-14 जी०/2004 टी०सी० दिनांक 24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराया जाय इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है

कि ग्राम पंचायतो से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है। इसके साथ ही वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1 सं0ए0-1-864/दस दिनोंक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिये किसी प्रकार की सामग्री को क़य करने के क्रम में कोटेशन रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक एवं टेण्डर रु एक लाख से अधिक की प्रक्रिया पालन किया जाना चाहिए जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

कार्य का नाम	धनराशि	नाम कार्य प्रभारी
1-सरवसपुर भटौली में गोविन्द के घर से रामू के ट्यूबेल तक खण्डजा	-87589	श्री विनोद सिंह (एडीओएजी)
2-नदवल में आर0सी0सी0 रोड से गुडडन खान के घर तक खण्डजा मरम्मत	-147027	श्री दशरथ राम (एडीओएजी)
3-रसडी में राधेश्याम के घर से शिवलोचन के घर तक खण्डजा	-119898	श्री भीम राव प्रसाद (एडीओएजी)
4-रसडी में प्रा0वि0 गोविन्दपुर दंगुनिया से बसन्त यादव के खेत तक खण्डजा मरम्मत	-125337	श्री भीम राव प्रसाद (एडीओएजी)
5-रसडी में जितेन्द्र यादव के घर से श्री राम यादव के घर तक खण्डजा मरम्मत	-87963	श्री दशरथ राम (एडीओएजी)
6-टडियॉव में अशोक पाण्डेय के ट्यूबेल से राम प्रताप के खेत तक खण्डजा मरम्मत	-346776	श्री दशरथ राम(एडीओएजी)
7-सराय गनेश में पुलिया से विनय के खेत तक खण्डजा मरम्मत	-384174	श्री दशरथ राम (एडीओएजी)
8-गोडसरा में पिच रोड से हरिजन बस्ती तक खण्डजा मरम्मत	-361250	श्री दशरथ राम (एडीओएजी)
9-रघौली में जमीरा पुल से रघौल तक खण्डजा मरम्मत	-342558	श्री दशरथ राम (एडीओएजी)
10-रघौली मेन सडक से राशिद के खेत तक खण्डजा मरम्मत	-345517	श्री दशरथ राम(एडीओएजी)

योग - 2348089.00

(सामान्य आ0स0-02)

क्षेत्र पंचायत - बडरॉव(2018-19)

क्षेत्र पंचायत बडरॉव के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अधिभार के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर- 18-मनरेगा ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय की जाँच किए जाने पर समस्त मदों का प्रारम्भिक अवशेष रु 1073298 वर्ष में आय रु 5829317 वर्ष में व्यय रु 5533326 के पश्चात वर्षान्त में अवशेष रु 1369289 लेखा परीक्षानुसार होना चाहिए, किन्तु ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार अन्तिम अवशेष रु 1269289 ही दर्शित है इस प्रकार रु 100000 कम अनुदान अवशेष दर्शित है, इस प्रकार रु0 100000.00 कम अनुदान अवशेष दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है, जाचोंपरान्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर -19- दिनोंक 18.03.2019 को चेक संख्या 16542 द्वारा रु 114950.00 व चेक संख्या 02799 द्वारा मनरेगा केटिजेन्सी मद से रु 9400.00 श्री राजेश कुमार दूबे को वेतन बिल तैयार करने हेतु भुगतान दर्शित है इस प्रकार कुल रु 24350.00 बाहर से वेतन बिल तैयार कराने हेतु भुगतान धनराशि का दुरुपयोग है क्योंकि क्षेत्र पंचायत में लिपिक स्तर के कई कर्मचारी व लेखाकार इत्यादि हेतु तथा क्षेत्र पंचायत में कम्प्यूटर प्रिन्टर की कई संख्या व कोषागार द्वारा द्वारा समय समय पर वेतन बिल के सम्बन्ध प्रशिक्षण आयोजित करने के उपरान्त भी बाहर से वेतन बिल तैयार कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है व सम्बन्धित पटल पर नियुक्ति कर्मचारी की आयोग्यता को प्रदर्शित करता है जिसके सम्बन्ध में विभागीय

जाँच करायी जानी अपेक्षित है इस प्रकार रु 24350 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर श्री रामनगीना यादव से अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर -20 लेखा परीक्षा में मनरेगा कटिजेन्सी मद से दिनांक 02.04.18 को चेक संख्या 2393 द्वारा रु 2860 फोटो कापी मद में व्यय दर्शित है क्षेत्र पंचायत में फोटो कापी की कई मशीनें, कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि प्रर्याप्त मात्र में होते हुए तथा वर्ष के दौरान स्टेशनरी, कार्टेज, ए-4 पेपर इत्यादि मदों में लाखों रु सामग्री क्य करने के बावजूद बाहर से फोटो कापी मद में श्री उमेश चन्द्र यादव भण्डार लिपिक को भुगतान दर्शाकर कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर श्री राम नगीना यादव व भण्डार लिपिक श्री उमेश चन्द्र उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर -21 दिनांक 30.05.2018 को डी0डी0ओ मऊ के नाम उनके माँग पत्र के कम में रु 20000 का चेक चेक (संख्या 8407) काटकर भुगतान दर्शाया गया है, किन्तु डी0डी0ओ मऊ का माँग पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है, जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि डी0डी0ओ मऊ द्वारा किस उद्देश्य हेतु रु 20000 की माँग किया गया । इस प्रकार रु 20000 की धनराशि दुरुपयोगित की गयी है । जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित लेखाकार उत्तरदायी हैं, सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-5)

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2017-18 से 18-19

प्रस्तर-22 नियमों एवं प्रक्रियाओं को कड़ाई से पालन करना न केवल भ्रष्टाचार की संभानाओं को समाप्त करता है, बल्कि व्यवस्था पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकांश कार्यों में निर्माण नियमावली 1984 के निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया । कार्य के प्राक्कलन, निविदा सूचना, निविदा अभिलेख, निविदा खोलना, निविदा दरों, कार्य आदेश निर्गत करना एवं अनुबन्ध करना और प्रतिभूति / निष्पादन गारण्टी सूचित करने से सम्बन्धित कमियाँ नीचे वर्णित है।

क्र0स0	कमी का क्षेत्र	कमी की प्रकृति
1	कार्य का आगणन	1.प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न होना। 2.आगणन में अन्तर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया जाना 3.प्राक्कलन बिना तिथि अंकित किये हस्ताक्षरित किया जाना।
2	निविदा सूचना	1.निविदा सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित न किया जाना। 2.न्यूनतम 21 दिन का स्पष्ट समय निविदा प्रस्तुत करने हेतु नहीं दिया जाना। 3.निविदा प्रपत्र बिना आवश्यक अभिलेखों के स्वीकार किये गया । 4.निविदा फार्म/ठेकेदार को सूचना में निविदा दरों की वैधता अवधि का उल्लेख नहीं होना।
3	निविदा अभिलेख	1.निविदा लिफाफे सील न करके चिपकाये / नत्थे किये गये । 2.निविदाये बिना देय जमानत राशि के स्वीकृत की गयी । 3.निविदाये बिना आवश्यक अभिलेखों एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी ।
4	निविदा खोलना	1.निविदाये खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा स्वयं नहीं खोली गयी । 2.निविदाये अभियन्ता / लेखाकार की उपस्थिति में नहीं खोली गयी। 3.निविदा लिफाफों में निविदा खोले जाने की तिथि में सभी सबन्धितों के हस्ताक्षर नहीं थे ।
5	निविदा दरें	1.अभिलेखित दरों को शब्दों में नहीं अंकित किया गया था । 2.निविदाये खोलने के उपरान्त अभिलेखित दरों को घेरा/चिन्हित नहीं किया गया था ।
6.	निविदा प्रक्रिया	1.तुलनात्मक विवरण को बनाने की तिथि अंकित नहीं की गयी थी । 2.निविदा अनुमोदन के निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए या हस्ताक्षर एक समान तिथि में नहीं पायी गई।
7.	कार्य आदेश जारी करना	1.अनुमोदन के एक सप्ताह के भीतर कार्य आदेश जारी नहीं किये गये थे।
8	अनुबन्ध करना	1.कार्यदेश निर्गत होने के 21 दिन के भीतर ठेकेदार से अनुबन्ध नहीं किया गया था। 2. कार्यदेश अधिकतर बिना पत्रांक व दिनांक के अंकित है ।
9	प्रतिभूति/निष्पादन/गारण्टी	1.स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न करके सादे कागज पर ठेके के मुख्य विवरण अभिलेखित किये गये थे।

	2.निष्पादन प्रतिभूति की वसूली नहीं/कम की गयी थी।
	3.प्रतिभूति जमा /निष्पादन गारण्टी को निर्गत न किया जाना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त कार्य स्थल पर शाइन बोर्ड का न लगना या अभिलेखों में शाइन बोर्ड का भुगतान न किया जाना, किसी भी पत्रावली में कार्य के प्रारम्भ,मध्य व समाप्त की फोटो संलग्न न होना कार्य प्रभारी का नियुक्ति पत्र सं० व दिनांक अंकित न होना अधिकतर कार्यों के टेण्डर आमंत्रण का दिनांक व टेण्डर खुलने का दिनांक, मस्टर रोल पर कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति का दिनांक अंकित न होना व फर्म के बाउचरों पर तिथि का अंकित न होना, किन्ही कार्यों में केवल एक ही निविदा कर्ता का नाम होना जैसे क्रमांक 5,7,8,9,10, व 11 इसके साथ ही निविदा कर्ताओं द्वारा निविदा फार्म एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दर सूची पर निविदाओं/प्रोपराइटर्स के हस्ताक्षर अंकित न होना पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल बिना क्रमांक दिनांक व कार्यवधि व कार्य प्रभारी व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बिना हस्ताक्षरित किसी भी कार्य हेतु कय सामाग्री का स्टाक रजिस्टर में अंकन न होना, भुगतान फर्म को न कर कार्य प्रभारी को किया जाना इसी प्रकार क्रमांक 3,8,9 व 10 पर अंकित कार्य हेतु कार्य प्रभारी व0 सहायक को बनाया जाना व उनके नियुक्ति पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित न होना, परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार न कराया जाना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तैयार न होना इत्यादि कामियां कार्य को संदिग्ध बनाता है । उक्त कमियों के आलोक में निम्नलिखित कार्यों पर कुल लागत धनराशि (टी0डी0एस0सहित)रु 2799099 का व्यय अनियमित हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा समस्त कार्यों की विधिवत जाँच कराकर सम्बन्धित लेखाकार कार्य प्रभारी व खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण उपरान्त कठोर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है—

1.ग्राम पंचायत लालनपुर में पिच रोड से देवेन्द्र मल्ल के घर तक खण्डजा कार्य	रु0 207110
2.दुबारी में जयराम पाल के घर से छुरी के घर होते हुए मिटटी व खण्डजा कार्य	रु0 157065
3.विकास खण्ड परिसर में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	रु0 30000
4.लौवा साथ में रामनगीना के घर से झिलमिट के घर तक मिटटी कार्य व खण्डजा कार्य	रु0 482900
5.दुबारी में काली माता के स्थान पर इंटरलाकिक कार्य	रु0 476754
6.कल्पनाथ मौर्या के घर से संन्तोष मौर्या के घर तक नाली कार्य	रु0 101425
7.बन्धे से गुडडूलाल श्रीवास्तव के घर तक आगे इंटरलाकिग कार्य	रु0 101425
8.विकास खण्ड परिसर में स्टोर रूप का निर्माण	रु0 74102
9.विकास खण्ड परिसर में सहा0वि0अधि0 कक्ष का निर्माण	रु0 137582
10.क्षेत्र पंचायत में प्रमुख कक्ष का निर्माण	रु0 541274
11.दुबारी में शीत बसन्त के घर से राजेन्द्र के घर तक निर्माण कार्य	रु0 50395
योग	रु0 2799099

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-23 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त अनुदान मद से निम्नांकित निर्माण कार्य व अन्य विविध व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहीं फलस्वरूप बिना प्रमाणको के कुल रु 569133 व्यय कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि रु0	व्यय विवरण
1	0062037	24.05.2017	66150	परसूपुर में खण्डजा मरम्मत
2	0062038	24.05.2017	66150	आलापुर में पिचरोड मरम्मत
3	0062039	25.05.2017	58100	परसिया में खण्डजा
4	0051248	27.06.2017	84290	बेलागदायनपट्टी में खण्डजा मरम्मत
5	0051249	28.06.2017	87197	परसूपुर में खण्डजा मरम्मत
6	0051250	29.06.2017	93000	आलापुर में खण्डजा मरम्मत
7	005128	09.08.2017	16000	वायरिंग हेतु भुगतान
8	003702	29.01.2018	88500	क्षेत्र पंचायत बैठक में मानदेय वितरण
9	003703	14.03.2018	9746	विनय कुमार मिश्र को विज्ञापन भुगतान

योग—रु0 569133

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-24 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में मनरेगा कटिजेंसी अनुदान मद से निम्नकिंत व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहीं फलस्वरूप बिना प्रमाणको के कुल रु 92258 व्यय कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है साथ ही व्यय सम्बन्धित फर्म को न कर भण्डार लिपिक श्री अखिलानन्द चौबे

को दर्शाया गया है जिसके लिए सम्बन्धित लेखा कार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है, विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1.	002221	08.08.2017	34430	कम्प्यूटर मरम्मत व बिजली मरम्मत
2.	002222	09.08.2017	39990	कम्प्यूटर मरम्मत व बिजली मरम्मत
3.	002240	08.02.2018	17838	आलमारी क्रय
योग		रु0	92258	

(सामान्य आपत्ति संख्या 04)

प्रस्तर-25. दिनांक 10.07.2018 को मनरेगा कटिजेंसी मद से चेक संख्या 4533 द्वारा श्री राजेश कुमार दुबे को रु 12650.00 खण्ड विकास कार्यालय के कर्मियों के सेलरी बिल इत्यादि बनवाने हेतु भुगतान दर्शाया गया जो राजकीय धन का दुरुपयोग है, क्योंकि क्षेत्र पंचायत में लिपिक स्तर के कई कर्मचारी व लेखाकार इत्यादि के होते हुए तथा क्षेत्र पंचायत में कम्प्यूटर प्रिन्टर की कई संख्या होते हुए व कोषागार द्वारा समय समय पर वेतन बिल के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित करने के उपरान्त भी बाहर से वेतन बिल तैयार कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है व सम्बन्धित पटल पर नियुक्ति कर्मचारी की अयोग्यता को प्रदर्शित करता है, जिसके सम्बन्ध में विभागीय जाँच करायी जानी अपेक्षित है। इस प्रकार रु 12650.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर व सम्बन्धित वेतन बिल हेतु उत्तरदायी लिपिक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-26. इंदिरा आवास/प्रा0मंत्री आवास से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में निम्नलिखित व्यय प्रमाणको को न तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया गया है न तो उन्हें पेड व कैसिल ही किया गया है, इस प्रकार रु 44500.00 का भुगतान अनियमित है, जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1	005455	19.03.2018	22600	इले0हीटर, इले0 सामान फोटोकापी, मुहर इत्यादि
2.	005453	19.03.2018	21900	आशुतोष ट्रेडर्स को कार्यालय सामग्री हेतु
योग		रु	44500	

(सामान्य आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर-27 वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में इंदिरा गाँधी आवास कंटेजिन्सी व मनरेगा कटिजेन्सी मद से विभिन्न तिथियों में राजकीय वाहन व जनरेटर मद में डीजल क्रय का भुगतान दर्शित है, लेखा परीक्षा में इंदिरा आवास व मनरेगा प्रशासनिक मद से सम्बन्धित शासनादेश व सरकुलर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, फलस्वरूप व्यय धनराशि के सदुपयोग की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही, इन मदों से सरकारी वाहन व जनरेटर इत्यादि के चलाने हेतु डीजल क्रय पर रु 240640 धनराशि व्यय की गयी है किन्तु लेखा परीक्षा में डीजल व्यय व उपयोग से सम्बन्धित वाहन व जनरेटर का लागबुक प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार कुल रु 240640 धनराशि का डीजल भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों के अभाव में गबन की श्रेणी में आता है, इस प्रकार अपहरण हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर उत्तरदायी है, जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय मद
1	इ0आ0 045769	05.10.17	31416	डीजल क्रय
2	इ0आ0 005444	30.01.18	21827	डीजल क्रय जनरेटर मद
3	इ0आ0 005454	19.03.18	21900	डीजल क्रय
4	इ0आ0 005467	22.08.18	26785	डीजल क्रय
5	इ0आ0 016423	10.01.19	37924	डीजल क्रय
6	इ0आ0 016427	02.02.19	12766	डीजल क्रय
7	म0कंटी0 002216	13.07.17	24497	डीजल क्रय
8	म0कंटी 004546	05.09.18	24935	डीजल क्रय जनरेटर मद
9	म0कंटी 004550	03.10.18	23355	डीजल क्रय जनरेटर मद
10	म0कंटी 0007746	08.01.19	15235	डीजल क्रय जनरेटर मद
योग			240640	

(सामान्य आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर संख्या-28. दिनांक 01.02.2018 चेक संख्या 2237 द्वारा रु 55300 व रु 47100 के दो प्रमाणक कुल रु 102400 गौरव बैट्री सर्विस को भुगतान दर्शित है (वास्तविक भुगतान रु 101417.44) इसी प्रकार दिनांक 19.02.18 को चेक संख्या 2239 ,द्वारा गौरव बैट्री सर्विस को रु 42900 अर्थात कुल रु 145300.00 बैट्री क्रय हेतु भुगतान दर्शित है, किन्तु सभी प्रमाणकों पर जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी है अर्थात साधारण प्रमाणक ही प्रयुक्त किया गया है, जिस पर जी0एस0टी0 न0 भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार जी0एस0टी0की कटौती न कर न केवल राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है बल्कि साधारण प्रमाणक प्रस्तुत कर क्रय नियमों की अवहेलना भी की गयी है, साथ ही कोटेशन बंद लिफाफे में नहीं है । इस प्रकार कुल रु 145300.00 का बैट्री क्रय का भुगतान अनियमित है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित लेखाकार उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-29. दिनांक 05.06.17 को खाता संख्या 999328 का अधिक व्याज अंकित कर ग्राण्ट रजि0 दो से रु 325883 ब्याज की धनराशि ब्याज मद से घटा दी गई है किन्तु घटाने सम्बन्धी उच्चाधिकारियों का आदेश व सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। ग्राण्ट रजि03 के अनुसार 30 .04.17 को व्याज मद का अवशेष रु 1252029.25 माह मई में प्राप्त कुल ब्याज रु 410782. माह मई में घटाया कुल ब्याज रु 325883 इस प्रकार 31.05.17 को अवशेष ब्याज की धनराशि य रु 1336928.25। इस प्रकार व्याज की धनराशि की धनराशि रु 325883 घटाकर अनियमितता की गयी है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित लेखाकार उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या-30. दिनांक 03.07.18 को मनरेगा कंटिजेंसी मद से चेक संख्या 04540 द्वारा शुभम इण्टर प्राइजेज कलेक्ट्रेट कैम्पस मऊ को रु0 47040.00 कम्प्यूटर क्रय हेतु भुगतान दर्शित है, जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक (चेक सं0 4540 दिनांक 19.07.18) से की गयी, किन्तु ग्राण्ट रजि0 2 में बिना विवरण अंकित किए ही रु 47040.00 का भुगतान दर्शाया गया है कम्प्यूटर क्रय सम्बन्धित कम से कम तीन दुकानों से कोटेशन पत्रावली में संलग्न नहीं रही, कोटेशन के बंद लिफाफे अप्राप्त व प्राप्त प्रमाणक पेड एवं कैसिल नहीं किए गए हैं । साथ ही साथ शुभम इण्टर प्राइजेज कलेक्ट्रेट कैम्पस मऊ का कोई शोरूम नहीं है, इस प्रकार प्रतीत होता है कि यह एक विचौलिया संस्थान है तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना निरीक्षण के ही संस्थान से सामग्री क्रय किया गया है, क्योंकि अभिलेखों की जाँच में इस संस्थान द्वारा ही स्टेशनरी, कुर्सी, तौलिया, एल0इ0डी0 बल्ब, मेज व आलमारी इत्यादि भी क्रय किया गया है । इस कारण संस्था को प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ नहीं मिल सका एवं यह प्रक्रिया नियमों की सरकारी क्रय सिद्धान्त की अवहेलना व निजी स्वार्थ की पूर्ति को परिलक्षित करता है, जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित लेखाकार उत्तरदायी हैं । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

संस्था का नाम—क्षेत्र पंचायत

जनपद—अलीगढ़

मण्डल — अलीगढ़

1-क्षेत्र पंचायत जवां जनपद अलीगढ़ —

प्रस्तर-1—वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जाँच व समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनसदेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों व जिला पंचायतों का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियमानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्धित धनराशि का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हें प्रदान किया गया हो, जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त का अतिक्रमण किया गया

है। जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं दुप्लीकेसी की सम्भावना बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उक्त दोनों वर्षों में ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों में कुल रु0 7172471.00 व्यय दर्शित है, जो कि अनियमित व्यय है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव और उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराये जाने से पूर्व अन्य कार्यवाही संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, आर0ई0एस0, जिला पंचायत आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया जो अपेक्षित था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 3)

प्रस्तर-2—वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई व्यवस्था में स्पष्ट है कि 500000.00 रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा 1000000.00 रुपये से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है, जो नियमावली में निर्धारित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में राज्य वित्तीय आयोग व तेरहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल कार्यों में दोनों योजनाओं में उक्त आंकड़ों के अनुसार कार्यों का भुगतान नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है जिसकी कुल लागत रु0 7622065.00 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 3)

प्रस्तर-3—शासनादेश संख्या –ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दि0 21 मार्च-12 व शासनसदेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दि0 29 मई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह निर्देश है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। क्षेत्र पंचायत – जवां में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक में राज्य वित्त आयोग, बारहवीं वित्त आयोग व मनरगा से प्राप्त अनुदान रजिस्टर व उनसे सम्बन्धित बैंक खातों के अनुसार क्रमशः रु0 320109.00 एवं रु0 260920.00 का ब्याज अर्जित किया गया है। तथा गत वर्षों का ब्याज 184120.64 इसी प्रकार गत वर्षों को मिलाकर कुल अर्जित ब्याज रु0 765149.64 को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अर्थात् राजकीय शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार दोषी व उत्तरदायी हैं। विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 2)

प्रस्तर-4—वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कराये गये कार्य के भुगतान में से रोड़ी एवं रेत पर अवधारित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (चौतिसवाँ संशोधन) नियमावली 2012 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में एम0बी0 में कहीं भी स्टोन ग्रेट (रोड़ी) एवं सैंड (रेत) की मात्रा का अंकन अप्राप्त रहा है। उक्त दोनों की रॉयल्टी की कटौती भी ठेकेदारों के बिलों से जूनियर इंजीनियर और आंकिक द्वारा नहीं की गई है। उपरोक्त दोनों की संयुक्त रॉयल्टी का आंकलन रुपये 46084.00 होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से कर चालान द्वारा रॉयल्टी मद में राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर-5- आलोच्य वर्षों में निर्माण कार्यों के सभी अनुबंध पत्र रु0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर कराये गये हैं। जबकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यथास्थिति के अन्तरिम आदेश में भी रु0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबंध करने के स्पष्ट निर्देश हैं। इसका आंकिक द्वारा सरासर उल्लंघन किया गया है। अतः प्रत्येक अनुबंध पर रु0 90.00 की दर से कुल 19 अनुबंधों पर योग रु0 1710.00 की वसूली कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही आंकिक श्री चन्द्र प्रकाश चंदेल पर राजकोष को क्षति पहुँचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-8)

प्रस्तर -6- ग्राम जवां में पथवारी से नहर तक मिट्टी-खड़जा एवं मरम्मत कार्य में ठेकेदार शमशेर खान द्वारा बीमारी का आवेदन पत्र दे कर दो माह (समय अंकित नहीं) का टाइम एक्सटेंशन लिया गया है। किन्तु इसके सापेक्ष कोई भी मेडीकल ग्राउन्ड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी गाँव जवां में सुमेरा मार्ग से योगेन्द्र के झार तक मिट्टी-खड़जा कार्य को शमशेर खान द्वारा ही लगातार काराया गया है। यह सि करता है कि एक ही ठेकेदार को विशेष कृपा से अनुचित लाभ दिया जा रहा है। विलंब के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के ठेके की शर्तों के प्राविधान के अनुसार कुल कार्य के मूल्यांकन 696802.00 के 10% की दर से विलंब शुल्क रुपये 69681.00 की ब्याज सहित वसूली क्षेत्र पंचायत सचिव, आंकिक, अवर अभियंता से समान हिस्सों में किया जाना वांछित है।

(मूल आपति संख्या-9)

2 - क्षेत्र पंचायत खैर जनपद अलीगढ़ -

प्रस्तर -7- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, लखनऊ, दिनांक 23 दिसम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के लिये कोटेशन एवं रुपये 1 लाख से अधिक की सामग्री के लिए निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2011-12 में रुपये 712710.00 वर्ष 2012-13 में रुपये 3759331.00 वर्ष 2013-14 में रुपये 4654322.00 एवं वर्ष 2014-15 में रुपये 6407125.00 की कुल सामग्री रुपये 15533488.00, जो 1 लाख से ऊपर थी, टेण्डर प्रक्रिया न अपनाकर कोटेशन पति से क्रय की गई हैं। यह उपरोक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 34 एवं इसके अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक राजकीय विभाग/स्थानीय संस्था द्वारा माल की खरीद अथवा निर्माण कार्य संबंध में भुगतान करते समय भुगतान करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि भुगतान की जाने वाली धनराशि का 4% श्रोत पर कर की कटौती के रूप में करके वाणिज्य कर केलेखा शीर्ष/उपशीर्ष में चालान जमा करेंगे। निम्न तालिकानुसार वह धनराशि रु0 311645 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गई है एवं सप्लायर/ठेकेदार को लाभ दिया गया है।

वर्ष	सामग्री की धनराशि	निर्धारित वैट (जो काटा जाना था)	काटा गया वैट	अन्तर
2011-12	849350.00	33974.00	—	33974.00
2012-13	3784809.00	151392.00	—	151392.00
2013-14	4654322.00	186173.00	63228.00	122945.00
2014-15	6407125.00	256285.00	252951.00	3334.00
योग				311645.00

यह धनराशि अविलम्ब राजकीय कोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है। इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन जे0ई0(आर0ई0डी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपति संस्थागत वित्त कर व निबन्धन अनुभाग-2 के नोटिफिकेशन संख्या -के0ए0एन/2-1315/11- 9 (10)08-यू0पी0 एक्ट-5-2008-आर्डर -101-2013 लखनऊ, दिनांक 07 अक्टूबर 2013 के अधीन भी है।)

प्रस्तर - 9- आलोच्य वर्षों में कुछ ठेकेदारों/सप्लायर्स से सामग्री के बिलों में आयकर कम काटा गया है। जिसे निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। कम आयकर (दर 2%) काटना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसे अविलम्ब आयकर विभाग में चालान द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष	ठेकेदार का नाम	सामग्री की धनराशि	आयकर जो काटा जाना था	काटा गया वैट	अन्तर
2012-13	मै0 गिरीश एन्टरप्राइजेज	379280.00	7586.00	5530.00	2056.00
	मौहम्मद खॉ	1999089.00	39982.00	33979.00	6003.00
2013-14	मौहम्मद खॉ	1491665.00	29833.00	27924.00	1909.00
	संजय खान	1182628.00	23653.00	22661.00	992.00
		योग (अन्तर)			10960.00

तालिका से स्पष्ट है कि रु0 10960.00 आयकर विभाग में अविलम्ब जमा किया जाना (पेनाल्टी या ब्याज (जो आयकर विभाग निर्धारित करे) सहित अपेक्षित है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार संबंधित जे0ई0;आर0ई0डी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -10 बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वरकर्स (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेन्ट एण्ड कन्डीशनस ऑफ सर्विस)एक्टए 1996 के सैक्शन 18 (1)के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन 68 (नवम्बर, 2009) नोटिफिकेशन नं0 1411/36-2-2009-251(एस0एम)95, दिनांक 20.11.2009 के द्वारा " यू0पी0बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वरकर्स वेलफेयर बोर्ड" की स्थापना की गई। उपरोक्त एक्ट 1996 के सैक्शन 3(2) के अधीन इस कल्याण बोर्ड को कुल निर्माण लागत पर 1% लेबरसेस संग्रहीत करने के लिए अधिकृत किया गया, जो श्रमिकों के रोजगार, सेवा शर्तों को रेगुलेट करना एवं उनकर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। लेकिन आलोच्य वर्षों में सस्था द्वारा लेबरसेस नहीं काटा गया है। यह लेबरसेस नियोक्ता/ठेकेदार से काटा जाना था। काटा जाने वाला लेबरसेस निम्नलिखित तालिका में दर्शित है।

वर्ष	कुल निर्माण लागत (रु0)	लेबरसेस जो काटा जाना था	जे काटा गया	अन्तर
2011-12	1181350.00	11814.00	—	11814.00
2012-13	6485494.00	64855.00	—	64855.00
2013-14	7151422.00	71514.00	—	71514.00
2014-15	9531175.00	95312.00	—	95312.00
योग				243495.00

अतः यह धनराशि रु0 243495.00 उपरोक्त कल्याण बोर्ड के सचिव के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा प्रत्येक कार्य के भुगतान के पश्चात 30 दिनों की समयावधि में संस्था द्वारा जमा कराना था, जो नहीं किया गया है। अतः इसे अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ इस राजकीय राजस्व की क्षति के लिए जिम्मेदार तत्कालीन जे0ई0;आर0ई0डी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(यहाँ शासनादेश संख्या 392/36-2-2010, दिनांक 26-02-2010, उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश भी संदर्भित हैं।)

प्रस्तर-11—दिनांक 5 अगस्त, 2002 के उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक विभाग के डी0 डी0 ओ0 ड्राइंग एण्ड डिस्बरसिंग ऑफीसररॉयल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि ठेकेदार/सप्लायर रॉयल्टी चुकाये जाने की रसीद एम0एम-11प्रारूप में नहीं जमा करते हैं, उस दशा में डी0 डी0 ओ0 ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी काट कर ट्रैजरी में जमा करायेंगे। परन्तु आलोच्य वर्षों में सामग्री के बिलों पर रॉयल्टी नहीं काटी गई है और ठेकेदारों द्वारा एम0एम -11 प्रारूप में रॉयल्टी की कोई रसीद भी उपलब्ध नहीं कराई है। नीचे की तालिका में रॉयल्टी का विवरण दिया गया है।

तालिका - 1

(प्रत्येक घन मीटर में)

वर्ष	मौरम (कोर्स सैंड)			गिट्टी (बैलास्ट)			बालू			रॉयल्टी योग
	मात्रा	दर	रॉयल्टी	मात्रा	दर	रॉयल्टी	मात्रा	दर	रॉयल्टी	
2011-12	43.85	32	1403.20	66.70	68	4535.60	49.55	18	891.90	6830.70
2012-13	19.72	32	631.04	54.90	68	3733.20	154.38	18	2778.84	7143.08
	4.50	75	337.50	—	—	—	59.60	27	1609.20	1946.70
2013-14	247.31	75	18548.25	87.28	102	8902.56	109.53	27	2957.31	30408.12
2014-15	133.41	75	10005.75	186.97	102	19070.94	384.27	27	10375.29	39451.98
कुल योग										85780.58

तालिका – 2

वर्ष	मिट्टी (घन मीटर में)			कुल रॉयल्टी
	मात्रा	दर	रॉयल्टी	
2011-12	1267.27	9	11405.43	11405.43
2012-13	7617.98	9	68561.82	68561.82
	6999.87	14	97998.18	97998.18
2013-14	8454.94	14	118369.16	118369.16
2014-15	13511.61	14	189162.54	189162.54
योग				485497.13

इस तरह कुल योग (तालिका 1 एवं तालिका 2) रु0 571278 की रॉयल्टी (485497 + 85781 = 571278) सप्लायर्स के बिलों पर न काट कर उनको लाभ प्रदान किया गया है एवं राजकीय राजस्व को हानि पहुँचाई गई है। अतः इस रॉयल्टी को जमा करा जाना एवं इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन संबंधित अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(संदर्भ :- उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के शासनादेश संख्या-476/77-5-2007-236-2005 लखनऊ, 15 फरवरी 2007 संख्या

2974/86-2012-200/77/टी0सी0 ।। लखनऊ 2 नवम्बर 2012 एवं संख्या 243/86-2016-200-77/टी0सी0 ।। लखनऊ, 19 जनवरी 2016)। उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग :-

(क) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)(उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली 2007 संख्या 476/77-5-2007-236-2005 लखनऊ, 15 फरवरी 2007 से प्रभावी।

(ख) संख्या 2974/86-2012-200/77/टी0सी0-।। लखनऊ 2 नवम्बर 2012 द्वारा जारी अधिसूचना-उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)(चौतीसवाँ संशोधन) नियमावली 2012

(ग) 243/86-2016-200-77/टी0सी0 ।। लखनऊ, 19 जनवरी 2016 की अधिसूचना-उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार)(उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली 2016।

प्रस्तर – 12- वर्ष 2012-13 में ग्राम बिसायत गढ़ी में गाँव से सोफा नहर तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य कराया गया है। इस कार्य के कोटेशन में एम-100 ब्रिक संख्या 116800 ईंटों क आपूर्ति माँगी गई थी। परन्तु श्री मोहम्मद खान सप्लायर ने अपने कोटेशन में एम-100 ब्रिक के स्थान पर सीधा चटका ईंट एस0ओ0बी0 दर 3920 प्रति हजार मिखी गई। इन्होंने 1 लाख ईंटों (एस0ओ0बी0 सीधा चटका) ही अंकित की गई है। परन्तु इन ईंटों की दरें एम-100 (4250.00 प्रति 1000 ईंट) ईंटों की लगाकर बिल बनाया गया एवं इसका भुगतान भी लेलिया गया। अतः 1000 ईंटों पर 330/हजार से दरें अधिक लगाई गयीं हैं (4250 - 3920 = 330.00 प्रति हजार) जो एम-100 ब्रिक ईंटों की दरें हैं परन्तु आपूर्ति सीधे चटका ईंट एस0ओ0बी0की ही की गई है। अतः रुपये 33000.00 से श्री मोहम्मद खान को अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। इस धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन अवर अभियन्ता आर0ई0डी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 13- वर्ष 2012-13 में ग्राम अहरौला में अमर सिंह के मकान से उदयवीर के खेत एवं सोफा नहर तक नाली, खड़जा का निर्माण किया गया है। यहाँ भी ईंटों का कोटेशन रु0 3920.00 प्रति हजार स्वीकृत हुआ था। परन्तु बिल एम-100 ईंटों (58000.00 ईंटें) की दर 4400.00 प्रति हजार से पास हुआ है एवं भुगतान लिया गया है। इस प्रकार 500.00 प्रति हजार की दर कोटेशन से बढ़ाकर लगाई गई है और (58000 0.5 = 29000) रुपये 29000.00 का अधिक भुगतान कर (मै0 गिरीश इन्टरप्राइजेज को) धन का अपहरण किया गया है। इस धनराशि की अविलम्ब वसूली अपेक्षित है एवं इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन अवर अभियन्ता (कार्य प्रभारी), खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 14- आलोच्य वर्षों में वर्ष 11-12 के कार्य नं0 4 में वर्ष 12-13 के कार्य नं0 2, 7, 8 में 12000.00 के 4 साइन बोर्ड (दर3000/-) एवं ग्राम बिसायतगढ़ी से सोफा नहर तक मिट्टी/खड़जा (कार्य नं0 9) की पत्रावली में दिनांक 15.03.2013 में क्रय 7 साइन बोर्ड 28000/- (दर 4000/-) एवं दिनांक 05.02.2013 में चैक संख्या 868162 से 4 साइन बोर्डों का भुगतान रु0 16000/- (4000/- प्रति बोर्ड) (जो बिल दिनांक 30.11.2012 का है) का भुगतान किया गया है। रु0 16000/- के साइन बोर्ड कार्यस्थल पर लगे हैं। इनके फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न हैं। इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं –

(क) 4000/- साइन बोर्ड के 11 साइन बोर्ड, 500/- प्रति साइन बोर्ड की अधिक कीमत पर खरीदे गये हैं। कोटेशन में इन सभी की स्वीकृत दर 3500/- प्रति नग थी। अतः $11 \times 500 = 5500/-$ का अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है।

(ख) कुल 15 साइन बोर्डों में से मात्र 4 साइनबोर्डों के कार्यस्थल पर लगे होने के फोटोग्राफ हैं। परन्तु 11 साइन बोर्ड क्रय करने के बाद कहाँ लगे हैं, इनके सदुपयोग का कोई प्रमाण या फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः इन 11 साइन बोर्डों का मूल्य रु0 36500/- का दुरुपयोग किया गया है।

अतः रु0 5500/- अधिक भुगतान की वसूली करने एवं रु0 36500/- के उपयोग के प्रमाण/फोटोग्राफ्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन कार्य प्रभारी (जे0ई0 आर0ई0डी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 15- वर्ष 2013-14 के कार्य नं0 4 में 3 कोटेशनों में से 2 कोटेशन एक ही सप्लायर के हैं। ये दोनों कोटेशन मै0 गिरीश एन्टरप्राइजेज एण्ड सप्लायर्स के हैं। टिन नं0, 09325204168 तथा तीसरा कोटेशन श्री इस्लाम खाँ का है। अर्थात् दो कोटेशनों पर ही कार्य करा दिया गया है। इनकी कोटेशन तारीखें काटकर दोबारा लिखी गई हैं। कोटेशन का दिनांक 08.08.2013 है तथा पहला बिल भी दिनांक 08.08.2013 का ही है। जबकि आपूर्ति का कार्यदेश दिनांक 10.09.2013 को जारी हुआ है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह पूरा कार्य ही गम्भीर रूप से अनियमित है (धनराशि रु0 1365759/-)। इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन कार्य प्रभारी जे0ई0 आर0ई0डी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(नोट :- यह आपत्ति संख्या-14 पूर्व में "कोटेशन प्रक्रिया ही अनियमित है" की आपत्ति संख्या-6 के साथ सम्मिलित कर सम्पूर्ण धनराशि की अनियमितता की आपत्ति बना दी गई है।)

प्रस्तर - 16- (क) वर्ष 2012-13 के कार्य नं0 1 (ग्राम सिरियागढ़ी में मन्दिर से कंचन के मकान तक नाली, खंडंजा) में श्री इस्लाम खान के कोटेशन में कोर्स सैण्ड (मौरम) की दरें रु0 1180/- घन मी0 स्वीकृत थीं, परन्तु बिल नं0 51/27.04.2012 में दर रु0 1190/- घन मी0 लगाई गई है। 6.75 घन मी0 मात्रा दर रु0 67.50 अधिक भुगतान किया गया है।

(ख) वर्ष 2013-14 में कार्य नं0 3 में श्री मौहम्मद खान के कोटेशन में मौरम (कोर्स सैण्ड) की स्वीकृत दरें /0 1580/- घन मी0 थी परन्तु बिल में यह दर रु0 1600/- घन मी0 लगाई गई है। इस प्रकार मौरम की मात्रा 24.42 घन मी0 पर 20/- घन मी0 की अधिक दर रु0 488.40 अधिक भुगतान किया गया है।

(ग) वर्ष 2014-15 में कार्य नं0 8 (वीर नगला से विजय सिंह के मकान से पला चाँद में चौराहे तक नाली/खंडंजा निर्माण) में रु0 129000/- के मस्टर रोल में {(01.03.2015 से 15.03.2015 तक) चैक सं0 871932, दिनांक 30.03.2015} क्रमांक 3 पर मेशन श्री गजराज पुत्र श्री धनीराम ने 8 दिन कार्य किया है, परन्तु इनको भुगतान 12 दिन का किया गया है। अतः 4 दिन का अधिक भुगतान $4 \times \text{दर } 250 = 1000/-$ किया गया है।

अतः इन तीनों धनराशियों (रु0 67.50 + 488.80 + 1000 = 1555.90) का योग रु0 1556/- की वसूली अपेक्षित हैं। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार कार्य प्रभारी जे0ई0 आर0ई0डी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17- वर्ष 2013-14 में कार्य नं0 3 में मजदूरी के रुपये 60000/- का भुगतान कर दिया गया है, परन्तु रुपये 23625/- का मजदूरों को भुगतान शेष था। इस शेष धनराशि का बाद में भुगतान का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। मजदूरों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत किया गया, ऐसा भी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में नहीं मिला। इससे स्पष्ट है कि रुपये 60000/- का मस्टर टोल ही वास्तविक था, रुपये 23625/- का कार्य व मस्टररोल फर्जी बनाया गया है। फर्जी मस्टरटोल तैयार करना गम्भीर अनियमितता है, हालाँकि इसके बाद में हुए या न हुए भुगतान का साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ। इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन कार्य प्रभारी जे0ई0 आर0ई0डी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। यदि यह मजदूरी वास्तविक है तो इनका अब तक भुगतान न किया जाना भी गम्भीर अनियमितता है। इसका अविलम्ब भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18- वर्ष 2012-13 में कार्य नं० 7 एवं 8 में मजदूरी का कार्य क्रमशः दिनांक 30.09.2012 एवं 10.10.2012 में समाप्त हो गया था परन्तु इसके भुतान के चैक क्रमशः दिनांक 05.02.2013 (चैक नं० 868160, रु० 70000/-) एवं दिनांक 05.02.2013 (चैक नं० 868161, रु० 57500/-) को निर्गत हुए हैं। इतने समय तक मजदूरी का भुगतान न किया जाना गम्भीर रूप से अनियमितता है। इसके लिए जिम्मेदार कार्मिक/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 19- आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत ने कुछ कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये हैं। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या- 4/866/33-2-14-93 जी/2004, दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना है। अधिनियम की धारा 33(2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को कार्य-क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। अनुदानों की धनराशियों से क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराये थे, जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित होतीं। पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सिान्त का अतिक्रमण किया गया है। जिसके कारण कार्यों में दोहराव एवं अनियमितता की सम्भावना बनती है। अतः निर्माण कार्यों से संबंधित क्षेत्राधिकार का पूर्णतः अनुपालन अपरिहार्य था। ऐसे कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है -

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का नाम व लोकेशन	व्यय धनराशि (रु० में)
1.	2011-12	ग्राम भारेरी में धर्मवीर के घर से नल से पोक्षर तक नाली एवं खड़जा	138480/-
2.	2012-13	ग्राम सिरियागढ़ी में मन्दिर से कंचन के मकान तक नाली, खड़जा	915733/-
3.	2012-13	ग्राम भगौला में मोहनलाल के मकान से प्रा० पा० व श्री मनोहरलाल के घर तक मिट्टी, खड़जा	199902/-
4.	2012-13	ग्राम शिवाला कला में ज्वालप्रसाद के घर से श्मशान तक मिट्टी, खड़जा	593051/-
5.	2012-13	ग्राम अराना में पी०टी०ए० रोड से बच्चू सिंह के मकान तक मिट्टी, नाली, खड़जा	1053814/-
6.	2012-13	ग्राम शिवाला कला में ज्वालप्रसाद के घर से श्मशान तक मिट्टी, खड़जा का शेष भाग	320153/-
7.	2012-13	फतेहगढ़ी नेकसे के मकान से सुन्दर सिंह के मकान तक नाली, खड़जा	913890/-
8.	2013-14	नगौला गाँव में ओमप्रकाश के मकान से तालाब तक नाली निर्माण	737952/-
9.	2013-14	मौनपुर खुर्द में मुंशीलाल के मकान से शिव मन्दिर तक नाली, खड़जा निर्माण	1083625/-
10.	2013-14	ग्राम अहरौला में मुख्य मार्ग पर नाली निर्माण	1365759/-
11.	2013-14	अहरौला में साहब सिंह के मकान से सोरन के खेत तक मिट्टी, खड़जा	584570/-
12.	2013-14	नगला वीरा में दिनेश के घर से प्लॉट तक खड़जा	680190/-
13.	2013-14	फतेहगढ़ी रोड से फतेहगढ़ी श्मशान तक खड़जा	521382/-
14.	2014-15	रीमा की गढ़ी में नत्थू सिंह के मकान से बच्चूसिंह मुखिया के मकान तक मिट्टी कार्य, खड़जा, नाली निर्माण	1337702/-
15.	2014-15	मानपुर कला में प्रेमी के मकान से तालाब तक खड़जा, नाली निर्माण	1649750/-
16.	2014-15	अहरौला में भीकमसिंह के मकान से श्मशान घाट तक नाली, खड़जा, मिट्टी कार्य	968950/-
कुल योग			13064903/-

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य योजनाओं के प्रस्ताव, उन पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृतियाँ अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20- आलोच्य वर्षों के दौरान जो भी कार्य कराये गये हैं, उनमें से 10 लाख से अधिक धनराशि के कार्यों के प्राक्कलन का अनुमोदन शासन से कराया जाना था, जो नहीं कराया गया है। (संदर्भ - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली (1984 के महत्वपूर्ण प्राविधान)। आलोच्य

वर्षों में कुल 7 कार्य धनराशि रु0 10368294/- (12-13 में एक कार्य रु0 1053814/- के, 13-14 में 2 कार्य रु0 2449384/-, 14-15 में कुल 5 कार्य रु0 6865096/- के) की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर (शासन) से प्राप्त न कर अनियमितता की गई है। इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

3-क्षेत्र पंचायत धनीपुर जनपद अलीगढ़ -

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 18-19 तक की लेखा परीक्षा में, राजकीय राजस्व की क्षति, धन दुर्विनियोग व गम्भीर वित्तीय अनियमितता के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिसके लिए विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

प्रस्तर-21- उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-3/2015 दिनांक 26-11-2016 के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रतिम धनराशि के उपभोग के मार्ग दर्शक सान्त में यह व्यवस्था दी गयी कि क्षेत्र पंचायतें सवमित धनराशि का 50 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत की स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत एवं रखरखाव पर अवश्य व्यय किया जाए। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्य/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर व्यय किया जायेगा। लेकिन लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्षेत्र पंचायत धनीपुर में पुरानी सम्पत्तियों के रख-रखाव पर क्रमशः 12.52 प्रतिशत एवं 40.81 प्रतिशत ही किया गया है। जिसका निम्न विवरण है -

वर्ष	कुल व्यय	50 प्रतिशत	मरम्मत पर व्यय	कम व्यय
2017-18	8382628.00	4191314.00	1049599.00	3141715.00
2018-19	8154202.00	4077101.00	3327973.00	749128.00

इस प्रकार 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः रु0 3141715.00 एवं रु0 749128.00 कुल रु0 3890843.00 अनियमित तरीके से पुरानी सम्पत्तियों के रख-रखाव पर व्यय न कर नाली - खड़जा जैसे नये निर्माण पर व्यय किया गया है। जो शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सं0 आपत्ति सं0 -2)

प्रस्तर - 22- लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 9755/एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0 टी0-45/2017 दिनांक - 19.12.17 एवं पूर्व में जारी शासकीय आदेशानुसार लेवर सेस का दायित्व ठेकेदार का होगा लेकिन क्षेत्र पंचायत धनीपुर में लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में रु0 83479.00 व 2018-19 में रु0 71499.00 कुल 154978 लेवर सेस की कटौती की गयी है यह कटौती तो ठेकेदार के बिल से ही की गई है। लेकिन यह भुगतान पहले क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार को किया गया है। इस प्रकार देयता क्षेत्र पंचायत की हुई जिससे क्षेत्र पंचायत को रु0 154978.00 की क्षति हुई जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(सं0 आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-23- वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93 जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर जलाली हरदुआगंज बम्बा पुल से देवेन्द्र सिंह के मकान होते हुए कोडेरा के मकान तक मिट्टी/खड़जा कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सड़कों का ही निर्माण कार्य करवा सकती है इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल व्यय रु0 997562.00 अनियमित एवं शासकीय आदेशों के विपरीत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सं0 आपत्ति सं0 -4)

प्रस्तर-24- उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-3/2015 प्रस्तर संख्या 6 की संशोधित व्यवस्था के क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्ययोजना का अनुमोदन रु0 10 लाख के ऊपर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा परन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2017-18 में ग्राम खान आलमपुर से ग्राम मई तक सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी/खड़जा कार्य पर रु0 2059085.00 व्यय किया जाना दर्शित है। परन्तु निर्माण से पूर्व कार्य योजना एवं प्राक्कलन जिला अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है। अतः रु0 2059085.00 का भुगतान अनियमित

रहा। जो शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सं० आपत्ति सं०-6)

प्रस्तर-25- वर्ष 2017-18 ग्राम इकरी से प्राइमरी स्कूल होते हुए ग्राम खानगढ़ी तक मिट्टी/खड़जा निर्माण कार्य पर 4731.25 घन मी० मिट्टी डाली गई जिस पर रु० 14.00 घन मी० की दर से रु० 66237.00 रायल्टी काटी गई जबकि शासनादेशानुसार रु० 30.00 घन मी० की दर से रायल्टी काटी जानी थी इस प्रकार रु० 75700.00 कम रायल्टी काट कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाते हुए आपूर्तिकर्ता को अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार ग्राम बलरामपुर से ग्राम कोछोड़ तक मिट्टी खड़जा मरम्मत कार्य पर 2660.88 घन मी० पर रु० 14.00 प्रति घन मी० की दर से कुल रायल्टी रु० 37252.00 काटी गयी है जबकि शासनादेशानुसार रु० 30.00 घन मी० की दर से रायल्टी काटी जानी थी इस प्रकार रु० 42574.00 कम रायल्टी काट कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाते हुए आपूर्तिकर्ता को अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया। अतः कुल अन्तर रु० 118274.00 से की राजकीय राजस्व की क्षति हुई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26- पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 2326/30-03-2017 दिनांक 03.11.17 के द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे परन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2018-19 में कार्यालय सामग्री रु० 96100.00 की आपूर्ति कोटेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत मैसर्स जसवन्त सिंह कान्त्रैक्टर द्वारा आपूर्ति कराई गई है जो शासनादेश के विपरीत रहा एवं अनियमित रूप से आपूर्ति कराकर रु० 96100.00 का अनियमित भुगतान किया गया। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी एवं दोषी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

4-क्षेत्र पंचायत बिजौली जनपद अलीगढ़ -

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 18-19 तक की लेखा परीक्षा में, राजकीय राजस्व की क्षति, धन दुर्विनियोग व गम्भीर वित्तीय अनियमितता के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिसके लिए विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

प्रस्तर-27- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में हरदोई में प्रा० विद्यालय से पजाय तक खड़जा एवं पुलिया निर्माण होना दर्शित है एस्टीमेट अनुसार कार्य 400×3 मी० = 1200 मी०² होना प्रस्तावित है। एम० बी० अनुसार 1174 मी०² खड़जा लगने का भुगतान दर्शित है लेकिन एम० बी० में कार्य की लम्बाई मात्र 284.50 मी० ही है। जब कार्य 400 मी० होना प्रस्तावित था तो 284.50 मी० ही कार्य क्यों कराया गया जब लम्बाई कम हुई तो कार्य का क्षेत्रफल भी कम होना चाहिए था लेकिन अनियमित तरीके से कार्य की चौड़ाई बढ़ाकर 1174 मी०² का भुगतान किया गया है तथा कार्य भी अधूरा छोड़ दिया गया जिससे कार्य के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती है। लेखा परीक्षा अनुसार यदि कार्य की औसत चौड़ाई 03 मी० मानी जाय (एस्टीमेट अनुसार) तो $284.5 \times 3 = 853.5$ मी०² कार्य कराकर 1174 मी०² का भुगतान लिया गया है अन्तर 320.5 मी०² का किया गया भुगतान 207203.25 रु० नियमित एवं वसूली योग्य है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार (एकाउन्टेन्ट) जे० ई० दोषी एवं उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 97/2016/281/33-3-2016-3-2016-03/ 2015 दिनांक 26-11-016 के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के उपभोग के मार्गदर्शन सान्त में यह व्यवस्था दी गयी है कि क्षेत्र पंचायतें संवर्धित धनराशि का 50 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत की स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव पर अवश्य व्यय किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। लेकिन लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में उक्त आदेश का पालन न कर अनियमित तरीके से 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय नये निर्माण कार्यों पर किया गया है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, जे० ई०

उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है –

वर्ष	व्यय कुल धनराशि	50 प्रतिशत धनराशि	नवसृजित सम्पत्ति पर व्यय	हस्तान्तरित सम्पत्ति पर व्यय	अनियमित व्यय
2017-18	3372489.00	1686244.50	3182019.00 (94.35%)	190470.00 (5.35%)	1495775.50
2018-19	8325293.00	4162646.50	7644292.00 (91.82%)	681001.00 (8.18%)	3481646.50
योग					4977422.00

प्रस्तर-29—लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 9755/एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0 टी0-45/2017 दिनांक -19.12.17 एवं पूर्व में जारी शासकीय आदेशानुसार/नियमानुसार लेबर सेस का दायित्व ठेकेदार का होगा। लेकिन क्षेत्र पंचायत बिजौली में वर्ष 2017-18 में लेबर सेस का भुगतान ठेकेदार से न कराकर स्वयं संस्था द्वारा किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम	कार्य का विवरण	लेबर सेस भुगतान
1.	लोचन नगला कासिमपुर खुशीपुरा मार्ग से नगला शेर सिंह तक मिट्टी खड़जा	4223.00
2.	कुँवरसेन शर्मा ई0 कॉलेज हरदोई के सामने नगरिया की तरफ अतरौली मार्ग से सुरेशचन्द्र शर्मा के बाग तक मिट्टी खड़जा	8922.00
3.	हरदोई में प्रा0 विद्यालय से पजाये तक खड़जा एवं पुलिया निर्माण	7682.00
योग		20827.00

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में उक्त कार्यों के लेबर सेस का भुगतान अंकन 20827/- क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है, जो नियम विरुद्ध है अतः 20827/- रु0 ठेकेदार को लाभ पहुँचाया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं जे0 ई0 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30—वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 में दी गयी व्यवस्था में स्पष्ट है कि 500000.00 (पाँच लाख) रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा 1000000.00 रुपये से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है, जो नियमावली में निर्धारित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल कार्यों में 5 लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम लागत के कुल तीन कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत 2197127.00 रु0 है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5 लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम लागत के आठ एवं 10 लाख से अधिक लागत के 01 कार्य कराये गये हैं जिन पर कुल (09 कार्यों पर) 7895218.00 रु0 व्यय है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल कराये गये कार्यों में से 12 कार्यों का भुगतान नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है जिसकी कुल लागत रु0 10092345.00 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी व उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	2017-18	छताचोली के शिवमन्दिर शाहपुर मार्ग से बोहरे जगन्नाथ महाविद्यालय तक मिट्टी खड़जा	520215.00
2.	2017-18	कुँवरसेन शर्मा ई0 कॉलेज हरदोई के सामने नगरिया की तरफ अतरौली मार्ग से सुरेशचन्द्र शर्मा के बाग तक मिट्टी खड़जा	901105.00
3.	2017-18	हरदोई में प्रा0 विद्यालय से पजाये तक खड़जा, पुलिया एवं चबूतरा निर्माण	775807.00
4.	2018-19	ग्राम हरदोई माड़पुर सम्पर्क मार्ग से दताचोली बुजुर्ग तक मिट्टी खड़जा	644820.00

5.	2018-19	नगला लोचन कासिमपुर सम्पर्क मार्ग से धनीपुर नगला तक इन्टरलॉकिंग	838849.00
6.	2018-19	भमसोई से टण्डौली तक मिट्टी खड़जा	794382.00
7.	2018-19	लहरा से नगला बदन हरदोई सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी एवं खड़जा कार्य	880268.00
8.	2018-19	हरदोई मार्ग पर राधास्वामी सत्संग के सामने इन्टरलॉकिंग कार्य	1119278.00
9.	2018-19	नरुपुराडडार सम्पर्क मार्ग पर ईदगाह के सामने इन्टरलॉकिंग कार्य	992376.00
10.	2018-19	हरदोई रामपुर चँदियाना मार्ग से समोचना की ओर अमर सिंह के खेत तक मिट्टी खड़जा निर्माण	983120.00
11.	2018-19	नगला लोचन कासिमपुर सम्पर्क मार्ग से नगरिया जाहर बम्बा तक इन्टरलॉकिंग मिट्टी/खड़जा	956376.00
12.	2018-19	दीनापुर से नगला मल्लाह तक मिट्टी खड़जा कार्य	685749.00
योग			10092345.00

प्रस्तर-31—वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जाँच व समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनसदेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियतानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्धित धनराशि का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हें प्रदान किया गया हो। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में राज्य वित्त से ग्राम पंचायतों के अन्दर काये गये कार्यों में कुल कार्यों की संख्या 02 है जिनपर रु० 1895085.00 का व्यय हुआ है, जो कि अनियमित है।

क्रम	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	2017-18	हरदोई में प्रा० विद्यालय से पजाये तक खड़जा, पुलिया एवं चबूतरा निर्माण	775807.00
2.	2018-19	हरदोई मार्ग पर राधास्वामी सत्संग के सामने इन्टरलॉकिंग कार्य	1119278.00
योग			1895085.00

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव और उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराये जाने से पूर्व अन्य कार्यवाही संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, आर०ई०एस०, जिला पंचायत आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया जो अपेक्षित था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32—प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-15 के प्रस्तर 4 (क) के अनुसार कार्ययोजना टुकड़ों में विभाजित नहीं की जायेगी। लेकिन क्षेत्र पंचायत बिजौली में निम्न कार्यों पर उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है जो अनियमित है। इसके लिये प्रमुख रूप से खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम		कार्य का विवरण	धनराशि
1.	(i)	हरदोई मार्ग पर राधास्वामी सत्संग के सामने इन्टरलॉकिंग	843631.00
	(ii)	हरदोई मार्ग पर राधास्वामी सत्संग के सामने अवशेष भाग पर नाली इन्टरलॉकिंग	275647.00
योग			1119278.00
2.	(i)	ग्राम दीनापुर से नगला मल्लाह के बीच पुलिया निर्माण	101746.00
	(ii)	दीनापुर से नगला मल्लाह तक मिट्टी/खड़जा	685749.00
योग			787495.00
कुल योग 1 + 2			1906773.00

5-क्षेत्र पंचायत अतरौली जनपद अलीगढ़ -

प्रस्तर-33-वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यों, की जाँच में प्रकाश में आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-2005 व पंचायत राज अनुभाग के पत्रांक संख्या-4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा 33(2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियम के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्धित धनराशि का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हें प्रदान किया गया हो, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्गदर्शक सान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाएं बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के अन्दर 01 कार्य जिस पर रु0 904348.00 एवं वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त से 07 कार्य जिन पर रु0 4564804.00 का व्यय हुआ। जो पूर्णतः नियमित रहा। इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक कुल 08 कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये जिन पर कुल रु0 5469152.00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की योजना का प्रस्ताव, उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति पूर्णता त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार रहा

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	कराये गये कार्यों का नाम एवं विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
1.	2017-18	पैडरा डाबर सड़क से नगला निजाम में राजवीर के ट्यूबवैल वाले रास्ते पर 550 मीटर मिट्टी खड़जा कार्य	904348.00	
2.	2018-19	महगवां में सी० सी० रोड से सुखराम के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	791669.00	
3.	2018-19	मधुपकुमार आर्य अध्यापक के कमरे से कुन्दन सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य श्यामपुर में	622793.00	
4.	2018-19	मो० पुर बढेरा में अशोक के प्लाट से बनवारी के खेत तक मिट्टी खड़जा कार्य	678438.00	
5.	2018-19	नरेश के घर से खानपुर खिटौली को जाने वाले तक सी० सी० रोड व सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण	853796.00	
6.	2018-19	गडिया चाउपुर हौज में रामचरन के घर से बिखेट की ओर जाने वाली काली सड़क तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	734958.00	
7.	2018-19	धुरा प्रेमनगर रामस्वरूप इण्टर कॉलेज से राम लाल के ट्यूबवैल तक खण्डजा कार्य	229401.00	
8.	2018-19	पी० पी० नगला में बाईपास खण्डजा निर्माण कार्य	653749.00	
कुल योग			5469152.00	

प्रस्तर-34-वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कुल निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में प्रकाश में आया कि कतिपय कार्यों की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस का भुगतान कर्मकार कल्याण बोर्ड को नहीं किया गया। जबकि शासनादेश संख्या-392/36-2-2010 दि० 26.02.2010 के अनुसार प्रत्येक संस्था के समस्त निर्माण कार्यों की लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) का भुगतान कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में देय था। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक कराये निम्न कार्यों के भुगतान से सेस काटकर भुगतान नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कुल लागत	निर्धारित प्रति 0 उपकर (सेस)	अभ्युक्ति
1.	पैडरा डाबर सड़क से नगला निजाम में रामवीर के ट्यूबवैल वाले रास्ते पर मिट्टी खड़जा कार्य	711958.00	7120.00	
2.	क्षेत्र पंचायत अतरौली रियालय मरम्मत छत फर्श व रंगाई	434866.00	4348.00	
क	वर्ष 2017-18 का योग	1146824.00	11468.00	
1.	विकास खण्ड के सभाकक्ष में रंगाई पुताई कार्य व फर्श में टायल्स लगवाई	427077.00	4270.00	
2.	पी0 पी0 नगला में बाईपास खण्डजा निर्माण कार्य	653749.00	6539.00	
ख	योग वर्ष 2018-19	1080826.00	10808.00	
	समपूर्ण योग (क + ख)	2227650.00	22276.00	

उक्त विवरण के अनुसार रु० 22276.00 सेस की धनराशि काटकर भुगतान न करने के कारण राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गई, एवं ठेकेदार को अधिक अनियमित भुगतान किया गया जिस हेतु क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार दोषी एवं उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-35—वित्तीय वर्ष 2017से 2018-19 तक कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-39 में दी गई व्यवस्था में स्पष्ट है कि रुपये 5 लाख से अधिक किन्तु रु० 10 लाख से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा रुपये 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियमावली में निधारित शर्तों की पूर्णतः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में रु० 5 लाख से अधिक परन्तु रु० 10 लाख से कम लागत के 10 कार्य कराये गये हैं जिन रु० 7826648.00 की लागत रही तथा रु० 10 लाख से अधिक के 01 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु० 1000159.00 है। इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक कुल 11 कार्यों का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रु० 8826807.00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। सभी 11 कार्यों का अन्तिम भुगतान कुल रु० 538880.00 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी व उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है —

वर्ष 2017-18 में रु० 5 लाख व रु० 10 लाख से अधिक के कार्य —

क्र० सं०	कराये गये कार्यों का नाम एवं विवरण	कुल लागत	अन्तिम भुगतान
1.	पैडरा डाबर सड़क से नगला निजाम में राजवीर के ट्यूबवैल वाले रास्ते पर मिट्टी खड़जा कार्य	711958.00	61567.00
2.	जमुना से जमुना खेड़िया मार्ग पर मिट्टी खण्डजा कार्य	992390.00	210940.00
3.	नगला हर्जी से जमनपुर डाबर सड़क तक खण्डजा कार्य	999400.00	—
4.	रामघाट रोड पर भट्टा से खेड़िया बहादुर गढ़ी मार्ग पर खण्डजा कार्य	1000159.00	183767.00
5.	(क) योग	3703907.00	456274.00
वर्ष 2018-19 में रु० 5 लाख व रु० 10 लाख से अधिक के कार्य —			
5.	हरचन्दपुर सम्पर्क मार्ग से मुड़िया चाउपुर तक खण्डजा कार्य	787497.00	60047.00
6.	महगवां में सी0 सी0 रोड से सुखराम के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	791669.00	169447.00
7.	मधुप कुमार आर्य अध्यापक के कमरे से कुन्दन सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य श्यामपुर में	622793.00	—
8.	मो० पुर बढेरा में अशोक के प्लाट से बनवारी के खेत तक मिट्टी	678438.00	82602.00

	खड्डजा कार्य		
9.	नरेश के घर से खानपुर खिटौली को जाने वाले तक सी0 सी0 रोड व सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण	853796.00	—
10.	गडिया चाउपुर हौज में रामचरन के घर से बिखेट की ओर जाने वाली काली सड़क तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	734958.00	—
11.	पी0 पी0 नगला में बाईपास खण्डजा निर्माण कार्य	663749.00	—
	(क) योग	5122900.00	312096.00
	सम्पूर्ण योग (क + ख)	8826807.00	538880.00

प्रस्तर-36- वित्तीय वर्ष 2017 एवं 2018-19 में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में मिट्टी कार्य के स्टीमेट में सामग्री के अन्तर्गत तक कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम - 39 में ह्यूम पाइप नहीं डाला गया जिस कारण कार्य का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, उक्त के सम्बन्ध मौखिक रूप से पूछने पर वर्तमान अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ह्यूम पाइप सम्बन्धित खेत के मालिकों द्वारा डलवाया गया। प्रश्नगत कार्यों की एम0 बी0 में ह्यूम पाइप डालने का मापन नहीं हुआ जिससे स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप डाला ही नहीं गया। यदि ह्यूम पाइप किसानों द्वारा डाला गया की स्थिति में मापन में ह्यूम पाइप का अंकन किया जाना चाहिए एवं उसका मूल्य दान दर्शाते हुए शून्य दर्शाना चाहिए था। उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि ह्यूम पाइप नहीं डालकर कार्य को काल्पनिक रूप से पूर्ण दर्शाकर कार्य की उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ एवं खेतों की सिंचाई आदि में पानी निकलने से चकरोड खराब हो जाना सम्भाव्य है। अतः उक्त मिट्टी कार्य का औचित्य पूर्णतः समाप्त होता है। अतः उक्त प्रकार कराये गये समस्त कार्यों में व्यय धनराशि पूर्णतः अनियमित रही। जिस हेतु अवर अभियन्ता, कार्यप्रभारी/तकनीकी सहायक एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	वर्ष	स्टीमेट की धनराशि		वास्तविक व्यय	
			श्रमांश	ह्यूम पाइप हेतु	श्रमांश पर	ह्यूम पाइप पर
1.	पैडरा में गाजीपुर सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य	2017-18	328300.00	27900.00	334125.00	—
2.	कोरहरघुपुर से कलियानपुर रानी तक मिट्टी कार्य	2017-18	220170.00	20925.00	212975.00	—
3.	चाउपुर से पिलखुनी नहर तक मिट्टी कार्य	2017-18	206120.00	13950.00	197750.00	—
4.	चकाथल से मोहम्मदपुर बढेरा सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य	2017-18	381413.00	6975.00	305430.00	—
5.	राजमार्गपुर सीमा से खेडिया सम्पर्क मार्ग कौशलपुरी तक मिट्टी कार्य	2017-18	164300.00	13950.00	154175.00	—
6.	सूरतगढ़ से खेरिया रफाअतपुर सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य	2017-18	193820.00	13950.00	139475.00	—
7.	मेरगढ़ी से टोल टैक्स तक मिट्टी कार्य	2017-18	153640.00	13950.00	147175.00	—
अ	वर्ष 2017-18 का योग		1647763.00	111600.00	1491105.00	

(सं० आपत्ति सं० -6)

प्रस्तर - 37- (क) मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 5 कार्य खड्डजा निर्माण कार्य कराने के अन्तर्गत सामग्री (ईट) आपूर्ति के भुगतान हेतु फर्म द्वारा वैट सहित बाउचर प्रस्तुत किया गया। निजपर 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व को हानि पहुंचाते हुए अधिक अनियमित भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 में 5 कार्यों हेतु कुल रु० 8067742.00 की ईटों की आपूर्ति का भुगतान 2 प्रतिशत आयकर की कटौती किये बिना भुगतान किया गया। अतः रु० 161355.00 आयकर मद में कटौती की जानी थी जिसे न करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति 161355.00 की वसूली कर आयकर मद

सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा उक्त आयकर की धनराशि जमा करने पर आयकर विभाग द्वारा विलम्ब हेतु कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है की स्थिति धनराशि भी उत्तरदायियों से ब्याज सहित वसूल करा जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सं० आपत्ति सं० -7)

(ख) मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में मात्र एक खडण्जा निर्माण के अन्तर्गत रु० 738537.00 की ईट की आपूर्ति करायी गयी जिसके बाउचर में फर्म द्वारा वैट कर लगाते हुए बाउचर निर्गत किया गया, परन्तु उक्त भुगतान से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती नहीं की गई जिस कारण राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाकर फर्म को अधिक अनियमित भुगतान किया गया। उक्त भुगतान पर निर्धारित रु० 14770.00 आयकर की वसूली दोषी एवं उत्तरदायी लेखाकार मनरेगा एवं खण्ड विकास अधिकारी से वसूली कर आयक विभाग से सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। यदि आयकर द्वारा विलम्ब से जमा करने के विरुद्ध कोई आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जाता है तो उसकी भी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी एवं दोषी से किया जाना अपेक्षित है।

(सं० आपत्ति सं० -8)

प्रस्तर - 38- मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में पाँच कार्य मिट्टी खडण्जा निर्माण कार्य कराने हेतु आवश्यक सामग्री (ईट) की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई जिसके अन्तर्गत मात्र दो ठेकेदारों की निविदा प्राप्त हुई जबकि नियमानुसार कम से कम तीन निविदा होना आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, जिसे पुनः निविदा प्रकाशित कर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। जबकि प्राप्त हुई दो ही निविदाओं में से एक को आपूर्ति हेतु स्वीकृति दी गई। यह निविदा की दूषित प्रक्रिया रही इस प्रकार उक्त कार्य हेतु रु० 8067742.00 की अनियमित आपूर्ति कराकर उसका अनियमित भुगतान किया गया। जिस हेतु लेखाकार मनरेगा एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सं० आपत्ति सं० -9)

प्रस्तर - 39- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग प्राप्त धनराशि के द्वारा वर्ष 2018-19 में 4 कार्य कराने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी जिसके अन्तर्गत मात्र दो निविदायें बृजलता इण्टर प्राइजेज एवं उमाशंकर इण्टर प्राइजेज की प्राप्त हुई। जिनको खोलकर बृजलता इण्टर प्राइजेज को कार्य कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी जबकि टेण्डर खोलने हेतु कम से कम तीन निविदा होना आवश्यक है। यदि तीन निविदायें प्राप्त नहीं होती हैं तो टेण्डर को निरस्त कर पुनः निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया तीन बार करने के उपरान्त भी यदि तीन बार करने के उपरान्त भी यदि तीन निविदाओं से कम निविदायें प्राप्त होती हैं तो टेण्डर देने हेतु एक समिति गठित कर गुण दोष के आधार पर टेण्डर खोलकर कार्य कराने हेतु स्वीकृति दी जानी चाहिए थी। परन्तु यह प्रक्रिया पूर्ण किये बिना दूषित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु स्वीकृति दी गयी जो पूर्ण रूपेण अनियमित रही। इस प्रकार इन कार्य हेतु किये गये भुगतान भी पूर्णतः अनियमित रहे। जिस हेतु लेखाकार, कार्यप्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र० सं०	कराये गये कार्य का विवरण	कार्य पर हुआ व्यय
1.	हरचन्दपुर सम्पर्क मार्ग से मुड़िया चाउपुर तक खडंजा कार्य	787497.00
2.	महगवां में सी० सी० रोड से सुखराम के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	791669.00
3.	मधुपकुमार आर्य अध्यापक के कमरे से कुन्दन सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य श्यामपुर में	622793.00
4.	शेरपुर से अतरौली स्टेशन रोड वाया रजवाहा पटरी तक मिट्टी खडंजा कार्य	436818.00
	योग	2638777.00

(सं० आपत्ति सं० -10)

6- क्षेत्र पंचायत खैर जनपद अलीगढ़ -

प्रस्तर-40-(क) विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त लेखा अनुदान के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15 1/86 लखनऊ, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के अनुसार रु० 20000.00 से अधिक की सामग्री कय के लिए कोटेशन एवं रु० 100000.00 से अधिक की सामग्री के लिए निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए। परन्तु क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में रु० 1174371.00, वर्ष 2016-17 में रु० 1304508.00 की सामग्री कुल सामग्री रु० 2478879.00 धनराशि की आपूर्ति, जो 1 लाख से ऊपर थी, केलिए टेण्डर प्रक्रिया न अपनाकर कोटेशन प्रक्रिया से सामग्री क्रय की गई है। यह उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन है एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) कोटेशन प्रणाली में भी निम्न आपत्तियां दृष्टिगोचर हुई हैं -

1. एक कार्य में कोटेशनों की मूल प्रतियां ही नहीं हैं, बल्कि फोटोस्टेट प्रतियों में ही कोटेशन प्राप्त किये गये हैं। जैसे वर्ष 15-16 का कार्य नं० 10, वर्ष 14-15 के अन्तिम कार्य के लिए जो कोटेशन दिये गये थे, उसी की फोटोस्टेट प्रतियां इस कार्य के लिए संलग्न कर दी गई हैं।
2. कोटेशन की सूचना ही प्रकाशित नहीं कराई गई है। जैसे - वर्ष 16-17 का कार्य नं० - 1 एवं 2।
3. वर्ष 15-16 के कार्य नं० 1 में कोटेशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10.02.2015 के शाम 3 बजे तक थी। कोटेशन जो सूचना पत्रावली में संलग्न है वह दिनांक 20.01.2015 है परन्तु सूचना के ही दिन एवं अगले दिन अर्थात् 20.01.2015 एवं 21.01.2015 के ही कोटेशन प्राप्त हो गये हैं तथा दिनांक 25.01.2015 को सप्लायर श्री संजय खान का कोटेशन स्वीकृत करके सामग्री आपूर्ति का दिनांक 25.01.2015 को ही कोटेशन प्राप्त हो गये हैं तथा दिनांक 25.01.2015 को सप्लायर श्री संजय खान का कोटेशन स्वीकृत करके सामग्री आपूर्ति का कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है। स्पष्ट है कि दिनांक 10.02.2015 तक प्रतीक्षा ही नहीं की गई है तथा अनियमित तरीके के किसी और को मौका न देकर सप्लायर श्री संजय खान के कोटेशन को स्वीकृत किया गया है।
4. इसी प्रकार वर्ष 15-16 का कार्य नं० 4 में कोटेशन की अन्तिम तारीख 15.07.2015 थी, परन्तु तीनों कोटेशन दिनांक 20.07.2015 में आये हैं। इसी कार्य की निविदा की सूचना पर कोई पत्रांक एवं दिनांक भी अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि सूचना प्रकाशित ही नहीं हुई है। निविदा स्वीकृति के पश्चात सामग्री आपूर्ति के कार्यादेश पर भी कोई पत्रांक या दिनांक नहीं है एवं कार्य प्रभारी के नियुक्ति आदेश पर भी कोई पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि सारी प्रक्रिया दूषित एवं अनियमित है। उपरोक्त सभी अनियमितताओं के लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी जे०ई०आर०ई०डी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखा/लेखाकार जिम्मेदार हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41—वर्ष 15-16 में ग्राम कसीसों में कसीसों फतेहगढ़ी मार्ग से स्कूल तक खडण्जा कार्य कराया गया है। इस खडण्जा कार्य में मजदूरी के दो मस्टररोलों धनराशियाँ रु० 74700.00 एवं रु० 40750.00 पर मजदूरों के हस्ताक्षर अंगूठा निशानियाँ (प्रमाणित) नहीं हैं। भुगतान वाला कॉलम बिना अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर के पूरा रिक्त है। इस तरह कुल धनराशि रु० 115450.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। दिनांक 01.07.2015 से 18.07.2015 के मध्य यह कार्य 40 मजदूरों द्वारा किया गया दर्शाया है परन्तु भुगतान न होने की दशा में इस कार्य के कराये जाने की भी पुष्टि नहीं होती है। इस कार्य का कार्यपूति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। सामग्री की धनराशि पर वेट एवं आयकर भी नहीं काटा गया है। बिल की तारीख को भी 20.05.2015 पर करके 20.07.2015 लिखा गया है। अतः यह पूरा कार्य कराया जाना पुष्ट नहीं हो पाया। पुष्टि के अभाव में इस कार्य में भुगतान की गई धनराशि रु० 253150.00 (सामग्री रु० 137800.00 (ईटें + मजदूरी रु० 115450.00) का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। इसके लिए कार्य प्रभारी (जे०ई०आर०ई०डी) खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार/सहायक लेखाकार जिम्मेदार हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 42—वर्ष 2016-17 में विकास खण्ड परिसर में टाइल्स लगाई का कार्य कराया गया है। इस पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई -

- (i) यह कार्य कराने से पहले सामग्री आपूर्ति के कोटेशन की कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गई है।
- (ii) इसके लिए दो ही कोटेशन प्राप्त किये गये हैं। परन्तु तुलनात्मक चार्ट में तीसरा नाम मै० संजय खान का बिना कोटेशन प्राप्त किये ही फर्जी तरीके से बढ़ा दिया गया है। अतः यह कार्य दो कोटेशनों को प्राप्त करके ही किया गया है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।
- (iii) कार्य प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाये जाने का आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- (iv) सामग्री क्रय में मात्र टाइल्स खरीद का बिल ही है। 400 वर्ग मी० टाइल्स दर 660/वर्ग मी० की दर से रु० 264000.00 की क्रय की गई है, परन्तु इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री ईटें, रोड़ी, सीमेंट, बालू, मौरम आदि की कोई खरीद नहीं की गई है। इस सामग्री के बिना टाइल्स कैसे लगीं ? समझ से परे रहा। रु० 44700.00 की मजदूरी कैसे व्यय हुई ? लेखा परीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट

नहीं किया जा सका। अतः इस तथ्य को लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा।

इन तथ्यों के आधार पर यह कार्य अनियमित (बिना कोटेशन सूचना एवं 2 कोटेशन पर ही कार्य) है एवं साथ ही सी0 आर0 के बिना एवं उपरोक्त तथ्य (iv) के आधार पर इस कार्य का होना समझ से परे रहा। अतः यह पूरा कार्य (धनराशि रु0 308700.00) लेखा परीक्षा स्तर से अपुष्ट रहा। हालांकि भौतिक रूप से यह देखा गया कि ब्लॉक कार्यालय में टाइल्स लगी हुई हैं। परन्तु परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः कार्य किस वर्ष हुआ या यह कार्य यही था, यह विवरण अज्ञात रहा। उपरोक्त 4 तथ्यों के आधार पर यह कार्य व धनराशि गंभीर अनियमितता एवं सामग्री दुरुपयोग व काल्पनिक मजदूरी भुगतान की श्रेणी में है। इसके लिए जिम्मेदार कार्य प्रभारी (ग्राम विकास अधिकारी), खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार/सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 43—10 (vi) श्री इस्लाम खाँ के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से दिया गया है, जिसमें यह 'डी' श्रेणी में पंजीकृत हैं तथा इनके पंजीकरण की अवधि दिनांक 30.06.2017 को कालातीत हो चुकी है। 'डी' श्रेणी के ठेकेदार होने के बावजूद इन्होंने 5 लाख से अधिक के कार्यों के टेण्डर दिया है और इनका टेण्डर स्वीकृत भी हुआ है (वर्ष 17—18 व 18—19 के कार्यों के लिए इनका ही टेण्डर स्वीकृत हुआ है)। वर्ष 17—18 में 5 लाख ('डी' श्रेणी के ठेकेदारों की सीमा) ऊपर के पांच कार्य, कुल धनराशि रुपये 4479874.00 के तथा वर्ष 18—19 में कुल 8 कार्य धनराशि रुपये 6236095 के अर्थात् दोनों वर्षों 17—18 एवं 18—19 में कुल धनराशि रु0 10715969.00 के कार्य इनके द्वारा कराए गई हैं जिनके लिए यह अपनी 'डी' श्रेणी के कारण पात्र ही नहीं थे। अतः इतनी धनराशि के कार्यों के टेण्डर एक अनाधिकृत ठेकेदार के स्वीकृत कर गंभीर अनियमितता बरती गई है। इनके लिए संबंधित कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार जिम्मेदार हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

10 (ix) वर्ष 17—18 में 'ठेके से संबंधित शर्तें एवं नियम' के नियम संख्या 03 के अनुसार – 'निविदा के साथ अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि नगद जमा करनी होगी तथा 8 प्रतिशत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त जमा करनी होगी।' यही शर्त अल्पकालीन निविदा सूची जो 'प्रावदा' समाचार पत्र अलीगढ़ में प्रकाशित हुई थी। यही शर्तस्वीकृति के पश्चात ठेकेदार के कार्य आदेश में भी थी। परन्तु ठेकेदार के अनुरोध पर जमानत धनराशि के संबंध में खंड विकास अधिकारी ने 8 प्रतिशत को दो टुकड़ों में बांट दिया। 3 प्रतिशत जमानत धनराशि एवं 5 प्रतिशत बिलों के भुगतान से पहले काटी जाएगी। ठेके की शर्तों में ठेकेदार के अनुरोध पर परिवर्तन आपत्तिजनक एवं अनियमित है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

इन सभी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रियादुरभि संधि युक्त, दूषित और गंभीर रूप से अनियमित रही।

इसमें मुख्य रूप से अनधिकृत ठेकेदारों (ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त होना) के टेण्डरों को स्वीकृत न करना एवं एक ऐसे ठेकेदार के टेण्डर स्वीकृत करना जिनकी रजिस्ट्रेशन की अवधि कालातीत थी एवं जो 'डी' श्रेणी के ठेकेदार थे, जिनके हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं अनुभव के प्रमाण पत्र बिना जमा कराये ही (शपथ पत्र पर असत्य शपथ लेकर) टेण्डर स्वीकृत किये जाने से दोनों वर्षों 17—18 एवं 18—19 के समस्त कार्य अनियमित रहे। इस तरह वर्ष 17—18 के कुल कार्य, धनराशि 6359076.00 एवं 18—19 के समस्त कार्य धनराशि, रुपये 8801103.00 (कुल योग रुपये 15160179.00) के गंभीर रूप से अनियमित थे। इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार जिम्मेदार रहे। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—44—(i) उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 34 एवं इसके अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक राजकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा माल की खरीद अथवा निर्माण कार्य के संबंध में भुगतान करते समय भुगतान करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि भुगतान की जाने वाली धनराशि का 4 प्रतिशत स्रोत पर कर की कटौती के रूप में करके वाणिज्य कर के लेखा शीर्ष/उप शीर्ष में चालान से जमा करेंगे। निम्न तालिका अनुसार यह धनराशि रुपए 5512.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गई है। एवं सप्लायर/ठेकेदार को इसका लाभ दिया गया है।

वर्ष	सामग्री की धनराशि रुपए में	निर्धारित वैट जो काटा जाना था	काटा गया वैट	अंतर
2015-16	1174371.00	46975.00	41463.00	5512.00
2016-17	1304508.00	52181.00	52181.00	—
			योग	5512.00

(ii) मनरेगा के कार्य नंबर 5, “हैवतपुर वाया ककौला डाबर रोड तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी एवं खड़जा” कार्य में सप्लायर श्री इस्लाम खां द्वारा रुपए 1556213.35 की ईट, कार्य नंबर 17, कोमल के खेत से बिसायतगढ़ी राकेश के खेत (चकरोड) पर मिट्टी व खड़जा कार्य” में रुपए 1994201.80 की ईंटें तथा कार्य नंबर 18, “ग्राम एदलपुर पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से नवापुर सीमा तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य” में धनराशि रुपए 2092545.00 की ईंटें क्रय की गई हैं। परन्तु सप्लायरों ने अपने बिलों पर जी एस टी नहीं लगाया है। टेण्डर दरें जी एस टी सहित हैं। सप्लायर को 5 प्रतिशत जी एस टी (ईंटों पर) ईंटों की बिक्री पर अलग से दिखाना था इसे क्रेता क्षेत्र पंचायत को बिलों से काटकर ठेकेदार को भुगतान करना था। जिससे ठेकेदार/सप्लायर इस जी एस टी की धनराशि को वाणिज्य कर विभाग में जमा करता। इस तरह कुल धनराशि रुपए 5642960.00 पर 5 प्रतिशत की दर से रुपए 282148.00 जी एस टी क्षेत्र पंचायत को भुगतान करनी थी। इसका भुगतान न किए जाने से राजकीय राजस्व की हानि हुई है। यह धनराशि संस्था द्वारा ठेकेदार के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में जमा कराई जानी अपेक्षित है। इसके लिए जिम्मेदार संबंधित कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-45—मनरेगा वर्ष 17-18 के कार्य नंबर 5, “हैवतपुर वाया ककौला डाबर रोड तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी एवं खड़जा” कार्य श्री इस्लाम खां द्वारा कराया गया है। इसके सामग्री आपूर्ति के ई टेण्डर में किसी भी ठेकेदार से संबंधित कोई प्रपत्र जमा नीरं करा गया है, ना ही ठेकेदार रजिस्टर तैयार किया गया है। श्री इस्लाम खां के ठेकेदारी पंजीकरण की तिथि दिनांक 30.06.2017 को ही कालातीत हो चुकी थी और यह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा ‘डी’ श्रेणी में पंजीकृत थे, फिर भी इन से रुपए 21.72 (2172253.00) लाख का टेण्डर स्वीकृत करके कार्य कराया गया है। यह गंभीर रूप से अनियमित है। इसके लिए जिम्मेदार संबंधित कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार/सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-46—वर्ष 17-18 के मनरेगा कार्यों में जिन सप्लायर्स/ठेकेदारों द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई है उन पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर नहीं काटा गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

विवरण तालिका में अंकित है —

वर्ष	ठेकेदार/सप्लायर का नाम	सामग्री की धनराशि रुपए में	आयकर जो काटा जाना था	आयकर जो काटा गया	अंतर
2017-18	मै0 इस्लाम खान कांटेक्टर	1556213.00	31124.00	—	31124.00
2017-18	दाऊजी	4086747.00	81735.00	—	81735.00
ब्रिक वर्कर्स					
			योग		112859.00

प्रस्तर-47—बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वरकर्स (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेन्ट एण्ड कन्डीशनस ऑफ सर्विस)एक्ट,1996 के सैक्शन 18(1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन 68 नवम्बर 2009 नोटिफिकेशन नम्बर 1411/36-2-2009-251एस0एम/95ए दिनांक 20.11.2009 के द्वारायू0पी बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वरकर्स वेलफेयर बोर्डकी स्थापना की गई। उपरोक्त एक्ट 1996 के सैक्शन 3(2) के अधीन इस कल्याण बोर्ड को कुल निर्माण लागत पर 1 प्रतिशत लेबर सेस संग्रहीत करने के लिए अधिकृत किया गया। जो श्रमिकों के राजगार, सेवा शर्तों के विनियमन एवं उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। लेकिन आलोच्य वर्याँ में संथा द्वारा लेबर सेस काटा ही नहीं गया है, कम काटा गया है या प्रक्कलन में प्राविधान करके काटा गया है। यह लेबरसेस नियोक्ता/ठेकेदार से काटा जाना था। विवरण नीचे की दो तालिका में अंकित है —

वर्ष	कुल निर्माण लागत रुपए में	लेबर सेस जो काटा जाना था	जो काटा गया वैट	अंतर रुपए में

2015-16	2282621.00	22826.00	—	22826.00
2016-17	1534208.00	15342.00	—	15342.00
2017-18	7924695.00	79247.00	—	79247.00
(मनरेगा के तीन कार्य)	योग			117415.00

दूसरी तालिका ऐसी निर्माण सामग्री से संबंधित है, जिसमें लेबर सेस कम काटा है या प्राक्कलन में पहले से ही प्राविधान करके काटा गया है। लेबर सेस को प्राक्कलन में प्राविधित करके काटने का कोई नियम नहीं है। यह कर लेबर को नियुक्त करने वाले नियोजन/ठेकेदार पर प्रत्यक्ष कर है। तालिका निम्नवत है—

वर्ष	कुल निर्माण लागत जिस पर लेबर सेस का प्राविधान किया गया था	लेबर सेस जो काटना था	जो काटा गया	अंतर
2017-18	6359076.00	63591.00	65256.00 काटा है परन्तु लेबर सेस का प्राविधान प्राक्कलन में पहले ही कर दिया गया था।	रुपए 63591.00 1665.00 = 61926.00 काटा जाना है।
2018-19	(i) कुल धनराशि रुपए 8801103.00 थी परन्तु रुपए 3179995.00 की धनराशि के प्राक्कलों में लेबर सेस पूर्व में जोड़ा गया है। (ii) शेष धनराशि रुपए 5621108.00 पर प्राक्कलन में नहीं जोड़ा गया है।	31800.00 56212.00	31800.00 (परन्तु प्राक्कलन में जोड़कर काटा है) 46823.00	31800.00 9389.00
योग				103115.00

तालिका (i) के लेबर सेस का भुगतान संस्था (क्षेत्र पंचायत) को करना है क्योंकि इनके कार्यों में श्रमिकों की नियुक्ति में संस्था नियुक्त थी। दूसरी तालिका (ii) के लेबर सेस का भुगतान ठेकेदार को करना है क्योंकि वहाँ श्रमिकों के नियुक्ता ठेकेदार थे। अतः यह दोनों धनराशियाँ उपरोक्त कल्याण बोर्ड के सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा प्रत्ये कार्य के भुगतान के पश्चात 30 दिनों की अवधि में जमा करना था, जो नहीं किया गया है। इसे अविलंब जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही इस राजस्व क्षति के लिए जिम्मेदार संबंधित कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (यहाँ शासनादेश संख्य 392/36-2-2010, दिनांक 26.02.2010 उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देश भी संदर्भित हैं।

प्रस्तर-48—दिनांक 5 अगस्त 2002 के उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक विभाग के डी0डी0ओ0 रॉयल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि ठेकेदार/सप्लायर रॉयल्टी नहीं चुकाए जो की रसीद एम0एम-11 प्रारूप में नहीं जमा करते हैं, उस दशा में डी0डी0ओ0. ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी काटकर ट्रेजरी में जमा कराएंगे। परन्तु आलोच्य वर्षों के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में सामग्री के बिलों पर रॉयल्टी नहीं काटी गई है तथा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में ठेकेदार से एक 10/- का गैर न्यायिक शपथ पत्र लिख्या गया है कि यह सामग्री पेड रॉयल्टी की है। इस शपथ पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी की नोटिंग है कि रॉयल्टी मात्र मिट्टी पर ही काटी जाए। जबकि नियमानुसार एम0एम -11 की प्रति जमा की जानी थी, जो नहीं की गई है। शपथ पत्र के आधार पर यह मान लेना कि सामग्री पेड रॉयल्टी की है, नियम विरुद्ध है। साथ ही सामग्री की मात्रा को फार्म-27 रनिंग अकाउन्ट बिल 'सी' [27(सी)] पर भी नहीं लिखा गया है, न ही सामग्री के बिल पत्रावली में संलग्न है और न ही सामग्री की मात्रा एम0बी0 में है। कुछ कार्यों की सामग्री पर 27 सी पर लिखी जिस पर लेखा परीक्षा में रॉयल्टी का आगणन कर लिया गया है। शेष सामग्री के बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, जिससे कि रॉयल्टी की क्षति का आगणन किया जा सके व राजकीय राजस्व की क्षति को पूरा किया जा सके। यहाँ खण्ड विसा अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध नोटिंग लगाकर उपरोक्त (डी0डी0ओ0. द्वारा एम0एम -11 के बिना रॉयल्टी काटकर जमा करना) नियम का उल्लंघन किया गया है, इस संबंध में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही जे0ई0 (आर0ई0डी द्वारा सामग्री की मात्रा को कहीं भी अंकित ना करने के लिए उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इसी क्रम में आलोच्य वर्षों में ज्ञात मात्रा पर अगणित रॉयल्टी का विवरण निम्नलिखित तालिका में है —

वर्ष	मिट्टी	मौरम (कोर्स सैण्ड)	मिट्टी (बैलास्ट)	बालू (फाइन लैंड)	कुल योग

	मात्रा	दर	रॉयल्टी	मात्रा	दर	रॉयल्टी	मात्रा	दर	रॉयल्टी	मात्रा	दर	रॉयल्टी	रॉयल्टी
2015-16	4897.68	14	68567.52	17.54	75	1315.50	35.07	102	3577.14	36.75	27	992.25	74452.41
2016-17	229.24	30	6877.20	1.98	150	297.00	3.96	160	633.60	50	55	2750.00	10557.80
2017-18				110.05	150	16507.50	168.06	160	26889.60	88.45	55	4864.75	48261.85
2018-19	(कार्य नं० 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की मात्रा का कहीं अंकन नहीं है।) (मात्रा न बिल में न 27 सीमें और न ही एम0बी0 में अंकित है।)												
कुल योग			75444.72			18120.00			31100.34			8607.00	133272.06

अतः रॉयल्टी की यह धनराशि रु० 133272.00 अविलम्ब कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है एवं कार्य वर्ष 2017-18 के उपरोक्त कार्य एवं वर्ष 2018-19 के समस्त कार्यों के बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, जिससे कि इन वर्षों की और रॉयल्टी की गणना करके राजस्व हानि को रोका जा सके। इन अनियमितताओं के तत्कालीन सम्बन्धित अवर अभियन्ता आर०ई०डीखण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार/सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रॉयल्टी सम्बन्धित शासनादेश-उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

(क) संख्या 2974/86-2012-200/77/टी०सी०-।। लखनऊ, 2 नवम्बर 2012 द्वारा जारी अधिसूचना-उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (चौंतीसवाँ संशोधन) नियमावली 2012

(ख) संख्या 243/86-2016-200-77/टी०सी०-।। लखनऊ, 19 जनवरी 2016 की अधिसूचना- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (उन्तालीसवाँ संशोधन) नियमावली 2016

प्रस्तर-49-वर्ष 2017-18 में 3 कार्यों में साइन बोर्डों का भुगतान (3 x दर4448) एवं 8 कार्यों में दर4695 की दर से 8 साइन बोर्डों, वर्ष 2018-19 में 11 कार्यों के 11 साइन बोर्ड (दर4695) एवं मनरेगा के 3 कार्यों में 3 साइन बोर्ड (दर4225) का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है। इनके प्राक्कलन में साइन बोर्ड की धनराशि भी सम्मिलित थी। परन्तु ये साइन बोर्ड बनवाकर कार्य स्थल पर लगाये गये हैं, इसका कोई प्रमाण या फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे इनको क्रय जाना एवं क्रय किये जाने के बाद कार्यस्थल पर लगाया जाना अप्रमाणित एवं अपुष्ट रहा। बिना साइन बोर्ड क्रय किये ही सम्भवतः इनका भुगतान किया गया है। इस तरह गणना के पश्चात कुल धनराशि रु० 115224.00 का अपहरण बिना साइन बोर्ड प्राप्त कर एवं कार्यस्थल पर लगाये बिना ही भुगतान करके किया गया प्रतीत होता है। सभी साइन बोर्ड कार्यस्थल पर लगाये जाने, अन्यथा की स्थिति में रु० 115224.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इस संबंध में तत्कालीन कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार/सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-50-(क) वर्ष 2017-18 के सभी कार्य जिनको 3 महीने की अवधि में पूरा करना था। निविदा एवं कार्यादेश में स्पष्ट शर्त थी। परन्तु मै० इस्लाम खाँ कान्ट्रैक्टर ने सभी कार्य 3 माह की अवधि के बाद ही पूरे किये हैं। 5 सितम्बर 2017 को शुरू हुए 2 कार्य दिनांक 02.01.2018 एवं 25.01.2018 में 4 कार्य अप्रैल, 2018 एवं 5 कार्य 2 जुलाई, 2018 में समाप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल धनराशि रु० 6359076.00 के कार्य विलम्ब से समाप्त किये जाने के बावजूद इनका पूरा भुगतान किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खण्ड 2-क, भुगतानों से कटौती, अनुसार कार्य की अवधि समाप्त होने के बाद "यदि निर्माण कार्य, चाहे परिमाण में या समय में प्रगति विवरण-पत्र से बकाये में रह जाएं तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें निर्माण कार्य बकाये में रहे, ठेकेदार प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि के 1 प्रतिशत के बराबर या ऐसी अल्प धनराशि का देनदार होगा, जैसा मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सम्पूर्ण निर्माण कार्य को अनुमानित लागत पर निश्चित करें, जिसका लिखित रूप में निर्णय अन्तिम होगा :- प्रतिबन्ध सदैव यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसा टेण्डर में दिया गया हो।" यह कटौती ठेकेदारों के बिलों से होनी थी। परन्तु विकास खण्ड अधिकारी ने किसी भी धनराशि की कटौती का लिखित में निर्णय न करके राजकीय राजस्व को हानि एवं ठेकेदार को लाभ प्रदान किया गया है। अतः कुल धनराशि रु० 6359076.00 की 10 प्रतिशत धनराशि रु० 635908.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी अपेक्षित है। साथ ही इस क्षति के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) मनरेगा वर्ष 2017-18 के 3 कार्य 'कुंवरपाल के खेत से तेहरा डोंवर रोड तक मिट्टी व खड़जा (निर्माण सामग्री का टेण्डर, लागत 874500.00) "ग्राम नाथल बांकनेर सम्पर्क डोंवर सड़क से मानपुर सीमा तक मिट्टी, खड़जा कार्य (लागत सामग्री 391600.00)" एवं ग्राम चौधाना से तेहरा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी, खड़जा कार्य (लागत सामग्री 730300.00)"। प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद सामग्री आपूर्ति के अभाव में पूर्ण नहीं कराये गये हैं। ये कार्य अब तक अपूर्ण हैं। इन कार्यों पर क्रमशः रु0 104230.00 रु0 31850.00 एवं रु0 82026.00 का मिट्टी कार्य अपूर्ण हैं। इनका ायों पर क्रमशः रु0 104230.00 रु0 31850.00, एवं रु0 82026.00 का मिट्टी कार्य हुआ था, फिर कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया। अतः कार्य अपूर्ण छोड़ने के कारण इतने धन का दुरुपयोग भी हुआ है एवं ठेकेदार/सप्लायर (मै0 इस्लाम खाँ) से 10 प्रतिशत कटौती भी होनी थी। परन्तु आज तक कटौती का कोई निर्णय नहीं किया गया है अतः लेखा परीक्षा के अनुसार ठेकेदार से 10 प्रतिशत कटौती धनराशि रु0 199640 (रु0 1996400.00) कर राजकीय कोष में जमा की जानी अपेक्षित है। साथ ही तीनों कार्यों में क्रमशः लागत का मात्र 8.25, 5.45 एवं 7.94 कार्य ही कराया (मिट्टी कार्य) गया, जो अधोमानक स्तर का होने एवं अधूरा छोड़ देने के कारण पूरी तरह बेकार हो गया होगा। अतः धनराशि रु0 218106.00 का दुरुपयोग किया गया है। इस तरह इस गम्भीर दुरुपयोग के प्रकरण के लिए जिम्मेदार तत्कालीन कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग) इसी तरह वर्ष 207-18 के मनरेगा के ही एक कार्य "ग्राम ऐदलपुर में पी0डब्लू0डी0रोड से सभापुर सीमा तक मिट्टी व खड़जा कार्य" में फर्म दाऊजी ब्रिक वर्क्स द्वारा ईंटों की 3 माह में आपूर्ति की जानी थी, परन्तु यह फर्म 3 माह में आपूर्ति नहीं कर पाई खण्ड विकास अधिकारी ने 3 माह के पश्चात 2 नोटिस जारी कर आपूर्ति क्रमशः 7 दिन में और दूसरे नोटिस में 3 दिन में करने के लिखा, परन्तु सके बाद फर्म ने अपनी निजी परेशानियों के कारण आपूर्ति न कर पाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा, और अगले 3 माह की आपूर्ति हेतु स्वीकृति माँगी। इस पर खण्ड विकास अधिकारी ने 3 माह की अवधि बढ़ा दी। इस तरह इस कार्य की अवधि (24.03.2018 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित) दिनांक 24.03.2018 से बढ़कर 9 सितम्बर 2018 हो गई। अपने दोनों नोटिसों एवं अनुबन्ध की शर्त नं0 4 में समय से आपूर्ति न कर पाने में असमर्थ होने पर इनकी जमानत राशि सरकार के पक्ष में जब्त करने को कहा गया था। परन्तु इतने विलम्ब से आपूर्ति होने के बावजूद इन पर कोई पेनाल्टी या जमानत जब्त करने की कार्यवाही नहीं की गई। अनुबन्ध की शर्त का उल्लंघन एवं कार्य में विलम्ब के कारण गुणवत्ता प्रभावित हुई। लेखा परीक्षा के अनुसार इनके बिलों पर सामग्र की 10 प्रतिशत पेनाल्टी काटकर शासन के पक्ष में जमा करनी चाहिए थी, जो जमा नहीं की गई है। इस तरह अनुमानित लागत रु0 2104122.00 का 10 प्रतिशत रु0 210412.00 पेनाल्टी न काटकर राजकीय राजस्व का नुकसान किया गया है। इस क्षति कि लिए जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री रिजवान हुसैन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 51-वर्ष 2017-18 के मनरेगा के कार्यों में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों में व्यय धनराशि प्राक्कलन की धनराशि से बहुत कम है। ये मिट्टी कार्य हैं। इनकी सूची निम्नलिखित हैं -

क्र0 सं0	कार्य का नाम व पता	स्वीकृत लागत (रु0)	व्यय धनराशि (रु0)	प्रतिशत
1.	सोफा प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र से राजपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	771300.00	404175.00	52.40
2.	भौरैरी से मसन्दगढ़ी सीमा तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	549000.00	284200.00	51.77
3.	बंकनेर से मऊ सीमा तक चकरोड पर मिट्टी कार्य	388100.00	244853.00	63.09
4.	प्ला जरारा की सीमा से अर्रांना तक चकरोड पर मिट्टी कार्य	312600.00	95500.00	30.55
5.	सोफा स्क्रेप की सफाई एवं खुदाई कार्य	265427.00	32850.00	12.38
6.	ग्राम जरारा सीमा से इस्माइल सीमा तक चक मार्ग पर मिट्टी कार्य	1013800.00	438550.00	43.26
			कुल व्यय	1500128.00

स्पष्ट है कि लागत की तुलना में कार्य के व्यय का प्रतिशत बहुत कम है। इन कार्यों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और ये कार्य अधोमानक स्तर के हुए हैं। लेखा परीक्षा में कारण जानने पर 'यहाँ मिट्टी की अनुपलब्धता' कारण बताया गया। "उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 में प्राविधानित है कि अवरोध रहित कार्यस्थल की उपलब्धता कार्य किये जाने की पूर्व शर्त है।" यहाँ इस प्राविधान का कोई ध्यान न

रखकर कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं एवं अधोमानक स्तर एवं खराब गुणवत्ता के कार्य कराये जाने से इस धनराशि रु0 1500128.00 का दुरुपयोग हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कार्य प्रभारी, ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 52—आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत के कुछ कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर करायें हैं। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना है। अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। अनुदानों की धनराशियों से क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराने थे जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सान्ति का अतिक्रमण किया गया है। जिसके कारण कार्यों में दोहराव एवं अनियमितता की सम्भावना बनती है। अतः निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार का पूर्णतः अनुपालन परिहार्य था। ऐसे कार्यों की सूची निम्नलिखित है –

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का नाम व पता	व्यय धनराशि (रु०)
1.	2015-16	ग्राम भारेरी में नाली निर्माण	479710.00
2.	2018-19	ग्राम भनौली के परिक्रमा मार्ग पर अवशेष सी० सी० रोड निर्माण कार्य	934286.00
3.	2018-19	पीपलगांव के शिवनारायण शर्मा के घर से जयकिशोर शर्मा के घर तक सी० सी० रोड नाली निर्माण कार्य	692462.00
4.	2018-19	पीपलगांव के रामनिवास के घर से रामप्रकाश के घर तक सी० सी०/नाली निर्माण कार्य	556895.00
5.	2018-19	पीपलगांव के मेन सी० सी० रोड से राधाचरन व खिलौनी के घर होते हुए प्रा० पा० तक सी० सी०/नाली निर्माण	593739.00
6.	2018-19	पीपलगांव के ब्रजमोहन के ट्यूबवैल से मेन रोड (सी सी० रोड) तक सी० सी०/नाली निर्माण	961429.00
कुल योग			4218521.00

अतः स्पष्ट है कि उपराक्त कार्ययोजनाओं के प्रस्ताव, उन पर प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय, तकनीकी स्वीकृतियों अनियमित थीं। उक्त वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 53—आलोच्य वर्षों के जो भी कार्य कराये गये हैं, उनमें से 10 लाख से अधिक धनराशि के कार्यों के प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य का अनुमोदन जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाना था, परन्तु ऐसा नहीं कराया गया है। (शासनादेश संख्या-97/2016/2811/33-3-2016-03/2015, पंचायतीराज अनुभाग-3, लखनऊ, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत सवमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सान्ति का निर्धारण शासनादेश संख्या 1838/33-2-2015-03/2015, दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर – 6 की संशाधित व्यवस्था के अधीन)। अतः आलोच्य वर्षों में कुल 01 कार्य, कुल धनराशि रु01225508.00 के प्राक्कलनों का अनुमोदन एवं कार्यों का अनुमोदन शासनादेश के अनुरूप न कर वित्तीय अनियमितता की गई है। इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-54—शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-15 द्वारा पंचायतीराज संसीओं को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से एवं विभिन्न श्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सान्ति निर्धारित किये गये हैं। जिसके प्रस्तर-6 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रामित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों के स्वयं की या उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाए। लेखा परीक्षित वर्षों में इस व्यय के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है –

वर्ष	निर्माण कार्यों पर कुल व्यय	इसका 50% (मरम्मत)	मरम्मत एवं रख-रखाव	अन्य निर्माण कार्यों पर	दोनों का प्रतिशत		व्यय जो मरम्मत एवं रख-रखाव पर न
					मरम्मत	अन्य कार्य	

		कार्यों पर होना था)	पर व्यय	व्यय	कार्य		होकर अन्य कार्यों पर हुआ
15-16	1298471.00	649236.00	—	1298471.00	0	100	649236.00
16-17	1534208.00	767104.00	1534208.00	—	100	0	—
17-18	6359076.00	3179538.00	857785.00	5501291.00	13.49	86.51	2321753.00
18-19	8801103.00	4400552.00	4606344.00	4194759.00	52.34	47.66	—
कुल व्यय							2970989.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में रु00 649236.00 एवं वर्ष 2017-18 में रु0 2321753.00 जो मरम्मत एवं रख-रखाव कार्यों। पर व्यय होने थे, अन्य निर्माण कार्यों पर कर दिये गये हैं। यह उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में कोई परिसम्पत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों की कोई जानकारी हो सकी। इस वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, जनपद एटा

1-क्षेत्र पंचायत – सकीट, जनपद – एटा।

प्रस्तर 01 :-वर्ष 2017-18 में ग्राम रजपुरा में रायसिंह के घर से शीलेन्द्र की वोरिंग तक सी0सी0 कार्य लागत 9.65 लाख में, लेवर कॉस्ट रु0 201662.00 तथा मैटेरियल कॉस्ट 763541 रु0 दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में मास्टररोल रु0 201662.00 नहीं पाया गया। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 02 :-ग्राम खेरीया में अवधेश के घर से जगवीर के घर तक सी0सी0 कार्य लागत 2.89 लाख में लेवर कास्ट रु0 59280 का भुगतान श्री उपेन्द्र यादव कार्य प्रभारी के नाम चैक निर्गत किया गया जबकि सम्बन्धित मजदूरों के खाते में भुगतान न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 03 :- ग्राम चिलमापुर रोड में न0 चूरामल तक सी0सी0 एवं नाली कार्य निर्माण लागत 20.03 लाख में लेवर कॉस्ट रु0 340696.00 तथा मिट्टी कार्य हेतु रु0 74720 का भुगतान किया गया किन्तु कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 04 :- नगला वाचा में प्रा0पा0 से लटूरी के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य लागत 11.02 लाख से निर्माण कार्य कराया गया किन्तु पत्रावली में कार्यालय आदेश संख्या व दिनांक का अंकन नहीं पाया गया। साथ ही पत्रावली में तकनीकी स्वीकृत अधिशासी अभियन्ता द्वारा दर्शायी गयी किन्तु पत्रावली में अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृत नहीं पायी गयी जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। साथ ही उल्लेखनीय है कि मास्टररोल एवं मिट्टी कार्य पर 292208.00 का भुगतान दर्शाया गया किन्तु उसके सापेक्ष प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

2-क्षेत्र पंचायत – शीतलपुर, जनपद – एटा।

प्रस्तर 5-वर्ष 2018-19 में कुल 2684600.00 का भुगतान मजदूरों के सीधे खाते में करके कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है। मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है –

क्र0	कार्य का विवरण	कार्य प्रभारी	चेक संख्या	धनराशि
1	ग्राम अम्बारी में पुलिया से रामवरन के घर तक खंडजा निर्माण कार्य	श्री संजय शर्मा	000636	214800.00
2	ग्राम पं0 जिरसमी में कमलेश के घर से ग्राम कल्याणपुर तक खंडजा लागत कार्य	श्री संजय शर्मा	000637	352100.00
3	ग्रा0पं0 मरथरा देवकिशन के ग्राम खुरियाना में मैनरोड से धर्मेन्द्र के घर तक सी0सी0 कार्य	श्री संजय शर्मा	000643	220660.00

4	ग्रा0पं0 जिरसमी के ग्राम नगला रसूल में कप्तान सिंह के घर से कमलेश सिंह के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य	श्री संजय शर्मा	000641	127380.00
5	ग्राम जवाहरपुर अर्थरा के उमरायपुर में निधौली रोड से रघुवीर के घर तक खंडजा निर्माण	श्री संजय शर्मा	000644	189740.00
6	ग्राम लालगढ़ी में पूर्व सांसद कैलाश यादव की कोठी से मुख्य सड़क तक सी0सी0 कार्य	श्री संजय शर्मा	000639	62700.00
7	चौंचा वनगांव में ट्यूलिप स्कूल से मैनरोड से अभय के घर तक इंटरलॉकिंग खंडजा	अज्ञात	000645 000697	208190.00 12510.00
8	ग्राम ज्यूरी में नगला रंजीत में सुरेन्द्र के घर से चन्द्रपाल के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	श्री संजय शर्मा	000642	43780.00
9	ग्राम असरौली में कासगंज रोड से निशांत यादव के घर तक खंडजा कार्य	श्री संजय शर्मा	000698	229320.00
10	ग्रा0पं0 सरजनपुर के ग्राम पैदापुर में रामसेवक वी0डी0सी0 के घर से सचिवालय तक सी0सी0 व नाली निर्माण	श्री संजय शर्मा	000741	179980.00
11	ग्रा0पं0 न्यौराई के नगला कदम में सरकारी नल से खेतपाल के घर तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण	श्री संजय शर्मा	000748	123420.00
12	ग्रा0पं0 भगीपुर के नगला तेली में ताहिर हुसैन के घर से हसीना वेगम के घर तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग व नाली	श्री संजय शर्मा	000745	260410.00
13	ग्रा0पं0 भटमई के ग्राम मनुपुर में प्रमोद उपाध्याय के घर से मुनीशचन्द्र के घर तक सी0सी0 व नाली	अज्ञात	000743	270330.00
14	ग्रा0पं0 जिरसमी में कमलेश के घर से ग्राम कल्याणपुर तक खंडजा निर्माण कार्य	श्री संजय शर्मा	000742	47570.00
15	मरथरा मिरहची रोड से एस0डी0एस0 डिग्री कॉलेज तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	श्री संजय शर्मा	000747	141710.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद— हाथरस।

मण्डल— अलीगढ़।

अनुभाग— क्षेत्र पंचायत।

1.क्षेत्र पंचायत हाथरस विकास खण्ड— हाथरस जनपद— हाथरस

प्रस्तर-1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 10/2015-ए-1-502(1)/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार “यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये।” परन्तु विभिन्न वर्षों में अर्जित ब्याज की आय जो नीचे तालिका में दी गई है, को राजकोष में जमा नहीं किया गया है तथा उपभोग में भी लाया गया है।

बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक	ब्याज से आय
पंजाब नेशनल बैंक	6547	2.9.11	838
पंजाब नेशनल बैंक	6547	7.3.11	883
पंजाब नेशनल बैंक	6547	6.9.12	910
बैंक आफ बड़ौदा	8755	03.11.11 से 30.04.12	20493
बैंक आफ बड़ौदा	8755	01.10.12 से 31.10.12	13261
बैंक आफ बड़ौदा	8755	01.11.12 से 30.04.13	21557
बैंक आफ बड़ौदा	8755	01.05.13 से 31.10.13	22743
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.11.12 से 30.04.13	20405
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.05.2013 से 31.10.2013	11858
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.11.2013 से 30.04.2014	3250
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.05.2011 से 31.10.11	15979
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.11.2011 से 30.04.12	23553
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.05.12 से 31.10.2012	15092
सिंडिकेट बैंक	31810	30.9.11	13510.86
सिंडिकेट बैंक	31810	31.3.12	20281.36
सिंडिकेट बैंक	31810	10.9.12	29895.81
सिंडिकेट बैंक	31810	2.3.13	37124.24

सिंडिकेट बैंक	31810	30.9.13	52372.36
सिंडिकेट बैंक	31810	31.3.14	76960.52
		योग	400967.15

वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ब्याज की आय रु 400967.15 थी। यह धनराशि राजकोष में जमा न करके शासनादेश का स्पष्टतः उल्लंघन किया गया है। अतः यह धनराशि राजकोष में जमा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि की वसूली तत्कालीन बी.डी.ओ. से की जानी अपेक्षित है। साथ ही अर्जित ब्याज का सभी वर्षों में उपभोग किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता के संबंध में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 विशेष सचिव उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86, लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु 20000/- से अधिक की समग्री क्रय के लिए कोटेशन व रु 1,00,000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2011-12 में निम्न 1 लाख रुपये से अधिक की सामग्री को बिना निविदा के क्रय किया है: -

क्र.स.	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1)	देवीनगर (हाथरस जक्सन में) अशोक इलैक्ट्रीकल्स से रुवी मेडिकल स्टोर शिवमंदिर तक इंटरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		324243.00
2)	ग्राम बारामई में उमेश चंद्र के घर से श्यामलाल के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग खण्डनजा निर्माण		237143.00
3)	ग्राम मौहारी में रवि के घर से रामसिंह एवं राजेन्द्र के घर से कुंवरपाल के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग खण्डजा का निर्माण कार्य		218349.00
4)	ग्राम धारुगढ़ी में नूरपुर गवारु रोड से वीरसिंह के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग खण्डनजा निर्माण		773546.00
5)	ग्राम भगराया में हरीसिंह के घर से जाहरबीर बाबा के मन्दिर तक इंटरलाकिंग खण्डनजा निर्माण		1057669.00
		योग	2610950.00

टेन्डर प्रक्रिया न अपनाकर कुटेशन पद्धति से कार्य कराये गये हैं। यह उपरोक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता के विरुद्ध सम्बन्धित वर्षों में ब्लाक प्रमुख श्री अमित कुमार एवं संबंधित बी.डी.ओ. श्री कालीचरण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 विशेष सचिव उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86, लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु 20000/- से अधिक की समग्री क्रय के लिए कोटेशन व रु 1,00,000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2011-12 में विधायक निधि से निम्न 1 लाख रुपये से अधिक की सामग्री को बिना निविदा के क्रय किया है: -

क्र०सं०	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	परसारा कुम्हरई मार्ग से ग्राम परसारा अम्बेडकर पार्क तक सी०सी० कार्य।		399032.00
2.	ग्राम परसारा में अम्बेडकर पार्क की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य		214702.00
3.	ग्राम लाडपुर लाखनू से सूरजपुर होते हुए मझौला तक मरम्मत कार्य।		895038.00
4.	ग्राम कोका में डा० अम्बेडकर पार्क की बाउन्डरीवाल का निर्माण		270580.00
5.	ग्राम अल्लैहपुर में बाईपास खण्डजा निर्माण कार्य।		167265.00
6.	ग्राम कटेलिया में प्रजापति व बधेल बस्ती के बीच सामुदायिक केन्द्र पर एक कमरा बरामदे का निर्माण		159802.00
		योग	2106419.00

टेन्डर प्रक्रिया न अपनाकर कुटेशन पद्धति से कार्य कराये गये हैं। यह उपरोक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता के विरुद्ध सम्बन्धित वर्षों में ब्लाक प्रमुख श्री अमित कुमार एवं संबंधित बी.डी.ओ. श्री कालीचरण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 विशेष सचिव उ०प्र० शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86, लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु 20000/- से अधिक की समग्री क्रय के लिए कोटेशन व रु 1,00,000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए।

किन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2012-13 में निम्न 1 लाख रुपये से अधिक की समग्री को बिना निविदा के क्रय किया है: —

क्र.स.	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	ग्राम परसारा में बदीसिंह के घर से मेघ सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग खण्डजा का निर्माण		358324.00
2.	जन्मलेश्वर बगीची देवीनगर में छेदेलाल से राकेश कुमार व पप्पु सुनार से अनिल कुमार एडवोकेट के घर तक नाली एवं खण्डजा निर्माण कार्य।		223900.00
3.	कार्यालय मुख्य गेट से खण्ड विकास अधिकारी आवास तक सी0सी0 एवं इन्टरलाकिंग		696341.00
4.	ग्राम पंचायत हाथरस देहात के मजरा नगला अलगजी में रेलवे फाटक से बिलारी देवी क मकान तक इन्टरलाकिंग खण्डजा का निर्माण		850713.00
5.	ग्राम भदामई में राजकुमार के खेत से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य		145072.00
6.	क्षेत्र पंचायत कोका में तिराहे से नगला कूपा मार्ग पर विजेन्द्र सिंह के खेत नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य।		550765.00
7.	ग्राम पंचायत दादनपुर ढकपुरा में मन मोन के घर से धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कालीचरण के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		328014.00
8.	ग्राम पंचायत मौहारी में वीरेन्द्र सिंह के घर से पोखर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		541254.00
		योग	3694383.00

टेन्डर प्रक्रिया न अपनाकर कुटेशन पद्धति से कार्य कराये गये हैं। यह उपरोक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता के विरुद्ध सम्बन्धित वर्षों में ब्लॉक प्रमुख श्री अमित कुमार एवं संबंधित बी.डी.ओ. श्री कालीचरण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86, लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु 20000/- से अधिक की समग्री क्रय के लिए कोटेशन व रु 1,00,000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2013-14 में निम्न 1 लाख रुपये से अधिक की सामग्री को बिना निविदा के क्रय किया है:-

क्र.स.	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	ग्राम पंचायत अल्लैपुर चुर्सेन के मजरा चुर्सेन में हीरालाल की दुकान के सामने से भागीरथ (भवासीराम) के घर तक इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		202880.00
2.	ग्राम गिजरीली में टाप रोड पर सत्येन्द्र सिंह के मकान से सुरेश चन्द्र रावत के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		452218.00
3.	ग्राम सोखना में महादेव नगर स्थित संजीव कुमार के मकान से सोखनारोड तुलसी प्रसाद के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		630301.00
4.	ग्राम बेरगांव में हाली के स्थान पर इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		149158.00
5.	ग्राम देवीनगर में हाथरस जंक्सन पर महाराज सिंह के मकान से संतोष के घर होते हुए नेत्रपाल के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		240681.00
6.	ग्राम भोपतपुर के मजरानल्ला शीशराम की ठार में बाईपास से लालसिंह के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		695048.00
7.	ग्राम कैमार में राजकुमार शर्मा के मकान चौक से तुलसी की दुकान तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		232510.00
8.	ग्राम चन्द्रगढ़ी में तुखैल खान के मकान से पोखर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		615391.00
9.	ग्राम तरफरा में आस मोहम्मद के घर से तदरसा के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		795687.00
10.	ग्राम बहोर के मजरा मल्ला में केशर देव के घर से नेत्रपाल के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		764172.00
11.	ग्राम मौहारी में प्राथमिक विद्यालय से बाबूलाल कुम्हार के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		552864.00
12.	ग्राम सोखना में महादेव कालोनी में ठा0के0पी0 के घर से रोड तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		784425.00
		योग	6115335.00

टेन्डर प्रक्रिया न अपनाकर कुटेशन पद्धति से कार्य कराये गये हैं। यह उपरोक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता के विरुद्ध सम्बन्धित वर्षों में ब्लाक प्रमुख श्री अमित कुमार एवं संबंधित बी.डी.ओ. श्री कालीचरण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक 4/866/33-2-14-93 जी/200 जाकर नियम विरुद्ध तरीके से अंतर्ग्रामीण मार्गों पर कार्य करने की जगह अंतर्ग्रामीण मार्गों पर, कार्य किया: -

क्र.स.	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	देवीनगर (हाथरस जक्सन में) अशोक इलेक्ट्रीकल्स से रुबी मेडिकल स्टोर शिवमंदिर तक इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		374193.00
2	ग्राम बारामई में उमेश चंद्र के घर से श्यामलाल के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डनजा निर्माण		272243.00
3	विकास खण्ड कैपस में बाउण्डरी वाल की मरम्मत एवं खण्ड विकास अधिकारी आवास की पुताई आद कार्य		21185.00
4	ग्राम मौहारी में रवि के घर से रामसिंह एवं राजेन्द्र के घर से कुंवरपाल के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डजा का निर्माण कार्य		260319.00
5	ग्राम धारुगढ़ी में नूरपुर गवारु रोड से वीरसिंह के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डनजा निर्माण		886076.00
6	ग्राम भगराया में हरीसिंह के घर से जाहरबीर बाबा के मन्दिर तक इन्टरलाकिंग खण्डनजा निर्माण		1183519.00
7	ग्राम महों में अरुण कुमार के घर से हुकुम सिंह के मकान तक इन्टरलापकिंग खण्डजा		104073.00
			3101608.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक 4/866/33-2-14-93 जी/200 जाकर नियम विरुद्ध तरीके से अंतर्ग्रामीण मार्गों पर कार्य करने की जगह अंतर्ग्रामीण मार्गों पर, कार्य किया:-

क्र.स.	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	ग्राम परसारा में बदीसिंह के घर से मेघ सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग खण्डजा का निर्माण		426654.00
2.	जन्मलेश्वर बगीची देवीनगर में छेदेलाल से राकेश कुमार व पप्पु सुनार से अनिल कुमार एडवोकेट के घर तक नाली एवं खण्डजा निर्माण कार्य।		266880.00
3.	खण्ड विकास कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी व प्रमुख कक्ष की मरम्मत व पुताई		21695.00
4.	कार्यालय मुख्य गेट से खण्ड विकास अधिकारी आवास तक सी0सी0 एवं इन्टरलाकिंग		852056.00
5.	ग्राम पंचायत हाथरस देहात के मजरा नगला अलगजी में रेलवे फाटक से बिलारी देवी क मकान तक इन्टरलाकिंग खण्डजा का निर्माण		1043158.00
6.	विकास खण्ड की रंगाई पुताई		24412.00
7.	ग्राम भदामई में राजकुमार के खेत से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य		174142.00
8.	क्षेत्र पंचायत कोका में तिराहे से नगला कूपा मार्ग पर विजेन्द्र सिंह के खेत नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य।		675610.00
9.	ग्राम पंचायत दादनपुर ढकपुरा में मन मोन के घर से धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कालीचरण के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		396304.00
10.	ग्राम पंचायत मौहारी में वीरेन्द्र सिंह के घर से पोखर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		619149.00
			4500060.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक 4/866/33-2-14-93 जी/200जाकर नियम विरुद्ध तरीके से अंतर्ग्रामीण मार्गों पर कार्य करने की जगह अंतः ग्रामीण मार्गों पर, कार्य किया : -

क्र.स.	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	ग्राम पंचायत अल्लैपुर चुर्सेन के मजरा चुर्सेन में हीरालाल की दुकान के सामने से भागीरथ (भवासीराम) के घर तक इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		230165.00
2.	ग्राम गिजरौली में टाप रोड पर सत्येन्द्र सिंह के मकान से सुरेश चन्द्र रावत के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		521253.00
3.	ग्राम सोखना में महादेव नगर स्थित संजीव कुमार के मकान से सोखनारोड तुलसी प्रसाद के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		726161.00
4.	ग्राम बेरगांव में हाली के स्थान पर इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		177958.00
5.	ग्राम देवीनगर में हाथरस जंक्सन पर महाराज सिंह के मकान से संतोष के घर होते हुए नेत्रपाल के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		278521.00
6.	ग्राम भोपतपुर के मजरानल्ला शीशराम की ठार में बाईपास से लालसिंह के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		796358.00
7.	ग्राम कैमार में राजकुमार शर्मा के मकान चौक से तुलसी की दुकान तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		274670.00
8.	ग्राम चन्द्रगढ़ी में तुखैल खान के मकान से पोखर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		701591.00
9.	ग्राम तरफरा में आस मोहम्मद के घर से तदरसा के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		912087.00
10.	ग्राम बहोर के मजरा मल्ला में केशर देव के घर से नेत्रपाल के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		874422.00
11.	ग्राम मौहरी में प्राथमिक विद्यालय से बाबूलाल कुम्हार के घर तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		617414.00
12.	ग्राम सोखना में महादेव कालोनी में ठा0के0पी0 के घर से रोड तक नाली / इन्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		908255.00
13.	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में कुर्सी आदि की खरीदी		23430.00
14.	ग्राम गढ़ी धारु के मजरा मानमहो में सोमेश के प्लाट से बीरपाल सिंह के मकान तक नाली इन्टरलाकिंग टाईल्स हेतु निर्माण सामग्री की आपूर्ति।		653616.00
15.	ग्राम पंचायत पैकवाड़ा में परसारा सम्पर्क मार्ग से जूनियल हाईस्कूल पैकवाड़ा के पास पुलिया नाली व इन्टरलाकिंग कार्य		828177.00
16.	ग्राम पुन्नौर के मजरा नगला मलू में अर्जन सिंह के घर से पक्की सड़क प्रकाश चन्द्र के मकान तक नाली व इन्टरलाकिंग कार्य		548264.00
17.	हाथरस जंक्सन देवीनगर में सत्तार के घर से जहारबीर बाबा के मंदिर तक नाली व इन्टरलाकिंग कार्य		389694.00
18.	ग्राम मोहब्बतपुरा में मोहनलाल के घर से चरणसिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य		855165.00
			10317201.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 10/2015-ए-1-502(1)/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार "यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये।" परन्तु विभिन्न वर्षों में अर्जित ब्याज की आय जो नीचे तालिका में

दी गई है, को राजकोष में जमा नहीं किया गया है तथा उपभोग में भी लाया गया है।
(सामान्य आपत्ति संख्या-09)

बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक	ब्याज से आय
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.05.2014 से 31.10.2014	1771.00
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.11.14 से 30.04.14	498.00
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.05.2015 से 31.10.2015	113.00
बैंक आफ बड़ौदा	9179	01.11.2015 से 29.03.2016	94.00
सिंडिकेट बैंक	31810	30.09.2014	77116.57
सिंडिकेट बैंक	31810	31.03.2015	66840.36
सिंडिकेट बैंक	31810	30.09.2015	58537.32
सिंडिकेट बैंक	31810	31.03.2016	91154.21
सिंडिकेट बैंक	31810	18.04.2016	5792.00
सिंडिकेट बैंक	31810	30.06.2016	47026.06
सिंडिकेट बैंक	31810	30.09.2016	57489.61
सिंडिकेट बैंक	31810	31.12.2016	89102.06
सिंडिकेट बैंक	31810	31.03.2017	75420.68
ग्रामीण बैंक आफ आर्यावृत	458	26.8.15 से 31.01.16	617.00
ग्रामीण बैंक आफ आर्यावृत	458	01.02.16 से 30.04.16	382.00
ग्रामीण बैंक आफ आर्यावृत	458	01.05.16 से 26.06.16	197.00
		योग	572150.87

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक 4/866/33-2-14-93 जी/200जाकर नियम विरुद्ध तरीके से अंतर्ग्रामीण मार्गों पर कार्य करने की जगह अंतः ग्रामीण मार्गों पर, कार्य किया: -

(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

क्र.स	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	ग्राम बेरगांव में नन्मूल के मकान से दिनेश डोरीलाल के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग खण्डजा निर्माण कार्य		673442.00
2.	ग्राम अफोया मजरा लाखनू में हरियोम जाटव के मकान से अम्बेडकर पार्क तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		564797.00
3.	ग्राम कोका में जयसिंह के मकान से शांती स्वरूप के मकान तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		736626.00
4.	ग्राम राजनगर रोड महा संतोष कुमार हरनेजी चन्देल से उ0मा0 विद्यालय के सामने तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		246969.00
5.	ग्राम कल्याणगढ़ी मजरा हाथरस देहात में महेश चन्द्र के मकान से डाबर रोड तक यू टाईप नाली का निर्माण कार्य		170708.00
6.	ग्राम हाथरस जंक्सन देवीनगर में डी0सी0 मास्टर के मकान से चन्द्रपाल सिंह के मकान तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		272038.00
7.	ग्राम हाथरस जंक्सन देवीनगर में ओ0पी0 उस्ताज के मकान से शैलेश के मकान तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		148676.00
8.	ग्राम पुन्नेर में महावीर सिंह के मकान से हरि सिंह के नौहरे तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		663714.00
9.	ग्राम मोहारी में प्रेमचन्द्र के मकान से सरेन्द्र सिंह के मकान तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		434033.00
10.	ग्राम मोहारी में नेत्रपाल सिंह के मकान से रिहाल सिंह, रतेन्द्र सिंह के मकान तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य		153455.00
11.	खण्ड विकास अधिकारी के आवास में टीन शेड / गैरिज का निर्माण		175105.00
12.	ग्राम पंचायत भोगांव नगला जायस से मजरा नितनपुर में महेश के घर से हरेन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		720868.00
13.	ग्राम पंचायत हाजीपुर में अमरसिंह बघेल के मकान से लालसिंह बढई के पुराने मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		434461.00

14.	ग्राम पंचायत वाहनपुर में पी0वी0 कौमरी रोड से बाल शिक्षण संस्थान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		176592.00
15.	ग्राम पंचायत ऐहन में सुखराम के घर से वीरपाल के घर होते हुए भूपेन्द्र लाला के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		574527.00
16.	ग्राम पंचायत कुम्हरई में गुलाबसिंह के घर से पैकवाड़ा मार्ग पर महेन्द्र सिंह के प्लाट तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		644922.00
17.	ग्राम पंचायत जहांगीरपुर के मजरा छतरपुर में ओमकार सिंह के मकान से प्राथमिक पाठशाला तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		861092.00
18.	ग्राम पंचायत ऐहन में भूपेन्द्र कुमार के घर से महाराजा चौक तक नाली इंटरलाकिंग कार्य हेतु निर्माण सामग्री की आपूर्ति।		770413.00
19.	ग्राम पंचायत बरवाना के मजरा ग्राम कुंडा में डोरीलाल के घर से जूनियर हाईस्कूल कुंडा तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		421079.00
20.	खण्ड विकास अधिकारी आवास में विद्युत फिटिंग पेंटिंग कार्य शौचालय सीट फिटिंग आदि कार्य		43083.00
	योग		8886600.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक 4/866/33-2-14-93 जी/200जाकर नियम विरुद्ध तरीके से अंतर्ग्रामीण मार्गों पर कार्य करने की जगह अंतःग्रामीण मार्गों पर, कार्य किया : -

(सामान्य आपत्ति संख्या-11)

क्र.स	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	खण्ड विकास अधिकारी के आवास / कार्यालय की बाउंडरी वाल पेड़ों का चबुतरा, स्वर्ण जयंती स्तंभ का सौंदर्यीकरण शौचालय शीट फिटिंग आदि		57256.00
2.	सहायक विकास अधिकारी पंचायत कार्यालय तथा ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा के दृष्टिगत एक अभिलेखागार का निर्माण कार्य		1189249.00
3.	कृषि रक्षा केन्द्र / बीज विपणन गोदाम की मरम्मत एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य		812642.00
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महोक में मरम्मत एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य		810971.00
5.	विकास खण्ड परिसर में बने आवासों की मरम्मत एवं इण्टरलाकिंग		556932.00
6.	हाथरस जंक्सन देवीनगर में दरोगा जी के घर से राकेश के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण		960230.00
7.	विकास खण्ड परिसर में बने आवासों की मरम्मत एवं इण्टरलाकिंग का अवशेष कार्य		74497.00
			4461777.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक 4/866/33-2-14-93 जी/200जाकर नियम विरुद्ध तरीके से अंतर्ग्रामीण मार्गों पर कार्य करने की जगह अंतः ग्रामीण मार्गों पर, कार्य किया: -

(सामान्य आपत्ति संख्या-12)

क्र.स	कार्य का नाम	बिल संख्या	धनराशि
1.	विकास खण्ड कार्यालय में आवास की मरम्मत एवं कार्यालय में बिलजी		568202.00

	की फिटिंग व इण्टरलाकिंग		
2.	ग्राम पंचायत पूरा खुर्द में रमेश की दुकान से बीरी सिंह के फाटक व पूरन सिंह के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		951458.00
3.	ग्राम पंचायत कोका में मवाशीराम के घर से गुलाब सिंह मार्ग तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		741187.00
4.	ग्राम पंचायत बोनई में रामदेव के घर से हरनारायण के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		607178.00
5.	ग्राम पंचायत बरवाना में इंदल सेठ की दुकान से भूतेश्वर मंदिर धीरज मास्टर मार्ग तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		
6.	ग्राम पंचायत बिजौरली में मजरा टाप में लल्ला भैया के घर से फिरोज के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		749841.00
7.	ग्राम पंचायत गवारु खुर्द में पोखर गिरिराज सिंह से प्रेमचन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		568125.00
8.	ग्राम पंचायत नगला शीशराम में मुनीम के घर से योगेन्द्र यादव मार्ग तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य		803201.00
		योग	4989192.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन— वर्ष 2018–19 **क्षेत्र पंचायत**

1—संस्था का नाम—क्षेत्र पंचायत अमांपुर जनपद— कासगंज

मण्डल— अलीगढ़

प्रस्तर 01—वर्षालोच्य वर्ष में संस्था द्वारा वी0आर0जी0एफ0 मद से वर्ष 2011–12 में रुपये 2974500.00 तथा 2012–13 में रुपये 72248.00 तथा वर्ष 2013–14 में रुपये 1010909.00 तथा 2014–15 में 401890.00 का व्यय किया गया किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त व्यय की कोई समीक्षा नहीं हो सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन लेखाकार श्री महाराज सिंह एवं सम्बंधित वर्षों में नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों डॉ उमाराणी कुलश्रेष्ठ व श्री एम लाल राम तथा जे एन कुरील से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 11

प्रस्तर 02—वर्ष 2014–15 में राजवित्त के अन्तर्गत लखमीपुर में दिवारी लाल के घर से छोटे लाल के घर तक तथा गजाधर के घर से कुंवरपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण की एस्टीमेट लागत रुपये 280700.00 है। जबकि माप पुस्तिका में सामग्री पर व्यय 280120.00 तथा श्रमांश पर व्यय रुपये 32900.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार एम0बी0 के अनुसार कुल व्यय की धनराशि 313020.00 होती है जो कि अनुमानित लागत रुपये 280700.00 से 32320.00 ज्यादा है। जबकि नियमानुसार एम0बी0 में निर्धारित धनराशि अनुमानित लागत से कम होना चाहिए। अतः प्रतीत होता है कि पूरे कार्य के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि को फर्जी तरीके से निकाल लिया गया है। इसके लिए तत्कालीन जूनियर इन्जीनियर/कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0 12

प्रस्तर 03—वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक हुए निर्माण पर अंकन रुपया 3652009.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये जिनका भुगतान मजदूरों को न कर संबंधित कार्य प्रभारियों को किया गया।

उक्त भुगतानों के संबंध में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1984 के नियम सं0 49 में निहित व्यवस्था अनुसार निम्न कमियां पायी गयीं—

1. भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टरोल होगा।
2. मस्टरोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य का प्रभारी अधिकारी अपने स्थायी से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।
3. भुगतान के संबंध में रुपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा कार्य प्रभारी भुगतान का एक प्रमाण पत्र देगा।
4. नियम सं0 49 प्रपत्र सं0 12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टरोल पर अंकित होगा।

5. विकास खण्ड कार्यालय से मस्टरप्लान कार्यवार निर्गत नहीं किये गये और न ही मस्टरप्लान पर मस्टरप्लान संख्या अंकित है।

6. मस्टरप्लान पर श्रमिक तथा मजदूरों के हस्ताक्षर काल्पनिक हैं क्योंकि वे ज्यादातर मस्टरप्लान निर्माता के ही राइटिंग में किये गये हैं और अंगूठा निशानी अंकित है वे प्रमाणित भी नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर मस्टरप्लान तैयार की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 13

प्रस्तर 04—वाणिज्य कर (वैट) नियमानुसार न काटकर राजस्व हानि पहुंचाना वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कराये गये निर्माण कार्यों से वैट की 4 प्रतिशत कटौती न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गयी जिसमें वर्ष 2012-13 में 21534 रुपये, वर्ष 2013-14 में 413938 रुपये तथा वर्ष 2014-15 में 195329 रुपये की वाणिज्य कर की कटौती नहीं की गई। जिसके लिये लेखाकार, बी०डी०ओ० उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं० 14**

प्रस्तर 05—वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक हुए निर्माण पर अंकन रू० 2627297.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये जिनका भुगतान मजदूरों को न कर संबंधित कार्य प्रभारियों को किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है—

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2015-16	523630.00
2016-17	702850.00
2018-19	1400817.00
योग	2627297.00

उक्त भुगतानों के सम्बन्ध में उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत कार्य (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1984 अध्याय 2 के नियम सं० 49 में निहित व्यवस्था अनुसार निम्न कमियां पायी गयीं—

1. भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टरप्लान होगा।
2. मस्टरप्लान के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य का प्रभारी अधिकारी अपने स्थायी से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।
3. भुगतान के संबंध में रूपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा कार्य प्रभारी भुगतान का एक प्रमाण पत्र देगा।
4. नियम सं० 49 प्रपत्र सं० 12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टरप्लान पर अंकित होगा।
5. विकास खण्ड कार्यालय से मस्टरप्लान कार्यवार निर्गत नहीं किये गये और न ही मस्टरप्लान पर मस्टरप्लान संख्या अंकित है।
6. मस्टरप्लान पर श्रमिक तथा मजदूरों के हस्ताक्षर काल्पनिक हैं क्योंकि वे ज्यादातर मस्टरप्लान निर्माता के ही राइटिंग में किये गये हैं और अंगूठा निशानी अंकित है वे प्रमाणित भी नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर मस्टरप्लान तैयार की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 11

प्रस्तर 06—वाणिज्य कर (वैट) नियमानुसार न काटकर राजस्व हानि पहुंचाना वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कराये गये निर्माण कार्यों से वैट की 4 प्रतिशत कटौती न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गयी जिसमें वर्ष 2015-16 में 82508 रुपये तथा वर्ष 2016-17 में 105337 रुपये की वाणिज्य कर की कटौती नहीं की गई। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं०- 12**

2—संस्था का नाम—क्षेत्र पंचायत कासगंज जनपद— कासगंज

मण्डल— अलीगढ़

प्रस्तर 07—वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की निम्न पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहीं—

1. ग्राम रामपुर से नरायनपुर सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी खडंजा कार्य।
2. अमापुर बस अड्डे से कब्रिस्तान तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण क्षेत्र पंचायत के वर्क रजिस्टर के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्यों पर कुल रू० 1483980 की धनराशि व्यय की गयी। किन्तु पत्रावली/बाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार

यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि गबन की श्रेणी में मानी जायेगी। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 05

प्रस्तर 08—वर्ष 2012-13 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद अर्न्तगत कराये गये निर्माण कार्य ग्राम बढ़ारी वैश्य में प्रा0पा0 से करू के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। वर्क रजिस्टर अनुसार क्षेत्र पंचयत द्वारा उक्त कार्य पर कुल रू0 636311 की धनराशि व्यय की गयी। किन्तु पत्रावली/ व्यय प्रमाणक/बाउचर के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय धनराशि गबन की श्रेणी में मानी जायेगी। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 06

प्रस्तर 09—वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्य प्रभारियों को चेक के माध्यम से किया गया है जो अनियमित है। कुल मजदूरी भुगतान 455140 में से रू0 203230 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री वेद प्रकाश को व रू0 225910 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री पदमेश कुमार को किया गया है। इस हेतु कार्य प्रभारी श्री वेद प्रकाश व श्री पदमेश कुमार तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 07

प्रस्तर 10—वर्ष 2011-12 में विधायक निधि मद से कराये गये निर्माण कार्य में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्य प्रभारी को चेक के माध्यम से किया गया है जो कि अनियमित है। इस हेतु कुल रू0 38790 कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 09

प्रस्तर 11—वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्य प्रभारियों को चेक के माध्यम से किया गया है। जो कि अनियमित है। कुल मजदूरी भुगतान रू0 817500 में से रू0 601250 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री मुनवर खां को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री अमर सिंह, श्री मुनवर खां, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 12—वर्ष 2012-13 में वारहवां/तेरहवां वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्यप्रभारी को चेक के माध्यम से किया गया है जो कि अनियमित है। इस हेतु कुल 87470 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री अमर सिंह राणा को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री अमर सिंह, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—19

प्रस्तर 13—वर्ष 2012-13 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्यप्रभारी को चेक के माध्यम से किया गया है जो कि अनियमित है। इस हेतु कुल 19870 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री अमर सिंह राणा को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री अमर सिंह, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 21

प्रस्तर 14—वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्य प्रभारियों को चेक के माध्यम से किया गया है। जो कि अनियमित है। कुल मजदूरी भुगतान रू0 926820 में से रू0 16500 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री अमर सिंह राणा को 439590 का भुगतान, श्री बेनी प्रसाद को रू0 470730 को

भुगतान कार्यप्रभारी श्री मुनवर खां को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री अमर सिंह, श्री बेनी प्रसाद, श्री मुनवर खां, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-27

प्रस्तर 15—वर्ष 2013-14 में वारहवां/तेरहवां वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्यप्रभारी को चेक के माध्यम से किया गया है जो कि अनियमित है इस हेतु कुल मजदूरी भुगतान 727770 में से रु0 436090 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री मुनवर खां को रु0 291680 का भुगतान कार्यप्रभारी श्री बेनी प्रसाद को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री मुनवर खां, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 29

प्रस्तर 16—वर्ष 2013-14 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्यप्रभारी को चेक के माध्यम से किया गया है जो कि अनियमित है इस हेतु कुल मजदूरी भुगतान रु0 255020 में से रु0 27580 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री बेनी प्रसाद को रु0 227440 का भुगतान श्री मुनवर खां को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री बेनी प्रसाद, श्री मुनवर खां, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-31

प्रस्तर 17—वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्य प्रभारियों को चेक के माध्यम से किया गया है। जो कि अनियमित है। कुल मजदूरी भुगतान रु0 680550 में से रु0 187993 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री मुनवर खां को 408761 का भुगतान, श्री बेनी प्रसाद को रु0 83796 का भुगतान वेद प्रकाश को किया गया है। जो कि नियम विरुद्ध एवं अनियमित है। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री मुनवर खां, श्री बेनी प्रसाद, श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 39

प्रस्तर 18—वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्यों में लगे श्रमांश/मजदूरी का भुगतान पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के श्रमिकों के खातों में न कर संबंधित कार्य प्रभारियों को चेक के माध्यम से किया गया है जो कि अनियमित है। कुल मजदूरी रु0 487592 में से रु0 217418 का भुगतान कार्यप्रभारी श्री बेनी प्रसाद वर्मा को रु0 204598 का भुगतान श्री वेद प्रकाश को एवं रु0 65576 का भुगतान श्री मुनवर खां को किया गया है। इस हेतु कार्य प्रभारी श्री बेनी प्रसाद, श्री मुनवर खां श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-41

प्रस्तर 19—वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद से कराये गये निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों पर निर्धारित दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। उक्त मद से कराये गये निर्माण कार्य हेतु कुल क्रय सामग्री रु0 2247068 पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 89883 की कटौती न कर अनियमितता की गयी है। उक्त धनराशि संबंधित फर्मों से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 08

प्रस्तर 20—वर्ष 2011-12 में विधायक निधि मद से कराये गये निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों पर निर्धारित दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। उक्त मद से कराये गये निर्माण कार्य हेतु कुल क्रय सामग्री रु0 200331 पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 8013 की वैट कटौती न कर अनियमितता की गयी है। उक्त धनराशि संबंधित फर्मों से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 10

प्रस्तर 21— वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों पर निर्धारित दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। उक्त मद से कराये गये निर्माण कार्य हेतु कुल क्रय

प्रस्तर 29— वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त कार्य पर रू0 289869 की धनराशि व्यय की गयी। एवं कार्यप्रभारी री मुनब्वर खां नियुक्त रहे वर्क रजिस्टर के अनुसार पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो व्यय की गयी धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में मानी जायेगी। इस हेतु कार्यप्रभारी श्री मुनब्वर खां, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-44

प्रस्तर 30—वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद से कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावली किनावा में अहमद की दुकान से जाटवों में होती हुयी पुलिया तक सी0सी0 कार्य एवं नाली निर्माण के कार्य की इस्टीमेट एवं तकनीकी स्वीकृति 283500 की पायी गयी जबकि व्यय 288160 किया गया। जिसकी अलग से कोई स्वीकृति नहीं पायी गयी। बिना स्वीकृति प्राप्त किय अधिक किया गया व्यय रू0 4660 अनियमित है इस हेतु कार्य प्रभारी री पदमेश कुमार तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-11

प्रस्तर 31—वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पत्रावली किनावा में अहमद की दुकान से जाखो होती हुयी पुलिया तक सी0सी0 कार्य व नाली निर्माण की पत्रावली के साथ संलग्न मस्टर रोल दिनांक 8.12.2011 से 19.12.2011 अंकन रू0 8820 की जांच में पाया गया कि मस्टर रोल अंकित श्रमिकों की मजदूरी का योग लेखा परीक्षा अनुसार रू0 8700 आता है जबकि भुगतान रू0 8820 का किया गया। इस प्रकार रू0 1206 चेक नं0 281357 दिनांक 2.6.2012 से अधिक भुगतान अधिक किया गया है। इस हेतु कार्य प्रभारी श्री पदमेश कुमार, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 12

प्रस्तर 32— वर्ष 2012-13 में तेरहवां वित्त मद अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावली नगला भूड़ में मीना सिंह इण्टर कालेज क पास एक पुलिया निर्माण की पत्रावली के मस्टररोल दिनांक 16.11.2012 से 22.11.2012 की जांच में पायागया कि कार्यप्रभारी द्वारा राज मिस्त्री को 270 रू0 की दर से व श्रमिकों को 130 रू0 की दर से भुगतान किया गया है जबकि उक्त अवधि में राज मिस्त्री को रू0 250 व श्रमिकों को रू0 130 की दर से मजदूरी अनुमन्य थी। इस प्रकार कार्यप्रभारी द्वारा 910 का अधिक भुगतान किया गया है। इस हेतु कार्य प्रभारी श्री अमर सिंह राणा, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही तथा ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-23

प्रस्तर 33— वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्क शेड निर्माण मद अन्तर्गत रू0 800000 का उपभोग किया गया है। किन्तु उक्त से संबंधित पत्रावली/व्यय प्रमाणक/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ एम0बी0 आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहीं। जिससे दर्शाये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0प0 (बजट एवं सा0 लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार समस्त निर्माण पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 38

3-संस्था का नाम-क्षेत्र पंचायत सोरों जनपद- कासगंज

मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 34—कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सैस) की कटौती किया जाना। उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियुक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्राविधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्र पंचायत सोरों कासगंज में वित्तीय वर्ष 2013-14 से सभी कार्यों में कर्मकार उपकर 1 प्रतिशत धनराशि की कटौती रू0 66467 ठेकेदार के बिल से नहीं की गयी है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 17

प्रस्तर 35— नियमों की अनदेखी कर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 तक तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं 13 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32 अनुसूची 1 व खंड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मति द्वारा स्वीकृत देकर वर्ष 2013-14 में 42.11 लाख के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32.1.2 के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायतें अंतर्गमित सड़कों पर है कार्य करने हेतु अधिकृत है। ग्राम सड़कों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। शा0 संख्या 8307/33-2-2014-93जी/2004 दि0 12 जनवरी 2005 तथा शा0 संख्या 5/866/33-2-2014-93जी/2004 दि0 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) सब्सिडियारिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यूँ निर्माण कार्य किया, इस प्रति स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-19**

प्रस्तर 36— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सैस) की कटौती किया जाना। उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियुक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रविधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्र पंचायत सोरों कासगंज में वित्तीय वर्ष 2013-14 से सभी कार्यों में कर्मकार उपकर 1 प्रतिशत धनराशि की कटौती रु0 134741 ठेकेदार के बिल से नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37—नियमों की अनदेखी कर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 तक तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं 13 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32 अनुसूची 1 व खंड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मति द्वारा स्वीकृत देकर वर्ष 2013-14 में 104.61 लाख के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32.1.2 के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायतें अंतर्गमित सड़कों पर है कार्य करने हेतु अधिकृत है। ग्राम सड़कों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। शा0 संख्या 8307/33-2-2014-93जी/2004 दि0 12 जनवरी 2005 तथा शा0 संख्या 5/866/33-2-2014-93जी/2004 दि0 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) सब्सिडियारिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यूँ निर्माण कार्य किया, इस प्रति स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-19**

प्रस्तर 38—उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियुक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रविधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्र पंचायत सोरों कासगंज में वित्तीय वर्ष 2015-16 से सभी कार्यों में कर्मकार उपकर 1 प्रतिशत धनराशि की कटौती रु0 103875 ठेकेदार के बिल से नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 17

प्रस्तर 39— नियमों की अनदेखी कर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना वित्तीय वर्ष 2015—16 व 2016—17 तक तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं 13 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32 अनुसूची 1 व खंड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मति द्वारा स्वीकृत देकर वर्ष 2013—14 में 109.08 लाख के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32.1.2 के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायतें अंतर्गमित सड़कों पर है कार्य करने हेतु अधिकृत है। ग्राम सड़कों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। शा० संख्या 8307/33-2-2014-93जी/2004 दि० 12 जनवरी 2005 तथा शा० संख्या 5/866/33-2-2014-93जी/2004 दि० 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) सब्सिडियारिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यूँ निर्माण कार्य किया, इस प्रति स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—19**

प्रस्तर 40—उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियुक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा बहन किया जाए। प्रविधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्र पंचायत सोरों कासगंज में वित्तीय वर्ष 2016—17 से सभी कार्यों में कर्मकार उपकर 1 प्रतिशत धनराशि की कटौती रु० 58001 ठेकेदार के बिल से नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—17

प्रस्तर 41—नियमों की अनदेखी कर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना वित्तीय वर्ष 2015—16 व 2016—17 तक तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं 13 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32 अनुसूची 1 व खंड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मति द्वारा स्वीकृत देकर वर्ष 2013—14 में 58 लाख के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 32.1.2 के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायतें अंतर्गमित सड़कों पर है कार्य करने हेतु अधिकृत है। ग्राम सड़कों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। शा० संख्या 8307/33-2-2014-93जी/2004 दि० 12 जनवरी 2005 तथा शा० संख्या 5/866/33-2-2014-93जी/2004 दि० 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) सब्सिडियारिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यूँ निर्माण कार्य किया, इस प्रति स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—19**

प्रारूप—3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018—19

जनपद— अम्बेडकरनगर

सम्भाग—अयोध्या

संस्था— क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड —भीटी

नाम क्षेत्र पंचायत —भीटी

प्रस्तर— 1 क्षेत्र पंचायत भीटी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राजकीय बीज भंडार, जिसकी अवस्थिति क्षेत्र पंचायत परिसर के बाहर है, के पुनर्निर्माण पर व्यय किया गया है। उक्त कार्य 2014-15 की कार्य योजना में क्रम संख्या 05 पर स्वीकृत है जिसमें इसकी अनुमानित लागत 4.77 लाख रुपये (सामग्री पररू0 351411.00 तथा श्रमांश पररू0 126471.00) अंकलित की गई थी। उक्त कार्य के विषय में निम्न आपत्तियाँ रही।

1. सामग्री पर दो बिल क्रमशः 24.03.2015 एवं 08.07.2015 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम बिल का भुगतान 114486.00 हेतु दिनांक 26.03.2015 को चेक संख्या 94 द्वारा किया गया जबकि द्वितीय बिल का भुगतान रू0 233809.00 हेतु चेक संख्या 179 द्वारा दिनांक 16.05.2018 को किया गया। उक्त दोनों बिल के भुगतान में 3 वर्ष से अधिक का अंतर है जिसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
2. उक्त कार्य पर मस्टर रोल 17.05.2018 से 12.06.2018 की अवधि हेतु रू0 121680.00 चेक संख्या 237 द्वारा दिनांक 21.06.2018 को भुगतान किया गया। इस प्रकार सामग्री आने के 3 वर्ष बाद कार्य किया जाना दर्शाया गया है जोकि सीमेंट जैसी सीमित अवधि वाली उपभोक्ता वस्तुओं के निष्प्रयोज्य हो जाने की दशा में उपयोग हो पाना असंभव है।
3. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहने से 3 वर्ष पूर्व क्रय की गई सामग्री की आमद और निर्गमन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी है।
4. 2015-16 से 2018-19 के बीच प्राक्कलित धनराशि में पर्याप्त विचलन हो गया किन्तु कार्य कराने के पूर्व पुनः प्राक्कलन नहीं कराया गया जैसे मजदूरी की दर इन वर्षों में बढ़कर 156रू0 से 182.00रू0 हो गई। इसी प्रकार सीमेंट, बालू, लोहा आदि अन्य सामग्रियों के मूल्य में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।
5. उक्त कार्य के लिए 2015 में नियुक्त कार्य प्रभारी श्री शिव सहाय सिंह ही 2018 में भुगतान के समय विकास खंड में खंड विकास अधिकारी के पद पर आसीन थे अतः श्री राम बरन को दिनांक 09.05.2018 को कार्य प्रभारी बनाते हुए कार्य को पूर्ण दर्शाते हुए उक्त धन राशि का आहरण किया गया।
6. 03 वर्षों की कालावधि में राजकीय बीज भंडार निगम लि0 द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसने स्वयं इस कार्य को नहीं कराया है। यह भी स्पष्ट है कि उक्त कार्य का अंकन क्षेत्र पंचायत भीटी की परिसंपत्ति पंजिका में भी नहीं किया गया है।

इस प्रकार रू0 355489.00 को अधिभार योग्य मानते हुए अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है। इसके लिए उत्तरदायी श्री शिव सहाय सिंह खंड विकास अधिकारी, श्री रामतीर्थ लेखाकार, श्री राम बरन कार्य प्रभारी से सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिपूर्ति मयब्याज किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद—अमेठी

मण्डल—अयोध्या

क्षेत्र पंचायत का नाम— बाजारशुकुल

जनपद—अमेठी

वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या—1 मनरेगा प्रशासनिक मद में वर्ष 2018-19 में रू. 3049121.00 व्यय किया गया है जबकि आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक मनरेगा/पत्र सं0 281/613/2018-19 दिनांक 15 मार्च 2018 के क्रम में वर्ष में ग्राम पंचायत में किये गये सम्पूर्ण एफ0टी0ओ0 रू. 597.29 लाख का 1 प्रतिशत यानी रू. 5.97 लाख तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गये कुल एफ0टी0ओ0 रू. 56.65 लाख का 3.5 प्रतिशत यानी रू. 1.98 लाख, कुल रू0 (5.97 + 1.98) 7.95 लाख व्यय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार से कुल व्यय रू. 3049121.00-795000.00 = रू. 2254121.00 अधिक व्यय किया गया है जिस प्रति श्री शरद कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व श्री अजय कुमार लेखाकार बराबर-बराबर जिम्मेदार है। अतः रू0 2254121.00 उक्त दोनों व्यक्तियों से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—2 प्रारूप 1 में क्रमांक 5 व 14 पर उल्लिखित कार्य जो महोना ट्रेडर्स नया पुरवा बाहरपुर अमेठी द्वारा कराया गया है को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 04.02.2018 व 6.08.2018 को क्रमांक 11

नम्बर का प्रमाणक दिया गया है जो सम्भव नहीं है। दिनांक 04.02.2018 के प्रमाणक को लेखा नियमों के अनुसार है और दिनांक 06.08.2018 का प्रमाणक लेखा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण क्रमांक 4 पर व्यय दुरभिसन्धि करते हुए किया गया स्पष्ट है। अतः रु. 507012.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर प्रधान व श्री अजय कुमार लेखाकार से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम— सिंहपुर जनपद—अमेठी वर्ष 2011—12 से 2014—15

प्रस्तर संख्या—3 आलोच्य वर्ष 2011—12 में ग्राट रजिस्टर—II के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के बाबत दिनांक 24.12.2011 को चेक संख्या—75904 से रु. 35,00,000.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित की भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का अपहरण मानते हुए इस धनराशि की अद्यावधि ब्याज सहित वसूली श्री राकेश कुमार शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राम मिलन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—4 वित्तीय वर्ष 2011—12 एवं वर्ष 2012—13 में विकास खण्ड कार्यालय से राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं आवासीय भवन होते हुए पंचायत कार्यालय तक इण्टरलाकिंग एवं नाली मरम्मत हेतु मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय धनराशि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित है—

(क) सामग्री पर व्यय का विवरण—:

दिनांक	चेक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
23.03.2012	106048	स्वास्तिक इन्फ्राहेलाइट प्रा0लि0	460566.00
28.03.2012	106055	स्वास्तिक इन्फ्राहेलाइट प्रा0लि0	236101.00
31.03.2012	106058	स्वास्तिक इन्फ्राहेलाइट प्रा0लि0	182402.00
12.04.2012	504958	स्वास्तिक इन्फ्राहेलाइट प्रा0लि0	332444.00
		योग	1211513.00

(ख) मजदूरी पर व्यय—:

दिनांक	चेक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
23.03.2012	106049	श्री गंगा विभूति (ग्रा0वि0अ0)	47740.00
28.03.2012	106056	श्री गंगा विभूति (ग्रा0वि0अ0)	27370.00
31.03.2012	504953	श्री गंगा विभूति (ग्रा0वि0अ0)	19820.00
12.04.2012	504960	श्री गंगा विभूति (ग्रा0वि0अ0)	46580.00
		योग	141510.00

उपरोक्त कुल व्यय धनराशि रु. 1353023.00 सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राम मिलन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या — 05 वित्तीय वर्ष 2012—13 में व्यायामशाला एवं एस0आई0 कार्यालय के सामने इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय धनराशि ग्रांट रजिस्टर II के अनुसार भुगतान निम्नप्रकार है—

दिनांक	चेक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
05.07.2012	504975	स्वास्तिक इन्फ्राहेलाइट प्रा0लि0	48302.00
26.11.2012	504982	शिव कांस्ट्रक्शन	149296.00
05.07.2012	504978	श्री गंगा विभूति (ग्रा0वि0अ0)	62685.00
22.11.2012	504984	श्री गंगा विभूति (ग्रा0वि0अ0)	18685.00
		योग	222558.00

उपरोक्त सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय धनराशि रु. 222558.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी

व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री बृजभान सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राम मिलन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 मनरेगा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु रु. 1946461.00 व्यय किया गया है। उक्त कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री बृजभान सिंह खण्ड विकास अधिकारी, श्री राम मिलन लेखाकार तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07 वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर-II के अनुसार रु. 907016.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री बृजभान सिंह खण्ड विकास अधिकारी, श्री राम मिलन लेखाकार तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आलोच्य वर्षों में कराये निर्माणों कार्यों का व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	कार्य का नाम	वर्ष	धनराशि
1	पक्की सड़क से चन्द्रपाल के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	2012-13	227179.00
2	कैथन के पुरवा में रोड से ओम प्रकाश श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2013-14	365034.00
3	पी0डब्लू0डी0 रोड से महादेव के घर व पंचायत घर होते हुए तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य	2013-14	61125.00
4	इन्हौना महाराजगंज रोड से श्रीचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	2013-14	903934.00
		योग	1557272.00

उपरोक्त कुल व्यय धनराशि रु. 1557272.00 निर्माण कार्य पर व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री बृजभान सिंह खण्ड विकास अधिकारी, श्री राम मिलन लेखाकार तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 आलोच्य वर्ष 2013-14 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर II के अनुसार रु. 1352795.00 व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या/तिथि	धनराशि
1	इन्हौना में लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग से अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	जय दुर्गा एसोसिएट जामों	02/81 दिनांक 13.12. 2013	452797.00
2	प्रधान शामीम के दरवाजे से मस्जिद होते हुए नियामत के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	जय दुर्गा एसोसिएट जामों	02/84 दिनांक 13.12. 2013	443957.00
			योग	896754.00
3	प्रधान शामीम के दरवाजे से मस्जिद होते हुए नियामत के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	जय दुर्गा एसोसिएट जामों	01/39 दिनांक 14.12. 2013	456041.00
			कुल योग	1352795.00

उपरोक्त कुल व्यय धनराशि रु. 1352795.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री बृजभान सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम— सिंहपुर जनपद—अमेठी वर्ष 2015—16 से 2018—19

प्रस्तर संख्या — 10 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष 2015—16 में कराये गये निर्माण कार्यों का व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे निर्माण पर व्यय धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—:

क्र.	कार्य का नाम	धनराशि
1	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	122766.00
2	सरदारगंज में रामसेवक के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	5995.00
3	खखेरूआ में कारेदेव बाबा से दीपू सिंह के दरवाजे होकर गाजीपुरवा तक	414362.00
4	पूरे उसर में रोड से राम केवल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	197543.00
5	चिलौली में श्याम त्रिवेदी के घर से बुद्धराज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	4792.00
6	डिहिया में इण्टरलाकिंग से जगदम्बा मौर्य के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	234653.00
7	जेहठा में ऊसरहा में पुत्तन दर्जी के घर से छोटई के घर तक इ0ला0कार्य	1078.00
8	पन्हौना रोड से शैलेन्द्र मिश्र के दरवाजे तक इ0ला0कार्य	177445.00
9	मंदिर से तिराहा तक इ0ला0कार्य	680021.00
10	अँगुरी में साहब लाल के दरवाजे से भीखू के दरवाजे तक इ0ला0 कार्य	5998.00
11	संस्कृत विद्यालय से देवीदयाल बाजपेयी के दरवाजे तक इ0ला0 कार्य	356601.00
	योग	2201254.00

उपरोक्त कुल व्यय धनराशि रु. 2201254.00 निर्माण कार्य पर व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उक्त निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि रु. 2201254.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न कराये जाने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि का अपहरण माना जायेगा। इस धनराशि में से श्री हरिशंकर गुप्ता ख.वि.अ. से रु. 6,12,725.00 एवं श्री लाल बहादुर सिंह ख.वि.अ. से रु. 4,87,902.00 तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से रु. 11,00,627.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—11 लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अर्न्तगत ग्रांट रजिस्टर—III के अनुसार रु. 2201454.00 व्यय किया गया दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उक्त व्यय धनराशि 2201454.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न कराये जाने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण है। इस धनराशि में से श्री हरिशंकर गुप्ता ख.वि.अ. से रु. 4,17,700.50 एवं श्री लाल बहादुर सिंह ख.वि.अ. से रु. 6,83,026.50 तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से रु. 11,00,727.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—12 वृत्तीय वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत कराये गये निर्माण कार्यों पर रु. 1648922.00 ग्रांट रजिस्टर—III व्यय दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त व्यय धनराशि रु. 1648922.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि में से श्री शरद कुमार सिंह ख.वि.अ. से रु. 8,24,461.00 एवं श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से रु. 40,812.50 तथा श्री अजय कुमार लेखाकार से रु. 7,83,648.50 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—13 आलोच्य वर्ष 2016—17 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराया गया कार्य चिल्हौना मेन खड़न्जा से छविनाथ के घर तक खड़न्जा निर्माण पर रु. 1176538.00 व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके

कारण उक्त व्यय धनराशि रु. 1176538.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, इस धनराशि में से श्री एन.एन. राय ख.वि.अ. से रु. 4,26,884.00 एवं श्री शरद कुमार सिंह ख.वि.अ. से रु. 1,61,385.00 तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से रु.5,88,269.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत ग्रांट रजिस्टर-III में रु.2892782.00 व्यय किया गया दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उक्त व्यय धनराशि रु. 2892782.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि में से श्री लाल बहादुर सिंह ख.वि.अ. से रु. 14,46,391.00 तथा श्री अवधेश कुमार शर्मा लेखाकार से रु. 14,46,391.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 वर्ष 2017-18 व 2018-19 में म0गां0 नरेगा (कार्यक्रम अधिकारी) क्रमशः रु. 33.29 लाख व रु. 22.94 लाख व्यय किया गया है, जबकि आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक मनरेगा/पत्रांक सं 281/615/2018-19 दिनांक 15 मार्च, 2019 के अनुसार वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत में कुल एफ.टी.ओ क्रमशः 301.66/दर 1प्रतिशत व 64.75 का 2.5 प्रतिशत यानी कुल रु. 3.02 व 1.62 योग 4.62 लाख तथा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के कुल एफ.टी.ओ. क्रमशः 430.41/दर 1प्रतिशत तथा 54.44/दर 3.5प्रतिशत यानी कुल रु. 4.3 + 1.91 = 6.21 लाख व्यय होना चाहिए था। इस प्रकार वर्षवार अधिक व्यय रु. 33.29 - 4.62 = 28.67 तथा रु. 22.94 - 6.21 = 16.73 कुल अधिक व्यय धनराशि रु. 28.67 लाख + रु. 16.73 लाख = 45.40 लाख होती है। उक्त रु. 45.40 लाख में से श्री शरद कुमार सिंह ख.वि.अ. से रु.14.35 लाख एवं श्रीमती सरला देवी ख.वि.अ. से रु. 8.38 लाख तथा श्री अजय कुमार लेखाकार से रु.22.67 लाख की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- भादर

जनपद-अमेठी वर्ष 2011-12 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-16 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त में विभिन्न खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बैंक खातों से धन का आहरण करके व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित किसी भी व्यय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही, विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यकाल	धनराशि
2011-12	1. श्री जगत नारायण पाण्डेय ख0वि0अ0	01.04.2011 से 30.06.2011	443678.50
	2. श्री राकेश कुमार शुक्ला ख0वि0अ0	01.07.2011 से 24.06.2012	1331035.50
	1. श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहा0लेखाकार	01.04.2011 से 24.06.2012	1774714.00
	योग		3549428.00

वर्ष	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यकाल	धनराशि
2012-13	1. श्री राकेश कुमार शुक्ला ख0वि0अ0	01.07.2011 से 24.06.2012	465431.25
	2. श्रीमती कुसुम सिंह ख0वि0अ0	25.06.2012 से 18.02.2013	1241150.00
	3. राम आशीष ख0वि0अ0	18.02.2013 से 12.08.2013	155143.75
	1. श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहा0लेखाकार	01.04.2011 से 12.08.2013	1861725.00
	योग		3723450.00

वर्ष	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यकाल	धनराशि
2013-14	1. श्री राम आशीष ख0वि0अ0	18.02.2013 से 12.08.2013	3373714.80
	2. श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ख0वि0अ0	12.08.2013 से 04.10.2013	1349285.90
	3. श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख0वि0अ0	04.10.2013 से 18.06.2014	3372714.80
	1. श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहा0लेखाकार	18.02.2013 से 18.06.2014	8095715.50
	योग		16191431.00

वर्ष	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यकाल	धनराशि

2014-15	1. श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख0वि0अ0	04.10.2013 से 18.06.2014	266769.31
	2. श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ख0वि0अ0	18.06.2014 से 24.08.2014	88923.11
	1. श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहा0लेखाकार	04.10.2013 से 24.08.2014	355692.41
	योग		711384.83

(कुल योग – 24175693.83)

उपरोक्त कुल धनराशि रु. 24175693.83 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही। अतः उक्त धनराशि के सम्मुख व्यक्तियों से वसूल कर अद्यावधि ब्याज सहित संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 अनुदान पंजी –III को लेखा परीक्षा में देखने से यह संज्ञान में आया कि 31.03.2016 से 31.03.2019 तक बैंक खातों से मिलान करते हुए समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार 31.03.2019 को निम्न प्रकार अन्तर पाया गया है—

क्र0	मद	अनुदान पंजी III (31.03.2019)	आडिट के अनुसार	अन्तर कम	अधिक
1	ग्रांट III (रा0वि0)	1551034	1561034	10000	
2	मनरेगा (प्रशा0मद)	54575	54615	40	
3	मु0म0 सामूहिक विवाह	1480905	1535850	54945	
4	इ0आवास प्रशा0मद	अपुष्ट	55976	55976	
	कुल योग	3086514	3207475	120961	

उपरोक्ता विवरणानुसार स्पष्ट है कि 31.03.2019 को लेखा परीक्षा के अनुसार रु. 120961.00 ग्रांट रजिस्टर III में कम दर्शाकर श्री राम कृष्ण पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी रु. 60480.50 एवं श्री अशोक सिंह सहायक लेखाकार 64480.50 द्वारा संयुक्त रूप से धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त राशि श्री पाण्डेय एवं श्री सिंह से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 लेखा परीक्षा में क्षेत्र निधि मनरेगा से सम्बन्धित अनुदान पंजी II व III वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक प्रस्तुत न होने के कारण उक्त मद में व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा सम्भव न हो सकी। ग्रांट रजिस्टर I में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक उक्त मद में दर्शित धनराशि जो व्यय की गयी थी का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—:

क्र.	वर्ष	प्रमाणक क्रमांक/दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	2011-12	729 / 18 / 07 / 2011	1500000.00	श्री राकेश कुमार शुक्ला ख0वि0अ0
			1500000.00	नरसिंह बहादुर सिंह सहा0लेखाकार
2	2013-14	-----	500000.00	श्री राम आशीष ख0वि0अ0
			250000.00	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ख0वि0अ0
			750000.00	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख0वि0अ0
			1500000.00	श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहा0लेखाकार
		योग	6000000.00	

उपरोक्तानुसार रु. 6000000.00 का व्यय लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि के सम्मुख उद्घृत व्यक्तियों से ब्याज के साथ वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 विद्युत प्रकाश व्यवस्था में अधोलिखित विवरणानुसार संस्था द्वारा राज्य वित्त मद से सोलर लाइट हेतु व्यय दर्शाया गया है—

क्र	वर्ष	दिनांक/चेक संख्या	धनराशि	सोलर लाइट/सोडियम लाइट	आपूर्ति कर्ता संस्था का नाम	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	2014-15	18.10.2014 / 216434	164353.13	सोलर लाइट	वीवान कांन्सट्रक्शन	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख0वि0अ0

			109568.75	सोलर लाइट		श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ख0वि0अ0
			383490.62	सोलर लाइट		श्री प्रणय कृष्ण ख0वि0अ0
			164353.13	सोलर लाइट		श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहायक लेखाकार
			493059.37	सोलर लाइट		श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार
		योग	1314825.00			

क्र	वर्ष	दिनांक/चेक संख्या	धनराशि	सोलर लाइट/सोडियम लाइट	आपूर्ति कर्ता संस्था का नाम	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	2015—16	-----	43102.95	सोडियम लाइट	राज कांन्सट्रक्शन	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ख0वि0अ0
			474132.55	सोडियम लाइट		श्री त्रिभुवन सिंह ख0वि0अ0
			517235.50	सोडियम लाइट		श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहायक लेखाकार
		योग	1034471.00			

उक्त के सम्बन्ध में निम्न प्रकार गम्भीर आपत्तियां लेखा परीक्षा में पायी गयी—

1. बिना कार्य योजना एवं अनुमोदन के राज्य वित्त/क्षेत्र विकास निधि की धनराशि सोलर लाइट/सोडियम लाइट हेतु व्यय दर्शाया गया है।
2. उक्त के क्रय के सन्दर्भ में टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
3. स्थल चयन, लाइट अवस्थापना/स्टाफ आमद/उपभोग की किसी प्रकार से पुष्टि नहीं होती है। स्टॉक रजिस्टर इसका नहीं रहा।
4. बिल/बाउचर/प्रमाणक के सम्बन्ध में नियोजन समिति/सेक्टर प्रभारियों की कोई संस्तुति नहीं रही है।
5. नेडा से स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय न करके मनमाने ढंग से प्रकाश व्यवस्था पर 2349296.00 धनराशि को व्यय कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।
6. लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि के सम्मुख उद्घृत व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –20 विधायक निधि से सम्बन्धित खाता संख्या 255901 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। किन्तु ग्रांट रजिस्टर I के अनुसार वर्ष 2013–14 में संस्था को उक्त मद में रु. 3996800.00 की धनराशि प्राप्त हुयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र	वर्ष	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	2013–14	666133.00	श्री राम आशीष ख0वि0अ0
		333066.67	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ख0वि0अ0
		999200.00	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख0वि0अ0
		1998400.00	श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहायक लेखाकार
	योग	3996800.00	

उपरोक्त विवरणानुसार रु0 3996800.00 विधायक निधि में संस्था को वर्ष 2013–14 में प्राप्त हुये थे जिसे व्यय भी कर दिया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः उक्त धनराशि के सम्मुख उद्घृत व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–21 दिनांक 23.05.2018 को चेक संख्या 979491 से रुपये 50000.00 एक मुश्त पारिश्रामिक भुगतान प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्रशासनिक मद से श्री महेश कुमार का0स0 को किया है श्री महेश कुमार नियमित विकास खण्ड के कर्मचारी है अतः पारिश्रामिक के नाम पर फर्जी आधारहीन भुगतान करके अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी श्री महेश कुमार (कनि0सहा0) से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही साथ श्री महेश कुमार से वसूली न होने की दशा में श्री महेश प्रसाद लाल श्रीवास्तव

खण्ड विकास अधिकारी से रुपये 25000.00 एवं श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार से रुपये 25000.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित संस्था कोष में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 दिनांक 19.12.2014 को मे0 चौधरी फिलिंग स्टेशन दुर्गापुर को चेक संख्या 569174 से दिनांक 10.12.2014 एवं 11.12.2014 का जीप पी0ओ0एल0 व्यय रुपये 35998.00 भुगतान दर्शाया गया है। मे0 चौधरी फिलिंग स्टेशन के बिना व्यय प्रमाणक के आधारहीन फर्जी भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में जीप की लाग बुक भी प्रस्तुत नहीं रही जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो पायी। अतः श्री प्रणव कृष्ण खण्ड विकास अधिकारी से रु. 17999.00 एवं श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार रु. 17999.00 से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 दिनांक 24.06.2015 को चेक संख्या 5718241 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार द्वारा रु. 7000.00 का बाबत जीप सर्विसिंग हेतु मनरेगा प्रशासनिक व्यय से आहरित किया गया है जबकि दिनांक 30.07.2015 को चेक संख्या 571825 द्वारा 10750.00 युसुफ खान आटो गैरेज सुलतानपुर को जीप मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है जिस प्रति निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में पायी गयी—

1. जब दिनांक 24.06.2015 को जीप की सर्विसिंग करायी गयी तब पुनः 03.07.2015 को किस प्रकार से मरम्मत हेतु 10750.00 रु व्यय किया गया स्पष्ट नहीं होता। सर्विसिंग के एक सप्ताह बाद ही मरम्मत पर व्यय कराया जाना प्राकृतिक न्याय के विपरीत है।
2. मरम्मत के पश्चात पुराना सामान क्षेत्र पंचायत में जमा नहीं किया गया।
3. संस्था में गाड़ी की लाग बुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं हो पाती है।
4. उक्त दोनों व्ययों के व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

अतः उपरोक्त के आलोक में रु. 7000.00 व रु. 10750.00 का व्यय निराधार व फर्जी है। अतः रु. 17750.00 श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 दिनांक 12.01.2016 को कार्यालय व्यय हेतु रु. 5000.00 श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार द्वारा अकारण मनरेगा प्रशासनिक मद से आहरित किया गया है। व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः रु. 5000.00 श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार द्वारा किया गया है अतः रु. 5000.00 श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 दिनांक 22.08.2014 को चेक संख्या 216429 द्वारा क्षेत्र निधि मद से मे0 सतीश कुमार जयसवाल सुलतानपुर को वास्ते खण्ड विकास अधिकारी आवास एवं कार्यालय में इनवर्टर लगाये जाने हेतु व्यय राशि रु. 53400.00 दर्शित है जिस प्रति क्षेत्र पंचायत को अनुमोदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार से इस धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः उक्त धनराशि श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 दिनांक 08.09.2014 को चेक संख्या 216431 द्वारा क्षेत्र निधि मद से श्री राजनाथ सिंह (बोरिंग टेक्नीशियन) के रु. 47290.00 बाबत विकास खण्ड परिसर में हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है जिस प्रति निम्न आपत्तियां हैं—:

1. क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड परिसर में लगे हैण्ड पम्पों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका की क्षे.पं. की परिसर में कुल कितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।
2. हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु क्षेत्र पंचायत स्वीकृति लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी है।
3. हैण्ड पम्प मरम्मत के उपरान्त पुराना सामान लेखा परीक्षा में जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा।
4. संस्था में हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री का प्रमाणक व मजदूरी पर व्यय धनराशि का मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. चेक की सम्पूर्ण धनराशि श्री राम नाथ सिंह बोरिंग टेक्नीशियन को दी गयी है जबकि इसमें मजदूरी का काम मजदूरों के खातों में दिया जाना चाहिए था।

उपरोक्त आलोक में रु. 47290.00 का व्यय निराधार व फर्जी है। अतः रु. 47290.00 श्री राम नाथ सिंह बोरिंग टेक्नीशियन से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाय। श्री राम नाथ सिंह से वसूली न होने की

दशा में श्री प्रणय कृष्ण खण्ड विकास अधिकारी रु 23645.00 व श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार से रु. 23645.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 संस्था की लेखा परीक्षा में मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार वर्षवार विवरण उनके सापेक्ष आयकर व वैट निम्नानुसार कम काटा गया है—

क्र	वर्ष	निर्माण कार्य पर व्यय		कटौती की गयी		कम कटौती की गयी	
		पक्का कार्य	मिट्टी व अन्य कार्य	आयकर	वैट	आयकर	वैट
1.	2014-15	269700.00	523772.00	-----	-----	6122.00	107888.00
2.	2015-16	458778.00	488074.00	3956.00	-----	6458.00	18351.00
	कुल योग	728478.00	1011846.00	3956.00	-----	12580.00	29139.00
						कुल योग 41719.00	

उपरोक्त आयकर/वैट की कम कटौती हेतु निम्न विवरणानुसार कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी है—

क्र	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पदनाम	कम काटा गया आयकर	कम काटा गया वैट	योग
1	श्री प्रणय कृष्ण	ख0वि0अ0	262.08	606.85	868.93
2	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह	ख0वि0अ0	262.08	606.85	868.93
3	श्री त्रिभुवन सिंह	ख0वि0अ0	5765.84	13355.80	19121.64
4	श्री सुरेन्द्र कुमार यादव	सहा0लेखा0	6290.00	14569.50	20859.50
		योग	12580.00	29139.00	41719.00

उक्त तालिका में उल्लिखित अधिकारियों कर्मचारियों से उनके सम्मुख अंकित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 28 वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में मनरेगा मद में जो कार्य कराये गये हैं उससे मजदूरी से सम्बन्धित व्यय को श्रमिकों के खाते में न करके सीधे कार्य प्रभारियों को चेक काटा गया है जो मनरेगा के सिद्धान्तों के विपरीत है।

कार्य प्रभारी को मजदूरी हेतु कुल भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र	वर्ष	धनराशि	नाम कार्य प्रभारी
1	2014-15	248356.00	श्री शोभनाथ सिंह ग्रा0प0अ0
2	2014-15	115440.00	श्री राम मनोहर सिंह (बोरिंग टेक्नीशियन)
3	2014-15	34944.00	श्री राज राज ग्रा0प0अ0
4	2014-15	38376.00	श्री लाल कुंवर प्रताप सिंह ग्रा0प0अ0
5	2014-15	57720.00	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी ग्रा0वि0अ0
6	2014-15	78936.00	श्री लाल त्रिभुवन सिंह बोरिंग टेक्नीशियन
7	2015-16	312984.00	श्री लाल त्रिभुवन सिंह बोरिंग टेक्नीशियन
8	2015-16	35420.00	श्री मोइज्जा उल्ला खान (सा0वि0अ0सह0)
9	2015-16	34776.00	श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह (अवर अभियन्ता लघु सिंचाई)
10	2015-16	69230.00	श्री राजनाथ सिंह बोरिंग टेक्नीशियन
11	2015-16	35664.00	श्री राम मनोहर सिंह बोरिंग टेक्नीशियन
12	2016-17	91872.00	श्री लाल त्रिभुवन सिंह बोरिंग टेक्नीशियन
13	2016-17	158564.00	श्री मोइज्जा उल्ला खान (सा0वि0अ0सह0)
	योग	1312282.00	

उपरोक्ता विवरणानुसार स्पष्ट है कि रु. 1312282.00 का क्षेत्र पंचायत द्वारा अनियमित भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिस प्रति धनराशि के सम्मुख व्यक्ति उत्तरदायी है। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 वर्ष 2014-15 से 2018-19 में राज्य वित्त चतुर्थ/तेरहवां वित्त/विधायक निधि से विभिन्न योजनाओं पर व्यय धनराशि में निम्न विवरणानुसार आयकर व वैट कम या अधिक काटी गयी है—

क्र0	वित्तीय वर्ष	कुल परि-योजनाएं	सामग्री मूल्य	ले0प0 के अनुसार क्या चाहिए	संस्था में काटा गया	कम काटा गया	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

				आयकर 2.7%	वैट 4%	आयकर	वैट	आयकर	वैट	
1	2014-15	20	9431708	214100	377268	176962	-----	37138	377268	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख०वि०अ० श्री सुरेश बहादुर सिंह ख०वि०अ० श्री प्रणय कृष्ण ख०वि०अ० श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहायक लेखाकार
2	2015-16	03	1390274	31559	55611	31461	----- —	98	55611	श्री प्रणय कृष्ण ख०वि०अ० श्री सुरेश बहादुर सिंह ख०वि०अ० श्री त्रिभुवन सिंहख०वि० अ० श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार
	2017-18	33	3985420	90469	159417	87092	154673	3377	4744	श्री शरद कुमार सिंह ख०वि०अ० श्री विजय कुमार द्विवेदी ख०वि०अ० श्री महेश प्रसाद लाल श्रीवास्तव ख०वि०अ० श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार
4	2018-19 1. विधायक निधि	05	3447209	78252	137888	-----	27240	78252	110648	श्री महेश प्रसाद लाल श्रीवास्तव ख०वि०अ० श्री राम कृष्ण पाण्डेय
	2. चतुर्थ राज्य वित्त	08	2466533	55990	98661	-----	-----	55990	98661	ख०वि०अ० श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार श्री महेश प्रसाद लाल श्रीवास्तव ख०वि०अ०

										श्री राम कृष्ण पाण्डेय ख०वि०अ० श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार
	योग		20721144	470370	828845	295515	181913	174855	646932	

उपरोक्त तालिका में आयकर व वैट कम काटने हेतु धनराशिवा उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र	उत्तरदायी व्यक्ति	आयकर	वैट	योग
1	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख०वि०अ०	4642	47158	51800
2	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ख०वि०अ०	3095	31439	34534
3	श्री प्रणय कृष्ण ख०वि०अ०	10832	110037	120869
4	श्री त्रिभुवन सिंह ख०वि०अ०	49	27806	27855
5	श्री शरद कुमार सिंह ख०वि०अ०	422	593	1015
6	श्री विजय कुमार द्विवेदी ख०वि०अ०	985	1383	2368
7	श्री महेश प्रसाद लाल श्रीवास्तव ख०वि०अ०	39436	61445	100881
8	श्री राम कृष्ण पाण्डेय ख०वि०अ०	27967	43606	71573
9	श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहायक लेखाकार	4642	47158.50	51800.50
10	श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार	15664	171652.50	187316.50
11	श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार	67121	104654	171775
	योग	174855	646932	821727

उक्त विवरणानुसार कुल रु. 821727.00 आयकर व वैट कम काटा गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के सम्मुख दर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 लेखा परीक्षा में जिन कार्य पत्रावलियों में दुरभिसंधि करते हुए धन व्यय कर धन का अपहरण किया गया है, उन पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय धनराशि	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1	अमेठी दुर्गापुर रोड पर सिटकहा बाबा के स्थान से अद्या प्रसाद के घर तक खड्गजा मरम्मत	2014-15	319460.00	498386.80	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह ख०वि०अ०
2	देवी यादव के घर से होलई चौराहा तक इण्टरलाकिंग कार्य	2014-15	1554721.00	332257.67	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ख०वि०अ०
3	होलई चौराहा से छोटी नहर तक इण्टरलाकिंग कार्य का शेष भाग	2014-15	437335.00	1162901.83	श्री प्रणय कृष्ण ख०वि०अ०
4	विकास खण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी आफिस मरम्मत/समर सेबल मरम्मत आदि कार्य	2014-15	329526.00	498386.50	श्री नरसिंह बहादुर सिंह सहायक लेखाकार
5	लाल मणि के घर के पीछे से आर०सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	2014-15	357662.00	1495159.50	श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार
6	पांचू मौर्य के घर के बगल तक इण्टर लाकिंग कार्य	2014-15	344195.00		
7	अन्तू भादर रोड से गया प्रसाद कनौजिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2014-15	231854.00	3987092.00	
8	लम्भुआ रोड से भागीरथी के घर तक	2014-15	412339.00		

	इण्टरलाकिंग कार्य	योग	3987092.00		
9	रंजीत गोसाई के घर से शिवदर्शन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2017-18	123161.00	32385.00 75565.00	श्री शरद कुमार सिंह ख0वि0अ0
10	सोनाई सम्पर्क मार्ग से शिवकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2017-18	135919.00	21590.00 118745.00 10795.00	श्री विजय कुमार द्विवेदी ख0वि0अ0 श्री महेश प्र0 लाल श्रीवास्त0 ख0वि0अ0 श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहा0लेखा0 श्री अशोक कुमार सिंह सहा0लेखा0
		योग	259080.00	259080.00	
11	डी0पी0एस0 के गेट के कार्यालय तक इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	588657.00		
12	सोनिया गांधी इण्टर कालेज में इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	137001.00	557082.46	श्रीमहेशप्र0लाल श्रीवास्त0 ख0वि0अ0
13	आई0टी0आई0 बिल्डिंग से गेट तक इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	595311.00	397916.04	श्री राम कृष्ण पाण्डेय ख0वि0अ0
14	जंग बहादुर सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	242940.00	954998.50	
15	मकखन जयसवाल के घर से उदयराज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2018-19	346088.00		श्री अशोक कुमार सिंह सहा0लेखा0
		योग	1909997.00	1909997.00	
		कुल योग	6156169.00	6156169.00	

उक्त कार्यों पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

1. कार्य का प्रस्ताव, स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा।
2. टेण्डर/कोटेशन पर मूल्य व रसीद क्रमांक अंकित नहीं था एवं ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं थे।
3. कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा।
4. कार्य संख्या 11, 12, 13, 14 निजी विद्यालय/संस्थाओं के अन्दर कराये गये हैं जो निजी हित के हैं। राजकीय धन को निजी हित में प्रयुक्त कराकर राज्य वित्त की राशि को क्षति पहुंचाना उचित नहीं है। नियमों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के प्रति विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।
5. बिल जिनका भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है उन बिलों पर किसी भी दुकानदार के हस्ताक्षर नहीं हैं और तिथि भी अंकित नहीं है। जिसमें बिल की सत्यता संदिग्ध है।
6. ईट भट्टे से मोरंग एवं सीमेन्ट का बिल प्राप्त कर ईट भट्टे को भुगतान किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दुरभिसंधि कर धन की क्षति का प्रकरण है।

अतः उपरोक्त स्थिति में किया गया सम्पूर्ण व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला परिषद बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली के नियम संख्या 179 के अनुसार अधिभार योग्य है। जिस कारण उपरोक्त वर्षों की व्यय धनराशि के लिये उत्तरदायी रहे। खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार से रु. 498386.00, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह से रु. 332257.00, श्री प्रणय कृष्ण से रु. 1162901.83, श्री शरद कुमार से रु. 32385.00, श्री विजय कुमार द्विवेदी से रु. 75565.00, श्री महेश प्रसाद लाल श्रीवास्तव से रु. 578672.46, श्री राम कृष्ण पाण्डेय से रु. 397916.04 एवं सहायक लेखाकार श्री नरसिंह बहादुर सिंह से रु. 498386.50, श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से रु. 1613904.50, श्री अशोक कुमार से रु. 965793.50 की अद्यावधि ब्याज सहित वसूली कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या — 31 वर्ष 2015-16 में अनाहरित चेक की धनराशि रु. 14659.00 थी जबकि बैंक खाता व ग्रांट रजिस्टर तृतीय में अन्तर 22080.00 रहा। इस प्रकार से रु. 22080.00 — 14659.00 = रु. 7421.00 का अन्तर रहा। जिस प्रति श्री त्रिभुवन सिंह खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः रु. 7421.00 का आधा रु. 3710.50 श्री त्रिभुवन सिंह खण्ड विकास अधिकारी से तथा रु. 3710.50 श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सहायक लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र निधि कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम— बहादुरपुरजनपद—अमेठी वर्ष 2011—12 से 2014—15

प्रस्तर संख्या — 32 खण्ड विकास अधिकारी मधु बाजपेयी एवं लेखाकार श्री देवीशंकर दुबे के कार्यकाल में रु. 2357146.00 व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—33 खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरला देवी एवं लेखाकार श्री देवी शंकर दुबे के कार्यकाल में रु. 695411.00 व्यय की धनराशि की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख और प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—34 खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना कुमारी एवं लेखाकार श्री देवी शंकर दुबे के कार्यकाल में रु. 10270153.00 व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः इस सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—35 खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय एवं लेखाकार श्री देवीशंकर दुबे के कार्यकाल में रु. 4037805.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—36 खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती कुसुम सिंह एवं लेखाकार श्री देवी शंकर दुबे के कार्यकाल में रु. 1349274.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—37 खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द्र एवं लेखाकार श्री एन.बी. सिंह के कार्यकाल में रु. 1349274.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—38 खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरला देवी एवं लेखाकार श्री एन.बी. सिंह के कार्यकाल में रु. 3542760.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—39 खण्ड विकास अधिकारी श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री एन.बी. सिंह के कार्यकाल में रु. 9281470.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—40 दिनांक 31-03-2014 को अन्तिम अवशेष का योग रु. 7737815.00 था किन्तु 01-04-2014 को प्रारम्भिक अवशेष का योग 7413617.00 कर दिया गया जिसमें रु. 324198.00 ब्याजमद, जो वर्ष 2013-14 में था, को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार से रु. 324198.00 से वर्ष 2014-15 का प्रारम्भिक अवशेष कम करके धन का अपहरण किया गया है। अतः रु. 324198.00 में रु. 162099.00 श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी एवं रु. 162099.00 श्री एन.बी. सिंह लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम— बहादुरपुरजनपद—अमेठी वर्ष 2015—16 से 2017—18

प्रस्तर संख्या—41 खण्ड विकास अधिकारी श्री वृजभान सिंह एवं लेखाकार श्री एन. बी. सिंह के कार्यकाल में रु. 7306667.00 व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा दल को नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42 खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मिश्रा एवं लेखाकार श्री एन. बी. सिंह के कार्यकाल में रु. 5109366.00 व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43 खण्ड विकास अधिकारी सुश्री श्वेता वर्मा एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार यादव के कार्यकाल में रु. 23815375.00 व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः इस सम्पूर्ण धनराशि को अद्यावधि ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिकों से वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44 फुरसतगंज बाजार में रामकुमार के घर से राम गोपाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर व्यय रु. 956699.00 के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। अतः उक्त धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरला देवी एवं लेखाकार श्री किशन लाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45 जायस-जगदीशपुर रोड से इम्तियाज के घर तक वर्ष 2017-18 में इन्टरलाकिंग कार्य पर व्यय हुए रु. 359282.00 की धनराशि का कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ। अतः इस धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरला देवी एवं लेखाकार श्री किशन लाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 46 ब्रम्हनी में पीढ़ी रोड से रामविलास के घर तक वर्ष 2017-18 में इन्टरलाकिंग निर्माण पर व्यय हुए रु. 307206.00 की धनराशि का कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ। अतः इस धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरला देवी एवं लेखाकार किशन लाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 मवाई आलमपुर में राजवाड़ी प्रसाद के ट्यूबेल से दल बहादुर के खेत तक वर्ष 2017-18 में नाली मरम्मत के कार्य पर व्यय हुए रु. 911615.00 का कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ। अतः इस धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरला देवी एवं लेखाकार श्री किशन लाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि एक ही क्रम संख्या के (01) व्यय प्रमाणक पर जय दुर्गा ई. ला. को दो बार भुगतान किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि या तो दोनों अथवा इनमें से एक भुगतान फर्जी तरीके से किया गया है। यह भुगतान रु. 238408.00 का है। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरला देवी एवं लेखाकार श्री किशन लाल से उक्त धनराशि अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 वर्ष 2017-18 में रु. 186851.00 विभिन्न संस्थाओं से टी.डी.एस. काटा गया है। यह धनराशि सम्बन्धित विभाग को जमा करने का कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि श्रीमती सरला देवी खण्ड विकास अधिकारी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर संस्था कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2017-18 में 298.29 लाख ग्राम पंचायत का तथा रु. 48.6 लाख क्षेत्र पंचायत का यफ.टी.ओ. किया गया है। इस प्रकार से आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक मनरेगा/पत्रांक संख्या 281/613/2018-19 दिनांक 15 मार्च, 2019 के क्रम में ग्राम पंचायत की धनराशि पर 1: की दर से रु. 2.98 लाख तथा क्षेत्र पंचायत की धनराशि पर 2.5: की दर से रु. 1.22 लाख यानी कुल रु. 4.20 लाख मनरेगा प्रासंगिक व्यय किया जाना चाहिए जबकि वर्ष 2017-18 के नक्शा आय-व्यय में 17.96 लाख व्यय किया गया है। इस प्रकार से रु. 17.96 - 4.20 = 13.76 लाख उक्त परिपत्र के आलोक में अधिक व्यय किया गया है। अतः रु. 13.76 लाख का आधा रु. 6.88 लाख श्रीमती सरला देवी खण्ड विकास अधिकारी और रु. 6.88 लाख श्री किशन लाल लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- अमेठी जनपद-अमेठी वर्ष 2015-16 से 2018-19

प्रस्तर संख्या - 51 आलोच्य वर्ष में 2015-16 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से सोलर लाइट हेतु व्यय दर्शाया गया है-

क्र.	वर्ष	धनराशि	सोलर लाइट	आपूर्ति कता/संस्था का नाम	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	2015-16	677320	---,---,---	साईनाथ ट्रेडर्स	श्री राम आशीष
		677320	---,---,---	साईनाथ ट्रेडर्स	श्री अशोक कुमार सिंह
	योग	1354640.00			

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयी।

1. बिना कार्य योजना एवं अनुमोदन के चतुर्थ राज्य वित्त/ क्षेत्र विकास निधि की धनराशि सोलर लाइट व्यय दर्शाया गया।
2. उक्त के क्रय के संदर्भ में टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
3. स्थल चयन लाइट अवस्थापना/स्टाक आमद की पुष्टि स्टोक रजिस्टर अभाव में नहीं होती है।
4. सोलर लाइट से आच्छादित व्यक्तियों से प्रमाण-पत्र लेकर नहीं रखा गया है जिससे सोलर लाइट के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है।
5. बिल वाउचर/व्यय प्रमाणक के सम्बन्ध में नियोजन समिति सेक्टर प्रभारियों की कोई संस्तुति नहीं रही है।
6. नेडा से स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय न करके मनमाने ढंग से प्रकाश व्यवस्था पर 1354640.00 धनराशि को व्यय कर संस्था को क्षति पहुँचायी गयी है।
7. लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि के सम्मुख उद्घृत व्यक्तियों से ब्याज के साथ वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-52 संविदा कार्मिकों, माननीय प्रमुख व बी.डी.सी. सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु नियमानुसार रोकड़ बही रखा जाना चाहिए, जिसमें चेक से आहरण कर प्रविष्टि करके सहायक रजिस्टर से भुगतान की प्रक्रिया कैशियर स्तर से बनायी जानी चाहिए थी परन्तु रोकड़ बही आलोच्य वर्षों (2015-16 से 2018-19 तक) की तैयार नहीं की गयी इस प्रकार मनमाने ढंग से अनियमित कार्य लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से (दुरभिसन्धि करके) धनराशि का आहरण किया गया है तथा वितरित धनराशि के लेखे/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत होने के कारण किसी भी धनराशि की पुष्टि की जा सकी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम	वर्ष	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	2015-16 से 2018-19 तक	109845.83	श्री राम आशीष (ख.वि.अ)
2	2015-16 से 2018-19 तक	3867.67	श्री मनीष कुमार मौर्य (ख.वि.अ.)
3	2015-16 से 2018-19 तक	13867.38	श्री विनय कुमार द्विवेदी (ख.वि.अ.)
4	2015-16 से 2018-19 तक	3651.62	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव(ख.वि.अ.)
5	2015-16 से 2018-19 तक	173967.50	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव(ख.वि.अ.)
6	2015-16 से 2018-19 तक	305199.00	श्री अशोक कुमार सिंह (सहा.लेखाकार)
	योग	610399.00	

उपरोक्त विवरणानुसार रु. 610399.00 लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा इस प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि के सम्मुख उद्घृत व्यक्तियों से ब्याज के साथ वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53 आलोच्य वर्ष में विभिन्न खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा धन का अपहरण करके व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित किसी भी व्यय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	वर्ष	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	कार्यकाल	धनराशि
1	2015-16 से 2018-19 तक	श्री राम आशीष (ख.वि.अ)	09.12.2012 से 14.09.2016 तक	71047.50
2	2015-16 से 2018-19 तक	श्री मनीष कुमार मौर्य (ख.वि.अ.)	15.09.2016 से 31.12.2016 तक	12500.00
3	2015-16 से 2018-19 तक	श्री विनय कुमार द्विवेदी (ख.वि.अ.)	31.12.2016 से 16.06.2017 तक	60125.25
4	2015-16 से 2018-19 तक	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव(ख.वि.अ.)	16.06.2017 से 17.07.2017 तक	16916.75

5	2015-16 से 2018-19 तक	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव(ख.वि.अ.)	17.07.2017 से 28.06.2019 तक	1020616.00
6	2015-16 से 2018-19 तक	श्री अशोक कुमार सिंह (सहा. लेखाकार)	01.04.2015 से 31.03.2019 तक	1181205.50
योग				2362411.00

उपरोक्त विवरणानुसार रु. 2362411.00 का अपहरण उपरिलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया है। अतः उपरिलिखित धनराशि सम्मुख अंकित अधिकारिया/कर्मचारियों से धनराशि की अद्यावधि ब्याज सहित वसूली कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54 आलोच्य वर्षों में 2015-16 से 2018-19 में राज्य वित्त चतुर्थ/तेरहवां वित्त/विधायक निधि से विभिन्न योजनाओं पर व्यय धनराशि में निम्न विवरणानुसार आयकर व वैट कम या अधिक काटी गयी है-

क्र	वित्तीय वर्ष	कुल परि-योजनाएं	सामग्री मूल्य	ले0प0 के अनुसार क्या चाहिए		संस्था में काटा गया		कम काटा गया		उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
				आयकर 2.7%	वैट 4%	आयकर 2.7%	वैट 4%	आयकर 2.7%	वैट 4%	
1	2015-16	4	1396342	31697	55854	18768	----	12929	55854	श्री राम आशीष ख0वि0अ0 श्री अशोक कुमार सिंह सहा0 लेखाकार
2	2016-17	3	1231205	27948	49248	27805	-----	143	49248	श्री राम आशीष ख0वि0अ0 श्री मनीष मौर्य ख0वि0अ0 श्री विनय द्विवेदी ख0वि0अ0 श्री अशोक कुमार सिंह सहा0 लेखाकार
3	2017-18	8	1463019	33211	58521	23814	----	9397	58521	श्री विनय द्विवेदी ख0वि0अ0 श्री मनोज श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री शरद श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री अशोक कुमार सिंह सहा0 लेखाकार
4	2018-19									
	1. विधायक निधि	3	1100965	24992	44039	1659	----	23333	44039	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव ख0वि0अ0

										श्री अशोक सिंह सहायक लेखाकार
	2. चतुर्थ राज्य वित्त	4	847544	12239	33902	-----	-----	19239	33902	श्री शरद श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार
		योग	6039075	137087	241564	72046	---	65041	241564	

उपरोक्त तालिका में आयकर व वैट कम काटने हेतु धनराशिवा उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र0	उत्तरदायी व्यक्ति	आयकर	वैट	योग
1	श्री राम आशीष ख0वि0अ0	6494.29	31187.00	44881.29
2	श्री मनीष कुमार मौर्य ख0वि0अ0	23.83	8208.00	8231.83
3	श्री विनय कुमार द्विवेदी ख0वि0अ0	1192.50	13471.13	14663.63
4	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ख0वि0अ0	391.54	2438.37	2829.91
5	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव ख0वि0अ0	24418.34	58477.50	82895.84
6	श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार	32520.50	120782.00	153302.50
	योग	65041.00	241564.00	306605.00

उक्त विवरणानुसार कुल रु. 306605.00 आयकर व वैट कम काटा गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के सम्मुख दर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55 आलोच्य वर्षों में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में राज्य वित्त चतुर्थ/तेरहवां वित्त/विधायक निधि से विभिन्न परियोजनाओं पर जो कार्य कराये गये हैं उसमें मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया दर्शित है। मजदूरी से सम्बन्धित व्यय को श्रमिकों के खाते में न करके सीधे कार्य प्रभारियों को चेक काटा गया है जो नियम के विपरीत है। कार्य प्रभारी को मजदूरी हेतु कुल भुगतान विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.	वर्ष	धनराशि	कार्यप्रभारी का नाम
1	2015-16	39115.00	श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार
2	2016-17	162880.00	श्री विनोद कुमार (बोरिंग टेक्नीशियन)
3	2017-18 2018-19	371285.00	श्री दिलीप कुमार (ग्रा.पं.अ.)
4	2018-19	75015.00	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ए.डी.ओ. (आई.एस.वी)
5	2018-19	37635.00	श्री विनोद कुमार सिंह (अवर अभियन्ता ग्रा.अ.)
	योग	685930.00	

उपरोक्त विवरणानुसार स्पष्ट है कि रु. 685930.00 का क्षेत्र पंचायत द्वारा अनियमित भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गयी है। जिस प्रति धनराशि के सम्मुख उद्घृत व्यक्ति उत्तरदायी है। अतः इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 आलोच्य वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक निम्न विवरणानुसार इण्टर लांकिंग कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया है—

क्र	वर्ष	विवरण	कुल व्यय धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1	2015-16	सुरेश मास्टर के घर से बिजली के खम्भे तक	210979.00	श्री राम आशीष ख0वि0अ0 श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखा0
2	2016-17	राम प्रताप यादव के घर से रामप्रीत के घर तक	464328.00	श्री मनीष कु0 मौर्य ख0वि0अ0 श्री विनोद कुमार बोरिंग टेक्नीशियन
3	2016-17	द्वारिका के घर से रामदेव के घर तक	379634.00	श्री मनीष कु0 मौर्य ख0वि0अ0 श्री विनोद कुमार बोरिंग टेक्नीशियन
4	2016-17	रामगढ़ पिच रोड रामदीन सरोज के	550123.00	श्री मनीष कु0 मौर्य ख0वि0अ0

		घर तक		श्री विनोद कुमार बोरिंग टेक्नीशियन
5	2017-18	पिच रोड से शिव मंदिर तक	236914.00	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री दिलीप कुमार ग्रा0वि0अ0
6	2017-18	हरिश्चन्द्र के घर से पिच रोड तक	235990.00	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री दिलीप कुमार ग्रा0वि0अ0
7	2017-18	अमग मिश्र के घर से खडुन्जा तक	473213.00	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री दिलीप कुमार ग्रा0वि0अ0
8	2017-18	बंटी सिंह के घर से राकेश सिंह के घर तक	150330.00	श्री मनोज कु0 श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री दिलीप कुमार ग्रा0वि0अ0
9	2018-19	मुरली के घर से राम करन के घर तक	194252.00	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री दिलीप कुमार ग्रा0वि0अ0
10	2018-19	पिच रोड से हरिश्चन्द्र के घर तक	339189.00	श्री शरद कु0 श्रीवास्तव ख0वि0अ0 श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ए0डी0ओ0
		योग	3234952.00	

उक्त कार्यों पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

1. इण्टर लांकिंग ईट की आपूर्ति अधिकांश कार्यों में ईट उद्योग द्वारा किया गया है उदाहरणार्थ— वर्ष 2015-16 में नरेश बिक्र फील्ड द्वारा इण्टर लांकिंग ईट की आपूर्ति की गयी है जबकि उक्त फर्म ईट बनाती है, इण्टर लांकिंग ईट नहीं बनाती है।
 2. क्रमांक 10 पर वर्णित कार्य को छोड़कर सभी कार्यों पर कार्य प्रभारी लेखाकार/ग्रा.वि.अ./बोरिंग टेक्नीशियन को बनाया गया है, जबकि कार्यप्रभारी किसी सहायक विकास अधिकारी को बनाया जाना चाहिए।
 3. इण्टर लांकिंग कार्य के साथ-साथ नाली का भी निर्माण कराया गया है उदाहरणार्थ क्रमांक 1 पर वर्णित। नाली निर्माण में सीमेन्ट और मोरंग का भी उपयोग होता है जबकि उक्त के क्रय का उल्लेख नहीं है।
 4. क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य दो राजस्व गावों को जोड़ने हेतु किया जाना चाहिए जबकि उक्त कार्य व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिये किया गया है।
 5. क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराया जा रहा है जबकि सम्बन्धित कार्यों के प्रति ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया है।
- उक्त आपत्तियों के क्रम में रु. 3234952.00 का व्यय निराधार व फर्जी है जिस प्रति क्रमवार धनराशि के सम्मुख अंकित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है। अतः सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से अद्यावधि ब्याज सहित धनराशि वसूलकर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसका अधिकारी/कर्मचारी वार सारांश निम्न प्रकार है—

क्रम	नाम	पदनाम	धनराशि
1	श्री राम आशीष	खण्ड विकास अधिकारी	105489.50
2	श्री मनीष कुमार मौर्य	खण्ड विकास अधिकारी	697042.50
3	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	खण्ड विकास अधिकारी	548223.50
4	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव	खण्ड विकास अधिकारी	266720.50
5	श्री अशोक कुमार सिंह	सहायक लेखाकार	105489.50
6	श्री विनोद कुमार	बोरिंग टेक्नीशियन	697042.50
7	श्री दिलीप कुमार	ग्राम विकास अधिकारी	645349.50
8	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक विकास अधिकारी (आई.एस.वी.)	169594.50

		योग	3234952.00

प्रस्तर संख्या-57 वर्ष 2018-19 में विधायक निधि से त्रिभुवन शिक्षा निकेतन प्राथमिक विद्यालय कोरारी गिरधरशाह में कक्ष निर्माण कराकर रु. 138594.40 सामग्री एवं रु. 37635.00 मजदूरी कुल रु. 176229.40 व्यय किया गया। कोरारी गिरधरशाह प्राथमिक विद्यालय एक निजी संस्था है जिस पर विधायक निधि की धनराशि व्यय किया जाना नियमों के विपरीत है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री शरद कुमार श्रीवास्तव (ख.वि.अ.) एवं श्री विनोद कुमार सिंह (अवर अभियन्ता) से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसका अधिकारी/कर्मचारीवार विवरण निम्नवत् है-

क्रम	नाम	पदनाम	धनराशि
1	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव	खण्ड विकास अधिकारी	88114.70
2	श्री विनोद कुमार सिंह	अवर अभियन्ता (ग्रा.अ.वि.)	88114.70
		योग	176229.40

प्रस्तर संख्या -58 नक्शा आय-व्यय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का देखने से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वर्षों में क्रमशः रु. 1323181.35 व 4436013.80 प्रशासनिक व्यय मनरेगा हेतु किया गया है जो आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक-मनरेगा/पत्रांक सं. 281/613/ 2018-19 दिनांक 15 मार्च, 2019 के आलोक में ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के कुल एफ.टी.ओ के आधार पर निम्न प्रकार से होना चाहिए-

क्र	वर्ष	ग्राम पंचायत			प्रशासनिक व्यय की दर	कुल व्यय क्या चाहिए	क्षेत्र पंचायत			प्रशासनिक व्यय की दर	कुल व्यय क्या चाहिए	कुल योग
		मजदूरी	सामग्री	योग			मजदूरी	सामग्री	योग			
1	2017-18	139.33	64.5	203.83	1%	2.04	15.96	48.79	64.75	2.5%	1.62	3.66
2	2018-19	246.30	87.29	333.59	1%	3.34	2.45	6.26	8.71	3.5%	0.31	3.65
											योग	7.31

उपरोक्तानुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल रु. 7.31 लाख मनरेगा प्रशासनिक मद पर व्यय की जानी चाहिए जबकि रु. 1323181.35 व 4436013.80= 5759195.15 व्यय किया गया है। इस प्रकार से रु. 5759195.15-731000= रु. 5028195.15 अधिक व्यय किया गया है जिस प्रति श्री शरद कुमार श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखाकार जिम्मेदार है। अतः रु. 5028195.15 उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में सम्मिलित जनपद अयोध्या की 03 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कल्पित भुगतान कर, प्रमाणक विहीन व्यय कर, सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत न कर एवं कोषबही में छलपूर्ण पृविष्टियां कर धन का अपहरण/अनियमितताएं की गयी हैं। विवरण प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रस्तरवार विवरण निम्नवत् है।

1-क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-01 खानपुर बरिया निसारु से बरिया निसारु गाँव तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना:-

क्रमांक	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौतिया, रायल्टी, सेस (1%), स्टैम्प ड्यूटी, आयकर (2%), वैट (4%), आदि (रुपये में)	भुगतान	चेक संख्या
1	खानपुर बरिया निसारु मार्ग से बरिया निसारु गांव	428656.00	43892.00	384762.00	29965

	तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य				

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मिल्कीपुर के पत्रांक 2801/रा.वित्त आयोग/2018-19/दिनांक 22.01.2019 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड मिल्कीपुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4)** का उल्लंघन किया गया।

(ख) सिद्धिविनायक कान्सट्रक्शन बरिया निसारु खानपुर, मिल्कीपुर द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 64** का उल्लंघन किया गया।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान (जेईआरईडी) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री तथा मोरंग, गिट्टी आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), इंटरलाकिंग ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेईआरईडी) के बिल के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड), नियम 66,81,82 एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38** के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(घ) पत्रावली अवलोकन में यह पाया गया कि (जेईआरईडी) द्वारा प्राक्लन के साथ साइट प्लान तैयार नहीं किया गया है। अतः अवर अभियंता द्वारा साइट प्लान तैयार न करके **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 06** का उल्लंघन किया है।

(ङ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, काग़्र की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(च) संबंधित कार्य पत्रावली जाँच में काग़्र से संबंधित मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवर अभियंता द्वारा निर्माण कार्यों एवं सामग्री का मापन नहीं किया गया है। अतः अवर अभियंता द्वारा **उ.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 (1), 36 (1) का उल्लंघन किया गया है।**

अतः उपरोक्त के आधार पर इंटरलाकिंग कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 384762.00 को **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है।** इसकी वसूली ब्याज सहित श्री शिवनाथ उपाध्याय जेई (आरईडी), श्री यशोवर्धन सिंह (जेईआरईडी) श्री अकील अहमद (लेखाकार), श्रीमती कविता (ब्लॉक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 ग्राम तरौली बिसाही में प्रधानमंत्री रोड से तौधिकवापुर रोड तक सोलिंग निर्माण कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना:-

क्रमांक	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौतिया, रायल्ली, सेस (1%), स्टैम्प ड्यूटी, आयकर (2%), वैट (4%), आदि (रुपये में)	भुगतान	चेक संख्या
1	ग्राम तरौली बिसाही में प्रधानमंत्री रोड से तौधिकवापुर रोड तक सोलिंग निर्माण कार्य।	173903.29 162321.30	17807.0 16622.0	156096.0 145699.0	29960 29964

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) ग्राम तरौली बिसाही में प्रधानमंत्री रोड से तौधिकवापुर रोड तक सोलिंग निर्माण कार्य हेतु प्राक्लन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 3.92 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मिल्कीपुर के पत्रांक 2801/रा.वित्त आयोग/2018-19/दिनांक 22.01.2019 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड मिल्कीपुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए **उ.प्र. पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (4) का उल्लंघन किया गया।**

(ख) अरविंद कान्सट्रक्शन शिवनाथपुर कुमारगंज द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।**

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री शिवनाथ उपाध्याय (जेईआरईडी) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामाग्री तथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू. डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेईआरईडी) के बिल के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड), नियम 66,81,82 एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।**

(घ) क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गाँव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य नहीं कराया गया है, जिसमें **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) का उल्लंघन है।**

(ङ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(च) संबंधित कार्य पत्रावली जाँच में कार्य से सम्बन्धित मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों एवं सामाग्री का मापन नहीं किया गया है। अतः अवर अभियन्ता द्वारा **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु0301795.00 का अपहरण किया गया जिसमें से रु0 156096.00 की वसूली ब्याज सहित शिवनाथ उपाध्याय जेई (आरईडी) श्री सुनील कुमार कौशल (बीडीओ), श्री अकील अहमद (लेखाकार), श्रीमती कविता यादव (ब्लाक प्रमुख) से एवं रुपया 145699.00 की वसूली ब्याज सहित श्री शिवनाथ उपाध्याय जेई (आरईडी), श्री यशोवर्धन सिंह (बीडीओ) श्री अकील अहमद (लेखाकार), श्रीमती कविता यादव (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।**

(सामान्य आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-03 मवाई कला में रामसुंदर के घर से सबीदीन के घर तक सोलिंग कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्रमांक	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौतिया, रायल्टी, सेस (1%), स्टैम्प ड्यूटी, आयकर (2%), वैट (4%) आदि (रुपये में)	भुगतान	चेक संख्या
1	मवाई कला में रामसुंदर के घर से सबीदीन के घर तक सोलिंग कार्य।	99471.00	10186.00	89285.0	29960

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) मवई कला में रामसुंदर के घर से सबीदीन के घर तक सोलिंग कार्य हेतु प्राक्लन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 1.17लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मिल्कीपुर के पत्रांक 2801/रा.वित्त आयोग/2018-19/ दिनांक 22.01.2019 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड मिल्कीपुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। धरोहर जमा की रसीद, तुलनात्मक चार्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। पत्रावली में ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) का उल्लंघन किया गया।

(ख) मेसर्स अरविंद कान्सट्रक्शन शिवनाथपुर कुमारगंज द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री शिवनाथ उपाध्याय (जेईआरईडी) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण काग्र में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामाग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेईआरईडी) के बिल के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड), नियम 66,81,82 एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गाँव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य नहीं कराया गया है, जिसमें उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) का उल्लंघन है।

(घ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, काग्र की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(च) संबंधित कार्य पत्रावली जाँच में कार्य से संबंधित मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों एवं सामाग्री का मापन नहीं किया गया है। अतः अवर अभियन्ता द्वारा उ.प्र. पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35(1), 36(1) का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 89285.0 को उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित श्री शिवनाथ उपाध्याय जेई (आरईडी), श्री सुनील कुमार कौशल (बीडीओ) श्री अकील अहमद (लेखाकार), श्रीमती कविता यादव (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-04 ग्राम अजरौली में शिव पलटन के पुरवा से जग प्रसाद घर तक अवशेष सोलिंग कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना:-

क्रमांक	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौतिया, रायल्टी, सेस (1%), स्टैम्प ड्यूटी, आयकर (2%), वैट (4%) आदि (रुपये में)	भुगतान	चेक संख्या
1	ग्राम अजरौली में शिव पलटन के पुरवा से जग प्रसाद घर तक अवशेष सोलिंग कार्य	131117.0	13427.0	117690.0	29960

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) ग्राम अजरौली में शिव पलटन के पुरवा से जग प्रसाद घर तक अवशेष सोलिंग कार्य हेतु प्राक्लन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 1.60 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मिल्कीपुर के पत्रांक 2801/रा.वित्त आयोग/2018-19/दिनांक 22.01.2019 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड मिल्कीपुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए उ.प्र. पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) का उल्लंघन किया गया।

(ख) पत्रावली अवलोकन में यह पाया गया कि श्री शिवनाथ उपाध्याय (जेईआरईडी) द्वारा प्राक्लन के साथ साइट प्लान तैयार नहीं किया गया, उसके स्थान पर कोरा कागज पर हस्ताक्षर करके नथी किया है। अतः अवर अभियंता द्वारा साइट प्लान तैयार न करके उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 06 का उल्लंघन किया है।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान (जेईआरईडी) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेईआरईडी) के बिल के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.प्र. पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड), नियम 66,82,82 एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गाँव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य नहीं कराया गया है, जिससे उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) का उल्लंघन है।?

(घ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(च) संबंधित कार्य पत्रावली जाँच में कार्य से संबंधित मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों एवं सामग्री का मापन नहीं किया गया है। अतः अवर अभियन्ता द्वारा उ.प्र. पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35(1), 36(1) का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 117690.0 को उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित श्री शिवनाथ उपाध्याय जेई (आरईडी), श्री सुनील कुमार कौशल (बीडीओ) श्री अकील अहमद (लेखाकार), श्रीमती कविता यादव (ब्लॉक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-5 वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान पंजिका-2 के अनुसार राज्य वित्त योजना अंतर्गत निम्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित है, किन्तु संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना:-

- (1) दिनांक 20.04.2018 को चेक संख्या 29949 द्वारा रुपया 128524.00 अरविन्द कंस्ट्रक्शन को विकास खंड परिसर में भवनो की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु भुगतान।
- (2) खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर के आवास में बाउन्ड्रीवाल मरम्मत पर व्यय रुपया 137752.00
- (3) दिनांक 18.02.2019 को चेक संख्या 29958 द्वारा रुपया 25980.00 शिवनेन्द्र मशीनरी स्टोर को समरसेबुल बोरिंग हेतु भुगतान।
- (4) दिनांक 18.02.2019 को चेक संख्या 29959 द्वारा रुपया 11652.00 बबलू मशीनरी स्टोर को पाइप हेतु भुगतान।

इस प्रकार उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 66,81,82 एवं नियम 174 के उल्लंघन किए जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि रुपये 303908.00 अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है। जिसमें से रुपये 266276.00 की वसूली ब्याज सहित श्री शिवनाथ उपाध्याय जेई (आरईडी), श्री सुनील कुमार कौशल (बीडीओ) श्री अकील अहमद (लेखाकार), श्रीमती कविता यादव (ब्लॉक प्रमुख) से एवं रु0 37632.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुनील कुमार कौशल (बीडीओ) श्री अकील अहमद (लेखाकार), से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास प्रासंगिक मद में निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है, परंतु संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
09.04.18	834402	25000.00	श्री राममुनी गिरि को जीप मरम्मत हेतु अग्रिम भुगतान।
23.04.18	834406	35600.00	ओम इंटर प्राइजेज को भुगतान।
23.04.18	834407	45500.00	"
23.04.18	434408	30160.00	"
24.05.18	834412	28262.00	श्री विनोद कुमार सिंह (एडीओपी)
"	834413	28410.00	"
"	834415	20806.00	"
13.07.18	834417	81552.00	मेसर्स शारदा कंस्ट्रक्शन को भुगतान।
13.07.18	834418	26640.00	श्री विनोद कुमार सिंह (एडीओपी)
31.07.18	834419	19398.00	मेसर्स अमित मोटर प्रा लिमिटेड
04.09.18	834421	16000.00	श्री विनोद कुमार सिंह (एडीओपी)
14.09.18	834421	12020.00	"
01.11.18	763912	15216.00	मेसर्स घनश्याम एसोसिएट्स
13.11.18	763913	28464.00	मेसर्स जनता टैंट हाउस।
24.01.19	763919	16998.00	मेसर्स घनश्याम एसोसिएट्स
06.02.19	0001	86000.00	मेसर्स नंदिनी टैंट हाउस।
20.02.19	00002	11800.00	"
20.02.19	00003	7350.00	श्री विनोद कुमार सिंह (एडीओपी)
20.02.19	00004	31343.00	मेसर्स शारदा कंस्ट्रक्शन को भुगतान।
27.03.19	00007	20765.00	श्री विनोद कुमार को सरकारी वाहन में डीजल हेतु।

इस प्रकार उ.प्र.वित्तीय खंड 5 भाग-1 प्रस्तर-161, प्रस्तर-169, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 39, नियम 40 वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12, शासनादेश संख्या आ-1-1330/दस-4(1)-70 दिनांक 17 मई 1979 का उल्लंघन किए जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि रुपये 587284.00 अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित श्री सुनील कुमार कौशल (बीडीओ) श्री अकील अहमद (लेखाकार) के बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर द्वारा कार्यालय की गाड़ी संख्या यूपी-42 एजी 0314 में डीजल फिलिंग हेतु विनोद कुमार एण्ड कंपनी इंडियन आयल को दिनांक 18.02.19 को चेक संख्या 00016 द्वारा रुपये 114465.00 एवं दिनांक 31.03.19 को चेक संख्या 00022 द्वारा 25710.00 का भुगतान किया गया जिस पर लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गई।

1-क्षेत्र पंचायत कार्यालय की गाड़ी का लॉग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिसके अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-गाड़ी का उपयोग करने वाले अधिकारी की भ्रमण पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

3-भुगतान प्रति माह न करके वर्ष के अंत में किया गया जो नियमों के विपरीत है, और व्यय को संदिग्ध बनाता है।

4-क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा जिस बोलेरो गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है डीजल टैंक की अधिकतम क्षमता 50 लीटर है। भुगतान वाउचर के साथ संलग्न बिल के अवलोकन में यह पाया गया कि प्रत्येक फिलिंग तिथि को गाड़ी में 50 लीटर डीजल भरवाया गया है। यदि टंकी पूर्णतया खाली थी तो गाड़ी फिलिंग स्टेशन तक कैसे पहुंचती थी, इसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

इस प्रकार उ.प्र. वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 भाग-1 प्रस्तर-161, प्रस्तर-169, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 39, नियम 40 वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12, शासनादेश संख्या आ-1-1330/दस-4(1)-70 दिनांक 17 मई 1979 का उल्लंघन किए जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि रुपये 140175.00 अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित श्री सुनील कुमार कौशल (बीडीओ) श्री अकील अहमद (लेखाकार) से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर की स्वच्छता परियोजना मैनेजिंग यूनिट के खाता संख्या 34380100012393 से वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रुपये 413963-00 एवं तकनीकी प्रशासनिक मद के खाता संख्या 34380100012047 से रुपये 872319-00 व्यय किया गया।

उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उ०प्र० वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 भाग- प्रस्तर 161 प्रस्तर 169 सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 39 नियम 40 वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त उ०प्र० मैनुअल के प्रस्तर 12 शासनादेश संख्या अ-1-1330/दस-4(1)-70 दिनांक 17 मई 1979 का उल्लंघन किये जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि रुपये 1286282-00 अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री सुनील कुमार (बी०डी०ओ०), श्री अकील अहमद (लेखाकार) एवं श्री विनोद कुमार सिंह (एडीओ पंचायत) से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

2-क्षेत्र पंचायत मसोधा जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-9 सावित्री मौरिज हॉल से इलाहाबाद रोड तक नाला निर्माण कार्य-

लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ पायी गयी-

क- कार्य प्रारम्भ/कार्य करते हुए तथा कार्य समाप्ति के फोटोग्राफ पत्रावली में रक्षित नहीं पाये गये।

ख- स्टीमेट में एम०एस० आयरन 3.32 कुन्तल, 5400.00 रु० की दर से अंकित है, जबकि एम०बी० में 6.87

कुन्तल दर्शाया गया है। इस प्रकार $6.87 - 3.32 = 3.55$ कुन्तल सरिया अधिक क्रय दर्शाकर रु० $3.55 \times 5400.00 = 19100.00$ का अपहरण किया गया है।

ग- कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी पत्रावली में रक्षित नहीं पाया गया।

अतः रु० 19100.00 की ब्याज सहित वसूली श्री एस० कृष्णा ख० वि० अधि० श्री सचिन पटेल तथा श्री सन्दीप यादव जे०ई० आर०ई०डी० श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत नन्दी ग्राम में जगदम्बा पाण्डेय के खेत से एम०जे० एस० एकेडमी तक इन्टर लाकिंग कार्य-लम्बाई-75 मीटर, स्टीमेट- 3.19 लाख , कार्य प्रारम्भ की तिथि- 05.12.2018 समाप्ति 04.01.2019, इस कार्य पर निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

क- 75 मीटर इन्टर लाकिंग के सापेक्ष 90 मीटर इन्टर लाकिंग कार्य कराया जाना एम०बी०-1 के पृष्ठ 21 पर अंकित है। एम०बी० में मात्र अधिक 15 मीटर इन्टर लाकिंग हेतु ईट ही अधिक क्रय की गयी शेष सामग्री यथा ईट गिट्टी, मिट्टी खुदाई पर अतिरिक्त व्यय नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार स्टीमेट में दर्शित 190.50 घन मीटर इन्टर लाकिंग के विपरीत 208.8 घन मीटर की एम० बी० करके धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया। अतः $208.8 - 190.50 = 18.3$ घनमीटर रु० 820 की दर से कुल रु० 15006.00 की अनियमितता की गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री एस० कृष्णा ख० वि० अधि० श्री सन्दीप यादव जे०ई० आर०ई०डी० श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत उस रु० में रामअधार के घर से सुरेश के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य एवं नाली कार्य-(लम्बाई 55मीटर स्टीमेट 3.68 लाख)

क-लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कार्य में एम०एस०आयरन के अलावा अन्य निर्माण सामग्री स्टीमेट के अन्तर्गत खरीद की गयी। स्टीमेट में एम०एस० आयरन 1.79 कुन्तल है जबकि एम०बी० में 2.75

कुन्तल दर्शित है। इसप्रकार $2.75-1.79=0.96$ कुन्तल अधिक उपयोग दर्शित कर रु0 5400 प्रति कुन्तल की दर से कुल रु0 $0.96 \times 5400=5184.00$ की अनियमितता की गयी है।

ख- त्रिस्तरीय फोटोग्राम न उपलब्ध रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य कार्य समाप्ति के अन्त में कराया गया है।

ग- अस्तु कपट पूर्ण एम0बी0 किये जाने के कारण रु0 5184.00 की वसूली श्री एस0 कृष्णा ख0 वि0 अधि0, श्री सचिन पटेल तथा श्री सन्दीप यादव जे0ई0 आर0ई0डी0, श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत सथरी में रायबरेली रोड से मस्जिद तक इन्टर लाकिंग कार्य-

लम्बाई 85मीटर स्टीमेट 2.98 लाख

इस कार्य पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

1- मूल अनुबन्ध पत्र पर दिनांक अंकित नहीं पाया गया है।

2- कान्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये।

3- स्टीमेट से अधिक ईट क्रय की गयी तथा अनियमित भुगतान करके अनियमितता किया गया। (202.

15-173.20 =28.95) वर्ग मीटर, रु0 820 की दर से कुल रु0 23739.00 की अनियमित एम0बी0 करके धन का भुगतान किया गया।

4- स्टीमेट में फाइन सैण्ड का प्राविधान नहीं किया गया जबकि एम0बी0 में 18.40 घन मीटर दर्शित है अतः बिना स्टीमेट में प्राविधान के ही 18.40 घनमीटर बालू एम0बी0 दर्शाकर रु0 $18.40 \times 130=2392.00$ का अनियमित भुगतान किया गया।

इसप्रकार कुल रु0 $23739.00+2392.00=26131.00$ की अनियमितता परिलक्षित होती है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री एस0 कृष्णा ख0 वि0 अधि0, श्री सन्दीप यादव जे0ई0 आर0ई0डी0, श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत सरियावां मार्ग से महीप सिंह के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य-

स्टीमेट 3.17 लाख लम्बाई 70 मीटर

इस कार्य पर निम्नलिखित अनियमितता प्रतीत होती है-

1- स्टीमेट में ई/डब्ल्यू द्वारा भाडा 3किलोमीटर की दूरी से 73.50घनमीटर मिट्टी क्रय का प्राविधान किया गया। परन्तु एम0बी0 में इसका कोई उल्लेख नहीं है। बिना मिट्टी के इन्टर लाकिंग कैसे सम्भव हुआ।

अतः स्टीमेट/एम0बी0 काल्पनिक प्रतीत होता है। तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में सम्पूर्ण कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। अतः कुल व्यय धनराशि रु0 315022.00 की ब्याज सहित वसूली श्री एस0 कृष्णा ख0 वि0 अधि0, श्री सन्दीप यादव जे0ई0 आर0ई0डी0, श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत नऊवाँ कुआं सोहावल सम्पर्क मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के बगल से ईदगाह तक इन्टर लाकिंग कार्य- लम्बाई 90 मीटर, स्टीमेट 3.67 लाख

1. स्टीमेट में लेइंग ऑफ 2.50 एमएम थिक एंड ऑफ सीमेंट कांकरीट कॉसिसटिंग ऑफ वन पार्ट सीमेंट 1.50 पार्ट्स अप्रूव कोर्स सैंड एस.आई. न0. 361, थिक 41.40 स्क्वायरमीटरदर $290=12006.00$ अंकित है। जबकि एम0बी0 में इसका उल्लेख नहीं है इसी प्रकार साइनबोर्ड रु0 4200, फोटोग्राफी पर रु0 500.00 कुल रु0 $12006.00+4200+500=16706.00$ काल्पनिक स्टीमेट बनाया गया। इसप्रकार वास्तविक स्टीमेट $367000-16706=350294.00$ ही होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। तथा उपर्युक्त कार्य पर कुल व्यय 364942.00 किया गया इस प्रकार $364942-350294=14648.00$ का अधिक भुगतान करके अनियमितता की गयी। वसूली श्री एस0 कृष्णा ख0 वि0 अधि0, श्री सन्दीप यादव जे0ई0 आर0ई0डी0, श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

2. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा त्रिस्तरीय फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये।

3. निर्माण कर्ता ठेकेदार शिवम कान्सट्रक्शन रु0 317500.00 अन्य कार्य पर कराये गये कार्य की धनराशि को सम्मिलित करते हुए रु0 564512.00 चेक संख्या 000228 दिनांक 01.05.2019 से किया गया है, जोकि उचित नहीं है। कार्यवार भुगतान किये जाने की ओर विभागीय

अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत गद्दौपुर बाबा की मठिया में गद्दौपुर सम्पर्क मार्ग से लल्लनगिरि के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य— लम्बाई 215मीटर स्टीमेट 9.86 लाख

निविदा दाता—

1— रामदीन यादव	कान्स्ट्रैक्टर	अस्वीकृत
2— भैरव सिंह	कान्सट्रक्शन	अस्वीकृत
3— शिवम	कान्सट्रक्शन	स्वीकृत

इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी—

1— स्टीमेट पर जे0ई0 के हस्ताक्षर नहीं परन्तु अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0डी0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

2— स्टीमेट से 10 प्रतिशत अधिक की एम0बी0 करके अनियमितता की गयी। विवरण निम्नलिखित है—

क—पी.सी.सी. इन 1:6:12 सीमेंट, एफ/एस, 40 एमएम ब्रिक बैलेस्ट

स्टीमेट 61.92 घनमीटर एम0बी0 95.77 घनमी0 अन्तर 32.85 घनमी0 दर 2750=93087.00

ख—बी/डब्ल्यू 1:4 सीमेन्ट, मौरंग

स्टीमेट 27.69 घ0मी0 एम0बी0 45.05 घनमी0 अन्तर 15.36 घनमीटर दर 4920=75571.00

ग—लेइंग आफ 80एमएम थिक इंटरलॉकिंग स्टीमेट 645वर्गमी0 एम0बी0 1033.86 वर्गमी0 अन्तर 388.86 वर्ग मीटर दर 820=318865.00

घ—प्लास्टरइन 1:4 सीमेन्ट, मौरंग

स्टीमेट व्यवस्था नहीं एम0बी0 183.54 वर्गमी0 अन्तर 183.54 वर्गमीटर दर 130=23860.00

इस प्रकार स्टीमेट से अधिक एम0बी0 करके क्रमशः 93087+75571+31865+23860=511383.00 का अनियमित भुगतान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री एस0 कृष्णा ख0 वि0 अधि0, श्री सचिन पटेल तथा श्री सन्दीप यादव जे0ई0 आर0ई0डी0, श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

ड— कान्स्ट्रैक्टर को भुगतान भी प्रोजेक्टवार न करके कई प्रोजेक्टों का शामिल करके किया गया।

उदाहरणार्थ— चेक सं0—000219 दिनांक 07.03.2019 रू0 666103.00

चेक सं0—000211 दिनांक 07.01.2019 रू0 463504.00

चेक सं0—000212 दिनांक 10.01.2019 रू0 69259.00

इसे प्रोजेक्ट वार किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत अमौना में रायबरेली रोड से श्याम यादव के घर तक मिट्टी सोलिंग मरम्मत कार्य— लम्बाई 20 मी0 स्टीमेट 1.65 लाख

निविदा दाता—

1—शिवम कान्सट्रक्शन	अस्वीकृत
2— रामबीर ठेकेदार	अस्वीकृत
3— भैरव सिंह कान्सट्रक्शन	स्वीकृत

उपरोक्त का काल्पनिक स्टीमेट/एम0बी0 बनाकर अनियमितता की गयी। विवरण निम्न प्रकार है—

ई/डब्ल्यू कटिंग आर्डिनरी सोईल स्टीमेट 245घनमी0 एम0

बी0 136.36 घनमी0 अन्तर (—)108.64घनमी0 दर 95 घनमी0

एमबेकमेंट पटरीसाइड

स्टीमेट 40.80घनमी0 एम0बी0 65.76 घनमी0 अन्तर (+)24.96घनमी0 दर 95 घनमी0

लेइंग ऑफबी ओ ईसोलिंग

स्टीमेट 600वर्गमी0 एम0बी0 417 वर्गमी0 अन्तर (—)183 वर्ग मी0 दर 70 वर्ग मी0

2— कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी अनुपलब्ध रहे। अतः उक्त प्रोजेक्ट पर व्यय रू0 153900 काल्पनिक प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री एस0 कृष्णा ख0 वि0 अधि0, श्री सचिन पटेल तथा श्री सन्दीप यादव जे0ई0 आर0ई0डी0, श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

3-काल्पनिक स्टीमेट/एम0बी0 तैयार करने वाले अवर अभियन्ता की लापरवाही की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत मऊ यदुवंश पुर में पक्की सड़क से औरोनी मौर्या के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य-

लम्बाई 125 मी0 स्टीमेट 5.07 लाख

निविदा दाता-

1- शिवम कान्हाट्रक्शन	अस्वीकृत
2- रामदीन ठेकेदार	अस्वीकृत
3- भैरव सिंह कान्हेक्टर	स्वीकृत

इस कार्य पर लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

1- स्टीमेट से अधिक एम0बी0 करके धनराशि की अनियमितता की गयी।

2 क- प्लास्टर 1:4 सीमेन्ट बालू

स्टीमेट 25.80 वर्ग मी0 एम0बी0 83.63 वर्ग मी0 अन्तर 57.83 दर 130 धनराशि 7518.00

ख- सरिया-

स्टीमेट 1.41 कुन्तल एम0बी0 शून्य अन्तर शून्य दर 5400 धनराशि 7614.00

ग-आर0सी0सी0 स्लैब- 1:2:4 सीमेन्ट,मौरंग एवं 20एम0एम0 पत्थर गिट्टी

स्टीमेट 1.80 घनमी0 एम0बी0 शून्य अन्तर शून्य दर 7375.00 धनराशि- 13275.00

घ-फोटोग्राफ- स्टीमेट 500 एम0बी0 शून्य अन्तर शून्य

धनराशि- 500.00

ड-प्लास्टर- क्रमांक 361 के अन्तर्गत

स्टीमेट 57.50 वर्गमी0 एम0बी0 शून्य अन्तर शून्य दर 290 वर्गमीटर धनराशि 16675.00

योग- 38064.00

क्रमांक (क) से (ड) में दर्शित मद का स्टीमेट में प्राविधान किया गया है परन्तु एम0बी0 में इसका उल्लेख नहीं पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि बिना जरूरत के स्टीमेट में इन मदों को शामिल कर लिया गया है। तथा रू0 38064 से स्टीमेट काल्पनिक तैयार किया गया है उपरोक्त को घटाने के पश्चात वास्तविक स्टीमेट 507000-38064=468936.00 होता है। परन्तु कुल व्यय एम0बी0 के अनुसार 504789 किया गया है। इसप्रकार 504789-468936=35853 का भुगतान वास्तविक स्टीमेट से अधिक की एम0बी0 करके धनराशि की अनियमितता की गयी है जो कि नियमानुसार वसूली योग्य है। इसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से श्री एस0 कृष्णा ख0 वि0 अधि0, श्री सन्दीप यादव जे0ई0 आर0ई0डी0, श्री ओम प्रकाश सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अधिनियम के अध्याय 18 के नियम संख्या 179 के अन्तर्गत अपहरण/ अनियमित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

3-क्षेत्र पंचायत बीकापुर जनपद-अयोध्या वर्ष 2018-19

प्रस्तर-18 विकास खण्ड परिसर में शौचालय निर्माण एवं सीसी इंटरलाकिंग कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्र0	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)		भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक			
			रायल्टी	सेस 1%		आईटी 2.26 %	वैट 4%		
1	विकास खण्ड परिसर में शौचालय निर्माण एवं सीसी इंटरलाकिंग	215790.00		2158.00	---	4877.00	---	208756.00	0188 / 30.08.18

	कार्य								

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) विकास खण्ड परिसर में शौचालय निर्माण एवं सीसी इंटरलाकिंग कार्य हेतु प्राक्लन के अनुसार लागत मूल्य रुपये 6.85 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) का उल्लंघन किया गया।

(ख) मेसर्स अनमोल इंटर प्राइजेज, तेलीबाग लखनऊ द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार (जेईआरईडी) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेईआरईडी) के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(घ) पत्रावली अवलोकन में यह पाया गया कि श्री सचिन कुमार (जेईआरईडी) द्वारा प्राक्लन के साथ साइट प्लान तैयार नहीं किया गया है। अतः अवर अभियंता द्वारा साइट प्लान तैयार न करके उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 06 का उल्लंघन किया है।

(ङ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त के आधार पर शौचालय निर्माण एवं सीसी इंटरलाकिंग कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपये 208756.00 को उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री एस.कृष्णा (बीडीओ) श्री प्रमोद श्रीवास्तव (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 जलालपुरमाफी में फैजाबाद-इलाहाबाद हाइवे पर श्री द्वारिका प्रसाद प्रजापति के घर से श्री प्रभाकर सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्र०	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)					भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक
			रायल्टी	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी	आईटी 2%	वैट 4%		
1	2	3	4			5	6	7	8
1	जलालपुरमाफी में फैजाबाद-इलाहाबाद हाइवे पर श्री द्वारिका प्रसाद प्रजापति के घर से श्री प्रभाकर	191881.25 173546.00	2106.0	1918.00 1735.00	2397.00 2169.00	4334.0 29.22	7671.00	173959.00 165700.00	0167 / 13.09.17 0174 / 13.10.17

	सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य								
								339659.00	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) जलालपुरमाफी में फैजाबाद-इलाहाबाद हाइवे पर श्री द्वारिका प्रसाद प्रजापति के घर से श्री प्रभाकर सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य हेतु प्राक्लन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 3.73 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए उ.प्र. पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) का उल्लंघन किया गया।

(ख) मेसर्स सियाराम कान्सट्रक्शन, जलालपुर माफी बीकापुर द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार (जेईआरईडी) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामाग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डबल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेईआरईडी) के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गाँव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य नहीं कराया गया है, जिससे उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) का उल्लंघन है।

(घ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 339659.00 को उ. प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री साखी गोपाल दूबे (बीडीओ) श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत द्वारा रामदासपुर मझौली में सत्य नारायण के घर से महेश के घर तक सीसी रोड कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्रमांक	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)					भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक
			रायल्टी	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी	आईटी 2.26%	वैट 4%		
1	2	3	4			5	6	7	8
1	रामदासपुर मझौली में सत्य नारायण के घर से महेश के घर तक	187802.0 212570.0	1878.0 2125.0	2348.0 2657.0	2439.0 79.0	4144.0 4804.0	6251.0	170642.0 202905.0	0168 / 13.09.17 0175 / 13.10.17

	सीसी रोड कार्य।								
								373547.00	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) रामदासपुर मझौली में सत्य नरायन के घर से महेश के घर तक सीसी रोड कार्य हेतु प्राक्कन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 4.40 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) का उल्लंघन किया गया।**

(ख) मेसर्स सियाराम कान्सट्रक्शन, जलालपुर माफी बीकापुर द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।**

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार (जेईआरईडी) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डबल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेईआरईडी) के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।**

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गाँव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य नहीं कराया गया है, जिससे **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) का उल्लंघन है।**

(घ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 373547.00 को **उ. प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है।** इसकी वसूली ब्याज सहित श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री साखी गोपाल दूबे (बीडीओ) श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत द्वारा बबुरिहा में भोला सिंह के घर से मनोज सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्रमांक	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)				भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक
			रायल्टी दर 30/घन मीटर	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी	आईटी 2%		
						वैट 4%		

1	2	3	4			5	6	7	8
1	बबुरिहा में भोला सिंह के घर से मनोज सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य।	467943.0			3356.00	9359.0	18718.0	436310.0	200 / 16.01.19
								436310.0	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) बबुरिहा में भोला सिंह के घर से मनोज सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य हेतु प्राक्कलन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 4.73 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) का उल्लंघन किया गया।

(ख) पत्रावली अवलोकन में यह पाया गया कि श्री सचिन कुमार जे ई (रेड) द्वारा प्राक्कलन के साथ साइट प्लान तैयार नहीं किया गया, उसके स्थान पर कोरा कागज पर हस्ताक्षर करके नत्थी किया है। अतः अवर अभियंता द्वारा साइट प्लान तैयार न करके

उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 06 का उल्लंघन किया है।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार (जेई रेड) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामाग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डबल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में जेई रेड के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गाँव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य नहीं कराया गया है, जिससे उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) का उल्लंघन है।

(घ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 436310.00 को उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री जनार्दन प्रसाद (बीडीओ) श्री प्रमोद श्रीवास्तव (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत बीकापुर में विकास खंड परिसर की बाउन्ड्रीवाल मरम्मत कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्र०	कार्य का	बिल	कटौती (रुपये)	भुगतान	चेक संख्या एवं

	नाम	धनराशि (लाख रुपये)	रायल्टी दर 30/घन मीटर	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी 1.25%	आईटी 2%	वैट 4%		दिनांक
1	2	3	4			5	6	7	8
1	क्षेत्र पंचायत बीकापुर में विकास खंड परिसर की बाउन्ड्रीवाल मरम्मत कार्य	227328.0 601569.0 105614.0	2266.0 1056.0	2833.0	अवशेष धरोहर 48417.0	5122.0 2746.0		168010.0 574439.0 101796.0	177 / 13.10.17 0179 / 17.01.18 188 / 03.08.18
								844245.0	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) क्षेत्र पंचायत बीकापुर में विकास खंड परिसर की बाउन्ड्रीवाल मरम्मत कार्य हेतुप्राक्लन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 13.639 लाख का प्रावधान किया गया। प्रस्तावित कार्य हेतु अनुमानित लागत की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती पुष्पा वर्मा, ब्लाक प्रमुख श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दी गई। प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृत श्री आर.के. वर्मा अवर अभियंता जेई(एम आई) द्वारा टी.एस. ई न0.8 ईई. रेड दिनांक 03.01.2017 द्वारा दी गई। **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम** यदि किसी भी निर्माण कार्य की लागत रुपया 10.0 लाख से अधिक है तो उसकी प्रावधिक स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। उपरोक्त नियम के उल्लंघन किए जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ख) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। निविदा फार्म खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के कार्यालय में 13.04.2017 से 27.04.2017 के बीच जमा करना था। टेंडर नोटिस में रुपया 10 लाख से अधिक लागत की परियोजना हेतु निर्धारित न्यूनतम समय सीमा 21 दिन नहीं दिया गया। इस प्रकार **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (ख)** के उल्लंघन किए जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग)दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार (जेई रेड) द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में (जेई रेड)के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38** के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग) ठेकेदार मेसर्स सियाराम कान्सद्रक्शन, जलालपुर माफी बीकापुर के अधीन श्रम विभाग में पंजीकृत कुशल/अकुशल श्रमिकों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें ठेकेदार के अधीन मानव संसाधन एवं उनकी कार्य क्षमता का आकलन नहीं किया जा सका।

(घ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 844245.00 को **उ. प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है।** जिसमें से रुपया 742449.00 की वसूली

ब्याज सहित श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री साखी गोपाल दूबे (बीडीओ) श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत बीकापुर में बबुरिहा में हरिदासपुर जेरुआ संपर्क मार्ग से अंबिका सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :- प्राक्लन की धनराशि रु 25.27 लाख।

क्र०	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)					भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक
			रायल्ली दर 30/घन मीटर	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी 1.25%	आई टी 2%	वैट 4%		
1	2	3	4			5	6	7	8
1	बबुरिहा में हरिदासपुर जेरुआ संपर्क मार्ग से अंबिका सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य	828957.0 888142.0 770055.0	2266.0 1056.0	10362	32667.00	18734.00 17763.00 15401.00	22676.00 35526.00 30802.00	744518.0 834853.0 723852.0	154 / 30.06.17 0191 / 13.12.18 0194 / 26.12.18
								2303223.00	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) बबुरिहा में हरिदासपुर जेरुआ संपर्क मार्ग से अंबिका सिंह के घर तक सीसी रोड कार्य हेतु प्राक्लन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 25.19 लाख का प्रावधान किया गया। प्रस्तावित कार्य हेतु अनुमानित लागत की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती पुष्पा वर्मा, ब्लाक प्रमुख श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दी गई। प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृत श्री आर.के. वर्मा अवर अभियंता जेई (एम आई) द्वारा टी.एस. ई न०.3 ईई. (आरईडी), दिनांक 03.01.2017 द्वारा दी गई। अतः निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त स्वीकृत में **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16** का उल्लंघन किया गया, जिसके अनुसार यदि किसी भी निर्माण कार्य की लागत रुपया 10.0 लाख से अधिक है तो उसकी प्रावधिक स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

(ख) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। निविदा फार्म खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के कार्यालय में 13.04.2017 से 27.04.2017 के बीच जमा करना था। टेंडर नोटिस में रुपया 10 लाख से अधिक लागत की परियोजना हेतु निर्धारित न्यूनतम समय सीमा 21 दिन नहीं दिया गया। इस प्रकार **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (ख)** के उल्लंघन किए जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डबल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में जे.ई.(आर.ई.डी.), के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के** अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(घ) पत्रावली अवलोकन में यह पाया गया कि श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), द्वारा प्राक्लन के साथ साइट प्लान तैयार नहीं किया गया, उसके स्थान पर कोरा कागज पर हस्ताक्षर करके नत्थी किया है। अतः अवर अभियंता द्वारा साइट प्लान तैयार न करके **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 06 का उल्लंघन किया है।**

(ङ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 2303223.00 को **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है।** जिसमें से रुपया 744518.00 की

वसूली ब्याज सहित श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), श्रीमती पुष्पा वर्मा(बीडीओ)श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से एवं अवशेष रुपया 1558705.00 की वसूली श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री जनार्दन(बीडीओ)श्री प्रमोद श्रीवास्तव (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत बीकापुर में विकास खंड परिसर में बीज विपणन केंद्र मरम्मत कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्रमांक	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)					भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक
			रायल्टी दर 30/घन मीटर	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी 1.25%	आईटी 2%	वैट 4%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क्षेत्र पंचायत बीकापुर में विकास खंड परिसर में बीज विपणन केंद्र मरम्मत कार्य	559858.5	5598.0	6998.0	27240.0	16653.0	—	503358.00	179 / 17.01.18
								503358.00	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) विकास खंड परिसर में बीज विपणन केंद्र मरम्मत कार्य हेतु प्राक्कलन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 6.58 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (4) का उल्लंघन किया गया।

(ख) मेसर्स अनमोल इंटर प्राइजेज, तेलीबाग लखनऊ द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।

(ग) दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में जे.ई.(आर.ई.डी.), के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(घ) पत्रावली अवलोकन में यह पाया गया कि श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), द्वारा प्राक्कलन के साथ साइट प्लान तैयार नहीं किया गया है। अतः अवर अभियंता द्वारा साइट प्लान तैयार न करके उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 06 का उल्लंघन किया है।

(ङ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 503358.00 को उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम

179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। इसकी वसूली ब्याज सहित **श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री साखी गोपाल दूबे(बीडीओ)श्री प्रमोद श्रीवास्तव (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख)** से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत मीतनपुर में जलालपुर संपर्क मार्ग से गौरा गयासपुर संपर्क मार्ग तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :-

क्र०	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)					भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक
			रायल्टी दर 30/घन मीटर	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी 1.25%	आई टी 2%	वैट 4%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम पंचायत मीतनपुर में जलालपुर संपर्क मार्ग से गौरा गयासपुर संपर्क मार्ग तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य	246988.00	—	7138.00	7447.00	5582.00	5592.00	221229.00	159 / 16.06. 17
								221229.00	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) ग्राम पंचायत मीतनपुर में जलालपुर संपर्क मार्ग से गौरा गयासपुर संपर्क मार्ग तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य हेतु प्राक्कलन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 5.71 लाख का प्रावधान किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। टेंडर खोलने के पश्चात मूल पत्रावली में संलग्न ठेकेदारों/फर्मों के टेंडर फार्म को टेंडर समिति एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा संलग्न अनुबंध पत्र पर भी समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। तुलनात्मक चार्ट पृथक पत्रावली में संलग्न है। अतः निविदा प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन न करते हुए **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (4) का उल्लंघन किया गया।**

(ख) मेसर्स मिश्रा इंटर प्राइजेज, जलालुद्दीन नगर, पूराबाजार अयोध्या मेसर्स अनमोल इंटर प्राइजेज, तेलीबाग लखनऊ द्वारा बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।**

(ग)दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में जे.ई.(आर.ई.डी.), के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। **उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।**

(घ)पत्रावली अवलोकन में यह पाया गया कि श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), द्वारा प्राक्कलन के साथ साइट प्लान तैयार नहीं किया गया है। अतः अवर अभियंता द्वारा साइट प्लान तैयार न करके **उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 06 का उल्लंघन किया है।**

(ङ)कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(च)सोलिंग निर्माण पत्रावली अवलोकन में यह ज्ञात हुआ कि श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), द्वारा आईटी आपूर्ति के पश्चात चट्टे में लगे ईट की एम.बी. नहीं की गई। मापन पुस्तिका में सोलिंग निर्माण में लगे कुल ईटों की संख्या दर्शित करते हुए बिल का भुगतान करके उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35(1), 35(2) का उल्लंघन किया है।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 221229.00 को उ. प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। इसकीवसूलीव्याज सहित श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्रीमती पुष्पा वर्मा(बीडीओ)श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत दशरथपुर पूरे बजाज से रामपुर भगन संपर्क मार्ग तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य पर अनियमित भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया जाना :- अनुमानित लागत 12.19 लाख

क्र०	कार्य का नाम	बिल धनराशि (लाख रुपये)	कटौती (रुपये)					भुगतान	चेक संख्या एवं दिनांक
			रायल्टी दर 30/घन मीटर	सेस 1%	स्टैम्प ड्यूटी 1.25%	आईटी 2%	वैट 4%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम पंचायत दशरथपुर पूरे बजाज से रामपुर भगन संपर्क मार्ग तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य	256083.00 377459.00 444213.00 113132.00	2561.00 3774.00 4442.00 1131.00	3201.00 4718.00 5552.00	8190.00 —	5787.00 8530.00 10039.00 2663.00	7560.0 4525.0	228784.0 360394.0 424180.0 104813.0	169 / 13.09.17 176 / 13.10.17 180 / 17.01.18 206 / 02.04.19
								1118171.00	

दिखाये गए व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क)ग्राम पंचायत दशरथपुर पूरे बजाज से रामपुर भगन संपर्क मार्ग तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य हेतु प्राक्कन के अनुसार लागत मूल्य रुपया 12.19 लाख का प्रावधान किया गया। प्रस्तावित कार्य हेतु अनुमानित लागत की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती पुष्पा वर्मा, ब्लाक प्रमुख श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दी गई। प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृत श्री आर.के. वर्मा अवर अभियन्ता जेई(एमआई) द्वारा टी.एस. ई न0.1 ई ई. (आरईडी), दिनांक 03.01.2017 द्वारा दी गई। अतः निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त स्वीकृत में उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम 16 का उल्लंघन किया गया, जिसके अनुसार यदि किसी भी निर्माण कार्य की लागत रुपया 10.0 लाख से अधिक है तो उसकी प्रावधिक स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

(ख)कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के पत्रांक 88/रा.वित्त आयोग/2017-18/दिनांक 12.04.2017 जनमोर्चा द्वारा समाचार पत्र में विकास खण्ड बीकापुर में जनपद अयोध्या में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। निविदा फार्म खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर के कार्यालय में 13.04.2017 से 27.04.2017 के बीच जमा करना था। टेंडर नोटिस में रुपया 10 लाख से अधिक लागत की परियोजना हेतु निर्धारित न्यूनतम समय सीमा 21 दिन नहीं दिया गया। इस प्रकार उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (ख) के उल्लंघन किए जाने के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(ग)दिखाये गए कार्य पर हुए समस्त व्यय का भुगतान श्री सचिन कुमार जे.ई.(आर.ई.डी.), द्वारा तैयार बिल बेसिस पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज/उपखनिज सामग्री यथा मोरंग, गिट्टी, बालू, मिट्टी, आपूर्ति से संबंधित एमएम-11 (अभिवहन प्रपत्र), ईट आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त भुगतान हेतु पी.डबल्यू.डी. के ओवर आल दर का प्रयोग किया गया है। कराये गए कार्य की पुष्टि में जे.ई.(आर.ई.

डी.), के बिल तथा एमबी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अंतर्गत व्यय की गई समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है।

(घ) ठेकेदार मेसर्स शिव प्रसाद कान्सट्रक्शन, जलालपुर माफी बीकापुर के द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय रनिंग बिल भुगतान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये बिना ही बिल का भुगतान करके उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 64 का उल्लंघन किया गया।

(ङ) कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य की प्रगति अवस्था में और कार्य की पूर्ण होने पर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः उपरोक्त के आधार पर सीसी रोड निर्माण कार्य पर दिखाये गये समस्त व्यय रुपया 1118171.00 को

उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। जिसमें से रुपया 1013358.00 की वसूली ब्याज सहित श्री सचिन कुमार जेई (आरईडी), श्री साखी गोपाल दूबे (बीडीओ) श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से एवं अवशेष धनराशि रुपया 104813.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सचिन कुमार जे.ई. (आर.ई.डी.), श्री डा० घनश्याम त्रिपाठी (बीडीओ) श्री प्रमोद श्रीवास्तव (लेखाकार), श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि दिनांक 07.07.2018 को क्षेत्र पंचायत बीकापुर की खुली बैठक बुलाई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। क्षेत्र पंचायत की बैठक स्थगित होने के बावजूद रुपया 36500.00 का मानदेय वितरण दिखाकर क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी जो उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य सेवा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत वसूली योग्य है। अतः धनराशि रु036500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री एस० कृष्णा (बीडीओ) श्री जगदीश शुक्ला (लेखाकार), एवं श्री संतोष कुमार सिंह (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 क्षेत्र पंचायत

जनपद-बाराबंकी

संभाग-अयोध्या

1- क्षेत्र पंचायत निंदूरा जनपद-बाराबंकी

प्रस्तर 1- वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए खड़जा कार्य खतौली गाँव से खिझना तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं -

1- किसी भी फर्म द्वारा निविदा के समय अर्नेस्ट मनी नहीं जमा की गई थी।

2- प्रथम प्राक्कलन रु० 980000.00 के आधार पर निविदा कराई गई थी किन्तु निर्धारित समयावधि तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, आगे द्वितीय प्राक्कलन में कार्य की लागत बढ़ाकर 1246000.00 कर दी गई तथा नयी निविदा न कराकर पुरानी निविदा पर ही आवंटित फर्म आदर्श इंटरप्राइजेज से कार्य कराकर रुपये 1094556.00 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

3- उक्त कर पर कराए गए मिट्टी कार्य 1664.90 घन मीटर से संबंधित रूप पत्र-11 प्रपत्र पत्रावली से संलग्न नहीं था।

इस प्रकार उक्त कार्य पर निविदा प्रक्रिया की शर्तों का उल्लंघन करके रुपये 1094556.00 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम व श्री हरीराम पर नियमानुसार विभागीय एवं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि - 1094556.00

प्रस्तर-2 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए खड़जा कार्य शाहपुर बक्शोलिया में मुनेश्वर के खेत से खटौली सरहद तक अवशेष खड़जा निर्माण पर की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं -

1- निविदा के समय तीन फर्मों में से केवल एक फर्म द्वारा ही अर्नेस्ट मनी जमा की गई थी।

2—प्रथम प्राक्कलन रु० 1015000.00 के आधार पर निविदा कराई गई थी किन्तु निर्धारित समयावधि तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, आगे द्वितीय प्राक्कलन में कार्य की लागत बढ़ाकर 1112000.00 कर दी गई तथा नयी निविदा न कराकर पुरानी निविदा पर ही आवंटित फर्म मेसर्स लक्ष्मी कंशट्रक्शन द्वारा कार्य कराकर रुपये 941017.00 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया ।

3— उक्त कर पर कराए गए मिट्टी कार्य 2642.63 घन मीटर से संबंधित एम एम-11 प्रपत्र पत्रावली से संलग्न नहीं था ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर निविदा प्रक्रिया की शर्तों का उल्लंघन करके रुपये 941017.00 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम व श्री हरीराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि – 941017.00

प्रस्तर-3—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए खड़जा कार्य खिझना-3 में गढ़ी से बिलासपुर-सीतापुर सरहद तक अवशेष खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं—

1—उक्त कर पर कराए गए मिट्टी कार्य 488.91 घन मीटर के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि की कटौती न करके संबंधित फर्म को रुपये 14667.30 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम उत्तरदायी हैं ।

2—निविदा के समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीन फर्मों में से किसी भी फर्म द्वारा अर्नेस्ट मनी जमा नहीं की गई थी ।

3 तीनों टेंडर एक ही हैंड राइटिंग में थे ।

4—कार्य की एमबी कूटरचित ढंग से तैयार की गई थी ।

5—निविदा के उपरांत कार्यादेश में निर्धारित समयावधि तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, आगे मनमाने ढंग से कार्यावधि में वृद्धि करके पुरानी निविदा पर ही आवंटित फर्म द्वारा कार्य कराकर रुपये 422395.00 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर रुपये 14667.30 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा शेष अनियमित भुगतान की गई धनराशि रुपये 407727.70 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम व श्री हरीराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 4 धनराशि-422395.00

प्रस्तर-4—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य खिझना-2 में श्री केशन के घर से झरिहक यादव के खेत तक अवशेष खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— कार्य की एमबी कूटरचित ढंग से तैयार की गई थी ।

2— उक्त कार्य पर कराए गए मिट्टी कार्य 965.78 घन मीटर के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि की कटौती न करके संबंधित फर्म को रुपये 28973.40 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम उत्तरदायी हैं ।

3— निविदा के उपरांत कार्यादेश में निर्धारित समयावधि तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, आगे मनमाने ढंग से कार्यावधि में वृद्धि करके पुरानी निविदा पर ही आवंटित फर्म द्वारा कार्य कराकर रुपये 483235.00 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर रुपये 28973.40 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा शेष अनियमित भुगतान की गई धनराशि रुपये 454261.60 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 5 धनराशि-483235.00

प्रस्तर-5—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य पड़री ककरहाघाट होते हुए बैनटीकरहार तक अवशेष खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— कार्य की एमबी कूटरचित ढंग से तैयार की गई थी ।

2— उक्त कर पर वांछित मात्रा से अधिक फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर संबंधित फर्म को रुपये 60328.13 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम उत्तरदायी हैं ।

3— उक्त कार्य पर कराए गए मिट्टी कार्य 2349.75 घन मीटर के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि की कटौती न करके संबंधित फर्म को रुपये 70492.50 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम उत्तरदायी हैं ।

4— लेबर सेस की कटौती संबंधित फर्म / ठेकेदार के बिल से न करके पहले प्राक्कलन में लेबर सेस के रूप में कुल प्राक्कलन का 1 प्रतिशत जोड़ा गया तत्पश्चात प्रस्तुत बिल से इसकी कटौती रुपए 11245.00 की गई जो कि प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक संख्या 9755/सामान्य वर्ग/40-दस- 45/2017, दिनांक 19-12-2017 में निहित उपबंधों का उल्लंघन कर लेबर सेस का भार ठेकेदार के बजाय संस्था पर डालकर अप्रत्यक्ष रूप से रुपये 11245.00 की संस्था को क्षति पहुंचाई गई । जिस हेतु जे० ई० आर०ई०एस० तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर तथा रायल्टी की कटौती न करके फर्म को रुपये 130820.63 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा शेष अनियमित भुगतान की गई धनराशि रुपये 11245.00 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 6 धनराशि-142065.63

प्रस्तर-6—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य गोपालपुर मुख्तार अली के खेत से मुस्लिम कब्रगाह तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेबर सेस की कटौती संबंधित फर्म / ठेकेदार के बिल से न करके पहले प्राक्कलन में लेबर सेस के रूप में कुल प्राक्कलन का 1 प्रतिशत जोड़ा गया तत्पश्चात प्रस्तुत बिल से इसकी कटौती रुपए 5388.00 की गई जो कि प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक संख्या 9755/सामान्य वर्ग/40-एमटी-45/2017, दिनांक 19-12-2017 में निहित उपबंधों का तथा भवन व अन्य निर्माण मजदूर वेल्फेयर सेस नियम 1988 के नियम संख्या 4 के प्रविधानों उल्लंघन कर लेबर सेस का भार ठेकेदार के बजाय संस्था पर डालकर अप्रत्यक्ष रूप से रुपये 5388.00 की संस्था को क्षति पहुंचाई गई । जिस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 7 धनराशि-5388.00

प्रस्तर-7—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य सलेमाबाद नयी पुलिया से करुवा बॉर्डर तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— कार्य की एमबी में प्राक्कलन में अंकित मिट्टी कार्य की मात्रा से अधिक मिट्टी कार्य दर्शाकर संबंधित फर्म को कुल रुपये 77948.00 का अधिक/फर्जी भुगतान किया गया । जिसके लिए तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम उत्तरदायी हैं ।

2—उक्त कर पर वांछित मात्रा से अधिक फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर संबंधित फर्म को रुपये 140608.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम उत्तरदायी हैं ।

3—तीनों निविदा प्रपत्र तथा तुलनात्मक चार्ट एक ही हैंड राइटिंग में थे ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर कूटरचित ढंग से एमबी बनाकर फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर फर्म को रुपये 218556.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं शेष अनियमित भुगतान की गई धनराशि रुपये 995768.00 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 8 धनराशि—1214324.00

प्रस्तर-8—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य शाहपुर बक्शोलिया में मुनेश्वर के खेत से खटौली सरहद तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1—लेबर सेस की कटौती संबंधित फर्म / ठेकेदार के बिल से न करके पहले प्राक्कलन में लेबर सेस के रूप में कुल प्राक्कलन का 1 प्रतिशत जोड़ा गया तत्पश्चात प्रस्तुत बिल से इसकी कटौती रुपए 4478.00 की गई जो कि प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक संख्या 9755 सामान्य वर्ग 40 -एमटी-45 2017, दिनांक 19-12-2017 में निहित उपबंधों का तथा भवन व अन्य निर्माण मजदूर वेलफेअर सेस नियम 1988 के नियम संख्या 4 के प्रविधानों उल्लंघन कर लेबर सेस का भार ठेकेदार के बजाय संस्था पर डालकर अप्रत्यक्ष रूप से रुपये 4478.00 की संस्था को क्षति पहुंचाई गई ।

2—तीनों निविदा प्रपत्र तथा तुलनात्मक चार्ट एक ही हैंड राइटिंग में थे ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर अनियमित भुगतान की गई धनराशि रुपये 453884.00 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 9 धनराशि—453884.00

प्रस्तर-9—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य खिझना-2 में श्री केशन के घर से झरिहक यादव के खेत तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीनों फर्मों के निविदा प्रपत्र तथा तुलनात्मक चार्ट एक ही हैंड राइटिंग में थे ।

2—लेबर सेस की कटौती संबंधित फर्म/ ठेकेदार के बिल से न करके पहले प्राक्कलन में लेबर सेस के रूप में कुल प्राक्कलन का 1 प्रतिशत जोड़ा गया तत्पश्चात प्रस्तुत बिल से इसकी कटौती रुपए 7278.00 की गई जो कि प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक संख्या 9755 एम टी/सामान्य वर्ग/40 -एम टी- 45/2017, दिनांक 19-12-2017 में निहित उपबंधों का तथा भवन व अन्य निर्माण मजदूर वेलफेअर सेस नियम 1988 के नियम संख्या 4 के प्रविधानों उल्लंघन कर लेबर सेस का भार ठेकेदार के बजाय संस्था पर डालकर अप्रत्यक्ष रूप से रुपये 7278.00 की संस्था को क्षति पहुंचाई गई ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने तथा लेबर सेस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण भुगतान की गई धनराशि रुपये 727866.00 का भुगतान अनियमित था के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 10 धनराशि—727866.00

प्रस्तर-10—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य भण्डार खड़जा से सैदापुर खड़जातक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— निविदा के समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीन फर्मों में से किसी भी फर्म द्वारा अर्नेस्ट मनी जमा नहीं की गई थी ।

2—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीनों फर्मों के निविदा प्रपत्र तथा तुलनात्मक चार्ट एक ही हैंड राइटिंग में थे ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने कारण भुगतान की गई धनराशि रुपये 464121.00 का भुगतान अनियमित था के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 11 धनराशि—464121.00

प्रस्तर-11—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य खिझना-3 में गढ़ी से बिलासपुर — सीतापुर सरहद तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— निविदा के समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीन फर्मों में से किसी भी फर्म द्वारा अर्नेस्ट मनी जमा नहीं की गई थी ।

2—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीनों फर्मों के निविदा प्रपत्र तथा तुलनात्मक चार्ट एक ही हैंड राइटिंग में थे ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने कारण भुगतान की गई धनराशि रुपये 432920.00 का भुगतान अनियमित था के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 12 धनराशि—432920.00

प्रस्तर—12—वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य दरावाँ में बिकौलिया रोड से अल्मापुर तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— निविदा के समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीन फर्मों में से केवल एक फर्म मेसर्स ओम प्रताप द्वारा अर्नेस्ट मनी जमा की गई थी ।

2—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीनों फर्मों के निविदा प्रपत्र तथा तुलनात्मक चार्ट एक ही हैंड राइटिंग में थे ।

3— उक्त कार्य पर पटरी निर्माण के नाम पर फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर संबंधित फर्म को रुपये 12272.00 का अधिक / फर्जी भुगतान किया गया ?

इस प्रकार उक्त कार्य पर फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर रुपये 12272.00 के फर्जी भुगतान हेतु उत्तरदायी जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने कारण शेष अनियमित भुगतान की गई धनराशि रुपये 675069.00 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 13 धनराशि—687341.00

प्रस्तर—13—वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य पड़री ककरहाघाट होते हुए बैनाटीकरहार तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं—

1— उक्त कर पर वांछित मात्रा से अधिक फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर संबंधित फर्म को रुपये 50450.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम उत्तरदायी हैं ।

2—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली तीनों फर्मों के निविदा प्रपत्र तथा तुलनात्मक चार्ट एक ही हैंड राइटिंग में थे जिसके कारण यहाँ निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करके कूटरचित ढंग से कार्य का आवंटन कर अनियमितता की गई ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर फर्म को रुपये 50450.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा शेष अनियमित भुगतान की गई धनराशि रुपये 1014895.00 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 14 धनराशि—1065345.00

प्रस्तर—14—वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य गेंदपुरवा से बेलही तक खड़जा तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— उक्त कर पर वांछित मात्रा से अधिक 730 x मीटर अधिक फर्जी मिट्टी कार्य दर्शाकर संबंधित फर्म को रुपये 111690.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 15 धनराशि — 111690.00

प्रस्तर—15—वर्ष 2018—19 में राज्य वित्त योजना से कराए गए विभिन्न खड़जा निर्माण कार्य 1— महमूदाबाद—लखनऊ रोड से चंदौली खड़जा तक खड़जा निर्माण 2— महोलिया नहर से करुवा बॉर्डर तक खड़जा निर्माण 3—कुकरिहा खड़जा से दावतपुर बॉर्डर तक खड़जा निर्माण 4—मौलाबाद से बड़ौवा फार्म तक

खड़जा निर्माण 5—घुँघटेर सीएचसी मे इंटरलॉकिंग तथा 6—दिकौलिया से खिझना बॉर्डर तक खड़जा निर्माण की पत्रावलियों की जांच मे निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— उक्त सभी कार्यो हेतु मात्र दो ही फर्मों द्वारा निविदा प्रक्रिया मे भाग लिया गया तथा दो ही निविदा पत्रों के आधार पर कार्य का आवंटन करके अनियमितता की गई ।

2— क्रम संख्या 5 के कार्य घुँघटेर सीएचसी मे इंटरलॉकिंग कार्य पर कराए गए मिट्टी कार्य पर रॉयल्टी की कटौती न करके संस्था को कुल रुपये 1098.00 की क्षति पहुंचाई गई ।

इस प्रकार मिट्टी कार्य पर रॉयल्टी की कटौती न करके संस्था को कुल रुपये 1098.00 की क्षति पहुंचाई गई जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने कारण उक्त कार्यो पर भुगतान की गई शेष धनराशि रुपये 3106962.00 के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 16 धनराशि —3108060.00

प्रस्तर—16—वर्ष 2018—19 में राज्य वित्त योजना से कराए गए कार्य विकास खंड परिसर मे सौंदर्यीकरण की पत्रावलियों की जांच मे निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयीं —

1— उक्त कार्य हेतु मात्र दो ही फर्मों द्वारा निविदा प्रक्रिया मे भाग लिया गया तथा दो ही निविदा पत्रों के आधार पर कार्य का आवंटन करके अनियमितता की गई ।

3— निविदा के उपरांत कार्यादेश मे निर्धारित समयावधि तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिसके कारण फर्म को नोटिस भी जारी की गई थी किन्तु फर्म पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई आगे मनमाने ढंग से फर्म को बिना किसी एमबी के रुपये 40736.00 का अनियमित रूप से भुगतान भी किया गया जोकि कार्य न कराए जाने के कारण अमान्य था जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम से नियमानुसार रुपये 40736.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 17 धनराशि—40736.00

प्रस्तर—17—वर्ष 2017—18 में जमा योजना से कराए गए कार्य जूनियर माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर बनौगा का जीर्णोद्धार से संबंधित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की जा सकी जिसके कारण उक्त कार्य पर व्यय कुल धनराशियों रुपये 2036265.00 के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। व्यय पत्रावलियों के अभाव मे उक्त धनराशि रुपये 2036265.00 अपहरण की श्रेणी मे आती है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार सिंह जे०ई०आर०ई०एस० श्री भीष्म यादव तथा लेखाकार श्री सहजराम से नियमानुसार रुपये 2036265.00 ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि—2036265.00

2—क्षेत्र पंचायत—सिद्धौर जनपद—बाराबंकी

प्रस्तर—18—वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए कार्य ग्राम कोठी में पेट्रोल पंप से चंद्रास के घर तक नाला निर्माण (प्राक्कलित धनराशि रुपए 834000.00) कार्य पर व्यय कुल धनराशि रुपए 725677.00 का भुगतान निविदा प्रक्रिया संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने के कारण तथा कूट रचित प्राक्कलन के कारण अनियमित व अमान्य है जिस हेतु उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा जे० ई० आर० ई० एस० श्री राजीव भटनागर तथा श्री लक्षराम सिंह चौहान तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि—725677.00

प्रस्तर—19—वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए कार्य ग्राम मझियावाँ में कल्लू रावत के दरवाजे से कलीम की गुमटी तक नाला निर्माण (प्राक्कलित धनराशि रुपए 788000.00) कार्य पर व्यय कुल धनराशि रुपए 644528.00 का भुगतान निविदा प्रक्रिया संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने के कारण तथा कूट रचित प्राक्कलन के कारण अनियमित व अमान्य है जिस हेतु उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव

भटनागर तथा श्री लक्षराम सिंह चौहान तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 3 धनराशि-644528.00

प्रस्तर-20-वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए कार्य सिद्धौर मेन रोड से अलीगढ़ मार्ग तक पर खड़जा मरम्मत कार्य निर्माण (प्राक्कलित धनराशि रुपए 99500.00) की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ईद खरीद हेतु तीन फर्मों 1- शिवम ब्रिक, 2- फील्ड भैरवनाथ ब्रिक फील्ड, तथा 3- सिद्धेश्वर ब्रिक फील्ड से कोटेशन प्राप्त की गई थी । किंतु सभी फर्मों की कोटेशन तथा उक्त कोटेशन के आधार पर बनाया गया तुलनात्मक दरों का चार्ट एक ही हैंडराइटिंग में था तथा कोटेशन के नीचे संबंधित फर्मों के प्रोपराइटर / कार्मिक के स्थान पर मात्र मुनीम लिखा हुआ था। लेखाकार द्वारा बताया गया कि कार्य प्रभारी को नियमों की जानकारी ना होने के कारण एक ही व्यक्ति द्वारा समस्त प्रक्रियाएं पूरी कराई गई थी । किंतु इकाई का उत्तर मान्य नहीं है । अतः उक्त कार्य पर ईट क्रय के रूप में व्यय की गयी धनराशि रुपए 58497.00 का भुगतान कोटेशन के कूट रचित होने के कारण अनियमित था । इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों कार्य प्रभारी श्री प्रमुन्न कुमार वर्मा, तत्कालीन लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा व तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 4 धनराशि - 58497.00

प्रस्तर-21-राज्य वित्त योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य पश्चिम बेलांव के मजरे कुसुंभी में सीसी रोड से अनवर अली के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आयीं—

1- उक्त कार्य के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति दिनांक 08-06-2017 को दी गई थी, जबकि उक्त कार्य हेतु दिनांक 30-05-2017 को ही निविदा आमंत्रित कर दी गई थी । अर्थात् उक्त प्राक्कलन को निर्माण संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु बाद में पत्रावली में कूट रचित ढंग से संलग्न किया गया था ।

2- तुलनात्मक चार्ट में पहले केवल दो ही फर्मों 1- आशुतोष कंस्ट्रक्शन तथा 2- न्यू मिश्रा एसोसिएट्स के विवरण के ही आधार पर तुलनात्मक दरों का चार्ट बनाकर न्यू मिश्रा एसोसिएट्स का टेंडर स्वीकृत किया गया था, बाद में उसी चार्ट पर दूसरी हैंडराइटिंग में शौर्य कांट्रैक्टर नामक फर्म का टेंडर की एंट्री करके उसका टेंडर स्वीकृत किया जाना दर्शाया गया था तथा उक्त के आधार पर कार्य का आवंटन दर्शाकर व्यय दर्शित धनराशि का भुगतान अनियमित / अमान्य है ।

3- किसी भी फर्म द्वारा 2 : अर्नेस्ट मनी (धरोहर धनराशि) टेंडर प्रक्रिया के समय जमा किए जाने संबंधी प्रपत्र पत्रावली से संलग्न नहीं थे ।

इस प्रकार टेंडर संबंधी प्रक्रिया के कूट रचित होने के कारण उक्त कार्य पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपए 388496.00 का भुगतान अनियमित है । इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 5 धनराशि-388496.00

प्रस्तर-22-वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए कार्य ग्राम पंचायत बम्हौरा लोदी में कृष्ण गोपाल के घर से सत्रोहन के घर होते हुए नल तक नाला निर्माण (प्राक्कलित धनराशि रुपए 455200.00) की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आईं —

1- उक्त कार्य के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति दिनांक 8-06-2017 को प्रदान की गई थी, जबकि

कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण दिनांक 30-05-2017 को किया गया था । जोकि घोर अनियमितता का परिचायक है ।

2- उक्त कार्य हेतु मात्र दो ही फर्मों के निविदा प्रपत्रों 1-आशुतोष कंस्ट्रक्शन तथा 2-न्यू मिश्रा एसोसिएट्स, के निविदा दरों के आधार पर तुलनात्मक चार्ट बनाकर न्यू मिश्रा एसोसिएट्स को कार्य आवंटित कर दिया गया था । यहां यूपी प्रोक्योरमेंट 2016 में निहित उपबंधों का पालन ना करके निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया ।

इस प्रकार निविदा संबंधी शर्तों के उल्लंघन के कारण तथा प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति बिना निविदा आमंत्रित किए जाने के कारण उक्त कार्य पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपए 416400.00 का भुगतान अनियमित था जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 6 धनराशि-416400.00

प्रस्तर-23—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए कार्य शोभाराम के दरवाजे से जगजीवन दास कुटी तक इंटरलॉकिंग (प्राक्कलित धनराशि रुपए 703700.00) की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आई —

1—उक्त कार्य के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति दिनांक 08-06-2017 को प्रदान की गई थी जबकि इस कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण दिनांक 30-05-2017 को किया गया था । यहां निविदा संबंधी प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करके घोर अनियमितता की गई है ।

2—उक्त कार्य हेतु मात्र दो ही फर्मों 1— न्यू मिश्रा एसोसिएट्स तथा 2— आशुतोष कंस्ट्रक्शन के दरों के आधार पर तुलनात्मक दरों का चार्ट बनाकर न्यू मिश्रा एसोसिएट्स को कार्य का आवंटन कर दिया गया था । यहां यूपी प्रोक्योरमेंट 2016 में निहित उपबंधों का पालन ना करके निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया ।

3—उक्त कार्य पर कराए गए मिट्टी कार्य की मात्रा 210.825 कम के सापेक्ष प्रथम बिल में मिट्टी कार्य की मात्रा 155.25 कम से रायल्टी की कटौती नहीं की गई रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण $155.50 \times 30 = 4665.00$ रुपए का संबंधित फर्म को अधिक/फर्जी भुगतान किया गया जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार, खंड विकास अधिकारी तथा जे० ई० आर०ई०एस० उत्तरदायी हैं ।

4—लेबर सेस की कटौती संबंधित फर्म/ठेकेदार के बिल से न करके पहले प्राक्कलन में लेबर सेस के रूप में कुल प्राक्कलन का 1 प्रतिशत जोड़ा गया तत्पश्चात प्रस्तुत बिल से इसकी कटौती रुपए 6914.00 की गई जो कि प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक संख्या 9755एम0टी0/ सामान्य वर्ग/40-एम0टी0-45/2017, दिनांक 19-12-2017 में निहित उपबंधों का उल्लंघन कर लेबर सेस का भार ठेकेदार के बजाय संस्था पर डालकर अप्रत्यक्ष रूप से रुपये 6914.00 की संस्था को क्षति पहुंचाई गई । जिस हेतु जे० ई० आर०ई०एस० तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं ।

इस प्रकार उक्त कार्य पर रायल्टी की कटौती न किए जाने तथा लेबर सेस का अनियमित तरीके से भुगतान कर संबंधित ठेकेदार को कुल रुपए 11571.50 का अधिक भुगतान किया गया तथा निर्माण कार्य संबंधी तथा टेंडर प्रक्रिया संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने के कारण रुपए 628052.50 का अनियमित भुगतान किया गया है । अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायी जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 7 धनराशि — 639624.00

प्रस्तर-24—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अंतर्गत कराए गए कार्य ग्राम पंचायत कोठी में पूरे रामदीन की नहर पुलिया से पीपल वृक्ष तक इंटरलॉकिंग कार्य (प्राक्कलित धनराशि रुपए 1359000.00) की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आई —

1—प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 06-06-2017 को प्राप्त की गई थी जबकि इस कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण दिनांक 31-05-2017 को किया गया था । यहां निविदा संबंधी प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करके घोर अनियमितता की गई है ।

2— उक्त कार्य हेतु मात्र दो फर्मों 1— आशुतोष कंस्ट्रक्शन तथा 2— न्यू मिश्रा एसोसिएट्स के निविदा के ही आधार पर कार्य का आवंटन न्यू मिश्रा एसोसिएट्स को कर दिया गया था, यहां यूपी प्रोक्योरमेंट 2016 में निहित उपबंधों का पालन ना करके निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया ।

3- उक्त कार्य पर कुल 343.12 घनमीटर मिट्टी कार्य कराया गया था जिसके सापेक्ष प्रथम बिल में मिट्टी कार्य की मात्रा 313.50 बूड पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई , जिसके कारण संबंधित फर्म को $313.5 \times 30 = 9405.00$ का अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुंचाई गई जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, जे० ई० आर०ई०एस० तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं ।

4- लेबर सेस की कटौती संबंधित फर्म / ठेकेदार के बिल से न करके पहले प्राक्कलन में लेबर सेस के रूप में कुल प्राक्कलन का 1 प्रतिशत जोड़ा गया तत्पश्चात प्रस्तुत विल से इसकी कटौती रुपए 13516.00 की गई जो कि प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक संख्या 9755 सामान्य वर्ग / 40 -एम0टी0- 45 2017, दिनांक 19-12-2017 में निहित उपबंधों का उल्लंघन कर लेबर सेस का भार ठेकेदार के बजाय संस्था पर डालकर अप्रत्यक्ष रूप से रुपये 13516.00 की संस्था को क्षति पहुंचाई गई । जिस हेतु जे० ई० आर०ई०एस० तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं ।

5- उक्त कार्य जिसकी अनुमानित लागत ₹10 लाख से अधिक रुपए 1359000.00 थी, की अनुमति उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 एवं निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 16(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शासन से प्राप्त नहीं की गई थी । अतः बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए उक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय ₹ 1252573.00 का भुगतान अनियमित था ।

इस प्रकार रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से ₹ 9405.00 का तथा लेबर सेस की कटौती से संबंधित नियमों का पालन न किए जाने से ₹ 13516.00 कुल ₹ 22921.00 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद , जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 8 धनराशि – 1252573.00

प्रस्तर- 25- राज्य वित्त योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य ग्राम न्यौछना में सर्वोदय इंटर कॉलेज से मंदिर तक इंटरलॉकिंग की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आईं ---

1- उक्त कार्य के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति दिनांक 06-06-2017 को प्राप्त की गई थी जबकि उक्त कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण दिनांक 31-05-2017 को ही कर लिया गया था । इस प्रकार प्राक्कलन को बाद में पत्रावली से संलग्न किया गया जो कि घोर अनियमितता का परिचायक है ।

2- उक्त कार्य हेतु कार्य का आवंटन मात्र दो निविदा प्रपत्रों 1- आशुतोष कंस्ट्रक्शंस तथा 2- न्यू मिश्रा एसोसिएट्स के आधार पर करके यूपी प्रोक्योरमेंट 2016 में निहित उपबंधों का पालन ना करके निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया कार्य पर व्यय कुल धनराशि रुपये 627997.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

3- उक्त कार्य पर कराए गए मिट्टी कार्य पर वांछित रॉयल्टी कटौती की धनराशि रुपये 4913.00 के सापेक्ष मात्र ₹1225.00 रॉयल्टी की कटौती करके संबंधित फर्म को ₹ 3688 का अधिक भुगतान करके संस्था को क्षति पहुंचाई गई ।

इस प्रकार रॉयल्टी की कटौती ना करके संबंधित फर्म को रुपए 3688 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा साथ ही निविदा संबंधित शर्तों का उल्लंघन करने के कारण शेष धनराशि रुपए 624309.00 के अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 9 धनराशि – 627997.00

प्रस्तर-26- वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत कराए गए कार्य ग्राम अरुई में वासुदेव वर्मा के दरवाजे से भुईहारे बाबा के स्थान तक इंटरलॉकिंग कार्य की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आईं ---

1- उक्त कार्य के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति दिनांक 06-06-2017 को प्रदान की गई थी जबकि इसकी निविदा दिनांक 31-05-2017 को आमंत्रित की गई थी । इस प्रकार प्राक्कलन को बाद में पत्रावली से संलग्न किया गया जो कि घोर अनियमितता का परिचायक है ।

2- उक्त कार्य की निविदा प्रक्रिया में मात्र दो ही फर्मों 1- आशुतोष कंस्ट्रक्शन तथा 2- न्यू मिश्रा एसोसिएट द्वारा भाग लिया गया था, जिसके आधार पर न्यू मिश्रा एसोसिएट्स को कार्य का आवंटन करके यूपी प्रोक्योरमेंट 2016 में निहित उपबंधों का पालन ना करके निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया कार्य पर व्यय कुल धनराशि रुपये 689219.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

3- उक्त कार्य पर कुल 198 घनमीटर मिट्टी कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती न करके संस्था को रुपए $198 \times 30 =$ रुपए 5940.00 का संबंधित फर्म को अधिक भुगतान करके क्षति पहुंचाई गई ।

4- लेबर सेस की कटौती संबंधित फर्म / ठेकेदार के बिल से न करके पहले प्राक्कलन में लेबर सेस के रूप में कुल प्राक्कलन का 1 प्रतिशत जोड़ा गया तत्पश्चात प्रस्तुत बिल से इसकी कटौती रुपए 7432.00 की गई जो कि प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक संख्या 9755 एम टी / सामान्य वर्ग / 40 -एमटी0- 45 / 2017, दिनांक 19-12-2017 में निहित उपबंधों का उल्लंघन कर लेबर सेस का भार ठेकेदार के बजाय संस्था पर डालकर अप्रत्यक्ष रूप से रुपये 7432.00 की संस्था को क्षति पहुंचाई गई । जिस हेतु जे० ई० आर०ई०एस० तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं ।

इस प्रकार रॉयल्टी की कटौती ना करके रुपए 5940.00 तथा लेबर सेस का भार कार्यदायी संस्था पर डालकर कुल रुपए 13372.00 का संबंधित फर्म को अधिक भुगतान किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद , जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा कार्य पर भुगतानित शेष धनराशि रुपए 675847.00 के अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 10 धनराशि – 689219.00

प्रस्तर-27-वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत कराए गए कार्य खंड विकास अधिकारी आवास एवं आवासीय भवनों की मरम्मत (प्राक्कलन की धनराशि रु० 782000.00 तथा 379500.00 कुल धनराशि रु० 782000.00) की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आई –

1-उक्त कार्य के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति दिनांक 08-06-2017 को प्रदान की गई थी जबकि इसकी निविदा दिनांक 31-05-2017 को आमंत्रित की गई थी । इस प्रकार प्राक्कलन को बाद में पत्रावली से संलग्न किया गया जो कि घोर अनियमितता का परिचायक है ।

2- उक्त कार्य की पत्रावलियों में दो प्राक्कलन संलग्न थे । प्रथम प्राक्कलन रु० 782000.00 का तथा द्वितीय प्राक्कलन रु० 379500.00 का था । द्वितीय प्राक्कलन जो की रु० 379500.00 का था वह विकास खंड सिद्धौर का न होकर विकास मसौली का था ।

3- उक्त कार्य हेतु मात्र दो ही फर्मों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया 1- न्यू मिश्रा एसोसिएट तथा 2- आशुतोष कंस्ट्रक्शन, जिनके दरों के आधार पर न्यू मिश्रा एसोसिएट्स को कार्य का आवंटन करके यूपी प्रोक्योरमेंट 2016 में निहित उपबंधों का पालन ना करके निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया कार्य पर व्यय कुल धनराशि रुपये 990244.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

4-उक्त कार्य पर भुगतानित अंतिम बिल रु० 198398.00 की एमबी अप्राप्त रही अतः एमबी कराए बिना भुगतान किए जाने के कारण उक्त धनराशि रु० 198398.00 का भुगतान अपहरण की श्रेणी में आती है ।

इस प्रकार टेंडर प्रक्रिया / निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण उक्त कार्य पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रु० 990244.00 का भुगतान अनियमित था जिसमें एमबी कराए बिना भुगतान किए जाने के कारण रु० 198398.00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद , जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश

प्रताप सिंह व श्री रवींद्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तथा शेष रु० 791846.00 के अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रवींद्र कुमार वर्मा पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 11 धनराशि – 990244.00

प्रस्तर-28— वर्ष 2017-18 में मनरेगा प्रासंगिक मद में जनरेटर मरम्मत (महिंद्रा एंड महिंद्रा) हेतु चेक संख्या 18445 दिनांक 12-06-2017 द्वारा मु० मुफीम इलेक्ट्रिक वर्क्स को रुपए 13580.00 का भुगतान किया गया था, किंतु प्रस्तुत बाउचर क्रमांक 20 दिनांक 02-6-2017 पर टिन नंबर / जीएसटी नंबर अंकित ना होने के कारण उक्त बाउचर मान्य नहीं है । अतः रुपए 13580.00 का व्यय गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद तथा कैशियर श्री रवींद्र कुमार वर्मा से नियमानुसार रुपए 13580.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 12 धनराशि – 13580.00

प्रस्तर-29— वर्ष 2017-18 में मनरेगा प्रासंगिक मद से विभिन्न तिथियों में जनरेटर मरम्मत , तीन सीलिंग फैन क्रय व 6 फैन मरम्मत हेतु भुगतान की गई धनराशियों के सापेक्ष प्रस्तुत बिलों पर टिन/ जीएसटी नंबर अंकित नहीं होने के कारण उक्त कार्यों हेतु रु० 12670.00 के बिल मान्य नहीं है । अतः फर्जी बिल वाउचर द्वारा कुल रुपए 12670 का व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद तथा कैशियर श्री रवींद्र कुमार वर्मा तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह से नियमानुसार रुपए 12670.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 13 धनराशि – 12670.00

प्रस्तर-30— वर्ष 2017-18 में मनरेगा प्रासंगिक मद से विभिन्न तिथियों में कंप्यूटर कक्ष हेतु दो एक्साइड बैटरी व एक यूपीएस के क्रय हेतु भुगतानित धनराशि रु० 41200.00 तथा कार्यालय प्रयोग हेतु एक स्कैनर व दो कार्टेज का क्रय हेतु भुगतानित धनराशि रुपए 8230.00 की पुष्टि हेतु प्रस्तुत बिलों पर दिनांक व टिन / जीएसटी नंबर अंकित नहीं होने के कारण फर्जी प्रमाणकों द्वारा व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रुपए 49430.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद तथा कैशियर श्री रवींद्र कुमार वर्मा तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह से नियमानुसार रुपए 49430.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 14 धनराशि – 49430.00

प्रस्तर-31— वर्ष 2018-19 में कराए गए कार्य आंगनबाड़ी केंद्र मेनहुवा की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आयीं —

1— केवल दो ही फर्मों 1— मेसर्स शौर्य कांस्ट्रक्टर तथा 2— मैसर्स वर्मा कांस्ट्रक्टर की निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन मेसर्स शौर्य कांस्ट्रक्टर करके यूपी प्रोक्योरमेंट 2016 में निहित उपबंधों का पालन ना करके निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया ।

2— टेंडर प्रक्रिया की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि किसी भी फर्म द्वारा टेंडर प्रक्रिया के दौरान अर्नेस्ट मनी / बकाया धनराशि जमा नहीं किया गया था ।

3— उक्त कार्य हेतु दिनांक 24-07-2018 को टेंडर जमा किया गया, उसी तिथि को टेंडर खोला गया तथा इसी तिथि को कार्यादेश जारी किया गया तथा दिनांक 24-07-2018 से ही कार्य भी प्रारंभ करा/या गया था । समस्त प्रक्रियाओं के एक ही दिन में संपन्न हो जाने के कारण या तो उपरोक्त टेंडर प्रक्रिया तथा कार्यादेश फर्जी / कूट रचित था अथवा एमबी को वास्तव में कूट रचित ढंग से तैयार किया गया था । अतः कूटरचित अभिलेखों के द्वारा उक्त कार्य पर सामग्री पर व्यय धनराशि रुपए 604220.00 तथा मजदूरी के रूप में वे धनराशि 71638.00 कुल रुपया 675858.00 का भुगतान अनियमित / अमान्य था जिस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रवींद्र कुमार वर्मा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 15 धनराशि – 675858.00

प्रस्तर-32— वर्ष 2018-19 में कराए गए कार्य आंगनबाड़ी कार्य अचकामऊ की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियां प्रकाश में आयीं —

1—केवल दो ही फर्मों 1— मेसर्स शौर्य कांस्ट्रक्टर तथा 2— मेसर्स ट्रेडर्स की निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन मेसर्स शौर्य कांस्ट्रक्टर को करके उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 में निहित निविदा प्रक्रिया संबंधी प्रविधानों का उल्लंघन करके घोर अनियमितता की गई है ।

2—टेंडर प्रक्रिया के समय किसी भी फर्म द्वारा अर्नेस्ट मनी / धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण पत्रावली से संलग्न नहीं था ।

3—उक्त कार्य हेतु दिनांक 24-07-2018 को टेंडर जमा किया गया, उसी तिथि को टेंडर खोला गया तथा इसी तिथि को कार्यादेश जारी किया गया तथा दिनांक 24-07-2018 से ही कार्य भी प्रारंभ कराया गया था । समस्त प्रक्रियाओं के एक ही दिन में संपन्न हो जाने के कारण या तो उपरोक्त टेंडर प्रक्रिया तथा कार्यादेश फर्जी / कूट रचित था अथवा एमबी को वास्तव में कूट रचित ढंग से तैयार किया गया था । अतः कूटरचित अभिलेखों के द्वारा उक्त कार्य पर सामग्री पर व्यय धनराशि रुपये 646816.00 .00 तथा मजदूरी के रूप में वे धनराशि 75110.00 कुल रुपये 721916.00 का भुगतान अनियमित / अमान्य था जिस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रवींद्र कुमार वर्मा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 16 धनराशि—721916.00

प्रस्तर—33—वर्ष 2018-19 में कराए गए आंगनवाड़ी केंद्रों 1—नवाबपुर 2—कोडरी, 3—भेड़िया, 4—देवकलिया, 5—कोपवा, 6—नसीरपुर, 7—पहाड़ापुर, 8—सरसा, तथा 9—जयचंदपुर, के निर्माण की पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित आपत्तियाँ पायी गयी ।

1— क्रम संख्या 1 व 5 पर अंकित कार्य हेतु मात्र दो निविदाओं के आधार पर कार्य आवंटन किया गया था तथा क्रम संख्या 2 तथा 4 हेतु किसी भी निविदाकर्ता का विवरण पत्रावली से संलग्न नहीं था इसी प्रकार क्रम संख्या 3, 6,7 तथा 8 हेतु मात्र एक ही निविदा प्रपत्र के आधार पर कार्य आवंटित कर दिया गया था । इस प्रकार यहां आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 के निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से मनचाही फर्मों को कार्य का आवंटन कर घोर अनियमितता की गई है ।

2— क्रम संख्या 1 के कार्य आंगनवाड़ी केंद्र नवाबपुर कोडरी की मजदूरी का भुगतान नवाबपुर कोडरी के मनरेगा हेड से ना करके सालहाभारी के मनरेगा हेड से किया गया है ।

3— ज्यादातर फर्मों द्वारा निविदा प्रक्रिया के समय अर्नेस्ट मनी / धरोहर धनराशि जमा ना किए जाने के कारण समस्त टेंडर प्रक्रिया कूट रचित प्रतीत होती है ।

4— क्रम संख्या 7 के कार्य पहाड़ापुर में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के टेंडर स्वीकृति प्रपत्र पर खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे और ना ही कार्य का स्वीकृति आदेश जारी हुआ था । इसी प्रकार क्रम संख्या आठ के कार्य हेतु प्रस्तुत टेंडर पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं थे ।

5— क्रम संख्या एक के कार्य के अलावा अन्य कार्यों पर केवल मजदूरी भुगतान से संबंधित प्रपत्र पत्रावली से संलग्न थे जबकि सामग्री पर कितना भुगतान किया गया इससे संबंधित कोई विवरण कार्यों की पत्रावलियों से संलग्न नहीं था ।

इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में निविदा प्रक्रिया के साथ-साथ निर्माण नियमों का मनमाने ढंग से उल्लंघन कर कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार कुल रुपये 1068410.00 का अनियमित भुगतान किया गया साथ ही इसमें 7 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में व्यय की गई सामग्री की धनराशि भी शामिल है, जिसका विवरण पत्रावली से संलग्न नहीं था । इस अनियमितता हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश प्रसाद, ब्लाक प्रमुख श्री रमेश चंद्र वर्मा, जे०ई०आर०ई०एस० श्री राजीव भटनागर तथा लेखाकार श्री दिनेश प्रताप सिंह व श्री रविंद्र कुमार वर्मा पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 17 धनराशि—1068410.00

3—क्षेत्र पंचायत— सिरौली गौसपुर जनपद—बाराबंकी संभाग—अयोध्या

प्रस्तर—34— वर्ष 2018-19 की निर्माण संबंधी पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि समस्त ठेकेदारों से 8 प्रतिशत जमानत राशि उनके बिल में से बाद में काटी गई है जो निर्माण संबंधी नियमों के विपरीत है । निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार 3 प्रतिशत जमानत राशि कार्य की स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद नकद जमा करानी चाहिए थी जो कि नहीं करायी गयी अपितु 8 प्रतिशत जमानत राशि बाद में बिल से

काटी गयी है। अतः आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच से स्पष्ट होता है कि कुल निर्माण कार्य पर व्यय रु० 11507388.00 पर 3 प्रतिशत की दर से कुल रु० 345221.64 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं जे०ई०आर०ई०एस० तथा लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 14 धनराशि 345221.64

प्रस्तर-35-वर्ष 2018-19 के ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार आयकर कटौती के सापेक्ष वर्षांत में 31.03.2019 को रु० 15440.00 जमा न करके अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं जे०ई०आर०ई०एस० तथा लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 13 धनराशि 15440.00

प्रस्तर-36- वर्ष 2018-19 में कराए गए कार्य प्राथमिक वि॥लय बघौरा में आंगनवाड़ी केंद्र हेतु सामग्री क्रय हेतु कूटरचित निविदा प्रक्रिया दर्शाकर तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सामग्री क्रय के रूप में कुल रु० 256398.00 का भुगतान करके अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार, लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा तथा कार्य प्रभारी श्री हरिशंकर (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 15 धनराशि 25398.00

आपत्ति क्रमांक 37- वर्ष 2018-19 में लेबर सेस की दर्शित कटौती रु० 6387.00 को वर्षांत तक जमा न करके अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार तथा लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 20 धनराशि 6387.00

4 - क्षेत्र पंचायत - त्रिवेदीगंज जनपद - बाराबंकी संभाग - अयोध्या

प्रस्तर-38- वर्ष 2018-19 में आयकर व व्यापार कर के प्रारम्भिक शेष (-)1253.00 तथा (-)18843.00 क्रमशः तथा शेष कटौती के माह जुलाई 2018 के प्रारम्भिक शेष (-)12942.00 के समायोजन से संबंधित विवरण अप्राप्त रहने से उक्त धनराशियों के योग कुल रुपया 33088.00 का संबंधित लेखाकार श्री विजय कुमार द्वारा संभावित रूप में अपहरण कर लिया गया जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि - 33088.00

प्रस्तर-39- वर्ष 2018-19 में विक्रय कुल 30 निविदा प्रपत्रों से प्राप्त धनराशि रुपये 15000.00 को अनुदान पंजिका 3 में अंकित कर बैंक खाते में जमा करने के बजाय लेखाकार श्री विजय कुमार द्वारा उक्त धनराशि रुपये 15000.00 का संभावित रूप में अपहरण कर लिया गया जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 20 धनराशि-15000.00

प्रस्तर-40-वर्ष 2018-19 में कराए गए 8 आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय हेतु निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से कार्य का आवंटन करके 46.56 लाख रुपये की सामग्री क्रय करके अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार यादव तथा लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 21 धनराशि-46.56 लाख

प्रस्तर-41- वर्ष 2018-19 में कराए गए 7 खंडजा निर्माण / मरम्मत व खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर की मरम्मत व सुन्दरीकरण कार्य पर निविदा संबंधी शर्तों का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से कार्य का आवंटन करके उक्त कार्य पर रुपये 5566000.00 का भुगतान करके अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार यादव तथा लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी हैं जिनपर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 22 धनराशि-5566000.00

प्रारूप-3

जनपद-सुलतानपुर

सम्भाग-अयोध्या

1. क्षेत्र पंचायत-दोस्तपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष 2018-19 में विभिन्न परियोजनाओं पर भुगतान किया गया परन्तु लेवर सेस रु0 54067.00 एवं जी0एस0टी0 539688.00 कुल धनराशि 593755.00 का बिल से कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री इलियास अहमद तथा आलोक आर्य, अवर अभियन्ता श्री दीपचन्द चौधरी तथा लेखाकार श्री भुल्लुर सिंह व सीताराम से समान अंशों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -2 दिनांक 10.10.2018 को चेक सं0 142, धनराशि 7094.00 पेपर विज्ञापन व्यय दि पायनियर लखनऊ को एवं दिनांक 04.01.2019 को चेक सं0 152, धनराशि 7094.00 पेपर विज्ञापन एम0के0वार्ट0 को रु0 14188.00 भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विज्ञापन की प्रति भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली इलियास अहमद खण्ड विकास अधिकारी तथा जीतू राम लेखाकार से समान अंशों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 दिनांक 27.03.2019 को चेक सं0 157, धनराशि 175598.00 शौचालय मरम्मत मद में अपुष्ट/आधारहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली श्री आलोक आर्य खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपचन्द चौधरी अवर अभियन्ता एवं जीतू राय लेखाकार से समान अंशों में किया जाना अपेक्षित है।

2. क्षेत्र पंचायत -अखण्डनगर लेखा परीक्षा वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-4 ग्राण्ट रजिस्टर 2 के अनुसार दिनांक 19.05.2018 को प्रा0 अवशेष रु0 26666.00 दर्शित ह। दिनांक 31.03.2019 को अन्तिम अवशेष रु0 5758.00 दर्शाया गया है। इस मध्य में 20908.00 बिना व्यय विवरण/ चेक लेखा रहित करके व्यय दर्शित है। जिसका अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक आर्य तथा लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद तिवारी द्वारा किया गया। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक आर्य एवं लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद तिवारी से ब्याज सहित वसूली सामान्य अंशों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 पंचायत प्रासंगिक मद (संयुक्त खाता) से सम्बन्धित धनराशि रु0 273237.00 का आधारहीन/फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण श्री विनय कुमार एवं श्री आलोक आर्य तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किया गया। उक्त से ब्याज सहित वसूली समान अंशों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 मनरेगा प्रशासनिक मद में दिनांक 28.11.2018 को चेक सं0 000135 रु0 13000.00, वाहन किराया भुगतान श्री अनूप कुमार दूबे को एवं दिनांक 28.12.2018 को चेक सं0 000136, रु0 34965.00 में किसान सेवा केन्द्र को पी0एब0अधि0 को अपुष्ट व काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण श्री आलोक आर्य खण्ड विकास अधिकारी एवं जगदीश प्रसाद तिवारी लेखाकार द्वारा किया गया। उक्त से ब्याज सहित वसूली समान अंशों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप- 3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-19, आवंटन वर्ष- 2019-20

मण्डल का नाम-बरेली (उ0प्र0), जनपद-बरेली

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ:-कुल 15 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष 10 क्षेत्र पंचायत के ही अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे। जिसके कारण शेष 05 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में संपन्न नहीं की जा सकी।

आपति का विवरण-

आपति सं0-01-वर्ष 2017-18 में साम्रगी प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 40719.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और वर्ष में कुल साम्रगी क्रय रु0 2478792.00 की दर्शित है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 49575.84 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 8856.84 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 40719.00 व रु 104287.00 (वर्ष 2018-19

का) की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा की पुष्टि न होने पर भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बहेड़ी

आपति सं0-02-लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में रु 81503.00 एवं 2018-19 में रु 82530.00 वैट/जी.एस.टी. की कटौती की गई है। जिसे नियमानुसार जमा किए जाने की पुष्टि कराई जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाई अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बहेड़ी

आपति सं0-03-वर्ष 2018-19 में तालिका 2 में शुद्ध भुगतान का योग रु 4571305.00 आ रहा है। जबकि कुल भुगतान रु 5130234.00 में से टी.डी.एस. ,टी.डी.एन./वैट ,जमानत की कटौती के बाद यह भुगतान रु 4570831.00 होना चाहिए। अंतर रु 474.00 से ज्यादा भुगतान का कारण रहा है—

- (1) क्रम सं0 05 पर अब्दुल हफीज को रु 287792.00 के स्थान पर रु 03.00 से ज्यादा रु 287795.00 का चेक निर्गत करना रहा है।
- (2) क्रम सं0 10 पर अब्दुल हफीज को रु 243051.00 के स्थान पर रु 451.00 से ज्यादा रु 2243502.00 का चेक निर्गत करना रहा है।
- (3) क्रम सं0 11 पर अब्दुल हफीज को रु 265428.00 के स्थान पर रु 20.00 से ज्यादा रु 265448.00 का चेक निर्गत करना रहा है।

उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, अन्यथा स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत बहेड़ी

आपति सं0-04-श्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को— वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 473100.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री धनंजय सिंह ग्रा0वि0अ0 को रु0 303800.00 श्री इन्द्रपाल सिंह ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रु0 50950.00 और श्री अजय कुमार सक्सेना ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रु0 118350.00 भुगतान किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों में किया जाना चाहिए था। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर हाथ से अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा। जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक न करके अधिक दिनों में किया गया है जो अनियमित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य सं0 3 व 4 के कार्य प्रभारी श्री धनंजय सिंह हैं जब कि मजदूरी का भुगतान श्री अजय कुमार सक्सेना को किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 473100.00 का वर्ष 2017-18 में अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फरीदपुर,

आपति सं0-05-वैट/जी0एस0टी0 की कटौती कम या जमा की पुष्टि न होना—

वर्ष 2017-18 में कुल सामग्री क्रय रु0 1165332.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 46613.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि रु0 33939.00 की ही कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 12674.00 वैट की कटौती कम कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये वैट अंकन रु0 33939.00 के जमा की पुष्टि बैंक पासबुक से होती है किन्तु सम्बन्धित जमा चालान की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे उसके

जमा व सही मद में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फरीदपुर,

आपति सं०-06— श्रमांश के मद में मजदूरी को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को—

वर्ष 2018—19 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 1988750.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेशपाल सिंह ए०डी०ओ० पंचायत को रु० 931525.00 और श्री अजय कुमार सक्सेना ए०डी०ओ० आई०एस०बी० को रु० 1057225.00 भुगतान किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों में किया जाना चाहिए था। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर हाथ से अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि० प्रस्तुत नहीं रहा। जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक न करके अधिक दिनों में किया गया है जो अनियमित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1988750.00 का वर्ष 2018—19 में अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फरीदपुर,

आपति सं०-07—टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाना

टी०डी०एस० कटौती काजमा वर्ष 2018—19 में रु० 110873.00 किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक से होती है किन्तु सम्बन्धित जमा चालान की प्रतिलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे उसके जमा व सही मद में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार वर्ष 18—19 के अन्त में रु० 60142.00 टी०डी०एस० कटौती का धन अवशेष है जिसे समय से जमा न कर अनियमितता की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार दि० 27.12.18 को श्री जी इन्फ्राटेक के भुगतान से रु० 3554.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी है किन्तु न तो इसे राजकीय कोषागार में जमा किया गया है और न तो इसे ग्रांट रजिस्टर-2 के टी०डी०एस० कटौती व जमा शीर्ष में ही दर्शाया गया है बल्कि इसे रायल्टी शीर्ष में दर्शाया गया है जो अनियमित है। जिसे सुधार कर इनके अपने-अपने शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फरीदपुर,

आपति सं०-08—वैट/जी०एस०टी० की कटौती कम या जमा की पुष्टि न होना—

वर्ष 2018—19 के तालिका-2 के कार्य क्रमांक 1 से 5 तक सामग्री क्रय पर किये गये व्यय रु० 1561674.00 पर वैट की कटौती नहीं की गयी है जबकि 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 62467.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। ऐसा न कर राजस्व की क्षति की गई है। ऐसे में न काटे गये वैट रु० 62467.00 की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्डविकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

— ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार वर्ष 18—19 के अन्त में रु० 30983.00 सी०जी०एस०टी० व रु० 30983.00 एस०जी०एस०टी० कटौती का धन अवशेष है जिसे समय से जमा न कर अनियमितता की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष में सी०जी०एस०टी० के मद में रु० 40189.00 व एस०जी०एस०टी० के मद में रु० 40189.00 जमा किया गया दर्शित है। इनमें से दो चेको रु० 6415.00 प्रत्येक का भुगतान श्री सौरभ कुमार दीक्षित को बैंक पासबुक दि० 10.01.19 के अनुसार दर्शित है। किन्तु वर्ष में जमा से सम्बन्धित कोई चालान की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे उसके जमा व सही मद में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

क्षेत्र पंचायत फरीदपुर,

आपति सं०-०९- वर्ष 2018-19 में ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-

धनराशि	चेक सं०/दिनांक	भुगतान विवरण
165000.00	151569/15.12.18	आसिम अली ए०डि०ओ०,एस०टी० को विवाह व्यवस्था व विवाह सामग्री हेतु
80000.00	000003/22.01.19	विवाह अनुदान, 4 शादी (प्रति शादी रु० 20000.00)
40000.00	000004/01.02.19	विवाह अनुदान, 2 शादी (प्रति शादी रु० 20000.00)
20000.00	000005/08.02.19	विवाह अनुदान, 1 शादी (प्रति शादी रु० 20000.00)
20000.00	000006/13.02.19	विवाह अनुदान, 1 शादी (प्रति शादी रु० 20000.00)
20000.00	000007/13.02.19	विवाह अनुदान, 1 शादी (प्रति शादी रु० 20000.00)
5000.00	000008/13.02.19	आसिम अली ए०डि०ओ०,एस०टी० को विवाह व्यवस्था
40000.00	000010/06.03.19	आसिम अली ए०डि०ओ०,एस०टी० को विवाह व्यवस्था
280000.00	000011/11.03.19	विवाह अनुदान, 8 शादी (प्रति शादी रु० 35000.00)
70000.00	000012/13.03.19	विवाह अनुदान, 2 शादी (प्रति शादी रु० 35000.00)

योग- 740000.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक, लाभार्थियों की सूची नियम व शर्तों से सम्बन्धित आदेश पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फरीदपुर,

आपति सं०-10- वर्ष 2017-18 में कुल आहरित धनराशि रु 5525991.00 की निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रही। कुल धनराशि रु 5525991.00 की व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनुदान के सापेक्ष किए गए आहरण रु 5525991.00 अपुष्ट रहा। समस्त पत्रावली उपलब्ध कराकर किए गए व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

1. केन्द्र वित्त - 318952.00

2. राज्य वित्त - 5207039.00

योग - 5525991.00

क्षेत्र पंचायत भुता,

आपति सं०-11- वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंच के बैंक खाता सं० 35110100000662 के स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान कुल रु० 2631689 का आहरण किया गया है जिसके व्यय आदि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आहरित कुल धनराशि रु० 2610189.00 (नगद जमा रु० 21500 छोड़कर) के दुरुपयोग/अनियमित व्यय/अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता विवरण निम्नानुसार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	चेक सं०	दिनांक	आहरित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभियुक्ति
1	285	05.04.17	202887	आरिफ ट्रेडर्स	
2	286	05.04.17	229315	रामपाल	
3	287	04.05.17	115409	आरिफ ट्रेडर्स	
4	288	06.05.17	145325	नजरूल हसन	
5	289	18.05.17	50000	स्वयं	
6	292	09.08.17	5368	स्वयं	
7	293	09.08.17	2684	एल०के०एन	
8	291	19.08.17	1000	सरस्वती कन्सलटैन्ट	
9	294	07.09.17	120517	रामपाल	
10	290	07.09.17	3000	अमित अग्रवाल	
11	297	07.09.17	39424	आरिफ ट्रेडर्स	
10	298	07.09.17	32476	आरिफ ट्रेडर्स	
11	299	07.09.17	114669	आरिफ ट्रेडर्स	
12	300	07.09.17	174720	आरिफ ट्रेडर्स	
13	296	07.09.17	31149	रामपाल	

14	295	07.09.17	112067	रामपाल	
15	301	27.09.17	63857	नजरूल हसन	
16	302	27.09.17	286767	नजरूल हसन	
17	303	27.09.17	71819	नजरूल हसन	
18	304	27.09.17	136156	नजरूल हसन	
19	306	09.10.17	143186	नजरूल हसन	
20	305	09.10.17	209034	नजरूल हसन	
21	307	12.10.17	148801	नजरूल हसन	
22	308	17.10.17	77000	राजीव गुप्ता	
23	309	03.02.18	50000	स्वयं	
24	312	03.02.18	22903	रामपाल	
25	311	03.02.18	42156	आरिफ ट्रेडर्स	

क्षेत्र पंचायतमीरगंज,

आपति सं०-12-श्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान, कार्य प्रभारियों को – वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1116940 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्य प्रभारी श्रीमती पूनम सक्सेना ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) को रू० 891510 एवं श्री नजरूल हसन ग्रा० पं० अधिकारी को रू० 225430 को नगद भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गए उन पर मस्टर रोल क्रमांक नं० अंकित नहीं रहा और कार्यवार मस्टर रोल निर्गमन की पुष्टि में मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य पर लगे श्रमिक किस गाँव के हैं मस्टर रोल में उल्लेख नहीं रहा। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निसानी अंकित है, उसपर क्रमांक डालकर श्रमिकवार प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रयुक्त मस्टर रोल निर्माण कार्यवार विकास खंड से निर्गत नहीं रहा और कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिक के भुगतान की पुष्टि में अंगूठा निसानी/हस्ताक्षर पर क्रमांक डाल कर प्रमाणित नहीं किया गया है इसी प्रकार श्रमिकों को मजदूरी उनके खाते में भुगतान न करके कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को नगद भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार कार्य प्रभारियों द्वारा भुगतान प्रक्रिया का उचित पालन न करके आवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके श्रमिकों को नगद मजदूरी मद में अंकन रू० 1116940 का वर्ष 2018.19 में अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके लिए संबंधित कार्य प्रभारी/लेखाकार/खंड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायतमीरगंज,

आपति सं०-13-लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में रू० 113804.00 वैट/जी०एस०टी० की कटौती की गई है। जिसे नियमानुसार जमा किए जाने की पुष्टि कराई जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायतमीरगंज,

आपति सं०-14-वर्ष 2018-19 में सामग्री प्रमाणकों भुगतान के समय अंकन रू० 113805.00 की टी०डी०एस० 2 प्रतिशत कटौती की गई है और वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 6359554.00 की दर्शित है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रू० 127191.08 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार 13386.08 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन 113805.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/चालान/दखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा की पुष्टि न होने पर भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मीरगंज,

आपति सं०-15-श्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान, कार्य प्रभारियों को-वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 575330.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्य प्रभारी श्री संजीव कुमार ग्रा०वि०अ० को रु० 260060.00, श्री राजीश कुमार सक्सेना स०वि०अ० (सह०) को रु० 166635.00, श्री महेश चन्द्र वर्मा स०वि०अ० (सा०) को रु० 72965.00 एवं श्री भगवान दास ग्रा०वि०अ० को रु० 75670.00 को नगद भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल क्रमांक नम्बर अंकित नहीं रहा और कार्यवार मस्टर रोल निर्गमन की पुष्टि में मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य पर लगे श्रमिक किस गाँव के है, मस्टर रोल में उल्लेख नहीं रहा। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, उस पर क्रमांक डालकर श्रमिकवार प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रयुक्त मस्टर रोल, निर्माण कार्यवार विकास खंड से निर्गत नहीं रहा और कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिक के भुगतान की पुष्टि में अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर पर क्रमांक डाल कर प्रमाणित नहीं किया गया है। इसी प्रकार श्रमिकों को मजदूरी उनके खाते में भुगतान न करके कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को नगद भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार कार्य प्रभारियों द्वारा भुगतान प्रक्रिया का उचित पालन न करके अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके श्रमिकों को नगद मजदूरी मद में अंकन रु० 575330.00 का वर्ष 2017-18 में अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी/लेखाकार /खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नबाबगंज,

आपति सं०-16-श्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान, कार्य प्रभारियों को -वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 974540.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्य प्रभारी श्री महेश चन्द्र वर्मा स०वि०अ० (सा०) को रु० 275755.00 एवं श्री चैतन्य प्रकाश स०वि०अ० (पं०) को रु० 698785.00 को भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गए उन पर मस्टर रोल क्रमांक नम्बर अंकित नहीं है और कार्यवार मस्टर रोल निर्गमन की पुष्टि में मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य पर लगे श्रमिक किस गाँव के है, मस्टर रोल में उल्लेख नहीं रहा। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर अंकित है, उस पर क्रमांक डाल कर प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रयुक्त मस्टर रोल निर्माण कार्यवार विकास खंड से निर्गत नहीं रहा और कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों के भुगतान की पुष्टि में अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर पर क्रमांक डाल कर प्रमाणित नहीं किया गया है। इसी प्रकार श्रमिकों को मजदूरी उनके खाते में भुगतान न करके कार्य प्रभारियों द्वारा मजदूरों को नगद भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार कार्य प्रभारियों द्वारा भुगतान प्रक्रिया का उचित पालन न करके अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके श्रमिकों को नगद मजदूरी मद में अंकन रु० 974540.00 का वर्ष 2018-19 में अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी/लेखाकार /ख०वि०अ० समान रूप से उत्तरदायी है। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नबाबगंज,

आपति सं०-16-क- आलोच्य वर्ष 2018-19 में च०रा०वि० योजना के अंतर्गत निम्ननांकित विवरणानुसार मिट्टी एवं खड्डजा निर्माण कार्य पर प्रयुक्त मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु मस्टर रोल पर किसी भी श्रमिक का हस्ताक्षर /नि०अं० नहीं पाया गया, जबकि मस्टर रोल पर सम्बन्धित कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों के हस्ताक्षर/ नि०अं० व भुगतान प्रमाण अंकन कर हस्ताक्षर किया गया है। विवरण निम्नवत् है -

क्र०	कार्य का नाम	मस्टर रोल की अवधि	श्रमिक की सं०	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1.	ग्राम गजरौला में नवादा रोड से दीवान सिंह के घर तक मिट्टी व खड्डजा	21.10.2018 से 09.11.18	11	55135	श्री महेश चन्द्र वर्मा
2.	ग्राम-सतुइया कल्लों में ईदगाह से स्व० जसवीर के घर होते हुए सतुइया खुर्द बार्डर तक मिट्टी व खड्डजा	17.10.18 से 07.11.18	15	64830	''
3.	ग्राम- हरदुआ म० गौटिया से विथरी संपर्क मार्ग पर मिट्टी व खड्डजा	07.01.19 से 01.02.19	19	129045	श्री चैतन्य प्रकाश

		योग—	249010	

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार मिट्टी व खड़जा निर्माण कार्य पर कुल श्रमांश रु0 249010.00 भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्नांकित आपत्ति रही—

- (1) संलग्न मस्टर रोल पर क्रमांक नंबर अंकित नहीं रहा और कार्यवार मस्टर रोल निर्गमन की पुष्टि में मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा।
- (2) कार्य पर लगे श्रमिक किस गांव के हैं, उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रयुक्त मस्टर रोल पर श्रमिकों की हाजिरी अंकित रही, किन्तु किसी भी श्रमिक का हस्ताक्षर/नि0अं0 नहीं पाया गया, जबकि मस्टर रोल पर सम्बन्धित कार्य प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर/नि0अ0 व भुगतान का प्रमाण अंकन कर हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार श्रमिकों के बिना हस्ताक्षर/अ0नि0 के भुगतान प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती है और कार्य प्रभारी द्वारा नगद आहरण करके एवं उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु0 249010.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी, लेखाकार एवं खं0वि0अ0 उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नबाबगंज,

आपत्ति सं0-16-ख.- आलोच्य वर्ष 2018-19 के ग्राम— हरदुआ म0 गौटिया से बिथरी संपर्क मार्ग पर मिट्टी व खड़जा कार्य पर प्रयुक्त मस्टर रोल (13) दिनांक 05.12.18 से 29.12.18 तक 19 श्रमिकों में से 7 श्रमिकों को रु0 39530.00 भुगतान दर्शित रहा। जिस पर निम्नांकित आपत्ति रही—

- (1) संलग्न मस्टर रोल पर क्रमांक नंबर अंकित नहीं रहा और कार्यवार मस्टर निर्गमन की पुष्टि में मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा।
- (2) कार्य पर लगे श्रमिक किस गांव के हैं, उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रयुक्त मस्टर रोल में 19 श्रमिकों की उपस्थिति में से मात्र 12 श्रमिकों की उपस्थिति की पुष्टि में हस्ताक्षर/नि0अ0 दर्शित रहा। शेष 07 श्रमिकों की उपस्थिति की पुष्टि में हस्ताक्षर/नि0अ0 अंकित नहीं पायी गयी, जबकि मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी श्री महेश चन्द्र वर्मा का हस्ताक्षर पाया गया। शेष जिन श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अं0 नहीं पाया गया, विवरण निम्नवत् रहा—

मस्टर रोल पर श्रमिक क्रमांक	श्रमिक का नाम	धनराशि
11.	श्री सतवीर पुत्र मोहन लाल	5310.00
12.	“ लक्ष्मण पुत्र कालीचरन	5900.00
15.	“ सन्नी देवल पुत्र मोहन लाल	5605.00
16.	“ काली चरन पुत्र डोरी लाल	5900.00
17.	“ प्यारे लाल पुत्र किसन लाल	5605.00
18.	“ चन्दर सेन पुत्र किसन लाल	5605.00
19.	“ भजन लाल पुत्र चन्द्र सेन	5605.00
	योग	39530.00

इस प्रकार उपरोक्त श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अं0 के बिना भुगतान प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती है। अतः उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु039530.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री महेश चन्द्र वर्मा स0वि0अ0 (सां0), सम्बन्धित लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नबाबगंज,

आपत्ति सं0-16-ग- आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम—सतुइया कलां में ईदगाह से स्व0 जसवीर के घर होते हुए सतुइया खुर्द बार्डर तक मिट्टी व खड़जा कार्य पर प्रयुक्त मस्टर रोल संख्या 7 दिनांक 25.09.18 से 11.10.18 तक 15 श्रमिकों को रु0 45500.00 भुगतान दर्शित रहा। जिसपर निम्नलिखित आपत्ति रही —

- (1) संलग्न मस्टर रोल पर क्रमांक नंबर अंकित नहीं रहा और कार्यवार मस्टर निर्गमन की पुष्टि में मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा।
- (2) कार्य पर लगे श्रमिक किस गांव के हैं, उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रयुक्त मस्टर रोल में 15 श्रमिकों में से मात्र 11 श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अ0 रहा। शेष 4 श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अ0 नहीं रहा और शेष 4 श्रमिकों में किसका हस्ताक्षर/अं0नि0 नहीं रहा, अस्पष्ट रहा। चूँकि मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अं0 पर क्रमांक डाल कर कार्यप्रभारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं रहा। इस प्रकार जो अन्य 11 श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अं0 अंकित रहा, वह भी प्रमाणक के अभाव में संदिग्ध

रहा। अतः रु0 45500.00 धन के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री महेश चन्द्र वर्मा स0वि0अ0(सां0), सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नवाबगंज,

आपति सं0 17—आलोच्य वर्ष 2018—19 में च0रा0वि0 योजना के अंतर्गत सामग्री क्रय के अनुसार जी0एस0सी0 अंकन रु0 76739.00 लगाया जाना चाहिए किन्तु जी0एस0टी0 रु0 66189.00 ही लगाया गया है, जिसके आधार पर रु0 10550.00 से कम जीएसटी0 लगाकर राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसका विवरण निम्नांकित है—

1. सतुईया कला में ईदगाह से स्व0 जगबीर के घर होते हुए सतुईया खुर्द के बॉर्डर तक मिट्टी एवं खड़ंजा रु0 5300.00
2. ग्राम गजरौला में नवादा रोड से दीवान सिंह के घर तक मिट्टी एवं खड़ंजा निर्माण रु0 4240.00
3. वि0खं0 नवाबगंज में स0वि0अ0(पं0) कार्यालय का निर्माण रु0 1010.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कार्य पर रु0 10550.00 से जीएसटी न काट कर राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नवाबगंज,

आपति सं0—18—मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत शासनादेश सांख्या 161/2017/44यू0आई0पी0/26-03-2017-4(188)93 टी0सी दि0 12.10.17 के अनुसार एक जोड़ा कन्या के विवाह हेतु अनुमन्य धनराशि रु0 35000.00 निर्धारित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत रहा—

शासनादेश संख्या के अन्तर्गत क्रमांक (i) के अनुसार कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रु0 20000.00 जो कन्या के खाते में अंतरित का प्राविधान है—

- (ii) विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चाँदी के, तथा 07 बर्तन) रु0 10000.00
- (iii) कार्यक्रम आयोजन हेतु, भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, प्रकाश आदि व्यवस्था हेतु रु0 5000.00 आदि।

उक्त योजना अन्तर्गत सोनी पुत्री विनोद कुमार नि0 तयारजागीर, नवाबगंज, बरेली हेतु श्री आसिफ अली ए0डी0ओ0 (स0क0) को दि0 31.12.18 चेक संख्या 161269 द्वारा रु0 15000.00 भुगतान किया गया है, जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया और दि0 07.01.19 को चेक संख्या 161271 द्वारा रु0 20000.00 कन्या भरण पोषण हेतु चेक निर्गत रहा। किन्तु पत्रावली के अवलोकन में निम्नलिखित कमियां पायी गयी—

- (i) आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 की फोटो कॉपी संलग्न रही।
- (ii) रु0 15000.00 के व्यय सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।
- (iii) रु0 20000.00 का चेक निर्गत रहा, किन्तु धनराशि अवमुक्त किए जाने की औपचारिकता पूर्ण नहीं रही।

उक्त आपत्ति की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 1401/लेखा/सा0वि0यो0/2019 दि0 17.01.19 द्वारा श्री आसिफ अली, प्र0सं0वि0अ0 (स0क0) को पत्र के माध्यम से उक्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। पत्र के द्वारा परिशिष्ट 01 आदि की कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गयी है, कि चेतावनी भी दी गयी है। किन्तु उक्त पत्रावली की औपचारिकता पूर्णता के अभाव में भी पत्र दि0 17.01.19 को लिखने के पूर्व में दि0 31.12.18 को चेक संख्या 161269 द्वारा रु0 15000.00 एवं दिनांक 07.01.19 को चेक संख्या 161271 द्वारा रु0 20000.00 को अवमुक्त करने का औचित्य क्या रहा। अस्तु लेखा परीक्षा की तिथि तक उक्त व्यय की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाणक/औपचारिकता पूर्णता की कमी रही जिससे दर्शित व्यय रु0 35000.00 दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए सम्बन्धित श्री आसिफ अली, स0वि0अ0 (स0क0) एवं औपचारिकता पूर्णता के अभाव में भी धनराशि को अवमुक्त करने हेतु लेखाकार व खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नवाबगंज,

आपतिसं०-19-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को-वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 1373028.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विवेक गंगवार ,ग्राम विकास अधिकारी को भुगतान किया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल नं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खंड से निर्गत नहीं है। जो अंगुठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से सपष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है।और मजदूरी मद में अंकन रु 1373028.00 का वर्ष 2017-18 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/ कार्यप्रभारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बिथरी चैनपुर

आपतिसं०-20-रु 88703.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु 95.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2017-18 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 88703.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है। और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 4429876.00 की दर्शित है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु 88597.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु 95.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। साथ ही काटे गए टी० डी० एस० अंकन रु 88703.00 के जमा की पुष्टि में इश्यु चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बिथरी चैनपुर

आपतिसं०-21-श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर रु 613275.00 का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री छत्रपाल गंगवार, सहायक विकास अधिकारी ,पंचायत, प्रभारी को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित है,अर्थात यह विकास खण्ड से निर्गत है। पर मस्टर रोल पर जो अंगुठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गलत रूप से मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में कुल रु 613275.00 का वर्ष 2018-19 में कार्य प्रभारी श्रीछत्रपाल गंगवार ,सहायक विकास अधिकारी ,पंचायत, प्रभारी को कर योजनाबद्ध तरीके से अनियमितता किया गया है। जिसके लिए बी० डी० ओ०/जे० ई० /लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फतेहगंज प०

आपतिसं०-22-वर्ष 2017-18 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। समस्त पत्रावली प्रस्तुत कर किए गए व्यय रु 1445211.00 की पुष्टि कराई जाए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फतेहगंज प०

आपतिसं०-23-रु 211868.00 टी०डी०एस०/जी०एस०टी० जमा की पुष्टि में प्रमाणक सुलभ न कराया जाना :- वर्ष 2018-19 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 211868.00 की टी०डी०एस०/जी०एस०टी की कटौती की गई। काटे गये टी०डी०एस०/जी०एस०टी अंकन रु 211868.00 जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराये गये।जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपत्ति सं-24—वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के सयम सिक्क्योरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 544006.00 कटौती की गई। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में सगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/विकास खण्ड अधिकारी से की जाये।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपत्ति सं-25—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यो पर अंकन 2102810.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रेम शंकर पाली ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रु0 1489520.00 एवं श्री राघवेन्द्र सिंह यादव सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को रु0 613290.00 भुगतान कर दिया गया। कतिपय मस्टर रोल पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है की मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया व भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया। उपरोक्त धनराशि में से रु0 342260.00 (शेष अन्य आपत्तियों में) श्री प्रेम शंकर पाली द्वारा नकद भुगतान प्राप्त कर मजदूरी भुगतान दर्शाया गया। जो अनियमित रहा। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपत्ति सं-26—आपूर्ति कर्ता फर्म /व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना ग्राम झिंझरी सम्पर्क मार्ग पर ग्राम हिम्मतपुर होते हुए बांध तक सी0सी0 रोड निर्माण पर चेक सं0 109 दिनांक 05.11.18 से रु0 599684.00 का भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता अस्पष्ट/नैनीताल बैंक खाते में है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 599684.00 का चेक का भुगतान किसे हुआ स्पष्ट नहीं है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट नहीं होता है। भुगतान की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपत्ति सं-27—कार्य—ग्राम नौरंगपुर, ट्रॉन्स्फार्मर से मजरा गौटिया तक खंडजा मिट्टी

कार्य—निम्न कमियाँ पायी गई—

1. सी0जी0एस0टी0/जी0एस0टी0 2 प्रतिशत नहीं काटा गया जिससे राजस्व की क्षति हुई रु0 5274.00
2. निविदा शर्त के अनुसार आपूर्तिकर्ता से प्रस्तुत बिल पर 0.5 प्रतिशतकी कटौती की जानी थी जो नहीं की गई। अतः रु0 1193.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।
3. एम0आर0 38 पर कार्य दिनांक 28.05.18 से दिनांक 06.06.18 रु0 53000.00 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पास दिनांक 04.06.18 में किया जाना अनियमित/गबन होने की सम्भावना की पुष्टि करता है।
4. एम0आर0 39 एवं एम0आर0 38 दोनों पर ही दिनांक 4/6, 5/6 व 6/6 में मजदूर अरविन्द पुत्र श्री सुरेश की उपस्थिति है। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया। अतः क्र0सं0 (5 के दृष्टिगत रु0 53000.00 अपहृत है)।
5. दिनांक 26.06.18 को उक्त कार्य के बिल से काटी गई/जमा कराई गई जमानत की धनराशि रु0 42930.00 वापस कर दी गई। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत नियमावली 1984 के नियम सं0 23(2) के अनुसार कम-से-कम छः माह रोक कर रखी जानी थी। एक दिन भी रोक कर नहीं रखा जाना अनियमितता को दर्शाता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार जिम्मेदार हैं।
6. प्रयुक्त एम0आर0 37 दिनांक 18.05.18 से दिनांक 27.05.18 रु0 51675.00 भुगतान हेतु पास नहीं परन्तु भुगतान कर दिया गया जो अनियमितता है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपतिसं०-28-कार्य-बल्लिया त्रिकुनिया मार्ग से हरी प्रकाश के खेत तक सी०सी० रोड-निम्न कमियाँ पायी गई-

1. प्रस्तुत बिल पर 2 प्रतिशत सी०जी०एस०टी०/जी०एस०टी० नहीं काटा गया जिससे राजस्व की क्षति हुई- रु० 7189.00
2. प्रस्तुत बिल का कटौती उपरान्त रु० 323495.00 भुगतान होना था जबकि रु० 323498.00 किया गया।
3. दिनांक 23.05.18 को काटी गई जमानत की राशि रु० 28756.00 दिनांक 26.06.18 को वापस कर दी गई जबकि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत नियमावली 1984 के नियम सं० 23(2) के अनुसार छः माह रोक कर रखी जानी थी।
4. उक्त कार्य के मस्टर रोल प्रमाणक से स्पष्ट है कि दिनांक 23.05.18 से कार्य प्रारम्भ हुआ है, जबकि सामग्री की आपूर्ति रु० 359440.00 दिनांक 21.05.18 तक हो गई थी तथा भुगतान दिनांक 23.05.18 को हो गया था। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सामग्री की आपूर्ति बिल का प्रस्तुत व भुगतान होना संदेह को उत्पन्न करता है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपतिसं०-29-कार्य-चांदपुर रोड से कैमुआ मोड़ तक खड़जा निमार्ण कार्य-निम्न कमियाँ पायी गई-

1. खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 636 दिनांक 11.07.18 द्वारा उक्त कार्य के लिए कार्य प्रभारी राघवेन्द्र सिंह यादव ए०डी०ओ०(सी) के स्थान पर प्रेम शंकर पाली ए०डी०ओ० आई०एस०बी० को अधिकृत किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि श्री राघवेन्द्र सिंह यादव के लम्बे अवकाश पर होने के कारण श्री पाली को कार्य प्रभारी नियुक्त किया जाता है। परन्तु उक्त कार्य के लिए प्रयुक्त एम०आर० उक्त आदेश की पुष्टि नहीं करते हैं। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी एम०आर० तैयार कर धनराशि का अपहरण किया गया साथ ही क्रय सामग्री रु० 182850.00 का उपयोग भी अपुष्ट रहा। उपभोग अपुष्ट होने से भुगतान अपुष्ट रहा।

एम० आर० नं०	मजदूरों की उपस्थिति	चेक की धनराशि	भुगतान पाने वाला	दिनांक
49	18.06.18 से 24.06.18	36755.00	प्रेम शंकर पाली	12.07.18
50	30.06.18 से 06.07.18	36835.00	प्रेम शंकर पाली	11.07.18
51	07.07.18 से 13.07.18	19345.00	राघवेन्द्र सिंह यादव	26.10.18

एम०आर० 49, 50, 51 के विवरण से स्पष्ट है कि कार्य दिनांक 18.06.18 से प्रारम्भ होकर दिनांक 13.07.18 को समाप्त हुआ है। दिनांक 11.07.18 को प्रेम शंकर पाली का आदेश मात्र धनराशि आहरण कर खुर्द बुर्द करने हेतु किया गया। जब दिनांक 11.07.18 को आदेश हुआ तो पूर्व के कार्य व एम०आर० पर उपस्थिति सत्यापन कैसे किया गया। श्री राघवेन्द्र सिंह यादव द्वारा दिनांक 07.07.18 से दिनांक 13.07.18 के कार्य को दिनांक 26.10.18 में क्यों प्रमाणित कर भुगतान प्राप्त किया गया। कार्य प्रमाणित किये जाने से स्पष्ट है कि दिनांक 07.07.18 से 13.07.18 तक कार्य श्री यादव की देख-रेख में हुआ है।

पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि खड़जा बिछाया जाना दर्शित के बाद भी 11 मजदूरों से 7 दिन तक (दिनांक 07.07.18 से 13.07.18) कार्य किया जाना दर्शाया गया है। एम०आर० 49 पर मजदूर गोपाल पुत्र श्री जोग राज द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जबकि एम०आर० 51 पर नि० अंगूठा है। कार्य होने की पुष्टि में एम०बी० भी नहीं प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करता है कि धन को खपाने के उद्देश्य से उक्त कार्य दर्शाया गया। अतः उक्त की वसूली धन रु० (182950.00 एवं 92935.00) 275785.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतान प्राप्तकर्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से संयुक्त रूप से की जाय।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपति सं०-30-कार्य-बल्लिया चांदपुर रोड से राम बहादुर बाल्मिकी तक सी०सी० रोड निमार्ण-

1. आपूर्ति की गई सामग्री के बिलों पर 2 सी०जी०एस०टी०/जी०एस०टी० न कर रु० 6934.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।
2. उक्त कार्य हेतु मात्र दो निविदा प्राप्त दर्शित है व कार्य कराया गया है जो नियमानुसार गलत है। कम से कम तीन निविदा प्राप्त होने के उपरान्त ही वैध माना जाना चाहिए था। उक्त कार्य के लिए सामग्री

आपूर्ति हेतु भारत मशीनरी स्टोर की निविदा स्वीकार की गई। पत्रावली में संलग्न अनुबंध पत्र में जो स्टाम्प पेपर प्रयोग में लाया गया है (क्रमांक इ0ए0 593018) वह मुक्ता ट्रेडर्स बरेली के नाम निर्गत है, जिस पर स्टाम्प विक्रेता का रजिस्टर क्रमांक 3977/100 अंकित है। अनुबंधकर्ता अनिल कुमार पुत्र श्री सिपटटर लाल फर्म भारत मशीनरी स्टोर है। अनुबंध पत्र पर यह अंकित है कि दिनांक 24.07.18 को हमारी फर्म को सामग्री आपूर्ति किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया है। जबकि निविदा खुलने की तिथि दिनांक 25.07.18 है। ऐसी स्थिति में दिनांक 24.07.18 को आपूर्ति आदेश कैसे निर्गत किये जा सकते हैं।

3. मजदूरी भुगतान हेतु प्रयोग में लायी गई मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये हैं। मस्टर रोल के अवलोकन से स्पष्ट है कि कई मजदूरों के किसी मस्टर रोल पर नि0 अंगूठा है किसी मस्टर रोल पर हस्ताक्षर हैं। यह स्थिति संदिग्ध है। यथा— मजदूर—वेदपाल पुत्र राम दास, सतीश पुत्र मोहन।

अतः उपरोक्त के क्रम में समस्त दर्शित व्यय अनियमित है। स्थिति की जांच कराकर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपत्ति सं0-31— कार्य—विकास खण्ड परिसर में सी0सी0 रोड निर्माण—

1. आपूर्ति की गई सामग्री के बिलों पर 2 प्रतिशत: सी0जी0एस0टी0/जी0एस0टी0 कटौती न कर रु0 7031.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।
2. उक्त कार्य हेतु मात्र दो निविदा प्राप्त हुई व कार्य कराया गया जो नियमानुसार गलत है। पत्रावली के अवलोकन में निम्न तथ्य प्रकाश में आये।
3. मुक्ता ट्रेडर्स को उक्त कार्य हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये। मुक्ता ट्रेडर्स द्वारा प्रस्तुत बिल, सप्लाई के बिल है जबकि प्रदत्त जानकारी अनुसार उक्त फर्म द्वारा टैक्स इनवोयस भी जारी किया जाता है।
4. अरनेस्ट मनी की पुष्टि में नैनीताल बैंक की एफ0डी0आर0आइ0एस0 सं0 517169 रु0 5400.00 की सर्टीफिकेट की फोटो प्रति संलग्न है।
5. भारत मशीनरी द्वारा जो अरनेस्ट मनी के रूप में एन0एस0सी0 सर्टीफिकेट जमा की गई वह रु0 5000.00 की है जबकि 5400.00 की होनी चाहिए थी।
6. भारत मशीनरी द्वारा प्रस्तुत खण्ड 'ख' वित्तीय विंड दर में अपर लेखन किया गया है।
7. तुलनात्मक चार्ट पर सिर्फ खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है जबकि कमेटी के अन्य सदस्यों के भी होने चाहिए।
8. अनुबंध—पत्र कब तैयार किये गया अस्पष्ट है। प्रयुक्त स्टाम्प पेपर इ0ए0 593016 कब क्रय किये गये तथा नोटरी क्यों नहीं कराई गई आदि अस्पष्ट है तिथि भी अंकित नहीं है। उक्त स्टाम्प पेपर पर 6 कार्य के नाम अंकित है जबकि अलग—अलग कार्य हेतु अलग—अलग अनुबंध होना चाहिए।
9. स्वीकृति आपूर्ति दिनांक में भी अपर लेखन किया गया है। अतः रु0 431648.00 का कार्य अनियमित ढंग से कराते हुए भुगतान किया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपत्ति सं0-32— कार्य—भमौरा में पानी की टंकी से होते हुए वृदावन कश्यप के मकान तक सी0सी0 रोड

1. आपूर्ति की गई सामग्री के बिलों पर 2 प्रतिशत: सी0जी0एस0टी0/जी0एस0टी0 कटौती न कर रु0 4945.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।
2. उपरोक्त कार्य हेतु मात्र दो निविदा प्राप्त हुई व दो निविदा प्राप्त होने पर ही कार्य कराया गया जो नियमानुसार गलत है।
3. तुलनात्मक चार्ट पर सिर्फ खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है। जबकि अन्य सदस्यों के भी होने चाहिए। यह स्थिति स्पष्ट करता है कि निविदा स्वीकार/कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु कोई कमेटी नहीं बनाई गई जो अनियमित है।
4. अनुबंध पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि निविदा प्राप्त कर्ता फर्म मुक्ता ट्रेडर्स की ओर से आसिफ अली खाँ पुत्र साविर अली द्वारा स्टाम्प पेपर नं0 इ0 ए0 593016 में तिथि बदल कर फोटो कॉपी कराई गई जो धोखाधड़ी प्रदर्शित करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्रमांक का स्टाम्प पेपर बांके बिहारी ब्रिक

फील्ड के नाम से क्रय किया गया है जो स्टाम्प विक्रेता द्वारा क्रमांक 3959 दिनांक 22.07.18 पर दर्ज है। यह भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि जब निविदा दिनांक 25.07.18 को स्वीकृत हुई तो दिनांक 22.07.18 में ही अनुबंध हेतु तथा शपथ पत्र हेतु स्टाम्प क्रय कर ली गई।

5.सामग्री आपूर्ति हेतु निर्गत बिल नं० 35 दिनांक 13.08.18 को जारी की गई जबकि अन्य कार्य हेतु इसी फर्म द्वारा निर्गत बिल नं० 36 दिनांक 03.08.18 को जारी की गई है। ऐसी स्थिति में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सम्बन्धित फर्म से सांट-गांट कर धनराशि खपाया जा रहा है। अतः अनियमित तरीके से कार्य दर्शाकर भुगतान किया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपतिसं०-33-कार्य-ग्राम उरला में बाबू के घर से विजेन्द्र के खेत तक खड़जा निर्माण-

1.उपरोक्त कार्य मात्र दो निविदा प्राप्त होने पर कराया गया जो नियमानुसार गलत है।

2.आपूर्ति आदेश बांके बिहारी ब्रिक फील्ड को तथा निविदा भी बांके बिहारी ब्रिक फील्ड की स्वीकृत परन्तु अनुबंध भारत मशीनरी स्टोर से की गई।

3.उपरोक्त कार्य के लिए प्रयुक्त एम०आर० के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्य हेतु निविदा स्वीकृत होने/निविदा खुलने की तिथि से पूर्व ही मस्टर रोल का निर्गत कर दिया गया है तथा निविदा खुलने से पहले ही एम०आर० नं० 60, 61 (दिनांक 21.07.18 से 22.07.18) से रु० 67575.00 का मजदूरी भुगतान किया गया है।

एम०आर० क्रमांक/निर्गमन तिथि

60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, / 20.07.18

73, 74, 75 / 18.08.18

4.मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि कतिपय मजदूरों के हस्ताक्षर में भिन्नता है यथा-सादिक पुत्र शफार तथा कतिपय मजदूरों के किसी मस्टर रोल पर नि० अंगूठा है तो किसी मस्टर रोल पर हस्ताक्षर हैं यथा-

एम०आर० नं०/धनराशि नि० अंगूठा 68, 69 / 45680.00 मंकूलाल

65, 66 / 43140.00 कंचन लाल

67 / 7950.00 मेघराम

एम०आर० नं०/ धनराशि हस्ताक्षर 65, 66 / 43940.00 मंकूलाल

67 / 7950.00 कंचन लाल

65, 66 / 43140.00 मेघराम

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि फर्जी एम०आर० तैयार कर भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया।

अतः उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य के लिए दर्शित व्यय रु० 626973.00 संदिग्ध है। जिसकी जांच कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाय।

5.आपूर्ति की गई सामग्री के बिलों पर 2 प्रतिशत: सी०जी०एस०टी०/जी०एस०टी० न काटकर रु० 8115.00 की राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपतिसं०-34-कार्य-ग्राम हिम्मतपुर में शिव मंदिर से मस्जिद तक खड़जा व सुरक्षा दीवार

निर्माण मजरा मढ़िया तक-

1. निविदा फार्म बिक्री से प्राप्त पे आर्डर 854 की तीन है जो दिनांक 20.07.18 को निर्गत है जिसे लेखा परीक्षा तिथि तक भुनाया नहीं गया था। जिससे रु० 2562.00 की राजकीय धन की क्षति हुई। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

2. उक्त कार्य हेतु मस्टर रोल से रु० 425490.00 भुगतान किया गया परन्तु किसी भी मस्टर रोल पर क्रमांक अंकित नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य किया जाता है।

3. मजदूर अनुज पुत्र ओम प्रकाश के किसी एम०आर० पर नि० अंगूठा है तो किसी एम०आर० पर हस्ताक्षर है यथा एम०आर० (दिनांक 10.11.18 से 19.11.18) रु० 52135.00 पर नि० अंगूठा तथा एम०आर० (दिनांक 22.10.18 से 31.10.18, 17.06.19 से 23.06.19) रु० 52320.00 व रु० 33975.00 पर हस्ताक्षर। उक्त

स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि से सम्बन्धित एम0आर0 फर्जी तैयार कर भुगतान दर्शाया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपतिसं0-35-कार्य-ग्राम झिंझरी सम्पर्क मार्ग पर ग्राम हिम्मतपुर होते हुए बांध तक सी0सी0 रोड निर्माण- 1. उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल क्रमांक 76, 77, 78, 79, 80, 81 व 82 से कार्य ग्राम हरामपुर बल्लिया चादपुर रोड से राम बहादुर बाल्मिकी तक सी0सी0 रोड पर भी कार्य दर्शाया गया है। एम0आर0 क्रमांक 76 से 82 द्वारा उपरोक्त कार्य पर कुल रु0 212320.00 दर्शाया जाना फर्जी प्रतीत होता है। चूँकि एक ही क्रमांक के दो-दो एम0आर0 निर्गत नहीं किया जा सकता है-

एम0आर0 क्रमांक /धनराशि

76, 77 / 69190.00

78 / 37990.00

79 / 30245.00

80 / 34565.00

81, 82 / रु 40330.00

212320.00

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूर जोगराज पुत्र कल्लू, तेजपाल पुत्र जागन एवं प्रेमपाल पुत्र वली सहाय द्वारा एम0आर0 रु0 22350.00 एवं 30245.00 पर धन प्राप्ति की पुष्टि में नि0 अंगुठा अंकित है जबकि एम0आर0 रु0 34565.00 पर हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट है कि एम0आर0 फर्जी बनाकर भुगतान दर्शाया गया है। एम0आर0 फर्जी होने की स्थिति में उक्त कार्य पर दर्शित सामग्री व्यय भी संदिग्ध है। अतः इसकी आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

2. निविदा हेतु जो शुल्क लिए गये उनसे सम्बन्धित पे आर्डर पत्रावली में संलग्न पाये गये जो दिनांक 19.07.18 को बैंक द्वारा जारी किया गया। अतः 2562 (854 ग 3) का पे आर्डर न भुनाकर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। जिसके लिए लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आलमपुर जाफराबाद

आपतिसं0-36-कार्य-ग्राम बिहारीपुर में श्याम लाल के खेत से प्यार लाल के खेत तक कुसारी मुख्य मार्ग पर खड़जा कार्य-

1. निविदा हेतु जो शुल्क जमा किये गये उससे सम्बन्धित डी0डी0 854 X3 रु0 2562.00 पत्रावली में संलग्न पाया गया जिसे लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं भुनाया गया था जिससे राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। जिसके लिए लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

2. आपूर्ति बिल नं0 174 से 180 एवं 183 से 192 पर प्रत्येक बिल की धनराशि पर रु0 86.00 से कम भुगतान होना था जबकि पूर्ण धनराशि का भुगतान किया गया। अतः रु0 1032.00 से अधिक भुगतान किया गया।

3. मस्टर रोल के जांच में पाया गया कि एक ही मजदूर/राज द्वारा किसी एम0आर0 पर नि0 अंगुठा तथा किसी एम0आर0 पर धन प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि एम0आर0 फर्जी तैयार कर भुगतान दर्शाया गया है- यथा एम0आर0 दिनांक 29.09.18 से दिनांक 08.10.18 रु0 58315.00 पर राजवीर सहाय द्वारा नि0 अंगुठा तथा एम0आर0 दिनांक 08.09.18 से दिनांक 14.09.18 रु0 44620.00 पर हस्ताक्षर किया गया है।

4. एम0आर0 दिनांक 15.06.19 से दिनांक 21.06.19 रु0 42275.00 पर मजदूर अरविन्द पुत्र सुरेश द्वारा धन प्राप्ति की पुष्टि में नि0 अंगुठा तथा एम0आर0 दिनांक 01.08.18 से 07.08.18 रु0 54590.00 पर हस्ताक्षर किया गया है।

5. मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि एम0आर0 क्रमांक 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 का प्रयोग कार्य ग्राम झिंझरी सम्पर्क मार्ग पर ग्राम हिम्मतपुर होते हुए बांध तक सी0सी0 रोड निर्माण में भी प्रयोग किया गया है। एक ही नं0 के एम0आर0 का प्रयोग अलग-अलग कार्यों हेतु करने से स्पष्ट है कि एम0आर0 फर्जी तैयार कर भुगतान प्राप्त किया गया है।

एम0आर0 नं० 02 / धनराशि

82, 83 / 58315.00

84, 85 / 43405.00

86, 87 / 43670.00

88, 89 / 44620.00

190010.00

अतः धनराशि के भुगतान हेतु चेक नं० 99 निर्गत परन्तु बैंक से रु० 189830.00 भुगतान हुआ। अतः रु० 180.00 से कम भुगतान का कारण भी अज्ञात रहा।

6. उक्त कार्य के लिए निविदा दिनांक 23.07.18 को खुली तो एम0आर0 दिनांक 18.07.18 से क्यों प्रयोग में लायी गई। एम0आर0 क्रमांक 54 व 55 से दिनांक 18.07.18 से दिनांक 24.07.18 तक कार्य कराये गये जिस हेतु रु० 56445.00 का भुगतान किया गया। जो स्पष्ट करता है कि भुगतान फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

7. उपरोक्तानुसार एम0आर0 के संदिग्ध/फर्जी होने से उक्त कार्य के लिए क्रय सामग्री की उपयोगिता भी सिद्ध नहीं होती है। अतः किया गया भुगतान रु० 1189316.00 भी अनियमित है, जिसकी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-37—सामग्री व मजदूरी मद में प्रमाणक विहित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण करना—आलोच्य वर्ष 2017-18 में अनुदान रजिस्टर 2 व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर फर्मों/व्यक्तियों को भुगतान दर्शाया गया है। किन्तु लेखापरीक्षा में अपेक्षा के बावजूद प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कुल दर्शित धनराशि रु० 733928.00 में से फर्म के नाम रु० 365138.00 व हरेन्द्र सिंह मरतौलियों द्वारा रु० 368790.00 व्यय की पुष्टि नहीं होती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	चेक संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	फर्म/भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
1	330 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	आदर्श ईट	209939.00
2	345 / 09.05.2017	ग्राम कुवर गढा में खडन्जा नाला	आदर्श ईट	35983.00
3	361 / 09.05.2017	ग्राम कुवर गढा में खडन्जा नाला	मौर्या बिल्डिंग मैटेरियल	34404.00
4	342 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	मौर्या बिल्डिंग मैटेरियल	84812.00
5	368 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	55490.00
6	362 / 09.05.2017	ग्राम कुवर गढा में खडन्जा नाला	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	46915.00
7	366 / 09.05.2017	ग्राम कुवर गढा में खडन्जा नाला	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	44890.00
8	363 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	70980.00
9	365 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	31200.00
10	367 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	14675.00
11	364 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	28575.00
12	343 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	46550.00
13	344 / 09.05.2017	ग्राम सिमरावों में नाला निर्माण	हरेन्द्र सिंह मरतौलियों	29515.00

इस प्रकार कुल दर्शित धनराशि रु 733928.00 कि पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य रजिस्टर, टेण्डर/कुटेशन, एमओआर, कार्य माप पंजिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा (जबकि पंचायत राज वित्तीय प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के 8 (क) के अनुसार यदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि व्यय में दर्शित धनराशि को अपहरण माना जायेगा) जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार, कार्य प्रभारी, जेओ खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत शेरगढ़,

आपत्ति सं-38—श्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को—आलोच्य वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य पर अंकन रु 573170.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री छेदा लाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 449125.00 व श्री बेदप्रकाश पदनाम स्टोर कीपर (एसओके) को रु 124045.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल क्रमांक नम्बर अंकित नहीं रहा और कार्यवार मस्टर रोल निर्गमन की पुष्टि में मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य पर लगे श्रमिक किस गांव के है मस्टर रोल में उल्लेख नहीं रहा। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है उस पर क्रमांक डाल कर श्रमिक बार प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रयुक्त मस्टर रोल निर्माण कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं रहा और कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिक के भुगतान की पुष्टि में अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर पर क्रमांक डालकर प्रमाणित नहीं किया गया है। इसी प्रकार श्रमिकों को मजदूरी उनके खाते में भुगतान न करके कार्यप्रभारी द्वारा मजदूरों को नगद भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार कार्यप्रभारियों द्वारा भुगतान प्रक्रिया का उचित पालन न करके अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके श्रमिकों को नगद मजदूरी मद में अंकन रु 573170.00 का वर्ष 2018-19 में अनियमित भुगतान किया गया है जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी, लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप- 3

जनपद का नाम — पीलीभीत, मण्डल का नाम — बरेली

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :-

प्रस्तर संख्या-1

क्षेत्र पं०- ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19)

लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में तालिका-01 एवं तालिका-02 के अनुसार कुल व्यय रु 2644239.00 का कुल उपलब्ध 10 निर्माण पत्रावलियों अनुसार किये जाने की पुष्टि हो रही है। जबकि इलाहाबाद बैंक, ललौरीखेड़ा शाखा के खाता सं०- 21716915760 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग) से रु 3649885.00 तथा खाता सं०- 50368490084 इलाहाबाद बैंक से रु 326874.00 कुल रु 3976759.00 का आहरण किया गया है, जिसमें से रु 510654.00 गत वर्ष के असमायोजित चैकों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार वर्ष हेतु कुल आहरण रु 3466105.00 किया गया है। जबकि उपलब्ध पत्रावलियों अनुसार कुल व्यय (रु 3466105.00 - 2644239.00) = रु 821866.00 से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गई। अतः रु 821866.00 का आहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि को गवन मानते हुए वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः रु 821866.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा०) मुकेश कुमार तथा ब्लाक प्रमुख श्री प्रवीण गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

(साओआओसं०- 15)

क्षेत्र पं०-बीसलपुर, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19)

प्रस्तर -2 ग्राम नवदिया भगत में रूपलाल की जगह से अम्बेडकर पार्क होते हुए मो० पुर भजा सम्पर्क मार्ग तक खड्गजा कार्य हेतु तैयार किए गये प्राक्कलन में कुल 54339 ईट खंजर रु० 5300.00 प्रति हजार + जी०एस०टी० का प्रावधान किया गया है। जबकि एम०बी० में 55690 ईटें खंजर का उपभोग दर्शाया गया है। इस प्रकार 1351 ईट खंजर का अधिक उपभोग किया गया है, जिस पर जी०एस०टी० सहित रु० 7518.00 अधिक व्यय किये गये हैं। इसी प्रकार प्राक्कलन में बाब सॉलिंग विद सोब ब्रिक इन्चलूडिंग ऑल कम्पलीट 921 वर्ग मीटर की दर से रु० 58023.00 के व्यय को प्रावधान किया गया है, जबकि एम०बी० में इस हेतु 943.88 वर्ग मी० की दर से रु० 59464.44 का व्यय किया गया है। अतः इस मद में रु० 1441.00 की अधिक एम०बी० की गयी है। प्राक्कलन की लागत से अधिक व्यय होने की दशा में संशोधित प्राक्कलन तैयार कर एम०बी० कर भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु उक्त कार्य में बिना संशोधित प्राक्कलन में उक्त मदों में प्राक्कलन से कुल रु० 8959.00 अधिक की एम०बी० कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए जे०ई०आर०ई०डी० श्री विकास अग्रवाल, लेखाकार श्री अजय अग्रवाल, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरदायी है। अतः ब्याज सहित वसूली रु० 8959.00 अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

क्षेत्र पं०-बीसलपुर, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर -3 ग्राम अकबरगंज सिमरा में मढ़ी से लौकहा सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य हेतु प्राक्कलन में सामग्री हेतु रु० 646526.00 (साइन बोर्ड के अतिरिक्त) धनराशि का व्यय अनुमानित किया गया है। जबकि सामग्री हेतु रु० 646758.00 की एम०बी० सं०-02 पृष्ठ सं०-94 पर की गयी है। इस प्रकार प्राक्कलन से रु० 232.00 से अधिक की एम०बी० की गयी है। इसी कार्य में प्राक्कलन से महीन रेत पर 38.68 घन मी० रु० 760.00 की दर से रु० 29397.00 का अनुमान किया गया है। जबकि एम०बी० में इस मद हेतु 42.68 घन मी० रु० 760.00 की दर से रु० 32436.00 का उपभोग दर्शाया गया है। अतः कुल रु० 3039.80 की अधिक एम०बी० कर अनियमितता की गयी है। जबकि अधिक सामग्री के उपभोग की दशा में संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रु० 3039.80 की वित्तीय अनियमितता के लिए जे०ई०आर०ई०डी० श्री विकास अग्रवाल, लेखाकार श्री अजय अग्रवाल एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः रु० 3039.80 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 120,)

क्षेत्र पं०- ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर -4 लेखा पंचायत ललौरीखेड़ा की वर्ष 2017-18 में तालिका -01 में क्रम संख्या 07 पर अंकित कार्य रिछा रोड से रम्पुरा मिश्र में मंजीत सिंह के झाले तक खड्गजा कार्य लम्बाई 352मी०, पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल अनुसार कार्य 01.04.2018 से 16.04.2018 तक होना दर्शित है। परन्तु उक्त कार्य हेतु मैसर्स श्री पार्वती ब्रिक फील्ड के बिल संख्या -205 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा ईट क्रय की जानी दर्शित है। संदर्भित बिल से कुल 68500 ईटों की आपूर्ति रु० 5050.00 प्रति हजार की दर से की गई है। इस कार्य में निम्न आपत्तियां अंकित की जा रही है।

(क) जब कार्य दिनांक-01.04.2018 से 16.04.2018 तक सम्पन्न हुआ है और सामग्री 28.02.2018 में खरीदी गई है। कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये, स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा।

(ख) सामग्री क्रय मै० पार्वती ब्रिक फील्ड से बिल सं० 205 दिनांक 28.02.2018 में की गई है। इस तरह फर्म से जी०एस०टी० की कटौती की जानी चाहिये थी। (क्योंकि दिनांक-01.07.2017 से जी०एस०टी० प्रदेश में प्रभावी हो गई थी।) परन्तु फर्म के बिल से 2: टी०डी०एस० एवं 2: टी०डी०एन० क्रमशः रु० 6918.00 (6918 ग 2) कुल रु० 13836.00 की कटौती उपरान्त शेष रु० 332089.00 का भुगतान फर्म को किया। अतः जी०एस०टी० के स्थान पर टी०डी०एस० कटौती किस आधार पर की गई। अस्पष्ट रहा।

(ग)(1) फर्म से 68500 ईटें क्रय की गई हैं, जिससे 59 ईट प्रति वर्ग मी० खड्गजा में प्रयुक्त होने के मानक से कुल $68500/59=1161$ वर्ग मी० में खड्गजा लगाया जाना चाहिये था। परन्तु कार्य $352मी० \times 3मी० = 1056$ वर्ग मी में ही लगाया गया था, जिसमें $1056 \times 59 = 62304$ ईटें ही प्रयुक्त की जानी थी। इस प्रकार कुल $6196 \times 5050/$ हजार = रु० 31289.80 की वसूली कार्य प्रभारी श्री करूण पाल सिंह, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियन्ता श्री सुशील कुमार से की जानी अपेक्षित।

इसी प्रकार जब सामग्री का प्रयोग 1056 वर्ग मी० में हुआ है अर्थात् 1056 वर्ग मी० में खड्गजा लगा है तब रु० 37.00 प्रति वर्ग मी० की दर से $(1056 \times 37 = 39072)$ कुल रु० 39072.00 का ही भुगतान खड्गजा

लगवाई पर होना चाहिए जबकि रू0 69475.00 का भुगतान किया गया है। अतः अन्तर राशि रू0 30403.00 की ब्याज सहित वसूली जे0ई0 श्री विकास अग्रवाल, श्री राजेन्द्र प्रसाद, लेखाकार, श्री डा0 मुकेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(घ) उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त कार्य का मापांकन मॉप पुस्तिका संख्या-09 के पृष्ठ सं0-181-84 एवं 179 पर दर्ज किया जाना अंकित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मॉप पुस्तिका में मनमाने ढंग से मॉप अंकित की जाती है। अन्यथा पृष्ठ 181-84 वाद में आयेगा, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0-12ग(1) एवं 12ग(2),)

क्षेत्र पं0- ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर -5 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में तालिका 01 में क्रय संख्या -12 पर अंकित पत्रावली अनुसार कार्य 24.02.2018 से 10.03.2018 तक सम्पन्न कराया जाना दर्शित है। उक्त कार्य हेतु मैसर्स श्री पार्वती ब्रिक फील्ड के बिल संख्या 53 दिनांक 23.02.2018 से 39200 ईट, रू0 5050.00 प्रति हजार की दर से कुल रू0 197960.00 की ईट क्रय की गई हैं, इस कार्य में निम्न आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं-

(क) कार्य की एम0बी0 बुक सं0- 09 के पृष्ठ संख्या 153, 158-59 पर की जानी दर्शित है। मैटेरियल सप्लाय के अन्तर्गत मॉप पुस्तिका के पृष्ठ सं0- 153 पर फर्म का बिल न0 एवं दिनांक तथा फर्म का नाम अंकित नहीं किया गया है। जबकि ऐसा अपेक्षित था।

(ख) मॉप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-158 के अनुसार प्रथम $8.60 \text{ मी0 लम्बाई } 9.8 + 3.3/2 = 6.55$ चौड़ाई में कुल $8.60 \times 6.55 = 56.33$ वर्ग मी0 खडंजा लगाया जाना दर्शित है। इसी प्रकार अन्त में $72 \text{ मी0 } 4.0 \text{ मी0 चौड़ाई में कुल } 72 \times 4 = 288$ वर्ग मी0 में खडंजा लगाया जाना दर्शित है। इस प्रकार $8.60 \cdot 72 = 80.60 \text{ मी0 लम्बाई में कुल } 56.33 \cdot 288 = 344.33 \text{ मी0 खडंजा लगाया जाना दर्शित है।}$

(ग) जबकि स्टीमेट में 2020 मी0 पूरी लम्बाई में $3.30 \text{ मी0 चौड़ाई में खडंजा लगाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसकी स्वीकृति सं0-111 / ई0ई / ब्लॉक / 2017.18 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा जिले से दी गई है। इस प्रकार स्टीमेट, अनुसार } 8.60 \cdot 72 = 80.60 \text{ मी0 में भी } 3.30 \text{ मी0 चौड़ाई में ही खडंजा लगाया जाना स्वीकरू0त है। इस प्रकार कुल } 265.98 \text{ वर्ग में खडंजा लगाया जाना था। परन्तु लगाया } 344.33 \text{ वर्ग मी0 में है। अतः } 344.33 \cdot 265.98 = 78.35 \text{ वर्ग में अधिक लगाया गया है जिसकी स्वीकृति नहीं ली गई है।}$

(घ) कुल 78.35 वर्ग में 59 ईट प्रति वर्ग मी0 की दर से 4622.65 या 4623 ईट अधिक प्रयुक्त दर्शाकर क्रय की गई ईटों को खपाया गया है।

अतः 4623×5.05 प्रति ईट = रू0 23346.15

खडंजा लगवाई पर व्यय 78.35×37 = रू0 2898.95

योग = रू0 26245.10

रू0 26245.00 की ब्याज सहित वसूली अवर अभियन्ता श्री सुशील कुमार, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा0) मुकेश कुमार से (बराबर भाग) की जानी अपेक्षित है।

(ङ) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 78.35 वर्ग मी0 में खडंजा अधिक लगाया गया है जिसमें रू0 37.00 प्रतिवर्ग मी0 की दर से श्रमांश पर रू0 78.35 = 2898.95 आर/ओ 2899 की ब्याज सहित वसूली अभियन्ता सुशील कुमार, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13(घ) एवं 13(ङ),)

क्षेत्र पं0-ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में तालिका क्रमांक 01 के क्रम संख्या 11 पर अंकित कार्य ग्राम-प्यास में रुपलाल से ताराचन्द्र गुरुदेव (मीरापुर की सीमा) तक खडंजा कार्य 200 मी0 लम्बाई/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जिले स्तर से क्रमांक 107 / ई0ई / ब्लॉक / 2017.18 दिनांक- 26.08.2017 के द्वारा दी गई है। इस कार्य हेतु मैसर्स श्री पार्वती ब्रिक फील्ड को सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया था। फर्म द्वारा 51न0 बिल दिनांक 23.02.2018 के द्वारा कुल 38900 ईटों की आपूर्ति किये जाना अंकित पाया गया।

(क) मॉप पुस्तिका सं0-16 पुष्ठ संख्या 155 पर सामग्री आपूर्ति तो की गई है, परन्तु फर्म का बिल न0 दिनांक सहित तथा फर्म का नाम अंकित किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि अवर अभियन्ता द्वारा कुल 201 मी0 लम्बाई एवं $3.3 \text{ मी0 चौड़ाई में खडंजा लगाया}$

जाना प्रमाणित किया गया है। जो स्वीकृति से 01 मी0 अधिक लगा है। अतः $1 \text{ ग } 3.3 = 3.3 \text{ वर्ग मी0}$ में अधिक खडंजा लगा है। जिसमें $3.3 \times 59 = 194.7$ या 195 ईटें अधिक लगी है।

(ख) मॉप पुस्तिका 09 के पृष्ठ सं0 161 पर कुल प्रयुक्त ईटों की संख्या 38740 है जबकि क्रय 38900 की गई है। इस प्रकार शेष ईटें $38900 - 38740 = 160$ रहीं हैं। जिसको कहां प्रयोग किया गया है। स्पष्ट नहीं रहा। इस प्रकार कुल ईटें $195 + 160 = 355$ का दुरुपयोग किया गया है।

अतः $355 \times \text{रु0 } 5.05$ ईट प्रति दर से कुल रु0 1792.75 या रु0 1793.00 की वसूली अपेक्षित।

(ग) एक वर्ग मी0 59 ईटें प्रयुक्त की जाती है। अतः $355 \text{ ईटें } 355 / 59 = 6.01 \text{ वर्ग मी0}$ में लगाई जायेगी। प्रति वर्ग मी0 खडंजा लगाने की दर रु0 37.00 के हिसाब से $6.01 \times 37 = \text{रु0 } 222.37$ या रु0 222.00 हुआ।

अतः संदर्भित कार्य पर कुल वसूली (ख + ग)

= रु0 1793.00, रु0 222.00

= रु0 2015.00

इस प्रकार रु0 2015.00 की ब्याज सहित वसूली अवर अभियन्ता श्री सुशील कुमार, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा0)मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14(ग),)

क्षेत्र पं0-ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में तालिका क्रमांक 01 के क्रम संख्या10 पर अंकित कार्य बरेली मार्ग से दक्ष स्कूल तक खडंजा 150 मी0 लम्बाई/कार्य की स्वीकृति सं0 109/ई0ई/ब्लॉक/2017.18 दिनांक 26.08.2017 से जिले द्वारा दी गई है कार्य की मॉप बुक सं0 16 के पृष्ठ संख्या 162-64 तथा 156 पर दर्ज की गई है। मै0 श्री पार्वती ब्रिक फील्ड से ईटें क्रय किया जाना भी निविदा प्रक्रिया से तय किया गया है। स्टीमेट अनुसार कार्य 150 मी0 लम्बाई एवं 3.2 मी0 चौड़ाई में किया जाना है।

मॉप पुस्तिका संख्या- 16 के पृष्ठ संख्या-156 पर सामग्री आपूर्ति अंकन में फर्म का नाम एवं बिल संख्या दिनांक सहित अंकित नहीं की गई है। स्टीमेट अनुसार कार्य 3.3 मी0 चौड़ाई में होना प्रस्तावित था, परन्तु मॉप पुस्तिका में कार्य की चौड़ाई अलग-अलग अंकित है। स्पष्ट है कि बिना कार्य स्थल पर गये स्टीमेट तैयार किया गया है। तथा सामग्री को समायोजित करने के उद्देश्य से मॉप मनमाने ढंग से अंकित कर, ईटों को खपाया गया है। विवरण इस प्रकार से है-

स्टीमेट अनुसार (लम्बाई x चौड़ाई)	क्षेत्रफल वर्ग मी0	एम.बी. (लम्बाई x चौड़ाई)	क्षेत्रफल वर्ग मी0	अन्तर वर्ग मी0
2.70 x 3.30	8.91	2.70 x 7	18.9	9.99
15 x 3.30	49.50	15 x 4.95	74.25	24.75
4.4 x 3.30	14.52	4.40 x 5.15	22.66	8.14
4 x 3.30	13.20	4.0 x 0.60	2.40	(-)10.80
26.10 मी0	86.13	26.1 मी0	118.21	32.08 वर्गमी0

इस प्रकार 26.10 मी0 में 3.30 मी0 चौड़ाई अर्थात 86.13 वर्ग मी0 प्रस्तावित खडंजा के स्थान पर 118.21 वर्ग मी0 में खडंजा लगाया जाना एम0बी0 में प्रमाणित किया गया है। अतः कुल 32.08 वर्गमी0 में अधिक खडंजा लगाया जाना दर्शाकर $(32.08 \times 59 = 1892.72 \text{ आर/ओ } 1893)$ ईटों को खपाया गया है।

अतः $1893 \text{ ईटें } \times 5.05 \text{ की दर से } = \text{रु0 } 9559.65 \text{ आर/ओ रु0 } 9560.00$

की ब्याज सहित वसूली अवर अभियन्ता श्री सुशील कुमार, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा0) मुकेश कुमार ब्लाक प्रमुख श्री प्रवीण सिंह गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-15,)

क्षेत्र पं0- ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर -8 लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18 में पाया गया कि कतिपय विकास खण्ड कार्यालय द्वारा कम कटौती की गई है। जिसका विवरण इस प्रकार से है-

तालिका-2 में अंकित क्रम संख्या	तालिका-2 के अनुसार काटा गया टी.डी.एन. 2%	जबकि टी0डी0एन0 4% की दर से काटा जाना था	अन्तर धनराशि
6	6262.00	12524.00	6262.00
7	6918.00	13836.00	6918.00
8	3929.00	7858.00	3929.00
9	8787.00	17574.00	8787.00
10	2949.00	5898.00	2949.00
11	3929.00	7858.00	3929.00
12	3959.00	7918.00	3959.00
योग	36733.00	73466.00	36733.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी ललौरीखेड़ा द्वारा रू0 36733.00 से टी.डी.एन. कम काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है तथा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है। अतः रू0 36733.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा0) मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-16,)

क्षेत्र पं०- ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर-9 वर्ष-2018-19 में तालिका-01 में क्रम संख्या-8 पर अंकित कार्या विकास खण्ड ललौरीखेड़ा में प्रमुख कक्ष का सौन्दर्यकरण से सम्बंधित कार्य पत्रावली में "कार्य का प्राक्कलन" संलग्न नहीं पाये जाने के कारण कार्य की स्वीकृति लागत (सामग्री + श्रमांश) अज्ञात रही। इस कार्य हेतु श्री आभास कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी, सांख्यिकीय को कार्यालय पत्रांक 1067/20.12.2018 से कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। मै0 ओम ट्रेडर्स एण्ड सप्लार्स पीलीभीत के बिल संख्या-003 दिनांक-20.01.2019 के द्वारा रू0 69590.00 की सामग्री क्रय की गई है। जिसमें से रू0 2784.00 की टैक्स कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 66806.00 का भुगतान चैक सं०- 0016734 दिनांक-11.04.2019 से किया गया है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से की गई। परन्तु उक्त कार्य पर श्रमांश का भुगतान नहीं किया गया है। क्रय की गई सामग्री की स्टांक पंजिका भी तैयार नहीं की गई है। दिनांक- 31.03.2019 को कार्य हस्थगत दर्शित है। उपलब्ध अभिलेखों से भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कार्य अपूर्ण क्यों रहा और न ही कार्य प्रभारी द्वारा भी इस आशय का कोई भी पत्र सक्षम अधिकारी को ही प्रेषित किया गया। अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से सांठ-गांठ कर धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद, कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा.) मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-12,)

क्षेत्र पं०- ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर -10 वर्ष- 2018-19 में तालिका-1 में क्रम संख्या-10 पर अंकित कार्य ग्राम-पौटा कलां में चक्की से गौटिया की ओर खडंजा निर्माण 400 मी0 अंकित है। प्राक्कलन के अनुसार सामग्री रू0 430604.00 श्रमांश रू0 144779.00 ए 12: जी0एस0टी0 रू0 69045.00 कुल रू0 644428.00 हेतु ई0ई0/आर0ई0डी0/ब्लाक/ टी0एस0/2018-19 से स्वीकृति दी गई थी। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की वर्ष-2018-19 की वार्षिक कार्य योजना के क्रम संख्या-13 पर दर्ज है, जो विकास खण्ड के प्रस्ताव संख्या-8(2) दिनांक- 26.02.2018 पर अंकित है, जिसका मापांकन बुक संख्या-172 के पृष्ठ संख्या-31 एवं 182 के पृष्ठ सं०-03, 04 पर दर्ज किया गया है। स्टीमेट के अनुसार, डिटेल् ऑफ मेजरमेंट निम्न प्रकार से है-

1. अर्थ वर्क ऑफ एम्बार्कमेंट ऑर कटिंग इन आर्डिनरी सॉइल इन्क्लूडिंग लीड ऑफ 3.0 कि0मी0

$$\begin{aligned} & \text{;एस0आई0.253 1} \times 60 \times 5 \times 0.30 &= 90.00 \\ & 12 : \text{डिडक्शन} & 11.25 \\ & \text{योग} & 78.75 \text{ घन मी0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{अर्थ वर्क} & 1 \times 1 \times 340 \times 5.50 \times 0.30 = 561.00 \\ & 12.5 : \text{डिडक्शन} & 70.13 \end{aligned}$$

योग 490.87 घन मी0

$$\text{लेईंग ऑफ बी ओइ. ई.} \quad 1 \times 1 \times 400 \times 3.3 = 1320.00 \text{ घन मी0}$$

लेईग ऑफ 350 मी0मी0 डायरी हयूम पाईप $1 \times 4 \times 2.50$	= 10 आर0एम0
कंजम्पसन ऑफ मटीरियल	
लेईग ऑफ बी ओइ. ई. ;एस0आई0.786 1320 $\times 59$	= 77880 ईट
सप्लाई ऑफ ब्रिक्स 77880 $\times 5300$ / हजार	= 412764.00 - ;1
हयूम पाईप 10 $\times 1334$	= 13340.00 - ;2
योग	= 426104.00

बिल ऑफ क्वांटिटी (लेबर)	
अर्थ वर्क ; एस0आई0.253 ;3 कि0मी0 78.75 $\times 163.50$	= 12875.63
अर्थ वर्क ;एस0आई0.253 ;1.5कि0मी0 490.87 $\times 96$	= 47123.52
लेईग ऑफ बी ओइ. ई. 130 $\times 63$	= 83160.00
लेईग ऑफ हयूम पाईप 10 $\times 162$	= 1620.00

योग 144779.15

अ) उक्त कार्य हेतु प्रथम 48000 ईट क्रय की एम0बी0 बुक संख्या-18 एल पृष्ठ सं0-03 पर दर्ज की गई है। जहाँ पर फर्म का नाम एवं बिल नं0 अंकित नहीं है, जिसका विवरण इस प्रकार से है-

48000 $\times 5260$ हजार	= 252480.00
5: जी0एस0टी0	= 12624.00
डिडक्ट 5: ब्रोकर रेट टू लो क्वालिटी 2400	
से रू0 500.00 की दर से	= 1200.00

योग- रू0 263904.00

ब) दूसरी खरीद 29880 ईट क्रय की एम0बी0 बुक संख्या-18पृष्ठ सं0-04 पर दर्ज की गई है। जहाँ पर भी फर्म का नाम एवं बिल नं0 अंकित नहीं किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार से है-

29880 $\times 5260$ हजार	= 157168.80
5 : जी0एस0टी0	= 7858.44
1494 ईटें अधोमानक 500/- की दर से (-) की दर से (-) 747.00	

योग- 164280.24

इस प्रकार कुल खरीद 77880 ईटें।

धनराशि रू0 428184.00

स) उक्त कार्य की मॉप बुक सं0-17(2) पृष्ठ संख्या-31 पर निम्न प्रकार दर्ज की गई है-

बी ओइ. ई.लेईग एज पर एस आई 786	
0 - 6 $1 \times 6 \times 5.7$ 3.30 / 2	= 27.00 वर्ग मी0
6 - 111 $1 \times 105 \times 3.30$	= 346.50 वर्ग मी0
111 - 402 $1 \times 291 \times 3.05$ 3.10 3.05 / 3	= 892.40 वर्ग मी0
402 मी0	= 1265.90 वर्ग मी0

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल 402 मी0 में खंडजा लगा है जबकि प्रस्तावित 400 मी0 में था, इस प्रकार 02 मी0 में अधि लगाया गया। कुल क्षेत्रफल 1265.90 वर्ग मी0। इस प्रकार एम0बी0 अनुसार पुष्टि की गई ईटों की संख्या- $1265.90 \times 59 = 74688.1$ आर0ओ0 74688 ईटें। जबकि खरीद की गई ईटों की संख्या- 77880 अवशेष ईटों की संख्या- $77880 - 74688 = 3192$ ईटें जिनका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

अवशेष ईटों के क्रय मूल्य के बराबर धनराशि ;3192 $\times 5300$ प्रति हजार= 16917.00 रू0 16917.00 की ब्याज सहित वसूली जेई श्री मकसूद अहमद, लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा0) मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13,)

क्षेत्र पं0- ललौरीखेड़ा, वर्ष-2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर -11 लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-19 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि तालिका-1 में क्रम संख्या-07 पर अंकित कार्य विकास खण्ड ललौरीखेड़ा के सभागार का सौन्दर्यकरण है। उक्त कार्यक्षेत्र समिति की बैठक दिनांक- 26.02.2018 के प्रस्ताव संख्या- 21(3) पर दर्ज है (1) एवं अनुमानित लागत रू0 0.07 लाख

है। क्षेत्र पंचायत कार्य योजना अनुमोदन हेतु कार्यालय पत्रांक— 933 दिनांक— 09.01.2018 से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित की गई। जिसे जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त कार्यालय पत्रांक— 6094/7-पं0 /लेखा/2016-17 दिनांक— 23.01.2018 से क्षेत्र पंचायत को प्रेषित की गई है। (2) इसमें उक्त कार्य क्रमांक— 03 पर अंकित है एवं प्रस्तावित लागत रु0 5.00 लाख है। अर्थात् अनुमोदन रु0 07.00 लाख के स्थान पर रु0 05.00 लाख का दिया गया है। जबकि कार्यालय पत्रांक— 1060/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/निविदा/2018-19 दिनांक— 20.12.2018 (3) से समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया था, जिसमें यह कार्य क्रमांक 04 पर अंकित है तथा प्रस्तावित लागत रु0 362700.00 है। उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन में अनुमानित लागत सामग्री हेतु रु0 123542.00 श्रमांश हेतु रु0 32100.00 कुल रु0 155642.00 दर्ज है। परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, ललौरीखेड़ा कार्यालय पत्रांक— 1397/च.रा.वि.अ./स्टीमेट/2018-19 दिनांक— 14.03.2019 (4) के द्वारा श्री सुरेश वर्मा अवर अभियन्ता (ग्रा0अ0वि0) से उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार करने हेतु आदर्शित किया था, परन्तु अवर अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक—14.03.2019 के द्वारा (5) खण्ड विकास अधिकारी ललौरीखेड़ा का सम्बोधित एवं प्रेषित पत्र के कारण प्राक्कलन तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, ललौरीखेड़ा ने अपने पत्र (जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक— 13.03.2019 को मार्क किया गया है) के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को अवगत कराया है कि उपरोक्त कार्य मेरे द्वारा बिना स्टीमेट के पूर्ण करा दिया गया है। एवं किसी वित्तीय अनियमितता की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा एवं अवर अभियन्ता को होगा। कार्य हेतु भुगतान की मांग की गई है, जिस पर जे0ई0 (आर0ई0डी0) ने भी संस्तुति की है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक— 13.03.2019 को जे0ई0 (आर0ई0डी0) भुगतान की संस्तुति करते हैं, एवं दिनांक— 14.03.2019 को स्टीमेट बनाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। प्रमुख ने अपने पत्र में निम्न भुगतान की मांग की है—

विकास खण्ड सभागार हेतु लकड़ी कुर्सी क्रय 20 नग	रु0 93500.00
विकास खण्ड सभागार हेतु विद्युतीकरण कार्य	रु0 89587.00
विकास खण्ड सभागार हेतु की फाल सीलिंग कार्य	रु0 99000.00
प्रमुख कक्ष हेतु लकड़ी कुर्सी क्रय 30 नग	रु0 99000.00

इन चारों कार्य हेतु निम्न प्रकार से भुगतान किये गये हैं—

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल नं0	धनराशि (रु0 में)	चैक सं0	दिनांक	आई0टी0 (जी0एस0टी0)
1	मै0 शिवाया बिल्डिंग मैटेरियल	01.03.2019	99000.00	016726	14.03.2019	1980 — 1980 95040.00
2	गैरव इलैक्ट्रीकल्स	876 / 14.03.2019	89587.00	005194	14.03.2019	1792 — 1792 86003.00
3	मै0 शिवाया बिल्डिंग मैटेरियल	03 / 12.03.2019	99000.00	005159	14.03.2019	1980 — 1980 95040.00
4	मै0 शिवाय बिल्डिंग मैटेरियल	02 / 12.03.2019	93500.00	005193	14.03.2019	1870 — 1870 89760.00
			381087.00			7622 — 7622 365843.00

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल रु0 381087.00 का व्यय मनमाने ढंग से दर्शाया गया है तथा मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार किये गये हैं जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त कार्य को दिनांक— 31.03.2019 को हस्तगत भी दर्शाया गया है। पत्रावली में भी रु0 155642.00 के व्यय प्रमाणक संलग्न है, जिनका भुगतान हो चुका है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री (डा0) मुकेश कुमार, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं अवर अभियन्ता (आर0ई0डी0) श्री मकसूद अहमद मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0— 16,)

प्रस्तर -12 विकासखण्ड परिसर में शहीद स्मारक एवं ध्वजारोहण स्थल मरम्मत एवं प्रांगण में इंटरलाकिंग कार्य के लिए ग्रेनाइट पत्थर क्रय हेतु किए गये भुगतान रु0 44878.00 से रु0 6845.90 की जी0एस0टी0 नहीं काटी गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री अजय अग्रवाल, कार्यप्रभारी श्री अवनीश कुमार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0- 17,)

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19
(क्षेत्र पंचायतो से संबन्धित आपत्तियाँ)

जनपद-बस्ती

संभाग-बस्ती

प्रस्तर 01—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2018 को ग्रान्ट रजिस्टर-3 में दर्शित विवरण के अनुसार वर्षान्त में ग्रान्ट रजिस्टर-2 एवं आलोच्य वर्ष में संचालित समस्त योजनाओं के संबंधित बैंक खातों में, अवशेष अनुदान आदि की धनराशियों में, अन्तर रु0 1538471.00 का रहा जिसमें से रु0 777185.00 के अनाहरित चेकों का विवरण दर्शाया गया है किन्तु समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है, शेष धनराशि रु0 761286.00 का विवरण न तैयार कर एवं समाधान न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 02—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)– 3327/86-2017-151(सा0)-2017 लखनऊ दिनांक 04.01.2018 के द्वारा निर्माणकार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, साधारण मिट्टी, मोंरंग, बालू, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है :-

क्र0 सं0	नाम परियोजना	बालू दर रु0 55/घ0मी0		मोंरंग दर रु0 75/घ0मी0		पत्थर गिट्टी दर रु0110/घ0मी0		कुल योग	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	मुण्डेरवा थाने में इंटरलाकिंग कार्य	36	2007.00	—	—	—	—	2007.00	1. श्री अनिल कु0सिंह, ख0वि0अ0 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा0, लेखाकार
2	अमरडोभा प्रा0 वि0 का वाउण्डीवाल एवं गेट निर्माण	23	1265.00	3.95	296.00	7.90	869.00	2430.00	1. श्री अनिल कु0सिंह, ख0वि0अ0 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा0, लेखाकार
3	अमरडोभा में प्रा0 वि0 में	20	1100.00	—	—	0.20	22.00	1122.00	1. श्री अनिल कु0सिंह,

	नाली निर्माण								ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
4	ककरौली में बेहिल सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग	52.95	2912.00	1.25	94.00	—	—	3006.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
5	बिकास खण्ड कार्यालय की रंगाईपुताई एवं मरम्मत	3.50	193	—	—	—	—	193.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
6	बस्ती महुली मार्ग से जनता शिशु विद्यालय होते कोईलपुरवा मार्ग तक इण्टरलाकिंग	15.50	853.00	—	—	—	—	853.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
7	ए०डी०ओ०पं० कार्यालय मरम्मत व रंगाई पुताई	1.70	94.00	0.50	38.00	—	—	132.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
8	अमरडोभा प्रा०वि० चैनपुरकांची सम्पर्क मार्ग पर बजरंगी शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग	52.03	2860.00	—	—	—	—	2860.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
9	अमरडोभा ककरौली सम्पर्क मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	20.40	1122.00	2.50	188.00	—	—	1310.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
10	लालगंज मुण्डेरवा पिच रोड से बेहिल रोड पर विद्यालय के पास इण्टरलाकिंग	32	1760.00	—	—	—	—	1760.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
11	अमरडोभा के प्रा० वि० में इण्टरलाकिंग	10.20	577.00	—	—	—	—	577.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार

12	बनकटी सम्पर्क मार्ग से प्रा० वि० से रमेश शुक्ल के घर तक इण्टरलाकिंग	13.25	729.00	—	—	—	—	729.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
13	खोरिया में डा०सुरेन्द्र के घर से इण्टर कॉलेज तक इण्टरलाकिंग	50.50	2778.00	—	—	—	—	2778.00	1. श्री दिग्विजयनाथ ति०, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
14	भैसापाण्डेय में शिवमंदिर के पास नाले पर आर०सी०सी० पुलिया	33.70	1854.00	7.40	555.00	14.80	1628.00	4037.00	1. श्री दिग्विजयनाथ ति०, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
15	बेलसुही में अब्दुल रउफ के घर से राम नेवास तेली के दुकान तक इण्टरलाकिंग	21.00	1155.00	—	—	—	—	1155.00	1. श्री दिग्विजयनाथ ति०, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
16	ककरौली से अमरडोभा सेन्दुरिया मार्ग पर इण्टरलाकिंग	66.45	3655.00	1.80	135.00	75.60	8316.00	12106.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
17	विकास खण्ड कार्यालय में ए०डी०ओ० कक्ष मरम्मत रंगाईपुताई, वायरिंग, छत मरम्मत, फर्नीचर एवं टाइल्स	02	110.00	2.20	165.00	2.60	286.00	561.00	1. श्री अनिल कु०सिंह, ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
योग								37616.00	

अतः कुल योग रु० 37616.00 में से रु० 3985.00 की वसूली श्री दिग्विजयनाथ तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी, एवं रु० 14823.00 की वसूली श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं रु० 18808.00 की वसूली श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर 03—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार फर्म की बिलों से 4 प्रतिशत वैट की रु० 121685.00 की कटौती न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकार उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि इन बिलों से टी० डी० एस० के अतिरिक्त अन्य कोई कटौती नहीं की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की कुल धनराशि	वैट की कटौती जो नहीं की गयी
1	एस०पी०कन्स्ट्रक्शन	09 / 03.02.18	95615.00	3825.00
2	किसान ब्रिक फील्ड	115 / 02.02.18	130500.00	5220.00
3	एस०पी०कन्स्ट्रक्शन	21 / 02.03.18	180953.00	7238.00
4	एस०पी०कन्स्ट्रक्शन	44 / 24.10.17	73012.00	2920.00
5	पाल ब्रिक फील्ड	500 / 24.10.17	130070.00	5203.00
6	पाल ब्रिक फील्ड	408 / 10.12.17	115500.00	4620.00
7	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	21 / 10.12.17	402415.00	16097.00
8	एस०पी०कन्स्ट्रक्शन	07.26.12.17	80763.00	3231.00
9	किसान ब्रिक फील्ड	113 / 28.12.17	29325.00	1173.00
10	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	05 / 01.12.17	55188.00	2208.00
11	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	42 / 10.10.17	28861.00	1154.00
12	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	04 / 01.12.17	56514.00	2261.00
13	एस०पी०कन्स्ट्रक्शन	45 / 25.10.17	101408.00	4056.00
14	पाल ब्रिक फील्ड	499 / 25.10.17	33795.00	1352.00
15	एस०पी०कन्स्ट्रक्शन	20 / 29.11.17	84635.00	3385.00
16	पाल ब्रिक फील्ड	411 / 30.11.17	25630.00	1025.00
17	एस०पी०कन्स्ट्रक्शन	49 / 16.10.17	48980.00	1959.00
18	पाल ब्रिक फील्ड	406 / 14.10.17	51020.00	2041.00
19	किसान ब्रिक फील्ड	112 / 28.12.17	13157.00	527.00
20	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	47 / 25.10.17	119678.00	4787.00
21	पाल ब्रिक फील्ड	410 / 25.10.17	19500.00	780.00
22	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	46 / 25.10.17	25369.00	1015.00
23	पाल ब्रिक फील्ड	409 / 25.10.17	5780.00	231.00
24	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	08 / 26.12.17	17674.00	707.00
25	किसान ब्रिक फील्ड	114 / 28.12.17	18920.00	757.00
26	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	21 / 14.6.18	152725.00	6109.00
27	आर.बी.एस. ब्रिक फील्ड	05 / 03.03.18	164480.00	6579.00
28	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	17 / 02.3.18	509125.00	20365.00
29	आर.बी.एस. ब्रिक फील्ड	22 / 3.7.18	103320.00	4133.00
30	एस०पी० कंस्ट्रक्शन	23 / 3.7.18	111132.00	4445.00
31	एस०पी० कंस्ट्रक्शन (जी०एस०टी० 2 प्रतिशत)	28,30 / 01.10.18	29950.00	599.00
32	एस०पी० कंस्ट्रक्शन (जी०एस०टी० 2 प्रतिशत)	31 / 02.12.18	84130.00	1683.00
योग—				121685.00

प्रस्तर 04—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं०—पंचायती राज अनु०—02 / 04 / 866—33—02—14—93जी० / 2004 टी.सी. दिनांक 24.6.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित है कि क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें। पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन के क्रम में कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है:—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय
1	अमरडोभा प्रा०विधालय का वाउण्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण	520818.00
2	बेलसुही में अब्दुलरउफ के घर से रामबिलास तेली की दूकान तक इ०ला० कार्य	586460.00
3	अमरडोभा प्रा०वि०चैनपुर कांची सम्पर्क मार्ग पर वजरंगी शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	633510.00
4	खोरिया में डा० सुरेन्द्र के घर से इण्टरकालेज तक इ०ला०कार्य	696705.00
5	भैसापाण्डेय के शिवमन्दिर के पास नाले पर आर.सी.सी.पुलिया	696385.00

योग-	3133878.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासनादेश की मंशा के विपरीत कार्य सम्पन्न कराकर रू0 3133878.00 का व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 05—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में निर्माण सामग्री की बिलो से कुल रू0 138707.00 की टी0डी0एस0 की कटौती की गयी दर्शित है जिसे राजकीय कोष में जमा करने की पुष्टि लेखा परीक्षा में न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है अतः उपरोक्त धनराशि को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राजकीय शीर्ष/कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 06—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में निर्माण सामग्री की बिलो से कुल रू0 120619.00 की वैट की कटौती की गयी दर्शित है जिसे राजकीय कोष में जमा करने की पुष्टि लेखा परीक्षा में न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है अतः उपरोक्त धनराशि को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राजकीय शीर्ष/कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 07—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में परियोजना-अमरडोभा प्रा0वि0 चैनपुर कांची सम्पर्क मार्ग पर बजरंगी शुक्ला के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि इसकी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक-48 दिनांक 28.02.17 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसे क्रमांक-63, तिथि अज्ञात द्वारा संशोधित किया गया है। जिसमें सामग्री मद में रू0 5.76 लाख एवं मजदूरी मद में रू0 76000.00 अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है। मजदूरी मद में स्वीकृत अनुमानित व्यय रू0 76000.00 के सापेक्ष कुल रू0 80150.00 का व्यय करके रू0 4150.00 का अधिक व्यय किया गया है। अधिक व्यय किये जाने के आधार के संबंध में कोई स्वीकृति, पत्र/आदेश जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अधिक दर्शित व्यय रू0 4150.00 का दुरुपयोग मनमाने ढंग से करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार चतुर्वेदी, ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू0 4150.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर 08—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में परियोजना-सिरौता में मनिकौरा मार्ग पर फूलचन्द्र मिश्रा के धर से पतिराम के चक तक मिटट्टी एवं खड़जा कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि इसकी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक-04 दिनांक 03.10.17 द्वारा प्रदान की गयी है जिसमें सामग्री मद में रू0 2.23 लाख एवं मजदूरी मद में रू0 27000.00 अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है। मजदूरी मद में स्वीकृत अनुमानित व्यय रू0 27000.00 के सापेक्ष कुल रू0 41125.00 का व्यय करके रू0 14125.00 का अधिक व्यय किया गया है। अधिक व्यय किये जाने के आधार के संबंध में कोई स्वीकृति, पत्र/आदेश जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अधिक दर्शित व्यय रू0 14125.00 का दुरुपयोग मनमाने ढंग से करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये कार्यप्रभारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय, ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू0 14125.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर 09—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राण्ट रजिस्टर-11 में विकास खण्ड सभाकक्ष मरम्मत परियोजना पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय दर्शित है जिसकी पत्रावली जांच में प्रस्तुत नहीं की गयी:-

चेक सं0/दिनांक	धनराशि	चेक जिसे निर्गत है
214678/25.4.17	99925.00	श्री अरुण कुमार पाण्डेय
214680/04.9.17	7740.00	एस.पी.कंस्ट्रक्शन
214682/04.9.17	62300.00	श्री अरुण कुमार पाण्डेय

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न कर तथा दर्शित व्ययों के औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये

श्रीमती श्वेता वर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 10—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-11 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवें वित्त आयोग के व्याज शीर्ष से दिनांक 13.11.17 को रु0 548848.00 का अन्तरण राज्य वित्त आयोग शीर्ष में करके व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त अन्तरण से संबंधित आदेश आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त अन्तरण मनमाने ढंग से करके रु0 548848.00 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं फूलचन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 11—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में परियोजना- सहायक विकास अधिकारी कक्ष मरम्मत की पत्रावली की जांच में पाया गया कि परियोजना की आई0डी0-5073103 खण्ड विकास अधिकारी कक्ष मरम्मत एवं अन्य कार्य की जनरेट है इस प्रकार वर्क आई0 डी0 से भिन्न कार्य कराया गया है। उक्त परियोजना में फर्नीचर एवं कुर्सी मेज आदि पर रु0 22950.00 का भुगतान दर्शित है। फर्म की बिल पर स्टॉक की प्राप्ति एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये जाने की प्रविष्टि कार्यप्रभारी द्वारा अंकित नहीं की गयी है। स्टॉक रजिस्टर भी जांच में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त मद में जनरेट आई0डी0 से भिन्न कार्य कराकर एवं फर्नीचर आदि मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 22950.00 का दुरुपयोग करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये कार्यप्रभारी श्री अरूण कुमार पाण्डेय, ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रु0 22950.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर 12—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में परि0- खोरिया में डा0 सुरेन्द्र के घर से इण्टरकॉलेज तक इण्टरलाकिंग कार्य में अनुमानित स्वीकृति इण्टरलाकिंग ईट 16540.00 दर 19.40 पर कुल व्यय रु0 320876.00 स्वीकृत रहा जिसके सापेक्ष प्रयुक्त ईट 17300.00 दर 19.40 कुल रु0 335620.00 का किया गया है इस प्रकार स्वी0 संख्या/धनराशि से रु0 14744.00 अधिक व्यय किया गया है। अधिक व्यय किये जाने के आधार के संबंध में कोई स्वीकृति, पत्र/आदेश जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अधिक दर्शित व्यय रु0 14744.00 का दुरुपयोग मनमाने ढंग से करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार चतुर्वेदी, ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रु0 14744.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर 13. क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2019 को ग्रांट रजिस्टर-3 में दर्शित विवरण के अनुसार वर्षान्त में ग्रांट रजिस्टर-2 एवं आलोच्य वर्ष में संचालित समस्त योजनाओं के संबंधित बैंक खातों में, अवशेष अनुदान आदि की धनराशियों में, अन्तर रु0 1185387.00 का रहा जिसमें से रु0 340429.00 के अनाहरित चेकों का विवरण दर्शाया गया है किन्तु समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है, शेष धनराशि रु0 844950.00 का विवरण न तैयार कर एवं समाधान न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्रीमती श्वेता वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही करते हुए अन्तर का समाधान कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 14. क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)- 3327/86-2017-151/(सा0)-2017 लखनऊ दिनांक 04.01.2018 के द्वारा निर्माणकार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, साधारण मिट्टी, मॉरंग, बूल, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं:-

क्र० सं०	नाम परियोजना	बालू दर रु० 55/घ०मी०		मोरंग दर रु० 75/घ०मी०		पत्थर गिट्टी दर रु०110/घ०मी०		कुल योग रु०	उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	अमरडोभा के बउलिया तालाब से गोलई के घर तक इण्टरलाकिंग	5.98	329.00	9.35	701.00	—	—	1030.00	1. श्री संजय कु० नायक,ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
2	कंचनपुर में मेन रोड से शिवाजीपाल के घर तक इण्टरलाकिंग	8.75	481.00	0.40	30.00	0.55	61.00	572.00	1. श्री संजय कु० नायक,ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
3	पडरी दलित बस्ती बंशीधर पाण्डेय घर होते अमानाबाद रोड तक सी०सी० रोड	9.45	520.00	9.10	683.00	14.10	1551.00	2754.00	1. श्री संजय कु० नायक,ख०वि०अ० 2. श्री फूलचन्द्र श्रीवा०, लेखाकार
	योग—							4356.00	

अतः कुल योग रु० 4356.00 में से रु० 2178.00 की वसूली श्री संजय कुमार नायक, खण्ड विकास अधिकारी से तथा रु० 2178.00 की वसूली श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर 15.—क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के निर्माणकार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार फर्म की बिलों से 2 प्रतिशत जी०एस०टी० की रु० 59974.00 की कटौती न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री संजय कुमार नायक, श्री रामरेखा सरोज एवं श्रीमती श्वेता वर्मा खण्ड विकास अधिकारी श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकार उत्तरदायी है।

क्रमांक	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की कुल धनराशि	जी०एस०टी० की कटौती जो नहीं की गयी
1	एस०पी०कन्स्टक्शन	34 / 12.12.18	144406.00	2888.00
2	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	74 / 12.12.18	40278.00	806.00
3	एस०पी०कन्स्टक्शन	33 / 12.12.18	89886.00	1798.00
4	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	72 / 12.12.18	22711.00	454.00
5	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	16 / 01.07.18	63000.00	1260.00
6	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	68 / 02.12.18	78750.00	1575.00
7	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	79 / 14.02.19	100800.00	2016.00
8	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	84 / 12.03.19	25445.00	509.00
9	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	19 / 01.07.18	63000.00	1260.00
10	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	63 / 10.09.18	274680.00	5494.00
11	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	18 / 01.07.18	63000.00	1260.00
12	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	64 / 10.09.18	178164.00	3563.00
13	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	70 / 12.12.18	144900.00	2898.00
14	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	77 / 04.02.19	46368.00	927.00
15	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	67 / 12.12.18	100800.00	2016.00
16	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	83 / 12.03.19	126504.00	2530.00
17	एस०पी०कन्स्टक्शन	35 / 12.03.19	82089.00	1642.00
18	एस०पी०कन्स्टक्शन	36 / 14.03.19	46290.00	926.00
19	आर०बी०एस० ब्रिक फील्ड	85 / 14.03.19	58338.00	1167.00

20	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	81 / —	100800.00	2016.00
21	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	71 / 08.12.18	349272.00	6985.00
22	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	21.03.07.18	151200.00	3034.00
23	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	60 / 01.12.18	99099.00	1982.00
24	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	17 / 01.07.18	63000.00	1260.00
25	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	69 / 02.12.18	94500.00	1890.00
26	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	80 / 16.02.19	163800.00	3276.00
27	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	20 / 03.07.18	50400.00	1008.00
27	आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड	61 / 01.12.18	26680.00	534.00
28	एस0पी0कन्स्टक्शन	32 / 01.12.18	150010.00	3000.00
	योग—			59974.00

अतः कुल रु0 59974.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 16. क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0–पंचायती राज अनु0–02 / 04 / 866–33–02–14–93जी0 / 2004 टी.सी. दिनांक 24.6.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित है कि क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें। पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन के क्रम में कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है:—

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कुल व्यय
1	अमरडोभा के बडलिया तालाब से गोलई के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	209184.00
2	कंचनपुर में मेनरोड से शिवाजी पाल के घर तक इ0ला0 कार्य	127297.00
3	रौतापार में दलितपुरवा खडंजा तक मिटटी एवं खडंजा निर्माण	406232.00
4	भैसापाण्डेय में चुलबुल धोबी के खेत से रामदौड धोबी के खेत तक मिटटी एवं खडंजा कार्य	455667.00
5	सिरौती में सीताराम के बोरिंग से प्रमोद के खेत तक मिटटी एवं खडंजा कार्य	431748.00
	योग—	1630128.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासनादेश की मंशा के विपरीत कार्य सम्पन्न करारकर रु0 1630128.00 का व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजयकुमार नायक उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 17. क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में निर्माणसामग्री की बिलो से कुल रु 67906.00 की टी0डी0एस0 की कटौती की गयी दर्शित है। कटौती की धनराशि को निर्धारित राजकीय शीर्ष/कोष में जमा विषयक पत्रावली/अभिलेख जांच में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। कटौती की धनराशि की धनराशि को राजकीय कोष में जमा की पुष्टि लेखा परीक्षा में न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्रीमती श्वेता वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी हैं अतः उपरोक्त धनराशि को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राजकीय शीर्ष/कोष में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर 18. क्षेत्र पंचायत बनकटी की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के निर्माणकार्य पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोलो की जांच में पाया गया कि मजदूरी की मजदूरी का भुगतान निम्नलिखित विवरणानुसार अति विलम्ब से किया गया है:—

क्रमांक	परियोजना का नाम	कार्य अवधि	धनराशि	चेक/दिनांक	कार्य प्रभारी
1	भैसापाण्डेय में चुलबुल धोबी के खेत से रामदौड धोबी के खेत तक मि0 खण्डजा कार्य	01.08.18 से 13.08.18 01.09.18 से 13.09.18	48300.00 35000.00	668588 / 12.12.18	श्री अरुण कुमार पाण्डेय, बी0ओ0
2	भैसा पाण्डेय में सुशीला सुदामा के खेत से पारस के खेत तक मि0 खण्डजा कार्य	01.07.18 से 13.07.18 01.09.18 से 13.09.18	44450.00 14700.00	668589 / 12.12.18	श्री अरुण कुमार पाण्डेय, बी0ओ0
	योग—		142450.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि योजनाओं में मजदूरी को अति विलम्ब से मजदूरी का भुगतान बिना किसी उल्लिखित कारण के ₹0 142450.00 का करके संबंधित कार्यप्रभारियों द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है जिसप्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 19. क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)-243/86-2016-200/77 टी0सी0-।। लखनऊ दिनांक 01.02.2016 के द्वारा निर्माणकार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, ईट की मिटटी, मोंरंग, बूल, पत्थर गिटटी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है:-

क्र0 सं0	नाम परियोजना	बालू दर ₹0 55/ध0मी0		मोंरंग दर ₹0 75/ध0मी0		पत्थर गिटटी दर ₹0110/ध0मी0		कुल योग	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	खौरहवा मे तिवारी जी के चक होते यादवजी के घर के आगे तथा तिवारीजी के चक से मीरा यादव के चक के आगे तक इण्टरलाकिंग तथा नाली निमाण कार्य।	99	5445.00	11	825.00	—	—	6270.00	1. श्रीमती रेनू चौधरी, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
	योग-							6270.00	
2	ग्रा0पं0 खौरहवा में सुनील तिवारी के मकान से चन्द्रकान्त यादव के मकान तथा निर्मलादेवी के मकान से चंचलशाही के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली कार्य।	26	1430.00	35	2525.00	49	5390.00	9345.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
3	विकास खण्ड में राम भरोसे के मकान का मरम्मत कार्य।	34	1870.00	06	450.00	06	660.00	2980.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
4	खौरहवा में रामशरण यादव के मकान से पाल जनरल स्टोर होते हुए	40	2200.00	19.50	1462.00	39	4290.00	7952.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव

	लौकियहवा वाले रोड पर सी0सी0 रोड तथा रामशरण के मकान से पंचायत भवन के पीछे तक नाली निर्माणकार्य।								कुमार मिश्र, लेखाकार
5	बस्ती से दुबौला मार्ग पर ग्रा0पं0 परसा जागीर में स्थित प्रा0वि0 व म0वि0 के सामने इण्टरलाकिंग कार्य।	60	3300.00	01	75.00	—	—	3375.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
6	ग्रा0पं0 घरसोहिया में राम दिनेश के घर से रामजीत के घर तक इण्टरलाकिंग तथा नाली निमाण कार्य।	12	660.00	0.70	52.00	1.30	143.00	855.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
7	विकास खण्ड कार्यालय का रंगाई पुताई मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य।	4	220.00	—	—	—	—	220.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
	योग—							24727.00	
	कुल योग—							30997.00	

अतः कुल योग रू0 30997.00 में से रू0 3135.00 की वसूली श्रीमती रेनू चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, एवं रू0 12364.00 की वसूली श्री प्रभाशंकर चौबे, खण्ड विकास अधिकारी एवं रू0 15498.00 की वसूली श्री शिवकुमार मिश्र, लेखाकार सेब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर 20—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के निर्माणकार्य पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोलो की जांचा में पाया गया कि मजदूरो की मजदूरी का भुगतान निम्नलिखित विवरणानुसार अति विलम्ब से किया गया है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	कार्य अवधि	धनराशि	चेक/दिनांक	कार्य प्रभारी
1	ग्रा0पं0 खौरहवा में सुनील तिवारी के मकान से चन्द्रकान्त यादव के मकान तथा निर्मला देवी के मकान से चंचलशाही के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली कार्य।	05.01.18 से 27.01.18	109550.00	8071 / 15.03.18	श्री राकेश पाण्डेय
2	विकास खण्ड में राम भरोसे के मकान का मरम्मत कार्य।	10.01.18 से 31.01.18 12.12.18 से 22.12.18	86975.00	24938 / 28.12.18	श्री ईश्वर प्रसाद मिश्र
3	बस्ती से दुबौला मार्ग पर ग्रा0पं0 परसा जागीर में स्थित प्रा0वि0 व म0वि0 के सामने इण्टरलाकिंग कार्य।	01.01.18 से 31.01.18	96250.00	8045 / 04.06.18	श्री राकेश पाण्डेय
4	ग्रा0पं0 घरसोहिया में राम दिनेश के घर से रामजीत के घर तक इण्टरलाकिंग तथा नाली निमाण	12.01.18 से 31.01.18	22925.00	8073 / 27.03.18	श्री रमाकान्त शुक्ला

	कार्य।				
5	खौरहवा में तिवारी जी के चक होते यादवजी के घर के आगे तथा तिवारीजी के चक से मीरा यादव के चक के आगे तक इण्टरलाकिंग तथा नाली निमाण कार्य।	01.01.18 से 28.02.18	171850.00	8041 / 27.03.18	श्री राकेश पाण्डेय
6	विकास खण्ड कार्यालय का रंगाई पुताई मरम्मत एवं विद्युतीकरण	01.03.18 से 31.03.18	128800.00	8043 / 04.06.18	श्री ईश्वर प्रसाद मिश्र
	योग		616350.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि योजनाओं में मजदूरी को 3 से 11 माह बाद मजदूरी का भुगतान बिना किसी उल्लिखित कारण के अति विलम्ब से रु० 616350.00 का करके संबंधित कार्यप्रभारियों द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है जिसप्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 21—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं०—पंचायती राज अनु०—02 / 04 / 866-33-02-14-93जी० / 2004 टी.सी. दिनांक 24.6.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित है कि क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें। पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन के क्रम में कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है:—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय
1	ग्रा०पं० खौरहवा में सुनील तिवारी के मकान से चन्द्रकान्त यादव के मकान तथा निर्मलादेवी के मकान से चंचलशाही के मकान तक सी०सी० रोड व नाली कार्य।	825556.00
2	बस्ती से दुबौला मार्ग पर ग्रा०पं० परसा जागीर में स्थित ग्रा०वि० व म०वि० के सामने इण्टरलाकिंग कार्य।	904378.00
3	ग्रा०पं० घरसोहिया में राम दिनेश के घर से रामजीत के घर तक इण्टरलाकिंग तथा नाली निमाण कार्य।	205335.00
4	खौरहवा में चौधरी के घर से अधिशासी अभियन्ता के बंगले तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माणकार्य	1189529.00
	योग—	3124798.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासनादेश की मंशा के विपरीत कार्य सम्पन्न कराकर रु० 3124798.00 का व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभाशंकर चौबे, एवं श्रीमती रेनू चौधरी उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 22—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर-3 की जांच में पाया गया कि माह—मार्च 2018 में अवशेष अनुदान की धनराशि शीर्ष में बैंक में जमा शेष तथा ग्रांट रजिस्टर-2 में जमा शेष में अन्तर रु० 1247528.00 दर्शाया गया है। इसका समाधान विवरण तैयार न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री प्रभाशंकर चौबे खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शिवकुमार मिश्र लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 23—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में परियोजना-विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई/पुताई, मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि इसकी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक-86 दिनांक 28.2.18 द्वारा प्रदान की गयी है जिसमें सामग्री मद में रु० 5.67 लाख एवं मजदूरी मद में रु० 62700.00 अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है। जांच में पाया गया कि:—

(1) मजदूरी मद में स्वीकृत अनुमानित व्यय रु० 62700.00 के सापेक्ष कुल रु० 128800.00 का व्यय करके रु० 66100.00 का अधिक व्यय किया गया है। अधिक व्यय किये जाने के आधार के संबंध में कोई स्वीकृति, पत्र/आदेश जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिक दर्शित व्यय रु० 66100.00 का दुरुपयोग करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये कार्यप्रभारी श्री ईश्वर प्रसाद मिश्र, ख०वि०अधि० श्री प्रभाशंकर चौबे एवं लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रु० 66100.00 की वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

(2) उक्त परियोजना में प्लास्टिक की कुर्सियां 100 अदद, रु० 650/- की दर से कुल मूल्य रु० 65000.00 भुगतान दर्शित है। बिल पर स्टॉक की प्राप्ति एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये जाने की प्रविष्टि

कार्यप्रभारी द्वारा अंकित नहीं की गयी है। स्टाक रजिस्टर भी जांच में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 65000.00 का दुरुपयोग करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये कार्यप्रभारी श्री ईश्वर प्रसाद मिश्र, ख०वि०अधि० श्री प्रभाशंकर चौबे एवं लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रु० 65000.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर 24—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राण्ट रजिस्टर—।। में विकास खण्ड परिसर में सुन्दरीकरण परियोजना में श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव, कान्टेक्टर को चेक संख्या 119254/दि० 29.07.17 रु० 93760.00 निर्गत है। परियोजना की पत्रावली जांच में अप्रस्तुत रही जिससे दर्शित व्यय के औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकी। रु० 93760.00 के व्यय की वास्तविकता एवं औचित्य की पुष्टि न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री प्रभाशंकर चौबे, ख०वि०अधि० एवं श्री शिवकुमार मिश्र लेखाकार उत्तरदायी है। पत्रावली की जांच करायी जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 25—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)— 3327/86-2017-151/(सा०)-2017 लखनऊ दिनांक 04.01.2018 के द्वारा निर्माणकार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, ईट की मिट्टी, मॉरंग, बूल, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम०एम०-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम०एम०-11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है :-

क्र० सं०	नाम परियोजना	बालू दर रु० 55/घ०मी०		मोरंग दर रु० 75/घ०मी०		पत्थर गिट्टी दर रु०110/घ०मी०		कुल योग रु०	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	गनेशपुर में प्रा०वि० धोबहिया से गनेशपुर पिच रोड से जुड़ती है इण्टरलाकिंग कार्य।	34	1870.00	—	—	—	—	1870.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख०वि०अ० 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
2	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय मरम्मत कार्य	2.88	158.00	6.40	480.00	02	220.00	858.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख०वि०अ० 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
3	गनेशपुर में प्रा०वि० धोबहिया से राम सुखी के घर तक जो औरंगाबादरोड से लिंक करती है इण्टरलाकिंग कार्य।	42	2310.00	—	—	48.60	5346.00	7656.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख०वि०अ० 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
4	गनेशपुर में शेखापुर ग्राम के आशाराम के घर से लालता के घर तक जो डेल्हवा गाव के सडक से जोड़ती है	34.83	1916.00	—	—	—	—	1916.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख०वि०अ० 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार

	इण्टरलाकिंग कार्य।								
5	ग्रा0पं0 बेलगडी में मुण्डेरवा गाव में रामअधार चौधरी के मकान से ग्रा0 वि0 लौकियहवा मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	54.50	2998.00	—	—	58	6380.00	9378.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
6	गनेशपुर शेखापुर के पिच रोड से शिवबिहार मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	25	1375.00	3.50	263.00	—	—	1638.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
7	गौरा में रामशरन के खेत से अयोध्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	31.50	1733.00	—	—	—	—	1733.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, ख0वि0अ0 2. श्री शिव कुमार मिश्र, लेखाकार
	योग—							25049.00	

अतः कुल योग रू0 25049.00 में से रू0 12525.00 की वसूली श्री प्रभाशंकर चौबे, खण्ड विकास अधिकारी एवं रू0 12524.00 की वसूली श्री शिवकुमार मिश्र, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर 26—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के निर्माणकार्य पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोलो की जांच में पाया गया कि मजदूरी की मजदूरी का भुगतान निम्नलिखित विवरणानुसार अति विलम्ब से किया गया है:—

क्रमांक	परियोजना का नाम	कार्य अवधि	धनराशि	चेक/दिनांक	कार्य प्रभारी
1	गनेशपुर में ग्रा0वि0 धोबहिया से राम सुखी के घर तक जो औरंगाबादरोड से लिंक करती है इण्टरलाकिंग कार्य।	01.01.19 से 28.01.19	78225.00	24948 / 04.03.19	श्री राकेश पाण्डेय
2	गनेशपुर में शेखापुर ग्राम के आशाराम के घर से लालता के घर तक जो डेल्हवा गाव के सडक से जोडती है इण्टरलाकिंग कार्य।	03.03.19 से 16.04.19	72800.00	47749 / 06.06.19	श्री राकेश पाण्डेय
3	ग्रा0पं0 बेलगडी में मुण्डेरवा गाव में रामअधार चौधरी के मकान से ग्रा0 वि0 लौकियहवा मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	08.06.18 से 28.06.18 03.10.18 से 15.10.18	82600.00	8058 / 27.10.18	श्री राम निरंजन चौधरी
4	गनेशपुर शेखापुर के पिच रोड से शिवबिहार मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	17.10.18 से 27.10.18 15.05.18 से 31.05.18	49875.00	24927 / 19.11.18	श्री रमाकान्त शुक्ला
5	गौरा में रामशरन के खेत से अयोध्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	04.04.18 से 16.04.18 01.11.18 से 06.11.18	48475.00	24933 / 01.12.18	श्री राकेश पाण्डेय
	योग—		331975.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि योजनाओं में मजदूरी को 3 से 11 माह बाद मजदूरी का भुगतान बिना किसी उल्लिखित कारण के अति विलम्ब से रू0 331975.00 का करके संबंधित कार्यप्रभारियों द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है जिसप्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 27—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0—पंचायती राज अनु0—02/04/866—33—02—14—93जी0/2004 टी.सी. दिनांक 24.6.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित है

कि क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है:-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय
1	गनेशपुर में प्रा०वि० धोबहिया से गनेशपुर पिच रोड से जुड़ती है इण्टरलाकिंग कार्य।	472200.00
2	गनेशपुर में शेखापुर ग्राम के आशाराम के घर से लालता के घर तक जो डेल्टावा गाव के सडक से जोडती है इण्टरलाकिंग कार्य।	589889.00
3	गनेशपुर शेखापुर के पिच रोड से शिवबिहार मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	370957.00
4	गौरा में रामशरण के खेत से अयोध्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	360814.00
	योग-	1793860.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासनादेश की मंशा के विपरीत कार्य सम्पन्न कराकर रु० 1793860.00 का व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभाशंकर चौबे उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 28—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर-3 की जांच में पाया गया कि माह- मार्च 2019 में अवशेष अनुदान की धनराशि शीर्ष में बैंक में जमा शेष तथा ग्रांट रजिस्टर-2 में जमा शेष में अन्तर रु० 49951.00 दर्शाया गया है। इसका समाधान विवरण तैयार न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री प्रभाशंकर चौबे खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शिवकुमार मिश्र लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 29—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में परियोजना-गनेशपुर में प्रा०वि० धोबहिया से राम सुखी के घर तक जो औरंगाबाद के रोड से लिंक करती है, की पत्रावली की जांच में पाया गया कि इसकी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक-45 दिनांक 01.11.18 द्वारा प्रदान की गयी है जिसमें सामग्री मद में रु० 5.53 लाख एवं मजदूरी मद में रु० 75000.00 अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है। जांच में पाया गया कि मजदूरी मद में स्वीकृति के सापेक्ष रु० 78225.00 व्यय कर रु० 3225.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अधिक व्यय किये जाने के आधार के संबंध में कोई स्वीकृति, पत्र/आदेश जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि अधिक दर्शित व्यय रु० 3225.00 का दुरुपयोग करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये कार्यप्रभारी श्री रामनिरंजन चौधरी, ख०वि०अधि० श्री प्रभाशंकर चौबे एवं लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रु० 3225.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर 30—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर-111 के अनुसार दिनांक 31.03.19 को निम्नलिखित मदों में अवशेष धनराशियां जो विगत वर्षों से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ख०वि०अधि० श्री प्रभाशंकर चौबे एवं लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	मद का नाम	31.03.2019 को अवशेष अनुदान
1	पंचायत निर्वाचन	33079.00
2	जे०ई० जागरूकता कार्यक्रम	14018.00
	योग-	47097.00

प्रस्तर 31—क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)- 243/86-2016-200/77 टी०सी०-11 लखनऊ दिनांक 19.01.2016 के द्वारा निर्माणकार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, ईट की मिट्टी, मोंरंग, बूल, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम०एम०-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम०एम०-11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर अनियमितता करते हुए राजकीय

राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है :-

क्र० सं०	नाम परियोजना	बालू दर रु० 55/घ०मी०		मोरंग दर रु० 75/घ०मी०		पत्थर गिट्टी दर रु०110/घ०मी०		कुल योग	उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	धोबहिया गाव को गौर वाल्टरगंज मार्ग से जोड़ने के लिए इण्टरलाकिंग निर्माण-।।	28.40	1562.00	—	—	—	—	1562.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ० 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
2	धोबहिया गाव को गौर वाल्टरगंज मार्ग से जोड़ने के लिए इण्टरलाकिंग निर्माण-।	26.15	1438.00	—	—	—	—	1438.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ० 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
3	बेलवरिया में अनुसूचित बस्ती को गौर वाल्टरगंज मार्ग से जोड़ने हेतु इण्टरलाकिंग भाग-।	18.38	1011.00	—	—	—	—	1011.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ० 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
4	बेलवरिया में अनुसूचित बस्ती को गौर वाल्टरगंज मार्ग से जोड़ने हेतु इण्टरलाकिंग भाग-2	29.32	1613.00	—	—	—	—	1613.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ० 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
5	भूपेन्द्र सिंह के धर से ऐनपुर बेलसड़ मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य-भाग-1	31.28	1720.00	—	—	—	—	1720.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ० 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
6	भूपेन्द्र सिंह के धर से ऐनपुर बेलसड़ मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य-भाग-2	30.62	1684.00	—	—	—	—	1684.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ० 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
7	गिधनी गांव को अनुसूचित मजरा को जोड़ते हुए राकेश सिंह के धारी तक इण्टरलाकिंग	48.86	2687.00	—	—	—	—	2687.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ० 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
8	डुहवा एवं बिलहिया गांव	34.35	1889.00	—	—	—	—	1889.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, ख०वि०अ०

	को जोड़ने के लिये गौर शिवा मार्ग से टावर तक इण्टर लाकिंग								2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
9	केसरई में मुन्तू के धर से पिचरोड तक इण्टरलाकिंग भाग-1	33.72	1855.00	—	—	—	—	1855.00	1. श्री हरिश्चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
10	पड़री में लोनिया पुरवा एवं अनुपुरवा को जोड़ने हेतु रामरतन लोनिया के धर से अनुपुरवा पर जाने वाले मार्ग पर इलाक़ा	43.30	2382.00	—	—	—	—	2382.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, खण्ड विकास अधिकारी 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
11	बेलवाराजा गांव से शमशान घाटको जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री सड़क से शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर इण्टरलाकिंग	43.30	2382.00	—	—	—	—	2382.00	1. श्री प्रभाशंकर चौबे, खण्ड विकास अधिकारी 2. श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार
	कुल योग—							20223.00	

अतः कुल योग ₹0 20223.00 में से ₹0 7730.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिश्चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ₹0 2382.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रभाशंकर चौबे, खण्ड विकास अधिकारी एवं ₹0 10112.00 की ब्याज सहित वसूली श्री नरसिंह नरायन, लेखाकार से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 32—क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0-पंचायती राज अनु0-02/04/866-33-02-14-93जी0/2004 टी.सी. दिनांक 24.6.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित है कि क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें। पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायत का कोई प्रमाणपत्र संलग्न न होने एवं कार्ययोजना की स्वीकृति के समय खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत निर्देश का अनुपालन न कराये जाने के कारण निम्नलिखित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है:—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय
1	केसरई में मुन्तू के धर से पिचरोड तक इण्टर लाकिंग-भाग-1	369805.00
2	पड़री में लोनिया पुरवा एवं अनुपुरवा को जोड़ने हेतु रामरतन लोनिया के धर से अनुपुरवा पर जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग	493608.00
3	बेलवाराजा गांव से शमशान घाटको जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री सड़क से शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर इण्टरलाकिंग	493608.00
4	करमहवा एवं मंसूरनगर मजरे को जोड़ने हेतु मंसूरनगर प्रधानमंत्री सड़क से करमहवा जाने वाले रास्ते पर मि०खड़जा	568362.00
	योग—	1925383.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासनादेश की मंशा के विपरीत कार्य सम्पन्न कराकर ₹0 1925383.00 का व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र, एवं श्री प्रभाशंकर चौबे उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 33—क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)— 3327 / 86-2017-151 / (सा0)—2017 लखनऊदिनांक 04.01.2018 के द्वारा निर्माणकार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, ईट की मिट्टी, मौरंग, बालू, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दर से उनकी बिलों से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न नहीं पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है :-

क्र० सं०	नाम परियोजना	बालू दर रू० 55/घ०मी०		मौरंग दर रू० 75/घ०मी०		पत्थर गिट्टी दर रू०110/घ० मी०		कुल योग रू०	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	हलुआपार मार्ग पर छोटेला के मन्दिर से पवनी सूचित गांव में रामफेर के धर तक इण्टरलाकिंग	23.50	1293.00	3.70	278.00	—	—	1571.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख०वि०अ० 2. श्री विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
2	धोबहिया गांव को गौर वाल्टरगंज मार्ग से जोड़ने के लिये इण्टरलाकिंग कार्य	23.50	1293.00	3.70	278.00	—	—	1571.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख०वि०अ० 2. श्री विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
3	बेलवा राजा गांव में अनु०बस्ती को गौर शिवा मार्ग से जोड़ने हेतु अशोक के धर से शिवा मार्ग तक इ०ला० कार्य	23.50	1293.00	3.70	278.00	—	—	1571.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख०वि०अ० 2. श्री विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
4	शिवा गांव को गौर शिवा मार्ग से जोड़ने हेतु इण्टरलाकिंग कार्य	23.50	1293.00	3.70	278.00	—	—	1571.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख०वि०अ० 2. श्री विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
5	कम्प्यूटर कक्ष के मरम्मत का कार्य	13.50	742.00	14.50	1088.00	6.00	660.00	2490.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख०वि०अ० 2. श्री विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
6	नरथरी पिचरोड से सरजू गुप्ता के धर तक इण्टरलाकिंग	23.50	1293.00	3.70	278.00	—	—	1571.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख०वि०अ० 2. श्री विश्वम्भरनाथ मिश्र, लेखाकार
7	खण्ड विकास अधि० कार्यालयमरम्मत	—	—	14.60	1095.00	8.00	880.00	1975.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख०वि०अ० 2. श्री

	कार्य								विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
8	बभनगांवा खुर्द में काली जी के स्थान से सुरेश सिंह के धर इण्टरलाकिंग	23.50	1293.00	3.70	278.00	—	—	1571.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख0वि0अ0 2. श्री विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
9	पड़री में विष्णु गुप्ता के धर से शत्रुधन के धर तक इण्टरलाकिंग	58.50	3218.00	1.0	75.00	—	—	3293.00	1. श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, ख0वि0अ0 2. श्री विश्वम्भरनाथमिश्र, लेखाकार
	योग—	—	—	—	—	—	—	17178.00	

अतः कुल योग रू0 1717800 में से रू0 8589.00 की वसूली श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी एवं रू0 8589.00 की वसूली श्री विश्वम्भरनाथ मिश्र, लेखाकार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर 34—क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0-पंचायती राज अनु0-02/04/866-33-02-14-93जी0/2004 टी.सी. दिनांक 24.6.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित है कि क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें। पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायत का कोई प्रमाणपत्र संलग्न न होने एवं कार्ययोजना की स्वीकृति के समय खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत निर्देश का अनुपालन न कराये जाने के कारण निम्नलिखित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है:—

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कुल व्यय
1	नरथरी पिचरोड से सरजू गुप्ता के धर तक इण्टरलाकिंग	491541.00
2	खण्ड विकास अधि0 कार्यालयमरम्मत कार्य	441811.00
4	बभनगांवा खुर्द में काली जी के स्थान से सुरेश सिंह के धर इण्टरलाकिंग	487155.00
	योग—	978120.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासनादेश की मंशा के विपरीत कार्य सम्पन्न कराकर रू0 978120.00 का व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रुक्मिणी वर्मा उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर 35—क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के निर्माणकार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार फर्म की बिलों से 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की रू0 74034.00 की कटौती न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्रीमती रुक्मिणी वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री विश्वम्भरनाथ मिश्र, लेखाकार उत्तरदायी हैं।

क्रमांक योजनानुसार	फर्म का नाम	बिल सं0/दिनांक	बिल की कुल धनराशि	जी0एस0टी0 की कटौती जो नहीं की गयी
1	आदित्य टेडर्स	15/07.01.19	399605.00	7992.00
2	आदित्य टेडर्स	11/06.01.19	418634.00	8373.00
3	आदित्य टेडर्स	13/07.01.19	407045.00	8141.00
4	आदित्य टेडर्स	10/06.01.19	418205.00	8364.00
	आदित्य टेडर्स	01/05.01.19	163955.00	5851.00
5	आदित्य टेडर्स	16/07.01.19	128612.00	
6	आदित्य टेडर्स	14/07.01.19	407541.00	8151.00
	आदित्य टेडर्स	04/05.01.19	127215.00	
7	आदित्य टेडर्स	17-21/07.01.19	158146.00	5707.00
8	आदित्य टेडर्स	23/01.02.19	418205.00	8364.00
9	आदित्य टेडर्स	22/01.02.19	654528.00	13091.00
	योग—			74034.00

अतः कुल रू0 74034.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर 36—क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर—।।। के अनुसार दिनांक 31.03.19 को निम्नलिखित मदों में अवशेष धनराशियां जो विगत वर्षों से उपभोग न होने के कारण अवशेष चली आ रही है को प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ख0वि0अधि0 श्री राकेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री विश्वम्भरनाथ मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	मद का नाम	31.03.2019 को अवशेष अनुदान
1	राष्ट्रीय बायोगैस	17598.00
2	राष्ट्रीय पेयजल	30446.00
3	युवक मंगल दल	38000.00
4	बी0आर0जी0एफ0 कन्टी	3500.00
5	तेरहवां वित्त	5917.00
6	जनगणना 2011	361.00
	योग—	95822.00

प्रस्तर 37—ब्याज की धनराशि वापस न कर अनियमितता—क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या ए—1–122/दस—2012–10 (33) / 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजि० ।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2018–19 में रु 37128.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री गुलाबचन्द की है। अर्जित ब्याज रु 37128.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 38—क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2018–19 में निम्न कार्य पर टीडीएस कटौती का विवरण उल्लेखनीय है—

कार्य	फर्म का नाम	भुगतान की कुल धनराशि	देय टीडीएस 2%	कटौती
विकास खण्ड कार्यालय का रंगार्ड—पुताई	आर०के० पेन्ट्स	44900.00	898.00	शून्य

इस प्रकार उपरोक्त बिल पर टी०डी०एस० रु 898.00 की कटौती न कर अनियमितता कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। प्रकरण की ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान अकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 39—क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त कार्य पर धनराशि रु 44900.00 का भुगतान फर्म आर०के० पेन्ट्स को न कर नकद रूप में कार्य प्रभारी श्री रामराज द्वारा लिया गया है। इस प्रकार नकद भुगतान कर संस्था द्वारा अनियमितता की गयी है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 40—क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2018–19 में राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य विकास खण्ड परिसर में चक्रवात में पेड गिरने के कारण टूटी दिवार की मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल पर कार्य पत्रावली अनुसार मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन को सामग्री क्रय पर बिल (6/07.12.2018) रु 392105.00 के सापेक्ष टीडीएस रु 8783.00 व जीएसटी रु 7842.00 की कटौती उपरान्त शुद्ध भुगतान रु 375480.00 चेक संख्या 116013 दिनांक 20.12.2018 को किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर प्राक्कलन अनुसार सामग्री मद में रु 400000.00 व मजदूरी पर रु 100000.00 व्यय होना था। किन्तु कार्य पत्रावली में मस्टररोल संलग्न नहीं पाया गया और न ही ग्राण्ट रजिस्टर।। में मजदूरी पर भुगतान लेखा परीक्षा तिथि तक दर्शित है। अतः मस्टररोल के संलग्न न होने, ग्राण्ट रजिस्टर।। में मजदूरी पर व्यय दर्शित न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से मिलीभगत करके फर्जी बिल लगाकर उक्त कार्य पर सामग्री मद में रु 375480.00 भुगतान कराकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, अवर

अभियन्ता तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर 41—क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों पर निम्न विवरणानुसार स्वीकृत निविदा (मेरे द्वारा अवलोकित) के सापेक्ष ईट क्रय पर फर्म को भुगतान किया गया है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	मात्रा ईट (नग)	फर्म को भुगतानित दर (6300/1000)पर कुल मूल्य	स्वीकृत निविदा अनुसार (6200/1000)पर कुल मूल्य	अन्तर/अधिक भुगतान
1	ग्रा०प० हरिहर पुर में पिच रोड से अवधेष के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	4000	25200.00	24800.00	400.00
2	विकास खण्ड परिसर में षहीद स्मारक निर्माण	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	1000	6300.00	6200.00	100.00
3	विकास खण्ड परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	4500	28350.00	27900.00	450.00
4	ग्रा०प० फेरसम में कोपा मार्ग पर खडण्जा कार्य	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	78000	491400.00	483600.00	7800.00
5	गौहनिया में सरयू नहर से तुलसीराम के घर तक खडण्जा कार्य	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	59000	371700.00	365800.00	5900.00
6	परसा काशी में काली माता के स्थान पर इण्टरलाकिंग कार्य	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	7400	46620.00	45880.00	740.00
7	ग्रा०प० तेलियाडीह में मेन रोड से प्रकाश पाण्डे के घर तक इण्टरलाकिंग	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	8600	54180.00	53320.00	860.00
8	टिनिच बुक्ल में पिच रोड से धुन्धी बुक्ल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	4500	28350.00	27900.00	450.00
9	लेदवा सती माँ स्थान के रास्ते स्थान पुलिया निर्माण	मेसर्स आशुतोष कंस्ट्रक्शन	33200	209160.00	205840.00	3320.00
	योग—					20020.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्वीकृत निविदा दर व भुगतानित वास्तविक दर की तुलना से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में उपरोक्त निर्माण कार्यों पर ईट क्रय पर कुल रु **20020.00** अधिक भुगतान करके अनियमितता की गयी है, तथा उपरोक्तानुसार संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं, जिनसे स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण के अभाव में उपरोक्त धनराशि रु **20020.00** की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 42— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार आलोच्य वर्ष में कतिपय कार्यों पर (रज्य वित्त) मजदूरी भुगतान किया गया है—

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कुल मानव दिवस	भुगतानित धनराशि (दर रु 182)	धनराशि जो वास्तविक देय (दर रु 175)	अन्तर/अधिक भुगतान
1	गौहनिया में सरयू नहर से	784	142688.00	137200.00	5488.00

	तुलसी राम के घर तक खडण्जा कार्य				
2	तेलियाडीह में मेन रोड से प्रकाश पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	300	54600.00	52500.00	2100.00
	योग—				7588.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर आलोच्य वर्ष में कराये गये अन्य कार्यों की भांति मजदूरी जो कि ₹0 175.00 प्रति मानव दिवस ही देय होता है, के स्थान पर ₹ 182.00 प्रति मानव दिवस का भुगतान कर अन्तर/अधिक भुगतान ₹ 7588.00 कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है, कि उचित स्पष्टीकरण के अभाव में संस्था को हुई क्षति ₹ **7588.00** की ब्याज सहित वसूली करायी जाय।

प्रस्तर 43— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में **निष्प्रयोज्य पडी धनराशि वापस न कर अनियमितता**—दिनांक 31.03.2019 को ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार निष्प्रयोज्य पडीधनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, विवरण निम्न प्रकार है —

क्र०सं०	मद	धनराशि
1	तेरहवां वित्त अनुदान मद	84746.00
2	इंदिरा आवास प्रशासनिक मद	140082.00
3	जे०ई०/एईएस एवं अम्बेडकर जयंती	23258.00
	योग—	248086.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि ₹ **248086.00** प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री गुलाबचन्द जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 44—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों की धनराशि ₹ 3814544.00 रहा। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट/व्यापार कर काटना था। इस प्रकार उक्त धनराशि 3814544.00 का 4 प्रतिशत = 152582.00 होता है। जबकि वर्ष 2017-18 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों में ₹ 143689 व्यापार कर काटा गया है। इस प्रकार ₹ 152582-143689 = 8893 व्यापार कर कम काटा गया है। इस प्रकार कम व्यापार कर काटकर अनियमितता की गई है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 45—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों की धनराशि ₹ 3814544.00 रहा। जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० 93075.00 काटना था, किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में काटे गये टी०डी०एस० की धनराशि 83918.00 ही पाया गया। इस प्रकार रुपया 9157.00 टी०डी०एस० की धनराशि सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय कम काटा गया है। इस प्रकार कम व्यापार कर काट कर अनियमितता की गई है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 46—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर—।।। में दिये गये विवरण के अनुसार ब्याज की धनराशि में से ब्याज मद माह सितम्बर 2017 में ₹ 26000.00 व अक्टूबर 2017 में ₹ 285147.00 कुल ₹ 311147.00 का अपहरण कर व्यय किया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा ब्याज मद की धनराशि में से 311147.00 का आहरण व व्यय कर अनियमितता की गई है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 47—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.03.2018 को ब्याज मद के खाते में रुपया 226214.00 शेष धनराशि अंकित पाया गया। शासनादेशानुसार

अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिये था। किन्तु उसको राजकोष में जमा न कर अनियमितता की गई है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 48—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणों की धनराशि रु 2328860.00 रहा। जिस पर काटे गये जी०एस०टी० की धनराशि 34856.00 है। जबकि रूपया 46577.00 जी०एस०टी० की कटौती की जानी थी, इस प्रकार रूपया 11721.00 जी०एस०टी० की कम कटौती कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री राम कृपाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 49—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर—।।। में दिये गये विवरण के अनुसार ब्याज की धनराशि में से ब्याज मद माह सितम्बर 2018 में रु 1062.00 व दिसंबर 2018 में रु 11041.00 कुल रु 12103.00 का अपहरण कर व्यय किया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2020 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा ब्याज मद की धनराशि में से 12103.00 का आहरण व व्यय कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों में रूपया 1062.00 की आहरण व व्यय के लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार रामकृपाल उत्तरदायी है तथा रूपया 11041.00 के आहरण व व्यय के लिये ख०वि०अधि० अधिकारी श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री सुनील कुमार शर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 50—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2019 को ब्याज मद के खाते में रूपया 221922.00 शेष धनराशि अंकित पाया गया। शासनादेशानुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिये था। किन्तु उसको राजकोष में जमा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री सुनील कुमार शर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 51—क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर—।।। के अनुसार निम्नलिखित मदों में विगत कई वर्षों से निष्प्रयोज्य धनराशि पड़ी हुयी है—

1. पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि—	116510.00
2. युवक मंगल दल—	30000.00
3. राष्ट्रीय बायो गैस—	53847.00
4. क्रिटिकल गैस—	10511.00
योग—	210868.00

शासनादेश के अनुसार विगत कई वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी है इस प्रकार रु 210868.00 की अनियमितता के लिये ख०वि०अधि० श्री हरिचन्द्र व लेखाकार श्री सुनील कुमार शर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 52—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2018-19 में रु 273700.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गयी है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
91175.00	श्री राम प्रकाश सिंह बी०डी०ओ० कार्य प्रभारी श्री मनोज यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) श्री राम प्रसाद चौधरी (लेखाकार)
22750.00	श्री रामप्रकाश सिंह बी०डी०ओ० कार्य प्रभारी श्री मनोज यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) श्री

	राम प्रसाद चौधरी (लेखाकार)
5075.00	श्री रामप्रकाश सिंह बी०डी०ओ० कार्य प्रभारी श्री मनोज यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) श्री राम प्रसाद चौधरी (लेखाकार)
68950.00	श्री रामप्रकाश सिंह बी०डी०ओ० कार्य प्रभारी श्री मनोज यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) श्री राम प्रसाद चौधरी (लेखाकार)
55475.00	श्री राम प्रकाश सिंह बी०डी०ओ० कार्य प्रभारी श्री मनोज यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) श्री राम प्रसाद चौधरी (लेखाकार)
30275.00	श्री राम प्रकाश सिंह बी०डी०ओ० कार्य प्रभारी श्री मनोज यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) श्री राम प्रसाद चौधरी (लेखाकार)
273700.00	योग

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 53—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कुल सामग्री क्रय पर रु 10923.00 आयकर टी०डी०एस० की कटौती की गयी है। परन्तु नियमानुसार कटौती की गयी धनराशि को ससमय आयकर के निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं किया गया इस प्रकार ससमय कटौती की गयी धनराशि को जमा न कर गंभीर अनियमिता की गई हैं इस अनियमितता के हेतु श्री राम प्रकाश सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राम प्रसाद चौधरी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। साथ ही आयकर टी०डी०एस० मद में कटौती की गयी धनराशि 10923.00 को आयकर के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है यदि जमा करते समय आयकर विभाग द्वारा विलंब से जमा करने का ब्याज एवं अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है। तो निर्धारित ब्याज एवं अर्थदण्ड की वसूली आयकर नियमानुसार आहरण वितरण अधिकार श्री राम प्रकाश सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राम प्रसाद चौधरी से सयुक्त रूप से वसूल करजमाकिया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 54—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्रय पर रु 98608.00 वैट/जी०एस०टी० की कटौती की गयी है। उक्त काटी गयी व्यापार कर/वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये श्री राम प्रकाश सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राम प्रसाद चौधरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 55—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर-।।। के अनुसार 31.03.2019 को रु 51234.00 अप्रयुक्त अनुदान रोके रखा गया था जबकि इसको विकास कार्यों पर खर्च वित्तीय वर्ष में खर्च न कर पाना ख०वि०अधि० की अक्षमता तथा वर्षान्त में प्रदाता विभाग को वापस न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री रामप्रकाश सिंह व लेखाकार श्री रामप्रसाद चौधरी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है—

1. तेरहवां वित्त आयोग— 235.00
2. पेयजल— 15860.00
3. प्रधान प्रशिक्षण— 31939.00
4. ग्राम पंचायत निर्वाचन— 1700.00
5. डॉ अम्बेडकर दिवस— 150.00

योग— 51234.00

प्रस्तर 56—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-।। के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 88076.00 है। जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है शासनदेश संख्या— ए-1-122/दस-2012-10(33)2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित को राजकोष में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये श्री राम प्रकाश सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री रामप्रसाद चौधरी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 57—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2017-18 में रु 778617.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ब्रम्हा प्रकाश/श्री जयशंकर सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
131222.00	श्री मती रेनू चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामशंकर चौधरी (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री ब्रम्हा प्रकाश मिश्र सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
196700.00	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह (ख0वि0अधि0) श्री रामशंकर चौधरी (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री जयशंकर सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
218400.00	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह (ख0वि0अधि0) श्री रामशंकर चौधरी (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री जयशंकर सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
232295.00	श्री मती रेनू चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामशंकर चौधरी (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री ब्रम्हा प्रकाश मिश्र सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
778617.00	योग

प्रस्तर 58—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्रय पर रु 78855.00 वैट/जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है उक्त काटी गयी व्यापार कर की धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि रु 78855.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह (ख0वि0अधि0)/श्रीमती रेनू चौधरी (ख0वि0अधि0) व श्री राम शंकर चौधरी (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 59—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 44614.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 44614.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह (ख0वि0अधि0)/श्रीमती रेनू चौधरी (ख0वि0अधि0) व श्री राम शंकर चौधरी (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 60—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-।। के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 26669.00 है। जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह (ख0वि0अधि0)/श्रीमती रेनू चौधरी (ख0वि0अधि0) व श्री राम शंकर चौधरी (लेखाकार) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 61—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2018-19 में रु 82510.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री जयशंकर सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति

82510.00	श्री इंद्र पाल सिंह (ख0वि0अधि0) श्री रामसुरेश (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री जयशंकर सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
82510.00	योग

प्रस्तर 62—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्रय पर रु 5840.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है उक्त काटी गयी व्यापार कर की धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि रु 5840.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्री इंद्र पाल सिंह (ख0वि0अधि0) व श्री राम सुरेश (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 63—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 6717.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 6717.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये श्री इंद्र पाल सिंह (ख0वि0अधि0) व श्री राम सुरेश (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 64—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत रु 360000.00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रही। यह स्थिति असंतोषजनक रही है। इस प्रकार धनराशि रु 360000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री इंद्र पाल सिंह (ख0वि0अधि0) व श्री राम सुरेश (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 65—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2017-18 में रु 792820.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
52150.00	श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह (ख0वि0अधि0) श्री सत्य नारायण (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
54600.00	श्रीमती रेनू चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री सत्य नारायण (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
100275.00	श्री विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री राम सुरेश (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
111125.00	श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह (ख0वि0अधि0) श्री सत्य नारायण (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
64400.00	श्री विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री राम सुरेश (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
37800.00	श्री विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री राम सुरेश (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
383700.00	योग

प्रस्तर 66—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 58951.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 127312.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्रीमती विमला चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री रामसुरेश उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 67—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 37563.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि

चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 37563.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्री मती विमला चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री रामसुरेश उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 68—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-।। के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 63799.00 है। जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये श्री मती विमला चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री रामसुरेश उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 69—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत रु 489986.00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रही। यह स्थिति असंतोषजनक रही है। इस प्रकार धनराशि रु 489986.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री मती विमला चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री रामसुरेश उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 70—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2018-19 में रु 792820.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)/ श्री बाल्मिकी (ग्राम पंचायत अधिकारी) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
51670.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री बाल्मिकी ग्राम पंचायत अधिकारी
48225.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री बाल्मिकी ग्राम पंचायत अधिकारी
69400.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
328100.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
136875.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
34325.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
99250.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
24975.00	श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)
792820.00	योग

प्रस्तर 71—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 127312.00 टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 127312.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्रीमती विमला चौधरी (ख0वि0अधि0) श्री रामकुमार पाण्डेय (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 72—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-।। के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 70881.00 है। जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये श्री रामरेखा सरोज खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है।

प्रस्तर 73—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अर्न्तगत रु 2608100.00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रही। यह स्थिति असंतोषजनक रही है। इस प्रकार धनराशि रु 2608100.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री मती विमला चौधरी ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 74—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2017-18 में रु 308700.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मती कलावती सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)/ श्री अम्बिका प्रसाद (वरिष्ठ सहायक)/श्री मुकेश शर्मा (वरिष्ठ सहायक) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
116375.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्रीमती कलावती (सहायक विकास अधिकारी)
59150.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्रीमती कलावती (सहायक विकास अधिकारी)
46550.00	श्री रामरेखा (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री अम्बिका प्रसाद (वरिष्ठ सहायक)
6300.00	श्री रामरेखा (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री अम्बिका प्रसाद (वरिष्ठ सहायक)
11550.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री अम्बिका प्रसाद (वरिष्ठ सहायक)
22575.00	श्री रामरेखा सरोज (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री मुकेश शर्मा (वरिष्ठ सहायक)
33950.00	श्री रामरेखा सरोज (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री अम्बिका प्रसाद (वरिष्ठ सहायक)
12250.00	श्री रामरेखा सरोज (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री अम्बिका प्रसाद (वरिष्ठ सहायक)
308700.00	योग

प्रस्तर 75—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कुल सामाग्री क्रय पर रु 42579.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है उक्त काटी गयी व्यापार कर की धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि रु 42579.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्री नीरज श्रीवास्तव ख0वि0अधि0/ श्री राम रेखा सरोज ख0वि0अधि0 व श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 76—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 35905.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि

चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 35905.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये श्री रामरेखा ख0वि0अधि0 व श्री अम्बिका प्रसाद लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 77—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत रु 58140.00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रही। यह स्थिति असंतोषजनक रही है। इस प्रकार धनराशि रु 58140.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री नीरज श्रीवास्तव ख0वि0अधि0/श्री रामरेखा ख0वि0अधि0 व श्री अम्बिका प्रसाद लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 78—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2018-19 में रु 427788.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
77875.00	श्री राम रेखा सरोज (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
47425.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
44625.00	श्री राम रेखा सरोज (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
60900.00	श्री राम रेखा सरोज (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
41888.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
57575.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
56700.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
40800.00	श्री नीरज श्रीवास्तव (ख0वि0अधि0) श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सियाराम चौधरी (सहायक विकास अधिकारी)
427788.00	योग

प्रस्तर 79—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कुल सामाग्री क्रय पर रु 58072.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है उक्त काटी गयी व्यापार कर की धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि रु 58072.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्री नीरज श्रीवास्तव ख0वि0अधि0/श्री रामरेखा सरोज ख0वि0अधि0 व श्री अम्बिका प्रसाद (लेखाकार) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 80—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर-11 के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 21888.00 है। जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये श्री राम रेखा सरोज ख0वि0अधि0 व श्री अम्बिका प्रसाद लेखाकार उत्तरदायी है।

प्रस्तर 81—क्षेत्र पंचायत रुधौली की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत रु 507000.00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रही। यह स्थिति असंतोषजनक रही है। इस प्रकार धनराशि रु 507000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री नीरज श्रीवास्तव ख०वि०अधि०/श्री रामरेखा सरोज ख०वि०अधि० व श्री अम्बिका प्रसाद लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 82—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2017-18 में रु 228725.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
56525.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख०वि०अधि०) श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी (आई०एस०बी०)
54950.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख०वि०अधि०) श्री रज्जाक अहमद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी (आई०एस०बी०)
47950.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख०वि०अधि०) श्री रज्जाक अहमद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी (आई०एस०बी०)
25025.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख०वि०अधि०) श्री रज्जाक अहमद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी (आई०एस०बी०)
44275.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख०वि०अधि०) श्री रज्जाक अहमद (लेखाकार) एवं कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी (आई०एस०बी०)
228725.00	योग

प्रस्तर 83 क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 6853.00 टी०डी०एस० की कटौती की गयी है, जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 6853.00 का गंभीर अनियमितता कर लिया गया है, जिसके लिये श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा व मो० रज्जाक अहमद उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 84—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्रय पर रु 13592.00 वैट/जी०एस०टी० की कटौती की गयी है। उक्त काटी गयी व्यापार कर/वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि का गंभीर अनियमितता कर लिया गया है जिसके लिये श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र एवं मो० रज्जाक उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 85—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को अवलोकन/परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2018-19 में रु 575825.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार यादव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और अंगूठा निशान अंकित नहीं है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
60800.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख०वि०अधि०) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) एवं

	कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
18900.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
19600.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
56700.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
3500.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
28000.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
35700.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
106400.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
70000.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
35000.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
141225.00	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं कार्य प्रभारी श्री राजकुमार सिंह (लेखाकार)
575825.00	योग

प्रस्तर 86—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 42820.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षक में जमा करने की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु 42820.00 का गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिये श्री महेन्द्र पाण्डेय ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राजकुमार सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 87—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्रय पर रु 59955.00 वैट/जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। उक्त काटी गयी व्यापारकर/वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि का गंभीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिये श्री महेन्द्र पाण्डेय ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राजकुमार सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 88—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर-।।। के अनुसार 31.03.2019 को रु 190206.00 अप्रयुक्त अनुदान रोके रखा गया था जबकि इसको विकास कार्यो पर खर्च वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत खर्च कर लिया जाना चाहिये था। वित्तीय वर्ष में खर्च न कर पाना खण्ड विकास अधिकारी की अक्षमता तथा वर्षान्त में प्रदाता विभाग को वापस न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री राजकुमार सिंह उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है—

1. विधायक निधि— 5415.00
 2. पिछडा वर्ग अनुदान निधि— 120226.00
 3. मनरेगा जी0पी0पी0 टैनिंग— 64565.00
- योग— 190206.00**

प्रस्तर 89—क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में भानपुर पिच से बल्लू मौर्या के घर तक खडन्जा कार्य (राज्य वित्त आयोग मद) की पत्रावली में बिना श्रमिकों को भुगतान किये एवं बिना मस्टररोल संलग्न किये चौधरी ब्रिकफील्ड के प्रमाणक सं0-172 दिनांक 05.08.2017 जिस पर टिन नं0 भी दर्शित नहीं है को रु 192100.00 से टी0डी0एस0 एवं वैट की कटौती करते हुये रु 182574.00 का भुगतान किया गया है(जिसका विवरण तालिका-2 पर दर्शित है) जिसकी पुष्टि ग्रांट रजिस्टर-।। से भी होती है। उक्त व्यय

की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक तथा स्टाक बुक भी मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इससे स्पष्ट होता है कि ईट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु 192100.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री राजकुमार सिंह एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को तीनों में बराबर विभाजित कर वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 90—क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पांच परियोजनाओं की निर्माण सम्बन्धी कार्यों की पत्रावली जिसका विवरण तालिका-3 पर दर्शित है पर कुल व्यय रु 2067229.00 का है, जिनकी पत्रावलियां मांगोपरान्त जांच में प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी एवं राजकुमार सिंह है। इनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कुल व्यय धनराशि ग्रांट-।। के अनुसार
1	अहिरौली में मुकुन्दपुर मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	595083.00
2	रामबोध, मोहन तिवारी, संतराम बरई के घर के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	594592.00
3	ब्लॉक परिसर में आवासीय भवन में शौचालय मरम्मत, रंगाई पुताई कार्य	29073.00
4	पल्हनापुर पिच रोड से लल्ला पाठक के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	560983.00
5	वि0खण्ड हरैया में बी0डी0ओ0 आवास मरम्मत एवं गैराज मरम्मत कार्य	287498.00
	योग	2067229.00

प्रस्तर 91—क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजी-3 के माह मार्च 2018 में राज्य वित्त आयोग ब्याज मद नाम से एक नया खाता खोला गया और उसके प्रारंभिक अवशेष में रु 221462.00 दर्शित किया गया और लेखा परीक्षा में यह बताया गया कि अनुदान पंजी-।। के पृष्ठ नं0-18 से आया है। किन्तु अनुदान पंजी-।। के पृष्ठ नं0-18 पर जो विवरण दर्शित किया गया है उससे उक्त दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार काल्पनिक आय दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री राजकुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 92—क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजी-।। की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 के अन्तिम अवशेष तथा दिनांक 01.04.19 के प्रारम्भिक अवशेष के मध्य योजनावार आडिट आगणन अनुसार निम्नलिखित अन्तर है—

क्र0सं0	विवरण	31.03.18 को अन्तिम अवशेष	01.04.19 को प्रारम्भिक अवशेष	अन्तर
1	इंदिरा आवास प्रशासनिक मद	228756.00	233557.00	4801.00
2	राज्य वित्त आयोग	2268459.00	2615426.00	356969.00
3	राज्य वित्त आयोग ब्याज	221462.00	228462.00	7000.00
			योग	368770.00

उक्त प्रकार रु 368770.00 की अधिक धनराशियां दिनांक 01.04.19 को प्रारम्भिक अवशेष में दर्शाकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस संबंध में लेखा परीक्षा के समय वर्तमान सहायक लेखाधिकारी श्री रविशंकर द्वारा बताया गया कि यह अन्तर विगत वर्षों से चला आ रहा है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री राजकुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 93—क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 3780836.00 किया गया है (जिसका विवरण सामान्य प्रतिवेदन के तालिका 02 पर दर्शित है।) नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से दर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु 84691.00 टी0डी0एस0 कटौती के सापेक्ष रु 81173.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 3518.00 की कटौती न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्रीमती मंजू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री दधीच चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 94—क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड कार्यालय में रंगाई पुताई कार्य हेतु मेसर्स एच0आर0 कांसट्रक्शन कंपनी को रु 201079.00 की बिल से टी0डी0एस0 एवं वैट की कटौती करते हुये रु 188613.00 भुगतान किया गया है (जिसका विवरण सामान्य प्रतिवेदन के तालिका 02 पर दर्शित है।) जबकि शासनादेश संख्या-29810/36-2-2011-251(एस.एम.)/95टी.सी. दिनांक 08 फरवरी 2011 के अनुसार निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर कटौती ठेकेदार की बिल से करके रु 2011.00 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किया जाना चाहिये था किन्तु उक्त धनराशि की कटौती न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 एवं श्री मती मंजू त्रिवेदी तथा श्री दधीच चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 95—क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2018 को कुल रु 1279781.00 अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगिता अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 96—क्षेत्र पंचायत सल्टौआगोपालपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में ग्रांट-।।। रजिस्टर के वर्ष 2017-18 की जांच में पाया गया कि क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज रु 131950.00 जो विगत वर्ष से चली आ रही थी ग्रांट-।। रजिस्टर में दिनांक 01.11.17 को राज्य वित्त आयोग के शीर्ष में हस्तान्तरित कर उपभोग कर लिया गया है। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोष में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री दधीच चन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 97—क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्रांट रजिस्टर-।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2017-18 में रु 109919.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्रीमती रेनू चौधरी एवं लेखाकार श्री विद्यासागर गुप्ता की है। अर्जित ब्याज रु 109919.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 98—क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर-।।। के अनुसार रायल्टी कटौती मद रु 60121.00 प्रारम्भिक अवशेष दर्शित है, जो कि 31 मार्च 2018 तक यथावत रहा। नियमानुसार रायल्टी कटौती रु 60121.00 है, को संगत लेखा शीर्ष में जमा कर देना चाहिये। ऐसा न करके अनियमितता की गयी है। इस प्रति तत्कालीन ख0वि0अधि0 रेनू चौधरी एवं लेखाकार श्री विद्यासागर गुप्ता उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 99—क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि सम्बन्धित को वापस न कर अनियमितता की गयी—

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान	378.00
2	पूर्वांचल विकास निधि	1293.00
3	पेयजल कार्यशाला	7420.00
4	मनरेगा निशुल्क बोरिंग	6000.00
5	पंचायत निर्वाचन	34100.00
6	सामाजिक आर्थिक जनगणना	7288.00
7	डा0बी0आर0अम्बेडकर मार्ग राशि	1500.00
8	हफीजुल्लाह बनाम सरकार	914.00
9	इन्दिरा आवास	234849.00
		293742.00

उपरोक्त विवरणानुसार कुल धनराशि रु 293742.00 को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख०वि०अधि० श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार सत्यनारायन है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 100—क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजिस्टर-III के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2018-19 में रु 93826.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अधि० श्रीमती विमला चौधरी एवं लेखाकार श्री सत्यनारायन की है। अर्जित ब्याज रु 93826.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 101—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म की बिलों से 12% जी०एस०टी० की कटौती निम्न विवरण अनुसार की गयी है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	बिल की सकल धनराशि	12% जी०एस०टी० कटौती
1	विकास खण्ड कार्यालय का मरम्मत एवं सुन्दरीकरण	354428.00	42531.00
2	विकास खण्ड कार्यालय छत मरम्मत	242763.00	29132.00
3	ग्राम सभा भादीबुजुर्ग में रामसरूप पुक्ला के घर से हरिप्रसाद पुक्ला के सरकारी नल तक इण्टरलाकिंग कार्य	232819.00	27938.00
4	ग्राम पंचायत सांउघाटके पश्चिम भट्टे के बगल से सुमन के ट्यूबेल होते हुए परमात्मा चौबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	271254.00	32550.00
5	व्योतहरा ग्राम के आशिफ अली के घर से पिच रोड से जोड़ने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	581435.00	69772.00
	योग—	1682699.00	201923.00

उक्त कटौती की धनराशि रु 201923.00 को निर्धारित लेखाशीर्ष में लेखा परीक्षा की तिथि तक जमा न करके अनियमितता की गयी है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री मोहम्मद सलीम उत्तरदायी हैं, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 102—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से परियोजना ग्राम पंचायत सांउघाट में सामुदायिक भवन का मरम्मत पर कार्य पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन अनुसार (टी०एस० 11/09.12.2016) जिसमें सामग्री पर रु 190000.00, मजदूरी पर रु 50000.00 एवं अन्य पर रु 3000.00 कुल रु 243000.00 व्यय होना था। जिसे दो माह में पूरा करने हेतु निर्देश दिया गया है। जबकि पत्रावली में संलग्न मेसर्स राजेधर कांट्रक्शन के बिल संख्या 143/01.09.2017 रु 158311.00 के सापेक्ष

सामग्री क्रय पर टी0डी0एस0 3546.00 एवं वैट 6332.00 की कटौती उपरान्त शुद्धभुगतान रु 148433.00 (चेक सं0 732411/07.09.2017) किया गया है। उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई 2017 से वैट की जगह जी0एस0टी0 पूरे देश में लागू होने के उपरान्त भी सितम्बर 2017 में बिल भुगतान के समय वैट की कटौती की गयी है। कार्य पत्रावली में न तो कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र और न ही मस्टर रोल लेखा परीक्षा समय तक संलग्न पाया गया और कार्य पूर्ण न होने के संबंध में कोई सूचना ही संलग्न पायी गई। तथा इस परियोजना पर ग्राण्ट-।। रजिस्टर में भी केवल सामग्री का भुगतान ही दर्शित है। इस प्रकार उक्त कार्य पर आतिथि मस्टर रोल का भुगतान न होने तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र न होने से यह प्रतीत होता है कि कार्य कराया ही नहीं गया है तथा फर्जी एवं काल्पनिक बिल प्रस्तुत कर कुल रु 148433.00 का अपहरण कर लिया गया स्पष्ट प्रतीत होता है, जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री धर्मप्रकाश उपाध्याय, खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश, एवं लेखाकार श्री गुलाबचन्द उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 103—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की निमाण कार्य की पत्रवलियों की जांच में पाया गया कि फर्म की बिलों से 12% जी0एस0टी0 की कटौती निम्न विवरण अनुसार की गयी है—

	कार्य का नाम	बिल की सकल धनराशि	12% जी0एस0टी0 कटौती
1	व्योतहरा ग्राम के आषिफअली के घर से पिच रोड से जोड़ने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग	248077.00	29769.00
2	ग्राम सभा सोनहटी के ककरहिया गडढे के बागडीह मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	114534.00	13744.00
3	ग्राम सभा भादीबुजुर्ग में रामसरूप शुक्ला के घर से हरिप्रसाद शुक्ला के सरकारी नल तक इण्टरलाकिंग कार्य	95987.00	11518.00
4	ग्राम पंचायत सांउघाट में सुखराम के घर से श्रीराम पंडित के दरवाजे होते हुए महेन्द्र तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	79095.00	9492.00
5	सांउघाट के मार्ग पर बड़े पुल से पहले काली मन्दिर होते हुए रामदास के मन्दिर करमागांव को जोड़ने वाले मार्ग से सुमन पाण्डे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	87983.00	10558.00
	योग—	625676.00	75081.00

उक्त कटौती की धनराशि रु 75081.00.00 को निर्धारित लेखाशीर्ष में लेखा परीक्षा की तिथि तक जमा न करके अनियमितता की गयी है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री मोहम्मद सलीम उत्तरदायी हैं, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 104—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से परियोजना ग्राम पंचायत ऊंचगांव में कोदई के घर से रामभवन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर कार्य पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन अनुसार (टी0एस0 25/11/21.02.2019) जिसमें सामग्री पर रु 302554.59, मजदूरी पर रु 38772.76 एवं अन्य पर रु 5000.00 कुल रु 342763.35 व्यय होना था। जिसे दो माह में पूरा करने हेतु निर्देश दिया गया है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि मेसर्स राजेश्वर कांस्ट्रक्शन के बिल संख्या 174/24.02.2019 को रु 232958.00 की सामग्री क्रय के सपेक्ष टी0डी0एस0 5264.00 की कटौती उपरान्त शुद्धभुगतान रु 227694.00 (चेक सं0 869897/28.02.2019) किया गया है तथा पुनः मेसर्स राजेश्वर कांस्ट्रक्शन के बिल संख्या 189/16.03.2019 को रु 66380.00 की सामग्री क्रय के सापेक्ष टी0डी0एस0 1500.00 की कटौती उपरान्त शुद्धभुगतान रु 64880.00 (चेक सं0 61981/09.04.2019) किया गया है, कार्य पत्रावली में न तो कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र और न ही मस्टर रोल लेखा परीक्षा समय तक संलग्न पाया गया और कार्य पूर्ण न होने के संबंध में कोई सूचना भी संलग्न नहीं पायी गई। तथा इस परियोजना पर ग्राण्ट-।। रजिस्टर में भी केवल सामग्री पर ही भुगतान दर्शित है।

इस प्रकार उक्त कार्य पर आतिथि मस्टर रोल का भुगतान न होने तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न होने से यह प्रतीत होता है कि कार्य कराया ही नहीं गया है। तथा फर्जी एवं काल्पनिक बिल प्रस्तुत कर कुल रु 292574.00 का अपहरण कर लिया गया स्पष्ट प्रतीत होता है, जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री सुनील

कुमार आर्य, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी, एवं लेखाकार श्री मोहम्मद सलीम उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 105—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र निधि व्याज (ग्राण्ट रजि०।।। अनुसार) मद में वर्षात रु 52167.00 अवशेष दर्शित है। जिसे वापस न कर अनियमितता की गयी है। (शासनादेश सं० -1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012) अर्जित व्याज रु **52167.00** को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 106—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद सेपरियोजना ग्राम पंचायत सांउघाट के पश्चिम भटठे के बगल से सुमन के ट्यूबेल होते हुए परमात्मा चौबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 315 मी० कार्य पत्रावली एवं ग्राण्ट-।। रजिस्टर अनुसार निम्न प्रकार व्यय दर्शित है—

क्र० सं०	फर्म का नाम	बिल/वाउचर सं०/दिनांक	समग्री कय की कुल धनराशि	शुद्ध भुगतानित धनराशि	चेक संख्या/दिनांक
1	मेसर्स राजेश्वर कांस्ट्रक्शन	152 / 24.03.2018	542508.00	232628.00 303696.00	732443 / 24.03.2018 869899 / 28.02.2019
2	मेसर्स राजेश्वर कांस्ट्रक्शन	172 / 24.02.2019	318878.00	311672.00	869898 / 28.02.2019
			शुद्धभुगतान	847996.00	

कार्य पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन (टी०एस० 106/22.03.2018) के अनुसार उक्त परियोजना पर सामग्री कय पर रु 863000.00, मजदूरी पर रु 125000.00 एवं अन्य पर रु 5000.00 कुल रु 993000.00 व्यय होना था। जिसे दो माह में पूरा करने हेतु निर्देश दिया गया है। पत्रावली की जांच में मस्टर रोल संलग्न नहीं पाया गया। तथा आतिथि ग्राण्ट-।। रजिस्टर में भी उक्त परियोजना पर श्रमांश मद में कोई भुगतान दर्शित नहीं रहा और न ही कार्य पूर्ण न होने के संबंध में कोई सूचना ही संलग्न पायी गई।

इस प्रकार उक्त कार्य पर आतिथि मस्टर रोल तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न न होने तथा ग्राण्ट-।। में श्रमांश मद पर व्यय न दर्शित होने से स्पष्ट होता है कि कार्य कराया ही नहीं गया है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से मिलीभगत कर एवं काल्पनिक रूप से सामग्री पर कुल रु **847996.00** का व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री कन्हैयालाल, खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती मंजू त्रिवेदी कार्यकालानुसार एवं लेखाकार श्री मो०सलीम उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 107—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2019 को ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, विवरण निम्न प्रकार है —

क्र०सं०	मद	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस	29500
2	विधायक निधि	240602
3	आई०ए०वाई० प्रशासनिक मद	32606
4	राष्ट्रीय पेयजल अनुरक्षण	26772
5	डा०बी०आर० अम्बेडकर जयन्ती	1500
6	ब्लाक स्वच्छता समिति	647
7	राष्ट्रीय ग्रामिण आजीविका मिशन	10040
	योग—	341667.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रु **341667.00** प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री मोहम्मद सलीम जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 108—क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में दर्शित कार्य मुख्य मार्ग से रघुराज राम त्रिपाठी आर०आर० उच्चतर मा०वि० गायघाट में इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य पर इस्टीमेट अनुसार सामग्री पर रु 466000.00 एवं श्रमांश पर रु 75700.00 व्यय होना दर्शित है, जिसके सापेक्ष बाउचर सं०-11 दिनांक 31.01.2018 चेक संख्या-018412 से रु 383253.00 सामग्री कय हेतु मे० जय कृष्णा कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया है। उक्त सामग्री के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कोई भी मस्टररोल लगा नहीं पाया गया। ग्राण्ट रजिस्टर-।। में भी उक्त कार्य पर श्रमांश मद में कोई व्यय भुगतानित नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री पर इस्टीमेट से कम भुगतान दर्शित कर एवं मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि

कार्य कराया ही नहीं गया। अतः फर्म से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल प्रस्तुत कर रु 383253.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री मो0 नसीम, कार्य प्रभारी श्री अवधेश कुमार एवं लेखाकार श्री रविशंकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 109—क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों पर कार्य पत्रावली के अनुसार कुल क़य की गयी सामग्री (अनुलग्नक-1) के सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से कुल रु 25809.00 वैट की कटौती की जानी चाहिये थी, किन्तु आलोच्य वर्ष में रु शून्य वैट की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 25809.00 वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी समस्त जिम्मेदार तत्कालीन ख0वि0अधिकारीगण तथा लेखाकार श्री रविशंकर की है। यदि व्यापार कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ख0वि0अधि0 तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कर संगत लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

अनुलग्नक-1 वर्ष 2017-18

क्र0सं0	मद	कार्य का विवरण	कुल भुगतानित धनराशि	कटौती योग्य 4प्रतिशत	वैट की की गयी कटौती
1	राज्य वित्त	मुख्य मार्ग से रघुराज राम त्रिपाठी उच्चतर मा0वि0 गायघाट बस्ती इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	392035.00	15681.40	शून्य
2	राज्य वित्त	रामजानकी मार्ग से गुड्डू के घर से भगल अंसारी के घर तक इण्टर लाकिंग	253184.00	10127.36	शून्य

प्रस्तर 110—क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत गंगापुर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर इस्टीमेट अनुसार सामग्री पर रु 661800.00 एवं श्रमांश पर रु 87400.00 व्यय होना दर्शित है, जिसके सापेक्ष बाउचर सं0-10 दिनांक 15.12.2017 चेक सं0-18411 दिनांक 08.01.2018 से रु 600397.00 सामग्री क़य हेतु मे0 जय कृष्णा कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया। उक्त सामग्री के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कोई भी मस्टर रोल लगा नहीं पाया गया। ग्राण्ट रजिस्टर-।। में भी उक्त कार्य पर श्रमांश पद में कोई व्यय भुगतानित नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री पर इस्टीमेट से कम भुगतान दर्शित कर एवं मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया। अतः फर्म से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल प्रस्तुत कर रु 600397.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री मो0 नसीम लेखाकार श्री रविशंकर एवं कार्यप्रभारी श्री सतीशचन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 111—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजिस्टर-।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2017-18 में रु 11360.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अधि0 मो0 नसीम एवं लेखाकार श्री रविशंकर की है। अर्जित ब्याज रु 11360.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 112—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत चिलवनियां में मधुवन यादव के घर से बगल इण्टरलाकिंग 93 मी0 निर्माण कार्य पर इस्टीमेट अनुसार सामग्री पर रु 347689.00 एवं श्रमांश पर रु 51106.00 व्यय होना दर्शित है। जिसके सापेक्ष बाउचर सं0-76 दिनांक 06.12.2018 चेक सं-018425 से रु 262604.00 सामग्री क़म हेतु मे0 जय कृष्णा कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया है। उक्त सामग्री के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कोई भी मस्टररोल लगा नहीं पाया गया। जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर-।। से भी होती है। इस प्रकार सामग्री पर इस्टीमेट से कम भुगतान दर्शित कर एवं मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट होता है कि कार्य कराया ही नहीं गया है। अतः फर्म से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल प्रस्तुत कर ख0वि0अधि0 श्री संजय कुमार नायक एवं कार्यप्रभारी

श्री सतीशचन्द्र शुक्ला, तथा लेखाकार मो० सलीम द्वारा रु 262604.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 113—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत छरदही के पल्टी पुरवा में खलिहान के बगल में इण्टर लाकिंग 95 मी० निर्माण कार्य पर इस्टीमेट अनुसार सामग्री पर रु 348279.00 एवं श्रमांश पर रु 51588.00 व्यय होना दर्शित है, जिसके सापेक्ष बाउचर सं०-71 दिनांक 06.12.2018 चेक संख्या-18429 से रु 256224.00 सामग्री कय हेतु मे० जय कृष्णा कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया है। उक्त सामग्री के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कोई भी मस्टररोल लगा नहीं पाया गया जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर-।। से भी होती है। इस प्रकार सामग्री पर इस्टीमेट से कम भुगतान दर्शित कर एवं मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया। अतः फर्म से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल प्रस्तुत कर ख०वि०अधि० श्री संजय कुमार नायक एवं कार्यप्रभारी श्री सतीशचन्द्र शुक्ला द्वारा रु 256224.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 114— क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरण अनुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि सम्बन्धित को वापस न कर अनियमितता की गयी—

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान	20980.00
2	युवक मंगल दल	14000.00
3	टेण्डर जमानत की धनराशि	35600.00
4	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	61474.00
5	त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव	89133.00
6	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि	253738.00
7	प्रशानिक व्यय मद	174.00
	योग	475099.00

उपरोक्त विवरणानुसार कुल धनराशि रु 475099.00 को वापस न कर अनियमितता की गयी है, जिसके जिम्मेदार तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री संजय कुमार नायक तथा लेखाकार श्री मो० सलीम है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 115—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत माझाकला में लुफताबाद रोड से उत्तर चकरोड से दक्षिण आशाराम के घर तक इण्टरलाकिंग 92'3 मी० निर्माण कार्य पर इस्टीमेट अनुसार सामग्री पर रु 346064.00 एवं श्रमांश पर रु 52229.00 व्यय होना दर्शित है जिसके सापेक्ष आउचर सं०-73 दिनांक 06.12.2018 चेक सं०-081428 से रु 259795.00 सामग्री कय हेतु मे० जय कृष्णा कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया। उक्त सामग्री के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कोई भी मस्टररोल लगा नहीं पाया गया। जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर से भी होती है। इस प्रकार सामग्री पर इस्टीमेट से कम भुगतान दर्शित कर एवं मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया। अतः फर्म से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल प्रस्तुत कर ख०वि०अधि० श्री संजय कुमार नायक, कार्यप्रभारी सतीशचन्द्र शुक्ला, एवं लेखाकार मो०सलीम द्वारा रु 259795.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 116—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत गंगापुर में रामपलट के घर के बगल इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर इस्टीमेट अनुसार सामग्री पर रु 347689.00 एवं श्रमांश पर रु 51106.00 व्यय होना दर्शित है। जिसके सापेक्ष बाउचर सं०-82 दिनांक 24.02.2019, चेक सं०- 018474 रु 273293.00 सामग्री कय हेतु मे० जय कृष्णा कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया है।

उक्त सामग्री के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कोई भी मस्टररोल लगा नहीं पाया गया। जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर-।। से भी होती है। इस प्रकार सामग्री पर इस्टीमेट से कम भुगतान दर्शित कर एवं मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया नहीं गया। अतः फर्म से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल प्रस्तुत कर रु 273293.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री संजय कुमार नायक, लेखाकार मो० सलीम तथा कार्य प्रभारी श्री सतीशचन्द्र शुक्ला उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 117—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत कोप में डीह के बगल सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य पर इस्टीमेट अनुसार सामग्री पर रु 347907.00 एवं श्रमांश पर रु 51595.00 व्यय होना दर्शित है जिसके सापेक्ष बाउचर सं0-81 दिनांक 24.02.2019 चेक सं0-018477 से रु 267134.002 सामग्री कय हेतु मे0 जय कृष्णा कान्स्ट्रक्शन को भुगतान किया गया। उक्त सामग्री के सापेक्ष कय पत्रावली में कोई भी मस्टररोल लगा नहीं पाया गया जिसकी पुष्टि ग्राण्ट रजिस्टर-।। से भी होती है। इस प्रकार सामग्री पर इस्टीमेट से कम भुगतान दर्शित कर एवं मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया। अतः फर्म से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल प्रस्तुत कर रु 267134.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री संजय कुमार नायक, लेखाकार श्री मो0 सलीम एवं कार्य प्रभारी श्री सतीशचन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 118—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजिस्टर-।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2018-19 में रु 273437.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री संजय कुमार नायक लेखाकार श्री मो0 सलीम की है। अर्जित ब्याज रु 273437.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-119— क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों से ग्राण्ट रजिस्टर।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2014-15 में रु 463540.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गई है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव की है अर्जित ब्याज रु 463540.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 120— क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि वर्ष 2014-15 में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों पर कार्य पत्रावली के अनुसार कुल कय की गयी सामग्री धनराशि रु 2624170.00 (अनुलग्नक-1) के सापेक्ष में 4 प्रतिशत की दर से कुल रु 104966.00 वैट की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु आलोच्य वर्ष में रु शून्य वैट की कटौती की गई है। इस प्रकार रु 104966.00 वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा तत्कालीन लेखाकार की है यदि व्यापार कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ख0वि0अधि0 तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर संगत लेखा शीर्ष जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित है—

क्र0सं0	मद	कार्य का विवरण	बिल की सकल धनराशि	कटौती योग
1	राज्य वित्त (2014-15)	ग्राम सोनौरा पिच रोड से शिवदास के खेत तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	250160.00	10006.00
2	राज्य वित्त (2014-15)	ग्राम पलाने हरिवंश के खेत से रामसुभक के घर होते हुये दाउपट्टी सरहद तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी एवं खडंजा कार्य	461100.00	18444.00
3	विधायक निधि (2014-15)	कोडरा चमनगंज मार्ग पर रानीपुर सोनौरा सरहद से सानीपुर गांव तक खडंजा कार्य	827860.00	33114.00
4	विधायक निधि (2014-15)	एन0एच0 28 से मटवटिया में राजाराम चौधरी इ0का0 तक इ0ला0 कार्य	1085050.00	43402.00

		योग—	2624170.00	104966.00

प्रस्तर 121— क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद में ग्राण्ट रजिस्टर ।। अनुसार ग्राम पलाने में गंधरिया फैंज सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण की कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है विवरण निम्न है—

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	ग्राम पलाने में गंधरिया फैंज सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	28.06.2014	778277	195661.00	बस्ती ब्रिक फील्ड चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल श्री देवरात पाण्डेय चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल बस्ती ब्रिक फील्ड श्री देवरात पाण्डेय
		28.06.2014	778278	77749.00	
		28.06.2014	778279	142514.00	
		28.06.2014	778280	82376.00	
		05.08.2014	291975	4034.00	
		05.08.2014	291976	29015.00	
		05.08.2014	291978	56364.00	
			योग	587713.00	
2	ग्राम पलगने से भतरिन्हवा सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	28.06.2014	291961	195661.00	बस्ती ब्रिक फील्ड चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल श्री कन्हैयालाल (ए0डी0ओ0ए0जी0)
		28.06.2014	291962	193894.00	
		28.06.2014	291963	26371.00	
		28.06.2014	291964	82376.00	
		05.08.2014	291979	4034.00	
		05.08.2014	291980	29015.00	
		05.08.2014	291981	56364.00	श्री कन्हैयालाल (ए0डी0ओ0ए0जी0)
			सकल योग	1175428.00	

उपरोक्त विवरण अनुसार कुल धनराशि रु 1175428.00 के सापेक्ष मांगोपरान्त जांच में निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये उत्तरदायी वर्तमान ख0वि0अधि0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री मो0 सलीम है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 122—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर ।। के अनुसार राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त ब्याज मद से कार्यालय मरम्मत हेतु निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
26.12.2014	292015	5987.00	अरोरा इण्डस्ट्रीज
26.12.2014	292016	67320.00	अरोरा इण्डस्ट्रीज

उक्त व्यय से सम्बन्धित लेखा परीक्षा समय कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। शासनादेश का पालन न कर अर्जित ब्याज रु 73307.00 को व्यय कर अनियमितता की गयी है। जिसके जिम्मेदार ख0वि0अधि0 श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 123—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में तेरहवां वित्त मद में कराये गये कार्य पटखौली सम्पर्क मार्ग से ब्रम्हानन्द के घर तक खडंजा कार्य हेतु ग्राण्ट रजिस्टर ।। एवं पासबुक अनुसार निम्न भुगतान दर्शित है—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
08.11.2014	291993	323566.00	मेसर्स चौधरी कान्सट्रक्शन
11.11.2014	292011	117153.00	मेसर्स चौधरी कान्सट्रक्शन
16.01.2015	292030	131170.00	मेसर्स चौधरी कान्सट्रक्शन
10.12.2014	292014	144560.00	श्री कन्हैयालाल
16.01.2015	292033	23538.00	श्री कन्हैयालाल

उपरोक्त विवरण में ग्राण्ट रजिस्टर ।। अनुसार दिनांक 16.01.2015 को चेक संख्या 292030 से रु 131170.00 सामग्री हेतु तथा चेक संख्या 292033 से रु 23538.00 श्रमांश हेतु भुगतान दर्शित है। जबकि

लेखा परीक्षा समय निर्माण कार्य पत्रावली में इससे सम्बन्धित बिल/बाउचर एवं मस्टररोल लगा नहीं पाया गया। यहां उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य पत्रावली में लगे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुसार रु 470050.00 सामग्री मद में (टी0डी0एस0, वैट) सहित एवं रु0 144560.00 श्रमांश मद में अर्थात् कुल रु0 614610.00 ही व्यय दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि रु0 131170.00+23538.00=154708.00 के सापेक्ष बिल बाउचर/मस्टररोल प्रस्तुत न करना तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में रु 154708.00 को न समाहित करना इस बात को प्रमाणित करता है कि फर्जी तरीके से रु 131170.00+23538.00=154708.00 भुगतान प्राप्त किया गया है। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री हनुमान प्रसाद मिश्र जे0ई0 श्री आदित्य प्रकाश मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री कन्हैयालाल जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 124—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में तेरहवां वित्त मद से कराये गये कार्य ग्राम तेनुई पोखर के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण हेतु मस्टररोल दिनांक 01.04.2015 से 15.04.2015 तक (कुशल मजदूर 20 *320 = 6400.00 तथा अकुशल मजदूर 84 *161 = 13524.00 कुल योग रु 19924.00) जारी किया गया है। जिस पर किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठा निषान नहीं पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि फर्जी तरीके से भुगतान प्राप्त कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री जगदीश प्रसाद मिश्र जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 125—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0—ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों से ग्राण्ट रजिस्टर।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2015-16 में रु (604122-463540=140582.00) ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गई है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री शम्भूलाल तथा लेखाकार श्री सुनील कुमार शर्मा की है अर्जित ब्याज रु 140582.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 126—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से ग्राण्ट रजिस्टर ।। अनुसार हरैया मिश्र में कालीमाता के स्थान से दलित पिच रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य की कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है विवरण निम्न है—

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	हरैया मिश्र में कालीमाता के स्थान से दलित बस्ती पिच रोड तक इ0ला0	19.09.2015 19.09.2015	391585 391588	606288.00 100868.00	मेसर्स चौधरी कांस्ट्रक्शन श्री कन्हैयालाल
			योग	707156.00	

उपरोक्त विवरण अनुसार कुल धनराशि रु 707156.00 के सापेक्ष मांगोपरान्त जांच में निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये उत्तरदायी वर्तमान ख0वि0अधि0 श्रीमती मंजू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री मोहम्मद सलीम है, इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 127—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से दर्शित कार्य एन0एच0 28 परसा हज्जाम बन्धे पर 1*3 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण पर निम्न विवरण अनुसार भुगतान दर्शित है—

क्र0सं0	बाउचर संख्या/दिनांक	फर्म का नाम	भुगतानित धनराशि	चेक संख्या/दिनांक	बैंक पासबुक अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता मेसर्स चौधरी कांस्ट्रक्शन
1	13/16.09.2015	मेसर्स चौधरी कांस्ट्रक्शन	363263.00	391593/19.09.2015	मेसर्स चौधरी कांस्ट्रक्शन

2	22/20.09.2015	मेसर्स चौधरी कांस्ट्रक्शन	77127.00	—	—
क्र०सं०	मस्टररोल क्रमांक	अवधि	मजदूरों की संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	257	20.09.2015 से 30.09.2015	40*320 116*161 योग	12800.00 18676.00 31476.00	
2	258	01.10.2015 से 21.10.2015	70*320 238*161 योग	22400.00 38318.00 60718.00	

उक्त विवरण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वा०सं० 22/20.09.2015 न तो ख०वि०अधि० द्वारा प्रमाणित है और न ही उक्त धनराशि रु 77127.00 का चेक ही निर्गत है। इसी तरह उक्त दोनों मस्टररोलों न तो खण्ड विकास अधिकारी, कार्यप्रभारी एवं जे०ई० द्वारा प्रमाणित ही है और न ही उक्त धनराशि रु 31476.00+60718.00=92194.00 का कोई चेक ही निर्गत है, जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक से भी होती है। अतः स्पष्ट है कि सामग्री हेतु रु 77127.00 एवं श्रमांश हेतु रु 92194.00 का भुगतान हुआ ही नहीं है जिससे स्वयं सिद्ध होता है कि कार्य हुआ ही नहीं है।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वा०सं० 13/16.09.2015 चेक सं० 391593/19.09.2015 से रु 363263.00 का भुगतान मेसर्स चौधरी कांस्ट्रक्शन फर्म से मिलीभगत करके अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह जे०ई० श्री आदित्य प्रकाश मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री जगदीश प्रसाद मिश्र जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 128—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं०—ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक— 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों से ग्राण्ट रजिस्टर।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2016-17 में रु (706923-604122=102801.00) ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गई है जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री शम्भूलाल तथा लेखाकार श्री सुनील कुमार शर्मा की है अर्जित ब्याज रु 102801.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(इस प्रकार 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 तक कुल ब्याज की धनराशि रु 463540+140582+102801=706923)

प्रस्तर 129—क्षेत्र पंचायत सांउघाट के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2017 को ग्राण्ट रजिस्टर ।।। अनुसार निष्प्रयोज्य पड़ी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	मद	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस	29500.00
2	युवक मंगल दल प्रो० भत्तों	10000.00
3	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि	87328.00
4	विधायक निधि	224672.00
5	आई०ए०वाई० प्रशासनिक मद	52308.00
6	निविदा प्रपत्रों की बिक्री व जमानत	38900.00
7	राष्ट्रीय पेयजल अनुरक्षण	26772.00
8	नव निर्वाचित प्रधानों का प्रशिक्षण	15120.00
	योग	484600.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रु 484600.00 प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री राजाराम तथा लेखाकार श्री गुलाबचन्द जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19
(क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

जनपद-संत कबीर नगर

संभाग- बस्ती

प्रस्तर सं०-1 क्षेत्र पंचायत संस्था के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजि० के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2017-18 में रू० 217094.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनिमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रू० 217094.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	217094.00	217094.00

प्रस्तर-2 क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य पर कार्य पत्रावली अनुसार ईट क्रय पर फर्म को मांग के सापेक्ष धनराशि का भुगतान किया गया है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	फर्म	मात्रा ईट/दर	ईट गिट्टी/दर (घन मी०में)	मिट्टी/दर (घन मी०में)	बिल की कुल धनराशि	भुगतानित जी०एस०टी० 2%
1	भुलकी पुलिया में अवराज के खेत से वीपत के खेत तक खडन्जा	उस्मान गनी एण्ड कम्पनी	90000 दर 6095	—	—	548550.00	65826.00
2	मेंहदुपार पिपरी सिवान में राम दुलारे शुक्ल महाविद्यालय के बगल में आर०सी०सी०पुलिया	“ ”	26000दर 6095	24.50दर 1428	84 दर 99	201772.00	24212.00
3	मोतीपुर के बनखेरिया में चन्द्रिका चौधरी के बाग से दयाशंकर के खेत तक पक्का नाला	“ ”	66000दर 6095	35.50दर 1428		452964.00	54351.00
4	वि०ख० परिसर में ख०वि०अ० आवास मरम्मत एवं टाइल्स	“ ”	6000 दर 6095	12 दर 1428		53706.00	6445.00
5	कसया में अरदास अली के घर से ईदगाह तक ई०ला०	“ ”	1500 दर 6095	25 दर 1428	75दर 99	52267.00	6272.00
6	बौरब्यास राजेडीहा मार्ग पर कंवर-कवरी गांव को जोड़ने वाले चक मार्ग पर आर०सी०सी०पुलिया	“ ”	22750दर 6095	18.70दर 1428	200 दर 99	185165.00	22219.00
7	वि०ख० परिसर में ई०ला०	“ ”	13500दर 6095	56 दर 1428	45 दर 99	166705.00	20004.00
		योग			404 दर 99	1661129.00	199329.00

उपरोक्त तालिका के आधार पर फर्म को जी०एस०टी० का भुगतान निम्न प्रकार से सापेक्ष किया जाना था।

कुल मूल्य	दी गयी	कुल मूल्य	दी गयी	मिट्टी (	ईट/ईट गिट्टी	मिट्टी (1)	ईट/ईट

मिट्टी	जी0एस0टी0 12:	ईट/ईट गिट्टी	जी0एस0 टी0 12:	जी0एस0टी0 देय नहीं है)	(जी0एस0टी0 5:)		गिट्टी (2)
39996.00	4799.00	1621133.00	194530.00		81056.00	4799.00	113474.00

योग (1+2)=118273.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर मिट्टी गिराई पर भी फर्म को 12: जी0एस0टी0 की दर से रू04799.00 का भुगतान किया गया जबकि जी0एस0टी0 की दरों में मिट्टी पर जी0एस0टी0 देय नहीं है। पुनः ईट व ईट गिट्टी पर जी0एस0टी0 5: की दर से देय है। जबकि फर्म को 12 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया है। इस प्रकार जी0एस0टी0 का अधिक भुगतान (कुल रू0118273.00) कर राजकीय धन क्षति की गयी है। इस हेतु अवर अभियन्ता श्री दिनेश केशरवानी व ख0वि0अ0 श्री दीपक सिंह उत्तरदायी हैं अतः भुगतानित धनराशि रू0 118273.00 की वसूली ब्याज सहित ख0वि0अ0 व अवर अभियन्ता से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	118273.00	118273.00

प्रस्तर-3 क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है—

क्र0सं0	फर्म का नाम	फर्म	बा0सं0/दिनांक	धनराशि	टी0डी0एस0	कटौती योग्य टी0डी0एस02%
1	सोलर पावर प्लांट	यू0पी0नेडा		441870.00		8837.00
2	हाईमास्ट लाईट		21/223/11.9.17	121540.00		2431.00
3	सोलर लाईट	मे0विपिन चन्द्र	12/22.6.17	304500.00		6090.00
					योग—	17358.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार विभिन्न फर्मों से रू0 17358.00 कटौती योग्य आयकर के सापेक्ष रू0 शून्य की कटौती कर अनियमितता की गयी जिसके लिये ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	17358.00	17358.00

प्रस्तर 4—क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजि0 के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2018-19 में रू0 207401.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रू0 207401.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	207401.00	207401.00

प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0118677.00 12/13वां वित्त की धनराशि को ग्राण्ट III के अनुसार माह अक्टूबर 2018 में राज्य वित्त मद में स्थानान्तरित किया गया है के परिप्रेक्ष्य में लेखा परीक्षा में स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई भी शासनादेश/विभागीय आदेश अप्रस्तुत रहा। अतः उक्त धनराशि का स्थानान्तरण कर ख0वि0अ0 द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है। जबकि

किसी मद की अप्रयोज्य धनराशि दाता विभाग को वापस किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों का ध्यान प्रकरण की ओर आकृष्ट किया जाता है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	118677.00	118677.00

प्रस्तर-6 क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भोजन/टेन्ट आदि पर कुल ₹0 219000.00 का नगद भुगतान श्री गोरखनाथ पाण्डे ग्रा0वि0अ0 को किया गया है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1 एवं शा0सं0-ए-1-864/दस-23.09.2008 के अनुसार किसी भी प्रकार के सामग्री के क्रय आदि में ₹0 1 लाख से अधिक के भुगतान पर टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अतः उक्त भुगतान फर्म को न कर अनियमितता की गयी है। इस प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 व भुगतानप्राप्तकर्ता जिम्मेदार है। जिसके लिए आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	219000.00	219000.00

प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न धनराशियाँ वर्षान्त तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही :-

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	सांसद निधि	236698.00
2	डी0आर0डी0ए0 कंटीजेन्सी	71031.00
3	अर्जित ब्याज	1076101.00
4	शौचालय मद	28500.00
5	पू0वि0नि0	267487.00
6	संशोधित निर्बल वर्ग आवास	75234.00
7	जे0आर0वाई0/एस0आर0वाई0 अवशेष मद	6094.00
8	ग्रामीण पेयजल/पोखरा सौन्दर्यीकरण	1056.00
9	पेयजल प्रशिक्षण	9820.00
योग		1765021.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि ₹0 1765021.00 दिनांक 31.03.2019 तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही। जिसे अनुदानदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0 व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1765021.00	1765021.00

प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण सामग्री की बिलों से टी0डी0एस0 की की गयी कटौती कुल ₹0 55422.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री चन्द्रशेखर प्रसाद एवं लेखाकार श्री महन्थ प्रसाद तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	55422.00	55422.00

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजी-3 में सांसद निधि मद में ₹0 176463.00 गत वर्ष से दर्शित चला आ रहा है जिसे नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अमरनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	176463.00	176463.00

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजी-3 में पर्यवेक्षक मानदेय मद में ₹0 12000.00 गत वर्ष से दर्शित चला आ रहा है जिसे नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अमरनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	12000.00	12000.00

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजी-3 में स्वच्छ कांटेन्जेंसी मद में ₹0 5000.00 विगत वर्षों से दर्शित चला आ रहा है जिसे नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अमरनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5000.00	5000.00

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजी-3 में उच्च प्रा0वि0 ढोढ़या व प्रा0वि0 तिघरा मद में ₹0 1095000.00 विगत वर्षों से दर्शित चला आ रहा है जिसे नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख0वि0अ0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अमरनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1095000.00	1095000.00

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत हैसर के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य में पत्रावली राज्य वित्त की जाँच में यह पाया गया कि आपूर्तिकर्ता के बिलों पर जी0एस0टी0 की धनराशि दर्शित है, परन्तु जी0एस0टी0 का भुगतान नहीं किया गया है। मात्र सामाग्री के मूल्यों पर भुगतान किया गया है। जी0एस0टी0 का भुगतान न कर रुपया 57056.00 राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है विवरण निम्न है :-

उत्तरदायी व्यक्ति	कार्यकर्ता का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या व तिथि	जी.एस.टी. सहित बिल की धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	अन्तर
श्री एस.के. पाण्डेय (ख0वि0अ0)	ग्राम पंचायत खाजो के ग्राम पैली बन्धे से अवधेश के घर से मोती के घर तक इ0ला0 कार्य	मेसर्स राय ब्रिक फिल्ड	922 / 19.3.2018	64960.00	58000.00	6960.00
श्री शिव कुमार तिवारी (कार्य प्रभारी)	ग्राम पंचायत खाजो के ग्राम पैली बन्धे से अवधेश के घर से मोती के घर तक इ0ला0 कार्य	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल	06 / 18.3.2018	33298.00	29730.00	3568.00
	ग्राम पंचायत खाजो के ग्राम पैली बन्धे से अवधेश के घर से मोती के घर तक इ0ला0 कार्य	श्री राम इंटर प्राइजेज	9 / 19.3.2018	168000.00	150000.00	18000.00
सौरभ पाण्डेय	रामपुर छितौनी में रामजग ओझा के घर से फूलचन्द	मेसर्स राय ब्रिक फिल्ड	918 / 18.3.2018	64960.00	58000.00	6960.00

	के घर तक इ0ला0 कार्य					
श्री शिव कुमार तिवारी (कार्य प्रभारी)	रामपुर छितौनी में रामजग ओझा के घर से फूलचन्द के घर तक इ0ला0 कार्य	जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल	01 / 09 / 18.3.2018	33298.00	29730.00	3568.00
	रामपुर छितौनी में रामजग ओझा के घर से फूलचन्द के घर तक इ0ला0 कार्य	श्री राम इंटर प्राइजेज	12 / 19.3.2018	168000.00	150000.00	18000.00

इस प्रकार राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	57056.00	57056.00

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत हँसर के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में यह पाया गया कि निम्न आपूर्तिकर्ता के बिलों से 2.25 प्रतिशत की दर से आय के श्रोत पर आयकर की कटौती न कर राजकीय रुपया 9508.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। विवरण निम्न प्रकार है।

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या व तिथि	सामग्री का मूल्य	2.25 की दर से अवधारित आयकर	उत्तरदायी व्यक्ति
ग्राम पंचायत खाजो के ग्राम पैली बन्धे से अवधेश के घर से मोती के घर तक इ0ला0 कार्य	मेसर्स राय ब्रिक फिल्ड, जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल श्री रामइंटर प्राइजेज	922 / 19.3.2018 1 / 6 / 18.3.2018 09 / 18.3.2018	58000.00 29730.00 150000.00	1160.00 594.00 3000.00	श्री एस.के. पाण्डेय (ख0वि0अ0) श्री शिव कुमार तिवारी, कार्य प्रभारी
रामपुर छितौनी में रामजग ओझा के घर से फूलचन्द के घर तक इ0ला0 कार्य	मेसर्स राय ब्रिक फिल्ड, जायसवाल बिल्डिंग मैटेरियल श्री रामइंटर प्राइजेज	918 / 18.3.2018 01 / 09 / 18.3. 2018 12 / 19.3.2018	58000.00 29730.00 150000.00	1160.00 594.00 3000.00	तदैव तदैव तदैव
			योग	9508.00	

इस प्रकार राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	9508.00	9508.00

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत हँसर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार कतिपय आपूर्ति कर्ताओं के प्रत्येक बिलों से 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि की कटौती कर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है 2 प्रतिशत की दर से काटी गयी धनराशि का लेखा नहीं रखा गया है तथा उसे नियत शीर्ष में जमा सम्बन्धी विवरण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है फलतः रु 15352.00 जमा न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल संख्या व तिथि	बिल की धनराशि	काटी गयी जी0एस0टी0 2 प्रतिशत	उत्तरदायी व्यक्ति
ग्राम सभा भैसही में पिच	मे0 शिवम ट्रेडर्स मे0 दुर्गाट्रेडर्स	135 / 7.3.19	42018.00	724	श्री प्रवीण कुमारशुक्ला

रोड से रामजी के खेत होते हुये लोनियान टोला धुसवा तक इ०ला० कार्य	मे० शिवमट्रेडर्स मे० अभिषेकट्रेडर्स मे० दुर्गाट्रेडर्स	162 / 07.03.19 138 / 06.03.19 174 / 06.03.19 165 / 06.03.19	87360.00 1211674.00 502680.00 121590.00	1664 2128.00 8520 2316	बी०डी०ओ० श्री अखिलेश कुमार शर्मा लेखाकार
		योग		15352.00	

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत हँसर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पूर्वांचल विकास निधि निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य प्रभारी श्री संतोष कुमार पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सामग्री का भुगतान नकद आपूर्तिकर्ता फर्मों को जी०एस०टी० रहित सादे कागज पर धन प्राप्ति स्वरूप रसीदी टिकट चस्पा हुआ रसीद गवाहों के नाम सहित आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया गया है। जबकि सामग्री का भुगतान ख०वि०अ० द्वारा एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के खाते में किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर कार्य प्रभारी के पक्ष में चेंक निर्गत किया गया है, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आपूर्तिकर्ता फर्मों को जी०एस०टी० रहित भुगतान किया गया है, जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार रूपया 66272.00 राजकीय धन के दुरुपयोग की प्रबल सम्भावना है जिसके लिए श्री संतोष कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी एवं ख०वि०अ० अधिकारी श्री एस०के०पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल संख्या	बिल की जी०एस०टी० सहित भुगतान की धनराशि	नकद भुगतान की धनराशि
ग्राम गायघाट में गुलाब चौहान के घर से श्रीराम के खेत तक इ०ला० कार्य	लीलावती ब्रिक फील्ड	91 / 07.04.2018	37878	33820
ग्राम गरथवलिया में बहादुर के घरसे गुलाब के घर तक इ०ला० कार्य	लीलावती ब्रिक फील्ड	90 / 06.04.2018	36346	32452
		योग		66272

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	66272.00	66272.00

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत मेहदावल के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजि० 3 के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2017-18 में रू० 1089711.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रू० 1089711.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1089711.00	1089711.00

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत मेहदावल के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजि० 3 के अनुसार कुल रूपया 1089711.00 ब्याज के रूप में प्राप्ति दर्ज है। परन्तु उसे शासन को वापस न कर उसमें से रू० 709904.00 व्यय किया गया है जो कि शासनादेश का उल्लंघन है। इस प्रकार ब्याज की धनराशि रू० 709904.00 का व्यय कर दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए लेखाकार श्री विनोद कुमार तथा ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर प्रसाद उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	709904.00	—	709904.00

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत मेहदावल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्रांट रजि0 3 के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2018-19 में रू0 692716.90 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रू0 692716.90 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	692716.90	692716.90

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत मेहदावल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजि0 3 के अनुसार कुल रुपया 692716.90 ब्याज के रूप में प्राप्ति दर्ज है। परन्तु उसे शासन को वापस न कर उसमें से रू0 253345.00 व्यय किया गया है जो कि शासनादेश का उल्लंघन है। इस प्रकार ब्याज की धनराशि रू0 253345.00 का व्यय कर दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए लेखाकार श्री विनोद कुमार तथा ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	253345.00	—	253345.00

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत मेहदावल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 को ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार निम्नप्रयोज्य पड़ी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गई है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी	2920.00
2	पूर्वांचल विकास निधि	30714.00
3	विधायक निधि	555051.00
4	सांसद निधि	27462.00
5	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	1741867.00
6	सा-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना	123.00
7	पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी	10290.00
8	धूम रहित चूल्हा	10694.00
9	महिला काम्पलेक्स	1107.00
10	एन.आर.ई.पी. लिपिक वेतन	3671.00
11	डीआरडीए कंटीजेन्सी	426.00
12	जनता बायोगैस अनुदान	54420.00
13	ग्रामीण जीवन बीमा	258.00
14	ग्रामीण सेवा में लगाये गये हैंडपम्प	7.00
15	मु0 सामुहिक विवाह योजना	532025.00
	योग	2971035.00

उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रू0 2971035.00 प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री विजय कुमार पाण्डेय लेखाकार श्री विनोद गौड़ जिम्मेदार है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2971035.00	2971035.00

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत मेहदावल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार राज्य वित्त मद में ग्राम पंचायत गगनई बाबू में मिट्टी कार्य कराया गया है। जिसमें रू0 287509.

00 चेक सं०-639601 दिनांक 03.03.2019 द्वारा श्री मोइनूद्दीन सिद्दीकी को भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली अप्रस्तुत रही। जिससे धन के अपहरण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतः उक्त धन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, तथा श्री मोइनूद्दीन सिद्दीकी से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
287509.00	—	—	287509.00

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर धनराशि व्यय की गयी है।

विवरण	व्यय की धनराशि
सांसद निधि	148896.00
राज्य वित्त आयोग	2049236.00
पिछड़ा वर्ग अनुदान	1943070.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	192812.00
योग	4334014.00

उक्त व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ किसी भी योजना का लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा अतः आवश्यक समीक्षा न की जा सकी। निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया है। उक्त के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राजीव कुमार राय एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4334014.00	4334014.00

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष में विभिन्न मदों में निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है।

क्र०सं०	विवरण	व्यय की धनराशि
1	विधायक निधि	3966352.00
2	सांसद निधि	464079.00
3	तेरहवा वित्त	138024.00
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	618881.00
5	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	414682.00
	योग-	5602018.00

क्र०सं० 1 से 5 तक दर्शित योजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि 5602018.00 से संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राजीव कुमार राय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। जिससे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5602018.00	5602018.00

प्रस्तर-25 क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग मद में रुपया 15704809.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 8348544.00 से संबंधित विभिन्न कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियाँ उपलब्ध रही जिनकी समीक्षा की गयी। शेष व्यय की गयी धनराशि रु० 7356265.00 से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः उक्त धनराशि रु० 7356265.00 का व्यय कर तत्कालीन लेखाकार श्री राजीव कुमार राय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डेय द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7356265	—	—	7356265.00

प्रस्तर-26 क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न खातों पर अर्जित ब्याज से आय रुपया 1868921.00 रही है। उक्त का विवरण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। योजनावार ब्याज की धनराशि का विवरण तैयार किया जाना चाहिए। जो अपेक्षित रहा। संबंधित बैंक पासबुक अथवा स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। अतः उक्त आय की पुष्टि भी न की जा सकी जो अपेक्षित रही।

वर्ष में ब्याज मद में ₹0 457174.00 व्यय दर्शित है। इस व्यय उपभोग से सम्बन्धित कोई विवरण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि उक्त व्यय धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री राजीव कुमार राय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	457174.00	457174.00

प्रस्तर-27 क्षेत्र पंचायत सेमरियावाँ के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजि० 3 के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2017-18 में ₹0 87866.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज ₹0 87866.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	87866.00	87866.00

प्रस्तर-28 क्षेत्र पंचायत सेमरियावाँ के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्य पत्रावली के अनुसार हाईमास्ट लाइट यू०पी० नेडा से क्रय की गयी सामग्री ₹0 121500.00 के सापेक्ष 2.00 प्रतिशत की दर से आयकर कुल ₹0 2430.00 की कटौती की जानी चाहिये थी, किन्तु आलोच्य वर्ष में ₹0 0.00 की कटौती की गयी, इस प्रकार कुल 2430.00 कम आयकर की कटौती करके राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र चतुर्वेदी तथा लेखाकार श्री रामसुरेश जिम्मेदार है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2430.00	2430.00

प्रस्तर-29 क्षेत्र पंचायत सेमरियावाँ के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद के अन्तर्गत कराये गये कार्य वि०ख० कार्यालय/मीटिंग हाल सफेदी/रंगाई, पुताई, मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार वैट की कटौती की गयी है।

बा०सं०/दिनांक	फर्म	धनराशि	की गई कटौती-वैट	कुल कटौती जो होनी चाहिए
66/10.06.2017	एवन ट्रेडर्स	186000.00	3732.00	7440.00

इस प्रकार उक्त बिल पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 7440.00 वैट की कटौती होनी चाहिए थी, जबकि केवल ₹0 3732.00 की कटौती की गयी अर्थात् ₹0 3708.00 कम कटौती कर राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रति तत्कालीन ख०वि०अ० व लेखाकार जिम्मेदार है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3708.00	3708.00

प्रस्तर-30 क्षेत्र पंचायत सेमरियावाँ के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजि० 3 के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2018-19 में ₹0 209592.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज ₹0 209592.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	209592.00	209592.00

प्रस्तर-31 क्षेत्र पंचायत सेमरियावाँ के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विभिन्न खर्चों हेतु निम्न प्रकार से भुगतान किये गये हैं :-

चेक सं०/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
556131 / 10.12.2018	125000.00	श्री गौरव चौधरी (ग्रा०वि०अ०)
556135 / 23.02.2019	211000.00	श्री गौरव चौधरी (ग्रा०वि०अ०)
योग	336000.00	

इस प्रकार रु०336000.00 कार्य प्रभारी को नगद भुगतान कर अनियमितता की गयी है। वित्तीय संग्रह खण्ड -1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस-23.09.2008 के अनुसार किसी भी प्रकार के सामग्री के क्रय आदि में रु० 1 लाख से अधिक के भुगतान पर टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	336000.00	336000.00

प्रस्तर-32 क्षेत्र पंचायत सेमरियावाँ के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिसमें निम्न धनराशि वर्षान्त तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही -

क्र०सं०	मद	धनराशि
1	विधायक निधि	68839.00
2	राष्ट्रीय बायोगैस	19798.00
3	निर्वाचन में लगे बी०एल०ओ० पर्यवेक्षक मानदेय	29250.00
4	आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना	18781.00
5	राष्ट्रीय पेयजल एवं गुणवत्ता अनुश्रवण	16400.00
	योग	153068.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशियाँ 31.03.2019 तक निष्प्रयोज्य पड़ी रही। जिसे अनुदानदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	153068.00	153068.00

प्रस्तर-33 क्षेत्र पंचायत सेमरियावाँ के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट तृतीय के अनुसार ब्याज मद में कुल रु० 209592.00 प्राप्ति दर्शित है तथा उक्त मद में अन्तिम अवशेष 646791.00 दर्शित है। अर्थात् प्राप्ति मद घटाने के उपरान्त कुल रु० 437199.00 वास्तविक अवशेष को वापस किया जाना अपेक्षित था। ऐसा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र चतुर्वेदी तथा लेखाकार श्री रामसुरेश द्वारा अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	437199.00	437199.00

प्रस्तर-34 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सांसद निधि मद में रु० 40800.00 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद में रु०-2775221 क्षेत्र पंचायत दुकान मद में रु० 582475.00 जनता बायो गैस मद में रु० 36189.00 तथा राष्ट्रीय स्वच्छ जल मिशन मद में रु० 20020.00 कुल रु० 3454705.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। नियमानुसार पत्रावलियों के अभाव में उक्त धन का अपहरण कर लिए गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
3454705	—		3454705.00

प्रस्तर-35 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खातो पर अर्जित ब्याज मद में रु० 2379192.00 व्यय तथा रु० 998243.00 अवशेष दर्शित है। लेखा परीक्षा में यह विवरण पत्र उपलब्ध नहीं रहा कि उक्त व्यय रु० 2379192.00 किन योजना/मद में व्यय किया गया तथा यह भी

स्पष्ट नहीं रहा कि 998243.00 शेष किन-किन खातों पर है। अलग-अलग खातावार विवरण तैयार कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि समीक्षा की जा सके साथ ही विवरण रहित व्यय रु0 2379192.00 अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	237919.00	2379192.00

प्रस्तर-36 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्लाक सभाकक्ष हेतु मेज, कुर्सी, फर्नीचर हेतु रु0-462338.00 का भुगतान श्री पवन कुमार उपाध्याय कार्य प्रभारी को किया गया है। नियमानुसार भुगतान सीधे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर अनियमित रूप से भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसके लिए आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	462338.00	462338.00

प्रस्तर-37 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सांसद निधि मद में रु0 603446.00 क्षेत्र पंचायत दुकान मद के रु0 77745.00 कुल 681191.00 व्यय/भुगतान के सापेक्ष पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहीं बिना नियमानुसार पत्रावलियां तैयार किये उक्त व्यय/भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
681191	—	—	681191.00

प्रस्तर-38 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तेरहवां वित्त आयोग मद के वर्ष 2017-2018 के पूर्व से ही रु0 41028.00 शेष रह गया था जो दिनांक 31.03.2019 तक यथावत शेष दर्शित है। उक्त धन उपयोग न होने पर सम्बन्धित धनराशि अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिए था जो नहीं कर सम्बन्धित तत्कालीन लेखाकार एवं वी0डी0ओ0 द्वारा अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	41028.00	41028.00

प्रस्तर-39 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान खातों पर अर्जित ब्याज में रु0 302990.00 व्यय/भुगतान दर्शित है। परन्तु यह किस मद में व्यय किया गया। विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा विवरण रहित भुगतान/व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
302990.00	—	—	302990.00

प्रस्तर-40 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्रांट रजिस्टर के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2017-2018 में रु0 37908.15 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे

शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रु0 37908.15 में रूपया 37908.15 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	37908.15	37908.15

प्रस्तर-41 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत कार्य बेलराई में चौहान पुरवा के दक्षिण नाले पर 2 मीटर स्थान पुलिया में कार्य पत्रावली के अनुसार निम्न प्रकार व्यय किया गया है।

बाउचर संख्या दिनांक	फर्म	भुगतानित धनराशि	चेक संख्या	अभ्युक्ति
106 / 25.3.18	शांति इंटर प्राइजेज	251927.00	697844 / 27.3.18	—
132 / 15.5.18	शांति इंटर प्राइजेज	—	—	बिल की धनराशि रु0 145829.00 के सापेक्ष कोई भुगतान नहीं
15 / 8.6.18	पीपुल कंस्ट्रक्शन	4000.00	816729 / 13.3.19	भुगतान कार्य प्रभारी इन्देश यादव
	मस्टररोल	—	—	मस्टररोल रु0 98000.00 के सापेक्ष भुगतान नहीं
		255927.00		

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर इस्टीमेट के अनुसार रु0 355000.00 सामग्री पर व रूपया 99000.00 मस्टररोल पर तथा रूपया 5000.00 साइन बोर्ड पर व्यय होना था। जिसके सापेक्ष उपरोक्तानुसार केवल सामग्री पर ही रु0 255927.00 का व्यय किया गया है। संपूर्ण सामग्री की धनराशि का भुगतान न होने, मस्टररोल का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया नहीं गया है तथा मात्र सामग्री पर भुगतान दर्शित कर धनराशि रु0 255927.00 का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु ख0वि0अ0 श्री प्रवीण शुक्ल व श्री जब्बाद हुसैन खां तथा कार्य प्रभारी श्री इन्देश यादव व जे0ई0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
255927.00	—	—	255927.00

प्रस्तर-42 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि धनराशि मद में ग्रांट 3 में माह दिसम्बर 2017 में 237790.99 अन्तिम अवशेष दर्शित है। माह जनवरी 2018 में उक्त मद में प्रारम्भिक शेष के रूप में ग्रांट 3 में 217288.43 का अंकन है इस प्रकार रु0 20502.56 कम अंकित किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि के खर्चे से सम्बन्धित कोई पत्रावली अप्रस्तुत रही। इस प्रकार रु0 20502.56 का अपहरण परिलक्षित होता है। इस हेतु लेखाकार श्री विश्व विजय पाण्डेय व खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शुक्ल जिम्मेदार है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20502.56	—	—	20502.56

प्रस्तर-43 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 3 में माह दिसम्बर 2017 तक राज्य वित्त मद का शीर्ष का अंकन नहीं किया गया जबकि माह जनवरी 18 से ग्रांट 3 में राज्य वित्त मद शीर्ष में प्रारम्भिक अवशेष का अंकन रूपया 1509197.62 किया गया जबकि उक्त धनराशि का अंकन कैसे किया गया तथा पूर्व के माहों में उक्त मद में आय व व्यय के बावत लेखा परीक्षा में समुचित जानकारी संस्था के द्वारा नहीं दी जा सकी। इस प्रकार राज्य वित्त मद में धनराशि रु0 1509197.62 का अंकन माह जनवरी 2018 में करना अनियमित रहा इस प्रति ख0वि0अ0 व लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1509197.62	1509197.62

प्रस्तर-44 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्रांट रजिस्टर के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2018-2019 में रु0 387569.26 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रु0 387569.26 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	387569.26	387569.26

प्रस्तर-45 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य पर भुगतानित सामग्री बिलों से कुल रूपया 70452.00 कटौती योग्य टी0डी0एस0 के सापेक्ष 64155.00 रूपया टी.डी.एस. में कटौती की गयी है। इस प्रकार अन्तर रूपया 6297.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति के गई है। इस प्रति ख0वि0अ0 व लेखाकर संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	6297.00	6297.00

प्रस्तर-46 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पूर्वांचल विकास निधि से कराये कार्यो पर सामग्री भुगतान पर बिलों से कुल 76907.04 में आयकर में कटौती की जानी चाहिए थी। जिसके सापेक्ष रूपया शून्य की कटौती की गयी है। (अनुलग्नक-2) इस रूपया 76907.04 में आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व में क्षति की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 व लेखाकर संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अनुलग्नक-2

मद- पूर्वांचल विकास निधि

कार्य का नाम	भुगतानित सामग्री की धनराशि	कटौती योग्य टी0डी0एस0 2 प्रतिशत	कटौती
मुडियारी शनिचरा बन्धे से रीठी सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया	401120.00	8022.00	शून्य
महुली शनिचरा मार्ग पर परमेश्वरपुर पर आर0सी0सी0 पुलिया	397756.00	7955.00	शून्य
ग्राम लखनोहर में काली स्थान के पास दोनो तालाब के बीच आर0सी0सी0 पुलिया	398756.00	7975.00	शून्य
बडैडवा में दीनानाथ पांडे के घर से अलोपीनाथ राय के मकान तक इं0ला0	475917.00	9518.34	शून्य
ग्राम गिठनी में महेन्द्र नाथ के घर से विनय बेलदार के घर तक इं0ला0	420281.00	8405.62	शून्य
ग्राम सुकरोली में उप्पल चिल्ड्रेन एकेडमी मार्ग पर इं0ला0	845771.00	16915.42	शून्य
सिक्टहा परमेश्वरपुर मार्ग से सूर्यवंशी चिल्ड्रेन एकेडमी तक इं0ला0	465058.00	9301.16	शून्य
ग्राम सिक्टहा में अरविंद पाल के घर से बेचन के घर तक इं0ला0	440693.00	8813.86	शून्य
	योग	76907.04	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	76907.04	76907.04

प्रस्तर-47 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद से कराये गये कार्यो पर सामग्री भुगतान समय बिलों पर 2 प्रतिशत की जी0एस0टी0 कुल रूपया 61685.00

की कटौती की जानी चाहिए थी, जिसके सापेक्ष रूपया शून्य की कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। (अनुलग्नक-1) इस प्रति ख0वि0अ0 व लेखाकर संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अनुलग्नक-1

कार्य का नाम	सामग्री हेतु बिल की धनराशि	कटौती योग		की गयी कटौती		अन्तर	
		टीडीएस	जीएसटी	टीडीएस	जीएसटी	टीडीएस	जीएसटी
मीटिंग हाल के फ्रंट एवं चारों तरफ टाइल्स इंटरलाकिंग	897185	17944	17944	15774	—	2170	17944
ब्लाक परिसर के मीटिंग हाल एवं रेस्टरूम में टाइल्स, पुट्टी व पेंटिंग	550494	11010	11010	9655	—	1355	11010
ब्लाक परिसर में मीटिंग हाल मरम्मत एलीवेशन एवं स्टेज निर्माण	438370	8767	—	8750	—	17	—
पिकौरा में नन्द लाल के घर के पास से रामेंदर सिंह के खेत के पास मोड़ तक इंटर लाकिंग	834366	16687	16687	15250	—	1437	16687
जयराम पट्टी में पिच रोड से राम सवारे ओझा के घर तक इं0ला0	799713	15994	15994	14676	—	1318	15994
		70452	61685	64155	—	6297	61685

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	61685.00	61685.00

प्रस्तर-48 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद से कराये गये ब्लाक परिसर में स्थित मीटिंग हाल एवं रेस्टरूम मरम्मत, एलीपवेशन एवं स्टेज निर्माण की कार्य पत्रावली अनुसार मस्टररोल पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है।

मजदूर	मानव दिवस/दर	देय धनराशि	भुगतान (कार्य प्रभारी)	चेक संख्या	अन्तर
मिस्त्री	145 दर 350	50750.00	147000.00	173312/23.10.2018	2450.00
लेबर	536 दर 175	93800.00	—	—	—
	योग	144550.00	147000.00		

उपरोक्तानुसार देय धनराशि रु0 144550.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री इन्देश यादव द्वारा रूपया 147000.00 अर्थात रूपया 2450.00 अधिक भुगतान प्राप्त कर व वापस न कर अपहरण कर लिया गया है। इस प्रति कार्य प्रभारी से रु0 2450.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2450.00	—	—	2450.00

प्रस्तर-49 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य ब्लाक परिसर में स्थिति मीटिंग हाल एवं रेस्टरूम की टाइल्स, पेटिंग एवं कर्टन कार्य में कार्य पत्रावली अनुसार पर्दा एवं कर्टन की सप्लाई हेतु रूप 71170.00 का भुगतान बिल संख्या 70/05.03.2019 पर आयुष कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स गोरखपुर को चेक संख्या 173330/15.3.2019 द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयुष कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स के बिल पर डीलर के रूप में केवल सीमेंट, सरिया, एवं मोरंग की सप्लाई देने का ही उल्लेख है। इस प्रकार कार्य पत्रावली में उपरोक्त बिल पर पर्दा, कर्टन खरीद का विवरण दर्ज करना फर्जी प्रतीत होता है। अतः भुगतान अनियमित है। जाँच करायी जानी अपेक्षित है। अनियमित भुगतान हेतु कार्य प्रभारी एवं ख0वि0अ0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	71170.00	71170.00

प्रस्तर-50 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मु0 सामूहिक विवाह हेतु नकद भुगतान ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार किया गया है।

चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
862940/	50000.00	श्री प्रेम चन्द
568332/	75000.00	श्री प्रेम चन्द
568333/	9000.00	श्री प्रेम चन्द
योग	134000.00	

इस प्रकार रू0 134000.00 का भुगतान सीधे फर्म को न करते हुए श्री प्रेम चन्द को भुगतान कराते हुए फर्म को नकद किया गया है जो गम्भीर अनियमितता का विषय है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	134000.00	134000.00

प्रस्तर-51 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2019 तक निम्न मदों में धनराशि निम्नप्रयोज्य पड़ी रही।

मद	धनराशि
पूर्वांचल विकास निधि	106943.00
विधायक निधि	18371.00
बायोगैस/एसजीएसवाई/डीआरडीए कंटीजेंसी/आपदा राहत निधि/स्वच्छ सिद्ध कार्यक्रम	186627.00
आंगनबाड़ी कनवर्जन	112.00
मु0सामूहिक विवाह अनुदान	1066000.00
योग	1378053.31

इस प्रकार उक्त विवरणानुसार रूप 1378053.31 को प्रदाता को वापस न कर अनियमितता की गई है। इस प्रति लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1378053.31	1378053.31

प्रस्तर-52 क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2017-18 , 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय प्रदर्शन मनरेगा अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी (कार्यक्रम मनरेगा) ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 56 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान को एफ0टी0ओ0 के माध्यम से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को भुगतान किया गया है। जिससे केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की कटौती न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा श्री दीपक कुमार सिंह व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी श्री अतुल कुमार जायसवाल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही बिल से नहीं किया गया है। केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की कटौती न करके आडिट तिथि तक जमा नहीं किया गया, जिससे

राजस्व की क्षति/हानि हुआ। जिससे उत्तरदायी कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा श्री दीपक कुमार सिंह (वी0डी0ओ0) अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अतुल कुमार जायसवाल है। वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है। (आकडे लाख में)

क्र0सं0	वर्ष	सामग्री क्रय	राजकीय राजस्व 4 प्रतिशत	केन्द्रीय राजस्व 2 266 प्रतिशत	क्षति/हानि की धनराशि
1	2017-18	114.02	4.56	2.58	7.14
2	2018-19	410.17	16.40	9.29	25.69
योग		524.29	20.96	11.87	32.83
				कटौती	29.82
				क्षति/हानि	3.01

इस प्रकार कुल रुपये 524.29 लाख सामग्री क्रय वर्ष 2017-18, 2018-2019 में किया गया है। जिसके सापेक्ष राजकीय राजस्व 20.96 लाख व केन्द्रीय राजस्व 11.87 लाख कुल क्षति रूपया 32.83 लाख है। वित्तीय प्रदर्शन मनरेगा ग्राम पंचायत के आवंटन के सापेक्ष कटौती रूपया 29.82 लाख दर्शित है। परन्तु आडिट तिथि तक कोई साक्ष्य/जमा चालान की प्रति अनुपलब्ध रहने से कटौती की धनराशि अपुष्टि रही। इस हेतु रूपया 3283000.00 राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व की क्षति हानि की उत्तरदायी श्री दीपक कुमार सिंह कार्यक्रम अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी/लेखाकार है। जिनसे ब्याज सहित जमा कराया जाना आवश्यक है। जो उत्तर प्रदेश शासन वाणिज्यकर के विज्ञप्ति सं0-1315 दिनांक 07 अक्टूबर 2013 द्वारा सामान क्रय पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती की जानी थी, रूपया 3283000.00 की क्षति हानि उक्त अधिकारी द्वारा किया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय के 8 के खण्ड -7 एवं खण्ड 8 क प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम -204 एवं 205 के विपरीत है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रू0 3283000.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार सिंह कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3283000.00	3283000.00

प्रस्तर-53 क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2017-18 , 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री क्रय रूपया 7659643.14 दिनांक 31.03.2019 तक किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	कुल सामग्री क्रय की धनराशि	रा0राजस्व की धनराशि	केन्द्रीय राजस्व	कुल योग
2017-18	3688304.14	147532.00	83577.00	231109.00
2018-19	3971339.00	158854.00	89991.00	248845.00
योग	7659643.14	306386	173568.00	479954.00

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2017-18, 2018-19 में क्षेत्र पंचायत के खातों से सामग्री क्रय 7659643.14 में कुल टैक्स रूपया 479954.00 राजकीय राजस्व/केन्द्रीय राजस्व की कटौती फर्म के बिल से किया जाना चाहिए था। जो कटौती की गयी वह भी आडिट तिथि का जमा नहीं किया गया। शासन के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार फर्म के बिल से कटौती करके उस माह के अन्त तक जमा किया जाना चाहिए, लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि टैक्स की कटौती वर्ष के अन्त में जमा होता है। इस सम्बन्ध में आडिट तिथि तक कोई साक्ष्य प्रमाणन/चालान प्रति उपलब्ध नहीं रही। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि टैक्स जमा है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह लेखाकार (आंशिक) संयुक्त रूप से पूर्ण उत्तरदायी है। जिस पर सरचार्ज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	479954.00	479954.00

प्रस्तर-54 क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्रांट-2 से व्यय किया जाना दर्शित है।

क्र0सं0	विवरण	चेक सं0/दिनांक	धनराशि
1	डेली न्यूज समाविष्ट	540777 / 21.04.2017	12500.00
2	नेडा सौर प्लांट	540778 / 09.05.2017	441870.00
3	नेडा सी0सी0कैमरा	540779 / 29.05.2017	27800.00

4	शोभा देवी प्रमुख मानदेय	माह अज्ञात	45000.00
5	अनिल कुमार सिंह लेखाकार	540780 / 29.05.2017	9800.00
6	श्री अतुल सिंह कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय कुर्सी मेज	540790 / 08.02.2018	54500.00
7	श्री अतुल सिंह कम्प्यूटर जलपान वास्ते	अग्रिम	10000.00
8	श्री अतुल सिंह कम्प्यूटर	अग्रिम	17500.00
योग			618970.00

इस प्रकार उपरोक्त व्यय रूपया 618970.00 ग्राण्ट में व्यय दर्शित है। साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अनुपलब्ध रहने से व्यय अपुष्टि रहा। जिसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सक्षम उक्त अधिकारी महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
618970.00	—	—	618970.00

प्रस्तर-55 क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कर्मचारियों को चेक के माध्यम से सामान क्रय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रशासनिक मद से ग्राण्ट से व्यय किया जाना दर्शित है। ऑडिट तिथि तक अग्रिम का समायोजन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सका। जिससे व्यय अपुष्टि रहा, कराया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम/विवरण	चेक सं० दिनांक	सामान क्रय पर व्यय	धनराशि
1	अनिल कुमार सिंह सहायक लेखाकार	902518 / 25.06.2018	सूरज जलपान गृह	50000.00
2	अनिल कुमार सिंह सहायक लेखाकार	692647 / 26.06.2019	सूरज जलपान गृह	8830.00
3	वी०के० स्टेशनरी खलीलाबाद	692648 / 11.03.2019	स्टेशनरी	26387.00
4	वी०के० स्टेशनरी खलीलाबाद	692649 / 18.03.2019	स्टेशनरी	26661.00
5	श्री कमलेशपति त्रिपाठी (ग्रा०वि०अ०)	692642 / 01.08.2018	प्रशिक्षण	15000.00
6	श्री कमलेशपति त्रिपाठी (ग्रा०वि०अ०)	692943 / 04.08.2018	प्रशिक्षण	18850.00
योग				145728.00

उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत से रूपया 145728.00 कर्मचारी को अग्रिम ग्राण्ट से दिया जाना दर्शित है। ऑडिट में बार-बार मांगोपरान्त लेखाकार द्वारा साक्ष्य/व्यय प्रमाणन उपरान्त उपलब्ध नहीं कराया गया, बताया गया कि अभी तक उपभोग लोगों द्वारा प्राप्त नहीं कराया गया इस हेतु उपभोग प्राप्त न कराना, कर्मचारी से अग्रिम का समायोजन न करना व्यय प्रमाणन आडिट तिथि तक न प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि के अपहरण कर लिया गया है। जिसकी उत्तरदायी व्यक्ति सहित वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
145728.00	—	—	145728.00

क्षेत्र पंचायत वर्ष 17-18 जनपद सिद्धार्थनगर

प्रस्तर-सं०-01—क्षेत्र पंचायत लोटन की वर्ष 17-18 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वि०ख० परिसर में प्रधानमंत्री मॉडल आवास निर्माण मद में कुल रु० 103514.00 का भुगतान सामग्री क्रय के सापेक्ष फर्म को किया गया है। लेकिन उस पर देय आयकर 2.24 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जिससे राजकीय राजस्व को रु० 2319.00 की क्षति हुई है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2319.00	2319.00

प्रस्तर सं०-02— क्षेत्र पंचायत लोटन की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विगत वर्षों से जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शुल्क कुल रु० 7500. को कोशागार में

निर्धारित लेखापरीक्षा में जमा न कर अवरुद्ध रखा गया है ,जो वित्तीय अनियमितता हैं। जिसके लिए ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	7500.00	7500.00

प्रस्तर सं0-03—क्षेत्र पंचायत लोटन की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल पर क्रमांक दर्ज नहीं है जिससे स्पष्ट है कि प्रयुक्त मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं किए गए हैं। स्पष्ट है कि आपस में दुरभिसंधि कर बाजार से मस्टररोल लेकर फर्जी तरिके से मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। देय मजदूरी के भुगतान से संबंधित चेक का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। मजदूरी के अंगूठे के निषान भी प्रायप्रतिशत एक से है। इस प्रकार वर्ष दौरान इस मद में कुल भुगतानित धनराशि रु0 207320.00 अनियमित रहा। इस अनियमितता हेतु तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	207320.00	207320.00

प्रस्तर सं0-04—क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 355525.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरी को न करके कार्यप्रभारी श्री विनय सिंह (ग्रा0प0अधि) को रु0 228550.00 श्री राधेश्याम (सहा0वि0अधि) को 93275.00, श्री दयाराम (ग्रा0प0अधि)को 33700.00का भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गए हैं उनपर मस्टररोल नंबर अंकित नहीं है। अंगूठे निसान जो अंकित किए गए हैं वह प्रमाणित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 355525.00 का वर्ष 17-18 में योजना बद्ध तरीके से अनियमित व्यय किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	355525.00	355525.00

प्रस्तर सं0-05—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 630225.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरी को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल सं0 अंकित नहीं है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय मस्टररोल पर काग़ अवधि, मानव दिवस ,के योग का भी उल्लेख नहीं है, स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टररोल में अंकित अंगूठे निशान प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 630225.00 का वर्ष 17-18 में योजना बद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार /कार्यप्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	630225.00	630225.00

प्रस्तर सं0-06—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राम चौहट्टा में पोखरे से मकबूल के घर तक मि0/ख0 कार्य पर ईट 6298 नग रु0 4000.00 की दर से क़य किया गया है। जिसका कुल मूल्य रु0 25192.00 होता है। आयकर व जी0एस0टी की कटौती उपरान्त शुद्ध भुगतान की धनराशि रु0 24124.00 है जिसको चेक सं0 173823 दिनांक 28.08.17 को बी0के0 ब्रिक फील्ड को भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक से होती है। किन्तु संलग्न पत्रावली में बाउचर कमला ईट उद्योग का संलग्न है। इस प्रकार संलग्न बाउचर के अनुसार भुगतान न करके रु0 24123.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ख0वि0अधि श्री संजय नायक ,लेखाकार श्री महेन्द्र कुमार व ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीलीमा सिंह से अपेक्षित

है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
24124.00	—	—	24124.00

प्रस्तर सं०-07—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ की वर्ष 17-18 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निम्न कार्यों के लिए सामग्री का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया था। परन्तु मजदूरी भुगतान का मस्टररोल पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इतना समय व्यतीत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ न होने से स्थानीय जनता को जो लाभ अपेक्षित था वह प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार अलाभकारी व्यय करके धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः प्रतिशतरु० 75576.00 का अलाभकारी व्यय के लिए ख०वि०अधि/लेखाकार/एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

क्र०स	कार्य का नाम	फर्म का नाम	धनराशि	चेक सं०/दिनांक	कार्य प्रभारी
1	परसोहिया नानकार में मूरली के घर से रामगुलाम के घर तक मि०/ख०	बी ०के ब्रिक फील्ड	37788.00	173812/28.08.17	राजेन्द्र यादव
2	गड़ाकुल में बब्बू के घर से हरिराम के घर तक मि०/ख०	बी ०के ब्रिक फील्ड	37788.00	173816/28.08.17	राजेन्द्र यादव
		योग	75576.00		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	75576.00	—	75576.00

प्रस्तर सं०-08—क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए 14000.00 का बोर्ड का क्रय किया गया है, जिसका प्रमाणक सादे कागज पर बनाया गया है। उक्त प्रमाणक पर सरस्वती आर्ट का मुहर लगा है। बोर्ड मूल्य का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। उक्त प्रमाणको से आयकर व वैट की कटौती नहीं की गयी है। जिससे आयकर के रूप में रु० 312.0 एवं वैट के रूप में रु० 560.00 कुल रु० 872.00 की क्षति हुई है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	872	872

प्रस्तर सं०-09—क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 17-18 की राज्य विता संबंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कुछ प्रमाणको से कर कटौती के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि से अधिक धन का भुगतान संबंधित फर्म को किया गया है। जो राजकीय धन का दुरुपयोग है। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा रु० 10400.00 का अधिक भुगतान फर्म को करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

क्र०स	परियोजना का नाम	सामग्री मूल्य	आयकर कटौती	वैट कटौती	भुगतानित धन	अंतर का धन
1	ग्राम धनगढ़िया में राजाराम के घर से नाली तक पक्की नाली	57570	1531	2303	57736	4000
		77172	2053	3087	77032	5000
2	ग्रा०प० सेहुड़ा में सोनू मिश्रा के घर से पोखरे के बीच आर०सी०सी पुलिया मरम्मत	42044	1129	1698	39617	400
3	ग्रा०प० धनगढ़िया में सेमराली के घर से जनार्दन के घर तक पक्की नाली	30753	845	1270	29638	1000
		207539	5558	8358	204023	10400

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	10400.00	—	10400.00

प्रस्तर सं०-10—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ कार्यों पर कुल 314550.00 का भुगतान कार्यप्रभारियों को किया गया है। परन्तु संबंधित निर्माण पत्रावलीयें में संलग्न मस्टररोल पर मजदूरी का अंगुठा निशान/हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि कार्यप्रभारियों द्वारा बिना कार्य कराये ही मस्टररोल पर मजदूरी का नाम अंकित कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार और कार्यप्रभारी द्वारा बिना कार्य कराये ही मजदूरी के धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
314550.00	—	—	314550.00

प्रस्तर सं०-11—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इंदिरा आवास प्रशासनिक मद का धन कम्प्यूटर मद के मानदेय (फरवरी 17 से जनवरी 18) पर रु० 79000 व्यय किया गया है। इस प्रकार एक मद का धन दूसरे मद में व्यय कर के वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। लेखापरीक्षा में भुगतानित मानदेय से संबंधित भुगतान प्राप्तकर्ता की प्राप्ति रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
79000.00	—	—	79000.00

प्रस्तर सं०-12—क्षेत्र पंचायत जोगिया की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न मद में रु० 1311821.00 का व्यय दर्शित है, जिससे संबंधित वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में व्यय धन की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः प्रतिशत तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है—

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1311821.00	—	—	1311821.00

प्रस्तर सं०-13—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही क्षेत्र निधि खाते से रु० 426472.00 की धनराशि आहरित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	426472.00	426472.00

प्रस्तर सं०-14—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही राज्य वित्त खाते से रु० 1589469.00 की धनराशि आहरित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1589469.00	1589469.00

प्रस्तर सं०-15—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही सांसद निधि खाते से रु० 104978.00 की धनराशि आहरित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	104978.00	104978.00

प्रस्तर सं०-16—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही प्रधानमंत्री आवास योजना खाते से रु० 128765.00 की धनराशि आहरित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	128765.00	128765.00

प्रस्तर सं०-17—क्षेत्र पंचायत बॉसी की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त से कराए गए कार्य देवई नाले के पूरब रिटनिंग वाल का निर्माण कार्य पर दिनांक 02.01.19 को में० देवेन्द्र कुमार ठेकेदार को चेक सं० 500846 के माध्यम से संस्था द्वारा रु० 3481.00 का भुगतान किया गया है। जिसपर आयकर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल 78.00 रु० काट कर भुगतान फर्म को करना चाहिए था। परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	78.00	78.00

प्रस्तर सं०-18—क्षेत्र पंचायत बॉसी की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त मद से कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 1911903.00 की सामग्री क़य की गयी है। नियमानुसार उक्त क़य की गयी सामग्री पर 2 शत प्रतिशत की दर से जी०एस०टी काट कर शेष धनराशिका भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त भुगतानित धनराशि पर जी०एस०टी की कटौती न कर रु० 38238.00 की राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	38238.00	38238.00

प्रस्तर सं०-19—क्षेत्र पंचायत बॉसी की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 464950.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। नियमत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके ईकाइ द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिस हेतु तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	464950.00	464950.00

प्रस्तर सं०-20—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 31.03.18 को अनुदान पंजिका भाग-03 के अनुसार समस्त मदों का अंतिम अवशेष का कुल योग रु० 10129678.20 है। जबकि अनुदान पंजिका भाग-3 के अनुसार बैंक खातों में उक्त तिथि में दर्शित अंतिम अवशेषका कुल योग रु० 10116244.20 है इस प्रकार दोनों के मध्य अन्तर कुल रु० 13434.00 है। जाँच में पाया गया कि क्षेत्र० द्वारा राज्य वित्त मद में निर्गत चार चेको क्रमशः 500808, 500810, 500813 एवं 50080 (कुल धनराशि रु० 48798) का समायाजन 31 मार्च 2018 तक नहीं हो पाया था। इस प्रकार बैंक समाधान विवरण पत्र के अनुसार खातों का अवशेष रु० 10067446.20 हुआ (10116244.20 - 48798 = 10067446.20)। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुदान पंजिका -3 के अनुसार दिनांक 31.03.18 को दर्शित अंतिम अवशेष का कुल योग रु० 10129678.20 है तथा निर्गत चेको के समायोजन के बाद बैंक खातों का वास्तविक अंतिम अवशेष का कुल योग रु० 10067446.20 है। स्पष्ट है कि अनुदान पंजिका भाग-03 के अनुसार अनुदान पंजिका एवं खातों के बीच का अन्तर रु० 62232 है (10129678.20 - 10067446.20) जिसका समाधान लेखापरीक्षा में नहीं हो पाया। जिसके लिए ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इसके हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	62232.00	62232.00

प्रस्तर सं०-21—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कनवर में आदिल महतो के घर से काली स्थान मार्ग पर इंटरलाकिंग कार्य पर सामग्री मूल्य का कुल प्रमाणक रु० 558984.00 का है जिसपर 4प्रतिशत की दर से वैट रु० 22359.00 होता है। जबकि प्रमाणको से मात्र रु० 6953.00 की ही कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 15406.0 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	15406.00	15406.00

प्रस्तर सं०-22—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सांसद निधि मद से कराए गए कार्य धोबहा गौव के अंदर सी०सी रोड से पूरब राजेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री मूल्य का कुल प्रमाणक रु० 229557.00 का है जिसपर 2प्रतिशत की दर से जी०एस०टी रु० 4592.00 होता है। जबकि प्रमाणको से मात्र रु० 1322.00 की ही कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 3270.0 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3270.00	3270.00

प्रस्तर सं०-23—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सांसद निधि मद से कराए गए कार्य गौरडीह में संतोश कुमार के घर से हददीष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री मूल्य का कुल प्रमाणक रु० 1167831.00 का है जिसपर 2प्रतिशत की दर से जी०एस०टी रु० 23357.00 होता है। जबकि प्रमाणको से मात्र रु० 19276.00 की ही कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 4081.0 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4081.00	4081.00

प्रस्तर सं०-24—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मजदूरी मद में रु० 374410.00 भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूरों के खाते में कियस जाना चाहिए था। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3774410.00	3774410.00

प्रस्तर सं०-25—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त योजना में कुल व्यय रु० 2333500.00 है जबकि लेखापरीक्षा में मात्र रु० 1688824.00 व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ ही प्रस्तुत रही। इस प्रकार 17-18 में रु० 644676.00 व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ लेखापरीक्षा प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा कुल रु० 644676.00 व्यय से संबंधित पत्रावली /प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
644676.00	—	—	644676.00

प्रस्तर सं०-26—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विधायक निधि योजना में कुल व्यय रु० 2089197.00 का किया गया है। जबकि लेखापरीक्षा में विधायक निधि

योजना से संबंधित कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार 17-18 में रु0 2089197.00 व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ लेखापरीक्षा प्रस्तुत नहीं न करके तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार द्वारा कुल रु0 2089197.00 की व्यय सं संबंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2089197.00	—	—	2089197.00

प्रस्तर सं0-27- क्षेत्र पंचायत बढनी की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बायो गैस एवं अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का धन बैंक शाखा प्रबंधक के पक्ष में चेक निर्गत कर आहरण किया गया किन्तु उक्त आहरित धनराशि से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अनुदान का उपयोग नियमों के अन्तर्गत न करके धन का अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	बैंक व शाखा का नाम	चेक सं0/दिनांक	धनराशि
1	बायो गैस	पूर्वांचल बैंक शाखा अकरहरा	945093 / 19.08.17	16000.00
2	अंबेडकर विशेष रोजगार योजना अनुजाति	पी 0एन0 बी परसा	944453 / 05.03.18	7500.00
		पूर्वांचल बैंक कोटिया	94454 / 05.03.18	22500.00
				46000.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
46000.00	—	—	46000.00

प्रस्तर सं0-28- क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इकाई द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की बार-बार मॉग करने पर भी संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः प्रतिशत लेखा परीक्षा दल को ग्रांट पंजिका द्वितीय तथा तृतीय तथा कार्य पंजिका से कराये गए कार्यों का विवरण तैयार किया गया —जो निम्न प्रकार है—

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म	चेक सं0/दिनांक	धनराशि
01	जल्लाहे के घर से लाले के घर तक नाली निर्माण कार्य	मे0किसान ब्रिक फी0	888929 / 21.04.17	19195
		रिद्धि-सिद्धि ट्रे0	888930 / 21.04.17	9693
		श्री राजीव सिंह ए0डी0ओ	888931 / 21.04.17	25200
			योग	54088
02	सिसवा बुजुर्ग के चम्पापुर में इण्टरलाकिंग	मे0किसान ब्रि0फी	888932 / 21.04.17	33037
			888932 / 21.04.17	45104
			888935 / 21.04.17	51825
			योग	129966
03	महदेवा खुर्द में इण्टरलाकिंग	मे0किसान ब्रिक फी0	888936 / 21.04.17	48133
		रिद्धि-सिद्धि ट्रे0	888937 / 21.04.17	71884
		श्री राजीव सिंह ए0डी0ओ	888938 / 21.04.17	73500
			योग	242254
04	शरण यादव के घर से पी0डब्लू0डी समया माता स्थान तक इण्टरलाकिंग	मे0किसान ब्रिक फी0	889441 / 21.04.17	86526

		रिद्धि-सिद्धि ट्रेड	88944 / 21.04.17	85904
				172430
			महायोग	792255

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संदर्भित संस्था द्वारा बिना कार्य कराए ही अभिलेख तैयार किए फर्जी तरीके से ग्रांट पंजिका द्वितीय व तृतीय में भुगतान का इन्द्राज करके राज्य वित्त खाते से रु0792255.00 आहरित करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख0वि0अधि / लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
792255.00	—	—	792255.00

प्रस्तर सं0-29—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल 872563.00 की सामग्री कय की गयी थी जिसके सापेक्ष मात्र 495650.00 के सामग्री कय वाले बिलो से ही आयकर की कटौती की गयी है। षे 376913.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकी कटौती नहीं होने से कुल रु0 9442.85 राजस्व की क्षति हुई है। एवं कटौती की गयी आयकर की धनराशि कुल रु0 11103.00 निर्धारित लेखापरीक्षा में जमा नहीं होने से क्षति कुल रु0 19545.00 राजकीय राजस्व की छति हुई है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि / लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	19545.00	19545.00

प्रस्तर सं0-30—क्षेत्र पंचायत उसका बाजार की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष के प्रा0अव अर्थात् 01.04.17 को विभिन्न मदों में पूर्व के वर्षों में कटौती की गयी आयकर की धनराशि कुल रु0 133479.00 लेखापरीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखापरीक्षा में जमा नहीं किया गया है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इससे संबंधित कर कटौती पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	133479.00	133479.00

प्रस्तर सं0-31—क्षेत्र पंचायत उसका बाजार वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष फर्म को भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से जी0एस0टी की कटौती नहीं की गयी है। फर्म को सामग्री आपूर्ति हेतु कुल किए गए भुगतान रु0 376913.00 पर 2 शत प्रतिशत की दर से कुल रु0 7538.26 की जी0एस0टी कटौती न होने के कारण राजस्व की क्षति हुई है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	7538.26	7538.26

प्रस्तर सं0-32—क्षेत्र पंचायत उसका बाजार के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि रा0वि मद से पोखरभिटवा चित्थर के घर से भगेलू के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य में सामग्री पर किए गए कुल रु0 495650.00 के सापेक्ष बिल से कुल रु 20037 वैट की कटौती की गयी है जिसे कोशागार में निर्धारित लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा अवधि तक जमा नहीं किया गया है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	20037.00	20037.00

प्रस्तर सं0-33— क्षेत्र पंचायत उसका की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल पर क्रमांक दर्ज नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि प्रयुक्त मस्टररोल वि0ख0 कार्यालय से निर्गत नहीं है। देय मजदूरी के भुगतान से संबंधित चेक रु0 246135.00 का भुगतान

कार्यप्रभारीयों को किया गया है। मस्टरोल पर अंकित अंगूठे के निसान भी एक जैसे प्रतीत होते हैं। स्पष्ट है कि आपस में दुरभिसंधि कर बाजार से मस्टरोल लेकर फर्जी तरिके से मजदूरी का भुगतान दर्शाकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	246135.00	246135.00

प्रस्तर सं०-34—क्षेत्र पंचायत नौगढ की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यो पर कुल रु० 1228399.00 की सामग्री क़य की गयी है। नियमानुसार क़य की गयी सामग्री पर 4प्रतिशत का वैट काटकर फर्म को भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु इकाई द्वारा वैट की कटौती न कर रु० 49136.00 की राजस्व हानि की गयी है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	49136.00	49136.00

प्रस्तर सं०-35—क्षेत्र पंचायत नौगढ की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 15-16 (भुगतान वर्ष 17-18)में कुल 1317851.00 की सामग्री विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए क़य की गयी है। नियमानुसार सामग्री क़य का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना चाहिए था ,परन्तु इकाई द्वारा सामग्री क़य का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1317851.00	1317851.00

प्रस्तर सं०-36—क्षेत्र पंचायत नौगढ की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि तौलेश के घर से अबू बक के घर तक मिट्टी /ख० निर्माण कार्य में अवर अभियन्ता द्वारा 1253.97 घ०मी० कार्टेज मिट्टी का प्रविधान प्राकवलन में किया गया था। परन्तु पत्रावली में कार्टेज मिट्टी के क़य से संबंधित वाउचर संलग्न नहीं पाया गया। बिना कार्टेज मिट्टी के खडन्जा का निर्माण संभव नहीं है। कार्यप्रभारी द्वारा खडन्जा निर्माण में निर्माण प्रक्रिया का उल्लंघन कर रु० 690000.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि ,कार्यप्रभारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	690000.00	—	690000.00

प्रस्तर सं०-37—क्षेत्र पंचायत नौगढ के वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुनवाडीह के केसार गाँव में खडन्जा निर्माण कार्य में सामेंट/बालू/सरिया के क़य के लिए यादव सीमेंट भण्डार का कोटेशन स्वीकार किया गया था। परन्तु रु० 44952 की सामग्री का क़य जायसवाल इण्टरप्राइजेज से किया गया है। एक फर्म का टेण्डर स्वीकार होने के बावजूद किसी अन्य फर्म से सामग्री क़य कर के वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	44952.00	44952.00

प्रस्तर सं०-38—क्षेत्र पंचायत नौगढ की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पत्रावली में संलग्न मस्टरोल के आधार पर श्रमिको को मजदूरी रु० 761188.00 का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारीयों को चेक निर्गत किया गए हैं ,तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिको को नगद भुगतान किया गया है। श्रमिको की उपस्थिति व अंगूठा की निसान क्षेत्र पंचायत सदस्य /सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। नियमानुसार मजदूरी को उनकी मजदूरी का भुगतान उनके खाते में किया जाना चाहिए

था।ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि, कार्यप्रभारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	761188.00	761188.00

प्रस्तर सं०-39—क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पत्रावली में संलग्न मस्टररोल के आधार पर श्रमिकों को मजदूरी रु० 493330.00 का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को चेक निर्गत किया गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया है। श्रमिकों की उपस्थिति व अंगूठा की निसान क्षेत्र पंचायत सदस्य /सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। नियमानुसार मजदूरी को उनकी मजदूरी का भुगतान उनके खाते में किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि, कार्यप्रभारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	493330.00	493330.00

प्रस्तर सं०-40—क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 51010.00 की सामग्री क़य की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर फर्म को भुगतान किया जाना चाहिए था। परन्तु बिलों से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार निर्धारित दर से आयकर कटौती न करने के कारण राजकाय राजस्व को रु० 1142.00 की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1142.00	1142.00

प्रस्तर सं०-41—क्षेत्र पंचायत इटवा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 17-18 में कुल 463675.00 की सामग्री विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क़य की गयी है। नियमानुसार सामग्री क़य का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना चाहिए था, परन्तु इकाई द्वारा सामग्री क़य का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	463675.00	463675.00

प्रस्तर सं०-42—क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ निर्माण कार्यों पर भुगतान तो किया है परन्तु लेखापरीक्षा उन निर्माण कार्यों की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिससे उन निर्माण कार्य के प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इस बात से संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इकाई द्वारा बिना पत्रावली तैयार किए फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया हो। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

क्र०स	कार्य का नाम	धनराशि	चेक सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति
1	मध्वापुर में प्राथमिक वि० से डिह बाबा के स्थान तक सोलिंग	108813	886637	सभय राज यादव	अनुदान पंजिका -2 के अनुसार
2	स्पोका में नहर पटरी से जवाहर पब्लिक स्कूल तक ख०	183220	886643	अफजल हुसैन ब्रिक फील्ड	अनुदान पंजिका -2 के अनुसार
	योग	292033			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
292033.00	—	—	292033.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

प्रस्तर	—	—	722550.00	722550.00	सं0-43-क्षेत्र
पंचायत बर्डपुर की					वर्ष 17-18 की
लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पत्रावली में संलग्न मस्टररोल के आधार पर श्रमिकों को मजदूरी रु0 722550.00 का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को चेक निर्गत किया गए है ,तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया है।श्रमिकों की उपस्थिति व अंगूठा की निसान क्षेत्र पंचायत सदस्य /सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित नहीं कराए गए है।नियमानुसार मजदूरी को उनकी मजदूरी का भुगतान उनके खाते में किया जाना चाहिए था।ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि ,कार्यप्रभारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।					

प्रस्तर सं0-44—क्षेत्र पंचायत खेसरहा की वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बनकटा पिच रोड से बाम्बे कैम्ब्रिज स्कूल तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी के लिए कार्यप्रभारी को रु0 15396.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु पत्रावली में मस्टररोल संलग्न नहीं पाया गया। जिससे कराए गए कार्य पर किए गए मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि मजदूरी का फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
15396.00	—	—	15396.00

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ 18-19

प्रस्तर सं0-45—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न फर्मों को सामग्री मूल्य का भुगतान बिना जी0एस0टी कटौती किए ही कर दिया गया है। जिससे जी0एस0टी के रूप में रु0 29392.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रकार तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार द्वारा जी0एस0टी कटौती न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	29392.00	29392.00

प्रस्तर सं0-46—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न फर्मों को सामग्री मूल्य का भुगतान बिना जी0एस0टी कटौती किए ही कर दिया गया है। जिससे जी0एस0टी के रूप में रु0 8807.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रकार तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार द्वारा जी0एस0टी कटौती न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	8807.00	8807.00

प्रस्तर सं0-47—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न फर्मों को सामग्री मूल्य का भुगतान बिना आयकर कटौती किए ही कर दिया गया है। जबकि भुगतान 2.24 प्रतिशत आयकर कटौती करके किया जाना चाहिए था। आयकर की कटौती न करने के कारण रु0 4446.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रकार तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार द्वारा आयकर कटौती न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4446.00	4446.00

प्रस्तर सं०-48—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 से संबंधित निर्माण पत्रावली धोबहा मु०डीह नयेनगर में सी०सी रोड एवं खेलावन के घर से आज्ञाराम के खेत तक सी०सी रोड निर्माण की जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य पर बाउचर सं० 187/दिनांक 20.10.18 को रु० 13230.00 की सामग्री डबल एच ब्रिक फील्ड भटगवा से कय किया गया है। जिसपर जी०एस०टी की कटौती मात्र रु० 246.00 की ही किया गया है। जबकि 2प्रतिशत की दर से यह रु० 265.00 होता है। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा रु० 19.00 की कटौती कम करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	19.00	19.00

प्रस्तर सं०-49— क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 से संबंधित निर्माण पत्रावली करौंदा में पी०डब्लू०डी रोड से गोविंद के खेत तक इंटरलाकिंग की जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य पर बाउचर सं० 136/दिनांक 16.07.18 को रु० 144300.00 की सामग्री चौधरी बिल्डिंग मटेरियल धोबहा मु० से कय किया गया है। जिसपर आयकर की कटौती मात्र रु० 2332 की ही किया गया है। जबकि 2.24प्रतिशत की दर से यह रु० 3232.00 होता है। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा रु० 900.00 की कटौती कम करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	900.00	900.00

प्रस्तर सं०-50—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मजदूरी मद में रु० 808480.00 भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	808480.00	808480.00

प्रस्तर सं०-51—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त योजना में कुल व्यय रु० 6576098.00 है जबकि लेखापरीक्षा में मात्र रु० 5184426.00 व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ ही प्रस्तुत रही। इस प्रकार 18-19 में रु० 1391672.00 व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ लेखापरीक्षा प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा कुल रु० 1391672.00 व्यय से संबंधित पत्रावली /प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1391672.00	—	—	1391672.00

प्रस्तर सं०-52—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विधायक निधि योजना में कुल व्यय रु० 134571.00 का किया गया है। जबकि लेखापरीक्षा में विधायक निधि योजना से संबंधित कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार 18-19 में रु० 134571.00 व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ लेखापरीक्षा प्रस्तुत नहीं न करके तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा कुल रु० 134571.00 की व्यय सं संबंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
134571.00	—	—	134571.00

प्रस्तर सं०-53—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 में राज्य वित्त निधि से कराये गए कार्य ख०वि०अधि के आवास के अनुरक्षण की पत्रावली की जाँच में पाया गया है कि इसमें संलग्न मस्टररोल (दिनांक 10.05.18 से दि० 18.05.18 तक) जिसका भुगतान रु 45175 कार्य प्रभारी श्री ,खुर्षीद अली खॉ को चेक सं० 513097.00 दिनांक 25.05.18 द्वारा किया गया है।उक्त मस्टररोल में एक मजदूर श्री उमेश पुत्र मायाराम से कार्य 09 दिन कराया गया परन्तु मजदूरी मात्र एक दिन का ही दिया गया है।मजदूरो के अंगूठा निषान की पुष्टि जाब कार्ड से नहीं करायी गयी है।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यप्रभारी द्वारा मनमाने तरीके से मस्टररोल भरकर एवं अपने नाम मजदूरी के चेक का भुगमान करके धन का अपहण किया गया है।जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं।जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
45175.00	—	—	45175.00

प्रस्तर सं०-54—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की विकास खण्ड परिसर के सावर्जनिक शौचालय का जिर्णोध्धार से संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि फर्म ब्रिक फील्ड बायताल डुमरियागंज को रु० 6540.00 सामग्री मूल्य का भुगतान चेक सं० 513098 दि० 25.05.18 द्वारा किया गया है।सामग्री मात्र 6598.00 रु की है जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर रु० 148.0 की कटौती भी हुआ है।इस प्रकार फर्म को 6598-148=64540 का भुगतान किया जाना चाहिए था ,परन्तु भुगतान रु० 6540.00 का किया गया हैं जो रु० 90.00 अधिक है।इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि /लेखाकार द्वारा मनमाने तरीके से प्रमाणको के धन का भुगतान करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-02)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	90.00	—	90.00

प्रस्तर

सं०-55—क्षेत्र

पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की विकास खण्ड परिसर के सावर्जनिक शौचालय का जिर्णोध्धार से संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि फर्म पी०के इ० भनपुररानी को रु० 160799.00 सामग्री मूल्य का भुगतान चेक सं० 513099 दि० 25.05.18 द्वारा किया गया है।सामग्री मूल्य 164635.00 रु की है जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर रु० 3688 होता है,जबकि आयकर कटौती रु० 3836.00 नोटसीट में दर्शित है। इस प्रकार फर्म को 164635-3688=160947 का भुगतान किया जाना चाहिए था ,परन्तु फर्म को भुगतान रु० 160799.00 का किया गया हैं जो रु० 148.00 कम है। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा मनमाने तरीके से प्रमाणको से अधिक आयकर कटौती करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी हैं। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	148.00	148.00

प्रस्तर सं०-56—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रमाणको से रु० 609.00 की आयकर की कम कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है।इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा मनमाने तरीके से प्रमाणको से कम आयकर कटौती करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	609.00	609.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

प्रस्तर सं०-57-क्षेत्र

—	—	08.00	08.00

 पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की झहरोंव सी०सी रोड मस्जिद से बुलजार के खेत तक सी०सी रोड संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि फर्म पी०के इ० भनपुररानी को रु० 28098.00 सामग्री मूल्य का भुगतान चेक सं० 513148 दि० 04.10.18 द्वारा किया गया है।सामग्री मूल्य 28750.00 रु की है जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर रु० 644 होता है,जबकि आयकर कटौती रु० 652.00 नोटसीट में दर्शित है,जो रु० 08 अधिक है।इस प्रकार फर्म को $28750-644=28106$ का भुगतान किया जाना चाहिए था ,परन्तु फर्म को भुगतान रु० 28098.00 का किया गया है जो रु० 08.00 कम है।

इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा मनमाने तरीके से प्रमाणको से अधिक आयकर कटौती करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-05)

प्रस्तर सं०-58-क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की रटैना पी०डब्लू०डी रोड विक्रम के घर से तालाब तक सी०सी रोड संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि फर्म पी०के इ० भनपुररानी को रु० 175607.00 सामग्री मूल्य का भुगतान चेक सं० 513167 दि० 15.11.18 द्वारा किया गया है।सामग्री मूल्य 183380.00 रु की है जिसपर 2.24प्रतिशत एवं 2प्रतिशतकी दर से आयकर एवं जी०एस०टी क्रम प्रतिशत रु० 4108 एवं 3668.00 होता है, नोटसीट में भी आयकर एवं जी०एस०टी कटौती उतनी ही दर्शित है।इस प्रकार फर्म को $183380-(4108+3668)=175604.00$ का भुगतान किया जाना चाहिए था ,परन्तु फर्म को भुगतान रु० 175607.00 का किया गया है जो रु० 03.00 अधिक है।इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा मनमाने तरीके से प्रमाणको से अधिक भुगतान करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	3.00		3.00

प्रस्तर सं०-59-क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की अल्लपुर गौराही बुजुर्ग संपर्क मार्ग पर टिकमचन्द पाण्डेय के खेत के पास पुलिया निर्माण संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि फर्म पी०के इ० भनपुररानी को रु० 113410.00 सामग्री मूल्य का भुगतान चेक सं० 342247 दि० 01.02.19 द्वारा किया गया है।सामग्री मूल्य 118629.00 रु की है जिसपर 2.24 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की दर से आयकर एवं जी०एस०टी क्रम प्रतिशत रु० 2657 एवं 2372.00 होता है, जबकि नोटसीट में आयकर की कटौती रु० 2847 दर्शित है,जो रु० 190.00 अधिक है।इस प्रकार फर्म को $118629-(2657+2372)=113600.00$ का भुगतान किया जाना चाहिए था ,परन्तु फर्म को भुगतान रु० 113410.00 का किया गया है जो रु० 190.00 कम है।इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा मनमाने तरीके से प्रमाणको से अधिक आयकर कटौती करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	190.00	190.00

प्रस्तर सं०-60-क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि फर्म को सामग्री मूल्य का भुगतान बिना जी०एस०टी कटौती किए ही किया गया है।जिससे जी०एस०टी के रुप में राजकीय राजस्व को रु० 93411.00 की क्षति हुई है।जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	93411.00	93411.00

प्रस्तर सं०-61—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि मजदूरी मद का रु० 2379050.00 का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है, जो अनियमित है। जबकि मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2379050.00	2379050.00

प्रस्तर सं०-62—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि निम्न विवरणानुसार रु० 2479862.00 धन विभिन्न मद में व्यय है। परन्तु उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। अतः संबंधित पत्रावली/प्रमाणक के अभाव में ख०वि०अधि/लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-16)

क्र०स	नाम योजना	व्यय धन
1	व्याज मद की धनराशि	2896.90
2	पी०एम०आवास योजना कन्टीजेन्सी	139843.00
3	विधायक निधि योजना	549062.00
4	जे ०ई०ए०एस	87028.00
5	टेण्डर एवं पंजियन से आय	8214.00
6	रा०आ०मिशन	75000.00
7	विद्युत कंटीजेन्सी	96347.00
8	मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना	1519472.00
योग		2479862.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2479862.00	—	—	2479862.00

प्रस्तर सं०-63—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही क्षेत्र निधि खाते से रु० 396764.00 की धनराशि आहरित कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	396764.00	396764.00

प्रस्तर सं०-64—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही राज्य वित्त खाते से रु० 213000.00 की धनराशि आहरित कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	213000.00	213000.00

प्रस्तर सं०-65—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही गोवंश भरण पोषण खाते से रु० 70000.00 की धनराशि आहरित राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
70000	—	—	70000.00

प्रस्तर सं०-66—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के स्तर पर वांछित अभिलेख तैयार किए बिना ही प्रधानमंत्री आवास योजना खाते से रु० 115131.00 की धनराशि आहरित कर गंभीर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
115131.00	—		115131.00

प्रस्तर सं०-67—क्षेत्र पंचायत बॉसी की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त मद से कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 143732.00 की सामग्री क़य की गयी है। नियमानुसार उक्त क़य की गयी सामग्री पर 2 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी काट कर शेष धनराशिका भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त भुगतानित धनराशि पर जी०एस०टी की कटौती न कर रु० 2875.00 की राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2875.00	2875.00

प्रस्तर सं०-68—क्षेत्र पंचायत बॉसी की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त से कराए गए कार्य ग्राम सभा हरैया नानकार में राजू के घर से रामजीत के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री क़य हेतु दिनांक 19.03.19 को फर्म अशोक जनरल सप्लायर को चेक सं० 500863 के माध्यम से संस्था द्वारा भुगतान किया गया है। जिसपर जी०एस०टी 2 प्रतिशत की दर से कुल 2969.00 रु० काट कर भुगतान फर्म को करना चाहिए था। परन्तु संस्था द्वारा मात्र रु० 2669.00 की कटौती की गयी है। स्पष्ट है कि निर्धारित धनराशि से रु० 300.00 कम की कटौती कर के वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	300.00	300.00

प्रस्तर सं०-69—क्षेत्र पंचायत बॉसी की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 329125.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। नियमत प्रतिशत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके ईकाइ द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिस हेतु तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	329125.00	329125.00

प्रस्तर सं०-70—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 31.03.19 को कुछ मदों में अर्जित ब्याज की धनराशि अवशेष पड़ी है। जिसका विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	मद का नाम की	31.03.19 तक अर्जित ब्याज धनराशि
1	ब्याज मद की धनराशि	663039.51
2	पी०एम०ए०वाई०(जी) ब्याज	6423.30
	योग	669462.81

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

उल्लेखनीय है कि सारणी के क्रम-01 में दर्शायी गयी धनराशि का मद स्पष्ट नहीं है। लेखा परीक्षा में बताया गया कि उक्त मद में कई मदों की संकलित धनराशि है। उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेशसं0-10/2015/1-1-502/दस/2015-10(33)/210 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आयन होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिए। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर सं0-71—क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 1339212.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री गुणराज गुप्ता (सहा0वि0अधि) को रु0 371700, श्री राधेश्याम (सहा0वि0अधि) को 967512.00, का भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गए हैं उनपर मस्टररोल नंबर अंकित नहीं है। अंगूठे निसान जो अंकित किए गए हैं वह प्रमाणित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1339212.00 का वर्ष 18-19 में योजना बद्ध तरीके से अनियमित व्यय किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1339212.00	1339212.00

प्रस्तर सं0-72—क्षेत्र पंचायत मिठवल के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कार्टेज मिट्टी पर कुल रु0 8260.00 का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक से न करके पूरा भुगतान कार्यप्रभारी को कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार यह भुगतान उस फर्म को किया जाना चाहिए था जिसके द्वारा मिट्टी ढुलाई की गयी। ऐसा न करके इकाई द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	8260.00	8260.00

प्रस्तर सं0-73—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 18-19 की राज्य वित्त से संबंधित निर्माण पत्रावली की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सामग्री क्रय से संबंधित प्रमाणक संलग्न पाए गए हैं। उक्त प्रमाणको के भुगतान पर कर कटौती से संबंधित विवरण/टिप्पणी अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि बिना सामग्री क्रय किए फर्म द्वारा प्रमाणक नहीं दिए गए हैं। सामग्री क्रय किया गया है, तो उसका भुगतान किन परिस्थितियों में नहीं किया गया इसका उत्तर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में नहीं किया गया। प्रमाणको से आयकर व जी0एस0टी की कटौती न करके तथा सामग्री मूल्य रु0 475003.00 का भुगतान न करके इकाई द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	475003.00	475003.00

प्रस्तर सं0-74—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 18-19 की राज्य वित्त से संबंधित निर्माण पत्रावली की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विकास खण्ड जोगिया रिसोर्स सेन्टर में शौचायल फर्ष मरम्मत एवं रंगाई पुताई की पत्रावली में संलग्न वाउचर सं0 840/दि0 11.10.18 से रु0 34808.00 की सामग्री रसूल ट्रे0क0 करौदा मसिना से क्रय किया गया है। उक्त क्रय मूल्य पर आयकर रु0 696.00 एवं जी0एस0टी रु0 696.00 के बाद दि0 27.10.18 को चेक सं0 241440 से रु0 34416.00 का भुगतान फर्म को किया गया है जो 1000.00 अधिक है। इस प्रकार तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार द्वारा रु0 1000.00

का अधिक भुगतान फर्म को करके राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1000.00	—	—	1000.00

प्रस्तर सं0-75—क्षेत्र पंचायत जागिया के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 3028855.00 की सामग्री मूल्य का भुगतान फर्मों को किया गया है। उक्त भुगतान मूल्य का 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 67846.00 अवधारित होता है। जबकि प्रमाणको से मात्र रु0 60579.00 ही आयकर की कटौती की गयी है, जो रु0 7267.00 कम है। इस प्रकार तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा आयकर की कम कटौती करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	7267.00	7267.00

प्रस्तर सं0-76—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि तीन कार्यों पर कुल रु0 338276.00 का मजदूरी से संबंधित मस्टररोल निर्माण पत्रावलियों में संलग्न है। परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टररोल पर टिप्पणी व मजदूरी से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है। तत्कालीन ख0वि0अधि / लेखाकार एवं कार्यप्रभारी द्वारा मजदूरी का भुगतान न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	338276.00	338276.00

प्रस्तर सं0-77—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सामग्री क्रय से संबंधित प्रमाणक पत्रावलियों में संलग्न है। उक्त योजनाओं पर दिनांक 31.03.19 तक सामग्री क्रय पर कुल रु0 849693.00 व्यय किया गया है, परन्तु मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि कार्य आतिथि पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकार तत्कालीन ख0वि0अधि / लेखाकार व कार्यप्रभारी द्वारा व्यय राजकीय धन रु0 849693.0 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	849693.00	—	849693.00

प्रस्तर सं0-78—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 18-19 के अनुदान पंजिका की जाँच में पाया गया कि विभिन्न मदों में रु0 1395638.00 व्यय दर्शित है, जिससे संबंधित वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणकों के अभाव में व्यय धन की पुष्टि नहीं किया जा सकता। अतः तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ख0वि0अधि / लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1395638.00	—	—	1395638.00

प्रस्तर सं0-79—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ की वर्ष 18-19 राज्य वित्त निर्माण पत्रावलियों की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1128375.00 मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल सं0 अंकित नहीं है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय मस्टररोल पर काग़्र अवधि, मानव दिवस, के योग का भी उल्लेख नहीं है, स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टररोल में अंकित अंगूठे निषान प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1128375.00 का वर्ष 18-19 में योजना बद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार /काग्रप्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1128375.00	1128375.00

प्रस्तर सं0-80—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ की वर्ष 18-19 विधायक निधि निर्माण पत्रावलियों की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 211690.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल सं0 अंकित नहीं है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय मस्टररोल पर कार्य अवधि, मानव दिवस, के योग का भी उल्लेख नहीं है, स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टररोल में अंकित अंगूठे निषान प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 211690.00 का वर्ष 18-19 में योजना बद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार /काग्रप्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	211690.00	211690.00

(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर सं0-81—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निम्न कार्यों के लिए सामग्री का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया था। परन्तु मजदूरी भुगतान का मस्टररोल पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इतना समय व्यतीत होने के उपरांत कार्य प्रारम्भ न होने से स्थानीय जनता को जो लाभ अपेक्षित था वह प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार अलाभकारी व्यय करके धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रु0 25192.00 का अलाभकारी व्यय के लिए ख0वि0अधि/लेखाकार/एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	धनराशि	चेक सं0/ दिनांक	कार्य प्रभारी
1	चेतरा में लैस वे घर होते हुए मि0/ख0 कार्य	बी 0के ब्रिक फील्ड	25192.00	000014/28.09.18	शकील अहमद
		योग	25192.00		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	25192.00	—	25192.00

प्रस्तर सं0-82—क्षेत्र पंचायत लोटन की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पूर्व वर्षों सहित वर्ष में अर्जित ब्याज मद में दिनांक 31.03.19 को अवशेषधनराशि दर्शित है।

क्र0 सं0	अनुदान	31.03.19 को ब्याज की धनराशि
1	विधायक निधि	2159
2	क्षेत्र निधि	67647

3	रा0वि एवं तेरहवा वित्त	337162
4	गेवष आश्रय भरण पोषण	332
5	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह येजना	3979
	योग	411279.00

विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त में से कई मदों की अवधि एवं उद्येष् लगभग समाप्त हो चुके हैं। अतः इन मदों में अर्जित ब्याज को खातों में अवरुद्ध रखना वित्तीय औचित्य सिद्धांत के विपरीत है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०-10/2015/ए-1-502/दस/2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आयन होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिए। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	411279.00	411279.00

प्रस्तर सं०-83—क्षेत्र पंचायत उसका के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रा०वि एवं विधायक निधि से कराये गए कार्य के सापेक्ष प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष भुगतान से पूर्व कतिपय बिल से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। क्रय की गयी कुल रु० 535799.00 की सामग्री के बिलों से 2.24 प्रतिशत की दर आयकर की कटौती नहीं किया जाने से रु० 12001.89 से राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-1ख)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	12001.89	12001.89

प्रस्तर सं०-84—क्षेत्र पंचायत उसका के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुल 13 परियोजनाओं के सापेक्ष प्रयुक्त सामग्री हेतु फर्म को भुगतान से पूर्व आयकर की कटौती की गयी है, जिसे अनुदान पंजिका भाग तीन में कुल रु० 101544.00 दर्शाया गया है, जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली के साथ अनुरक्षित बिल/वाउचर में दर्शित कटौती का कुल योग रु० 114507.00 है। कर कटौती पंजिका नहीं बनाए जाने से अनुदान पंजिका भाग तीन में उक्त मद में दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा में आगणित व कटौती की गयी आयकर कुल रु० 114507.00 को लेखापरीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा न करा कर अवरुद्ध रखा गया जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-2क)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	114507.00	114507.00

प्रस्तर सं०-85—क्षेत्र पंचायत उसका के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विधायक निधि मद से कराये गए निर्माण कार्य में परियोजनाओं के सापेक्ष प्रयुक्त सामग्री हेतु फर्म को भुगतान से पूर्व आयकर की कटौती कुल रु० 3894.00 की गयी है। इससे संबंधित कर कटौती पंजिका नहीं बनाया गया है। जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा में आगणित व कटौती की गयी आयकर कुल धनराशि रु० 3894.00 को लेखापरीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा न कर अवरुद्ध रखा गया है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-2ख)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3894.00	3894.00

प्रस्तर सं०-86—क्षेत्र पंचायत उसका बाजार वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष फर्म को भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से जी०एस०टी की कटौती नहीं की गयी है। फर्म को सामग्री आपूर्ति हेतु कुल किए गए भुगतान रु० 5174904.00 पर 2 शत प्रतिशत की दर से कुल रु० 103498.08 की जी०एस०टी कटौती न होने के कारण राजस्व की क्षति हुई है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं-4ब)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	103498.08	103498.08

प्रस्तर सं०-87—क्षेत्र पंचायत उसका की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विधायक निधि मद में दिनांक 01.04.17 को प्रा०अवशेषकुल रु० 58197.00 था तथा दिनांक 18.01.18 को प्राप्त अनुदान रु० 420000.0 अर्थात् कुल उपलब्ध धन (58197+420000)रु० 478197.00 के सापेक्ष वर्ष 18-19 में विभिन्न परियोजनाओं पर कुल व्यय रु० 679405.00 दर्शित हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मद में धनराशि कम होने से अधिक व्यय दर्शित धनराशि रु० 201208.00 के सापेक्ष क्षेत्र निधि ब्याज मद में से रु० 285540.00 विधायक निधि मद में अंतरित किया गया है, जो फण्ड का डायवर्जन है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०स०-09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	285540.0	285540.00

प्रस्तर सं०-88—क्षेत्र पंचायत उसका की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पूर्व वर्षों सहित वर्ष में अर्जित ब्याज मद में दिनांक 31.03.19 को अवशेषधनराशि दर्शित है।

क्र०सं०	अनुदान	31.03.19 को ब्याज की धनराशि
1	पूर्वांचल निधि	761434
2	क्षेत्र निधि	1072503
3	रा०वि एवं तेरहवा वित्त	946555
4	रा०वि एवं तेरहवा वित्त पुराना खाता	8451
5	प्रशासनिक मद	3303
5	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	955
	योग	2793110.00

विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त में से कई मदों की अवधि एवं उद्देश्य लगभग समाप्त हो चुके हैं। अतः इन मदों में अर्जित ब्याज को खातों में अवरुद्ध रखना वित्तीय औचित्य सिद्धांत के विपरीत है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०-10/2015/ए-1-502/दस/2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आयन होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2793110.00	2793110.00

प्रस्तर सं०-89—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि लेखा परीक्षा वर्ष से संबंधित बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया है, जो आपत्तिजनक है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है—

लेखापरीक्षा के अनुसार दिनांक 31.03.19 का अंतिम अवशेष	5990871.00	5990871.00

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पी0जी0बी 3209021570 का अवशेष	3246601.00	
पी0जी0बी खाता सं0 75080639794 का अवशेष	34571.00	
एस0बी0आई खाता सं030690642028 का अवशेष	2270573	
एस0बी0आई खाता सं0 1150245787 का अवशेष	9843.00	
एस0बी0आई खाता सं0 11505174961 का अवशेष	767185	
यूनियन बैंक खाता सं0 480902010560639 का अवशेष	371235.00	
दि0 31.03.19 को छह खातों में अवशेष धन का कुल योग		6700009.00
अनुदान पंजिका एवं बैंक खातों में दर्शित अवशेष धन का अंतर		709138.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनुदान पंजिका और बैंक खातों में दिनांक 31.03.19 को दर्शित अवशेषधन में कुल अंतर रु0 709138.00 का है अर्थात बैंक खाते में उतनी धनराशि अधिक दर्शित है। 31.03.19 तक निर्गत असमायोजित चेको का विवरण बनाते हुए अंतर समाधान कर धनराशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-23 ख)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	709138.00	709138.00

प्रस्तर सं0-90—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 19-20 में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल की जाँच में पाया गया कि मस्टररोल पर क्रमांक दर्ज नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि प्रयुक्त मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। देय मजदूरी के भुगतान से संबंधित चेक का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। प्रायः मजदूरों की अँगूठा निशानी भी एक जैसे प्रतीत होती है। स्पष्ट है कि वर्ष दौरान इस मद में कुल भुगतानित धनराशि रु0 824175.00 अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-24 क)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	824175.00	824175.00

प्रस्तर सं0-91—क्षेत्र पंचायत बढ़नी की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निम्न कार्यों के लिए सामग्री का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया था। परन्तु मजदूरी भुगतान का मस्टररोल पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इतना समय व्यतीत होने के उपरांत कार्य प्रारम्भ न होने से स्थानीय जनता को जो लाभ अपेक्षित था वह प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार अलाभकारी व्यय करके धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रु0 227345.00 का अलाभकारी व्यय के लिए ख0वि0अधि/लेखाकार/एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	धनराशि	चेक सं0/ दिनांक	कार्य प्रभारी
1	सेमरहवाँ में राधे के घर से किशोर के घर तक इ0	किसान बि0फी	116789	889010/ 19.12.18	राजेन्द्र यादव ए0डी0ओ
		जिंदल सप्लायर्स	72673	889009/ 28.12.18	
		खान फ्री सीमेंट	37883	889008/ 27.12.18	
		योग	227345		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	227345.00	—	227345.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

प्रस्तर सं0-92-क्षेत्र

—	—	824125.00	824125.00

 पंचायत बढनी लेखापरीक्षा में की वर्ष 18-19 की यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 824125.00 मजदूरी/श्रमांश मजदूरी को न करके कार्य प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया है ,और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्नक पाए गए हैं उन मस्टररोल पर संख्या अंकित नहीं है,और नहीं अंगूठा निसान ही अंकित पाए गए हैं।स्पष्ट है कि इकाई द्वारा रु0 824125.00 का भुगतान कार्यप्रभारियों कर के वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-93-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल के अनुसार रु0 474750.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरी को न करके कार्यप्रभारियों को कर दिया गया है।मस्टररोल पर अंकित अंगूठे के निसान सक्षम व्यक्तियों /क्षेत्र पंचायत सदस्यों से प्रमाणित नहीं कराया गया है।इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	474750.00	474750.00

प्रस्तर सं0-94-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 688726.00 की सामग्री क्रय की गयी है।नियमानुसार उपरोक्त क्रय की सामग्री के बिलों से 2प्रतिशत की दर से जी0एस0टी काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था।परन्तु फर्म को बिना जी0एस0टी काटे बिल की धनराशि का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिससे रु0 13774.52 की राजस्व की हानि हुई है। जिसके लिए तात्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	13774.52	13774.52

प्रस्तर सं0-95-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ मदों में ऋणात्मक भुगतान किया गया है ,जो की कई वर्षों से लगातार अनुदान पंजिका में दर्शाया जा रहा है।स्पष्ट है कि उक्त मदों का भुगतान अन्य मदों में प्राप्त अनुदान से किया गया है ,जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है,क्योंकि योजना विशेष में प्राप्त अनुदान का उपयोग उसी योजना में किया जाना चाहिए। परन्तु संदर्भित क्षेत्र पंचायत में अंकित विवरण के अनुसार कुल रु0 170663.00 अन्य योजनाओं के धन का भुगतान संबंधित मदों में ऋणात्मक दर्शाते हुए बड़े पैमाने पर अनुदान का व्यावर्तन किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	मद का नाम	31.03.19 का अवेष
1	समाजिक वानिकी	-76537
2	समुदायिक विकास केन्द्र	-1722
3	रा0ग्रा0रो0यो	-25721
4	निर्बल वर्ग आवास योजना	-32683
5	सूखा राहत	-34000
	योग	-170663.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	170663.00	170663.00

प्रस्तर सं0-96-क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 247430.00 की सामग्री क्रय की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त क्रय की

सामग्री के बिलो से 2प्रतिशत की दर से जी0एस0टी काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था।परन्तु फर्म को बिना जी0एस0टी काटे बिल की धनराशि का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिससे रु0 (247430 का 2प्रतिशत)4948.00 की राजस्व की हानि हुई है।जिसके लिए तात्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4948.00	4948.00

प्रस्तर सं0-97—क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 347696.00 की सामग्री क़य की गयी है।नियमानुसार उपरोक्त क़य की सामग्री के बिलो से 2.24प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था।परन्तु फर्म को बिना आयकर काटे बिल की धनराशि का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिससे रु0 (347696 का 2.24प्रतिशत) 7787.00 की राजस्व की हानि हुई है।जिसके लिए तात्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	7787.00	7787.00

प्रस्तर सं0-98—क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल के अनुसार रु0 129975.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को कर दिया गया है।मस्टररोल पर अंकित अँगूठे के निसान सक्षम व्यक्तियों /क्षेत्र पंचायत सदस्यों से प्रमाणित नहीं कराया गया है।इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	129975.00	129975.00

प्रस्तर सं0-99—क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल के अनुसार रु0 10675.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को कर दिया गया है। मस्टररोल पर अंकित अँगूठे के निसान सक्षम व्यक्तियों /क्षेत्र पंचायत सदस्यों से प्रमाणित नहीं कराया गया है।इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	10675.00	10675.00

प्रस्तर सं0-100—क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 44173.00 की सामग्री क़य की गयी है।नियमानुसार उपरोक्त क़य की सामग्री के बिलो से 2प्रतिशत की दर से जी0एस0टी काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था।परन्तु फर्म को बिना जी0एस0टी काटे बिल की धनराशि का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिससे रु0 (44173 का 2 प्रतिशत) 884.00 की राजस्व की हानि हुई है। जिसके लिए तात्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	884.00	884.00

प्रस्तर सं0-101—क्षेत्र पंचायत इटवा की वर्ष 18-19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जी0एस0टी ,आयकर एवं रॉयल्टी में की गयी कटौती को निर्धारित लेखापरीक्षा में जमा न कर अपने पास रोककर रखा गया है।नियमानुसार विभिन्न मदों में की गयी कटौतियों को ससमय निर्धारित लेखापरीक्षा में जमा करा दिया जाना चाहिए।परन्तु ऐसा न कर इकाई द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।जिसके

लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।विवरण निम्न है—

क्र०सं०	मद का नाम	कटौती की धनराशि
1	आयकर	34291
	जा०एस०टी	3302
	रॉयल्टी	32910
		70503.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	70503.00	70503.00

प्रस्तर सं०—102—क्षेत्र पंचायत नौगढ के वर्ष 18—19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल के अनुसार रु० 2812540.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को कर दिया गया है।मस्टररोल पर अंकित अंगूठे के निसान सक्षम व्यक्तियों /क्षेत्र पंचायत सदस्यों से प्रमाणित नहीं कराया गया है।इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2812540.00	2812540.00

प्रस्तर सं०—103—क्षेत्र पंचायत नौगढ की वर्ष 18—19 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 05.05.18 को चेक सं० 025288 द्वारा भण्डार लिपिक श्री राजीव श्रीवास्तव को कौषल विकास मिशन प्रशिक्षण हेतु रु० 75000.00 अग्रिम प्रदान किया गया था।परन्तु लेखापरीक्षा में पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे कौषल विकास मिशन के प्रचार—प्रसार पर किए गए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी वसूली ब्याज सहित भण्डार लिपिक श्री राजीव श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
75000.00	—	—	75000.00

प्रारूप—3 क्षेत्र पंचायतबादा

प्रस्तर—1—क्षेत्र पंचायत बबेरु के अनुदान रजिस्टर द्वितीय में दिनांक 07—08—2018 को ग्राम पंचायत पल्हरी में राजेश साहू के मकान से पानी की टंकी तक सी०सी० रोड निर्माण सामग्री का भुगतान रु० 254061.00 किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त धनराशि अनियमितता प्रतीत होती है जिसे हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री रामचन्द्र एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—2—क्षेत्र पंचायत बबेरु के अनुदान रजिस्टर द्वितीय में दिनांक 18—03—2019 को ग्राम पंचायत जुगरेहनी में शिव वरन के खेत के पास पुलिया निर्माण में रु० 243791.00 व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे उक्त धनराशि अनियमित प्रतीत होती है जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री रामचन्द्र एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं।सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2018—19

संस्था का नाम— क्षेत्र पंचायत मानिकपुर जनपद—चित्रकूट(2011—12से 2013—14)

प्रस्तर संख्या—1 :- अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 103 पर अंकित राज्य वित्त आयोग से दिनांक 26. 11.11 को चेक सं० 895570 से रूपया 5,13,000.00 का भुगतान, ग्राम पंचायत कर्का पडरिया को मजरा झीलिंग में आर०सी०सी० सडक व नाली निर्माण का स्वीकृत प्राक्कलन रु० 20.52 लाख के सापेक्ष किया

गया था। दिनांक 26.11.11 को भुगतानित धनराशि रु0 5,13,000.00 के उपभोग की पुष्टि में कोई प्रमाणक पत्रावली में नहीं पाया गया। दिनांक 03.02.11 को (पूर्व वर्ष 2010-11 में) चेक संख्या 911341, धनराशि रु0 15,39,000.00 ग्राम पंचायत कर्का पडरिया को उक्त कार्य हेतु निर्गत चेक के सापेक्ष रु0 15,35,462.00 का व्यय प्रमाणक पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न पाया गया जो उक्त धनराशि रु0 15,39,000.00 से रु0 3,538.00 से कम व्यय दर्शित रहा तथा लेखा परीक्षा अवधि तक उक्त धनराशि रु0 5,13,000.00 भुगतानित चेक के उपभोग का प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु0 5,13,000.00 अपहरित है। इस प्रकार रु0 5,13,000.00 अपहरित है। इस प्रकार रु0 5,13,000.00+3538.00 कुल धनराशि रु0 5,16,538.00 के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री कुलदीप सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-01

प्रस्तर संख्या-2 :- बारहवों वित्त आयोग खाते से ग्राम पंचायत सरैया में पोखरी पुरवा यात्री सेड से पोखरी पुरवा तक नाली निर्माण हेतु जिसका प्राक्कलन रु0 4.67 लाख थी, का प्रथम किस्त ग्राण्ट रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या-28 पर दिनांक 24.04.2011 को खण्ड विकास अधिकारी के पत्र द्वारा ग्राम पंचायत सरैया को ट्रांसफर किया गया था। निर्माण कार्य पत्रावली में उक्त धनराशि 3,50,000.00 के सापेक्ष 3,35,020.00 के उपभोग का व्यय प्रमाणक संलग्न पाया गया। दिनांक 24.12.2011 को चक संख्या 198014 धनराशि रु0 1.17 लाख का शेष भुगतान ग्राम पंचायत को निर्गत किया गया किन्तु उक्त चेक की धनराशि रु0 1.17 लाख के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा समाप्ति तक अप्राप्त रहा और न ही कोई कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र ही संलग्न पाया गया इस प्रकार रु0 1.17 लाख की धनराशि अपहरित प्रतीत होती है तथा अप्रयुक्त पूर्व धनराशि रु0 3,50,000.00-3,35,020.00=14,980.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री के0डी0 भारती तथा ब्लाक प्रमुख श्री कुलदीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-02

प्रस्तर संख्या-3 :- अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ सं0-97 पर तेरहवों वित्त के मद से दिनांक 08.06.11 के बाद जो दिनांक अंकित नहीं है, चेक सं0 911349 से धनराशि रु0 1,52,850.00 व चेक संख्या 911350 से धनराशि रु0 6801.00 का ट्रांसफर वितरण दिखाया गया है किन्तु किस कार्य हेतु उक्त चेक निर्गत है विवरण अंकित नहीं है एवं अनुदान रजिस्टर में भुगतानित चेक की धनराशि को ग्राण्ट रजिस्टर के अवशेष धनराशि से घटाया भी नहीं गया था। जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट में निर्गत चेक संख्या 911349 बैंक द्वारा श्री बी0डी0 मिश्रा को भुगतानित तथा चेक सं0 911350 हस्तांतरित था। भुगतानित धनराशि रु0 152850.00 की पुष्टि में संस्था द्वारा कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। प्रमाणक के अभाव में उक्त धनराशि अपहरित प्रतीत होती है जिसके बीडीओ श्री कपिल कुमार ब्लाक प्रमुख व श्री कुलदीप सिंह उत्तरदायी है। रु0 1,52,850.00 उक्त ब्लाक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर संख्या-4:- क्षेत्र पंचायत-मानिकपुर में वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड परिसर में बाउण्ड्री वाल निर्माण में प्रयुक्त मस्टर रोल क्रमांक 4731 (दिनांक 10.04.2012 से 16.04.2012 धनराशि रु0 16,240.00) व मस्टर रोल क्रमांक 4889 (दिनांक 19.04.2012 से 25.04.2012 धनराशि रु0 8,920.00) पर श्रमिकों के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा लगे नहीं पाये गये। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी का पत्रांक 2334/लेखा/राज्यवित्त/अग्रिम/2012-13 दिनांक 19.03.2013 द्वारा कार्य प्रभारी श्री बी0डी0 मिश्रा जे0ई0 (आर0ई0एस0) को प्रेषित पत्र में उक्त मस्टर रोल क्रमांक 4731 व 4889 क्रमशः धनराशि रु0 16,240.00 व 8,920.00 कुल धनराशि रु0 25,160.00 का भुगतान दो चेकों (चेक सं0 005435 दिनांक 25.04.2012 धनराशि रु0 16,240.00 व चेक संख्या 005435 दिनांक 16.05.2013 रु0 8920) के द्वारा प्राप्त किया गया दर्शित है तथा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न किया जाना लिख गया है। इस वसूली से सम्बन्धित कोई प्रमाणक/लेखा परीक्षा अवधि तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार रु0 25,160.00 अपहरित श्रमांश की वसूली बी0डी0 मिश्रा से कर लिया जाय ना वसूली की स्थिति में तत्कालीन संदर्भित ब्लाक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली कर संस्था में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर संख्या-5 शासनादेश सं0- 10/2015/ए-1-502(1)/ दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 एवं शासनादेश सं0-ए-1-122/दस/2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोष में जमा करना

होगा। संस्था द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार शासन से अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है।

क्रम संख्या	मद का नाम एवं खाता संख्या	2011-12	2012-13	2013-14	कुल योग
1	राज्य वित्त एवं 13 वा वित्त खाता संख्या 50046830844 राज्य वित्त एवं 13 वा वित्त खाता संख्या 11380100001443	45842 1310	35272 2275	267569 2163	34,8,683 5748
2	12वा वित्त खाता संख्या-1155100003025 12वा वित्त खाता संख्या-11380100001444	2064 3069	1267 3780	1176 3548	4507 10395
3	विधायक निधि खाता संख्या-5190/3067 विधायक निधि खाता संख्या-2584/4531	1773 1042	1165 1497	1214 1561	4152 4100
4	सांसद निधि खाता संख्या-1017	12532	11783	12082	36397
5	बीआरजीएफ 10343	20954	15957	16602	53513
6	क्षेत्र निधि 11550100001774	31880	64570	75610	172060
7	प्रशासनिक मद खाता संख्या-11550100003700	41634	16944	2964	61542
	योग	162100	154510	384489	701099

उपरोक्त अर्जित ब्याज रु0 7,01,099 शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त शासनादेश का उल्लघन होने की दशा में तत्कालीन संदर्भित ,खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी होंगे। जिस पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर संख्या-6 :-खण्ड विकास परिसर में खण्ड विकास अधिकारी के आवास की छत मरम्मत हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा वाउचर सं0 44 दिनांक 02.03.2012 व वाउचर सं0 27 दिनांक 01.03.2012 द्वारा धनराशि क्रमशः रु0 26294.00 व 10208.00 की सामग्री आपूर्ति कर कुल धनराशि रु0 36502.00 में से रु0 2287.00 की टैक्स काटकर चेक सं0 004599 दिनांक 06.05.2012 धनराशि रु0 34215.00 आपूर्तिकर्ता ने प्राप्त कर लिया। दिनांक 31.03.2014 तक मजदूरी कार्य न कराकर उक्त सामग्री आपूर्ति फर्जी प्रतीत होती है। जिसकी वसूली मे0 चांद खां से वसूल किया जाना अपेक्षित है न वसूली की स्थिति में तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री कुलदीप सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार से मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर संख्या-7 :-विकास खण्ड परिसर में कम्पाउण्डर एवं चपरासी आवास मरम्मत हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा 94,880.00 की सामग्री आपूर्ति में टैक्स कटौती रु0 7269.00 के उपरान्त चेक संख्या 005288 दिनांक 23.04.2012 से रु0 87,611.00 प्राप्त किया गया, किन्तु सामग्री के उपभोग का कोई कार्य नहीं कराया गया। अतः उक्त सामग्री आपूर्ति फर्जी प्रतीत हो रहा है अतः उक्त धनराशि रु0 87,611.00 की वसूली मे0 शिवम् ट्रेडर्स से किया जाना अपेक्षित है। ना वसूली की स्थिति में तत्कालीन संदर्भित ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर संख्या-8 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के बिन्दु (2) एवं पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अन्तर्गत क्रमांक (2) के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जाय एवं क्रमांक (6) के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय क्षेत्र पंचायतों का स्वयं की एवं उन्हे हस्तान्तरित सम्पत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय किया जाय। किन्तु क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में

उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर, ग्राम स्तरीय निम्न कार्यों पर अनुदान का व्यय दर्शाकर शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए अनुदानित धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। विवरण निम्नवत् है—

क्र०	वर्ष	कार्य का नाम	कुल व्यय धनराशि
1	2013-14	ग्राम पंचायत गिदुरहा के मजरा कटरा में गंगा के दरवाजे से व्यापारी के दरवाजे तक खडण्जा	84295/-
2	2013-14	ग्राम पंचायत चर के बसावनपुर में गोलाल उपाध्याय के घर से प्रा० विद्यालय की ओर स्टोन खडण्जा	56577/-
3	2011-12 व 2012-2013	ग्राम पंचायत इटवा टुडैला के मजरा छोटी पाटिन में रामगोपाल के घर से राम प्रसाद के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	404270/-
4	2013-2014	ग्राम पंचायत चुरेह केशरूवा के मजरा गुरौला में सुभान सिंह के दरवाजे से राधेश्याम के दरवाजे तक पत्थर खडण्जा	133340/-
5	2013-2014	ऐचवारा में गजरा नहर की पुलिया से बरम बाबा तक खण्डण्जा निर्माण	90052/-
6	2012-2014	रानीपुर कल्याणगढ के मजरा कुबरी में पी०डब्लू०डी० रोड से जगदीश यादव के घर तक खण्डण्जा निर्माण	141881/-
7	2013-2014	ग्राम पंचायत कोटा कंदैला में नन्दलाल/धर्मपाल के घर से पी०डब्लू०डी० रोड तक सी०सी० मार्ग के बगल में साइडवाल निर्माण	53836/-
योग—			964251/-

उपरोक्त कराये गये कार्यों में अनुदान की धनराशियों का अनियमित रूप से व्यय कर दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी एवं तकनीकी सहायक क्रमशः श्री कपिल कुमार (बी०डी०ओ०), श्री एम०पी० प्रजापति (बी०डी०ओ०) श्री छत्रपाल सिंह (ग्रा०वि०अधि०) राजेश कुमार (ग्रा०वि०अधि०) श्री जय प्रकाश सिंह (ग्रा०वि०अधि०) एवं श्री बी०डी० मिश्रा (जे०ई० आर०ई०एस०) उत्तरदायी है।

अतः दुरुपयोगित धनराशि रु० 964251/- की ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-12

विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

क्षेत्र पंचायत रामनगर (2011-12 से 2013-14)

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा में शासन द्वारा अवमुक्त राज्य वित्त, 12वां वित्त, 13वां वित्त की अनुदानित धनराशियों को संस्था द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार समयान्तर्गत वित्तीय वर्ष में व्यय न कर बैंक में खुले हुये खातों अधीन रख कर वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक अर्जित ब्याज रुपये 350160.00 आय के रूप में प्राप्त किया गया। अर्जित ब्याज संस्था द्वारा अलग से अभिलेखों में नहीं दर्शाया गया है जिससे पूर्व वर्षों में अनुदान पर अर्जित ब्याज की वास्तविक जानकारी न हो सकी।

शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त अनुदानित धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष/कोषागार में जमा करा दिया जाये। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक राज्य वित्त, 12 वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों पर कुल अर्जित ब्याज 350160.00 रु० का विवरण निम्नवत् है—

1. राज्य वित्त

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त		वर्ष में व्यय		वर्षांत शेष
		अनुदान	ब्याज	अनुदान	ब्याज	
2011-12	1500548	907500	103144	1358766	—	1152426
2012-13	1152426	2139500	86745	1705400	—	1673271

2013-14	1673271	3847000	87315	3930613	—	1676975
योग	—	6894000	277206	6994779	—	—

2. 12 वां वित्त

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त		वर्ष में व्यय		वर्षांत शेष
		अनुदान	ब्याज	अनुदान	ब्याज	
2011-12	372308	—	11063	340275	—	43096
2012-13	43096	—	5833	—	—	48929
2013-14	48929	—	—	32033	16896	निल
योग	—	—	16896	—	16896	—

3. 13वां वित्त

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त		वर्ष में व्यय		वर्षांत शेष
		अनुदान	ब्याज	अनुदान	ब्याज	
2011-12	755200	624519	—	827854	—	551865
2012-13	551865	1095231	—	242751	—	1404345
2013-14	1404345 12वां वित्त राज्य वित्त	2631749 32033 111728	56058 16896	2976671	—	1276138
योग		4495260	72954	4047276	—	

ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के ब्याज शीर्ष के पृष्ठ 42 पर 12वां वित्त से प्राप्त अर्जित सूद 16896.00 रु० को 13वां वित्त मद में ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ 23 में सम्मिलित किया गया है एवं 12वां वित्त के अवशेष अनुदान 32033.00 रु० (31.03.2013) को 13वां वित्त के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय पृष्ठ संख्या-34 पर दिनांक 01.07.2013 को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक प्राप्त अर्जित सूद

1-राज्य वित्त अनुदान से प्राप्त सूद 277206

2- 12वां वित्त से प्राप्त सूद 16896

3- 13वां वित्त से प्राप्त सूद 56058

योग— 350160

अतः वर्ष 2011-12 से 2013-14 में उपरोक्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज रुपये 350160 एवं पूर्व वर्षों में अर्जित समस्त ब्याज सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार की आय मानते हुये राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। ब्याज की धनराशि शासन को वापस न किये जाने से भविष्य में राजकीय राजस्व के दुरुपयोग होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। दुरुपयोग की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार उत्तरदायी होंगे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-02

प्रस्तर-10 :- बी०आर०जी०एफ० (पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि) ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 38 पर दिनांक 01.04.2011 को अवशेष अनुदान 472878.00 रुपये एवं सूद मद में अवशेष 33601.00 रुपये (ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 41 पर ब्याज शीर्ष में) दर्शित था। कार्यालय जिला पंचायत चित्रकूट के पत्रांक 950/जि०पंच०चि०/2011-12 दिनांक 28 मार्च 2012 (ए०के० सिंह मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत चित्रकूट) द्वारा बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2847/33-पी०एम०यू०/2011 परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी०आर०जी०एफ०) दिनांक 13 सितम्बर 2011 द्वारा ग्राम पंचायत लौधौरा बरेठी में प्रेम पाठक के खेत से बरेठी तक डब्लू बी०एम० सम्पर्क मार्ग का निर्माण स्वीकृत लागत मु० 27.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी, जिसके क्रम में प्रथम किश्त के रूप में इस कार्यालय के पत्र संख्या-661/जि०पंच०चि०/2011-12 दिनांक 17 नवम्बर 2011 द्वारा मु० 24.30 लाख रुपये अवमुक्त की गयी।

खण्ड विकास अधिकारी (एम०पी०प्रजापति) रामनगर के कार्यालय पत्रांक 1291 दिनांक 12.03.2012 द्वारा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव जे०ई० (एम०आई०) अवर अभियन्ता (लघु सिचाई) को कार्य प्रभारी/तकनीकी प्रभारी नामित किया गया। श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री विशोषर दयाल निवासी भदेहदू जनपद चित्रकूट को लोयेस्ट कोटेशन के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी रामनगर द्वारा इकरारनामा किया गया।

इस योजना पर वर्ष 2011-12 में व्यय 629191.00 रुपये एवं वर्ष 2012-13 में व्यय 508603.00 रुपये कुल व्यय 1137794.00 रुपये निम्नांकित विवरणानुसार किया गया है।

वर्ष 2011-12

1-विज्ञापन पर व्यय 6321.00

2- श्री कामता प्रसाद सप्लायर को भुगतान (सामग्री)

चेक सं0 744220 दिनांक 31.03.2012 622870.00

योग— 629191.00

वर्ष 2012-13

1- कर कटौती रायल्टी 67974+ आयकर 20880+ व्यापारकर 36793 125647.00

2- श्री कामता प्रसाद सप्लायर को भुगतान (सामग्री) 134074.00

3- श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जे0ई0 (एम0आई0) को भुगतान श्रमांश 230129.00

4- कर कटौती रायल्टी 9171+आयकर 3469+व्यापारकर 6113 18753.00

योग— 508603.00

कुल व्यय— 1137794.00

विज्ञापन एवं सामग्री पर व्यय 907665.00

श्रमांश पर व्यय 230129.00

योग— 1137794.00

प्रथम रनिंग बिल से 8 प्रतिशत जमानत राशि 171315.00 रुपये काटी गयी है। इस प्रकार कुल व्यय 1137794+171315=1309109.00 रुपये व्यय के उपरान्त कार्य बन्द कर दिया गया।

मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट के बैठक कार्यवाही पत्र संख्या 1344 दिनांक 13.01.2015 के क्रम में गठित त्रिस्तरीय जांच समिति द्वारा दिनांक 22.05.2015 को उक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन/जांच का कार्य किया गया। जांच में व्यय धनराशि 13.09 लाख रुपये एवं कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत रामनगर के पास अवशेष धनराशि 11.21 लाख रुपये से अवशेष कार्य को मानक के अनुसार वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण कराये जाने की संस्तुति की जाती है। ताकि मार्ग में बिछी हुई निर्माण सामग्री का ससमय सदुपयोग हो तथा ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा हो सके। यदि मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण नहीं कराया जाता है तो मार्ग में कराया गया निर्माण कार्य अनुपयोगी होगी तथा शासकीय धनराशि की क्षति होगी।

जांच अधिकारी—

1- एस0आर0चौधरी उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा सेल चित्रकूट

2- एस0पी0 पाण्डेय अभियन्ता जिला पंचायत चित्रकूट

3- महेश कुमार गुप्ता सहायक अभियन्ता जिला ग्राम विकास अभिकरण चित्रकूट।

खण्ड विकास अधिकारी रामनगर के पत्रांक 118 दिनांक 01-05-2015 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट को प्रेषित एवं पत्रांक 247 दिनांक 26.07.2016 पत्रांक 226 दिनांक 06.06.2016, पत्रांक 827 दिनांक 02.12.2015 द्वारा श्री सुरेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रों द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य अपूर्ण है।

अतः उक्त कार्य पर व्यय 1137794.00 रुपये अलाभकारी व्यय मानते हुये शासकीय धनराशि की क्षति पहुँचाई गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री एम0पी0 प्रजापति प्रमुख श्रीमती प्रभावती एवं सप्लायर श्रीकामता प्रसाद एवं प्रभारी/तकनीकी अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) उत्तरदायी है। मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट के आदेश से त्रिसदस्यीय टीम द्वारा जांच/सत्यापन के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया एवं लेखा परीक्षा समाप्ति तिथि तक भी उपरोक्त कार्य अपूर्ण पाया गया। अतः उक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय 1137794.00 रुपये शासकीय धन की क्षति मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों, अधिकारियों, ठेकेदार को उत्तरदायी मानते हुए विधिक कार्यवाही ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर-11 :- सांसद निधि मद में दिनांक 01.04.2011 को ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ 35 पर अनुदान मद में 535921.00 रु0 एवं सूद मद में 2068.00 रु0 (ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ 41 पर दर्शित) कुल 537989.00 रु0 अवशेष दर्शित था। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक सूद मद में कुल अर्जित आय 9328 एवं 01.04.2011 को अवशेष सूद 2068 कुल 11396 रु0 था। वर्ष 2011-12 में व्यय 444328 रु0 एवं 2012-13 में व्यय 16400 रुपये एवं 23.10.2012 को 50000 रु0 परियोजना निर्देशक चित्रकूट को वापस

किया गया है। वर्ष 2013-14 में व्यय शून्य रहा। इस प्रकार 31.03.2014 को इस मद में अनुदान मद के रूप में 25193 रु0 एवं सूद मद के रूप में 11396 रु0 अवशेष दर्शित था। शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार अर्जित सूद 11396 रु0 एवं अवशेष अनुदान 25193 रु0 शासन को वापस न कर अनियमित रूप से रोककर रखा गया है। जिसके लिये संस्था प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या -03

प्रस्तर-12 :-जिला पंचायत चित्रकूट के पत्र कार्यालय पत्रांक 661/जि0प0चि/2011-12 दिनांक 17 नवम्बर 2011 द्वारा ग्राम पंचायत लोधौरा बरेठी में प्रेम पाठक के खेत से बरेठी तक डब्लू बी0एम0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण स्वीकृति लागत 27.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में प्रथम किश्त के रूप में 24.30 लाख रुपये अवमुक्त किया गया।

कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा 13.09 लाख रुपये व्यय के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया और कार्यदायी संस्था के पास 11.21 लाख रुपये अवशेष के रूप में इलाहाबाद बैंक रामनगर के खाता संख्या-21505957551 में पड़ा हुआ है। जो लगभग 5-6 वर्षों से शासकीय धन को रोककर रखा गया है। बी0आर0जी0एफ0 योजना बन्द हो जाने के बाद भी इसे शासन को वापस नहीं किया गया।

मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चित्रकूट के पत्र संख्या-950 दिनांक 28 मार्च 2012 के आदेश का तत्कालीन एवं आगे के भी खण्ड विकास अधिकारी रामनगर द्वारा पालन न किया जाना तथा बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2847/33पी0एम0यू0/2011 परियोजना प्रबन्ध इकाई दिनांक 13 सितम्बर 2011 के क्रम में अप्रयुक्त अवशेष धनराशि 11.21 लाख रुपये को जिला पंचायत चित्रकूट को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या -07

प्रस्तर-13 :-क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विकास हेतु विभिन्न मद/योजनाओं से प्राप्त धन का एवं निश्चित प्रतिशत प्रासंगिक/प्रशासनिक मद में व्यय हेतु शासन के द्वारा निर्धारित होता है जिसे ग्रांट रजिस्टर में अलग रखने का प्राविधान है। शासनादेश और अलगांव के अभाव में इसे स्पष्ट नहीं किया जा सका।

क्षेत्र पंचायत रामनगर की लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 में पाया गया कि राज्य वित्त एवं 13वें वित्त मद में प्राप्त अनुदान की धनराशि जिसका उपयोग विकास मद में सुनिश्चित किया जाना था, का उपभोग प्रासंगिक/प्रशासनिक मद में किया गया था जो अनुदान रजिस्टर द्वितीय की जांच में निम्न प्रकार थे।

वर्ष	क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	कार्य विवरण	उत्तरदायी	
						बी0डी0ओ0	लेखाकार
2011-12	1	185961	09.12.11	13600	क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय विवरण	सर्व श्री एम0पी0प्रजापति	श्री मुन्नीलाल गुप्ता
	2	000097	15.02.12	9833	निविदा भुगतान आज प्रकाशन लि0 कानपुर	"	दीनेश चन्द्र गुप्ता
2012-13	3	002822	14.5.12	40400	अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत का मानदेय	"	"
	4	005782	2.2.13	11600	बी0डी0सी0 मेम्बरों का यात्रा भत्ता एवं मानदेय	"	फरीद अहमद
	5	002827	17.10.12	32000	दो नग बैट्री क्रय	"	"
	6	005783	30.3.13	2000	प्रिया साफ्ट फीडिंग वर्ष 11-12	"	"
	7	005784	30.3.13	10850	कम्प्यूटर कार्टेज/रिफिलिंग भुगतान	"	"
	8	005785	30.3.13	4057	ए0पी0ओ0 रामनगर सिद्धार्थ गुप्ता भुगतान	"	"
2013-14	9	008638	30.10.13	1000	प्रियासाफ्ट फीडिंग वर्ष 12-13	"	"
	10	001153	22.1.14	20000	बी0डी0ओ0 मेम्बरों के	प्रमोद कुमार	विष्णुकान्त

					यात्रा भत्ता		खरे
	11	001154	22.1.14	20000	बी0डी0सी0 मेम्बरो के मानदेय भत्ता	“	“
	12	007233	29.5.13	4572	वाई मैक्स बिल भुगतान ए0पी0ओ0 रामनगर	बेचनराम	फरीद अहमद
	13	007234	29.5.13	2600	एन्टी वाइरस/फाटैज रिफ्लिंग भुगतान	“	“
	14	007236	29.5.13	2810	स्टेशनरी का भुगतान	“	“
		योग		175322			

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुदान का उपभोग विकास कार्य में न कर प्रासंगिक/प्रशासनिक मद में कर तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी।

अतः रुपये 175322.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या –25

प्रस्तर-14 :-शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के बिन्दु (2) एवं पंचायतीराज अधिनियम 1947 एवं क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप, निर्धारित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत क्रमांक (2) के अनुसार, क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जाये एवं क्रमांक (6) के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय किया जाये।

किन्तु क्षेत्र पंचायत रामनगर में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में उक्त प्राविधान का उल्लंघन कर ग्राम स्तरीय निम्न कार्यों का अनुदान का व्यय दर्शाकर शासनादेशों का उल्लंघन करते हुये अनुदानित धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	कार्य का नाम	कुल व्यय धनराशि	मद का नाम
2011-12	1-बसिंगांव में शंकर प्रजापति के दरबाजे से सन्तोष गुप्ता तक नाली निर्माण	468450	13वें वित्त
	2-ग्राम पंचायत बसिंधा में छेदी सिंह के दरबाजे से आगे नाली निर्माण	326198	13वें वित्त
	3- बसिंगहा में दीनेश शुक्ला के घर से रामगोपाल के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	573935	13वें वित्त
2013-14	4- ग्राम पंचायत करौदीकला के मजरा कुई में भोला कुम्हार के घर से श्रीनाथ के घर तक सी.सी.पेवर ब्लाक निर्माण	1142140	राज्य वित्त
2013-14	करौंदी कला के मजरा कुई में सीताराम हरीजन के दरबाजे से बाबूलाल कुम्हार तक इण्टर लाकिंग व के0सी0सी0 हेतु	1027811	राज्य वित्त
योग-		3538534	

उपरोक्त कराये गये कार्यों में अनुदान की धनराशियों का अनियमित रूप से व्यय कर दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी एवं तकनीकी सहायक उत्तरदायी है। अतः दुरुपयोगिता धनराशि रुपये 3538534.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-26

प्रस्तर संख्या-15 तीर मऊ में महिमान केवट के घर से कमाना बाबा तालाब तक सी0सी0 रोड बनाने का कार्य प्रभारी श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव (जे0ई0) (एम0आई0) द्वारा किया गया है। जबकि सामग्री आपूर्ति का टेण्डर श्री कामता प्रसाद ठेकेदार को प्राप्त हुआ था। उक्त सम्पूर्ण कार्य मस्टररोल क्रमांक 831 से 836 व 839 से 841 द्वारा दिनांक 24-12-2011 से 25-02-2012 के माध्यम किया गया तथा सामग्री में आपूर्ति में दो ब्रिक प्रथम बिल संख्या 05 दिनांक 11.01.12 धनराशि रुपये 255160.00 द्वितीय बिल संख्या अंकित नहीं। दिनांक 23.12.2011 धनराशि 444165.00 जबकि तृतीय बिल संख्या-07 दिनांक 22.04.2012 धनराशि 2,74,602.00 तथा इस तृतीय बिल से व्यापार कर, आयकर व रायल्टी कटौती के उपरान्त रुपये 2,50,892.00 का भुगतान किया गया है। अर्थात् उक्त तृतीय बिल का सामग्री प्राप्त होने के बाद कोई मिस्ट्री व

राजगीर लगाकर कार्य नहीं कराया गया है। निर्माण कार्य पत्रावली में एम0बी0 व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया और न ही संस्था पर स्टाक रजिस्टर ही बनाया गया है उक्त बिल संख्या-07 दिनांक 22.04.2012 धनराशि रू0 274602.00 (भुगतानित धनराशि रू0 250892.00) पूर्णतः फर्जी है। अतः रुपये 2,50,892.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतान प्राप्तकर्ता व चेक निर्गतकर्ता से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-13

प्रस्तर संख्या-16 तीर मऊ में महिमान केवट के घर से कमाना बाबा तालाब तक सी0सी0 रोड निर्माण कराने में मस्टररोल संख्या-764,765 व 766 द्वारा कुल श्रुजित मानव दिवस 326 दिवस x 120.00 रुपये श्रमिक तथा 70 दिन x 200.00 कुशल श्रमिक द्वारा कार्य किया गया। कुल धनराशि रुपये (39120+14000=53120.00 रुपये) का भुगतान किया गया। जबकि शर्तों के अनुसार श्रमिक के प्रतिदिन की मजदूरी रुपये 100.00 निर्धारित था। इस प्रकार 326 दिन x 20.00=6520.00 का अधिक भुगतान दर्शित कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। अतः रुपये 6520.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जे0ई0 से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-16

प्रस्तर संख्या-17 सांसद निधि से ग्राम अतरसुई में मजरा गोबरौल में खडन्जा निर्माण पर वर्ष 2011-12 में 105000.00 का भुगतान दर्शित है जबकि इस व्यय के सापेक्ष कुल रुपये 64606.00 (सामग्री पर 52856.00, श्रमांश-11750.00) के ही व्यय प्रमाणक संलग्न है। सामग्री क्रय से सम्बन्धित बाउचर (बिल संख्या-136 दिनांक 02.10.2011 फर्म- कौशल किशोर पाण्डेय) में रायल्टी/व्यापारकर/आयकर इत्यादि कोई कटौती नहीं की गयी है। यह बाउचर न तो किसी अधिकारी द्वारा पास किया गया है और न ही इस पर पेड एण्ड कैसिल ही अंकित है। इस बाउचर का भुगतान सम्बन्धित फर्म को न कर कार्य प्रभारी श्री बृजबिहारी ग्राम पंचायत अधिकारी को किया गया है।

पुनः इस कार्य पर मजदूरी के मद में 11750.00 का व्यय दर्शित है इसके सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोल (संख्या-670) पर किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान भी नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह सम्पूर्ण भुगतान रुपये 105000.00 अनियमित है। इस लिये श्री बृज बिहारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) तथा श्री डी0पी0दोहरे (खण्ड विकास अधिकारी) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-19

प्रस्तर संख्या-18 सांसद निधि के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में लौरी मजरा तथा रगौली में खडन्जा निर्माण पर मजदूरी के मद पर क्रमशः 7500.00 रुपये तथा 8900.00 रुपये का (कुल 16400.00) भुगतान दर्शित है। परन्तु इससे सम्बन्धित मस्टररोल संख्या-686 तथा 680 पर किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान नहीं है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी भी मजदूर को कोई भुगतान नहीं किया गया। उक्त भुगतान कार्य प्रभारी श्री बृज बिहारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) को किया गया है। ब्याज सहित वसूली की प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-21

विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2018-19
क्षेत्र पंचायत रामनगर
(2014-15 से 2016-17)

प्रस्तर-19 राज्य वित्त आयोग/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान खाते में 01.04.2015 को अवशेष अनुदान 1395272 रुपये था। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के मध्य इस मद में प्राप्त कुल अनुदान रुपये 1,18,80,000 कुल धनराशि रुपये 1,32,92,899 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल व्यय 1,28,19,033 रुपये के पश्चात् 31.03.2017 को अवशेष अनुदान रुपये 473866 रुपये संस्था के अभिलेखों/ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय में होना चाहिए।

ग्रान्ट रजिस्टर पार्ट (द्वितीय भाग 01.04.2015 से 31.03.2017 तक) के पृष्ठ 06 पर दिनांक 22.02.2017 को अवशेष अनुदान 669 रुपये दर्शित है। पुनः 28.02.2017 को ब्याज से आय 19366 एवं अनुदान से आय दिनांक 17.03.2017 को रुपये 1053250 के पश्चात् 31.03.2017 को अवशेष धनराशि 1073285 रुपये अंकित है।

अतः क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त के खाते में अर्जित सूद 317716 रुपये का व्यय कर लिया गया है जो शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 का उल्लंघन कर अर्जित सूद रुपये 317716 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र०	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त		वर्ष में व्यय(1.04.2015 से 28.02.2017 तक)	वर्षान्त में अवशेष
			अनुदान	अर्जित ब्याज		
1	2014-15	1679975	3644000	103405	3403881	2020499
2	2015-16	2020499	4023000	68543	2236853	3875189
3	2016-17	3875189	4213000 17627	145768	7178299	1073285
योग-			11897627	317716	12819033	

1- लेखा परीक्षा गणनानुसार दर्शित वर्षान्त (31.03.2017) में अवशेष- 1073285

2- बैंक पास बुक खाता संख्या सं०-50046686628 में 28.02.2017 को अवशेष- 86911

अन्तर (-) 986374

3- प्राप्त अनुदान बैंक द्वारा 17.03.2017 को समायोजन से प्राप्त बैंक में- 1053250

4- बैंक द्वारा 20.03.2017 को अनकैशचेक का भुगतान (-) 33750

5- (अनकैश चेक) 09.12.2016 को चेक नम्बर 004757 का भुगतान (-) 33126

योग- 986374

उक्त अनियमित भुगतान रुपये 317716 के लिये तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०पी० प्रजापति एवं तत्कालिक लेखाकार श्री प्रदीप कुमार माथुर उत्तरदायी रहे, जिन पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-03 :-

प्रस्तर-20 सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हेतु डी०सी०ओ० चित्रकूट के पत्रांक 356/11.09.2012 से प्राप्त धन रुपये 3000 का व्यय उपरान्त दिनांक 01.04.2015 को अवशेष धन 13436.00 रुपये एवं अवशेष सूद 960 रुपये कुल धन 14396 रुपये अवशेष ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ 14 पर दर्शित था। वर्ष 2014-15 में अर्जित सूद 581 रुपये वर्ष 2015-16 में अर्जित सूद 607 रुपये एवं 16-17 में अर्जित सूद 633 रुपये कुल अर्जित सूद 1881 रुपये उपरान्त 31.03.2017 को इस शीर्ष में अवशेष अनुदान 13436 रुपये एवं अर्जित सूद रुपये 2781 कुलधन 16217 रुपये इलाहाबाद बैंक रामनगर के खाता संख्या-50121624113 में दर्शित था। उक्त धन का समय से उपभोग न कर खाते में दिनांक 31.03.2017 तक रखकर शासन की मंशा के विपरीत कार्य किया। प्राप्त अनुदान खाते में अवशेष रखे जाने एवं ससमय वापस न किये जाने का दायित्व तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर सिंह एवं लेखाकार श्री प्रदीप माथुर का होता है। इसे तत्काल अनुदानदाता को वापस किया जाना आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-04 :-

प्रस्तर-21 दिनांक 31.03.2017 को पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के बैंक खाता इलाहाबाद बैंक रामनगर खाता संख्या-21505957551 में अवशेष अनुदान रुपये 131277 एवं अर्जित सूद 215768 रुपये कुल योग 1527945 रुपये दर्शित रहा। इस अवशेष अनुदान धनराशि में 1120891 रुपये ग्राम पंचायत

लोधौरा बरेठी में प्रेम पाठक के खेत से बरेठी तक डब्लू0बी0एम0 सम्पर्क मार्ग निर्माण के अवशेष कार्य की धनराशि पडी हुई है जिसे वापस किये जाने हेतु वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दर्शित कर दिया गया है। शेष अनुदान 1312177-1120891= रुपये 191286 एवं लेखा परीक्षा वर्ष दौरान अर्जित सूद 215768 रुपये कुल धनराशि रुपये 407054 जिला पंचायत चित्रकूट या शासन को अबिलम्ब वापस किया जाना चाहिए। क्योंकि उक्त योजना शासन द्वारा समाप्त की जा चुकी है, अन्यथा की स्थिति में अनियमित रूप से रोक रखने के कारण खण्ड विकास अधिकारी श्री एम0पी0 प्रजापति एवं लेखाकार श्री प्रदीप कुमार माथुर को उत्तरदायी मानते हुए विधिक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

मूल आपत्ति संख्या-12

प्रस्तर-22 प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर द्वितीय की जांच में तेरहवां वित्त आयोग से वर्ष 2014-15 में 7 सोलर लाईट निम्नांकित ग्राम पंचायतों में लगवाकर निम्न प्रकार भुगतानित दर्शित था-

अनुदान रजिस्टर का पृष्ठ संख्या/दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	सेलर लाईट लगाये जाने का कार्य स्थल	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया
24 / 30.03.2015	000216	19402	बरुवा में करुवाबाबा स्थान पर	एम/एम प्रकाश सोलर लाईट जी0टी0 रोड अजुहा कौशाम्बी
24 / 30.03.2015	000217	19402	इटवां में अहुलिहा में देवीजी पर	
24 / 30.03.2015	000219	19402	करौंदी तजरा कुई में अरुण के घर के पास	
24 / 30.03.2015	000220	19402	पिपरौध गणेश आश्रम पर	
24 / 30.03.2015	000221	58206	छीबों में 3 नग सोलर लाइट	
24 / 30.03.2015	000218	9086	टैक्स का भुगतान	
योग-		144900		

उक्त ग्राम पंचायतों/स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगी, पत्रावली में स्पष्ट वर्णित नहीं था। सोलर लाईट अधिष्ठापित होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्ड-ओवर की गयी और न ही स्टाक रजिस्टर में दर्ज की गयी।

अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट के कार्यरत (वर्किंग) में बनाये रखने हेतु किसी संस्था को हैण्डओवर (स्वामित्व का निर्धारण) किया जाना जरूरी था। जिससे भुगतानित धनराशि कर प्रमाणिकता की पुष्टि हो सके। अन्यथा की स्थिति में हैण्डओवर (स्वामित्व का निर्धारण) एवं स्टाक रजिस्टर/परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज न होने से स्ट्रीट लाईट के अपहरण की सम्भावना है अतः भुगतानित धनराशि 144900 रुपये के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री विवेक कुमार शुक्ला एवं लेखाकार श्री विष्णुकान्त खरे उत्तरदायी है। अतः उक्त से ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-06**

प्रस्तर-23 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2016-17 में प्राप्त अनुदान 4213000 रुपये गार्ड लाइन अनुसार 50 प्रतिशत मरम्मत/अनुरक्षक पर व्यय किया जाना के सापेक्ष निम्न कार्य कराकर अनुदान रजिस्टर द्वितीय से भुगतान दर्शित था। भुगतान धनराशि की पुष्टि प्रस्तुत पत्रावली से होती है। विवरण निम्नवत् रहा-

क्र0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय धनराशि	कार्य की स्थिति
1	विकासखण्ड परिसर में रिकार्ड रूप निर्माण	5.00	499862	पूर्ण
2	विकासखण्ड परिसर में टाइप-टू आवास मरम्मत	5.00	398315	पूर्ण
3	खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत	4.00	375352	पूर्ण
4	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय मरम्मत	1.50	127995	पूर्ण
5	विकासखण्ड परिसर में गेट व बाउण्ड्रीवाल निर्माण	4.18	48733	अपूर्ण
योग-		19.68	1450257	

कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक 925 दिनांक 30.07.2016 में 50 प्रतिशत अंश से मरम्मत/ अनुरक्षण कार्य हेतु स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नवत् था-

क्र0	कार्ययोजना में उल्लिखित कार्य का क्रमांक	कार्य का नाम
1	1	विकास खण्ड में एस0के0डब्लू (किलोवाट) का सोलर पैनल
2	2	विकास खण्ड में रिसोर्स सेन्टर की रंगाई, पुताई, बिजली, फर्नीचर आदि।
3	3	साधन सहकारी समिति मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण

4	4	श्रामनगर में ब्लाक परिसर में बाउण्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण
5	10	पशु चिकित्सालय की मरम्मत

क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा उपरोक्त कराये गये कार्यों में से क्रमांक 5 पर कराया गया कार्य अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत कार्यों में से पाया गया। शेष सभी कार्य जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत कार्य योजना में वर्णित कार्यों में से नहीं पाये गये। जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाईड लाइन एवं शासनादेश संख्या-1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार कार्य न कराकर क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा स्वीकृत धनराशि 15.50 लाख रुपये में से वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय धनराशि रुपये 1401524 अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार सोनी, श्री एम0पी0 प्रजापति एवं श्री शेर बहादुर सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्री बाल मुकुन्द पाण्डेय उत्तरदायी है। जिनके प्रति ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही आवश्यक है।

मूल आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर-24 शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये तथा शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत सर्वमित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। परन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत रामनगर जनपद चित्रकूट द्वारा निम्नवत् ऐसे कार्य कराये गये जो एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे।

क्र०	वर्ष	कार्य का विवरण	प्रयुक्त धनराशि	अभियुक्ति
1	14-15	करौंदी मजरा कुई में शिवमूरत पाठक से चुन्ना हरिजन तक इण्टर लाकिंग	971550	
2	15-16	पराको में रामप्रकाश से रामलखन मिश्रा के घर तक सी0सी0 ब्लाक निर्माण	862344	
3	16-17	हन्ना विनैका में मेन रोड से विनैका बाबा मन्दिर तक डब्लू बी0एम0	840771	
योग-			2674665	

शासनादेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत उक्त कराये गये कार्य अनियमित हैं। पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में कार्यों के डुप्लीकेसी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस तथ्य की तरफ शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में भी उल्लेख किया गया है। शासनादेशों की व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री विवके कुमार शुक्ला एवं श्री एम0पी0 प्रजापति तथा प्रमुख श्री जय प्रकाश पाण्डेय एवं श्री बाल मुकुन्द पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः अनियमित रूप से दुरुपयोगित धनराशि रुपये 2674665.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त के प्रति वैधानिक कार्यवाही सहित अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-14

क्षेत्र पंचायत पहाड़ी

आपत्ति-पत्र

2011-12 से 2013-14

प्रस्तर संख्या-25 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर आपूर्ति कर्ता से जमानत की धनराशि उनके बिल से काटी गयी आयकर, व्यापारकर एवं रायल्टी की धनराशि टेंडर बिक्री से प्राप्त धनराशि एवं प्रशिक्षण आदि जिला मुख्यालय से प्राप्त विभिन्न मदों की धनराशि का लेखा अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या-66 व 77 पर कर समस्त धनराशि इलाहाबाद बैंक पहाड़ी में खाता संख्या-21499574174 में रखकर उससे आहरित/हस्तान्तरित करते हुये सम्बन्धित पक्षों को भुगतानित की जाती है। उक्त की जांच में पाया गया कि दिनांक 25.03.2013 को चेक संख्या-004275 से रु० 128368.00 का आहरण किया गया था, जिसका लेखा अनुदान रजिस्टर द्वितीय में नहीं किया गया था, न ही लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि

रु0 128368.00 के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि उक्त धन को किस मद में व्यय किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आहरित धन रु0 128368.00 का तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार (एन0आर0ई0पी0) दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार सोनी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता दोनों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर संख्या-26 अनुदान रजिस्टर 3 के पृष्ठ संख्या-37 पर दर्शित बैंक खातों के अवशेष दिनांक 01.04.2011 को प्रारम्भिक अवशेष प्राप्त हेतु की जांच खाता संख्या-27186/21499574174 में अवशेष धनराशि रु0 1472134.00 जो बैंक समाधान विवरण पत्र से रु0 40.00 अधिक था तथा उक्त खाते से पूर्व में दिनांक 11.06.2010 को चेक संख्या-730151 से रु0 105230.00 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण हेतु देय चेक अनकैश दर्शित था। उक्त अनकैश चेक संख्या-730151 रु0 105230.00 दिनांक 26.04.2011 को खाता संख्या-21499574174 इलाहाबाद बैंक पहाड़ी से भुगतानिक धनराशि संस्था द्वारा निर्गत चेक दिनांक से 318 दिन आर0बी0आई0 की गाइडलाइन के अनुसार निर्गत चेक निर्गत तिथि से 180 दिन बाद स्वतः निरस्त माने जायेंगे। बैंक शाखा द्वारा देय एवं संस्था (क्षे0पं0) द्वारा प्राप्त धन अपहरित प्रतीत होती है। उक्त धन के अपहरण हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार है। अतः रु0 105230.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामललक एवं तत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश करवरिया से ब्याज सहित अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-11

प्रस्तर संख्या-27 आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में मनरेगा की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत सिकरीसानी (कांटी) में श्रीमती श्यामादेवी पत्नी श्री रमेश के खेत के पास सेमराडी नाला में चेकडैम निर्माण की मलदूरी दिनांक 08.08.2011 को चेक संख्या-737456 से रु0 178110.00 का भुगतान ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या-41 पर दर्शित है जो दिनांक 11.08.2011 को इलाहाबाद बैंक पहाड़ी खाता संख्या-50051831772 से आहरित किया गया। उक्त धन की पुष्टि में पत्रावली में सम्बन्धित मस्टर रोल एवं भुगतान सम्बन्धित लेखाकार की टिप्पणी अंकित नहीं थी। मस्टररोल के अभाव में भुगतान की पुष्टि न हो सकी। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। अतः रु0 178110.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी तकनीकी प्रभारी श्री ए0क्यू0 सिद्दीकी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामललक एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती शकुन्तला देवी चारों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-12

प्रस्तर संख्या-28 अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या-39,40,41 व 42 पर मनरेगा मद से कराये गये कार्यों पर श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	दिनांक	चेक संख्या	भुगतानित धनराशि	एम0आर0क्र मांक	कार्यप्रभारी	तकनीकी प्रभारी	ख0वि0 अधि0	ब्लाक प्रमुख	कार्य का विवरण
1	11.5.11	734954	52680	18301 से 04	श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी	श्री ए0क्यू0 सिद्दीकी जे0ई0	श्री रामललक	श्री मनोज सिंह	अशोह ग्रा0पं0 मे करवाडी नाला में यादव पुरवा के पास चेकडैम नि0
2	22.6.11	734964	319800	17816 से 25 एवं 20353 से 64	"	"	"	श्रीमती शकुन्तला देवी	सेमरदहा नहर से सिकरी तक सं0मा0नि0।
3	20.7.11	734971	86040	20365 से 70 तक	"	"	"	"	"
4	7.2.12	737473	93240	20371 से 78 तक	"	"	"	"	"
5	3.3.12	00787	110520	17359 से 67 तक	"	"	श्री बेचनराम	"	ग्रा0पं0 बाबूपुर में जरिहा मेन रोड से जौहरी के खेत तक डब्लू बी0एम0 रोड
6	3.6.11	734962	151920	17959 से 69 व 71	"	"	श्री रामललक	"	ग्राम पंचायत सिकरीसानी

									(कांटी) में श्यामा देवी के खेत के पास सेमराडी नाला में चेकडैम निर्माण
7	8.8.11	737455	134160	18067,71, 73, 18075,72, 69,76 74,77,70 व 17970 व 72	..	..		..	
8	18.4.11	734953	108840	17998 से 1807 तक	..	..	..	श्री मनोज सिंह	पडुवा नाला नांदी में चेकडैम नि0
9	21.7.11	734975	13440	21439	..	..	..	श्रीमती शकुन्तला देवी	..
10	21.7.11	734974	13440	18012	..	..	..	..	..
11	21.7.11	737106	6720	21442	..	..	..	..	..
12	21.7.11	734973	6720 170760	21442 18008 से 11, 13 से 15, 21440, 41, 18016 व 18017	..	..	..	..	..
13	21.7.11	737905 738906 738907	5920 26880 10080	18078,79 व 80	..	..	..	..	..
14	1.09.11	737459	118440	21443, 45,46,48, 49, 50, 52, 53	..	..	..	..	..
15	30.5.11	734956	29520	18968 व 67	श्री अनिल कुमार सिंह	ए0क्यू0 सिद्धी जे0ई0	..	..	ग्राम पंचायत छेरिहा खुर्द में पडुवी नाले में चेकडैम नि0
16	8.8.11	737457	20400	17784 व 85	श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी	..	..	श्रीमती शकुन्तला देवी	तिवारी पुरवा से कुसेली सम्पर्क मार्ग (डब्लूबी0एम0) निर्माण
17	23.7.11	737454	321480	21455 से 63 तक 21465 से 76 तक	..	श्री अमित कुमार चतुर्वेदी	..	..	ग्राम पंचायत गढवारा में बाबा तालाब खुदाई
18	24.6.11	734965	35280	20393 से 20398 तक	श्री अनिल कुमार सिंह	ए0क्यू0 सिद्धी जे0ई0	..	..	कपना बालापुर स0मा0नि0
19	24.6.11	734966	54840	20398 तक	..	..	..	..	
20	14.10.	737464	40320	13507 से	..	..	..	श्रीमती शकुन्तला	बालापुर

	11	737465	12480	13510 तक				देवी	श्रमदान से आनन्दपुर तक स0मा0निर्माण
21	1.6.11	734961	199920	19703 से 17 तक	श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी	जे0पी0या दव जेई0	..	..	ग्राम पंचायत पहाडी में देवपारी तालाब खुदाई
22	11.7.11	734969	202920	19718 से 32 तक			..	..	
24	9.8.11	737458	152400	14786 से 92 तक	श्री अनिल कुमार सिंह	श्री गिरीश कुमार जेई0	..		ग्राम पंचायत लोहदा में बन्धी निर्माण / मरम्मत कोटवाल निर्माण एवं स्पिलवे का निर्माण
योग--			2499160						..
									..

उपरोक्त की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

- 1—सम्बन्धित मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं थे। उक्त कालम पूर्णतः रिक्त था।
- 2—मस्टररोलों पर मनरेगा गाइड लाइन के निरीक्षण कर्ता की आख्या अंकित नहीं थी।
- 3—मस्टररोल तकनीकी सहायक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।
- 4—मस्टररोल पर खण्ड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख द्वारा प्रमाणित व भुगतानित दर्शित थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मस्टररोलों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान न रहते हुए भी मस्टररोलो पर दर्शित धनराशि का भुगतान किया गया, जो यह प्रतीत नहीं होता है कि मस्टररोलो की धनराशि का भुगतान वास्तव में उसी कार्य एवं उन्ही श्रमिकों को किया। स्पष्ट है कि किया गया भुगतान उपरोक्त उल्लिखित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपहरित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त धनराशि के सम्मुख अंकित नामों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या—14

प्रस्तर संख्या—29 लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या—13 पर ग्राम पंचायत मनरेगा शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2011 (01.01.2011 से) को रू0 (-) 2253740.00 दर्शित था, जिसे क्षेत्र पंचायत मनरेगा शीर्षक से जो अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या—35 पर दिनांक 15.12.2011 को समायोजन कर उपभोग किया गया की पुष्टि में समायोजन की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से किया गया समायोजन रू0 2253740 दुरुपयोग प्रतीत होता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार ओमप्रकाश करवरियां, तत्कालीन चेक प्राप्तकर्ता (कार्यप्रभारी) तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामललक एवं तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शकुन्तला देवी जिम्मेदार हैं। अतः चारों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या—15

प्रस्तर संख्या—30 लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर 3 की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2011/01.04.2011 को 12वें वित्त आयोग के मद से निर्गत धन रू0 60400 चेक संख्या—985290 अनकैशड चेक के रूप में दर्शित था, जो दिनांक 08.02.2010 को निर्गत किया गया था दिनांक 31.03.2013 तक अनकैशड चेक के रूप चली आ रही थी। उक्त चेक को आर0बी0आई0 की गाइड लाइन के अनुसार 180 दिन बाद स्वतः निरस्त करते हुए लेखाकार को दूसरा चेक जारी करना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। अतः उक्त धन रू0 60400 का लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार ओमप्रकाश करवरिया एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामललक से ब्याज सहित अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या—16

प्रस्तर संख्या—31 :- लेखा परीक्षा में मनरेगा की जांच में पाया गया कि अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 33,34,35,36,39,40,41 व 42 पर निम्नविवरणानुसार भुगतानित धनराशि दर्शित थी—

क्र० सं०	दिनांक	चेक संख्या	सामग्री धनराशि	श्रमांशग धनराशि	कार्यप्रभारी	लेखाकार	ख०वि० अधि०	ब्लाक प्रमुख	कार्य का विवरण
1	2.6.11	734959		192000		श्री ओम प्रकाश करवरिया	श्री रामलल क	श्रीमती शकुन्तला देवी	पटवरिया से कलवलिया तक डब्लू०बी०एम०
2	8.6.11	732783	383299			"	"	"	"
3	20.8.11	737457		20400		"	"	"	"
4	2.1.12	738912	38000 (रोलर)			"	"	"	"
5	14.01.12	738921		173280		"	"	"	"
6	14.11.12	737124	90995			"	"	"	अशोह में खडण्जा निर्माण
7	9.1.12	738912	209791			"	"	"	ग्रा०प० कलवलिया में यादव पुरवा तक डब्लू०बी०एम०नि०
8	10.4.12	000526	615391			"	"	"	"
9	3.6.11	734955		72360		"	"	"	रामकृष्ण के खेत के पास चेकडैम निर्माण
10	3.4.12	000523	456140			"	"	"	"
11	4.4.12	000525	24265			"	"	"	"
12	21.6.11	734963		100800		"	"	"	भुईहरी माफी मोड से स०मा० नि०
13	2.8.11	734970		37740		"	"	"	रोड से तिवारी के घर तक खडण्जा निर्माण
योग—			1817881	596580		"	"	"	"

कुल धनराशि 1817881+596580=2414461.00 उपरोक्त धनराशि की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से किया गया भुगतान काल्पनिक/फर्जी/संदिग्ध है। जिसके लिए उपरोक्त विवरणानुसार धनराशियों के सम्मुख नाम वाले कर्मचारी/अधिकारी समान रूप से जिम्मेदार है। अतः उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी/जन प्रतिनिधि ब्लाक प्रमुख तीनों से समान रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-17

प्रस्तर संख्या-32 :-लेखा परीक्षा में मनरेगा की जांच में पाया कि अनुदान रजि० द्वितीय के पृष्ठ संख्या-35 पर सामग्री की आपूर्ति रु० 149575 व पृष्ठ संख्या-40 पर रु० 249814 की कुल रु० 399389 की सामग्री की आपूर्ति मनरेगा से भुगतानित थी। जबकि सामग्री की आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्माण स्थल पर पूर्ण सामग्री की आपूर्ति न कर बीच में ही सामग्री की आपूर्ति बंदकर दी गयी, जिससे निर्मित निर्माण कार्य अपूर्ण एवं अलाभकारी रह गया के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी/कार्य प्रभारी द्वारा कोई आख्या भी अंकित नहीं थी। अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी। इस प्रकार बिना कार्यवाही किये एवं निर्मित निर्माण कार्य पूर्ण कराये बिना ही मनरेगा मद में अवशेष धनराशि रु० 552830.00 शासन को वापस कर निर्मित निर्माण पर भुगतानित धनराशि रु० 399389 का अलाभकारी लाभ आपूर्तिकर्ता को दिया गया। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी रहे। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामललक तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती शकुन्तला देवी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-18

प्रस्तर संख्या-33 :-लेखा परीक्षा में मनरेगा की जांच में पाया गया कि अनुदान रजि० 2 के पृष्ठ संख्या-3 पर सामग्री आपूर्ति मय जमानत कटौती टैक्स आदि के रु० 634726 की दर्शित थी जो मनरेगा

मद से भुगतानित थी एवं बिल संख्या-1/45 दिनांक 25.05.2011 में 719394.21 का पत्रावली में सामग्री आपूर्ति का संलग्नक था जिसका भुगतान नहीं किया गया था। जबकि सामग्री की आपूर्ति हेतु रू0 1724350 का टेण्डर स्वीकृत था। अतः भुगतानित धनराशि 634726 की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली "ग्राम पंचायत पचोखर में डब्लू0 बी0एम0 रोड निर्माण" की जांच में पाया गया कि सामग्री आपूर्ति कर्ता द्वारा निर्माण स्थल पर पूर्ण सामग्री की आपूर्ति न कर बीच में ही सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी गयी। जिससे निर्मित निर्माण कार्य अपूर्ण एवं अलाभकारी रह गया के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी/कार्य प्रभारी द्वारा कोई आख्या भी अंकित नहीं थी। अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु सामग्री आपूर्ति कर्ता से सामग्री आपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी। इस प्रकार बिना कार्यवाही किये एवं निर्मित निर्माण कार्य पूर्ण कराये बिना ही मनरेगा मद में अवशेष धनराशि रू0 552830.00 शासन को वापस कर निर्मित निर्माण कार्य पूर्ण कराये बिना ही मनरेगा मद में अवशेष धनराशि रू0 552830.00 शासन को वापस कर निर्मित निर्माण पर भुगतानित सामग्री की धनराशि रू0 634726 के साथ श्रमांश पर व्यय धनराशि रू0 160560 कुल रू0 795286 अलाभकारी व्यय रहा, जो दुरुपयोग है जिसकी सामग्री हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार एवं श्रमांश हेतु उक्त व्यक्तियों साथ ही साथ कार्य प्रभारी एवं तकनीकी प्रभारी पूर्णरूप से उत्तरदायी है। अतः रू0 5634726 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रामललक, लेखाकार श्री ओमप्रकाश रिवरिया, ब्लाक प्रमुख श्रीमती शकुन्तला देवी श्रमांश रू0 160560 की वसूली उक्त व्यक्ति के साथ ही कार्य प्रभारी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी एवं तकनीकी प्रभारी श्री ए0क्यू0 सिद्दीकीजे0ई0 की वसूली उक्त व्यक्ति के साथ ही कार्य प्रभारी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी एवं तकनीकी प्रभारी श्री ए0क्यू0 सिद्दीकी जे0ई0 से भी ब्याज सहित अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-19

प्रस्तर संख्या-34 लेखा परीक्षा में मनरेगा की जांच में पाया गया कि अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या-33,39,40,42 पर सामग्री (33,42) की आपूर्ति मय जमानत+टैक्स आदि के रू0 716636 की गयी दर्शित था, जो मनरेगा मद से भुगतानित थी। जबकि सामग्री की आपूर्ति हेतु रू0 926443 का टेण्डर स्वीकृत था। अतः भुगतानित धनराशि रू0 716636 की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली "ग्राम पंचायत सरधुवा में बेनाडी नाला में चेकडैम निर्माण" की जांच में पाया गया कि सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्माण स्थल पर पूर्ण सामग्री की आपूर्ति न कर बीच में ही सामग्री की आपूर्ति बन्द कर दी गयी। जिससे निर्मित निर्माण कार्य अपूर्ण एवं अलाभकारी रहा के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी/कार्य प्रभारी द्वारा कोई आख्या भी अंकित नहीं थी। अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु सामग्री आपूर्ति कर्ता से सामग्री आपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी। इस प्रकार बिना कार्यवाही किये एवं निर्मित निर्माण कार्य पूर्ण कराये बिना ही मनरेगा मद में अवशेष धनराशि रू0 552830.00 शासन को वापस कर निर्मित निर्माण पर भुगतानित सामग्री की धनराशि रू0 716636 के साथ ही साथ श्रमांश पर व्यय धनराशि रू0 142080 कुल धनराशि रू0 858716 दुरुपयोगित एवं अलाभकारी रहा। जिसकी सामग्री हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार एवं श्रमांश हेतु उक्त व्यक्तियों के साथ ही साथ कार्य प्रभारी एवं तकनीकी प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अतः रू0 716636 की वसूली एवं विकास खण्ड अधिकारी श्री रामललक, लेखोर श्री ओम प्रकाश करवरिया एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती शकुन्तला देवी एवं श्रमांश रू0 142080 की वसूली उक्त व्यक्तियों के साथ ही कार्य प्रभारी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी एवं तकनीकी प्रभारी श्री ए0क्यू0 सिद्दीकी से भी ब्याज सहित अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-20

क्षेत्र पंचायत पहाडी

आपत्ति- पत्र

2014-15 से 2016-17

प्रस्तर संख्या-35 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि दिनांक 9.3.2015 को चेक संख्या-017179 मु0 14760.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला ए0डी0ओ0(आ0एस0बी0) को बी0डी0ओ0 आवास की फर्श एवं टाइल्स आदि की मस्टररोल का भुगतान दर्शित, की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न मस्टररोल संख्या-162 दिनांक 24.1.2015 से 3.2.2015 तक कुल 9 मजदूरों द्वारा कार्य कराकर 78 मानव दिवस का भुगतान रू0 14760.00 से सम्बन्धित मस्टररोल पर कार्य प्रभारी, निरीक्षण कर्ता, भुगतानकर्ता, वि0ख0अधि0 तथा ब्लाक प्रमुख द्वारा प्रमाणित नहीं था, जिससे अप्रमाणित मस्टररोल

पर दर्शित धन रु0 14760.00 का भुगतान अपहरित है। जिसके लिये उक्त कर्मचारी जिम्मेदार है। अतः रु0 14760.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री राकेशचन्द्र शुक्ला ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) तकनीकी प्रभारी श्री ए0क्यू0 सिद्धीकी लेखाकार श्री प्रदीप कुमार माथुर वि0ख0अधि0 श्री श्रीकान्त त्रिपाठी एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी पर वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर संख्या-36 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि दिनांक 15.06.2015 को चेक संख्या-016683 मु0 149086.00 के मस्टररोलों का भुगतान कार्य प्रभारी श्री भूपेन्द्र द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी को किया गया कि पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली की जांच में किये भुगतान से सम्बन्धित श्रमिकों के मस्टररोल ग्राम पंचायत सुरसेन में कल्लू मेहतर के घर से एस0सी0 बस्ती होते हुए आसू गौतम के मकान तक सी0सी0 पेवर ब्लाक रोड निर्माण के प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे भुगतानित धनराशि रु0 149086.00 को फर्जी दर्शाकर श्री भूपेन्द्र द्विवेदी द्वारा अपहरित किया गया। अतः रुपये 149086.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु श्री भूपेन्द्र द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी पर वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर संख्या-37 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.2015 को चेक संख्या-019613 रु0 109564.00 के मस्टररोलों का भुगतान कार्य प्रभारी श्री भूपेन्द्र द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी को किया गया कि पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली की जांच में किये गये भुगतान से सम्बन्धित श्रमिकों के मस्टररोल ग्राम पंचायत नैनी में "रामभरोस विश्वकर्मा के घर में प्रेमलाल गौतम के घर तक सी0सी0 पेवर ब्लाक 350 मीटर रोड निर्माण" के प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे भुगतानित धनराशि रु0 109564.00 को फर्जी दर्शाकर कार्य प्रभारी श्री भूपेन्द्र द्विवेदी द्वारा अपहरित किया गया। अतः रुपये 109564.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु श्री भूपेन्द्र द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी पर वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर संख्या 38 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 में निम्न तिथियों को ग्राम पंचायत नैनी में सी0सी0 पेवर ब्लाक रोड निर्माण पर भुगतान दर्शित था।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
31.03.2015	019610	504837.00	सामग्री क्रय
15.06.2015	016179	403935.00	सामग्री क्रय
04.02.2017	3413	6154.00	समग्री क्रय
31.03.2015	019613	109564.00	श्रमांश
04.02.2017	3417	17923.00	श्रमांश

उपरोक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली ग्राम पंचायत नैनी में "रामभरोस विश्वकर्मा के घर से प्रेमलाल गौतम के घर तक सी0सी0 पेवर ब्लाक रोड निर्माण 350 मी0 जिसका प्राक्कलन धनराशि रु0 14.97 लाख स्वीकृत पर जयराज सिंह ठेकेदार कि निविदा स्वीकृत कर सामग्री आपूर्ति करायी गयी के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्र पंचायत में निम्न विवरणानुसार बिल प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत बिलों से निम्नानुसार कटौती के पश्चात् उपरोक्त सामग्री की धनराशि का भुगतान किया गया।

बिल संख्या/ दिनांक	धनराशि	व्यापारकर	आयकर	रायल्टी	जमानत	शुद्ध देय
61/18.12.14	521512	20860	11838	17567	112414	358833
68/08.02.15	159315	6373	3616	3312	—	+146004=504837
81/30.04.15	430956	17238	9783	—	—	403935
98/05.07.15	10524	734	416	3220	—	6154
योग—	1122307	45205	25653	24099	112414	914926
04.02.17 श्रमांश	17923	—	—	—	—	17923
कुल योग	1140230					932849

पत्रावली की जांच में पाया गया कि कराये जाने वाला कार्य 350 मी0 था जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा पूर्ण न कराकर मात्र 290 मी0 ही कार्य कराया गया। स्पष्ट है कि कार्य योजना में सम्मिलित एवं स्वीकृत कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा पूर्ण न कराकर रु0 1140230.00 का अलाभकारी कार्य कर धन का दुरुपयोग किया गया। कार्य प्रभारी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी द्वारा निर्माण स्थल पर प्राप्त सामग्री का उपभोग किया गया। उक्त धन के दुरुपयोगित होने हेतु तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी रहे। अतः रु0 1140230.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्कालीन

खण्ड विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार शुक्ला व श्री श्रीकान्त त्रिपाठी तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी व श्रीमती रेखा देवी पर अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर संख्या-39 लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत की ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट सोलर लाइटों को अधिष्ठापित किया गया था। अनुदान रजिस्टर 2 में दर्शित भुगतानित धनराशि की जांच में निम्न विवरणानुसार स्ट्रीट सोलर लाइट आपूर्तिकर्ता द्वारा ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित कराया गया। आपूर्तिकर्ता में 0 कीरत ट्रेडर्स और जनरल आर्डर सप्लायर्स गोण्डा।

तिथि	चेक संख्या	धनराशि	कटौतियाँ				शुद्ध देय	ग्रा0पं0	आपूर्तिकर्ता
			व्यापार कर	आयकर	रायल्टी	जमानत राशि			
24.12.14 / 9.15	017161	335750	13430	7622	—	—	314698	7 ग्रा0पं0 / 17	मे0 कीरत ट्रेडर्स और जनरल आर्डर सप्लायर्स गोण्डा
20.3.15	019607	58065	2323	1318	—	—	54424	3 स्थान	
26.8.15	016854	869000	34760	19726	—	160000	654514	/ 44 स्थान	
3.10.15	016858	1066500	42660	24210	—	—	999630	/ 54 स्थान	
17.11.14	0013783	1007250	40290	22865	—	76725	867370	17 ग्रा0पं0 / 51 स्थान	
24.12.14	0013791	1283750 + 296250	51350 11850	29141 6725	— —	147500 —	1055759 277675	38 ग्रा0पं0 / 80 स्थान	एम0एस0 ओम ट्रेडर्स पहाडी, चित्रकूट
03.08.16	0003	1985000	79400	45060	—	160000	1700540	/ 100 स्थान	
योग		6901565	276063	156667	—	544225	5924610	—	—

उपरोक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित स्ट्रीट सोलर लाइटें राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग से की गयी है। उक्त की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित की गयी स्ट्रीट सोलर लाइट के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका कितना स्वामित्व होगा का पत्रावली में स्पष्ट उल्लेख नहीं था, क्योंकि अधिष्ठापित पूर्ण होने पर न तो किसी संस्था को हैण्डओवर की गयी न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गयी। अधिष्ठापित सोलर लाइटों की वास्तविकता की पुष्टि सम्बन्धी संस्था (जिसमें स्वामित्व से सम्पत्ति है) को हस्तान्तरित एवं परिसम्पत्ति पंजिका में पृविष्टि करायी जानी चाहिये थी। जिससे उनकी रख-रखाव की जिम्मेदारी एवं चालू हालत (वर्किंग) में बनी रहने की स्थिति स्पष्ट हो एवं जिससे मरम्मत में किये गये व्यय की उपयोगिता की पुष्टि हो सके। इस प्रकार स्ट्रीट सोलर लाइटों को हस्तान्तरित न किया जाना एवं परिसम्पत्ति पंजिका में उन्हे न दर्शाया जाना उन पर किया गया व्यय अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार शुक्ला एवं श्री श्रीकान्त त्रिपाठी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी एवं श्रीमती रेखा यादव उत्तरदायी है। अतः कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों से वैधानिक कार्यवाही सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर संख्या-40 लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2017 को सांसद निधि एवं समाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना खातों में निम्नानुसार धनराशि अवशेष/अप्रयुक्त/अवरुद्ध दर्शित थी। विवरण निम्नानुसार है—

मद	बैंक/खाता संख्या	31.03.2014 प्रा0 अवशेष	व्यय				31.03.17 को अन्तिम अवशेष
			2014-15	14-15	15-16	16-17	
सांसद निधि	इला0बैंक पहाडी 21499551996	235570	69145	9125	7112	7417	190079
समाजिक+आर्थिक जाति जन0	इला0बैंक पहाडी 50125164603	17115	6350	673	464	483	12385

भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा किसी भी कार्यदायी संस्था को यदि क्षेत्रीय विकास कार्यो हेतु अनुदान दिया जाता है तो उस संस्था का यह दायित्व होता है कि प्राप्त धनराशि को उस वित्तीय वर्ष में कार्ययोजना बनाकर धन का उपभोग कर लिया जाये जिससे क्षेत्र में विकास कार्य होंगे साथ ही क्षेत्रीय

जनता को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने वाले रोजगार से वंचित होना पड़ेगा एवं बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि भी होगी।

अतः उपरोक्त अनुदान की धनराशि एवं ब्याज सहित रुपये 202464.00 दिनांक 31 मार्च 2017 तक अवशेष/अवरुद्ध रखा जाना या अनुदानदाता को वापिस न किया जाना आपत्तिजनक है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती रेखा यादव उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-09 :-

प्रस्तर संख्या-41 शासनादेश संख्या-ए 1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मार्च 2015 में यह व्यवस्था है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है जो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रा0वि0 एवं 13वें वित्त आयोगों की बैंक में जमा धनराशि पर निम्नानुसार ब्याज प्राप्त हुआ है।

मद	01.04.14 का प्रा0 अवशेष	वर्ष 14-15	वर्ष 15-16	वर्ष 2016-17	योग
रा0वि0/13वें वित्त	654454	795566	494282	543959	2488261

उपरोक्त अर्जित ब्याज कुल रु0 2488261.00 शासन को वापस न कर बैंक में खुल बचत खाता के अधीन रख कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महाराज प्रसाद प्रजापति श्री राकेश कुमार सोनी श्री विवेक कुमार शुक्ला श्री श्रीकान्त त्रिपाठी व वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर तथा तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप कुमार माथुर तथा वर्तमान लेखाकार श्री विष्णुकान्त खरे उत्तरदायी रहे। जिसके प्रति वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-11 :-

प्रस्तर संख्या-42 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत पनौटी के मजरा लोधन पुरवा में मेन रोड से बबुआ लोध के घर तक सी0सी0 पेवर ब्लाक रोड निर्माण पर निम्न भुगतान दर्शित था।

बिल सं0 दिनांक	धनराशि	कटौतियां				शुद्ध देय भुगतानित	चेक संख्या	दिनांक	दि0 चेक संख्या	श्रमांश व्यय धन0
		व्यापार कर	आयकर	रायल्टी	जमानत राशि					
70/10.2.15	406779	16271	9234	13296	79204	288774	019250	31.3.15	31.3.15/019253	19092
94/4.7.15 13/4.8.15	148012 491086	5920 20835	3360 11824	5267 12555	— —	133465 445872	003408	27.1.17	27.1.17/003406	42693

उपरोक्त धन की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में उक्त कार्य की लम्बाई 250 मी0 की स्वीकृत धन रु0 10.51 लाख में रु0 9.929 लाख सामग्री पर एवं 0.0581 लाख मजदूरी पर व्यय करना था के सापेक्ष क्षेत्र पंचायत पहाडी द्वारा सामग्री पर 1045877.00 एवं मजदूरी पर 61785.00 व्यय कर उपरोक्त कार्य पूर्ण किया गया। इस प्रकार प्राक्कलन धनराशि से सामग्री पर रु0 52977.00 व मजदूरी पर रु0 3685.00 कुल रु0 56662.00 अधिक व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। अतः रु0 56662.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकान्त त्रिपाठी व श्री शेरबहादुर तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी व श्रीमती रेखा देवी पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-12

प्रस्तर संख्या-43 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि "ग्राम पंचायत दरशेडा में ग्राम पंचायत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डब्लू0बी0एम0 रोड तक सी0सी0 पेवर ब्लाक रोड निर्माण" पर श्रमिकों को कार्य प्रभारी के माध्यम से निम्न भुगतान दर्शित था।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
15.06.2015	016697	108998
04.02.2017	003409	15982
योग-		124980

उपरोक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में उक्त कार्य 300 की जो रु0 12.629 लाख में कराये जाने हेतु स्वीकृत थी में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत पहाडी द्वारा प्राक्कलन दर्शित दूरी (लम्बाई) से 87 मी0 अधिक निर्माण कराया गया, जिसकी स्वीकृत अलग से प्राप्त पत्रावली में संलग्न नहीं थी।

इस प्रकार बिना स्वीकृत प्राप्त किये श्रम पर दर्शित प्राक्कलन धनराशि रु0 0.698 लाख से अधिक रु0 55180.00 व्यय कर कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुये धन को व्यय करने में अनियमितता की गयी है। जिसके लिये कार्य प्रभारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। अतः रु0 55180.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु कार्य प्रभारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कान्त त्रिपाठी व श्री शेर बहादुर तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी व श्रीमती रेखा देवी यादव पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-13 :-

प्रस्तर संख्या-44 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि दिनांक 04.02.2017 को चेक संख्या-3415 से सामग्री रु0 452510.00 एवं चेक संख्या-3414 से मजदूरी रुपये 52622.00 का भुगतान "भानपुर के मजरा लोधन पुरवा में सी0सी0 पेवर ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण" पर भुगतान दर्शित की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में उक्त कार्य 150 मी0 हेतु 5.90 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत थी, में सामग्री आपूर्ति के पश्चात् प्रस्तुत बिल में क्षेत्र पंचायत द्वारा कटौतियां करते हुये किया गया भुगतान निम्न प्रकार है।

बिल सं0 दिनांक	धनराशि	कटौतियां				शुद्ध देय
		व्यापार कर	आयकर	रायल्टी	जमानत राशि	
63 / 20.7.15	260483	10419	5913	10361	44480	189310
64 / 15.8.2015	290712	11629	6599	3893	—	268591

उपरोक्त आपूर्ति सामग्री की एम0बी0 पश्चात् गठित समिति द्वारा शुद्ध देय पर रफ कार्य दशाते हुए रु0 5391.00 की कटौती की गयी के पश्चात् क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 452510.00 का भुगतान आपूर्ति कर्ता को किया गया, जो प्राक्कलन में दर्शित सामग्री के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं की गयी। प्राक्कलन में सामग्री का विवरण व आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है।

स्वीकृत प्राक्कलन में दर्शित सामग्री					की गयी आपूर्ति सामग्री			
क्र0सं0	मद	मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि	अधिक
1	सीमेन्ट	220	290	63800	240	290	69600	5800
	बालू	30.34 घन मीटर	1571.70	47685.38	33.04	1571.70	51928.96	4244
	45-90 एम0एम0 स्टोन	50.50 घन मीटर	997.90	50393.95	51.99 घन मीटर	997.90	51791.01	1397
	20 एम0एम0	2.86 घन मीटर	1888.40	5400.82	3.10 घन मीटर	1888.40	5854	453
	ईट	6031	8550	51565.05	9522	8550	81413.10	29848
	लोकल बालू	45 घन मीटर	410	18450	51.90 घन मीटर	410	212.79	2829
	80 एमएम	450	599	269550	450	599	269550	निल
	योग-			506845.20			551415.07	44571
8	घन अर्थ वर्क इन कटिंग फिलिंग	135 घन मीटर	178	24030	आपूर्ति नहीं की गयी			
9	लोकल बालू भराई फाउन्डेशन में	5.50 घन मीटर	410	2255	आपूर्ति नहीं की गयी			
10	मिक्स्ड स्टील	0.86 कुंतल	5000	4300	आपूर्ति नहीं की गयी			

उपरोक्त से कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्राक्कलनकर्ता ने सामग्री का उपभोग सुनिश्चित किया था के विरुद्ध कार्य प्रभारी एवं तकनीकी प्रभारी तथा समिति के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख द्वारा अनदेखी करते हुये सम्पूर्ण मदों (क्रमांक 8,9, व 10) की सामग्री प्राक्कलन के अनुसार न लेकर मनमाने ढंग से कार्य को पूर्ण कर धन का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिये कार्य प्रभारी, तत्कालीन तकनीकी प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख जिम्मेदार है। अतः शुद्ध देय रू० 452510.00 व्यापार कर रू० 22048.00 आयकर रू० 12512.00 रायल्टी रुपये 14254.00 तथा जमानत राशि रुपये 44480.00 कुल रुपये 545804.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु कार्य प्रभारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला, तकनीकी प्रभारी श्री ए०क्यू० सिद्धकी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकान्त त्रिपाठी तथा तत्कालीन प्रमुख श्रीमती सुमन देवी पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-14

प्रस्तर संख्या-45 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 में निम्न तिथियों को ग्राम पंचायत चौरा में "मेन रोड से नत्थू प्रजापति के घर तक सी०सी० रोड निर्माण" पर भुगतान दर्शित था-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
15.06.2015	016684	458600	सामग्री क्रय
31.03.2015	019618	200207	सामग्री क्रय
04.02.2017	03418	244142	सामग्री क्रय
15.06.2015	016686	65820	श्रमांश
04.02.2017	03417	43197	श्रमांश

उपरोक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली ग्राम पंचायत चौरा में "मेन रोड से नत्थू प्रजापति के घर तक 300 मीटर सी०सी० पेवर ब्लॉक रोड निर्माण" जिसका प्राक्कलन धनराशि 12.45 लाख स्वीकृत पर श्री रामशिरोमणि सिंह ठेकेदार की निविदा स्वीकृत कर सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्र पंचायत पहाड़ी में निम्न विवरणानुसार बिल प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत बिलों से निम्नानुसार कटौती के पश्चात् उपरोक्त सामग्री की धनराशि का भुगतान किया गया। विवरण-

बिल सं० दिनांक	धनराशि	कटौतियां				शुद्ध देय
		व्यापारकर	आयकर	रायल्टी	जमानत राशि	
52 / 30.12.14	323197	12928	7337	8869	93856	200207
55 / 12.4.15	199293	7972	4524	6335	-	180462
56 / 20.4.15	299313	11973	6794	2408	-	+278138
62 / 10.7.15	263276	10748	6099	2287	-	244142
योग-	1085079	43621	24754	19899	93856	902949
15.6.15	65820	-	-	-	-	65820 श्रमांश
2.4.17	43197	-	-	-	-	43197 श्रमांश
कुल योग-	1194096	-	-	-	-	1011966

पत्रावली की जांच में यह भी पाया गया कि प्राक्कलन में रुपये 0.698 लाख मजदूरी स्वीकृत थी, जबकि मजदूरी पर रुपये 109117.00 व्यय किया गया था। कराया जाने वाला कार्य 300.00 मीटर था, जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा पूर्ण न कराकर मात्र 278.00 मीटर ही कार्य कराया गया। इस प्रकार स्वीकृत से 22.00 मी० कम कार्य कराया गया जबकि मजदूरी पर रू० 39317.00 अधिक व्यय किया गया। स्पष्ट है कि कार्ययोजना में सम्मिलित एवं स्वीकृत कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा पूर्व न कराकर रुपये 1194096.00 का अलाभकारी कार्य कर धन का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिये कार्य प्रभारी, तकनीकी प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी रहे। अतः रू० 1194096.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री चन्द्रभान सिंह ग्राम विकास अधिकारी, तत्कालीन तकनीकी कार्य प्रभारी श्री ए०क्यू० सिद्धकीअवर अभियन्ता, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकान्त त्रिपाठी व श्री शेर बहादुर तथा तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख सुमन देवी व श्रीमती रेखा देवी पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-15

प्रस्तर संख्या-46 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 में निम्नतिथियों को ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में " श्री दिनेश सिंह के घर से मनधीर के घर तक 100 मी० सी०सी० पेवर ब्लॉक रोड एवं नाली निर्माण पर भुगतानित दर्शित था।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
31.03.15	019241	191963	सामग्री क्रय
27.1.17	003402	66394	सामग्री क्रय
27.1.17	003401	37541	श्रमांश

उपरोक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में “श्री दिनेश सिंह के घर से मनधीर के घर तक 100 मी० सी०सी० पेवर ब्लाक रोड एवं नाली निर्माण” जिसका प्राक्कलन धनराशि रु० 5.365 लाख स्वीकृत पर श्रीराम शिरोमणि सिंह ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्र पंचायत पहाडी में निम्न विवरणानुसार बिल प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत बिलों से निम्नानुसार कटौती के पश्चात् उपरोक्त सामग्री की धनराशि का भुगतान किया गया—

बिल सं० दिनांक	धनराशि	कटौतियाँ				शुद्ध देय
		व्यापारकर	आयकर	रायल्टी	जमानत राशि	
55 / 10.2.15	253441	10138	5753	5795	39792	191963
59 / 12.7.15	8897	356	202	—	—	8339
65 / 10.8.15	153199	2670	1515	968	—	61586
शेष सामग्री कटौती	—86460					
समिति द्वारा कटौती	—3531	—	—	—	—	—3531
योग—	329546	13164	7470	6763	39792	258357
27.01.2017	37541	—	—	—	—	37541 श्रमांश
कुल योग—	363087	—	—	—	—	295898

पत्रावली की जांच में यह भी पाया गया कि प्राक्कलन में सामग्री पर रु० 4.84 लाख व मजदूरी पर रु० 0.525 लाख स्वीकृत था। सामग्री पर रु० 325546.00 व मजदूरी पर रुपये 37541.00 कुल 363087.00 व्यय कर कार्य पूर्ण किया जाना दर्शित था, कराया जाने वाला कार्य 100 मीटर था, जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा पूर्ण न कराकर मात्र 65.0 मीटर कराकर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में पूर्ण करना दर्शित किया गया है। इस प्रकार स्वीकृत लम्बाई से 35 मीटर कम कार्य कराया गया, जो अलाभकारी कार्य है। अलाभकारी कार्य पर रु० 363087.00 व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी, तकनीकी प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी रहे। अतः रु० 363087.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु कार्य प्रभारी श्री नवल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी व राकेश चन्द्र शुक्ला ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) तकनीकी प्रभारी श्री मु० शुक तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकान्त त्रिपाठी व श्री शेर बहादुर तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी व श्रीमती रेखा देवी पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या—24

प्रारूप—03

जनपद—हमीरपुर

मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम, बांदा।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं०— 1 :- क्षेत्र पंचायत राठ के ग्राम इटौरा राठ में बड़े मन्दिर से मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य मे नियुक्त कार्य प्रभारी श्री अमरचन्द्र को मजदूरी का रुपया मु०—69,225.00 निम्न मस्टररोलो पर किया गया है।

क्र०सं०	मस्टररोल सं०	धनराशि
1	415	24,500.00
2	416	22,500.00
3	417	12,250.00
4	418	9,975.00
योग —		69,225.00

को चेक सं०- 048937 दिनांक 28.07.2017 द्वारा भुगतान किया गया है। उक्त मस्टररोल पर मजदूरों के अंगूठा निशानी/प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं और न ही मजदूरों की बैंक की जमा एडवाइज पत्रावली में पायी गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके कार्य प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो अपहरण की श्रेणी में आता है। जिस हेतु बी०डी०ओ० श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह (तत्कालीन) पूर्ण रूप से जिम्मेदार है जिस धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री अमरचन्द्र से की जाये।

प्रस्तर सं०- 2 :-क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2017-18 में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर पर किया जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसमें श्री अनूप कुमार शर्मा प्रभारी तत्कालीन ए०डी०ओ०(पंचायत) रू०- 25,000.00 को अग्रिम व्यय वहन करने हेतु चेक सं०- 005872 रू०- 25,000.00 को दिनांक 08.09.2017 दी गयी थी जिसके सापेक्ष निम्न बाउचर समायोजन हेतु पत्रावली पाये गये जो निम्न कमियों के कारण भुगतान अनियमित रहा।

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	सीमा स्टूडियो राठ से कैमरा से वीडियो बनवाई/वीडियोग्राफी/बिल नं० दिनांक रहित तथा आहरण वितरण अधिकारियों से पारित नहीं पाया गया है।	4,000.00 4,500.00
2	सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री अशोक मन्चला को भुगतान दिनांक 13.09.2017 को किया गया	4,000.00
3	गयाप्रसाद राजपूत चिकासी को सांस्कृतिक आयोजन करने का भुगतान	5,100.00
योग -		17,600.00

उक्त क्रमांक 2 व 3 के भुगतान की पारित रसीद न पाये जाने से भुगतान अप्रमाणित रहा।

इस प्रकार किया गया भुगतान अनियमित रहा, मनमाने तरीके से भुगतान दर्शाया गया है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह एवं तत्कालीन ए०डी०ओ०(पंचायत) अतिरिक्त कार्य प्रभारी श्री अनूप कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 3 :-क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2017-18 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रूपय 3,964.00 व्यय करना दर्शित किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे, जिससे उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। अस्तु व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्णदेव भारती एवं लेखाकार रमाशंकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 4 :-क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2019 में आजीविका कौशल विकास योजना के अन्तर्गत रूपया 30,000.00 व्यय दर्शित है जो चेक सं०- 858856 दिनांक 17.05.2018 श्री अमरचन्द्र तत्कालीन ए०डी०ओ० समाज कल्याण के नाम से जारी की गयी थी जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री रमाशंकर एवं श्री अमरचन्द्र तत्कालीन ए०डी०ओ० समाज कल्याण संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 5 :-क्षेत्र पंचायत राठ में क्षेत्र पंचायत राठ में आँगनवाड़ी केन्द्र औडेर की निर्माण पत्रावली में संलग्न बिल सं०- 223 दिनांक 26.06.2017 रूपया 1,62,387.00 लेखाकार द्वारा पारित किया गया है तथा भुगतान प्रमाणित की मुहर लगायी गयी है (पेड एण्ड केन्सिल) परन्तु उक्त पारित बिल पर आहरण वितरण अधिकारी/बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं जो किया गया भुगतान अनियमित/नियम विरुद्ध रहा है।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा के अन्तर्गत ई-मस्टररोल जारी कराने एवं श्रमिकों की माँग लगाने हेतु प्रपत्र अपूर्ण पाये गये हैं जिनमें निम्न कमियाँ पायी गयी हैं।

- (1) कार्य का नाम/स्थल का दर्शाना।
- (2) वर्क आई०डी० नम्बर दर्शाना।
- (3) कार्य की माँग की तिथि न दर्शाना।
- (4) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि न दर्शाना, साथ ही सचिव व रोजगार सेवक के हस्ताक्षर न पाया जाना आदि मात्र श्रमिक का नाम, पता, जाँगकार्ड सं०- दर्शाया गया है।

इस प्रकार अपूर्ण अभिलेख के अभाव में कार्य कराया जाना एवं बिल पारित न होना संदिग्ध प्रतीत होता है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्णदेव भारती व लेखाकार श्री रमाशंकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 6 :-क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर में वर्ष 2017-18 के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर कटौतियां की गयी है किन्तु संस्था द्वारा आयकर कटौती रूपया 40,968.00 दिनांक 31.03.2019 तक जमा न करके अनियमितता की गयी है। सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 7 :-क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर में वर्ष 2017-18 के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रायल्टी प्राप्त कर रूपया 33,765.00 दिनांक 31.03.2019 तक जमा न करके अनियमितता की गयी है। सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 8 :-क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर में वर्ष 2018-19 के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर कटौती रूपया 2,25,668.00 की गयी है किन्तु दिनांक 31.03.2019 तक संस्था द्वारा नियमानुसार सम्बन्धित मद में जमा न करके अनियमितता की गयी है। सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 9 :-क्षेत्र पंचायत सरीला में आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा की जाँच में पाया गया कि ग्राम इस्लामपुर में काशीराम के मकान से शकुन्तला श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का मस्टररोल क्रमांक 56, 57 एवं 58 में दिनांक 02.05.2017 से 13.05.2017 तक कुल 26 श्रमिकों का रू०- 57,050.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी नहीं लिये गये हैं, तथा नकद भुगतान श्रमिकों को किया गया है। बिना रसीदी टिकट लगाये एवं बिना हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी के फर्जी मस्टररोल तैयार कर धनराशि रू०- 57,050.00 का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली कार्य प्रभारी श्री मोतीलाल वर्मा एवं लेखाकार श्री पुत्तन लाल वर्मा से आधी-आधी की जानी चाहिये। श्री मोतीलाल वर्मा से रू०- 28,525.00 एवं श्री पुत्तन लाल वर्मा से रू०- 28,525.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं०- 10 :-क्षेत्र पंचायत सरीला में ग्राम पचखुरा में मंहगू लाल के मकान से डेरा तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का मस्टररोल क्रमांक 76 से 85 तक दिनांक 30.06.2017 से 27.08.2017 तक में 15 मजदूरों का रू०- 1,26,625.00 का भुगतान दर्शित है, उक्त मस्टररोल में 15 अगस्त 2017 को राष्ट्रीय पर्व में भी कार्य करना दर्शाया गया है।

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	कारीगर/बेलदार	छर	15 अगस्त
1	पवन कुमार	गुलाटी प्रसाद	बिलगाँव	कारीगर	300.00	300.00
2	चरन	रामेश्वर	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
3	उदयभान	सुधरा	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
4	जयहिन्द	नन्दी	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
5	लाल दिमान	बच्चूलाल	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
6	दशरथ	ळरनाम	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
7	गोविन्द	दयाराम	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
8	मदन	हल्के	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
9	लखन	प्रताप	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
10	हल्के	रामाधार	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
11	टुट्टी	मनीराम	बिलगाँव	बेलदार	175.00	175.00
योग -						2,050.00

उक्त धनराशि की वसूली आधी-आधी कार्य प्रभारी श्री नन्द किशोर राजपूतएडीओ(पीपी)से रू०- 1,025.00 एवं लेखाकार श्री पुत्तन लाल वर्मा से रू०- 1,025.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं०- 11 :-क्षेत्र पंचायत सरीला में ग्राम बंगरा में अरविन्द के मकान से रामस्वरूप के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण का मस्टररोल क्रमांक 67 से 75 तक दिनांक 30.06.2017 से 19.08.2017 तक में 30 मजदूरों का रू०- 1,10,750.00 का भुगतान दर्शित है, उक्त मस्टररोल में 15 अगस्त 2017 को राष्ट्रीय पर्व में भी कार्य करना दर्शाया गया है।

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	कारीगर/बेलदार	दर	15 अगस्त
1	महाचन्द्र	देवकिशन	भेड़ी जलालपुर	कारीगर	300.00	300.00
2	शिवनारायन	भगवानदास	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
3	रामविशाल	रामदास	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
4	रामनारायन	महेश्वरीदीन	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
5	गजराज	मेतीलाल	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
6	जगभान	टुटिया	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
7	रमेश	शिवनाथ	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
8	सूरज	छेवीचरन	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
9	लल्लू	वसदेव	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
10	नवल	शिवबालक	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
11	बृजकिशोर	रामनारायन	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
12	घसीटा	प्रभु	भेड़ी जलालपुर	बेलदार	175.00	175.00
योग –						2,225.00

उक्त धनराशि की वसूली आधी-आधी कार्य प्रभारी श्री भगत वर्मा(एडीओ-आईएसबी)से रु०- 1,113.00 एवं लेखाकार श्री पुत्तन लाल वर्मा से रु०- 1,112.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

प्रस्तर सं०-12:-क्षेत्र पंचायत सरीला मे वर्ष 2017-18 मे एवं 2018-19 मे सामग्री आपूर्ति के सप्लायर्स द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलो में एम एम- 11 संलग्न नहीं किये गये है। जिससे विभाग द्वारा मात्र खनिजों की रायल्टी काटकर सप्लायरों का भुगतान कर दिया गया है, जो आपत्तिजनक है। कुछ कार्यों में सप्लायरों ने एम एम- 11 संलग्न किये गये हैं किन्तु रायल्टी से सम्बन्धित एम एम- 11 का सत्यापन खनिज विभाग से नहीं कराया गया है। जब कि बिलो का भुगतान करने से पूर्व सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है, जो आपत्तिजनक रहा।

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०- 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के क्रमांक 3 के उपक्रमांक- 3 के अनुसार कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उपखनिज का प्रयोग बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एम एम- 11) के किया जाता है। तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुये निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग- 102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क मे जमा करा लिया जाये तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाये, की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। जबकि संस्था द्वारा मात्र रायल्टी काटकर भुगतान कर दिया गया है। उक्त आशय की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सप्लायर्स का नाम	दिनांक	काटी गयी रायल्टी	काटा जाये खनिज का मूल्य (रायल्टी का पाँच गुना)
1	ग्राम बंगरा मे सी०सी० निर्माण	लखन आयरन स्टोर	06.04.2017	16,855.00	84,275.00
2	ग्राम कटेहरी मे सी०सी० निर्माण	लखन आयरन स्टोर	06.04.2017	11,113.00	55,564.00
3	ग्राम पचखुरा मे सी०सी० निर्माण	लखन आयरन स्टोर	06.04.2017	20,438.00	1,02,190.00
4	ग्राम इस्लामपुर मे सी०सी० निर्माण	मे० त्यागी सरकार बिल्डर्स	25.05.2017	9,196.00	45,980.00
5	ग्राम करियारी मे सी०सी० निर्माण	मे० प्रशंसा कान्ठ० एण्ड सप्लायर	07.06.2017	34,475.00	1,72,375.00
6	ग्राम बौखर मे सी०सी० निर्माण	मे० राजेन्द्र सिंह ठेकेदार	20.04.2018	2,880.00	14,400.00

7	ग्राम कटेहरी मे सी0सी0 निर्माण	में0 रामपाल सिंह गर्व0 कान्ट्र0	01.06.2018	1,35,973.00	6,79,865.00
8	ग्राम कटेहरी मे सी0सी0 निर्माण	में0 रामपाल सिंह गर्व0 कान्ट्र0	13.07.2018	5,244.00	26,220.00
9	ग्राम कटेहरी मे सी0सी0 निर्माण	में0 रामपाल सिंह गर्व0 कान्ट्र0	07.06.2018	86,401.00	4,32,005.00
10	ग्राम इछौरा मे सी0सी0 निर्माण	में0 राजकरन कान्ट्र0 एण्ड सप्लायर	20.07.2018	16,291.00	81,455.00
योग -				3,38,866.00	16,94,330.00

उपरोक्त खनिज मूल्य का पाँच गुना रायल्टी का सप्लायर्स से कटौती कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अनियमितता का दायित्व भुगतानकर्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री पुत्तन लाल वर्मा के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त खनिज मूल्य खनिज लेखा शीर्षक मे जमा करके चालान की प्रमाणित एक प्रति जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाये।

प्रस्तर सं0-13:-क्षेत्र पंचायत कुरारा मे आलोच्य वर्ष मे राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित कार्यों मे काटे गये टी0डी0एस0 को संस्था द्वारा अद्यतन जमा नही किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	सामग्री का मूल्य	काटा गया आयकर	चेक सं0	दिनांक	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	कुशौलीपुरवा (भैसापाली) मे काली देवी मन्दिर से राजा भइया तक सी0सी0 रोड	में0 के0जी0 एन0 ट्रेडर्स	486	01.03.2018	3,85,451.00	8,750.00	055083	21.03.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		में0 के0जी0 एन0 ट्रेडर्स	0642	05.11.2018	3,16,556.00	7,183.00	064831	14.12.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		में0 के0जी0 एन0 ट्रेडर्स	0643	05.11.2018	15,953.00	362.00	064832	14.12.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
2	ग्राम पारा मे इलाहाबाद बैंक से उमाशंकर गुप्ता तक सी0सी0 रोड	में0 आस्था ट्रेडर्स	014	2017-18	2,94,055.00	6,675.00	055085	21.03.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		में0 आस्था ट्रेडर्स	03	2018-19	2,16,635.00	4,918.00	055100	09.05.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
3	विकास खण्ड कुरारा में पशु	में0 शुगना इण्टरप्रा	रनिंग बिल 1		93,970.00	2,133.00	060862	10.05.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं

	चिकित्सालय भवन मरम्मत कार्य	इजेज लखनऊ							लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		77,454.00	1,758.00	060872	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
4	विकास खण्ड कुरारा परिसर मे आवासीय भवन टाइप-2 का मरम्मत कार्य	में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		1,98,155.00	4,498.00	06064	10.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		98,524.00	2,236.00	060869	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
5	विकास खण्ड कुरारा परिसर मे आवासीय भवन टाइप-2 का मरम्मत कार्य	में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		2,39,001.00	5,425.00	06084	10.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		1,02,447.00	2,213.00	060870	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
6	विकास खण्ड परिसर में पशु चिकित्साधि कारी आवास मरम्मत कार्य	में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		2,23,988.00	5,085.00	060863	10.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . पप		1,19,829.00	2,591.00	060873	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
7	विकास खण्ड परिसर मे चहारदीवारी मरम्मत कार्य	में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		1,09,699.00	2,490.00			बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		3,79,359.00	8,203.00			बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान

									खान
8	विकास खण्ड परिसर मे प्रमुख विश्राम गृह मे वृक्षारोपण एवं सुन्दरीकरण कार्य	मै0 शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल 1		2,09,468.00	4,755.00	055084	21.03.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	रनिंग बिल 2		75,731.00	1,636.00	060875	25.05.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
9	ग्राम पतारा में मानसिंह एडवोकेट के मकान से महेश यादव के मकान तक सी0सी0 रोड	मै0 आस्था ट्रेडर्स	2017 —18	15	2,13,054.00	4,836.00	055089	21.03.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आस्था ट्रेडर्स	2017 —18	19.03.2018	1,55,360.00	3,527.00	055094	09.05.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
10	ग्राम पारा मे राघवेन्द्र सिंह बी0डी0सी0 के मकान से रहुनियां तक सी0सी0 निर्माण	मै0 आस्था ट्रेडर्स	2017, 18, 19	19.03.2018	3,97,351.00	9,020.00	055086	21.03.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आस्था ट्रेडर्स	2018, 19, 5	07.05.2018	2,60,217.00	5,908.00	055098	09.05.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
11	कुशौलीपुरवा (भैसापाली) मे काली देवी मन्दिर से तालाब तक नाला मरम्मत एवं सफाई कार्य	मै0 शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	01	09.03.2018	37,561.00	853.00	055088	21.03.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 शुगना इण्टरप्रा इजेज लखनऊ	02	15.04.2018	40,706.00	924.00	055096	09.05.2018	बी0डी0ओ0 जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
					योग —	95,982.00			
			03	12.11.2018	58,820.00	1,335.00	064821	22.11.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान

			04	12.11.2018	34,640.00	332.00	064822	22.11.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
1	ग्राम पतारा में नैठी रोड से हनुमान मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	2018, 19, 5	22.09.2018	4,30,631.00	9,775.00	060829	25.09.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	11	2018—19	3,82,412.00	8,6813.00	064836	14.12.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	12	2018—19	20,768.00	471.00	064834	14.12.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
2	विकास खण्ड परिसर के अन्दर रिक्त भूमि झांखर सफाई, समतलीकरण एवं सुन्दरीकरण कार्य	मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	2018 —19, 17	21.09.2018	1,37,146.00	3,113.00	064803	25.09.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	18	2018—19	2,27,970.00	5,175.00	064818	24.01.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	2018 —19, 23	13.03.2018	1,52,501.00	3,462.00	068526	13.03.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
3	विकास खण्ड परिसर में सुन्दरीकरण कार्य के अन्तर्गत पार्क निर्माण कार्य	मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	8	29.09.2018	3,04,105.00	6,903.00	060880	25.09.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
4	विकास खण्ड परिसर में टाइप-2 आवास का मरम्मत/रीकरण	मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	रनिंग बिल . 1		1,55,348.00	3,526.00	064805	25.09.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आर0ए स0 ट्रेडर्स हमीरपुर	रनिंग बिल . 2		1,37,800.00	3,128.00	068522	25.01.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आर0ए स0	रनिंग बिल . 3		39,672.00	901.00	068523	25.01.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार

		ट्रेडर्स हमीरपुर							मो० इमरान खान
5	कुरारा भौली मार्ग मे समरती नौबड़ा मेमोरियल महिला महाविद्यालय तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	मै० आर०ए स० ट्रेडर्स हमीरपुर	04	22.09.2018	3,19,440.00	7,251.00	060877	25.09.2018	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० आर०ए स० ट्रेडर्स हमीरपुर	24		4,28,347.00	9,723.00	068527	24.09.2018	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
6	ग्राम पंचायत मिश्रीपुर मे राजाराम डिग्री कालेज से मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	मै० आर०ए स० ट्रेडर्स हमीरपुर	01	20.09.2018	3,66,554.00	8,321.00	064804	25.09.2018	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० आर०ए स० ट्रेडर्स हमीरपुर	10	20.10.2018	4,25,316.00	9,655.00	064830	22.11.2018	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
7	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में बाल विकास पुष्ठाहार कार्यालय का मरम्मतकीकरण	मै० सहीस कुरारा	01	2018-19	73,271.00	1,663.00	054807	25.09.2018	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० सहीस कुरारा	02	2018-19	1,25,263.00	2,843.00	064817	24.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० सहीस कुरारा			44,210.00	1,004.00	064820	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
8	विकास खण्ड कार्यालय में टाइप-2 आवास का मरम्मतकीकरण कार्य	मै० सहीस कुरारा	रनिंग बिल . 1		1,62,557.00	3,690.00	064806	25.09.2018	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० सहीस कुरारा	रनिंग बिल . 2		1,40,106.00	3,322.00	068524	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० सहीस कुरारा	रनिंग बिल . 3		40,134.00	911.00	068525	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान खान
9	ग्राम पंचायत मनकी खुर्द मे डा० भमराव	मै० आस्था ट्रेडर्स कुरारा	12		1,78,775.00	4,058.00	064808	25.09.2018	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं लेखाकार मो० इमरान

	अम्बेडकर मूर्ति के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य								खान
10	ग्राम पंचायत मनकी खुर्द मे डा0 भमराव अम्बेडकर मूर्ति के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	मै0 आर0एस0 ट्रेडर्स हमीरपुर	03		1,78,775.00	4,059.00	064802	25.09.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
11	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में मुख्य गेट से प्रमुख आवास के पास इण्टरलाकिंग कार्य एवं सी0सी0 कार्य	मै0 आर0एस0 ट्रेडर्स हमीरपुर	06		3,47,486.00	78,888.00	060878	25.09.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
		मै0 आर0एस0 ट्रेडर्स हमीरपुर			82,422.00	1,871.00	064812	07.01.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
12	विकास खण्ड परिसर में बाल विकास परिसर एवं उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन कार्यालय के सामने सी0सी0रोड व इण्टरलाकिंग कार्य	मै0 आर0एस0 ट्रेडर्स हमीरपुर	02		3,68,383.00	8,362.00	064801	25.09.2018	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
			17		1,19,760.00	2,719.00	064819	24.01.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं लेखाकार मो0 इमरान खान
					योग —	1,24,142.00			

प्रस्तर सं0— 14 :-क्षेत्र पंचायत कुरारा मे आलोच्य वर्षा मे राज्य वित्त आयोग से निम्नलिखित कार्यों मे काटे गये टी0डी0एस0 को संस्था द्वारा अद्यतन जमा नही किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	सामग्री का मूल्य	काटा गया आयकर	चेक सं0	दिनांक	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	विकास खण्ड परिसर में रिक्त भूमि	मै0 आर0एस0	18		2,27,970.00	4,560.00	064818	24.01.2019	बी0डी0ओ0 रामसिंह एवं मो0 इमरान

	पर जंगल सफाई कार्य व सुन्दरीकरण कार्य	ट्रेडर्स हमीरपुर							खान
2	विकास खण्ड परिसर के आवास टाइप- 2 का मरम्मत/रीकरण कार्य	मे० आस्था ट्रेडर्स कुरारा	रनिंग बिल . 1		1,37,800.00	2,756.00	068522	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
		मे० आस्था ट्रेडर्स कुरारा	रनिंग बिल . 2		39,672.00	793.00	068523	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
3	ग्राम पंचायत मिश्रीपुर मे राजाराम डिग्री कालेज से मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	मे० आर०एस० ट्रेडर्स हमीरपुर	01	24.10.2018	4,25,316.00	8,506.00	064830	22.11.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
4	विकास खण्ड कार्यालय में बाल विकास पुष्ठाहार कार्यालय का मरम्मत/रीकरण	मे० रहीस कुरारा	02	24.01.2019	1,25,263.00	2,505.00	064817	24.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
		मे० रहीस कुरारा	विद्युतीकरण		44,210.00	884.00	064820	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
5	विकास खण्ड परिसर के आवास टाइप- 2 का मरम्मत/रीकरण कार्य	मे० रहीस कुरारा	रनिंग बिल . 1		1,46,355.00	2,927.00	068524	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
		मे० रहीस कुरारा	रनिंग बिल . 2		40,134.00	803.00	068525	25.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
6	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में मुख्य गेट से प्रमुख आवास के पास इण्टरलाकिंग कार्य एवं सी०सी० कार्य	मे० आर०एस० ट्रेडर्स हमीरपुर	16		82,422.00	1,648.00	064812	07.01.2019	बी०डी०ओ० रामसिंह एवं मो० इमरान खान
					योग -	25,382.00			

प्रस्तर सं०- 15:-क्षेत्र पंचायत कुरारा मे निम्नलिखित कार्य ठेकेदारो के माध्यम से कराये गये, एम०बी० होने के पश्चात किये गये भुगतान के सापेक्ष 01 प्रतिशत लेवर सेस नही काटा गया है, जबकि भन एवं अन्य सानिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम की धारा- 3 के उपकर तथा उसके संग्रह किये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिको के हित लाभ सुनिश्चित किये जाने हेतु 01 प्रतिशत

बतौर लेवर सेस वसूल करके बोर्ड के नियन्त्रणाधीन गठित फण्ड मे जमा कराये जाने हेतु अधिसूचना सं०-1412/36-2009 दिनांक 20 नवम्बर 2009 के द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सी०डी०ओ० अथवा ए०डी०एम० वित्त/राजस्व निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किा गया है कार्यो एवं भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बिल सं०	दिनांक	सामग्री का मूल्य	काटा गया आयकर	चेक सं०	दिनांक	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	विकास खण्ड कुरारा में पशु चिकित्सालय व भवन मरम्मत कार्य	में० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		93,970.00	940.00	060862	10.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		77,454.00	775.00	060872	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
2	विकास खण्ड कार्यालय कुरारा परिसर मे आवसीय भवन टाइप-2 मरम्मत कार्य	में० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		1,98,155.00	1,982.00	060864	10.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		98,524.00	985.00	060869	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
3	विकास खण्ड कार्यालय कुरारा परिसर मे आवसीय भवन टाइप-2 मरम्मत कार्य	में० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		2,39,001.00	2,390.00	060861	10.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		में० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		1,02,447.00	1,024.00	060870	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
4	विकास खण्ड	में० शुगना	रनिंग बिल . 1		2,23,988.00	2,240.00	060863	10.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान

	परिसर मे पशु चिकित्साधिकारी आवास मरम्मत कार्य	इण्टरप्राइजेज लखनऊ							रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		1,19,829.00	1,198.00	060873	25.06.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
5	विकास खण्ड कार्यालय परिसर मे चहार दीवारी मरम्मत कार्य	मै० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		1,09,699.00	1,097.00			बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
				योग —		16,424.00			
6	विकास खण्ड परिसर में प्रमुख विश्राम गृह वृक्षारोपण एवं सुन्दरीकरण कार्य	मै० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		2,09,468.00	2,095.00	055084	21.03.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		75,731.00	757.00	060875	25.05.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
7	विकास खण्ड परिसर में टाइप-2 आवास मरम्मतीकरण कार्य	मै० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 1		1,55,348.00	1,553.00	068805	25.09.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 2		1,37,800.00	1,378.00	068522	25.01.2019	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मै० शुगना इण्टरप्राइजेज लखनऊ	रनिंग बिल . 3		39,672.00	397.00	068523	25.01.2019	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
8	विकास खण्ड कार्यालय	मै० सहीस कुरारा	रनिंग बिल . 1		1,62,557.00	1,625.00	064806	25.09.2018	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं

	परिसर में टाइप-2 आवास मरम्मतकार ण कार्य								लेखाकार मो० इमरान खान
		मे० सहीस कुरारा	रनिंग बिल . 2		1,40,106.00	1,401.00	068524	25.01.2019	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
		मे० सहीस कुरारा	रनिंग बिल . 3		40,134.00	401.00	068525 0	25.01.2019	बी०डी०ओ० जीशान रिजवी एवं लेखाकार मो० इमरान खान
				योग -		9,608.00			

उपरोक्त विवरण के अनुसार लेवर सेस न काट कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3 महोबा

क्षेत्र पंचायत का नाम - चरखारी वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर संख्या -01- शासनादेश संख्या 1415/दस-02/वित्त/-2-2002 दिनांक 28.01.2002 के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल 36 माह तक कोई भी वाहन कटौतीकी धनराशि जमा नहीं की गई है। अतः दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2014 तक की कुल 36 माहो की रू० 400.00 प्रतिमाह की दर से रू० 14400.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से जमा कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -02- शासनादेश के अनुसार खातों में प्राप्त धनराशि पर बैंक से प्राप्त ब्याज को संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा किया जान अपेक्षित है शासनादेश सं०-ए-1-122/दस/2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश सं०-10/2015/ए-7502(1) दस-2015-10 (33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार रू० 490858.00 ब्याज राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03- क्षेत्र पंचायत चरखारी में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक प्राप्त अनुदानों से ठेकेदार से ठेके पर कराये गये निर्माण कार्यों में भुगतान के बिलों से नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से लेवरसेस की कटौती भुगतानकर्ता द्वारा ठेकेदार से वर्ष 2011-12 में रूपया 19136.00 वर्ष 2012-13 में रू० 48002.00 एवं वर्ष 2013-14 में 15388.00 कुल रू० 82526.00 की उक्त कर्मकार उपकर लेबरसेस की 1 प्रतिशत की कटौती ठेकेदार से न करके ठेकेदारों को लाभ एवं सरकार को क्षति एवं संस्था को क्षति पहुँचाई गई है। जो उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो कि 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार/उपकर (लेबरसेस) की नियोक्ता के द्वारा ठेकेदार को भुगतान राशि से काटी जायेगी कटौती पश्चात श्रम विभाग में जमा की जायेगी। अतः रू० 82526.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूलाल यादव एवं ख० वि० अधिकारियों चरखारी का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04- ग्रा० रजि० 3 से 2 का मिलान करने पर पाया कि दिनांक 19.03.2012 में चेक संख्या-825939 दिनांक 19.03.2012 से रू० 10000.00 जीप डीजल हेतु श्री बाबूलाल यादव तत्कालीन लेखाकार ने चेक द्वारा भुगतान प्राप्त किया। आडिट दौरान जीप एग्रीमेन्ट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लॉग बुक किराये पर जीप देने हेतु विज्ञापन आदि लेखा परीक्षा दौरान अप्राप्त रहने से धन वसूली योग्य है जो वित्तीय नियमों के विपरीत धन प्राप्त किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05- ग्रान्ट रजिस्टर 2 से 3 का मिलान करने पर पाया गया कि दिनांक 13.06.2012 में रिवाल्विंग फंड मद से चेक सं० 681810 दिनांक 13.06.2012 रु० 5000.00 जीप डीजल व्यय हेतु श्री बाबूलाल यादव तत्कालीन लेखाकार ने स्वयं चेक द्वारा वित्तीय नियमों के विपरीत भुगतान प्राप्त किया है जिस हेतु जीप किराये पर सम्बन्धी एग्रीमेन्ट विज्ञापन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लॉग बुक डीजल का माइलेज देने हेतु तकनीकी अधिकारी का प्रमाणपत्र आदि अभिलेख आडिट दौरान आप्राप्त रहा। रिवाल्विंग फंड से अनियमित भुगतान प्राप्त कर आय का दुरुपयोग किया गया जो वसूली योग्य है। श्री बाबू लाल यादव पूर्व लेखाकार एवं श्री सुभाष चन्द्र ख० वि० अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06- बुन्देलखण्ड पैकेज मद में ग्रान्ट रजिस्टर 3 से माह जून 2012 में रु० 310680.00 खारिज किया गया है। जबकि ग्रान्ट रजिस्टर 2 से रु० 316800.00 व्यय करना जून 2012 में दर्शित है। अतः रु० 6120.00 ग्रान्ट रजिस्टर 3 से कम खारिज किया गया एवं ग्रान्ट रजिस्टर 2 से रु० 6120.00 अधिक खारिज किया गया। अतः रु० 310680.00 का जून 2012 में किया गया व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावली आडिट दौरान अप्राप्त रही जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूलाल यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07-ग्रान्ट रजिस्टर 2 से 3 का मिलान करते समय वर्ष 2012-13 में प्रांसगिक व्यय मनरेगा मद में पाया गया कि दिनांक 06.07.2012 में चेक सं०-681815 दिनांक 06.07.2012 रु० 48000.00 माह मार्च 2012 से जून 2012 तक का जीप किराया श्री विपिन बिहारी तिवारी को भुगतान किया गया जिसकी जीप का पंजीकृत अभिलेख रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से वास्तविक जीप मालिक की स्थिति अज्ञात रही। जीप की लॉग बुक, एग्रीमेन्ट प्रकाशन कराकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो आडिट दौरान अप्राप्त रहे। अतः सरकारी धन का मनरेगा मद के धन को विकास कार्य न कराकर जीप को आय का साधन बनाकर सरकारी धन का सीधा अपहरण किया गया जो वसूली योग्य है जिसके प्रमाणक एवं पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। जिस हेतु श्री बाबूलाल यादव तत्कालीन लेखाकार एवं श्री सुभाष चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी चरखारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 -ग्रान्ट रजिस्टर 2 का 3 से मिलान करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 को ग्रान्ट रजिस्टर 2 से चेक संख्या 826276 दिनांक 31.03.2014 रु० 1200034.00 मुख्य विकास अधिकारी महोबा को बुन्देलखण्ड पैकेज मद की धनराशि भेजी गयी है। जबकि ग्रान्ट रजिस्टर 2 में दिनांक 31.03.2014 को रु० 1169419 शेष थी जिसमें रु० 30615.00 चेक वापिसी से प्राप्त एवं रु० 32319.00 ब्याज से प्राप्त हुआ कुल रु० 1232353.00 आडिट के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी महोबा को धन वापिस होना चाहिए था जो कि 32319.00 कम धन वापिस किया गया। जबकि ग्रान्ट रजिस्टर 3 में रु० 1202363.00 वापिस करना अंकित है, जो गलत दर्ज है जिसमें रूपया रिवाल्विंग फंड मद का रु० 1201738+625.00 -1202363.00 दर्ज है। अतः रु० 32319.00 का सीधा अपहरण किया गया है जो वित्तीय नियमों के विपरीत है जो कि वसूली योग्य है जिसके उत्तरदायी व्यक्ति श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं श्री प्रदीप पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09- रिवाल्विंग फंड मद में ग्रान्ट रजिस्टर 2 में दिनांक 28.01.2012 में चेक सं० 825127 दिनांक 28.01.2012 रु० 5000.00 जीप में डीजल व्यय हेतु श्री बाबूलाल यादव ने स्वयं भुगतान प्राप्त किया है जिस हेतु एग्रीमेन्ट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लॉग बुक अप्राप्त रही। जो कि वित्तीय नियमों के विपरीत है। साक्ष्यों के आभाव में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जो कि श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं श्री सुभाष चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -10-रिवाल्विंग फंड मद से चेक सं० 835857 दिनांक 17.12.2011 को रु० 25200.00 दिनांक 28.09.2011 से माह नवम्बर 2011 तक का जीप किराया श्री विपिन बिहारी तिवारी जीप मालिक को भुगतान किया गया जबकि आडिट के दौरान लॉग बुक एवं सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं एग्रीमेन्ट अप्राप्त रहे, साक्ष्य के आभाव में धन वसूली योग्य है। जिस हेतु पूर्व लेखाकार एवं श्री सुभाष चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11-दिनांक 17.12.2011 में रिवाल्विंग फंड मद से चेक संख्या 835856 दिनांक 17.12.2011 रु० 12520.00 का भुगतान चेक द्वारा जीप में डीजल डलवाने हेतु श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार द्वारा

स्वयं प्राप्त किया जबकि जीप की लॉग बुक एग्रीमेन्ट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदि आडिट दौरान अप्राप्त रहे जो वित्तीय नियमों के विपरीत है, जो वसूली योग्य है जिसके लिये श्री बाबूलाल यादव एवं श्री सुभाष चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12- दिनांक 24.12.2011 में रिवाल्विंग फंड मद से जीप के डीजल व्यय हेतु अग्रिम चेक संख्या 835859 दिनांक 24.12.2011 से ₹0 5000.00 श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार द्वारा चेक से धनराशि प्राप्त की गयी है जिस हेतु एग्रीमेन्ट लॉग बुक आदि आडिट दौरान अप्राप्त रहे साक्ष्य के आभाव में वित्तीय नियमों एवं शासनादेश के विपरीत है जो वसूली योग्य है। धन का डीजल वास्ते सीधा अपहरण किया गया है। अतः श्री सुभाष चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13- दिनांक 26.09.2011 में प्रशासनिक मद मनरेगा से चेक संख्या 829734 दिनांक 26.09.2011 ₹0 19955.00 का भुगतान डीजल हेतु श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार द्वारा प्राप्त किया गया है जो वित्तीय नियमों के विपरीत है जिसमें जीप की लॉग बुक आदि आडिट दौरान अप्राप्त रहे। अतः श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं श्री बिन्दावन बिहारी लाल खण्ड विकास अधिकारी चरखारी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -14- माह मार्च 2012 में पिछडा वर्ग अनुदान मद के इलाहाबाद बैंक चरखारी के खाता संख्या 50057893563 से ग्रान्ट रजिस्टर 2 से 3 का मिलान करने पर पाया कि टोलासोयम में ईटा खरीद ₹0 94039.00 बरदा सी0सी0 मजदूरी हेतु ₹0 82200.00 बैहारी सी0सी0 निर्माण ₹0 24140.00 व्यापार कर, आयकर एवं खनिज कटौती धन बैंक में जमा हेतु ₹0 579844.00 कुल ₹0 780223.00 श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार ने चेक संख्या 006712 दिनांक 28.03.2012 ₹0 579844.00 प्राप्त कर ग्रान्ट रजिस्टर 2 से ₹0 780223 व्यय किया गया है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियों बैंक में जमा धनराशि के चालान आदि अप्राप्त रहे। जबकि ग्रान्ट रजिस्टर 3 से ₹0 825694.00 खारिज किया गया है, जो कि ₹0 45471.00 अधिक खारिज करके धन का अपहरण किया गया है एवं ग्राम टोलासोयम में ₹0 94039.00 ग्राम बरदा में सी0सी0 मजदूरी हेतु ₹0 82200.00 ग्राम बैहारी सी0सी0 निर्माण ₹0 24140.00 कुल ₹0 200379.00 आयकर व्यापारकर खनिज कटौती का ₹0 579844.00 जमा करने उपरान्त ₹0 200379.00 श्री रामप्रसाद ग्रा0पं0वि0 अधिकारी को सी0सी0 निर्माण कार्य हेतु दिया गया अतः 45471.00 ₹0 अधिक खारिज करके धन का अपहरण किया गया एवं 200379.00 ₹0 का वित्तीय नियमों के विपरीत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को भुगतान किया गया अतः कुल 245850.00 रुपया जो खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार से साक्ष्य के आभाव में वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15-रिवाल्विंग फंड (मनरेगा) मद से श्री सीताशरण जीप मालिक ब्लॉक कालौनी चरखारी को जीप किराया एवं डीजल व्यय माह जून का चेक सं0 839558 दिनांक 07.07.2011 ₹0 18401.00 एवं श्री सीताशरण को चेंक संख्या 839570 दिनांक 04.08.2011 को ₹0 19036.00 जीप किराया एवं डीजल व्यय हेतु कुल ₹0 37437.00 का भुगतान ब्लॉक परिसर चरखारी में रहने वाले सफाई कर्मचारी श्री सीताशरण को आय का साधन मानकर फर्जी जीप मालिक बनाकर जीप का किराया एवं डीजल व्यय हेतु ₹0 37437.00 का भुगतान वित्तीय नियमों के विपरीत किया गया है। जिस हेतु जीप की लॉग बुक मालिक हेतु जीप का रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेन्ट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आडिट दौरान अप्राप्त रही। साक्ष्य के आभाव में धन वसूली योग्य है। जिस हेतु श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार ने आय का साधन बनाकर जीप किराया एवं डीजल वास्ते सरकारी धन का सीधा अपहरण किया है। जिसकी वसूली श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं श्री बिन्दावन बिहारी लाल खण्ड विकास अधिकारी चरखारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -16-दिनांक 18.04.2011 को राज्य वित्त आयोग मद के अन्तर्गत खाता संख्या 1039024 से चेक संख्या 096378 दिनांक 18.04.2011 द्वारा ₹0 22366.00 का माह अप्रैल में राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन के विपरीत ब्लॉक प्रमुख चरखारी के शपथ ग्रहण समारोह पर व्यय किया गया है जो कि चेक संख्या 096378 दिनांक 08.04.2011 ₹0 22366.00 का भुगतान श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार द्वारा प्राप्त किया गया है जो कि शासनादेश एवं वित्तीय नियमों के विपरीत भुगतान प्राप्त किया गया है। जिससे सम्बन्धित पत्रावली एवं प्रमाणक अप्राप्त रहे जो कि श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बिन्दावन बिहारी लाल उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17—माह अप्रैल 2011 में बुन्देलखण्ड पैकेज मनरेगा के अन्तर्गत ग्रांट रजिस्टर 2 से ₹0 107280.00 कुओं की मजदूरी पर भुगतान किया गया जबकि ग्रांट रजिस्टर 3 से ₹0 338160.00 खारिज किया गया जो कि ₹0 230880.00 अधिक खारिज करके धन का सीधा अपहरण किया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रमाणक साक्ष्य अप्राप्त रहे जिसकी श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं श्री बिन्दावन विहारी लाल खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18—रिवाल्विंग फंड मद के अन्तर्गत ग्रांट रजिस्टर 2 में अंकित चेक संख्या 839539 दिनांक 26.04.2011 से ₹0 33376.00 एवं चेक संख्या 832306 दिनांक 07.06.2011 से ₹0 24801.00 श्री सीताशरण यादव सफाई कर्मचारी ब्लॉक परिसर चरखारी को 26.04.2011 से मई 2011 का जीप किराया एवं डीजल व्यय का भुगतान कुल ₹0 58177.00 का वित्तीय नियमों के विपरीत आय का साधन मानकर सफाई कर्मचारी को फर्जी मालिक बनाकर भुगतान किया गया है। जिस हेतु वाहन का रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेन्ट लॉग बुक आदि अभिलेख आडिट दौरान अप्राप्त रहे। अतः साक्ष्य के अभाव में किया गया भुगतान पूर्णतः फर्जी है। जीप को आय का साधन बनाकर सरकारी धन का सीधा अपहरण किया गया है। जिसकी उत्तरदायी व्यक्ति श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं श्री बृन्दावन बिहारी लाल खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19— रिवाल्विंग फंड मद (मनरेगा) से चेंक संख्या 839528 दिनांक 07.03.2011 द्वारा ₹0 10000.00 श्री भजन सिंह सहायक कार्यक्रम अधिकारी चरखारी को डीजल हेतु अग्रिम धनराशि किस नियमानुसार दी गयी जिसका प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी जो शासनादेशों के विपरीत है। जो संदिग्ध प्रतीत होता है जो वसूली योग्य है जिस हेतु श्री बाबूलाल यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बिन्दावन बिहारी लाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20—प्रसांगिक व्यय मनरेगा में दिनांक 01.03.2014 को चेक संख्या 719673 दिनांक 01.03.2014 को ₹0 17835.00 का डीजल व्यय एवं सामग्री हेतु श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार ने भुगतान प्राप्त किया जिस हेतु प्रमाणक एग्रीमेन्ट लॉग बुक, डीजल पर्ची आदि अभिलेख आडिट दौरान अप्राप्त रहे। अतः साक्ष्य के अभाव में वित्तीय नियमों के विपरीत किया गया भुगतान वसूली योग्य है जिस हेतु पूर्व लेखाकार श्री बाबूलाल यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी चरखारी श्री प्रदीप पाण्डेय उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21— प्रसांगिक व्यय मद (मनरेगा) में दिनांक 01.03.2014 को चेक संख्या 719672 दिनांक 01.03.2014 को ₹0 11050.00 बोंदा बुक डिपो सदर बाजार चरखारी (महोबा) को स्टेशनरी भुगतान किया गया जबकि खरीद एवं भुगतान हेतु स्वीकृति एवं स्टेशनरी स्टॉक पंजिका एवं प्रमाणक (बिल) अप्राप्त रहे। साक्ष्य के अभाव में किया गया भुगतान वित्तीय नियमों के विपरीत है जो वसूली योग्य है जिसकी श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी चरखारी श्री प्रदीप पाण्डेय उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22—दिनांक 08.01.2014 को पिछड़ा वर्ग अनुदान (बी0आर0जी0एफ0) मद में चेक सं0 0011121 दिनांक 08.01.2014 में ₹0 343012.00 के0जी0एन0 बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर चरखारी (महोबा) को ग्राम चंदौली में अनुसूचित जाति बस्ती में सी0सी0 सड़क निर्माण का भुगतान एक साथ वित्तीय नियमों के विपरीत किया गया है। जिसकी पत्रावली के अभाव में भुगतान पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत होता है नियमानुसार ठेकेदार से भुगतान करते समय 1 प्रतिशत लेवरलेस की कटौती आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नियमानुसार भुगतान की गयी धनराशि से की जानी चाहिए थी जिससे सम्बन्धित साक्ष्य के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः किया गया भुगतान पूर्णतः वित्तीय नियमों के विपरीत है जिस हेतु श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी चरखारी श्री प्रदीप पाण्डेय से ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-चरखारी वर्ष (2014-15 से 2016-17)

प्रस्तर संख्या-23—शासनादेश संख्या 1415/दस-02/वित्त/-2-2002 दिनांक 28.01.2002 के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल 36 माह तक कोई भी वाहन कटौती की धनराशि जमा नहीं की गई है। अतः दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2017 तक की कुल 36 माहों की ₹0 400.00 प्रतिमाह की दर से रूपया 14400.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से जमा कराई जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24-क्षेत्र पंचायत चरखारी मे वर्ष 2014-15 व 2015-16 एवं 2016-17 तक प्राप्त अनुदानों से ठेकेदार से ठेके पर कराये गये निर्माण कार्यो मे भुगतान के बिलो से नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से लेवरसेस की कटौती भुगतानकर्ता द्वारा ठेकेदार से वर्ष 2014-15 मे रू0 64347.00 वर्ष 2015-2016 मे रू0 722737.00 रुपया एवं वर्ष 2016-17 मे रू0 21074.00 रुपया एवं वर्ष 808158.00 की उक्त कर्मकार उपकर लेवरलेस की कटौती ठेकेदार से न करके ठेकेदारो को लाभ एवं संस्था को क्षति पहुँचाई गई है। जो उ0प्र0 भवन एवं अन्न सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो कि 4 फरवरी,2009 से उ0प्र0 मे लागू है, के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार/उपकर (लेवरलेस) की नियोक्ता के द्वारा ठेकेदार को भुगतान राशि से काटी जायेगी। अतः रुपया 808158.00 कर वसूली की जानी अपेक्षित है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूलाल यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी चरखारी का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25- शासनादेश के अनुसार खातो मे प्राप्त धनराशि पर बैंक से प्राप्त ब्याज को संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राजकोष मे जमा किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस/2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/2015/ए-7502(1) दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2014 तक की अवधि मे विभिन्न खातो मे कुल रुपया 927984.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे राजकोष मे जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति की विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -26- लेखा परीक्षा दौरान यह पाया गया है कि दिनांक 13.10.2016 मे ग्रान्ट रजिस्टर-2 से ग्रान्ट रजिस्टर -3 का मिलान करने पाया गया कि दिनांक 13.10.2016 मे ग्रान्ट रजिस्टर -3 मे राज्य वित्त आयोग की मद से चेक संख्या 048152 दिनांक 13.10.2016 रुपया 54500.00 द्वारा दिनांक 13.10.2016 को क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रधानो को नगद मानदेय का भुगतान प्राप्त किया गया है। जिससे श्री गोपाल कृष्ण कनिष्ठ लिपिक के नाम से चेक का भुगतान किया गया है जिससे सम्बन्धित प्रमाणक एवं पत्रावली आडिट मे अप्राप्त रही जो कि साक्ष्य के अभाव मे श्री गोपाल कृष्ण कनिष्ठ लिपिक एवं श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री गणेश प्रसाद उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27- लेखा परीक्षा दौरान पाया गया, कि ग्रान्ट रजिस्टर -2 मे पृष्ठ संख्या -19 पर राज फर्नीचर एण्ड ग्लास वर्क्स महोबा को फर्नीचर का भुगतान चेक संख्या 041159 दिनांक 05.07.2016 द्वारा रुपया 16167.00 का भुगतान किया गया है जो राज्य वित्त आयोग की मद से किया गया है। जिसकी पत्रावली व्यय प्रमाणक सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मृत स्कन्ध स्टाक रजिस्टर आडिट दौरान अप्राप्त रहे। फर्नीचर कहाँ पर खरीदा गया एवं कहाँ पर प्रयोग किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया है। जो कि राज्य वित्त आयोग की मद से किया गया है जो राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासनिक व्यय मे गाइडलाइन के विपरीत भुगतान कर व्यय किया गया है, जो अनियमित है। जो वसूली योग्य है। श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं पूर्व खण्ड विकास अधिकारी चरखारी सुश्री महिमा विद्यार्थी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -28-लेखा परीक्षा पाया गया कि दिनांक 05.07.2016 मे ग्रान्ट रजिस्टर 2 मे पृष्ठ संख्या 19 पर अंकित दिनांक 05.07.2016 मे राजपूत क्लार्क स्टोर महोबा को चेक संख्या 041160 दिनांक 05.07.2016 द्वारा रुपया 13240.00 का खण्ड विकास अधिकारी चरखारी के आवास एवं कार्यालय मे पर्दों का भुगतान रुपया 13240.00 किया गया है। जो राज्य वित्त आयोग मद से किया गया है। जो कि राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार गलत प्रशासनिक व्यय मे भुगतान कर व्यय किया गया है। जिसके व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ऑडिट दौरान अप्राप्त रहे। अतः जो कि साक्ष्य के अभाव मे वसूली योग्य है। जिस हेतु श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी सुश्री महिमा विद्यार्थी उत्तरदायी व्यक्तियों से किये गये अनियमित भुगतान रुपया 13240.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -29- लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर-2 के पृष्ठ संख्या 2 पर दिनांक 31.10.2015 मे निर्वाचन से प्राप्त रुपया 49423.00 एवं दिनांक 20.11.2015 मे निर्वाचन से प्राप्त रुपया 18100.00 प्राप्त हुआ है। अतः रुपया 67523.00 निर्वाचन शुल्क से प्राप्त हुआ था। जिसे विधायक निधि खाता इलाहाबाद बैंक चरखारी मे 50082892004 मे जमा किया गया। जिसे निर्वाचन हेड 8443 सिविल जमा, 121

चुनाव के सम्बन्ध में जमा , 06 पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा हेड में किया जाना था या क्षेत्र पंचायत निधि में जमा किया जाना था जिसको चेक संख्या 037821 दिनांक 20.11.2015 रूपया 28800.00 श्री अमित खरे ग्रां0वि0अ0 को चेक से भुगतान करके एवं रूपया 587.00 कुल रूपया 29387.00 चेक एवं बिना चेक से भुगतान करके बी0डी0सी0 निर्वाचन एवं मतगणना पर व्यय किया जाना अंकित है एवं रूपया 38136.00 निर्वाचन शुल्क की धनराशि विधायक खाते में जमा कर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रूपया 67523.00 निर्वाचन से प्राप्त धनराशि वसूली योग्य है। जिसकी उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रदीप पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी चरखारी एवं श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –30—लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि माह अक्टूबर 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मद में ग्रांट रजिस्टर –3 से ग्रांट रजिस्टर–2 से मिलान करने पर माह अक्टूबर 2014 में पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में दिनांक 31.10.2014 को रूपया 15744.00 ग्रांट रजिस्टर –3 के अनुसार उक्त मद में धनराशि शेष थी, जो कि माह नवम्बर 2014 में रूपया 15744.000 व्यय भी नहीं किया गया एवं ग्रांट रजिस्टर–3 से खारिज भी अक्टूबर 2014 एवं नवम्बर, 2014 से भी खारिज नहीं किया गया जिसको नवम्बर, 2014 से ग्रांट रजिस्टर –3 में कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया अतः रूपया 15744.00 कहाँ प्रयोग किया स्थिति अस्पष्ट रही जबकि इलाहाबाद बैंक खरेला में रूपया 317.00 ब्याज को शामिल करके क्षेत्र पंचायत मनरेगा के खाता संख्या 21461427201 में ग्रांट 31.10.2014 को बैंक में रूपया 16061.00 जमा शेष था जो कि खाते में नवम्बर 2014 में धनराशि निकाल कर कहाँ भेजी गई किस प्रयोग में की गई स्थिति अस्पष्ट रही जो वसूली योग्य है। अतः रूपया 16061.00 की उत्तरदायी व्यक्तियों श्री बाबूलाल यादव पूर्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी चरखारी श्री प्रदीप पाण्डेय उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप –3

क्षेत्र पंचायत का नाम— कबरई वर्ष 2017–18 व 2018–19

प्रस्तर संख्या –31 उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या1838/33–3–2015–03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप हो उक्त शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक राजस्व गाँवों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को करायेगी वर्ष 2017–18 व 2018–19 में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची जिनकी अनुमानित लागत मु0 10.00 लाख रू0 से कम है निम्नवत है वर्ष 2017–18 व 2018–19 में क्षेत्र पंचायत कबरई द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये एक ही राजस्व गाँव को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये गये हैं जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है जिसके लिये श्री बाल गोविन्द शुक्ल व श्री दीपक यादव खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति उत्तरदायी हैं (मूल आपत्ति संख्या–17) सूची संलग्न है। उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम व पूर्ण पता	योजना का नाम	कुल भुगतान	कार्य प्रारम्भ की तिथि
1.	पचपहरा में ज्ञान सिंह के घर से रामपाल के घर तक सीसी/नाली निर्माण	च0रा0वि0	814693.00	05.07.18
2.	ग्योडी में चित्रसिंह की चक्की से रामऔतार यादव के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण		956685.00	28.07.18
3.	मझलवाला में कारक देव की पुलिया से कब्रिस्थान तक सी0सी0		919025.00	18.08.18
4.	श्रीनगर में सरमन कुशवाहा के मकान से प्रमोद तिवारी के घर सी0सी0/नाली निर्माण		789866.00	01.09.18
5.	कैमाहा (झिल्लियों) में छोटी टपरियन में मुन्ना लाल पटेल के घर से हरिजन बस्ती तक सी0सी0/नाली निर्माण		472386.00	01.09.18
6.	ज्योरइया में लालदिवान पाल के घर से मैयादीन कुशवाहा के घर तक सी0सी0/नाली निर्माण		770696.00	01.09.18
7.	चिचारा में योगेन्द्र सिंह के मकान से कैलाश पाण्डेय के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण		495807.00	01.10.18
8.	श्रीनगर जैतपुर तिराहे से सुखदेव की दुकान सी0सी0/नाली		917700.00	01.10.18

	निर्माण			
9.	खन्ना मे थाने के बगल से खाद गोदाम तक सी0सी0 / नालीनिर्माण		460302.00	12.10.18
10.	बरबई मे गार खाले राजेन्द्र के घर से आंगनबाडी केन्द्र तक सी0सी0 / नाली निर्माण		346377.00	08.03.19
11.	डहरा मे रामप्रसाद कुशवाहा से सुकड के सामने पाईप पुलिया तक कल्लू के मकान से मुन्नीलाल परमा के घर से पाईप पुलिया तक आर0सी0आर0 नाला एवं पुलिया निर्माण	सासंद निधि	982483.00	09.02.19
	योग		7926000.00	

प्रारूप-3
वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद-बहराइच

मण्डल-देवीपाटन

प्रस्तर आपत्ति का विवरणसंख्या

क्षेत्र पंचायत-तेजवापुरवर्ष 2017-18 से 2018-19

- वर्ष 2017-18 में सामग्री क्रय रु0 4783401.00 पर व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से रु0 191336.00 के स्थान पर मात्र रु0 75648.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 115638.00 कम कटौती कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी। अतः रु0 115638.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। व्यापार कर कटौती जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। (आ0सं0 06)
- दिनांक 01.04.2017 से 30.03.2019 तक विभिन्न तिथियों में रु0 58732.00 जीप सं0 यूपी 40/7646 एवं जनरेटर के डीजल क्रय भुगतान हेतु चेक निर्गत किया गया है किन्तु तत्सम्बन्धी लॉगबुक एवं निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कितने किलोमीटर एवं कहां से कहां तक भ्रमण किया गया अज्ञात रहा। ऐसे में सरकारी राजस्व का निजी कार्य हेतु दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। डीजल बिल बाउचरों के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। रु0 58732.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 07)
- तिगाई में सुरेश चौबे के घर से तुलसीराम यादव के घर तक सोलिंग कार्य पर दिनांक 28.05.2018 को रु0 214034.00 का भुगतान किया गया। जिसमें निम्न आपत्तियाँ पायी गयी-
 - प्रकाशित निविदा/कार्य योजना/प्रस्तुत अनुसार सुरेश चौबे के घर तुलसीराम यादव के घर तक सोलिंग कार्य पर रु0 214034.00 कार्य कीलागतथी स्वीकृत इस्टीमेट की जाँच में पाया गया कि इस्टीमेट पर जे.ई. के हस्ताक्षर व अधिशासी अभियन्ता की मुहर में दिनांक नहीं पाया गया जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।
 - उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में एम.बी. प्रस्तुत नहीं की गयी और पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं लगा है जिससे कार्यपूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।
 - पत्रावली में मस्टर रोल नहीं पाये गये जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।
 - निर्माण पत्रावली में कार्य सम्बन्धी कोई फोटोग्राफ नहीं लगाया गया है जिससे कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है।
 - उक्त कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के रु0 214034.00 का भुगतान किया गया है जो अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे.ई.,आरईएस खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जाय। (आ0सं0 27)
- रमपुरवा में खरचू अवस्थी के घर से शिव मन्दिर के कोने तक इण्टरलाकिंग कार्यपर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी-
 - प्रकाशित निविदा/कार्य योजना/प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार इण्टरलाकिंगकार्य हेतु 7.99 लाख कार्य की लागत थी किन्तु बिना किसी कारण के हीकार्य की माप कम करकेइण्टरलाकिंग कार्य पर रु0 173240.00

काइस्टीमेट स्वीकृत किया गया। प्रकाशित निविदा से विपरीत कार्य पर कम का इस्टीमेट स्वीकृत/वर्क आर्डर क्यों किया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

2. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में एम.बी. प्रस्तुत नहीं की गयी और पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं लगा है जिससे कार्यपूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।

3. उल्लेखनीय है कि पत्रावली में मस्टर रोल नहीं पाये गये जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

4. उक्त कार्य पत्रावली की जाँच में कार्य सम्बन्धी फोटोग्राफ अप्राप्त रहे

जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

5. उक्त कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के रु० 173240.00 का भुगतान किया गया जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे.ई., आर.ई.एस खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जाय।
(आ०सं० 28)

क्षेत्र पंचायत—बलहावर्ष 2017—18 से 2018—19

5. वर्ष 2017—18 में कुल 08 कार्यों पर संलग्न सूची के अनुसार कुल रु० 1864458.00 का व्यय किया गया है। जिस पर सेस, टी.डी.एस. तथा वैट की कटौती रु० 134986.00 की जानी चाहिए थी जिसके सापेक्ष रु० 133772.00 की कटौती गयी है। इस प्रकार रु० 1214.00 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 4)

6. वर्ष 2018—19 में कुल 12 कार्यों पर रु० 7143305.00 का व्यय किया गया है जिस पर सेस, टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. की कटौती रु० 1088639.00 की जानी चाहिए थी जिसके सापेक्ष रु० 965768.00 की कटौती गयी है। इस प्रकार रु० 122871.00 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 5)

7. मनरेगा प्रासंगिक व्यय के प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि सस्ता उपभोक्ता भण्डार के बिलबुक नं० 1 क्रमांक 28 दिनांक 27.04.2017 के सापेक्ष रु० 3560.00 की स्टेशनरी क्रय की गयी है तथा उक्त फर्म के बिलबुक नं० 1 क्रमांक 42 दिनांक 07.03.2017 के सापेक्ष रु० 5600.00 की स्टेशनरी क्रय दर्शित है। फर्म का बिल क्रमांक 42 दिनांक 07.03.2017 का तथा क्रमांक 28 दिनांक 27.04.2017 का प्रस्तुत है जो सम्भव नहीं है

उक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक बिल के आधार पर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं० 7)

प्रारूप—3

क्षेत्र पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष— 2018—19

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ (वर्ष— 2011—12 से 2016—17 तक)

जनपद— बलरामपुर

संभाग— देवीपाटन मण्डल

क्षेत्र पंचायत— बलरामपुर

प्रस्तर संख्या—1 वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 की कार्यपत्रावलियों एवं अन्य मदों के विविध व्यय से संबंधित प्रमाणक/पुष्टि पत्र नदारद रहे हैं। पूर्व लेखाकार द्वारा चार्ज न देना बताया गया जो पर्याप्त कारण न होने के अलावा अप्रमाणित/अमान्य है। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक रही है। अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित न होना आलोच्य वर्षों में वृहद गड़बड़ी/अपहरण किए जाने की परिस्थितियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपुष्ट/गैर प्रमाणित व्यय वर्षवार निम्न प्रकार रहे हैं—

वर्ष 2011—12 रु० 27994756.00

वर्ष 2012—13 रु० 13579008.00

योग रु० 41573764.00

अतः कुल धनराशि रु० 41573764.00 अधिभार अन्तर्गत दर्शाते हुए अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। विभागीय निरीक्षण एवं निगरानी समय-समय पर न किए जाने के कारण संस्था में मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है। सख्त विभागीय कार्यवाही एवं धनराशि की ब्याज सहित वसूली अभीष्ट है।

कार्यकाल/ अवधिवार श्रीरामकृपाल चौधरी, श्री रामकिशोर, श्री राजेश कुमार जायसवाल खण्ड विकास अधिकारीगण एवं श्री विजयपाल सिंह लेखाकार इस संबंध में उत्तरदायी रहे हैं।

प्रस्तर संख्या-2 संस्था द्वारा बैंकों में संचालित कुल 10 खातों में मात्र 01 खाते का विवरण लेखा प्राप्त रहा है। अन्य खातों के माहवार बैंक स्टेटमेंट/वर्षवार लेखाबंदी के समय के बैंक स्टेटमेंट ऑडिट में उपलब्ध नहीं रहे हैं। लेखाकार द्वारा माहवार/वर्षवार बैंक समाधान लेखा व अनुदान पंजी का मिलान किस प्रकार दर्शाया गया, अपुष्ट रहा है। वर्ष 2011-12, 12-13 एवं 2013-14 में अनुदान पंजी के अवशेष एवं ऑडिट गणना में प्राप्त योग में अन्तर रहा है जिसका समाधान कराया जाना चाहिए। वर्ष के प्रारम्भ/प्राप्त अनुदान/व्यय एवं अवशेष वर्षांत में वर्षवार निम्न प्रकार अन्तर रहा है:-

(क)	01.04.2011 को प्रारम्भिक अनुदान	—	6189347.50
	वर्ष 2011-12 में प्राप्त अनुदान	—	36777128.00
	योग रु०	—	42966475.50
	वर्ष 2011-12 में उपभोग	—	27994756.00
	31.03.2012 को अवशेष	—	14971719.50
	जबकि अनुदान पंजी में अवशेष	—	14971835.50
	अन्तर रु०	—	116.00

(ख) उक्त प्रकार 31.03.2013 को अन्तर रु० 1353277.00 तथा 31.03.2014 को अन्तर रु० 6278371.90 रहा है, जिसका विवरण प्रतिवेदन के प्रारम्भ में दर्शाया गया है।

उक्त प्रकार अनुदान पंजी 3में वर्षांत में दर्शित अवशेषों एवं ऑडिट गणना के अनुसार प्राप्त अवशेष में अन्तर रहा है। यह एक गम्भीर तथ्य है अतः प्रकरण गम्भीर अनियमितता के अंतर्गत लाया जाता है। वर्षवार अन्तर राशि का योग निम्न प्रकार रहा है:-

31.03.2012 को रु०	116.00
31.03.2013 को रु०	1353277.00
31.03.2014 को रु०	6278371.90

योग रु० 7631764.90

अतः अनाहरित चेकों के सापेक्ष अन्तर राशि का वर्षवार समाधान किया जाना वांछित है। इस हेतु लेखाकार श्री विजयपाल सिंह के साथ-साथ संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारीगण उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 अनुदान पंजी ।। से स्पष्ट रहा कि लेखाकार श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव द्वारा अपने पक्ष में टी.डी.एस. की कटौती का चेक निर्गत कराया गया है तथा चेक की धनराशि निजी हित में रोककर धनराशि रु. 180288.00 राजकीय/केन्द्रीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है जिस पर खण्ड विकास अधिकारी/विभागीय अधिकारियों द्वारा कदापि ध्यान नहीं दिया गया। यह एक गम्भीर तथ्य है। उक्त प्रकार ही वर्ष 2011-12, 12-13 में निजी पक्ष में राजस्व के चेक लेखाकार द्वारा निर्गत किये गए। जिसके अभिलेख/प्रमाणकों के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। अतः उपर्युक्त की सघन विभागीय जाँच/विरुद्ध कार्यवाही तथा राजस्व जमा स्टेट बैंक के नियत खाते में किये जाने का ब्यौरा आदि के संबंध में अभीष्ट है। लेखाकार श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव के निजी खाते की जाँच भी इस संदर्भ में वांछनीय है। राजकीय व केन्द्रीय राजस्व का निजी हित में दुरुपयोग एक गम्भीर आर्थिक अपराध है, अतः प्रकरण दुरुपयोग के शीर्ष में होने के कारण अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है। सख्त विभागीय कार्यवाही/विरुद्ध विधिसम्मत प्रक्रिया वांछित है।

प्रस्तर संख्या-4 निर्माण कार्य विवरण लेखों की जाँच में निविदा प्रक्रिया एवं प्राप्त सूचनाओं के अंतर्गत निम्न प्रकार की आपत्तियाँ रही है, जिनका समाधान किया जाना चाहिये-

I- वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में तृतीय राज्य वित्त एवं 13वें वित्त की कार्ययोजनाएँ जो निर्माणकार्य से संबंधित रही हैं, जो कुल 38 परियोजनाएँ रहीं हैं, में निविदा आमंत्रण ही नहीं किया गया। मात्र मे०अरविंद कुमार (ऑल टाइप कांट्रैक्टर एवं जनरल ऑर्डर सप्लायर्स, मो. पहलवारा, जनपद- बलरामपुर) को समस्त 38 परियोजनाओं को बिना टेण्डर आमंत्रित किये ही, स्वायत्तशासी नीति के तहत आदेशित कर दिया गया जो एक गंभीर तथ्य तथा निविदा प्रक्रिया का सर्वथा उल्लंघन रहा है। इस हेतु ख.वि.अधिकारी श्री राजेश त्रिपाठी व श्री शिव कुमार तथा श्री शेषमणि सिंह मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं।

II- बी.आर.जी.एफ. योजना की सूचना प्रपत्र 1,2,3,4 तैयार ही नहीं की गई है, जिसके लिये लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व श्री संजय कुमार द्विवेदी उत्तरदायी रहे हैं। तत्कालीन ख.वि.अधि.श्री राजेश त्रिपाठी, श्री शिव कुमार, श्री शेषमणि सिंह, श्री वेद प्रकाश मौर्य व श्री बालगोविंद शुक्ला भी संयुक्त रूप से इस संबंध में उत्तरदायी रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि बी.आर.जी.एफ. योजना ही वर्ष 2014 से बंद हो चुकी है, फिर भी वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में क्रमशः रु. 11904034.00, रु. 4275792.00 एवं रु.1253092.00 विभिन्न परियोजनाओं में बिना शासकीय अनुमति के व्यय कर दिये गये जो गैर नीतिगत कार्यशैली रही है।

अतः उपर्युक्त 02 आपत्तियों का समाधान नियमानुसार तथा विधि सम्मत रूप से कराया जाना चाहिये। बी.आर.जी.एफ. व्यय की कुल धनराशि रु. 17432918.00 गैर शासकीय अनुमति के अंतर्गत व्यय करके गंभीर अनियमितता की गई है तथा 31.03.2017 को रु. 2488654.00 शेष राशि को वापस भी नहीं किया गया। अतः प्रकरण अधिभार अंतर्गत लाया जाता है। सख्त विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। एवं ख.वि.अधि.श्री राजेश त्रिपाठी, श्री शिव कुमार श्री शेष मणि सिंह, श्री वेद प्रकाश मौर्य एवं श्री बालगोविंद शुक्ल एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा श्री संजय कुमार द्विवेदी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 टेण्डर प्रक्रिया में निर्माणकार्य से संबंधित सूचना लेख वर्ष 2016-17 में टेण्डर आमंत्रण एवं टेण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यप्रभारी को कार्यादेश कार्यालय पत्रांक से न करके मेमो से किये गये हैं।

वर्ष 2014-15 व 2015-16 में टेण्डर प्रक्रिया को ही नकार दिया गया। बी.आर.जी.एफ. व्यय की सूचना प्रपत्रों पर उपलब्ध ही नहीं पाई गई। अतः विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान मनमाने ढंग से एकाधिकार के अंतर्गत किये गये कार्यों की सघन विभागीय जाँच कर विरुद्ध/विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तर संख्या-6 विज्ञापन प्रकाशन हेतु व्यय दर्शाये जाने की स्थिति ऑडिट अंतर्गत पायी गई। उक्त व्यय से संबंधित न तो कोई अनुमोदित आदेश रहा न ही भुगतान प्रकाशन हेतु किस व्यक्ति को किये गए, न ही विज्ञापन की कटिंग/अखबार ही उपलब्ध है, न ही कोई हवाला विज्ञापन की तिथि का ही प्रमाणित है। अतः फर्जी/भ्रामक/आधारहीन व्यय चतुर्थ राज्य वित्त से किया जाना दर्शित है। व्यय की पुष्टि किसी प्रकार न होने से अधिभार अंतर्गत रु. 49777.00 अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। लेखाकार श्री संजय कुमार द्विवेदी एवं ख.वि.अधि. श्री बालगोविंद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली किया जाना अभीष्ट है।

प्रस्तर संख्या-7 इंदिरा आवास योजना प्रशासनिक मद में इंदिरा आवास का डाटा इंट्री कराने संबंधी भुगतान हेतु मे. कृष्णा कम्यूटर्स पूरब टोली बलरामपुर को कांट्रेक्ट देकर विभिन्न तिथियों में भुगतान किये जाने की पुष्टि होती है। परंतु इसी मद से इसी कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से श्री विकास चंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक वि.ख.को चेक सं. 758708 से रु. 48600 भुगतान दर्शाया गया है जिसका न तो कोई औचित्य रहा न ही श्री श्रीवास्तव द्वारा डाटा इंट्री का कार्य ही किया गया है। अतः फर्जी भुगतान करके लेखाकार व ख.वि.अधि. श्री वेद प्रकाश मौर्य द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है।

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख.वि.अधि. श्री वेद प्रकाश मौर्य, लेखाकार श्री संजय कुमार द्विवेदी एवं वरिष्ठ सहायक श्री विकास चंद्र श्रीवास्तव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। डाटा इंट्री के फीडिंग के नाम पर प्रशा.मद की धनराशि रु. 48600.00 का अपहरण अधिभार अंतर्गत लाया जाता है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट है।

प्रस्तर संख्या-8 दिनांक 15.06.2016 को चेक सं. 015054 एवं 015055 से वि.ख. कार्यालय स्तर पर निम्न प्रकार व्यय दर्शाये गए हैं—

I- रु. 111258.00 — वि.ख.कार्यालय स्वर्ण जयंती हाल की टाइल्स मरम्मत सामग्री

II- रु. 21292.00 — मजदूरी उक्त बाबत उक्त भुगतान 1. मे. श्री अरविंद कुमार कांट्रेक्टर एवं 2. कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार श्रीवास्तव स.वि.अधि.(पं.) को दर्शित चेकों के द्वारा किये गए हैं।

इस संबंध में निम्न गंभीर प्रकरण रहे हैं—

1) अनुमोदित कार्य, वि.ख. में हाल मरम्मत का नहीं रहा है। भ्रामक/फर्जी कार्ययोजना तैयार कर व्यय दर्शाया गया है।

- 2) मरम्मत का इस्टीमेट तथा उच्च स्तरीय अनुमोदन भी इस कार्य का नहीं रहा है।
- 3) मनमाने ढंग से फर्जी व्यय चतुर्थ रा.वि. से कराकर धनराशि का अपहरण किये जाने की कार्यवाही रही है।
- 4) सूचना प्रपत्र प्रारूप-1 पर इस कार्य का विवरण लेख शून्य है। 2016-17 में इस प्रकार का कार्य ही शून्य है। चतुर्थ रा.वि. से कुल 08 कार्य कराये गए हैं जिसमें उक्त कार्य ही नहीं हैं। न ही मे. अरविंद कुमार को भुगतान का ही संदर्भ है।
- 5) 13वें वित्त से भी उक्त कार्य नहीं किया गया है।
- 6) टी.डी.एस. रु. 11381.00 एवं बिक्री कर रु. 20089.00 भी कटौती करके उक्त तिथि में ही चेक सं. 015057 एवं 015058 से स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया है, जिससे कार्य होने की सैद्धांतिक पुष्टि हो सके, परंतु कार्य की पुष्टि आपत्तियों के संदर्भ क्रम में नहीं होती है।

अतः कुल व्यय रु. 132550.00 का अपहरण किया गया है। अतः उत्तरदायी ख.वि.अधि. श्री वेद प्रकाश मौर्य, लेखाकार श्री संजय कुमार द्विवेदी से रु. 132550.00 की वसूली मय ब्याज किया जाना अभीष्ट है। प्रकरण अधिभार अंतर्गत लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या-9 टी.डी.एस./बिक्रीकर की कटौती करके लेखाकार द्वारा चेक, संबंधित राजस्व मद में न जमा करके स्वयं के पक्ष में प्राप्त किये गए। इस प्रकार रु. 844355.00 केंद्रीय/राज्य राजस्व की धनराशि अपने पक्ष में लेखाकार द्वारा चेक प्राप्त करके निजी हित में उपभोग करके अपहरण राजस्व का किया गया तथा इस आशय का कोई परियोजनावार विवरण लेखा पंजीबद्ध नहीं किया गया कि कब कटौती राजस्व की, की गई एवं कब राजस्व मद अंतर्गत स्टेट बैंक में जमा किया गया। यह स्थिति अत्यंत गंभीर तथा अपहरण की श्रेणी में अधिभार अंतर्गत लायी जाती है। विभागीय जाँच/कार्यवाही किये जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है। अतः श्री वेद प्रकाश मौर्य, ख.वि.अधिकारी, श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार इस हेतु उत्तरदायी रहे हैं, अतः इसकी वसूली संयुक्त रूप से श्री वेद प्रकाश मौर्य ख. वि.अधिकारी, श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 कतिपय गैर अनुमोदित क्रय एवं व्यय तथा क्षे.पं. के नगर क्षेत्र में किये जाने की कार्यवाही किया जाना ऑडिट जाँच में पाया गया जो नियमानुसार नहीं रहा है। इस प्रकार क्षेत्र के विकास की धनराशि अन्यत्र/गैर अनुमोदित कार्यक्षेत्र में व्यय दर्शा दी गई जो अनुदान के दुरुपयोग के अंतर्गत रहा है। अतः अधिभार प्रकरण ऑडिट स्तर से लाया जाता है। दुरुपयोगित धनराशि रु. 2383882.00 की वसूली/प्रतिपूर्ति कराया जाना वांछित है। इस ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान अविलम्ब आपत्ति की मूल भावना के अनुसार कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

ज्ञातव्य है कि 13वें वित्त से सोलर लाइट क्रय किया गया, इसके अतिरिक्त बिना कोटेशन के तथा सरकारी संस्था नेडा से क्रय न करके मे. बाला जी फर्म लालकुआं, लखनऊ से क्रय किया गया जो नियमित/नियमबद्ध कार्य ही नहीं रहा है।

ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकार गैर अनुमोदित एवं नियम विरुद्ध क्रय एवं व्यय करके अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः विरुद्ध सख्त विधि सम्मत कार्यवाही अभीष्ट है। धनराशि की वसूली/समायोजन कराया जाना चाहिये। इस हेतु लेखाकार श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं ख.वि.अधि. श्री राजेश त्रिपाठी एवं श्री शिव कुमार उत्तरदायी रहे हैं। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- रेहरा बाजार (वर्ष- 2011-12 से 2018-19 तक)

प्रस्तर संख्या-11 बारहवें वित्त खाता संख्या-03803 से निम्न विवरण के अनुसार गैर अनुमोदित व्यय दर्शाये गये। वाटर कूलर व सोलर लाइट क्रय आधारहीन दर्शाया जाना पाया गया जो किसी प्रकार स्टाक लेखा अथवा सत्यापित सूची से प्रमाणित नहीं रहा है। इस प्रकार फर्जी, आधारहीन, गैर योजनागत व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। इस हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0/सहायक लेखाकार मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः ब्याज सहित कुल फर्जी व्यय दर्शित राशि की वसूली अभीष्ट है।

ज्ञातव्य है कि क्रय से सम्बन्धित बिल/प्रमाणक आदि नहीं रहे हैं। बारहवें वित्त की धनराशि का अप्रत्यक्ष रूप से अपहरण किया गया है। अतः कुल रु0 968950.00 की ब्याज सहित वसूली अविलम्ब अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। क्रम सं0-1 एवं 2 के सम्बन्ध में क्रमशः श्री अवधेश राम एवं श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार गुप्ता उत्तरदायी रहे हैं।

प्रस्तर संख्या-12

(क) बिना किसी कार्ययोजना/अनुमोदन के तथा बिना मांग/स्थल चयन के क्रय करने की कार्यवाही की गयी, जो गम्भीर तथा विकासगति परक अनुदान राशि का दोहन किया जाना पाया गया।

(ख) नेडा से क्रय रु0 170000.00 का दर्शाया गया जो नियमानुसार सरकारी ऊर्जा संगठन से रहा है। अन्य क्रय प्राइवेट संस्थाओं को प्रस्तावित करके भ्रामक फर्जी व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके धनराशि का अपहरण किया गया है।

(ग) स्टॉक मांग/आपूर्ति/उपभोग/अनुमोदन उच्च विभागीय अधिकारियों/जिला योजना/जिला अधिकारी स्तर से नहीं रहा है। न ही टेण्डर प्रक्रिया अपनायी गयी। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं होती है। अतः कुल दर्शित व्यय रु0 5505525.00-170000.00 . 5335525.00 की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से वसूल किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विभागीय विधि-सम्मत विरुद्ध कार्यवाही अभीष्ट है। इस सम्बन्ध में श्री देवेश चन्द्र ख0वि0अ0 श्री राम कृपाल चौधरी ख0वि0अ0 एवं श्री अवधेश राम ख0वि0अ0 तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री रामअचल उत्तरदायी रहे हैं।

प्रस्तर संख्या-13 श्री संदीप कुमार अवर अभियंता (लघु सिंचाई) को सतत् व्यक्तिगत तौर पर भुगतान आलोच्य वर्षों में अनियमित/आधारहीन ढंग से करके अनुदान राशि रु0 1776838.00 का जानबूझकर अपहरण कराये जाने की स्थिति निम्न विवरण के अन्तर्गत पायी गयी। अतः श्री संदीप कुमार से वसूली तथा ख0वि0अ0/लेखाकार के संयुक्त दायित्व की परिधि में विशेष रूप से विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस परिप्रेक्ष्य में आकृष्ट है, ज्ञातव्य है कि स्वायत्तशासी एवं मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है। अतः अपहरण की श्रेणी अन्तर्गत प्रकरण अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है। उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री जीशान रिजवी, श्री देवेश चन्द्र, श्री राम कृपाल चौधरी, श्री सच्चिदानन्द निगम, श्री अवधेशराम खण्ड विकास अधिकारीगण एवं श्री संदीप कुमार अवर अभियंता (लघु सिंचाई) तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री राम अचल उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 बैंक विवरण लेखों एवं अनुदान पंजी-तृतीय के सापेक्ष जांच अन्तर्गत पाया गया कि वर्षवार आय-व्यय एवं वर्षांत अवशेष में अधिक अंतर रहा है। अनुदान पंजी-तृतीय लेखा या तो मिलान/बैंक समाधान के आधार पर तैयार नहीं किये गये अथवा सहायक लेखाकार स्तर से लेखा रखरखाव जानबूझकर समाधानित न करके गम्भीर अनियमितता की स्थिति लेखा रखरखाव में उत्पन्न की गयी। इस सम्बन्ध में उच्च विभागीय अधिकारी एवं ख0वि0अ0 द्वारा कभी भी न तो जांच की गई न ही समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। प्रकरण अति गम्भीर होने से अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है। अविलम्ब उत्तरदायी स0 लेखाकार/ख0वि0अ0 के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। अनुदानपंजी-03 की अवशेष एवं बैंक स्टेटमेंट के अवशेष में दिनांक 31.03.2014 को अन्तर रु0 11031963.00 का रहा है, जो एक गम्भीर तथ्य है। विवरण प्रतिवेदन के भाग-02 (अ) में उल्लिखित है।

उक्त अंतर के प्रति लेखाकार श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री रामअचल एवं श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जीशान रिजवी, श्री देवेश चन्द्र, श्री रामकृपाल चौधरी, श्री सच्चिदानन्द निगम, श्री रामकिशोर, श्री अवधेश राम एवं श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल उत्तरदायी रहे हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 अनुदान पंजी-द्वितीय एवं तृतीय पारस्परिक जांच के अन्तर्गत पाया गया कि कतिपय अनुदान बहुत पुराने हैं, तथा उससे सम्बन्धित योजनाएं बंद हो चुकी हैं। परन्तु धनराशियां जिला योजना को समय से वापस नहीं की गयी एवं न ही इस सम्बन्ध में उच्च विभागीय अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर आगामी योजना में सम्मिलित करके उपभोग/समाधान भी नहीं किया गया, जो लेखाकार व ख0वि0अ0 की भारी भूल है, जिसके लिए संयुक्त रूप से स0लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी व ख0वि0अ0 श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल उत्तरदायी रहे हैं। कुल धनराशि रु. 1038938.00 गम्भीर आपत्ति की श्रेणी में लाई जाती है। अतः अविलम्ब समाधान/वापसी की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

(क) आलोच्य वर्षों में स्टाक निर्माण सामग्री अन्य स्टाक जो क्रय दर्शाए गये तथा भुगतान तद् विषयक खारिज किये गये, के बिलों पर आयकर एवं वैट (केन्द्रीय एवं राजकीय राजस्व) की कटौती ही नहीं की गयी, कतिपय बिलों के विरुद्ध जो कटौतियाँ की गयी उन्हें नियत मद में जमा किये जाने की पुष्टि भी नहीं होती है न ही परियोजनावार इस मद का कोई रजिस्टर ही तैयार किया गया है।

(ख) उक्त के अतिरिक्त 2013-14 में निम्न प्रकार सामग्री मद के बिलों के भुगतान पर भी केन्द्रीय राजस्व/राज्य राजस्व की क्षति की गई है। इस प्रकार कुल रु0 4038901.00+844443.रु0 4883344.00 सामग्री मद के व्यय बिलों पर आयकर 02 प्रतिशत से रु0 97666.88 एवं वैट 04 प्रतिशत की दर से रु0 195334.00 होता है। अतः कुल रु0 293000.88 के राजस्व की प्रतिपूर्ति किया जाना था, जिसके विरुद्ध वर्ष 2013-14 में मात्र रु0 116822.00 की कुल कटौती की गई है। इस प्रकार अन्तर रु0 176178.88 की कटौती ही नहीं गयी है। परिणाम स्वरूप राजस्व की क्षति करके आर्थिक अपराध किया गया है, जो अधिभार के अन्तर्गत अपहरण की श्रेणी में दर्शाया जाता है। अविलम्ब समाधान राजस्व का किया जाना अभीष्ट है। इस हेतु स0 लेखाकार एवं ख0वि0अ0 अवधि कार्यकाल के अनुसार क्रमशः लेखाकार सर्व श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री रामअचल एवं सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी एवं सर्व श्री जीशान रिजवी ख0 वि0अ0 श्री देवेश चन्द्र ख0वि0अ0, श्री राम कृपाल चौधरी ख0वि0अ0, श्री सच्चिदानन्द निगम ख0वि0अ0, श्री रामकिशोर ख0वि0अ0, श्री अवधेश राम ख0वि0अ0, श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल ख0वि0अ0 उत्तरदायी रहे हैं। अतः संस्था से वसूली कर जमा कराया जाना अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ग) नियत मद में कटौती राजस्व रु0 116822.00 दर्शित है, जिसके विरुद्ध रु0 105371.00 नियत मद में वर्ष 2013-14 (मार्च 2014 में) में जमा दर्शित है तथा रु0 11451.00 दिनांक 31.03.2014 को कटौती राशि रोकी गयी है। जो मनमाने ढंग से राजस्व के प्रति कार्यवाही को दर्शाता है। कटौती न करना समयबद्ध ढंग से नियत मद में जमा न करना दण्डनीय (पेनाल्टीयुक्त) है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान सख्त कार्यवाही हेतु आकृष्ट है। ज्ञातव्य है कि जमा राशि पुष्टि मात्र अनु0 पंजी0-तृतीय से होती है। अन्य विवरण अपुष्ट रहे हैं। उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 दिनांक 13.02.2013 को चेक संख्या-006161 से रु0 11850.00 का भुगतान मे0 रामपाल अमरउजाला को वास्ते, सोशल ऑडिट प्रचार-प्रसार किया गया है। इसकी पुष्टि प्रचार-प्रसार, कटिंग पेपर्स आदि के अभाव में नहीं की जा सकी। योजना के प्रचार-प्रसार पर व्यय पर कोई गाइडलाइन्स न होने से इस प्रकार का व्यय दुरुपयोग रु0 11850.00 किया जाना पाया गया। अतः दुरुपयोगित धनराशि अधिभार अन्तर्गत होने से ब्याज सहित वसूली योग्य है। वसूली हेतु ध्यान आकृष्ट है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश राम एवं श्री लेखाकार श्री अशोक कुमार गुप्ता उत्तरदायी रहे हैं।

प्रस्तर संख्या-18 आलोच्य वर्ष 2014-15 व 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय, 13वें वित्त मद से अनधिकृत/गैर अनुमोदित/गैर पारित प्रस्ताव के करके धनराशि रु. 1825834.00 का अप्रत्यक्ष रूप से अपहरण किया गया है।

इस प्रकार रु0 1825834.00 व्यय दर्शाने के संबंध में निम्न आपत्तियाँ रहीं-

I-सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय के कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पूर्णतया अनुपालन ही नहीं किया गया है।

II-नियत कुल 03 सप्लायर्स/फर्म को रु0 1825834.00 वास्ते सोलर स्ट्रीट लाइट भुगतान दर्शाया है जो अवास्तविक क्रय को इंगित करता है।

III-मे0कीरत ट्रेडर्स को 40 नग क्रय हेतु रु0786000.00 का भुगतान दर्शाया गया है जो आधारहीन एवं औचित्य से परे रहा है।

IV-मे0अनुराग कंस्ट्रक्शन को भुगतान दर्शित कुल 09 बार वास्ते 05 नग, 08 बार एवं 03 नग, 01 बार के बिलों से आयकर कटौती भी दर्शायी गई है तथा बिक्रीकर कटौती की ही नहीं गई है।

V-मे0कीरत ट्रेडर्स गोण्डा से 40 नग एकमुश्त क्रय पर व्यय दर्शित धनराशि में रु0 31440.00 (4%) बिक्रीकर की भी कटौती/आयकर के साथ दर्शायी गई है।

VI-सोलर लाइट क्रय/मॉग का कोई अनुमोदन/प्रस्ताव/स्थल सूची/चयन स्थल व लाभार्थी का विवरण शून्य रहा है।

VII-स्टाक लेखा रखरखाव बाबत सोलर स्ट्रीटलाइट एवं अवस्थापना व विद्युत विभाग से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त न होना पाया गया।

VIII-ज्ञातव्य है कि सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की मानक एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु एक मात्र अधिकृत नोडलएजेंसी यू०पी०नेडा है, परन्तु नेडा से क्रय का कोई प्रस्ताव ही नहीं किया गया।

अतः भ्रामक/फर्जी/अनधिकृत/आधारहीन/गैरअनुमोदित व्यय दर्शाकर धनराशि रु०1825834.00 का अपहरण किया गया है। इस प्रकार 13वें वित्त की धनराशि का निजी हित में दोहन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हीरालाल मिश्र एवं संयुक्त रूप से तत्कालीन लेखाकार श्री राधामोहन मिश्र द्वारा किया गया है। अतः धनराशि की वसूली मयब्याज तथा विधिसम्मत कार्यवाही अभीष्ट है। प्रकरण गम्भीर रहा है, अतः 'अधिभार अंतर्गत' अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या-19

(क) विधायक निधि खाता संख्या- 50078868736 में इलाहाबाद बैंक रेहरा बाजार के अनुसार तथा बैंक में अवशेष आदि की प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक अन्तर की स्थिति रही है।

14(ख) विधायक निधि स्टेट बैंक शाखा सरायखास के लेखा बैंक प्रस्तुत एवं अनुदान पंजी के अनुसार निम्न प्रकार विवरण रहा है-

नोट-

1. बैंक स्टेटमेंट अप्राप्त रहा।

2. बैंक समाधान विवरण लेखा तैयार नहीं किया गया।

अतः उपर्युक्त प्रकार से अन्तर रखा जाना खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल, बलिराम वर्मा, अवधेश राम, हीरालाल मिश्र, एजाज अहमद खाँ, शिवकुमार, राजाराम चौधरी तथा श्री राम आसरे सिंह एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी, राधामोहन मिश्र एवं श्री राम अचल की संयुक्त उदासीनता व लापरवाही का द्योतक है। अतः अन्तर रु०650000.00 एवं दिनांक 31.03.2017 को ही 114416.00, कुल रु० 764416.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में ऑडिट स्तर से पाया गया। अतः अधिभार प्रकरण के अंतर्गत लाया जाता है। सख्त विरुद्ध कार्यवाही एवं समाधान कराया जाना अभीष्ट है।

ज्ञातव्य है कि अनु.पंजी. III में ऑडिट स्तर से सुधार का प्रयास करके लेखा दर्शाया गया है। बैंक स्टेटमेंट से मिलान कराकर पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 अधिकांश अनुदान वर्ष 2013-14 के पूर्व से ही अप्रयुक्त रखे गए हैं जैसाकि अनुदान पंजी II एवं III से आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में संज्ञान लिया गया। किस खाता संख्या में कौन से अप्रयुक्त अनुदान हैं, विवरणहीन रहा है, तथा प्राप्त ब्याज भी किसी प्रकार संदर्भित नहीं है। लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी एवं साथ ही विभागीय उच्च अधिकारी इस हेतु निष्क्रिय/उदासीन सतत् बने हुए हैं। अविलम्ब शेष अनुदानों (जो योजनाएँ बंद हो चुकी हैं/अप्रयुक्त विगत वर्षों से हैं) की वापसी जिलायोजना/संबंधित विभाग को प्रत्यावर्तित किए जाने की कार्यवाही अभीष्ट है। लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी, राधामोहन मिश्र एवं श्री राम अचल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल, बलिराम वर्मा, अवधेश राम, हीरालाल मिश्र, एजाज अहमद खाँ, शिवकुमार, राजाराम चौधरी तथा श्री राम आसरे सिंह के विरुद्ध इस संबंध में सकारात्मक/नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः कुल धनराशि रु०1956641.00 पर प्राप्त ब्याज सहित वापसी करके पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 लेखा रखरखाव की विसंगतिपूर्ण स्थिति के अंतर्गत वर्षांत 31.3.2015, 31.03.2016 एवं 31.03.2017 को निम्न प्रकार अनु.पंजी. III में अवशेष एवं बैंक खातों में प्रस्तुत किए विवरण अवशेषों में पर्याप्त अन्तर की स्थिति रही है। बैंक समाधान लेखा न तो मासांत में बनाए गए न ही वार्षिक लेखाबंदी में बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करके ही तैयार किए गए हैं। समाधान लेखा तैयार न करके कम/अधिक की गम्भीर अनियमितता लेखाकार द्वारा की गई है। अनु.पंजी. III के अंतिम अवशेष से बैंक खातों में कम की स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार अधिक कुल रु० 41581571.00 एक गम्भीर प्रकरण है जो लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी, राधामोहन मिश्र एवं श्री राम अचल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र प्रसाद पाल, बलिराम वर्मा, अवधेश राम, हीरालाल मिश्र, एजाज अहमद खाँ, शिवकुमार, राजाराम चौधरी तथा श्री राम आसरे सिंह के संयुक्त दायित्व के अंतर्गत लेखा परीक्षा द्वारा आंकलित किया जाता है। प्रकरण अति गम्भीर होने के कारण अधिभार अंतर्गत लाया जाता है। सख्त विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 टी.डी.एस./बिक्री कर/जी.एस.टी. कटौती विभिन्न परियोजनाओं पर भुगतान करके की गई है। जिसका विवरण अनु.पंजी.।। में दर्ज किया गया है परन्तु परियोजनावार राजस्व कटौतियों का लेखा रजिस्टर तैयार करके नहीं रखा गया है जो अतिआवश्यक रहा। लेखाकार की यह कार्यशैली अत्यंत असंतोषजनक रही है तथा ख.वि.अधि.भी इस संबंध में जागरूक नहीं रहे हैं। रजिस्टर तैयार कर स्थिति स्पष्ट वर्षवार किया जाना चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि 31.03.2018 व 31.03.2019 को रु.1073208.00 राजस्व कटौती उपरांत संस्था में यथावत पड़ा हुआ है।

प्रस्तर संख्या-23 टी.डी.एस.कटौती/बिक्रीकर- जी.एस.टी कटौती के अंतर्गत आलोच्य वर्ष 2017-18 व 2018-19 में अवशेष राशि एवं वर्ष 17-18 में कटौती से आय कुल रु. 1719629.00 में मात्र 646421.00 ही वर्ष 17-18 में नियत मद में राजस्व जमा कराया गया तथा रु. 1073208.00 जमा न करके संस्था में रोक लिया गया। पुनः वर्ष 18-19 में कुल कटौती से आय रु. 831850.00 को ही नियत राजस्व मद में वर्ष के दौरान जमा किया गया तथा रु. 1073208.00 को यथावत् संस्था में रोका गया। इस प्रकार लेखाकार व ख.वि.अधि. संयुक्त गैर जिम्मेदाराना नीति से संस्था पर अर्थदण्ड/पेनाल्टी लगना स्वाभाविक रहा है। विभागीय नियंत्रण भी इस संबंध में शून्य रहा है। ज्ञातव्य है कि टैन नं./जी.एस.टी. नम्बर पर धनराशि प्रतिमाह के अन्त के आगामी माह की 06 तारीख से 18 तारीख तक नियत मद में राजस्व जमा करा देना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अतः रु. 1073208.00 पर 12:दण्डात्मक ब्याज जो एक वर्ष का रु. 128785.00 आंकलित है, संस्था द्वारा किये गए आर्थिक अपराध की दण्डात्मक वसूली हेतु अभिप्रेत है। अतः उत्तरदायी ख.वि.अधि. श्री राम आसरे सिंह, श्री शिव कुमार, श्री बाबूराम तिवारी, श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, श्री यशोवर्धन सिंह, श्री रामेन्द्रसिंह कुशवाहा एवं श्रीमती वर्षा सिंह एवं स.लेखाकार श्री राम अचल एवं श्री राधा मोहन मिश्र से धनराशि की वसूली सहित राजस्व मद में अविलम्ब जमा कराया जाना अभीष्ट है। प्रकरण गम्भीर है तथा प्रत्यक्ष रूप से राजस्व को छिपाने के फलस्वरूप एक आर्थिक अपराध है जो अधिभार अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में आता है। अविलम्ब वसूली करके जमा कराकर पुष्टि कराया जाना चाहिये। साथ ही उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विधिक विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि जमा माह 12.2017 में रु. 646421.00 एवं माह 09.2018 में रु. 831850.00 राजस्व आलोच्य वर्षों में क्रमशः एक-एक बार ही जमा किया गया है।

प्रस्तर संख्या-24 12वें वित्त की धनराशि विगत वर्षों से रु.493894.00 अवशेष रही है। 13वें वित्त के लागू होने के पश्चात 12वें वित्त की योजना समाप्त हो गई, परन्तु इस धनराशि को 31.03.2017 तक वापस जिला योजना को नहीं किया गया। बल्कि वर्ष 2017-18, माह- 03.2018 में बिना किसी उच्च अधिकारी की अनुमति से रु. 493894.00 तृतीय राज्य वित्त में विलय करके व्यय दर्शा दिया गया। इस प्रकार अनियमित कार्यवाही के प्रति ख.वि.अधि. श्री बाबूराम तिवारी एवं स.लेखाकार श्री राधामोहन मिश्र उत्तरदायी रहे हैं। प्रकरण गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है, अतः अधिभार प्रकरण के अंतर्गत लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 अनुदान पंजी.।।। के शुद्ध योग वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के अनुसार बैंक शेष 31.03.2018 व 31.03.2019 एवं अनु.पंजी.।।। अवशेष 31.03.2018 व 31.03.2019 में पर्याप्त अन्तर लेखा परीक्षा में पाया गया जो एक गम्भीर प्रकरण है। बैंक समाधान विवरण लेखा तैयार न करने, प्रति माह अनु.पंजी.।।। व बैंक खातों की विवरणियों का मिलान न करने से अन्तर की असमाधानित स्थिति रही है। लेखाकार श्री राम अचल एवं श्री राधा मोहन मिश्र इस संबंध में मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं, साथ ही ख.वि.अधि. श्री राम आसरे सिंह, श्री शिव कुमार, श्री बाबूराम तिवारी, श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, श्री यशोवर्धन सिंह, श्री रामेन्द्रसिंह कुशवाहा एवं श्रीमती वर्षा सिंह भी संयुक्त रूप से इस प्रकार की गड़बड़ी के जिम्मेदार रहे हैं, अतः सख्त विभागीय सघन जाँच व उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। प्रकरण अति गम्भीर होने के कारण अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है। विवरण निम्नांकित है:-

1.	31.03.2018 को अनु.पंजी.।।। के अनुसार अवशेष	रु.	19974918.00
	31.03.2018 को बैंक खातों का शेष	रु.	15671160.00
	अन्तर	-	4303758.00
2.	31.03.2019 को अनु.पंजी.।।। के अनुसार अवशेष	रु.	10419816.00

ज्ञातव्य है कि अनु.पंजी. शेष अधिक है तथा बैंक खातों में शेष कम है जो विसंगतिपूर्ण / सम्भव नहीं है क्योंकि अनाहरित चेकें जो मार्च.2018 या मार्च.2019 में काटी गईं तथा बैंक प्रस्तुत नहीं हुईं, के कारण अनु.पंजी.।।। में बैंक शेष से कम अवशेष होना चाहिये। अतः इस गम्भीर तथ्य का समाधान अविलम्ब वांछित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— हरैया सतघरवा (वर्ष 2011—12 से 2013—14 एवं 2014—15 से 2016—17 तक)

प्रस्तर संख्या—26. आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/13वां वित्त खाता संख्या—22570187201 से दिनांक 07.04.2011 को रुपये 5160.00 का भुगतान श्री संजीव कुमार को किया गया है। यह भुगतान किस उद्देश्य से किस कार्य पर एवं किसके आदेश पर किया गया। लेखा परीक्षा में कोई स्पष्टीकरण न तो प्रस्तुत किया गया और न ही संबंधित कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत रहा। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 की धारा—8 के अनुसार प्रमाणक विहित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।

अस्तु उक्त नियम के आलोक में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि कूटरचित अभिलेखीय अंकन करके धनराशि रु0 5160.00 का अपहरण करके क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी भरपाई बराबर हिस्सों में तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—27. दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि राज्य वित्त/13वां वित्त खाते से दिनांक 26.04.2011 एवं 27.04.2011 को क्रमशः तिवारी ट्रेडर्स एवं संजीव कुमार को क्रमशः 16397.00 एवं 26620.00 रुपये का भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई व्यय प्रमाणक/उद्देश्य युक्त प्रासंगिकता संबंधी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक विहित व्यय लेखा मैनुअल के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। नियम के आलोक में लेखा परीक्षा को आपत्ति है कि रु0 43017.00 का अपहरण करके क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से वसूली बराबर हिस्सों में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—28 दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि दिनांक 04.05.2011 को क्रमशः 3.50 एवं 3.50 तथा दिनांक 06.05.2011 को क्रमशः 17.00 एवं 17.00 की कटौती बैंक द्वारा राज्य वित्त/तेरहवां वित्त खाता सं0—22570187201 में की गयी है। स्पष्ट है कि विभागीय नियमों को दरकिनार करते हुए संबंधित पक्ष को भुगतान एकाउंट पेयी चेक से न करके आर0टी0जी0एस0 द्वारा किया गया है। परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है, वहीं दूसरी ओर आर0टी0जी0एस0 चार्ज के नाम पर क्षेत्र पंचायत की रु0 41.00 से क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंची है। जिसकी भरपाई तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से ब्याज सहित वसूली करके किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—29 दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि दिनांक 07.07.2013 को क्रमशः चेक सं0 004569, 004570, 004568 से क्रमशः श्री सुरेन्द्र पाल सिंह आकाश ब्रिक फील्ड, आकाश ब्रिक फील्ड को क्रमशः रु0 62550.00, रु0 126664.00 एवं रु0 174944.00 का भुगतान राज्य वित्त/13 वां वित्त के खाता सं0 22570187201 से किया गया है। यह भुगतान किस कार्य पर किस हेतु किया गया कि पुष्टि में कोई प्रमाणक, वित्त, कार्य पत्रावली, प्रस्ताव एवं संस्तुति पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा अस्तु उक्त क्रम में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त तत्संबंधी अंकन पूर्णतः कूटरचित है और ऐसा करके रु0 364158.00 का अपहरण करते हुए क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी जिसकी भरपाई तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से करते हुए किये जाने हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—30 दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि दिनांक 10.08.2013 को चेक सं0 000485 से रु0 479903.00 का भुगतान एस0पी0 सिंह कान्द्रेक्टर को किया गया है, जिस संबंध में बैंक स्टेटमेंट साक्ष्य है। उक्त के संबंध में न तो कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गयी और न ही तत्संबंधी अन्य प्रमाणक ही प्रस्तुत रहे। परिणाम स्वरूप भुगतान से संबंधित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों की पुष्टि नहीं होती, वहीं दूसरी ओर उक्त भुगतान प्रमाणकों के अभाव में अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि औचित्य विहित एवं आधारहीन भुगतान करके क्षेत्र पंचायत को रु0 479903.00 से क्षति पहुंचायी गयी है।

जिसकी भरपाई हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधि० तत्कालीन से ब्याज सहित वसूली करके किये जाने हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जात है।

प्रस्तर संख्या-31 दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/13वां वित्त खाते से कुल धनराशि रु. 426559.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियां हैं—

(क) दौरान लेखा परीक्षा ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय के औचित्य को सिद्ध किया जा सके।

(ख) उक्त व्यय से संबंधित को किस कार्य पर किया गया। तत्संबंधी कार्य पत्रावली दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रही।

(ग) उक्त व्यय रु० 426559.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा।

(घ) उक्त क्रम में स्पष्ट है कि समस्त व्यय आधारहीन एवं औचित्य विहीन है। लेखा मैनुअल के आलोक में प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि प्रमाणक विहीन एवं आधारहीन व्यय करते हुए क्षेत्र पंचायत को रु० 426559.00 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे०आर०ई०एस०, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधि० तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32 दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि खाते से दिनांक 21.12.2011 को रु० 457084.00 की धनराशि ट्रांसफर की गयी है। जिस पर रु० 18.25 क्रम आर०टी०जी०एस० प्रकार भी बैंक द्वारा काटा गया है। उक्त भुगतान किसको किया गया, क्यों किया गया, किस कार्य पर किया गया से संबंधित न तो लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया और न कोई प्रमाणक ही प्रस्तुत रहा कि किस कार्य पर किस हेतु उक्त भुगतान किसको किया गया। अस्तु उक्त भुगतान संबंधित वित्तीय औचित्य सिद्धान्तों की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही साथ प्रमाण विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि धनराशि रु० 457102.25 का दर्शित व्यय पूर्णतः आधारहीन एवं विवरणहीन है जो बैंक से निकालकर अपने चहेते को ट्रांसफर कर क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी। जिस क्षति की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार ख०वि०अधि० तत्कालीन से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि वि०नि० से दिनांक 16.05.2013 को रु० 49393.00 की धनराशि तिवारी ट्रेडर्स को एवं 16.05.2013 को ही पुनः रु० 39902.00 का भुगतान तिवारी ट्रेडर्स को ही किया गया है। जो एकाउंट पेयी चेक से न करके धनराशि का भुगतान ट्रांसफर करके किया गया है। जबकि निमानुसार भुगतान एकाउंटपेयी चेक द्वारा की किया जाना चाहिए, अस्तु उक्त क्रम में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त दर्शित व्यय पूर्णतः अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं ख०वि०अधि० तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि वि०नि० खाते से क्रमशः दिनांक 16.05.2013 एवं 17.07.2013 को रु० 17220.00 एवं रु० 15785.00 तथा रु० 58176.00 एवं रु० 45752.00 का भुगतान लेखाकार तत्कालीन द्वारा स्वयं किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में न तो कोई प्रमाणक उपलब्ध कराया गया और न ही ऐसा कोई साक्ष्य दिया गया कि उक्त आहरण लेखा महोदय तत्कालीन ने किस उद्देश्य से किया उक्त क्रम में स्पष्ट है कि धनराशि को आहरित करके अपहरण करते हुए क्षेत्र पंचायत को रु० 136933.00 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं ख०वि०अधि० तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35 दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी०आर०जी०एफ० खाते से दिनांक 14.05.2011 को रु० 123237.00 एवं दिनांक 01.06.2011 को रु० 146537.00 का भुगतान क्रमशः मिश्रा ब्रदर्स एवं एस०पी० सिंह को किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई भी कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय लेखा मैनुअल के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त धनराशि रु० 269774.00 का आहरण औचित्यहीन एवं आधारहीन ढंग से करके क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है, क्योंकि दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक/कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि रु० 269774.00 का आहरण अनियमित एवं आधारहीन ढंग से करके अपहरण कर लिया गया। फल स्वरूप रु० 269774.00 से क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंची है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधि० तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—36 माह मार्च 2014 के ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार विभिन्न योजनाओं का अनुदान रु0 15354178.98 था। उक्त के अतिरिक्त तेरहवां वित्त/राज्यवित्त की धनराशि रु0 6380159.00 तथा ब्याज की धनराशि रु0 170173.00 ग्राण्ट रजिस्टर में दर्शित न थी। उक्त कुल अनुदान की धनराशि रु0 21904610.98 के समक्ष उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 31.03.2014 को कुल धनराशि रु. 20556176.20 थी। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को रु0 1348440.78 का अन्तर है। जिसको न तो लेखों में अंकित किया गया है और न बैंक समाधान विवरण पत्र ही तैयार किया गया है। अन्तर का समाधान कराने अथवा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—37 वर्ष 2011—12 में रु0 248640.00, वर्ष 2012—13 में रु0 675075.00 तथा वर्ष 2013—14 में रु0 675075.00 मनरेगा कार्य मद में तथा वर्ष 2011—12 में रु0 2907205.00, वर्ष 2012—13 में रु0 1240824.00 तथा वर्ष 2013—14 में रु0 1770320.00 मनरेगा प्रशासनिक मद में व्यय किया गया। मनरेगा से सम्बंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से श्रुजित मानव दिवस एवं निर्मित परिसम्पत्तियों की स्थिति अज्ञात रहीं। मनरेगा प्रशासनिक मद की उक्त धनराशियों का भुगतान किसको किया गया और क्यों किया गया की पुष्टि में कोई भी प्रपत्र/भुगतान प्रमाणक दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणकों के अभाव में प्रकरण में निहित धनराशियां अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—38 वर्ष 2012—13 में रु0 1945833.00 पूंजीगत व्यय मद में प्राप्त हुए। जिसके समक्ष वर्ष 2013—14 में रु0 1922448.00 व्यय किए गए किन्तु व्यय की कार्य योजना इस्टीमेट, स्वीकृति, टेण्डर पत्रावली, कार्य पत्रावली तथा उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप व्यय की गई धनराशि की जांच न की जा सकी। विभागीय अधिकारियों का ध्यान उपभोग की गई धनराशि की जांच कर पुष्टि करने अथवा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—39 लेखा परीक्षा में मनरेगा खाते से किया गया भुगतान पूर्ण रूप से अनियमित है विवरणानुसार मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल बनाकर श्रमिकों के खाते में एवं सामग्री का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा/डोंगल से संबंधित फर्म के खाते में किया जाना चाहिए। ऐसा न करते हुए व्यक्तिगत भुगतान कार्य प्रभारियों को किया गया है। और सामग्री का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से संबंधित फर्म को न करके अज्ञात खातों में ट्रांसफर किया गया है। बैंक खाता स्टेटमेंट से उपरोक्त की पुष्टि होती है। इसी प्रकार अन्य खातों में (विधायक निधि) भी अनियमित ढंग से धनराशि आहरित करते हुए अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा से स्पष्ट है कि मनमाने तरीके से धनराशि का अपहरण करके संस्था को रु0 1412448.00 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी और जे0ई0 तत्कालीन से बराबर हिस्सों में वसूली करके की जाय।

प्रस्तर संख्या—40 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राण्ट पंजी तृतीय के अनुसार वर्ष 2014—15 में टी0डी0एस0 की कोई कटौती नहीं की गयी है। जबकि ग्राण्ट पंजी तृतीय के अनुसार कुल धनराशि रु0 28081670.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। नियमानुसार 2.26 प्रतिशत की दर से धनराशि रु0 634645.74 की टी0डी0एस0 कटौती की जानी चाहिए थी। टी0डी0एस0 न काटकर रु0 634645.74 से राजकीय राजस्व को जानबूझकर क्षति पहुंचायी गयी। जिसके लिए समस्त उत्तरदायित्व लेखाकार श्री सुखदेव एवं खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन का है। राजकीय राजस्व की क्षतिपूर्ति लेखाकार तत्कालीन एवं खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से ब्याज सहित वसूली करके की जाय। साथ ही साथ विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—41 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015—16 में रु0 230939.00 एवं 2016—17 में रु0 114470.00 की धनराशि टी0डी0एस0 जमा किया जाना ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार दर्शित है। जिसकी पुष्टि में संबंधित विभाग में किये गये भुगतान का कोई भी प्रमाणक/पुष्टि पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि धनराशि भुगतान दर्शित करके अपहरण कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली करते हुए खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी से किया गया।

प्रस्तर संख्या—42 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2014—15 में व्यय धनराशि रु0 28081670.00 के सापेक्ष वैट की कटौती नहीं की गयी है। जिससे 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 112327.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति

की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से की जाय।

प्रस्तर संख्या-43 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2015-16 में रु0 208834.00 एवं 2016-17 में रु0 151774.00 वैट कटौती की धनराशि जमा/भुगतान किया जाना ग्राण्ट पंजी तृतीय में दर्शित है। जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाण-पत्र/भुगतान का साक्ष्य लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि फर्जी भुगतान/जमा दर्शित कर धनराशि रु0 350608.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली/क्षति की पूर्ति खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी से ब्याज सहित की जाय।

प्रस्तर संख्या-44 ग्राण्ट पंजी तृतीय के अनुसार वर्ष 2014-15 में कोई भी जमानत धनराशि न तो जमा करायी गयी न तो भुगतान किया गया है। जबकि ग्राण्ट पंजी के अनुसार वर्ष दौरान रु0 28081670.00 व्यय किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त समस्त ब्याज रु0 28081670.00 व्यय दर्शित करके अपहरण किया गया है यदि कार्य कराया गया होता तो जमानत जमा करायी गयी होती, वैट काटा गया हो एवं टी0डी0एस0 की कटौती की गयी होती। लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि फर्जी/कूट रचित ढंग से ग्राण्ट पंजी पर व्यय दर्शित करके धनराशि आहरित करके अपहरण कर ली गयी है। जिसके सापेक्ष न तो कार्य पत्रावलियां उपलब्ध रही न ही टेण्डर जमानत एम0बी0 रजि0 आदि प्रमाणक उपलब्ध रहे। धनराशि रु0 28081670.00 से हुई संस्था की क्षति एवं राजस्व की हानि की भरपायी हेतु ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45 आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना ग्राण्ट रजि0 तृतीय में अंकित है।

आलोच्य वर्षों में कुल धनराशि रु0 61629457.00 का व्यय किया जाना ग्राण्ट रजि0 तृतीय में अंकित है। कर्मकार, कल्याण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेवर शेष की कटौती करके कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना अनिवार्य है। कुल देय धनराशि 1 प्रतिशत की दर से रु0 616294.00 लेवर शेष काटा जाना था खण्ड विकास प्रशासन द्वारा लेवर शेष न काटकर अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। आंकलित लेवर शेष की धनराशि रु0 616294.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-गैंडास बुजुर्ग (वर्ष- 2011-12 से 2018-19 तक)

प्रस्तर संख्या-46 मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में कार्य प्रभारियों द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बंधित कुल 26 कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत की गयी। जिनमें संलग्न मस्टर रोल के अनुसार श्रमांश का भुगतान मजदूरों को किया जाना दर्शित है। जबकि ग्राण्ट रजिस्टर पार्ट 2 से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी को किया गया है। जिसकी पुष्टि कतिपय कार्य पत्रावलियों से भी होती है। अस्तु उक्त समस्त भुगतान पूर्णतः अनियमित है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों के अनुसार कार्य प्रभारियों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1620272.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। साथ ही यह भी प्रकरण प्रकाश में आया कि कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही मजदूरी धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी को कर दिया गया है। (जैसे- उक्त तालिका के क्रमांक 6, 7, 9 आदि)। स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1620272.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई0/लेखाकार तत्कालीन/कार्य प्रभारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत समान रूप से उत्तरदायी है। धनराशि रु0 1620272.00 से हुई क्षेत्र पंचायत की क्षति की भरपाई ब्याज सहित करते हुए किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने से राजस्व की हानि-

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन क्रमशः रु0 160957.00, 50091.00, 160654.00 की टी0डी0एस0 कटौती को बैंक में जमा किया जाना दर्शित किया गया है। जिसके पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/जमा रसीद दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रमाणकों के अभाव में दर्शित जमा धनराशि अपुष्टित है। प्रदत्त कार्य पत्रावलियों के अनुसार आलोच्य वर्षों में कुल रु0 32124497.00 व्यय करके ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों की कार्य पत्रालियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जिस पर 2.00 की दर से रु0 642490.00 टी0डी0एस0 होता है। जबकि प्रदत्त अभिलेखों के अनुसार कुल रु0 371702.00 की कटौती की राशि जमा किया जाना दर्शित है और अभिलेखों के अनुसार रु0 51086.00 वापस करना शेष है। इस प्रकार कुल कटौती रु0 422788.00 की गयी है। जबकि कटौती रु0 642490.00 की जानी चाहिए थी। स्पष्ट है कि कम कटौती करके रु0 168616.00 से राजकीय राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 422788.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रु0 33382947.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वैट मद में कुल रु0 3335318.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 1335318.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 1335318.00 से राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 1335318.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर क्रमशः रु0 1385444.50, 1710567.00, 1151575.00 ब्याज खातों में (अनुदान पंजी के अनुसार) अवशेष वर्षांत पड़ा रहा। जिसे उपरोक्तानुसार जमा किया जाना अनिवार्य है ऐसा न करके सम्बंधित शासनादेशों एवं नियमों का उल्लंघन किया गया है। जो राजकीय राजस्व का दुरुपयोग है प्रकरण विभागीय उच्चधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या-50 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में कुल धनराशि रु0 32124497.00 का बिल ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों की भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया। कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती करके कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराया जाना अनिवार्य है। कुल देय धनराशि पर रु0 321245.00 लेबर सेस के रूप में कटौती की जानी थी और सम्बंधित कोष में जमा किया जाना था। परन्तु विकास खण्ड प्रशासन द्वारा कोई कटौती नहीं की गयी। परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं उक्त नियम का उल्लंघन हुआ। वहीं दूसरी ओर रु0 321245.00 से राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। क्षतिपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन एवं अन्य जिम्मेदार विकास प्रशासन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51 लेखा परीक्षा में ग्राण्ट पंजी तृतीय के अनुसार दर्शित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि की कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है। लेखा परीक्षा से स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों पर व्यय कुल धनराशि रु0 23784798.00 के सापेक्ष मात्र रु0 9821473.00 धनराशि की कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। लेखा मैनुअल क्षेत्र पंचायत के अनुसार प्रत्येक व्यय की पुष्टि हेतु पत्रावली तैयार की जानी अनिवार्य है। यदि व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। लेखा मैनुअल के आलोक में स्पष्ट है कि रु0 13963325.00 की धनराशि की व्यय का अंकन आधारहीन एवं कूटरचित है। ऐसा करते हुए धनराशि रु0 13963325.00 का व्यय फर्जी ढंग से ग्राण्ट रजिस्टर भाग तीन पर करके धनराशि आहरित करके अपहरण की गयी है। जिसके परिणाम स्वरूप रु0 13963325.00 से क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंची है। क्षति की भरपाई खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन एवं लेखाकार तत्कालीन से बराबर हिस्सों में ब्याज के साथ करते हुए किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-52 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 8 नग सोलर लाइट की स्थापना करवाई जानी अभिलेखों में अंकित

किया गया है। जिस पर कुल धनराशि रु0 186000.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है। उक्त पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं—

(क). बिना टेण्डर कराये सोलर लाइट क्रय एवं स्थापना करायी गयी है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु0 बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु0 एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

(ख). प्रस्तुत व्यय प्रमाणक पर टिन नं0 अंकित नहीं है।

(ग). उपरोक्त कार्य बी0आर0जी0एफ0 मद से कराया गया है। जबकि बी0आर0जी0एफ0 में सोलर लाइट अनुमन्य नहीं है।

(घ). कैशमेमो पर भुगतान कर दिया गया। जबकि बिल पर भुगतान किया जाना चाहिए।

(ङ). एम0बी0 एवं स्टीमेट नहीं है। कार्यपूर्ति/अवस्थापना प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा।

(च). सोलर लाइट का क्रय नेडा से नहीं किया गया है। जिससे क्षेत्र पंचायत सबसिडी से मिलने वाली धनराशि के लाभ से वंचित रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धनराशि के बन्दरबांट हेतु अनियमित क्रय करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिससे हुई क्षति की भरपाई कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार, लेखाकार तत्कालीन एवं खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों को दिये गये टेण्डर के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि रु0 32124497.00 के सापेक्ष उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कोई भी जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। नियमानुसार किसी भी टेंडर के साथ जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है जब कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा ठेकेदारों द्वारा दर्शित कार्य रु0 32124497.00 के सापेक्ष 5 प्रतिशत की दर से रु0 1606224.00 की जमानत जमा कराई जानी थी। जिसके सापेक्ष कोई जमानत नहीं ली गयी। जमानत पंजी भी नहीं प्रस्तुत की गयी और न ही किसी अभिलेख में जमानत जमा कराये जाने व वापस किये जाने से सम्बंधित कोई विवरण दौरान लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि अपने चहेतों को गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कृत्य करते हुए घोर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए पूर्ण रुप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार जिम्मेदार है। कार्य वाही हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। उक्त दर्शित व्यय पूर्ण रुप से अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में तेरहवां वित्त मद से सोडियम लाइट/स्ट्रीट लाइट की विभिन्न स्थानों पर स्थापना किये जाने पर रु0 612000.00 की धनराशि व्यय किया जाना दर्शित किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं—

(क). बिना टेण्डर कराये सोडियम लाइट क्रय एवं स्थापना करायी गयी है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु0 बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु0 एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

(ख). प्रस्तुत व्यय प्रमाणक पर टिन नं0 अंकित नहीं है।

(ग). विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। बिना विद्युत कनेक्शन के सोडियम लाइट की स्थापना पूर्णतः अप्रासंगिक है।

(घ). टी0डी0एस0 काटा गया है। जबकि वैट जो 4 प्रतिशत की दर से रु0 24480.00 होता है नहीं काटा गया।

अस्तु स्पष्ट है कि जहां एक ओर बिना टेण्डर कराये क्रय करके अनियमितता की गयी है। वहीं दूसरी ओर रु0 24480.00 वैट न काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी साथ ही साथ प्रतिवर्ष हजारों रु0 की बिजली चोरी करने के लिए प्रत्यक्ष रुप से नजीर पेश की गयी है। लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त के आलोक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 612000.00 पूर्णतः अनियमित है। जिससे हुई क्षति की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55 लेखा परीक्षा में पाया गया कि फर्जी वाउचर के आधार पर सामग्री क्रय पर रु399265.00 का भुगतान किया गया है।

उपरोक्त किसी भी व्यय प्रमाणक पर न तो टिन नं० अंकित है और न ही निर्धारित वैट काटा गया है अर्थात् गैर पंजीकृत फर्म को नियम विरुद्ध अनियमित भुगतान करके क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। क्षति की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता ए०डी०ओ० आई०एस०बी० से किये जाने हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। साथ ही साथ यह तथ्य भी विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि यह तो मात्र उदाहरण है गहन छान बीन के उपरान्त ऐसे तमाम प्रकरण प्रकाश में आने से इन्कार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान मनरेगा बोरिंग श्रमांश मद में क्रमशः रु० 493800.00, 353375.00 एवं 225775.00 अर्थात् कुल रु० 1072950.00 की धनराशि व्यय किया जाना ग्राण्ट रजिस्टर भाग 3 में दर्शित किया गया है। जिसके सापेक्ष लाभार्थी किसानों की सूची, ए०डी०ओ० एम०आई० की रिपोर्ट खण्ड विकास स्तरीय बोरर/बोरिंग टेक्निशियन की सूची, लाभार्थी किसानों की खसरा खतौनी पात्रता शर्तें पात्रता की सत्यापन, अधिकारी की रिपोर्ट एवं व्यय सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। जिसके अभाव में व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के आलोक में अपहरण की श्रेणी में आता है। स्पष्ट है कि आधारहीन व्यय अंकन करते हुए धनराशि रु० 1072950.00 का अपहरण करते हुए क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा ए०डी०ओ० एम०आई० से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57 लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत को टेलीफोन एक्सचेंज से किराया प्राप्त होता है जो क्रमशः वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रु० 30000.00, 18000.00 एवं 20000.00 अर्थात् कुल धनराशि रु० 68000.00 प्राप्त हुआ। दौरान लेखा परीक्षा किराया अनुबन्ध पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। साथ ही साथ किराया प्राप्ति के हेतु किये गये किसी भी प्रयास से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। नियमित रूप से न तो किराये की वसूली की जा रही है और न ही वसूली हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त किराये में से वर्ष 2013-14 में रु० 40000.00 व्यय किया जाना ग्राण्ट पंजी भाग तीन में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई पुष्टि प्रमाण पत्र/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि आधारहीन व्यय अंकित करते हुए धनराशि रु० 40000.00 का अपहरण करके क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने से राजस्व की हानि-

वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों को भुगतान अंकन क्रमशः रु. 337774.00, 178168.00 एवं 104484.00 काटा गया जो वर्षवार क्रमशः 251228.00, 252283.00 एवं 114370.00 की टी.डी.एस. कटौती को बैंक में जमा किया जाना दर्शित है। जिसके पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/जमा रसीद दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रमाणकों के अभाव में दर्शित जमा धनराशि अपुष्टित है। प्रदत्त कार्य पत्रावलियों के अनुसार आलोच्य वर्षों में क्रमशः रु. 10784641.00, 6782722.00 एवं 2482771.00 व्यय करके ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य पर 2.00 प्रतिशत की दर से की जानी है। क्रमशः रु. 215693.00, 135654.99 एवं 49655.42 टी.डी.एस. होता है जबकि प्रदत्त अभिलेखों के अनुसार क्रमशः रु. 253432.00, 180813.00 एवं 88067.00 कटौती किया जाना दर्शित है। इस प्रकार कुल वाजिब टी.डी.एस. आलोच्य वर्षों का रु. 401002.00 होता है जिसके सापेक्ष रु. 522312.00 की कटौती की गयी। स्पष्ट है कि रु. 121310.00 का टी.डी.एस. अधिक काटा गया है। इस प्रकार टी.डी.एस. काटकर संबंधित हेड में जमा न किया जाना वित्तीय अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए समस्त उत्तरदायित्व तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59 वर्ष 2016-17 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर प्राप्त ब्याज रु. 1454869.00 ब्याज खाते में अवशेष वर्षांत पड़ा रहा जो राजकीय राजस्व का दुरुपयोग है। प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा कुल धनराशि रु. 20450134.00 का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती करके कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं किया गया। इस प्रकार कुल लेबर सेस रु. 204500.00 कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गई। क्षतिपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन, एवं अन्य जिम्मेदार विकास प्रशासन से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61 ग्राण्ट रजि. तृतीय के अनुसार दर्शित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रु. 32819152.00 के सापेक्ष मात्र रु. 20450134.00 धनराशि की कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयीं। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय होने के कारण रु.12369018.00 का व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में लाया जाता है जिसकी भरपाई तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर हिस्सों में ब्याज के साथ करते हुए किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जमानत मद में जहां एक तरफ जमानत कम जमा करके रु. 1303126.65 की वित्तीय अनियमितता की गई तथा प्रमाणक विहीन व्यय अंकित करके रु. 59000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी हैं। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि टेलीफोन एक्सचेंज से प्राप्त किराये की मद में प्राप्त धनराशि रु. 125946.00 का आधारहीन व्यय अंकित करते हुए उक्त धनराशि का अपहरण करके क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचाई गई जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से करने हेतु अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-64 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय बायो गैस मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 16000.00 का व्यय किया गया है परंतु प्रमाणकों के अभाव में पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी ब्याज के साथ तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली करके किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-65 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सोशल ऑडिट मानदेय मद में वर्ष 2015-16 में रु. 486056.00 एवं वर्ष 2016-17 में रु. 756663.00 का व्यय अर्थात् कुल धनराशि रु. 1242719.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी भरपाई ब्याज के साथ तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से वसूली करके किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि जिसका भुगतान ठेकेदारों को किया गया है के सापेक्ष नियमानुसार 2 प्रतिशत जी.एस.टी./टी.डी.एस. नहीं काटा गया है जिससे वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल धनराशि रु. 8833902.00 के सापेक्ष रु. 176678.04 से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-67 (क) वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राण्ट पंजी भाग तीन के अनुसार क्रमशः रु. 127282.00 एवं रु. 165694.00 टी.डी.एस. की धनराशि संबंधित भुगतान हेड में जमा किया जाना अंकित है जिसके सापेक्ष पुष्टि प्रमाण पत्र, ट्रेजरी चालान के प्रतिपण आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि धनराशि रु. 127282.00 एवं रु. 165694.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ख) आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राण्ट पंजी भाग तीन के अनुसार विभिन्न बैंक खातों से प्राप्त ब्याज 31.03.2018 को रु. 1267368.00 एवं 31.03.2019 को रु. 1409426.00 अर्थात् कुल राशि रु. 2676794.00 जो कि ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट से हेड संख्या 515-00-800-01-02 में वापस की जानी थी, न करके, गम्भीर अनियमितता बरती गई है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। प्रकरण गम्भीर है, उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-68 आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कुल धनराशि रु.154330.00 लेबर सेस की राशि कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल लेबर सेस रु. 204500.00 कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गई। क्षतिपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन, एवं अन्य जिम्मेदार विकास प्रशासन सेब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-69 आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर कुल धनराशि रु.6807363.00 का व्यय किया गया है जिसके पक्ष में प्रमाणक(आधारहीन व्यय) उपलब्ध न होने के कारण उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में लायी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-70 आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जमानत की धनराशि रु.315143.00 जो ठेकेदारों को वापस की गई को सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्ति रसीद तथा अन्य प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस कारण से उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में लायी जाती है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-71 आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि टेलीफोन एक्सचेंज से प्राप्त किराये की मद में प्राप्त धनराशि रु. 36000.00 का आधारहीन व्यय अंकित करते हुए उक्त धनराशि का अपहरण करके क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचाई गई जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-72 सोशल ऑडिट मानदेय मद में वर्ष 2017-18 में रु. 71500.00 का व्यय अर्थात् कुल धनराशि रु. 1242719.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी भरपाई ब्याज के साथ तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- तुलसीपुर (वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक)

प्रस्तर संख्या-73 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में समस्त व्यय धनराशि रु. 16909078.00, वर्ष 2012-13 में समस्त व्यय धनराशि रु. 7450601.00 एवं वर्ष 2013-14 में धनराशि रु. 6643678.00 के सापेक्ष पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस संबंध में मौखिक रूप से बताया गया कि पत्रावलियाँ बाढ़ की आपदा के समय विकास खण्ड में अचानक पानी भर जाने से नष्ट हो गयी है। अतः धनराशि रु. 16909078.00 (2011-12), धनराशि रु. 7450601.00 (2012-13) तथा धनराशि रु. 6643678.00 (2013-14) के उपभोग की पुष्टि न की जा सकी परिणामस्वरूप पत्रावलियों के अभाव में उक्त धनराशियाँ अपहरण की श्रेणी में आती हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-74 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में व्यय धनराशि रु 30608020.00 के सापेक्ष रु0 3120000.00 की पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गयी और शेष धनराशि रु0 27488020.00 के सापेक्ष पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इस धनराशि के उपभोग की पुष्टि नहीं जा सकी। परिणामस्वरूप धनराशि रु0 27488020.00 अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-75 लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 में रु0 23274722.00 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः धनराशि 23274722.00 के उपभोग की पुष्टि न की जा सकी। परिणामस्वरूप उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-76 लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 में व्यय धनराशि रु 14664707.00 के सापेक्ष रु 6617926.00 की पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गयी जबकि शेष धनराशि रु 8046781.00 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी परिणाम स्वरूप यह धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती हैं जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- उतरौला (वर्ष 2017-18 से 18-19 तक)

प्रस्तर संख्या-77 रू0 14705.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 23825.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

(अ). वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय क्रमशः रू0 62832.00 एवं रू0 93015.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष 2017-18 में रू0 3362087.00 एवं 2018-19 में रू0 4588018.00 अर्थात् कुल सामग्री क्रय रू0 7950105.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 179672.00 टी0डी0एस0 होता है। जिसके सापेक्ष आलोच्य वर्षों में क्रमशः रू0 62832.00 एवं रू0 93015.00 अर्थात् कुल रू0 155847.00 की कटौती की गई है। जबकि कटौती कुल रू0 179672.00 की जानी थी। स्पष्ट है कि दरों में हेरफेर करते हुए (2.26 की जगह 2.00 प्रतिशत करके) रू0 23825.00 की कटौती कम की गयी। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई। ऐसे में न काटे गये आयकर रू0 23825.00 की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार तत्कालीन से करके लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(ब). लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 29.03.2019 को काटे गये टी0डी0एस0 को जमा करने के लिए रू0 14705.00 का चेक इश्यू किया गया। परन्तु सम्बन्धित हेड में जमा नहीं किया गया और बिना जमा किये ही संस्था के अभिलेखों में जमा दर्शित कर दिया गया। जिसके सापेक्ष सम्बन्धित चालान भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। दौरान लेखा परीक्षा तहकीकात में पता चला कि इश्यू चेक पर प्रमुख क्षेत्र पंचायत के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि वर्षान्त अवशेष टी0डी0एस0 मद को शून्य दिखाने के लिए अभिलेखों में कल्पित एवं कूटरचित अंकन किया गया है। बिना जमा किये ही रू0 14705.00 जमा दर्शित कर दिया गया। जिसके लिए विकास खण्ड प्रशासन, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार जिम्मेदार है। क्षति की भरपाई हेतु ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-78 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत बिलों से जी0एस0टी0 कटौती नहीं की गयी है। जिसके फलस्वरूप राजकीय राजस्व की क्षति हुई। स्पष्ट है कि नियमानुसार जी0एस0टी0 12 प्रतिशत की दर से रू0 125594.00 की कटौती न किये जाने से रू0 125594.00 से राजकीय राजस्व की क्षति पहुंची। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रू0 125594.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री रामआसरे सिंह एवं लेखाकार श्री सैय्यद अकबर मेंहदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-79 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से व अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रू0 1595015.94 ब्याज खाते में अवशेष पड़ा हुआ है। जिसे उपरोक्तानुसार जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-80 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यालय कम्प्यूटर व्यवस्था हेतु दिनांक 24.10.2017 को चेक नं0 845556 से रू0 16475.00 का भुगतान श्री सैय्यद अकबर मेंहदी जैदी (उर्दू अनुवादक व प्रधान लिपिक) को किया गया है। जबकि नियमानुसार उक्त भुगतान कम्प्यूटर स्थापना कर्ता फर्म के नाम एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए। संस्था के अभिलेखों में फर्म को अंकित करके भुगतान श्री जैदी को कर दिया गया। बैंक स्टेटमेन्ट श्री जैदी को भुगतान की पुष्टि करता है। अस्तु उक्त विवरण से स्पष्ट है कि भुगतान पूर्णतः अनियमित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार/प्रधान सहायक जिम्मेदार हैं क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-81 लेखा परीक्षा के अनुसार साक्ष्य विहीन व्यय करते हुए धनराशि रु. 1112756.00 का अपहरण किया गया है। उक्त पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियां हैं-

(क) दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) क्रय की गयी स्टेशनरी का अंकन स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है और न ही क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक उपलब्ध हुआ।

(ग) भुगतान फर्म को न करके कार्यालय कर्मचारियों को किया गया।

(घ) क्रय किये गये पंखों का अंकन स्टॉक पंजिका में नहीं है। व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं है। भुगतान सम्बंधित दुकानदार/फर्म को न करके अजय कुमार श्रीवास्वत (लिपिक) को किया गया।

(ड) पेट्रोल का भुगतान पेट्रोल पम्प को न करके दिनेश कुमार गुप्ता (वरिष्ठ सहायक) को किया गया। भुगतान सम्बंधित उपयोगकर्ता अधिकारी या पेट्रोल पम्प को किया जाना चाहिए। व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध रहा।

(च) पीएम0ए0वाई0 मॉडल आवास हेतु फर्नीचर का क्रय पंचायत उद्योग से किया जाना चाहिए। व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा।

अस्तु स्पष्ट है कि संस्था के अभिलेखों में विभिन्न मदों पर आधारहीन एवं कूटरचित व्यय अंकित करके धनराशि रु0 1112756.00 का अपहरण किया गया है। जिससे हुई क्षति की भरपाई हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-82 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर एवं बिक्रीकर की बिल से की गयी कटौतियां समय से सम्बंधित लेखा शीर्ष में जमा नहीं की गयी है। नियमानुसार कटौती के सप्ताह अन्तर्गत ही सम्बंधित शेष में धनराशि जमा की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ—

राज्य वित्त से भुगतान किये गये बिल के सापेक्ष अप्रैल 2018 में की गयी कटौती रु0 45160.00 माह अक्टूबर 2018 में जमा किया गया। इसी प्रकार नवम्बर 2018 में कटौती की गयी धनराशि रु0 55592.00 फरवरी 2019 में जमा की गयी। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-83 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल धनराशि क्रमशः रु0 4299000.00 एवं रु0 4588018.00 का बिल ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों की भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया। कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती करके कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराया जाना अनिवार्य है। कुल देय धनराशि पर रु0 88870.18 लेबर सेस के रूप में कटौती की जानी थी और सम्बंधित कोष में जमा किया जाना था। परन्तु विकास खण्ड प्रशासन द्वारा कोई कटौती नहीं की गयी। परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं उक्त नियम का उल्लंघन हुआ। वहीं दूसरी ओर रु0 88870.18 से राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। क्षतिपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य जिम्मेदार विकास प्रशासन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- पचपेड़वा (वर्ष- 2011-12 से 13-14 तक)

प्रस्तर संख्या-84 गम्भीर प्रकरण-दौरान लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की ग्राण्ट पंजी और बैंक खाता स्टेटमेंट/पासबुक प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रिआ साफ्ट पर फीड कराये गये आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में धनराशि रु0 2733126.00 एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि रु0 913343.00 का व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं—

(क) लेखा परीक्षा में मदवार विवरण उपलब्ध नहीं रहा, जो उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

(ख) व्यय के सापेक्ष प्राप्तियों का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा। अर्थात् ग्राण्ट पंजी-एक अप्रस्तुत रही।

(ग) कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) लेखा परीक्षा दौरान कोई भी कार्य पत्रावली, प्रमाणक, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति, कार्ययोजना, टेंडर पत्रावली, कार्यदेश आदि भी उपलब्ध नहीं रहे।

अस्तु उक्त के आलोक में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के आलोक में प्रिआ साफ्ट पर फीड कराई गई व्यय धनराशि रु0 3646469.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। [क्योंकि लेखा मैनुअल के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण माना जायेगा।]

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में धनराशि रु0 2733126.00 का एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि रु0 913343.00 का आधारहीन व्यय प्रविष्टि प्रिआ साफ्ट पर अंकित कराकर अपहरण करते हुए क्षेत्रपंचायत को क्षतिपहुंवाई गई है। जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु बराबर हिस्सों में तत्कालीन लेखाकार श्री कमल किशोर पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी श्रीवेद प्रकाश मौर्या एवं ब्लाक प्रमुख श्री अशोक जायसवाल से ब्याज सहित वसूली एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-85 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में तृतीय राज्य वित्त से ग्राण्ट पंजी-3 के अनुसार धनराशि रु0 1507172.00(पंद्रह लाख सात हजार एक सौ बहत्तर) का व्यय किया गया है।

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) व्यय के सापेक्ष कोई कार्य पत्रावली प्रस्तुत दौरान लेखा परीक्षा नहीं रही।

(ख) प्रस्ताव, अनुमोदन, कार्ययोजना, टेंडर पत्रावली एवं कार्यदेश लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ग) कोई भी व्यय प्रमाणक आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि वित्त एवं लेखा मैनुअल भी अध्याय 8 की धारा 8(क) के तहत व्ययप्रमाणक विहीन दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अर्थात् रु0 1507172.00 का कूट रचित ढंग से ग्राण्ट पंजी पर व्ययअंकित करके अपहरण करते हुए क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचाई गई है। जिसकी भरपायी करने हेतु बराबर हिस्सों में खण्ड विकासअधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्या, लेखाकार श्री कमल किशोर पाण्डेय एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री अशोक जायसवाल से ब्याज सहित वसूली करके किये जाने हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। साथ ही साथ यह भी अपेक्षित है कि सम्बंधित के खिलाफ विभागीय कार्यवाही और विधिक कार्यवाही की जाय।

प्रस्तर संख्या-86 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राण्ट रजिस्टर पर धनराशि रु. 8093687.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी प्रमाणक लेखें, बिल बाउचर, टेण्डर पत्रावली, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, कार्यक्षेत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टीमेट आदि उपलब्ध नहीं रहा। लेखा मैनुअल के आलोक में प्रमाणक विहीन व्ययअपहरण की श्रेणी में आता है। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि ग्राण्ट पंजी भाग-3 पर आधारहीन, प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 8093687.00 का अपहरण करते हुए संस्था को क्षति पहुंचाई गई है। जिसकी प्रतिपूर्ति लेखाकार तत्कालीन श्रीकमल किशोर पाण्डेय, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्या से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-87 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में बायोगैस अनुदान मद में रु0 8000.00 का व्यय किया गया है। लाभार्थी सूची एवं सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। अस्तु उक्त व्यय की प्रमाणिकता संदिग्ध है। लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि आधारहीन अंकन ग्राण्ट पंजी भाग-3 पर करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति लेखाकार श्री कमलकिशोर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-88 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राण्ट पंजी भाग-3 के अनुसार वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि रु. 7023258.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि रु0 7023258.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, कार्यपत्रावली, टेंडर पत्रावली, एम0बी0, स्टीमेट, बिल बाउचर आदि कुछ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि प्रमाणक विहीन एवं आधारहीन ढंग से ग्राण्ट पंजी पर व्यय अंकित करते हुए धनराशि का अपहरण करके राजकीय राजस्व एवं संस्था को क्षति पहुंचाई गई है। क्षतिपूर्ति की भरपायी लेखाकार श्री कमल किशोर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्या से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-89 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राण्ट पंजी भाग-3 के अनुसार लघु सिंचाई कनवर्जन मद में रु0 439060.00 का व्यय वर्ष 2013-14 में किया गया है। लाभार्थी सूची, कार्यपत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सम्बंधित प्रस्ताव, अनुमोदन आख्या आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। आधारहीन एवं फर्जी ढंग से व्यय अंकन करके धनराशि रु0 439060.00 का अपहरण करके संस्था एवं राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गई है। जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए लेखाकार श्री कमल किशोर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्या से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-90 लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह जनवरी 2014 में मनरेगा क्षेत्र पंचायत की धनराशि रु 498509.00 डी0आर0डी0ए0 को वापस की गई है। जिसकी पुष्टि में सम्बंधित ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट की फोटो कापी। प्रतिपण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अस्तु पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा में पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-91 लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा प्रशासनिक मद से माह जुलाई 2013 में धनराशि रु 22174.00 का भुगतान किया गया है। जबकि खाते में मात्र रु 16211.00 ऋणात्मक धनराशि ब्याज से समायोजित की गई। जो कि मदान्तरण व्यय है और पूर्णतः अनियमित है। प्रकरण उच्चविभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि ऐसे कृत्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-92 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कुल धनराशि रु. 616903.00 का व्यय ग्राम सचिवालय नरायनपुर का निर्माण एवं धनग्राम सचिवालय कुशमहर पर किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, टेंडर फाइल, प्रस्ताव, बिल बाउचर आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। लेखा मैनुअल के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि आधारहीन भुगतान दर्शित करके धनराशि रु 616903.00 का अपहरण किया गया है। जिससे संस्था एवं राजकीय राजस्व को क्षति हुई। क्षति की पूर्ति हेतु श्री कमल किशोर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्या से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-93 लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्री गोविन्द प्रसाद को धनराशि रु. 1358115.00 का भुगतान चेक द्वारा किया गया है—

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं—

(क) श्री गोविन्द प्रसाद कौन हैं। लेखा परीक्षा में अवगत नहीं कराया गया।

(ख) इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान श्री गोविन्द प्रसाद को क्यों किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस

तथ्य की जानकारी नहीं को सकी।

(ग) किस कार्य हेतु/किस उद्देश्य से भुगतान हुआ।

(घ) कोई प्रमाणक, बिल बाउचर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं रहा।

(ङ) कोई पत्रावली भी दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं रही।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि आधारहीन अंकन करते हुए धनराशि रु 1358115.00 का अपहरण करके राजकीय राजस्व एवं संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है। क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु लेखाकार श्री कमल किशोर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्या से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम – गोण्डा

मण्डल का नाम – देवीपाटन

क्षेत्र पंचायतों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

क्षेत्र पंचायत – बेलसर

प्रस्तर- 1 वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में रु 37816707.00 व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ङ) तक, के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विवके त्रिपाठी, सहा0लेखाकार श्री श्याम किशोर पाण्डेय, श्री अशोक कुमार सिंह, अवर अभियन्ता श्री ए0के0 सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 9,11,13)

प्रस्तर- 2 वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में रु 12891071.00 व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

2. बैट कटौती नहीं की गयी।
3. टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।
4. मजदूरी भुगतान मजदूरों को भुगतान न कर कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं लिया गया।
5. म0रो0 पर अगूठा निशान एक ही व्यक्ति का प्रतीत होता है।
6. सामग्री कय का मॉग पत्र व फर्म का चालान पत्र अप्राप्त रहा।
7. त्रिस्तरीय फोटो संलग्न नहीं पाया गया।
8. कार्य प्रभारी ग्रा0वि0अधि0 को बनाया गया।।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है, कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार काल्पनिक म0रो0 बिल/वाउचर बनाकर एवं काल्पनिक कार्य दर्शाकर रू0 12891071.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विवके त्रिपाठी, श्री मो0 नफीस, श्री लखई एवं कृष्ण पाल सिंह, लेखाकार— श्री श्याम किशोर पाण्डेय, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री धर दूबे, एवं कन्हैयालाल, अवर अभियन्ता— श्री ए0के0 सिंह, श्री डी0वी0 सिंह, कार्य प्रभारी— श्री राजेश कुमार, श्री तेज भास्कर मिश्रा, श्री विजय बहादुर सिंह उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 10,12,14)

क्षेत्र पंचायत—इटियाथोक

प्रस्तर—3 क्षेत्र पंचायत इटियाथोक में वित्तीय वर्ष 2017—18 के विकास खण्ड परिसर भवनों के मरम्मत पर एक ही चेक संख्या से विभिन्न तिथियों में मस्टर रोलों पर भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	15-07-2017	34884	80725.00
2.	15-07-2017	34884	85975.00
3.	29-07-2017	34884	62175.00

योग

228875.00

मस्टर रोलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही म0रोल में कार्यरत श्रमिकों को एक ही कार्य दिवस में कार्यरत दर्शाकर तीन बार मजदूरी भुगतान किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि कार्य काल्पनिक है।

अतः उक्त कार्य पर कय सामग्री रू0 1010815.00 एवं श्रमांश रू0 339050.00 कुल 1349865.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड वि0 अधि0 श्री अशोक कुमार मौर्य एवं श्री अजीत कुमार मिश्र लेखाकार श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता श्री आर0एन0 सिंह एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 1,2)

प्रस्तर—4 वित्तीय वर्ष 2017—18 में बगुलही सम्मयक माता के स्थान तक मिट्टी पटाई पर रू0 453600.00 सामग्री मिट्टी एवं रू0 113400.00 श्रमांश योग 567000. 00 व्यय दर्शित है। जिसमें कार्यरत श्रमिक विवरण निम्न प्रकार है।

1. मो0 मुस्तफा पुत्र मुर्तजा अली
2. अब्दुल खॉन पुत्र मुख्तार
3. मो0 शरीफ पुत्र मो0 हबीब
4. शकीला वानों पत्नी मो0 हबीब
5. आविदा खातून पत्नी करामत अली
6. मो0 नसीम पुत्र मो0 समीम
7. सरमानी फातिमा पत्नी मो0 नसीम
8. किताबुल निशा पत्नी मो0 रसीद

उपर्युक्त श्रमिक दिनांक 01.08.2017 से 14.08.2017 तक कार्यरत है जबकि यही श्रमिक विकास खण्ड परिसर में भवन निर्माण/मरम्मत के मस्टर रोल पर दिनांक 11.08.2017 से 26.08.2017 तक कार्यरत है। उक्त मजदूरों को एक ही कार्य दिवस पर दो जगह कार्यरत दर्शाया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर दर्शित सकल धनराशि रु0 567000.00 का अपहरण तत्कालीन खण्ड वि0 अधि0, लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 3)

प्रस्तर-5 वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत मध्यनगर में पिचरोड से उदय के घर तक मिट्टी/खडजा निर्माण पर रु0 654700.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें सामग्री पर रु0 504000.00 श्रमांस योग 150700.00 है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत म0 रोल से स्पष्ट है कि उक्त मजदूर दिनांक 14.07.2017 से 28.07.2017 तक कार्यरत है। जबकि यही मजदूर दि0 15.07.2017 से दि0 29.07.2017 तक विकास खण्ड परिसर में भवन निर्माण/मरम्मत एवं यही मजदूर कोनिया बनकट में बगुलही सम्मयक माता के स्थान तक मिट्टी पटाई पर दि0 11.08.2017 से दि0 26.08.2017 तक कार्यरत है। इसमें स्पष्ट है कि कार्य न कराकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः रु0 654700.00 का अपहरण तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 4)

प्रस्तर-6 वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजी0-3 के अनुसार उपभोग रु0 11087547.00 दर्शित है। जिसमें राज्य वित्त मद में रु0 6191040.00 का उपभोग के सापेक्ष केवल रु0 5928206.00 के निर्माण कार्य पत्रावलियाँ ही प्रस्तुत की गयी इस प्रकार रु0 262834.00 के उपभोग की पुष्टि में कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।

इसी प्रकार वी0आर0जी0एफ0 मद में रु 976855.00 का उपयोग दर्शित है। इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः रु0 1239689.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 11)

प्रस्तर-7 वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत लोहाशीशा से पक्की सड़क से बेलवा शुक्ल प्रा0 विद्यालय तक इण्टर लाकिंग। प्रस्तुत पत्रावली के म0 रोल में श्री मोमिना खातून पत्नी असगर अली श्रमिक के रूप में दिनांक 15.02.2019 से दि0 28.02.2019 तक कार्यरत दर्शित है। तथा वित्तीय वर्ष 2018.19 में ग्राम पंचायत पूरेहाडा के दत्तपुरवा गाँव में पक्की सड़क से बाबू पाठक के घर तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य पर प्रस्तुत म0रोल पर दि0 15.02.2019 से दि0 28.02.2019 तक श्री मती मोमिना खातून पत्नी असगर अली को कार्यरत दर्शित किया गया है। इनके बैंक खाते भी एक है। इस प्रकार एक ही श्रमिक को एक ही समय दो साइडों पर कार्य दर्शाकर काल्पनिक पत्रावली बनाकर कुल रु0 1459328.00 का अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 18)

प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत इटियाथोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पन्न कराये गये सभी कार्यों में क्रय सामग्री मद के सापेक्ष रु0 2673961.00 की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावलियाँ टेण्डर/कोटेशन का पालन नहीं किया गया। पत्रावली में सामग्री माँग पत्र/ सामग्री आपूर्ति पत्र संलग्न नहीं पाया गया। पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए बी0डी0ओ लेखाकार/अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 20)

क्षेत्र पंचायत-करैलगंज

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत करनैलगंज में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वी0आर0जी0एफ0 मद के अन्तर्गत दर्शित कुल भुगतान रु0 4617745.00 के सापेक्ष धनराशि रु0 436642.00 आंगनवाडी केन्द्र में भवन निर्माण हेतु दर्शित व्यय की धनराशि रु0 111063.00 एवं अनुदान पंजी0 के अनुसार वर्ष 2018.19 में विभिन्न मदों पर दर्शित व्यय धनराशि रु0 15400430.00 के सापेक्ष धनराशि रु0 591050.00 कुल मिलाकर धनराशि रु0 1138755.00 के व्यय संबंधी निर्माण कार्य पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

अस्तु उक्त व्यय धनराशि रु0 1138755.00 त्रिस्तरीय पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा)

नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अनुसार अपरहण है। जिसके लिए बी0डी0ओ श्री रणजीत कुमार, श्री दिनकर विधार्थी, श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव एवं श्री सेवाराम चौधरी तथा लेखाकार हरीराम उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 4,5,20)

प्रस्तर—10 क्षेत्र पंचायत करनैलगंज में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यो पर श्रमांश मद पर व्यय धनराशि मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव (ग्रा0पं0अ0) को धनराशि रू0 255066.00 एवं श्री अभिषेक कुमार सिंह (ग्रा0पं0अ0) को धनराशि रू0 322400.00 का भुगतान किया गया तथा निर्माण कार्यो के सामग्री मद में रू0 3603637.00 दर्शित व्यय फर्मो के लेटर पैड/कैश मेमो/कच्चे बिल पर किया गया है। जिस पर टैक्स की दर का अंकन नहीं किया गया है। एवं कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत फर्मो द्वारा जमानत राशि जमा नहीं किया गया है। सामग्री आमद, उपयोग व अवशेष स्टॉक, की पंजी0 अप्राप्त रहीं, अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सामग्री की आपूर्ति की स्थिति संदिग्ध है।

अस्तु उक्त व्यय धनराशि रू0 4181103.00 त्रिस्तरीय पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अनुसार अपरहण है। जिसके लिए बी0डी0ओ श्री रणजीत कुमार, श्री दिनकर विधार्थी, श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव एवं श्री सेवाराम चौधरी तथा लेखाकार हरीराम व प्रदीप कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री गोपाल जी उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 6,7)

प्रस्तर— 11 क्षेत्र पंचायत पड़री कृपाल में वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी(पं) कक्ष ई-डिस्ट्रिक्ट कक्ष के जीर्णोद्धार पर श्रमांश पर वास्तविक व्यय धनराशि रू0 26510.00 के सापेक्ष रू0 29100.00 का भुगतान चेक सं0 021400 दिनांक 10.02.2020 को किया गया है, जो कि रू0 2590.00 अधिक है।

अतः श्रमांश पर रू0 2590.00 अधिक भुगतान किया गया है, जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा)नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत अपहृत रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पन्नालाल श्री संजय द्विवेदी एवं कार्य प्रभारी श्रीमती उज्जमा खाँ उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0— 4)

प्रस्तर— 12 वित्तीय वर्ष 2017-18 में टिकिया सरहद से रमवापुर श्याम में राजकरन वर्मा के घर तक मिट्टी/खडजा कार्य पर व्यय धनराशि रू0 753527.00 के सापेक्ष वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त व स्वीकृत फर्मो के नाम जमानत राशि, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा, टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 13506.00 अपुष्ट रहा एवं एम0आर0 पर अप्रमाणित अंगूठा निशान एक ही व्यक्ति द्वारा लगाया गया अंगूठा निशान एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा अतः कुल धनराशि रू0 767033.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ श्री हरिश्चन्द्र राम प्रजापति, लेखाकार श्री वृजेश कुमार पाठक एवं कार्य प्रभारी श्रीमती उज्जमा खाँ उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।।

(सा0आ0सं0—5)

प्रस्तर—13 वित्तीय वर्ष 2018-19में चोरसिया सरहद से सुभागपुर अशोक के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य पर कुल व्यय धनराशि रू0 306116.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, धरोहर पंजी0, स्टॉक पंजी0, परिसम्पत्ति पंजी0, टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त व स्वीकृत फर्मो के नाम जमानत राशि की स्थिति अप्राप्त रही। जिसमें म0रोल पर रू0 70.00 का अधिक भुगतान दर्शित है। अतः फर्जी म0रोल लगाकर फर्जी भुगतान किया गया है। टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 5902.00 की जमा की स्थिति अपुष्ट रही। अतः कुल धनराशि रू0 312328.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए श्री हरिश्चन्द्र राम प्रजापति, लेखाकार श्री संजीव कुमार एवं कार्य प्रभारी श्रीमती उज्जमा खाँ उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।।

(सा0आ0सं0—5)

प्रस्तर— 14 क्षेत्र पंचायत पड़री कृपाल के विशुनपुर वैरिया में विशुनपुर खडजा से विश्वादामोदर महादेवा तक मिट्टी/खडजा कार्य पर कुल भुगतान धनराशि रू0 746828.00 एवं टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि रू0 13505.00 कुल धनराशि रू0 760333.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रही। अतः धनराशि रू0 760333.00 त्रिस्तरीय पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली

1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अनुसार अपहरण है। जिसके बी०डी०ओ श्री हरिश्चन्द्र राम प्रजापति, लेखाकार श्री वृजेश कुमार पाठक एवं कार्य प्रभारी श्रीमती उज्जमा खॉ उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।। (सा०आ०सं०- 7)

प्रस्तर-15 वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों में बैंक द्वारा अर्जित ब्याज रु० 475107.00 राजकीय कोषागार में जमा न करके खाते में ही रखा गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दि० 21.03.2012 के प्रस्तर-3 के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः ब्याज की धनराशि रु० 475107.00 राजकीय कोषागार में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी जिस हेतु संबंधित लेखाकार उत्तरदायी उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 8)

प्रस्तर-16 वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कय की गयी निर्माण सामाग्री पर टी०डी०एस० रु० 53957.00 कोषागार में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिस हेतु संबंधित लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 9)

क्षेत्र पंचायत-झंझरी

प्रस्तर-17 वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत झंझरी में कृत 16 कार्यों में श्रमांश 1858634.00 रु० श्रमिकों को न देकर कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, ए०डी०ओ० आई०एस०बी० द्वारा लिया गया है। यह उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए बी०डी०ओ० पन्नालाल, डा० प्रभात द्विवेदी, श्री वीरपाल, अजीत कुमार मिश्र, एवं लेखाकार श्री शिव कुमार सोनी, कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता श्री अंगद सिंह कुशवाहा उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 1)

प्रस्तर-18 वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 8035756.00 की सामग्री कय दर्शित है। परन्तु सामग्री कय के सापेक्ष सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म को भेजा गया है। मॉगपत्र तथा फर्म द्वारा जारी आपूर्ति पत्र/चालान निर्माण कार्य पत्रावलियों में नहीं पाया गया है। जबकि उक्त सामग्री के सापेक्ष श्रमांश रु० 1858634.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा किया गया है। इसका आशय है श्रमिक लगे ही नहीं उक्त सामग्री के कय के प्रमाणक के रूप में स्टॉक पंजी० भी प्रस्तुत नहीं की गई। इस बिना सामग्री कय किये रु० 8035756.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए बी०डी०ओ० पन्नालाल, डा० प्रभात द्विवेदी, श्री वीरपाल, अजीत कुमार मिश्र, एवं लेखाकार श्री शिव कुमार सोनी, कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता श्री अंगद सिंह कुशवाहा उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 2)

प्रस्तर-19 वित्तीय वर्ष 2017-18 में जुलाई 2017 के बाद सामग्री कय के सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से रु० 253235.00 वैट काटा गया है। उक्त सामग्री कय में फर्म को जी० एस० टी० का भी भुगतान किया गया है, जो जी० एस० टी० ऐक्ट 2017 का उल्लंघन है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा० आ० सं०- 3)

प्रारूप-3

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक

जनपद-श्रावस्ती

सम्भाग-देवीपाटन गोण्डा ।

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों में उद्घाटित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं का विवरण:-

क्षेत्र पंचायत-गिलौला

प्रस्तर-1 क्षेत्र पंचायत गिलौला द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान राज्य वित्त एवं 14वें वित्त के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग गैर-अनुमोदित एवं गैर-विकास कार्यों पर व्यय दर्शाकर रु० 4213941.00 का अनियमित भुगतान किया गया । जिसके लिये तत्कालीन एवं वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी,

लेखाकार एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—सिरसिया

प्रस्तर—2 दिनांक 27.11.2014 से 20.12.2014 तक ग्राम बदलपुर में राम राज वर्मा के मकान से पिच रोड़ तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण मै0 गिरजेश कन्सट्रक्शन गिलौला द्वारा किया गया। कार्य की अनुमानित लागत रू0 618000.00 थी। कार्य के सापेक्ष रू0 597868.00 के विरुद्ध रू0 560553.00 का भुगतान चैक सं0 09285 द्वारा निंक 25.12.2014 में तथा शेष रू0 13195.00 के विरुद्ध रू0 12372.00 का भुगतान चैक सं0 09315 दिनांक 24.02.2015 को किया गया। बिल सं संलग्न माप-पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण के आइटम सी.सी. फाउन्डेशन 1:6:12 की माप 3.96 घन मी0 के स्थान पर बिल में 64.10 घन मी0 अंकित कर 3310.00 प्रति घन मी0 की दर से 60.14 घन मी0 माप का अधिक भुगतान रू0 199063.40 निर्माणी ठेकेदार को किया गया। तथा ठेकेदार से सांठ-गांठ कर रू0 199063.40 कार्य की माप की गणना में वृद्धि कर अवर अभियन्ता श्रीब्रह्मदेव एवं लेखाकार श्री राम तीरथ शुक्ला द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया। अतः रू0 199063.40 की वसूली ब्याज सहित श्री ब्रह्मदेव अवर अभियन्ता तथा श्री राम तीरथ शुक्ल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—3 ग्राम शंकर नगर भरथा रोशन गछ में पक्की रोड से जीवन लाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य दिनांक 13.11.2014 को स्पष्ट आवाज समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के अनुसार उक्त कार्य की लागत 618000.00 प्रकाशित करायी गयी। जिसके आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा तीन निविदाएं 1. मै0 गिरजेश कन्सट्रक्शन गिलौला 2. श्री कन्सट्रक्शन बहराइच तथा 3. मै0 एम0पी0 टेंडर्स बहराइच से प्राप्त की गयी। पत्रावली की जांच पर पाया गया कि मै0 गिरजेश कन्सट्रक्शन गिलौला द्वारा कार्य लागत से 0.020 प्रतिशत कम पर करने के लिये टेन्डर प्रस्तुत किया, जो तीनों कुटेशनों में से सबसे कम थी। किन्तु भुगतान बिल एवंमाप-पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त ठेकेदार को प्रथम बिल रू0 470439.85 तथा द्वितीय एवं अन्तिम बिल रू0 337947.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार स्वीकृत टेन्डर रू0 618000.00 के विरुद्ध रू0 808387.00 का भुगतान किया गया। स्पष्ट है कि अवर अभियन्ता श्री ब्रह्मदेव तथा लेखाकार द्वारा ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ कर रू0 191623.00 का अपहरण किया गया। अतः रू0 191623.00 की वसूली अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित अवर अभियन्ता श्री ब्रह्मदेव तथा लेखाकार श्री राम तीरथ शुक्ल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—4 तेरहवें वित्त की कार्य-योजना समाप्त होने के उपरान्त भी अनुपयुक्त अनुदान को राजकीय कोष में वापस न कर राजकीय धनराशि रू0 38124.00 का दुर्विनियोग किया गया। जिसके लिये तत्कालीन एवं वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2018—19

जनपद का नाम—देवरिया

मण्डल का नाम — गोरखपुर

क्षेत्र पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

क्षेत्र पंचायत—बैतालपुर जनपद—देवरिया

प्रस्तर संख्या—1 वर्ष 2017—18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली संख्या 1 में दर्शित कार्य ग्राम सभा हरही नदोलवा में पुलिया से जगन्नाथ हरिजन के खेत तक पुलिया निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि 907443 रुपया थी। जबकि वास्तविक व्यय 912431 रुपया दर्शित है। इस प्रकार स्वीकृत धनराशि से रुपया 4988 अधिक व्यय कर क्षेत्र पंचायत के धन को अनियमित तरीके से समायोजित किया गया, जिस हेतु तत्कालीनखण्ड विकास अधिकारी श्री सत्यराम यादव एवं लेखाकार श्री हरिश चन्द्र जायसवाल उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0—20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	4988.00	4988.00

प्रस्तर संख्या—2 वर्ष 2017—18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली संख्या 1 में दर्शित कार्य ग्राम सभा हरही नदोलवा में पुलिया से जगन्नाथ हरिजन के खेत तक पुलिया निर्माण कार्य, धनराशि 912431 एवं

पत्रावली संख्या 2 में दर्शित कार्य गुलरिया चौराहा से रसौली जाने वाले मार्ग पर अवशेष खण्डजा कार्य, धनराशि 127128 तथा पत्रावली संख्या 7 में दर्शित कार्य ग्राम हरही नदोलवा में जगन्नाथ हरिजन के खेत से मसिहवा पन्नेलाल के खेत तक मि०/ख० कार्य धनराशि 394664 में दर्शित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश संख्या 266/02-लेखा/राज्य वित्त/2017-18 दिनांक 23.06.2017 द्वारा स्वीकृत दर्शित है। उक्त तीनों कार्यों को एक ही दिन दिनांक 30.06.2017 को समाप्त दिखाया गया है। उक्त तीनों कार्यों को एक ही दिन स्वीकृत एक ही दिन प्रारम्भ एक ही दिन समाप्ति तथा एक ही फर्म से निर्माण सामग्री क्रय दर्शाकर उक्त कार्य को संदिग्ध बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त तीनों कार्यों को पहले से ही कराकर स्वीकृति बाद में ली गयी। अतः उपरोक्त तीनों कार्यों को मनमाने तरीके से कराकर क्षेत्र पंचायत के कुल धन 1434223.00 रुपये को अनियमित ढंग से खर्च किया गया। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री रतन प्रकाश चौधरी एवं लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल सीधे उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	1434223.00	1434223.00

प्रस्तर संख्या-3 वर्ष 2017-18 में पत्रावली संख्या 08 में दर्शित कार्य दिवस विकास खण्ड कार्यालय में मरम्मत एवं पेटिंग कार्य में महालक्ष्मी आयरन स्टोर को कुल 137082.00 रुपया कुल कटौती 8553.00 रुपया शुद्ध भुगतान 128529.00 रुपया तथा पंकज आयरन एवं हाईवेयर को कुल रुपया 60120.00 कटौती 3752.00 रुपया शुद्ध भुगतान 56368 रुपया कुल भुगतान 184897 रुपया को चेक संख्या 037339 से दिनांक 19.09.2017 द्वारा कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा नगद भुगतान स्वयं लिया गया है तथा कैश भुगतान फर्मों को किया गया है, जो कि उक्त भुगतान रुपया 184897 को उनके खाते में एकाउण्ट पेई चेकों के माध्यम से होनी चाहिए थी। उक्त प्रकरण दुरुपयोग की श्रेणी आती है।

अतः रुपया 184897.00 की वसूली श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
184897.00	0.00	0.00	184897.00

प्रस्तर संख्या-4 वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 10 निर्माण कार्य करवाये गये उक्त निर्माण कार्यों पर कुल मिट्टी का कार्य में 6224.54 घन मीटर मिट्टी प्रयुक्त हुआ। उक्त मिट्टी कार्य पर रुपया 30 घन मी० की दर से 6224.54*30=186736.20 रुपये शासन को रायल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए था। रायल्टी का भुगतान शासन को न कर राजकीय कोष की क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रुपया 186736.20 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्यराम यादव, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री कृष्ण पाण्डे एवं श्री विजय प्रताप सिंह तथा लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-23)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
186736.20	0.00	0.00	186736.20

प्रस्तर संख्या-5 वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 10 निर्माण कार्य करवाये गए हैं। जिससे 9 निर्माण कार्यों में निविदा देने की आवश्यक थी, परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा कराये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जानबूझ कर निविदा न करवाकर संस्था को निजी हित में हानि पहुंचायी गयी है। इससे बाजारी स्पर्धा का लाभ संस्था को नहीं मिला।

उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम 3 फर्मों द्वारा निविदा डाला जाना चाहिए था, जिससे निविदा फर्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को 9*3*500=13500 की आमदनी होती जबकि कैशबुक की जांच से पता चला कि उक्त मद में सिर्फ 1500 रुपये की आय पकड़ी गयी। इस प्रकार रुपया 12000 को कैशबुक में अंकित न कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी

श्री सत्यराम यादव, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री कृष्ण पाण्डेय, श्री विजय प्रताप सिंह तथा लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
12000.00	0.00	0.00	12000.00

प्रस्तर संख्या-6 वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में इन्दिरा आवास केटिन्जेन्सी मद में रुपया 108115 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए रुपया 108115 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्यराम यादव, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री कृष्ण पाण्डेय एवं श्री विजय प्रताप सिंह तथा लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-28)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
108115.00	0.00	0.00	108115.00

प्रस्तर संख्या-7 वर्ष 2017-18 में मनरेगा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 14 निर्माण कार्य करवाये गये। जिनमें 10 निर्माण कार्य में मिट्टी का कार्य करवाया गया, जिसमें कुल 17662.11 घन मीटर मिट्टी प्रयुक्त हुआ। उक्त मिट्टी कार्य पर रुपया 30 घन मीटर की दर से 17662.11×30=529863.00 रुपये शासन को रायल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए था। रायल्टी का भुगतान शासन को न कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रुपया 529863 की वसूली तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्यराम यादव, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री कृष्ण पाण्डेय एवं श्री विजय प्रताप सिंह तथा लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-27)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
529863.00	0.00	0.00	529863.00

प्रस्तर संख्या-8 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पत्रावली संख्या 2 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत नकटापार में राम अवध मल्ल के घर के सामने से भीम यादव के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य को यादव ब्रिक फील्ड को रुपया 140040.00 भुगतान दर्शित है। संलग्न पत्र में भुगतान किस चेक के माध्यम से हुआ है उसका उल्लेख नहीं है साथ ही यादव ब्रिक फील्ड द्वारा प्रस्तुत बिल क्रमांक संख्या 232/08.10.18 कच्चे पाये गये। उक्त अनियमित भुगतान रुपया 140040.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल से की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-30)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
140040.00	0.00	0.00	140040.00

प्रस्तर संख्या-9 वर्ष 2018-19 में पत्रावली संख्या 3 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत तिवई में दिनेश जायसवाल के दुकान के सामने जाने वाले उत्तर मार्ग पर मिट्टी/खण्डजा कार्य में प्रस्तुत मिट्टी का बिल (रसीद) श्री रामचन्द्र यादव (ट्रैक्टर चालक) द्वारा प्रस्तुत है, जिस पर श्री रामचन्द्र यादव का हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रसीद फर्जी रूप से प्रस्तुत कर क्षेत्र पंचायत के धन रुपया 46662.00 का समायोजन कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त रकम की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह, कार्य प्रभारी श्री कमलेश कुमार राय एवं लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-31)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
46662.00	0.00	0.00	46662.00

प्रस्तर संख्या-10 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अन्त्योदय मेला मद में 19 फरवरी 2019 को 25000 रुपया व्यय दर्शाया गया है, जिससे संबंधित कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद सीधे उत्तरदायी है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-34)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
25000.00	0.00	0.00	25000.00

प्रस्तर संख्या-11 वर्ष 2018-19 में पत्रावली संख्या 3 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत तिवई में दिनेश जायसवाल के दुकान से जाने वाली उत्तर मार्ग पर मि0/ख0 कार्य पर मे0 यादव ब्रिक फील्ड से बिल क्रमांक 231 दिनांक 03.10.2018 द्वारा ईट क्रय रुपये 495429 दर्शित है। जिस पर जीएसटी की धारा 51 जो कि 01.10.18 से प्रभावी है पर सीजीएसटी 1 प्रतिशत एवं एसजीएसटी 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत जीएसटी 9908.58 रुपये की कटौती नहीं कर राजकीय कोष की क्षति पहुंचायी गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल सीधे उत्तरदायी है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः रुपये 9908.58 की यथाशीघ्र वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(सा0आ0सं0-35)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
9908.58	0.00	0.00	9908.58

प्रस्तर संख्या-12 वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली संख्या 8 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत माहीगंज में देवरिया रुद्रपुर मार्ग से जोगिर के स्थान तक खण्डजा निर्माण कार्य पर मेसर्स यादव ब्रिक फील्ड से बिल क्रमांक 10 दिनांक 19.01.19 द्वारा ईट क्रय रुपये 322851.00 दर्शित है। जिस पर जीएसटी की धारा 51 जो कि 01.10.18 से प्रभावी है पर सीजीएसटी 1 प्रतिशत एवं सीजीएसटी 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत जीएसटी 6457.02 रुपये की कटौती नहीं कर राजकीय कोष की क्षति पहुंचायी गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद सीधे उत्तरदायी से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः रुपये 6457.02 की यथाशीघ्र वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(सा0आ0सं0-36)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
6457.02	0.00	0.00	6457.02

प्रस्तर संख्या-13 वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में सामूहिक विवाह योजना में दिनांक 01.03.2019 को निम्नांकित फर्म से उपहार सामग्री क्रय किया गया है:-

(i)	मेसर्स कुमार हाउस	—	35360
(ii)	मेसर्स भारतीय ज्वेलर्स	—	34260
(iii)	मेसर्स शुभम वस्त्रालय	—	78840
(iv)	मेसर्स मोबाईल वर्ल्ड	—	22840
योग		—	171300

उपरोक्त क्रय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उपरोक्त क्रय को संदिग्ध मानते हुए खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद से रुपये 171300 की ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली कर यथाशीघ्र क्षेत्र पंचायत खाते में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(सा0आ0सं0-37)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
171300.00	0.00	0.00	171300.00

प्रस्तर संख्या-14 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 9 निर्माण कार्य करवाये गये, जिनमें 8 निर्माण कार्य में निविदा देने की आवश्यक थी, परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा कराये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जानबूझ कर निविदा न करवाकर संस्था को निजी हित में हानि पहुंचायी गयी है। इससे बाजारी स्पर्धा का लाभ संस्था को नहीं मिला।

अतः उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम तीन फर्मों द्वारा निविदा डाला जाना चाहिए था, जिससे निविदा फर्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को 8*3*500.12000.00 रुपये की आमदनी होती। इस प्रकार रूपया 12000.00 को कौशबुक में अंकित न कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह, श्री शत्रुघ्न सिंह, श्री महेश नारायण पाण्डेय तथा ज्येष्ठ लेखाकार श्री हरिशचन्द्र जायसवाल एवं श्री जगदीश प्रसाद से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-38)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
12000.00	0.00	0.00	12000.00

क्षेत्र पंचायत-बरहज जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या-15 वित्तीय वर्ष 2018-19 में तेरहवें वित्त की धनराशि रू0 85361.00 प्रदाता विभाग को वापस न करके राज्य वित्त की धनराशि में सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार तेरहवें वित्त की धनराशि को राज्य वित्त में सम्मिलित कर अनियमितता गयी है इसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार श्री रामाशीष जिम्मेदार है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	85361.00	85631.00

प्रस्तर संख्या-16 वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यालय कार्य एवं प्रचार-प्रसार हेतु पेट्रोल/डीजल के लिए रू0 57641.00 की धनराशि दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	कार्य प्रभारी का नाम	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
1.	श्री सीताराम एडीओ (पी)	415373	29.05.2018	8720.00
2.	श्री सीताराम एडीओ (पी)	415375	28.08.2018	2200.00

3.	श्री जितेन्द्र सिंह एडीओ (पी)	415376	28.08.2018	8420.00
4.	श्री राजकुमार जायसवाल एडीओ (पी)	415377	28.08.2018	3800.00
5.	श्री चन्द्रभूषण मणि एडीओ (पी)	415378	18.01.2019	6000.00
6.	श्री जितेन्द्र सिंह एडीओ (पी)	415379	18.01.2019	□000.00
7.	श्री चन्द्रभूषण मणि एडीओ (पी)	117663	20.02.2019	11001.00
8.	श्री चन्द्रभूषण मणि एडीओ (पी)	117664	23.03.2019	11500.00
			योग	57641.00

उपरोक्त खर्च के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया न ही ड्राइवर द्वारा प्रयोग की जाने वाली लाक बुक प्रस्तुत की गयी। खर्च के सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि रु0 57641.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सीताराम एडीओ (पी) श्री जितेन्द्र सिंह एडीओ (पी) श्री राजकुमार जायसवाल एडीओ (पी) श्री चन्द्रभूषण मणि एडीओ (पी) लेखाकार श्री रामाशीष एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
57641.00	0.00	0.00	57641.00

प्रस्तर संख्या-17 उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसिया एवं स्थानीय निकायों द्वारा रुपये 2.50 लाख से अधिक के क्रय आदेश के विरुद्ध किये गये भुगतान पर 1 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 की कटौती किया जाना अपेक्षित है। यह आदेश सं0 01.01.2018 से प्रभावी है। परन्तु निम्न कार्यों में इस आदेश का पालन नहीं किया-

क्र0सं0	कार्य का नाम	बाउचर नं0/दिनांक	धनराशि	चेक संख्या/दिनांक	सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 जो नहीं कटा
1.	राज्य वित्त के अन्तर्गत स्ट्रीट सोलर लाइट 10 अद्द	40/09.08.17	228294	006349/26.08.17	4565.88
2.	राज्य वित्त के अन्तर्गत स्ट्रीट सोलर लाइट 10 अद्द	41/09.08.17	228294	006349/26.08.17	4565.88
3.	राज्य वित्त के अन्तर्गत स्ट्रीट सोलर लाइट 10 अद्द	42/09.08.17	228294	006349/26.08.17	4565.88

4.	ग्राम पंचायत नदुआ मे बरहज नदुआ पीच मार्ग से हरीजन बस्ती राधे के खेत तक मिट्टी कार्य/खण्डजा	111/21.11.17	365842	071686	7316.84
5.	सोलर स्ट्रीट लाइट 10 अद्द।	45/	228294	006349/26.08.17	4565.88
6.	भीखमपुरा में शिव मंदिर से अम्मा पाण्डेय सीवान तक खण्डजा/मिट्टी कार्य	152/22.06.18	258889	068541/22.06.18	5177.78
		योग	1537907		30758.14

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 2 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 की कटौती न कर राजकोष की क्षति की गयी। धनराशि रु0 30758.14 की क्षति के

लिए लेखाकार श्री रामाशीष एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रतन प्रकाश चौधरी एवं श्री रामबच्चन राय जिम्मेदार है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
30758.14	0.00	0.00	30758.14

क्षेत्र पंचायत-भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या-18 क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखाकार परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य में कतिपय प्रोजेक्ट पर स्टीमेट से अधिक सामग्री क्रय की गयी है:-

क्रमांक	प्रोजेक्ट का नाम	इस्टीमेट के अनुसार	क्रय सामग्री	अधिक	चेक सं०/दिनांक
1.	नेनुआ में शर्मा नन्द यादव के घर से परमानन्द यादव के घर तक इण्टरलाकिंग	212955.00	222068.00	9113.00	148419,148418 148420, दिनांक 05.03.2018
2.	ग्राम कसिली में देवेन्द्र के घर से दुर्गा मंदिर तक खण्डजा कार्य	281377	304554	23177	148400 दिनांक 14.12.2017
योग				32290.00	

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्ष 2017-18 में रू० 32290.00 की प्रोजेक्ट पर इस्टीमेट से अधिक की सामग्री क्रय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग के धन का अपहरण दिया गया है। रू० 32290.00 के लिए श्री रतन प्रकाश चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, श्री चन्द्रगुप्त लेखाकार एवं श्री बालानन्द तिवारी तथा श्री त्रिलोकी शाह (कार्यप्रभारी) से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा०अ० सं०-5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
32290.00	0.00	0.00	32290.00

प्रस्तर संख्या-19 ग्राम पिपरादवन में गोडवली सम्पर्क मार्ग से काली स्थान तक खण्डजा कार्य में राज्य वित्त आयोग के धन को वर्ष 2017-18 में निम्न विवरण के अनुसार खर्च किया गया है:-

मस्टर रोल के अनुसार व्यय	स्टीमेट के अनुसार	चेक संख्या	दिनांक	अधिक
60400.00	49374.00	148406	11.01.2018	11026.00

उक्त प्रोजेक्ट पर पत्रावलियों के अवलोकन से पाया गया कि इस्टीमेट में मजदूरों पर जो व्यय दर्शित है उससे अधिक रू० 11026 खर्च किया गया। दिनांक 11.01.2018 को चेक सं० 148406 से भुगतान है। इस प्रकार रू० 11026 का इस्टीमेट से अधिक भुगतान करके अपहरण किया गया है इसके लिए कार्यप्रभारी श्री सुनील सिंह, ख०वि०अ० श्री रतनप्रकाश चौधरी एवं लेखाकार श्री चन्द्रगुप्त जिम्मेदार हैं से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-6)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
11026.00	0.00	0.00	11026.00

प्रस्तर संख्या-20 ग्राम करौता में 533 नं० ट्यूबेल से धर्मपुर तक खण्डजा कार्य में श्रमांश पर रू० 194750 व्यय दर्शाया गया है। दिनांक 23.02.2018 से 01.03.2018 के मस्टररोल में जगदेव पुत्र बंधन को दो बार दर्शाया गया है। दिनांक 02.03.2018 से 08.03.2018 के मस्टररोल में राम सरीख पुत्र द्वारिका प्रसाद को दो बार दर्शाया गया है। दिनांक 09.03.2018 से 15.03.2018 के मस्टर रोल में जयदेव पुत्र बन्धन को दो बार दर्शाया गया है, दिनांक 16.03.2018 से 22.03.2018 के मस्टर रोल में जगदेव पुत्र बंधन को दो बार दर्शाया गया है। लेखाकार द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। एक ही मजदूर एक ही दिन में दो बार कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा में जो मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया संदिग्ध

एवं अवास्तविक है। अवास्तविक मस्टर रोल दर्शाकर रु0 194750 का अपहरण किया गया है। अधिभार हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसके लिए ख0वि0अ0 श्री रतनप्रकाश चौधरी एवं लेखाकार श्री चन्द्रगुप्त जिम्मेदार हैं से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
194750.00	0.00	0.00	194750.00

प्रस्तर संख्या-21 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13वें वित्त के हेड को दिनांक 01.08.2018 में रु0 73890.00 की धनराशि को राज्य वित्त में सम्मिलित कर दिया गया है, बिना किसी लिखित आदेश के लेखाकार द्वारा 13वें वित्त की धनराशि को राज्य वित्त में सम्मिलित कर अनियमितता की गयी है, जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
73890.00	0.00	0.00	73890.00

प्रस्तर संख्या-22 वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 12.05.2017 को चेक संख्या 020342 द्वारा व्यय रु0 71000 बी0डी0सी0 की बैठक हेतु यात्रा भत्ता दिना जाना अनुदान रजिस्टर 2 में दर्शित है जबकि उक्त की पुष्टि में यात्रा भत्ता रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसमें रु0 59500 का व्यय दर्शित है। इस प्रकार रु0 11500 का अवास्तविक वितरण दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रतन प्रकाश चौधरी एवं लेखाकार श्री चन्द्रगुप्त से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
11500.00	0.00	0.00	11500.00

प्रस्तर संख्या-23 वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन मद से रु0 208490 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 245908 का व्यय दर्शित है। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए यूपी 52 एवाई 9002 नं0 की गाड़ी प्रयोग की गयी लाक बुक एवं व्यय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त धन का उपभोग स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन्स के अनुसार न करके मनमाने ढंग से खर्च किया गया है। रु0 454398 का मनमाने ढंग से खर्च करके गम्भीर अनियमितता की गयी है इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रतन प्रकाश चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री अशोक कुमार उपाध्याय, श्री सुशील कुमार एवं श्री रमाशंकर यादव सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। क्षतिपूर्ति हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	454398.00	454398.00

क्षेत्र पंचायत-देवरिया सदर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या-24 वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 14 निर्माण कार्यों में से 12 निर्माण कार्यों में मिट्टी का कार्य कराया गया है। इन 12 निर्माण कार्यों में कुल 3138.74 घन मीटर मिट्टी के कार्य कराए गए हैं। उक्त मिट्टी कार्य पर रु0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से 3138.74X30.94162.00 रु0 शासन को रायल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए था। रायल्टी का भुगतान शासन को न कर राजकीय कोष को क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु0 94162.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं लेखाकार श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। कर यथाशीघ्र राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग

94162.00	0.00	0.00	94162.00	(सा0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या-25 वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 14 निर्माण कार्य करवाये गए हैं, जिसमें 12 निर्माण कार्यों में निविदा देने की आवश्यकता थी। परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा कराए जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं पाए गए। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जानबूझकर निविदा न करवा कर संस्था को निजी हित में हानि पहुँचायी गयी है। इससे बाजारी स्पर्द्धा का लाभ संस्था को नहीं मिला।

उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली जानी चाहिए थी, जिससे निविदा फर्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को 12X3X500.18000 रु0 की आमदनी होती। इस प्रकार रु0 18000 को कैश बुक में आय न दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं लेखाकार श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
18000.00	0.00	0.00	18000.00

प्रस्तर संख्या-26 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 5 निर्माण कार्य कराए गए, जिसमें सभी निर्माण कार्यों में निविदा देने की आवश्यकता थी। परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा कराए जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं पाए गए। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जानबूझकर निविदा न कराकर संस्था के निजी हित में हानि पहुँचायी गयी है। इससे बाजारी स्पर्द्धा का लाभ संस्था को नहीं मिला।

उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम 3 फर्मों द्वारा निविदा डाली जानी चाहिए था, जिससे निविदा फर्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को 5X3X500.7500.00 रु0 की आमदनी होती। इस प्रकार रु0 7500.00 को कैश बुक में आय न दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं लेखाकार श्री ओमप्रकाश पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
7500.00	0.00	0.00	7500.00

क्षेत्र पंचायत- देसही देवरिया जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-27 वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 8 निर्माण कार्य करवाये गये। उक्त निर्माण कार्यों पर कुल मिट्टी कार्य में 1770.47 घन मीटर मिट्टी प्रयुक्त हुआ है। उक्त मिट्टी कार्य पर रूपया 30 घनमीटर की दर से 1770.47X30.53114.10 रूपया शासन को रायल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए था। रायल्टी का भुगतान शासन को न कर राजकीय कोष की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रूपया 53114.10 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर यादव, श्री प्रशांत कुमार तिवारी एवं श्री ओमप्रकाश तथा लेखाकार श्री धर्मेन्द्र गुप्ता एवं श्री झीगुर प्रसाद से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
53114.00	0.00	0.00	53114.00

प्रस्तर संख्या-28 वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 08 निर्माण कार्य करवाये गये हैं, जिनमें 05 निर्माण कार्यों में निविदा देने की आवश्यकता थी। परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा कराए जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा

जानबूझकर निविदा न करवा कर संस्था को निजी हित में हानि पहुँचायी गयी है। इससे बाजारी स्पर्द्धा का लाभ संस्था को नहीं मिला।

उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम तीन फर्मों द्वारा निविदा डाला जाना चाहिए था, जिससे निविदा फर्मों की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को 5×3×500.7500 रु० की आमदनी होती। जबकि कैशबुक की जांच में पता चला कि उक्त मद में सिर्फ 1000.00 की ही आय पकड़ी गयी है। इस प्रकार रु० 6500 को कैशबुक में अंकित न कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री राज बहादुर यादव, श्री प्रशांत कुमार तिवारी, श्री ओमप्रकाश तथा लेखाकार श्री धर्मेन्द्र गुप्ता एवं श्री झीगुर प्रसाद से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
6500.00	0.00	0.00	6500.00

प्रस्तर संख्या-29 वर्ष 2017-18 में पत्रावली संख्या 08 में दर्शित कार्य प्रमुख के कक्ष का प्रकाश व्यवस्था, इन्वर्टर एवं रंगाई-पूताई टाइल्स शौचालय मरम्मत एवं वायरिंग कुर्सी मेज कार्य कराया गया है। जिसमें पत्रावली के साथ संलग्न बिल संख्या 36, दिनांक 12.09.2017 अकरम खान हार्डवेयर बरवामीर देवरिया से निर्माण कार्य सामग्री रूपया 51500 का क्रय दर्शाया गया है। जिसका भुगतान कार्य प्रभारी, श्री धनेश मणि त्रिपाठी एडीओ (आईएसबी) द्वारा नगद भुगतान किया गया, जबकी उक्त भुगतान एकाउण्ट पेयी चेकों के माध्यम से की जानी चाहिए थी।

इसी प्रकार उक्त कार्य हेतु खान हार्डवेयर एवं ग्रीडिंग मैटेरियल बरवामीर छापर देवरिया द्वारा हार्डवेयर सामग्री द्वारा रूपया 48750 रूपया क्रय बिल संख्या 2638 दिनांक 13.09.2017 दर्शाया गया है। जिसका भुगतान कार्य प्रभारी श्री धनेश मणि त्रिपाठी एडीओ (आईएसबी) द्वारा नगद भुगतान किया गया। जबकि भुगतान एकाउण्ट पेयी चेकों के माध्यम से किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कुल रूपया 100250.00 का नगद भुगतान कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश, कार्य प्रभारी श्री धनेश मणि त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री झीगुर प्रसाद से किया जाना आवश्यक है।

(सा०आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
100250.00	0.00	0.00	100250.00

प्रस्तर संख्या-30 वर्ष 2017-18 में पत्रावली संख्या 08 में दर्शित कार्य प्रमुख के कक्ष का प्रकाश व्यवस्था, इन्वर्टर एवं रंगाई-पूताई टाइल्स, शौचालय मरम्मत एवं वायरिंग कुर्सी मेज, क्रय कार्य हेतु मेसर्स अकरम खान हार्डवेयर एवं ग्रीडिंग मैटेरियल्स बरवामीर छापर, देसही देवरिया द्वारा रूपया 48750 का क्रय किया गया। उक्त क्रय में आयकर 2.24 प्रतिशत के सापेक्ष क्रमशः 1153.60 तथा 1092.00 कुल 2245.60 के आयकर की कटौती नहीं किया गया है। अतः उक्त धन से राजकीय कोष की क्षति हुई है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश, कार्य प्रभारी श्री धनेश मणि त्रिपाठी, लेखाकार श्री झीगुर प्रसाद उत्तरदायी है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः रूपये 2245.60 की वसूली कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(सा०आ० सं०-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
2245.60	0.00	0.00	2245.60

प्रस्तर संख्या-31 वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार 5 निर्माण कार्य करवाये गये, जिसमें 5 निर्माण कार्यों में निविदा देने की आवश्यकता थी, परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा कराये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावलियों के साथ संलग्न नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जानबूझ कर निविदा न करवाकर संस्था को निजी हित में हानि पहुंचायी गयी है। इससे बाजारी स्पर्धा का लाभ संस्था को नहीं मिला।

उक्त निर्माण कार्य हेतु कम से कम तीन फर्मी द्वारा निविदा डाला जाना चाहिए था, जिससे निविदा फर्मी की बिक्री से क्षेत्र पंचायत को 5×3×500.7500 रूपया की आमदनी होती। जबकि कैशबुक की जांच से पता चला कि उक्त मद में सिर्फ 1000 की ही आय पकड़ी गयी है। इस प्रकार रूपया 6500 को कैशबुक में अंकित न कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झीगुर प्रसाद से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
6500.00	0.00	0.00	6500.00

प्रस्तर संख्या-32 वित्तीय वर्ष 2018-19 में पत्रावली संख्या 05 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत इमिलिया सिवान से जिगनी राजा सिवान तक मिट्टी/खण्डजा कार्य में रुपये 46000 का मिट्टी भरायी कार्य दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु श्री रामबड़ाई यादव (ट्रेक्टर मालिक) को नगद भुगतान किया गया है। जबकि उक्त भुगतान एकाउण्ट पेयी चेकों द्वारा होना चाहिए था। नगद भुगतान कर क्षेत्र पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झीगुर प्रसाद सीधे उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	46000.00	0.00	0.00

प्रस्तर संख्या-33 वर्ष 2018-19 में पत्रावली सं0 08 में दर्शित कार्य भिंगारी राजा पिंच से इमिलिया तक खण्डजा कार्य पर मेसर्स पाण्डेय ब्रिक फील्ड से बिल क्रमांक 371 दिनांक 03.11.18 द्वारा ईट क्रय रुपये 264287 दर्शित है। जिस पर जीएसटी की धारा 51 जो कि 01.10.18 से प्रभावी है पर सीजीएसटी 1 प्रतिशत एवं कुल 2 प्रतिशत जीएसटी 5285.74 रूपया की कटौती नहीं कर राजकीय कोष की क्षति पहुंचायी गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झीगुर प्रसाद उत्तरदायी है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः रुपये 5285.74 की यथाशीघ्र वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(सा0आ0 सं0-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
5285.74	0.00	0.00	5285.74

प्रस्तर संख्या-34 वर्ष 2018-19 में पत्रावली संख्या 04 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत हेतिमपुर में पिच रोड से झगरू के खेत तक मि0/खण्डजा कार्य पर मेसर्स पाण्डेय ब्रिक फील्ड से बिल क्रमांक 326 दिनांक 10.10.18 द्वारा ईट क्रय रुपये 374342.00 दर्शित है। जिस पर जीएसटी की धारा 51 जो कि 01.10.18 को प्रभावी है पर सीजीएसटी 1 प्रतिशत एवं एसजीएसटी 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत जीएसटी 7486.84 रूपया की कटौती नहीं कर राजकीय कोष की क्षति पहुंचायी गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झीगुर प्रसाद उत्तरदायी है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः रुपये 7486.84 की यथाशीघ्र वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(सा0आ0 सं0-22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
7486.84	0.00	0.00	7486.84

प्रस्तर संख्या-35 वर्ष 2018-19 में पत्रावली सं0 05 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत इमिलिया सिवान से जिगनी राजा सिवान तक मि0/ख0 कार्य पर मेसर्स पाण्डेय ब्रिक फील्ड से बिल क्रमांक 375 दिनांक 17.09.18 द्वारा ईट क्रय रुपये 487782 दर्शित है। जिस पर जीएसटी की धारा 51 जो कि 01.10.18 से प्रभावी है। पर सीजीएसटी 1 प्रतिशत एवं एसजीएसटी 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत जीएसटी 9755.64 रुपये की

कटौती नहीं कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री झीगुर प्रसाद उत्तरदायी से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः रुपये 9755.64 की यथाशीघ्र वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना नितांत आवश्यक है।

(सा0आ0 सं0-23)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
9755.64	0.00	0.00	9755.64

क्षेत्र पंचायत- लार जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-36 विकास खण्ड परिसर में आर0ओ0 अवस्थापना कार्य में दुर्गा ईट उद्योग अजन्ता को रू0 6185.00 का भुगतान दर्शाया गया है, लेकिन ऑडिट के समय व्यय प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराया गया, न ही कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया। उक्त कार्य में जिन फर्मों को भुगतान किया गया उसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	फर्म का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि (रू0)
1.	मेसर्स दुर्गा ईट उद्योग	---	6185.00
2.	मेसर्स अमित कुमार सिंह, बरडीहा परशुराम	89 / 15.03.2018	37077.00
3.	मेसर्स राघव ट्रेडर्स, बरडीहा परशुराम	116 / 15.03.2018	148038.00
	योग		227300.00

दिनांक 11.09.18 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आंकिक को भुगतान करने के लिए आदेशित किया गया है। कार्यप्रभारी वैभव कुमार द्वारा फर्मों को भुगतान करने के लिए ख0वि0अ0 को जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसमें उक्त विवरण के अनुसार मेसर्स दुर्गा ईट उद्योग का बिल क्रमांक/दिनांक नहीं लिखा गया था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रू0 6185.00 का अपहरण किया गया है इसके लिए कार्यप्रभारी श्री वैभव कुमार, लेखाकार श्री सुबाष चन्द्र गुप्त, वि0ख0अ0 श्रीमती सुधा सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती आरती देवी सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
6185.00	0.00	0.00	6185.00

प्रस्तर संख्या-37 वित्तीय वर्ष 2017-18 में 13वें वित्त की धनराशि रू0 120375 एवं रू0 60677 (कुल धनराशि रू0 181052.00) को दिनांक 31.05.2017 में राज्य वित्त मद में सम्मिलित कर दिया गया है। अनुदान रजिस्टर II एवं III में दिनांक 31.05.2017 से उक्त धनराशि को राज्य वित्त मद में सम्मिलित करके गम्भीर अनियमितता की गयी है इसके लिए लेखाकार श्री सुबाष चन्द्र गुप्त एवं वि0ख0अ0 श्रीमती सुधा सिंह जिम्मेदार हैं। इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	181052.00	181052.00

प्रस्तर संख्या-38 आलोच्य वर्ष में टेण्डर के लिए 9 फार्म बिक्री दर्शाया गया है। प्रत्येक फार्म की बिक्री रू0 500.00 में किया गया। इस प्रकार 9 फार्म की कीमता रू0 4500.00 हुआ, परन्तु इस धनराशि को जमा नहीं दर्शाया गया। उक्त धनराशि को आय में न दर्शाकर अपहरण किया गया इसके लिए लेखाकार श्री सुबाष चन्द्र गुप्त एवं ख0वि0अ0 श्रीमती सुधा सिंह जिम्मेदार हैं, से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
4500.00	0.00	0.00	4500.00

प्रस्तर संख्या-39 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निम्न मदों में धनराशि को खर्च किया गया-

2017-18

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
1.	31.07.2017	ट्रीगर कार्य हेतु सामग्री क्रय	20675.00
2.	21.09.2017	ट्रीगर कार्य हेतु सामग्री एवं डीजल क्रय	5463.00
3.	25.12.2017	मिस्त्री प्रशिक्षण एचव ट्रीगर कार्य हेतु सामग्री	6555.00
4.	25.01.2018	ट्रीगर कार्य हेतु सामग्री क्रय	8155.00
5.	25.01.2018	मिस्त्री प्रशिक्षण पर व्यय	35129.00
6.	07.02.2018	विडियो कैमरा क्रय व ट्रीगर कार्य हेतु सामग्री क्रय	67903.00
7.	02.03.2018	ट्रीगर कार्य एवं सामग्री क्रय व कम्प्यूटर मरम्मत	24365.00
8.	01.04.2017 से 30.03.2018 तक	डीजल पर व्यय एवं अन्य व्यय	29843.00
		योग	198088.00

2018-19

क्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि
1.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	डीजल पर व्यय	27289.00
2.	" "	डीजल व ट्रीगर कार्य हेतु सामग्री पर क्रय	62000.00
3.	" "	सर्विस चार्ज एवं कम्प्यूटर क्रय	55870.00
4.	31.01.2019	डीजल एवं स्टेशनरी क्रय	14940.00
5.	04.02.2019	चौपाल के समय टेन्ट आदि पर व्यय	35450.00
6.	20.02.2019	वेसलाईन सर्वे प्रशिक्षण	14700.00
7.	12.03.2019	जागरूकता शिविर एवं स्टेशनरी व्यय	19475.00
8.	15.03.2019	जागरूकता कार्यक्रम हेतु इम्पार्ट	497040.00
		योग	726764.00

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन मद से रु० 198088.00 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 726764.00 का व्यय दर्शित है। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 402328.00 एवं 2018-19 में रु० 607372 ब्याज सहित धनराशि प्राप्त हुई। कुल मिलाकर रु० 1009700.00 की धनराशि ब्याज सहित प्राप्त हुई। उक्त धनराशि के सापेक्ष रु० 924852.00 का व्यय दर्शित है। रु० 924852.00 की धनराशि को स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन्स के अनुसार न खर्च करके मनमाने ढंग से खर्च कर गम्भीर अनियमितता की गयी। इसके लिए लेखाकार श्री सुबाष चन्द्र गुप्त, ए०डी०ओ० (प) श्री चन्द्रप्रकाश दूबे, ए०डी०ओ० (प०) श्री छेदी प्रसाद, ओमकार ओझा (व०सं०), एवं ख०वि०अ० श्रीमती सुधा सिंह जिम्मेदार हैं जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
924852.00	0.00	0.00	924852.00

क्षेत्र पंचायत- गौरी बाजार जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-40 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट पर, जो कार्यो कराये गये हैं, उनमें प्रयुक्त सामग्री पर व्यापार कर/बस्तु एवं सेवाकर की कटौती का क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	सामग्री क्रय	की गयी व्यापारकर की कटौती	लेखा परीक्षानुसार		कम कटौती
			वैट	जीएसटी	
2017-18	1238952 जुलाई 17 से पूर्व 1767967 जुलाई 17 से.....	75895.00	49558.00	88398.00	62061.00
2018-19	7422839.00	---	---	371142.00	371142.00
			योग		433203.00

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 से जी०एस०टी० लागू है जिसके अनुसार पूर्व में लागू 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती की जगह 5 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० (2.5 प्रतिशत एसजीएसटी एवं 2.5 प्रतिशत सीजीएसटी) फर्म द्वारा जमा किया जाना है जो फर्म जी०एस०टी० रजिस्टर्ड नहीं है उनसे

क्रय नहीं करना है। इस सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के इस्टीमेट में जी0एस0टी0 का प्राविधान नहीं किया गया था एवं उच्चाधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण जी0एस0टी0 की कटौती क्षेत्र पंचायत स्तर पर नहीं की गयी है। नियमतः जी0एस0टी0 फर्मों को जमा करना है। क्रय रसीदों के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रेता से जी0एस0टी0 लेना अंकित नहीं है। जी0एस0टी0 की कटौती / जमा न किये जाने के सम्बन्ध में लेखाकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिशा निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है। वैट की कटौती पूर्व में की जाती रही है एवं वैट के स्थान पर ही जी0एस0टी लागू हुआ है। यदि जी0एस0टी0 फर्मों द्वारा जमा किया जा रहा है तो फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 जमा की रसीद प्राप्त कर रखी जानी चाहिए थी जो नहीं रखी गयी है। जमा रसीद के अभाव में फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 जमा की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार जी0एस0टी0 जमा न किया जाना अनियमित है। सम्बन्धित फर्मों से जी0एस0टी0 जमा कराया जाना चाहिए अन्यथा लेखाकर श्री इन्द्रमोहन मिश्र एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री ज्ञान प्रकाश जिम्मेदार होंगे जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	433203.00	433203.00

प्रस्तर संख्या-41 उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती के सम्बन्ध में कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0/ए0डी0 कमि0 जी0एस0टी0अनु0/2018-19/1819049/705 /वाणिज्यकर दिनांक 26 सितम्बर 2018 के क्रम में ऐसे भुगतान जो रू0 2.50 लाख से अधिक के हैं, के भुगतान पर 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 की कटौती दिनांक 01.10.2018 से किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत गौरीबाजार के अन्तर्गत राज्य वित्त के कार्य पर क्रय सामग्री पर पारित भुगतान जो रू0 2.50 लाख से अधिक के हैं, का विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	बाउचर क्रमांक/दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	चेक नं0/दिनांक	भुगतान की धनराशि
1.	1/02.02.19	431941.00	शाही इण्टर प्राइजेज	22346/15.02.19	422266.00
2.	4/02.02.19	378896.00	" "	22350/15.02.19	370409.00
3.	7/02.03.19	259815.00	" "	57648/06.03.19	253995.00
4.	37/25.02.19	279208.00	राय ईट उद्योग	55360/30.03.19 57650/06.03.19	272954.00
5.	8/25.02.19	341006.00	शाही इण्टर प्राइजेज	57651/06.03.19	333367.00
6.	38/05.03.19	273888.00	राय ईट उद्योग	57653/06.03.19	267753.00
7.	11/09.03.19	392233.00	शाही इण्टर प्राइजेज	29211/13.03.19	383447.00
				योग	2304191.00

उपरोक्त धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से रू0 46084.00 की कटौती नहीं की गयी है। स्रोत पर भुगतान कर्ता द्वारा कटौती न किये जाने से राजस्व की क्षति हुयी है जिसके लिए लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश जिम्मेदार है। क्षति पूर्ति हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-05)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	2304191.00	2304191.00

प्रस्तर संख्या-42 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्य वर्दगोनियाँ में केदार सिंह के घर से दरोगा के चक होते हुए बटुलही इन्दूपुर पिच मार्ग तक खड़न्जा मरम्मत हेतु मजदूरी की इस्टीमेटेड धनराशि रू0 186660.00 है, जबकि मस्टररोल द्वारा रू0 241890.00 का भुगतान खारिज किया गया है। इस प्रकार इस्टीमेट से अधिक किया गया भुगतान रू0 55230.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सतीश कुमार ग्रा0वि0अ0, लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह जिम्मेदार है। इसी प्रकार मटिया तिवारी पिच सड़क से करमहा होते हुए देवतहा सीवान पिच मार्ग राम अवध के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य

का मजदूरी का इस्टीमेट रु0 371871.00 है। जबकि मस्टररोल के अनुसार भुगतान 469230.00 किया गया है। इस सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि निर्माण के समय जब पुराने खड़प्पे को समतल किया जाने लगा तो नीचे से ठीक ईट निकलने लगी, जिसे निकालने में मजदूरी बढ़ गयी, जो मान्य नहीं है। उक्त कार्य पूर्व में कब कराया गया था का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस्टीमेट का निर्धारण स्थलीय निरीक्षण एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। अतः लेखाकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार इस्टीमेट से अधिक किया गया भुगतान रु0 97359.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह, लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र एवं कार्य प्रभारी श्री उदयमल गौड़, ग्राम विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अधिभार हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। (आ0सं0-06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
97359.00	0.00	0.00	97359.00

प्रस्तर संख्या-43 आलोच्य वर्ष 2017-2018 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि		योग
		सामग्री	श्रम	
1.	देवरिया मेन रोड से भोरिक के घर होते हुए निवहीं ग्राम सभा तक इण्टरलाकिंग कार्य।	395286.00	55944.00	451230.00
2.	बगापार में काली माँ स्थान से राम प्रसाद के घर होते हुए मोहन मठ तक इण्टरलाकिंग कार्य।	337938.00	51840.00	389778.00
3.	चरियौव बुजुर्ग में सैयद के घर से अख्तर के जमीन व मोहन के घर के सामने मस्जिद होते हुए सैयद के घर विशुनपुरा तक इण्टरलाकिंग कार्य	194391.00	28304.00	222695.00
4.	अवधपुर में परशुराम शर्मा के घर से राम सरन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	131453.00	18575.00	150028.00
5.	रामनगर में पिच रोड से विरेन्द्र के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	81703.00	11106.00	92809.00
	योग			1306540.00

उपरोक्त कार्यों का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवृत्ति में सम्मिलित नहीं हैं बिना प्रस्ताव पारित किये उक्त कार्य कराया जाना अनियमित है। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्देश कि पूर्व वर्ष की कार्यवाही में सम्मिलित ऐसे कार्य जो नहीं कराये गये हैं उन्हें कराया जा सकता है, लेकिन पुष्टि में सम्बन्धित कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना चाहिए अन्यथा कार्य अनियमित होगा जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	1306540.00	1306540.00

प्रस्तर संख्या-44 वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्य बनियनी में कुर्मी टोला पर विकाऊ के घर से मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री मद में 442713 का भुगतान किया गया है लेकिन मजदूरी रु0 58100 का भुगतान दिनांक 24.12.18 को कार्य समाप्त होने के बाद वर्षान्त तक बकाया दर्शाया गया है। लेखाकार द्वारा बताया गया कि मई 2019 में भुगतान किया गया है, लेकिन पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ तो कार्य का पूर्ण होना संदिग्ध है। अतः सामग्री पर दर्शाया गया। व्यय अनियमित है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री शम्भू शरण चौहान ग्रा0पं0अ0, लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश जिम्मेदार है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	442713.00	442713.00

क्षेत्र पंचायत- भाटपार रानी जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-45 क्षेत्र पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य में कतिपय प्रोजेक्ट्स पर इस्टीमेट से अधिक सामग्री क्रम की गयी है, विवरण निम्नवत् है-

वर्ष- 2017-18

क्र० सं०	प्रोजेक्ट का नाम	इस्टीमेट के अनुसार	क्रय	अधिक क्रय	मूल्य
1.	जगरनाथ छपरा में महंगू के घर से बेचू भारती के घर तक इण्टरलाकिंग	ईट 5000.00 दर 6300	6000.00	1000.00	6300.00
2.	मधऊर में जोगउर पिच तक खडण्जा कार्य	मिट्टी 200.25 सेंटीमीटर दर 72	542.79 सेंटीमीटर	342.54 सेंटीमीटर	24662.00
3.	केहुनियाँ के बंजरवा टोला में राम हौसिला प्रसाद के घर के पास से हरेन्द्र धोबी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	फाइन सेंड 25.53 सेंटीमीटर दर 1100 ब्रिक ब्लास्ट 39.12 सेंटीमीटर दर 1350	27.79 सेंटीमीटर 41.79 सेंटीमीटर	1.76 सेंटीमीटर 2.67 सेंटीमीटर	1882.00 3604.00
4.	भरौली में अरुण यादव के घर के पास सोख्ता निर्माण	सीमेण्ट 67 बैग दर 330	70 बैग	3 बैग	1110.00
5.	रघुनाथपुर में रामप्रवेश कुशवाहा के घर से रामचन्द्र कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग	ईट 13200 दर 6300	14100.00	900.00	5670.00
6..	रमनीवारी (रघुनाथपुर) में महेश गुप्ता के घर से अवधेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	फाइन सेंड 36.48 सेंटीमीटर दर 1100	58.84 सेंटीमीटर	22.36 सेंटीमीटर	24596.00
		योग			67824.00

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार इस्टीमेट से अधिक सामग्री क्रम की गयी है-

क्र० सं०	प्रोजेक्ट का नाम	इस्टीमेट के अनुसार	क्रय	अधिक क्रय	मूल्य
1.	वि०ख० परिसर में चहारदीवारी का नव निर्माण कार्य	ईट 60000.00 दर 6200 कोर्स सेंड 48.50 सेंटीमीटर दर 3000	62000 51 सेंटीमीटर	2000 2.5	12400 7500.00
2.	भरौली के अनु० बस्ती में नन्द किशोर प्रसाद के घर से श्रीराम के घर होते हुए नरायन के घोठा तक इण्टरलाकिंग कार्य	इण्टरलाकिंग ईट 11100 दर 21.70	13250.00	2150.00	46655.00
3.	ग्राम पंचायत हरपुर के चौबेपुर छापर में रविन्द्र राय के घर से रामचीज के घर तक इण्टरलाकिंग	इण्टरलाकिंग ईट 8250 दर 20.80	8300.00	50.00	1040.00
4.	टीकमपार सह० समि० के पास से राधा प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	40 मिलीमीटर गिट्टी 19.80 सेंटीमीटर दर 1328.95	21.20 सेंटीमीटर	1.4 सेंटीमीटर	1860.00

5.	वि०ख० कार्यालय में टाइल्स लगाने का कार्य	सफेद सीमेन्ट 5 बैग मोरंग 4.5 सेंटीमीटर दर 2839	6 बैग 5.0 सेंटीमीटर	1 बैग 0.5 सेंटीमीटर	870.00 1419.00
		योग			71744.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्ष 2017-18 में रू० 67824 एवं वर्ष 2018-19 में रू० 71744.00 की इस्टीमेट से अधिक की सामग्री क्रय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग के धन का अपहरण किया गया है। रू० 67824 के लिए लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश एवं श्री रामअधार राम तथा रू० 71744 के लिए श्री रामवचन राम ख०वि०अ० तथा श्री ऋषिकेश गुप्ता लेखाकार से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

(आ०सं०-04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
139568.00	0.00	0.00	139568.00

प्रस्तर संख्या-46 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्य केहुनियों के बंजरवा टोला में रामहौसिला प्रसाद के घर के पास से हरेन्द्र धोबी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में प्रयुक्त मस्टररोलों द्वारा 21.06.2017 से 06.07.2017 तक कार्य कराया जाना दर्शाकर रू० 57500 का भुगतान, कार्य प्रभारी श्री संजय कुमार ए०डी०ओ(एस.टी) द्वारा चेक सं०-4683/24.08.17 द्वारा प्राप्त किया गया है। मस्टररोलों पर मजदूरी प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है। मस्टररोल पर कार्य प्रभारी का भी हस्ताक्षर नहीं है। तथापि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान स्वीकृत किया गया है। यदि मजदूरी का भुगतान मजदूरों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया तो इण्टरलाकिंग कार्य कैसे हुआ? साथ ही यदि मजदूरों ने कार्य नहीं किया तो क्रय सामग्री रू० 418392.00 का उपयोग कहाँ हुआ। इस सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि क्रय सामग्री एवं खारिज मजदूरी की समग्र धनराशि रू० 475892 दुरुपयोगित है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री संजय कुमार ए०डी०ओ (एस.टी) खण्ड विकास अधिकारी श्री रामअधार राम एवं लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता जिम्मेदार है। अधिभार अपेक्षित है।

(आ०सं०-05)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	475892.00	0.00	475892.00

प्रस्तर संख्या-47 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बिना भुगतान हुए अवास्तविक रूप से क्रय सामग्री का उपयोग होना एम०बी० में दर्शाया गया है, जो संदिग्ध है। राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्य जगरनाथ छपरा में महंगू के घर से बेचू भारती के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मातेश्वरी ईट उद्योग पड़री उमन, देवरिया के बाउचर क्रमांक 26/27.07.2017 द्वारा निम्नानुसार क्रय किया गया है-

क्र०सं०	बाउचर क्रमांक	विवरण	धनराशि	भुगतान
1.	26/27.07.2017	600 ईट दर 6300	37800.00	37800.00 चेक नं०- 5441/29.03.2018
		18.66 घन मी० ईट रोड़ी दर 1350	25191.00	शून्य
		योग	62991.00	

उपरोक्तानुसार क्रय ईट रोड़ी रू0 25191.00 का भुगतान नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि एक ही प्रमाणक द्वारा क्रय उपरोक्त ईट एवं ईट रोड़ी में से ईट मूल्य का भुगतान किया गया लेकिन ईट रोड़ी का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त कार्य के एम0बी0 में 18.66 घन मी0 ईट रोड़ी का उपयोग होना दर्शाया गया है। इस प्रकार अवास्तविक क्रय के आधार पर एम0बी0 तैयार की गयी है। जो संदिग्ध है। ईट रोड़ी के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अवास्तविक क्रय दर्शाकर कार्य की एम0बी0 तैयार करायी गयी है जो अनियमित है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। इस अनियमित प्रकरण की ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(आ0सं0-06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	62991.00	62991.00

प्रस्तर संख्या-48 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मस्टररोलों पर अंकित मजदूरी की धनराशि से अधिक का भुगतान पारित किया गया है, उदाहरणार्थ

क्र0 सं0	प्रोजेक्ट का नाम	मस्टररोल मी धनराशि	भुगतान	चेक सं0
1.	भरौली में अरुण यादव के घर के पास सोख्ता निर्माण	21350.00	21950.00	3154 / 05.06.2017
2.	ग्राम पंचायत हरपुर के चौधुर छापर में रवीन्द्रराय के घर में रामजीत के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	35570.00	35578.00	05443 / 15.06.2017

इस प्रकार क्रमांक (1) पर अंकित प्रोजेक्ट पर रू0 600 एवं क्रमांक 2 पर अंकित प्रोजेक्ट पर मस्टररोल की धनराशि से रू0 8.00 का अधिक भुगतान ख0वि0अ0 द्वारा पारित किया गया है जो चेक निर्गमन में उनके उदासीन भाव का घोटक है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्य वि0ख0 कार्यालय परिसर में चहारदीवारी का नव निर्माण कार्य के कार्य प्रभारी श्री मानवेन्द्र शाह द्वारा माधुरी ट्रेडर्स के बाउचर क्रमांक 10/10.12.2018 से 48800 के भुगतान का आग्रह किया गया है। कटौती के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रू0 45755 के भुगतान की स्वीकृति दी गयी है, लेकिन दिनांक 30.12.2018 को चेक सं0-5858/दिनांक 30.12.2018 द्वारा रू0 84052.00 का भुगतान किया गया है जो रू0 38297.00 अधिक है। रू0 38297 का प्रमाणक भी नहीं है। अतः स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के अधिक किया गया भुगतान रू0 38297.00+600.38897 अधिभार योग्य है। जिसके लिए लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामवचन राम जिम्मेदार है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-07)

प्रस्तर संख्या-49 वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत हरपुर के चौधुर छापर में रवीन्द्र राय के घर से रामचीज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य जिसकी स्वीकृति पत्रांक 298/10.12.2015 द्वारा कार्य प्रभारी की नियुक्ति पत्रांक 345/13.01.2016 द्वारा तथा पत्रांक 346/13.01.2016 द्वारा सामग्री आपूर्ति का आदेश फर्मा को दिया गया है। फाइल में टिप्पणी अंकित है कि कार्य 08 मई 2017 को प्रारम्भ होकर 15 मई 2017 को पूर्ण हुआ है-जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

- संलग्न मस्टररोल के अनुसार कार्य 08.02.2016 से शुरू होकर 14.02.2016 को समाप्त हुआ है, जो अंकित टिप्पणी से लगभग 1 वर्ष 3 माह पूर्व का है। इस प्रकार अंकित टिप्पणी भ्रामक है।
- मस्टररोल की धनराशि रू0 35570 की है जबकि चेक नं0- 05443/15.06.2018 द्वारा रू0 35578 का भुगतान किया गया है।
- कार्य पूर्ण 14.02.2016 को है लेकिन मजदूरी भुगतान का चेक दिनांक 15.06.2018 को जारी किया गया है जो लगभग 02 वर्ष 04 माह विलम्बित है जो मजदूरों के हित के विरुद्ध है।
- मस्टररोल के अनुसार दिनांक 14.02.2016 को कार्य समाप्त हुआ तो 08.05.2016 को ईट गिट्टी एवं प्रथम श्रेणी ईट रू0 65388.00 में माँ दुर्गा ईट उद्योग फुलवरिया से क्रय

दर्शाकर चेक नं०-05445/15.06.2018 द्वारा रू० 63923 का भुगतान किया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद क्रय सामग्री का उपयोग कहाँ एवं कैसे हुआ प्रमाणित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अवास्तविक तरीके से लेखा पारित कर एवं प्रोजेक्ट पर व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग के धन का अपहरण किया गया है। इस प्रकार क्रय सामग्री पर पारित भुगतान रू० 274844 एवं मजदूरी भुगतान रू० 35578.00 सहित कुल रू० 310422.00 अधिभार योग्य है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ल (बी०ओ०पी०आर०डी०) लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबचन राम जिम्मेदार है। अधिभार हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में ही ग्राम पंचायत टीकमपार में भगवती गुप्ता के खेत से रामअवध के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु पत्रांक 298/10.12.2015 द्वारा घनावण्टन, पत्रांक 345/13.01.2016 द्वारा श्री राकेश चन्द्र शुक्ल, (बी.ओ.पी.आर.डी.) को कार्य प्रभारी बनाया गया, पत्रांक 346/13.01.2016 द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु फर्मों को निर्देश दिया गया। मस्टररोल के अनुसार मजदूरों द्वारा दिनांक 15.02.2016 से 21.02.2016 तक कार्य किया गया जिस पर 25450.00 की मजदूरी जिसका भुगतान चेक नं०-05443/15.06.2018 द्वारा लगभग 02 वर्ष 04 माह बाद किया गया है जो संदिग्ध है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रोजेक्ट पर सामग्री क्रय अमृतांश कन्स्ट्रक्शन एवं दुर्गा ईट उद्योग से की गयी है जिसका प्रमाणक मई 2018 का है। फरवरी 2016 में पूर्ण हुए कार्य हेतु सामग्री लगभग 02 वर्ष 04 माह बाद क्रय दर्शाकर उसका उपयोग दर्शाया जाना संदिग्ध है। एम०बी० के अनुसार कार्य प्रारम्भ 15 मई 2017 एवं समाप्त 13 मई 2017 दर्शाया गया है, तथा कार्य का मापन 08 सितम्बर 2017 को किया जाना अंकित है। उपरोक्त तथ्यों से कार्य के मस्टररोल, क्रय सामग्री एवं एम०बी० में कोई तालमेल नहीं है। स्पष्ट है कि अवास्तविक तरीके से कार्य कराना दर्शाकर सामग्री पर दर्शित भुगतान रू० 224402.00 एवं मजदूरी रू० 25450 सहित कुल रू० 249852.00 अपहृत है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ल (बीओपीआरडी) लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता, जेई (आरईएस) श्री लाल बहादुर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबचन राम जिम्मेदार है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अधिभार हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(आ०सं०-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
560274.00	0.00	0.00	560274.00

प्रस्तर संख्या-50 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य वि०ख० कार्यालय का सुन्दरीकरण एवं रंगाई पुताई कार्य पर संलग्न सामग्री का प्रमाणक रू० 206605 का है जबकि टिप्पणी अंकित है कि 258805 का भुगतान हो चुका है। इस प्रकार कुल भुगतान रू० 258805 के सापेक्ष रू० 206605 का ही प्रमाणक संलग्न है शेष रू० 52200 का प्रमाणक अप्राप्त है। इसी प्रकार संदर्भित प्रोजेक्ट पर मजदूरी रू० 122200 का चेक रू० 5860/30.12.2018 श्री मानवेन्द्र शाह ग्रा०पं०अ० को किया गया है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल संलग्न नहीं है। बिना प्रमाणक (मस्टररोल) के कार्य का होना संदिग्ध है। आडिट में जारी अंतरिम आपत्ति पर वर्तमान लेखाकार द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। यदि मजदूरी का प्रमाणक नहीं है तो क्रय सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट पर मजदूरी मद में किया गया भुगतान रू० 122200 एवं अंकित टिप्पणी के अनुसार सामग्री पर किया भुगतान रू० 258805 सहित कुल रू० 381005 अधिभार योग्य है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामअधार राम, श्री ज्ञान प्रकाश एवं श्री रामबचन राम तथा लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता तथा कार्य प्रभारी श्री मानवेन्द्र शाह जिम्मेदार है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अधिभार योग्य इस प्रकरण पर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (आ०सं०-09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
381005.00	0.00	0.00	381005.00

प्रस्तर संख्या-51 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट पर जो कार्य कराये गये हैं, उनमें प्रयुक्त सामग्री पर आयकर, व्यापारकर/वस्तु एवं सेवा कर की कटौती का विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	वर्ष	क्रय सामग्री	की गयी आयकर की	लेखा परीक्षानुसार 2.	कम कटौती

			कटौती	24प्रतिशत आयकर	
1.	2017-18	3064709.00	66623.00	68649.00	2026.00
2.	2018-19	3426647.00	73292.00	76757.00	3465.00
			योग		5491.00

इस प्रकार व्यापारकर/वस्तु एवं सेवाकर कटौती की विवरण निम्नवत् है—

3.	2017-18	2245492.00 जुलाई 17 से पूर्व 819217.00 जुलाई 17 से	शून्य शून्य	आडिट के अनुसार		
				वैट	जी.एस.टी	
				89820 —	— 40961	130781
4.	2018-19	3426647.00	39156.00	—	171332.00	132176.00
				योग		262957.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में आयकर की कटौती रु0 5491 कम कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है, जो अधिभार योग्य है। उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागू है, जिसके अनुसार पूर्व में लागू 4 प्रतिशत की दर से व्यापारकर की जगह 5 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 (2.5 प्रतिशत सी.जी.एस.टी एवं 2.5 प्रतिशत एस.जी.एस.टी) जमा किया जाना है। बाउचरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी फर्म द्वारा जी.एस.टी को बिल की धनराशि में जोड़ा नहीं गया है। अर्थात् क्रेता से जी.एस.टी नहीं लिया गया है। यदि जी.एस.टी फर्मों द्वारा जमा किया जा रहा है तो फर्मों द्वारा जी.एस.टी. जमा की रसीद प्राप्त कर नहीं रखी गयी है। जी.एस.टी. जमा की रसीद के अभाव में जी.एस.टी जमा की पुष्टि न की जा सकी है। इस प्रकार जी0एस0टी0 रु0 292957.00 जमा न किया जाना अनियमित है। सम्बन्धित फर्मों से जी0एस0टी0 जमा कराया जाना चाहिए। अन्यथा लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामअधार राम, श्री ज्ञान प्रकाश एवं श्री रामबचन राम जिम्मेदार होंगे जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	292957.00	292957.00

प्रस्तर संख्या-52 उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत स्रोत पर आयकर की कटौती के सम्बन्ध में कमिशनर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0/एडी0कमि0जी0एस0टी0अनु0/2018-19/1819049/705/वाणिज्यकर दिनांक 26 सितम्बर 2018 के क्रम में ऐसे भुगतान जो रु0 2.50 लाख से अधिक के हैं, के भुगतान पर 1 प्रतिशत एस.जी.एस.टी एवं 1प्रतिशतसी.जी.एस.टी की कटौती दिनांक 01.10.2018 से किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत भाटपाररानी के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्य में क्रय सामग्री पर पारित भुगतान जो रु0 2.50 लाख से अधिक के हैं, का विवरण निम्नवत् है—

क्र0 सं0	बाउचर क्रमांक	धनराशि	फर्म का नाम	चेक नं0	भुगतान की धनराशि
1.	56/05.11.2018	111600.00	मातेश्वरी ईट उद्योग पड़री उमन, देवरिया	5847/10.12.18	356570.00
2.	55/02.11.2018	124000.00	“ “ “		
3.	46/03.01.2018	99200.00	“ “ “		
4.	45/14.11.2018	49600.00	“ “ “		
5.	09/15.11.2018	153000.00	माधुरी ट्रेडर्स विशुनपुर	5845/10.12.18	590888.00
6.	08/15.11.2018	128919.00	भाटपाररानी		
7.	07/06.11.2018	147047.00			
8.	05/05.11.2018	238000.00			
9.	11/19.12.2018	344135.00	माधुरी ट्रेडर्स विशुनपुर	5858/30.12.18	322661.00
			योग		1270119.00

उपरोक्त धनराशि 1270119 पर 2प्रतिशत दर से रु0 25402.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री ऋषिकेश गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबचन

राम जिम्मेदार है से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। क्षति पूर्ति के लिए अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-011)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
25402.00	0.00	0.00	25402.00

प्रस्तर संख्या-53 आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य जिनका विवरण निम्नतः है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि		योग
		सामग्री	श्रम	
1.	पकड़ी बाबू में राजदेव प्रजापति के घोटा से छठ स्थान तक खड़ण्जा	125800.00	31049.00	156849.00
2.	ग्राम पंचायत हरपुर के ग्राम चौधुर छापर में रविन्द्र राय के घर से रामचीज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	274844.00	35578.00	310422.00
3.	टीकमपार में साधन सह0समि0 के पास से राधा प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग	280767.00	31650.00	312417.00
4.	ग्राम पंचायत टीकमपार में भगवती गुप्ता के खेत से रामअवध के घर तक इण्टरलाकिंग	224402.00	25450.00	249852.00
5.	ग्राम पंचायत बेलपार पंडित में 6 अदद सोख्ता निर्माण	57679.00	12000.00	69679.00
6.	बलडीहा में पिच सड़क से शिवजी तिवारी के घर होते हुए महेन्द्र तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	545473.00	64630.00	610103.00
7.	वि०ख० कार्यालय में टाइल्स लगाने का कार्य	230213.00	88040.00	318253.00
8.	ग्राम पंचायत जगहथा में सोख्ता निर्माण	149056.00	28960.00	178016.00
9.	विविध कार्य (कार्यालय में हैण्डपम्प)	16490.00	—	16490.00
			योग	2222081.00

उपरोक्त कार्यों का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवृत्ति में सम्मिलित नहीं है। बिना प्रस्ताव पारित किये उक्त कार्य कराया जाना अनियमित है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	2222081.00	2222081.00

क्षेत्र पंचायत- पथरदेवा जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-54 वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गई है। परन्तु उक्त की पुष्टि में कोषवही व्यय प्रमाणक उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रहे।

तिथि	चेक संख्या	धनराशि
28.04.2017	418405	9000.00
31.05.2017	418403	40000.00
	योग	49000.00

अतः रु० 49000.00 अपहरित है। उक्त के लिए सहायक विकास अधिकारी श्री बैजनाथ गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं श्री रामअधर उपाध्याय उत्तरदायी है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है उक्त हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
49000.00	0.00	0.00	49000.00

प्रस्तर संख्या-55 वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत 199115.00 का व्यय दर्शाया गया है। संलग्न प्रमाणकों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि व्यय मुख्यतः ग्रामीणों को शौच मुक्ति, स्वच्छता अभियान के प्रचार-प्रसार एवं ग्रामीणों को जागरूक कर शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने हेतु सहायक सामग्री यथा टार्च, सीटी, कैमरा तथा राज मिस्त्री के प्रशिक्षण तथा सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री क्रय पर व्यय दर्शाया गया है। उक्त के संबंध में निम्न आपत्तियों हैं:-

- (i) स्वच्छता अभियान के प्रचार-प्रसार में प्रयुक्त सामग्री यथा टार्च, टोपी, सीटी महावीर कम्प्यूनिकेशन देवरिया, मिलन जनरल स्टोर्स, कसया से क्रय किया गया है जिस पर टीन नं० एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं० अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि क्रय रजिस्टर्ड संस्था से न कर अन्यत्र से किया गया है, जो अनियमित रहा।
- (ii) शौर्य इण्टरप्राइजेज गोरखपुर से दिनांक 22.12.2017 को 2 अद्द कैमरा 61888.00 में क्रय किया गया है जिसकी पुष्टि में स्टॉक बुक अप्रस्तुत रहा। स्टॉक बुक में प्रविष्टि कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।
- (iii) राज मिस्त्री के प्रशिक्षण कर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

तिथि	विवरण	धनराशि
30.10.2017	राज मिस्त्री के प्रशिक्षण पर नास्ता आदि पर व्यय	8650.00
31.10.2017	राज मिस्त्री के 1 दिन के पारिश्रमिक पर व्यय	13000.00
31.10.2017	मिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु लाउडस्पीकर का भुगतान	1350.00
03.01.2018	राज मिस्त्री के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नास्ता पर व्यय	8100.00
31.01.2018	प्रशिक्षण पर पारिश्रमिक भुगतान 46*500	23000.00
31.01.2018	माइक साउण्ड बाक्स का भुगतान	3500.00
19.03.2018	प्रशिक्षण पर व्यय	4450.00
19.03.2018	साउण्ड बाक्स पर व्यय	1800.00
	योग	63850.00

राजमिस्त्री को चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए जबकि सहायक विकास अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित कर नकद भुगतान किया गया है, जो अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलेक दत्त उपध्याय एवं श्री रामाधर उपाध्याय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बैजनाथ गुप्ता उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	63850.00	63850.00

प्रस्तर संख्या-56 क्षेत्र पंचायत पथरदेवा में वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराया गया निम्न कार्य हेतु सामग्री क्रय रू० 2635009.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया है जिस पर निम्न विवरणानुसार व्यापार कर/जी०ए०टी कटौती फर्मों द्वारा की गई है।

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्य प्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्ति फर्म का नाम	समग्री की धनराशि	फर्म द्वारा चार्ज किया गया वैट	टीडीएस
1.	नोनियापट्टी में हरिहर शुक्ल के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य/कार्य प्रभारी, श्री शिवाजी राव अ० अभियन्ता	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी पकड़ी छापर, पथरदेवा	241002.00	25821.00	
2.	अहिरौली में टुनटुन राय के दरवाजे से वीरेन्द्र पाल के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य, कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी पकड़ी छापर, पथरदेवा	341989.00	36641.00	

3.	नोनियापट्टी पिच मार्ग से परमानन्द इण्टर कालेज मलसी के गेट तक इण्टरलाकिंग कार्य/कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी पकड़ी छापर, पथरदेवा	443544.00	47522.00	
4.	दुलारपट्टी में शिवपाल के खेत से पिच सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य/कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी	409557.00	43881.000	
5.	मुण्डेरा जगदीश में जमीर शाह के घर से शेषनाथ सिंह के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य/कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव, अवर अभियन्ता	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी	341989.00	36641.00	
6.	पकहों में राजीव नन्दन के दरवाजे से किशनदेव शाही के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य/कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी	275709.00	29540.00	
7.	पिपरा में केशवनाथ सिंह के दरवाजे से नहर पुलिया तक मिट्टी एवं खण्डजा कार्य कार्यप्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी	266786.00	28584.00	
8.	पथरदेवा में खण्डजा से साधन सहकारी समिति तक मिट्टी/खण्डजा कार्य कार्य प्रभारी, श्री शिवाजी राव	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी	96275.00	10315.00	
9.	विकास खण्ड पथरदेवा में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कार्य प्रभारी	मे० शैलेश कुमार द्विवेदी	218158.00	233740.00	
		योग	2635009.00	282319.00	

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में कुल सामग्री क्रय रु० 2635009.00 पर फर्म द्वारा रु० 282319.00 व्यापार कर/जी.एस.टी. की कटौती की गई है। बिल पर अंकित व्यापार कर/जी.एस.टी. जमा धनराशि की रसीद की प्रति प्राप्त कर विकास खण्ड कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार जी.एस.टी. रु० 282319.00 जमा नहीं किया जाना अनियमित है। सम्बन्धित फर्मों से जी.एस.टी. जमा की रसीद प्राप्त कर विकास खण्ड कार्यालय में जमा किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा लेखाकार श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दंत उपाध्याय श्री राम आधार उपाध्याय, श्री योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी उत्तरदायी है जिस हेतु विभागीय अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	282319.00	282319.00

प्रस्तर संख्या-57 क्षेत्र पंचायत पथरदेवा में वर्ष 2018-19 के राज्य वित्त योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराए गये निम्न कार्यो हेतु सामग्री क्रय हेतु रु0 1219004.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया है जिस पर निम्न विवरणनुसार व्यापारकर/(जी.एस.टी.) चार्ज फर्मों द्वारा की गई है।

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्य प्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम	समग्री की धनराशि	फर्म द्वारा चार्ज किया गया वैट	टीडीएस
1.	छुड़ीकुण्ड कला में वशिष्ठ पाठक के दरवाजे से डोम के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पकड़ी छापर, पथरदेवा	432079.00	51040.00	
2.	मन्नरंजन यादव के घर से मुन्ना यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पकड़ी छापर, पथरदेवा	73680.0	7894.00	
3.	मुन्ना के खेत से पिच मार्ग तक खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव अवर अभियन्ता	द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पकड़ी छापर, पथरदेवा	42235.00	—	
4.	तिरमासाहुन में झींगर के घर से सुरेश के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव	द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पकड़ी छापर, पथरदेवा	335505.00	35947.00	
5.	पकड़ी बाबू से अजय यादव के दरवाजे से मुन्ना के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी श्री शिवाजी राव	द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पकड़ी छापर, पथरदेवा	335505.00	35947.00	
		योग	1219004.00	130828.00	

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल सामग्री क्रय रु0 1219004.00 पर फर्म द्वारा रु0 130828.00 का व्यापार कर/जी.एस.टी. चार्ज किया गया है। बिल पर अंकित व्यापार कर/जी.एस.टी. जमा धनराशि की रसीद की प्राप्ति फर्म से प्राप्त कर विकास खण्ड कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार जी. एस.टी. रु0 130828.00 जमा नहीं किया जाना अनियमित है, अन्यथा लेखाकार श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी उत्तरदायी है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	130828.00	130828.00

क्षेत्र पंचायत- रुद्रपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या-58 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट पर जो कार्य कराये गये है, उनमें प्रयुक्त सामग्री पर, व्यापार कर, वस्तु एवं सेवाकर की कटौती या तो नहीं की गयी है या कम दर पर की गयी है, विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	सामग्री क्रय	की गयी व्यापारकर की कटौती	लेखा परीक्षानुसार		कम कटौती
			वैट	जी.एस.टी.	
2017-18	617624 जुलाई 17 से पूर्व 1933720 जुलाई 17 से.....	97246	24705	96686	24145
2018-19	3597694	61499	—	179884	118385
			योग		142530

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागू है जिसके अनुसार पूर्व में लागू 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती की जगह 5 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 (2.5 प्रतिशत एसजीएसटी एवं 2.5 प्रतिशत सीजीएसटी) फर्म द्वारा जमा किया जाना है जो फर्म जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड नहीं है उनसे क्रय नहीं करना है। इस सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के इस्टीमेट में जी0एस0टी0 का प्राविधान नहीं किया गया था एवं उच्चाधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण जी0एस0टी0 की कटौती क्षेत्र पंचायत स्तर पर नहीं की गयी है। नियमतः जी0एस0टी0 फर्मों को जमा करना है। क्रय रसीदों के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रेता से जी0एस0टी0 लेना अंकित नहीं है। जी0एस0टी0 की कटौती/जमा न किये जाने के सम्बन्ध में लेखाकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिशा निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है। वैट की कटौती पूर्व में की जाती रही है एवं वैट के स्थान पर ही जी0एस0टी लागू हुआ है। यदि जी0एस0टी0 फर्मों द्वारा जमा किया जा रहा है तो फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 जमा की रसीद प्राप्त कर रखी जानी चाहिए थी जो नहीं रखी गयी है। जमा रसीद के अभाव में फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 जमा की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार जी0एस0टी0 जमा न किया जाना अनियमित है। सम्बन्धित फर्मों से जी0एस0टी0 जमा कराया जाना चाहिए अन्यथा लेखाकर श्री उमेश चन्द्र शर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय और श्री अशोक कुमार पाण्डेय जिम्मेदार होंगे। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-05)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	142530.00	142530.00

प्रस्तर संख्या-59 उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती के सम्बन्ध में कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०/ए0डी0 कमि० जी0एस0टी0 अनु०/2018-19/1819049/705/वाणिज्यकर दिनांक 26 सितम्बर 2018 के क्रम में ऐसे भुगतान जो रू० 2.50 लाख से अधिक के हैं, के भुगतान से पूर्व समस्त सरकारी विभागों द्वारा स्रोत पर 1 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 की कटौती किया जाना है जो दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी है। आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में क्रय सामग्री पर पारित भुगतान जो रू० 2.50 लाख से अधिक के हैं, का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	बाउचर क्रमांक/दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	भुगतान की धनराशि
1.	137/10.10.2018	425382	अवतार जय बजरंग बली	407538.00
2.	139/13.10.2018	454459	" "	435190.00
3.	173/24.11.2018	667387	" "	639090.00
4.	20/10.12.2018	460246	मे० शशांक	440732.00
5.	35/05.01.2019	323680	अवतार जय बजरंग बली	309956.00
			योग	2232506.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार किये गये भुगतान जो रू० 2.50 लाख से अधिक के हैं, की समस्त धनराशि रू० 2232506.00 पर 2 प्रतिशत की दर से रू० 44650.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की छति पहुँचायी गयी है जिसके लिए लेखाकार श्री उमेश चन्द्र शर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय जिम्मेदार है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	44650.00	44650.00

प्रस्तर संख्या-60 मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कराये गये कार्य जमींदारी बन्धे को मूलस्वरूप देने हेतु मरम्मत कार्य (चैनेज 2620 से 2932 मी0) के पत्रावली की जांच में पाया गया कि प्रोजेक्ट पर दर्शित व्यय एवं की गयी। एम0बी0 के मध्य अन्तर पाया गया विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	एम0आर0 के अनुसार खारिज मजदूरी	एम0बी0के अनुसार मजदूरी	अन्तर
1.	560875	499181	61694
2.	समग्री 314811	306170	8641
			703352

उक्त कार्य का एम0बी0 नं0-4191 श्री एस0डी0 तिवारी (बी0टीए0) किया गया है एम0बी0 पर पेड और कैंसिल पर भुगतान आदेश से पूर्व बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार की गयी एम0बी0 के सापेक्ष मजदूरी एवं सामग्री अधिक खर्च कर मनरेगा धन का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोगित धनराशि रू0 70335 के लिए कार्य प्रभारी श्री बैजनाथ गुप्ता (स0वि0अ0 पंचायत) खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं मनरेगा सहायक श्री दुर्गेश शर्मा जिम्मेदार है अधिभार हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	70335.00	0.00	70335.00

क्षेत्र पंचायत- सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-61 वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 618277.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह स0वि0 अधि0 (सां0) को रू0 132350.00 श्री रामप्रीत स0वि0अधि0 को रू0 207600.00 श्री प्रमील पाण्डेय ग्रा0वि0अधि0 को रू0 149750.00 एवं श्री प्रेमप्रकाश ग्रा0पं0अधि0 को रू0 128577.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न है, उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है। अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार रू0 618277.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए संबंधित कार्य प्रभारी लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	618277.00	618277.00

प्रस्तर संख्या-62 वर्ष 2017-18 में ट्रैक्टर ड्राली से मिट्टी हेतु निम्नलिखित कार्य प्रभारियों को रू0 188084.00 का भुगतान किया गया है जिसमें श्री प्रमोद कुमार सिंह स0वि0अधि0 (सां0) को रू0 115200.00 श्री प्रेमप्रकाश ग्रा0पं0अधि0 को रू0 72884.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान ट्रैक्टर मालिक को किया जाना चाहिए। इस प्रकार रू0 188084.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह एवं श्री शत्रुघ्न सिंह एवं श्री विजय प्रताप सिंह उत्तरदायी है। है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	188084.00	188084.00

प्रस्तर संख्या-63 वर्ष 2017-18 में सामग्री क्रय हेतु प्रमाणकों पर रू0 66593.00 टी.डी.एस. कटौती की गयी है। परन्तु उक्त टी.डी.एस. कटौती जमा की पुष्टि में चालान, जमा रसीद, दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः रू0 66593.00 अपहरण है जिसके लिए तत्कालीन आहरण-वितरण अधिकारी/तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित रहा। रू0 66593.00 आयकर जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
66593.00	0.00	0.00	66593.00

प्रस्तर संख्या-64 निर्माण कार्यो से संबंधित सामग्री क्रम पर रू0 106420.00 का व्यापार कर/जी0एस0टी0 कटौती की गयी है। परन्तु उक्त कटौती जमा की पुष्टि में चालान अप्रस्तुत रहा। अतः रू0 106420.00

दुरुपयोगित है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।
है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	106420.00	0.00	106420.00

प्रस्तर संख्या-65 वर्ष 2017-18 में कुल 12 निर्माण कार्य दर्शित है जिसमें प्रत्येक कार्य पर न्यूनतम तीन-तीन निविदाएं प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक निविदा का मूल्य रु0 500.00 निर्धारित है। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में (12X3X500) कुल रु0 18000.00 की आय होनी चाहिए। निविदा प्रकाशन पर कुल रु0 (7450+4928) रु0 12378.00 की धनराशि व्यय दर्शित है। जबकि निविदा से प्राप्त धनराशि दिनांक 24.06.2017 को रु0 6000.00 आय दर्शित है। इस प्रकार (18000.00-6000.12000.00) रु0 12000.00 निविदा प्राप्ति से निविदा कम धनराशि दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद उत्तरदायी है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
12000.00	0.00	0.00	12000.00

प्रस्तर संख्या-66 वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 718227.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों की न करके कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह स0वि0अधि0 (सां0) को रु0 495377.00 श्री दीनानाथ प्रजापति ग्रा0वि0अधि0 रु0 52850.00 श्री भाष्कर पाण्डेय स0वि0अधि0 (सह0) रु0 40350.00 श्री प्रेम प्रकाश ग्रा0पं0 अधिकारी रु0 21200.00 श्री राममनोहर मिश्र रु0 108450.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न है, उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है। अँगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है। रसीद पर ट्रैक्टर ट्राली को भुगतान किया गया है परन्तु उक्त भुगतान चेक सं0 020058 अंकन रु0 33332 तथा 020061 अंकन रु0 15015 कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा प्राप्त किया गया है। एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ट्रैक्टर मालिक को किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु0 718227.00 का भुगतान जबकि अनियमित रहा जिसके लिए संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	0.00	718227.00	718227.00

प्रस्तर संख्या-67 वर्ष 2018-19 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान पर अंकन रु0 73528.00 टी.डी.एस. की कटौती की गयी है। जिसकी जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः रु0 73528 दुरुपयोग प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	73528.00	0.00	73528.00

प्रस्तर संख्या-68 निर्माण कार्यों से संबंधित क्रय पर जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 कटौती दर 2 प्रतिशत 56019.00 की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय अंकन रु0 3732189.00 पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 74644.00 की जानी चाहिए। इस प्रकार जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 मद में रु0 18625.00 कम की गयी है। टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) कटौती की धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने की पुष्टि में चालान या दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त मद में कटौती जमा की स्थिति अपुष्ट रही। जाँचोपरान्त रु0 74644.00 ब्याज सहित लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। उक्त शीर्षक अन्तर्गत जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
74644.00	0.00	0.00	74644.00

प्रस्तर संख्या-69 वर्ष 2018-19 में कुल 12 निर्माण कार्य दर्शित है। जिसमें प्रत्येक निर्माण कार्य पर न्यूनतम तीन-तीन निविदाएँ प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 500.00 है। इस प्रकार

वर्ष 2018-19 में (12X3X500) तथा निविदा प्रपत्र से आय रु0 5500.00 दर्शित है। कुल रु0 18000.00 की आय होनी चाहिए। निविदा के प्रकाशन पर कुल व्यय (4657+7109) रु0 11766.00 दर्शित है तथा निविदा प्रपत्र से आय रु0 5500 दर्शित है। इस प्रकार (18000-5500) रु0 12500.00 की धनराशि निविदा प्राप्ति से कम आय दर्शाकर अपहरण किया गया है। उक्त के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
12500.00	0.00	0.00	12500.00

प्रस्तर संख्या-70 वर्ष 2017-18 में मनरेगा कान्टीजेन्सी मद में निम्न विवरणानुसार मानदेय का भुगतान किया गया पंजिका में दर्शित है। परन्तु उक्त की पुष्टि में मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

क्रमांक	तिथि	चेक सं0	विवरण	धनराशि
1.	अंकित नहीं है।	---	आपरेटर/लेखाकार का मानदेय	32000.00
2.	अंकित नहीं है।	---	ए.पी.ओ मानदेय	52000.00
3.	अंकित नहीं है।	---	मानदेय आपरेटर एवं लेखा सहायक	16000.00
4.	28.08.2017	639215	रोजगार सेवक मानदेय	162000.00
5.	18.09.2017	639217	ए.पी.ओमानदेय	76000.00
6.	18.09.2017	639218	रोजगार सेवक मानदेय	6000.00
7.	01.11.2017	639222	ए.पी.ओमानदेय	36000.00
8.	09.01.2018	375502	मानदेय ए.पी.ओ	60000.00
9.	25.01.2018	375503	रोजगार सेवक मानदेय	222000.00
10.	25.01.2018	375505	मानदेय क0अं0	16000.00
11.	07.02.2018	375506	मानदेय ए.पी.ओ / क0अं0	48000.00
12.	28.02.2018	375508	रोजगार सेवक मानदेय	168000.00
			योग	894000.00

इस प्रकार रु0 894000.00 दुरुपयोगित है। उक्त के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	894000.00	0.00	894000.00

प्रस्तर संख्या-71 वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत सलेमपुर द्वारा मनरेगा कान्टीजेन्सी प्रशासनिक मद अन्तर्गत निम्नांकित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

क्रमांक	तिथि	चेक सं0	विवरण	धनराशि
1.	अंकित नहीं है।	---	इन्टरनेट हेतु (नरेन्द्र कुमार तिवारी)	3436.00
2.	अंकित नहीं है।	---	स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री	9680.00
3.	अंकित नहीं है।	---	नेटबिल	10965.00
4.	अंकित नहीं है।	---	स्टेशनरी	7425.00
5.	अंकित नहीं है।	---	कार्टेज एवं मरम्मत	3160.00
6.	अंकित नहीं है।	---	कम्प्यूटर नेट	1350.00

7.	28.08.2017	639215	कम्प्यूटरसेट यू0पी0एस / प्रिन्टर	47450.00
8.	18.09.2017	639219	नेटबिल / स्टेशनरी	12967.00
9.	01.11.2017	629221	स्टेशनरी, ईधन, कार्टेज	12235.00
10.	01.11.2017	629222	नेटबिल	1298.00
11.	09.01.2018	375501	नेटबिल / स्टेशनरी	5100.00
12.	25.01.2018	375504	डोंगल चार्ज	1760.00
13.	07.02.2018	375508	आलमारी क्रय	14900.00
14.	28.02.2018	375009	कान्तीजेन्सी	6043.00
15.	28.02.2018	375510	वाहन किराया	22645.00
			योग	160414.00

इस प्रकार रू0 160414.00 दुरुपयोगित है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख, लेखाकार उत्तरदायी है। (सा0आ0 सं0-25)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	160414.00	0.00	160414.00

प्रस्तर संख्या-72 वर्ष 2018-19 में मनरेगा कान्तेजेन्सी मद में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है। परन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

क्रमांक	तिथि	चेक सं0	विवरण	धनराशि
1.	10.04.2018	375512	वाहन किराया	18000.00
2.	20.04.2018	375514	नेट बिल का भुगतान	11946.00
3.	17.05.2018	375517	वाहन किराया	18000.00
4.	05.06.2018	375518	वाहन किराया	18000.00
5.	05.06.2018	375519	मनरेगा रजिस्टर का भुगतान	71145.00
6.	11.07.2018	375521	वाहन किराया	18000.00
7.	13.08.2018	375523	वाहन किराया	18000.00
8.	13.10.2018	375525	स्टेशनरी / मानदेय	12022.00
9.	07.12.2018	386252	वाहन किराया	18200.00
10.	26.02.2019	386253	कान्तीजेन्सी हेतु अग्रिम भुगतान	2000.00
			योग	313511.00

इस प्रकार रू0 313511.00 दुरुपयोगित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-23)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	311511.00	0.00	311511.00

प्रस्तर संख्या-73 वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार मानदेय का भुगतान किया गया मनरेगा कान्तीजेन्सी पंजिका में दर्शित है। परन्तु उक्त की पुष्टि में मानदेय पंजिका अप्रस्तुत रहा।

क्रमांक	तिथि	चेक सं0	विवरण	धनराशि
1.	10.04.2018	375511	ए.पी.ओका मानदेय	72000.00
2.	20.04.2018	375516	टी.ए विश्वनाथ गुप्ता का मानदेय	8000.00
3.	30.06.2018	375520	ए.पी.ओ / लेखा सहायक का मानदेय	140000.00
4.	30.06.2018	375521	रोजगार सेवक का मानदेय	309000.00
5.	16.09.2018	375524	ए.पी.ओ / लेखा सहायक का मानदेय	100800.00
6.	07.12.2018	386251	ए.पी.ओ / लेखा सहायक का मानदेय	50400.00
7.	06.03.2019	386254	रोजगार सेवक मानदेय	342000.00
8.	16.03.2019	386255	ए.पी.ओ / सहायक लेखाकार	100800.00
			योग	1123000.00

इस प्रकार रु0 1123000.00 दुरुपयोगित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल योग
0.00	1123000.00	0.00	1123000.00

क्षेत्र पंचायत- बनकटा जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-74 क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्ष (2017-18) में वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान से कराये गये निम्न निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय पर रुपये 25,18,008.00 भुगतान दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम एवं बिल का विवरण	सामग्री क्रय का विवरण	मात्रा	दर	क्रय कीमत	दर जी.एस. टी	आयकर टी.डी. एस	जीएसटी दर	भुगतान विवरण
1.	भावानी छापर में विरेश सिंह के घर से इल्लाम मास्टी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री रामप्रवेश तिवारी पद-स0वि0 अ0	(i) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 200 दिनांक 05.08. 2017	ईट टुकड़ा प्रथम श्रेणी ईट	36.53 घनमीटर 8000 नं0	1350 घनमीटर 6300 रुपये प्रति	49315 50400	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2234	2348 2400	चेक सं0 022241 दिनांक 25.09.17 धनराशि 9738
			योग	---	---	99715	---	2234	4748	
		(ii)संगम इण्टरप्राइजेज भंडारपार, भाटपारानी सेलइनवाइस नं0 48 दिनांक 06.08. 17	इण्टरला किंग ईट	14500 नं0	20.80 प्रति	301600	18 प्रतिशत	6756	46007	चेक सं0 020029 दिनांक 05.09.17 धनराशि 294845
			योग	---	---	301600	---	6756	---	
		(iii) रवि ट्रेडर्स रामपुर अर्जुन देवरिया बिल कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं। दिनांक 06.08.2017	सीमेट सफेद बालू	100 बैग 46. 67घनमीटर	330 बैग 1100घन मीटर	33000 46937	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1791	7219 2235	चेक सं0 022242 दिनांक 05.09.17 धनराशि 52850
			योग			79937		1791	9454	
2	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पकड़िया कुण्ड सड़क से भगवान गोंड के घर तक खण्डजा	(i) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 1425 दिनांक 08.01.	ईट टुकड़ा प्रथम श्रेणी ईट	30000नं0	6300	189000	5 प्रतिशत	4234	9000	चेक सं0 022252 दिनांक 28.03.18 धनराशि 184767

	मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी श्री छेदी प्रसाद पद-स0वि0 अ0 (पंचायत)	2018								
			योग			189000		4234	9000	
		(ii) संतोष पुत्र श्री सन्तन, ग्राम-रतसिया वि0ख0 लार ट्रैक्टर नं0 UPX 2845 बिल संलग्न नहीं है। सादे कगाज पर लिया गया धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	600.85 घनमीटर	72.00 प्रति घनमीटर	43261	5 प्रतिशत	969	2060	चेक सं0 022253 दिनांक 28.03.18 धनराशि 43261
			योग			43261		696	2060	
3	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत गोबरही में सखन के घर से संजय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री छेदी प्रसाद, पद-स0वि0 अ0 (पंचायत)	(i) संगम इण्टरप्राइजेज भेड़ापाकड़, भाटपाररानी सेल इनवाइस क्रमांक 67 दिनांक 13.09. 2017	इण्टरला किंग टाईल्स	5000 नं0	20.80 प्रतिनग	104000	18 प्रतिशत	2330	15864	चेक सं0 022246 दिनांक 25.09.17 धनराशि 101670
			योग			104000		2330	15864	
		(ii) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 1411 दिनांक 13.09. 2017	ईट टुकड़ा (40 मिलीमीटर) प्रथम श्रेणी ईट	14.06 घनमीटर 3400 नं0	1350घन मीटर 6300 हजार	18891 21420	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	903	900	चेक सं0 022244 दिनांक 25.09.17 धनराशि 40221
			योग			40311		903	15864	
		(iii) रवि ट्रेडर्स रामपुर बुजुर्ग देवरिया बिल कैशमेमो क्रमांक 102 नहीं। दिनांक	सीमेट सफेद बालू	44 बैग 16.90 घनमीटर	330 बैग 1100 घनमीटर	14520 18590	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत	742	3176 885	चेक सं0 022245 दिनांक 25.09.17 धनराशि 33026

		13.09.2017								
			योग			33110		742	4061	
4.	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोहनपुर में हृदया पाण्डये के दरवाजे से रमायन चौरसिया के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी श्री छेदी प्रसाद, पद-स0वि0 अ0 (पंचायत)	(i) संगम इण्टरप्राइजेज भेड़ापाकड़, भाटपाररानी सेल इनवाइस क्रमांक 47 दिनांक 30.06. 2018	इण्टर लॉकिंग टाईल्स	6000 नं0	20.80 प्रतिनग	124800	18 प्रतिशत	2796	19037	चेक सं0 दिनांक 07.07.18 धनराशि 122004
			योग			124800		2796	19037	
		(ii) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 1433 दिनांक 03.06. 2018	प्रथम श्रेणी ईट का टुकड़ा प्रथम श्रेणी ईट	18 घनमीटर 2600नं0	1350 घनमीटर 6300 हजार	24300 16380	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	911	1157 780	चेक सं0 दिनांक 07.07.18 धनराशि 39769
			योग			40680		911	1937	
		(iii) रवि ट्रेडर्स रामपुर बुजुर्ग देवरिया बिल कैशमेमो क्रमांक 136 दिनांक 03.06. 2018	सीमेंट लोकल बालू सफेद बालू	15 बैग 9.40 घनमीटर 10. 52घनमीटर	330 बैग 600घन मीटर 1100घन मीटर	4950 6110 1572	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	507	1083 291 551	चेक सं0 दिनांक 13.07.18 धनराशि 18000
			योग			22632		507	1925	
5.	मिश्रौली के टोला खण्डजा मार्ग से रामाधार के घर होते हुए राजीत यादव के घोटा के सामने तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी श्री छेदी प्रसाद पद-सहायक विकास अधिकारी	(i) संगम इण्टरप्राइजेज भेड़ापाकड़, भाटपाररानी सेल इनवाइस क्रमांक 69 दिनांक 10.04. 2018	इण्टर लॉकिंग टायल्स	12000नं0	20.80 प्रति नग	249600	18 प्रतिशत	5591	38075	चेक सं0 027734 दिनांक 04.06.18 धनराशि 244009
			योग			249600		5591	38075	
		(ii) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 1433 दिनांक 10.04. 2018	ईट का टुकड़ा (40 मिमी) प्रथम श्रेणी ईट	33.3 घनमीटर 7300नं0	1350 घनमीटर 6300 हजार	48775 45990	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2123	2323 2190	चेक सं0 027336 दिनांक 044.06.18 धनराशि 92643
			योग			94765.50		2123	4513	

		(iii) रवि ट्रेडर्स रामपुर बुजुर्ग देवरिया बिल कैशमेमो क्रमांक 1434 दिनांक 10.04. 2018	सीमेट सफेद बालू	35 बैग 39.67 घनमीटर 10.52 घनमीटर	330 बैग 1100घन मीटर	11550 43637	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1236	2527 2078	चेक सं0 027335 दिनांक 04.06.18 धनराशि 53921
			योग			55187		1236	4605	
6.	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौलिया पाण्डेय में ओमप्रकाश के घर से रामचन्द्र यादव के घर के दक्षिण चक रोड़ तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी श्री छेदी प्रसाद, पद-स0वि0 अ0 (पंचायत)	(i) संगम इण्टरप्राइजेज भेड़ापाकड़, भाटपाररानी सेल इनवाइस क्रमांक 70 दिनांक 25.03. 2018	इण्टरला किंग टाईल्स	10500 नं0	20.80 प्रति नग	218400	18 प्रतिशत	4892	33315	चेक सं0 022722 दिनांक 25.05.18 धनराशि 213508
			योग			218400		4892	33315	
		(ii) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 1432 दिनांक 25.03. 2018	प्रथम श्रेणी ईट का टुकड़ा प्रथम श्रेणी ईट	27.97 घनमीटर 6600नं0	1350घन मीटर 6300 हजार	37759 41580	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1777	1798 1980	चेक सं0 022260 दिनांक 25.05.18 धनराशि 77562
			योग			79339		1777	3778	
		(iii) रवि ट्रेडर्स रामपुर बुजुर्ग देवरिया बिल कैशमेमो क्रमांक 161 दिनांक 25.03. 2018	सीमेट सफेद बालू लोकल बालू	80 बैग 17.87 घनमीटर 14.78 घनमीटर	330 बैग 11000 घनमीटर 650 घन मीटर	26400 19657 9607	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1247	5775 936 458	चेक सं0 022721 दिनांक 25.05.8 धनराशि 54418
			योग			55664		1247	7169	
7.	बासदेव उर्फ गोबरही मे बलिराम के खेत वशीर के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्य प्रभारी छेदी प्रसाद पद-स0वि0 अ0 (पंचायत)	(i) संगम इण्टरप्राइजेज भेड़ापाकड़, भाटपाररानी सेल इनवाइस क्रमांक 67 दिनांक 01.04. 2018	इण्टरला किंग टाईल्स	4800 नं0	20.80 प्रतिनग	99840	18 प्रतिशत	2237	15230	चेक सं0 022732 दिनांक 04.06.18 धनराशि 975041
			योग			99840		2237	15230	

		(ii) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 1430 दिनांक 01.4. 2018	ईट का टुकड़ा प्रथम श्रेणी ईट	16.26 घनमीटर 3600नं0	1417.50 घनमीटर 6195 हजार लेस (-)	23048.53 18585.00 0.53	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	933 885	1098 885	चेक सं0 022731 दिनांक 04.06.18 धनराशि 40700
			योग			41633		933	1983	
		(iii) रवि ट्रेडर्स रामपुर बुजुर्ग देवरिया बिल कैशमेमो क्रमांक 161 दिनांक 25.03. 2018	सीमेट सफेद बालू लोकल बालू	48 बैग 7.75 घनमीटर 9.93 घनमीटर	320 बैग 7350 घनमीटर 1260 घनमीटर लेस (-)	26400 19657 9607 0.53	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	752 596	3360 271 596	चेक सं0 02730 दिनांक 04.06.18 धनराशि 32816
			योग			33568		752	4227	
8.	रा.वि.आ. के अन्तर्गत भुडवार में धनेश्वर के घर से सोहनपुर सीवान तक इण्टरलाकिंग कार्य प्रभारी श्री छेदी प्रसाद पद-स0वि0 अ0 (पंचायत)	(i) संगम इण्टरप्राइजेज भेड़ापाकड़, भाटपाररानी सेल इनवाइस क्रमांक 66 दिनांक 01.04. 2018	इण्टरला किंग टायल्स ईट	8500 नं0	रू0 20.80 प्रति नग	176800	18 प्रतिशत	31824	3961	चेक सं0 022726 दिनांक 04.06.18 धनराशि 172840
			योग			176800		31824	3961	
		(ii) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल कैशमेमो क्रमांक 1431 दिनांक 01.04. 2018	ईट का टुकड़ा ईट प्रथम श्रेणी	23.17 घनमीटर 7800नं0	1417.50 घनमीटर 6195 हजार	32843.48 48321.48	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1818 2301	1564 2301	चेक सं0 022728 दिनांक 04.06.18 धनराशि 79346
			योग			81164.00		1818	3865	
		(iii) रवि ट्रेडर्स रामपुर बुजुर्ग देवरिया बिल कैशमेमो क्रमांक 162 दिनांक 10.04. 2018	सीमेन्ट सफेद बालू लोकल बालू	80 बोरी 15.80 घनमीटर 12.17 घनमीटर	320 बोरी 1260 घनमीटर 735 घन मीटर	25600 19908 8945	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1220 426	5600 948 426	चेक सं0 022727 दिनांक 04.06.18 धनराशि 53234
			योग			54453		1220	6974	

9.	रा.वि.आ. के अन्तर्गत बखरी में सुरेन्द्र कुशवाहा के खेत से ग्राम माडीपुर मिश्री तिवारी के खेत तक खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी श्री छेदी प्रसाद पद-स0वि0 अ0 (पंचायत)	(i) मेसर्स चन्दु ईट उद्योग, प्रताप छापर, बनकटा बिल केशमेमो क्रमांक 1436 दिनांक 03.04. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	2640 नं0	6195 हजार	163548	5 प्रतिशत	3663	7788	चेक सं0 022724 दिनांक 04.06.18 धनराशि 159885
			योग			163548		3663	7788	
10.	खण्ड विकास अधिकारी कक्ष/कार्यालय हेतु कुर्सी क्रय	पाल फर्नीचर, राघव नगर, नियर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया देवरिया बिल क्रमांक 33 दिनांक (सप्लाई तिथि) 28. 03.2018	आरनेट कुर्सी सुप्रीम अल्फा रिवाल्विंग कुर्सी एल प्लाई पॉस रिवाल्विंग गाड़ी भाड़ा	9 नग 1 पीस 1 पीस	2450 प्रति नग 4500 प्रति0 पीस 6800 प्रति पीस	22050 4500 6800	18 प्रतिशत 18 प्रतिशत 18 प्रतिशत	784	3364	चेक सं0 022258 दिनांक 20.03.18 धनराशि 35000
			योग			35000		784	5087	
	क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 10 तक का कुल योग					2518007			56407	279592

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा, जनपद देवरिया के पत्रांक 103/स्था0-1/निविदा/2017-18/दिनांक 30.05.2017 से क्षेत्र पंचायत, बनकटा द्वारा मनरेगा, राज्यवित्त, 13वाँ वित्त आदि योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष (2017-18) में स्वीकृत तथा वर्ष (2017-18) में कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट, इण्टरलाकिंग ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेंट, वायरिंग, पत्थर बोर्ड से संबंधित सामग्री इत्यादि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित की गयी है। समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 31.05.2017 को तथा समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 03.06. 2017 को निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। खण्ड विकास अधिकारी बनकटा के कार्यालय में निविदा बाक्स में निविदा डालने की तिथि दिनांक 08.06.2017 को अपराह्न 2 पी.एम.निर्धारित किया गया। निविदा खोलने की तिथि दिनांक 08.06.2017 अपराह्न 3 पी.एम.निविदा खोलने की स्थान विकास खण्ड बनकटा सभागार निर्धारित किया गया है।

प्रथम श्रेणी ईट एवं ईट गिट्टी आपूर्ति हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

1. चन्दू ब्रिफ फिल्ड, प्रताप छापर, बनकटा, देवरिया।
2. विजय ईट उद्योग, मेडियारानी, मझौली, देवरिया।
3. यादव ब्रिक फील्ड, रामपुर बुजुर्ग, बनकटिया।

चन्दू ब्रिक फील्ड, प्रतापछापर, बनकटा, देवरिया ने अपने निविदा प्रपत्र में जमानत धनराशि का विवरण नहीं भरा गया है। निविदा प्रपत्र के साथ व्यापारकर विभाग में टिन नं0 091203057865 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्री सतीश प्रताप सिंह की आयकर पैन कार्ड नं0- बीडीआईपीएस 8990 क्यू की

छायाप्रति तथा श्री सतीश प्रताप सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस यूपी 52 20050027421 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा तीन वर्षों की आयकर विवरण बिक्रीदर/वैट/जी0एस0टी0 विवरणी, स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

विजय ईट उद्योग, मेडिया रौनी, मझौली द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में मात्र ईट प्रथम श्रेणी एवं ईट गिट्टी की बिक्री पंजीकरण संख्या, पैन नम्बर, जमानत धनराशि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर विवरणी/दाखिल आयकर रिटर्न, बिक्रीदर/वैट/जी0एस0टी0 विवरणी/भुगतान विवरणी, व्यापार विभाग में टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

यादव ब्रिक फील्ड, रामपुर बुजुर्ग, बनकटिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में मात्र ईट प्रथम श्रेणी एवं ईट गिट्टी बिक्रीदर का उल्लेख किया गया है। निविदा प्रपत्र में फर्म का व्यापारिक विभाग में बिक्रीकर पंजीकरण संख्या पैन नम्बर, जमानत धनराशि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, बिक्रीदर/वैट/जी0एस0टी0 विवरणी/भुगतान विवरणी, टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद, इत्यादि अपने प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति सदस्यों की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इन तीनों फर्मों में से चन्दू ब्रिक फील्ड, बनकटा, देवरिया की निविदा स्वीकृत किया गया।

सीमेन्ट, सफेद बालू, मोरंग बालू, पत्थर गिट्टी, लोकल बालू, सरिया, हयूम पाइप, पेन्ट, दरवाजा पेन्ट इत्यादि आपूर्ति हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. मेसर्स रवि ट्रेडर्स, रामपुर, देवरिया।
2. माँ भगवती इण्टरप्राइजेज, रामपुर बुजुर्ग।
3. प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल्स, रामपुर बुजुर्ग।

मेसर्स रवि ट्रेडर्स, रामपुर इंगुरी बुजुर्ग देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (093203097075) की छायाप्रति, पैन कार्ड नम्बर एफ.एक्स.यू.पी.एस 3706 श्री रामध्यान सिंह की छायाप्रति सामग्रियों के बिक्री दर, जमानत धनराशि रु0 100000/-एच0डी0एफ0सी0 सोहनपुर बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 05.07.2017 रिफरेन्स नं0 336913000327 ड्राफ्ट नम्बर "000322" "274240051" "999990" "16" दिनांक 05.07.2017 संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, बिक्रीदर, वैट/जी0एस0टी0 विवरणी, शपथ पत्र इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

माँ भगवती इण्टरप्राइजेज, रामपुर बुजुर्ग, इंगुरी बाजार, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में मात्र आपूर्ति किये जाने सामग्रियों के दर का उल्लेख किया गया है। अपने निविदा प्रपत्र में बिक्रीकर पंजीकरण संख्या, पैन नम्बर, जमानत/अर्नेस्ट मनी का विवरण इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, बिक्रीदर, वैट/जी0एस0टी0 विवरणी, शपथ पत्र टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, शपथ पत्र, अर्नेस्टमनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल्स, रामपुर बुजुर्ग, इंगुरी बाजार देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में मात्र आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के दर का उल्लेख किया गया है। अपने निविदा प्रपत्र में बिक्रीकर पंजीकरण संस्था, पैन नम्बर, अर्नेस्ट मनी/जमानत धनराशि का विवरण इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर विवरणी/भुगतान विवरणी, टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी,

बनकटा द्वारा इन तीनों फर्मों में से मेसर्स रवि ट्रेडर्स, रामपुर बुजुर्ग, पो0 इंगुरी बाजार, देवरिया की निविदा को स्वीकृत किया गया।

इण्टरलाकिंग टायल्स की आपूर्ति हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. संगम इण्टरप्राइजेज, भेड़ापाकड़, भाटपाररानी, देवरिया।
2. मेसर्स हर्ष टाइल्स, मनिहारी, सलेमपुर रोड, सलेमपुर, देवरिया।
3. मेसर्स एस0आर0बी0बी0 ट्रेडर्स, सलेमपुर रोड, कुण्डौली लार, देवरिया। संगम इण्टरप्राइजेज, भेड़ापाकड़, भाटपाररानी, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री इण्टरलाकिंग ईट/टायल्स का दर, फर्म का बिक्रीकर पंजीकरण संख्या 092220308176 तथा पैन नम्बर बीजेड8पीडी 5515 क्यू का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, बिक्रीदर, वैट/जी0एस0टी0 विवरणी, शपथ पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद/जमानत धनराशि जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स हर्ष टाइल्स, मनिहारी, सलेमपुर रोड, सलेमपुर, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में इण्टरलाकिंग ईट की आपूर्ति दर, बिक्रीदर पंजीकरण संख्या 092203047196 का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में पैन नम्बर, अर्नेस्ट मनी, जमानत धनराशि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ टिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर दाखिल रिटर्न/आयकर विवरणी, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, शपथ पत्र, बिक्रीदर/वैट/जी0एस0टी0 विवरणी/भुगतान विवरण पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स एस0आर0 बी0बी0सी0 ट्रेडर्स, सलेमपुर रोड, कुण्डौली लार, देवरिया, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में फर्म का बिक्रीदर रजिस्ट्रेशन संख्या 095203091415 तथा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री इण्टरलाकिंग ईट की दर का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में पैन नम्बर, अर्नेस्ट मनी, जमानत धनराशि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित सदस्यों की संस्तुति पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इन तीन फर्मों में से संगम इण्टरप्राइजेज, भेड़ापाकड़, भाटपाररानी, देवरिया की निविदा को स्वीकृत किया गया है।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा के पत्रांक 100/लेखा-2 /नि0 /2017-18/दिनांक 30.05.2017 से खण्ड विकास अधिकारी बनकटा द्वारा निविदा कार्य हेतु गठित समिति सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा	—	अध्यक्ष
2. अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	—	सदस्य
3. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बनकटा	—	सदस्य
4. सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) बनकटा	—	सदस्य

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा के पत्रांक 182/2-लेखा/क्षे0पं0टेण्डर/2017-18/दिनांक 13.06.2018 से क्षेत्र पंचायत बनकटा द्वारा राज्य वित्त, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से कराये जाने वाले स्वीकृत कार्यों के लिए प्रथम श्रेणी ईट, इण्टरलाकिंग ईट, टाइल्स, सीमेन्ट, मोरंग बालू, सफेद बालू, ईट गिट्टी, पत्थर गिट्टी, सरिया, साईनबोर्ड एवं अन्य सामग्री की वित्तीय वर्ष (2018-19) में आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 14.06.2018 से 22.06.2018 तक पूर्वान्ह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक विकास खण्ड कार्यालय बनकटा निर्धारित किया गया है। टेण्डर जमा करने की तिथि दिनांक 24.06.2018 को अपराह्न 04 बजे तक तथा निविदा हेतु गठित समिति के समक्ष निविदा खोलने की तिथि दिनांक 24.06.2018 को अपराह्न 4 बजे निर्धारित किया गया। पुनः कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बनकटा पत्रांक 205 (II)/2-लेखा/क्षे0पं0/2017-18 दिनांक 23.06.2018 से संशोधित सूचना के द्वारा समस्त निविदादाताओं को सूचित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी (खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा) की अचानक

तबियत खराब हो जाने के कारण पूर्व निर्धारित निविदा डालने की तिथि 24.06.2018 को 4पीएम में आंशिक संशोधन करते हुए निविदा बाक्स में निविदा डालने की तिथि दिनांक 26.06.2018 को तथा निविदा हेतु गठित समिति के समख निविदा खोलने की तिथि दिनांक 27.06.2018 को अपराह्न 3 बजे निर्धारित किया गया। निविदा की विज्ञप्ति एवं संशोधित विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 14.06.2018 अमर उजाला में दिनांक 24.06.2018 एवं दिनांक 26.06.2018, समाचार पत्र स्वतंत्र भारत में दिनांक 08.07.2018 किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा देवरिया के पत्रांक 204/(II)/लेखा-2/आर.शे. प्लान्ट/नि0/2018-19 दिनांक 23.06.2018 से खण्ड विकास अधिकारी बनकटा द्वारा निविदा कार्य हेतु गठित समिति सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा	—	अध्यक्ष
2. श्री रामप्रवेश तिवारी, सहायक विकास अधिकारी(आईएसबी)बनकटा	—	सदस्य
3. श्री छेदी प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बनकटा	—	सदस्य
4. लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय बनकटा	—	सदस्य

प्रथम श्रेणी ईट एवं ईट गिट्टी आपूर्ति हेतु प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. चन्दू ईट उद्योग, प्रतापछापर, देवरिया।
2. आर0एन0टी0 ईट उद्योग, बरईपार पाण्डेय। चन्दू ईट उद्योग, प्रताप छापर, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में बिक्रीकर पंजीयन संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर 09बीडीजेपीएस8990क्यू3जेडआई तथा पैन नम्बर बीपीजेपीएस899क्यूतथा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के आपूर्ति दर का उल्लेख किया गया है तथा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जीएसटीआईएन 09बीडीजेपी58990क्यू3जेडआई) की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद, जमानत धनराशि जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

1. आर0एन0टी0 ईट उद्योग, बरईपार पाण्डेय, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का आपूर्तिदर बिक्री कर पंजीयन संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नं0 09डीयूएनपीएस 6328पीआईजेडजी, पैन नम्बर डीयूएनपीएस6328पी का उल्लेख किया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (09डीयूएनपीएस 6328 पीआईजेडजी) की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति सदस्यों की संस्तुति पर प्रथम श्रेणी ईट एवं ईट गिट्टी की आपूर्ति हेतु चन्दू ईट उद्योग बनकटा देवरिया को निविदा को खण्ड विकास अधिकारी बनकटा द्वारा स्वीकृत किया गया।

सीमेन्ट, सफेद बालू, लोकल बालू, मोरंग बालू, पत्थर गिट्टी,सरिया इत्यादि की आपूर्ति हेतु प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. रवि ट्रेडर्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया।
2. कुशवाहा ट्रेडर्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया।
3. प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया।
4. नन्दनी इण्टरप्राइजेज,कुटियाभर, पो0 रतसिया कोठी, देवरिया।

जीएसटी आईएन रवि ट्रेडर्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में बिक्री पंजीकरण संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर (09आईएक्सयूपी53706एमआईजेडएफ), पैन नम्बर एफएक्सयूपीएस3706एम तथा आपूर्ति किये जाने सामग्रियों की आपूर्ति दर का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड, श्री

रामधान सिंह पैन नम्बर एफएक्सयूपीएस3706एम की छायाप्रति, टिन रजिस्ट्रेशन नम्बर 09320309707 प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्री रामध्यान सिंह का आधार क्रमांक 337165392179 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी, जमा रसीद, जमानत धनराशि जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है।

1. कुशवाहा ट्रेडर्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में मात्र आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्तिकर का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में बिक्री कर पंजीकरण संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर, पैन नम्बर, अर्नेस्टमनी/जमानत धनराशि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। स फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्टमनी जमा रसीद, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति पैन कार्ड की सत्यापित प्रति इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में मात्र आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री की आपूर्तिदर का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में बिक्रीकर पंजीकरण संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर, पैन नम्बर, जमानत धनराशि/अर्नेस्ट मनी, इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। नन्दनी इण्टरप्राइजेज, कुटियानर, पोस्ट-रतसिया कोठी, जिला देवरिया ने अपने निविदा प्रपत्र में बिक्रीकर पंजीकरण संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन 09डीकेसीपीएस1584एन2जेडई, पैन नम्बर डीकेसीपीएस1584एन तथा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति दर का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्री लालबहादुर सिंह का आधार क्रमांक 413330702039 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्टमनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति सदस्यों की संस्तुति पर सीमेन्ट, सफेदल बालू, लोकल बालू, मोरंग बालू, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति हेतु रवि ट्रेडर्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया की निविदा को खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा द्वारा स्वीकृत किया गया।

इण्टरलाकिंग टाइल्स की आपूर्ति प्रतिभागी फर्मों का विवरण निम्न प्रकार है।

2. संगम इण्टरप्राइजेज, फुलवरिया चौराहा, भाटपारानी, देवरिया।
3. सूर्या कन्सल्ट्रक्शन, बलिवन भवानीछापर, जिला देवरिया।
4. लारी टाइल्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया। नन्दनी इण्टरप्राइजेज, ग्राम-कुटिया भार, पो0-रतसिया कोठी, जिला-देवरिया।

संगम इण्टरप्राइजेज, फुलवरिया चौराहा, भाटपारानी, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का आपूर्ति दर, बिक्री कर पंजीयन संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर ओपीबीजेडबीपीडी 5515 क्यूजेडआईका उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में पैन नम्बर, जमानत धनराशि, अर्नेस्टमनी इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर दाखिल रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद, जमानत धनराशि जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। सूर्या कन्सल्ट्रक्शन, बलिवन भवानीछापर, जिला-देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में बिक्री कर पंजीकरण संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर 09एफएक्सआरपीएस2753एच2जेडएन, पैन नम्बर एफएक्सआरपीएस2753एच तथा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का आपूर्तिदर का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर दाखिल रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्टमनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। लारी टाइल्स, रामपुर बुजुर्ग, देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का आपूर्तिकर, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर 09एवीएमपीए716आईके2जेड8 पैन नम्बर एवीवाईओ504ई(मंसूर आलम पुत्र श्री महबूब आलम) का उल्लेख

किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति मु0 मंसूर आलम की आधार क्रमांक 961219562565 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की आयकर दाखिल रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्टमन जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। नन्दनी इण्टरप्राइजेज, कुटियाभर, पोस्ट-रतसिया कोठी, जिला देवरिया ने अपने निविदा प्रपत्र में बिक्रीकर पंजीयन संख्या/जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर09डीकेसीपीएस1584एन2जेडई पैन नम्बर,डीकेसीपीएस1584एनतथा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की आपूर्ति दर का उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्री लालबहादुर सिंह का आधार क्रमांक 413330702039 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ तीन वर्षों की दाखिल आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर इण्टरलाकिंग टाइल्स/ईट की आपूर्ति हेतु संगम इन्टरप्राइजेज, फुलवरिया चौराहा, भाटपाररानी, देवरिया की निविदा को खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा द्वारा स्वीकृत किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) से वर्ष (2018-19) में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है, लेकिन टेण्डर फर्म बिक्री विवरण अप्राप्त रहा। टेण्डर जारी करने की तिथि एवं टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अन्तर नहीं रखा गया है। निविदा प्रतिभागी को दिये जाने वाले निविदा फर्म/नोटिस पर टेण्डर दर की वैधता काल/समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतर निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किये गये हैं। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेण्डर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है। टेण्डर हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाने की धनराशि) निविदा प्रतिभागियों से जमा नहीं कराया गया है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता से सामग्री का सैम्पल संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित जमानत धनराशि निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत स्वीकृत टेण्डर वाले सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी जानी अनिवार्य है, लेकिन टेण्डर स्वीकृति के पश्चात सामग्री मूल्य/निविदा मूल्य रुपये 58,18,008.00 के सापेक्ष वांछित जमानत धनराशि मात्र दस हजार रुपये प्रत्येक स्वीकृत निविदा वाले आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी गयी है जो कि वांछित जमानत धनराशि से बहुत कम है। स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता फर्म से इम्प्रोपर सिक्वोरिटी डिपोजिट ली गयी है। टेण्डरदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, तीन वर्षों की आयकर विवरणी, बिक्रीदर/वैट/जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र इत्यादि नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि संस्था द्वारा टेण्डरदाताओं की वित्तीय स्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व नहीं किया गया है। क्रयादेश जारी होने के बाद सामग्री आपूर्ति हेतु जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुयी है, उनके साथ इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) संस्था द्वारा नहीं किया गया है। क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं किया गया है। निविदादाता फर्मों द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के लिए शपथ पत्र भी नहीं लगाया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर/अधिक मूल्य पर किया गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) से वर्ष (2018-19) में उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रुपये 25,18,008.00 में टेण्डर नियमों एवं सामग्री नियमों का पालन नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्य के लिए संस्था को सामग्री की आपूर्ति कब की गयी, इससे संबंधित विवरण यथा-सामग्री आपूर्ति तिथि स्थान एवं समय सहित उपलब्ध नहीं रहा। क्रय की गयी सामग्री किस वाहन से संस्था पर अथवा कार्य स्थल पर लाया गया, इसका विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। सामग्री ढुलान करने वाले वाहन के मालिक का नाम, पता, वाहन चालक का नाम, पता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का नाम, पता इत्यादि का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वाहन के आगमन का समय, दिनांक, स्थान का विवरण तथा सामग्री उतारने के पश्चात वाहन के प्रस्थान का दिनांक, समय का विवरण सामग्री ढोने वाले वाहन का प्रकार, वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, टोल टैक्स पेमेन्ट रसीद इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा। स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गयी सामग्री का आमर, उपभोग एवं अवशेष की प्रविष्टि नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय कीमत रुपये 25,18,008.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना दर्शित किया गया है, जिसमें जीएसटी की धनराशि रुपये 279592.00 का भी भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म को किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्य के प्राक्कलन में सामग्रियों के रेट ऑफ एनालिसिस शीर्ष में भी सामग्री क्रय कीमत जीएसटीसहित आकलित किया गया है। लेकिन फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिलों पर सामग्री कीमत के

साथ-साथ जीएसटी का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जीएसटीभुगतान का विवरण भी बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जिससे फर्म द्वारा किये गये जीएसटीभुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिल के साथ-साथ जीएसटी भुगतान विवरणी भी संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को जीएसटीभुगतान रुपये रुपये 279592 अनियमित रहा। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जीएसटीभुगतान विवरणी क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये जाने में असमर्थ रहने की स्थिति में उन फर्मों से सामग्री क्रय संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में सामग्री क्रय एवं सामग्री क्रय कीमत भुगतान की उच्च स्तरीय जाँच अपेक्षित है। उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय बिल से आयकर रुपये 53380.00 तथा जी0एस0टी0रुपये 14681/-कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है लेकिन आयकर कटौती की धनराशि रुपये 53380.00 तथा जी0एस0टी0कटौती की धनराशि रुपये 14681/-को राजकीय कोषागार में जमा किये जाने संबंधी चालान/धनराशि प्राप्ति रसीद, दाखिल आयकर रिटर्न, दाखिल जीएसटीरिटर्न/जी0एस0टी0भुगतान विवरणी इत्यादि लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा अपुष्टित रहने की स्थिति में इनकी वसूली तात्कालिक लेखाकार एवं तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों (क्रम संख्या 02) में मिट्टी क्रय रुपये 43261.00 का किया गया है। क्षेत्र पंचायत द्वारा मिट्टी आपूर्तिकर्ता से क्रय बिल पर जी0एस0टी0एवं आयकर की कटौती नहीं किया गया है। मिट्टी आपूर्तिकर्ता द्वारा जी0एस0टी0भुगतान का विवरणी भी क्षेत्र पंचायत में उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्षेत्र पंचायत द्वारा मिट्टी क्रय कीमत रुपये 43261.00 में जी0एस0टी0रुपये 2060.00 का भी भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी का क्रय कीमत का भुगतान भूमि के मालिक अथवा मिट्टी ढोनेवाले ट्रैक्टर मालिक के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है। किन भूमि मालिकों/किसानों की भूमि/खेतों से मिट्टी खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया है, इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय बिल भी उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय की पुष्टि में सादे कागज पर संदिग्ध हस्ताक्षर युक्त नकद धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। जिन पर दिनांक/भुगतान तिथि भी अंकित नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में मिट्टी क्रय एवं क्रय कीमत भुगतान में अनियमितता की गयी है। जिसकी उच्च स्तरीय जाँच करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किये गये जी0एस0टी0विवरणी दाखिल जी0एस0टी0 रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के कारण क्षेत्र पंचायत बनकटा द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को सामग्री क्रय कीमत में साथ जी0एस0टी0भुगतान रुपये 279592 अनियमित रहा। इसके प्रति श्री ज्ञानप्रकाश बीडीओ, श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ, श्री रामप्रताप सिंह बीडीओ, श्री अशोक कुमार पाण्डेय बीडीओ, श्री दीनदयाल लेखा उत्तरदायी है। उपरोक्त निर्माण कार्यों में संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से आयकर कटौती रुपये 56407.00 की जानी थी जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा आयकर कटौती रुपये 53380.00 किया गया। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत बनकटा द्वारा आयकर कटौती रुपये 3027 कम किया गया। इसके प्रति वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानप्रकाश, श्री रामजीत प्रसाद, श्री रामप्रताप सिंह, श्री अशोक कुमार पाण्डेय तथा लेखाकार श्री दीनदयाल उत्तरदायी है। क्षेत्र पंचायत बनकटा द्वारा वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से किये गये आयकर कटौती रुपये 53280/- तथा जी0एस0टी0कटौती रुपये 14681/-का राजकीय कोषागार में सुसंगत शीर्ष में यथाशीघ्र जमा कर दिया जाना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री दीनदयाल एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री ज्ञानप्रकाश व श्री रामजीत प्रसाद, श्री रामप्रताप सिंह, श्री अशोक कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता के कारण उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय रुपये 2518008/-अनियमित रहा। इसके प्रतिवर्ष वर्ष (2017-18) के लिए श्री दीनदयाल लेखाकार, श्री ज्ञानप्रकाश खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती विमला रंजन, निविदा हेतु गठित समिति सदस्यगण, श्री रामप्रवेश तिवारी, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) सहायक विकास अधिकारी पंचायत, अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) उत्तरदायी है। वर्ष (2018-19) के लिए श्री दीनदयाल लेखाकार, श्री रामप्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती विमला रंजन, निविदा हेतु गठित समिति सदस्य सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) श्री रामप्रवेश तिवारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री छेदी प्रसाद उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0.00	0.00	2518008.00	2518008.00

प्रस्तर संख्या-75 क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान से कराये गये निम्न निर्माण कार्य/अन्य कार्य में सामग्री क्रय पर रुपये 21,18,007.50, मजदूरी पर रुपये 4,08,150.00 कुल लागत रुपये 29,26,157.50 दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	कुल लागत	मस्टररोल अवधि	श्रमिकों की संख्या	कुल श्रम दिवस	धनराशि	मजदूरी भुगतान प्राप्कर्ता
1.	भवानी छापर में विरेश सिंह के घर से इल्लाम मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी-श्री रामप्रवेश तिवारी पद-स०वि०अ०	481252.00	52850.00	534102.00	(i) दिनांक 01.09.17 से दिनांक 07.09.2017 तक। (ii) दिनांक 08.09.17 से दिनांक 11.09.2017 तक (iii) दिनांक 15.09.2017 से दिनांक 21.09.2017 तक	11 11 10	77 70 70	18550 17150 17150	चेक संख्या 20030 दिनांक 05.09.17 धनराशि 52850 श्री रामप्रवेश तिवारी एडीओ, कार्यप्रभारी
								52850	

2.	रा0वि0आ0 के अन्तर्गत पकड़िया कुण्ड सड़क से भगवान गौड़ के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी-श्री छेदी प्रसाद, पद-ए0डी0ओ0 (पंचायत)	232261.00	124400.00	356661.00	(i) दिनांक 09.01.2018 से दिनांक 15.01.2018 तक। (ii) दिनांक 16.01.2018 से दिनांक 22.01.2018 तक (iii) दिनांक 23.01.2018 से दिनांक 29.01.2018 (iv) दिनांक 23.01.2018 से दिनांक 29.01.2018 (iv) दिनांक 23.01.2018 से दिनांक 29.01.2018	15 15 15 15 12	105 105 105 105 82	26250 26250 26250 26250 19400	चेक संख्या 22255 दिनांक 28.03.18 धनराशि 124000 श्री छेदी प्रसाद एडीओ, पंचायत
								124400	

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	कुल लागत	मस्टररोल अवधि	श्रमिकों की संख्या	कुल श्रम दिवस	धनराशि	मजदूरी भुगतान प्राप्कर्ता
3.	रा0वि0 आयोग के अन्तर्गत गोबरही में सखन के घर से संजय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी-श्री छेदी प्रसाद पद-स0वि0ओ0 (पंचायत)	177421.00	21450.00	198871.00	(i) दिनांक 13.09.2017 से दिनांक 19.09.2017 तक।	13	87	21450	कार्य प्रभारी श्री छेदी प्रसाद (पंचायत) चेक सं0 22243 दिनांक 25.09.17 धनराशि 21450
								21450	

4.	रा0वि0 आयोग के अन्तर्गत गोबरही में सखन के घर से संजय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी-श्री छेदी प्रसाद पद-स0वि0अ 0 (पंचायत)	188112.00	23700.00	211812.00	(i) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं। (ii) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं है।	08	36	7950	चेक सं0 दिनांक 17.07.18 धनराशि 23700
						07	49	11900	
							योग	19850	
							भुगतान किया गया	23700	
							अधिक भुगतान किया गया	3850	
5.	मिश्रौली के टोला खण्डजा मार्ग से रामाधार के घर होते हुए राजीत यादव के घोड़ा के सामने तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी-श्री छेदी प्रसाद पद-स0वि0अ 0 (पंचायत)	399552.30	52100.00	451652.30	(i) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं। (ii) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं है। (iii) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं है।	14	98	22750	चेक सं0 027337 दिनांक 04.06.18 धनराशि 2100
						14	98	22750	
						07	27	6600	
								52100	

6.	रा0वि0आ0आ 0यो0 के अन्तर्गत बौलिया पाण्डेय में ओमप्रकाश के घर से रामचन्दर यादव के घर के दक्षिण चकरोड तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री छेदी प्रसाद पद—स0वि0अ 0 (पंचायत)	353403.00	39350.00	392753.00	(i) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं। (ii) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं है।	10 13	70 90	17150 22200	चेक सं0 02723 दिनांक 25.5.18 धनराशि 39350
								39350	
7.	वासदेव उर्फ गोबरही में बलिया राम के खेत से वशीर के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्रीछेदी प्रसाद पद—स0वि0अ 0 (पंचायत)	175041.00	21400.00	196441.00	(i(i) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं। (ii) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं है।	07 06	49 37	11900 9500	श्री छेदी प्रसाद एडीओ, (पंचायत) चेक सं0 022733 धनराशि 21400
							योग	21400	
8.	रा0वि0आ0यो0 के अन्तर्गत भुडवार में धनेश्वर के घर से सोहनपुर सीवान तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी—श्री छेदी प्रसाद पद—ए0अडी0 ओ0 (पंचायत)	312417.00	34750.00	347167.00	(i) दिनांक 27.03.2018 से दिनांक 02. 04.2018 तक। (ii) दिनांक 03.04.2018 से दिनांक 06.04.2018 तक	10 10	70 64	18200 16550	श्री छेदी प्रसाद एडीओ, (पंचायत) चेक सं0 022729 धनराशि 34750
							योग	34750	

9	रा0वि0आ0यो0 के अन्तर्गत बखरी में सुरेन्दर कुशवाहा के खेत से ग्राम माडीपुर मिश्री तिवारी के खेत तक खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी—श्री छेदी प्रसाद पद—ए0अडी0 ओ0 (पंचायत)	163548.00	8150.00	201698.00	(i) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं। (ii) मस्टररोल अवधि अंकित नहीं है।	13 12	91 77	20825 17325	श्री छेदी प्रसाद एडीओ, (पंचायत) चेक सं0 022725 धनराशि 38150
							योग	38150	
10	खण्ड विकास अधिकारी कक्ष कार्यालय हेतु कुर्सी क्रय।	35000.00	—	35000.00	—	—	—	—	कार्य प्रभारी चेक सं0 022258 दिनांक 20.03.18 धनराशि 35000
	क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 10 तक का कुल योग	2518007.50	408150.00	2926157.50				408150	

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) से वर्ष वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत उपरोक्त निर्माण कार्यों में मजदूरी भुगतान रुपये 408150.00 किया गया। उक्त निर्माण कार्यों में मजदूरी का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा मजदूरों के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है, जो कि अनियमित है।

मजदूरी के प्रमाणक के रूप में उपलब्ध मस्टररोलो पर क्रमांक/प्रिन्टेड क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं पाये गये जबकि मस्टररोलो को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर निर्गत/जारी किया जाना चाहिए था। श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहे। बाल श्रमिकों से कार्य नहीं कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सप्ताह के अंत में नहीं किया गया है। मस्टररोलों पर प्रतिदिन जोड़ लगाकर उसके नीचे श्रमिकों के उपस्थिति लेने वाले के कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टररोलों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य जाति/महिला इत्यादि का विवरण, कुल सृजित, श्रम दिवसों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है। मजदूरों के स्थानीय होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। कतिपय मस्टररोलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न मजदूरों का अँगूठा निशान लगाया गया है। कतिपय मस्टररोलों पर एक ही व्यक्ति के अलग-अलग अंगुलियों के निशान विभिन्न मजदूरों के अँगूठा निशान के रूप में लगाये गये प्रतीत होते हैं। मस्टररोलों पर अँगूठा निशान पर मजदूरों के नाम अंकित नहीं पाये गये। मजदूरों के अँगूठा निशानी को नाम लिखकर प्रमाणित नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्यों में लगाए गए मजदूरों की उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना अनिवार्य है। जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रति कार्य दिवस में हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा अँगूठा निशानी लगाना चाहिए। उपस्थिति रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी/कार्यप्रभारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल के निरीक्षण के साथ-साथ श्रमिकों की उपस्थिति एवं उपस्थिति एवं उपस्थिति रजिस्टर का भी औचक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों/उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर श्रमिकों का कार्य करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जानी चाहिए। कार्यारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति पर कार्य स्थल की फोटोग्राफी करायी जानी चाहिए। कार्य स्थल पर निर्माण कार्यों के कार्य प्रारम्भ के समय साईन बोर्ड स्पष्ट विवरण सहित लगाया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान के पश्चात भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा मस्टररोलों पर इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा भुगतान उन्हीं श्रमिकों को किया गया है, जिन्होंने उक्त निर्माण कार्य पर कार्य किया है, नहीं दिया गया है। स्पष्ट है मजदूरी भुगतान में अनियमितता की गयी है। साथ ही श्रम नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति करते हुए मजदूरी भुगतान में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच करायी जानी अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत में उक्त निर्माण कार्यों की प्रारम्भ तिथि एवं समाप्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में पूर्व वर्षों में उक्त निर्माण कार्यों को किस अवधि में पहले कराया गया था अथवा किन-किन वर्षों में कब-कब इनका मरम्मत कराया गया, इसका विवरण उपलब्ध नहीं रहा। उक्त निर्माण कार्यों हेतु उपयोग में लायी गयी भूमि के दस्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिसके कारण उस भूमि के मालिकाना हक के संबंध में जानकारी अप्राप्त रही। उक्त भूमि क्षेत्र पंचायत के स्वामित्व की है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका। भूमि का स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में निर्माण कार्यों से पूर्व उक्त भूमि का रजिस्ट्री क्षेत्र पंचायत के पक्ष में कराया जाना चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों को ग्राम पंचायत द्वारा अथवा जिला पंचायत द्वारा पूर्व में नहीं कराया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत से प्राप्त कर नहीं रखा गया है। क्षेत्र पंचायत में परिसम्पत्ति पंजिका अद्यतन तैयार कर आलोच्य वर्षों में सृजित परिसम्पत्तियों का तथा इनसे पूर्व के वर्षों में सृजित समस्त परिसम्पत्तियों की प्रविष्टि धनराशि सहित परिसम्पत्ति पंजिका में किया जाना चाहिए। परिसम्पत्ति पंजिका निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूपेण अद्यतन तैयार कर शासन द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से वार्षिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। परिसम्पत्ति पंजिका संबंधित दस्तावेज एवं संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर लेखा परीक्षा में उक्त की पुष्टि करायी जानी चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों/कार्य स्थल के कार्य से पूर्व, कार्य करते समय की तथा कार्य समाप्ति के पश्चात के प्रमाणित फोटो अनिवार्य रूप से प्रमाणक पत्रावली में रखा जाना चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य सामग्री, स्टॉक पंजिका, गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय की जाँच मजदूरों को किये गये मजदूरी भुगतान की जाँच, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच एवं भौतिक सत्यापन सक्षम प्राधिकारी एवं उच्च अधिकारियों से कराया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त मजदूरी भुगतान रुपये 408150.00 के प्रति श्री

ज्ञानप्रकाश बीडीओ श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ श्री रामप्रताप सिंह बीडीओ श्री अशोक कुमार पाण्डेय बीडीओ श्री दीनदयाल लेखाकार, कार्य प्रभारी श्री रामप्रवेश तिवारी, एडीओ (आईएसबी) एडीओ, (आईएसबी) श्री छेदी प्रसाद एडीओ, (पंचायत) कार्य प्रभारी उत्तरदायी है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
408150.00	0.00	0.00	408150.00

प्रस्तर संख्या-76 क्षेत्र पंचायत बनकटा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारण्टी योजना मनरेगा के अन्तर्गत पीओ स्तर पर प्रशासनिक व्यय वर्ष (2017-18) में 14.44 लाख रुपये तथा वर्ष (2018-19) में रुपये 34.39 लाख रुपये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी के अनुसार किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	मद/व्यय का विवरण	फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी के अनुसार व्यय की धनराशि
1.	(2017-18)	पी ओ स्तर पर प्रशासनिक व्यय	14.14 लाख
2.	(2018-19)	पी ओ स्तर पर प्रशासनिक व्यय	34.39 लाख
		कुल योग	48.83 लाख

क्षेत्र पंचायत बनकटा में आलोच्य वर्ष (2017-18) से (2018-19) में उक्त दर्शित पीओ स्तर पर मनरेगा प्रशासनिक व्यय में संबंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित दस्तावेज, पत्रावली, बैंक पास बुक, बैंक स्टेटमेंट/स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मानदेय पंजिका/मानदेय भुगतान पंजिका, वेतन पंजिका/वेतन भुगतान पंजिका, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, मनरेगा श्रमिक उपस्थिति पंजिका, सामग्री स्टॉक पंजिका एवं संबंधित अन्य अभिलेख इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः उक्त के अभाव में मनरेगा मनरेगा प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय अपुष्टि रहे। मनरेगा मनरेगा प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक तथा संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बनकटा की वर्ष (2017-18) से (2018-19) की मनरेगा एवं मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद संबंधी अनुदान पंजिका भाग एक, अनुदान पंजिका भाग-दो मनरेगा एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी मद का बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट/स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर इत्यादि इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। मनरेगा मनरेगा एवं मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में राजकीय अनुदान प्राप्ति से संबंधित एडवाइस/पुष्टि प्रमाण पत्र, अनुदान शासनादेश इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे मनरेगा एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी मद संबंधी वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष, वर्ष में अनुदान प्राप्ति तथा वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष, वर्ष में अनुदान प्राप्ति तथा वर्षान्त में अनुदान अवशेष (सीबी) धनराशि अपुष्टित रहा। अतः मनरेगा मनरेगा एवं मनरेगा कन्टीजेन्सी मद संबंधी समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा

उक्त के प्रति श्री ज्ञानप्रकाश बीडीओ श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ बीडीओ श्री रामप्रताप सिंह बीडीओ श्री अशोक कुमार पाण्डेय बीडीओ श्री दीनदयाल लेखाकार तत्कालीन ए0पीओ0 उत्तरदायी है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
48.83	0.00	0.00	48.83

प्रस्तर संख्या 77- 4 (ए) क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) योजना के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में राजकीय अनुदान धनराशि 5 लाख रुपये प्राप्त हुए। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	अनुदानदाता का नाम एवं पद	शासनादेश संख्या पत्रांक एवं तिथि	राजकीय अनुदान की धनराशि
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया	कार्या0 डी0पी0आर0 देवरिया पत्रांक 494/7-पं0 स्व0भा0मि0 (ग्रा0)/17-18, दिनांक 15.05.2017	100000.00

2.	---तदैव---	कार्या० डी०पी०आर० देवरिया पत्रांक 2910/7-पं० स्व०भा०मि० (ग्रा०)/17-18, दिनांक 03.11.2017	100000.00
3.	---तदैव---	कार्या० डी०पी०आर० देवरिया पत्रांक 4064/7-पं० स्व०भा०मि० (ग्रा०)/17-18, दिनांक 30.01.2018	100000.00
4.	---तदैव---	कार्या० डी०पी०आर० देवरिया पत्रांक 4916/7-पं० स्व०भा०मि० (ग्रा०)/17-18, दिनांक 28.03.2018	100000.00
5.	---तदैव---	कार्या० डी०पी०आर० देवरिया पत्रांक 4989/7-पं० स्व०भा०मि० (ग्रा०)/17-18, दिनांक 31.03.2018	100000.00
		कुल योग	500000.00

क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन मद की लेखों की प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत की अनुदान पंजिका भाग एक, अनुदान पंजिका भाग दो, अनुदान पंजिका भाग तीन तथा कैशबुक में नहीं किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मद में संबंधित बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेण्ट/स्टेटमेण्ट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) योजना से संबंधित पत्रावली/दस्तावेज, तथा संबंधित अन्य अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। उक्त के अभाव में उक्त अभिलेखों के उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्वच्छ भारत मिशन योजना/मद का क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष, वर्ष में उपभोग एवं वर्षान्त में अवशेष की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं की जा सकी। क्षेत्र पंचायत वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन मद में प्राप्त राजकीय अनुदान धनराशि 5 लाख रूप मात्र (500000/-) का उपभोग उक्त अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित रहा। स्वच्छ भारत मिशन मद के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी चाहिए। अन्यथा पुष्टि नहीं कराये जाने की स्थिति में वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन मद में प्राप्त राजकीय अनुदान धनराशि रुपये 500000/-दुरुपयोगित अपहरण रहा। जिसके प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बनकटा खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा श्री ज्ञानप्रकाश, श्री रामजीत प्रसाद, श्री रामप्रताप सिंह, श्री अशोक कुमार पाण्डेय, श्री दीनदयाल लेखाकार तत्कालीन, ए०पी०ओ० उत्तरदायी है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-23 ए)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
500000.00	0.00	0.00	500000.00

4.(बी) क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्ष (2018-19) में स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रा०) के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि में एस बी एम मद की नवीन अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार राजकीय अनुदान की धनराशि रुपये 108927.00 का व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(बैंक-केनरा बैंक शाखा सिविल लाइन, देवरिया अकाउन्ट नम्बर **2662101018260**)

क्रम संख्या	दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता एवं व्यय का विवरण	चेक संख्या दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	16.01.2019	श्री छेदी प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को एस०बी०एम० के अन्तर्गत पी०ओ०एल० भुगतान	चेक सं० 934003 दिनांक 16.01.19	10550.00
2.	16.01.2019	श्री चन्द्रिका प्रसाद, प्र०स०वि०अ० (पं०) को एस बी एमके अन्तर्गत ए सी 52010 एवं के एन 0128 का भुगतान	चेक सं० 934004 दिनांक 16.01.19	13717.00
3.	16.01.19	श्री रामआसरे विश्वकर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को एस बी एमके अन्तर्गत ए सी एस 2010 एवं के एन 0128 का भुगतान	चेक सं० 934004 दिनांक 16.01.19	10006.00
4.	दिनांक अंकित नहीं	श्री मोहन गुप्ता, नन्द पैलेस, सोन्दा देवरिया को दिनांक 30.09.2018 को एस बी एमअन्तर्गत जलपान एवं अन्य व्यवस्था हेतु भुगतान	चेक सं० 934007 दिनांक अंकित नहीं	19700.00
5.	23.02.2019	श्री रामाश्रय विश्वकर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को एस बी एमके अन्तर्गत क्रय का भुगतान	चेक सं० 934008 दिनांक 23.02.19	21576.00

6.	26.03.2019	श्री रामाश्रय विश्वकर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पी.ओ.एलका भुगतान	चेक सं० 934009 दिनांक 26.03.19	14978.00
7.	26.03.19	श्री मनोज गुप्ता, मिष्ठान भण्डार बनकटा को दिनांक 13.01.19 को कम्बल वितरण में मिष्ठान एवं लंच पैकेट व्यय भुगतान	चेक सं० 934010 दिनांक 26.03.19	18400.00
		कुल योग (क्रम संख्या 01 से 07 तक)		108927.00

(आपत्ति संख्या 23 B)

क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्ष (2018-19) में स्वच्छ भारत मिशन योजना (एसबीएम) योजना के अन्तर्गत राजकीय अनुदान धनराशि 500000.00 रुपये प्राप्त हुए। विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदानदाता का नाम एवं पद	शासनादेश संख्या पत्रांक एवं तिथि	राजकीय अनुदान की धनराशि
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया	कार्या० डी०पी०आर० देवरिया पत्रांक 5736/7-पं०/लेखाकार/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/18-19 दिनांक 01.01.2019	500000.00
		कुल योग	500000.00

क्षेत्र पंचायत बनकटा में वर्ष (2018-19) में स्वच्छ भारत मिशन मद की लेखों की प्रविष्टि संस्था की मुख्य अनुदान पंजिका भाग एक, अनुदान पंजिका भाग दो, अनुदान पंजिका भाग तीन, कैश बुक में नहीं किया गया है। संस्था में दिनांक 06.09.2018 एसबीएम मद की एक नवीन अनुदान पंजिका भाग दो तैयार किया गया है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन मद की दिनांक 06.09.2018 से पूर्व की लेखों की प्रविष्टि संस्था के अभिलेखों में नहीं किया गया है जिससे एसबीएम मद का वर्षारम्भ में राजकीय अनुदान प्रारम्भिक शेष, वर्ष में उपभोग इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में उपलब्ध पंजिका (अवधि दिनांक 06.09.18 से दिनांक 31.03.2019) के अनुसार क्षेत्र पंचायत बनकटा में स्वच्छ भारत मिशन मद का विवरण दिनांक 06.09.18 से दिनांक 31.03.2019 तक का निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्र० सं०	मद	अवधि	दिनांक 06.09.18 को प्रारम्भिक शेष	दिनांक 06.09.18 दि० 31.03.19 तक में प्राप्त राजकीय अनुदान	दि० 06.09.18 दि० 31.03.19 तक में दर्शित व्यय	वर्षान्त में दि० 31.03.19 को अन्तिम अवशेष (सी.बी)
1	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	06.09.18 से 31.03.19 तक	106427.00	501920.00	108927.00	499420.00
		योग	106427.00	501920.00	108927.00	499420.00

क्षेत्र पंचायत बनकटा में स्वच्छ भारत मिशन मद में वर्ष (2018-19) में दिनांक 06.09.18 से दिनांक 31.03.19 तक की अवधि में दर्शित व्यय रुपये 108927.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, संबंधित दस्तावेज/पत्रावली, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट/स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर एवं एसबीएम मद में संबंधित अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। उक्त के अभाव में इस मद में दर्शित व्यय रुपये 108927.00 अपुष्टित रहा। उक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपये 108927.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक संबंधित दस्तावेज/पत्रावली, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट/स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक पंजिका तथा एसबीएम मद में संबंधित अन्य अभिलेख इत्यादि प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी चाहिए। अन्यथा पुष्टि नहीं कराये जाने की स्थिति में स्वच्छ भारत मिशन मद में उक्त दर्शित व्यय रुपये 108927.00 दुरुपयोगित रहा। जिसके प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), श्री छेदी प्रसाद, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा, श्री अशोक कुमार पाण्डेय, तत्कालीन लेखाकार, श्री दीनदयाल उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-78 क्षेत्र पंचायत बकनटा में अनुदान पंजिका के अनुसार राज्य वित्त योजना मद में वर्ष (2017-18) में रुपये 5501426/- तथा वर्ष (2018-19) में रुपये 2752821.00 कुल रुपये 8254247/- व्यय दर्शित किया गया है, लेकिन द्वारा वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त योजना मद के व्यय के मात्र रुपये 2926158/- के प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार इस मद में दर्शित व्यय रुपये 5328089/- के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं संबंधित दस्तावेज/पत्रावली प्रस्तुत कर उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा उक्त के प्रति श्री ज्ञानप्रकाश बीडीओ श्री रामजीत प्रसाद, स0वि0ख0अ0, श्री रामप्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी, श्री अशोक कुमार पाण्डेय बीडीओ, श्री दीनदयाल उत्तरदायी अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0.00	0.00	5328089.00	5328089.00

प्रस्तर संख्या-79 क्षेत्र पंचायत बनकटा में अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष (2017-18) में निम्न मदों में रुपये 586500/- व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	व्यय विवरण/मद	कुल व्यय (रुपये में)
01	सांसद निधि शेड निर्माण बैकुण्ठपुर	1544000.00
02	विधायक निधि शेड निर्माण बैकुण्ठपुर	111076.00
03	प्रधानमंत्री आवास कन्टीजेन्सी/इन्दिरा गांधी	212666.00
04	सांसद हाई मास्ट	78916.00
05	वायोगैस अनुदान	21000.00
06	सामाजिक आर्थिक गणना	312.00
07	जे.ई./ए.ई. मद में प्राप्त अनुदान मद में व्यय	8130.00
	योग	586500.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं दस्तावेज लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति, श्री ज्ञानप्रकाश बीडीओ, श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ, श्री दीनदयाल लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-25)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
586500.00	0.00	00.00	586500.00

प्रस्तर संख्या-80 क्षेत्र पंचायत बनकटा में अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष (2018-19) में निम्न मदों में रुपये 353035/- व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	व्यय विवरण/मद	कुल व्यय (रुपये में)
01	सांसद निधि बैकुण्ठपुर	154400.00
02	विधायक निधि बैकुण्ठपुर	93735.00
03	प्रधानमंत्री आवास कन्टीजेन्सी	104900.00
	कुल योग	353035.00

उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित व्यय प्रमाणक एवं दस्तावेज प्रस्तुतकर उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्री रामप्रताप सिंह बीडीओ, श्री अशोक कुमार पाण्डेय बीडीओ, श्री दीनदयाल लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-26)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
353035.00	0.00	00.00	353035.00

क्षेत्र पंचायत- भलुअनी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या-81 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान से कराये गये निम्न निर्माण कार्य/अन्य कार्य में सामग्री क्रय पर रुपये 33,17,934.70 भुगतान दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम एवं बिल का विवरण	सामग्री क्रय का विवरण	मात्रा	दर	क्रय कीमत	जीएसटी दर	जीएसटी व्यापार कर	टीडीएस दर	आयकर टीडीएस
1.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में कमलेश कुशवाहा के घर से मदन के पोखरी तक नाली निर्माण कार्य/कार्य प्रभारी-श्री दीनानाथ रा, ए०डी०ओ० (पंचायत)	(i) मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकडी बाजार, देवरिया सेलइनवाइस क्रमांक 22/749 दिनांक 28.06.17	सीमेंट, महीन बालू, पत्थर गिट्टी मोटा बालू सरिया	260 बैग 9.60 घनमीटर 3.50 घनमीटर 20.50 घनमीटर 3.क्विंटल	360 बैग 1050 घन मीटर 3087 घन मीटर 2201 घन मीटर 4700 क्विंटल	93600 10080 10839 45120 14100	व्यापार कर दर 4%	6950.00	2.24%	3892.00
			योग	—	—	173739	—	6950	—	3892
		(ii) विसन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा, फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक 601 दिनांक 28.06.2017	प्रथम श्रेणी ईट गिट्टी	24000 No 18 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घन मी०	152100 23931	व्यापार कर दर 4%	7005.00	2.24%	3923.00
			योग	—	—	175131	—	7005	—	3923
2.	ग्राम पंचायत पकडी बरामद देवउवारी में पकडी बाजार से उमेश सिंह के खेत तक खण्डजा कार्य कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय, सहायक विकास अधिकारी	(i) विसन ब्रिक फिल्ड, मखटिया राजा, फतेहपुर, देवरिया कैश मेमो क्र० 985 दिनांक 11.05.2017 (ii) रामऔतार यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव	ईट प्रथम श्रेणी मिट्टी क्रय	95000 No 60 ट्रैक्टर टाली मिट्टी	6300 प्रति हजार 600 रु० प्रति ट्राली	598500 36000	दर 4%	23940 —	2.24% 2.24%	13406 807

	(पंचायत)	ग्राम शिवपुर, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी52ए 2803 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न है। तिथि अंकित नहीं है।								
		(iii) अविनाश पुत्र सूर्यनाथ ग्राम शिवपुर, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी53 एसी 5012 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न है। तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर टाली मिट्टी	600 रु० प्रति ट्राली	36000	—	—	2.24%	807.00
		(iv) अर्जुन यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव, ग्राम—शिवपुर, वि०ख० भलुअनी बिल संलग्न नहीं है, सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है। ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी52 एए5403	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 रु० प्रति ट्राली	36000	—	—	2.24%	807.00
		(v) रामसहाय तिवारी पुत्र श्री किशुन तिवारी, ग्राम नगवा, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी52एए5503 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 रु० प्रति ट्राली	36000	—	—		807.00
3	ग्राम पंचायत पकड़ी बरामद देउवारी में पकड़ी बाजार से उमेश सिंह के खेत तक अवशेष मार्ग पर मिट्टी खण्डजा निर्माण कार्य कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय, पद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	(i) देवी ईट उद्योग, पिपरापुरन, भलुअनी, देवरिया कैश मेमो क्रमांक-663 दिनांक 26.06. 2017	ईट प्रथम श्रेणी	18900न०	6300 प्रति हजार	119070	4763	—	—	2667
			योग			119070				2667
		(ii) रामऔतार यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव ग्राम—शिवपुर, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52एसी 2803 क्रय बिल	मिट्टी क्रय	24 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी	500रु० प्रति ट्राली	12000	—	—		269

		संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। तिथि अंकित नहीं								
		(iii) अर्जुन पुत्र सूर्यनाथ ग्राम शिवपुर वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी52 एए 5403 क्रय बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	24 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी	500रु० प्रति ट्राली	11000	—	—		247
		(iv) श्री सूर्यनाथ ग्राम शिवपुर वि०ख० भलुअनी क्रय बिल संलग्न नहीं है। ट्रैक्टर नं० यूपी53एसी 5102 सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	22 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी	500रु० प्रति ट्राली	11000	—	—		247
4	ग्राम पंचायत लखना टोला भिखम चौरा में रामाश्रय के खेत से लखना परसिया तक मिट्टी/खण्डजा कार्य कार्यप्रभारी श्री अवधेश मिश्र सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) देवी ईट उद्योग पिपराचुरन, भलुअनी कैशमेमो क्रमांक 661 दिनांक 22.03. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	64211न०	6300 प्रति हजार	404529	—	9061	5 प्रतिशत	19263
		(ii) मुनीर अहमद पुत्र श्री समीउल्लाह ग्राम बरडीहामल वि०ख० भलुअनी क्रय बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्त रसीद संलग्न है। तिथि अंकित नहीं है। ट्रैक्टर यूपी52 एएफ 5303	मिट्टी क्रय	18 ट्रैक्टर ट्राली	500 रु० प्रति ट्राली	9000	—	202	5 प्रतिशत	429
		(iii) सदानन्द चौरसिया पुत्र हीरा चौरसिया ग्राम-बरडीहादल, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52 एम4090 क्रय बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	18 ट्रैक्टर ट्राली	500 रु० प्रति ट्राली	9000		202.00	5 प्रतिशत	429

		(iv) ज्ञानमुहम्मद पुत्र दिल्ली मुहम्मद ग्राम बरडीहदल वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि०नं० यूपी५२ एजे 6466 क्रय बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है। तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	21 ट्रैक्टर ट्राली	500 रु० प्रति ट्राली	10500	—	235.00	5 प्रतिशत	500
5	ग्राम पंचायत फतेहपुर में रामनगर में शिवा के घर से चौथी के घर तक नाली मरम्मत एवं निर्माण कार्य प्रभारी श्री कृष्ण मोहन पर सहायक विकास अधिकारी (फसल सुरक्षा)	(i) मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स पकड़ी बाजार देवरिया सेलइनवाइस क्रमांक 22 दिनांक 25.03.18	सीमेंट फाइनसैण्ड मोरंग बालू	59 बोरी 1 घनमीटर 8 घनमीटर	360 बोरी 1050 घन मीटर 2519.60 प्रतिघमी	2124 1050 20156		951	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	4646 50 960
			योग			42446		951		5656
		(ii) विसन ब्रिक फिल्ड मखटियाराजा, फतेहपुर, देवरिया कैश मेमो क्रमांक 137 दिनांक अंकित नहीं है।	ईट प्रथम श्रेणी ईट गिट्टी	8859 ना० 3 घनमीटर	6300 हजार 1329 प्रति घ०मी०	55812 3988.50		1340 1340	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2658 190
			योग			59800.50		1340	—	2848
6	ग्राम पंचायत परसिया अजमेर में वीरबहादुर के खेत से मृत्युन्जय के खेत तक मिट्टी खण्डजा निर्माण कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्रा	(i) देवी ईट उद्योग पिपरापुरन, भलुअनी कैश मेमो क्रमांक 662 दिनांक 21.03. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	18525 ना०	6300 हजार	116708		2614	5 प्रतिशत	5558
			योग			116708		2614		5558
7	ग्राम पंचायत खिरसर मे वासदेव बाबा के स्थान पर चबूतरा निर्माण कार्य कार्यप्रभारी श्री कृष्ण मोहन प्रसाद पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा)	(i) मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार देवरिया सेलइनवाइस क्रमांक 22/403 दिनांक 15.03.2018	सीमेंट सफेद बालू लाल बालू मोरंग बालू	40 बोरी 2 घनमीटर 6.20 घनमीटर 4 घनमीटर	360 बोरी 1050 घनमीटर 650 घनमीटर 2519.60 प्रति घ.मी.	14400 2100 4056 10078.40		686	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	3150 100 193 480
			योग			30634.40		686		3923
		(ii) विसन ब्रिक फिल्ड मटवटिया राजा, फतेहपुर, देवरिया कैश मेमो क्रमांक 136 दिनांक 15.03. 2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट गिट्टी	5835 ना० 4 घनमीटर	6300 हजार 1329.50 प्रति घ०मी	36761.00 5318.00		943	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1751 253
			योग			42079		943		2004

8.	ग्राम पंचायत बेहड़ा राजस्व ग्राम फतेहपुर लेहड़ा में अमरनाथ तिवारी के घर से शिव मंदिर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री कृष्ण मोहन प्रसाद पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा)	(i)विसेन ब्रिक फिल्ड मटवटिया राजा, फतेहपुर, देवरिया कैंस मेमो क्रमांक 136 दिनांक 15.03. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	5835 न0	6300 हजार	600447		13450	5 प्रतिशत	28593
		(ii)जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम नगवा वि0ख0 भलुअनी ट्रेक्टर रजि0 नम्बर यूपी 52 एसी 6531 क्रय बिल संलग्न नहीं है।	मिट्टी क्रय	59 ट्रेक्टर ट्राली	600 रु0 प्रति ट्राली	35400		793	5 प्रतिशत	1686
			योग			35400		793		1686
		(iii)गुलाब पाण्डेय पुत्र भवानीदीन ग्राम पाण्डेय पकड़ी, वि0ख0 भलुअनी ट्रेक्टर रजि0 नं0 यूपी52 एसी4873 क्रय बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद ली गयी है। तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	59 ट्रेक्टर ट्राली	600 रु0 प्रति ट्राली	34500		793	5 प्रतिशत	1686
			योग			35400		793		1686
		(iv)अभिनाश पुत्र सूर्यनाथ यादव, ग्राम-शिवपुर ट्रेक्टर रजि0 नं0 यूपी52 एसी5102 क्रय बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। तिथि अंकित नहीं है। रसीद पर अपर लेखन किया गया है।	मिट्टी क्रय	30 ट्रेक्टर ट्राली	600 रु0 प्रति ट्राली	18000		403	5 प्रतिशत	857
		(v)रामऔतार यादव पुत्र रामसवेक यादव ग्राम-शिवपुर ट्रेक्टर रजि0नं0 यूपी52ए 2803 क्रय बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न है। तिथि अंकित नहीं है। अवलोकन किया गया है।	मिट्टी क्रय	30 ट्रेक्टर ट्राली	600 रु0 प्रति ट्राली	18000		403	5 प्रतिशत	857
		(vi)अर्जुन यादव पुत्र श्री सूर्यनाथ, ग्राम-शिवपुर बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। तिथि अंकित नहीं है। रसीद पर	मिट्टी क्रय	30 ट्रेक्टर ट्राली	600 रु0 प्रति ट्राली	18000		403	5 प्रतिशत	857

		अपर लेखन किया गया है। ट्रैक्टर रजि0नं0 यूपी52 एए 5403								
9.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में टोला भरौली में कमलेश के घर से अखिलेश के घर तक खण्डजा कार्य	(i)विसेन ब्रिक फिल्ड, मखटिया राजा, फतेहपुर, देवरिया कैंस मेमो क्रमांक 992 दिनांक 15.05. 2017	ईट प्रथम श्रेणी	2500 न0	6300 रू0 प्रति हजार	15750	630	353	5 प्रतिशत	750
		(ii)कैशमेमो क्रमांक 986 दिनांक 11.05. 2017	ईट प्रथम श्रेणी	60000 न0	6300 रू0 प्रति हजार	378000	15120	8467		
			योग			378000	15120	8467		
		(iii)सदानन्द चौरसिया पुत्र श्री हीरा चौरसिया ग्राम-बरडीहादल, भलुअनी देवरिया ट्रैक्टर रजि0नं0 यूपी52 एम 4090 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया तिथि अंकित नहीं है। ट्रैक्टर रजि0नं0 यूपी 52 एएफ 6206	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 रू0 प्रति ट्राली	36000		807		
			मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 रू0 प्रति ट्राली	36000		807		
			योग			72000		1614		
		(iv)मुन्नीर अहमद पुत्र सफीउल्लाह ग्राम वारीडीहा वि0ख0 भलुअनी, देवरिया बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है। ट्रैक्टर रजि0नं0 यूपी52 एएफ5303	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	36000		807		
		(v)सानू मुहम्मद पुत्र दिल्ल ग्राम वारीडीहा वि0ख भलुअनी ट्रैक्टर नम्बर यूपी52 एजे6466 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	36000		807		
		(vi)गुलाब पाण्डेय पुत्र भवानी दीन	मिट्टी क्रय	73 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	43800		981		

	पाण्डेय ग्राम-पाण्डेय पकडी, वि० भलुअनी बिल संलग्न नहीं है। तिथि अंकित नहीं है। ट्रेक्टर रजि० नं० यूपी 52 एसी 4873								
	(vii) जलेश्वर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि० ख० भलुअनी देवरिया बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है। ट्रेक्टर रजि० नं० यूपी 52 एसी 6531	मिट्टी क्रय	70 ट्रेक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	42000		941		
	क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 09 तक का	कुल योग			3317934. 70	58408		74328	73287

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान से कराये गये निम्न निर्माण कार्यों पर सामग्री क्रय पर रु० 26,98,760.00 भुगतान दर्शित किया गया है।
विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम एवं बिल का विवरण	सामग्री क्रय का विवरण	मात्रा	दर	क्रय कीमत	जीएसटी के दर	जीएसटी व्यापार कर	आयकर टीडीएस
1.	ग्राम सभा बढ़या फुलवरिया पूरब जाने वाली पिच रोड से देवेन्द्र तिवारी के घर तक मिट्टी खण्डजा निर्माण कार्य। प्रभारी श्री अवधेश मिश्र पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) विसन ब्रिक फिल्ड मखटियाराजा फतेहपुर जिला देवरिया 147 दिनांक 09.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	15460 न०	6195 प्रति हजार डिडक्शन (-)	95769 72.00	5 प्रतिशत	4560	2143
			योग	—	—	95687	—	4560	2143
		(ii) सदानन्द पुत्र श्री रामदेव ग्राम शिवपुर भलुअनी ट्रेक्टर रजि० नम्बर यूपी 52 एपी 5708 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	34 ट्रेक्टर	500 प्रति ट्राली	17000	5 प्रतिशत	810	381
			योग	—	—	17000	—	810	381
2	ग्राम सभा भलुअनी में महुई श्रीकान्त रोड से दक्षिण मिदू यादव के आरा मशीन तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी श्री अवधेश मिश्रा, सहायक विकास	(i) देवी ईट उद्योग, पिपरापुरमन, भलुअनी देवरिया कैश मेमो 684 दिनांक 08.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	14649 न०	6195 रु० प्रति हजार डिडक्शन (-)	90750	5 प्रतिशत	4321	2031
			योग	—	—	90677	—	4321	2031

	अधिकारी (कृषि)								
		(iii) रामप्रवेश गुप्ता पुत्र श्री लुटावन गुप्ता, ग्राम-ठाकुर देवा देवरिया वि०ख० भलुअनी देवरिया ट्रैक्टर ड्राली रजि० नं० यूपी 52 एएन 8190 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	13 ट्रैक्टर ड्राली	रु० 600 प्रति ड्राली	7800	5 प्रतिशत	371	175
			योग			7800		371	175
3	ग्राम पंचायत दोहनी मठिया से सुभाष यादव के खेत से पंडित जीव बन्धन एवं रामबली त्रिपाठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री केदारनाथ कुशवाहा, सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)	(i) देवी ईट उद्योग, पिपरापुरमन, भलुअनी देवरिया केश मेमो 682 दिनांक 08.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	1965 न०	6195 रु० प्रति हजार डिडक्शन (-)	121731	5 प्रतिशत	5797	2724
		(ii) रामसहाय तिवारी पुत्र श्री रामकिशुन तिवारी ग्राम नगवा, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52 एए 5503 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	25 ट्रैक्टर ड्राली	रु० 500 प्रति ड्राली	12500	5 प्रतिशत	595	280
			योग			12500		595	280
4.	ग्राम सभा पटखौली मे चन्द्रिका गुप्ता के घर से नवनाथ सिंह के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) देवी ईट उद्योग, पिपरापुरमन, भलुअनी देवरिया केश मेमो 683 दिनांक 09.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी मिट्टी क्रय	15052 नम्बर 14 ट्रैक्टर ड्राली	6195 रु० प्रति हजार डिडक्शन के (-) रु० 600 प्रति ड्राली	9324 8400	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	4432 400	2087 188
		(ii) रामऔतार पुत्र श्री राम सेवक यादव, ग्राम शिवपुर, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52 एसी 2803 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	योग			8400		400	188
5.	ग्रामसभा भलुअनी में गांधी चौक से पूरब बहोर धनौती रोड जाने वाली पिच रोड से उत्तर मुनीब मल्ल के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य	(i) देवी ईट उद्योग पिपरापुरमन भलुअनी केश मेमो 674 दिनांक 09.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	6395 न०	6195 प्रति हजार	39619	5 प्रतिशत	1887	887

	कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)								
			योग			39585		1887	887
		(ii) जीतेन्द्र सागर पुत्र भीमत प्रसाद, ग्राम ठाकुर देवरिया वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि०नं० यूपी 52 वाई 6032	मिट्टी क्रय	19 ट्रैक्टर ट्राली	रू० 600 प्रति ट्राली	11400	5 प्रतिशत	543	256
			योग			11400		543	256
6.	ग्राम सभा सोनाड़ी में मृत्युन्जय सिंह के खेत से उसरा टोला तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री केदारनाथ कुशवाहा, सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)	(i) देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी कैश मेमो 681 दिनांक 08.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	51727 नं०	6195 प्रति हजार डिडक्सन(-)	320448 258	5 प्रतिशत	15259	7172
			योग			320190		15259	7172
		(ii) अभिनाश पुत्र श्री सूर्यनाथ ग्राम शिवपुर वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि०नं० यूपी 52 एसी 5102 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	64 ट्रैक्टर ट्राली	रू० 600 प्रति ट्राली	38400	5 प्रतिशत	1829	860
			योग			38400		1829	860
7.	ग्राम सभा शिवधरिया में गांव से पूरब भलुअनी देवरिया पिच मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य	(i) विसेन ब्रिक फिल्ड मखटियाराजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक 144 दिनांक अंकित नहीं।	ईट प्रथम श्रेणी	8525 नं०	6195 प्रति हजार	527710	5 प्रतिशत	25129	11826
			योग			527710		25129	11826
		(ii) रामऔतार पुत्र श्री रामसेवक ग्राम शिवपुर वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि०नं० यूपी 5 एसी 2803 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	73 ट्रैक्टर ट्राली	रू० 600 प्रति ट्राली	43800	5 प्रतिशत	2086	981
			भुगतान किया गया है। अधिक भुगतान किया गया			7500 31200		2086	981
		(iii) जलसेर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर नं० यूपी 52 एसी 6531 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी	मिट्टी क्रय	74 ट्रैक्टर ट्राली	रू० 600 प्रति ट्राली	44400	5 प्रतिशत	2114	995

		धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।							
		(iv) जीतेन्द्र सागर पुत्र भीमत प्रसाद ग्राम-ठाकुर देवरिया, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर नं० यूपी 52 वाई 6032 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	74 ट्रैक्टर ट्राली	रु० 600 प्रति ट्राली	44400	5 प्रतिशत	2095	985
			योग			44400		2095	985
8.	ग्राम सभा फतेहपुर टोला लेहड़ा में मेनरोड से श्रीराम यादव के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो 145 दिनांक 08.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	2037 नम्बर	6195 प्रति हजार	126356	5 प्रतिशत	6017	2825
			योग			126356		6017	2825
		(ii) रामत्रेवश गुप्ता पुत्र श्री लुटावन गुप्ता, ग्राम-ठाकुर देवरिया वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर नं० यूपी 52 एएन 8190 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	49 ट्रैक्टर ट्राली	रु० 600 प्रति ट्राली	29400	5 प्रतिशत	1400	659
			योग			29400		1400	659
9.	ग्राम पंचायत लखना ग्राम हरपुर में मेनरोड से रजित कुशवाहा के घर तक मिट्टी खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी श्री केदारनाथ कुशवाहा सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)	(i) विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 20.09. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	10853 न०	6190 प्रति हजार	67180	5 प्रतिशत	3199	1505
		(ii) रामत्रेवश गुप्ता पुत्र श्री लुटावन गुप्ता, ग्राम-ठाकुर देवरिया वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर नं० यूपी 52 एएम 8190 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	20 ट्रैक्टर ट्राली	रु० 600 प्रति ट्राली	12000	5 प्रतिशत	571	269

			योग			12000		571	269
10.	ग्राम सभा शिवधरिया में राजेन्द्र कुशवाहा के घर से शिवमंदिर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक 146 दिनांक 08.08. 2018	ईट प्रथम श्रेणी	10797 न0	6190 प्रति हजार	66887	5 प्रतिशत	3185	1497
			योग			66887		3185	1497
		(ii)जलसेर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर नं0 यूपी 52 एसी 6531 बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	17 ट्रैक्टर ट्राली	रु0 500 प्रति ट्राली	8500	5 प्रतिशत	405	191
			योग			8500		405	191
11.	ग्राम पंचायत करमटार शेखा में पिच रोड से नथुनी चौहान के घर तक घोटे तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्रीमती बिन्दा सिंह पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	(i)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी कैश मेमो 953 दिनांक 16.02. 2019	ईट प्रथम श्रेणी	34462 न0	6195 प्रति हजार डिडक्शन (-)	213493 174	5 प्रतिशत	10166	4778
			योग			213319		10166	4778
		(ii)रामसेवक पुत्र स्वामीनाथ यादव ग्राम-नकदह फूलवरिया, वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर नं0 यूपी 52 (ट्रैक्टर नं अपूर्ण अंकित है।) बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	39 ट्रैक्टर ट्राली	रु0 600 प्रति ट्राली	23400	5 प्रतिशत	1114	524
			योग			23400		1114	524
12.	ग्राम पंचायत मरकड़ा में संजय मिश्र के घर पर सोख्ता निर्माण	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया सेल इनवाइस क्रमांक 22/934 दिनांक 19.03.2019	सीमेन्ट, सफेद बालू, मोरंग बालू पलर गिट्टी सरिया	8 बैग 0.87 घनमीटर 0.16 घनमीटर 0.32 घनमीटर 0.28.क्विंटल	294 बैग 1260घन मीटर 2900घन मीटर 3829.80 प्रति घ.मी. 4700क्विंटल	2408 1093 463 1225 1196	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	527 52 22 58 182	143
			योग			6385		841	143
		(ii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी कैश मेमो	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकाड़	1288 न0	6195 प्रति हजार क्विंटल	7979	5 प्रतिशत	380	186

		952 दिनांक 19.03.2019		0.22 0 घनमीटर	(-) 1417 / घनमीटर	318	5 प्रतिशत	15	
			योग			8297		395	186
13	ग्राम पंचायत फतेहपुर में गिदहा टोला में पिच रोड से सोनू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र। पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया केश मेमो क्रमांक 515 दिनांक 26.02.2019	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकाड़	1473 न0 7.81 घनमीटर	6195 प्रति हजार 1417 घनमीटर	9125 11066	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	435 527	452
			योग			20191		962	452
		(ii) बालाजी ट्रेडर्स, ग्राम व पोस्ट- फतेहपुर, गिददा देवरिया केशमेमो क्रमांक 4 दिनांक 26.02.2019	इण्टरलाकिंग टाइल्स	3215 न0	21.76 रु0 प्रति नग	69960	18 प्रतिशत	10672	1567
			योग			69960		10672	1567
		(iii) मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया सेल इनवाइस क्रमांक 22/934 दिनांक 26.02.2019	सीमेन्ट, महीन बालू सफेद बालू मोरंग बालू पलर गिट्टी (10 मिमी)	26 बैग 2.76 घनमीटर 4.58 घनमीटर 0.14 घनमीटर 0.28 घनमीटर	294.4 बैग 735 घनमीटर 1260 घनमीटर 2900 घनमीटर 3467 घनमीटर	7650 2025.51 5768 391 977	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	1673 96 275 19 49	377
			योग			16812		2100	377
		(iv) जलसेर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि0ख0 भलुअनी ट्रेक्टर नं0 अंकित नहीं है। बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	03 ट्रेक्टर ट्राली	रु0 500 प्रति ट्राली	1800	5 प्रतिशत	86	40
			योग			1800		86	40
14	ग्राम पंचायत टेकनपुरा में जयनाथ के घर पर सोख्ता निर्माण। कार्य प्रभारी श्री केदारनाथ कुशवाहा पद सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	(i) मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया सेल इनवाइस क्रमांक 22/930 दिनांक 08.08.2018	सीमेन्ट, महीन बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी सरिया	08 बैग 0.87 घनमीटर 0.16 घनमीटर 0.32 घनमीटर 0.28 क्विंटल	294.4 बैग 1260 घनमीटर 2900.10 घनमीटर 3829.85 घनमीटर 4295 क्विंटल	2355 1093 463 1225 1196	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	515 52 22 58 182	142
			योग			6332		829	142
		(ii) देवी ईट उद्योग पिपरापुर न भलुअनी केश मेमो 951 दिनांक 08.08.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकाड़	1287 न0 0.23 0 घनमीटर	6195 प्रति हजार 1417 / घनमीटर	7970 318	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	380 15	185

			योग			8285		395	185
15.	ग्राम पंचायत पड़री मिश्र में चकरवा में रामवदन तिवारी के घर के पास चबूतरा निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी श्री अवधेश मिश्र, सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया केश मेमो क्रमांक 515 दिनांक 26.02. 2019	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकाड़	2944 न0 2.16 घनमीटर	6195 प्रति हजार लेस (-) 1417 / घनमीटर	18238 3125 15	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	868 149	478
			योग			21348		1017	478
		(ii)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया सेल इनवाइस क्रमांक 22/901 दिनांक 15.02.2019	सीमेन्ट, सफेद बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी	21 बैग 03 घनमीटर 0.16 घनमीटर 0.33 घनमीटर	294.4 बैग 1260 घनमीटर 2900.10 घनमीटर 3829.25 घनमीटर	6182 3780 483 1263	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	1352 180 23 60	262
		(iii)जलसेर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर नं0 अंकित नहीं है। बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	01 ट्रैक्टर ट्राली	रू0 600 प्रति ट्राली	600	5 प्रतिशत	29	12
16.	ग्राम पंचायत कोरया में सुदामा प्रसाद के घर से राजदेव के खेत तक। मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री केदारनाथ कुशवाहा, पद सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी)	(i)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया केश मेमो क्रमांक 142 दिनांक 01.02. 2019	ईट प्रथम श्रेणी	43392 न0	6195 प्रति हजार लेस (-)	268813 217.44	5 प्रतिशत	12801	6017
			योग			268596		12801	6017
		(i)रमेश यादव पुत्र रामजी यादव, लंगड़ा बाजार वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर नं0 यूपी 52 (ट्रैक्टर नं0 अपूर्ण अंकित है।) बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	63 ट्रैक्टर ट्राली	रू0 600 प्रति ट्राली	37900	5 प्रतिशत	1805	849
17.	ग्राम पंचायत फतेहपुर मे मानस पिच रोड से गोकरन सिंह के भट्टे तक मिट्टी/खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र, पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(ii)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया केश मेमो क्रमांक 142 दिनांक 01.02. 2019	ईट प्रथम श्रेणी	17442 नग	6195 प्रति हजार लेस (-)	108053 87.00	5 प्रतिशत	5145	2418

			योग			107966		5145	2418
		(ii) जलसेर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर नं० अंकित नहीं है। बिल संलग्न नहीं है। सादे कागज पर ली गयी धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	16 ट्रैक्टर ट्राली	रु० 600 प्रति ट्राली	9600	5 प्रतिशत	457	215
			योग			9600		457	215
18.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में पिच रोड से धर्मेन्द्र सिंह के प्लॉट तक नाली निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र, पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया सेल इनवाइस क्रमांक 22/937 दिनांक 20.03.2019	सीमेंट, सफेद बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी सरिया हयूम पाइप (25मिमी)	2.83 बैग 0.45 घनमीटर 0.03 घनमीटर 0.05 घनमीटर 0.04 क्विंटल 6 पीस	294.40 बैग 561 1260 घनमीटर 193 2900.10 घनमीटर 3829.25 घनमीटर 4295.30 घनमीटर 2695.91 प्रति पीस	834 561 73 193 189 16175	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 18 प्रतिशत	182 27 04 09 29 2467	403
			योग			18025		2718	403
		(ii) विसन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक 22/938 दिनांक 20.03.2019	ईट प्रथम श्रेणी ईट का टुकड़ी	241 न० 0.60 घनमीटर	6195 प्रति हजार 1447 घनमीटर	1491 862	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	71 41	53
			योग			2353		112	53
19.	ग्राम पंचायत फतेहपुर गिदहा टोला में भोला के दरवाजे पर सोख्ता निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र, पद सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया सेल इनवाइस क्रमांक 22/937 दिनांक 20.03.2019	सीमेंट, महीन बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी सरिया	11 बैग 1.19 घनमीटर 0.198 घनमीटर 0.40 घनमीटर 0.35 क्विंटल	294.40 बैग 1495 1260 घनमीटर 1516 2900.10 घनमीटर 3829.38 घनमीटर 4295.20 घनमीटर	3200 1495 574 1516 1443	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	700 71 27 77 220	184
			योग			8228		1090	184
		(ii) विसन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक 511 दिनांक 20.03.2019	ईट प्रथम श्रेणी ईट का टुकड़ी	1741 न० 0.33 घनमीटर	6195 प्रति हजार 1447 घनमीटर लेस(-)	10785 477 8	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	514 23	252
			योग			11254		537	252
	क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 19 तक का		कुल योग			2698760		14190 1	60449

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में मनरेगा (मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये निम्न निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय पर रुपये 70,02,307.07 क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा भुगतान दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम एवं बिल का विवरण	सामग्री क्रय का विवरण	मात्रा	दर	क्रय कीमत	जीएस टी दर	जीएसटी व्यापार कर	आयकर टीडीएस
1.	ग्राम सभा कोरया पिच मार्ग से बढ़या फुलवरिया सिवान तक जाने वाली सड़क के बीच नाले पर पुलिया निर्माण कार्य।	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया सेल इनवाइस क्रमांक 22/415 दिनांक 27.10.2018 (ए) सेल इनवाइस क्रमांक 22/415 दिनांक 27.10.2018	सीमेन्ट,	4 बैग	360 प्रति बैग	1440	28 प्रतिशत	315	32
			योग	—	—	1440	—	315	32
			पत्थर गिट्टी महीन बालू मोरंग बालू छड़ (सरिया) सीमेन्ट	3.89 घनमीटर 5.38 घनमीटर 11.34 घनमीटर 8.97 क्विंटल 135 बैग	3515.80 1050 5649 28574. 17 33189 48600 0.63 360 बैग लेस (-)	13676. 46 5649 28574. 17 33189 48600 0.63 360 बैग लेस (-)	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 28 प्रतिशत	651 269 1361 5063 10631	2905 दर2.24 प्रतिशत
			योग	—	—	129688	—	17975	2905
		(बी)सेल इनवाइस नं० 22/367 दिनांक 05.03.2018	पत्थर गिट्टी छड़ (सरिया)	20 घनमीटर 20 क्विंटल	3515.80 घनमीटर 3700 क्विंटल	70316 74000	5 प्रतिशत 15 प्रतिशत	3348 11288	3233 दर2.24 प्रतिशत
			योग	—	—	144316	—	14636	3233
		(सी)सेल इनवाइस नं० 22/368 दिनांक 05.03.2018	मोरंग बालू सीमेन्ट	10.40 घनमीटर 150 बैग	2519. 60घनमी टर 360 बैग	26203. 84 54000. 00	5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	1248 11813	1797 दर2.24 प्रतिशत
			योग	—	—	80203. 84	—	13061	1797
		(डी)सेल इनवाइस नं० 22/779 दिनांक 22.01.2018	लोकल बालू कोर सैण्ड सीमेन्ट	11.20 घनमीटर 16.80 घनमीटर 250 बैग	1100घन मीटर 2800 घनमीटर 360बैग लेस (-)	12320 47040 90000 5271	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	587 2240 18534	3228 दर2.24 प्रतिशत
			योग	—	—	144089	—	21361	3228
		(i)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवाटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया (ए) कैश मेमो क्रमांक 150दिनांक 27.10.2018	ईट प्रथम श्रेणी	20000 न०	6.30 न०	126000	5 प्रतिशत	6000	2822
		(बी)कैशमेमो क्रमांक 92 दिनांक 05.03.2018	प्रथम श्रेणी ईट ईट की गिट्टी	6700 न० 10. 90घनमीटर	63000 1329.50 प्रति घ०मी०	42210 14491. 55	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2010 690	1270 दर2.24 प्रतिशत
			योग	—	—	56701. 55	—	2700	1270
		(सी)कैश मेमो क्रमांक अंकित नहीं। दिनांक 05.03.2018	प्रथम श्रेणी ईट ईट की गिट्टी	10000 न० 20 घनमीटर	63000 1329.50 प्रति घ०मी०	63000 26590	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	3000 1266	2007 दर2.24 प्रतिशत
			योग	—	—	89590	—	4266	2007
		(iii)देवी ईट उद्योग	ईट प्रथम	20000 न०	6300 प्रति	126000	5	6000	

		पिपरापुरन भलुअनी कैश मेमो 223 दिनांक 22.01.2018	श्रेणी ईट टुकाड़	2250 घनमीटर	हजार 1329.50 घनमीटर	29913.75	प्रतिशत 5 प्रतिशत	1425	3493
			योग	—	—	155913.75	—	7425	3493
		(ए)कैश मेमो क्रमांक 224 दिनांक 22.01.2018	प्रथम श्रेणी ईट	10000 न0	63000	63000	5 प्रतिशत	3000	1411
			योग			63000		3000	1411
		(iv)जलसेर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर नं0 अंकित नहीं है। बिल क्रमांक अंकित नहीं है। दिनांक 28.05.2017 (ट्रैक्टर नं0 में मात्र यूपी 52एसीलिखा हुआ है।) ट्रैक्टर नं0 अपूर्ण है। एसी	मिट्टी क्रय	182 ट्रैक्टर ट्राली	रु0 600 प्रति ट्राली	109200	5 प्रतिशत	5200	2446
2.	ग्राम सभा बांदीपुर मे बांदीपुर से ठाकुर देवरिया जाने वाले सम्पर्क मार्ग के बीच पुलिया निर्माण कार्य	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 420 / 22 दिनांक 31.10.2018	पत्थर गिट्टी सरिया पीवीसीपाइप	0.05 घनमीटर 12 किलोग्राम 15 मीटर	3515.80 घनमीटर 3700 क्विंटल 100	175.79 444.00 1500.00	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 18 प्रतिशत	8 68 229	47
			योग			2119.79		305	47
		मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22 / 391 दिनांक 10.03.2018	सरिया मोरंग बालू सीमेन्ट गिट्टी पत्थर	6.36 क्विंटल 3.90 घनमीटर 56 बैग 3.40 घनमीटर	3700 2519घनमीटर 360 बैग 3515.80 घनमीटर लेस(-)	13431 9826.44 20160.00 11953.72	18 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2049 468 4440 569	1240 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			55371		7496	1240
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22 / 770 दिनांक 23.02.2018	महीन बालू कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12. 80घनमीटर 150 बैग	1050 घनमीटर 2519.60 360 बैग	6720 32250 54000	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	320 153 1113	2083 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			92970		13669	2083
		(ii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी (ए)कैश मेमो 237 दिनांक 10.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकाड़	7500 न0 11.10 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	47250 14751.45	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2250 702	1389 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			26007.45		2952	1389
		(बी)कैश मेमो क्रमांक 430 दिनांक 31.10.2018	प्रथम श्रेणी ईट	9560 न0	6.30 प्रति ईट	60228	5 प्रतिशत	2868	1349
			योग			60228		2868	1349
		(iii)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक 81 दिनांक 23.02.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकाड़ा प्रथम श्रेणी	1800 न0 15 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 प्रति घनमी	113400 19942.50	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	540 930	2987 दर 2.24 प्रतिशत

			योग			133342.50		6350	2987
		(iv)रमेश यादव पुत्र रामजी यादव, लंगड़ा बाजार वि०ख० भलुअनी बिल/कैश मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक अंकित नहीं ट्रैक्टर नं० यूपी 52 एई1179	मिट्टी क्रय	83 ट्रैक्टर ट्राली	रु० 500 प्रति ट्राली	41500	5 प्रतिशत	1976	930 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			41500		1976	930
3.	ग्राम सभा फतेहपुर में शिवमन्दिर से रामनगर रोड पर पुलिया निर्माण कार्य	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22/381 दिनांक 29.01.2018	फाइन सैण्ड कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12.80 घनमीटर 182 बैंग	1050 घनमीटर 2519.60 360 बैंग	6720 32250. 88 65520	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	320 1536 14333	2341 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			104490.88		16189	2341
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/392 दिनांक 29.01.2018	मोरंग बालू सरिया सीमेन्ट गिट्टी पत्थर	7.50 घनमीटर 6.30Qtl 90 बैंग 5.60 घनमीटर	2519.60 घनमीटर 3700 क्वेटल 360 बैंग 3515.80 घनमीटर	18897 23495 32400 19688. 48	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 28 प्रतिशत 5 प्रतिशत	900 5584 7088 938	2116 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			94480.48		12510	2116
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/411 दिनांक 07.03.2018	सीमेन्ट महीन बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी	3 बैंग 3.30 घनमीटर 1.20 घनमीटर 0.30 घनमीटर	360 बैंग 1050 घनमीटर 2519.60 घनमीटर 3515.80 घनमीटर	1080 3465 3023.52 1054.74	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	844 165 144 50	193 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			8623.02		1203	193
		(iii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी कैश मेमो 225 दिनांक 29.01. 2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट दुकाड़	20000 न० 26 M ³	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	126000 34567	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6000 1646	3597दर 2.24 प्रतिशत
			योग			160567		7646	3597
		(iii)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया (ए)कैश मेमो क्रमांक 97 दिनांक 05.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट दुकाड़ा प्रथम श्रेणी	9600 न० 8.20 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 प्रति घन०मी	60480 10901. 90	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2880 519	1599 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			71381.90		3399	1599
		(बी)कैश मेमो क्रमांक 155 दिनांक 31.10.2018	प्रथम श्रेणी ईट ईट की गिट्टी	11700 न० 3.62 घनमीटर	6300 हजार 1329 घनमीटर	73710 4810.98	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	3510 229	1759 दर2.24 प्रतिशत
			योग			78520.98		3739	1759
		(iv)रमेश यादव पुत्र रामजी यादव, लंगड़ा बाजार वि०ख० भलुअनी बिल/कैश मेमो क्रमांक	मिट्टी क्रय	219 ट्रैक्टर ट्राली	रु० 600 प्रति ट्राली	131400	5 प्रतिशत	6257	2943 दर2.24 प्रतिशत

		अंकित नहीं दिनांक अंकित नहीं। दिनांक 19.05.2018							
			योग			131400		6257	2943
4.	ग्राम सभा बहादुरपुर देवरिया सलेमपुर मेन रोड से पूरब खुखुन्दु रोड पर पुलिया निर्माण कार्यप्रभारी सुवाष प्रसाद, पद-ग्राम पंचायत अधिकारी	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22/422 दिनांक 31.10.2018	महीन बालू पत्थर गिट्टी पीवीसीपाइप	3.30 घनमीटर 0.90 घनमीटर 20 मी0	1050 घनमीटर 3515.80 प्रतिघ0मी0 100 मी0	3465 3164 2000	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	165 151 305	193 दर2.24 प्रतिशत
			योग			8629		621	193
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/395 दिनांक 12.03.2018	मोरंग बालू सरिया गिट्टी पत्थर सीमेन्ट	7.50 घनमीटर 6.30क्विवटल 5 घनमीटर 90 बैग	2519.60 3700 क्विवटल 3515.80 360 बैग	18897 23495 17579 32400	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	900 5584 837 7088	2069 दर2.24 प्रतिशत
			योग			92371		12406	2069
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/383 दिनांक 30.03.2018	फाइन सैण्ड कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12.80 घनमीटर 182 बैग	1050घन मीटर 2519.60 360 बैग	6720 32250. 88 65520	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	268 1536 14333	2341 दर2.24 प्रतिशत
			योग			104490. 80		16137	2341
		(ii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी (ए)कैश मेमो 239 दिनांक 13.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी	9600 न0	6300 प्रति हजार	60480	5 प्रतिशत	2880	1355दर 2.24 प्रतिशत
		(बी)कैश मेमो क्रमांक 680 दिनांक 31.10.2018	प्रथम श्रेणी ईट ईट की गिट्टी	9100 न0 4.20 घनमीटर	6300 हजार 1329 घनमीटर	57530 5581.80	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2740 266	1414 दर2.24 प्रतिशत
			योग			63111. 80		3006	1414
		(iii)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवाटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक स्पष्ट नहीं दिनांक 30.01.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा प्रथम श्रेणी	20000 न0 30 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 प्रति घन0मी	126000 39885	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6000 1899	3716 दर2.24 प्रतिशत
			योग			165885		7899	3716
		(iv)रमेश यादव पुत्र रामजी यादव, लंगड़ा बाजार वि0ख0 भलुअनी बिल/कैश मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक अंकित नहीं। दिनांक विक्रेता/धन प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर नहीं।	मिट्टी क्रय	179 ट्रेक्टर ट्राली	रू0 600 प्रति ट्राली	107400	5 प्रतिशत	5114	2406 दर2.24 प्रतिशत
			योग			107400		5114	2406
5.	ग्राम सभा गडेर में बरहज देवरिया पिच मार्ग से गडेर से	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया	महीन बालू कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12.80	1100 घनमीटर 2800	7040 35840 54000	5 प्रतिशत 5	335 1707 11813	2083 बिल से

	बरवा बभनी सिवान तक मिट्टी सड़क सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य कार्य प्रभारी श्री रमेश सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	(ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22 / 422 दिनांक 31.10.2018		घनमीटर 150 बैंग	घनमीटर 360 बैंग लेस (-)	3909	प्रतिशत 28 प्रतिशत		कटौती की गयी
			योग			92971		13855	
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22 / 378 दिनांक 07.03.2018	पत्थर गिट्टी छड़ (सरिया) मेरंग बालू सीमेन्ट	5 घनमीटर 5 क्विंटल 6.4 घनमीटर 50 बैंग	3515.80 3750 घनमीटर 2519.65 क्विंटल 360 बैंग	17579 18500 16125. 44 18000	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	837 2899 768 3058	1573 दर2.24 प्रतिशत
		(ii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी (ए)कैश मेमो 02 दिनांक 29.01.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा प्रथम श्रेणी	20000 न0 15 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1350.50 घनमीटर लेस (-)	126000 20250 307	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6000 964	3269 बिल से कटौती की गयी
			योग			145943		6964	3269
		(बी)कैश मेमो 229 दिनांक 07.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा	8000 न0 15 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घन मीटर	50400 19942. 50	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	24000 930	2.24 प्रतिशत 1576.00
			योग			70342. 50		3350	1576
6.	ग्राम सभा शेरवा बभनौली में शेरवा से जमुना छापर एवं छोटी राड़ी पर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22 / 382 दिनांक 05.02.2018	फाइन सैण्ड कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12.80 घनमीटर 182 बैंग	1050 घनमीटर 2519.60 360 बैंग	6720 32250. 88 65520	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	320 1536 14333	2341 दर2.24 प्रतिशत
			योग			104490. 88		16189	2341
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22 / 384 दिनांक 06.03.2018	पत्थर गिट्टी छड़ (सरिया) मेरंग बालू सीमेन्ट	5 घनमीटर 5 क्विंटल 6.40 घनमीटर 50 बैंग	3515.80 3700क्विंटल ल 2519.65 क्विंटल 360 बैंग	17579 18500 16125. 44 18000	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	837 2822 768 3938	1573 दर2.24 प्रतिशत
			योग			70204. 44		8365	1573
		(ii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी (ए)कैश मेमो 227 दिनांक 06.02.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा प्रथम श्रेणी	20000 न0 30 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	126000 39885	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6000 1899	3716 दर2.24 प्रतिशत
			योग			165885		7899	3716
		(बी)कैश मेमो 230 दिनांक 05.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा प्रथम श्रेणी	60000 न0 8 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1729.50 घनमीटर	37800 10636	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1800 506	1085 दर2.24 प्रतिशत
			योग			48436		2306	1085
7.	ग्राम सभा	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स,	फाइन सैण्ड	12.80	1100	14080	5	670	3894

	जिगनी सोनोली में चौहान टोला से मरकड़ा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर खोटी नाले में पुलिया निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री रमेश सिंह, पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22/778 दिनांक 22.01.2018	कोर सैण्ड सीमेन्ट	घनमीटर 20.80 घनमीटर 300 बैंग	घनमीटर 2800घन मीटर 360 बैंग लेस (-)	58240 108000 6472	प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	2173 23625	बिल से कटौती की गयी। दर2.24 प्रतिशत
			योग			173848		27068	3894
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/388 दिनांक 15.03.2018	सीमेन्ट	100 बैंग	360 बैंग	36000	28 प्रतिशत	7875	807 दर2.24 प्रतिशत
			योग			36000		7875	807
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/390 दिनांक अंकित नहीं है।	पत्थर गिट्टी मोरंग बालू छड़ (सरिया) महीन बालू सीमेन्ट	390 घनमीटर 7.40 घनमीटर 8.97 विक्टल 3.80 घनमीटर 135 बैंग	3515.50 घनमीटर 2519.60 घनमीटर 3700 विक्टल 150घनमी टर 360 बैंग	13711. 62 18645. 04 33189. 00 3990.00 48600. 00	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	653 888 5063 190 10631	2646 दर2.24 प्रतिशत
			योग			118135. 66		17425	2646
		(डी)सेल इनवाइस क्रमांक 22 अंकित नहीं। दिनांक 29.10.2018	सीमेन्ट	2 बैंग	360 बैंग	720	28 प्रतिशत	158	16 दर2.24 प्रतिशत
			योग			720		158	16
		(ii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी (ए)कैश मेमो 231 दिनांक 06.02.2018	ईट गिट्टी प्रथम श्रेणी	15 घनमीटर	1329.50 घनमीटर	19942 50	5 प्रतिशत	950	447 दर2.24 प्रतिशत
			योग			19942. 50		950	447
		(बी)कैश मेमो 232 दिनांक 04.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी	67000 न0 8.40 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	42210 11167. 80	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2010 532	1196 दर2.24 प्रतिशत
			योग			53377. 80		2542	1196
		(सी)कैश मेमो 151 दिनांक 29.10.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ी	13800 न0 45.22 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329 घनमीटर	86940 60097. 38	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	4140 2862	3294 दर2.24 प्रतिशत
			योग			147037. 38		7002	3294
		(डी)कैश मेमो 221 दिनांक 22.01.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी	20000 न0 30 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	126000 39885	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6000 1899	3716 बिल से कटौती की गयी दर2.24 प्रतिशत
		(ई)कैश मेमो 222 दिनांक 22.01.2018	ईट प्रथम श्रेणी	20000 न0	6300 प्रति हजार	126000	5 प्रतिशत	6000	2.24 प्रतिशत 2822

									बिल से कटौती की गयी
			योग			126000		6000	2822
8.	ग्राम सभा कुईया मे देवरिया बलेडाड पिच मार्ग से पश्चिम पुलिया निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री अरुण कुमार सिंह, पद ग्राम पंचायत अधिकारी	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22/ 775 दिनांक 29.01.2018	महीन बालू कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12. 80घनमीटर 150 बैंग	1100 घनमीटर 2800घन मीटर 360 बैंग लेस (-)	7040 35840 54000 3909	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	335 1707 11813	2083 बिल से कटौती की गयी। दर 2.24 प्रतिशत
			योग			92971		13855	2083
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/ 377 दिनांक 07.03.2018	पत्थर गिट्टी छड़ (सरिया) मोरंग बालू सीमेन्ट	5 घनमीटर 5 क्विंटल 6. 40घनमीटर 50 बैंग	2515.80 घनमीटर 3700 क्विंटल 2519.60 घनमीटर 360 बैंग	17579 18500 16125. 44 18000	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	837 2822 768 3938	1573 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			70204.44		8365	1573
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/ 423 दिनांक 02.11.2018	सीमेन्ट सफेद बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी सरिया	79 बैंग 3.22 घनमीटर 1.92 घनमीटर 0.90 घनमीटर 27 किलोग्राम	360 बैंग 1050 घनमीटर 2519.80 घनमीटर 3515.80 घनमीटर 3700 क्विंटल	28440 3381 4838.36 3164.22 999.00	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	6221 161 230 151 152	914 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			40822.50		6915	914
		(i)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया (ए)कैश मेमो क्रमांक 72 दिनांक 29.01.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी	20000 न0 15 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1350 घनमीटर लेस (-)	126000 20250 307	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6000 964	3195 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			142674		6964	3195
		(बी)कैश मेमो 94 दिनांक 07.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी	67000 न0 15 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	37800 19942.50	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1800 950	1294 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			57742.50		2750	1294
		(सी)कैश मेमो 152 दिनांक 02.11.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ी	6400 न0 6.75 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329 घनमीटर	40320 8970.75	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1920 427	1104 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			49290.75		2347	1104
9.	ग्राम तरकुलवा में बरहज देवरिया पिच मार्ग से तरकुलवा गांव जानेवाली सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण। कार्यप्रभारी श्री सुवाष प्रसाद पद ग्राम पंचायत अधिकारी	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22/ 414 दिनांक 28.10.2018	पत्थर गिट्टी सरिया पीवीसीसीमेन्ट	0.40 घनमीटर 0.12 क्विंटल 15 मी0	3515.80 3800 क्विंटल 100 मी0	1406.32 456.00 1500.00	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 18 प्रतिशत	67 70 229	75 2.24 प्रतिशत
			योग			3362.32		366	75
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/ 393 दिनांक 10.03.2018	मोरंग बालू सीमेन्ट पत्थर गिट्टी	485 घनमीटर 57 बैंग	2519.6 घनमीटर 360 बैंग	12220 20520 10547	5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	582 1489 502	1271 दर

			सरिया	3 घनमीटर 3.63 किंचटल	3515.80 घनमीटर 3700 किंचटल	13431	प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	2049	2.24 प्रतिशत
			योग			56718.40		7022	1271
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/374 दिनांक 09.02.2018	महीन बालू कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12.80 घनमीटर 150 बैंग	1050 घनमीटर 2519. 60घनमी टर 360 बैंग	6720 32250 54000	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	320 1536 11813	2083 दर2.24 प्रतिशत
			योग			92970		13669	2083
		(ii)विसेन ब्रिक फिल्ड भरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया (ए)कैश मेमो क्रमांक 154 दिनांक 28.10.2018	ईट प्रथम श्रेणी	4600 न0	6300 प्रति हजार	28980	5 प्रतिशत	1380	649 दर2.24 प्रतिशत
			योग			28980		1380	649
		(बी)कैश मेमो 79 दिनांक 09.02.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा प्रथम श्रेणी	18000 न0 15 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	113400 19942. 50	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	5400 950	2987 दर2.24 प्रतिशत
			योग			133342.50		6350	2987
		(iii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी कैश मेमो 238 दिनांक 10.03. 2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट गिट्टी	7700 न0 12 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329 घनमीटर	48510. 00 15954. 00	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2310 760	1444 दर2.24 प्रतिशत
			योग			64461		3070	1444
		(iv)रमेश यादव पुत्र रामजी यादव, लंगड़ा बाजार वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर ट्राली नं0 यूपी 52 एसी(नं0 अपूर्ण अंकित है।)/बिल क्रमांक एवं दिनांक अंकित नहीं है। धनराशि प्राप्ति रसीद पर अपर लेखन पाया गया	मिट्टी क्रय	67 ट्रैक्टर ट्राली	रु0 600 प्रति ट्राली	40200	5 प्रतिशत	1914	901 दर2.24 प्रतिशत
			योग			40200		1914	901
10.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में भरौली रोड सुमन्ती अभयपुर ठाकुर देवा रोड को जानेवाली सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री अरुण कुमार सिंह, पद ग्राम पंचायत अधिकारी	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22/413 दिनांक 30.10.2018	सीमेन्ट महीन बालू मोरंग बालू पत्थर गिट्टी सरिया	48 बैंग 3.30 घनमीटर 2.50 घनमीटर 0.90 घनमीटर 1.10 किंचटल	360 बैंग 1050 घनमीटर 2519.80 घनमीटर 3515.80 घनमीटर 3700 किंचटल लेस (-)	17280 3465 6299 3164.22 4070 0.22	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	3780 165 300 151 21	768 दर2.24 प्रतिशत
			योग			34278		5017	768
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/385 दिनांक 06.03.2018	पत्थर गिट्टी छड़ सरिया मेरंग बालू सीमेन्ट	5 घनमीटर 5 किंचटल 6.40 घनमीटर 50 बैंग	3515.80 प्रति घ0मी 3700 किंचटल 2519.80 घनमीटर 360 बैंग लेस (-)	17579 18500 16125. 44 18000 0.44	5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	837 2822 768 3938	1573 दर2.24 प्रतिशत

			योग			70204		8365	1573
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/380 दिनांक 31.01.2018	फाइन सैण्ड कोर सैण्ड सीमेन्ट	6.40 घनमीटर 12.80 घनमीटर 182 बैंग	1050 घनमीटर 2519.60 घनमीटर 360 बैंग	6720 32250.88 65520.00	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	320 1536 14333	2341 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			104490.88		10189	2341
		(ii)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया (ए)कैश मेमो क्रमांक 149 दिनांक 31.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ी	12600 न0 3.60 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329 घनमीटर	79380 4784	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	3780 228	1885 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			84164		4008	1885
		(बी)कैश मेमो 585 दिनांक 06.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा	6000 न0 08 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329.50 घनमीटर	37800 10636	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1800 506	1085 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			48436		2306	1085
		(iii)विसेन ब्रिक फिल्ड मरवटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैश मेमो क्रमांक 76 दिनांक 01.02.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ी प्रथम श्रेणी	20000 न0 26 घनमीटर	6300 प्रति हजार 1329 घनमीटर	126000 34567	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6000 1646	3597 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			160567		7646	3597
		(iv)रमेश यादव पुत्र रामजी यादव, लंगड़ा बाजार वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर ट्राली नं0 यूपी 52 एसी(नं0 अपूर्ण अंकित है।)/बिल क्रमांक एवं दिनांक अंकित नहीं है। धनराशि प्राप्ति रसीद पर अपर लेखन पाया गया	मिट्टी क्रय	211 ट्रैक्टर ट्राली	रू0 600 प्रति ट्राली	126600	5 प्रतिशत	6029	2836 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			126600		6029	2836

11.	ग्राम पंचायत बरडीहा चन्दन से करमटार गंगा को जोड़ने वाली सड़क में कुर्ना नाला पर पुलिया निर्माण कार्य प्रभारी श्री सुवाष प्रसाद, पद ग्राम पंचायत अधिकारी	(i)मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया (ए)सेल इनवाइस क्रमांक 22/787 दिनांक 25.03.2018	लल बालू पत्थर गिट्टी (20 मिलीमीटर) सरिया	1040 20 घनमीटर 20 विंचटल	2519.60 3515.80 घनमीटर 3700 विंचटल	26203.84 70316 74000	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत	1248 3348 11288	3820 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			170519.84		15884	3820
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/791 दिनांक 25.03.2018	सीमेन्ट	100 बैंग	360 बैंग	36000	28 प्रतिशत	7875	806 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			36000		7875	806
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/788 दिनांक 30.03.2018	सीमेन्ट लालू बालू पत्थर गिट्टी सरिया सफेद बालू	135 बैंग 7.40 घनमीटर 3.90 घनमीटर 8.97 विंचटल 3.80 घनमीटर	360 बैंग 2515.60 घनमीटर 3515.80 घनमीटर 3700 विंचटल 1050 घनमीटर	48600 18645 13711.62 33179 3990	28 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत	10631 888 655 5001 190	2646 दर 2.24 प्रतिशत
			योग			118125.62		17493	2646

		(डी)सेल इनवाइस क्रमांक 22/360 दिनांक 19.03.2018	महीन बालू मोरंग बालू सीमेन्ट	12.80 घनमीटर 20.80 घनमीटर 300 बैंग	1050 घनमीटर 2519.60 घनमीटर 360 बैंग	13440 52407.68 108000.00	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत	640 2400 23625	3894 2.24 प्रतिशत
			योग			173847.68		26761	3894
		(iii)देवी ईट उद्योग पिपरापुरन भलुअनी (ए)कैश मेमो 234 दिनांक 17.03.2018	प्रथम श्रेणी ईट	30000नं0	6300 प्रति हजार	189000	5 प्रतिशत	9000	4234 दर2.24 प्रतिशत
			योग			189000		9000	4234
		(बी)सेल इनवाइस क्रमांक 236 दिनांक 17.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी	30000 नं0 30 घनमीटर	3600 बैंग 1329.80 घनमीटर	63000 39885	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	3000 1899	2305 2.24 प्रतिशत
			योग			102885		4899	2305
		(सी)सेल इनवाइस क्रमांक 147 दिनांक 25.03.2018	ईट का टुकड़ा	15 घनमीटर	1329.50 घनमीटर	19942.50	5 प्रतिशत	950	447 2.24 प्रतिशत
			योग			19942.50		950	447
		(डी)सेल इनवाइस क्रमांक 148 दिनांक 30.03.2018	ईट प्रथम श्रेणी ईट टुकड़ा	6700 नं0 8.40 घनमीटर	3600 बैंग 1329.80 घनमीटर	42210 11167.80	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	2010 532	1196 2.24 प्रतिशत
			योग			53377.80		2542	1196
		(ई)सेल इनवाइस क्रमांक 675 दिनांक 27.10.2018	प्रथम श्रेणी ईट	17300 नं0	3600 बैंग	108990	5 प्रतिशत	5190	2441 2.24 प्रतिशत
			योग			108990		5190	2441
		(iii)जलसेर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल, ग्राम-नगवा वि0ख0 भलुअनी ट्रैक्टर नं0 अंकित नहीं है। बिल नहीं। सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न (27.05.2018)	मिट्टी क्रय	179 ट्रैक्टर ट्राली	रु0 600 प्रति ट्राली	118200	5 प्रतिशत	5629	2648 दर2.24 प्रतिशत
			योग			118200		5629	2648
		क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 11 तक कुल योग				7002307.07		566083	156860

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में वर्ष 2017-18 में सामग्री क्रय कीमत रुपये 3317935.00, वर्ष 2018-19 में सामग्री क्रय कीमत रुपये 2698760.00 तथा मनरेगा मनरेगा अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में वर्ष 2017-18 में वर्ष 2018-19 में सामग्री क्रय कीमत रुपये 7002307.00 का भुगतान दर्शित किया गया। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त योजना एवं मनरेगा (मनरेगा) अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय कीमत कुल रुपये 13019002.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया जाना दर्शित किया गया। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी जनपद देवरिया के पत्रांक 170/आंकिक/टेण्डर विज्ञापन/2017-18/दिनांक 18.05.2017 से क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त/मनरेगा/सांसदनिधि/विधायक निधि आदि योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट,

सी0सी0 इण्टरलाकिंग, टाइल्स, प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी, लोकल बालू, सफेद बालू, मोरंग बालू, सीमेन्ट, सरिया, ह्यूम पाइप इत्यादि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित की गयी। समाचार पत्र स्वतंत्र चेतना में दिनांक 19.05.2017 तथा समाचार पत्र आज में दिनांक 20.05.2017 को निविदा की विज्ञापित प्रकाशित की गयी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 26.05.2017 तक, खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी के कार्यालय में निविदा वाक्स में निविदा डालने की तिथि दिनांक 26.05.2017 समय 2:30 पीएमतक तथा निविदा खोलने का स्थान विकास खण्ड भलुअनी सभागार निर्धारित किया गया। सीमेन्ट, मोरंग बालू, महीन बालू, लोकल बालू, पत्थर गिट्टी, सरिया आपूर्ति हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

4. मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया।
5. मेसर्स तनवीर विल्डिंग मैटेरियल्स, मदनपुर, देवरिया।
6. मेसर्स आफताब ट्रेडिंग कम्पनी, नगवा चौराहा, पकड़ी बाजार देवरिया।

इनमें मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड पैन नं0 एजेडएक्सपीआर011एन की छायाप्रति, व्यापारकर विभाग में टिन नं0 095203070195 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा इलाहाबाद बैंक शाखा विस्तार पटल में बीडीओभलुअनी के बैंक खाता संख्या 50056824862 (राज्य वित्त/13वाँ) में दिनांक 01.10.2014 को जमा की गयी नकद धनराशि रुपये 10000.00 की नकद बैंक जमा पर्ची की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा शपथ पत्र एक सौ रुपये (रु0 100/-) के स्टैम्प पेपरक्रय तिथि 25.05.2017 पर शपथ लिया गया कि विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, ग्राम से0 सहायक लेखाकार एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख इस फर्म के संबंधी नहीं है। इस फर्म द्वारा आयकर विवरणी वैट/जी0एस0टी0 विवरणी इत्यादि निविदा फर्म के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स तनवीर विल्डिंग मैटेरियल्स, मदनपुर, देवरिया तथा मेसर्स आफताब ट्रेडिंग कम्पनी नगवा चौराहा, पकड़ी बाजार देवरिया इन दोनों फर्मों द्वारा मात्र निविदा फार्म भरा गयी है। अन्य कागजात आकर विवरणी वैल्यू राडेड टैक्स/वैट/जी0एस0टी0 इत्यादि में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वैट/जी0एस0टी0 विवरणी आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति अर्नेस्ट मनी शपथ पत्र इत्यादि निविदा फर्म के साथ संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्त तीनों फर्मों में से मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया की निविदा स्वीकृत की गयी। प्रथम श्रेणी ईट, ईट की गिट्टी आपूर्ति हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

1. मेसर्स विशेष ब्रिक फिल्ड, मखटियाराजा, फतेहपुर, देवरिया।
2. मेसर्स देवी उद्योग, पिपरापुरन, भलुअनी, जनपद-देवरिया।
3. मेसर्स माँ ब्रिक्स फिल्ड, जरार मानिक, भलुअनी, जनपद देवरिया।

मेसर्स विशेष ब्रिक फिल्ड, मखटिया राजा, फतेहपुर देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड (पैन नं0 एडब्ल्यूएलपीएस4161पी-) की छायाप्रति, व्यापारकर विभाग में टिन नं0 09520303535 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जमानत धनराशि के रूप में एन0एस0सी0 क्रमांक एसएनएस/24ईएफ 631691/निर्गमन तिथि दिनांक 24.06.2013 की धनराशि रुपये 10000.00 की एनएससीकी छायाप्रति तथा शपथ पत्र एक सौ रुपये (रुपये 100.00) का स्टैम्प पेपर क्रमांक डीपी 233086 क्रय तिथि दिनांक 25.05.2017 (जिस पर विकास खण्ड के कर्मचारियों के रिश्तेदार नहीं होने का उल्लेख किया गया है।) संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा आयकर विवरणी, वैट/जी0एस0टी0 विवरणी इत्यादि निविदा फर्म के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड नं0 एयूएमपीसी1273एचकी छायाप्रति, व्यापारकर विभाग में टिन नं0 097203064815 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति विकास खण्ड कार्यालय में किसी के रिश्तेदार नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एक सौ रुपये मात्र (रु0 100/-) का स्टैम्प पेपर क्रमांक डीपी 233088/क्रय तिथि 25.05.2017 तथा जमानत धनराशि के रूप में खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी के कार्यालय से निर्गत ट्रेजरी फार्म नं0 385 रिसीप्ट नं0 217500 दिनांक 14.08.2015 धनराशि रुपये 10000.00 की छायाप्रति संलग्न पायी गयी।

इस फर्म द्वारा आयकर विवरणी तथा वैट/जी0एस0टी0 विवरणी संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स माँ ब्रिक्स फिल्ड, भलुअनी, जनपद देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ व्यापारकर विभाग में टिन नं0 096203065335 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा आयकर पैन कार्ड का छायाप्रति, शपथ पत्र, आयकर विवरणी, वैट/जी0एस0टी0 विवरणी, अर्नेस्ट मनी इत्यादि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स विशेष ब्रिक फिल्ड मखटिया राजा फतेहपुर, जनपद देवरिया तथा देवी ईट उद्योग, पिपरापुरन, भलुअनी, जनपद-देवरिया के टेण्डर दर (ईट हेतु रुपये 6300 प्रति हजार तथा ईट की गिट्टी हेतु रु0 1329.50) प्रति घन मीटर एक समान पाये जाने के कारण अवर अभियन्ता/तकनीकी सहायक (टीई), सहायक विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त

रूप से दोनो फर्मों का टेण्डर स्वीकृत किया गया। सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाइल्स हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

1. बालाजी ट्रेडर्स, फतेहपुर।
2. मेसर्स ब्रह्मदेव ट्रेडर्स, न्यू बस्ती, गरुलपार, देवरिया।
3. मेसर्स अमेठिया कन्सट्रक्शन, साकेतनगर, खरजरवा, देवरिया।

मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स, फतेहपुर द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड (पैन नं0-एफएचआरपीएस9278बी) की छायाप्रति, व्यापारकर विभाग में टिन नं0 092203096895 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, विकास खण्ड भलुअनी में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के रिश्तेदार नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एक सौ रुपये के स्टैम्प पेपर पर क्रमांक डीपी 233085 तथा जमानत धनराशि के रूप में कारपोरेशन बैंक खाता सं0-केसीसी/01/17047014171 एफडी नं0 771037 धनराशि 10000/- निर्गमन तिथि 25.05.2017 परिपक्वता तिथि 25.05.2018 अवधि एक वर्ष की सावधी जमा (एफडी) छायाप्रति संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा आयकर विवरणी, वैट/जी0एस0टी0 विवरण संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स ब्रह्मदेव ट्रेडर्स, न्यू बस्ती, गरुलपार देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ व्यापारकर टिन नं0 095203068925 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा मेसर्स अमेठिया कान्सट्रक्शन साकेतनगर, खरजरवा, देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ व्यापारकर टिन नं0 091203069035 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इन दोनों फर्मों द्वारा आयकर विवरणी, आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति, वैट/जी0एस0टी0 विवरणी, शपथपत्र, अर्नेस्ट मनी इत्यादि अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

निविदा हेतु गठित समिति सदस्यों अवर अभियन्ता (ग्रा0अ0से0) प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) खण्ड विकास अधिकारी इत्यादि द्वारा इन तीनों फर्मों में से बालाजी ट्रेडर्स फतेहपुर की निविदा स्वीकृत की गयी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है लेकिन टेण्डर फार्म बिक्री विवरण अप्राप्त रहा। टेण्डर जारी करने की तिथि एवं टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अन्तर नहीं रखा गया है। निविदा प्रतिभागी को दिये जाने वाले निविदा फार्म/नोटिस पर टेण्डर दर की वैधता काल/समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकृत निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किये गये हैं। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेण्डर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है। टेण्डर हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाने की धनराशि) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी, जनपद देवरिया के पत्रांक 143/आंकिंग/टेण्डर विज्ञापन/2018-19/दिनांक 15.05.2018 से क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा राज्य वित्त/14वां वित्त/मनरेगा/सांसद निधि/विधायक निधि इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष (2018-19) में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट, सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाइल्स, प्रथम श्रेणी ईट की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी, लोकल बालू, सफेद बालू, मोरंग बालू, सीमेन्ट, सरिया, ह्यूम पाइप, पेन्ट, समोसन, सोलर लाइट इत्यादि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित की गयी। समाचार पत्र स्वतंत्र चेतना, गोरखपुर में दिनांक 20.05.2018 तथा समाचार पत्र आज, गोरखपुर में दिनांक 23.05.2018 को निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि 24.05.2018 तक, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भलुअनी में निविदा बाक्स में निविदा डालने की तिथि 24.05.2018 तक प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2:30 तक तथा निविदा खोलने का स्थान विकास खण्ड भलुअनी सभागार निर्धारित किया गया।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी के पत्रांक विज्ञापन/2018-19/दिनांक 15.05.2018 को आमंत्रित निविदा को खोलने एवं अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस गठित समिति का अध्यक्ष खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी समिति के सदस्य-अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), सहायक विकास अधिकारी (फसल सुरक्षा) एवं लेखाकार को खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी द्वारा नामित किया गया। प्रथम श्रेणी ईट, ईट की गिट्टी आपूर्ति हेतु चार फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. मेसर्स विशेन ब्रिक फिल्ड, मखटियाराजा, फतेहपुर, देवरिया।
2. मेसर्स देवी ईट उद्योग, ग्राम पिपरापुरन, भलुअनी, जिला-देवरिया।
3. प्रताप सेवा संस्थान, बी0के0ओ0, अमौनी, रुद्रपुर, देवरिया।
4. सूरज ब्रिक फिल्ड, हरनही, देवरिया।

मेसर्स विशेन ब्रिक फिल्ड, मखटिया राजा, फतेहपुर देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ, आयकर पैन कार्ड नं0-एडब्लूएलपीएस4161पी की छायाप्रति, वोटर आई0डी0 की छायाप्रति जीएसटी इन

09एडब्लूएलपीएस4161पीआईजैडएम जीएसटीरजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न पाया गया। निविदा फार्म पर जमानत धनराशि रुपये 10000.00 एनएससीके रूप में (एनएससीका क्रमांक अंकित नहीं है।) उल्लेख किया गया है। इस फर्म द्वारा आयकर विवरणी, अर्नेस्ट मनी, जी0एस0टी0 विवरणी इत्यादि निविदा फर्म के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स देवी ईट उद्योग, ग्राम पिपरापुरन, भलुअनी, जिला-देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटीरजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जीएसटी इन09एयूएमपीसी12734आईजेडएन), स्टैम्प पेपर रुपये 100.00 संलग्न किया गया है। जमानत धनराशि रुपये 1000.00 नकद जमा का उल्लेख निविदा फार्म में किया गया है। इस फर्म द्वारा अर्नेस्ट मनी, आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 विवरणी, पैन कार्ड इत्यादि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

प्रताप सेवा संस्थान, बी0के0ओ0, अमौनी, रूद्रपुर, जिला देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ फर्म का बिल का नमूना (क्रम संख्या-1167) संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जीएसटीरजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति, अर्नेस्ट मनी, धरोहर धनराशि, आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 जमा विवरणी इत्यादि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

सूरज ब्रिक फिल्ड, हरनही, देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ बिल/कैशमेमो क्रमांक 638 संलग्न किया गया है। निविदा प्रपत्र पर फर्म का मुहर एवं फर्म के प्रो0 के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये। इस फर्म द्वारा पैन कार्ड की सत्यापित, अर्नेस्ट मनी, जीएसटीरजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 जमा विवरणी इत्यादि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स देवी ईट उद्योग, पिपरापुरन, भलुअनी, जनपद-देवरिया एवं मेसर्स विशेन ब्रिक फिल्ड, मखटिया राजा फतेहपुर, भलुअनी, जनपद-देवरिया के दर (ईट हेतु रुपये 6190 प्रति हजार तथा ईट की गिट्टी हेतु रुपये 1447 प्रति घनमीटर) एक समान पाये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी एवं निविदा हेतु गठित समिति के सदस्यों यथा अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), लेखाकार द्वारा संयुक्त रूप से दोनों फर्मों का टेण्डर स्वीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 में भी ईट एवं ईट गिट्टी की आपूर्ति हेतु उक्त दोनों फर्मों का टेण्डर स्वीकार किया गया था। सी0सी0 इण्टरलाकिंग टायल्स की आपूर्ति हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. बालाजी ट्रेडर्स, फतेहपुर।
2. मेसर्स श्री ब्रह्मदेव ट्रेडर्स, न्यू बस्ती, गरुलपार, देवरिया।
3. मेसर्स अमेठिया कन्सट्रक्शन, साकेत नगर, खरजरवा, देवरिया।

मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स, फतेहपुर द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा फर्म का एक कैशमेमो क्रमांक 8 पैन कार्ड छायाप्रति, स्टैम्प पेपर रु0 100.00 संलग्न किया गया है। निविदा फर्म में जमानत धनराशि रुपये 10000.00 की एफडीके रूप में दर्शित किया गया है लेकिन संबंधित एफडीप्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। इस फर्म द्वारा आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 जमा विवरणी, अर्नेस्ट मनी इत्यादि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स ब्रह्मदेव ट्रेडर्स, न्यू बस्ती, गरुलपार देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र में सी0सी0 इण्टरलाकिंग टायल्स की टेण्डर दर 22 रुपये प्रति अदद तथा फर्म का टिन नं0 095203068928 का उल्लेख किया गया है। पैन नम्बर, मोबाईल नम्बर जमानत धनराशि का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इस फर्म द्वारा आयकर विवरणी, पैन कार्ड छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 जमा विवरणी, शपथ पत्र, अर्नेस्ट मनी जमा रसीद तथा अन्य कागजात इत्यादि अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मेसर्स अमेठिया कन्सट्रक्शन, साकेत नगर देवरिया द्वारा निविदा फार्म में सी0सी0 इण्टरलाकिंग टायल्स की आपूर्ति हेतु उक्त तीनों फर्मों में से बालाजी ट्रेडर्स फतेहपुर की निविदा स्वीकृत की गयी। -'उल्लेखनीय है कि वर्ष (2017-18) में भी सी0सी0 इण्टरलाकिंग टायल्स की आपूर्ति हेतु बालाजी ट्रेडर्स, फतेहपुर की ही निविदा स्वीकृत की गयी थी। सीमेन्ट, मोरंग, महीन बालू, लोकल बालू, पत्थर गिट्टी, सरिया आपूर्ति हेतु तीन फर्मों निविदा प्रतिभागी रहे। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया।
2. तनवीर बिल्डिंग मैटेरियल्स, मदनपुर, देवरिया।
3. प्रकाश ट्रेडर्स, फतेहपुर चौराहा, रूद्रपुर, देवरिया।

मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर पैन कार्ड एजेडएक्सपीआर019एचकी छायाप्रति टिन नं0रजिस्ट्रेशन नं0 सर्टिफिकेट की छायाप्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर सर्टिफिकेट की छायाप्रति (09एएक्सजेडपीआर01914एच) एक प्रति कोरा सेल इवायस क्रमांक 22/407 (दिनांक अंकित नहीं) संलग्न किया गया है। निविदा प्रपत्र पर सामग्रियों का टेण्डर दर तथा जमानत धनराशि रुपये 10000.00 नकद जमा अंकित पाया गया। लेकिन जमानत धनराशि रुपये

10000.00 की प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं पाया गया। इस फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी, आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 जमा विवरणी, शपथ पत्र इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। तनवीर बिल्लिंग मैटेरियल्स, मदनपुर, देवरिया द्वारा निविदा प्रपत्र पर सामग्री का टेण्डर दर अंकित किया गया है लेकिन निविदा प्रपत्र पर अन्य विवरण पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर, जमानत धनराशि, मोबाईल नम्बर इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। निविदा प्रपत्र के साथ फर्म द्वारा नमूने के रूप में एक प्रति कोरा फर्म का कैशमेमो क्रमांक 954 (दिनांक अंकित नहीं) संलग्न किया गया है। इस फर्म द्वारा अर्नेस्ट मनी, शपथ पत्र, आयकर पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, जी0एस0टी0 जमा विवरणी, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर सर्टिफिकेट की सत्यापित छायाप्रति इत्यादि अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

प्रकाश ट्रेडर्स, फतेहपुर चौराहा, रुद्रपुर देवरिया द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में सामग्रियों का टेण्डर दर का उल्लेख किया है। लेकिन इस फर्म के निविदा प्रपत्र में पैन कार्ड, टीन नम्बर, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर, जमानत धनराशि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। निविदा प्रपत्र के साथ नमूने के रूप में इस फर्म का कोरा कैशमेमो की एक प्रति संलग्न की गयी है। इस फर्म द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी, शपथ पत्र, आयकर विवरणी, आयकर पैन कार्ड कह सत्यापित छायाप्रति, जी0एस0टी0 जमा विवरणी, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर सर्टिफिकेट की सत्यापित छायाप्रति इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। निविदा हेतु गठित समिति सदस्यों यथा अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग), सहायक विकास अधिकारी (कृषि), खण्ड विकास अधिकारी, भलुअनी, लेखाकार इत्यादि द्वारा सीमेन्ट, मोरंग बालू, महीन बालू, लोकल बालू, पत्थर गिट्टी, सरिया आपूर्ति हेतु उक्त तीनों फर्मों में से मेसर्स राजकुमार ब्रदर्स, पकड़ी बाजार, देवरिया की निविदा स्वीकृति की संस्तुति की गयी तथा खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी द्वारा उक्त फर्म की निविदा स्वीकृत किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है लेकिन टेण्डर फार्म बिक्री विवरण अप्राप्त रहा। टेण्डर जारी करने की तिथि एवं टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अन्तर नहीं रखा गया है। निविदा प्रतिभागी को दिये जाने वाले निविदा फार्म/नोटिस पर टेण्डर दर की वैधता काल/समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतर निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किये गये हैं। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेण्डर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है।

टेण्डर हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाने की धनराशि) निविदा प्रतिभागियों से जमा नहीं कराया गया है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता से सामग्री का सैम्पुल संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित जमानत धनराशि निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत स्वीकृत टेण्डर वाले सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी जानी अनिवार्य है लेकिन टेण्डर स्वीकृति के पश्चात सामग्री मूल्य/निविदा मूल्य रु0 13019002.00 के सापेक्ष वांछित जमानत धनराशि मात्र दस हजार रुपये प्रत्येक स्वीकृत निविदा वाले आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी गयी है जो कि वांछित जमानत धनराशि से बहुत कम है। स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता फर्म से इमप्रोपर सिक्वोरिटी डिपोजिट ली गयी है। टेण्डरदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, तीन वर्षों की आयकर विवरणी, बिक्रीकर/वैट/जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी, शपथ पत्र इत्यादि संलग्न नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि संस्था द्वारा टेण्डरदाताओं की वित्तीय स्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व नहीं किया गया है। क्रयादेश जारी होने के बाद सामग्री आपूर्ति हेतु जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुयी है, उनके साथ इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) संस्था द्वारा नहीं किया गया है। क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं किया गया है। निविदादाता फर्मों द्वारा अपने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के लिए शपथ पत्र, भी नहीं लगाया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर/अधिक मूल्य पर किया गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में उक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय रुपये 13019002.00 में टेण्डर हेतु नियमों एवं सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता के कारण उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय रुपये 13019002.00 अनियमित रहा।

उक्त के प्रति वर्ष (2017-18) के लिए श्री अमरनाथ, लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती ज्ञानमती देवी निविदा हेतु गठित समिति सदस्य अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक विकास अधिकारी आईएसबीउत्तरदायी है। जबकि वर्ष (2018-19) के लिए श्री अमरनाथ प्रसाद, श्री रामजीत प्रसाद खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती ज्ञानमती देवी, निविदा हेतु गठित समिति सदस्यगण, अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा), एडीओ, कृषि उत्तरदायी है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उक्त निर्माण

कार्यों के लिए संस्था को सामग्री की आपूर्ति कब की गयी, इस से संबंधित विवरण यथा—सामग्री आपूर्ति तिथि स्थान एवं समय सहित उपलब्ध नहीं रहा। क्रय की गयी सामग्री किस वाहन से संस्था पर अथवा कार्य स्थल पर लाया गया। इसका विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। सामग्री ढुलान करने वाले वाहन के मालिक का नाम, पता, वाहन चालक का नाम, पता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का नाम, पता इत्यादि का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वाहन के आगमन का समय, दिनांक, स्थान का विवरण तथा सामग्री उतारने के पश्चात, वाहन के प्रस्थान का दिनांक समय का विवरण सामग्री ढोने वाले वाहन का प्रकार, वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, टोल टैक्स पेमेन्ट रसीद इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा। स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गयी सामग्री का आमर उपभोग एवं अवशेष की प्रविष्टि नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखाकार द्वारा बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष (2017—18) में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय कीमत रुपये 3317935.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया गया जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि रुपये 73287.00 का भी भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया गया।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2018—19) में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय कीमत रुपये 2698760.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया गया जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि रुपये 141901.00 का भी भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया गया। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष (2017—18) एवं वर्ष (2018—19) में मनरेगा मनरेगा अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय कीमत रुपये 7002307.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया गया। जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि रुपये 596083.00 का भी भुगतान क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म के किया गया। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष (2017—18) एवं (2018—19) में राज्य वित्त योजना एवं मनरेगा मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय कीमत कुल रुपये 13019002.00 का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया गया जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि कुल रुपये 811271.00 का भुगतान क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में सामग्रियों के रेट ऑफ ऐनालेसिसशीर्ष में भी सामग्री क्रय कीमत जी0एस0टी0 सहित आकलित किया गया है। लेकिन फर्म द्वारा सामग्री क्रय बिलों पर सामग्री क्रय कीमत के साथ—साथ जी0एस0टी0 का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान का विवरण भी बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

जिससे फर्म द्वारा किये गये जी0एस0टी0 भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा सामग्री क्रय बिल के साथ—साथ जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी भी संलग्न किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किये गये जी0एस0टी0 का भुगतान रुपये 811271.00 अनियमित रहा। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध नहीं कराये जाने में असमर्थ रहने की स्थिति में उन फर्मों से सामग्री क्रय संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में सामग्री क्रय एवं फर्मों को सामग्री क्रय कीमत भुगतान की उच्च स्तरीय जांच करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय बिल से आयकर रुपये 114209.00 तथा जी0एस0टी0 रुपये 10554.00 की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है लेकिन आयकर कटौती की धनराशि रुपये 114209.00 तथा जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि रुपये 10554.00 को राजकीय कोषागार में जमा किये जाने संबंधी चालान/धनराशि प्राप्ति रसीद, दाखिल आयकर रिटर्न, दाखिल जी0एस0टी0 रिटर्न/जी0एस0टी0 भुगतान विवरणी इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा अपुष्टित रहने की स्थिति में इनकी वसूली तात्कालिक लेखाकार एवं तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किये गये जी0एस0टी0 जमा विवरणी/दाखिल जी0एस0टी0 रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के कारण क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को सामग्री क्रय कीमत जी0एस0टी0 भुगतान रुपये 811271/— अनियमित रहा। उक्त के प्रति श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र बीडीओ, श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय, बीडीओ श्री अमरनाथ प्रसाद लेखाकार उत्तरदायी हैं।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्यों में क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से आयकर कटौती रुपये 291637 की जानी थी जबकि आयकर कटौती रुपये 114209 किया गया। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आयकर कटौती रुपये 177428 कम किया गया। इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री अमरनाथ प्रसाद एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी, श्री रामजीत प्रसाद, श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय उत्तरदायी हैं।

(ग) उपरोक्त निर्माण कार्यो मे क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 01.10.2018 एवं इनके पश्चात क्रय किये गये सामग्री कीमत रुपये 1704059.00 पर जी0एस0टी0 दर2% की दर से सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से जी0एस0टी0 कटौती रुपये 34081.00 का किया जाना चाहिए जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा जी0एस0टी0 कटौती नहीं किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री अमरनाथ प्रसाद एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय उत्तरदायी है।

(घ) क्षेत्र पंचायत भलुअनी में द्वारा वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत ग्राम सभा शिवधरियां मे गांव से पूरब भलुअनी देवरिया पिच मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य में विसेन ब्रिक फिल्ड मखटिया राजा फतेहपुर जिला देवरिया कैशमेमो क्रमांक 144 दिनांक अंकित ही नही से ईट प्रथम श्रेणी क्रय कीमत रुपये 527710 पर एस0जी0एस0टी0 रुपये 5277.00 तथा सी0जी0एस0टी0 रुपये 5277 कुल रुपये 10554.00 की कटौती की गयी है लेकिन जी0एस0टी0 कटौती कुल धनराशि रुपये 10554 को राजकीय कोषागार में सुसंगत शीर्ष में यथाशीघ्र जमा कर दिया जाना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री अमरनाथ प्रसाद एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय उत्तरदायी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से की गयी आयकर कटौती धनराशि रुपये 114209.00 को यथाशीघ्र राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं किया गया है। इसके प्रति लेखाकार अमरनाथ प्रसाद एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी, श्री रामजीत प्रसाद, श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय बीडीओ उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
211509.00	0.00	936034.00	1147747.00

प्रस्तर संख्या-82 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत कराये गये निम्न निर्माण कार्यो में सामग्री क्रय पर रुपये 33,17,934.70 मजदूरी पर रुपये 8,43,728.00 कुल लागत रुपये 41,61,662.70 दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	कुल लागत	मस्टररोल अवधि	श्रमिकों की संख्या	कुल श्रम दिवस	धनराशि	मजदूरी भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में कमलेश कुशवाहा के घर से मदन के पोखरी तक नाली निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय पद-सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	348870.00	37135.00	386005.00	(i) दिनांक 15.01.2018 से दिनांक 21.06.2018 तक। (ii) दिनांक 22.06.2018 से दिनांक 28.06.2018 तक	14 13	98 91	19180 17955	कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय एडीओ, (पंचायत)
2.	ग्राम पंचायत पकड़ी बरामद देवउवारी में पकड़ी बाजार से उमेश सिंह के खेत तक खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय पद-सहायक वि० अधिकारी (पंचायत)	742500.00	180475.00	922975.00	(i) दिनांक 10.05.2017 से दिनांक 16.05.2017 तक। (ii) दिनांक 17.05.2017 से दिनांक 23.05.2017 तक (iii) दिनांक 24.05.2017	67 67 67	429 469 67	77395 90195 12885	कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय एडीओ, (पंचायत)
								180475	

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	कुल लागत	मस्टररोल अवधि	श्रमिकों की संख्या	कुल श्रम दिवस	धनराशि	मजदूरी भुगतान प्राप्तकर्ता
3.	ग्राम पंचायत पकड़ी बरामद देवउवारी में पकड़ी बाजार से उमेश सिंह के खेत तक अवशेष मार्ग पर मिट्टी खण्डजा निर्माण। कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय पद-सहायक वि० अधिकारी (पंचायत)	153070.00	42108.00	195178.00	(i) दिनांक 23.06.2017 से दिनांक 29.06.2017 तक। (ii) दिनांक 30.06.2017 से दिनांक 04.07.2017 तक	19 19	127 95	23838 18270	कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय एडीओ, (पंचायत)

								42180	
4.	ग्राम पंचायत लखना टोला भिखम चौराहा में रामाश्रय के खेत से लखना परसिया तक मिट्टी/खण्ड जा कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्र पद—स० वि० अ० (पंचायत)	433029.00	82450.00	515479.00	(i) दिनांक 22.03.2018 से दिनांक 28.03.18 तक। (ii) दिनांक 29.03.2018 से दिनांक 31.03.2018 तक	44 44	308 130	57960 24490	कार्य प्रभारी— श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि)
								82450	
5.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में रामनगर में शिवा के घर से चौथी के घर तक नाली मरम्मत एवं निर्माण कार्य कार्यप्रभारी—श्री कृष्ण मोहन पद—स० वि० अ० (फसल सुरक्षा)	102247.30	20920.00	123167.30	(i) दिनांक 30.03.2018 से दिनांक 05.04.2018 तक। (ii) दिनांक 06.04.2018 से दिनांक 11.04.2018 तक	08 08	50 48	10780 10140	कार्य प्रभारी— श्रीकृष्ण मोहन एडीओ, (फसल सुरक्षा)
								20920	
6.	ग्राम पंचायत परसिया अजमेर में वीर बहादुर के खेत से मृत्युन्जय के खेत तक मिट्टी खण्डजा निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्र पद—स० वि० अ० (कृषि)	116708.00	23085.00	139793.00	(i) दिनांक 22.03.2018 से दिनांक 27.03.2018 तक।	20	117	23085	कार्य प्रभारी— श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि)
								23085	
7.	ग्राम पंचायत खिरसर में वासदेव बाबा के स्थान पर चबूतरा निर्माण कार्य कार्य प्रभारी—श्री कृष्ण मोहन प्रसाद पद—स० वि० अ० (कृषि रक्षा)	72713.40	12820.00	85533.40	(i) दिनांक 31.03.2018 से दिनांक 06.04.2018 तक।	10	60	12820	कार्य प्रभारी— श्रीकृष्ण मोहन एडीओ, (फसल सुरक्षा)

8.	ग्राम पंचायत बेहड़ा राजस्व ग्राम फतेहपुर लेहड़ा में अमरनाथ तिवारी के घर से शिवमंदिर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी—श्री कृष्ण मोहन प्रसाद पद—स0वि0अ0 (कृषि रक्षा)	725247.00	126335.00	851562.00	(i) दिनांक 27.03.2018 से दिनांक 02.04.2018 तक। (ii) दिनांक 03.04.2018 से दिनांक 06.04.2018 तक	59 59	413 236	80395 45940	कार्य प्रभारी— श्रीकृष्ण मोहन एडीओ, (कृषि रक्षा)
								126335	
9	ग्राम पंचायत फतेहपुर में टोला भरौली में कमलेश के घर से अखिलेश के घर तक खण्डजा कार्य	623550.00	318400.00	941950.00	(i) दिनांक 12.05.2017 से दिनांक 18.05.2017 तक। (ii) दिनांक 19.05.2017 से दिनांक 25.05.2017 तक (iii) दिनांक 26.05.2017 से दिनांक 01.06.2017 तक (iv) दिनांक 02.06.2017 से दिनांक 05.06.2017 तक	64 72 72 72	448 480 504 288	78400 88640 96320 55040	
								318400	
	क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 09 तक का कुल योग	3317934.7	843728.00	4161662.70				843728.00	

पंचायत भलुअनी द्वारा राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत वर्ष (2017-18) में उपरोक्त निर्माण कार्यों में मजदूरी पर रुपये 843728.00 भुगतान किया गया। उक्त निर्माण कार्यों में मजदूरी का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा मजदूरों के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है।

मजदूरी के प्रमाणक के रूप में उपलब्ध मस्टररोलों पर क्रमांक/प्रिन्टेड क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं पाये गये जबकि मस्टररोलों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर निर्गत/जारी किया जाना चाहिए था। श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहे। बाल श्रमिकों से कार्य नहीं कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सप्ताह के अंत में नहीं किया गया है। मस्टररोलों पर प्रतिदिन जोड़ लगाकर उसके नीचे श्रमिकों के उपस्थिति लेने वाले के कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टर रोलों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य जाति/महिला इत्यादि का विवरण, कुल सृजित श्रम दिवसों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है। मजदूरों के स्थानीय होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। कतिपय मस्टररोलोपर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न मजदूरों का अंगूठा निशान लगाया गया है। कतिपय मस्टर रोलों पर एक ही व्यक्ति के अलग-अलग अंगूठियों के निशान विभिन्न मजदूरों के अंगूठा निशान के रूप में लगाये गये प्रतीत होते हैं। मस्टररोलों पर अंगूठा निशान पर मजदूरों के नाम अंकित नहीं पाये गये।

मजदूरों के अंगूठा निशानी को नाम लिखकर प्रमाणित नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्यों में लगाए गए मजदूरों की उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना अनिवार्य है। जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रति कार्य दिवस में हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा अंगूठा निशानी लगाना चाहिए। उपस्थिति रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी/कार्यप्रभारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल के निरीक्षण के साथ-साथ श्रमिकों की उपस्थिति एवं उपस्थिति रजिस्टर का भी औचक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों/उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर श्रमिकों का कार्य करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जानी चाहिए। कार्यारम्भ, मध्य एवं कार्य समिति पर कार्य स्थल की फोटोग्राफी करायी जानी चाहिए। कार्य स्थल पर निर्माण कार्यों के कार्य प्रारम्भ के समय साईन बोर्ड स्पष्ट विवरण सहित लगाया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान के पश्चात भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा मस्टररोलों पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा भुगतान उन्हीं श्रमिकों को किया गया है, जिन्होंने उक्त निर्माण कार्य पर कार्य किया है, नहीं दिया गया है। स्पष्ट है मजदूरी भुगतान में अनियमितता की गयी है। साथ ही श्रम नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति करते हुए मजदूरी भुगतान में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करायी जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत में उक्त निर्माण कार्यों की प्रारम्भ तिथि एवं समाप्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में पूर्व वर्षों में उक्त निर्माण कार्यों को किस अवधि में पहले कराया गया था अथवा किन-किन वर्षों में कब-कब इनका मरम्मत कराया गया, इसका विवरण उपलब्ध नहीं रहा। उक्त निर्माण कार्यों हेतु उपयोग में लायी गयी भूमि के दस्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिसके कारण उस भूमि के मालिकाना हक के संबंध में जानकारी अप्राप्त रही। उक्त भूमि क्षेत्र पंचायत के स्वामित्व की है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका। भूमि का स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में निर्माण कार्यों से पूर्व उक्त भूमि का रजिस्ट्री क्षेत्र पंचायत के पक्ष में कराया जाना चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों को ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत द्वारा पूर्व में नहीं कराया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत से प्राप्तकर नहीं रखा गया है। क्षेत्र पंचायत में परि सम्पत्ति पंजिका तैयार नहीं किया गया है।

परिसम्पत्ति पंजिका अद्यतन तैयार आलोच्य वर्षों में सृजित परिसम्पत्तियों का तथा इन से पूर्व के वर्षों में सृजित समस्त परिसम्पत्तियों की प्रविष्टि धनराशि सहित परिसम्पत्ति पंजिका में किया जाना चाहिए। परिसम्पत्ति पंजिका निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूपेण अद्यतन तैयार कर शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी से वार्षिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। परिसम्पत्ति पंजिका, संबंधित दस्तावेज एवं संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर लेखा परीक्षा में उक्त की पुष्टि करायी जानी चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों के कार्य स्थल के कार्य से पूर्व, कार्य करते समय की तथा कार्य समाप्ति के पश्चात के प्रमाणित फोटो अनिवार्य रूप से प्रमाणक पत्रावली में रखा जाना चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य सामग्री स्टॉक पंजिका, गुणवत्ता जांच रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय की जांच मजदूरों को किये गये मजदूरी भुगतान की जांच, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं भौतिक सत्यापन सक्षम प्राधिकारी एवं उच्च अधिकारियों से कराया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त मजदूरी भुगतान रुपये 843728.00 में अनियमितता के प्रति श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र बीडीओ, श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी बीडीओ श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ, श्री अमरनाथ प्रसाद लेखाकार संबंधित कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय एडीओ, (पंचायत), श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि), श्री श्रीकृष्ण मोहन एडीओ, फसल सुरक्षा, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत कराये गये निम्न निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय पर रुपये 26,98,760.70 मजदूरी पर रुपये 7,13,965.00 कुल लागत रुपये 34,12,725.00 दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	कुल लागत	मस्टररोल अवधि	श्रमिकों की संख्या	कुल श्रम दिवस	धनराशि	मजदूरी भुगतान प्राप्कर्ता
1.	ग्राम पंचायत बढ़या फुलवरिया पूरब जानेवाली पिच रोड से देवेन्द्र तिवारी के घर तक। मिट्टी/खण्डजा निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्र पद-स0वि0अ0 (कृषि)	112687.00	33460.00	146147.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक। (ii) दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 20.08.2018 तक	12 12	84 84	16730 16730	कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि)
2.	ग्राम सभा भलुअनी में महुई श्रीकान्त रोड से दक्षिण मिट्टू यादव के आरा मशीन तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्र पद-स0वि0अ0 (कृषि)	98477.00	21450.00	119927.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक। (ii) दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 16.08.2018 तक	11 10	77 29	15505 5945	कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि)
								21450	
3..	ग्राम पंचायत दोहनी मठिया से सुभाष यादव के खेत से पंडित जीवबन्धन एवं रामबली त्रिपाटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी-श्री केदारनाथ कुशवाहा पद-स0वि0अ0 (आईएसबी)	134133.00	30135.00	164268.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक। (ii) दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 20.08.2018 तक	11 11	77 72	15505 14630	कार्य प्रभारी-श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी)

4.	ग्राम सभा पटखौली में चन्द्रिका गुप्ता के घर से नवनाथ सिंह के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्रा पद—स0वि0अ0 (कृषि)	101572.00	22440.00	124012.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक। (ii) दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 17.08.2018 तक	10 10	70 40	14280 8160	कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्रा एडीओ, (कृषि)
								22440	
5.	ग्राम सभा भलुअनी में गांधी चौक से पूरब बहोर धनौती रोड़ जाने वाली पिच रोड से उत्तर मुनीब मल्ल के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा पद—स0वि0अ0(आईएसबी)	50985.00	14805.00	65790.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक।	11	73	14805	कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी)
								14805	
6.	ग्राम सभा सोनाड़ी में मृत्युन्जय सिंह के खेत से उसरा टोला तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा पद—स0वि0अ0 (आईएसबी)	358590.00	109250.00	467840.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक। (ii) दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 20.08.2018 तक (iii) दिनांक 21.08.2018 से दिनांक 26.08.2018 तक	28 28 28	196 196 166	38360 38360 32530	कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी)
								109052	
7.	ग्राम सभा शिवधरियाँ में गांव से पूरब भलुअनी देवरिया पिच मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य।	691110.00 (-31200.00)	195965.00	887075.00 (-31200)	(i) दिनांक 16.08.2018 से दिनांक 22.08.2018 तक। (ii) दिनांक 23.08.2018 से दिनांक 29.08.2018 तक	74 73	518 509	98770 97195	कार्य प्रभारी
								195965	

8.	ग्राम सभा फतेहपुर टोला लेहड़ा में मेन रोड से श्रीराम यादव के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्रा पद—स0वि0अ0 (कृषि)	155534.00	68845.00	224379.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक। (ii) दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 20.08.2018 तक	25 25	175 172	34685 34160	कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि)
								68845	
9.	ग्राम सभा लखना ग्राम हरपुर में मेन रोड से रंजित कुशवाहा के घर तक मिट्टी खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्रा पद—स0वि0अ0 (कृषि)	79180.00	19880.00	99060.00	(i) दिनांक 15.09.2018 से दिनांक 21.09.2018 तक। (ii) दिनांक 21.09.2018 से दिनांक 28.09.2018 तक	07 08	46 56	8050 11830	कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी)
								19880	
10.	ग्राम सभा शिवधरिया में राजेन्द्र कुशवाहा के घर से शिवमंदिर तक मिट्टी खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्रा पद—स0वि0अ0 (कृषि)	75333.00	17835.00	93168.00	(i) दिनांक 07.08.2018 से दिनांक 13.08.2018 तक। (ii) दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 15.08.2018 तक	10 09	70 17	14280 3555	कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि)
								17835	
11.	ग्राम पंचायत करमटार शेखा में पिच रोड से नथुनी चौहान के घर से घोठे तक मिट्टी खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी—श्रीमती बिन्दा सिंह पद—स0वि0अ0 (पंचायत)	236719.00	54250.00	290969.00	(i) दिनांक 26.02.2019 से दिनांक 04.03.2019 तक। (ii) दिनांक 05.03.2019 से दिनांक 11.03.2019 तक (ii) दिनांक 12.03.2019 से दिनांक 15.03.2019 तक	15 15 15	89 105 60	17675 23275 13300	कार्य प्रभारी श्रीमती बिन्दा सिंह एडीओ, (पंचायत)
								54250	

12.	ग्राम पंचायत मरकड़ा में संजय मिश्र के घर तक सोखता निर्माण कार्य।	14682.00	2275.00	16957.00	(i) दिनांक 19.03.2019 से दिनांक 21.03.2019 तक।	04	11	2275	कार्य प्रभारी
								2275	
13.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में गिट्टी टोला मेन पिच रोड से सोनू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्रा पद—स0वि0अ0 (कृषि)	708763.00	13650.00	122413.00	(i) दिनांक 26.02.2019 से दिनांक 04.03.2019 तक।	10	67	13650	कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र एडीओ, (कृषि)
								13650	
14.	ग्राम पंचायत टेकनपुरा में जयनाथ के घर तक सोखता निर्माण। कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा पद—स0वि0अ0 (आईएसबी)	14617.00	2275.00	16892.00	(i) दिनांक 08.08.2018 से दिनांक 09.08.2018 तक।	05	09	2275	कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी)
								2275	
15.	ग्राम पंचायत टेकनपुरा में जयनाथ के घर तक सोखता निर्माण। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्रा पद—स0वि0अ0 (कृषि)	33656.00	3500.00	37156.00	(i) दिनांक 15.02.2019 से दिनांक 18.02.2019 तक।	05	16	3500	कार्य प्रभारी— श्री अवधेश मिश्रा एडीओ, (कृषि)
								3500	
16.	ग्राम पंचायत कोरया में सुदामा प्रसाद के घर से राजदेव के खेत तक मिट्टी खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा पद—स0वि0अ0 (आईएसबी)	306496.00	73500.00	379996.00	(i) दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 07.02.2019 तक। (ii) दिनांक 08.02.2019 से दिनांक 14.02.2019 तक (ii) दिनांक 15.02.2017 से दिनांक 18.02.2019 तक	20 20 20	125 140 80	25375 30625 17500	कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी)

					तक				
17	ग्राम पंचायत फतेहपुर में मानस पिच रोड़ से गोकर्न सिंह के भट्टे तक मिट्टी/खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्रा पद-स0वि0अ0 (कृषि)	117566.00	24675.00	142241.00	(i) दिनांक 26.02.2019 से दिनांक 04.03.2019 तक। (ii) दिनांक 05.03.2019 से दिनांक 05.03.2019 तक।	12 12	72 48	14175 10500	कार्य प्रभारी- श्री अवधेश मिश्रा एडीओ, (कृषि)
								24675	
18.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में पिच रोड़ से धर्मेन्द्र सिंह के प्लाट तक नाली निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्रा पद-स0वि0अ0 (कृषि)	20378.00	24500.00	22828.00	(i) दिनांक 20.03.2019 से दिनांक 21.03.2019 तक।	05	10	2450	कार्य प्रभारी- श्री अवधेश मिश्रा एडीओ, (कृषि)
								2450	
19.	ग्राम पंचायत फतेहपुर गिद्दी टोला में भोला के दरवाजे पर सोख्ता निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्रा पद-स0वि0अ0 (कृषि)	19482.00	3325.00	22807.00	(i) दिनांक 20.03.2019 से दिनांक 23.03.2019 तक।	06	15	3325	कार्य प्रभारी- श्री अवधेश मिश्रा एडीओ, (कृषि)
								3325	
	क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 19 तक कुल योग	2698760.00	713965.00	3412725.00				713965.00	

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत वर्ष (2018-19) में उपरोक्त निर्माण कार्यो मे मजदूरी पर रुपये 713965.00 भुगतान किया गया। उक्त निर्माण कार्यो में मजदूरी का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा मजदूरों के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है।

मजदूरी के प्रमाणक के रूप में उपलब्ध मस्टररोलों पर क्रमांक/प्रिन्टेड क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं पाये गये जबकि मस्टररोलों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर निर्गत/जारी किया जाना चाहिए था। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहे। बाल श्रमिकों से कार्य नहीं कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। श्रमिकों को मजदूरी का

भुगतान सप्ताह के अन्त में नहीं किया गया है। मस्टररोलो पर प्रतिदिन जोड़ लगाकर उसके नीचे श्रमिकों के उपस्थिति लेने वाले के कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टररोलो पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य जाति/महिला इत्यादि का विवरण, कुल सृजित श्रम दिवसों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया। मजदूरों के स्थानीय होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। कतिपय मस्टररोलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न मजदूरों का अंगूठा निशान लगाया गया है। कतिपय मस्टररोलों पर एक ही व्यक्ति के अलग-अलग अंगूलियों के निशान विभिन्न मजदूरों के अंगूठा निशान के रूप में लगाये गये प्रतीत होते हैं। मस्टररोलों पर अंगूठा निशान पर मजदूरों के नाम अंकित नहीं पाये गये। मजदूरों के अंगूठा निशानी को नाम लिखकर प्रमाणित नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्यों में लगाए गए मजदूरों की उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना अनिवार्य है। जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रति कार्य दिवस में हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा अंगूठा निशानी लगाना चाहिए। उपस्थिति रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में उपस्थिति लेने वाले कर्मचारियों/कार्य प्रभारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल के निरीक्षण के साथ-साथ श्रमिकों की उपस्थिति एवं उपस्थिति रजिस्टर का भी औचक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों/उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर श्रमिकों का कार्य करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जानी चाहिए। कार्यारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति पर कार्य स्थल की फोटोग्राफी करायी जानी चाहिए। कार्य स्थल पर निर्माण कार्यों के कार्य प्रारम्भ के समय साईनबोर्ड स्पष्ट विवरण सहित लगाया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान के पश्चात भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा मस्टररोलों पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा भुगतान उन्हीं श्रमिकों को किया गया है जिन्होंने उक्त निर्माण कार्य पर कार्य किया है, नहीं दिया गया है। स्पष्ट है मजदूरी भुगतान में अनियमितता की गयी है। साथ ही श्रम नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति करते हुए मजदूरी भुगतान में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करायी जानी अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत में उक्त निर्माण कार्यों की प्रारम्भ तिथि एवं समाप्ति तिथि का प स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। क्षेत्र पंचायत में पूर्व वर्षों में उक्त निर्माण कार्यों को किस अवधि में पहले कराया गया था अथवा किन-किन वर्षों में कब-कब इनका मरम्मत कराया गया, इसका विवरण उपलब्ध नहीं रहा। उक्त निर्माण कार्यों हेतु उपयोग में लायी गयी भूमि के दस्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिसके कारण उस भूमि के मालिकाना हक के संबंध में जानकारी अप्राप्त रही। उक्त भूमि क्षेत्र पंचायत के स्वामित्व की है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका। भूमि का स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में निर्माण कार्यों से पूर्व उक्त भूमि का रजिस्ट्री क्षेत्र पंचायत के पक्ष में कराया जाना चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों को ग्राम पंचायत द्वारा अथवा जिला पंचायत द्वारा पूर्व में नहीं कराया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत से प्राप्त नहीं रखा गया है। क्षेत्र पंचायत में परिसम्पत्ति पंजिका तैयार नहीं किया गया है। परिसम्पत्ति पंजिका अद्यतन तैयार कर आलोच्य वर्षों में सृजित समस्त परिसम्पत्तियों की प्रविष्टि धनराशि सहित परिसम्पत्ति पंजिका में किया जाना चाहिए। परिसम्पत्ति पंजिका निर्धारित प्रारूप पर पूर्व रूपेण अद्यतन तैयार कर शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी से वार्षिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। परिसम्पत्ति पंजिका, संबंधित दस्तावेज एवं संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर लेखा परीक्षा में उक्त की पुष्टि करायी जानी चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों के कार्य स्थल के कार्य से पूर्व, कार्य करते समय की तथा कार्य समाप्ति के पश्चात के प्रमाणित फोटो अनिवार्य रूप से प्रमाणक पत्रावाली में रखा जाना चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों की कार्यपूति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य सामग्री, स्टाफ पंजिका, गुणवत्ता जांच रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी चाहिए। उक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय की जांच मजदूरों को किये गये मजदूरी भुगतान की जांच, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं भौतिक सत्यापन सक्षम प्राधिकारी एवं उच्च अधिकारियों से कराया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त मजदूरी भुगतान के अनियमितता के प्रति श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय बीडीओ श्री अमरनाथ प्रसाद लेखाकार, संबंधित कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र एडीओ, कृषि, श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी), श्रीमती बिन्दा सिंह एडीओ, पंचायत उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0.00	0.00	1557693.00	1557693.00

प्रस्तर संख्या-83 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग तीन के अनुसार राजकीय अनुदान मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/मनरेगा प्रशासनिक मद में आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	मद का विवरण	प्रारम्भिक शेष 01.04.2017 को ओ बी	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष 31.03.18 का सी बी
1.	मनरेगा कन्टीजेन्सी	510550.00	1106000.00	1429869.00	186681.00
2.	मनरेगा कन्टीजेन्सी ब्याज	53383.00	10577.00	—	63960.00
	कुल योग	563933.00	1116577.00	1429869.00	250641.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार विभिन्न तिथियों में मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त राजकीय अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	दिनांक	अनुदानदाता का नाम एवं मद का विवरण	धनराशि
1.	02.08.2017	उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से सीधे मनरेगा कन्टीजेन्सी मद खाता संख्या 3008011582 में आरटीजीएसके माध्यम से प्राप्त (i) 100000.00 (ii) 80000.00 (iii) 32000.00 (iv) 32000.00 कुल योग-244000.00	244000.00
2.	24.11.2017	उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद खाते में आरटीजीएसके माध्यम से प्राप्त (i) 126000.00 (ii) 66000.00 (iii) 150000.00 (iv) 108000.00 (v) 150000.00 (vi) 150000.00 कुल योग-750000.00	7,50,000.00
3.	11.12.2017	उपायुक्त श्रम रोजगार देवरिया से मनरेगा कन्टीजेन्सी मद बैंक खाते में एन.ई.एफ.टी. द्वारा सीधे प्राप्त	112000.00
		कुल योग	1106000.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	दिनांक	अनुदानदाता का नाम एवं मद का विवरण	चेक संख्या दिनांक	धनराशि
1.	19.04.2017	मनरेगा कर्मियों का वेतन मार्च 2017 तक का भुगतान (बीएम पूर्वांचल बैंक, गड़ेर) (i) श्रीमती मंजू कुशवाहा (एपीओ) — 90000.00 (ii) श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी — 36000.00 (iii) श्री प्रकाश पाण्डेय, कम्प्यूटर आपरेटर — 16000.00 142000.00	734394	142000.00
2.	19.04.2017	रोजगार सेवकों का माह दिसम्बर का मानदेय भुगतान (बीएम पूर्वांचल बैंक गड़ेर) रोजगार सेवकों की संख्या-48, दर 6000/-प्रति रोजगार सेवक (48X6000=288000.00)	734394	288000.00
3.	25.04.2017	श्री देवेन्द्र कुमार गौतम को मिस डाटामनरेगा में फीडिंग हेतु भुगतान	734399 25.04.2017	6600.00

4.	18.05.2017	श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी, लेखा सहायक को मास्टर सुर्कलर बनवाने का भुगतान	071876 18.05.2017	11800.00
5.	16.08.2017	कर्मचारियों के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित (बीएम पूर्वाचल ग्रामीण बैंक, गढ़र)	071877 16.08.2017	186000.00
6.	27.09.2017	श्री देवेन्द्र कुमार गौतम, कम्प्यूटर ऑपरेटर को मिस डाटाफीडिंग का भुगतान	071880 27.09.2017	9000.00
7.	06.10.2017	मनरेगा कर्मियों का माह अगस्त 2017 एवं माह सितम्बर 2017 का मानदेय अन्तरण हेतु प्रेषित (बीएमपूर्वाचल बैंक गढ़र) (i) श्री संजय तिवारी एपीओ — 40000.00 (ii) श्री राघवेन्द्र नाथ शुक्ल, लेखा सहायक — 16000.00 (iii) श्री प्रकाश पाण्डेय, — 16000.00 72000.00	071881 06.10.2017	72000.00
8.	12.12.2017	रोजगार सेवकों का माह नवम्बर 17 का मानदेय 6000=00 प्रति माह की दर से प्रेषित (48X6000=336000.00) (बीएम पूर्वाचल ग्रामीण बैंक, गढ़र)	071882 22.10.2017	336000.00
9.	22.12.2017	मनरेगा कर्मियों का माह अक्टूबर 2017 एवं नवम्बर 2017 का भुगतान (i) श्री संजय तिवारी — 40000.00 (ii) श्री राघवेन्द्र नाथ शुक्ल — 16000.00 (iii) श्री प्रकाश पाण्डेय, — 16000.00 72000.00	071883 22.10.2017	72000.00
10.	16.02.2018	मनरेगा संविदा कर्मियों का माह दिसम्बर 2017 एवं नम्बर 2017 का भुगतान (i) श्री संजय तिवारी एपीओ — 40000.00 (ii) श्री राघवेन्द्र शुक्ल — 16000.00 (iii) श्री प्रकाश पाण्डेय, — 16000.00 72000.00 (बीएम पूर्वाचल ग्रामीण बैंक, गढ़र)	071889 16.02.2018	72000.00
11.	28.03.2018	मनरेगा संविदा कर्मियों को माह फरवरी 2018 एवं मार्च 2018 का वेतन भुगतान (बीएम, पूर्वाचल बैंक गढ़र) (i) श्री संजय तिवारी — 56000.00 (ii) श्री राघवेन्द्र शुक्ल — 22400.00 (iii) श्री प्रकाश पाण्डेय, — 16000.00 94400.00	071890 28.03.2018	94400.00

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	दिनांक	अनुदानदाता का नाम एवं मद का विवरण	चेक संख्या दिनांक	धनराशि
1.	20.04.2017	श्री अमरनाथ कैशियर को (स्टेशनरी, डीजल, नेट पैक, कार्टेज इत्यादि) व्यय के सापेक्ष भुगतान	734394 20.04.2017	18021.00
	20.04.2017	श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी, लेखा सहायक को कम्प्यूटर मरम्मत की धनराशि का भुगतान	734397 20.04.2017	4360.00
	25.04.2017	मंज कुशवाहा, एपीओ को नेट पैक के सापेक्ष भुगतान	734398 25.04.2017	299.00
	25.04.2017	मेसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडर्स देवरिया को 2 अर्द्ध इन्वर्टर बैटरी के क्रम के सापेक्ष में भुगतान	071878 16.08.2017	27400.00
	16.08.2017	श्री अमरनाथ प्रसाद, सहायक लेखाकार को मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में डीजल एवं अन्य व्यय के सापेक्ष भुगतान	071878 16.08.2017	17359.00
	28.08.2017	ज्ञानमण्डल लिमिटेड गोरखपुर को टेण्डर प्रकाशन की धनराशि का भुगतान	071879 28.08.2017	7209.00
	27.12.2017	ज्ञानमण्डल गोरखपुर को नेफ्टद्वारा प्रेषित (बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़र)	071884 27.12.2017	7209.00
	12.01.2018	श्री अमरनाथ प्रसाद, भण्डार लिपिक को उनके द्वारा कार्यालय में व्यय की गयी धनराशि का भुगतान	071885 12.01.2018	17639.00
	12.01.2018	मेसर्स सीमा पब्लिकसर्स एण्ड स्टेशनर्स देवरिया का भुगतान	071886 12.01.2018	9390.00
	05.02.2018	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ के नाम बैंक ड्राफ्ट हेतु (बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़र)	071887 05.02.2018	7108.00
	08.08.2018	मेसर्स इ0ई0 कारपोरेशन देवरिया को जाब कार्ड छपाई हेतु नेफ्टद्वारा भुगतान (बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़र)	071888 08.02.2018	29400.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका (नया) के अनुसार मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि 1429869.00 रुपये तथा मनरेगा मनरेगा फाइनेंशियल स्टेटमेन्टसमरी के अनुसार क्षेत्र पंचायत में मनरेगा प्रशासनिक मद व्यय रुपये 11.06 लाख दर्शित है। इस प्रकार वर्ष (2017-18) में मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में किये गये व्यय में रुपये 323869.00 का अन्तर है। वर्ष (2017-18) में अन्तर रुपये 323869.00 का समाधान/निराकरण अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2018-19) में मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग तीन के अनुसार मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/मनरेगा प्रशासनिक मद में प्राप्त राजकीय अनुदान संबंधी आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	मद का विवरण	प्रारम्भिक शेष 01.04.2017 को ओबी	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष 31.03.18 का सीबी
1.	मनरेगा कन्टीजेन्सी मनरेगा प्रशासनिक	186681.00	3470000.00	2155690.00	1500991.00
2.	नरेगा कन्टीजेन्सी ब्याज	63960.00	17083.00	89.00	80954.00
	कुल योग	250641.00	3487083.00	2155779.00	1581945.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2018-19) में मनरेगा अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार विभिन्न तिथियों कन्टीजेन्सी (प्रशासनिक मद) में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता/व्यय का विवरण	चेक संख्या दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	30.05.2018	34 रोजगार सेवकों का 17 B में 2 (दो) माह का मानदेय भुगतान बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	071893 30.05.2018	420000.00
2.	30.05.2018	मनरेगा स्टाफ का अप्रैल 18 एवं मई 2018 का मानदेय भुगतान बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	071894 30.05.2018	100266.00
3.	11.09.2018	मनरेगा कर्मियों को माह जून 2018, जुलाई 2018 अगस्त 2018 का मानदेय भुगतान बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	071899 11.09.2018	151200.00
4.	02.11.2018	मनरेगा कर्मियों का दो माह सितम्बर 2018, एवं अक्टूबर 2018 का मानदेय भुगतान बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	729926 02.11.2018	100800.00
5.	03.12.2018	48 रोजगार सेवकों का माह अप्रैल 2018 का मानदेय भुगतान (48X600.288000) बीएम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	729927 03.12.2018	288000.00
6	11.01.2019	मनरेगा कर्मियों का माह नवम्बर 2018 एवं माह दिसम्बर 2018 का मानदेय भुगतान (i) श्री संजय तिवारी एपीओ (माह नवम्बर) – 28000.00 (ii) श्री ओमप्रकाश (माह दिसम्बर) – 28000.00 (iii) श्री राघवेन्द्र सिंह (लेखा सहायक) (माह नवम्बर 18 एवं दिसम्बर 2018) – 22400.00 (iv) श्री प्रकाश पाण्डे (माह नवम्बर 18 एवं दिसम्बर 2018) – 22400.00 कुल योग— 100800.00 (शाखा प्रबन्धक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	724928 11.01.2019	100800.00

7.	18.03.2019	संविदा कर्मियों को मानेक्ष भुगतान (i) श्री ओमकार सिंह (माह जनवरी 19, फरवरी 19) —56000.00 (ii) श्री राघवेन्द्र शुक्ल —22400.00 —28000.00 (iii) श्री प्रकाश पाण्डेय —22400.00 कुल योग —100800.00	724931 18.03.2019	100800.00
8	18.03.2019	43 रोजगार सेवकों को मानदेय भुगतान (शाखा प्रबन्धक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	724930 18.03.2019	726000.00
9.	08.05.2018	श्री अमरनाथ प्रसाद, प्र0अ0लि0 को कार्यालय व्यय एवं अन्य के सापेक्ष भुगतान	071891 08.05.2018	12838.00
10.	08.05.2018	श्री अमरनाथ प्रसाद, कार्यालय व्यय एवं अन्य के सापेक्ष भुगतान	071892 08.05.2018	11523.00
11.	31.05.2018	मेसर्स लुक्स ट्रेडर्स को आरटीजीएसके माध्यम से भुगतान। (शाखा प्रबन्धक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	071895 31.05.2018	67320.00
12.	31.05.2018	मेसर्स लुक्स ट्रेडर्स को आरटीजीएसके माध्यम से भुगतान। (शाखा प्रबन्धक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	071896 31.05.2018	19000.00
13.	31.05.2018	श्री कैलाश मिश्र, वरिष्ठ सहायक को एसपीएसक्रय हेतु भुगतान	071897 31.05.2018	1000.00
14.	06.06.2018	इण्डिया वाच (प्रा0) नि0 नोएडा को मनरेगा प्रचार प्रसार हेतु भुगतान	071898 06.06.2018	11500.00
15.	23.10.2018	श्री अमरनाथ प्रसाद को व्यय के सापेक्ष भुगतान (शाखा प्रबन्धक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	071900 23.10.2018	34865.00
16.	18.03.2019	श्री अमरनाथ प्रसाद, प्र0अ0लि0 को कार्यालय व्यय के सापेक्ष भुगतान	724933 18.03.2019	9778.00
17.	30.03.2019	(शाखा प्रबन्धक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गढ़ेर)	724933 18.03.2019	12942.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2018–19) में मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका (नया) के अनुसार मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि 2155779.00 रुपये तथा मनरेगा मनरेगा फाइनैशियल स्टेटमेन्ट समरी के अनुसार क्षेत्र पंचायत में मनरेगा प्रशासनिक मद (पीओ स्तर) पर व्यय रुपये 38.20 लाख दर्शित है। इस प्रकार वर्ष (2018–19) में मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में किये गये व्यय में रुपये 1664221.00 का अन्तर है। वर्ष (2018–19) में मनरेगा प्रशासनिक मद/कन्टीजेन्सी मद में किये गये व्यय में अंतर रुपये 1664221.00 का समाधान/निराकरण अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में वर्ष (2017–18) में रुपये 1429869 तथा वर्ष (2017–18) में रुपये 2155690 व्यय किया गया। इस प्रकार मनरेगा कन्टीजेन्सी प्रशासनिक मद में वर्ष (2017–18) एवं (2018–19) में कुल रुपये 3585559.00 व्यय दर्शित किया गया।

क्षेत्र पंचायत वर्ष (2018–19) में मनरेगा मनरेगा में मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में उक्त दर्शित व्यय रुपये 3585559 व्यय प्रमाणक, संबंधित दस्तावेज/पत्रावली, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेन्ट/स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मानदेय पंजिका/मानदेय भुगतान पंजिका, वेतन पंजिका/वेतन भुगतान पंजिका, स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर, डेड

स्टाक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका एवं मनरेगा कन्टीजेन्सर से संबंधित अन्य उक्त के अभाव में मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/मनरेगा प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय अपुष्टित रहे। मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में संबंधित व्यय प्रमाणक एवं संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में मनरेगा एवं मनरेगा मनरेगा कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक मद में संबंधित अनुदान पंजिका भाग एक बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेन्ट/स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र, चेक इश्यू रजिस्टर, मनरेगा कैश बुक इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त मद में राजकीय का वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष वर्ष में प्राप्त, वर्षान्त में अन्तिम अवशेष इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त व्यय रुपये 3585559.00 के प्रति श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र बीडीओ श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी बीडीओ, श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय बीडीओ, श्री अमरनाथ लेखाकार तत्कालीन ए0पी0ओ0 उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
0.00	0.00	3585559.00	3585559.00

प्रस्तरसंख्या-84 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) योजना के अन्तर्गत राजकीय अनुदान धनराशि रुपये 403098.00 (ब्याज सहित) प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष वर्ष में रुपये 313388.00 व्यय दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	प्रारम्भिक शेष 01.04.2017 को ओबी	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष 31.03.18 का सीबी
1.	2017-18	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	50576.00	403098.00	313388.00	140286.00
		कुल योग	50576.00	403098.00	313388.00	140286.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी को वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) योजना के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में प्राप्त राजकीय अनुदान धनराशि रू0 403098.00 (ब्याज सहित) का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदानदाता का नाम एवं पद	दिनांक	शासनादेश संख्या/पत्रांक/दिनांक	राजकीय अनुदान की धनराशि
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया	15.05.17	कार्या0 डी0पी0 आर0ओ0 देवरिया पत्रांक 49427-पं0/स्व0भा0मि0 (ग्रा0)17-18 दिनांक 15.05.2017 (स्टेशनरी हेतु)	100000.00
2.	तदैव	03.11.17	कार्या0 डी0पी0 आर0ओ0 देवरिया पत्रांक 2910/7-पं0/स्व0भा0मि0 (ग्रा0)17-18 दिनांक 03.11.2017 (प्रशासनिक मद में प्राप्त धनराशि)	100000.00
3.	जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया	30.01.18	कार्या0 डी0पी0 आर0ओ0 देवरिया पत्रांक 4064/7-पं0/स्व0भा0मि0 (ग्रा0)17-18 दिनांक 30.01.2018 (एमबीएम) जीकी प्रशासनिक मद की धनराशि)	100000.00

4.	—तदैव—	31.03.18	कार्या0 डी0पी0 आर0ओ0 देवरिया पत्रांक 4989 / 7—पं0 / स्व0भा0मि0 (ग्रा0)17—18 दिनांक 31.01.2018	100000.00
5.	—तदैव—	30.04.18	बैंक खाते पर अर्जित ब्याज	493.00
6.	—तदैव—	31.07.17	बैंक खाते पर अर्जित ब्याज	985.00
7.	—तदैव—	31.10.17	बैंक खाते पर अर्जित ब्याज	808.00
8.	—तदैव—	31.01.18	बैंक खाते पर अर्जित ब्याज	812.00
			कुल योग	403098.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017—18) में स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यय किये गये राजकीय अनुदान की धनराशि रुपये 313388.00 का विवरण निम्न प्रकार है।

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता/व्यय का विवरण	चेक संख्या दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	12.05.17	ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रीगर हेतु पांच दिवसीय कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी, चार्ज आदि क्रय हेतु भुगतान	417961 11.05.2017	14500.00
2.	01.06.2017	(एमबीएम) जीअन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु राज्य मिस्त्रियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मजदूरी एवं भोजन हेतु भुगतान	417962 29.05.2014	35000.00
3.	12.07.2017	ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रीगरिंग हेतु पांच दिवसीय कार्यक्रम हेतु टार्च, टोपी, सीटी, बैनर आदि पर व्यय धनराशि का भुगतान	417963 12.07.2017	10000.00
4.	12.09.2017	ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रीगरिंग हेतु पांच दिवसीय कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी, एवं अन्य सामग्री पर व्यय का भुगतान	417964 08.09.17	10000.00
5.	21.11.2017	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत दो दिवसीय राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण पर व्यय धनराशि का भुगतान	417965 21.11.2017	60000.00
6.	01.12.17	(एमबीएम)(ग्रा0) अन्तर्गत 2 अद्द एचडी कैम कारडर एचसीवी 270 कैमरा हेतु शौर्य इण्टरप्राइजेज गालेघर, गोरखपुर को भुगतान	417966 23.11.2017	49920.00
7.	01.12.2017	एमबीएम(ग्रा0) अन्तर्गत 2 अद्द हाई कैपसिटी पोटेबल यूएसबी चार्जरहेतु शौर्य इण्टरप्राइजेज गालेघर, गोरखपुर को भुगतान	417967 23.11.2017	11968.00
8.	23.01.2018	एमबीएम(ग्रा0) अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग हेतु सामग्री क्रय हेतु भुगतान	417968 23.01.2018	20000.00
9.	19.02.2018	एमबीएम(ग्रा0) अन्तर्गत राज मिस्त्रियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण पर व्यय धनराशि का भुगतान।	417969 19.02.18	27000.00
10.	06.03.18	एमबीएम(ग्रा0) अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी, टार्च आदि का भुगतान	417970 26.02.18	45000.00
11	13.03.2018	एमबीएम(ग्रा0) अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी, पर व्यय धनराशि का भुगतान	417971 28.02.2018	30000.00
		कुल योग (क्रम संख्या 01 से 11 तक।)		313388.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2018-19) में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) योजना के अन्तर्गत राजकीय अनुदान धनराशि रुपये 607498.00 (ब्याज सहित) प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष वर्ष में रुपये 489328.00 व्यय दर्शित किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक शेष 01.04.18 को ओबी	वर्ष में प्राप्त राजकीय अनुदान	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष 31.03.18 का सीबी	अभ्युक्ति
1.	2018-19	140286.00	607498.00	489328.00	258456.00	—
	कुल योग	140286.00	607498.00	489328.00	258456.00	—

क्षेत्र पंचायत भलुअनी को वर्ष (2018-19) में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) योजना के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में प्राप्त राजकीय अनुदान धनराशि रु० 607498.00 (ब्याज सहित) का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदानदाता का नाम एवं पद	दिनांक	शासनादेश संख्या/पत्रांक/दिनांक	राजकीय अनुदान की धनराशि
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया	03.04.18	कार्या० डी०पी० आर०ओ० देवरिया पत्रांक 4916-पं०/स्व०भा०मि० (ग्रा०)17-18 दिनांक 28.03.2018 (जनपद पेयजल एवं स्वच्छता समिति देवरिया से प्राप्त धनराशि)	100000.00
2.	जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया	30.04.18	बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज	1200.00
3.	जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया	31.07.18	बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज	1298.00
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया	03.04.18	कार्या० डी०पी० आर०ओ० देवरिया पत्रांक 5736/7-पं०/लेखाकार/स्व०भा०मि० (ग्रा०)17-18 दिनांक 01.01.2019 (डीपीआरओदेवरिया से नेफ्टद्वारा सीधे बैंक खाते में प्राप्त)	500000.00
5.	जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया	02.02.19	बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज	5000.00
			कुल योग क्रमांक 01 से 05 तक	607498.00

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2018-19) में स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदान से दिये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता/व्यय का विवरण	चेक संख्या दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	03.04.18	एसबीएम(ग्रामीण) अन्तर्गत कम्प्यूटर रीफिलिंग एवं पेपर का भुगतान एसबीएम	417972 03.04.18	5000.00
2.	05.05.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के शौचालय निरीक्षण हेतु भ्रमण हेतु वाहन डीजल हेतु भुगतान	417973 05.05.18	20000.00
3.	10.05.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी टीमों हेतु सीटी, टोपी,	417974 10.05.18	25000.00

		टार्च एवं अन्य सामानों पर व्यय का भुगतान		
4.	23.05.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग हेतु सीटी, टार्च एवं अन्य सामग्रियों पर व्यय धनराशि का भुगतान	417975 23.05.18	30000.00
5.	28.05.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत स्टेशनरी पर व्यय धनराशि का भुगतान	417977 28.05.18	20000.00
6.	25.06.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के शौचालय निरीक्षण/स्वच्छता कार्यक्रमों हेतु वाहन डीजल का भुगतान।	417979 25.06.18	5000.00
7.	25.06.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के स्वच्छता कार्यक्रम एवं शौचालयों के निरीक्षण हेतु वाहन डीजल का भुगतान	417978 25.06.18	20000.00
8.	10.07.18	मेसर्स पूर्वांचल स्टेशनर्स,सिविल लाइन, देवरिया को प्रशासनिक व्यय/स्टेशनरी का भुगतान	417976 28.05.18	2833.00
9.	04.07.18	स्वच्छत भारत मिशन (ग्रा0) अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छ कार्यक्रम एवं शौचालयों के निरीक्षण हेतु वाहन डीजल के व्यय का भुगतान	417980 04.08.18	20000.00
10.	06.08.18	विवरणहीन व्यय	—	20000.00
11.	10.08.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत फोटो कापी पर व्यय धनराशि का भुगतान।	568262 10.08.18	6400.00
12.	18.08.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यक्रम एवं शौचालयों के निरीक्षण हेतु वाहन डीजल का भुगतान	568266 18.08.18	20000.00
13.	18.08.18	विवरणहीन व्यय	—	29822.00
14.	31.08.18	एसबीएम(जी)अन्तर्गत स्टेशनरी पर व्यय धनराशि का भुगतान	568265 31.08.18	16046.00
15.	16.02.19	मेसर्स मोहन गुप्ता, नन्द पैलेस, सोन्दा देवरिया का भुगतान (ग्राम प्रधान के प्रशिक्षण हेतु भुगतान)	568270 16.02.2019	19700.00
16.	16.02.19	मेसर्स ए0के0 टेण्ट एण्ड कैटर्स को भुगतान	568271 16.02.19	98888.00
17.	14.03.19	द्विवेदी पब्लिसिटी सिंगई को बाल पेन्टिंग, चित्रकारी हेतु भुगतान	568273 14.03.19	97284.00
18.	31.03.19	श्रीमती बिन्दा सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को जलपान एवं अन्य व्यय के सापेक्ष भुगतान	568275 31.03.19	19600.00
19.	31.03.19	श्रीमती बिन्दा सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को स्टेशनरी एवं कार्टन व्यय के सापेक्ष भुगतान।	568276 31.03.19	13755.00
		कुल योग (क्रम सं0 01 से 19 तक)		489328.00

क्र० सं०	एसबीएम प्रमाणक सं० एवं दिनांक	समग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का विवरण एवं बिल का विवरण	क्रय की गयी सामग्री	मात्रा	दर प्रति भूमि	जीएसटी सहित क्रय कीमत	जीएस टी दर	बिल में सम्मिलित जीएसटीकी धनराशि	आय कर	बिल /कैश मेमो / प्रमाणक में कमियाँ
1.	06 / 01.12.17	शौर्य इण्टरप्राइजेज प्रताप मार्केट, गोल घर, गोरखपुर इनवायस क्रमांक एसई-21 दिनांक 30.10. 2017	एचडी कैम कॉर्डर मॉर्काडेने सिस	2 अदद्	19500 जीएसटी 1950	49920		10920		कोटेशन अप्राप्त रहे / फर्म द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया। संस्था पर आयक (टीडीएस) की कटौती नहीं की गयी। सामग्री क्रय हेतु तकनीकी स्वीकृति आदेश / वित्तीय स्वीकृति आदेश उपलब्ध नहीं रहे। मृत स्कन्ध पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गयी।
2.	07 / 01. 12.17	शौर्य इण्टरप्राइजेज प्रताप मार्केट, गोल घर, गोरखपुर इनवायस क्रमांक एसई-37 दिनांक 30.10. 2017	हाई कैपासिटी पोर्टबिल यूएसबी चार्जर मेक सोनी	2 अदद्	4675 जीएसटी 1309	11968		2618		—तदैव—
3.	05 / 21. 11.17	शिवम् मिष्ठान भण्डार ज्ञान प्रकाश इण्टरप्राइजेज के सामने मेन रोड भलुअनी देवरिया कैश मेमो / क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 20.11. 2017	नाश्ता नाश्ता	65 नं० 52	35 35	2275 1820				बिल / कैश मेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये बिल छायाप्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा। बिल / कैश मेमो क्रमांक अंकित नहीं पाया गया।

4.	05 / 21. 11.17	शिवम् मिष्ठान भण्डार ज्ञान प्रकाश इण्टरप्राइजेज के सामने मेन रोड भलुअनी देवरिया कैश मेमो / क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 20.11. 2017	भोजन	50	65	3250				—तदैव—
5.	05 / 21. 11.17	शिवम् मिष्ठान भण्डार ज्ञान प्रकाश इण्टरप्राइजेज के सामने मेन रोड भलुअनी देवरिया कैश मेमो / क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 20.11. 2017	लड्डू बर्फी पानी मिनरल वाटर	2कि0ग्रा0 500ग्रा 10 बोतल 17	240 140 200 340 920	— —				बिल / कैश मेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये बिल छायाप्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा। बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं पाया गया।
क्र0 सं0	एस बीएम प्रमाणक सं0 एवं दिनांक	समग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का विवरण एवं बिल का विवरण	क्रय की गयी सामग्री	मात्रा	दर प्रति भूमि	जीएसटी सहित क्रय कीमत	जीएस टी दर	बिल में सम्मिलित जीएसटीकी धनराशि	आय कर	बिल / कैशमेम ो / प्रमाणक में कमियाँ
1.	बाउचर न0 3 / 10. 12.17	अरविन्द खिलौना घर अंसारी रोड, देवरिया बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 09. 05.18	टोपी सफ़ेर टार्च सीटी	305 75 14 दर्जन	23.93 180 30 दर्जन	7300 13500 4200 25000				फर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक कैशमेमो बिल पर अंकित नहीं है। बिल कैशमेमो क्रमांक नहीं पाया गया। फर्म द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी संलग्न नहीं किया है। संस्था द्वारा आयकर टैक्सकी कटौती नहीं किया गया है। बिल कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। भुगतान नकद किया गया।

2.	बाउचर न० 08 / 10. 07.18	पूर्वांचल स्टेशनर्स सिविल लाइन देवरिया बिल क्रमांक 84 दिनांक 29. 05.18	टार्च कैची स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री	6 अद्द 1 अद्द	140 84	840 84 1909 2833				मृत स्कन्ध पंजिका / स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि नहीं पायी गयी। वितरण पंजिका उपलब्ध नहीं रहा। फर्म द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी संलग्न नहीं किया गया है। संस्था आयकर टैक्सकी कटौती नहीं की गयी।
3.	बाउचर न० 01 / 03. 04.18	शुक्ला डिजिटल एण्ड ऑफसेट प्रेस, मेन रोड, भलुअनी देवरिया।	रिम पेपर रीफीलिंग	8 रिम 10 नं०	200 340	1600 3400 5000				बिल पर विक्रेता / फर्म प्रो० के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। बिल पर फार्म का जीएसटी रजि० नं० तथा बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। जीएसटी भुगतान विवरणी फर्म द्वारा बिल के साथ संलग्न नहीं किया है। संस्था द्वारा आयकर एवं टैक्स की कटौती नहीं की गयी है। स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर तथा विवरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा। तैयार नहीं किया गया है।

4.	बाउचर न0 04 / 23. 05.18	अरविन्द खिलौना घर अंसारी रोड, देवरिया बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 22. 05.18 बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।	टोपी सफेर टार्च सीटी	320 80 26.5 दर्जन	24 180 300	7680 14400 7920 ----- 30000 -----				—तदैव— डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गयी है। सामग्री वितरण रजिस्टर अप्राप्त रहा। उपलब्ध नहीं रहा।
5.	बाउचर न0 05 / 28. 05.18	गुप्ता लैब वीडियो मिक्सिंग लैब बिल क्रमांक ए/31/27. 05.18	फ्लैक्स बोर्ड (8'X61)	5 पीस	620	3100				बिल पर फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक अंकित नहीं पाया गया। फर्म द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया है। डेड स्टॉक रजिस्टर स्टॉक रजि0 में प्रविष्टि नहीं पायी गयी है। संस्था द्वारा आयकर टैक्स की कटौती नहीं की गयी है।
6.	बाउचर न0 05 / 28. 05.18	फर्म का नाम दुकान अथवा पता का विवरण अंकित नहीं है। सादे कागज पर दिनांक 26. 05.18 अंकित नहीं है। विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।	पनी गिलास साबुन	30 बोतल 10 पैकेट 30 अद्द	20 80 10	600 800 300 ----- 1700 -----		बिल		बिल/ कैशमेमो उपलब्ध नहीं रहा। सादे कागज पर दिनांक तथा सामग्री का नाम एवं कीमत अंकित है। इस पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। नकद भुगतान कर कैश खारिज किया गया है। स्टॉक रजिस्टर में

										प्रविष्टि नहीं की गयी है।
07	बाउचर न0 05 / 28. 05.18	एजुकेशन स्टोर्स एवं एस्पार्टसे हाउस, हास्पिटल रोड, भलुअनी, देवरिया बिल / कैशमे मो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 26.5. 2018 विक्रेता के हस्ताक्षर बिल पर नहीं पाये गये।	स्टैपलर चार्ट पेपर, पेपर, कीट बैग पेन, पेन्सिल टैंग, स्टैपलर पिन, फाइल इत्यादि स्टेशनरी / अन्य सामग्री क्रय	25 नग	35	875 11981 12856				बिल पर फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक अंकित नहीं पाया गया। बिल के साथ जीएसटी भुगतान विवरणी फर्म द्वारा संलग्न नहीं किया गया है। संस्था द्वारा आयकर एवं टैक्सकी कटौती नहीं की गयी है। डेड स्टॉक पंजिका, स्टेशनरी स्टॉक पंजिका, स्टॉक पंजिका में सामग्री की प्रविष्टि नहीं की गयी है। सामग्री वितरण पंजिका इत्यादि तैयार नहीं किया गया है। बिल कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।
08	बाउचर न0 05 / 28. 05.18	नेशनल आयरन स्टोर्स मेन रोड भलुअनी कैशमेमो / बिल क्रमांक 97 दिनांक 26. 05.18	चूना रामराज मिट्टी अबीर	20 किग्रा 20 किग्रा 30 पैकेट	20 30 45	400 600 1350 2350				सामग्री क्रय की प्रविष्टि स्टॉक रजि0 में नहीं किया गया। सामग्री विक्रेता फर्म द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी संलग्न नहीं किया गया है। संस्था द्वारा आयकर /

										टैक्स की कटौती नहीं की गयी है। भुगतान नकद किया गया है।
9	बाउचर न0 10 / 06. 08.18	पूर्वांचल स्टेशनर्स सिविल लाइन देवरिया बिल क्रमांक 76 दिनांक 04. 08.18	प्लास्टिक फाइल फाइल की प्रविन्टि	522 नं0 522नं0	40 03	20880 1566 <u>22446</u>				सामग्री क्रय की प्रविष्टि स्टाक रजि0 में नहीं किया गया। सामग्री वितरण रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं रहा। सामग्री विक्रेता फर्म द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी संलग्न नहीं किया गया है। संस्था द्वारा आयकर/टैक्स की कटौती नहीं की गयी है। भुगतान नकद किया गया है।
10	बाउचर न0 11 / 10. 08.18	शुक्ला डिजिटल एण्ड ऑफसेट प्रेस, मेन रोड, भलुअनी देवरिया।	फोटो कापी			6400				संस्था के किन प्रपत्रों का फोटो कापी कराया गया, इस संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं रहा। फर्म द्वारा बिल के साथ जीएसटी भुगतान विवरणी संलग्न नहीं किया गया है। संस्था द्वारा आयकर/टैक्स की कटौती नहीं किया गया है। भुगतान नकद किया गया है।

11	नोट भुगतान वर्ष (19-20) में किया गया।	टी0पी0 ट्रेडर्स एण्ड कन्सट्रक्शन परसा बरवा परसिया मल्ल पीओ. जीआईस्टोर, जिला-देवरि या इनवायस क्रमांक 64 दिनांक 18. 02.19 भुगतान चेक सं0 368277 दिनांक 29.06.19 से 18454.00 का किया गया।	चाय बिस्कुट, बोतल का पानी तन्दूरी, रोटी, पूड़ी, पालक पूड़ी, मटर पनीर आलू गोभी, सब्जी, पालक बैंगन सब्जी गुलाम जामुन सलाद आदि	250	25	6250		4624	उक्त बिल 250 प्रतिभागी हेतु 185/प्रति प्रतिभागी+ जीएसटी5प्रति शतसहित 50875 का प्रस्तुत किया गया है जबकि उपस्थिति पंजिका के अनुसार प्रतिभागियों की संख्या 95 है। अतः 95 प्रतिभागियों के लिए बिल की धनराशि 18454ही है। जिसका भुगता क्षेत्र पंचायत द्वारा चेक सं0 36827 दिनांक 29.06. 2019 से किया गया फर्म द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी संलग्न है किया गया है। संस्था द्वारा आयकर की कटौती नहीं किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत दो वाहनों जीप संख्या यूपी52क्यू 7222 एवं जीप संख्या यूपी52एएफ3269को किराये पर लिया गया। वाहनन आपूर्तिकर्ता फर्म/वाहन स्वामी एवं क्षेत्र पंचायत के बीच का अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। दोनों वाहनों के लॉगबुक के अनुसार जीप संख्या यूपी52क्यू7222 का प्रयोग नवम्बर 18 से मार्च 19 तक की अवधि में कुल 112 दिनों में 5481 किलोमीटर तथा जीप संख्या यूपी52एएफ3269 का प्रयोग जनवरी 19 से मार्च 2019 तक की अवधि में कुल 80 दिनों में 4007 किलोमीटर की यात्रा करने में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया गया, जिसे सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा भी सत्यापित किया गया है। क्यू एस0डी0 इण्टरप्राइजेज, संकटमोचन नगर, रामगुलाम टोला देवरिया द्वारा बिल संख्या 34 बुक संख्या 03 दिनांक 24.06.2019 द्वारा वाहन संख्या यूपी52क्यू7222 का वाहन किराया नवम्बर 18 से मार्च 19 तक की अवधि में कुल 136 दिनों के लिए वाहन किराया दर रु0 882.00 जीएसटीसहित में रुपये 119952.00 तथा बिल संख्या 35 बुक संख्या 03 दिनांक 24.06.2019 द्वारा वाहन संख्या यूपी52एएफ3269का वाहन किराया माह जनवरी 19 से माह मार्च 19 से माह मार्च 2019 की अवधि में कुल 90 दिनों के लिए रु0 882.00 प्रतिदिन की दर से रुपये 79380.00 का भुगतान हेतु क्षेत्र पंचायत भलुअनी को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय देवरिया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। लेकिन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सत्यापित वाहन लॉगबुकों के आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा वाहन संख्या यूपी52क्यू7222 का वाहन किराया माह नवम्बर 2018 से माह मार्च 2019 तक की अवधि में कुल 112 दिनों का रुपये 882.00 प्रतिदिन की दर से रुपये 98784.00 तथा वाहन संख्या यूपी52एएफ3269का वाहन किराया माह जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक की अवधि में कुल 80 दिनों का रुपये 882.00 प्रतिदिन की दर से रुपये 70560.00 कुल रुपये 169344.00 का भुगतान चेक संख्या 568278 दिनांक 28.06.2019 से एस0डी0 इण्टरप्राइजेज संकटमोचन नगर, रामगुलाम टोला, देवरिया के बैंक खाता सिडिकेट बैंक देवरिया के खाता संख्या 899607001673 में आईजीआरएस के माध्यम से किया गया।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को वाहन संख्या यूपी52क्यू7222 हेतु माह नवम्बर से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ईंधन पर व्यय रुपये 33651.00 तथा वाहन संख्या यूपी52एएफ3269हेतु माह जनवरी 200119 से माह मार्च 2019 से माह मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ईंधन पर व्यय रुपये 20228 कुल रुपये 53879.00 का भुगतान किया गया।

(ए) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत जीप यूपी52क्यू7222 में प्रयुक्त डीजल/ईंधन दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 16.03.2018 तक की अवधि में डीजल क्रय बिल का विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) फर्म का नाम-राजीव इण्टरप्राइज, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम डीलर, खुखुन्दू, देवरिया (टिन 09620300442) गाड़ी संख्या-यूपी52क्यू7222

क्रम संख्या	कैशमेमो क्रमांक	दिनांक	डीजल/ईंधन की मात्रा	दर प्रति ली0	कीमत	अभ्युक्ति
1.	11306	01.10.2018	30 लीटर	75	2250	---
2.	11324	29.10.2018	10.42 लीटर	71.93	750	---
3.	11335	01.11.2018	30.36 लीटर	70.80	2150	---
4.	11336	12.01.2018	6 लीटर	70.20	420	क्रय तिथि पर अप लेखन किया गया।
		योग			5570	

(ii) फर्म का नाम-अरुणा फिलिंग स्टेशन, मेन रोड, भलुअनी देवरिया गाड़ी संख्या-यूपी52क्यू7222

क्रम संख्या	कैशमेमो क्रमांक	दिनांक	डीजल/ईंधन की मात्रा	दर प्रति ली0	कीमत	अभ्युक्ति
1.	5482	---	30 लीटर	73.23	2196	---
2.	14833	01.12.2018	31.21 लीटर	64.09	2000	---
3.	14834	14.01.2018	30 लीटर	63.09	1905	---

4.	14838	21.01.18	30 लीटर	61.19	1850	
5.	14839	02.01.19	30 लीटर	61.19	1850	
6.	148161	10.01.19	30 लीटर	61.19	1850	
7.	14864	18.01.19	30 लीटर	64.82	1950	
8.	14867	29.01.19	10.12 लीटर	64.20	650	
9.	14895	01.02.19	30 लीटर	64.49	1950	
10.	14837	06.02.19	15 लीटर	66.23	1000	
11.	14832	15.02.19	30.22 लीटर	64.52	1950	
12.	14885	16.03.19	30 लीटर	65.80	1980	
		योग	326.55 लीटर		21181.00	

(iii) फर्म का नाम—किसान सेवा केन्द्र, डीलर ऑयल कारपोरेशन लि० बढ़या फुलवरिया गाड़ी संख्या—यूपी52क्यू7222

क्रम संख्या	कैशमेमो क्रमांक	दिनांक	डीजल/ईंधन की मात्रा	दर प्रति ली०	कीमत	अभ्युक्ति
1.	000598	07.03.19	30 लीटर	65.70	1950	---
2.	000597	03.03.19	30.20 लीटर	64.09	2000	---
3.	000596	23.02.19	30.22 लीटर	64.52	1950	---
		योग	90.44 लीटर		5900	

(iv) फर्म का नाम—सरस्वती पेट्रोलियम इण्डियन ऑयल डीलर्स, देवरिया गाड़ी संख्या—यूपी52क्यू7222

क्रम संख्या	कैशमेमो क्रमांक	दिनांक	डीजल/ईंधन की मात्रा	दर प्रति ली०	कीमत	अभ्युक्ति
1.	39582	05.02.2019	15.08 लीटर	66.31	1000	क्रय तिथि पर अपर लेख किया गया है।
कुल योग (I+II+III+IV)			508.85 लीटर		33651	

उक्त डीजल क्रय कीमत रुपये 33651/- का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा चेक संख्या 568278 दिनांक 03.08. 2019 से श्रीमती बिन्दा सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को किया गया।

(बी) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत जीप यूपी52एफ3269 में प्रयुक्त डीजल/ईंधन दिनांक 08.01. 19 से दिनांक 29.03.2019 तक की अवधि में डीजल क्रय बिल का विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) फर्म का नाम—अरुणा फिलिंग स्टेशन, मेन रोड, भलुअनी देवरिया गाड़ी संख्या—यूपी52क्यू7222

क्रम संख्या	कैशमेमो क्रमांक	दिनांक	डीजल/ईंधन की मात्रा	दर प्रति ली०	कीमत	अभ्युक्ति
1.	5418	08.01.2019	20.14 लीटर	61.09	1221	---
2.	5424	12.01.2019	10.28 लीटर	61.09	629	---
3.	5465	14.01.2019	30 लीटर	61.69	1850	---
4.	5473	20.01.2019	30.93 लीटर	64.82	2006	-
5.	5475	01.02.2019	25.60 लीटर	64.49	1650	-
6.	5477	10.02.2019	30.40 लीटर	64.52	1961	बिल पर अपर लेखन पाया गया
7.	5460	16.02.2019	30.40 लीटर	64.52	1961	-
8.	5525	25.02.2019	30.22 लीटर	64.52	1950	बिल पर अपर लेखन पाया गया
9.	5527	04.03.19'	30.20 लीटर	66.21	2000	---
10.	5531	12.03.2019	30.0 लीटर	66.21	2000	---
11.	5545	19.03.2019	30.22 लीटर	66.18	2000	---
12.	5549	29.03.2019	15.30 लीटर	65.33	1000	-
	कुल योग		313.89 लीटर	---	20228	

उक्त डीजल क्रय कीमत रुपये 20228/- का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा चेक संख्या 568278 दिनांक 03.08.2019 से चेक की सकल धनराशि 71429.00 से श्री अमरनाथ प्रसाद लेखाकार के केनरा बैंक खाता सं० 2662101012548 में आईजीआरएसके माध्यम से किया गया है। माह जनवरी 19 से मार्च 19 तक

की अवधि में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा एसबीएम (जी) कार्यों के निरीक्षण हेतु दो किराये के वाहनों का उपयोग किया गया जिसमें से एक वाहन का उपयोग अनावश्यक रूप से करकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। उक्त अवधि में एक वाहन के लिए रुपये 882.00 (जीएसटी सहित) प्रतिदिन की दर से 90 दिनों वाहन किराया रुपये 79380.00 तथा दो में से एक वाहन पर ईंधन व्यय उक्त अवधि में रुपये 20228.00 का भुगतान अनावश्यक रूप से किया गया। उपरोक्त अवधि में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा दो किराये के वाहनों के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अन्यथा क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त अवधि में दो वाहनों में से एक वाहन के लिए वाहन किराया रुपये 79380.00 एवं ईंधन पर व्यय रुपये 20228.00 कुल रुपये 99608.00 का भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु किराये के दो वाहनों को अनावश्यक रूप से उपयोग किया गया। इन वाहनों का उपयोग प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण एवं यात्रा में दर्शित किया गया है। उनके द्वारा क्षेत्र पंचायत के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण लॉगबुक में दर्शित कर प्रतिदिन डीजल एवं वाहन किराया पर व्यय दर्शित किया गया है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का भ्रमण कार्यक्रम/यात्रा कार्यक्रम उपलब्ध नहीं रहा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उनका भ्रमण कार्यक्रम/यात्रा कार्यक्रम लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि एसबीएम(जी) के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा ब्लॉक स्तर पर एसबीएम(जी) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों तथा निमित्त शौचालयों का शप प्रतिशत निरीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन एवं समस्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए थी। उनके द्वारा निरीक्षण में यह देखा जाना तथा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि निर्माण कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार किया गया है। निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा कराया गया है, शौचालय द्वारा पेयजल स्रोत दूषित नहीं हो रहे हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित पात्रता श्रेणी के लाभार्थियों का ही चयन किया गया है एवं निर्मित शौचालयों का समुचित प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपरोक्त तथ्यों को सुनिश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए निरीक्षण भौतिक/स्थलीय सत्यापन एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच संबंधी रिपोर्ट इत्यादि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि उनके द्वारा उद्देश्यहीन यात्रा दर्शित कर डीजल एवं वाहन किराया पर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त मद में राजकीय धन के दुरुपयोग के प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौर्य इण्टरप्राइजेज प्रताप मार्केट, गोलकर, गोरखपुर से दो एचडीविडियो कैमरे रुपये 49920.00 तथा दो पावर बैंक रुपये 11968 कुल रुपये 61888/- का क्रय किया गया। विवरण निम्न प्रकार है—

फर्म का नाम—शौर्य इण्टरप्राइजेज, प्रताप मार्केट, गोलघर, गोरखपुर।

(i) इनवाइस क्र0सं0 एसई021/दिनांक 30.10.2017

क्रम संख्या	विवरण	दर	मूल्य	कीमत	जीएसटी	कुल कीमत
1.	एचडी कैमकोर्डर एचसी वी-270 विद 2 ईयर वॉरंटी मेक पैनासोनिक	2 अद्द	19500 प्रति अद्द	39000	10920	49920.00

(ii) इनवाइस क्र0सं0 एसई037/दिनांक 30.10.2017

क्रम संख्या	विवरण	दर	मूल्य	कीमत	जीएसटी	कुल कीमत
1.	हाई कैप्सिटी पोर्टेबल यूएसबी मेक सोनी एक्डालार्ज 15000 एमएएच लिथियम आयन पोलिमेन बैट्री	2 अद्द	4675 प्रति अद्द	9350	2618	11968.00

उपरोक्त दोनों वीडियो कैमरे एवं दोनों पावर बैंक का क्रय सीएलटीएसटीम हेतु किया गया। उल्लेखनीय है कि सीएलटीएसटीम द्वारा मात्र एक वीडियो कैमरा एवं एक पावर बैंक से कार्य सम्पादित किया जा सकता था जबकि अनावश्यक रूप से दो वीडियो कैमरे एवं दो पावर बैंक का क्रय कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। एक एचडीवीडियो कैमरा का कीमत रुपये 24960/- तथा एक पावर बैंक का कीमत रुपये 5984 कुल रुपये 30944 का क्रय अनावश्यक रूप से क्षेत्र पंचायत द्वारा करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

उल्लेखनीय है कि दोनों एचडीवीडियो कैमरे एवं दोनों पावर बैंक की प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत स्टाक रजिस्टर/डेड स्टाक रजिस्टर में नहीं किया गया है। दोनों एचडी वीडियो कैमरे एवं पावर बैंक को सीएलटीएसटीम का प्रदान किये जाने संबंधी विवरण/वितरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। कार्य समाप्ति के पश्चात दो एचडीवीडियो कैमरे एवं दोनों पावर बैंक को सीएलटीएसटीम से पावस प्राप्त कर क्षेत्र पंचायत में सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि समय पर एसबीएम जी को वापस लौटाया जा सके।

क्षेत्र पंचायत की एसबीएम जी अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष (2017-18) प्रमाणक संख्या 05 दिनांक 21.11.2017 से क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत दो दिवसीय राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण दिनांक 20.11.2017 से दिनांक 21.11.2017 पर प्रशिक्षण व्यय रुपये 60000/- का भुगतान चेक संख्या 417965 दिनांक 21.11.2017 से किया गया है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा संलग्न किये गये विवरण पत्र में उक्त दोनों तिथियों में प्रशिक्षण व्यय रुपये 30115/- दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

प्रथम दिवस दिनांक 20.11.2017

क्र० सं०	कार्यशाला का स्थान एवं दिनांक	विकास खण्ड	राजमिस्त्रियों की संख्या	नाश्तादर प्रति व्यक्ति	व्यय धनराशि	अन्य खर्च (लाउड स्पीकर डीजल फोटो आदि)	कुल योग
I	गांधी सभागार भलुअनी दिनांक 20.11.2017	भलुअनी	65	35	2275	925	3200
II	गांधी सभागार भलुअनी दिनांक 20.11.2017	भलुअनी	52	35	1820	925	2745
	कुल योग				4095	1850	5945

द्वितीय दिवस दिनांक 21.11.2017

क्र० सं०	कार्यशाला का स्थान एवं दिनांक	विकास खण्ड	राजमिस्त्रियों की संख्या	नाश्तादर प्रति व्यक्ति	व्यय धनराशि	अन्य खर्च (लाउड स्पीकर डीजल फोटो आदि)	कुल योग
III	कार्यशाला स्थान ग्राम पंचायत फुलवरिया पाण्डेय दिनांक 21.11.2017	भलुअनी	50	465	23250	920	24170
	कुल योग (I+II+III)						30115

अतः उक्त तिथियों में प्रशिक्षण व्यय रुपये 60000/-30115 अर्थात् रुपये 29885.00 का अधिक भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया। इसके प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

प्रथम दिवस दिनांक 20.11.2017 को विकास खण्ड भलुअनी के 65 राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण में नाश्ता पर व्यय 2275/- एवं अन्य व्यय (लाउडस्पीकर डीजल, फोटो आदि) पर रुपये 925/कुल रुपये 3200/- तथा विकास खण्ड बरहज के 52 राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण में नाश्ता पर व्यय 1820/- अन्य खर्च लाउड स्पीकर डीजल फोटो आदि पर रुपये 925/कुल रुपये 2745/- संलग्न विवरण पत्र में दर्शित

किया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में शिवम् मिष्ठान भण्डार, ज्ञान प्रकाश इण्टर कालेज के सामने मेन रोड भलुअनी के कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं, दिनांक 20.11.2017 से नाश्ता व्यय 117 व्यक्तियों का दर रुपये 35 प्रति व्यक्ति धनराशि 5945/- दर्शित किया गया है, कैश/क्रेडिट मेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये लेकिन प्रमाणक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सत्यापित किया गया है। इस प्रकार नाश्ता पर व्यय 5945-4095.1850 रुपये 1850/- अधिक किया जाना दर्शित किया गया तथा अन्य व्यय यथा लाउडस्पीकर, डीजल, फोटो रुपये 1850/- के प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

क्षेत्र पंचायत बरहज के 52 राज मिस्त्रियों के नाश्ता एवं अन्य खर्च पर व्यय रुपये 2745 का भुगतान क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा किया गया। क्षेत्र पंचायत बरहज के राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण में नाश्ता एवं अन्य खर्च रुपये 2745 का भुगतान क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा किये जाने संबंधी सक्षम अधिकारी के आदेश/भुगतान आदेश उपलब्ध नहीं रहा। उक्त दर्शित व्यय रुपये 2745/- क्षेत्र पंचायत वाहन द्वारा वहन किया जाना चाहिए था, जबकि क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा रुपये 2745/- का अनियमित भुगतान किया गया। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

द्वितीय दिवस प्रशिक्षण दिनांक 21.11.2017 से कार्यशाला स्थल ग्राम पंचायत फुलवरिया पाण्डेय में क्षेत्र पंचायत भलुअनी के 50 राज मिस्त्रियों को रुपये 465/- प्रति राज मिस्त्रियों कुल रुपये 23250/- तथा अन्य खर्च रुपये 920/कुल रुपये 24170/- का व्यय क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा दर्शित किया गया है। राज मिस्त्रियों को भुगतान रुपये 23250/- उनके बैंक खाते में नहीं करके नकद भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा दर्शित किया गया है जो कि अनियमित रहा। उक्त भुगतान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के आदेश/भुगतान आदेश उपलब्ध नहीं रहे। राज मिस्त्रियों से धनराशि प्राप्ति रसीद भी नहीं लिया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप में धनराशि प्राप्ति रसीद ली जानी चाहिए थी। उक्त के अभाव में क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त धनराशि रुपये 23250/- का भुगतान अनियमित रहा। अन्य व्यय रुपये 920/- की पुष्टि में मिष्ठान भण्डार भलुअनी, कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं, दिनांक 20.11.2017/21.11.2017 मिष्ठान यथा लड्डू, बर्फी, पानी, मिनरल वाटर पर व्यय रुपये 920/- का प्रमाणक संलग्न किया गया है। उक्त प्रमाणक पर बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं होने के कारण प्रमाणक संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत की एसबीएम जीअनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष (2017-18) में प्रमाणक संख्या 09 दिनांक 19.02.2018 से क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज मिस्त्रियों के दे दिवसीय प्रशिक्षण पर व्यय धनराशि रुपये 27000/- का भुगतान चेकस संख्या 417969 दिनांक 19.02.2018 से किया गया। उक्त प्रशिक्षण डीपीआरओके आदेश पत्रांक 3967/7-पं0/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/2016-17 दिनांक 22.01.2018 के क्रम में विकास खण्ड भलुअनी के राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण दिनांक 23.01.2018 को गांधी सभागार भलुअनी में हुआ जिसमें विकास खण्ड भलुअनी के 50 राज मिस्त्रियों के नाश्ता पर व्यय रुपये 2750/- तथा मजदूरी भुगतान रुपये 25000/- कुल धनराशि रुपये 27750/- का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा दर्शित किया गया है। विवरण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि द्वितीय दिवस दिनांक 24.01.2018 को 47 राज मिस्त्रियों की मजदूरी एवं भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायत लखना ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। प्रशिक्षण दिनांक 23.01.2018 को क्षेत्र पंचायत भलुअनी के 50 राज मिस्त्रियों को रुपये 500/- प्रतिदिन राज मिस्त्रियों की दर से मजदूरी भुगतान रुपये 25000/- संबंधी सक्षम प्राधिकारी के आदेश/भुगतान आदेश उपलब्ध नहीं रहे। क्षेत्र पंचायत द्वारा राज मिस्त्रियों को मजदूरी भुगतान उनके बैंक खाते में नहीं करके नकद किया जाना दर्शित किया गया है जो कि अनियमित रहा। राज मिस्त्रियों से ली गयी नकद धनराशि प्राप्ति रसीद भी उपलब्ध नहीं रहा। जबकि निर्धारित प्रारूप पर नकद धनराशि प्राप्ति रसीद ली जानी चाहिए थी। उक्त के अभाव में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज मिस्त्रियों को मजदूरी भुगतान रुपये 25000/- अनियमित रहा जिसके प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग कार्यक्रम हेतु विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय यथा टोपी, सीटी, टार्च,

बैनर क्रय इत्यादि पर व्यय रुपये 129500/- दर्शित कर भुगतान किया गया। क्षेत्र पंचायत एसबीएम जी पंजिका के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या/दिनांक	विवरण	चेक संख्या दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	01/12.05.17	ग्राम पंचायत में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग हेतु पांच दिवसीय कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी, टार्ज आदि क्रय हेतु भुगतान	417961 दि011.05.2017	14500.00
2.	03/12.07.17	ग्राम पंचायत में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग हेतु पांच दिवसीय कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी, टार्ज, बैनर आदि क्रय हेतु भुगतान	417963 दि012.05.2017	10000.00
3.	04/12.09.17	ग्राम पंचायत में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग हेतु पांच दिवसीय कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी एवं अन्य सामग्री पर व्यय का भुगतान	417964 दि008.09.2017	10000.00
4.	08/23.01.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग हेतु सामग्री क्रय हेतु भुगतान	417968 दि023.01.2018	20000.00
5.	10/06.03.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग हेतु सामग्री क्रय हेतु भुगतान	417970 दि0 26.02.18	45000.00
6.	11/13.03.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायत में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग कार्यक्रम हेतु टोपी, सीटी पर व्यय धनराशि का भुगतान	417971 दि0 28.02.18	30000.00
		कुल योग		129500.00

उपरोक्त सामग्री क्रय रुपये 129500/- हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है। सामग्री क्रय प्रमाणक एवं स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। ग्राम पंचायतों के प्री ट्रिगरिंग एवं द्वितीय ट्रिगरिंग कार्यक्रम हेतु सामग्री यथा टोपी, सीटी, टार्ज, बैनर इत्यादि वितरण संबंधी वितरण पंजिका/वितरण पत्र भी क्षेत्र पंचायत में लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उक्त के अभाव में उपरोक्त सामग्री क्रय पर क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया रुपये 129500/-का भुगतान अपुष्टित एवं अनियमित रहा। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए अन्यथा उक्त अनियमित भुगतान रुपये 129500/-के प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष (2017-18) में प्रमाणक संख्या 02/01.06.2017 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु राज मिस्त्रियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मजदूरी एवं भोजन हेतु भुगतान रुपये 35000/- चेक संख्या 417962/दिनांक 29.05.2017 से किया जाना दर्शित किया गया। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मजदूरी भुगतान प्रमाणक भोजन हेतु भुगतान प्रमाणक एवं अन्य दस्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। उक्त के अभाव में क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया रुपये 35000/- का भुगतान अपुष्टित एवं अनियमित रहा। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए अन्यथा उपरोक्त अनियमित भुगतान रुपये 35000/-के प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विवरण रहित व्यय रुपये 49822/-एसबीएम जीपंजिका में दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या/दिनांक	विवरण	व्यय की धनराशि
1.	10/06.08.2018	विवरण रहित व्यय	20000.00
2.	13/18.08.2018	विवरण रहित व्यय	29822.00
		योग	49822.00

उक्त दर्शित व्यय का विवरण का स्पष्ट उल्लेख एसबीएम जीपंजिका में नहीं किया गया है। उक्त दर्शित विवरण रहित व्यय रुपये 49822/- की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। अन्यथा उक्त अनियमित

भुगतान रुपये 49822/- के प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष (2018-19) में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के शौचालय निरीक्षण/स्वच्छता कार्यक्रम हेतु विभिन्न तिथियों में वाहन हेतु डीजल क्रय पर व्यय रुपये 85000/- दर्शित कर भुगतान किया गया है। क्षेत्र पंचायत एसबीएम जीपजिका के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है।

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या/दिनांक	व्यय का विवरण	चेक संख्या दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	02/05.05.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों के शौचालय निरीक्षण हेतु भ्रमण हेतु वाहन डीजल हेतु भुगतान	417973 दि 05.05.18	20000.00
2	06/25.06.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों के शौचालय के निरीक्षण/स्वच्छता हेतु वाहन डीजल हेतु भुगतान	417979 दि 25.06.18	5000.00
3.	07/25.06.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यक्रम एवं शौचालय के निरीक्षण हेतु वाहन डीजल हेतु भुगतान	417978 दि 25.06.18	20000.00
4.	09/04.08.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यक्रम एवं शौचालय के निरीक्षण हेतु वाहन डीजल हेतु भुगतान	417980 दि 04.04.18	20000.00
5.	12/18.08.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यक्रम एवं शौचालय के निरीक्षण हेतु वाहन डीजल के व्यय का भुगतान	568266 दि 18.08.18	20000.00
		कुल योग (क्रम संख्या 01 से क्रमा संख्या 05 तक का)		85000.00

फर्म का नाम—अरुणा फिलिंग स्टेशन, मेन रोड, भलुअनी देवरिया गाड़ी संख्या— यूपी52 क्यू7222 हेतु डीजल क्रय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	प्रमाणक सं० दिनांक	विक्रेता फर्म का/दिनांक बिल/कैशमेमो क्रमांक	डीजल की मात्रा	दर प्रति ली०	धनराशि
1.	06/25.06.18	15398/08.05.2018	73.55 लीटर	68	5000.00
2.	07/25.06.18	(i) 16225/31.05.18 (ii) 15433/12.06.18	191.66 लीटर 102.46 लीटर	68 68	13032.88 6967.12
3.	09/04.08.18	(i) 15452/30.06.18 (ii) 15453/17.07.18	150 लीटर 144.05 लीटर	68 68	10200.00 9800.00
4.	12/08.08.18	(i) 15469/31.07.18 (ii) 15479/17.08.18	117 लीटर 177.5 लीटर	68 68	7956.00 12044.00
5.	(i) 02/31.07.18 (ii) 02/05.05.18	(i) 15372/31.08.18 (ii) 2400/30.04.18	46.16 लीटर 248.25 लीटर	68 68	3138.88 16881.12

डीजल विक्रेता फर्म का नाम श्री साई ऑटोमोबाईस सिविल लाइन्स बरहज रोड, देवरिया बिल/कैशमेमो 2400 पर गाड़ी का नं० अंकित नहीं है। वाहन संख्या यूपी52 क्यू7222 का वाहन लागबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) निरीक्षणकर्ता अधिकारी का भ्रमण कार्यक्रम/यात्रा कार्यक्रम, निरीक्षण रिपोर्ट, भौतिक/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच संबंधी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। उक्त के अभाव में क्षेत्र पंचायत द्वारा वाहन हेतु डीजल क्रय रुपये 85000/- का भुगतान अपुष्टित एवं अनियमित रहा। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है अन्यथा इस अनियमितता के प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष (2018-19) में स्वच्छता भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग हेतु/निगरानी टीमों हेतु सीटी, टोपी, टार्च एवं अन्य सामानों पर व्यय

रूपये 55000/- दर्शित किया गया है। क्षेत्र पंचायत एसबीएम जीपंजिका के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या/दिनांक	व्यय का विवरण	चेक संख्या दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	04/23.05.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग हेतु सीटी, टार्च एवं अन्य सामग्रियों पर व्यय धनराशि का भुगतान	417975 दि० 23.5.18	30000.00
2	03/10.05.18	एसबीएम जीअन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी टीमों हेतु सीटी, टोपी, टार्च एवं अन्य सामानों पर व्यय का भुगतान	417974 दि० 10.05.18	25000.00
		कुल योग		55000.00

सामग्री क्रय प्रमाणकों के अनुसार सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है-

धनराशि रूपये में

क्रम संख्या	एसबीएम जीप्रमाणक संख्या/दिनांक	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म एवं बिल का विवरण	क्रय की गयी सामग्री	मात्रा	दर	कीमत
1.	प्रमाणक संख्या 4 दि० 03.05.18	अरविन्द खिलौना स्टोर, अंसारी रोड देवरिया बिल क्रमांक अंकित नहीं है। दिनांक 22.05.2018 बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।	टोपी टार्च सीटी	320 80 26.5 दर्जन	24 180 300 प्रति दर्जन	7680 14400 7920
		कुल योग				30000
2.	प्रमाणक संख्या 3 दि० 10.05.18	अरविन्द खिलौना स्टोर, अंसारी रोड देवरिया बिल क्रमांक अंकित नहीं है। दिनांक 09.05.2018 बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।	टोपी सफेद टार्च सीटी	305 75 14 दर्जन	23.93 180 30 दर्जन	7300 13500 4200
		कुल योग				25000
क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 02 तक का कुल योग						55000

सामग्री क्रय बिलो/कैशमेमो पर बिल क्रमांक/कैशमेमो क्रमांक नहीं पाया गया। बिल/कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। फर्म द्वारा जीएसटीभुगतान विवरणी बिल के साथ संलग्न नहीं किया गयी है। संस्था द्वारा आयकर एवं टैक्स कटौती नहीं किया गया है। सामग्री क्रय कीमत का भुगतान फर्मों के बैंक खाते में नहीं किया गया। सामग्री क्रय की कीमत का भुगतान नकद किया गया है। क्षेत्र पंचायत डेड स्टॉक रजिस्टर में सामग्री क्रय की प्रविष्टि नहीं की गयी है। सामग्री वितरण रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्री ट्रिगरिंग एवं ट्रिगरिंग कार्यक्रम हेतु सामग्री यथा टोपी, टार्च, सीटी इत्यादि क्रय पर रूपये 129500/- व्यय किया गया है। पुनः इसी मद में टोपी, टार्च, सीटी क्रय पर रूपये 55000/- का व्यय वर्ष (2018-19) में भी दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के औचित्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 25)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
29885.00	0.00	1704139.00	1734024.00

प्रस्तर संख्या- 85 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2017-18) में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये निम्न निर्माण कार्यो पर 956 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी रुपये 561100/-का क्रय किया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम एवं बिल का विवरण	मिट्टी क्रय का विवरण	मिट्टी की मात्रा	दर प्रति ट्रैक्टर ट्राली	क्रय कीमत	जीएसटी दर	जीएसटी व्यापार कर	आयकर	रायस्ती
1.	ग्राम पंचायत पकड़ी बरामद देवउवारी में पकड़ी बाजार से उमेश सिंह के खेत तक खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी दीनानाथ राय पद-एडीओ, (पंचायत)	(i) रामऔतार यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव ग्राम-शिवपुर, वि०ख०-भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं०-यूपी 52 एसी 2803 बिल तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	36000	---	---	807	
		(ii) अभिनाश पुत्र सूर्यनाथ ग्राम-शिवपुर, वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 53 एसी 5109	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	36000	---	---	807	
		(iii) अर्जुन यादव पुत्र सूर्य नाथ यादव, ग्राम-शिवपुर, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 53 एए 5403 (रसीद पर तिथि अंकित नहीं)	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	36000	---	---	807	
		(iv) रामसहाय तिवारी पुत्र श्री किशुन तिवारी, ग्राम नगवा, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52 एए 5503 (सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद जिस पर तिथि भी अंकित नहीं)	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	36000	---	---	807	

		है।)								
2.	ग्राम पंचायत पकड़ी बरामद देउवारी में पकड़ी बाजार से उमेश सिंह के खेत तक अवशेष माग्न पर मिट्टी खण्डजा निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय पद-एडीओ, (पंचायत)	(i) रामऔतार यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव ग्राम-शिवपुर, वि०ख०-भलुअनी ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी५ 2 एसी 2803 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	24 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	12000	---	---	269	
		(ii) अर्जुन पुत्र सूर्यनाथ ग्राम-शिवपुर, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी५ 2एए५४०३ (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	22 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	11000	---	---	247	
		(iii) श्री सूर्यनाथ ग्राम-शिवपुर, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी५ 3 एसी 5102 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	22 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	11000	---	---	247	
3.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में टोला भरौली में कमलेश के घर से अखिलेश के घर तक खण्डजा	(i) सदानन्द चौरसिया पुत्र श्री हीरा चौरसिया ग्राम-बरडीहा दल, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	36000	---	---	807	

	कार्य।	रजि०नं०-यूपी5 2 एम 4090 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)							
		(ii) सदानन्द चौरसिया पुत्र श्री हीरा चौरसिया ग्राम-बरडीहा दल, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी5 2 एएफ 6206 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	36000	---	---	807

		(iii) मुन्नीर अहमद पुत्र सफीउल्लाह, ग्राम-बारीडीह I दल, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52 एएफ5303 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	36000	---	---	807
		(iv) सान मुहम्मद पुत्र दिल्लू ग्राम-बारीडीह I दल, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर जि०नं०-यूपी 52 एजे6466 (बैगर तिथि के सादे	मिट्टी क्रय	60 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	36000	---	---	807

		कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)							
		(v) गुलाब पाण्डेय पुत्र भवानी दीन पाण्डेय, ग्राम-पाण्डेय पकड़ी वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52 एसी4878 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	73 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	43800	---	---	981
		(vi) जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम-नगवां, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52 एसी6531 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	70 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	42000	---	---	941
4.	ग्राम पंचायत लखना टोला भिखम चौरा में रामाश्रय के खेत से लखना पर सिया तक <u>मिट्टी/खण्ड</u> <u>डजा</u> कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र पद-सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	(i) मुन्नीर अहमद पुत्र सफीउल्लाह, ग्राम-बारीडीहा दल, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52 एएफ 5303 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति	मिट्टी क्रय	18 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	9000	5 प्रतिशत	429	202

		रसीद संलग्न है।)							
		(ii)सदानन्द चौरसिया पुत्र श्री हीरा चौरसिया ग्राम-बरडीहा दल, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52 एम 4090 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	18 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	9000	5 प्रतिशत	429	202
		(iii)ज्ञान मुहम्मद पुत्र छिल्लू मुहम्मद ग्राम-बरडीहा दल, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52 एजे 6466 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	21 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	10500	5 प्रतिशत	500	235
5.	ग्राम पंचायत बेहड़ा राजस्व ग्राम-फतेहपुर लेहड़ा में अमरनाथ तिवारी के घर शिवमंदिर तक मिट्टी खण्डजा कार्य।	(i)जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम-नगवां, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52 एसी 4873 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	59 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	35400	5 प्रतिशत	1686	793

		(ii)गुलाब पाण्डेय पुत्र भवानी दीन पाण्डेय, ग्राम-पाण्डेय पकड़ी वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52एसी4878 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	59 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	35400	5 प्रतिशत	1686	793
		(iii)अभिनाश पुत्र सूर्यनाथ ग्राम-शिवपुर, वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52एसी5109 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	30 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	18000	5 प्रतिशत	857	403
		(iv)रामऔतार यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव ग्राम-शिवपुर, वि०ख०-भलुअनी ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52एसी2803 बिल तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	30 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	18000	5 प्रतिशत	857	403
		(v)अर्जुन पुत्र सूर्यनाथ ग्राम-शिवपुर, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यूपी 52एए5403	मिट्टी क्रय	30 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	18000	5 प्रतिशत	857	403

		(बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)							
	क्रमांक 01 से क्रमांक 05 तक का कुल योग	योग	125 ट्रैक्टर टाली 831 ट्रैक्टर टाली	500 600	62500 498600		1358 5943	1402 11173	
		कुल योग	956 ट्रैक्टर टाली		561100		7301	12575	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में 125 ट्रैक्टर टाली मिट्टी रुपये 500/प्रतिशत ट्रैक्टर टाली की दर से रुपये 62500/- तथा 831 ट्रैक्टर टाली मिट्टी रुपये 600 प्रति ट्रैक्टर टाली की दर से रुपये 498600/- का क्रय किया गया। इस प्रकार 831 ट्रैक्टर टाली मिट्टी का क्रय रुपये 100 प्रति ट्रैक्टर टाली अधिक दर पर किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत द्वारा रुपये 83100 से अधिक भुगतान किया गया। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, संबंधित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में 956 ट्रैक्टर टाली मिट्टी क्रय कीमत रुपये 561100/- भुगतान किया गया जिसमें जीएसटी भुगतान का विवरण पत्र संलग्न नहीं किया गया। जिसमें उनके द्वारा किये गये जीएसटी भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों द्वारा जीएसटी भुगतान विवरणी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संस्था द्वारा मिट्टी क्रय पर मिट्टी आपूर्तिकर्ता की जीएसटी भुगतान रुपये 7301/- अनियमित रहा। संस्था द्वारा मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों से मिट्टी क्रय बिल से आयकर की कटौती रुपये 12575/- नहीं किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए था।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी का क्रय कीमत का भुगतान भूमि के मालिक अथवा मिट्टी देने वाले ट्रैक्टर मालिक के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है। किन भूमि मालिकों/किसानों की भूमि/खेतों से मिट्टी खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया है। इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय बिल भी उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय की पुष्टि में सादे कागज पर संदिग्ध हस्ताक्षर युक्त नकद धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है जिन पर दिनांक/भुगतान प्राप्ति तिथि भी अंकित नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में मिट्टी क्रय एवं क्रय कीमत भुगतान में अनियमितता की गयी है जिसकी उच्च स्तरीय जाँच करायी जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त मिट्टी क्रय कीमत रुपये 83100.00 से अधिक भुगतान के प्रति श्री अमरनाथ लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र बीडीओ, श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी बीडीओ, श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ, कार्य प्रभारी श्री दीनानाथ राय, एडीओ, पंचायत, कार्य प्रभारी श्री अवधेश एडीओ, कृषि उत्तरदायी है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 30)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
83100.00	0.00	0.00	83100.00

प्रस्तर संख्या- 86 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये निम्न निर्माण कार्यों पर 598 ट्रैक्टर टाली मिट्टी रुपये 351200/- का क्रय किया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम एवं बिल का विवरण	मिट्टी क्रय का विवरण	मिट्टी की मात्रा	दर प्रति ट्रैक्टर टाली	क्रय कीमत	जीएसटी दर	जीएसटी व्यापार कर	आयकर	रायन्टी
1.	ग्राम सभा बढ़या फुलवरिया पूरब जाने वाले पिच रोड से देवेन्द्र तिवारी के घर तक <u>मिट्टी / खण्डजा</u> निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र पद-एडीओ, (कृषि)	सदानन्द पुत्र श्री रामदेव ग्राम-शिवपुर, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि० नं०-यूपी 52 एपी 5708 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	34 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	17000	5 प्रतिशत	810	381	
2.	ग्राम सभा भलुअनी में महुई श्रीकान्त रोड से दक्षिण मिठठू यादव के आरा मशीन तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र पद-एडीओ, (कृषि)	रामप्रवेश गुप्ता पुत्र श्री लुटावन गुप्ता, ग्राम-ठाकुर देवा, देवरिया वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 53 एएन 8190 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	13 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	7800	5 प्रतिशत	371	175	
3.	ग्राम पंचायत रोहनी मठिया से सुभाष यादव के खेत में पंडित जीव बन्धन एवं रामबली त्रिपाठी	रामसहाय तिवारी पुत्र श्री रामकिशुन तिवारी, ग्राम-नगवा वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर	मिट्टी क्रय	25 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति टाली	12500	5 प्रतिशत	595	280	

	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री केदारनाथ कुशवाहा पद एडीओ, (आईएसबी)	रजि० नं० यूपी 52 एए 5503 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)								
4.	ग्राम सभा पटखौली में चन्द्रिका गुप्ता के घर से नवनाथ सिंह के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र पद एडीओ, (कृषि)	रामऔतार पुत्र श्री रामसेवक यादव, ग्राम-शिवपुर वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी52 एसी2803 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	14 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	8400	5 प्रतिशत	400	188	
5.	ग्राम सभा भलुअनी में गांधी चौक से पूरब बहोर धनौती रोड जानेवाली पिच रोड से उत्तर मुनीब मल्ल के घर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्रा पद-एडीओ, कृषि	जीतेन्द्र सागर पुत्र भीमत प्रसाद, ग्राम-ठाकुर देवरिया वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52 वाई 6032	मिट्टी क्रय	19 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	11400	5 प्रति शत	543	256	

6.	ग्राम सभा सोनाड़ी में मृत्युन्जय सिंह के खेत से उसरा टोला तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा पद—एडीओ, (आई. एस. बी.)	अभिनाश पुत्र श्री सूर्यनाथ, ग्राम—शिवपुर, वि०ख० भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52 एसी 5102 (बैगर तिथि के सादे कागज पर ली गयी धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	64 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	38400	5 प्रतिशत	1829	860	
7.	ग्राम सभा शिवधरिया में गांव से पूरब भलुअनी देवरिया पिच मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य।	(i)राम औतार यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव ग्राम—शिवपुर, वि०ख०—भलुअनी ट्रैक्टर रजि०नं०—यू पी 52 एसी 2803 (बैगर तिथि के सादे कागज पर ली गयी धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	73 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	43800	5 प्रतिशत	2086	981	
		(ii)जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम—नगवां, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०—यू पी 52 एसी 6531 (बैगर तिथि	मिट्टी क्रय	74 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	44400	5 प्रतिशत	2114	995	

		के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)								
		(iii) जीतेन्द्र सागर पुत्र भीमत प्रसाद,, ग्राम-ठाकुर देवरिया, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यू पी 52 वाई 6039 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	74 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	44400	5 प्रतिशत	2114	995	
8.	ग्राम सभा फतेहपुर टोला लेहड़ा में मेन रोड से श्रीराम यादव के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्र पद-एडीओ, कृषि	रामप्रवेश गुप्ता पुत्र श्री लुटावन गुप्ता, ग्राम-ठाकुर देवरिया, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०-यू पी 52 एएन 8190 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	49 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	29400	5 प्रतिशत	1400	659	
9.	ग्राम पंचायत लखना ग्राम-हरपुर में मेन रोड से रंजित कुशवाहा के घर तक मिट्ट खण्डजा	राम प्रवेश गुप्ता पुत्र श्री सुहावन गुप्ता, ग्राम-ठाकुर देवरिया वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर	मिट्टी क्रय	20 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	12000	5 प्रतिशत	571	269	

	मरम्मत कार्य। कार्य प्रभारी श्री केदारनाथ कुशवाहा एडीओ, (आईएसबी)	रजि0नं0-यू पी 52 एएम 8190 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)								
10.	ग्राम सभा शिवधरिया में राजेन्द्र कुशवाहा के घर से शिवमंदिर तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्य प्रभारी श्री अवधेश मिश्र पद-एडीओ, (आईएसबी)	जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम-नगवां, वि0ख0 भलुअनी, ट्रैक्टर रजि0नं0-यू पी 52 एसी 6531 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	17 ट्रैक्टर टाली	500 प्रति ट्राली	8500	5 प्रतिशत	405	191	
11.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में गिदही टोला मेन पिच रोड से सोनू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी-श्री अवधेश मिश्र, पद-स0वि0 अ0 (कृषि)	रामसेवक पुत्र स्वामीनाथ यादव ग्राम-नकदह फुलवरिया, वि0ख0-भ लुअनी ट्रैक्टर रजि0नं0-यू पी 52 ट्रैक्टर नं0 अपूर्ण अंकित है। बैगर तिथि के सादे कागज पर लिया गया धनरशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया	मिट्टी क्रय	39 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	23400	5 प्रतिशत	1114	524	

		है।								
12.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में गिदहा टोला मेन पिच रोड से सोनू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अवधेश मिश्र पद—एडीओ, कृषि	जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम—नगवां, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०—यू पी 52 एसी 6531 (बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	03 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	1800	5 प्रतिशत	86	40	
13.	ग्राम पंचायत पड़री मिश्र में चकरवा में रामबदन तिवारी के घर के पास चबूतरा निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी—श्री अवधेश मिश्र पद—स०वि० अ० (कृषि)	जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम—नगवां, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं० अंकित नहीं।(बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	01 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	600	5 प्रतिशत	29	12	
14.	ग्राम पंचायत कोरया में सुदामा प्रसाद के घर से राजदेव के खेत तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा पद—एडीओ, (आईएसबी)	रमेश यादव पुत्र रामजी यादव, लंगड़ा बाजार वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं०—यू पी 52 ट्रैक्टर रजि० अपूर्ण अंकित है। बैगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	63 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	37800	5 प्रतिशत	1800	846	

15.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में मानस पिच रोड से गोकर्न सिंह के भट्टे तक मिट्टी खण्डजा कार्य। कार्यप्रभारी—श्री केदारनाथ कुशवाहा पद—एडीओ, (आईएसबी)	जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम—नगवां, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि०नं० अंकित नहीं।(बैंगर तिथि के सादे कागज पर धन प्राप्ति रसीद संलग्न है।)	मिट्टी क्रय	16 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति टाली	9600	5 प्रतिशत	457	215	
			योग	76 ट्रैक्टर टाली 522 ट्रैक्टर टाली	500 600	38000 313200	5 प्रतिशत	1810 14914	852 7015	
	कुल योग (क्रमांक 01 से क्रमांक 15 तक)			598		351200		16724	7867	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में वर्ष (2018-19) में 76 ट्रैक्टर ट्रॉली की दर से रुपये 38000 तथा 522 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी रुपये 600 प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली की दर से रुपये 313200 का क्रय किया गया। इस प्रकार 522 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का क्रय रुपये 100/- प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली अधिक दर पर किया गया, जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा रुपये रुपये 52200/- का अधिक भुगतान किया गया। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन लेखाकार, संबंधित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ग्राम सभा शिवधरिया में गांव से पूरब भलुअनी देवरिया पिच मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी क्रय श्री रामऔतार पुत्र श्री रामसेवक, ग्राम—शिवपुर वि०ख० भलुअनी (ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी52 एसी 803) से 73 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी रुपये 600 प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली की दर से रुपये 43800/- का किया गया जबकि मिट्टी क्रय कीमत का भुगतान रुपये 75000/- दर्शित किया गया। इस प्रकार मिट्टी क्रय कीमत रुपये 31200/- अधिक भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, संबंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में 598 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी क्रय कीमत रुपये 351200/- भुगतान किया गया जिसमें जीएसटीरुपये 16724/- भी सम्मिलित है। मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों द्वारा संबंधित जीएसटीभुगतान का विवरण पत्र संलग्न नहीं किया गया जिसमें उनके द्वारा किये गये जीएसटीभुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों द्वारा जीएसटीभुगतान विवरणी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संस्था द्वारा मिट्टी क्रय पर जीएसटीभुगतान रुपये 16724/- अनियमित रहा। संस्था द्वारा मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों से मिट्टी क्रय बिल से आयकर कटौती रुपये 7867/- नहीं किया गया है जो कि किया जाना चाहिए था।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी क्रय कीमत का भुगतान भूमि के मालिक अथवा मिट्टी ढोनेवाले ट्रैक्टर मालिक के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है, जो कि अनियमित है। किन भूमि मालिकों/किसानों की भूमि/खेतों से मिट्टी खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया है, इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय की पुष्टि में सादे कागज पर संदिग्ध हस्ताक्षर युक्त नकद धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है, जिन पर

दिनांक/भुगतान तिथि भी अंकित नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में मिट्टी क्रय एवं क्रय कीमत भुगतान में अनियमितता की गयी है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करायर जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त मिट्टी क्रय कीमत रुपये 52200/-से अधिक भुगतान के प्रति श्री अमरनाथ प्रसाद लेखाकार, श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ, श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय बीडीओ एवं संबंधित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 31)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
52200.00	0.00	0.00	52200.00

प्रस्तर संख्या-87 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में मनरेगा मनरेगा अन्तर्गत कराये गये निम्न निर्माण कार्यो पर वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में कुल 1138 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी रुपये 674500/-का क्रय किया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम एवं बिल का विवरण	मिट्टी क्रय का विवरण	मिट्टी की मात्रा	दर प्रति ट्रैक्टर ट्राली	क्रय कीमत	जीएस टी दर	जीएसटी व्यापार कर	आयकर	रायस्ती
1.	ग्राम कोरया पिच मार्ग से बढ़या फुलवरिया सिवान तक जाने वाली सड़क बीच नाले पर पुलिया निर्माण कार्य।	जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम-नगवां, वि०ख० भलुअनी, ट्रैक्टर रजि० नं० अपूर्ण अंकित है। (ट्रैक्टर रजि नं० यूपी५२एसी)। धनराशि प्राप्ति रसीद सादे कागज पर लिया गया है। दिनांक 28.05. 2017	मिट्टी क्रय	182 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	109200			2446	
2.	ग्राम सभा बॉरीपुर मे बांदीपुर से ठाकुर देवरिया जाने वाले सम्पर्क मार्ग के बीच पुलिया निर्माण कार्य।	रमेश यादव पुत्र. श्री रामजीत यादव ग्राम-लंगड़ा बाजार वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी 52 एई 1179 (बिल के रूप में सादे कागज पर लिया गया धनराशि प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है। जिस पर तिथि अंकित नहीं है।	मिट्टी क्रय	83 ट्रैक्टर ट्राली	500 प्रति ट्राली	41500	5 प्रतिशत	1976	930	
3.	ग्राम सभा फतेहपुर में	रमेश यादव पुत्र. श्री रामजीत यादव	मिट्टी क्रय	219 ट्रैक्टर ट्राली	600 प्रति ट्राली	131400	5 प्रतिशत	6257	2943	

	शिवमंदिर से रामनगर रोड पर पुलिया निर्माण कार्य।	ग्राम-लंगड़ा बाजार वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० अंकित नहीं) बगैर तिथि के सादे कागज पर लिये गये धन प्राप्ति रसीद पर धन प्राप्तकर्ता/वि क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।								
4.	ग्राम सभा बहादुर पुर देवरिया सलेमपुर मेन रोड से पूरब खुखुन्दू शिवमंदिर जाने वाली रोड पर पुलिया निर्माण। कार्यप्रभारी श्री सुवाष प्रसाद पद-ग्राम पंचायत अधिकारी	रमेश यादव पुत्र श्री रामजीत यादव ग्राम-लंगड़ा बाजार वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० अंकित नहीं) बगैर तिथि के सादे कागज पर लिये गये धन प्राप्ति रसीद पर धन प्राप्तकर्ता/वि क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।	मिट्टी क्रय	179 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	107400	5 प्रतिशत	5114	2406	
5.	ग्राम सभा तरकुलहा में बरहज देवरिया पिच मार्ग से तरकुलवा गांव जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण। कार्य प्रभारी श्री सुवाष प्रसाद पद-ग्राम पंचायत अधिकारी	रमेश यादव पुत्र श्री दुर्बल ग्राम-नगवां वि०खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि० नं० यूपी52 एसीट्रैक्टर रजि नं० अपूर्ण अंकित नहीं) बगैर तिथि के सादे कागज पर लिये गये धन प्राप्ति रसीद पर धन प्राप्तकर्ता/वि क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।	मिट्टी क्रय	67 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	40200	5 प्रतिशत	1914	901	

6.	ग्राम पंचायत फतेहपुर में टौली रोड सुसम्ही अभयापुर ठाकुर देवा रोड को जाने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य। कार्य प्रभारी श्री अरूण कुमार सिंह पद—ग्रा0 प0अ0	रमेश यादव पुत्र श्री रामजीत यादव ग्राम—लंगड़ा बाजार वि0खि भलुअनी ट्रैक्टर रजि0 नं0 यूपी 52 एसी ट्रैक्टर रजि नं0 अपूर्ण अंकित नहीं) बगैर तिथि के सादे कागज पर लिये गये धन प्राप्ति रसीद पर धन प्राप्तकर्ता/वि क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।	मिट्टी क्रय	211 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	126600	5 प्रतिशत	6029	2836	
7.	ग्राम सभा बरडीहा चन्दन से करमटार गंगा को जोड़ने वाली सड़क में कुर्नानाला पर पुलिया निर्माण। कार्य प्रभारी श्री सुवाष प्रसाद पद—ग्रा0पं 0अ0	जलेसर प्रजापति पुत्र श्री दुर्बल,, ग्राम—नगवां, वि0ख0 भलुअनी, ट्रैक्टर रजि0नं0 अपूर्ण अंकित है। (ट्रैक्टर रजि नं0 यूपी52 एसी)। धनराशि प्राप्ति रसीद सादे कागज पर लिया गया है। दिनांक 27. 05.2018	मिट्टी क्रय	197 ट्रैक्टर टाली	600 प्रति ट्राली	118200	5 प्रतिशत	5629	2648	
	01 से क्रमांक 07 तक का कुल योग		योग	83 ट्राली 105 ट्राली	500 600	41500 633000	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	1976 24943	930 14180	
			कुल योग	1138 ट्राली		674500	5 प्रतिशत	26919	15110	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा मनरेगा मनरेगा अन्तर्गत वर्ष (2017–18) एवं वर्ष (2018–19) में कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में 83 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी रुपये 500 प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली की दर से रुपये 41500/— तथा 1055 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी रुपये 600 प्रति ट्रैक्टर ट्राली की दर से रुपये 633000/— का क्रय किया गया। इस प्रकार 1055 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी का क्रय रुपये 100 प्रति ट्रैक्टर ट्राली अधिक दर से किया गया, जिससे क्षेत्र पंचायत द्वारा रुपये 105500/— से

अधिक भुगतान किया गया। इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी संबंधित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा मनरेगा मनरेगा अन्तर्गत वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में 1138 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी क्रय कीमत रुपये 674500 का भुगतान किया गया, जिसमें जीएसटीरुपये 26919/- भी सम्मिलित है। मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों द्वारा संबंधित जीएसटीभुगतान का विवरण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों द्वारा जीएसटीभुगतान विवरणी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संस्था द्वारा मिट्टी क्रय कर मिट्टी आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटीभुगतान रुपये 261919/- अनियमित रहा। संस्था द्वारा मिट्टी आपूर्तिकर्ता फर्मों/ठेकेदारों से मिट्टी क्रय बिल से आयकर की कटौती रुपये 15110/- नहीं किया गया है, जबकि आयकर कटौती की जानी चाहिए थी।

क्षेत्र पंचायत भलुअनी द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी क्रय कीमत का भुगतान भूमि के मालिक अथवा मिट्टी ढोनेवाले ट्रैक्टर मालिक के बैंक खाते में नहीं करके संबंधित कार्य प्रभारी को किया गया है जो कि अनियमित है। किन भूमि मालिकों/किसानों की भूमि/खेतों से मिट्टी खननकर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया है। इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी क्रय की पुष्टि में सारे कागज पर संदिग्ध हस्ताक्षर युक्त नकद धनराशि प्राप्ति संलग्न किया गया है, जिन पर दिनांक/भुगतान प्राप्ति तिथि भी अंकित नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में मिट्टी क्रय एवं क्रय कीमत भुगतान में अनियमितता की गयी है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच करायी जानी अपेक्षित है।

मनरेगा मनरेगा अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में ठेकेदारों का प्रवेश एवं ट्रैक्टर तथा मशीनों का उपयोग वर्जित है, जबकि मनरेगा अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों में ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, जो कि मनरेगा मनरेगा कार्यों के दिशा निर्देशों/सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः क्षेत्र पंचायत द्वारा मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना किया गया। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

उपरोक्त मिट्टी क्रय कीमत रुपये 105500/-से अधिक भुगतान के प्रति श्री अमरनाथ प्रसाद लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र बीडीओ, श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी बीडीओ, श्री कृष्ण पाण्डेय बीडीओ एवं तत्काली ए0पी0ओ0 उत्तरदायी है से ब्याज सहित बराबर बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0 32

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
105500.00	0.00	0.00	105500.00

प्रस्तर संख्या- 88 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष (2017-18) में निम्न मदों में रुपये 206551 /- व्यय दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	व्यय का विवरण/मद	कुल व्यय
1.	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	98995/-
2.	पीएमएवाई (जी) कन्टीजेन्सी	89365/-
3.	क्षेत्र पंचायत जमानत धनराशि	18191/-
	योग	206551/-

उपरोक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं संबंधित दस्तावेज/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं संबंधित दस्तावेज/पत्रावली प्रस्तुत कर उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्री अमरनाथ प्रसाद लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र बीडीओ श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी बीडीओ, श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
206551.00	0.00	00	206551.00

प्रस्तर संख्या— 89 क्षेत्र पंचायत भलुअनी में अनुदान पंजिका के अनुसार राज्य वित्त योजना मद में वर्ष (2017-18) में रुपये 4939415/- तथा वर्ष (2018-19) में रुपये 4554984/-कुल रुपये 9494399/-व्यय दर्शित किया गया, लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2017-18) एवं वर्ष (2018-19) में राज्य वित्त आयोग योजना मद में व्यय के मात्र रुपये 7574387/- के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार इस मद में दर्शित व्यय रुपये 1920012/- के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त व्यय में संबंधित प्रमाणक एवं संबंधित दस्तावेज/पत्रावली प्रस्तुत कर उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त के प्रति श्री अमरनाथ लेखाकार, श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, बीडीओ, श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी बीडीओ, श्री रामजीत प्रसाद बीडीओ, श्री श्रीकृष्ण पाण्डेय बीडीओ, उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1920012.00	0.00	.00	1920012.00

प्रारूप 03

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

जनपद का नाम —गोरखपुर

मण्डल का नाम — गोरखपुर

2.1 —क्षेत्र पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

क्षेत्र पंचायत—गगहाजनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०-01 मनरेगा मद से वर्ष — 2011-2012 एवं 2012-13 में निम्न कार्यों पर मिट्टी एवं खड्जा कार्य हेतु बिना मजदूरी भुगतान किये ही मात्र ईट क्रय हेतु फर्म— अशोक ब्रिक्स कम्पनी महुराई गोरखपुर को चेक से भुगतान करके तथा खड्जा कार्य न कराकर कुल रु० 867000/- के ईटों का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है। **विवरण निम्न है।**

क्र०सं०	कार्य का नाम	चेक सं० तिथि	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	कार्य प्रभारी का नाम व पद
1.	नरायनपुर खुर्द में गौरखास डिहलूआ चौराहा से भीखम पट्टी तक मिट्टी व खड्जा कार्य	360721 12 - 10 - 011	108514.00 +2486 =टीडीएस 111000.00	अशोकविक्रस कं० महुराई गोरखपुर+आय कर विभाग	श्री अरुण कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी (ग्रा०विकास अधिकारी)
2.	ग्रा० पंचायत अतायर में गनगरी पुलिया से गड़ही तक मिट्टी व खड्जा कार्य	361593 29 - 5 - 012	336000.00	अशोकविक्रस कं० महुराई गोरखपुर+आय कर विभाग	श्रीमारकन्देय पाण्डेय कार्यप्रभारी (ग्रा०पंचायत अधिकारी)
3.	ग्रा० पंचायत अतायर में जे०पी० राय के खेत से गनगरी पुलिया तक मिट्टी व खड्जा कार्य	361595 29 - 5 - 012	420000.00	उपरोक्त फर्म+आयकर	श्रीमारकन्देय पाण्डेयकार्य प्रभारी (ग्रा०पंचायत अधिकारी)
		योग—रु०	867000.00	—	—

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

(i). उपरोक्त तीनों परियोजनाएं मनरेगा मद पर आधारित है। परन्तु उक्त परियोजनाओं पर बिना मिट्टी कार्य कराये ही अथवा खड्जा निर्माण हेतु बिना मजदूरी भुगतान किये ही फर्म—अशोक ब्रिक्स कम्पनी महुराई से आवश्यक ईट क्रय करके भुगतान किया गया है।

(ii) ईट क्रय एवं भुगतान हेतु संस्तुति कार्य प्रभारियों द्वारा की गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त परियोजनाओं पर ईट क्रय किया गया है।

(iii) लेखा परीक्षा में ईटों की आपूर्ति हेतु टेण्डर पत्रावली एवं आपूर्ति आदेश जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iv) लेखा परीक्षा में उक्त परियोजनाओं की माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं होती है।

(v) लेखा परीक्षा के दौरान सहायक लेखाकार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्यों पर विवाद होने के कारण बाद में श्रमदान से गांव वालों द्वारा कार्य कराया गया। परन्तु इकाई का कथन मान्य नहीं है। अतः उपरोक्त कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जिससे सिद्ध होता है कि उक्त रु० 867000 का ईट स्टॉक का क्रय करके उक्त ईटों का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश सिंह यादव एवं सहायक लेखाकार श्री राधेरमण यादव एवं कार्यप्रभारी श्री अरूण कुमार पाण्डेय तथा श्री मारकण्डे पाण्डेय से रु० 867000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	866504.00	866504.00

प्रस्तर सं०-02 विकास खण्ड कार्यालय गगहा में गैराज निर्माण हेतु कुल रु० 174191.00 व्यय किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं।

(i) उक्त कार्य हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(ii) उक्त कार्य हेतु दिनांक 09.07.2011 को 100 बोरी सीमेण्ट बिना कोटेशन के रु० 27000.00 में फर्म चन्द्र मशीनरी स्टोरस एवं बिल्डिंग मटेरियल गगहा से क्रय किया गया है जो अनियमित है।

(iii) सामग्रीयों का क्रय हेतु आपूर्तिआदेश जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iv) क्रय किये गये सामग्रीयों का स्टॉक बुक, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं परिसम्पति रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य की नियमानुसार पुष्टि नहीं होती है। अतः उपरोक्त कार्य अनियमित तरीके से कराकर कुल रु० 174191.00 की राजकीय धन को क्षति पहुँचायी गयी है अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकरन पाल, सहायक लेखाकार श्री राधेरमण यादव एवं कार्यप्रभारी श्री गंगेश शुक्ल से रु० 174191.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	174191.00	174191.00

प्रस्तर सं०-03 एन०एच० 29 से ब्लाक मुख्यालय तक सड़क मरम्मत कार्य (लेपन) हेतु कुल रु० 203153.00 व्यय के सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं।

(i) उक्त लेपन / मरम्मत कार्य में नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(ii) नियमानुसार सामग्री की आपूर्ति तथा मजदूरी व्यय का प्राकलन अलग-अलग तैयार किया जाना चाहिए तथा सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर प्रक्रिया एवं मजदूरी व्यय हेतु कार्यप्रभारी के द्वारा मस्टररोल के द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके धनराज एसोसियट के माध्यम से समस्त कार्य व व्यय किया जाना दर्शा कर भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

(iii) लोक निर्माण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1408/23/03.07.62 (जनरल)108 टी०सी० दिनांक 8 मई 2009 के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रयुक्त विटुमिन के सापेक्ष मथुरा रिफाइनरी की मूल इनवाइस भुगतान के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मूल इनवाइस लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण कार्य में गम्भीर अनियमितता परिलक्षित होती है।

(iv) उक्त कार्य की माप पुस्तिका, स्टॉक बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं परिसम्पति रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त से सिद्ध होता है कि उक्त कार्य हेतु कुल रु० 203153.00 अनियमित तरीके से व्यय किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकरन पाल, सहायक लेखाकार श्री राधेरमण यादव एवं कार्यप्रभारी श्री गंगेश शुक्ल से रु० 203153.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	203153.00	203153.00

प्रस्तर सं०-04 हाटा बरवल पिचरोड से दुर्ग विजय के भटदे व अनु० बस्ती तक सड़क लेपन कार्य हेतु क्षेत्रपंचायत द्वारा कुल रु० 922605 व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं।

- (i) उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
- (ii) उक्त कार्य की माप पुस्तिका,स्टाकबुक, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) कार्य प्रभारी के रूप में क्षेत्र पंचायत में कार्यरत जे०ई० जिसके द्वारा प्राकलन एवं कार्य की माप कराई जाती हैं उसी को कार्यप्रभारी बनाया गया है जो अनियमित है।

उपरोक्त आपत्ति से सिद्ध होता है कि उपरोक्त कार्य अनियमित तरीके से कराकर कुल रु० 922605 अनियमित व्यय किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश सिंह यादव, सहायक लेखाकार श्री राधेरमण यादव एवं कार्यप्रभारी श्री सचिन्द्र सिंह (अवर अभियन्ता) से कुल रु० 922605.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	922605.00	922605.00

प्रस्तर सं०-05 अनुदान पंजिका में बैंक खातों से प्राप्त ब्याज मद में दिनांक 01.04.2016 को प्रारम्भिक शेष रु 773283.00 रहा। वर्ष 2016-17 में इस मद में कुल रु० 277033.00 आय प्राप्त हुई। जिसमें से वर्ष में मात्र रु० 184.00 चेक कलेक्सन के रूप में व्यय हुआ। तथा 31.03.17 को अवशेष रु० 1050132.00 रहा। उक्त ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को जिला मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेजा जाना है। जिसे न भेजकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। अतः उक्त कुल शेष धनराशि को शासन को भेजा जाना चाहिए। उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश सिंह यादव, सहायक लेखाकार श्री राधेरमण यादवके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1050132.00	1050132.00

प्रस्तर सं०-06 क्षेत्र पंचायत गगहा वर्ष 2014-15 में निम्न कार्य कराना दर्शाकर सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय हेतु भुगतान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्नविवरण के अनुसार गम्भीर आपत्तियाँ हैं।

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री क्रय	मजदूरी	योग
1.	विकास खण्डमेंरंगाईपुताई म०	230093.00	—	230093.00
2.	करोदीमेंपिचरोडसेरामदरश के घरतकमिट्टी खडंजा	165300.00	54102.00	219312.00
3.	लोहरापारपिचरोडसेमुन्नरप्रसार के घरतकमिट्टी खडंजाकार्य	436596.00	150040.00	586639.00
4.	ठठौलीटेकुआमाधोपिचरोडसेश्रवण सिंह के घरतक सी०सी० रोड	254437.00	34672.00	289109.00
5.	हाटामेंपिचरोडसेकमरुद्दीन के घरतकमिट्टी खडंजा	199587.00	62096.00	261683.00
6.	पिछौरामेंरोड के पाससेरणजीत सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग	401008.00	74704.00	475712.00
7.	जमीनभीटीमेंदलिवस्तीमेंनालीनिर्माण (तेरहवां वित्त)	221410.00	39228.00	26038.00
	योग	1908377.00	414752.00	2323129.00

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं।

- (i) टेन्डर पत्रावली के अनुसार टेन्डर प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नहीं किया गया है।
- (ii) कम से कम तीन अखबारों में विज्ञापन नहीं किया गया है।
- (iii) निविदामूल्य रु० 100.00 प्राप्त कर क्षेत्रपंचायत में जमा नहीं कराया गया है।
- (iv) जमानत राशि प्राप्त नहीं की गयी है।
- (v) उक्तकार्यों की पत्रावली में संलग्न सामग्री क्रय का बाउचर राजकीय मानक युक्त नहीं है।
- (vi) लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों का माप पुस्तिका स्टोक बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे उक्त कार्य एवं व्यय अपुष्टि है। उपरोक्त गम्भीर आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य नियमानुसार नहीं कराया गया

है। जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश सिंह यादव, सहायक लेखाकार श्री राधेरमण यादव एवं कार्यप्रभारी श्री सचिन्द्र सिंह (अवर अभियन्ता) से कुल रु० 2323129.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	2323129.00	2323129.00

क्षेत्र पंचायत –सरदार नगरजनपद–गोरखपुर

प्रस्तर सं०-07 ऑडिट वर्ष के दौरान राज्य वित्त बारहवां, तेरहवां वित्त से प्राप्त ब्याज वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल रु० 296267.00 में से रु० 153636.00 चेक सं० 827900 दि० 25.06.2013 एवं रु० 51412.00 चेक सं० 647322 दि० 19.07.2013 कुल रु० 205048.00 जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर को वापस किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10 (33) 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार राजकीय अनुदान पर प्राप्त ब्याज को उसे संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी गयी है। अतः उक्त धन रु० 205048.00 को राजकीय कोषागार के लेखा शीर्षक-0515 अन्य ग्रामीण, 00-विकास कार्यक्रम, 0800-अन्य प्राप्तियां, 01-सामुदायिक विकास योजनाओं की प्राप्तियां, 02-अन्य प्राप्तियों के मद में जमा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है, इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री हरिश्चन्द्र वर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिचरन सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	205048.00	205048.00

प्रस्तर सं०-08 आडिट वर्ष के दौरान राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग मद से प्राप्त ब्याज रु० 316665.00 को चेक सं० 979134 दि० 16.06.2014 रु० 90736.00, चेक सं० 799149 दि० 11.08.14 रु० 101763.00 एवं चेक सं० 257287 दि० 30.01.2015 रु० 89531.00 तथा चेक सं० 922076 दि० 29.07.15 रु० 34635.00 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर को वापस किया गया ग्रांट रजि० में दर्शित है। इस सम्यवहार की पुष्टि जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से भी नहीं करायी गयी है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10 (33) 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार राजकीय अनुदान पर प्राप्त ब्याज को उसे संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी गयी है। अतः उक्त धन रु० 316665.00 को राजकीय कोषागार के लेखा शीर्षक-0515 अन्य ग्रामीण, 00-विकास कार्यक्रम, 0800-अन्य प्राप्तियां, 01-सामुदायिक विकास योजनाओं की प्राप्तियां, 02-अन्य प्राप्तियों के मद में जमा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है, इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री सुदर्शन वरिष्ठ लेखाकर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुदामा प्रसाद सिंह एवं श्री सत्य नरायन वर्मा जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	316665.00	316665.00

क्षेत्र पंचायत –ब्रम्हपुरजनपद–गोरखपुर

प्रस्तर सं०-09 आडिट वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.12 को ग्रांट रजि०-तृतीय के अनुसार राज्य वित्त एवं 12वें / 13वें वि० आयोग का रु० 1662434.00 अवशेष था। उक्त निधियों के बैंक खाते के अनुसार रु० 554951.00 अवशेष था। यह धनराशि रु० 554951.00 दिनांक 01.04.12 को ग्रांट रजि०-तृतीय में भी दर्ज की गयी है। इस प्रकार ग्रांट रजि० तृतीय एवं बैंक के खाते के अनुसार रु० 1107483.00 का अन्तर रहा। ग्रांट रजि० तृतीय के वर्ष 2011-12 के आय में अचानक वृद्धि दर्ज की गयी है। जो कि अप्रत्याशित है तथा यह वृद्धि लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये वही खातों एवं लेखा नियमों के विपरीत है। जिसकी पुष्टि संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस अन्तर का दुरुपयोग इसी वर्ष 2011-12 में ही कर दिया गया है। अर्थात् 31.03.13 में ग्रांट रजि० तृतीय एवं बैंक खाते के मध्य अन्तर नहीं रहा, जो कुछ भी अन्तर रहा उसे समायोजन उपरान्त शून्य कर दिया गया है।

इस प्रकार रु० 1107483.00 अन्तर का लेखा नियमों के विपरीत प्रविष्टि कर गंभीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके दुरुपयोग/दुर्विनियोग की प्रबल पुष्टि होती है। लेखा परीक्षा में आय एवं व्यय में वृद्धि सम्बन्धी विवरण भी नहीं दिया गया। साथ ही इसके औचित्य को भी स्पष्ट नहीं किया गया। उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1107483.00	1107483.00

प्रस्तर सं०-10 आडिट वर्ष के दौरान राज्य/वित्त/12वें एवं 13वें वित्त आयोग के प्राप्त व्याज रु0 584567.00 को दिनांक 12.03.2013 के चेक सं०-29651 से जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर को वापस किया गया है। जबकि शासनादेश सं०-ए-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार राजकीय अनुदान पर प्राप्त व्याज को उस संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी गयी है। अतः उक्त धनराशि रु0 584567.00 को राजकीय कोषागार केलेखा शीर्षक-0515-अन्य ग्रामीण, 00-विकास कार्यक्रम, 0800-अन्य प्राप्तियां, 01-सामुदायिक विकास योजनाओं की प्राप्तियां, 02-अन्य प्राप्तियों के मद में जमा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री जय प्रकाश यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिचरण सिंह जिम्मेदार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	584567.00	584567.00

प्रस्तर सं०-11 गत आडिट वर्षों के दौरान ब्याज रु0 141793.00 दिनांक 31.03.14 तक, अवशेष रु0 232534.00 वर्ष 2014-15 में एवं रु0 84804.00 वर्ष 2015-16 में तथा रु0 258115.00 वर्ष 2016-17 में खाता सं०-21639555338 में कुल रु0 717246.00 बैंक में ब्याज की प्राप्ति रही। रु0 810.00 ब्याज मद से विविध खर्च का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ब्याज में 31.03.17 को रु0 716436.00 अवशेष रहा, जिसे राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए था। शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार राजकीय अनुदान पर प्राप्त ब्याज को उसे संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी गयी है। खाते में प्राप्त समस्त ब्याज को 0515-अन्य ग्रामीण, 00-विकास कार्यक्रम, 0800-अन्य प्राप्तियां, 01-सामुदायिक विकास योजनाओं की प्राप्तियां, 02-अन्य प्राप्तियां शीर्षक अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना था। कोषागार में ब्याज जमा से संबंधित कोई भी प्रपत्र व विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	716436.00	716436.00

प्रस्तर सं०-12 दिनांक 09.02.17 को चेक सं०-011490 द्वारा रु0 60518.00 आयकर अधिकारी गोरखपुर को वापस किया गया है। जिसमें रु0 21155.00, वी0आर0जी0एफ0 मद से आयकर, आयकर विभाग को जमा की जानी थी। जिसके लिए चेक सं०-029811 दिनांक 13.06.15 निर्गत था। परन्तु यह चेक दिनांक 08.02.17 तक वी0आर0जी0एफ0 मद से आहरित न रहा। उक्त भुगतानित वी0आर0जी0एफ0 चेक 029811 दिनांक 13.06.15 की धनराशि रु0 21155.00, राज्य वित्त तेरहवें वित्त के खाता सं०-21639555338 से चेक सं०-011490 दिनांक 09.02.17 को रु0 60518.00 में शामिल कर आयकर विभाग में जमा किया गया।

इस प्रकार रु0 21155.00 राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से भुगतान कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	21155.00	21155.00

क्षेत्र पंचायत- बड़हल गंजजनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-13 वर्ष 2011-12 में रु0 1930541.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,निर्माण पत्रावली, अनुदान रजि0, बजट रजि0, कार्य रजि0,एम0बी0 बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजि0,परिसम्पत्ति पंजिका,मानदेयरजि0, स्टाक रजि0लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न

किया जाना उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेशराम एवं लेखाकार श्री बेचू प्रसाद गुप्ता का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेशराम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1930541.00	0.00	1930541.00

प्रस्तर सं०-14 वर्ष 2012-13 में रू० 3928063.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, अनुदान रजि०, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेशराम एवं लेखाकार श्री बेचू प्रसाद गुप्ता का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेशराम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3928063.00	0.00	3928063.00

प्रस्तर सं०-15 वर्ष 2013-14 में रू० 2831529.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, अनुदान रजि०, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेशराम एवं लेखाकार श्री बेचू प्रसाद गुप्ता का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेशराम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2831529.00	0.00	2831529.00

प्रस्तर सं०-16

(क) **उपलब्ध धन के सम्बन्ध में** :- इस मद में दिनांक 01.04.14 को प्रारम्भिक अवशेष रू० 588171.00 रहा। वर्ष 2014-15 में इस मद में रू० 1269462.00 आय प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष वर्ष 2014-15 में इस मद में रू० 4324359.00 व्यय के पश्चात् 31.03.15 को रू० 2833274.00 शेष राह। वर्ष 2015-16 में इस मद में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। जबकि वर्ष में रू० 4726187.00 व्यय के पश्चात् 31.03.16 को इस मद में रू० 1892913.00 रहा। पुनः वर्ष 2016-17 में आय शून्य रहा जबकि वर्ष में रू० 1550475.00 व्यय करने के बाद दिनांक 31.03.17 को इस मद में अवशेष रू० 3443388.00 हो गया। जबकि क्षेत्राचार्य में अनुदान पुजिका (iii) न बनाकर तथा अनुदान पंजिका (ii) में प्राप्त आय तथा निर्गत चेको के बाद अवशेष धन

अंकित करके राज्यवित्त मद की धनराशि को 13वां वित्त मद में संक्रीत करके व्यय किया गया है। चूकी राज्यवित्त तथा 13 वां वित्त मद का मात्र एक ही बैंक खाता सं० 1186 है। तथा अनुदान पंजिका नियमानुसार तैयार न करके राज्यवित्त का धन रु० 3443388.00 31.03.17 तक 13वां वित्त मद में हस्तान्तरण करके व्यय किया गया है। इसके बाद भी दिनांक 01.04.17 को 13वां वित्त मद में रु० 1550475.00 प्रारम्भीक शेष अंकित करके व्यय किया गया है। इस प्रकार राज्यवित्त का कुल धन रु 3443388.00 + 1550475.00 रु : 4993863.00 हस्तान्तरण करके 13वां वित्त मद में धन दुरुपयोग किया गया ।

(ख) निविदा के सम्बन्ध में

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बीच 13वां वित्त आयोग मद सोलर लाइट स्थापना हेतु क्रमशः वर्ष 2014-15 में रु० 3810710.00 वर्ष 2015-16 में रु० 4651417.00 तथा वर्ष 2016-17 में कुल रु० 1550475.00 व्यय करके कुल रु० 10012602.00 किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं।

(i) सोलर लाइट की स्थापना। क्रय न करके अथवा नेडा के दर के अनुसार मूल्य भुगतान नहीं किया गया है।

(ii) निविदा सूचना तीन लोकप्रिय अखाबारों में विज्ञापन नहीं कराया गया है।

(iii) पत्रावली में तीन फर्मों का टेण्डर फार्म, मूल्य सूची संलग्न नहीं है।

(iv) टेण्डर फार्म का मूल्य कम से कम रु० 100.00 रु० प्राप्त कर रसीद सं० 385 काटकर से क्षेत्रपंचायत कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है।

(v) निविदा खोलने की समिति गठित नहीं की गयी है।

(vi) जमानत राशि 2 प्रतिशत जमा नहीं कराया गया है।

(vii) स्वीकृत निविदा का विवरण पत्रावली में संलग्नक नहीं है।

इस प्रकार सोलर लाइट की स्थापना में नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं करके वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बीच सभी खण्ड विकास अधिकारी, सहायक लेखाकार, कार्यप्रभारी तथा फर्म माँ दुर्गा टेडर्स, पटखौली, बडरौव, मऊ से सॉटगॉट करके उक्त तीनो वर्षों में कुल रु० 10012602.00 अनियमितता व्यय किया गया है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
10012602.00	0.00	10012602.00

प्रस्तर सं०-17 क्षेत्र पंचायत द्वारा राजवित्त मद से वर्ष 2014-18 में ए०एन०एच० 29 से कन्या विद्यालय तक "इन्टरलाकिंग" कार्य हेतु कुल रु० 40186.00 भुगतान करके यादवईट भट्टा, कोडीराम से 3000 ईट गृह क्रय हेतु रु० 24136.00 तथा भुवनेश्वरी विल्डींग मटेरियल सप्लायर को सीमेन्ट बालू क्रय हेतु रु० 16050.00 भुगतान करके कुल रु 40186.00 भुगतान किया गया है। परन्तु पत्रावली में कार्य कराने हेतु मजदूरी व्यय न होने से उक्त इन्टरलाकिंग कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की माप पुस्तिका, स्टैकबुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेखों जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं करने से कुल रु० 40186.00 के कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

अतः रु० 40186.00 अनियमित रूप से भुगतान करके राजकीयधन की क्षति पहुँचायी गयी है।

अतः उत्तरदायी कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री राघवेन्द्र सिंह तथा सहा० लेखा० श्री दीपेन्द्र श्रीवास्ताव से रु० 40186.00 बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
40186.00	0.00	40186.00

प्रस्तर सं0-18 वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त मद से “गढ़बारामपुरपोहिला पिच रोड से लक्ष्मण यादव के घर होते हुए नायक के घर तक” मिट्टी खड़जा कार्य हेतु कुल रु 442327.00 व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियां हैं।

(i) कोटेशन टेन्डर प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नहीं किया गया है।

(ii) उक्त कार्य हेतु यादव ईट भटठा कौड़ीराम से रु0 361344.00 का ईट क्रय किया गया है। जिसका प्रमाणक राजकीय मानक युक्त नहीं है।

(iii) उक्त कार्य हेतु मजदूरी व्यय हेतु कुल रु0 80893.00 व्यय किया गया है। जिसके मस्टररोलो पर श्रमिकों का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

(iv) लेखा परीक्षा में स्टॉकबुक, कार्य की माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त कार्य हेतु व्यय रु0 442327.00 को नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह, सहायक लेखा श्री दीपेन्द्र श्रीवास्तव, तथा कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह से रु0 442327.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
442327.00	0.00	442327.00

प्रस्तर सं0-19 अनुदान पंजिका (iii) में दिनांक 01.01.2016 से 31.30.17 तक श्री हरेन्द्र सिंह जेईआरईएससे रु0 48561.00 पाना दर्शाकर वसूली नहीं की गयी है। उक्त धनराशि किस मद की है। ज्ञात नहीं कराया गया परन्तु उक्त धन की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे उक्त धन को पाना मात्र दर्शाकर वसूली नहीं की जा रही है।

अतः रु0 48561.00 को वसूली उत्तरदायी श्री हरेन्द्र सिंह जेईआरईएसमय 8 प्रतिशत ब्याज सहित करने हेतु उनके विभागध्यक्ष के माध्यम से श्री हरेन्द्र सिंह के वेतन से करायी जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
48561.00	0.00	48561.00

क्षेत्र पंचायत— पिपराईचजनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं0-20 वर्ष 12-13 में दिनांक 26.09.2012 को चेक सं0 595580 द्वारा राज्य वित्त खाते से अवशेष धनराशि रु0 1300000.00 डेबिट कर पिछड़ा अनुदान निधि में स्थानान्तरित कर व्यय किया गया है। राज्य वित्त की दिशा निर्देश एवं कार्यों की प्राथमिकताएं एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। राज्य वित्त की दिशा निर्देश एवं पिछड़ा अनुदान निधि की दिशा निर्देश एक-दूसरे से भिन्न हैं। अतः राज्य वित्त की धनराशि रु0 1300000.00 को पिछड़ा अनुदान निधि में स्थानान्तरित कर रु0 1300000.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुदामा प्रसाद एवं लेखाकार श्री देवव्रत प्रसाद उत्तरदायी हैं। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1300000.00	1300000.00

प्रस्तर सं0-21 आलोच्य वर्ष 11-12 से 13-14 में निम्न विवरणानुसार अवशेष अनुदानों पर ब्याज की प्राप्ति बैंक से हुई है :-

दिनांक	योजना	ब्याज की धनराशि
31.05.11	12 वां वित्त	24554.00
30.06.11	राज्य वित्त / 13वां वित्त	28665.00
31.11.11	12 वां वित्त	22450.00
30.06.12	13वां वित्त	31558.00
31.12.11	13वां वित्त	48896.00
31.12.12	13वां वित्त	37786.00
30.06.13	13वां वित्त	71850.00
31.12.13	13वां वित्त	136545.00
योग		402304.00

अभिलेखों के अनुसार उक्त ब्याज की धनराशि की वापसी राज्य सरकार को नहीं की गयी है। खातों में रोककर रखा गया है। रोककर रखा जाना गम्भीर अनियमितता है। शासनादेश सं० 4-1-22/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च के अनुसार ब्याज से प्राप्त आय संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी जानी चाहिए। इस प्रकार ब्याज से प्राप्त आय को राज्य सरकार को वापस न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	402304.00	402304.00

प्रस्तर सं०-22 आलोच्य वर्ष 14-15 से 16-17 में निम्न विवरणानुसार अवशेष अनुदानों पर ब्याज की प्राप्ति बैंक से हुई है:-

दिनांक	ब्याज की धनराशि
30.06.14	1,64,355.00
25.12.14	1,72,010.00
25.06.15	1,38,484.00
25.12.15	96,378.00
25.06.16	1,02,083.00
25.12.16	80,637.00
25.03.17	85,790.00
योग	9,17,741.00

अभिलेखों के अनुसार उक्त ब्याज की धनराशि की वापसी राज्य सरकार को नहीं की गयी है। खातों में रोककर रखा गया है। रोककर रखा जाना गम्भीर अनियमितता है। शासनादेश सं० 4-1-22/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च के अनुसार ब्याज से प्राप्त आय संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी जानी चाहिए। भविष्य में इस धन के दुरुपयोग की संभावना है। इसका उत्तरदायित्व सहायक लेखाकार/लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी का है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	917741.00	917741.00

क्षेत्र पंचायत-चरगावाजनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-23 वर्ष 2011-12 में रु० 2810184.00 का व्यय ग्रांट रजि० के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के

सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेयरजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गबन/अपहरण/दुर्विनियोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह एवं लेखाकार श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2810184.00	0.00	2810184.00

प्रस्तर सं०-24 वर्ष 2012-13 में रु० 2483939.00 का व्यय ग्रांट रजि० के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक

इश्यू रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका,मानदेयरजि०, स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गबन/अपहरण/ दुर्विनयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह एवं लेखाकार श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2483939.00	0.00	2483939.00

प्रस्तर सं०-25 वर्ष 2013-14 में रू० 5988178.00 का व्यय ग्रांट रजि० के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक,निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति,कैश बुक, चेक इश्यू रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका,मानदेयरजि०, स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गबन/अपहरण/दुर्विनयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह एवं लेखाकार श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
5988178.00	0.00	5988178.00

प्रस्तर सं०-26 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजि० के पार्ट 3 के अनुसार 11-12 से 13-14 में निम्न विवरणानुसार अवशेष अनुदानों पर ब्याज की प्राप्ति दर्शित है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 वित्त लेखा अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 21 मार्च 2012 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश सं० बी-1-564/10-7/97 दिनांक 02.03.1998 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को बैंक में रखकर प्राप्त ब्याज की धनराशि को संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी जानी चाहिए। इस प्रकार ब्याज से अर्जित आय को राजकीय कोषागार में जमा न कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	—	ब्याज की धनराशि
2011-12	—	473465.13
2012-13	—	400140.00
2013-14	—	371813.09
योग	—	1245418.22

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1245418.22	1245418.22

प्रस्तर सं०-27 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजि० के पार्ट 3 के अनुसार 11-12 से 13-14 में निम्न विवरणानुसार अवशेष अनुदानों पर ब्याज की प्राप्ति दर्शित है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 वित्त लेखा अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 21 मार्च 2012 में प्रदत्त व्यवस्था के

अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को बैंक में रखकर प्राप्त ब्याज की धनराशि को संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी जानी चाहिए। इस प्रकार ब्याज से अर्जित आय को राजकीय कोषागार में जमा न कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	—	उपभोग की धनराशि
2011-12	—	517701.53
2012-13	—	10423.00
2013-14	—	451755.01
योग	—	979879.54

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	979879.54	979879.54

प्रस्तर सं०-28 वर्ष 2014-15 में रू० 8560202.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
8560202.00	0.00	8560202.00

प्रस्तर सं०-29 वर्ष 2015-16 में रू० 4280810.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
4280810.00	0.00	4280810.00

प्रस्तर सं०-30 वर्ष 2016-17 में रू० 3400942.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में मैं गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीनू सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3400942.00	0.00	3400942.00

क्षेत्र पंचायत-भटहट जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०—31 वर्ष 2011—12 में ₹ 5595472.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन उपाध्याय एवं लेखाकार श्री अली हसन का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन उपाध्याय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
5595472.00	0.00	5595472.00

प्रस्तर सं०—32 वर्ष 2012—13 में ₹0 3081440.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन उपाध्याय एवं लेखाकार श्री अली हसन का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन उपाध्याय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3081440.00	0.00	3081440.00

प्रस्तर सं०—33 वर्ष 2013-14 में ₹0 9770849.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन उपाध्याय एवं लेखाकार श्री अली हसन का दायित्व

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
9770849.00	0.00	9770849.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
7947469.00	0.00	7947469.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2464157.00	0.00	2464157.00

804

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
5780574.00	0.00	5780574.00

क्षेत्र पंचायत—पिपरौलीजनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०—37 वर्ष 2011—12 में रू० 1793535.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डा० चन्द्रशेखर कुशवाहा एवं लेखाकार श्री मोहम्मद नदीम का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डा० चन्द्रशेखर कुशवाहा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1793535.00	0.00	1793535.00

प्रस्तर सं०—38 वर्ष 2012—13 में रू० 3816079.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डा० चन्द्रशेखर कुशवाहा एवं लेखाकार श्री मोहम्मद नदीम का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डा० चन्द्रशेखर कुशवाहा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3816079.00	0.00	3816079.00

प्रस्तर सं०—39 वर्ष 2013—14 में रू० 8403571.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डा० चन्द्रशेखर कुशवाहा एवं लेखाकार श्री मोहम्मद नदीम का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डा० चन्द्रशेखर कुशवाहा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
8403571.00	0.00	8403571.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
6938793.00	0.00	6938793.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1145298.00	0.00	1145298.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
92161.00	0.00	92161.00

806

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3040572.00	0.00	3040572.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1889526.00	0.00	1889526.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
7584146.00	0.00	7584146.00

807

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
14924854.00	0.00	14924854.00

प्रस्तर सं०-47 वर्ष 2015-16 में रू० 586508.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
586508.00	0.00	586508.00

प्रस्तर सं०-48 वर्ष 2016-17 में रू० 2017335.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2017335.00	0.00	2017335.00

क्षेत्र पंचायत-कैम्पियरगंज जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-49 वर्ष 2011-12 में रू० 4953630.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
4953630.00	0.00	4953630.00

प्रस्तर सं०-50 वर्ष 2012-13 में रू० 3180997.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3180997.00	0.00	3180997.00

प्रस्तर सं०-51 वर्ष 2013-14 में रू० 3595971.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3595971.00	0.00	3595971.00

प्रस्तर सं०-52 वर्ष 2014-15 में रू० 3595971.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3595971.00	0.00	3595971.00

प्रस्तर सं०-53 वर्ष 2015-16 में रू० 9342072.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैक स्टेटमेन्ट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
9342072.00	0.00	9342072.00

प्रस्तर सं०-54 वर्ष 2016-17 में रू० 5244951.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैक स्टेटमेन्ट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
5244951.00	0.00	5244951.00

क्षेत्र पंचायत-जंगल कौडिया जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-55 वर्ष 2011-12 में रू० 2631636.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैक स्टेटमेन्ट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2631636.00	0.00	2631636.00

प्रस्तर सं0-56 वर्ष 2012-13 में रू0 1653472.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य रजि0, एम0बी0 बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, विभिन्न खातों के बैक स्टेटमेंट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1653472.00	0.00	1653472.00

प्रस्तर सं0-57 वर्ष 2013-14 में रू0 12779593.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य रजि0, एम0बी0 बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, विभिन्न खातों के बैक स्टेटमेंट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
12779593.00	0.00	12779593.00

प्रस्तर सं0-58 वर्ष 2014-15 में रू0 9236806.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य रजि0, एम0बी0 बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, विभिन्न खातों के बैक स्टेटमेंट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
9236806.00	0.00	9236806.00

प्रस्तर सं०-59 वर्ष 2015-16 में रू० 6573418.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
6573418.00	0.00	6573418.00

प्रस्तर सं०-60 वर्ष 2016-17 में रू० 5334937.00 का व्यय प्रियासाफ्ट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, चेक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, विभिन्न खातों के बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कर्मचारियों का विवरण व उनको देय मानदेय, स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
5334937.00	0.00	5334937.00

क्षेत्र पंचायत-कौडीराम जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-61 वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राज्य वित्त/13वां/12वां वित्त की खाता सं० 22218 पी० एन० बी० कौडीराम एवं खाता सं० 5513 एस० बी० आई० कौडीराम में प्राप्त ब्याज रू० 332497.00 को राज्य सरकार को वापस न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार अनुदान पर प्राप्त ब्याज को राजकीय कोष में जमा न कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार हरिश्चन्द्र व अभय सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	332497.00	332497.00

प्रस्तर सं०-62 वर्ष 2014-15 से 2016-17 में राज्य वित्त/13वां/12वां वित्त की खाता सं० 22218 पी० एन० बी० कौडीराम एवं खाता सं० 5513 एस० बी० आई० कौडीराम में प्राप्त ब्याज रू० 541678.00 को राज्य सरकार को वापस न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार अनुदान पर प्राप्त ब्याज को राजकीय कोष में जमा न कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार अभय सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	541678.00	541678.00

क्षेत्र पंचायत-बेलघाट जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-63 वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राज्य वित्त/13वां/12वां वित्त की खाता सं० 13165 पी० एन० बी० विकास भवन में प्राप्त ब्याज रू० 449734.00 को राज्य सरकार को वापस न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार अनुदान पर प्राप्त ब्याज को राजकीय कोष में जमा न कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	846206.00	89815.00

प्रस्तर सं०-64 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राज्य वित्त/13वां/12वां वित्त आयोग के कार्यों पर खर्च रू० 2220349.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, व निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो घोर गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
2220349.00	0.00	2220349.00

प्रस्तर सं०-65 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17 में ग्रांट रजि० के अनुसार राज्य वित्त/13वां/12वां/14वां वित्त आयोग में खर्च वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः रू० 2896324.00, 10412671.00 व 4030894.00 कुल रू० 17339889.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, व निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य रजि०, एम०बी० बुक, कार्यपूर्ति, कैश बुक, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री दीपेन्द्र श्रावास्तव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
17339889.00	0.00	17339889.00

क्षेत्र पंचायत—बांसगांव जनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०-66 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राज्य वित्त/13वां/12वां वित्त के जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज का विवरण निम्नलिखित है:-

01.04.2011 को ब्याज अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वापस	वर्षान्त में अवशेष
113530.00	118022.00	0.00	231552.00
01.04.2012 को ब्याज अवशेष			
231552.00	804020	कटौती 1015.00	310939.00
01.04.2013 को ब्याज अवशेष			
310939.00	191531.00	310939.00	191531.00

31.03.2014 को अवशेष ब्याज रु० 191531.00 को शासन को ट्रेजरी चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए था। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री विश्व नारायण शुक्ल विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	191531.00	191531.00

प्रस्तर सं०-67 दिनांक 25.06.2013 को राज्य वित्त/13वां/12वां वित्त का ब्याज रु० 310939.00 जो 31.03.2013 को अवशेष था। डी० पी० आर० ओ० गोरखपुर को वापस किया गया। जबकि शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को बैंक में रखकर प्राप्त ब्याज की धनराशि को संस्था की आय न मानते हुए राज्य सरकार की आय मानी जानी चाहिए। अतः डी० पी० आर० ओ० गोरखपुर को दिनांक 25.06.2013 को वापस ब्याज रु० 310939.00 को राजकीय कोषागार में जमा न कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री विश्व नारायण शुक्ल विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	310939.00	310939.00

क्षेत्र पंचायत—ऊरुवां जनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०-68 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्य ग्राम सभा टिकरी बुजुर्ग में हरिहर के घर से रामजस के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक सं०	सामग्री	फर्म का नाम	लेखा परीक्षा अनुसार धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	अधिक भुगतान
01.01.13	411336	ईट व ईट गिट्टी	गौरी शंकर ईट भट्टा, एकडंगा, खजनी	64805.00	141570.00	76765.00
02.01.	411337	इण्टरलाकिंग	पूजा ट्रेडर्स,	270747.00	541494.00	270747.00

13		ईट, सीमेंट, बालू इत्यादि	खजनी			
			योग	335552.00	683064.00	347512.00

इस प्रकार ₹0 347512.00 का अधिक भुगतान कर संस्था के धन का दुरुपयोग किया गया है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के प्रस्तर क से इ का उल्लंघन किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र शर्मा, एवं ब्लाक प्रमुख श्री बैजनाथ गुप्ता तथा लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तवसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
347512.00	0.00	347512.00

प्रस्तर सं०-69 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में श्री संतोष सिंह कार्य प्रभारी को सोलर लाइट क्रय हेतु ₹0 790062.00 का भुगतान किया गया है। वित्त (लेखा) अनुभाग 1 के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23.09.2008 के अनुसार ₹0 20000.00 से ₹0 100000.00 तक की सामग्री कोटेशन तथा ₹0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए टेण्डर प्रक्रिया अनिवार्य है। इस प्रकार बिना कोटेशन / टेण्डर प्रक्रिया का पालन किए ही ₹0 790062.00 की सोलर लाइट नकद क्रय कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

राज्य वित्त आयोग

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
30.08.13	411392	68997.00	श्री संतोष सिंह
05.09.13	411397	183992.00	श्री संतोष सिंह
19.12.13	843266	46702.00	श्री संतोष सिंह
06.02.14	843272	233510.00	श्री संतोष सिंह
06.02.14	843273	103510.00	श्री संतोष सिंह
	योग	637611.00	

13 वां वित्त आयोग

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
04.12.13	667947	23351.00	श्री संतोष सिंह
25.10.13	751898	130000.00	श्री संतोष सिंह
	योग	153351.00	

कुल योग 790062.00

इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र शर्मा, एवं ब्लाक प्रमुख श्री बैजनाथ गुप्ता तथा लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	790062.00	790062.00

प्रस्तर सं०-70 अनुदान रजि० भाग 02 के पेज सं० 97 पर दिनांक 05.10.2015 को राज्य वित्त आयोग का अनुदान ₹0 1729.00 अवशेष था। दिनांक 06.10.2015 को राज्य वित्त / 13 वां वित्त से प्राप्त ब्याज ₹0 27232.00 है। तथा दिनांक 25.06.2015 एवं 25.12.2015 को प्राप्त ब्याज ₹0 24383.00 है। इस प्रकार प्राप्त कुल ब्याज ₹0 51615.00 को आय में सम्मिलित कर लिया गया है। तथा दिनांक 06.11.2015 को

चेक सं० 123253 से रू० 7000.00, चेक सं० 123254 से दिनांक 12.01.2016 को रू० 14000.00 तथा दिनांक 08.03.2016 को चेक सं० 123255 से रू० 14000.00 ब्लाक प्रमुख श्री बैजनाथ गुप्ता को मानदेय दिया गया है। इस प्रकार रू० 35000.00 ब्याज से मानदेय देकर उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के प्रस्तर क से ड का उल्लंघन किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार मौर्य, एवं ब्लाक प्रमुख श्री बैजनाथ गुप्ता तथा लेखाकार श्री विश्व नारायण शुक्ल का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री विश्व नारायण शुक्ल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	35000.00	35000.00

प्रस्तर सं०-71 वर्ष 2014-15 में कार्य प्रभारी श्री गणेश प्रसाद को निम्नलिखित चेको से भुगतान किया जाना दर्शित है।

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1	13.06.2014	843293	315000.00
2	13.06.2014	843294	200000.00
3	21.06.2014	843295	235000.00
4	21.06.2014	843296	200000.00
5	10.07.2014	843297	350000.00
6	10.07.2014	843306	130000.00
7	10.07.2014	843307	100000.00
8	10.07.2014	843308	100000.00
	योग		1630000.00

उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तथा भुगतान फर्म को न कर कार्य प्रभारी श्री गणेश प्रसाद को ही किया गया है। वित्त (लेखा) अनुभाग 1 के शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू० 20000.00 से रू० 100000.00 तक की सामग्री कोटेशन तथा रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क़य के लिए टेण्डर प्रक्रिया अनिवार्य है। अतः भुगतान रू० 1630000.00 अनियमित रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामसागर प्रजापति, एवं ब्लाक प्रमुख श्री बैजनाथ गुप्ता तथा लेखाकार श्री दीपेन्द्र श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	1630000.00	1630000.00

प्रस्तर सं०-72 लेखा परीक्षा के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल रू० 139624.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक प्राप्त ब्याज का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	52597.00	0.00	52597.00
2	51615.00	35000.00	16615.00
3	290937.00	0.00	290937.00
योग	395149.00	35000.00	360149.00

इस प्रकार कुल ₹0 499773.00 दिनांक 31.03.2017 को अवशेष है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार जिसे राजकीय कोषागार में ट्रेजरी चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। जिसे राजकीय कोषागार में जमा न कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सहजादे खान एवं अशोक कुमार पाण्डेय, एवं ब्लाक प्रमुख श्री बैजनाथ गुप्ता तथा लेखाकार श्री दीपेन्द्र श्रावास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार श्री विश्व नारायण शुक्लसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	499773.00	499773.00

क्षेत्र पंचायत-गोलाजनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-73 अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार बारहवें वित्त का अवशेष ₹0-284783.00 दिनांक-1.4.2013 से 31.3.2016 तक यथावत है अनुदान रजिस्टर भाग-2 के अनुसार दिनांक-18.3.2017 को चेक संख्या-737265 से ₹0-29000.00 श्री अजय कुमार कौशियर को क्षेत्र पंचायत गोला के जीप एवं जनरेटर में डीजल क्य का भुगतान किया गया दर्शित है उसके बाद अनुदान रजिस्टर भाग-3 में पासबुक के अनुसार आय ₹0-196850.00 दर्शित है जबकि ब्याज के अतिरिक्त कोई आय नहीं है इस प्रकार विभिन्न चेकों के माध्यम से दिनांक-18.3.2017 तक अनुदान रजिस्टर भाग -2 के अनुसार ₹0-286277.00 कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्टेशनरी, मानदेय, जीप एवं जनरेटर में डीजल क्य पर भुगतान किया गया दर्शित है जबकि अवशेष धनराशि को बारहवें वित्त आयोग के शासनादेश सं०-3082/33-3-2015-100 77/2005 दिनांक-15.12.2005 के अनुसार पेयजल सुविधा सालिड वेस्ट मेनेजमेन्ट, स्ट्रीट लाईट एवं अन्य नागरीक सुविधाओं रखरखाव एवं अनुरक्षण पर व्यय किया जाना चाहिये। अतः मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत ₹0-286277.00 व्यय कर दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये लेखाकार श्री बेचु प्रसाद गुप्त, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सविता सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्री रत्नेश कुमार यादव उत्तरदायी हैं। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकुल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	286277.00	286277.00

प्रस्तर सं०-74 लेखा परीक्षा वर्ष-2016-2017 में खाता संख्या-465800013030045 पी०एन०बी० गोला में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज ₹0-161097.00 यू०बी०आई० गोला राज्य वित्त/तेरहवां वित्त खाता संख्या-736602010001966 से प्राप्त ब्याज ₹0-18968.00 तथा बारहवां वित्त यूको बैंक गोला खाता संख्या-19760100005735 से प्राप्त ब्याज ₹0-18493.00 है इस प्रकार 16-17 में कुल ब्याज ₹0-198558.00 राजकोष में जमा न कर शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस -2012-10 33/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 का उल्लंघन किया गया है जिसके लिये सहायक लेखाकार श्री बेचू प्रसाद गुप्त एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सविता सिंह उत्तरदायी हैं। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	198558.00	198558.00

क्षेत्र पंचायत-पालीजनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-75 लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक राज्य वित्त /तेरहवां ,चौदहवां वित्त के लिये प्रस्तुत खाता संख्या-2163894270 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया डुमरी पाली के अनुसार वर्ष-2011-2012 में रू०-29313.00,वर्ष-2012-13 में रू०-76485.00 तथा वर्ष-2013-14 में रू०-215595.00 ब्याज मद से प्राप्त आय रही इस प्रकार 31.3.2014 में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार इसकी वापसी राज्य सरकार को नहीं की जानी दर्शित है शासनादेशसंख्या-ए-1-122 /दस-2012-10 33/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार ब्याज ये प्राप्त आय संस्था की आय नहीं मानी गयी है इस प्रकार से प्राप्त ब्याज की आय को राज्य सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है भविष्य में इस धन के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसका उत्तरदायित्व सहायक लेखाकार /एन०आर०ई०पी० तथा खण्ड विकास अधिकारी महोदय की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	321393.00	321393.00

प्रस्तर सं०-76 लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 के अन्तर्गत कुल रू०-216431.00 का ब्याज बारहवां /तेरहवां वित्त मद में व्यय किया जाना दर्शित रहा है जिसमें से रू०- 275950.00 दोहरिया कला में पक्की नाली निर्माण दिनांक-3.6.2011 से 16.6.2011 तक कार्य के मद में व्यय /उपयोग से सम्बन्धित कार्य पत्रावली ही लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया गया ,शेष व्यय धनराशि रू० - 1888681.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावली ,बिल बाउचर ,कार्यपूर्ति मापन पुस्तिका कार्ययोजना तथा निविदा एवं कोटेशन से सम्बन्धित विवरण लेखा परीक्षा के समय मागोपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराया गया ।उल्लेखनीय है कि उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पंजिका तथा ग्रांट रजिस्टर 2 वर्ष-2011-2012 जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया अतः कार्य समय,व कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी पुष्टि पत्र प्रस्तुत न कर धन की दुरुपयोग की सम्भावना है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ,मुख्य अभियन्ता ग्रामीण कार्य प्रभारी तथा लेखाकार /एन०आर०ई०पी० की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1888681.00	0.00	1888681.00

प्रस्तर सं०-77 लेखा परीक्षा वर्ष-2014-15 से 2016-17 तक राज्य वित्त /तेरहवां ,चौदहवां वित्त के लिये प्रस्तुत खाता संख्या-2163894270 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया डुमरी पाली के अनुसार वर्ष-2014-2015 में रू०-156663.00,वर्ष-2015-16 में रू०-81268.00 तथा वर्ष-2016-17 में रू०-173286.00 ब्याज मद से प्राप्त आय रही इस प्रकार 31.3.2017 में तीनो वर्षों का संकलित ब्याज कुल रू०-411217.00 अवशेष रहा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार इसकी वापसी राज्य सरकार को नहीं की जानी दर्शित है शासनादेशसंख्या-ए-1-122 /दस-2012-10 33/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार ब्याज ये प्राप्त आय संस्था की आय नहीं मानी गयी है इस प्रकार से प्राप्त ब्याज की आय को राज्य सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है भविष्य में इस धन के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसका उत्तरदायित्व सहायक लेखाकार /एन०आर०ई०पी० तथा खण्ड विकास अधिकारी महोदय की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	411217.00	411217.00

प्रस्तर सं०-78 लेखा परीक्षा वर्ष -2014-2015 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कुल रु०-2602434.00 व तेरहवां वित्त योजना अन्तिर्गत रु०- 3068919.00 कुल रु०- 5671353.00 का व्यय ग्रांट रजिस्टर पार्ट-3 के अनुसार किया जाना दर्शित रहा किन्तु इस व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली ,बिल बाउचर ,कार्यपूर्ति मापन पुस्तिका कार्ययोजना तथा निविदा एवं कोटेशन से सम्बन्धित विवरण लेखा परीक्षा के समय मांगोपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे कुल रु०- 5671353.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धन की दुरुपयोग की सम्भावना है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ,मुख्य अभियन्ता ग्रामीण कार्य प्रभारी तथा लेखाकार /एन०आर०ईपी० की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
5671353.00	0.00	5671353.00

प्रस्तर सं०-79 लेखा परीक्षा वर्ष -2015-2016 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कुल रु०-1358318.00 व चौदहवां वित्त योजना अन्तिर्गत रु०-1652024.00 कुल रु०- 3010342.00 का व्यय किया जाना ग्रांट रजिस्टर पार्ट-3 के अनुसार किया जाना दर्शित रहा किन्तु इस व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली ,बिल बाउचर ,कार्यपूर्ति मापन पुस्तिका कार्ययोजना तथा निविदा एवं कोटेशन से सम्बन्धित विवरण लेखा परीक्षा के समय मांगोपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराया गया इस प्रकार कुल रु०- 3010342.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धन की दुरुपयोग /अपहरण की सम्भावना है।उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
3010342.00	0.00	3010342.00

क्षेत्र पंचायत-सहजनवां जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं०-80 पिच रोड से राजेन्द्र पाल के घर होते हुये रामसमूझ यादव के घर तक मिटटी/खडन्जा कार्य हेतु रु० 25000.00 मजदूरी कार्य प्रभारी श्री रमेश दत्त मिश्र को भुगतान हेतु अग्रिम दिया गया है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये फाइल के साथ मास्टर रोलो के अनुसार मास्टर रोल सं० 15665 दिनांक 15.5.2011 से 21.5.2011 तक रु०- 16800.00 तथा पुनः मास्टर रोल सं० शून्य दिनांक 25.5.2011 से 28.5.2011 तक रु० 5880.00 अर्थात् कुल रु० 22680.00 मात्र ही मजदूरों को मजदूरी भुगतान करना दर्शित पाया गया। इस प्रकार अवशेष रु०-2320.00 की स्थिति स्पष्ट नहीं रही,जो संदिग्ध प्रतीत होता है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	2320.00	2320.00

प्रस्तर सं०-81 लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक राज्य वित्त /12वां वित्त के लिये प्रस्तुत खाता संख्या-11242170703 स्ट्रेट बैंक ऑफ़ इण्डिया सहजंनवा के अनुसार वर्ष-2011-2012 में ₹0-20704.00, वर्ष-2012-13 में ₹0-91538.00 तथा वर्ष-2013-14 में ₹0-52890 इसी प्रकार पुराना खाता संख्या-10949334362 स्ट्रेट बैंक ऑफ़ इण्डिया सहजंनवा के अनुसार 2011-12 से 2013-14 में कुल ₹0 6833.00 ब्याज मद से प्राप्त आय रही इस प्रकार 31.3.2014 में तीनो वर्षों का संकलित ब्याज कुल ₹0-171965.00 अवशेष रहा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार इसकी वापसी राज्य सरकार को नहीं की जानी दर्शित है शासनादेशसंख्या-ए-1-122 /दस-2012-10 33/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार ब्याज ये प्राप्त आय संस्था की आय नहीं मानी गयी है इस प्रकार से प्राप्त ब्याज की आय को राज्य सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है भविष्य में इस धन के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक लेखाकार/लेखाकार की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	171965.00	171965.00

प्रस्तर सं०-82 लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2015 में ₹0 32299.00 की नियम विरुद्ध प्रविष्टि ग्रांट रजिस्टर में की गयी है जो कि बारहवें वित्त आयोग का अवशेष धन ₹0 325.00 तथा तेरहवां वित्त आयोग का अवशेष धन ₹0 31974.00 रहा। यह प्रविष्टि चौदहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त अन्तर्गत लेखित कर व्यय किया जाना दर्शित है उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2011 से ₹0-325.00 तथा 31.3.2014 में ₹0-31974.00 अवशेष हो रहा था जिसकी वापसी सम्बन्धित को नहीं की गयी थी। इस प्रकार बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग का अवशेष धन राज्य वित्त मद में प्रविष्टि कर धन का दुरुपयोग किया जाना परिलक्षित होता है जो कि गम्भीर अनियमितता है। जिसमें उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	32299.00	32299.00

प्रस्तर सं०-83 लेखा परीक्षा वर्ष-2014-2015 से 2016-2017 तक राज्य वित्त /12वां वित्त के लिये प्रस्तुत खाता संख्या-11242170703 स्ट्रेट बैंक ऑफ़ इण्डिया सहजंनवा के अनुसार वर्ष-2014-2015 में ₹0-48577.00, वर्ष-2015-16 में ₹0-33829.00 तथा वर्ष-2016-17 में ₹0-159555.00 इसी प्रकार पुराना खाता संख्या अनुसार 2014-15 से 2016-17 में कुल ₹0 4663.00 ब्याज मद से प्राप्त आय रही इस प्रकार 31.3.2017 में तीनो वर्षों का संकलित ब्याज कुल ₹0 246624.00 अवशेष रहा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार इसकी वापसी राज्य सरकार को नहीं की जानी दर्शित है शासनादेश संख्या-ए-1-122 /दस-2012-10 33/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार ब्याज ये प्राप्त आय संस्था की आय नहीं मानी गयी है इस प्रकार से प्राप्त ब्याज की आय को राज्य सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है भविष्य में इस धन के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक लेखाकार/लेखाकार की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	246624.00	246624.00

क्षेत्र पंचायत—खजनी जनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०-84 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक राज्य वित्त / 12वां वित्त के लिये प्रस्तुत खाता संख्या 22441949656 इलाहाबाद बैंकखजनीके अनुसार वर्ष 2011-2012 में रु० 121056.00, वर्ष 2012-13 में रु० 144251.00 तथा वर्ष 2013-14 में रु० 183226.00 ब्याज मद से प्राप्त आय रही। इस प्रकार 31.3.2014 में तीनों वर्षों का संकलित ब्याज कुल रु० 448533.00 अवशेष रहा, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार इसकी वापसी राज्य सरकार को नहीं की जानी दर्शित है शासनादेशसंख्या-ए-1-122 / दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार ब्याज ये प्राप्त आय संस्था की आय नहीं मानी गयी है इस प्रकार से प्राप्त ब्याज की आय को राज्य सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है भविष्य में इस धन के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश तथा सहायक लेखाकार/लेखाकार श्री जयप्रकाश की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	448533.00	448533.00

प्रस्तर सं०-85 लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत 12वें वित्त आयोग का अवशेष धन रु० 40920.00 माह अक्टूबर 2011 में 13वां/राज्य वित्त योजना अन्तर्गत ग्रांट रजि० में परिविष्ट कर व्यय कर लिया गया है जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय बिना बजट एवं प्राकलन के व्यय कर लिया गया है। व्यय की पूर्व स्वीकृति भी नहीं ली गयी है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के प्रस्तर क से उ० के विरुद्ध उक्त व्यय रहा। इस प्रकार 12वें वित्त योजना का धन 13वां/राज्य वित्त अन्तर्गत कर धन का दुरुपयोग किया गया। नियमतः इस धन को वापस किया जाना चाहिए था। इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश, ब्लॉक प्रमुख तथा सहायक लेखाकार/लेखाकार श्री जयप्रकाश की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	40920.00	40920.00

प्रस्तर सं०-86 लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि खाते में प्राप्त ब्याज को राज्य सरकार को वापस नहीं किया गया। जबकि प्राप्त ब्याज को राज्य सरकार की आय मानी गयी है। विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	प्राप्त ब्याज
2014-15	281915.00
2015-16	140455.00
2016-17	218516.00
योग	640886.00

इस प्रकार से प्राप्त ब्याज की आय को राज्य सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है भविष्य में इस धन के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश, ब्लॉक प्रमुख तथा सहायक लेखाकार/लेखाकार श्री जयप्रकाश की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	640866.00	640866.00

प्रस्तर सं०-87 दिनांक 28.04.2014 को रू० 23000.00 तथा जनवरी 2016 में रू० 816000.00 ब्याज मद का धन ग्रांट रजि० पार्ट 3 से ग्रांट रजि० पार्ट 2 में राज्य वित्त अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में व्यय किया गया जो अनियमित एवं नियम विरुद्ध रहा। उल्लेखनीय है कि ग्रांट रजि० पार्ट 2 रू० 1034449.00 पहले से अवशेष पड़ा रहा। इस प्रकार ब्याज के धन को अन्य मद में व्यय कर दुरुपयोग किया गया है। जिसकी जिम्मेदारी सहायक लेखाकार/लेखाकार श्री जयप्रकाश, एन०आर०पी० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश, श्री रमाशंकर श्रीवास्तव की है। यह व्यय बिना बजट एवं प्राकलन के व्यय कर लिया गया है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के प्रस्तर क से ड के विरुद्ध उक्त व्यय रहा। इस प्रकार 12वें वित्त योजना का धन 13वां/राज्य वित्त अन्तर्गत कर धन का दुरुपयोग किया गया। नियमतः इस धन को वापस किया जाना चाहिए था। इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश, श्री रमाशंकर श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुख तथा सहायक लेखाकार/लेखाकार श्री जयप्रकाश, एन०आर०पी० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव की है। उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण आपत्तिनुकूल न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से बराबर-बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	839000.00	839000.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रारूप : 03

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : रामकोला की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : रामकोला

प्रस्तर सं० : 1 विभिन्न योजनान्तर्गत कराये गये पत्रावली में संलग्न मस्टररोलों की जाँच में यह देखने में आया कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी भुगतान उनके खाते में न कर कार्यप्रभारी को चेक द्वारा किया गया है। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान एडवाइज के माध्यम से उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। मस्टररोल पर मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान उनके खाते में न करके कार्यप्रभारियों के माध्यम से नगद किया गया है। इस प्रकार मजदूरी भुगतान करने में अनियमितता की गयी है। जिसके लिए कार्यप्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द प्रकाश तथा लेखाकार श्री रामबहादुर चौरसिया उत्तरदायी हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	कार्यप्रभारी	2018-19	2017-18	योग
1.	प्रमोद यादव	711255.00	302745.00	1014000.00
2.	नन्दलाल खरवार	114475.00	374850.00	489325.00
3.	लक्ष्मण चतुर्वेदी	253925.00	---	253925.00
4.	अमरनाथ प्रजापति	389425.00	---	389425.00
5.	नन्दलाल सिंह	666400.00	---	666400.00
योग		2135480.00	677595.00	2813075.00

क्र. सं.	कार्य का नाम	अवधि	मजदूर सं	धनराशि	कार्यप्रभारी का नाम जिसे भुगतान किया गया	पदनाम
1.	दुबौली से मोती पाकड़ जाने वाले सड़क पर स्थित नहर पर 1 X 2 मीटर आरसीसी पुलिया	28	38	103105.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
2.	ग्राम पंचायत सपहा टोला में राम आधार यादव के घर से गुलाब यादव के घर तक इंटरलॉकिंग	7	21	27825.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
3.	ग्राम पंचायत चंदन टोला में वृजराज यादव के घर से सूर्यभान यादव के नई मकान तक इंटरलॉकिंग	6	22	23820.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
4.	मोरवन में रोशन के घर से दीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	7	13	17325.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
5.	लक्ष्मी गंज बाजार में इंटरलॉकिंग कार्य	8	13	19850.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
6.	परवर पार में बकिया जाने वाले मार्ग पर 1 X 2 मीटर की आरसीसी पुलिया	29	29	116200.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
7.	ग्राम सभा पपउर में छोटेलाल यादव के घर से सुरेश्वर सिंह के खेत के तरफ जाने वाले चकमार्ग पर सीताराम के खेत के पास 1 X 2 मीटर आरसीसी पुलिया	28	52	129755.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
8.	ग्राम सभा फरना में मुन्द्रिका के घर के सामने से शिवमन्दिर जाने वाले नहर के सड़क पर इंटरलॉकिंग कार्य	12	17	40075.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
9.	धर्मसमधा में पडरौना पिचरोड से सीताराम के खेत होते हुए इन्द्रसेनवा जाने वाले सड़क पर 1 X 2 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण	25	38	94065.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
		22	38	105575.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
10.	देवरिया बाबू जोलहा पट्टी में साबिर दीवान के घर से बस्ती तक इंटरलॉकिंग कार्य	15	20	61025.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
11.	बिहुली निस्थी के सामने सफाई मार्ग पर 1 X 2 मीटर स्पान की आरसीसी	48	47	151780.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.

	पुलिया निर्माण					
12.	विकासखंड परिसर में स्थित आवासीय भवनों का मरम्मत, रंगाई, पुताई, नाली, शौचालय का मरम्मत कार्य	8	21	33250.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
13.	उपरोक्त का अवशेष कार्य	15	18	53575.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
14.	सपहा में हरखारी टोला में इंटरलॉकिंग कार्य	10	12	27650.00	श्री नन्दलाल खरवार	ए.डी.ओ.
15.	कठवरवा में इंटरलॉकिंग कार्य	28	29	12250.00	श्री अमरनाथ प्रजापति	जी.पी. / वी.ओ.
16.	फरना में फरना से पिड़ारी मार्ग पर 1 X 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया निर्माण	55	77	143850.00	श्री नन्दलाल	जी.पी. / वी.ओ.
17.	बसडीला में 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया	29	47	131945.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
18.	रगड़गंज पिच रोड से परवरपार महुआ जाने वाले मार्ग पर 1 X 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया	50	48	156910.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
19.	बड़हरा बाबू जमुनी पट्टी पुल से पंचायत भवन तक इंटरलॉकिंग कार्य	24	22	95725.00	श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी	ए.डी.ओ.
20.	रगड़गंज पिच मार्ग से कठधरही जाने वाले पिचरोड से ड्रेन पर जाने वाले मार्ग पर 1 X 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया	53	86	160320.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
21.	सिधावे में प्रमोद यादव के घर के बगल में इंटरलॉकिंग कार्य	10	13	27300.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
22.	फरना में नहर पर अवशेष इंटरलॉकिंग कार्य	19	19	68250.00	श्री नन्दलाल	जी.पी. / वी.ओ.
23.	धर्मसमठा में कब्रिस्तान के पास 1 X 3 मीटर स्पान की पुलिया	47	72	337050.00	श्री नन्दलाल	जी.पी. / वी.ओ.
24.	टेकुआटार में प्रा० स्वा० केन्द्र से अशोक राव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	6	19	21975.00	श्री प्रमोद यादव	ए.डी.ओ.
25.	विकास खण्ड परिसर में स्थित मिटिंग हाल, कार्यालय भवन, मनरेगा सेल आदि का मरम्मत, रंगाई, पुताई आदि	30	26	158200.00	श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी	ए.डी.ओ.
27.	बिहुली सोमाली में जोकवलिया से हनुमानगंज जान वाले सड़क पर 1 X 2 मीटर स्पान की पुलिया	40	32	117250.00	श्री नन्दलाल	जी.पी.ओ.
28.	भटवलिया में ब्रह्मस्थान जाने वाले मार्ग पर ड्रेन में	76	57	249250.00	श्री नन्दलाल	जी.पी. / वी.ओ.

	1 X3 मीटर स्पान की पुलिया					
29.	रामकोला कप्तानगंज मार्ग से महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय तक खड़न्जा निर्माण कार्य	28	23	127925.00	श्री अमरनाथ प्रजापति	जी.पी./ वी.ओ.
				2813075.00		

(मूल आपत्ति सं० : 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	2813075.00	2813075.00

प्रस्तर सं० : 2 वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न योजनाओं पर किए गए व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गईं। जिससे उक्त मदों पर किया गया व्यय अप्रमाणित रहा। प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय धनराशि के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए श्री आनंद प्रकाश, खंड विकास अधिकारी तथा श्री राम बहादुर चौरसिया, लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

2	जे.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी / कान्तीजेन्सी	2017-18	640352.00	प्रमाणक अप्राप्त
2	जे.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी / कान्तीजेन्सी	2018-19	503486.00	प्रमाणक अप्राप्त
3	पेय जल स्वच्छता समिति	2018-19	26896.00	प्रमाणक अप्राप्त
			1170734.00	

(मूल आपत्ति सं० : 15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1170734.00	---	---	1170734.00

प्रस्तर सं० : 3 वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय पर नियमानुसार आयकर व जी. एस.टी. की कटौती फर्मों से नहीं की गई है जिससे सरकार को रु०142481.00 की क्षति हुई है। टैक्स वसूल न होने से हुई क्षति की ब्याज सहित वसूली संबंधित फर्मों से की जानी अपेक्षित है, वसूल न हो पाने की दशा में श्री आनंद प्रकाश, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार, श्री राम बहादुर चौरसिया से क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

फर्म का नाम	कुल खरीद	आयकर	जी.एस.टी.	योग	कर जो काटा गया	अन्तर
मै० आरती ट्रेडर्स	7172805.00	143456.00	143456.00	286912.00	144431.00	142481.00
योग						142481.00

(मूल आपत्ति सं० : 66)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	142481.00	142481.00

प्रस्तर सं० : 4 प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं०-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में संदर्भित शासनादेश सं०-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 14.06.2015, शासनादेश 866/33-2-10-93जी/2014टी०सी० दिनांक 26.06.2014 एवं शासनादेश सं०-8307/33-3-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा क्षेत्र पंचायतों को संकलित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यक क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें स्थानान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के

नये निर्माण कार्य पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा। वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 के संलग्न प्रारूप-1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में क्रमांक 1 से 9 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमांक 1 से 20 (क्रमांक 3 4 व 17 को छोड़कर) पर अंकित सभी कार्य किसी ग्राम विशेष के अन्तर्गत कराये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेशों का उलंघन करते हुए रु०9872615.20 की अनियमितता/दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए श्री आनंद प्रकाश खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम/ग्राम	सामग्री पर ब्यय	श्रमांश पर ब्यय	योग
1.	दुबौली से मोती पाकड़ जाने वाले सड़क पर स्थित नहर पर 1 x 2 मीटर आरसीसी पुलिया	351283.76	103105.00	454388.76
2.	ग्राम पंचायत सपहा टोला में राम अंधार यादव के घर से गुलाब यादव के घर तक इंटरलॉकिंग	174204.83	27825.00	202029.83
3.	ग्राम पंचायत चंदन टोला में वृजराज यादव के घर से सूर्यभान यादव के नई मकान तक इंटरलॉकिंग	198416.00	23820.00	222236.00
4.	मोरवन में रोशन के घर से दीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	157469.65	17325.00	174794.65
5.	लक्ष्मी गंज बाजार में इंटरलॉकिंग कार्य	159305.00	19850.00	179155.00
6.	परवर पार में वकिया जाने वाले मार्ग पर 1 x 2 मीटर की आरसीसी पुलिया	342726.00	116200.00	458926.00
7.	ग्राम सभा पपउर में छोटेलाल यादव के घर से सुरेश्वर सिंह के खेत के तरफ जाने वाले चकमार्ग पर सीताराम के खेत के खेत के पास 1 x 2 मीटर आरसीसी पुलिया	329463.12	129755.00	459218.12
8.	ग्राम सभा फरना में मुन्द्रिका के घर के सामने से शिवमन्दिर जाने वाले नहर के सड़क पर इंटरलॉकिंग कार्य	32450.00	40075.00	72525.00
9.	धर्मसमधा में पडरौना पिचरोड से सीताराम के खेत होते हुए इन्द्रसेनवा जाने वाले सड़क पर 1 x 2 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण	358555.00	94065.00	452620.00
10.	देवरिया बाबू जोलहा पट्टी में साबिर दीवान के घर से बस्ती तक इंटरलॉकिंग कार्य	432239.00	61025.00	493264.00
11.	बिहुली निरथी के सामने सफाई मार्ग पर 1 x 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया निर्माण	494640.00	151780.00	646420.00
12.	सपहा में हरखारी टोला में इंटरलॉकिंग कार्य	200000.00	27650.00	227650.00
13.	कठवरवा में इंटरलॉकिंग कार्य	551700.00	12250.00	563950.00
14.	फरना में फरना से पिड़ारी मार्ग पर 1 x 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया निर्माण	404577.40	143850.00	548427.40
15.	बसडीला में 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया	410800.00	131945.00	542745.00
16.	रगड़गंज पिच रोड से परवरपार महुआवा जाने वाले मार्ग पर 1 x 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया	391500.00	156910.00	548410.00
17.	बड़हरा बाबू जमुनी पट्टी पुल से पंचायत भवन तक इंटरलॉकिंग कार्ड	14655.00	95725.00	110380.00
18.	रगड़गंज पिच मार्ग से कठधरही जाने वाले पिचरोड से ड्रेन पर जाने वाले मार्ग पर 1 x 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया	385770.30	160320.00	547377.30
19.	सिधावे में प्रमोद यादव के घर के बगल में इंटरलॉकिंग कार्य	181499.00	27300.00	208790.00
20.	फरना में नहर पर अवशेष इंटरलॉकिंग कार्य	428000.00	68250.00	496250.00
21.	धर्मसमठा में कब्रिस्तान के पास 1 x 3 मीटर स्पान की	460300.00	337050.00	797350.00

	पुलिया			
22.	टेकुआटार में प्रा० स्वा० केन्द्र से अशोक राव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	152900.00	21975.00	174875.00
23.	बिहुली सोमाली में जोकवलिया से हनुमानगंज जानं वाले सड़क पर 1 X2 मीटर स्पान की पुलिया	378524.14	117250.00	495774.14
24.	भटवलिया में ब्रह्मस्थान जाने वाले मार्ग पर ड्रेन में 1 X3 मीटर स्पान की पुलिया	546200.00	249250.00	795450.00
25.	रामकोला कप्तानगंज मार्ग से महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय तक खडन्जा निर्माण कार्य	368000.00	127925.00	495925.00
कुल योग		7906465.20	2462475.00	10368940.20

(मूल आपत्ति सं० : 17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	10368940.00	---	10368940.00

वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

प्रारूप : 03

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : तमकुही की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : तमकुही।

प्रस्तर सं० : 5 विभिन्न योजनान्तर्गत कराये गये पत्रावली में संलग्न मस्टररोलों की जाँच में यह देखने में आया कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी भुगतान उनके खाते में न कर कार्यप्रभारी को चेक द्वारा किया गया है। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान एडवाइज के माध्यम से उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। मस्टररोल पर मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान उनके खाते में न करके कार्यप्रभारियों के माध्यम से नगद किया गया है। इस प्रकार मजदूरी भुगतान करने में अनियमितता की गयी है। जिसके लिए कार्यप्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री डा० अरुण कुमार यादव तथा लेखाकार श्री व्यास प्रसाद उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	कार्यप्रभारी	2018-19	2017-18	कुल योग
1.	श्री सत्य प्रकाश मिश्र	482570.00	---	482570.00
2.	श्री रविन्द्र कुमार राय	177460.00	151305.00	328765.00
3.	श्री राहुल राय	---	549855.00	549855.00
योग		660030.00	701160.00	1361190.00

कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अवधि	मजदूर सं.	धनराशि	कार्यप्रभारी का नाम जिसे भुगतान किया गया	पदनाम
1.	विकासखंड तमकुही में आवास, ऑफिस, कंप्यूटर कक्ष का मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	18.01. 2019- 31.01.2019	30	116875.00	श्री सत्यप्रकाश मिश्र	कनि०स०
2.	बाल विकास परिषद अधिकारी कार्यालय के आगे इंटरलॉकिंग एवं बाजंझी निर्माण कार्य	01.02. 2019- 14.02.2019	17	45880.00	श्री रविन्द्र कुमार राय	ए.डी.ओ.
3.	खंड विकास अधिकारी	01.03.	45	145870.00	श्री	कनि०स०

	तमकुही के बड़ा एवं छोटा सभागार के मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	2019— 29.03.2019			सत्यप्रकाश मिश्र	
4.	खंड विकास अधिकारी तमकुही के आवासीय भवनों के मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	01.03. 2019— 29.03.2019	68	219825.00	श्री सत्यप्रकाश मिश्र	कनि०स०
5.	बाल विकास परिषद के अधिकारी कार्यालय के मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	02.02. 2019— 15.02.2019	45	131580.00	श्री रबिन्द्र कुमार राय	ए.डी.ओ.
6.	डिवनी बंजरवा में फैसल गद्दी के घर से राम पटेल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	19.03. 2018— 01.08.2018		124355.00	श्री राहुल राय	ए.डी.ओ.
7.	लछिया देवरिया में लछिया खास से सुभाष सिंह के घर से दक्षिण हरिजन बस्ती होते हुए नहर तक सीसी रोड	19.03. 2018— 28.03.2018	46	96675.00	श्री राहुल राय	ए.डी.ओ.
8.	लछिया देवरिया में संजय कुशवाहा के घर से दीनालाल के घर तक सी.सी. रोड	19.03. 2018— 28.03.2018	33	68005.00	श्री रबिन्द्र कुमार राय	ए.डी.ओ.
9.	ग्राम पंचायत धुरिया इमिलिया में सुतन यादव के घर से रामनाथ के घर पोखरा के पास पिच मार्ग तक सी.सी. रोड	17.11. 2017— 10.01.2018	45	126000.00	श्री राहुल राय	ए.डी.ओ.
10.	ग्राम पंचायत तमकुही में तहसील परिसर से उत्तर गेट से मुख्य गेट तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	01.12. 2017— 14.12.2017	36	49000.00	श्री रबिन्द्र कुमार राय	ए.डी.ओ.
11.	ग्राम पंचायत सब्या बुजुर्ग मेंसमउर पिच मार्ग से रमाकान्त के घर से रहमान मियां के घर तक सीसी रोड	01.12. 2017— 30.12.2017	34	92925.00	श्री राहुल राय	ए.डी.ओ.
12.	ग्राम पंचायत धुरिया इमिलिया में प्रेम यादव के घर से हीरा हरिजन के घर होते हुए अयोध्या गुप्ता के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	18.11. 2017— 01. 12.2017	23	63000.00	श्री राहुल राय	ए.डी.ओ.
13.	ग्राम पंचायत पुरैना कटैया में पारस शाही के घर से विश्राम यादव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	18.11. 2017— 01. 12.2017	17	46900.00	श्री राहुल राय	ए.डी.ओ.
14.	ग्राम पंचायत पुरैना कटैया में शंभू साही के घर से रामानंद के घर	18.11. 2017— 01. 12.2017	12	34300.00	श्री रबिन्द्र कुमार राय	ए.डी.ओ.

	तक सी.सी. रोड निर्माण काय					
				1361190.00		

(मूल आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1361190.00	1361190.00

प्रस्तर सं० :6 वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न योजनाओं पर किए गए वापसी धन/व्यय से संबंधित पत्रावली/प्रमाणक/रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त मदों पर किया गया व्यय अप्रमाणित रहा।

क्र.	योजना का नाम	व्यय का वर्ष	धनराशि	विवरण
1.	बायोगैस	2017-18.	14400.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
2.	सांसद निधि	2017-18	60848.60	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
3.	एस.जी.एस.वाई.	2017-18	2734.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
4.	आर्थिक सामाजिक गणना	2017-18	14207.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
5.	स्वच्छ भारत अभियान	2017-18	134700.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
6.	विधायक निधि	2017-18	214368.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
7.	इंदिरा आवास व पीएम आवास	2017-18	149647.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
8.	आंगनवाड़ी	2017-18	5490500.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
9.	राज्य वित्त आयोग का ब्याज	2017-18	11197.60	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
योग			6092602.20	
क्र.	योजना का नाम	व्यय का वर्ष	धनराशि	विवरण
1.	राज्य वित्त का ब्याज बयाज मध्य	2018-19	264.50	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
2.	अस्थाई पशु आश्रय	2018-19	50000.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
3.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	2018-19	906000.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
4.	ब्याज मद	2018-19	1091613.93	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
5.	स्वच्छ भारत अभियान	2018-19	115340.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
6.	आंगनवाड़ी	2018-19	8927913.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
7.	पेय जल	2018-19	34000.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
8.	इंदिरा आवास व पीएम आवास	2018-19	538258.00	वापस/व्यय धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त।
योग			11663389.43	

उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावली/व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा की दशा में धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, डा० अरुण कुमार यादव तथा लेखाकार श्री ब्यास प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
17755991.63	---	---	17755991.63

प्रस्तर सं० :7 प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं०-1838/33-3-2015 -03/2015 दिनांक 31.07.2015 में संदर्भित शासनादेश सं०-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 14.06.2015, शासनादेश 866/33-2-10-93जी/2014टी०सी० दिनांक 26.06.2014 एवं शासनादेश सं०-8307/33-3-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा क्षेत्र पंचायतों को संकलित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यक क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें स्थानान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा। वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 के संलग्न प्रारूप-1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में क्रमांक 1 से 9 (पर अंकित सभी कार्य किसी ग्राम विशेष के अन्तर्गत कराये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेशों का उलंघन करते हुए रु० 6046993.00 की अनियमितता/दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए डा० अरुण कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	श्रमांश प्रर व्यय	योग
1.	डिबनी बंजरवा में फैसल गद्दी के घर से राम पटेल के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य	732810.00	124355.00	857165.00
2.	लछिया देवरिया में लछिया खास में सुभाष सिंह के घर से दक्षिण हरिजन बस्ती होते हुए नहर तक सी.सी. रोड	674856.00	96675.00	771531.00
3.	लछिया देवरिया में संजय कुशवाहा के घर से दीनालाल के घर तक सीसी रोड	475014.00	68005.00	543019.00
4.	ग्राम पंचायत धुरिया इमिलिया में सुतन यादव के घर से रामनाथ के घर पोखरा के पास पिच मार्ग तक सी.सी. रोड	1043177.00	126000.00	1169177.00
5.	ग्राम पंचायत तमकुही में तहसील परिसर से उत्तर गेट से मुख्य गेट तक सीसी रोड निर्माण कार्य	408726.00	49000.00	457726.00
6.	ग्राम पंचायत सब्या बुजुर्ग में समउर पिच मार्ग से रमाकांत के घर से रहमान मियां के घर तक सीसी रोड	781192.00	92925.00	874117.00
7.	ग्राम पंचायत धूलिया इमिलिया में प्रेम यादव के घर से हीरा हरिजन के घर होते हुए अयोध्या गुप्ता के	538088.00	63000.00	601088.00
8.	ग्राम पंचायत पुरैना कटैया में पारस शाही के घर से विश्राम यादव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य	400507.00	46900.00	447407.00
9.	ग्राम पंचायत पुराना कटैया में शंभू शाही के घर से रामानंद के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य	291463.00	34300.00	325763.00
कुल योग		5345833.00	701160.00	6046993.00

(मूल आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
	6046993.00		6046993.00

प्रस्तर सं० :8 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2018-19 में प्रारूप-1 के क्रम संख्या 1, 3 व 4 पर दर्शित कार्यों का कार्य प्रभारी श्री सत्य प्रकाश मिश्र, कनिष्ठ सहायक को बनाया गया है, जो शासनादेश संख्या 6512 दिनांक 25.08.2010 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार अधिकारी द्वारा अनियमित रूप से रु० 1424820.00 का कार्य विकासखंड स्तरीय कर्मचारी को कार्यप्रभारी न बनाकर कनिष्ठ लिपिक से कराया गया है जो अनियमित रहा। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी, श्री डा० अरुण कुमार यादव उत्तरदायी है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	श्रमांश प्रर व्यय	योग
1.	विकास खंड तमकुही में आवास	234230.00	116875.00	351105.00
2.	खंड विकास अधिकारी, तमकुही के बड़ा	376473.00	145870.00	522343.00
3.	खंड विकास अधिकारी, तमकुही के	331547.00	219825.00	551372.00
योग				1424820.00

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	1424820.00	1424820.00

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत :नेबुआ नौरंगिया की वर्ष2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड :नेबुआ नौरंगिया।

प्रस्तर सं० :9वर्ष2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न योजनाओं पर किये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावलियों/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त मदों पर किया गया व्यय अप्रमाणित रहा।

1.	जे.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी /कान्टीजेन्सी	2017-18	344558.00	प्रमाणक अप्राप्त
2.	पेय जल स्वच्छता समिति	2017-18	60000.00	प्रमाणक अप्राप्त
3.	विधायक निधि	2017-18	2080272.18	प्रमाणक अप्राप्त
4.	मनरेगा प्रशासन व सामग्री	2017-18	2518453.00	प्रमाणक अप्राप्त
5.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	2017-18	19457.00	प्रमाणक अप्राप्त
6.	सांसद विकास निधि	2017-18	52.34	प्रमाणक अप्राप्त
7.	गोवंश आश्रय	2018-19	50000.00	प्रमाणक अप्राप्त
8.	मुख्यमंत्री सामूह विवाह योजना	2018-19	2514535.00	प्रमाणक अप्राप्त
9.	जे.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी /कान्टीजेन्सी	2018-19	200588.00	प्रमाणक अप्राप्त
10.	विधायक निधि	2018-19	1974717.00	प्रमाणक अप्राप्त
11.	मनरेगा प्रशासन व सामग्री	2018-19	5327817.00	प्रमाणक अप्राप्त
12.	सांसद विकास निधि	2018-19	494060.67	प्रमाणक अप्राप्त
योग			15584510.59	

व्यय प्रमाणक के अभाव में विभिन्न मदों के अन्तर्गत अंकित धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से उसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	15584510.59	15584510.59

प्रस्तर सं० :10 प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं०-1838/33-3-2015 -03/2015 दिनांक 31.07.2015 में संदर्भित शासनादेश सं०-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 14.06.2015, शासनादेश 866/33-2-10-93जी/2014टी०सी० दिनांक 26.06.2014 एवं शासनादेश सं०-8307/33-3-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा क्षेत्र पंचायतों को संकलित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यक क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें स्थानान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा। वर्ष 2018-19 के संलग्न प्रारूप-1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में क्रमांक 1 से 23 (क्र. 22 को छोड़कर) पर अंकित सभी कार्य किसी ग्राम विशेष के अन्तर्गत कराये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेशों का उलंघन करते हुए रु०7950232.00 का अनियमितता/दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल व श्री कुमार कार्तिकेय उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम/ग्राम	सामग्री पर व्यय	श्रमांश पर व्यय	योग
1.	ग्राम सभा बसंतपुर में खाद गड्ढा के पास रैनबसेरा निर्माण कार्य।	276521.00	76909.00	353430.00
2.	ग्राम सभा नरायनपुर में हरिवंश के घर से रामनरेश तिवारी के घर जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	376629.00	55814.00	432443.00
3.	ग्राम सभा गुलरिहा में गजाधर तिवारी के दरवाजे से लेकर जब्बार अली के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	329551.00	45474.00	375025.00
4.	ग्राम सभा सुथरौलीसे पिपरा बुजुर्ग जाने वाले पिच मार्ग पर 1x3 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया/	457948.00	109736.00	567684.00
5.	कोटवा में मेन पिच मार्ग रेखा के घर से कबीर कुटी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	379701.00	56760.00	436461.00
6.	ग्राम सभा रामपुर भांड में लक्ष्मीगंज पिच मार्ग से रामचन्द्र प्रधान के घर तक खड़न्जा मरम्मत।	149419.00	37282.00	186701.00
7.	ग्राम पंचायत बरगहा में करमुल्लाह के खेत के पास 1x2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया निर्माण।	412227.00	29050.00	441277.00
8.	ग्राम सभा लक्ष्मीपुर में नागेन्द्र तिवारी के खेत के पास 1x2 मीटर की आरसीसी पुलिया निर्माण।	675096.00	92750.00	767846.00
9.	ग्राम सभा पकड़ीयार में प्रा० वि० से शंकर गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	335513.00	52940.00	388461.00
10.	ग्राम सभा ढोलहा गुलहरिया में एनुद्दीन के घर से मुसाहब के खेत तक खड़न्जा निर्माण।	87245.00	19006.00	106251.00
11.	सिरसिया कला के टोला विरमान में घुघुली मेन रोड से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य।	34582.00	54075.00	88657.00
12.	ग्राम सभा लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मी पट्टी लघुनही टोला में गोबरी के घर से औतार हरिजन के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य।	12390.00	—	12390.00

13.	ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मी पट्टी में लक्ष्मीपुर माइनर सीताराम के खेत के पास व बहादुर कुर्मी के खेत के पास ठोकर निर्माण	388772.00	107100.00	495872.00
14.	ग्राम सभा कोटवा कला में इंद्रीश मास्टर के घर से दसई के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	367564.00	57050.00	424614.00
15.	ग्राम सभा ढोलहा में बड़ी मस्जिद से छोटी मस्जिद तक इण्टरलाकिंग कार्य।	343511.00	56175.00	399686.00
16.	ग्राम पंचायत कोहरगडडी में सुखलाल चौहान के घर से लोरिक धोबी के घर तक नाली मरम्मत कार्य।	76604.00	21000.00	97604.00
17.	ग्राम सभा रामपुर भांठ टोला दिउलिया में लक्ष्मीपुर मार्ग पर ओमप्रकाश के खेत से गया चन्द के खेत तक अवशेष खड़न्जा कार्य।	53970.00	12600.00	66570.00
18.	ग्राम पंचायत सिंगहा भरपरिया जाने वाले मार्ग पर 1X3 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया का निर्माण।	594739.00	149625.00	744364.00
19.	ग्राम सभा च० मु० पट्टी में मिश्रा टोला में मेन पिच मार्ग से छोटे मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	376847.00	59150.00	435997.00
20.	ग्राम पंचायत मझार विन्दवलिया में पारस यादव के घर से कुआं तक इण्टरलाकिंग कार्य।	286226.00	47770.00	333996.00
21.	सिंगहा में रैनबसेरा निर्माण।	268835.00	88025.00	356860.00
23.	ग्राम सभा पड़री मेहदिया में चौराहे से पश्चिम धोबी घाट तक इण्टरलाकिंग कार्य।	381693.00	56350.00	438043.00
कुल योग		6665583.00	1284649.00	7950232.00

(मूल आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	7950232.00	—	7950232.00

प्रस्तर सं० :11 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में गोबरी के घर से औतार हरिजन के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु रु०12390.00 की सामग्री क्रय की गयी है। परन्तु अभिलेखों में उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। क्रय सामग्री का लेखांकन स्टाक रजिस्टर में भी नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य नहीं कराया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य पर दिनांक 19.02.2019 को रु०12390.00 व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कार्यप्रभारी, श्री नागेन्द्र सिंह लेखाकार, श्री राजेश्वर गुप्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी, कुमार कार्तिकेय मिश्र द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित सेकिया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
12390.00	—	—	12390.00

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत :खड़डा की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड :खड़डा

प्रस्तर सं० :12 लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2018-19 में वर्षवार आयकर देय धनराशि, कटौती की धनराशि तथा वैट की देय व कटौती व अवशेष की स्थिति निम्नवत रही :-

वर्ष	सामग्री पर भुगतान की	देय आयकर 2.24 प्रतिशत	देय वैटकर 4 प्रतिशत	जी.एस.टी. कटौती	चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि

	धनराशि			2.00प्रतिशत	
2017-18 30.09.2017 के पूर्व	3626829.00	81240.97	145073.16	---	61050.00
30.09.2017 के बाद	981594.00	21987.70	---	19631.88	
2018-19	5750233.00	1288050.22	---	115004.66	164225.00
योग	232033.89	145073.16	134636.54	225275.00	

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2018-19 में कुल देय आयकर रु० 232033.89 तथा देय वैटकर रु०145073.16 तथा जी.एस.टी. रु०134636.54 कुल देय रु०511743.59 रहा। उक्त के सापेक्ष ट्रेजरी चालान द्वारा रु०225275.00 ही जमा की गयी है। अन्तर की धनराशि (511743.59-225275.00) रु०286468.59 को जमा न कर के राजस्व की हानि की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से धनराशिब्याज सहित वसूल कर आयकर व वाणिज्य कर विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०-07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	286468.59	286468.59

प्रस्तर सं० :13 दिनांक 31.03.2019 को अनुदान मद की अवशेष धनराशि रु०7015738.00 को अनुदान दाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	7015738.00	7015738.00

प्रस्तर सं० :14 शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस/2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो प्राप्त आय संसथा की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। दिनांक 31.03.2019 को कुल ब्याज रु०3244637.00 राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

(मू०आ०-09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	3244637.00	3244637.00

प्रस्तर सं० :15 वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कुल रु०27635.00 की धनराशि व्यय प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट रही।

लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय की गयी धनराशि	लेखा परीक्षा वर्ष में प्रस्तुत व्यय प्रमाणकों की धनराशि		अन्तर की धनराशि रुपये में
	प्रारूप-1 के अनुसार	प्रशासनिक मद में एवं वापस की गयी व्यय की धनराशि	
25537654.00	13123861.00	12386158.00	27635.00

इस प्रकार कुल रु०27635.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिससे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
27635.00	..---	---	27635.00

प्रस्तर सं० :16 इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद में जनवरी 2018 का अन्तिम शेषरु०641817.00 की जगह ग्राण्ट रजिस्टर में रु०641745.00 ही अंकित है। इस प्रकार रु०72.00कम अंकित कर अपहरण कर लिया गया है। सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू०आ०-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
72.00	..---	---	72.00

प्रस्तर सं० :17 इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद में वर्ष 2018-19 के माह मार्च 2019 में आय के सापेक्ष रु०4696.00 से अधिक व्यय किया गया है। जिससे अन्तिम अवशेष दिनांक 31.03.2019 को (—) रु०4696.00 ग्राण्ट रजिस्टर में अंकित है। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4696.00	4696.00

प्रस्तर सं० : 18 दिनांक 02.01.2019 को रु०24050.00 चेक संख्या-411876 द्वारा श्री अतुल सत्संगी, ए. डी.ओ. कोआपरेटिव को मिट्टी का भुगतान किया गया है। जबकि उक्त भुगतान सीधे मिट्टी आपूर्तिकर्ता को होना चाहिए। अतः रु०24050.00 अनियमित व्यय किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	24050.00	24050.00

प्रस्तर सं० : 19 दिनांक 23.04.2018 चेक संख्या-171132 रु०18055.00 दिनांक 22.05.2018 चेक संख्या-171150 रु०54703.00, दिनांक 22.05.2018 चेक संख्या-171151 रु०31400.00, दिनांक 21.06.2018 चेक संख्या-171166 रु०37970.00 कुल रु०142128.00 का भुगतान श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, ए.डी. ओ. आई.एस.बी. को मिट्टी कार्य हेतु किया गया है। जबकि उक्त भुगतान सीधे मिट्टी आपूर्तिकर्ता को होना चाहिए। अतः रु०142128.00 का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	142128.00	142128.00

प्रस्तर सं० : 20 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक सचिव उ०प्र० शासन पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 में संदर्भित शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 शासनादेश संख्या-866/33-2-10-93 जी. 0/2014 टी.सी. दिनांक 26.06.2014 व शासनादेश संख्या-8307/33-3-2004-93जी./2004 दिनांक 12.01.2005 के अनुसार बिन्दु (2) क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय। तत्क्रम में ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में इण्टरलाकिंग कार्य में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल रु०2785849.00 का अनियमित व्यय किया गया है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1.	2017-18	भुजौली में सुदर्शन के घर से हरिओम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	345940.00	खण्ड विकास अधिकारी
2.	2017-18	करदह में श्यामनारायन के घर से सूरज यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	592380.00	"
3.	2017-18	भेड़िहवा में विजय चौहान के घर से विश्वनाथ कुर्मी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	343146.00	"
4.	2017-18	दरगौली में राजवंशी के घर से बिजली मुसहर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	343755.00	"

5.	2017-18	रामनगर में महेश शर्मा के घर से साहनी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	344892.00	"
6.	2018-19	कटाई भरपुरवा में टीमल के घर से जिउत के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	407842.00	"
7.	2018-19	बोधी छपरा में सरतेज के घर से महन्थ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	407894.00	"
योग			2785849.00	

(मू०आ०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	..2785849.00	2785849.00

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत :कसया की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड :कसया

प्रस्तर सं० :21 दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न योजना मद में रु०7840207.98 अनुदान अवशेष रहा जिसे वर्ष के दौरान न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया गया और न ही सम्बंधित विभाग को वापस किया गया है। अनुदान की धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग न किये जाने से विकास कार्य प्रभावित रहा। वर्षान्त में अवशेष धनराशियों को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था। अगले वित्तीय वर्ष में पिछले अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु सम्बंधित विभाग से अनुमति लेना चाहिए था। इस अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री ध्रुव दूबे उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	7840207.98	780207.98

प्रस्तर सं० :22 शासनादेश संख्या 6512/38-7-7010-10 एन.आर.पी.ए./05 टी.सी. दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को अवमुक्त की गयी धनराशि कराये गये कार्यों का कार्य प्रभारीक्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को ही बनाया जाना चाहिए और यदि ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी कार्यप्रभारी के रूप में योजना पर कार्य कर रहे हैं तो वह स्वयं तथा सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी भी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड के परिसर में भवन सूचना केन्द्र के बगल में भवन मरम्मत हेतु श्री मुन्ना लाल विश्वकर्मा ग्राम विकास अधिकारी को कार्यप्रभारी बनाया गया है, जिनके द्वारा इस योजना पर निम्नविवरण के अनुसार कार्य किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1.	14.08.2017	777806	82250.00	अभय एसोसिएट छितौनापट्टी, हेतिमपुर
2.	14.08.2017	777811	17100.00	श्री मुन्ना लाल विश्वकर्मा ग्राम विकास अधिकारी
योग			99350.00	

इस प्रकार मु० 99350.00 की धनराशि अनियमित के लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री मुन्ना लाल विश्वकर्मा एवं श्री राजाराम खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं०-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	99350.00	99350.00

प्रस्तर सं० :23 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड परिसर में भवन सूचना केन्द्र के बगल में भवन मरम्मत हेतु सामग्री के लिए अभय एसोसिएट को रु०82250.00 का भुगतान

किया गया है, जिस पर आयकर अधिनियम की धारा-194(सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान से पूर्व निर्धारित दर 2 प्रतिशत से मु०1645.00 आयकर की कटौती बिल से नहीं की गयी है। अतः उक्त धनराशि से राजकीय क्षति हुयी है। अभय एसोसिएट से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1645.00	---	---	1645.00

प्रस्तर सं० :24 यू० पी० वैंट के स्थान पर दिनांक 01.07.2017 से जी०एस०टी० लागू हुआ, जो 01.10.2018 से प्रभावी हुआ। वर्ष 2018-19में अभय एसोसिएट द्वारा 05.10.2018 से 19.03.2019 तक मु०3217190.00 की सामान आपूर्ति की गयी है, जिस पर 2 प्रतिशत की दर से 64343.80 जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है। इनसे अविलम्ब ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम, श्री अरविन्द कुमार, श्री राकेश कुमार त्रिपाठी एवं श्री ध्रुव दूबे उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
64343.80	---	---	64343.80

प्रस्तर सं० :25 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त योजना से निम्नविवरण के अनुसार मनरेगा लेखाकार को भुगतान किया गया है। जो अनियमित रहा, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद, श्री प्रभाकर चौबे एवं श्री अरविन्द कुमार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1.	07.04.2017	777796	5048.00	श्री राकेश कुमार
2.	31.05.2017	777803	2350.00	श्री राकेश कुमार
3.	04.03.2018	777819	5124.00	
योग			12522.00	

(मूल आ०सं०-26)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	12522.00	12522.00

प्रस्तर सं० : 26 आलोच्य वर्षों में निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराया गया है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो ग्राम पंचायत को जोड़ने लिए निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए, ऐसा न करके मु०2821620.00 सामग्री तथा 533350.00 मजदूरी कुल 3354970.00 की धनराशि का अनियमित व्यय किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ध्रुव दूबे उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	निर्माण कार्य	सामग्री	मजदूरी	योग
1.	सिरसिया खोहिया में विनोद सिंह के घर से मधुबन सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	502308.00	78850.00	581158.00
2.	पिपराझाम डीहबाबा स्थान से शरीफ मियां के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	553582.00	83375.00	636957.00
3.	पिपराझाम में सड़क के दोनों तरफ चौड़ी पक्की नाली	773708.00	186475.00	960183.00
4.	पिपराझाम टोला छेरीयहवा रामप्रीत के घर से प्रा०वि० तक इण्टरलाकिंग कार्य	613513.00	119225.00	732738.00
5.	भैसहां डुमरी में राजीव सिंह के	378509.00	65425.00	443934.00

	दरवाजे से सुबाष राव के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य			
	योग	2821620.00	533350.00	3354970.00

(मूल आ.सं. 26)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	3354970.00	3354970.00

प्रस्तर सं० : 27 उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं०-के.ए.एन./2-1315/सी.-9-10/08 यू०पी० वेट एक्ट 2008 आर्डर (101)/2013 दिनांक 07.10.2013 के द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता को भुगतानित धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वेट काटना चाहिए तथा उ० प्र० मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-34 के अनुसार वेट की कटौती जमा न करके अपराध माना गया है।

आलोच्य वर्षों में दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2018 तक अभय एसोसिएट छितौनापट्टी, हेतिमपुर द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार कुल 1308128.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी है। जिसपर 4 प्रतिशत से वेट मु०52325.12 होता है, जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम एवं श्री ध्रुव दूबे उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री आपूर्ति की धनराशि
1.	विकास खण्ड कसया में ब्लाक परिसर में भवन सूचना केन्द्र के बगल में भवन मरम्मत कार्य	82250.00
2.	विकास खण्ड कसया में खण्ड विकास अधिकारी आवास की सफेदी	193549.00
3.	विकास खण्ड कसया के आवासों का मरम्मत कार्य	533374.00
4.	विकास खण्ड कसया के ब्लाक परिसर स्थित आवास का मरम्मत, रंगाई, पोताई इत्यादि	499155.00
	योग	1308128.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
52325.12	---	---	52325.12

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : मोतीचक की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : मोतीचक।

प्रस्तर सं० : 28 लेखा लेखा परीक्षा में पाया गया कि संलग्न प्रारूप-3 के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से वेट 4 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी है और न तो वेट कटौती को जमा की गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है :-

वाउचर्स सं./दिनांक	वा० की धनराशि	वेट की कटौती की जानी चाहिए था	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म में जी.पी. ट्रेडर्स
08 / 12.01.2018	146517.00	5861.00	"
27 / 28.02.2018	337354.00	13494.00	"
62 / 08.05.2018	116743.00	4670.00	"
28 / 28.02.2018	161313.00	6470.00	"
60 / 23.04.2018	79557.00	3128.00	"
26 / 28.02.2018	344605.00	13784.00	"
44 / 02.04.2018	206910.00	8276.00	"
47 / 02.04.2018	194029.00	7761.00	"
59 /	330348.00	13214.00	"
45 / 01.04.2018	135442.00	5418.00	"

48 / 01.04.2018	300604.00	12024.00	"
63 / 16.04.2018	194923.00	7797.00	"
58 / 02.04.2018	208628.00	8345.00	"
31 / 02.07.2018	239570.00	9583.00	"
योग		119825.00	

(मूल आ० सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
119825.00	---	---	119825.00

प्रस्तर सं० : 29 लेखा लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक जी.एस.टी. की कटौती नहीं की गयी है और न तो जी.एस.टी विभाग में जमा ही की गयी है। इसके लिए सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रमाणक सं./दिनांक	प्रमाणक की धनराशि	2 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. की कटौती	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म
136 / 07.01.2019	116636.00	2333.00	जी.पी. ट्रेडर्स
244 / 10.03.2019	47058.00	941.00	"
137 / 03.01.2019	80065.00	1601.00	"
148 / 12.01.2019	147962.00	2959.00	"
246 / 11.03.2019	150183.00	3004.00	"
127 / 16.12.2018	756333.00	15127.00	"
249 /	411785.00	8236.00	"
146 / 12.01.2019	135876.00	2718.00	"
138 / 03.01.2019	69028.00	1381.00	"
144 / 07.01.2019	103286.00	2066.00	"
21 / 10.01.2019	371360.00	7427.00	"
61 / 04.03.2019	170369.00	3407.00	"
128 / 16.12.2019	445634.00	8913.00	"
135 / 03.01.2019	107966.00	2159.00	"
145 / 12.01.2019	177886.00	3558.00	"
योग		65830.00	

(मूल आ० सं०-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
65630.00	---	---	65630.00

प्रस्तर सं० : 30 लेखा परीक्षा में पाया गया कि संलग्न प्रारूप-1 (निर्माण कार्य का विवरण) से विदित होता है कि अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र सीमान्तर्गत कराये गये हैं। जो कि क्षेत्र पंचायत के अधिकार में नहीं है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18 में किये गये कार्य :-

कार्य का नाम व पूर्ण पता	सामग्री की धनराशि	मजदूरी
1. ग्राम पंचायत बडहरा में लक्ष्मीपुर पिच के पास जगदीश के खेत से राधेश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	116743.00	30625.00
	337354.00	25025.00
2. ग्राम पंचायत खैरेटवा में राम पाण्डेय के घर से गोपाल पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	161313.00	23975.00
	79557.00	9975.00
3. ग्राम पंचायत सतभारिया में अयोध्या गुप्ता के घर से राजेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	344605.00	40775.00
	206910.00	26250.00
4. ग्राम सोनबरसा में बाबूलाल के घर से हाटा पिपराइच मार्ग तक इण्टरलाकिंग	194029.00	2800.00
	330348.00	39200.00
5. ग्राम सोनहा में इन्द्रीश के दरवाजे से डा० सिंहासन के घर तक इण्टरलाकिंग	135442.00	19950.00

6.	ग्राम सिकरा में टेंगई के घर से रामऔतार के घर तक इण्टरलाकिंग	300604.00	40425.00
7.	ग्राम पकौली मस्जिद के पास हमीद अली के घर से अरुण शाही के घर तक इण्टरलाकिंग	194923.00	26950.00
8.	ग्राम गंगा में ईदगाह में इण्टरलाकिंग कार्य	208628.00	27125.00
9.	ग्राम भलुआ में राम नरेश त्रिपाठी के खेत से राधेश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग	239570.00	33600.00

वर्ष 2017-18 में किये गये कार्य :-

कार्य का नाम व पूर्ण पता	सामग्री की धनराशि	मजदूरी
1. फर्द मुण्डेरा में फर्द मुण्डेरा सीवान से शिवमन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	756333.00	109325.00
2. गंगा में यूनियन बैंक गंगा से डीहबाबा से पुरानी सी.सी. मार्ग पर मरम्मत	411785.00	51895.00
3. ग्राम सतभारिया में गोपाल के घर से परदेशी के घर होते हुए जयकरन के घर तक इण्टरलाकिंग	135876.00	20600.00
4. ग्राम सतभारिया में कैलाश के घर से रामऔतार के घर तक इण्टरलाकिंग	69028.00 103286.00	13965.00 11305.00
5. ग्राम पकौली मनुर्ही में शिवहरख के घर से नागेश के घर जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग	371360.00	55505.00
6. ग्राम लक्ष्मीपुर घूस में पिपराइच रोड से सम्पत सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	170369.00 445634.00	26025.00 63865.00
7. तेलंगना सिनुहिया में छोटी नहर से हनुमान जी के मन्दिर होते हुए संतोष सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	107966.00 177886.00	22960.00 17890.00
योग	5599549.00	765210.00

(मूल आंसं०-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	6364759.00	6364759.00

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : पडरौना की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ ।

विकास खण्ड : पडरौना ।

प्रस्तर सं० : 31 वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न योजनाओं पर किये गये वापसी धन से सम्बंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं कर गयीं जिससे उक्त मदों पर किया गया व्यय अप्रमाणित रहा । ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

क्र.	योजना का नाम	व्यय का वर्ष	धनराशि	विवरण
1.	ब्याज मद	2017-18 व 2018-19	2491255.00	वापस धनराशि की पुष्टि में रसीदें अप्राप्त

(मूल आंसं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	2491255.00	2491255.00

प्रस्तर सं० : 32 वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न योजनाओं पर किये गये व्य से सम्बंधित पत्रावलियाँ/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त मदों पर किया गया व्यय अप्रमाणित रहा । जिसकी श्री आनन्द प्रकाश एवं श्री संजय कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी व श्री महेन्द्र प्रताप व श्री अलीउद्दीन अंसारी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्र.	योजना का नाम	व्यय का वर्ष	धनराशि	विवरण
1.	सांसद निधि	2017-18 व 2018-19	695353.00	प्रमाणक अप्राप्त

2.	इन्दिरा आवास	2017-18 व 2018-19	72000.00	बाबा स्टेशनर्स को भुगतान प्रमाणक अप्राप्त
3.	स्वच्छता समिति	2017-18 व 2018-19	498450.00	प्रमाणक अप्राप्त
4.	प्रधा० आवास प्रशा० मद	2017-18 व 2018-19	1146317.00	प्रमाणक अप्राप्त
5.	रा० ग्रा० आजी० मिशन	2017-18 व 2018-19	79800.00	प्रमाणक अप्राप्त
6.	रा० पेय जल स्वच्छता	2017-18 व 2018-19	52000.00	प्रमाणक अप्राप्त
योग			2412120.00	

(मूल आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2412120.00	---	---	2412120.00

प्रस्तर सं० :33 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस/2012-10-(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/201/ए-1-502/दस-2015 -10-(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। परन्तु आलोच्य वर्ष 31.03.2019 तक विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु०3981261.48 ब्याज अर्जित किया गया है, जिसे राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया है। जो आपत्तिजनक है। इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	3981261.48	3981261.48

प्रस्तर सं० : 34 वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय पर नियमानुसार आयकर व जी. एस.टी. की कटौती फर्मों से नहीं की गयी है जिससे सरकार को रु०304503.00 की क्षति हुयी है। टैक्स वसूल न होने से हुयी क्षति की वसूली सम्बंधित फर्मों से की जानी अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की दशा में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है:-

फर्म का नाम	कुल खरीद	आयकर	जी.एस.टी	योग	कर जो काटा गया	अन्तर
देवदत्त कु० सिंह	5989701.00	119794.00	119794.00	239588.00	119797.00	119791.00
बाबा सिद्धनाथ कं०	7847336.00	156947.00	156947.00	313893.00	156860.00	157033.00
श्रीगणेश इंटर०	877219.00	17544.00	17544.00	35089.00	17589.00	17500.00
गीता देवी	482234.00	9645.00	9645.00	19289.00	9110.00	10179.00
योग						304503.00

(मूल आ०सं०-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	304503.00	---	304503.00

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : फाजिलनगर की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : फाजिलनगर।

प्रस्तर सं० : 35 वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि पत्रावली में संलग्न मस्टररोलों के आधार पर श्रमिकों को उनके मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को चेक निर्गत किये गये हैं तथा कार्यप्रभारी द्वारा मजदूरी भुगतान हेतु चेक प्राप्त किया गया है जो संलग्न प्रारूप-4 से स्पष्ट है। मजदूरी के भुगतान हेतु महीनों बाद चेक प्राप्त करने का औचित्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी भुगतान में अनियमितता/अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। श्रमिकों की उपस्थिति व मजदूरी भुगतान की पुष्टि में निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं कराये गये हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीनखण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

नाम कार्यप्रभारी	धनराशि
1. श्री ध्रुव दूबे	422250.00
2. श्री राम किशोर सिंह	659525.00
3. श्री रबिन्द्र कुमार	135450.00
4. श्री रामइकबाल सिंह	93925.00
5. श्री सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	125300.00
6. श्री केशव राय	253150.00
7. श्री केदारनाथ कुशवाहा	51500.00
	1741100.00

क्र.सं.	कार्य प्रभारी का नाम	प्रारूप-1 में अंकित कार्य का क्रमांक	प्रारूप-4 के अनुसार			वर्ष
			म० रोल सं०	दिनांक	धनराशि	
1.	श्री ध्रुव दूबे	1	41602	18.08.2017	40575.00	2017-18
	श्री ध्रुव दूबे	2	41603	18.08.2017	48850.00	2017-18
	श्री ध्रुव दूबे	3	41604	18.08.2017	53450.00	2017-18
	श्री ध्रुव दूबे	3	41607	04.09.2017	8400.00	2017-18
	श्री ध्रुव दूबे	5	41616	07.12.2017	64750.00	2017-18
	श्री ध्रुव दूबे	5	41614	07.11.2017	38675.00	2017-18
	श्री ध्रुव दूबे	5	41608, 41609	15.09.2017	120050.00	2017-18
	श्री ध्रुव दूबे	13	41619	07.12.2017	47500.00	2017-18
	योग				422250.00	
2.	रामकिशोर सिंह	4	41605	18.08.2017	50300.00	2017-18
	रामकिशोर सिंह	7	41611	16.09.2017	48625.00	2017-18
	रामकिशोर सिंह	10	41615	27.11.2017	27825.00	2017-18
	रामकिशोर सिंह	11	41617	07.12.2017	48125.00	2017-18
	रामकिशोर सिंह	12	41618	07.12.2017	49850.00	2017-18
	रामकिशोर सिंह	6	41663 व 64	01.11.2018	56675.00	2018-19
	रामकिशोर सिंह	7	41654	24.08.2018	56350.00	2018-19
	रामकिशोर सिंह	8	41685	04.12.2018	15675.00	2018-19
	रामकिशोर सिंह	9	41660	24.08.2018	42525.00	2018-19
	रामकिशोर सिंह	10	41657 व 58	24.08.2018	73550.00	2018-19
	रामकिशोर सिंह	13	41690	13.08.2018	72850.00	2018-19
	रामकिशोर सिंह	14	41693	13.08.2018	64050.00	2018-19
	रामकिशोर सिंह	17	41651, 41687	13.08.2018	53125.00	2018-19
	योग				659525.00	
3.	रबिन्द्र कुमार	6	41610	16.09.2017	43750.00	2017-18
	रबिन्द्र कुमार	9	41612 व	16.09.2017	91700.00	2017-18

			13			
	योग				135450.00	
4.	रामइकबाल सिंह	14	41620	13.12.2017	48200.00	2017—18
	रामइकबाल सिंह	16	41632	03.05.2018	45725.00	
	योग				93925.00	
5.	सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	1	41681	07.03.2019	66950.00	2018—19
	सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	4	41682	26.03.2019	58350.00	2018—19
	योग				125300.00	
6.	केशव राय	2	41671	26.11.2018	51475.00	2018—19
	केशव राय	5	41666, 41669	30.10.2018	54400.00	2018—19
	केशव राय	11	41696	20.08.2018	58275.00	2018—19
	केशव राय	12	41652	20.08.2018	63350.00	2018—19
	केशव राय	3	41665	30.10.2018	25650.00	2018—19
	योग				253150.00	
7.	केदारनाथ कुशवाहा	15	41697	29.05.2018	51500.00	2018—19
	योग				51500.00	

(मूल आंसं-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1741100.00	1741100.00

प्रस्तर सं० : 36 वर्ष 2018—19 में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय पर नियमानुसार बिक्रीकर व जी. एस.टी. की कटौती फर्मों से नहीं की गयी है जिससे सरकार को रु० 179121.94 की क्षति हुयी है। टैक्स वसूल न होने से हुयी क्षति की वसूली सम्बंधित फर्मों से की जानी अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की दशा में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

फर्म का नाम	कुल खरीद	बिक्री कर	जी.एस.टी	कर जो नहीं काटा गया
सूर्या ब्लाक	2800677.00	112027.08	—	112027.08
सूर्या ब्लाक	1484494.00	—	29689.88	29689.88
जयप्रकाश	744009.00	29760.36	—	29760.36
जयप्रकाश	382231.00	—	7644.62	7644.62
योग				179121.94

(मूल आंसं-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	179121.94	—	179121.94

प्रस्तर सं० :37 वर्ष 2018—19 में कोइलसवा से रघुनन्दनपुर में मस्जिद के पास पल्टू के घर से वासुदेव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में सूर्या ब्लाकस को बिल संख्या 310, 311, 312, 313, 314, 315 की कुल धनराशि रु०278782.26 थी, जिसपर कटौती के बाद रु०266401.97 भुगतान करना था। परन्तु लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रु०349296.00 का भुगतान कर रु०82894.03 का अधिक भुगतान कर दिया गया है। जिसकी श्री शेषनाथ चौहान खण्ड विकास अधिकारी तथा एम.के. चौबे लेखाकार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि
310 / 10.10.2018	43594.85
310 / 10.10.2018	47677.71
310 / 10.10.2018	47740.00
310 / 10.10.2018	47740.00
310 / 10.10.2018	47740.00

310 / 10.10.2018	44289.70
योग	278782.26

(मूल आ०सं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	82894.03	---	82894.03

प्रस्तर सं० :38 ग्राण्ट रजिस्टर-2 व ग्राण्ट रजिस्टर-3 की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 के व्यय में रु० 200439.00 का अन्तर है। जिसका विवरण निम्न है। अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। रुपया 200439.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी से की जानी अपेक्षित है।

माह	ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार	ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार	अन्तर
7 / 2018	13648.00	36619.00	22971.00
11 / 2018	979033.00	998023.00	18990.00
12 / 2018	69013.00	144705.00	75692.00
1 / 2019	102500.00	200500.00	98000.00
3 / 2019	820350.00	805136.00	15214.00
योग			200439.00

(मूल आ०सं०-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	200439.00	200439.00

प्रस्तर सं० :39 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मनरेगा प्रासंगिक मद में निम्न विवरण के अनुसार डीजल, जीप मरम्मत, प्रिन्टर मरम्मत व अज्ञात पर व्यय दर्शाकर रु०93126.00 का भुगतान श्री रविन्द्र कुमार, भण्डार लिपिक को किया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक तथा डीजल उपभोग का लागबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे किया गया भुगतान अपुष्टित रहा। लेखाकार श्री एम.के. चौबे व खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार यादव एवं श्री शेषनाथ चौहान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
592147	09.04.2018	23035.00	प्रिन्टर मरम्मत मेजपोश, जीप मरम्मत, डीजल आदि
592438	15.06.2018	19000.00	डीजल ब्यय
592445	05.07.2018	21341.00	अज्ञात
592449	29.08.2018	12000.00	डीजल ब्यय
592462	26.03.2019	4040.00	अज्ञात
592463	26.03.2019	10110.00	अज्ञात
592469	26.03.2019	3600.00	अज्ञात
योग		93126.00	

(मूल आ०सं०-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
93126.00	---	---	93126.00

प्रस्तर सं० : 40 प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश सं०-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में संदर्भित शासनादेश सं०-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 14.06.2015, शासनादेश 866/33-2-10-93जी/2014 टी०सी० दिनांक 26.06.2014 एवं शासनादेश सं०-8307/33-3-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जायें तथा क्षेत्र पंचायतों को संकलित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यक क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें स्थानान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50

प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा। वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 के संलग्न प्रारूप-1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में क्रमांक 1 से 4 तक तथा क्रमांक 11 से 14 तक तथा वर्ष 2018-19 में क्रमांक 1 से 17 पर अंकित सभी कार्य किसी ग्राम विशेष के अन्तर्गत कराये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेशों का उलंघन करते हुए रु०9752467.86 की अनियमितता/दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	प्रारूप-1 के अनुसार कार्य की क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	सामग्री पर व्यय	श्रमांश	कार्य पर कुल व्यय
1.	1	2017-18	351411.00	40575.00	391986.00
2.	2	2017-18	351527.00	50273.00	401800.00
3.	3	2017-18	411235.00	65665.00	476900.00
4.	4	2017-18	350736.00	50664.00	401400.00
5.	11	2017-18	355353.00	47508.00	402861.00
6.	12	2017-18	355157.00	50914.00	406071.00
7.	13	2017-18	388102.00	47687.00	435789.00
8.	14	2017-18	354900.00	50684.00	405584.00
9.	1	2018-19	365774.00	66950.00	432724.00
10.	2	2018-19	345126.00	51475.00	396601.00
11.	3	2018-19	169637.00	25650.00	195287.00
12.	4	2018-19	315226.00	58350.00	373576.00
13.	5	2018-19	353984.00	54400.00	408384.00
14.	6	2018-19	365307.00	56675.00	421982.00
15.	7	2018-19	340938.96	56350.00	397288.96
16.	8	2018-19	53337.00	15675.00	69012.00
17.	9	2018-19	210142.79	42525.00	252667.79
18.	10	2018-19	474535.42	73550.00	548085.42
19.	11	2018-19	378898.00	58275.00	437173.00
20.	12	2018-19	411209.00	63350.00	474559.00
21.	13	2018-19	473412.00	72850.00	546262.00
22.	14	2018-19	414434.69	64050.00	478484.69
23.	15	2018-19	317077.00	51500.00	368577.00
24.	16	2018-19	353323.00	45725.00	399048.00
25.	17	2018-19	177240.00	53125.00	230365.00
	योग		8438022.86	1314445.00	9752467.86

मूल आपत्ति संख्या-22

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	9752467.86	9752467.86

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत :सेवरही की वर्ष2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड :सेवरही ।

प्रस्तर संख्या-41 टी.डी.एस., वैटकर एवं जी.एस.टी. कटौती व जमा की वर्षवार स्थिति: लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में वर्षवार आयकर, वैटकर तथा जी.एस.टी. कटौती की धनराशि देय तथा अवशेष की स्थिति निम्नवत् रही :-

वर्ष	सामग्री पर भुगतान की गयी धनराशि	देय आयकर 2.24 प्रतिशत	देय वैटकर 4 प्रतिशत	जी.एस.टी. 2 प्रतिशत	चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि
2017-18	10450798.00	234097.88	418031.92	---	234143.00
2018-19	5195170.00	---	---	103903.40	98691.00
योग		234097.88	418031.92	103903.40	332834.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2018-19 में कुल देय आयकर रु०234097.88 तथा देय वैटकर रु०418031.92 तथा जी.एस.टी. रु०103903.40 कुल देय रु०756033.20 रहा। उक्त के सापेक्ष ट्रेजरी चालान द्वारा रु०332834.00 ही जमा की गयी है। अन्तर की धनराशि (756033.20 - 332834.00) रु०423199.20 को जमा न करके राजस्व की हानि की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार व ख.ड विकास अधिकारी से धनराशि ब्याज सहित वसूलकर जमा करायी जानी अपेक्षित है। (मू० आ० -07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	423199.20	423199.20

प्रस्तर संख्या-42 वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कुल रु०8950533.04 की धनराशि व्यय प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट रही।

लेखा परीक्षा वर्ष में ग्रा.ट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय की गयी धनराशि	लेखा परीक्षा वर्ष में प्रस्तुत व्यय प्रमा.कों की धनराशि		अन्तर की धनराशि
	प्रारूप-1 के अनुसार	प्रशासनिक मद में व्यय की गयी धनराशि एक वाउचर्स ब्यय	
29613885.04	19187217.00	1476135.00	8950533.04

इस प्रकार कुल रु०8950533.04 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से अपहरण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विवेकानन्द मिश्रा एवं लेखाकार श्री हरिओम शुक्ला जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मू० आ० -10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
8950533.04	---	---	8950533.04

प्रस्तर संख्या-43 शासनादेश संख्या-6512/38-7-7010-10 एन.आर.जी.एफ./05 टी.सी. दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कार्यो के कार्य प्रभारी, यदि क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था है तो ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी के रूप में कार्य नहीं करा सकते तथा इस स्थिति में सम्बंधित ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी तथा इन्हें प्रभारी के रूप में नियुक्त करने वाले खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू० आ०-11)

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि	कार्यप्रभारी का नाम
1.	2017-18	गाजीपुर में राजेन्द्र ब्यास के घर से नागा साह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	351781.00	श्री राजेश कुमार सिंह, ग्रा.वि.अ.
2.	2017-18	दोमाठ में पिच रोड से श्मशान घाट तक खडंजा कार्य।	84866.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
3.	2017-18	दोमाठ में जवाहर शर्मा के घर से नन्द तिवारी के बथान तक नाली निर्मा. कार्य।	166917.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
4.	2017-18	पिपरा घाट जोगनी टोला में 3.00 मीटर आर.सी.सी. पुलिया।	742855.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
5.	2017-18	फागू छापर में आर.सी.सी. रोड से प्रभु यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	397907.00	श्री सुरेश प्रसाद, ग्रा.वि.अ.
6.	2017-18	विरवट कोहरवलिया में जयन्ती कुटी से परदेशी के घर तक खडंजा कार्य।	561022.00	श्री संजय गुप्ता, ग्रा.वि.अ.
7.	2017-18	ग्राम मालहो में शंकर बैठा के घर से तुलसी बढई, रंगनाथ यादव के घर तक खडंजा कार्य।	437054.00	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़, ग्रा.वि.अ.

8.	2017-18	हाता हरदिया में बैजनाथ के घर के घर से मड़वारी मियाँ के घर के आगे तक नाली निर्मा.।।	111871.00	श्री राजेश कुमार सिंह, ग्रा.वि.अ.
9.	2017-18	हफुआ चतुर्भुज में मुस्तकीम देवान के घर से हसनैन के घर तक खड़जा कार्य।	76139.00	श्री अनिल कुमार सिंह, ग्रा.वि.अ.
10.	2017-18	बसडीला बुजुर्ग में हनीफ अंसारी के घर से ईदगाह तक खड़जा कार्य।	130216.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
11.	2017-18	गाजीपुर में धुसी टोला में बउली से बैठा के घर तक नाली निर्मा.।। कार्य।	513123.00	श्री राजेश कुमार सिंह, ग्रा.वि.अ.
12.	2017-18	धुरिया अमरवा में मैनुदीन देवास के घर से ललन के घर तक खड़जा कार्य।	313705.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
13.	2017-18	तरेया सुकन्त में वकील अंसारी के घर से हरिलाल के दुकान तक इंटरलॉकिंग कार्य।	356841.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
14.	2017-18	रामपुर बगरा में मुन्ना के खेत से जंगली बाबा के स्थान तक खड़जा कार्य।	413743.00	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़, ग्रा.वि.अ.
15.	2017-18	भगवानपुर में ब्रह्म बाबा स्थान पर चबुतरा निर्मा.।।	61789.00	श्री संजय गुप्ता, ग्रा.वि.अ.
16.	2017-18	जबही नरेन्द्र में अशोक के घर से गोरख तुरहा के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	520267.00	श्री शम्भू यादव, ग्रा.वि.अ.
17.	2017-18	पीपरा औरवा में जखनी माता के मन्दिर से राजकिशोर मास्टर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	310063.00	श्री राजेश कुमार सिंह, ग्रा.वि.अ.
18.	2017-18	ब्रह्मपुर में राजेश्वर चौरसिया के घर से ओम प्रकाश पाठक के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	380894.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
19.	2017-18	मिश्रौली में संतोष यादव के घर से महामत के घर तक खड़जा निर्मा.।। कार्य।	216602.00	श्री शम्भू यादव, ग्रा.वि.अ.
20.	2017-18	मेहन बसडीला में कमला के खेत से सुरेन्द्र के खेत तक खड़जा कार्य।	248552.00	श्री शम्भू यादव, ग्रा.वि.अ.
21.	2017-18	बसडीला खुर्द में मेन सड़क से धरमेन्द्र पा.डेय के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	373258.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
22.	2017-18	दौनहा में सुजनर पुल से लाल वचन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	387511.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
23.	2017-18	मेहदिया में सहदुल के घर से रेलवे लाईन में नाली निर्माण।	455927.00	श्री शम्भू यादव, ग्रा.वि.अ.
24.	2017-18	अहिरौली दान में सुरेन्द्र सिंह के घर से हीराराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	384146.00	श्री शम्भू यादव, ग्रा.वि.अ.
25.	2017-18	अहिरौली दान में सामुदायिक भवन प्रांगन में इंटरलॉकिंग कार्य।	586402.00	श्री शम्भू यादव, ग्रा.वि.अ.
26.	2017-18	भगवानपुर में पीपल के पेड़ से रुदल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	370089.00	श्री अमरेन्द्र शाही, ग्रा.वि.अ.
27.	2017-18	ग्राम पंचायत राजपुर बगहा में रामाकान्त यादव के घर से लोटन यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य।	350991.00	श्री बिजेश कुमार, ग्रा.वि.अ.
28.	2017-18	अहिरौली दान में हरेन्द्र के घर से उमेश के घर तक खड़जा निर्माण।	67765.00	श्री शम्भू यादव, ग्रा.वि.अ.
योग			9372296.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

---	---	9372296.00	9372296.00

क्षेत्र पंचायत महाराजगंज

प्रारूप - 3 (क्षेत्र पंचायत से सम्बंधित आपत्तियाँ)

क्षेत्र पंचायत - घुघली

लेखा परीक्षा वर्ष -2017-18 से 18-19

प्रस्तर सं0 1-आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 (सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व 2.24 प्रतिशत की कटौती (टीडीएस) कर रू0 68,583.00 का राजस्व एकत्र किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा-274 (बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना अपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये आयकर के नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को ख0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार शुक्ल एवं लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह से अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर सं0 2- क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार वैट की कटौती नहीं की गयी है। जिससे राजस्व की भारी हानि हुई है। लेखा परीक्षा में कुल रू0 22,604.87 वैट की कटौती न किये जाने से राजस्व की हानि हुई। जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शुक्ल एवं लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह तथा संबंधित कार्यप्रभारियों से अधिभार के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0 आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	बिल सं0	तिथि	धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1 मे0 अदिति कंस्ट्रक्शन, बसंतपुर	85	19-02-2018	2,61,308-00	10,452
2 मे0 अदिति कंस्ट्रक्शन, बसंतपुर	88	19-02-2018	2,67,779-67	10,711
3 तौफीक आलम	---	---	23,433-00	937
4 तौफीक आलम	---	---	12,601-00	504
योग			5,65,121-67	22,605

(मूल आपत्ति सं0 20)

प्रस्तर सं0 3-दिनांक 31.03.2019 को क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रू0 16,19,073.00 का अनुदान विगत वर्षों से अनुपयुक्त है। जिसे राज्य सरकार/सम्बन्धित विभागों को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री प्रवीण कुमार शुक्ल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	मद का नाम	अनुपयुक्त धनराशि
1	शौचालय इंदिरा आवास	1,33,640.00
2	बी0आर0जी0एफ0	9,90,377.00
3	राष्ट्रीय बॉयोगैस	53,000.00
4	जिला पेयजल स्वच्छता मिशन	24,180.00
5	रैपिड सर्वे पि0जा0	20,000.00
6	आंगनवाड़ी केन्द्र	3,97,876.00
योग		16,19,073.00

(मूल आपत्ति सं0 21)

प्रस्तर सं0 4-पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 में संदर्भित शासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के बिन्दु (2) के अनुसार क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं। परन्तु लेखा परीक्षा में यह दर्शित हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार रू0 16,42,152.00 के कार्य एक ही ग्रामसभा के अंतर्गत कराये गये हैं। जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। इसके लिये ख0वि0अधि0 श्री अजय कुमार यादव उत्तरदायी हैं। विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय सामग्री	व्यय श्रमांश	योग
1	भिटौली दुर्गा मंदिर के पश्चिम तेज			

	विश्वकर्मा के घर से	7,54,613.00	81,375.00	8,35,988.00
2	पुराने इंटरलॉकिंग तक इंटरलॉकिंग कार्य बसंतपुर में रामकली के घर से शौकत के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	72,243.00	7,725.00	79,968.00
3	पुरैना खण्डीचौरा में चीनी चौधरी के मकान से विक्रम चौधरी के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	6,56,671.00	69,525.00	7,26,196.00
योग		14,83,527.00	1,58,625.00	16,42,152.00
(मूल आपत्ति सं० 22)				

प्रस्तर सं० 5— आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार रु० 46,52,720.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय पत्रावली अप्रस्तुत रही।

क्रम सं०	मद का नाम	व्यय की गई धनराशि
1	मनरेगा प्रशासनिक मद	30,82,648—00
2	इंदिरा आवास प्रशासनिक मद	1,19,690—00
3	आंगनवाड़ी केन्द्र	70,392—00
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	13,79,990—00
योग		46,52,720—00

इस प्रकार व्यय पत्रावली के अभाव में रु० 46,52,720.00 का व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहने के कारण उक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए ख० वि० अधि० श्री प्रवीण कुमार शुक्ल एवं लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 23)**

प्रस्तर सं० 6— आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत में अनुदान रजि० तृतीय में राज्य वित्त आयोग मद के अंतर्गत रु० 95,42,549.75 का व्यय दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में रु० 35,62,174.67 के ही व्यय प्रमाणक प्राप्त हुए हैं। व्यय प्रमाणकों के अभाव में रु० 59,80,375.08 का कार्य अपुष्ट रहा। जो कि गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए ख० वि० अधि० श्री प्रवीण कुमार शुक्ल एवं लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 24)**

क्षेत्र पंचायत— नौतनवा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2011—12 से 13—14

प्रस्तर सं० 7—आयकर अधिनियम 1961 की धारा—194 (सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की जानी चाहिए। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 3 के अनुसार श्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) कर रु० 2,58,997.00 का राजस्व एकत्र किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा—274 (बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये आयकर के नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को ख० वि० अधि० श्री मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री संतराम प्रसाद से अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं०—19)**

प्रस्तर सं० 8—क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार वैटकी कटौती नहीं की गयी है। जिससे राजस्व की भारी हानि हुई है। लेखा परीक्षा में कुल रु० 39,186.44 वैट की कटौती नकिये जाने से राजस्व की हानि हुई। जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री संतराम प्रसाद तथा संबंधित कार्यप्रभारियों से अधिभार के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम सं०	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	बिल सं०	तिथि	धनराशि वैट जो नहीं काटा गया
1	जयंती कंस्ट्रक्शंस	32	10.05.2011	15,960.00
2	अभय एसोसिएट्स	820	13.05.2011	21,738.00
3	अभय एसोसिएट्स	821	02.06.2011	17,108.00
4	जयसवालपार्सपफिटिंग एंड हार्डवेयर	1949	03.06.2011	27,455.00
				1,098.20

5	राज बिल्डिंगमैटैरियल्स	3 / 114	14.01.2012	99,900.00	3,996.00
6	राज बिल्डिंग मैटैरियल्स	3 / 115	15.01.2012	97,016.00	3,880.64
7	जयसवालपाईपफिटिंग एंड हार्डवेयर	1953	20.10.2011	3,000.00	120.00
8	राज बिल्डिंग मैटैरियल्स	3 / 113	23.10.2011	57,750.00	2,310.00
9	राज बिल्डिंग मैटैरियल्स	3 / 112	22.10.2011	98,300.00	3,932.00
10	शर्मा ग्लास हाउस	—	01.09.2011	32,927.00	1,317.08
11	यादव पेंट एंड हार्डवेयर	—	—	18,956.00	758.24
12	अग्रवालटिंबर ट्रेडर्स	6 / 261	28.10.2012	41,900.00	1,676.00
13	रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल	514	28.10.2012	36,396.00	1,455.84
14	अग्रवालटिंबर ट्रेडर्स	6 / 263	31.10.2012	7,152.00	286.08
15	अग्रवालटिंबरट्रेडर्स	2050	21.09.2012	1,75,950.00	7,038.00
16	रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल	983	21.09.2012	89,225.00	3,569.00
17	अग्रवालटिंबरट्रेडर्स	2051	27.10.2012	30,865.00	1,234.60
18	रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल	11	27.10.2012	46,779.00	1,871.16
19	मे. अशोक ट्रेडर्स	321	08.02.2014	2,860.00	114.40
20	नवदुर्गा इंटरप्राइजेज	2	16.10.2013	44,800.00	1,792.00
21	मे. अशोक ट्रेडर्स	34 / 1	15.03.2014	13,624.00	544.96
योग			9,79,661.00	39,186.44	

(मूल आ0 सं0 20)

प्रस्तर सं0 9—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 3 के अनुसार निर्माण सामग्री के बिलों पर रू0 2,34,025.00 के वैट की कटौती की गई है। काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये वैट के नियमानुसार राजकोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को ख0वि0अधि0 श्री मंजू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री संतराम प्रसाद से अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 21)

प्रस्तर सं0 10—पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 में संदर्भितशासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015, के बिन्दु (2) के अनुसार क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं। परन्तु लेखा परीक्षा में यह दर्शित हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार रू0 59,49,543.15 के कार्य एक ही ग्राम सभा के अंतर्गत कराये गये हैं। जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। इसके लिये ख0वि0अधि0 श्रीमती तारा देवी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं. कार्य का नाम (वर्ष 2011-12)

1 बैरियहवा में मदन के घर से होते हुए रोड तक नाली निर्माण

व्यय सामग्री	व्यय श्रमांश	योग
3,93,686.00	81,960.00	4,75,646.00

क्र.सं. कार्य का नाम (वर्ष 2012-13)

2 हरदी डाली में हरिराम के घर से दुखहरनजयसवाल के घर तक

व्यय सामग्री	व्यय श्रमांश	योग
86,728.20	17,760.00	

1,04,488.20

पक्की नाली 125 मीटर

3 हरदी डाली में धरम प्रसाद के खेत से वशिष्ठ के घर तक पक्की नाली

3,42,819.00	75,410.00	4,18,229.00

क्र.सं. कार्य का नाम (वर्ष 2013-14)

4 ग्रा.पं. चडलहा में चौतरवाप्रा.वि. के पास नाली निर्माण

व्यय सामग्री	व्यय श्रमांश	योग
6,74,229.13	1,43,468.00	8,17,697.13

5 ग्रा. सुकरौली चौराहा के दक्षिण बड़कन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

3,08,309.50	45,784.00	3,54,093.50

6 ग्राम खोरिया में बलराम के घर से प्रा. वि. के गेट तक मिट्टी खड़जा कार्य

4,74,000.00	22,806.00	4,96,806.00

7 ग्रा. सुकरौली चौराहा के दक्षिण बड़कन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

3,08,309.50	45,784.00	3,54,093.50

8 ग्राम निपनिया में रुद्र नारायण सिंह के घर से रजिन्द्र सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

8,17,687.50	77,944.00	8,95,631.50

9 ग्रा.पं. हरदी डाली में राकेश के घर से राम समक्ष के घर तक नाली निर्माण

9,24,973.12	2,44,224.00	11,69,197.12

10 ग्रा.पं. बरवाकलौ में रफीक के घर से रमाकांत के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य

7,38,179.20	1,25,482.00	8,63,661.20

योग—

50,68,921.15	8,80,622.00	59,49,543.10

(मूल आपत्ति सं0 22)

प्रस्तर सं० 11—आलोच्य वर्ष में निम्नविवरणानुसार रू० 25,88,005.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय पत्रावली अप्रस्तुत रही।

क्रम सं०	मद का नाम	व्यय की गई धनराशि
1	मनरेगा	13,59,512.00
2	प्रशासनिक व्यय	7,07,556.00
3	क्षेत्र निधि/बायो गैस अनुदान	24,490.00
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	4,96,447.00
योग		25,88,005.00

इस

प्रकार व्यय पत्रावली के अभाव में रू० 25,88,005.00 का व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहने के कारण व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए ख०वि०अधि० श्रीमती तारा देवी एवं लेखाकार श्री संतराम प्रसाद उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 23)**

प्रस्तर सं० 12—आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत में अनुदान रजि० तृतीय में राज्य वित्त/बारहवाँ/तेरहवाँ के अंतर्गत रू० 2,16,13,528.00 का व्यय दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में रू० 1,43,48,765.17 के ही व्यय प्रमाणक प्राप्त हुए हैं। व्यय प्रमाणकों के अभाव में रू० 72,64,762.83 का कार्य अपुष्ट रहा। जो कि गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए ख०वि०अधि० श्रीमती तारा देवी एवं लेखाकार श्री संतराम प्रसाद उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 24)

प्रस्तर सं० 13—क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति अज्ञात रही, तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज को अपने पास रखा गया है, जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में स्पष्ट निर्देश है कि ब्याज की राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा इस ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाये। किन्तु अनुदान पंजिका के अनुसार 31 मार्च 2014 तक रू० 4,81,583.00 ब्याज की राशि राजकोष में जमा न कराकर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग/गंभीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती तारा देवी एवं लेखाकार श्री संतराम प्रसाद उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— नौतनवा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014-15 से 16-17

प्रस्तर संख्या 14—आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194 (सी) के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व 2.24 प्रतिशत की कटौती (टीडीएस) कर रू० 3,27,235.00 का राजस्व एकत्र किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 274 (बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये आयकर के नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को ख०वि०अधि० श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र सिंह से अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति कर राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 19)**

प्रस्तर संख्या 15—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 3 के अनुसार निर्माण सामग्री के बिलों पर रू० 5,45,004.00 के वैट की कटौती की गई है। काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये वैट के नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को ख०वि०अधि० श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र सिंह से अधिभार के अन्तर्गत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 20)**

प्रस्तर संख्या 16—पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग विषयक प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन, पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेशसं०-1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31.07.2015 में संदर्भित शासनादेश सं० 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के बिन्दु (2) के अनुसार क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने

के लिए कार्य कराये जाएं। परन्तु लेखा परीक्षा में यह दर्शित हुआ कि निम्न विवरण के अनुसार रु0 84,67,095.44 के कार्य एक ही ग्राम सभा के अंतर्गत कराये गये हैं। जो कि गंभीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। इसके लिये ख0वि0अधि0 श्री अजय कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>क्र.सं.</u>	<u>कार्य का नाम (वर्ष 2014-15)</u>	<u>व्यय सामग्री</u>	<u>व्यय श्रमांश</u>	<u>योग</u>
1	ग्रा.पं. हनुमानगढ़ियाकेटोलाकुधुसारी में इंटरलॉकिंग कार्य	3,20,869.08	43,680.00	3,64,549.08
2	ग्रा.पं. रेहरा में जितई के घर से बहादुर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	6,35,176.00	39,868.00	6,75,044.00
3	ग्रा.पं. विषखोप के टोला लक्ष्मीपुर में बब्लू पांडे के घर से कीरत सिंह के कुआँ तक इंटरलॉकिंग कार्य	6,70,807.90	41,912.00	7,12,719.90
4	ग्रा.पं. पुरैनिया में संतराम के घर से दीनानाथ के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	12,32,264.54	1,14,660.00	13,46,924.54
5	ग्रा.पं. पडौली में इंटरलॉकिंग कार्य	5,27,923.68	1,23,090.00	6,51,013.68
6	ग्रा.पं. बरवाभोज में इंटरलॉकिंग कार्य	4,98,564.00	78,533.00	5,77,097.00
7	ग्रा.पं. गजरही के टोला बरवा खुर्द में इंटरलॉकिंग कार्य	6,93,966.24	49,948.00	7,43,914.24
<u>क्र.सं.</u>	<u>कार्य का नाम (वर्ष 2015-16)</u>	<u>व्यय सामग्री</u>	<u>व्यय श्रमांश</u>	<u>योग</u>
1	ग्रा.पं. चड़लहा में इंटरलॉकिंग कार्य	3,73,139.00	43,310.00	4,16,449.00
<u>क्र.सं.</u>	<u>कार्य का नाम (वर्ष 2016-17)</u>	<u>व्यय सामग्री</u>	<u>व्यय श्रमांश</u>	<u>योग</u>
1	ग्रा.पं. सुकरौली में कमाल के घर से अलगू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,56,804.00	67,060.00	6,23,864.00
2	ग्रा.पं. जगरनाथपुर में छेदी यादव के घर से नरायन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,56,804.00	65,670.00	6,22,474.00
3	ग्रा.पं. शिवपुरी में रामबृक्ष के घर से अहमद अली के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	2,61,656.00	66,650.00	3,28,306.00
4	लुटहवा में महेंद्र के घर से संतराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	7,86,470.00	41,850.00	8,28,320.00
5	ग्रा.पं. चड़लहा में रणजीतमौर्या के घर से बबलू सिंह घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,16,076.00	60,344.00	5,76,420.00
योग—		76,30,520.40	8,36,575.00	84,67,095.44

(मूल आपत्ति सं0 21)

प्रस्तर संख्या 17—आलोच्य वर्ष में निम्नविवरणानुसाररु0 46,19,676.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय पत्रावली अप्रस्तुत रही।

<u>क्रम सं0</u>	<u>मद का नाम</u>	<u>व्यय की गई धनराशि</u>
1	प्रशासनिक व्यय/मनरेगा	42,62,636.00
2	क्षेत्र निधि/बायो गैस	3,57,040.00
	योग	46,19,676.00

इस प्रकार व्यय पत्रावली के अभाव में रु0 46,19,676.00 का व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहने के कारण उक्तव्यय अनियमित रहा। जिसके लिए ख0वि0अधि0 श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 22)

प्रस्तर संख्या 18—आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत में अनुदान रजि० तृतीय में राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत रू० 2,29,67,898.00 का व्यय दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में रू० 1,42,92,976.25 के ही व्यय प्रमाणक प्राप्त हुए हैं। व्यय प्रमाणकों के अभाव में रू० 86,74,921.75 का कार्य अपुष्ट रहा। जो कि गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए ख०वि० अधि० श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 23)

प्रस्तर संख्या 19—क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति अज्ञात रही, तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज को अपने पासरखा गया है, जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में स्पष्ट निर्देश है कि ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा इस ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाये। किन्तु अनुदान पंजिका के अनुसार 31 मार्च 2017 तक रू० 7,69,875.00 ब्याज की धनराशि राजकीय कोष में जमा न कराकर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग/गंभीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिये ख०वि० अधिकारी श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि को ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 18)**

प्रस्तर संख्या 20—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर वास्तविक व्यय स्वीकृत लागत (स्टीमेट) से अधिक रहा। उक्त के संदर्भ में संशोधित स्टीमेट एवं मापन पुस्तिका अनुपलब्ध रही। इस प्रकार स्वीकृत लागत से रू० 2,24,529.00 का अधिक व्यय कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए ख०वि० अधि० श्री अजय कुमार, लेखाकार श्री सुरेन्द्र सिंह तथा तत्कालीन अभियंता श्री ईश्वर शरण लाल उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
1	ग्रा.पं. चड़लहा में इंटरलॉकिंग कार्य	3.99 लाख	4,16,449.00	17,449.00
2	ग्रा.पं. जिगिना में योगेन्द्र सिंह के घर से प्रा. वि. तक इंटरलॉकिंग कार्य	6.24 लाख	6,25,760.00	1,760.00
3	लुटहवा में महेंद्र के घर से संतराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	6.23 लाख	8,28,320.00	2,05,320.00
योग		16.46 लाख	18,70,529.00	2,24,529.00

(मूल आपत्ति सं० 24)

क्षेत्र पंचायत-निचलौल लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 21—लेखा परीक्षा में बार-बार माँगोपरांत भी वित्तीय वर्ष 2011-12 से 13-14 के समस्त अनुदानों से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों के व्यय प्रमाणक/समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए वर्तमान लेखाकार ने उक्त समस्त प्रपत्रों को तत्कालीन लेखाकार श्री उग्रसेन सिंह से चार्ज में प्राप्त न होने के कारण प्रस्तुत नहीं होने का स्पष्टीकरण दिया किन्तु चार्ज लिस्ट की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। अतः वर्तमान लेखाकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं है। वित्तीय वर्ष 11-12 से 13-14 के व्ययों का मदवार व वर्षवार विवरण निम्न है—

क्र० सं०	मद का नाम	वर्ष 11-12 का व्यय	वर्ष 12-13 का व्यय	वर्ष 13-14 का व्यय
1	राज्य वित्त अनुदान	1554894.00	4708776.00	6972915.00
2	तेरहवाँ वित्त	1446456.00	1983002.00	3786837.00
3	बीआरजीएफ	1970789.00	—	—
4	बायोगैस	23000.00	75500.00	8000.005
	आदर्श जलाशय योजना	12642.00	—	—
6	सा० आ० जनगणना	—	20000.00	2948380.00
7	रा० ग्रा० पेयजल योजना	—	—	48600.00
योग		5007781.00	6787278.00	13764732.00

कुल योग— 25559791.00

बिना साक्ष्य/प्रमाणक के दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु कुल व्यय रु० 25559791.00 का तत्कालीन व वर्तमान लेखाकार एवं ख०वि०अधि० से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही एवं ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है । **(मूल आ० सं० 2ब 2)**

प्रस्तर सं० 22—शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 तथा शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में दिए गए निर्देशों के अनुसार बैंक खातों में जमा अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी एवं समस्त प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना आवश्यक है । संस्था द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि को बैंक से प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा न कर अनियमित कार्य किया गया है । जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं ख०वि०अधि० उत्तरदायी रहे हैं । आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

क्र० सं०	मद का नाम	ब्याज से आय	वर्ष 11-12	वर्ष 12-13	वर्ष 13-14	योग
1	राज्य वित्त	66482.00	57600.00	144741.00	268823.00	
2	बीआरजीएफ	14523.00	1601.00	66895.00	83019.00	
	योग	81005.00	59201.00	211636.00	351842.00	

(मूल आ० सं० 2ब 3)

प्रस्तर सं० 23— प्रस्तुत अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार वर्ष 11-12 से 13-14 में निम्न विवरणानुसार लेखाकार श्री उग्रसेन सिंह ने स्वयं के नाम पर चेक प्राप्त कर पंजी पर व्यय अंकित किया है जिसकी पुष्टि में ट्रेजरी चालान की प्रति/सी० टी० आर०/समायोजन प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए । विवरण निम्नवत है—

(क) दिनांक 06.06.11 को चेक सं० 767311 द्वारा एनआरईपी वेतन अवशेष रु० 7100.00, स्वच्छता कार्य का अवशेष रु० 250.00, सस्पेंस खाता शेष रु० 4233.00 एवं राजीव गाँधी अक्षय ऊर्जा योजना शेष रु० 1500.00 कुल रु० 13083.00 स्वयं के नाम से ट्रेजरी जमा करने हेतु व्यय अंकित है ।

(ख) दिनांक 07.06.11 में उक्त चेक सं० से ही रु० 215581.00 अर्जित ब्याज की धनराशि ट्रेजरी जमा का व्यय अंकित है ।

(ग) दिनांक 07.06.11 में चेक सं० 274446 द्वारा रु० 3381.00 अर्जित ब्याज ट्रेजरी जमा का व्यय अंकित है तथा चेक स्वयं लेखाकार ने प्राप्त किया है ।

(घ) दिनांक 27.01.14 को चेक सं० 219827 द्वारा रु० 43201.00 ट्रेजरी जमा हेतु स्वयं लेखाकार ने प्राप्त किया है । बिना साक्ष्य/प्रमाणक के दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु कुल व्यय रु० 275246.00 का तत्कालीन व वर्तमान लेखाकार एवं ख०वि०अधि० से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही एवं ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है । **(मूल आ० सं० 2ब 4)**

प्रस्तर सं० 24— वित्तीय वर्ष 13-14 में बीआरजीएफ अनुदान का अनुदान पंजी द्वितीय एवं तृतीय पृथक से तैयार किया गया है जिसके अनुसार 13-14 में कुल रु० 10280995.00 का व्यय किया गया है । दर्शित व्ययों की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, एम०बी०, स्वीकृत कार्य योजना एवं अन्य समस्त प्रपत्र तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । बिना साक्ष्य/प्रमाणक के दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु कुल व्यय रु० 10280995.00 का तत्कालीन व वर्तमान लेखाकार एवं ख०वि०अधि० से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही एवं ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है । **मूल आ० सं० 2ब 5)**

क्षेत्र पंचायत—निचलौल

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014-15 से 16-17

प्रस्तर सं० 25— लेखा परीक्षा में बार-बार माँगोपरांत भी वित्तीय वर्ष 2014-15 से 16-17 के समस्त अनुदानों से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों के व्यय प्रमाणक/समायोजन प्रमाणक वर्तमान लेखाकार/पटल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए । वित्तीय वर्ष 14-15 से 16-17 के व्ययों का मदवार व वर्षवार विवरण निम्न है—

क्र० सं०	मद का नाम	वर्ष 14-15 का व्यय	वर्ष 15-16 का व्यय	वर्ष 16-17 का व्यय
1	राज्य वित्त अनुदान	6935473.00	10585960.00	436229.00
2	तेरहवाँ वित्त	3149227.00	842011.00	—
3	बीआरजीएफ	5047348.00	5227988.00	—
4	बायोगैस	16000.00	—	—
5	आदर्श जलाशय योजना	—	239943.00	—

6	सा० आ० जनगणना	18300.00	—	—
7	रा० ग्रा० पेयजल योजना	—	21060.00	83358.00
8	विधायक निधि	—	1798238.00	—
9	रैपिड सर्वे मानदेय	—	355500.00	—
10	अंबेडकर जयंती समारोह व्यय	—	—	2500.00
11	इंदिरा आवास प्रशासनिक व्यय	—	—	56500.00

योग **15166348.00** **19070700.00** **578587.00**

कुल योग— 34815635.00

इस हेतु वर्तमान ख०वि०अधि० श्री दुर्योधन एवं वर्तमान लेखाकार श्री रवींद्र त्रिपाठी उत्तरदायी हैं । बिना साक्ष्य/प्रमाणक के दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु कुल व्यय रु० 34815635.00 का वर्तमान ख०वि०अधि० एवं वर्तमान लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही एवं ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 2)

प्रस्तर सं० 26— प्रस्तुत अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार वर्ष 15-16 के निर्माण कार्यों पर वर्ष 16-17 के दौरान रु० 140919.00 राज्य वित्त से भुगतान है जिसकी पुष्टि में प्रमाणक व निर्माण पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया । विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	चेक सं०/दिनांक	भुगतान का विवरण	धनराशि
1	573843 / 130416	कुशवाहा ईट उद्योग	2144.00
2	573844 / 130416	लक्ष्मीपुर इन्टरप्राइजेज	34474.00
3	573845 / 130416	मनोज प्रजापति कार्यप्रभारी	104301.00
		योग	140919.00

व्यय प्रमाणकों के प्रस्तुत न होने से उक्त अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी । कार्यप्रभारी एवं लेखाकार तथा ख०वि०अधि० से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही व ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 3)

प्रस्तर सं० 27—दिनांक 31.03.17 को अर्जित ब्याज मद में रु० 78675.00 अवशेष रहा है ।

शासनादेश संख्याए-1-122 /दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 तथा शासनादेश संख्या 10/2015 /ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में दिए गए निर्देशों के अनुसार बैंक खातों में जमा अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी एवं समस्त प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना आवश्यक है । संस्था द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि को बैंक से प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा न कर अनियमित कार्य किया गया है । जिस हेतु लेखाकार श्री रवींद्र त्रिपाठी एवं ख०वि०अधि० श्री दुर्योधन उत्तरदायी रहे हैं । आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० 28— वित्तीयवर्ष 14-15 से 16-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार निम्न विवरणानुसार अनुदानों की जमा धनराशि पर बैंक से ब्याज प्राप्त किया गया है जिसे अर्जित ब्याज शीर्ष में दर्शा कर संबंधित अनुदान शीर्ष में ही आय अंकित किया गया है । आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

क्र० सं०	मद का नाम	ब्याज से आय	वर्ष 14-15	वर्ष 15-16	वर्ष 16-17	योग
1	राज्य वित्त		612.00	72929.00	12504.00	86045.00
2	राज्य वित्त		99000.00	—	16115.00	115115.00
3	राज्य वित्त		115742.00	18021.00	27631.00	161394.00
4	बीआरजीएफ		71037.00	3736.00	1352.00	76125.00
5	बीआरजीएफ		4788.00	5613.00	966.00	11367.00
6	बीआरजीएफ		—	9893.00	843.00	10736.00
7	बीआरजीएफ		—	1739.00	—	1739.00
	योग		291179.00	111931.00	59411.00	462521.00

(मूल आ० सं० 2ब 5)

प्रस्तर सं० 29— दिनांक 31.03.16 को अनुदान पंजी तृतीय पर अंकित बैंक समाधान विवरण के अनुसार अनाहरित चेक सं० 572554ध०50116 रु० 12899.00 एवं खाता सं० 75002823684 में जमा शेष रु० 260.00 कुल रु० 13159.00 का अंतर बैंक जमा शेष एवं अनुदान पंजी तृतीय के शेष में रहा है । दिनांक 01.

04.11 से ही प्रति वर्ष के अंत में अंकित बैंक समाधान विवरण में खाता सं० 75002823684 का उल्लेख नहीं है तो दिनांक 31.03.17 में यह कैसे दर्शा दिया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । दिनांक 31.03.17 को अंकित बैंक समाधान विवरण में भी उपरोक्त कालातीत चेक को अंकित नहीं किया गया है जबकि फरवरी 17 तक उक्त रु० 13159.00 को बैंक समाधान विवरण में अंकित किया गया है । उपरोक्त त्रुटिपूर्ण लेखांकन के संदर्भ में वर्तमान लेखाकार द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । स्पष्ट है कि तत्कालीन लेखाकार श्री उग्रसेन सिंह ने मनमाने तरीके से अभिलेखों को तैयार कर अनियमित कार्य किया है एवं कपटपूर्ण लेखा प्रणाली अपना कर भ्रामक स्थिति उत्पन्न की है । आवश्यक सुधार एवं कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 6)

प्रस्तर सं० 30— दिनांक 20.11.16 को अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार तेरहवाँ वित्त अनुदान के अवशेष धनराशि रु० 13065.00 ब्याज मद में ट्रांसफर कर अवशेष शून्य दर्शाया गया है । प्रस्तुत अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार तेरहवाँ वित्त अनुदान शीर्ष में ब्याज से कोई आय अंकित नहीं है । ऐसी स्थिति में अवशेष अनुदान की धनराशि को प्रदायी संस्था को वापस न कर ब्याज मद में ट्रांसफर करना अनियमितता का द्योतक है । इस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री उग्रसेन सिंह व ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद मिश्र उत्तरदायी हैं । स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अनुदान की वापसी की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 7)

प्रस्तर सं० 31— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 16-17 के राज्य वित्त अनुदान से संक्रमित निर्माण कार्य पत्रावली विकास खंड परिसर में टाइप- 2 आवासों के मरम्मत कार्य की जाँच में पाया गया कि अनुमानित लागत में दर्शित सामग्री (महीन बालू, 25 घ०मी० दर रु० 1410.00, ईट 1200 दर रु० 6400.00 एवं ईट गिट्टी 23.80 घ०मी० दर रु० 1679.50) से अधिक की सामग्री (महीन बालू, 27.45 घ०मी० दर रु० 1410.00, ईट 1205 दर रु० 6400.00 एवं ईट गिट्टी 28.40 घ०मी० दर रु० 1679.50) क्रय किया गया है । इस प्रकार अंतर (महीन बालू, 2.45 घ०मी० मूल्य रु० 3454.50, ईट 5 मूल्य रु० 32.00 एवं ईट गिट्टी 4.60 घ०मी० मूल्य रु० 7725.70) कुल रु० 11212.20 फर्म का बिल प्रस्तुत करते हुए कार्यप्रभारी ने फर्म को भुगतान कराया है, जिस हेतु पूर्ण स्वीकृति प्राप्त नहीं है और न तो संशोधित अनुमानित लागत ही पत्रावली में संलग्न है । नियमों के विपरीत जा कर रु० 11212.20 का अधिक भुगतान कर अनियमितता की गई है, जिस हेतु कार्यप्रभारी श्री मनोज प्रजापति, लेखाकार श्री उग्रसेन सिंह व ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद मिश्र उत्तरदायी हैं । उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 17-18 में पूर्ण किया गया है । नियमानुसार कार्यवाही व ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 8)

प्रस्तर सं० 32— वित्तीय वर्ष 16-17 के राज्य वित्त अनुदान से कराए गए निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि फर्मों द्वारा निविदा मूल्य से अधिक मूल्यपर सामग्री आपूर्ति करते हुए बिल प्रस्तुत किया गया है तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है । यह अनियमित है और राजकीय अनुदान का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया गया है । मूल्य वृद्धि पर टेन्डर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए एवं तदनुसार संशोधित अनुमानित लागत प्रस्तुत करते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पुनः प्राप्त की जानी चाहिए । एतदर्थ कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है । विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्यप्रभारी	सामग्री/मात्रा	निविदा मूल्य	बिल का मूल्य	अंतर
1	ग्रा० पंचा० पिपरा में मेन रोड से भगत के घर तक नाली मरम्मत	मनोज प्रजापति	सरिया/0.74 मोरंग/0.30 पत्थर गिट्टी/0.60	3700/कुंतल 2532/घ०मी० 3125/घ०मी०	5000 2597 3190	962 अधिक 19.50 अधिक 39 अधिक
2	ग्रा० पंचा० पिपरा में शंभू के घर से ओंकार शर्मा के घर तक नाली मरम्मत	मनोज प्रजापति	सरिया/0.74 मोरंग/0.30 पत्थर गिट्टी/0.60	3700/कुंतल 2532/घ०मी० 3125/घ०मी०	5000 2597 3190	962 अधिक 19.50 अधिक 39 अधिक
				योग	2041.00	

इस प्रकार निविदा मूल्य से अधिक रु० 2041.00 का भुगतान किया गया है जिस हेतु कार्यप्रभारी श्री मनोज प्रजापति, अवर अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा), लेखाकार श्री उग्रसेन सिंह व ख०वि०अधि० श्री एस० एन० सिंह उत्तरदायी हैं । नियमानुसार कार्यवाही व ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 9)

क्षेत्र पंचायत—मिठौरा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 33— वित्तीय वर्ष 13-14 की निर्माण कार्य पत्रावली गाँव के पूरब पोखरे के किनारे मार्ग मरम्मत एवं जल निकासी कार्य की जाँच में पाया गया कि संलग्न मस्टर रोल कार्य अवधि 05.10.13 से 18.10.13 पर राजकिशोर पुत्र महादेव को कुशल श्रमिक के रूप में 14 दिनों की मजदूरी 260.00 प्रति दिन की दर

से रु० 3640.00 का भुगतान किया गया है तथा संलग्न मस्टर रोल कार्य अवधि 19.10.13 से 01.12.13 में उक्त श्रमिक को अकुशल श्रमिक के रूप में 14 दिनों की मजदूरी रु० 142.00 की दर से रु० 1988.00 का भुगतान किया गया है । प्रकरण से स्पष्ट है कि एक मजदूर को मिस्त्री के समतुल्य मजदूरी भुगतान कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है । अस्तु कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार अधिक भुगतान रु० 1652.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 2)

प्रस्तर सं० 34— वित्तीय वर्ष 12-13 की निर्माण कार्य पत्रावली बेलवा खुर्द में नहर पुल से भज्जू के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य की जाँच में पाया गया कि अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार निर्माण कार्य पर चेक सं० 007061/24.01.13 द्वारा रु० 69788.00 तथा चेक सं० 007062/24.01.13 द्वारा रु० 155367.00 कार्यप्रभारी श्री तेजेन्द्र सिंह को किया गया है परंतु संबंधित प्रमाणक पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहा । इस प्रकार बिना समायोजन प्रमाणक के ही कार्यप्रभारी को कुल रु० 225155.00 का भुगतान कर आपसी मिलीभगत कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है । उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान कार्यपंजी पर भी अंकित नहीं है जो स्वतः अपहरण की पुष्टि करता है । अस्तु कार्यप्रभारी श्री तेजेन्द्र सिंह, ख०वि०अधि० श्री केशव चंद, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार रु० 225155.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 3)

प्रस्तर सं० 35— अनुदान पंजी प्रथम के अनुसार क्षेत्र पंचायत को निम्न अनुदान प्राप्त है जिसकी प्रविष्टि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान पंजी द्वितीय व तृतीय पर नहीं है । इस अनुदान के व्ययों से संबंधित कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण उक्त अनुदानों की धनराशि के अपहरित होने की प्रबल संभावना है । विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	प्राप्ति का विवरण	मद	धनराशि अनुदान पंजी द्वितीय	का दर्शित संदर्भ
1	जिला पंचा० रा० अधि० पत्रांक 348/16.05.11	एबीआरवाई अनुदान 10-11	162500.00	पृष्ठ सं० 65
2	पी० डी०/डीआरडीए पत्रांक 541/03.05.11	एसजीएसवाई अनुदान	2000000.00	पृष्ठ सं० 38 चेक सं० 201796/03.05.11
3	पी० डी०/डीआरडीए पत्रांक 3019/22.03.12	एसजीएसवाईअनुदान	1500000.00	पृष्ठ सं० 38 चेक सं० 223322/22.03.12
4	सहा० अभि० लघु सिंचाई पत्रांक 146/15.06.11	निःशुल्क बोरिंग मनरेगा	522800.00	पृ० सं०52/63 चेक सं० 270577/14.06.11
5	जिला पंचा० रा० अधि० पत्रांक 448/27.06.13	रा० ग्रा० पेयजल कार्यक्रम	66220.00	पृष्ठ सं० 61 चेक सं० 001053/27.06.13
6	तहसीलदार सदर पत्रांक 678(ii)/17.10.13	सा० आ० जातिगत जनगणना मानदेय	1586900.00	पृ० सं० 92 चेक सं० 007582/17.10.13
7	तहसीलदार सदर पत्रांक 678(ii)/17.10.13	सा० आ० जातिगत जनगणना मानदेय	983600.00	पृ० सं० 92 चेक सं० 007582/17.10.13

योग— 6822020.00

इस प्रकरण के लिए वर्तमान ख०वि०अधि० व लेखाकार उत्तरदायी हैं । अस्तु लेखाकार एवं ख०वि०अधि० से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार रु० 6822020.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० 36— अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार एसजीआरवाई में 10-11 का अवशेष रु० 13579.00 का रहा । वित्तीय वर्ष 11-12 के प्रारंभ में इसे प्रा० शेष में अंकित न कर यह टिप्पणी अंकित है कि रु० 13579.00 अलग आईआरडी निधि के अनुदान में सम्मिलित है । मांगे जाने पर संबंधित अभिलेख पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अस्तु रु० 13579.00 की वर्तमान स्थिति अस्पष्ट है । अभिलेखों को प्रस्तुत न कर अनियमित कार्य किया गया है जिस हेतु लेखाकार श्री दयाराम पटेल एवं ख०वि०अधि० श्री रवींद्र वीर उत्तरदायी रहे हैं । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 5)

प्रस्तर सं० 37— शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 तथा शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में दिए गए निर्देशों के अनुसार बैंक खातों में जमा अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी एवं समस्त प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना आवश्यक है । किन्तु क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को अनुदान में ही सम्मिलित कर आय अंकित किया गया है एवं अवशेष दर्शाया गया है । विवरण निम्न है—

क्र० सं०	मद का नाम	ब्याज से आय	वर्ष 11-12	वर्ष 12-13	वर्ष 13-14	योग
1	राज्य वित्त	96161.00	34819.00	81630.00		212610.00
2	बीआरजीएफ विधायक निधि	105085.00	197242.00	79703.00		382030.003
		—	—	1150.00		1150.00
	योग	201246.00	232061.00	162483.00	595790.00	

उपरोक्त प्राप्त ब्याज की धनराशि को ब्याज शीर्ष में अंकित न कर एवं वर्षांत में राजकीय कोष में जमा न कर शासनादेश के प्रतिकूल कार्य किया गया है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा है । इस हेतु लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद नायक एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 6)

प्रस्तर सं० 38— लेखा परीक्षा वर्ष 11-12 से 13-14 के निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कतिपय निर्माण कार्यों पर अनुमानित लागत से अधिक सामग्री क्रय करते हुए संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म को बिल के आधार पर भुगतान किया गया है जिसके निमित्त निम्न आपत्तियाँ रही हैं—

(क) अनुमानित लागत से अधिक सामग्री क्रय करने की स्थिति में इसकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है ।

(ख) अवर अभियंता द्वारा लागत से अधिक सामग्री क्रय करने की स्थिति में संशोधित एस्टीमेट प्रस्तुत कर स्वीकृत नहीं कराया गया है ।

(ग) अनुमानित लागत से अधिक सामग्री प्रयुक्त होने की स्थिति को देखते हुए नियमानुसार इसकी लिखित सूचना एस्टीमेट स्वीकृत करने वाले अधिकारी को पूर्व में नहीं दी गई है क्योंकि एतदर्थ कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है । अस्तु अनुमानित लागत से अधिक सामग्री क्रय कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है । विवरण निम्नवत है—

1. वर्ष 11-12 में सिन्दूरिया में सड़क टोला पर प्रधानमंत्री सड़क से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट ईट 13320 नग

क्रय सामग्री— सीमेंट ईट 13820 नग

अधिक क्रय— 500 दर 16.65 प्रति नग

भुगतानित धनराशि— 8325.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री चंद्रप्रकाश गुप्ता, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

2. वर्ष 13-14 में सोहगौरा में पप्पू के घर से मोलई के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईट 34643 नग, महीन बालू 99.18 घ०मी० क्रय सामग्री— ईट 41534 नग, महीन बालू 102.28 घ०मी०

अधिक क्रय— 6891 दर 5.10 प्रति नग 3.10 घ०मी० दर 608.40 **भुगतानित धनराशि— 37030.14**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

3. वर्ष 13-14 में पड़वनिया में कांता के घर से खड़जा होते गाँव के बाहर तक नाली निर्माण कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईट 47137 नग क्रय सामग्री— ईट 41534 नग अधिक क्रय— 239 दर 5.10 प्रति नग

भुगतानित धनराशि— 1266.70

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

4. वर्ष 13-14 में बेलवा बुजुर्ग में नहर पुल से हरिजन बस्ती में श्री किशुन के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईट 28934 नग, महीन बालू 73.60 घ०मी०, सीमेंट 373 बोरी, गिट्टी 112.75 क्रय सामग्री— ईट 40278 नग, महीन बालू 87.06 घ०मी०, सीमेंट 399 बोरी, गिट्टी 126.36 अधिक क्रय— 11344 दर 5.10 प्रति नग 13.46 घ०मी० दर 608.40 26 दर 290.00 13.61 दर 879.50

भुगतानित धनराशि— 79881.46 ख०वि०अधि० का० द्वारा कटौती रु० 70866.00 अधिक भुगतान रु० 9015.46

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

5. वर्ष 13-14 में रामपुर मीर में गाँव के पूरब पोखरे के किनारे मार्ग मरम्मत एवं जल निकासी कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— मोरंग 1.30 घ०मी०, महीन बालू 75.74 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 2.59, ईट गिट्टी 50.40, कारटेज 166.95, छड़ 3.37 कुंतल क्रय सामग्री— मोरंग 1.32 घ०मी०, महीन बालू 77.20 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 2.62, ईट गिट्टी 53.74, कारटेज

298, छड़ 3.42 कुंतल अधिक क्रय— मोरंग 0.02 दर 2374.54, महीन बालू 1.46 दर 982.80, पत्थर गिट्टी 0.03 दर 2884.14, ईट गिट्टी 3.34 दर 1029.50, कारटेज 131.05 दर 91.90, छड़ 0.05 दर 4600.00

भुगतानित धनराशि— 17280.93

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रांवि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

6. वर्ष 13-14 में नारायणपुर में सीसी रोड निर्माण कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट 443 बोरी, मोरंग 16.20 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 32.40 घ०मी०

क्रय सामग्री— सीमेंट 445 बोरी, मोरंग 18.91 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 37.82 घ०मी०

अधिक क्रय— 2 दर 325.00 प्रति बोरी, 2.71 दर 2473.74, 5.42 दर 2983.34

भुगतानित धनराशि— 23523.53 उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार सिंह, ग्रांवि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

7. वर्ष 13-14 में पतरेंगवा में महेंद्र दास के घर के आगे पतिराज मिस्त्री के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट ईट 11000 नग

क्रय सामग्री— सीमेंट ईट 11488 नग

अधिक क्रय— 488 दर 16.65

भुगतानित धनराशि— 23523.53

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री नागेन्द्र पांडे, ग्रांवि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

8. वर्ष 13-14 में पतरेंगवा टोला अरहनवा में जल निकासी कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— मोरंग बालू 2.43 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 4.86 घ०मी०, सरिया 6.35 कुंतल

क्रय सामग्री— मोरंग बालू 2.59 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 5.21 घ०मी०, सरिया 7.23 कुंतल

अधिक क्रय— 0.16 दर 2374.34, 0.35 दर 2884.14, 0.88 दर 4600.00

भुगतानित धनराशि— 5437.38

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रांवि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

अस्तु उपरोक्त विवरणानुसार श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता से रु० 8325.00, श्री ओंकार नाथ सिंह से रु० 37030.00, श्री ओंकार नाथ सिंह से रु० 1267.00, श्री राजेश त्रिपाठी से रु० 9015.00, श्री राजेश त्रिपाठी से रु० 17281.00, श्री ओंकार नाथ सिंह से रु० 23524.00, श्री नागेन्द्र पांडे से रु० 8125.00 एवं श्री राजेश त्रिपाठी से रु० 5437.00 कुल रु० 110004.00 के अधिक सामग्री क्रय के औचित्यकरण का स्पष्टीकरण प्राप्त कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 7)

प्रस्तर सं० 39— निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर श्रमांश पर अनुमानित लागत से अधिक सक्षम अधिकारी से बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए ही भुगतान किया गया है जो न केवल अनियमित है अपितु यह स्पष्ट करता है कि आपसी मिलीभगत कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है—

1. वर्ष 13-14 में पड़वनिया में नवनिर्मित नाली के किनारे इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य

एस्टीमेट के अनुसार श्रमांश— 131770.00 वास्तविक भुगतान— 145128.00

अधिक भुगतान— 13358.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री चंद्रप्रकाश गुप्ता, ग्रांवि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

2. वर्ष 13-14 में पड़वनिया में कांता के घर से खड़जा होते गाँव के बाहर तक नाली निर्माण कार्य

एस्टीमेट के अनुसार श्रमांश— 98096.00 वास्तविक भुगतान— 137790.00 अधिक भुगतान— 39694.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार नाथ सिंह, ग्रांवि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

3. वर्ष 13-14 में पचमा में चंद्रभान के घर से राम आसरे के घर तक मार्ग मरम्मत व इन्टरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार श्रमांश— 67419.00 वास्तविक भुगतान— 71594.00

अधिक भुगतान— 4175.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार नाथ सिंह, ग्रांवि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

4. वर्ष 13-14 में पतरेंगवा में महेंद्र दास के घर के आगे पतिराज मिस्त्री के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार श्रमांश— 66187.00 वास्तविक भुगतान— 80336.00

अधिक भुगतान— 14149.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री नागेंद्र पांडे, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

5. वर्ष 13-14 में पतरेंगवा टोला अरहनवा में जल निकासी कार्य

एस्टीमेट के अनुसार श्रमांश— 164750.00 वास्तविक भुगतान— 253400.00

अधिक भुगतान— 88650.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण

कुल योग— 160026.00

अस्तु संबंधित से कुल रु० 160026.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० सं० 2ब 8)**

प्रस्तर सं० 40— वित्तीय वर्ष 11-12 से 13-14 के राज्य वित्त व तेरहवाँ वित्त निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर कार्यरत किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर/नि० अंगूठा नहीं हैं। स्पष्ट है कि फर्जी कार्यरत श्रमिकों को दर्शा कर मजदूरी मद में भुगतान कार्यप्रभारी द्वारा स्वयं प्राप्त कर धनराशि का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत है—1.वर्ष 11-12 में पिपरा कल्याण में पिच रोड से लेदवा सीवान तक खड़ंगा मरम्मत कार्य में चेक सं० 694167/21.06.11 द्वारा **भुगतान रु० 85500.00**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री नागेंद्र पांडे, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री केशव चंद

2. वर्ष 11-12 में रामपुर—कुईया पिच मार्ग से उत्तर टोला तक खड़ंगा अनुरक्षण कार्य में चेक सं० 694166/09.12.11 द्वारा **भुगतान रु० 76500.00**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री केशव चंद

3. वर्ष 11-12 में सिन्दुरिया—शिकारपुर मार्ग से बसंतपुर सीवान तक अनुरक्षण कार्य में चेक सं० 575394/19.08.11 द्वारा **भुगतान रु० 136080.00**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री केशव चंद

4. वर्ष 12-13 में विकास खंड परिसर में चहारदीवारी का अनुरक्षण कार्य में चेक सं० 007064/05.02.13 द्वारा **भुगतान रु० 40000.00** व चेक सं० 006607/13.12.12 द्वारा **भुगतान रु० 75000.00** (पत्रावली में दोनों मस्टर रोल संलग्न नहीं)

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री केशव चंद

5. वर्ष 12-13 में बेलवा खुर्द में नहर पुल से भज्जू के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य में चेक सं० 006613/31.12.12 द्वारा **भुगतान रु० 30000.00** (पत्रावली में मस्टर रोल संलग्न नहीं)

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री तेजेन्द्र सिंह, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री केशव चंद

6. वर्ष 13-14 में गणेशपुर में चोकर के खेत से दुलारे के खेत तक कहदनज मरम्मत कार्य में चेक सं० 002205/18.04.14 द्वारा **भुगतान रु० 47286.00**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार नाथ सिंह, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण

7. वर्ष 13-14 में पड़वनिया में कांता के घर से खड़ंगा होते गाँव के बाहर तक नाली निर्माण कार्य में चेक सं० 002202/14.04.14 द्वारा **भुगतान रु० 137790.00**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार नाथ सिंह, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण

8. वर्ष 13-14 में नारायणपुर में सीसी रोड निर्माण कार्य में चेक सं० 002174/28.03.14 द्वारा **भुगतान रु० 26110.00**
उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार नाथ सिंह, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण

9. वर्ष 13-14 में पड़वनिया में कांता के घर से खड़ंगा होते गाँव के बाहर तक नाली निर्माण कार्य में चेक सं० 002207/19.05.14 द्वारा **भुगतान रु० 40000.00**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री ओंकार नाथ सिंह, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण

10. वर्ष 13-14 में रामपुर मीर में गाँव के पूरब पोखरे के किनारे मार्ग मरम्मत एवं जल निकासी कार्य में चेक सं० 002951/03.01.14 द्वारा **भुगतान रु० 10366.00**

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण

11. वर्ष 13-14 में पतरेंगवा टोला अरहनवा में जल निकासी कार्य में चेक सं० 002947/16.12.13 द्वारा

भुगतान रु० 253400.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण

कुल भुगतान रु० 958032.00

क्रमांक 11 पर अंकित निर्माण कार्य पत्रावली के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 15248 व 15249 पर कार्य अवधि 15.10.13 से 21.10.13 अंकित है तथा संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 15251 व 15247 पर कार्य अवधि 16.10.13 से 22.10.13 अंकित है एवं उक्त दोनों मस्टर रोल पर कार्यरत समस्त 77 श्रमिकों के नाम एक ही हैं, जिससे स्पष्ट है कि 16.10.13 से 21.10.13 तक 77 श्रमिकों को दो बार कार्यरत दर्शा कर भुगतान प्राप्त किया गया है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर यह स्पष्ट रूप से फर्जीवाड़े का परिचायक है। उक्त के परिणामस्वरूप रु० 72684.00 दो बार कार्यरत होने की मजदूरी फर्जी प्राप्त है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही साथ फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर एवं बिना मस्टर रोल के ही मजदूरी भुगतान कर रु० 958032.00 का अपहरण किया गया है। अस्तु संबंधित कार्यप्रभारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ख०वि० अधि०, लेखाकार एवं अवर अभियंता तथा कार्यप्रभारी से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 9)

प्रस्तर सं० 41— अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार वित्तीय वर्ष 11-12 से 13-14 में निम्न भुगतान किए गए हैं जिसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अस्तु व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्नवत है—

क्र० सं० निर्माण कार्य का नाम	चेक सं०/तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्य	694198/02.04.11	श्री प्रेम सागर पटेल	100000.00
2 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	694199/02.04.11	श्री राजेश त्रिपाठी	100000.00
3 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	694200/18.04.11	श्री राजेश त्रिपाठी	175000.00
4 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्य	575351/18.04.11	श्री प्रेम सागर पटेल	175000.00
5 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	575359/20.06.11	श्री राजेश त्रिपाठी	200000.00
6 कार्य विवरण अंकित नहीं	575392/21.06.11	श्री प्रेम सागर पटेल	67562.00
7 रिसोर्स सेंटर हेतु	575393/27.07.11	श्री अमरेन्द्र पटेल	100000.00
8 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	575395/25.08.11	श्री राजेश त्रिपाठी	200000.00
9 चौक में रमापति के घर से..नाली म०	575396/09.09.11	श्री राजेश त्रिपाठी	205139.00
10 पिपरा कल्याण में तारादास..	575397/09.09.11	श्री विजय प्रताप सिंह	136839.00
11 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	575398/29.09.11	श्री राजेश त्रिपाठी	253152.00
12 ब्लॉक गेट निर्माण	575400/29.09.11	श्री राजेश त्रिपाठी	215112.00
13 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	39902/09.11.11	श्री राजेश त्रिपाठी	186585.00
14 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	39903/09.11.11	श्री राजेश त्रिपाठी	358143.00
15 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	39904/09.11.11	श्री राजेश त्रिपाठी	435376.00
16 परसा मीर शिव मंदिर से..	39905/09.11.11	श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता	66568.00
17 पिपरा कल्याण में तारादास..	39906/10.11.11	श्री विजय प्रताप सिंह	168370.00
18 ब्लॉक गेट निर्माण	39908/05.12.11	श्री राजेश त्रिपाठी	72072.00
19 पिपरा कल्याण में तारादास..	39909/14.03.12	श्री विजय प्रताप सिंह	184618.00
20 चौक में रमापति के घर से..नाली म०	39910/14.03.12	श्री राजेश त्रिपाठी	162524.00
21 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्य	39912/17.03.12	श्री बृजेन्द्र कपिल श्रीवा०	190427.00
22 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्य	39913/17.03.12	श्री बृजेन्द्र कपिल श्रीवा०	258345.00
23 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	39914/25.03.12	श्री राजेश त्रिपाठी	259841.00
24 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	39915/25.03.12	श्री राजेश त्रिपाठी	198112.00
25 कार्यालय/प्रमुख कक्ष मरम्मत कार्य	39916/28.03.12	श्री राजेश त्रिपाठी	119468.00
		वर्ष 11-12 का योग—	4581053.00
26 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्य	39919/02.11.12	श्री नागेन्द्र कुमार पांडे	220828.00
27 रामपुरमीर पिच से शिवमंदिर तक ख०	006602/19.11.12	मॉ वैष्णो ब्रिक्सफील्ड	49467.00
28 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्य	7065/06.02.13	श्री नागेन्द्र कुमार पांडे	87650.00

29 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्य	006619 / 17.01.13	श्री नागेन्द्र कुमार पांडे	220976.00
		वर्ष 12-13 का योग-	578921.00
30 कुईया उर्फ रुद्रेश्वर में रियाजुल के घर से कन्हैया के घर तक मार्ग मरम्मत	016010 / 28.10.13	श्री खुशीद अहमद	290730.00
31 कुईया उर्फ रुद्रेश्वर में रियाजुल के घर से कन्हैया के घर तक मार्ग मरम्मत	002949 / 17.12.13	श्री खुशीद अहमद	95635.00
32 नारायणपुर में भुलई के घर से सीवान पोखरी तक मार्ग मरम्मत	002968 / 25.03.14	श्री ओंकार नाथ सिंह	35010.00
33 नारायणपुर में भुलई के घर से सीवान पोखरी तक मार्ग मरम्मत	002970 / 25.03.14	श्री खुशीद अहमद	155859.00
34 नारायणपुर में भुलई के घर से सीवान पोखरी तक मार्ग मरम्मत	002979 / 12.04.14	श्री खुशीद अहमद	70580.00
35 नारायणपुर में भुलई के घर से सीवान पोखरी तक मार्ग मरम्मत	002980 / 12.04.14	श्री ओंकार नाथ सिंह	23648.00
		वर्ष 13-14 का योग-	671462.00

इस प्रकार आपसी मिलीभगत के द्वारा अवास्तविक व्यय दर्शा कर **(4581053+578921+671462) रु० 5831436.00** का अपहरण किया गया है । प्रमाणक प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री दयारम पटेल एवं ख०वि०अधि० श्री रवींद्र वीर उत्तरदायी हैं । तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री केशव चंद एवं श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक व संबंधित भुगतान प्राप्तकर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है । **(मूल आ० सं० 2ब 10)**

प्रस्तर सं० 42- अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार निम्न विवरणानुसार कार्यालय/प्रशासनिक व्यय किए गए हैं जिसकीपुष्टि में व्यय /समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए । बिना व्यय प्रमाणक के दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार पुष्टि/ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	चेक सं०/तिथि	भुगतान का विवरण	धनराशि
1	039901 / 09.11.11	प्रमुख मानदेय	22354.00
2	039907 / 03.12.11	यूनिटेक फाइबर मार्केटिंग आरओ व कूलर	119500.00
3	039911 / 16.03.12	क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय स्वयं लेखाकार	34400.00
4	039918 / 02.11.12	प्रमुख मानदेय	36000.00
5	06611 / 28.12.12	क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय स्वयं लेखाकार	34200.00
6	06612 / 28.12.12	बैठक सत्कार स्वयं लेखाकार	9000.00
7	07073 / 27.04.13	आशीष कंप्यूटर ऑपरेटर	29125.00
8	07218 / 20.08.13	आशीष कंप्यूटर ऑपरेटर	15000.00
		योग-	299579.00

(मूल आ० सं० 2ब 11)

प्रस्तर सं० 43- अनुदान पंजी द्वितीय एवं तृतीय के अनुसार क्षेत्र पंचायत कोविभिन्न शीर्ष में प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष वर्ष 11-12 से 13-14 में किए गए प्रशासनिक व निर्माण कार्य व्ययों की पुष्टि हेतु माँगोपरांत भी लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए । बिना व्यय प्रमाणक के दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री दयारम पटेल एवं ख०वि०अधि० श्री रवींद्र वीर उत्तरदायी हैं । तत्संबंध में नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	मद का नाम	धनराशि 11-12	धनराशि 12-13	धनराशि 13-14
1	पंचायत निर्वाचन	24470.00	—	—
2	टेलीफोन बिल	2000.00	—	—
3	विधायक निधि	5750.00	—	876467.00
4	आदर्श जलाशय	1431.00	—	—
5	नरेगा क्षेत्र पंचायत	5002762.00	8968639.00	1241113.00
6	नरेगा प्रशासनिक	2084277.00	1179629.00	588871.00
7	नरेगा प्रशिक्षण	18770.00	—	—

8	बीआरजीएफ	3597672.00	4316980.00	2802711.00
9	बायोगैस	16000.00	—	32000.00
10	निःशुल्क बोरिंग	1096880.00	310500.00	3020.00
11	आयकर व वैट जमा	—	217053.00	—
	योग	11850012.00	14992801.00	5544182.00

इस प्रकार निर्माण कार्य एवं प्रशासनिक मद में उपरोक्त शीर्षों में व्यय की गई धनराशि रु० 32386995.00 की पुष्टि प्रमाणकों/निर्माण पत्रावलियों के अभाव में नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ० सं० 2ब 12)

प्रस्तर सं० 44— अनुदान पंजी द्वितीय पर अंकित विवरणानुसार विभिन्न चेकों के माध्यम से आयकर एवं वैट कटौती की धराशियाँ जमा की गई हैं जिनकी पुष्टि हेतु जमा चालान की प्रति/सीटीआर की प्रति लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	चेक सं०/तिथि	भुगतान का विवरण	धनराशि
1	180316/31.10.12	असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर जमा हेतु	90555.00
2	180317/31.10.12	असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर जमा हेतु	87146.00
3	007072/27.04.13	शा० प्र० सेंट्रल बैंक मिठौरा आयकर व वैट जमा	318747.00
4	180325/27.04.13	शा० प्र० ग्रामीण बैंक सिन्दुरिया आयकर व वैट जमा	99511.00
5	180328/07.12.13	लेखाकार स्वयं आयकर व वैट जमा हेतु	49801.00
6	180345/28.03.14	लेखाकार स्वयं आयकर व वैट जमा हेतु	64502.00
7	002969/28.03.14	लेखाकार स्वयं आयकर व वैट जमा हेतु	224289.00
	योग—		934551.00

बिना व्यय प्रमाणक के दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। प्रमाणक प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री दयारम पटेल एवं ख०वि०अधि० श्री रवींद्र वीर उत्तरदायी हैं। तत्संबंध में नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 13)

प्रस्तर सं० 45— वित्तीय वर्ष 12-13 में विकास खंड परिसर में तारवर्दी कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य प्रभारी को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही रु० 150000.00 अग्रिम दिया गया है तथा इसका समायोजन प्रमाणकों से किया गया है। कार्यप्रभारी द्वारा मे० श्री नेत्र ट्रेडर्स का सामग्री क्रय का रु० 294460.00 का बिल प्रस्तुत किया गया जिस पर लेखाकार ने मात्र रु० 117.00 की वैट कटौती करते हुए भुगतान का समायोजन किया है। जबकि उक्त धनराशि पर नियमानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत रु० 6596.00 तथा वैट 4 प्रतिशत की दर से रु० 11778.00 कुल रु० 18374.00 की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रु० 18257.00 कम कटौती कर लेखाकार ने राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। अस्तु तत्कालीन लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण से नियमानुसार क्षतिपूर्ति कर राजकीय कोष में रु० 18257.00 जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 14)

प्रस्तर सं० 46— माह फरवरी में बिना तिथि के चेक सं० 180324 दिनांक 05.01.13 से राज्य वित्त शीर्ष में रु० 200000.00 (दो लाख) क्रेडिट कर आय अंकित है। यह आय बीआरजीएफ अनुदान शीर्ष से डेबिट कर राज्य वित्त में क्रेडिट है। इस प्रकार बीआरजीएफ अनुदान की धनराशि को राज्य वित्त शीर्ष में जमा करके अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। तत्संबंध में लेखा परीक्षा के समय कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण हेतु तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री केशव चंद एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 15)

क्षेत्र पंचायत—मिठौरा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014-15 से 16-17

प्रस्तर सं० 47— अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार दिनांक 04.01.17 में क्रमशः रु० 250000.00 एवं रु० 250000.00 की आय रही है। दिनांक 30.03.17 में बिना किसी आधार के वास्तविक अवशेष रु० 1737538.30 में से रु० 500000.00 कम करते हुए अनुदान पंजी द्वितीय पर अवशेष रु० 1237538.30 अंकित किया गया है तथा माह फरवरी, 17 में प्राप्त आय रु० 1741096.00 को जोड़कर दिनांक 31.03.17 को अवशेष रु० 2978634.30 दर्शाया गया है। जबकि संबंधित पासबुक से स्पष्ट है कि दिनांक 04.01.17 में क्षेत्र पंचायत के खाते में रु० 500000.00 क्रेडिट है। ऐसी स्थिति में अनुदान पंजी द्वितीय में गलत

प्रविष्टि करते हुए सीधे जमा शेष में रु० 500000.00 कम किए जाने के संबंध में लेखाकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । अस्तु आधारहीन तरीके से सीधे अवशेष कम किए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी । इस हेतु ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद एवं लेखाकार श्री दयाराम पटेल उत्तरदायी रहे हैं । ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आ० सं० 2ब 2)**

प्रस्तर सं० 48— अनुदान पंजी द्वितीय एवं तृतीय के अनुसार क्षेत्र पंचायत को विभिन्न शीर्ष में प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष निर्माण कार्य पर, कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यों पर व्यय किए गए हैं । संबंधित व्ययों की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में माँगोपरांत प्रस्तुत नहीं किए गए । विवरण निम्नवत है—

क्र० सं० मद का नाम	व्यय वर्ष 14-15	व्यय वर्ष 15-16	व्यय वर्ष 16-17
1 आवास कंटेन्जेंसी	—	88200.00	—
2 पिछड़ी जाति सर्वे	—	316500.00	39500.00
3 विधायक निधि	48981.00	—	—
4 नरेगा क्षेत्र पंचायत	228648.00	—	—
5 नरेगा प्रशासनिक	2736549.00	3932984.00	5082584.00
6 बीआरजीएफ	3097263.00	3989140.00	646714.00
7 बायोगैस	8000.00	1500.00	—
8 इंदिरा आवास प्रशासनिक	—	—	36066.00
9 आयकर व वैट जमा	637421.00	636053.00	—
योग	6756862.00	8964377.00	5804864.00

इस प्रकार निर्माण कार्य एवं प्रशासनिक मद में उपरोक्त शीर्षों में व्यय की गई धनराशि रु० (6756862.00+8964377.00+5804864.00) रु० 21526103.00 की पुष्टि व्यय प्रमाणकों/निर्माण पत्रावलियों के अभाव में नहीं की जा सकी । इस हेतु ख०वि०अधि० श्री रवींद्र वीर एवं लेखाकार श्री दयाराम पटेल उत्तरदायी रहे हैं । ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 3अ)

प्रस्तर सं० 49— अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत दिनांक 24.01.16 को क्षेत्र पंचायत को रु० 54675.00 (2500.00+52175.00) तथा त्रिस्तरीय पंचायत प्रशिक्षण मद में दिनांक 23.06.16 को रु० 42000.00 की आय प्राप्त है । चेक सं० 014611 दिनांक 05.01.17 को ग्रामीण पेयजल योजना की धनराशि रु० 54675.00 तथा चेक सं० 011821/24.06.16 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन प्रशिक्षण की धनराशि रु० 42000.00 को लेखाकार ने स्वयं केनाम से प्राप्त अंकित करते हुए व्यय किया है । उक्त दोनों मदों के आय एवं व्यय को अनुदान पंजी तृतीय पर अंकित नहीं किया गया है । व्ययों की पुष्टि हेतु समायोजन व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रकरणों से स्पष्ट है कि आपसी मिलीभगत कर तत्कालीन लेखाकार श्री दयाराम पटेल (रु० 42000.00) व लेखाकार श्री महेंद्र सिंह (रु० 54675.00) तथा ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद द्वारा निजी हित में प्रयुक्त किया गया है । ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 3ब)

प्रस्तर सं० 50— लेखा परीक्षा के समय अनुदान पंजी द्वितीय पर अंकित निम्न व्ययों से संबंधित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किए गए—

1 परसामीर में शंभू के घर से—————इन्टरलॉकिंग कार्य कार्यप्रभारी श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता, ग्रा०वि०अधि० चेक सं० 039923/15.07.14 द्वारा रु० 35000.00 भुगतान

2 परसामीर में शंभू के घर से—————इन्टरलॉकिंग कार्य कार्यप्रभारी श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता, ग्रा०वि०अधि० चेक सं० 003312/16.10.14 द्वारा रु० 35000.00 भुगतान

3 कुईया उर्फ महेशपुर में रियाजुल के घर से कन्हैया के घर तक मार्ग मरम्मत कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० चेक सं० 000005/14.10.14 द्वारा रु० 150000.00 भुगतान

4 ख०वि०अधि० आवास मरम्मत कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० चेक सं० 009645/18.11.15 द्वारा रु० 150000.00 भुगतान

5 दरहटा में श्मशान घाट मरम्मत कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि० चेक सं० 008042/29.12.14 द्वारा रु० 150000.00 भुगतान **योग— 520000.00**

स्पष्ट है कि आपसी मिलीभगत से अवास्तविक व्यय अंकित कर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है । संबंधित कार्यप्रभारी के साथ-साथ तत्कालीन ख०वि०अधि०, लेखाकार एवं अवर अभियंता श्री जयनाथ पांडे उत्तरदायी रहे हैं । ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० 51— लेखा परीक्षा में राज्य वित्त शीर्ष में अंकित निम्नांकित प्रशासनिक व्ययों से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए । विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	तिथि	भुगतान का विवरण/उत्तरदायी व्यक्ति	धनराशि
1 24.10.16	प्रमुख मानदेय/श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व श्री विवेकानंद, ख०वि०अधि०		73825.00
2 26.05.15	प्रकाशन स्वतंत्र चेतना/श्री राजेन्द्र नायक, श्री राजेन्द्र वरुण, ख०वि०अधि०		7167.00
3 27.05.15	प्रमुख मानदेय/श्री राजेन्द्र नायक, श्री राजेन्द्र वरुण, ख०वि०अधि०		158000.00
4 03.10.16	कंटेन्जेंसी व्यय/अमित फोम हाउस		25550.00
5 03.10.16	प्रकाशन टेन्डर/ज्ञान मंडल		11500.00
6 03.10.16	प्रकाशन टेन्डर/स्पष्ट आवाज		10694.00

योग— 286736.00

बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । प्रमाणक प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री दयाराम पटेल व ख०वि०अधि० श्री रवींद्र वीर उत्तरदायी रहे हैं । अस्तु ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 5)

प्रस्तर सं० 52— राज्य वित्त अनुदान शीर्ष में अनुदान पंजी द्वितीय के पृष्ठ सं० 22 पर बिना कोई स्पष्ट विवरण के दिनांक 13.10.16 के अवशेष रु० 905946.00 में से रु० 41372.00 कम करते हुए अवशेष रु० 864574.00 दर्शाया गया है । तत्संबंध में लेखा परीक्षा के समय कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार बिना किसी तथ्यपरक आधार के रु० 41372.00 से अनुदान राशि कम करके तत्कालीन लेखाकार श्री दयाराम पटेल एवं ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद द्वारा आपसी मिलीभगत कर अपहरण किया गया है । अस्तु ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 6)

प्रस्तर सं० 53— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावली राज्य वित्त अनुदान वर्ष 14-15 की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने बिना किसी पूर्व सूचना/प्रार्थना पत्र के तथा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के एस्टीमेट से अधिक मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारियों को किया गया है । विवरण निम्नवत है—

1 पतरेंगवा तीरथटोला में सड़क से कैलाश यादव के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य में श्री ओंकार नाथ सिंह, कार्यप्रभारी को प्राक्कलित अनुमान रु० 38546.00 के सापेक्ष रु० 74596.00 (रु० 36050.00 अधिक) भुगतान किया गया है ।

2 गणेशपुर में इन्टरलॉकिंग कार्य में श्री ओंकार नाथ सिंह, कार्यप्रभारी को प्राक्कलित अनुमान रु० 92878.00 के सापेक्ष रु० 98696.00 (रु० 5818.00 अधिक) भुगतान किया गया है ।

इस प्रकार आपसी मिलीभगत कर अनुमानित लागत से अधिक मजदूरी रु० 41868.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया है । संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित क्षतिपूर्ति एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 7)

प्रस्तर सं० 54— वित्तीय वर्ष 14-15 से 16-17 के राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि० अंगूठा नहीं है फिर भी कार्यप्रभारी को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है । इस संबंध में वर्तमान लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा के समय कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही संबंधित कार्यप्रभारियों से तत्संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर जाँच के समय प्रस्तुत किया गया । स्पष्ट है कि संस्था स्तर पर नियमों एवं मानकों की अनदेखी करते हुए एवं भुगतान के पूर्व प्रस्तुत प्रमाणकों की जाँच किए बिना ही कार्यप्रभारियों को भुगतान किया गया है जो आपसी मिलीभगत कर राजकीय अनुदान के अपहरण का द्योतक रहा है । संबंधित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए रु० 505704.00 की नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है—

1 कार्य का नाम— चौक टोला में पंचायत भवन से बकरीदन के घर तक खड़जा मरम्मत (14-15)

चेक सं० 000011/15.10.14 द्वारा रु० 99960.00 का भुगतान

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण व जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

2 कुईया कंचनपुर में इन्टरलॉकिंग कार्य (14-15)

चेक सं० 002220/04.09.14 द्वारा रु० 27880.00 व चेक सं० 000002/14.10.14 द्वारा रु० 50940.00 का भुगतान

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण व जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

3 रामपुर मीर में उत्तर टोला पर इन्टरलॉकिंग एवं अनुरक्षण कार्य (14-15)

चेक सं० 002218/08.08.14 द्वारा रु० 94000.00, चेक सं० 003304/04.09.14 द्वारा रु० 16960.00 व चेक सं० 000004/14.10.14 द्वारा रु० 22864.00 का भुगतान

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री ओंकार नाथ सिंह, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण व जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

4 सिन्दुरिया में सीसी रोड निर्माण (14-15)

चेक सं० 003320/20.11.14 द्वारा रु० 85500.00 का भुगतान

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री रामकयास, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण व जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

5 मुंडेरा कला में चंद्रशेखर के घर से मूल के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य (15-16)

चेक सं० 000024/29.09.15 द्वारा रु० 33950.00 का भुगतान

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, ख०वि०अधि० श्री देवेश चंद व जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

6 पड़वनिया में काशी के घर से शंकर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य (15-16)

चेक सं० 000023/29.09.15 द्वारा रु० 24850.00 का भुगतान

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक, ख०वि०अधि० श्री देवेश चंद व जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

7 पतरेंगवा टोला अरनहवा में आरसीसी पुलिया निर्माण (15-16)

चेक सं० 727168/24.10.16 द्वारा रु० 48800.00 का भुगतान

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री विनय पांडे, लेखाकार श्री दयाराम पटेल, ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद व जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

(मूल आ० सं० 2ब 8)

प्रस्तर सं० 55— वित्तीय वर्ष 15-16 में बेलवा खुर्द में इन्टरलॉकिंग कार्य हेतु श्री नागेंद्र कुमार पांडे को कार्यप्रभारी नियुक्त करते हुए दिनांक 26.08.15 को चेक सं० 000018 द्वारा मे० खुर्शीद अहमद कान्द्रेक्टर एवं सप्लायर्स सोहगौरा को बिल सं० 67 पर दिनांक अंकित नहीं है के निमित्त रु० 105948.00 सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है । उक्त पत्रावली में मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एमबी की प्रति संलग्न नहीं है । कार्य पंजिका पर भी कार्य की पूर्णता की स्थिति अंकित नहीं है तथा लेखा परीक्षा में भी कार्य की पूर्णता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । स्पष्ट है कि फर्म के साथ आपसी मिलीभगत करते हुए अवास्तविक सामग्री क्रय दर्शा कर रु० 105948.00 का कार्यप्रभारी श्री नागेंद्र कुमार पांडे, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे द्वारा अपहरण किया गया है । संबंधित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते नियमानुसार ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 9)

प्रस्तर सं० 56— वित्तीय वर्ष 14-15 से 16-17 के राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के एवं बिना किसी पूर्व सूचना के ही अनुमानित लागत से अधिक की सामग्री क्रय दर्शा कर भुगतान किया गया है । विवरण निम्नवत है—

1 पतरेंगवा तीरथटोला सड़क से कैलाश यादव के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— सीमेंट 193 बोरी, ईट 18713 नग

क्रय मात्रा— सीमेंट 196 बोरी, ईट 20397 नग

अधिक क्रय/दर— 3/335, 1684/5.80

भुगतानित धनराशि— 1005.00+9767.20= 10772.20

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

2 गणेशपुर में इन्टरलॉकिंग कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— सीमेंट 273 बोरी, ईट गिट्टी 83.20 घ०मी०, महीन बालू 53.80 घ०मी०, सीमेंट ईट 19240 नग

क्रय मात्रा— सीमेंट 281 बोरी, ईट गिट्टी 89.14 घ०मी०, महीन बालू 56.01 घ०मी०, सीमेंट ईट 19718 नग

अधिक क्रय/दर— 8/335, 5.94/1129.50, 2.21/1123.20, 478/16.65

भुगतानित धनराशि— 2680.00+2482.28+6709.23+7958.80= 19838.21

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

3 रामपुरमीर में लक्ष्मण के घर से सुरेश के घर तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— सीमेंट 125 बोरी, ईट गिट्टी 22.48 घ०मी०, महीन बालू 17.51 घ०मी०, सीमेंट ईट 4900 नग, ईट 8500 नग, सादा बालू 7.00 घ०मी०, मोटा बालू 1.99 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 3.98 घ०मी०, सरिया 3.47 कुंतल

क्रय मात्रा— सीमेंट 130 बोरी, ईट गिट्टी 23.56 घ०मी०, महीन बालू 18.22 घ०मी०, सीमेंट ईट 5328 नग, ईट 8533 नग, सादा बालू 7.38 घ०मी०, मोटा बालू 2.05 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 4.08 घ०मी०, सरिया 4.44 कुंतल

अधिक क्रय/दर— 5/335, 1.08/1129.50, 0.71/1123.20, 428/16.65, 33/5.80, 0.38/702.00, 0.06/2469.80, 0.10/2979.40, 0.97/5000.00

भुगतानित धनराशि—1675.00+1219.86+797.47+7126.20+191.40+266.76+148.19+297.94+4850.00= 24572.82

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

4 कमहरिया कला में इन्टरलॉकिंग कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— ईट गिट्टी 58.10 घ०मी०, लोकल बालू 20.81 घ०मी०, सीमेंट ईट 15402 नग

क्रय मात्रा— ईट गिट्टी 59.68 घ०मी०, लोकल बालू 22.67 घ०मी०, सीमेंट ईट 16250 नग

अधिक क्रय/दर— 1.58/1129.50, 1.86/702.00, 848/16.65

भुगतानित धनराशि— 1784.61+1305.72+14119.20= 17209.53

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

5 पतरेंगवा सुकळ टोला पर खड़जा मरम्मत कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— मिट्टी 426.56 घ०मी० क्रय मात्रा—मिट्टी 574.49 घ०मी०

अधिक क्रय/दर— 147.93/192.80

भुगतानित धनराशि— 28520.90= 28520.90

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

6 रामपुरमीर उत्तर टोला पर इन्टरलॉकिंग अनुरक्षण कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— ईट गिट्टी 106.68 घ०मी०, सीमेंट ईट 17631 नग

क्रय मात्रा— ईट गिट्टी 120.00 घ०मी०, सीमेंट ईट 21000 नग

अधिक क्रय/दर— 13.32/1129.50, 3369/16.65

भुगतानित धनराशि— 15044.95+56093.85= 71138.80

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री ओंकार सिंह, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

7 कुइयां कंचनपुर में इन्टरलॉकिंग कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— सादा बालू 26.29 घ०मी०

क्रय मात्रा— सादा बालू 28.73 घ०मी०

अधिक क्रय/दर— 2.44/702.00

भुगतानित धनराशि— 1712.88= 1712.88

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

8 चौक टोला कटेया में निचलौल पीडब्लूडी रोड से बहादुर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— सीमेंट ईट 23125 नग

क्रय मात्रा— सीमेंट ईट 24828 नग

अधिक क्रय/दर— 1703/16.65

भुगतानित धनराशि— 28354.95= 28354.95

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

9 बेलवा खुर्द में मस्जिद के पास इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— ईट 15600 नग, लोकल बालू 13.34 घ०मी०, सीमेंट ईट 9335 नग

क्रय मात्रा— ईट 15774 नग, लोकल बालू 23.50 घ०मी०, सीमेंट ईट 9990 नग

अधिक क्रय/दर— 174/5.80, 10.16/702.00, 655/16.65

भुगतानित धनराशि— 1009.20+7132.32+10905.75= 19027.27

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री नागेंद्र पांडे, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

10 बेलवा खुर्द में जलील के घर से नहर पिच रोड तक इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— ईट 16925 नग, महीन बालू 41.05 घ०मी०, सीमेंट ईट 12705 नग, सीमेंट 221 बोरी, ईट गिट्टी 57.86 घ०मी०
क्रय मात्रा— ईट 18870 नग, महीन बालू 43.29 घ०मी०, सीमेंट ईट 13132 नग, सीमेंट 230 बोरी, ईट गिट्टी 58.68 घ०मी०
अधिक क्रय/दर— 1945/5.80, 2.24/1123.20, 427/16.65, 9/335.00, 0.82/1129.50

भुगतानित धनराशि— 11281.00+2615.97+7109.55+3015.00+926.19= 24847.71

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री नागेंद्र पांडे, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

11 सिन्दुरिया में सीसी रोड निर्माण कार्य (14-15)

एस्टीमेट के अनुसार— ईट 19702 नग, महीन बालू 43.48 घ०मी०, ईट गिट्टी 63.26 घ०मी०

क्रय मात्रा— ईट 23683 नग, महीन बालू 45.10 घ०मी०, ईट गिट्टी 65.66 घ०मी०

अधिक क्रय/दर— 3981/5.80, 1.62/2473.74, 2.40/1129.50

भुगतानित धनराशि— 23089.80+4007.46+2710.80= 29808.06

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री राम कयास, ग्रा०पंचा०अधि०, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

12 ग्राम पंचायत सोनाड़ी में सीसी रोड से मंदिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य (16-17)

एस्टीमेट के अनुसार— लोकल बालू 28.13 घ०मी०, ईट गिट्टी 95.15 घ०मी०, सीमेंट ईट 19800 नग

क्रय मात्रा— लोकल बालू 36 घ०मी०, ईट गिट्टी 97.58 घ०मी०, सीमेंट ईट 25200 नग

अधिक क्रय/दर— 7.87/884.00, 2.43/1679.50, 5400/16.64

भुगतानित धनराशि— 6957.08+4081.12+89856.00= 100894.20

उत्तरदायी व्यक्ति— कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, ग्रा०वि०अधि०, ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद राय, लेखाकार श्री दयाराम पटेल एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे

सम्पूर्ण योग— 376697.53 (376698.00)

उपरोक्त विवरणानुसार बिना नियमों का पूर्णतः पालन किए ही मनमाने तरीके से कार्यप्रभारी द्वारा अधिक सामग्री क्रय दर्शाते हुए भुगतान करा कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है । अस्तु रु० 376697.53 अर्थात् रु० 376698.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 10)

प्रस्तर सं० 57—वित्तीय वर्ष 15-16 में क्षेत्र पंचायत परिसर में सीसी रोड निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार श्री अमरेन्द्र पटेल को कार्यप्रभारी नियुक्त करते हुए निर्माण कार्य पर कुल रु० 870276.00 (श्रमांश रु० 119013.00 एवं सामग्री रु० 751263.00) का भुगतान किया गया है । पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व एमबी संलग्न नहीं है तथा इस निर्माण कार्य को कार्य पंजिका पर भी अंकित नहीं किया गया है । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 15-16 की निर्माण कार्य पत्रावली रामपुरमीर में पिच रोड से हरिजन बस्ती तक खड़जा अनुरक्षण कार्य जो वर्ष 17-18 में पूर्ण हुआ है, में श्रमांश पर रु० 106612.00 व सामग्री पर रु० 410117.00 कुल रु० 516729.00 का भुगतान किया गया है । किन्तु यह कार्य भी वर्ष 15-16 या 17-18 की कार्य पंजिका पर अंकित नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि आपसी मिलीभगत कर अवास्तविक कार्य को दर्शा कर (रु० 870276.00+516729.00) कुल रु० 1387005.00 का अपहरण किया गया है । रु० 870276.00 के अपहरण हेतु कार्यप्रभारी श्री अमरेन्द्र पटेल, लेखाकार श्री दयाराम पटेल, ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद राय एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे तथा रु० 516729.00 के अपहरण हेतु कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, लेखाकार श्री राजेन्द्र नायक/श्री महेंद्र सिंह, ख०वि०अधि० श्री राजेन्द्र वरुण एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे उत्तरदायी हैं । अस्तु रु० 1387005.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 11)

प्रस्तर सं० 58— वित्तीय वर्ष 16-17 के राज्य वित्त निर्माण कार्य पत्रावली सिन्दुरिया महाराजगंज मार्ग पर स्थित लेदवा जाने वाले मार्ग पर क्रॉस ड्रेनेज कार्य की जाँच में निम्न आपत्तियाँ प्रमुख रही हैं—

1 श्री अमरेन्द्र पटेल को कार्यालय पत्रांक 439/25.10.16 द्वारा कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया है । जबकि निर्माण कार्य 09.10.16 में ही प्रारंभ हो गया है । प्रथम मस्टर रोल (09.10.16 से 22.10.16) रु० 97580.00 का भुगतान भी चेक सं० 727172/07.11.16 द्वारा किया गया है ।

2 पत्रावली में संलग्न एस्टीमेट के अनुसार सामग्री रु० 1076877.00 तथा श्रमांश रु० 153869.00 का व्यय अनुमानित रहा है । पुनः एस्टीमेट संशोधित कर सामग्री पर व्यय रु० 892468.00 तथा श्रमांश पर व्यय रु० 107532.00 का करते हुए पत्रावली में संलग्न किया गया है । इस प्रकार किस सामग्री में कितने की कमी हुई इसका कोई विवरण नहीं है ।

3 पत्रावली में सामग्री हेतु रु० 179190.00 तथा दिनांक 25.11.16 से 08.12.16 तक के मस्टर रोल रु० 47730.00 के भुगतान हेतु कार्यप्रभारी द्वारा ख०वि०अधि० को प्रेषित प्रार्थना पत्र संलग्न है । उक्त पत्र पर ख०वि०अधि० ने चेक रु० 189142.00 का भुगतान स्वीकृत किया है । किन्तु उक्त का भुगतान किस चेक सं० से हुआ है अंकित नहीं किया गया है । सामग्री हेतु रु० 179191.00 तथा श्रमांश हेतु रु० 9952.00 कुल रु० 189142.00 ही स्वीकृत है । जबकि सामग्री बिल रु० 179190.00 में आईटी एवं वैट की कटौती करके रु० 168008.00 का भुगतान फर्म आदिशक्ति इन्टरप्राइजेजको चेक सं० 727174 द्वारा दिनांक 17.12.17 को दूसरे निर्माण कार्य के साथ (रु० 414021.00) में किया जा चुका है ।

4 पत्रावली में जल निकासी हेतु श्री गोपाल पुत्र वंशी का रसीद रु० 22500.00 का व्यय प्रमाणक संलग्न है । इस भुगतान हेतु कार्यप्रभारी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है तथा विकास खंड कार्यालय से भुगतान भी नहीं हुआ है । कार्य पंजिका पर भी भुगतान का विवरण नहीं है । पत्रावली में कार्य प्रारंभ के

पूर्व के लगे फोटो के अनुसार कहीं भी जल जमाव नहीं दर्शित है । ऐसे में जल निकासी पर व्यय का प्रमाणक लगाने का क्या औचित्य है ।

उपरोक्त समस्त प्रकरणों का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण एवं अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि मनमाने तरीके से काल्पनिक पत्रावली तैयार कर अपासी मिलीभगत से उक्त निर्माण कार्य पर हुए कुल व्यय रु० 923973.00 का अपहरण कार्यप्रभारी, ख०वि०अधि०, लेखाकार एवं जू० इंजी० द्वारा किया गया है । ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 12)

प्रस्तर सं० 59— वित्तीय वर्ष 16—17 के कार्य ख०वि०अधि० परिसर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत कार्य निर्माण पत्रावली के अनुसार श्री राजेश त्रिपाठी को कार्यप्रभारी बना कर (नियुक्ति पत्रांक 437/25.10.16) कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही रु० 180000.00 का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है जो नियम विरुद्ध है । वर्तमान समय में अग्रिम का कोई प्रविधान नहीं है । पत्रावली में एस्टीमेट, एमबी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं है । लेखा परीक्षा के समय माँगोपरांत भी संबंधित प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्वतः स्पष्ट है कि अवास्तविक रूप में आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत कार्य दर्शा कर व्यय की गई धनराशि रु० 416359.00 का आपसी मिलीभगत कर कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी, तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद राय, लेखाकार श्री दयाराम पटेल एवं जू० इंजी० श्री जयनाथ पांडे ने अपहरण कर लिया है । अस्तु रु० 416359.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 13)

प्रस्तर सं० 60— शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार बैंक खातों में जमा अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी एवं समस्त प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना आवश्यक है । किन्तु क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को अनुदान में ही सम्मिलित कर आय अंकित किया गया है एवं अवशेष दर्शाया गया है तथा वर्षांत में अवशेष ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा है । इस हेतु ख०वि०अधि० श्री विवेकानंद राय व लेखाकार श्री महेंद्र सिंह प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं । विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	मद का नाम	ब्याज से आय	वर्ष 14—15	वर्ष 15—16	वर्ष 16—17	योग
1	राज्य वित्त	70367.00	77827.00	58566.00	206760.00	
2	बीआरजीएफ	58065.00	—	107421.00	165486.00	
	योग	128432.00	77827.00	165987.00	372246.00	

दिनांक 31.03.17 तक प्राप्त ब्याज की धनराशि रु० 372246.00 को अविलंब राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है । उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 14)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017—18 एवं 2018—19 क्षेत्र पंचायत— कुठोन्द जालौन

आपत्तियों का पूर्ण विवरण—

प्रस्तर 01 व्यापार कर —शासनादेश संख्या-221-35-1/दस 2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है । इस तरह टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग से पंजीकृत है । एवं बिल को कोषागार विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है । नियमानुसार संविदाकर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चैक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चैक पर प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है ।

वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान का प्राविधानित कटौती कर ली गयी है। लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

आलोच्य वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार फर्मों के ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित 4% की दर से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है। तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी जिसका विवरण निम्नवत है—

वर्ष	फर्मों ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि	4% की दर से कटौती व्यापार कर	संस्था द्वारा कटौती व्यापार कर	अन्तर की धनराशि (कम)
2017-18	1446573.00	57863.00	56807.00	1056.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 1056.00 व्यापार कर की कम कटौती की गई जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री एम0के0सिंह एवं श्री लोकनाथ राजपूत खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री हेमन्त कुमार मिश्रा ज्येष्ठ लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-17

प्रस्तर 02 लेबर सैस — असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सनिर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण, कर्मकार कल्याण (उपकर) नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है। के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदारों के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से कर्मचारी उपकर (लेबर सैस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 राज्य वित्त द्वारा सभी योजनाओं पर निर्माण कार्यों हेतु फर्मों/ठेकेदारों को भुगतान निम्न विवरण के अनुसार किया गया विवरण निम्नवत है—

वर्ष	ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि	निर्धारित लेबर सैस	संस्था द्वारा काटी लेबर सैस	अन्तर (कम)
2017-18	910386.00	9104.00	5958.00	3146.00

आलोच्य वर्ष निम्नानुसार ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु धनराशि किया गया है। किन्तु 1% लेबर सैस की निर्धारित दर से नहीं की गई है। जिससे ठेकेदारों को लाभ पहुँचाना गया है। राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 3146.00 लेबर सैस कम कटौती की गई। जिसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री एम0के0 सिंह एवं श्री लोकनाथ राजपूत खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री हेमन्त कुमार मिश्रा ज्येष्ठ लेखाकार हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-18

प्रस्तर 03 शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93-जी/2004 दिनांक 12.01.2015 के शासनादेश संख्या-4/866/133-4-14-93 जी 2004 दिनांक 29.06.2004 के अनुसार क्षेत्रपंचायत से ग्राम पंचायतें लाभान्वित करने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। जब शासनादेश के विपरीत कार्य करने अधिकृत की स्थिति में भी संस्था द्वारा ग्राम प्रधान का इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया कि उक्त निर्माण कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 में रु0 583057.00 निर्माण कार्य एवं वर्ष 2018-19 में रु0 6228673.00 का निर्माण कार्यों पर व्यय पर कुल रु0 6811730.00 की निर्माण कार्यों पर व्यय कर गम्भीर अनियमितता की गई जिसके लिये पूर्ण रूप से श्री एम0के0 सिंह एवं श्री लोकनाथ राजपूत खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री हेमन्त कुमार मिश्रा ज्येष्ठ लेखाकार उत्तरदायी है। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-19

प्रस्तर 04 आलोच्य वर्ष में 2017-18 एवं 2018-19 की योजनाओं पर अनुदान राशि के सापेक्ष विवरणानुसार निर्माण कार्य की पत्रावलियों/प्रमाणक उपलब्ध कराये गये शेष पत्रादि पत्रावलियों/प्रमाणक लेखा परीक्षा दल द्वारा माँगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये। और ज्येष्ठ लेखाकार द्वारा मौखिक बताया गया कि मात्र राज्य वित्त अनुदान की लेखा परीक्षा की जानी। इसके सम्बन्ध में शासन/विभाग द्वारा कोई आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में विभागीय उच्चाधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। अतः लेखा परीक्षा वर्षों में जिससे कुल व्यय राशि में से रु0 4229269.00 की अप्राप्त पत्रावलियों से सम्बन्धित धनराशि 4229269.00 की गम्भीर अनियमितता की गई। जिसके लिये सम्बन्धित पटल प्रभारी व ज्येष्ठ लेखाकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अतः विवरण निम्नवत है—

क्रं	योजना का नाम	वर्ष	ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार व्यय	लेखा परीक्षा में प्राप्त पत्रावलियों की धनराशि	अप्राप्त पत्रावलियों की धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग	2017-18	1976890.00	1976890.00	—
2	पिछडा क्षेत्र अनुदान	2017-18	69616.00	—	69616.00
3	ऑगनबाडी केन्द्र निर्माण	2017-18	1885936.00	—	1885936.00
	योग —		3932442.00	1976890.00	1955552.00
1	राज्यवित्त आयोग	2018-19	8933371.00	8933371.00	—
2	ऑगनबाडी केन्द्र निर्माण	2018-19	2773717.00	—	2773717.00
	योग —		11707088.00	8933371.00	2773717.00
	वर्ष 2017-18 व 2018-19 का कुल योग				4229269.00

मूल आपत्ति सं०-20

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 क्षेत्र पंचायत-महेवा

आपत्तियों का पूर्ण विवरण-

प्रस्तर 05 क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 21.06.2017 के अनुदान रजिस्टर द्वितीय में राज्य वित्त से कार्यालय सुन्दरीकरण मद में कुल रु० 1705844.00 में से आयकर, व्यापार कर व लेबर सेस क्रमशः 8547+1506+3765=27373 कटौती कर कार्य प्रभारी श्री संजय श्रीवास्तव अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को बैंक संख्या 00611 से 349149.00 का भुगतान का अवशेष रु० 1356695 दर्शाकर तत्कालीन एन०आर०ई०पी० व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रकार रु० 349149.00 के भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इकाई के वर्तमान लेखाकार द्वारा मौखिक बताया गया कि उन्हें यह कार्य पत्रावली चार्ज में नहीं मिली। स्पष्ट है कि रु० 349149 के भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये श्री संजय श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियन्ता ग्रा०अभि०वि०, श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव तत्कालीन लेखाकार एवं श्री अजितेश कुमार सिंह तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-02

प्रस्तर 06 अनुदान रजिस्टर द्वितीय के अनुसार बैंक संख्या 012066/26.02.2018 के उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बावत लेबर सेस भुगतान (राज्य वित्त आयोग) हेतु रु० 24689 जारी है जिसे अनुदान रजिस्टर तृतीय में माह फरवरी 2018 में बैंक संख्या 012066/22.02.2018 धनराशि रु० 24689.00 अनकैश दर्शाया जा रहा है। स्पष्ट है कि उक्त लेबर सेस 09 माह तक जमा नहीं हुआ। अनुदान रजिस्टर तृतीय में माह दिसम्बर 2018 से यह अनकैश सूची से हट गया है। यदि लेबर सेस जमा हुआ हो तो लेखा परीक्षा में जमा रसीद/चालान/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेबर सेस के सम्बन्ध में गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास व श्री लोकनाथ राजपूत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-05

प्रस्तर 07 आलोच्य वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ/प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है तथा शेष पत्रावलियाँ/प्रमाणक लेखा परीक्षा में मौखिक व लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(क)

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार व्यय	प्राप्त पत्रावली / प्रमाणक	अप्राप्त पत्रावली प्रमाणक
1.	विधायक निधि	2017-18	236385	—	236385
2.	बुन्देल० वि०निधि	2017-18	—	—	—
3.	मनरेगा प्रशासनिक	2017-18	4357668	—	4357668
4.	बी०आर०जी०एफ०	2017-18	1479674	—	1479674
5.	राज्य वित्त / केन्द्र वित्त आ०	2017-18	3546479	—	744300
6.	आंगनबाड़ी निर्माण	2017-18	2430531	—	2430531
7.	बाउण्ट्री वाल निर्माण	2017-18	आंगनबाड़ी मद में स्थानान्तरित		
	योग		12050737	2802179	9248558

(ख)

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार व्यय	प्राप्त पत्रावली / प्रमाणक	अप्राप्त पत्रावली प्रमाणक
1.	विधायक निधि	2018-19	—	—	—
2.	बुन्देल० वि०निधि	2018-19	—	—	—
3.	मनरेगा प्रशासनिक	2018-19	6906613	—	6906613
4.	राज्य वित्त / केन्द्र वित्त आ०	2018-19	2102580	1752233	350347
5.	आंगनबाड़ी निर्माण	2018-19	2425554	—	2425554
6.	बी०आर०जी०एफ०	2018-19	75000	—	75000
	योग		11509747	1752233	9757514

इस प्रकार वर्ष 17-18 में रू० 9248558 एवं वर्ष 2018-19 में रू० 9757514 की व्यय धनराशि की पत्रावलियाँ/प्रमाणक अप्राप्त रहने से सही व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-19

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 क्षेत्र पंचायत-जालौन

आपत्तियों का पूर्ण विवरण-

प्रस्तर 08 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न मदों से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने से मु० 3727567.00 धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना गम्भीर अनियमितता की ओर इंगित करता है। ज्येष्ठ लेखाकार श्री गोविन्द नारायण वर्मा द्वारा यह कहा गया कि आपको (लेखा परीक्षक) निम्न मदों की लेखा परीक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसा आदेश है परन्तु लेखा परीक्षा में ऐसा कोई आदेश/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना आपत्ति का विषय है जो कि राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है जिसके लिये ज्येष्ठ लेखाकार श्री गोविन्द नारायण वर्मा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि जिसका उपभोग किया
1.	बी०आर०जी०एफ० योजना	191030.00
2.	प्रशासनिक मद मनरेगा	2960188.00
3.	आंगनबाड़ी केन्द्र	4500.00
4.	जमानत राशि	72000.00
5.	प्रा०मद प्रधानमंत्री आवास	497599.00
6.	पंचायत वि० मानदेय	2250.00
	योग	3727567.00

मूल आपत्ति सं०-14

प्रस्तर 09 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग प्राप्त अनुदान के सापेक्ष निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/प्रमाणक अप्राप्त रहे जिससे उक्त मर्दें वर्ष के दौरान कुल उपभोग 10493777.00 किया गया था जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि 3400452 की पत्रावलियों/प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत किये गये शेष रु0 7093325.00 की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/प्रमाणक अप्राप्त जिसे लेखा परीक्षा में शेष पत्रावलियां उपलब्ध कराया जाना गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिये पटल प्रभारी ज्येष्ठ लेखाकार श्री गोविन्द नारायण वर्मा पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद का नाम-झांसी

मण्डल का नाम-झांसी

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत- मउरानीपुर

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 1 वर्ष दौरान कराये गये निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/ 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि /अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है ,उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये। इस प्रकार समस्त कार्य अनियमित रूप से एवं उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कराये गये। वर्ष दौरान कराये गये कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्र0	कार्य विवरण	धनराशि
1.	ग्राम बडागांव में एपेक्स एवं नाली(नवाबखान से रामेश्वर श्रीवास)	191477.00
2.	ग्राम भण्डरा में मुक्तिधाम एवं बाउण्डीवा निर्माण	952824.00
3.	ग्राम बुढाई में सी0सी0रोड एवं नाली(श्री पंचम सिंह से भगवत धोबी)	989807.00
4.	ग्राम गढवा में एपेक्स एवं नाली(मातादीन कुशवाहा से रमाकान्त)	820979.00
5.	ग्राम मेंढकी में एपेक्स एवं नाली(बलदेव कुशवाहा-धर्मदास के बाडे)	611155.00
6.	ग्राम मउदेहात में सी0सी0रोड एवं नाली(श्री बबलू करवल से रामेश्वर)	592622.00
7.	ग्रामघाटलहचूरा में एपेक्स एवं नाली(श्री धनीराम रैकवार से शंकरजी मंदिर)	802208.00
8.	ग्राम ढिमलौनी में एपेक्स एवं नाली(चुरारी रोड से बसंत पटेल)	549026.00
9.	ग्राम बरोरी में एपेक्स एवं नाली(श्री अखलेशनायक से श्री लालाराम)	199673.00
10.	ग्राम ढिमलौनी में एपेक्स एवं नाली(नवीन पंचायत भवन के सामने)	264144.00
11.	ग्राम कुवरपुरा में सी0सी0रोड एवं नाली(श्री डालचन्द्र कुशवाहा से धनीमहाराज)	985474.00
12.	ग्राम मउदेहात में कवर्ड सी0 सी0 नाला निर्माण(महेन्द्र से भानपुरा वाले)	986105.00
	योग-	7945494.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 7**

प्रस्तर 2 दिनांक 12.07.2018 को मैं भदौरिया इंजी0 एण्ड क0झांसी को अवशेष बिलों का भुगतान रु 41996.00 एवं रु 152620.00 जमा प्रतिभूति का भुगतान कुल रु 194616.00 चतुर्थ राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत किशोरपुरा में मार्गप्रकाश/विद्युतीकरण हेतु किया गया। उक्त कार्य का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की बैठक दिनांक 18.03.2016 में 13वें वित्त के प्रस्ताव सं0-1 से किया गया जबकि अवशेष बिलों एवं जमा प्रतिभूति का भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त से किया गया है जो कि अनियमित है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदाई हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 12

प्रस्तर 3 दिनांक 03.10.2018 को चेक सं0 563298 अंकन रु 14825.00 आयकर(ग्रामपं0 ढिमलौनी में एपेक्स एवं नाली निर्माण हेतु) जमा हेतु निर्गत की गई जोकि दिनांक 25.01.2019 को भुगतान न होने के

कारण रदद कर दी गई। पुनः उक्त आयकर का भुगतान माह फरवरी-2020 तक नहीं किया गया जो कि खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की लापरवाही का द्योतक है। आयकर का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिये तथा विलम्ब से भुगतान करने के कारण लगने वाले ब्याज एवं विलम्ब शुल्क की वसूली खण्ड विकास अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी से की जानी चाहिये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 15

प्रस्तर 4 ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार 31.03.2018 को विभिन्न बिलों से रु 181317.00 की आयकर एवं लेबर सेस की कटौती कर एस0बी0आई0 खाता सं0-10861036704 में जमा किया गया जिसे अगले माह सम्बन्धित पक्षों को भुगतान कर दिया जाना चाहिये किन्तु उक्त धनराशि एवं वर्ष दौरान विभिन्न माह में रु 658495.00 कटौती की गई आयकर एवं लेबर सेस की धनराशि को भी उसी खाते में जमा किया गया और माह मार्च -19 में मात्र रु 205140.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार 31.03.2019 को अवशेष आयकर एवं लेबर सेस रु 634672.00 का भुगतान नवम्बर-19 तक सम्बन्धित पक्षों को नहीं किया गया जो कि यह गंभीर अनियमितता है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। यदि भविष्य में विलंब शुल्क और दंड आरोपित किया जाता है तो वसूली खंड विकास अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) से की जानी चाहिए। विदित हो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 एच के अनुसार कटौती किये गये आयकर का निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर विलम्ब शुल्क एवं 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 19

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम-झाँसी

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

क्षेत्र पंचायत-महरोनी

विकास खण्ड: महरोनी

प्रस्तर- 1 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सांसद निधि एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को भुगतान बिलों पर वैट टैक्स 4 प्रतिशत की कटौती न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जबकि जी0एस0टी0 लागू होने से पहले तक के भुगतान बिलों पर 4 प्रतिशत वैट टैक्स की कटौती की जानी चाहिए। जी0एस0टी0 टैक्स दिनांक 01.10.2018 से लागू किया गया। जिससे राजकीय राजस्व की हानि हुई इसके लिये श्री अजय कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री एस0एम0ए0 रिजवी जे0ई0 (आर0ई0डी0) तथा श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव/श्री सुरेन्द्र कुमार जैन लेखाकार पूर्ण उत्तरदायी है। अतः 4 प्रतिशत वैट टैक्स रु0 155747.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी से की जानी चाहिये। उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में संस्था को अन्तरिम आपत्ति निर्गत की गयी परन्तु कोई परिपालन नहीं किया गया।

क्र 0	मूल आपत्ति	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	अपहरण	गम्भीर/ अनियमिता	योग	निर्माण कार्यों का विवरण					
						निर्माण कार्य	ठेकेदार	बिल धन0	चैक सं0	दिनांक	4 वैट टैक्स
1	14	श्री अजय कुमार शर्मा (खण्ड)	-	35179.00	35179.00	1- ग्राम भौंटा में मैन रोड से	भूपत राम	753025.00 126450.00	561782 561788	18.05.18 21.06.18	30121.00 5058.00 35179.00

2	14	विकास अधि) तथा श्री एस0एम0ए 0 रिजवी जे0ई0 (आर0ई0 डी0) एवं श्री देवन्द्र कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार)	—			सी0सी0 रोड तक सोलिंग गिट्टी सम्पर्क मार्ग ।					
		श्री अजय कुमार शर्मा (खण्ड विकास अधिकारी) तथा एस0एम0ए 0 रिजवी जे0ई0 (आर0ई0डी 0) एवं सुरेन्द्र कुमार जैन (लेखाकार)		120568.00	120568.00	2— भौरोघाट सैदपुर में सामुदायिक भवन निर्माण 3— खिरिया लटकनजू में नवनिर्मित सामुदायिक भवन की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण ।	सुन्दुर लाल	301319.00	561799	24.08.18	12053.00
						4— खिरिया लटकनजू में जू0हा0 स्कूल से देवी मन्दिर तक सोलिंग गिट्टी सम्पर्क मार्ग ।	सुन्दुर लाल	251379.00	561800	24.08.18	10055.00
						5— जखौरा में सौजना रोड़ नहर से जखौरा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण ।	राघवेन्द्र कुमार भौंडेले	520784.00	561795	16.08.18	20831.00
						6— ग्राम पठा में जुगल के घर के पास पुलिया निर्माण ।	राघवेन्द्र कुमार भौंडेले	684068.00	561796	16.08.18	27363.00
						7— गठौली में तितिलिया घाट नाले पर पुलिया निर्माण ।	राघवेन्द्र कुमार भौंडेले	384423.00	561798	16.08.18	15377.00
						8— सिमिरिया में पुलिया की	राघवेन्द्र कुमार	313289.00	561797	16.08.18	12532.00
								558924.00	561805	07.09.18	22357.00

						विगवॉल का निर्माण।	भौंडेले				120568.00
		योग	—	155747.00	155747.00				कुल योग		155747.00

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-19

जनपद का नाम : औरैया
मण्डल : कानपुर

विकासखण्ड - औरैया

क्षेत्र पंचायत - औरैया वर्ष 2017-18 व 2018-19

प्रस्तर 01- ब्याज की धनराशि - शा0सं ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए, ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। जबकि पंचायतीराज के अनुभाग 3 के आदेश संख्या 2044(1)/33-3-2019-03 ऑडिट/2019 दिनांक 06.09.2019 के बिन्दू 02 के उपबिन्दू 02 के अनुसार ब्याज से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित निधि में जमा रखते हुए कोषबही में अंकन के निर्देश दिए गए हैं।

(अ) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल रु0 1165.00 अर्जित ब्याज की मद से विभिन्न कार्यों में व्यय किया गया है जो कि उपर्युक्त शासनादेश का उल्लंघन है जिसके लिये लेखाकार श्री चन्द्र प्रकाश पोरवाल, मोहम्मद सबबीर एवं श्री रामाश्रय गुप्ता (लेखाकार) व खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री आदित्य कुमार, श्री अश्वनी कुमार सोनकर, श्रीमती सुप्रिया मिश्रा उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 02 अ)

प्रस्तर 02-विकासखण्ड औरैया में मिर्जापुर माइनर मार्ग से युवक मंगल दल मैदान ग्राम भण्डारीपुर तक कार्य जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किया गया है उक्त कार्य की निविदा शर्तों में मुरम का मूल्य 2000 रु0 प्रतिटन स्वीकृत है जबकि भुगतान 2200 रु0 प्रतिटन के अनुसार कर दिया गया है।

मुरम 8.50 टन X भुगतान दर 2200 रु0 प्रतिटन = कुल भुगतान 8700 रु0

मुरम 8.50 टन X निविदा भुगतान दर 2000 रु0 प्रतिटन = निविदा अनुसार भुगतान 8700.00 रु0

अतः कुल अन्तर 1700 रु0 का अधिक भुगतान किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है।

उक्त में अन्तर की धनराशि रु0 1700.00 के लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी, तत्कालीन जे0ई0 लेखाकार श्री चन्द्र प्रकाश पोरवाल, मोहम्मद सबबीर एवं श्री रामाश्रय गुप्ता (लेखाकार) व खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री अश्वनी कुमार सोनकर, श्रीमती सुप्रिया मिश्रा उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0 संख्या 03)

प्रस्तर 03-01 जुलाई 2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जीएसटी एक्ट 2017 लागू किया गया जिसके तहत सेवा एवं सामग्री पर अलग अलग दरों पर जीएसटी लागू की गई इसी एक्ट जीएसटी की धारा 51 जो कि 01.10.2018 से उत्तर प्रदेश में प्रभावी है के अनुसार 2% की दर से श्रोत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती किया जाना अनिवार्य है। उक्त एक्ट के अनुसार टेन/पेन आधारित जीएसटी नम्बर अनिवार्य है इस आधारित जीएसटी टीडीएस की कटौती आहरण वितरण अधिकारी एवं लेखाकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है आलोच्य वर्ष में (01.10.2018 से 31.03.2019 के दौरान) संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्यों की भुगतान दौरान जीएसटी टीडीएस की कटौती नहीं की गई है।

सांसद निधि से कराये गये कार्य भुगतान वर्ष 2018-19				
क्र 0	कार्य का नाम व कार्यदायी फर्म	बिल/बाउचर/चैक नम्बर व	धनराशि जिस पर जीएसटी टीडीएस	कटौती हेतु

		दिनांक	नहीं काटा गया	धनराशि (2%)
1	ग्राम पाठीन में बरातघर का निर्माण श्री जितेन्द्र सिंह	05.03.2019	56060.00	1121.20
		58 / 2612 / 2018	73071.00	1461.42
		38 / 20.11.2018	76000.00	1520.00
	कुल धनराशि			4102.62
राज्य वित्त आयोग के अनुदान से कराये गये कार्य भुगतान वर्ष 2018-19				
1	ग्राम सीखोला रामसेवक के घर से चरण सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	06 / 07.03.2019	155820.00	3116.00
2	ग्राम तुरकीपुर में रामनरेश के घर से नदी की ओर इंटरलॉकिंग कार्य	03 / 07.03.2019	155820.00	3116.00
3	ग्राम तलेपुर सम्पर्क मार्ग से रमेश के खेत से इंटरलोकिंग कार्य	01 / 07.03.2019	193410.00	3868.20
4	ग्राम तलेपुर में कबीरपुर से महताब के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य	04 / 07.03.2019	211330.00	4226.60
5	विकासखण्ड औरैया में आवासी कॉलोनी परिसर के सामने इंटरलोकिंग कार्य	02 / 07.03.2019	179208.00	3584.16
6	ग्राम सहवदा में पुलिया के आगे 200 मीटर तक इंटरलोकिंग एवं नाली निर्माण	08 / 10.03.2019	659810.00	13196.20
		05 / 07.03.2019	211330.00	4226.60
7	विकासखण्ड औरैया परिसर में मरम्मत कार्य	05 / 07.03.2019	136480.00	2729.60
8	ग्राम निगडा संतनु के घर से अशोक दीक्षित के घर तक इंटरलोकिंग कार्य	12 / 05.10.2019	108880.00	2177.60
9	ग्राम क्योतरा कालेज से बब्लू शुक्ल घर तक इंटरलोकिंग कार्य	11 / 05.10.2018	393044.00	7860.88
	कुल धनराशि			48102.64
	कुल योग			52205.26

रू0 52205.26 जीएसटी टीडीएस की कटौती न करना गम्भीर अनियमितता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री चन्द्र प्रकाश पोरवाल, मोहम्मद सब्बीर एवं श्री रामाश्रय गुप्ता (लेखाकार) व खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री अश्वनी कुमार सोनकर, श्रीमती सुप्रिया मिश्रा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 04)

प्रस्तर 04—उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कांन्ट्रक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से 4: लागू) से मूल्य सम्बन्धित कर की कटौती की जानी है शासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संस्था से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की है आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा आंगनबाड़ी कार्यों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम में उल्लिखित कटौती से कम कटौती की गई है जिसका विवरण प्रारूप 3 में उल्लिखित है उल्लिखित 07 आंगनबाड़ी कार्यों में 4139047.00 रू0 का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष 14392.00 रू0 वैट की कटौती की गई है जबकि 4: की दर से बैट कटौती की धनराशि 165561.88 होनी चाहिए अतः उक्त कटौती की धनराशि का अन्तर 151169.88 है उक्त धनराशि जमा की जानी चाहिए इस गम्भीर अनियमितता के लिए लेखाकार श्री चन्द्र प्रकाश पोरवाल, मोहम्मद सब्बीर एवं श्री रामाश्रय गुप्ता (लेखाकार) व खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री आदित्य कुमार, श्री अश्वनी कुमार सोनकर, श्रीमती सुप्रिया मिश्रा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर 05—उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 3 (7) के अन्तर्गत वर्क कांटेक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से 4: लागू) से मूल्य सम्बन्धित कर की कटौती की जानी है, शासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संस्था से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की है परन्तु 01 जुलाई 2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जीएसटी एक्ट 2017 लागू किया गया जिसके तहत सेवा एवं सामग्री पर अलग अलग दरों पर जीएसटी लागू की गई आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा राज्य वित्त के कार्यों में 01.04.2018 से 30.09.2018 की अवधि में राज्य वित्त से किए गए कार्यों के लिए 4496570.00 रु० भुगतान किया गया है जिसका सन्दर्भ फोरमेट के प्रारूप 03 पर संलग्न है जिसके सापेक्ष वैट/जीएसटी की धनराशि की कटौती नहीं की गई है उपर्युक्त के सन्दर्भ में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर वैट/जीएसटी की धनराशि की कटौती कार्यवाही की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिससे शासनादेश का पालन हो सके। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या 05)**

संस्था का नाम : क्षेत्र पंचायत—बिधूना ले.प.वर्ष 2018—19
आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 06— आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर-3 में सामाजिक,आर्थिक,जातिगत जनगणना का मानदेय खाता का विवरण दर्शाया गया है.ग्रांट रजिस्टर के अनुसार वर्ष: 18-19 में उक्त खाता से रु० 73400.00 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं.इससे प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है.उक्त अपहरण हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी—श्री सौरभ श्रीवास्तव व लेखाकार—श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति को समान रूप से उत्तरदायी मानते हुए उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 व उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ,बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली-1965 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

संस्था का नाम : क्षेत्र पंचायत—अजीतमल ले.प.वर्ष 2018—19

प्रस्तर 07—आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर-3 में कैश अनुदान खाता का विवरण दर्शाया गया है.ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार वर्ष: 18-19 में उक्त खाता से दिनांक: 29-03-2019 को रु० 52165.00 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं.इससे प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है.उक्त अपहरण हेतु तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी—श्री सौरभ श्रीवास्तव को उत्तरदायी मानते हुए उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 व उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत ,बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली-1965 के तहत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रारूप-3

मण्डल— कानपुर मण्डल कानपुरजिला — इटावा।
क्षेत्र पंचायत— बसरेहर 2011-12 से 2013-14 तक
आपत्तियों का विवरण—

प्रस्तर-1 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत ग्राम बख्यारपुर में मसनाई मार्ग से कोमल सिंह के घर हेतु इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य हेतु श्री चरन सिंह यादव सहायक विकास अधिकारी आई०एस०बी० को कार्यप्रभारी बनाया गया इस कार्य हेतु 19400 इण्टरलॉकिंग टाइल्सदर रु 18 की दर से कुल रु० 349200-00 कय की गयी माप पुस्तिका में 17220 इण्टरलाकिंग टाइल्स का उपभोग किया जाना प्रमाणित है। अवशेष 2180 इण्टरलाकिंग टाइल्स का उपभोग कराकर पत्रावली प्रस्तुत की जाये। उक्तानुसार उपभोग न होने की स्थिति में रु० 39240-00 से सम्बन्धित उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 49 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए निर्माण कार्य प्रभारी अधिकारी प्रपत्र सं० 12 के अनुसार एक मस्टर रोल रखेगा जिस पर भुगतान के सम्बन्ध में रुपये पाने वाले का हस्ताक्षर कराया जायेगा और उस निर्माण कार्य के प्रभारी द्वारा भुगतान प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा। उक्त नियम के विपरीत वित्तीय वर्ष

2012-13 में ग्राम बहादुरपुर लुहिया में मुख्य सड़क से श्रीलाल के घर तक 100 मी० इण्टरलाकिंग कार्य में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मस्टर रोल प्रयुक्त किये गये जबकि उक्त योजना वर्ष 2008 में बन्द कर दी गयी थी उक्त कार्य में कुल श्रमिक व्यय भुगतान रु० 42650-00 दिनांक 30.07.2012 को श्री चरन सिंह यादव ए०डी०ओ० आई०एस०बी०/कार्यप्रभारी को फर्जी मस्टर रोल के माध्यम से भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य हेतु श्रमिक भुगतान निर्माण कार्य प्रपत्र सं० 12 से भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -3 मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्नांकित वर्षों में प्रशासनिक व्यय में प्रयुक्त विवरण पत्र एवं अनुदान रजि० दो में प्रदर्शित व्यय में काफी अन्तर पाया गया जबकि दोनों में एकरूपता होनी चाहिए।

क्र० सं०	वर्ष	अनुदान रजि० के अनुसार व्यय	मदवार प्रस्तुत विवरण पत्र में व्यय	अन्तर
1	2011-12	375842.00	354375.00	21467.00
2	2012-13	897534.00	912193.00	14659.00
3	2013-14	744920.00	1907580.00	1162660.00
	योग-	2018296.00	3174148.00	1155852.00

अन्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी के प्रति विभागीय नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 क्षेत्र पंचायत द्वारा 31.03.14 को बैंक समाधान विवरण पत्र की जांच पर निम्नांकित मदों में अन्तर पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	44444 मद	बैंक का नाम	खाता सं०	संस्था के अनुसार दर्शित अवशेष	बैंक के अनुसार दर्शित अवशेष	अन्तर	बैंक समाधान विवरण पत्र धनराशि	टिप्पणी
1	विधायक निधि	जि०सह० बैंक बसरेहर	93	469709.00	833268.00	263559.00	363577.00	रु० 18 के अन्तर का सुधार किया जाना अपेक्षित है।
2	मनरेगा योजना	क्षे०ग्रा० बैंक, बसरेहर सेन्ट्रल बैंक अनाज मण्डी इटावा	5002 19862	1904.30	37137.30	35233.00	35233.00	विवरण पत्र नहीं बनाया गया बनाया जाना अपेक्षित है
3	मनरेगा प्रशा०	क्षे०ग्रा० बैंक, बसरेहर	8029	304471.00	588907.00	294430.00	296200.00	रु० 1770 के अन्तर का सुधार किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 विभागीय निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायत को वर्षान्त पर बैंक से प्राप्त ब्याज की धनराशि विभाग को प्रेषित करनी चाहिए थी क्षेत्र पंचायत में दिनांक 31.03.2014 तक निम्नांकित ब्याज की धनराशि प्राप्त हुयी जिसको यथाशीघ्र विभाग को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	मद	ग्राण्ट पंजिका की पृष्ठ सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	31.03.2014 को ब्याज की शेष धनराशि
1	राज्य वि०आयोग / तेरहवों वि०आयोग	55	स्टेट बैंक बसरेहर	11516739852	221217.09
2	राज्य वि०आयोग /	56	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बसरेहर	3751	330.00

	तेरहवाँ वि०आयोग				
3	सांसद निधि	57	पूर्वांचल बैंक बसरेहर	5342	4773.00
4	विधायक निधि	77	जिला सह०बैंक बसरेहर	93	30257.00
			कुल योग—		256577.09

जिला — इटावा क्षेत्र पंचायत— बसरेहर 2014—15 से 2017—18 तक

प्रस्तर —6 मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्नांकित वर्षों में प्रशासनिक व्यय में प्रयुक्त विवरण पत्र एवं अनुदान रजि० दो में प्रदर्शित व्यय में काफी अन्तर पाया गया जबकि दोनों में एकरूपता होनी चाहिए।

क्र० सं०	वर्ष	अनुदान रजि० के अनुसार व्यय	मदवार प्रस्तुत विवरण पत्र में व्यय	अन्तर
1	2014—15	1731277.00	1725074.00	6203.00
2	2015—16	4407262.00	4296184.00	11078.00
3	2016—17	1168947.00	1153547.00	15400.00
4	2017—18	2541034.00	2509700.00	31334.00
	योग—	9848520.00	9684505.00	164015.00

अन्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी के प्रति विभागीय नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर —7 मै० अंकुर पैट्रोलियम दतावली इटावा के बिल सं० 424 दिनांक 31.05.2015 को 25 लीटर डीजल मूल्य रु० 1445—00 एवं बिल सं० 463 दिनांक 31.08.2015 एवं 18.08.2015 को 25 लीटर मूल्य 1298.00 में शासकीय वाहन सं० यू०पी० 75 ए 7263 में डाला जाना अंकित है। परन्तु लागबुक में कोई अंकन नहीं पाया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली मूल्य रु० 2743—00 कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —8 मै० मेहरोत्रा आटो सर्विस स्टेशन सिविल लाइन इटावा के बिल सं० 3243 दिनांक 30.07.2015 द्वारा मूल्य रु० 6150—00 की मरम्मत वाहन सं० यू०पी० 75 ए 7263 में खण्ड विकास अधिकारी के आदेश सं० 823/30.07.2015 को करायी गयी लागबुक परीक्षण में पाया गया कि उक्त तिथि 30.07.2015 को वाहन इटावा गया ही नहीं फिर मरम्मत कैसे सम्भव है। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी बिल लगा कर भुगतान किया गया नियमानुसार कार्यवाही का परिपालन कराये।

प्रस्तर —9

(क) दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न बैंको में अनुदान रजि० के अनुसार 31742440—22 जमा है जबकि बैंक के अनुसार 22083917—52 जमा है इस प्रकार दोनों के मध्य 341477—30 का अन्तर है संस्था ने 332329—00 के अनकैश चैक धनादेश दर्शाये इस प्रकार रु० 9148—30 का अन्तर विवरण रहित है यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए मो० हासिम लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। अन्तर का मदवार विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	मद	बैंक का नाम	खाता सं०	संस्था के अनुसार दर्शित अवशेष	बैंक के अनुसार दर्शित अवशेष	अन्तर
1	विधायक निधि	जिला सहकारी बैंक शाखा बसरेहर	93	162682.63	316601.93	153919.30
2	विधान सभा,	सेन्ट्रल बैंक, अकबरपुर	332060267	4869383.50	5056941.50	187558.00
				5032066.13	5373543.43	341477.30

यहाँ यह भी उल्लेख है कि अनुदान रजिस्टर के अनुसार संस्था का बैंकों में 21742440.22 जमा है जबकि बैंक समाधान विवरण पत्र में 21751588.52 जमा दर्शाया है इस प्रकार 9148.30 अधिक जमा दर्शाये है। पूर्ण विवरण सहित समाधान विवरण पत्र बनाकर अन्तर को दूर किया जाना चाहिए अनकैश चैकों के विवरण में समायोजन की तिथि भी अंकित करनी चाहिए जो नहीं पायी गयी।

(ख) मनरेगा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2018 को संस्था का विभिन्न बैंको का 1138985 रुपये जमा है जबकि बैंको के अनुसार 1152488.30 जमा है। इस प्रकार दोनो के मध्य 13503.30 का अन्तर है। संस्था ने 18400.00 का अनकैश चैक दर्शाये है। इस प्रकार दोनो के मध्य 4896.70 का अन्तर विवरण रहित है यह गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए श्री सुनील कुमार दुवे सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	मद	बैंक का नाम	खाता सं०	संस्था के अनुसार दर्शित अवशेष	बैंक के अनुसार दर्शित अवशेष	अन्तर
1	मनरेगा योजना	सेन्दल बैंक, अनाज मण्डी इटावा।	2156919862	243	5207.30	4964.30
2	मनरेगा प्रशासनिक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बसरेहर	3318298030	86107	90119.00	4012.00
3	मनरेगा सिचाई समृद्धि योजना	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बसरेहर	403192 / 846	14016	15543.00	527.00
4	इन्द्राआवास / आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	सेन्दल बैंक, अकबरपुर	3332099729	1038619	1042619.00	4000.00
			योग	1138985.00	1152488.30	13503.30

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत में मनरेगा अनुभाग का मई 2014 से फरवरी 2018 तक का बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं बनाया गया जबकि प्रतिमाह पूर्ण विवरण सहित बनाकर अधिकतम 3 माह में पुरानी पृष्ठियां निस्तारित की जानी चाहिये। शेष प्रविष्टियों को निस्तारण तिथि बैंक समाधान विवरण पत्र में अंकित किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 विभागीय निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायत को वर्षान्त पर बैंक से प्राप्त ब्याज की धनराशि को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करनी चाहिये जबकि क्षेत्र पंचायत में दिनांक 31.03.2018 को ब्याज की धनराशि सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	मद	अनुदान पंजिका की पृष्ठ संख्या	बैंक का नाम	खाता सं०	31.03.2018 को ब्याज की शेष धनराशि
1	मनरेगा प्रशासनिक	5 व 31	आर०आर०बी०बसरेहर	3318298030	23297.00
2	राज्य एव 13वाँ वित्त आयोग	58	आर०आर०बी०बसरेहर स्टेट बैंक बसरेहर	3318295233 11516739852	380910.00
3	सांसद निधि	57	आर०आर०बी०बसरेहर	3318311041	50840.00
4	विधायक निधि	77	डी०सी०बी०	93	73555.38
5	विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास	92	सेन्दल बैंक, अकबरपुर	332060267	222876.00
			योग-		751478.38

प्रस्तर-12 2017-18 में आयकर व वाणिज्य कर का खाता अनुदान रजिस्टर में नहीं बनाया गया जबकि निम्नांकित विवरण अनुसार धनराशि राजकीय कोषागार में जमा की गई खाता बनाकर अगली लेखा परीक्षा में पुष्टि कराया जाना चाहिये।

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	मद	धनराशि
1	13.11.2017	19071	आयकर	50614.00

2	13.11.2017	19072	वाणिज्यकर	88605.00
3	08.12.2017	19076	आयकर	5086.00
4	08.11.2017	19077	वाणिज्यकर	8257.00
			योग—	152562.00

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.03.2017 को अनुदान रजिस्टर पृष्ठ सं० 114 पर निम्नांकित ग्राम पंचायतों से 87789.00 आयकर, वाणिज्यकर की धनराशि प्राप्त की गयी है। जबकि जमा 152562.00 रूपया किया गया है। स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	ग्राम पंचायत	धनराशि
1	रैपुरा	14530.00
2	अमृतपुर	14806.00
3	कृपालपुर	14694.00
4	अयारा लुहिया	14744.00
5	खडकौली	14407.00
6	चितभवन	14608.00
	योग—	87789.00

प्रस्तर—13 मनरेगा के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारा वर्ष 2015—16 में इन्द्र नारायण के खेत से न० मलाह तक सम्पर्क मार्ग पर प्रयुक्त मस्टर रोल सं० 2359 से 2364 दिनांक 21.09.2015 से 08.10.2015 रूपया 37674.00 का भुगतान हेतु एफ०टी०ओ० की कार्यवाही दिनांक 18.03.2016 में एफ०टी०ओ० सं० 239246 पर की गई इस प्रकार कार्य होने के उपरान्त एफ०टी०ओ० की कार्यवाही 4 माह से अधिक समय के उपरान्त की गई जो योजना के निर्देशों के विपरीत है। श्रमिकों को विलम्ब से भुगतान किये जाने का प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— सैफई , जिला —इटावा 2011—12 से 2013—14 तक

प्रस्तर—14 क्षेत्र पंचायत सैफई जिला इटावा के वर्ष 2011—12 से 2013—14 के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित प्रकार के अपहरण दुर्विनियोग एवं गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।

1. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल वित्तीय वर्ष 2011—12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रूपया 2895351.00 वित्तीय वर्ष 2012—13 में अंकन रू० 479283.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013—14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू० 667672.00 मजदूरी/ श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं। जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को दिया गया है।

सा.आ. संख्या 2

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	मद	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी का नाम
1.	2011—12	राज्यवित्त 12वाँ वित्त विधायक निधि	540617.00 379272.00 53484.00 39300.00 922836.00	श्री मृदुल कुमार, ग्रा०वि०अधि० श्री शिवसेवक सिंह एडीओ (आईएसबी) श्री अशोक कुमार एडीओ (एसटी) श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव ग्रा.वि.अ. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव ग्रा.वि.अ.
			4276.00 809555.00 47820.00 16500.00 26128.00 18400.00 32496.00 4667.00	श्री मृदुल कुमार शर्मा, ग्राम०वि०अ० श्री अशोक कुमार यादव एडीओ (एसटी) श्री शिव सेवक सिंह, एडीओ (आईएसबी) श्री रुस्तम, एडीओ (एजी) श्री रामकुमार पुत्र राजेश लाल श्री श्रीनिवास पुत्र बलवन्त श्री मोतीलाल पुत्र लालाराम श्री उपदेश
योग—2895351.00				

2	2012 -13	राज्य वित्त विधायक निधि	6585.00 47575.00 42060.00 239520.00 95542.00 11406.00 36595.00	श्री अशोक कुमार यादव, एडीओ (एसटी) श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, ग्रा.वि.अ. श्री शिव सेवक सिंह, एडीओ (आईएसबी) श्री अशोक कुमार यादव, एडीओ (एसटी) श्री जयशंकर प्रसाद, जेई (आरईएस) श्री दीघाराम, ग्रा0वि0अ0 श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, ग्रा.वि.अ.
योग—				479283.00
3.	2013-14	विधायक निधि सांसद निधि	40965.00 181674.00 252724.00 118280.00 59918.00 14111.00	श्री दीघाराम, ग्रा0वि0अ0 श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, ग्रा.वि.अ. श्री अशोक कुमार यादव, एडीओ (एसटी) श्री जयशंकर प्रसाद, जेई (आरईएस) श्री प्रवीन कुमार, एडीओ (सी) श्री रघुराज सिंह
योग—667672.00				
सर्वयोग—4242306.00				

क्र.सं.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	धनराशि
1	श्री तेज प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख	1347436.00
	श्री बी0एस0वर्मा ख0वि0अ0	857366.00
	श्री लखनलाल ख0वि0अ0	213783.00
	श्री जी0पी0 कौशिक ख0वि0अ0	276285.00
	श्री जे0ई0	1347436.00
योग—		4042306.00

उपरोक्त भुगतानों के सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमवाली 1984 के अध्याय 2 नियम संख्या-49 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित कमियां पायी गयी है—

(क) मस्टररोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी अपने स्थायी अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा, जिसके समर्थन में एक मस्टररोल होगा।

(ग) भुगतान के सापेक्ष रूपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा कार्य प्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण पत्र उस बिल पर अंकित करेगा। “दिखाए गये सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किये गये तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।

(घ) नियम संख्या-49 प्रपत्र संख्या-12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नहीं है।

(ड़) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक है। क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही लेखनी में किये गये हैं और अंगूठा निशान भी प्रमाणित हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रूपया 4042306.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास खण्ड ब्लॉक प्रमुख, जे0ई0 एवं कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू0 4042306.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ख0वि0अधि0 ब्लॉक प्रमुख एवं जे0ई0 से बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तर-15 शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये।

उपरोक्त शासनादेश की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत सैफई द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार अंकन रू0 425356.42 की ब्याज अर्जित हुई है। जिसे ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में रोक कर रखा गया है। अतः ब्याज की धनराशि रू0 425356.00 को शासन को वापस करते हुए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

श्री बी0एस0वर्मा ख0वि0अ0 श्री लखनलाल ख0वि0अ0 श्री जी0पी0 कौशिक ख0वि0अ0 श्री लेखाकार	425356.00

प्रस्तर-16 कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती न किया जाना—

उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार “ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जायेगा। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल रू0 1,41,76,230.00 के (वित्तीय वर्ष 2011-12 में रू0 3130160.00 वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू0 2858797.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 7187273.00) निर्माण कार्य कराये गये हैं। किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का 1% उपकर नहीं काटा गया है। जिसमें संस्था द्वारा कुल रू0 141762.00 की राजकीय राजस्व क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी वसूली निम्न विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख एवं ख0वि0अधि0 से किया जाना आवश्यक है।

क्र.सं.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1.	श्री तेज प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख	ब्लाक प्रमुख	70881.00
2.	श्री वी0एस0 वर्मा ख0वि0अ0	ख0वि0अ0	15651.00
3.	श्री लखन लाल ख0वि0अ0	ख0वि0अ0	19294.00
4.	श्री जी0पी0 कौशिक ख0वि0अ0	ख0वि0अ0	35936.00

प्रस्तर-17 टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचाना :-

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194(सी) के अनुसार "यदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल रु0 30,000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जायेगी। यह भुगतान की गयी राशि पर 2 प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे।"

क्षेत्र पंचायत सैफई के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक टी0डी0एस0 कटौतियों का विवरण निम्नवत् रहा:-

वित्तीय वर्ष	कुल क्रय सामग्री का मूल्य	देय आयकर 2.26 प्रतिशत	आयकर कटौती	योग/अन्तर
2011-1	2542793.00	57467.00	—	57467.00
2	2557934.00	57809.00	—	57809.00
2012-1	5033197.00	113750.00	—	113750.00
3			योग—	229026.00
2013-1				
4				

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत सैफई द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी.डी.एस. कटौती नहीं किये जाने के कारण रु0 229026.00 आयकर की कटौती न करके ठेकेदारों को प्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है। जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है। जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 (एफ) के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज सहित निम्नांकित अधिकारियों से की जानी आवश्यक है—

क्र.सं.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1.	श्री तेज प्रताप सिंह	ब्लाक प्रमुख	114513.00
2.	श्री वी0एस0 वर्मा	ख0वि0अ0	6306.00
3.	श्री लखन लाल	ख0वि0अ0	36357.00
4.	श्री जी0पी0 कौशिक	ख0वि0अ0	71850.00
		योग—	229026.00

प्रस्तर-18 वाणिज्यकर (वैट) नियमानुसार न काटकर राजस्व की हानि पहुंचाना—

किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्यकर/व्यापारकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी।

क्षेत्र पंचायत सैफई के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य कराये गये कुल कार्यों में से किसी भुगतान के समय निर्धारित दर पर वाणिज्यकर की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजकीय राजस्व का प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाकर ठेकेदार को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक देय वाणिज्य कर का विवरण निम्नवत् है—

वित्तीय वर्ष	कुल क्रय सामग्री का मूल्य	देय वाणिज्य कर 4 प्रतिशत	वाणिज्य कर कटौती	अन्तर
2011-1	2542793.00	101712.00	—	101712.00
2	2557934.00	102317.00	—	102317.00
2012-1	5033197.00	201328.00	—	201328.00
3				
2013-1			योग—	405357.00
4				

अतः उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि रूपया 405357.00 की वसूली ब्याज सहित निम्नांकित अधिकारियों से की जानी आवश्यक है—

क्र.सं.	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पद नाम	सन्निहित धनराशि
1.	श्री तेज प्रताप सिंह	ब्लाक प्रमुख	202679.00
2.	श्री वी०एस० वर्मा	ख०वि०अ०	11161.00
3.	श्री लखन लाल	ख०वि०अ०	64349.00
4.	श्री जी०पी० कौशिक	ख०वि०अ०	127168.00
योग—			405357.00

प्रारूप—3

जनपद का नाम—फर्रुखाबाद

मण्डल का नाम—कानपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2019—20

क्षेत्र पंचायत—मोहम्मदाबाद—2017—18 से 2018—19

प्रस्तर—1—वर्ष 2017—18 में ग्रांट रजिस्टर में पंचायत चुनाव—2015 कंटेनरजेंसी के मद में रु०—10200.00 का व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी, व्यय की पुष्टि न कराये जाने से व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि रु०—10200.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री मो० आसिफ खॉ से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2—वर्ष 2018—19 में ग्रांट रजिस्टर में पं० दीनदयाल जन्म शताब्दी समारोह आयोजन के मद में रु०—45000.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी, व्यय की पुष्टि न कराये जाने से व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि रु०—45000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री मो० आसिफ खॉ से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—3—ग्रांट रजिस्टर में वर्ष 2018—19 में रु०—186000.00 का व्यय सोशल ऑडिट टीम सदस्यों का मानदेय के मद में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/लाभार्थियों की सूची, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी, व्यय की पुष्टि न कराये जाने से व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि रु०—186000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री मो० आसिफ खॉ से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—4—पोस्ट ऑफिस मोहम्मदाबाद के खाता सं०—113347, 117732 एवं 1138277 में क्रमशः रु०—2381.00, रु०—1477.00 एवं रु०—4189.00 विगत वर्षों की भौति ही यथावत् अवशेष दर्शाया जा रहा है। सम्बन्धित पासबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। सम्बन्धित खातों में प्राप्त ब्याज की प्रविष्टि भी विगत कई वर्षों से नहीं की गयी है। अतः संभव है कि यह खातें हो ही न एवं न ही इनमें कोई अवशेष ही बचा हो। अतः स्थिति संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकर उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—कायमगंज—2011—12 से 2018—19

वर्ष—2011—12

प्रस्तर—5—वर्ष 2011—12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि स्वच्छ शौचालय से सम्बन्धित एक दिवसीय प्रशिक्षण पर रु०—5834.00 का व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहे। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को

अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम एवं श्री देवेन्द्र सिंह चौहान से की जाये।

वर्ष-2012-13

प्रस्तर-6—वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में गोष्ठी पर व्यय रू0-1000.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं श्री हरीशचन्द्र राही से की जाये।

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-7—वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि महान विभूति के जन्म दिवस पर गोष्ठी पर व्यय रू0-2000.00 एवं राष्ट्रीय पेयजल गोष्ठी पर व्यय रू0-45600.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहे। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही से की जाये।

प्रस्तर-8—वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/13वाँ वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गयी सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत् वैट की कटौती नहीं की गयी—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि	सामग्री का विवरण	वाउचर/दिनांक
1	ग्राम बिल्सडी में शिवकुमार के घर से देवी मन्दिर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	110812.00	4432.00	निर्माण सामग्री आदि	07 / 02.03.2014
		244508.00	9780.00		60 / अंकित नहीं
		16877.00	675.00		06 / 10.04.2014
		5000.00	200.00		07 / 10.04.2014
2	चिलौली ग्राम में वायपास मार्ग से कल्लू चौधरी की गोदाम तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	94305.00	3772.00	निर्माण सामग्री आदि	10 / 02.03.2014
		165737.00	6629.00		53 / अंकित नहीं
		92502.00	3700.00		24 / 21.09.2014
3	याकूतपुर में बैंक रोड से रामप्रकाश के घर तक सी0सी0 / नाली निर्माण कार्य	105500.00	4220.00	निर्माण सामग्री आदि	09 / 02.03.2014
		455325.00	18213.00		26 / 12.02.2015
4	बिल्सडी में राधे के घर से रामशाला के पूर्वी गेट तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	84425.00	3377.00	निर्माण सामग्री आदि	04 / 02.03.2014
		72583.00	2903.00		47 / 22.09.2014
5	ग्राम बिल्सडी में सीताराम बाथम के घर से जू0हा0स्कूल तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	105675.00	4227.00	निर्माण सामग्री आदि	06 / 02.03.2014
		57361.00	2294.00		46 / अंकित नहीं।
6	ग्राम बिल्सडी में राजेन्द्र चतुर्वेदी के घर से होली बाथम तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	77700.00	3108.00	निर्माण सामग्री आदि	02 / 02.03.2014
		60996.00	2440.00		44 / 20.08.2014
	योग		69970.00		

इस प्रकार रु0-69970.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9- ग्राम बिल्सडी में राधे के घर से रामशाला के पूर्वी गेट तक सी0सी0 व नाली कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि श्री राजीव सुमन ग्राम विकास अधिकारी को दिनांक 26.12.2014 को कार्यप्रभारी बनाया गया किन्तु उसके पूर्व के बिल एवं मस्टररोल उनके द्वारा प्रमाणित किये गये हैं साथ ही संलग्न स्टीमेट में ग्राम बिल्सडी में सीताराम बाथम के घर से जू0हा0 स्कूल तक सी0सी0 व नाली कार्य की स्टीमेट की छायाप्रति संलग्न की गयी है। केवल मुख्य पृष्ठ पर कार्य का नाम बदल दिया गया है। अतः समस्त भुगतान रु0-196591.00 अनियमित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि 64 घनमीटर मिट्टी कार्य के भुगतान रु0-8512.00 से रु0-896.00 की रॉयल्टी भी नहीं काटी गयी है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक-मेमो/वी0आर0जी0एफ0/2013-14 दिनांक 26.12.2014 के अनुसार कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति पर फोटोग्राफ होनी चाहिए किन्तु फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही एवं श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10-ग्राम बिल्सडी में सीताराम बाथम के घर से जू0हा0 स्कूल तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मिट्टी कार्य की रसीद रु0-8113.00 एवं मस्टररोल की धनराशि रु0-28530.00 का योग रु0-36643.00 होता है जबकि कार्य प्रभारी श्री सतीश सुमन को रु0-36660.00 का भुगतान किया गया, इस प्रकार रु0-17.00 का अधिक भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया। साथ ही 61 घनमीटर मिट्टी कार्य के भुगतान से रु0-854.00 की रॉयल्टी भी नहीं काटी गयी। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक-मेमो/वी0आर0जी0एफ0/2013-14 दिनांक 26.02.2014 के अनुसार कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति पर फोटोग्राफ होनी चाहिए किन्तु फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11-ग्राम बिल्सडी में राजेन्द्र चतुर्वेदी के घर से होली बाथम तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संलग्न स्टीमेट में ग्राम बिल्सडी में सीताराम बाथम के घर से जू0हा0 स्कूल तक सी0सी0 व नाली कार्य की स्टीमेट की छायाप्रति संलग्न की गयी है। केवल मुख्य पृष्ठ पर कार्य का नाम बदल दिया गया है। अतः समस्त भुगतान रु0-175137.00 अनियमित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि 63 घनमीटर मिट्टी कार्य के भुगतान रु0-8379.00 से रु0-882.00 की रॉयल्टी भी नहीं काटी गयी है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक-मेमो/वी0आर0जी0एफ0/2013-14 दिनांक 26.02.2014 के अनुसार कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति पर फोटोग्राफ होनी चाहिए किन्तु फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये साथ ही उक्त पत्रांक द्वारा श्री राजीव सुमन को कार्य प्रभारी बनाया गया था किन्तु सम्बन्धित कार्य पर मै0 राम एण्ड ब्रदर्स रूदायन द्वारा आपूर्ति नहीं किये जाने की आख्या पर श्री सतीश सुमन का नाम व हस्ताक्षर है। अतः आख्या मान्य नहीं है। पत्रावली में वर्मा बिल्डींग मैटेरियल का सामग्री आपूर्ति हेतु कोई सहमति पत्र भी संलग्न नहीं है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही एवं श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष-2014-15

प्रस्तर-12- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/13वाँ वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गयी सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत् वैट की कटौती नहीं की गयी-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि	सामग्री का विवरण	वाउचर/ दिनांक
1	धीमरनगला में रामसेवक के घर से चरनसिंह के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	255570.00	10222.00	निर्माण सामग्री आदि	67 / 20.08.2014
		294971.00	11798.00		51 / 05.09.2014
		191853.00	7674.00		512 / अंकित नहीं

2	ग्राम भैसरी में शिवपाल गुप्ता के घर से जवाहर लाल के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	110812.00	4432.00	निर्माण सामग्री आदि	08 / 02.03.2014
		184637.00	7385.00		49 / अंकित नहीं
		169776.00	6791.00		52 / 30.10.2014
3	कमरुद्दीन नगर में पक्की सड़क से सियाराम के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	105135.00	4205.00	निर्माण सामग्री आदि	02 / 05.08.2014
		151662.00	6050.00		505 / 15.05. 2014
4	ग्राम औझम नगला डामर रोड से रणवीर सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	229413.00	9176.00	निर्माण सामग्री आदि	41 / 26.06.2014
		59957.00	2398.00		42 / 27.06.2014
5	हजरतगंज में महिपाल के घर से रामशंकर के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	151262.00	6050.00	निर्माण सामग्री आदि	506 / 20.05. 2014
		119653.00	4786.00		01 / 13.01.2014
6	अकबरपुर गढ़िया में सी0सी0 व नाली निर्माण	208952.00	8358.00	निर्माण सामग्री आदि	56 / 15.09.2014
		291351.00	11654.00		502 / 09.05. 2014
7	नगला धनी में नत्थू शाक्य के घर से किशन लाल के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	79070.00	3162.00	निर्माण सामग्री आदि	05 / 02.03.2014
		110933.00	4437.00		54 / 06.08.2014
8	अगरतला में ओमकार वर्मा के घर से ग्राम सचिवालय तक सी0सी0 व नाली निर्माण	154443.00	6177.00	निर्माण सामग्री आदि	511 / 15.05. 2014
		46634.00	1865.00		50 / अंकित नहीं
		27237.00	1089.00		34 / 26.10.2014
9	ग्राम शिवपुर में दामोदर के घर से श्यामा सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	37998.00	1519.00	निर्माण सामग्री आदि	28 / 25.10.2014
		90221.00	3608.00		57 / 14.10.2014
		238686.00	9547.00		507 / 20.05. 2014
10	धीमर नगला में अमर पाल के घर से वेदराम के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	234578.00	9383.00	निर्माण सामग्री आदि	504 / 12.05. 2014
		132768.00	5310.00		55 / 26.07.2014
		24122.00	964.00		81 / 27.07.2014
11	ग्राम बिल्सडी में गंगा सहाय तेली के घर से बंशीलाल के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	180531.00	7221.00	निर्माण सामग्री आदि	— / 23.02.2015
		275976.00	11039.00		— / 23.02.2015
		405437.00	16217.00		— / 30.03.2015
		448352.00	17934.00		49 / 25.04.2015
		35157.00	1406.00		— / 28.02.2015
		42708.00	1708.00		— / 28.02.2015
	योग		203565.00		

इस प्रकार रू0-203565.00 का बैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही, श्रीमती विमला देवी एवं

तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13—धीमर नगला में रामसेवक के घर से चरन सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बिल की धनराशि रु0-191853.00 है जिसमें से रु0-4297.00 टी0डी0एस0 कटौती के बाद शुद्ध भुगतान रु0-187556.00 का किया जाना चाहिए था जबकि रु0-187656.00 का भुगतान किया गया इस प्रकार रु0-100.00 से अधिक भुगतान किया गया। साथ ही मस्टररोल में दिये गये विवरणानुसार दो मस्टररोल में एक ही तिथि में उन्हीं मजदूरों से कार्य दर्शाकर रु0-22430.00 का अपहरण किया गया। संलग्न स्टीमेट में श्रमिकों पर व्यय रु0-129194.00 दर्शाया गया है जबकि कार्य प्रभारी श्री सतीश सुमन को चेक सं0-127997 द्वारा रु0-143750.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार स्टीमेट पुनरीक्षित किये बिना ही स्टीमेट में दर्शित श्रमांश से रु0-14556.00 का अधिक भुगतान किया गया। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही एवं श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14—ग्राम भैंसरी में शिवपाल गुप्ता के घर से जवाहर लाल के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित स्टीमेट में श्रमांश रु0-93125.00 दर्शित है जबकि श्री सतीश सुमन को स्टीमेट पुनरीक्षित कराये बिना ही मस्टररोल का भुगतान रु0-101187.00 किया गया है इस प्रकार रु0-8062.00 का अधिक भुगतान किया गया। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही एवं श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15—अकबरपुर गढ़िया में सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में क्षेत्र पंचायत का कोई प्रस्ताव संलग्न नहीं है। संलग्न प्राक्कलन में ग्राम अकबरपुर गढ़िया में राजकिशोर के घर से रामवरन की दुकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण अंकित है किन्तु प्राक्कलन के दूसरे पृष्ठ पर ग्राम औजल नगला में डामर रोड से रामेश्वर सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण अंकित है। दोनों पृष्ठों पर अनुमानित लागत रु0-6.54 लाख ही दर्शित है सम्बन्धित आख्या, समरी ऑफ कास्ट, बिल 9ऑफ क्वांटिटी एवं कन्जम्सन ऑफ मैटेरियल आदि किसी में भी कार्य का नाम नहीं दर्शाया गया है। अतः पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता है, कि वास्तव में यह प्राक्कलन उपरोक्त दर्शित दो कार्यों में से किस काम का है। उपरोक्त कार्य हेतु टेण्डर भी आमंत्रित नहीं किये गये हैं। सम्बन्धित कार्यादेश में कार्य का नाम, माप, वित्तीय स्वीकृति की धनराशि एवं कार्य प्रभारी का नाम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्य को सम्पन्न कराने से सम्बन्धित औपचारिकता पूर्ण नहीं की गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त कार्य पर 180.84 घनमीटर मिट्टी कार्य कराया गया किन्तु रु0-2532.00 की रॉयल्टी नहीं काटी गयी। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र राही एवं श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16—धीमर नगला में अमर पाल के घर से वेदराम के घर तक सी0सी0 व नाली कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल की धनराशि का योग रु0-72581.00 होता है। जबकि श्री सतीश सुमन को रु0-94393.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार रु0-21812.00 से अधिक भुगतान किया गया। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2015-16

प्रस्तर-17—वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त/13वें वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गयी सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत् वैट की कटौती नहीं की गयी—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि	सामग्री का विवरण	वाउचर/दिनांक
1	ग्राम समाउद्दीनपुर में गोंव के किनारे पुलिया निर्माण कार्य	8072.00	322.00	निर्माण सामग्री	—/16.03.2016
		55941.00	2238.00	आदि	—/15.03.2016

	योग		2560.00		

इस प्रकार रू0-2560.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18-वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बायोगैस अनुदान शीर्ष में व्ययरू0-18000.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी से की जाये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2016-17

प्रस्तर-19-वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त/13वां वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गयी सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत् वैट की कटौती नहीं की गयी -

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि	सामग्री का विवरण	वाउचर/दिनांक
1	विकास खण्ड कार्यालय एवं सूचना हॉल में प्लास्टर, टायल्स, मरम्मत/जीपों द्वारा कार्य	53625.00	2145.00	निर्माण सामग्री आदि	55 / 30.12.2016
		285016.00	11400.00		60 / 25.12.2017
		69326.00	2773.00		67 / 06.02.2017
		24970.00	998.00		75 / 28.12.2017
		76147.00	3045.00		83 / 26.01.2017
		103488.00	4139.00		85 / 16.02.2017
		92226.00	3689.00		87 / 17.02.2017
		91150.00	3646.00		89 / 25.02.2017
2	ग्राम पंचायत शिवरई वरीयार में बृजपाल के घर से प्रमोद के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	127815.00	5112.00	निर्माण सामग्री आदि	75 / 25.06.2016
		217559.00	8702.00		78 / 29.06.2016
		42317.00	1692.00		36 / 03.07.2016
3	ग्राम मुडौल में हनुमान मन्दिर से ब्रजनन्दन के घर की पुलिया तक सी0सी0 निर्माण	303056.00	12122.00	निर्माण सामग्री आदि	- / 08.06.2016
		49743.00	1989.00		07 / 12.06.2016
4	ग्राम लुधैया में हाकिम सिंह के घर से तसब्बर अली की दुकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण	333687	13347.00	निर्माण सामग्री आदि	02 / 08.06.2016
		150517.00	6020.00		11 / 12.06.2016
		56199.00	2248.00		16 / 16.06.2016
5	ग्राम चिलौली में मेन डामर रोड से डा0 आइसा गुप्ता	105164.00	4206.00	निर्माण सामग्री आदि	04 / 08.06.2016
		30567.00	1222.00		52 / 10.06.2016

	के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण				
6	ग्राम गिर्दकायमगं ज में वायपास कायमगंज सम्पर्क मार्ग से मस्जिद तक सी0सी0 व नाली निर्माण	96588.00	3863.00	निर्माण सामग्री आदि	35 / 01.09.2016
		360644.00	14425.00		31 / 29.06.2016
		152757.00	6110.00		18 / 25.06.2016
7	ग्राम पंचायत पितौरा में वायपास सम्पर्क मार्ग से पितौरा तालाब तक नाला निर्माण कार्य	42074.00	1683.00	निर्माण सामग्री आदि	— / 11.11.2016
		188600.00	7544.00		— / 04.11.2016
		163200.00	6528.00		44 / 28.10.2016
		280632.00	11225.00		42 / 26.10.2016
		374987.00	14999.00		40 / 24.10.2016
8	विकास खण्ड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी कार्यालय की मरम्मत एवं प्रांगण में सी0सी0 निर्माण कार्य	143569.00	5742.00	निर्माण सामग्री आदि	57 / 30.12.2016
		35000.00	1400.00		61 / 25.10.2017
		100616.00	4024.00		69 / 06.02.2017
		69094.00	2763.00		78 / 28.12.2017
		134712.00	5388.00		96 / 21.12.2017
	योग		174189.00		

इस प्रकार रू0-174189.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी, श्री शिवकुमार, श्री आशीष पाल, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-20- वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त/13वें वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गयी सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत् वैट की कटौती नहीं की गयी-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि	सामग्री का विवरण	वाउचर/ दिनांक
1	ग्राम पंचायत जिजपुरा में दत्ताराम जाटव के खेत से सुखराम के घर तक मिट्टी/खड्ड	92800.00	3712.00	निर्माण सामग्री आदि	55 / 07.08.2017
		81200.00	3248.00		56 / 09.08.2017
		34800.00	1392.00		57 / 12.08.2017
		69600.00	2784.00		18 / 14.08.2017
		59160.00	2366.00		21 / 16.08.2017
		137465.00	5498.00		29 / 03.09.2017

	जा एवं पुलिया निर्माण				
2	ग्राम पंचायत जिजपुरा में सुखराम के घर से देवस्थान डामर रोड अजीजपुर ग्राम तक मिट्टी/खडण जा कार्य	87000.00	3480.00	निर्माण सामग्री आदि	52 / 07.08.2017
		87000.00	3480.00		53 / 08.08.2017
		42920.00	1716.00		26 / 18.08.2017
		87000.00	3480.00		25 / 17.08.2017
		104400.00	4176.00		22 / 16.08.2017
		6000.00	240.00		61 / 30.08.2017
3	ग्राम पंचायत मोहददीनपुर में जयसिंह के खेत से राकेश के घर तक मिट्टी/खडण जा मरम्मत कार्य	78050.00	3122.00	निर्माण सामग्री आदि	59 / 26.07.2017
		21370.00	840.00		30 / 03.09.2017
		87000.00	3480.00		58 / 12.08.2017
		104400.00	4176.00		19 / 14.08.2017
		69600.00	2784.00		11 / 06.08.2017
		58000.00	2320.00		51 / 07.08.2017
4	ग्राम मोहददीनपुर में मेन डामर रोड से जयसिंह के खेत मिट्टी/पुलिया एवं खडणजा मरम्मत कार्य	29593.00	1183.00	निर्माण सामग्री आदि	31 / 16.09.2017
		74657.00	2986.00		27 / 03.09.2017
		54240.00	2169.00		28 / 03.09.2017
		69600.00	2784.00		20 / 16.08.2017
		87000.00	3480.00		23 / 18.08.2017
		69600.00	2784.00		10 / 04.08.2017
		87000.00	3480.00		12 / 08.08.2017
5	ग्राम पंचायत जिजपुरा में लखनपुर धर्मपुर डामर रोड सम्पर्क मार्ग से दत्ताराम जाटव के खेत तक मिट्टी/खडण जा कार्य	92800.00	3712.00	निर्माण सामग्री आदि	07 / 31.07.2017
		69600.00	2784.00		06 / 25.07.2017
		92800.00	3712.00		09 / 04.08.2017
		69600.00	2784.00		08 / 02.08.2017
		92800.00	3712.00		13 / 06.08.2017
		33640.00	1345.00		24 / 18.08.2017
		6000.00	240.00		60 / 30.08.2017
6	विकास खण्ड कार्यालय के आवासीय भवन की मरम्मत का कार्य आवास सं0-2	22757.00	910.00	निर्माण सामग्री आदि	04 / 20.07.2017
		27716.00	1108.00		14 / 16.08.2017
7	विकास खण्ड कार्यालय की छत की मरम्मत, टायल्स एवं नाली निर्माण	281246.00	11249.00	निर्माण सामग्री आदि	03 / 16.07.2017
8	ग्राम पंचायत लखनपुर में साइन खों के घर से वेलकम पैलेस तक	27738.00	1109.00	निर्माण सामग्री आदि	05 / 25.07.2017
		238840.00	9553.00		01 / 19.07.2017
		40800.00	1632.00		02 / 20.07.2017

	नाला निर्माण				
	योग		115010.00		

इस प्रकार रू0-115010.00 का वेट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21—वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बायोगैस अनुदान पर व्यय रू0-59500.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार से की जाये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22—वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पर व्यय रू0-140000.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार से की जाये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23— ग्राम पंचायत मोहद्दीनपुर में जयसिंह के खेत से राकेश के घर तक मिट्टी/खडण्जा मरम्मत कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल (दिनांक 26.08.2017 से 30.08.2017 तक) में मजदूरी का भुगतान रू0-15215.00 का किया गया जबकि लेखा परीक्षा अनुसार भुगतान रू0-14980.00 का होना चाहिए था इस प्रकार रू0-235.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-24— वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पर व्यय रू0-2196994.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः पात्रों के चयन की प्रक्रिया, उनके प्रार्थना पत्र एवं उनकी स्वीकृति आदि पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा एवं श्री लालजी यादव एवं तत्कालीन लेखाकार से की जाये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25—दिनांक 31.03.2019 को राज्य वित्त योजना में रू0-4911039.00, विधायक निधि में रू0-328805.00, स्वच्छ भारत मिशन में रू0-315982.00, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान में रू0-109599.00, आंगनवाडी केन्द्र निर्माण में रू0-800000.00 एवं गौशाला बोरिंग शीर्ष में रू0-299943.00 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है, कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपभोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत उपभोग अपेक्षित रहा। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा एवं श्री लालजी यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-कमालगंज-2017-18 से 2018-19

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-26—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त/13वें वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गयी सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत् वेट की कटौती नहीं की गयी—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक
1	ग्राम भाडौसा में न्यामत नगला मैन रोड से	64330.00	2573.00	एम०के० बिल्डर्स	26.03.2018

	न्यामत नगला तक सी0सी0 रोड				
	योग		2573.00		

इस प्रकार रू0-2573.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27- विकास खण्ड कमालगंज में अभिलेखालय निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्नवत् आपत्तियाँ पायी गयी—

क-कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के पत्रांक-895 दिनांक 08.07.2016 द्वारा श्री एम0के0 बिल्डर्स कमालगंज को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया था। वर्ष 2016-17 में एम0 के0 बिल्डर्स को रू0-4682.00 की टी0डी0एस0 कटौती के बाद रू0-202474.00 का भुगतान किया गया। कार्य में देरी हेतु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के पत्रांक-644 दिनांक 08.06.2017 द्वारा कार्यप्रभारी श्री प्रशान्त कटियार को एक सप्ताह के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण कराकर श्रमिकों के एम0आर0 आदि व्यय प्रमाणक भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अतः स्पष्ट है कि कार्य दिनांक 08.06.2017 तक पूर्ण नहीं हुआ था। संलग्न एम0आर0 में दिनांक 08.11.2016 से 28.11.2016 तक कार्य होना दर्शाया गया है जिसपर कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रभारी श्री प्रशान्त कटियार के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। इस प्रकार बिना कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर के रू0-22678.00 का खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाना अनियमित है। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी के दिनांक 08.06.2017 के पत्र में कार्य को पूर्ण कराने की बात कही गयी है। अतः एम0आर0 पर कार्य अवधि 08.06.2017 के बाद की होनी चाहिए थी किन्तु एम0आर0 पर तिथि 08.11.2016 से 28.11.2016 अंकित हैं। स्पष्ट है कि बिना कार्य कराये ही धनराशि का अपहरण कर लिया गया। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रामजी प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ख-उपरोक्त निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बिल सं0-61 दिनांक 26.11.2016 का भुगतान चेक नम्बर-12006 दिनांक 26.03.2018 द्वारा रू0-124029.00 का किया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह है कि मूल बिल रू0-120897.00 का था जिसमें क्रमांक 03 पर पत्थर ग्रेनाइट में कटिंग दर्शाते हुए रू0-6000.00 और बढ़ा दिये गये। इस प्रकार कुल बिल रू0-126897.00 का कर दिया गया जिसमें से रू0-2868.00 की टी0डी0एस0 कटौती के बाद रू0-124029.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म एम0के0 बिल्डर्स को किया गया जो बिल पर दर्शित जगह-जगह कटिंग से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। अतः रू0-6000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जायसवाल से की जाय। दिनांक 28.11.2016 के बिल का भुगतान दिनांक 28.03.2018 को किया जाना स्थिति को संदिग्ध बनाता है।

ग-दिनांक 28.11.2016 को अंशुल इ0प्रा0 द्वारा बिल सं0-1600 द्वारा रू0-15969.00 की सामग्री क्रय कर रू0-361.00 टी0डी0एस0 काटते हुए चेक सं0-12007 द्वारा दिनांक 26.03.2018 को रू0-15608.00 का भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि एम0आर0 पर कार्य तिथि 26.11.2016 ही अंकित है ऐसी स्थिति में दिनांक 28.11.2016 को सामग्री क्रय करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता। अतः भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28-ग्राम भड़ौसा में न्यामत नगला मेन रोड से न्यामत नगला तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्नवत् आपत्तियाँ पायी गयी—

क-दिनांक 26.03.2018 को चेक सं0-12005 द्वारा कार्य में लगे श्रमिकों को भुगतान रू0-69620.00 का किया गया। इस सम्बन्ध में आपत्ति यह है कि सम्बन्धित एम0आर0 पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पास्ड फार रू0-69920.00 अंको एवं शब्दों में अंकित किया गया है। यद्यपि भुगतान रू0-69620.00 का ही किया गया है तथापि अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

ख-सम्बन्धित कार्य प्रभारी श्री नृपेन्द्र शर्मा वी0डी0ओ0 द्वारा भुगतान हेतु दिये प्रार्थना पत्र में एम0बी0 होने के दिनांक 22.03.2018 दर्शायी गयी है। जबकि सम्बन्धित एम0बी0 में डेट ऑफ मेजरमेन्ट की तिथि

अंकित नहीं है। सम्बन्धित एम0आर0 पर क्रमांक नं0 एवं कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज से निर्गमन की तिथि भी अंकित नहीं है।

ग—कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के पत्रांक-2847 दिनांक 29.12.2016 के कार्यादेश के बिन्दु सं0-6 में स्पष्ट निर्देश है कि “अंतिम भुगतान से पूर्व क्षेत्र के सहायक अभियन्ता-आर0ई0डी0 से कार्य का निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय।” इसी क्रम में तत्कालीन लेखाकार द्वारा प्रस्तुत नोटशीट-2 में इस तथ्य का उद्घाटन किया गया है कि सम्बन्धित कार्य के अंतिम भुगतान से पूर्व कार्य का सत्यापन सहायक अभियन्ता से कराये बिना ही अवर अभियन्ता द्वारा भुगतान की संस्तुति की गयी है। इस प्रकार सम्बन्धित नोटिंग के बाद भी धनराशि का भुगतान किया जाना अनियमित रहा। कार्य प्रभारी श्री नृपेन्द्र शर्मा द्वारा भुगतान हेतु किये गये प्रार्थना पत्र में लेखाकार को भुगतान हेतु निर्देश दिये गये “लेखाकार कृपया भुगतान करें” किन्तु उस पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख कमालगंज एवं खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार बिना निर्देश के चेक जारी किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रामजी प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29—कोरीखेडा में देवस्थान से मनोज शाक्य के घर के तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के पत्रांक-3232 दिनांक 21.03.2017 के कार्यादेश के बिन्दु सं0-6 पर निर्देश “अन्तिम भुगतान से पूर्व क्षेत्र के सहायक अभियन्ता आर0ई0डी0 विभाग से कार्य का निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय” अंकित हैं इसके क्रम में तत्कालीन लेखाकार श्री पंकज गुप्ता द्वारा नोटशीट सं0-3 में भी उल्लेख किया गया है कि बिना सत्यापन कराये ही अवर अभियन्ता आर0ई0डी0 के द्वारा भुगतान हेतु संस्तुति की गयी तथापि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा एम0के0 बिल्डर्स को सामग्री आपूर्ति का दिनांक 01.09.2017 को भुगतान रू0-13285.00 (टी0डी0एस0 कटौती के बाद) एवं श्री के0एन0 चौधरी कार्य प्रभारी को रू0-65291.00 का किया गया जो कि अनियमित है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रामजी प्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता आर0ई0डी0 उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30—लउवा नगला मानपट्टी में सत्याराम के घर से शर्मा जी के घर तक नाला निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के पत्रांक-1809 दिनांक 20.09.2017 के कार्यदेश बिन्दु-6 पर निर्देश “अंतिम भुगतान से पूर्व क्षेत्र के सहायक अभियन्ता-आर0ई0डी0 से कार्य का निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय।” अंकित है। इसके क्रम में तत्कालीन सहायक लेखाकार पंकज गुप्ता के नोटशीट सं0-3 में भी उल्लेख किया गया है कि बिना सत्यापन कराये ही अवर अभियन्ता आर0ई0डी0 के द्वारा भुगतान हेतु संस्तुति की गयी है तथापि चेक सं0-410272 दिनांक 12.10.2017 द्वारा एम0के0 बिल्डर्स को रू0-326488.00 एवं चेक सं0-410273 दिनांक 12.10.2017 द्वारा रू0-57855 (एम0आर0 का) श्री अनुपम बाजपेई कार्यप्रभारी को भुगतान किया गया जो कि अनियमित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है एम0के0 बिल्डर्स के बिल सं0-000013 पर दिनांक भी अंकित नहीं है (धनराशि 334037-7549टी0डी0एस0 = 326488) इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रामजी प्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता आर0ई0डी0 उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-31—निनौरा में राजेपुर उगरापुर सम्पर्क मार्ग से निनौरा सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

क—कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के पत्रांक-895 दिनांक 08.07.2016 द्वारा एम0के0 बिल्डर्स कमालगंज को सामग्री आपूर्ति हेतु निर्गत आदेश में 15 दिन के अन्दर सामग्री आपूर्ति करने के निर्देश दिये गये थे अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त किये जाने का आदेश नियम व शर्तों में दर्शित है इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि एम0के0 बिल्डर्स द्वारा दिनांक 20.10.2016 को बिल सं0-58 द्वारा रू0-19873.00 की सामग्री आपूर्ति दर्शित है जो उपरोक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। सम्बन्धित भुगतान की चेक दिनांक 03.01.2017 को निर्गत किया जाना एवं पुनः उसे निरस्त दर्शाते हुए दिनांक 26.03.2018 को चेक सं0-12002 द्वारा भुगतान किया जाना स्थिति को संदिग्ध बनाता है। सम्बन्धित निरस्त चेक 017435 दिनांक 03.01.2017 धनराशि रू0-19424.00 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः

निरस्तीकरण अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ख—पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना दिनांक 30.06.2016 अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ आपूर्तिकर्ता को धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज के पक्ष में बंधक करनी होगी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा 2% धरोहर की धन रु0—3060.00 संलग्न नहीं की गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग—उपरोक्त कार्य पर मिट्टी कार्य 50.40³ कराया गया जिस पर 30रु की दर से रु0—1512.00 की रायल्टी नहीं काटी गयी। सम्बन्धित भुगतान दिनांक 26.03.2018 को रु0—8513.00 का श्री प्रशान्त कटियार को किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

घ—उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त कटियार ग्राम विकास अधिकारी को दिनांक 03.01.2017 को चेक सं0—017436 धनराशि रु0—31847.00 की निर्गत की गयी थी पुनः उसे निरस्त दर्शाते हुए दिनांक 26.03.2018 को चेक सं0—12003 श्री प्रशान्त कटियार के पक्ष में निर्गत की गयी किन्तु पूर्व की निरस्त चेक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः निरस्तीकरण अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। चेक निरस्तीकरण का कारण भी लेखा परीक्षा दौरान स्पष्ट नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—32—वर्ष 2018—19 में राज्य वित्त/13वें वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गयी सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत् वैट की कटौती नहीं की गयी—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक
1	ग्राम अलाउद्दीनपुर में असफाक के घर से प्रा०वि० तक सी०सी० निर्माण	508817.00	20353.00	एम०के० बिल्डर्स	000018 / 12.06.2018
	ग्राम अलाउद्दीनपुर में असफाक के घर से प्रा०वि० तक सी०सी० निर्माण	124545.00	4982.00	एम०के० बिल्डर्स	000026 / 01.08. 2018
2	खुदागंज में मैन रोड से रघुनाथ के घर तक सी०सी० रोड	287175.00	11487.00	एम०के० बिल्डर्स	000020 / 18.06. 2018
	खुदागंज में मैन रोड से रघुनाथ के घर तक सी०सी० रोड	122148.00	4886.00	एम०के० बिल्डर्स	000035 / 28.08. 2018
	योग		41708.00		

इस प्रकार रु0—41708.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—33—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018—19 में निम्न विवरणानुसार एम०के० बिल्डर्स को निर्माण सामग्री आपूर्ति के विरुद्ध 2.50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया है किन्तु नियमानुसार 2% टी०डी०एस० की कटौती भुगतान से नहीं की गई है। अतः भुगतान अनियमित रहा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कुल भुगतान की धनराशि/ दिनांक	2% जी०एस०टी० कटौती नहीं की गई	फर्म का नाम
1	ग्राम जरारी में रजीपुर उधरपुर चौराहे का सौन्दयीकरण	485675.00 / 28.01.2019	9714.00	एम०के० बिल्डर्स
2	ग्राम जरारी में नसीम	369826.00 /	7397.00	एम०के० बिल्डर्स

	के घर से भट्टे की ओर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	06.01.2019		
3	ग्राम झिझुकी में हिसामपुर से प्राथमिक स्कूल तक सी0सी0 रोड निर्माण	408553.00 / 28.01.2019	8171.00	एम0के0 बिल्डर्स
4	ग्राम लउवा नगला मानपट्टी में रामनिवास के घर से संजू के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	402232.00 / 16.01.2019	8045.00	एम0के0 बिल्डर्स
5	ग्राम पं0 राजेपुर सरायमेंदा में निनौरा श्रृंखलापुर रोड से शमीम के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	297770.00 / 21.01.2019	5955.00	एम0के0 बिल्डर्स
6	ग्राम गदनपुर देवराजपुर में फूलसिंह के घर से अंग्रेज के तालाब तक सी0सी0 व नाली निर्माण	290923.00 / 21.01.2019	5818.00	एम0के0 बिल्डर्स
7	ग्राम ताजपुर में सिद्धपीठ मंदिर से खंडजे की तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	493516.00 / 16.01.2019	9870.00	एम0के0 बिल्डर्स
8	ग्राम पं0 कतरौती पट्टी में मेन रोड से नेकराम पाल के दरवाजे तक सी0सी0 व नाली निर्माण	559011.00 / 16.01.2019	11180.00	एम0के0 बिल्डर्स
9	ग्राम पं0 फतेहपुर कायस्थान में मजरा भोला नगला में बाबाजी टीला रामसौर से जगदीश यादव के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	353219.00 / 16.01.2019	7064.00	एम0के0 बिल्डर्स
10	ग्राम पं0 कोरीखेडा में कोठी में पंचायत घर से मेन रोड तक सी0सी0 व नाली निर्माण	531828.00 / 16.01.2019	10637.00	एम0के0 बिल्डर्स
	योग		83851.00	

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रू0-83851.00की टी0डी0एस0 की कटौती सम्बन्धित के भुगतान से नहीं की गई जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रामजी प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-34-दिनांक 25.05.2018 को सम्पन्न गायत्रीधाम शिवाला भवन कायमगंज में 07 पुत्रियों के विवाह हेतु रू0-10000.00 की दर से (प्रतिलाभार्थी) पायल, मंगलसूल, बक्सा, श्रृंगारदानी एवं अन्य सामग्री आदि का भुगतान किया चेक सं0-027826 द्वारा दिनांक 27.08.2018 को किया गया किन्तु सम्बन्धित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया न ही सम्बन्धित लाभार्थी को उपरोक्त सामग्री उपलब्ध कराये जाने की

पुष्टि में कोई प्राप्ति रसीद ही ली गयी। अतः भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रामजी प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी है। लाभार्थी की रसीद प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाय। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35—आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 को राज्य वित्त योजना में ₹0-12685982.00, तेहरवाँ वित्त में ₹0-81083.00 एवं विधायक निधि में ₹0-1481361.00 अवशेष दर्शाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यो का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-राजेपुर-2018-19

प्रस्तर-36—ग्राम गुडेरा में वीरसिंह के घर से तालाब तक नाला निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई:-

1. सम्बन्धित कार्य वर्ष 2016-17 की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना जो दिनांक 07.09.2016 को अनुमोदित है, के क्रमांक 07 पर दर्शित है। एस्टीमेट भी दिनांक 07.11.2016 को स्वीकृत हैं। इतने लम्बे समय तक कार्य पूर्ण न होने पर कार्य लागत बढ़ती है अथवा गुणवत्ता घटती है।
2. उदय प्रातप सिंह भोला कान्हेक्टर द्वारा प्रस्तुत बिल 01/023 दिनांक 11.01.2017 का है जिसका भुगतान 13.02.2018 को चेक सं0-002890 द्वारा मूल्य ₹0-629968.00 का किया गया इस प्रकार 01 वर्ष बाद भुगतान किये जाने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता। पुनः मस्टररोल का भुगतान चेक नं0-020285 द्वारा दिनांक 04.08.2018 को किया गया है। मस्टररोल से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कार्य किस माह में कराया गया है। मस्टररोल के द्वितीय भाग पर पेड एण्ड केन्सिल की मोहर के नीचे खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख के हस्ताक्षर भी नहीं है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 की प्रस्तावित कार्ययोजना में उक्त कार्य को सम्मिलित किये बिना ही मस्टररोल का भुगतान ₹0-114325.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। वैट नहीं काटे जाने से सम्बन्धित आपत्ति वर्ष 2017-18 में की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37—ग्राम दुर्जनपुरवा में नरौथा रोड से सुधीर यादव के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई:-

1. सम्बन्धित कार्य वर्ष 2016-17 की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना जो दिनांक 07.09.2016 को अनुमोदित है, के क्रमांक 08 पर दर्शित है। लम्बे समय तक कार्य पूर्ण न होने के कार्य की लागत बढ़ती है अथवा गुणवत्ता घटती है। एस्टीमेट भी दिनांक 07.11.2016 को स्वीकृत है।
2. उदय प्रातप सिंह भोला कान्हेक्टर द्वारा प्रस्तुत बिल 01/22 दिनांक 09.01.2017 का है जिसका भुगतान चेक नं0-2889 दिनांक 23.02.2018 द्वारा मूल्य ₹0-450966.00 का किया गया। इस प्रकार 01 वर्ष बाद भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चेक नं0-002889 दिनांक 23.02.2018 को निर्गत दिखाया गया जबकि चेक सं0-002890 दिनांक 13.02.2018 (ग्राम गुडेरा पत्रावली में संलग्न) को निर्गत दिखाया गया है। अतः स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। साथ ही 23.02.2018 को निर्गत चेक नं0-002889 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2018 को अवलोकित किया जाना भी स्थिति को संदिग्ध बनाता है।
3. पुनः मस्टररोल का भुगतान चेक नं0-020284 द्वारा दिनांक 04.08.2018 को किया गया। मस्टररोल से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कार्य किस माह में कराया गया है। अतः स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 की प्रस्तावित कार्ययोजना में उक्त कार्य को सम्मिलित किये बिना ही भुगतान ₹0-82865.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38—ग्राम शेरखार गौटिया में सिंहराज के दरवाजे से महावीर के दरवाजे तक सी0सी0 निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि एस्टीमेट दिनांक 07.11.2016 का स्वीकृत है एवं वर्ष 2016-17 की प्रस्तावित कार्य योजना जो दिनांक 07.09.2016 को अनुमोदित हुई के क्रमांक 06 पर उक्त योजना दर्शित है। निविदा सूचना सम्बन्धी कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी राजेपुर के पत्रांक-1933 दिनांक 09.12.2016 अनुसार कार्य पूर्ण होने का अनुमोदित समय 01 माह है। पत्रावली में संलग्न नियम व शर्तें अनुसार

आपूर्ति आदेश के अधिकतम 15 दिन के अन्दर सामग्री आपूर्ति करनी होगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी राजेपुर के पत्रांक-2016 दिनांक 21.12.2016 द्वारा आपूर्ति आदेश मैसर्स उदय प्रताप सिंह भोला कान्ट्रेक्टर को दिया गया है तथापि फर्म द्वारा बिल सं0-01/021 द्वारा दिनांक 09.01.2017 को आपूर्ति की गई इस प्रकार लगभग 19 दिन बाद सामग्री आपूर्ति की गई तथापि धरोहर धनराशि जब्त नहीं की गई न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार ही सम्बन्धित फर्म से किया गया। दिनांक 13.02.2018 को सम्बन्धित फर्म को चेक सं0-002888 द्वारा रू0-409621.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार 01 वर्ष बाद भुगतान का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता। सम्बन्धित मस्टररोल का भुगतान दिनांक 04.08.2018 को चेक नं0-20283 द्वारा मूल्य रू0-79575.00 का किया गया है मस्टररोल पर माह का नाम भी अंकित नहीं किया गया है। अतः यह भी स्पष्ट नहीं कि किस माह काम कराया गया है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 की प्रस्तावित कार्ययोजना में उक्त कार्य को सम्मिलित किये बिना ही रू0-79575.00 का भुगतान अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नज़मा सिद्दीकी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39-वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पर व्यय रू0-1085001.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः पात्रों के चयन की प्रक्रिया, उनके प्रार्थना पत्र एवं उनकी स्वीकृति आदि पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणको के अभाव में दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नज़मा सिद्दीकी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40-वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं० दीनदयाल गोष्ठी पर व्यय रू0-45000.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पत्रावली एवं व्यय प्रमाणको के अभाव में दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नज़मा सिद्दीकी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41-आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 को राज्य वित्त योजना में रू0-14699506.38, विधायक निधि में रू0-244563.00, गौशाला बोरिंग शीर्ष में रू0-299943.00 एवं आंगनवाडी केन्द्र निर्माण शीर्ष में रू0-600000.00 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत उपभोग अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-नवाबगंज-2018-19

प्रस्तर-42-दिनांक 31.03.2019 को अनुदान रजिस्टर के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती का रू0-266250.00 अवशेष है जिसे सम्बन्धित शीर्ष में चालान द्वारा जमा किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके भारी अनियमितता बरतती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी जायसवाल व लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी रहें। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-43-दिनांक 31.03.2018 को ग्राण्ट रजिस्टर III के अनुसार जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि रू0-193456.00 शेष थी जिसे वर्ष में भुगतान दर्शाकर समाप्त किया गया। उक्त भुगतान की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। व्यय प्रमाणक के अभाव में धन के अपहरण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार, श्री रामजी जायसवाल एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है।

प्रस्तर-44-दिनांक 31.03.2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कन्टीजेन्सी मद में रू0-173250.00 शेष दर्शित है किन्तु वर्ष में दर्शित व्यय रू0-52224.00 की पुष्टि में कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी जो कि अपेक्षित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार, श्री रामजी जायसवाल एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-45—फरवरी 20019 को आंगनवाड़ी केन्द्र मद का अवशेष रू0—600000.00 था जिसे माह मार्च 2019 के प्रारम्भिक अवशेष में नहीं लिया गया और मार्च 2019 में प्राप्त रू0—600000.00 को ही 31 मार्च 2019 को अवशेष दर्शाया गया। ग्राण्ट रजिस्टर III के अनुसार बिना धन प्राप्त किये धनराशि को दुबारा ग्राण्ट रजिस्टर III में लेकर अत्यधिक लापरवाही का प्रदर्शन किया गया है जिसका सुधार अपेक्षित है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—शमसाबाद—2017—18 से 2018—19

प्रस्तर-46—वर्ष 2017—18 में निम्नांकित विवरण के अनुसार राज्य वित्त योजना के धन से निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की गयी। जिसका भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया गया है किन्तु सामग्री की कीमत पर 04 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है:—

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम व पदनाम	सामग्री क्रय की धनराशि	व्यापार कर की कटौती	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	ग्राम करनपुर गंगतारा में मंझना महमदपुर के पक्के रोड चौराहे से अददूपुर ग्राम तक खडंजा पुलिया निर्माण कार्य	श्री शिवराज सिंह स०वि०अ० पंचा दिनांक 25.12.2017 तक श्री ओ०पी० सचान (कृषि) दिनांक 26.12.2017 से	1702957.00	68118.00	मै० अजीत सिंह कान्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स किसरौली कायमगंज, फर्रुखाबाद
2	ग्राम नगला दमू के कैलास चन्द्र के घर से होते तालाब तक खडंजा नाली निर्माण कार्य।	श्री शिवराज सिंह स०वि०अ० पंचा दिनांक 25.12.2017 तक श्री ओ०पी० सचान (कृषि) दिनांक 26.12.2017 से	364354.00	14574.00	मै० अजीत सिंह कान्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स किसरौली कायमगंज, फर्रुखाबाद
	योग		2067311.00	82692.00	

उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय की कीमत पर रू0—82692.00 की व्यापार कर की कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को आर्थिक लाभ पहुँचाया गया है तथा रू0—82692.00 से राजकीय राजस्व को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रू0—82692.00 कीब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47—ग्राम करनपुर गंगतारा में मंझना महमदपुर ग्राम के पक्के रोड चौराहे से करनपुर अददूपुर ग्राम तक खडंजा पुलिया निर्माण कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु मै० अजीत सिंह कान्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स किसरौली कायमगंज फर्रुखाबाद को स्वीकृति दी गयी तथा कार्य प्रभारी श्री शिवराज सिंह स०वि०अ० पंचा० दिनांक 25.12.2017 तक श्री ओ०पी० सचान (कृषि) दिनांक 26.12.2017 से कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। उक्त कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:—

- (क) ग्राम पंचायत में खडंजा, पुलिया निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।
- (ख) निर्माण कार्य पत्रावली में क्रमांक रहित मस्टर रोल संलग्न है, मस्टर रोलो पर एम०आर० क्रमांक अंकित न होने के कारण कार्यवार निर्गत मस्टर रोलो की स्थिति अज्ञात रही।
- (ग) मस्टर रोलो पर दर्शित मजदूरों के नाम एवं भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।
- (घ) पत्रावली में संलग्न क्रमांक रहित मस्टर रोलो पर मजदूरों की उपस्थिति वाले पृष्ठ पर खण्ड विकास अधिकारी शमसाबाद की पेड एण्ड कैसिल की केवल मुहर लगी है। मुहर के ऊपर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
- (ङ) उक्त निर्माण कार्य पर कुल रू0—718490.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके विभिन्न चेको के माध्यम से कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश सचान, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को कर दिया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं तथा प्रत्येक मजदूरों का मनरेगा के

अन्तर्गत जॉब कार्ड बना हुआ होता है तथा बैंक खाता भी होता है। अतः मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खाते के माध्यम से किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया।

(द) निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित था।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य पर मजदूरी/श्रमांश पर कुल भुगतान रु0-718490.00 अनियमित रूप से किया गया है, जिसके लिये श्री कमलेश कुमार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार दुबे लेखाकार, एवं श्री मुनीश चन्द्र तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-48—वर्ष 2017-18 में निम्नांकित विवरण के अनुसार ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा—शमसाबाद कन्टीजेन्सी खाता सं0-015115 से धनराशियाँ आहरित किया जाना दर्शित है। किन्तु इन आहरित धनराशियों से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये:-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
02.04.2017	3274	12400.00	टू ट्रांसफर
02.04.2017	3275	10000.00	टू ट्रांसफर
05.06.2017	14551	10000.00	टू ट्रांसफर
14.06.2017	14552	10000.00	टू ट्रांसफर
10.11.2017	14553	5700.00	टू ट्रांसफर
	योग	48100.00	

इस प्रकार उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्ययों की पुष्टि न कराये जाने से समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। उक्त धनराशि रु0-48100.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं श्री कमलेश कुमार तत्कालीन लेखाकार श्री अशोक कुमार दुबे से संयुक्त रूप से जमा कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49—वर्ष 2018-19 में निम्नांकित विवरण के अनुसार राज्य वित्त योजना/चौदहवें वित्त योजना के धन से निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की गयी। जिसका भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया गया है किन्तु सामग्री की कीमत पर 04 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम व पदनाम	सामग्री क्रय की धनराशि	व्यापार कर की कटौती	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	ग्राम नगला दमू के कैलास चन्द्र के घर से होते तालाब तक खड्जना नाली निर्माण कार्य।	श्री ओ0पी0 सचान सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	108902.00	4356.00	मै0 अजीत सिंह कान्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स किसरौली कायमगंज, फर्रुखाबाद
2	ग्राम मुरैठी में बम्बा से छंगे के घर तक नाली निर्माण कार्य।	श्री ओ0पी0 सचान सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	164325.00	6573.00	मै0 अजीत सिंह कान्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स किसरौली कायमगंज, फर्रुखाबाद
	योग		273227.00	10929.00	

उपरोक्त कार्यों पर सामग्री क्रय की कीमत पर रु0-10929.00 की व्यापार कर की कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को आर्थिक लाभ पहुँचाया गया है, तथा रु0-10929.00 से राजकीय राजस्व को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु0-10929.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार दुबे उत्तरदायी है।

प्रस्तर-50—वर्ष 2018-19 में निम्नांकित विवरण के अनुसार ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा-शमसाबाद कन्टीजेन्सी खाता सं0-015115 से धनराशियाँ आहरित किया जाना दर्शित है। किन्तु इन आहरित धनराशियों से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये:-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
11.05.2018	14555	45000.00	टू कैश आनन्द कुमार
01.11.2018	14555	100500.00	ऐज पर लिस्ट
01.11.2018	अंकित नहीं	42500.00	ऐज पर लेटर डेटेड-29.10. 2018
06.11.2018	14559	10500.00	नेपट/बी0सी0नं0-62
12.11.2018	14558	11000.00	बी0एम0एस0बी0आई-शमसाबाद
12.11.2018	14560	5000.00	विवरण पास बुक में प्रिन्ट नहीं है।
30.01.2019	14563	9000.00	अशोक कुमार दुबे
	योग	223500.00	

इस प्रकार उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्ययों की पुष्टि न कराये जाने से समस्त धनराशि रू0-223500.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त धनराशि रू0-223500.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं श्रीमती नजमा सिद्दीकी व तत्कालीन लेखाकार श्री अशोक कुमार दुबे से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51—वर्ष 2018-19 में ग्राण्ट रजिस्टर में विधायक निधि के धन रू0-60000.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय की पुष्टि न कराये जाने से व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि रू0-60000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री मुनीश चन्द्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अशोक कुमार दुबे से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52—वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम असगरपुर के उप ग्राम नगला नान मे पक्की सड़क से सहकारी समिति तक मिट्टी खडंजा नाली निर्माण कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश सचान सं0वि0अ0 (कृषि) को नियुक्त किया गया उक्त कार्य में तीन ट्रैक्टरों द्वारा कुल रू0-31200.00 की मिट्टी पुराई पर व्यय दर्शाया गया है, ट्रैक्टरों द्वारा मिट्टी पुराई का भुगतान रू0-31200.00 का दिनांक 16.08. 2019 को चेक सं0-070105 के द्वारा कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश सचान सं0वि0अ0 (कृषि) को किया गया उक्त कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:-

(अ) उक्त कार्य हेतु मिट्टी कहाँ से लाई गयी, अभिलेखों से स्पष्ट नहीं होता है।

(ब) मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति नहीं ली गयी, जो अपेक्षित है।

(स) मिट्टी पुराई ट्रैक्टर सं0-यू0पी0-76-यू0-1580, यू0पी0-76-एफ-9062 एवं यू0पी0-76-आर-2417 द्वारा कराया जाना दर्शित है। जबकि मिट्टी पुराई का कार्य श्रमिकों द्वारा कराया जाना चाहिये।

(द) उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न पन्ना-17 जो कार्यादेश के रूप में संलग्न है इस आदेश के क्रमांक नं0-05 पर अंकित है, कि योजना के अन्तर्गत कार्य मस्टर रोल के आधार पर कराया जाये मशीनरी का प्रयोग न किया जाये, यदि मशीनरी का प्रयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित कार्य को श्रमदान घोषित करते हुये मशीन जब्त कर ली जायेगी तथा दोषी के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। जिसकी सूचना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी जायेगी।

(य) उपरोक्त दर्शित जिन ट्रैक्टरों से मिट्टी लाया जाना दर्शाया गया है उनका कामर्शियल रजिस्ट्रेशन पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(र) उपरोक्त कार्य हेतु ट्रैक्टरों द्वारा कितने घन मीटर मिट्टी लायी गयी है। अभिलेखों में मिट्टी की मात्रा अंकित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त मिट्टी पुराई कार्य पर रू0-31200.00 अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है, जिसके लिये श्री रामजी प्रसाद जयसवाल तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश सचान, श्री अशोक कुमार दुबे लेखाकार एवं श्री

मुनीशचन्द्र तत्कालीन अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-53—वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त योजना के धन से कराये गये निर्माण कार्यों की मस्टर रोल द्वारा मजदूरी का भुगतान निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश सचान सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया दर्शा गया है:—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
14.06.2018	19449	91950.00
16.05.2018	19443	121400.00
30.05.2019	70102	219190.00
16.08.2019	70105	79020.00
	योग	511560.00

उक्त भुगतान रू0—511560.00 से सम्बन्धित निम्न आपत्तियां पायी गयी:—

- (अ) ग्राम सभाओं में निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतो से स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी।
 (ब) निर्माण कार्य पत्रावली में क्रमांक रहित मस्टर रोल संलग्न है, मस्टर रोलो पर एम0आर0 क्रमांक अंकित न होने के कारण कार्यवार निर्गत मस्टर रोलो की स्थिति अज्ञात रही।
 (स) निर्माण कार्यों पर कुल रू0—511560.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके विभिन्न चेको के माध्यम से कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश सचान, स0वि0अ0 (कृषि) को कर दिया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतो के हैं तथा प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है अतः मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया।
 (द) मस्टर रोलो पर दर्शित मजदूरों के नाम एवं भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।
 (य) मस्टर रोलो पर दर्शित मजदूरों/श्रमिकों की उपस्थिति के कई कई महीनों के बाद भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश सचान सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य मस्टर रोलो के आधार पर कराये ही नहीं गये हैं, मात्र कागजी औपचारिकता पूर्ण कर रू0—511560.00 निर्माण कार्यों पर मजदूरी/श्रमांश पर अनियमित रूप से भुगतान करना दर्शाया गया है। रू0—511560.00 का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है, जिसके लिये श्री कमलेश कुमार एवं श्रीमती नजमा सिद्दीकी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री अशोक कुमार दुबे लेखाकार एवं श्री मुनीश चन्द्र तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-54—दिनांक 31.03.2019 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया है:—

क्र0सं0	योजना का नाम	31.03.2019 को अवशेष धनराशि
1	राज्य वित्त योजना	14434093.00
2	तेरहवों/चौदहवों वित्त योजना	646072.00
3	पिछडा क्षेत्र अनुदान योजना	306098.00
4	विधायक निधि	261635.00
	योग	15647898.00

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग अनुदान, तेरहवों/चौदहवों वित्त आयोग अनुदान, पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि एवं विधायक निधि अनुदान का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय सम्पत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है, किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री श्याम नारायण, श्री कमलेश कुमार, श्रीमती नजमा सिद्दी, श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अशोक कुमार दुबे द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। जो अपेक्षित था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—बढ़पुर—2018—19

प्रस्तर-55—दिनांक 31.03.2019 को निम्नांकित विवरणानुसार अनुदान अवशेष दर्शाया गया है—

क्र० सं०	योजना का नाम	धनराशि
1	प्रधानमंत्री आवास योजना	200747.00
2	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	263592.90
3	ऑगनवाड़ी कक्षों का निर्माण	600000.00
4	गौशाला बोरिंग धनराशि	199962.00
5	तेरहवों वित्त योजना	26652.00
6	चतुर्थ राज्य वित्त योजना	9261645.30
7	इंदिरा आवास योजना	519.00
	योग	10553118.20

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त योजनाओं में धनराशियों का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय संपत्तियों का सृजन करने व राष्ट्रनिर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार त्रिवेदी, श्री रामजी प्रसाद जयसवाल, श्री दुर्गादत्त शुक्ला तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम व श्री यशवीर सिंह द्वारा अनुदान का समये से उपभोग न कर अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-56—चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत मैन रोड संपर्क मार्ग से लखमीपुर गॉव तक पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य हेतु मेसर्स एम०डी० कन्सट्रक्शन, रम्पुरा, सेंट्रल जेल फतेहगढ़ की निविदा स्वीकृत हुई। दिनांक 25.07.2018 को बिल सं०-116 द्वारा रु०-322236.00 व दिनांक 05.07.2018 को बिल सं०-107 द्वारा रु०-305874.00 की सामग्री क्रय की गई परन्तु कुल सामग्री पर 4 प्रतिशत की दर से वैट न काटकर भुगतान कर दिया गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

बिल सं०	दिनांक	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
107	05.07.2018	305874.00	12236.00
116	25.07.2018	322236.00	12888.00
	योग		25124.00

प्रस्तर-57—चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत सरकारी ट्यूबवेल से ग्राम लखमीपुर में रामनारायन के खेत तक 300 मीटर पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य में लेखा परीक्षा के दौरान निम्नांकित कमियाँ पाई गयी—

- दिनांक 16.08.2018 से दिनांक 30.08.2018 तक कुल 7 मिस्त्रियों और 28 श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य संबंधी दो मस्टर रोल कार्य प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किये गये जिसके सापेक्ष उन्हें रु०-130250.00 का भुगतान किया गया, परन्तु मस्टर रोल पर कहीं भी क्रमांक अंकित नहीं है इस कारण कार्यवार निर्गत मस्टर रोल की स्थिति अज्ञात रही। इस ओर कार्य प्रभारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।
- पेवर ब्रिक सड़क निर्माण की कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- मेसर्स एम०डी० कन्सट्रक्शन, रम्पुरा, सेंट्रल जेल फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 19.07.2018 को बिल सं०-111 व दिनांक 06.08.2018 को बिल सं०-115 द्वारा क्रमशः रु०-312290.00 व रु०-398174.00 की सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष बिना वैट काटे भुगतान कर दिया गया।

बिल सं०	दिनांक	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
111	19.07.2018	312290.00	12492.00
115	06.08.2018	398174.00	15928.00
	योग		28420.00

इस प्रकार धनराशि रु०-28420.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम व कार्यप्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-58—चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत याकूतगंज करीमगंज सम्पर्क मार्ग से ग्राम पंचायत याकूतगंज में कसान के कारखाने होते हुये लल्लू वाया अनवर जुबेद के मकान तक 300 मीटर माप की पेवर ब्रिक निर्माण कार्य में लेखा परीक्षा के दौरान निम्नालिखित कमियाँ पाई गईं—

1. दिनांक 20.07.2018 से दिनांक 10.08.2018 तक कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला को चेक सं०-039568, दिनांकित 24.09.2018 के द्वारा धनराशि रु०-114812.00 का भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल पर कहीं भी क्रमांक अंकित नहीं है। इस कार्य हेतु चार मिस्त्री व सोलह श्रमिक लगाकर उन्हें भुगतान किया गया। मस्टर रोल पर क्रमांक अंकित न होने के कारण कार्यवार निर्गत मस्टर रोल की स्थिति अज्ञात रही।
2. निर्माण कार्य कराने से पूर्व अवर अभियन्ता की कार्य स्थल की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व की कार्य स्थल की स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका।
3. सामग्री आपूर्ति हेतु मेसर्स एम०डी० कन्सट्रक्शन, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ की निविदा स्वीकृत हुई। उपर्युक्त द्वारा दिनांक 10.06.2018 को बिल सं०-103 के द्वारा रु०-302440.00 तथा दिनांक 19.07.2018 को बिल सं०-112 के द्वारा रु०-305122.00 की सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष बिना वैट काटे भुगतान कर दिया गया। वैट की यह धनराशि कुल मिलाकर रु०-24302.00 (दर 4%) बनती है।

इस प्रकार रु०-24302.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम व कार्यप्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-59—चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत जगत नगर मेंहदिया सम्पर्क मार्ग के ग्राम पंचायत लखमीपुर में प्रदीप के खेत तक पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य हेतु मेसर्स एम०डी० कन्सट्रक्शन, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ की निविदा स्वीकृत हुई। सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान बिना वैट काटे कर दिया गया। दिनांक 06.07.2018 को बिल सं०-108 द्वारा रु०-379438.00 तथा दिनांक 19.07.2018 को बिल सं०-114 द्वारा रु०-353238.00 का भुगतान किया गया जबकि इस धनराशियों से 4 प्रतिशत वैट काटकर भुगतान किया जाना चाहिए था। गणना करने पर यह धनराशि रु०-29307.00 आती है। इस प्रकार रु०-29307.00 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-60—प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित पत्रावली के अभाव में ग्रांट रजिस्टर 2 में दिनांक 19.09.2018 को दर्शित व्यय रु०-77999.00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61—लेखा परीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना से सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में अनुदान पंजिका 2 में दिनांक 17.10.2018 को दर्शित व्यय रु०-1451407.00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62—चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत किदरापुर सम्पर्क मार्ग से सरकारी ट्यूबवेल तक पेवर ब्रिक सड़क निर्माण कार्य माप 300 मीटर से सम्बन्धित पत्रावली की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नांकित कमियाँ पाई गईं—

1. कार्य पूर्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।
2. मेसर्स एम०डी० कन्सट्रक्शन को रु०-757679.00 का भुगतान बिना वैट काटे कर दिया गया। वैट की

यह धनराशि रु०-30307.00 बनती है।

इस प्रकार रु०-30307.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजी प्रसाद जयसवाल एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप - 3

जनपद— कन्नौज

मण्डल — कानपुर

जनपद कन्नौज में स्थित क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा दौरान अधिभार योग्य पाये गये प्रस्तर

1. क्षेत्र पंचायत —छिबरामऊ

विकास खण्ड — कन्नौज

प्रस्तर सं०-1 आलोच्य वर्षों में ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार शासकीय अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर प्राप्त ब्याज एवं व्याज की धनराशियों के व्यय/वापस का विवरण निम्नवत है—

क्र.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	व्यय/वापस	वर्षांत शेष
1—	2011-12	16260.00	31562.00	4333.00	43489.00
2—	2012-13	43483.00	32732.00	59587.00	16634.00
3—	2013-14	16634.00	3286.00	19920.00	0.00
	योग=		67580.00	83840.00	

शासनादेश स.ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। अतः आलोच्य वर्षों में प्रारम्भिक शेष (वर्ष-2011-12) सहित अर्जित ब्याज रु. 83840.00 रहा। जिसे दिनांक-31.03.2014 तक पूर्णतः वापस/व्यय कर दिया गया। किन्तु इसके सन्दर्भ में कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त ब्याज की धनराशि शासन को वापस की गई या अनियमिततापूर्ण व्यय की गई। यदि उक्त धनराशि शासन को वापस की गई है तो उसके प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा और यदि उक्त धनराशि को संस्था स्तर पर व्यय किया गया है तो उसके लिए उत्तरदायी लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि शासन को प्रेषित की जाय।

(आ०सं०-16)

प्रस्तर सं०-2 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार तेरहवे वित्त खाते का आय-व्यय विवरण निम्नवत है—

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	836000	1765781	2601781	1165106	1436675
2	2012-13	1436675	1737930	3174605	1717195	1457410
3	2013-14	1457410	10795299	12252709	7698196	4554513
	योग=		14299010	18029095	10580497	

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में रु.10580497.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु.10580497.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाये।

(आ०सं०-17)

प्रस्तर सं०-3 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार आदर्श जलाशय योजना का आय-व्यय विवरण निम्नवत है—

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	733568	7822	741390	741390	0

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में रु.741390.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु.741390.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाये।

(आ०सं०-18)

प्रस्तर सं०-4 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार बायो गैस अनुदान का आय-व्यय विवरण निम्नवत है—

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	50000	24000	74000	58000	16000
2	2012-13	16000	56000	72000	72000	0
	योग=		80000	146000	130000	

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में रु. 130000.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु.130000.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाय।(आ0सं0-19)

प्रस्तर सं0-5 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार बारहवे वित्त खाते का आय-व्यय विवरण निम्नवत है-

क्र. स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	0	192115	192115	192115	0

इस प्रकार वर्ष 2011-12 में रु. 192115.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु.192115.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाय। (आ0सं0-20)

प्रस्तर सं0-6 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार सांसद निधि के अन्तर्गत ग्राम कमालपुर में 300 मीटर सी.सी. रोड के निर्माण का आय-व्यय विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	39333.00	9322.00	48655.00	48655.00	0.00

इस प्रकार सांसद निधि के अन्तर्गत ग्राम कमालपुर में 300 मीटर सी.सी. रोड के निर्माण में वर्ष 2011-12 में रु. 48655.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु.48655.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाय। (आ0सं0-21)

प्रस्तर सं0-07 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार सांसद निधि के अन्तर्गत नगला रोड से दीपकपुर रोड तक सी.सी. व नाली निर्माण का आय-व्यय विवरण निम्नवत है-

क्र. स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	130228.00	0.00	130228.00	0.00	130228.00
2	2012-13	130228.00	544500.00	674728.00	627297.00	47431.00
3	2013-14	47431.00	30543.00	77974.00	77974.00	0.00
	योग=		575043.00	882986.00	705271.00	

इस प्रकार सांसद निधि के अन्तर्गत उक्त निर्माण में आलोच्य वर्षों में रु. 705271.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु. 705271.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाय।

(आ0सं0-22)

प्रस्तर सं0-8 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत मधौली ग्राम सभा में 113 मीटर सी.सी. व नाली निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	34845.00	0.00	34845.00	34845.00	0.00

इस प्रकार विधायक निधि के अन्तर्गत उक्त निर्माण में वर्ष 2011-12 में रु. 34845.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु. 34845.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाय।

(आ0सं0-23)

प्रस्तर सं0-9 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत नगला दान सराय, धीरपुर नगरिया पुलिया निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष

1	2011-12	11352.00	94400.00	105752.00	105752.00	0.00

इस प्रकार विधायक निधि के अन्तर्गत उक्त निर्माण में वर्ष 2011-12 में रु. 105752.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु.105752.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाय।

(आ0सं0-24)

प्रस्तर सं0-10 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत चौधरी शिव दयाल विद्यालय के आगे सड़क किनारे नाला 110 मीटर निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नवत है—

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	118608.00	0.00	118608.00	118608.00	0.00

इस प्रकार विधायक निधि के अन्तर्गत उक्त निर्माण में वर्ष 2011-12 में रु. 118608.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु. 118608.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाय।

(आ0सं0-25)

प्रस्तर सं0-11 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत छिबरामऊ में पीपल मार्ग से राठौर के घर तक सी. सी.निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नवत है—

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	48808.00	0.00	48808.00	48808.00	0.00

इस प्रकार विधायक निधि के अन्तर्गत उक्त निर्माण में वर्ष 2011-12 में रु. 48808.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना प्रमाणक/पत्रावली के व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रु. 48808.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाये।

(आ0सं0-26)

प्रस्तर सं0-12 आलोच्य वर्षों में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार आयकर कटौती मद का विवरण निम्नवत है—

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2011-12	0	30650	30650	0	30650
2	2012-13	30650	80904	111554	108045	3509
3	2013-14	3509	832	4341	0	4341
	योग=	34159	112386	146545	108045	38500

आयकर आधिनियम 1961 (यथा सशोधित) की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है आयकर की कटौती एवं काटी गई धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। आलोच्य वर्षों में आयकर कटौती से रु.112386.00 प्राप्त हुए। जिसके सापेक्ष रु.108045.00 जमा/व्यय दर्शाए गए एवं रु.4341.00 अंतिम अवशेष के रूप में अंकित रहे। इस प्रकार कुल रु. 112386.00 के सन्दर्भ में कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त आयकर कटौती की धनराशि संदर्भित मद में जमा की गई या अनियमिततापूर्ण व्यय की गई। यदि उक्त धनराशि संदर्भित मद में जमा की गई है तो उसके प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा और यदि उक्त धनराशि को संस्था स्तर पर व्यय किया गया है तो उसके लिए उत्तरदायी लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारियों से उक्त धनराशि की सुसंगत ब्याज सहित वसूली कर धनराशि संदर्भित मद में जमा करायी जानी चाहिए।(आ0सं0-27)

प्रस्तर सं0-13 वित्तीय वर्ष 2013-14 में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार आदर्श जलाशय योजना वसूली से प्राप्त रु. 32207.00 दर्शाया गया है उक्त धनराशि को ग्रांट 02 रजिस्टर में जिला विकास अधिकारी को वापस करना दर्शाया गया है। किन्तु इसके सन्दर्भ में कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त धनराशि शासन को वापस की गई

या अनियमिततापूर्ण व्यय की गई। यदि उक्त धनराशि शासन को वापस की गई है तो उसके प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा और यदि उक्त धनराशि को संस्था स्तर पर व्यय किया गया है तो उसके लिए उत्तरदायी लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारियों से उक्त धनराशि की सुसंगत ब्याज सहित वसूली कर धनराशि शासन को प्रेषित की जाये। (आ0सं0-28)

प्रस्तर सं0-14 वित्तीय वर्ष 2013-14 में छिबरामऊ क्षेत्र पंचायत ग्रांट 02 रजिस्टर के अनुसार वृक्षों की नीलामी से प्राप्त धनराशि पर व्यय का विवरण निम्नवत है—

क्र.स.	वर्ष	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल आय	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	2013-14	0.00	32000.00	32000.00	32000.00	0.00

उक्त धनराशि को ग्रांट 02 रजिस्टर में सम्बंधित हेड में जमा दर्शाया गया है। किन्तु इसके सन्दर्भ में कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त धनराशि किसी हेड में जमा की गई है या अनियमिततापूर्ण व्यय की गई। यदि उक्त धनराशि सम्बंधित हेड में जमा की गई है तो उसके प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा और यदि उक्त धनराशि को संस्था स्तर पर व्यय किया गया है तो उसके लिए उत्तरदायी लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारियों से उक्त धनराशि की सुसंगत ब्याज सहित वसूली कर धनराशि शासन को प्रेषित की जाये।

(आ0सं0-29)

प्रस्तर सं0-15 वित्तीय वर्ष-2014-15 की लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी निर्माण पत्रावली एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। प्रिया सॉफ्ट में फीड वित्तीय वर्ष-2014-15 के आकड़ों के अनुसार रु. 3993903.00 का व्यय किया गया। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए रु. 3993903.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली समान रूप से सुसंगत ब्याज सहित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-11)

प्रस्तर सं0-16 आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 के वर्षांत शेष एवं 2015-16 के प्रारंभिक अवशेष में रु.1679642.00 का अंतर पाया गया—

क्र.स.	2015-16 के प्रारंभिक अवशेष (ग्रांट-03 के अनुसार)	वर्ष 2014-15 के वर्षांत शेष (प्रिया सॉफ्ट के अनुसार)	अंतर की धनराशि
1—	10522973.00	12202615.00	(-)1679642.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रारंभिक अवशेष में रु.1679642.00 कम दर्शाए गए हैं। इस प्रकार कुल धनराशि रु. 1679642.00 का सम्बंधित खातों से आहरण कर गबन कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। रु. 1679642.00 धनराशि की वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-12)

प्रस्तर सं0-17 वित्तीय वर्ष-2015-16 एवं 2016-17 में 13वां वित्त के अंतर्गत रु. 15516366.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 15516366.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-13)

प्रस्तर सं0-18 वित्तीय वर्ष-2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त के अंतर्गत रु. 10250263.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 10250263.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-14)

प्रस्तर सं0-19 वित्तीय वर्ष-2015-16 एवं 2016-17 में टेन्डर/जमानत मद के अंतर्गत रु. 547848.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 547848.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-15)

प्रस्तर सं०-20 वित्तीय वर्ष-2015-16 में आयकर कटौती मद के अंतर्गत रु. 4607.00 व्यय/जमा के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली/जमा रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। बिना प्रमाणक या पत्रावली/जमा रसीद के व्यय धनराशि रुपए 4607.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी सुसंगत ब्याज सहित वसूली समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-16)

प्रस्तर सं०-21 वित्तीय वर्ष-2015-16 में इंद्रा आवास प्रशासनिक मद के अंतर्गत रु. 250485.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 250485.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-17)

प्रस्तर सं०-22 वित्तीय वर्ष-2015-16 एवं 2016-17 में ब्लाक पाइका सेंटर मद के अंतर्गत धनराशि रु. 168000.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 168000.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-18)

प्रस्तर सं०-23 वित्तीय वर्ष-2016-17 में ब्लाक पाइका सेंटर टेंडर बिक्री/जमानत मद के अंतर्गत धनराशि रु. 3534.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 3534.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-19)

प्रस्तर सं०-24 वित्तीय वर्ष-2016-17 में रैपिड सर्वे मानदेय मद के अंतर्गत धनराशि रु. 248000.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 248000.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-20)

प्रस्तर सं०-25 वित्तीय वर्ष-2016-17 में एकाउण्ट 23195 (पी.एन.बी. छिबरामऊ) ब्याज मद के अंतर्गत धनराशि रु. 85562.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 85562.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-21)

प्रस्तर सं०-26 वित्तीय वर्ष-2016-17 में नवनिर्वाचित प्रधानों का प्रशिक्षण के मद के अंतर्गत धनराशि रु. 152704.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 152704.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-22)

प्रस्तर सं०-27 वित्तीय वर्ष-2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन मद के अंतर्गत धनराशि रु. 342780.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रुपए 342780.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली सुसंगत ब्याज सहित समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०-23)

प्रस्तर सं०-28 आलोच्य वर्षों के ग्रांट-03 रजिस्टर से दर्शित आय-व्ययों एवं प्रिया सॉफ्ट में फीड कराये गए आय-व्ययों की तुलना करने पर निम्न अंतर प्रकाश में आए-

विवरण	वर्ष-2014-15				वर्ष-2015-16				वर्ष-2016-17			
	प्रा. शेष	आय	व्यय	शेष	प्रा.शेष	आय	व्यय	शेष	प्रा.शेष	आय	व्यय	शेष
ग्रांट	-	-	-	-	10522973.	1120006	1021836	1150467	1150467	1874184	1737188	12874637.

रजिस्टर					00	8.00	2.00	9.00	9.00	5.00	7.00	00
प्रिया	85392	765725	399390	1220261	12202615.	1076501	3972986.	1899464	1899464	6394184.	6531969.	18856857.
सॉफ्ट	66.00	2.00	3.00	5.00	00	3.00	00	2.00	2.00	00	00	00
अंतर	—	—	—	—	(-)167964 2.00	435055. 00	6245376. 00	(-) 7489963. 00	(-) 7489963. 00	1234766 1.00	1083991 8.00	(-)598222 0.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा प्रिया सॉफ्ट में फीड कराये गए आय-व्यय तथा संस्था के वास्तविक आय-व्यय में पर्याप्त अंतर है स्पष्ट है कि संस्था द्वारा प्रिया सॉफ्ट में काल्पनिक आय-व्यय फीड करा कर उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने एवं वास्तविक सूचनाओं को छुपाने का प्रयास किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 एवं 468 के आलोक में अपराध है अतः तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-24)

2. क्षेत्र पंचायत- कन्नौज

जनपद- कन्नौज

प्रस्तर सं0-29 तुलापुर्वा में कलक्टर/दरोगा के मकान से मोतीलाल के मकान तक सी.सी. व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया, कि सामग्री आपूर्ति हेतु मात्र दो फर्मों से ही निविदायें ली गयी है जबकि नियमानुसार कम से कम तीन फर्मों से निविदा ली जानी चाहिये थी। संलग्न तुलनात्मक विवरण अनुसार बाँके बिहारी इंटरप्राइजेज प्रो. प्रियांश सिंह ग्राम-उदैतापुर की निविदा स्वीकृति की गयी, किन्तु पत्रावली में निविदाएँ स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित गठित कमेटी का कोई पत्र संलग्न नहीं है न ही यह स्पष्ट होता है कि किस दिन एवं किसके समक्ष निविदा खोली गयी।

स्वीकृत फर्म बाँके बिहारी इंटरप्राइजेज का लोक निर्माण विभाग कन्नौज का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कन्नौज से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र आदि संलग्न नहीं पाए गए। निविदा फॉर्म बिक्री से सम्बन्धित धन भी विकास खण्ड में जमा नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से निविदा स्वीकृत कर अनियमित रूप से कार्य कराया गया। अतः इस कार्य हेतु किये गए समस्त भुगतान अनियमित है।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कन्नौज के पत्रांक-67 दिनांक 15-12-16 द्वारा श्री सूर्यनाथ यादव को उपरोक्त कार्य हेतु कार्य प्रभारी बनाया गया था किन्तु आलोच्य वर्ष में किये गए भुगतानों पर आख्या ग्राम विकास अधिकारी श्री विकास यादव की लगी है। श्री सूर्य नाथ यादव के स्थान पर श्री विकास यादव को उक्त कार्य का प्रभारी नियुक्त किये जाने सम्बन्धी पत्र में कोई पत्रांक या दिनांक अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि श्री विकास यादव से भुगतानों पर बिना किसी आधार के आख्या ले कर समस्त काल्पनिक भुगतान दर्शाये गए है।

उक्त कार्य हेतु दर्शाए गए भुगतान का विवरण निम्नवत है-

बिल नं०/दिनांक	भुगतानित धनराशि	चेक नं०/दिनांक
1/6-30.03.2017	88479.00	039144/10-07-17
मस्टर रोल नं०-22/जून 2017	43940.00	039145/10-07-17
योग	132419.00	

उक्त मस्टर रोल की जाँच में पाया गया कि क्रमांक संख्या-1 पर दर्ज मिस्त्री श्री राम खिलावन को 11 दिनों का रु 320.00 से रु 3520.00 का भुगतान किया गया है जबकि मस्टर रोल पर दर्ज उपस्थिति के अनुसार सम्बन्धित द्वारा मात्र 10 दिन ही कार्य किया गया है। इस प्रकार उन्हें रु 320.00 का अधिक भुगतान करना दर्शाया गया है जो मस्टर रोल को काल्पनिक बनाता है।

कार्य आदेश पत्रांक-67 दिनांक 15-12-16 के क्रमांक-7 पर स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानीय प्रधान/क्षेत्र पंचायत के सदस्य के भी मस्टर रोल पर हस्ताक्षर कराए जाये किन्तु सम्बन्धित मस्टर रोल पर स्थानीय प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।

कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य करते समय श्रमिकों सहित एवं कार्य समाप्ति के बाद कार्य स्थल की फोटोग्राफी करा कर फोटो पत्रावली में संरक्षित नहीं की गयी।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण पर दर्शित समस्त व्यय काल्पनिक है।

उपरोक्त काल्पनिक भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम उदरेज, लेखाकार श्री संतोष कुमार पाल एवं कार्य प्रभारी श्री विकास यादव उत्तरदायी है। अतः व्यय की गयी धनराशि 132419.00 में से रु. 44140.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री राम उदरेज से, रु. 44140.00 लेखाकार श्री संतोष कुमार पाल एवं रु. 44139.00 कार्य प्रभारी श्री विकास यादव से सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।
(आ0सं0-10)

प्रस्तर सं0-30 कृषि बीज भण्डार की मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 04-01-2018 रु 27419.00 चेक सं० 178689 द्वारा श्री बाँके बिहारी इंटरप्राइजेज को सामग्री आपूर्ति का भुगतान किया गया है किन्तु सम्बन्धित भुगतान से टी.डी.एस. रु. 614.00 की कटौती नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार संतोष कुमार पाल एवं खण्ड विकास अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह यादव उत्तरदायी है। अतः उक्त दोनों अधिकारियों से रु. 614.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।
(आ0सं0-11)

प्रस्तर सं0-31 बरौली के मजरा हड़िया में बरौली मार्ग से कमलेश यादव के मकान होते हुए राम विलास के मकान तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

(1) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उ०प्र० लखनऊ के परिपत्र संख्या- 7399/एम.टी. /सामान्य वर्ग/ 60एम.टी./2008 दिनांक 16-09-08 के बिन्दु (1) के अनुसार निर्माण कार्य का प्रारम्भ के आगणन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायेगा एवं तदानुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की, कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डायग्राम संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि स्टीमेट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है।

(2) शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 द्वारा दिए गये निर्देश के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो सके। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बरौली के अन्तर्गत कराया गया है, जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा।

(3) उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति का ठेका नमन कांट्रेक्टर्स., निवासी युसुफपुर भगवान, मकरंद नगर, कन्नौज को दिया गया है। जिनके द्वारा निम्न विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्ति दर्शाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

(क) आपूर्ति की गयी सीमेंट का विवरण :

आमद की तिथि	मात्रा	दर	धनराशि
06-11-16	190 बोरी	280 / -	53200.00
19-11-16	500 बोरी	280 / -	140000.00
19-12-16	214 बोरी	280 / -	59920.00
12-04-17	71 बोरी	280 / -	19880.00
योग	975 बोरी		273000.00

(ख) आपूर्ति की गयी कोर सैंड का विवरण :

आपूर्ति की तिथि	मात्रा	दर	धनराशि
06-11-16	16.23 घनमीटर	1250 / -	20287.00
19-11-16	24.81 घनमीटर	1250 / -	31012.50
19-12-16	13.32 घनमीटर	1250 / -	16650.00
12-04-17	5.48 घनमीटर	1250 / -	6850.00
योग	59.84 घनमीटर		74799.00

(ग) आपूर्ति की गयी फाइन सैंड का विवरण :

आपूर्ति की तिथि	मात्रा	दर	धनराशि
	10.63 घनमीटर	900 / -	9567.00
	28.52 घनमीटर	900 / -	25668.00
	00.72 घनमीटर	900 / -	648.00
	2.25 घनमीटर	900 / -	2016.00
योग	42.12 घनमीटर		37899.00

(घ) आपूर्ति की गयी पत्थर गिट्टी (20 एम.एम.) :

आपूर्ति की तिथि	मात्रा	दर	धनराशि
06-11-16	7.23 घनमीटर	2461.40 / -	135746.21
19-11-16	55.15 घनमीटर	2461.40 / -	59615.10
19-12-16	24.22 घनमीटर	2461.40 / -	13586.93
12-04-17	5.52 घनमीटर	2461.40 / -	17795.92
योग	92.12 घनमीटर		226744.16

(ड.) आपूर्ति की गयी ईट गिट्टी (40एम.एम.) :

आपूर्ति की तिथि	मात्रा	दर	धनराशि
	57.86 घनमीटर	1250 / -	72325.00
	3.07 घनमीटर	1250 / -	3837.50
	4.66 घनमीटर	1250 / -	5825.00
	22.14 घनमीटर	1250 / -	27675.00
योग	87.73 घनमीटर		109662.00

(च) आपूर्ति की गयी ईट क्रय का विवरण :

आपूर्ति की तिथि	मात्रा	दर	धनराशि
06-11-16	17000	7000 / -	119000.00
19-12-16	1843	7000 / -	12901.00
12-04-17	2096	7000 / -	14672.00
योग	20939		146573.00

(छ) आपूर्ति की गयी पॉलिथीन का विवरण :

आपूर्ति की तिथि	मात्रा	दर	धनराशि
19-11-16	485.39	6 / -	2912.34
19-12-16	293.16	6 / -	1758.96
योग	778.55		4670.00

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य 01-03-2017 से प्रारम्भ होकर 31-05-2017 को समाप्त हुआ। जबकि उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री की प्रथम आमद 06-11-2016, द्वितीय आमद 19-11-2016 (जिसे उपरिलेखन कर 19-12-2016 बनाया गया है), तृतीय आमद 19-12-2016 एवं चौथी आमद 12-04-2017 को दर्शायी गयी है, इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति उतना पूर्व में प्राप्त करना एवं उसका भुगतान किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं रहा। 90 दिनों की अवधि के बाद सीमेंट पूरी तरह से निष्प्रयोज्य हो जाती है। अर्थात् निर्माण कार्य में निष्प्रयोज्य सीमेंट का प्रयोग किया गया है।

(4) सामग्री आपूर्ति की पुष्टि में संदर्भित फर्मों के वैध रवन्ना पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट न हो सका कि सामग्री आपूर्ति संस्था को ही की गई है।

(5) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल पर प्राप्त हुई सामग्री की गिनती/माप नहीं की गई और न ही सामग्री को माप पुस्तिका में दर्ज ही किया गया।

(6) प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक 3891/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक 05-08-2002 एवं शासनादेश सं० 3385/86-2015-292-दिनांक 15-10-15 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली उप खनिजों (गिट्टी, साधारण बालू, मौरंग, इमारती पत्थर, मिट्टी आदि) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.-11) द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है। साथ ही रायल्टी भुगतान का ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाये तथा जिन मामलों में बिना रायल्टी के भुगतान किये उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी है उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि की कटौती कर धनराशि कोषागार में जमा कराया जाये। उक्त शासनादेशों के बिन्दु (3) में की गई व्यवस्था के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा उपखनिज की आपूर्ति बिना वैध अभिवहन प्रथम (एम.एम.-11) के करने के फलस्वरूप रायल्टी का 5 गुना आपूर्तिकर्ता के बिलों से कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।

उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों की आपूर्ति बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.-11) में की गयी है। अतः इन उपखनिजों पर निम्नवत रायल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क की कटौती की जानी चाहिए थी

क्रमांक	उपखनिज का नाम	मात्रा (घन मी.)	रायल्टी की दर/घन मी.	रायल्टी की धनराशि	दण्डात्मक शुल्क की धनराशि
1	कोर सैंड	59.84	33/-	1975.00	9875.00
2	फाइन सैंड	42.12	33/-	1390.00	6950.00
3	स्टोन ग्रेट	92.12	150/-	13818.00	69090.00
				17183.00	85915.00

किन्तु सम्बन्धित जिलों का भुगतान करते समय उक्त रायल्टी की कटौती नहीं की गई है। जबकि शासनादेश की भावना के अनुसार भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त रायल्टी की कटौती कर ही शेष भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त रायल्टी रु. 17183.00 एवं उस पर दण्डात्मक शुल्क रु. 85915.00 वसूल न करने के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री संतोष कुमार पाल एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम उदरेज उत्तरदायी हैं। अतः उनसे रायल्टी एवं दण्डात्मक शुल्क की कुल धनराशि रु. 103098.00 ब्याज सहित वसूल कर लेखा शीर्षक "0853"— अवैध खनन एवं धातु कर्म उद्योग— 102 खनिज रियायत शुल्क किराया एवं स्वत्व शुल्क में जमा कराया जाना चाहिए।

(7) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 49 के अनुसार दैनिक मजदूरों से निर्माण कार्य कराए जाने पर प्रपत्र संख्या 12 में मस्टर रोल तैयार किया जायेगा। मस्टर रोल में श्रमिकों के नाम उनकी उपस्थिति के क्रम में अंकित किये जायेंगे तथा मस्टर रोल कार्यस्थल पर ही तैयार किया जायेगा।

उक्त निर्माण कार्य में मस्टर रोल क्रमांक 01 में क्रमांक 01 व 02 पर क्रमशः श्री आलोक व श्री जगजीवन के नाम अंकित हैं। किन्तु उन्हें प्रथम दो दिन ही अनुपस्थित दर्शाया गया है। इसी प्रकार क्रमांक 03 व 04 पर श्री अशोक व श्री विजय का नाम अंकित है, किन्तु उन्हें प्रथम 03 दिन अनुपस्थिति दर्शाया गया है। इसी प्रकार क्रमांक 10 पर श्री संग्राम को प्रथम दिन अनुपस्थिति दर्शाया गया है। इसी प्रकार मस्टर रोल संख्या-02 में क्रमांक 06 पर श्री दयाराम क्रमांक 09 पर श्री विजय व क्रमांक 12 पर श्री रामकुमार का नाम अंकित है। किन्तु इन्हें क्रमशः प्रथम दिन, प्रथम 2 दिन, व प्रथम दिन अनुपस्थिति दर्शाया गया है।

इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यस्थल पर उपस्थिति मजदूरों के आधार पर तैयार न कर काल्पनिक रूप से तैयार किये गये हैं। अर्थात् काल्पनिक मस्टर रोलों के आधार पर मजदूरी व्यय का भुगतान दर्शाया गया है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया। काल्पनिक खरीद प्रमाणों एवं काल्पनिक मस्टर रोलों के आधार पर भुगतान दर्शाकर रु. 1031771.00 (सामग्री— 869913.00 व श्रमांश— 161858.00) राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि 1031771.00 में से तत्कालीन लेखाकार श्री संतोष कुमार पाल से रु. 515885.00, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम उदरेज से रु. 474514.00 एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव से रु. 41372.00 की सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(आ0सं0-12)

प्रस्तर सं0-32 विकास खण्ड— कन्नौज के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 सोलर लाइट की स्थापना कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई —

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर उक्त सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जानी है, का निर्धारण किस आधार पर किया गया, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

पत्रावली में सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कोई सूची संलग्न नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि उक्त सोलर स्ट्रीट लाइटें किन-किन स्थानों पर तथा किस-किस क्षमता की लगाई जानी थी।

(2) सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु रु. 20,000,000.00 (बीस लाख) का अनुमान तैयार किया गया। नियमानुसार रु. 10,00,000.00 (दस लाख) से अधिक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति शासन से प्राप्त करने के बाद ही उनके निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए। किन्तु उक्त स्ट्रीट लाइट का कार्य शासन की स्वीकृति के बिना ही कराया गया है। जो अनियमित रहा।

(3) उक्त कार्य हेतु आमंत्रित टेण्डर दिनांक 21-12-16 को खण्ड विकास अधिकारी, कन्नौज द्वारा स्वयं खोलकर स्वीकृति की गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) के अनुसार-टेण्डर, जे.ई. (आर.ई.एस.) एवं एक अन्य सहायक विकास अधिकारी की उपस्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा खोले जाने चाहिए। इस प्रकार टेण्डर खोलने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

(4) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (5) के अनुसार प्राप्त टेंडरों का एक तुलनात्मक चार्ट तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपनी सिफारिशों सहित टेण्डर स्वीकृति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही टेण्डर स्वीकृति किया जायेगा। जबकि उक्त प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही टेण्डर स्वीकृति को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया गया है।

(5) दिनांक 21-12-16 को अनियमित टेण्डर प्रक्रिया द्वारा ए.ए.आर ट्रेडर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स, 118/394, कौशलपुरी, गुमटी नं० 05 कानपुर नगर को उक्त टेण्डर देकर खण्ड विकास अधिकारी, कन्नौज के कार्यालय पत्रांक 71 दिनांक 23-12-16 द्वारा उन्हें सामग्री आपूर्ति हेतु पत्र जारी किया गया। जिसके परिपालन में निम्न विवरण के अनुसार सोलर स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कर भुगतान प्राप्त किया गया

आपूर्ति की तिथि	कैशमेमो सं०	सोलर लाइट की संख्या	भुगतान की धनराशि	चेक सं०	टी.डी.एस कटौती	नेट पेमेण्ट
30-12-16	4 / 179	50	995000.00	025564	26467.00	968533.00
15-03-17	4 / 189	33	656700.00	039139	17468.00	639232.00
20-06-17	40 / 459	17	338300.00	039143	8999.00	329301.00
	योग	100	1990000.00		52934.00	1937066.00

(क) पत्रावली में संलग्न कैशमेमो के साथ फर्म का सामग्री आपूर्ति चालान संलग्न नहीं है जिससे सोलर लाइट सामग्री आपूर्ति अपुष्ट रही।

(ख) क्रय की गई सोलर लाइटों के गारंटी कार्ड, उनमें लगी बैटियों के क्रमांक आदि विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(ग) उक्त टी.डी.एस कटौती की जमा की पुष्टि में कोई प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे टी.डी.एस सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जा चुका है, अथवा नहीं; स्पष्ट नहीं हो सका।

(घ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के अनुसार प्राप्त हुई सभी सामग्री की गिनती की जाएगी, और उन्हें यथोचित रीत से माप पुस्तकों में दर्ज किया जायेगा। उक्त कार्य की माप पुस्तिका (एम.बी.) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से स्पष्ट न हो सका कि उक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों की गिनती कर उन्हें माप पुस्तिका में दर्ज कर लिया गया है।

(ङ.) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 45 के अनुपालन में उक्त स्ट्रीट लाइटों का लेखा तैयार नहीं किया गया है।

(च) कार्य के पूर्व, मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ लेकर पत्रावली में संरक्षित नहीं किये गये जो अपेक्षित रहे।

(छ) उक्त सोलर लाइटों का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा उनका भौतिक सत्यापन कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं किया गया।

(ज) उक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्षेत्र पंचायत की अचल सम्पत्ति रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया। जबकि कैशमेमो के पृष्ठ भाग में अचल सम्पत्ति रजिस्टर के पृष्ठ का अंकन किया जाना चाहिये था।

(झ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की जांच कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। जिससे उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत कन्नौज द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के नाम पर मात्र कागजी खानापूर्ति कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु. 1990000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम उदरेज, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, लेखाकार श्री संतोष कुमार पाल एवं कार्य प्रभारी श्री सदानन्द दीक्षित पर दायित्व निर्धारित कर सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना चाहिए।

(आ0सं0-13)

प्रस्तर सं०-33 हीराताल के निकट कृष्णानगर में मुख्य मार्ग से उमेश द्विवेदी के मकान तक इंटरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मात्र दो फर्मों से ही निविदायें ली गयी। सम्बन्धित निविदा आमंत्रण, जिस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था उसकी भी प्रति संलग्न नहीं है।

संलग्न अल्पकालीन निविदा फार्म में निविदाकर्ता का नाम भी अंकित नहीं है न ही सम्बन्धित निविदा कर्ता से अनेस्ट मनी ही जमा करायी गयी।

तुलनात्मक विवरण में भी दो ही फर्मों की तुलनात्मक चार्ट तैयार किया गया। जबकि कम से कम तीन फर्मों से निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये। निविदा स्वीकृत करने हेतु कमेटी भी गठित नहीं की गयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सदर कन्नौज के पत्रांक-72/स.ले./आपूर्ति आदेश/2016-17 दिनांक 23-12-18 द्वारा श्री बाँके बिहारी इंटरप्राइजेज को सामग्री आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 23-12-18 से पूर्व किये गए समस्त भुगतान फर्जी है।

विवरण निम्नवत है –

बिल नं०/दिनांक	बिल की धनराशि	फर्म का नाम	भुगतान की धनराशि	चेक नं०/दिनांक
1/7- 30.03.2017	189537.00	बाँके बिहारी इंटरप्राइजेज	183584.00	039148 / 21-08-17
मस्टर रोल भुगतान/ मई-17 -जून-17	70708.00	सतानंद दीक्षित	70708.00	039149 / 21-08-17
योग			254292.00	

इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव एवं लेखाकार श्री संतोष कुमार पाल उत्तरदायी है। जिनसे उक्त धनराशि सुसंगत ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित रही।

(आ०सं०-14)

प्रस्तर सं०-34 विकास खण्ड परिसर में आवासीय/अनावासीय भवनों की मरम्मत कार्य :-

- तकनीकी स्वीकृत अधिशासी अभियंता ग्राम अभियंत्रण विभाग जनपद कन्नौज से प्राप्त की गयी है।
- प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
- उक्त कार्य हेतु आमंत्रित टेण्डर को खण्ड विकास अधिकारी, कन्नौज द्वारा स्वयं खोलकर स्वीकृति की गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(4) के अनुसार-टेण्डर, जे.ई. (आर.ई.एस.) एवं एक अन्य सहायक विकास अधिकारी की उपस्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा खोले जाने चाहिए। इस प्रकार टेण्डर खोलने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- खण्ड विकास अधिकारी कन्नौज द्वारा स्वयं निविदाएं खोलकर स्वीकृत कर दी गयी है।
- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (5) के अनुसार प्राप्त टेण्डरों का एक तुलनात्मक चार्ट तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपनी सिफारिशों सहित टेण्डर स्वीकृति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही टेण्डर स्वीकृति किया जायेगा। जबकि उक्त प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही टेण्डर स्वीकृति को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया गया है।

• मस्टररोल का विवरण निम्नवत है –

मस्टर रोल नं०	दिनांक	धनराशि
1	01 जनवरी से 15 जनवरी 2017 तक	44370.00
2	16 जनवरी से 24 जनवरी 2017 तक	22968.00
3	01 से 15 फरवरी 2017 तक	53006.00
4	01 से 15 फरवरी 2017 तक	52546.00
5	16 से 28 फरवरी 2017 तक	48308.00
6	01 से 12 मार्च 2017 तक	26516.00
7	16 से 31 मार्च 2017 तक	42540.00
8	01 से 15 अप्रैल 2017 तक	40974.00
9	16 से 23 अप्रैल 2017 तक	24996.00
10	01 से 03 मई 2017 तक	2700.00

मस्टर रोलों में निम्न आपत्तियां पायी गयी हैं –

- मस्टर रोल विकासखण्ड से किस तिथि व किस क्रमांक में जारी किया गया, मस्टर रोल में अंकित नहीं किया गया है।
- मस्टर रोलों में श्रमिकों का पता अंकित नहीं है। मस्टर रोलों में श्रमिकों की भुगतान प्राप्त करते समय अंकित हस्ताक्षर एवम् निशान अंगूठा एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये प्रतीत होते हैं।
- मस्टर रोलों में कार्य का विवरण अंकित नहीं किया गया है। समस्त भुगतान नकद किये गये हैं।
- मस्टर रोल कार्य स्थल में न तैयार कर एक स्थान पर बैठकर काल्पनिक रूप से तैयार किये गये हैं। जिसकी पुष्टि निम्न तथ्य से होती है—

(क) मस्टर रोल 7.01 में क्रमांक 08 पर श्री मनोज पुत्र श्री शम्भू एवम् क्रम 16 पर श्री राजू पुत्र श्री हरि राम का नाम अंकित है जबकि वह प्रथम कार्य दिवस में अनुपस्थित दर्शाये गये हैं।

(ख) मस्टर रोल 02 क्रमांक 06 में ईश्वर दयाल पुत्र श्री मिश्री लाल का नाम अंकित है। जबकि वह प्रथम कार्य दिवस में अनुपस्थित दर्शाये गये हैं।

(ग) मस्टर रोल क्रमांक 03 –

क्रमांक 02— राजेश पुत्र श्री प्रकाश प्रथम दो दिन अनुपस्थित रहे।

क्रमांक 03— बलराम पुत्र छोटे लाल प्रथम दो दिन अनुपस्थित

क्रमांक 05— श्री रमेश यादव पुत्र राम रतन यादव अनुपस्थित रहे।

क्रमांक 07— राकेश पुत्र राम रतन प्रथम दिन अनुपस्थित

क्रमांक 11— राम निवास पुत्र नत्थू प्रथम दिन अनुपस्थित

क्रमांक 14— मनीराम पुत्र नत्थू प्रथम दिन अनुपस्थित

क्रमांक 15— राम निवास पुत्र प्रेमचन्द्र प्रथम दिन अनुपस्थित

क्रमांक 13— राजेश पुत्र रामदास प्रथम दो दिन अनुपस्थित

मस्टर रोल क्र०04— निल

मस्टर रोल क्र० 05—

क्रम 10	ईश्वर दयाल पुत्र मिश्री लाल	प्रथम दिन अनुपस्थित

मस्टर रोल क्र० 06—

क्रम 01	दीपचन्द्र पुत्र राजेन्द्र	प्रथम दो दिन अनुपस्थित

मस्टर रोल क्र० 07—

क्रम 03	राम लखन पुत्र छम्भन	प्रथम दिन अनुपस्थित
क्रम 07	मनोज पुत्र काली चरण	प्रथम दो दिन अनुपस्थित
क्रम 08	राम लखन पुत्र छम्भन	प्रथम दिन अनुपस्थित
क्रम 09	राम लखन पुत्र छम्भन	प्रथम तीन दिन अनुपस्थित
क्रम 11	राधे पुत्र मनोहर	प्रथम दिन अनुपस्थित

मस्टर रोल क्र० 08—

क्रम 11	राधे पुत्र मनोहर	प्रथम दिन अनुपस्थित
क्रम 12	कामता पुत्र हरि शंकर	प्रथम दो दिन अनुपस्थित
क्रम 15	लालाराम पुत्र अवधेश	प्रथम दिन अनुपस्थित
क्रम 16	मनोज पुत्र कामता	प्रथम दिन अनुपस्थित
क्रम 17	सुरेश पुत्र मुरली	प्रथम दिन अनुपस्थित

मस्टर रोल क्र० 09—

क्रम 09	लल्ला पुत्र ब्रजकिशोर	प्रथम दिन अनुपस्थित
क्रम 10	श्याम पुत्र ब्रजकिशोर	प्रथम दो दिन अनुपस्थित
क्रम 11	राधे पुत्र मनोहर	प्रथम दिन अनुपस्थित
क्रम 15	लाला पुत्र अवधेश	प्रथम दिन अनुपस्थित

उक्त से स्पष्ट है कि प्राप्त धन का उपभोग प्रदर्शित करने हेतु काल्पनिक/फर्जी मस्टर रोल तैयार किये गये जो गम्भीर आपत्तिजनक है। काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करने एवम् धन का अपहरण करने के लिए उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवम् सम्बन्धित अधिकारियों से रु. 358924.00 वसूल

किया जाना अपेक्षित है। उक्त धनराशि बी.डी.ओ./कार्यप्रभारी/जे.ई.ई-आर.ई.एस./लेखाकार से समानुपातिक रूप से सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-15)

प्रस्तर सं0-35 आलोच्य वर्ष की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त आदि से निम्नांकित कार्य किये गए जिनके भुगतान से वैट की कटौती कम की गयी / नहीं की गयी।

क्रम सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बिक्री की धनराशि	वैट जो काटा जाना चाहिये	वैट जो काटा गया	कम काटा गया
1	तुलापुरा में कलेक्टर/दरोगा के मकान तक सी.सी. व नाली निर्माण	बाँके बिहारी इंटरप्राइजेज	92168.00	3687.00	1237.00	2450.00
2	बरौली मजरा भुडिया में रामविलास के मकान तक वाया कमलेश यादव के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	नमन कांटेक्टर	155253.00	6210.00	3076.00	3134.00
3	उपरोक्त का कार्य	नमन कांटेक्टर	62798.00	2512.00	898.00	1614.00
4	(1) सोलर लाइट अवस्थापना	ए.ए.आर. ट्रेडर्स	656700.00	26268.00	—	26268.00
	(2) सोलर लाइट अवस्थापना	ए.ए.आर. ट्रेडर्स	33830.00	13532.00	—	13532.00
5	विकास खण्ड परिसर में आवासीय व अनावासीय भवनों की मरम्मत	स्टार ट्रेडर्स	23805.00	920.00	96.00	824.00
				53129.00	5307.00	47822.00

इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम उदरेज, इन्द्रपाल सिंह, श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव एवं लेखाकार श्री संतोष कुमार पाल उत्तरदायी है। जिनसे उक्त धनराशि सुसंगत ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित रही। (आ0सं0-16)

3. क्षेत्र पंचायत –तालग्राम

विकास खण्ड – कन्नौज

प्रस्तर सं0-36 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत निम्न इंटरलॉकिंग कार्यों की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी—

क्रमांक	कार्य का नाम	धनराशि	सामग्री	श्रमांश	कार्य प्रभारी
1—	वि.ख.परिसर में सी.सी.रोड से मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	104284.00	88011.00	16273.00	श्री लाल सिंह (ग्रा.प. /वि.अधि.)
2—	तिर्वा रोड यादव नगर से लल्ला बाबा के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	712751.00	609151.00	103600.00	श्री लाल सिंह (ग्रा.प. /वि.अधि.)
3—	जी.टी रोड रामाश्रय से कछुपुरा हरदेवा तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	655497.00	553472.00	102025.00	श्री लाल सिंह (ग्रा.प. /वि.अधि.)
4—	ग्राम पंचायत बिराहिमपुर में	739398.00	627118.00	112280.00	श्री लाल सिंह (ग्रा.प.)

	प्रा.पा. तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य				/वि.अधि.)
5-	ग्राम परीक्षितपुर में निजामपुर संपर्क मार्ग से काली मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	206999.00	176899.00	30100.00	श्री मुनीश कुमार गौड (सहा. विकास अधि. सहकारिता)
	योग=	2418929.00			

क-कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399 एम.टी. /सामान्य वर्ग/60एम.टी./2008/दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।

ख- इंटरलॉकिंग बिछाने से पूर्व तैयार की गयी एस.ओ.बी. की स्ट्रेन्थ जांचने हेतु सी.बी.आर. टेस्ट नहीं कराया गया, जिससे एस.ओ.बी. की स्ट्रेन्थ गुणवत्ता संदिग्ध रही।

ग- लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी.ई.सी./जेड सामान्य/07 दिनांक- 31.01.2007 तथा आई. आर.सी. -एस.पी.-63-2004 द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में पेवर ब्लॉक के कोम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ/गुणवत्ता जाँच के प्रावधान किये गए हैं, तथा 30 एम.पी.ए. से कम शक्ति का टायल्स का प्रयोग मान्य नहीं है। किन्तु उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त इंटरलॉकिंग टायल्स की स्ट्रेन्थ की लैब टेस्टिंग न कराये जाने से प्रयुक्त इंटरलॉकिंग के अधोमानक होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

घ- उक्त निर्माण कार्यों की परिमाण पुस्तिका तैयार नहीं की गयी है, जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम 35 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की माप कर माप पुस्तिका में अंकन किया जायेगा तथा नियम 36 के अनुसार कार्य की माप कर कार्य के परिणाम को माप पुस्तिका में अंकन किया जायेगा। माप पुस्तिका तैयार किये जाने एवं कार्य के परिणाम के अनुरूप ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार कार्य के परिणाम का मापन किये बिना ही, निर्माण कार्य की लागत का भुगतान किया गया है।

ड- लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।

च- संदर्भित निर्माण किस योजना से कराया गया है एवं कितनी धनराशि व्यय की गयी है, का उल्लेख करते हुए निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड नहीं लगाया गया है। स्पष्ट है कि कार्य मानक के अनुरूप न किये जाने के कारण, उसे आम जनता से छिपाया गया है।

ज- उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता सम्बंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

ट- निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कियाजाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है जो आपत्तिजनक रहा।

छ-कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संदर्भित इंटरलॉकिंग कार्य अधोमानक एवं विभागीय नियमों एवं निर्देशों की अवहेलना कर कराया गया है अतः उक्त कार्यों हेतु कराये गए भुगतान रु.2418929.00 की पुष्टि नहीं की जाती है। उक्त अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी, अवर अभियंता एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसके लिए उक्त लोगों से उक्त धनराशि की वसूली सुसंगत ब्याज सहित अपेक्षित है।

(आ0सं0-15)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद- कानपुर देहात

मण्डल- कानपुर नगर

प्रारूप

1. क्षेत्र पंचायत - डेरापुर

जनपद- कानपुर देहात

मण्डल- कानपुर नगर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2018-19

रू0— 40461.00 को

प्रस्तर सं0-1-वर्ष 2018-19 में आंगनवाड़ी पंचायत राज मद का धन रू0 40,461.00 न ही लोक हित में व्यय न ही शासन को वापस किया गया, इस प्रकार गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा श्री अभिराम द्विवेदी एवं श्री पदुम्न कुमार व लेखाकार श्री सोनेलाल संखवार जिम्मेदार हैं, इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए धनराशि सम्बन्धित संस्था को वापस की जाये।

2. क्षेत्र पंचायत — मैथा जनपद— कानपुर देहात मण्डल— कानपुर नगर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2017-18 व 2018-19 रू0—160000.00 को

प्रस्तर सं0-2 — दिनांक— 30.04.2017 को चेक सं0 000030 के द्वारा रू0—160000.00 का भुगतान राम कंस्ट्रक्शन को इण्टर लॉकिंग ईट हेतु बिना मजदूरी भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी, इसके सम्बन्ध में बिना भौतिक सत्यापन प्राप्त किए रू0 1,60,000.00 का सामग्री कय हेतु भुगतान किया गया, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ बर्नवाल व पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 एवं 45 (3) के अन्तर्गत इसे अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व जे0ई से की जाये।

मूल आपत्ति सं0-13

प्रस्तर सं0-3 — खड़जा निर्माण दलपतपुर से बेहटा तक में 177.00 घन मीटर मिट्टी का उपभोग किया गया। अतः 30.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0— 5310.00 को रायल्टी का भुगतान न कर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ बर्नवाल व लेखाकार श्री रजनीश पाल से ब्याज सहित वसूली की जाये।

मूल आपत्ति सं0-17

प्रस्तर सं0-4-वर्ष 2018-19 में निविदा कार्य टेण्डर आयोजित किया गया, जिसमें 06 निर्माण कार्य की निविदा दर प्रति फार्म रू0 550.00 रही। 18 निविदा फार्मों की बिक्री का मूल्य रू0— 9900.00 को आय-व्यय विवरण में अंकित न कर गबन किया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ बर्नवाल व पटल प्रभारी श्री रजनीश पाल से ब्याज सहित की जाये।

मूल आपत्ति सं0-15

3. क्षेत्र पंचायत — सरवनखेड़ा जनपद— कानपुर देहात मण्डल— कानपुर नगर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2017-18 व 2018-19

प्रस्तर सं0-5- जनवरी 2018 में ग्राण्ट रजिस्टर 3 में रू0 7010.00 का व्यय इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद में दर्शित है। व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न कर तथा रू0— 7010.00को ग्राण्ट रजिस्टर-II में व्यय न दर्शाकर धनराशि का गबन किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बनराय एवं लेखाकार श्री सुरेश अवस्थी से ब्याज सहित की जाये।

मूल आपत्ति सं0-2

प्रस्तर सं0-6 — निवेदिता फिलिंग सेन्टर के बिल में निम्न कमियां पायीं गयीं—

1. बिल में पर्ची नं0 2125 से 2138 तक लगातार लगी हैं, जिससे प्रतीत होता है कि पर्ची फर्जी हैं,।

2. बिल का भुगतान 39684.00 किया गया, जबकि पर्चियों में धनराशि 20625.26 रही। इससे प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण धनराशि का फर्जी भुगतान किया गया।

अतः फर्जी पर्ची लगाकर फर्जी बिल तैयार कर रू0—39684.00 का गबन किया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र नारायण अवस्थी से ब्याज सहित की जाये।

मूल आपत्ति सं0-3

प्रस्तर सं0-7- कार्य टाइप 2 आवास में क्षेत्र पंचायत सरवनखेड़ा में एम0बी0 बुक में बिना मैजरमेंट के एक्सट्रैक्टड कॉस्ट निकाल कर भुगतान किया गया, जिससे रू0 142909.68 का गबन किया गया। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बनराय एवं लेखाकार श्री सुरेश नारायण अवस्थी एवं जे0ई0आर0ई0एस0 श्री राजकुमार कुशवाहा से ब्याज सहित की जाये।

मूल आपत्ति सं0-4

प्रस्तर सं0-8- कार्य टाइप 2 आवास में एम0बी0 बुक में बिना मैजरमेंट के एक्सट्रैक्टड कॉस्ट निकाल कर भुगतान कर धनराशि रू0 169223.30 का गबन किया गया। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिशंकर मैथिल एवं लेखाकार श्री सुरेश नारायण अवस्थी एवं जे0ई0आर0ई0एस0 श्री राजकुमार कुशवाहा से ब्याज सहित की जाये।

मूल आपत्ति सं0-5

4. क्षेत्र पंचायत — संदलपुर जनपद— कानपुर देहात मण्डल— कानपुर नगर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2017-18 व 2018-19

प्रस्तर सं०-9—वर्ष 2018-19 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों में आई0टी0 जी0एस0टी0व लेबर सेस मदों में ₹0 544725.00 को सम्बन्धित संस्थाओं में जमा के सन्दर्भ में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः ₹0 544725.00 का गबन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसकी वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

5. क्षेत्र पंचायत — अकबरपुर जनपद— कानपुर देहात मण्डल— कानपुर नगर
लेखा परीक्षा वर्ष— 2017-18 व 2018-19

प्रस्तर सं०-10—क्षेत्र पंचायत अकबरपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में ग्राम खोखा के लोकराम के घर से आजाद अली के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर ₹0 101521.00 व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा एम0बी0 बुक अप्राप्त रही। जिससे कार्य पूर्णता की वैधता अपुष्ट रही। जिसमें ₹0 101521.00 अनियमित व्यय की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय व लेखाकार श्री नृपेन्द्र मिश्रा से ब्याज सहित की जाये।

मूल आपत्ति सं०-8

6. क्षेत्र पंचायत — अकबरपुर जनपद— कानपुर देहात मण्डल— कानपुर नगर
लेखा परीक्षा वर्ष— 2017-18 व 2018-19

प्रस्तर सं०-11—क्षेत्र पंचायत अकबरपुर में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु क़य की गयी सामग्री में फ़र्मों से व्यापार कर ₹0-12602.00 नहीं लिया गया। जिसमें राजकीय राजस्व की क्षति कर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं लेखाकार श्री नृपेन्द्र मिश्रा से ब्याज सहित वसूली कर क्षतिपूर्ति की जाये। **मूल आपत्ति सं०-9**

7— क्षेत्र पंचायत — अकबरपुर जनपद— कानपुर देहात मण्डल— कानपुर नगर
लेखा परीक्षा वर्ष— 2017-18 व 2018-19

प्रस्तर सं०-12—वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत कार्यालय जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्युत वायरिंग आदि कार्य में ₹0 315337.00 सामग्री एवं 14224.00 मजदूरी कुल ₹0-329561.00 किया गया। इस कार्य हेतु निविदा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी जब कि अधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में की जानी चाहिए, तकनीकी स्वीकृति के प्रमाण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, उपरोक्त कार्य प्रारम्भ के पूर्ण कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के फोटोग्राफ अप्राप्त रहे। अतः ₹0 329561.00 के में गम्भीर अनियमितता की गयी है। एवं कार्य की वैधता संदिग्ध प्रतीत होती हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं लेखाकार श्री नृपेन्द्र मिश्रा से ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जाये।

मूल आपत्ति सं०-10

प्रारूप-3

जनपद:— कानपुर नगर मंडल का नाम—कानपुर

1. क्षेत्र पंचायत- बिधनू वर्ष— 2018-2019

प्रस्तर 1 वर्ष 2017-18 में निविदा प्रकाशन तिथि 14 मार्च तथा कार्य प्रारम्भ मार्च के अन्त से मई 2018 तक के उक्त कार्यों का भुगतान वर्ष 2018-19 के सत्र में किया गया। निविदा का अनुबन्ध करते समय निविदा अनुबन्ध की धनराशि में 12 प्रति0 जी0एस0टी0 के साथ 1 प्रति0 लेबर सेस भी जोड़ दिया गया है। जबकि भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत केन्द्रीय उपकर नियमावली 1998 के नियम सं० 5 के अनुसार इस प्रकार उपकर सेल में काटी गयी धनराशि सम्बन्धित शासकीय विभाग कार्यदायी संस्था, उद्यम निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड को संग्रह के 30 दिनों के अन्दर प्रेषित की जानी है। सम्बन्धित विभागों द्वारा देय विपत्रों से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में निर्माण का 1 प्रति0 की दर से उपकर (सेस) की धनराशि कटौती कर के बोर्ड के पक्ष में उसी प्रकार एवं उसी भावनारूप जमा करवायी जाये। जिस

प्रकार से देय आयकर की धनराशि वसूल की जाती है। अतः संस्था द्वारा अनुबन्ध की राशि के साथ 1 प्रति0 लेबर सेस जोड़ा जाना अनियमित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	विवरण/कार्य का नाम	लेबर सेस जो अनुबन्ध की धनराशि में 1 प्रति0 जोड़ा गया	लेबर सेस जो बिलों से काटा गया
1	ग्राम पं० कठारा के मजरा दयालपुर में बाला जी मन्दिर के पास इ.टरलाकिंग कार्य।	8811.00	8774.00
2	ग्राम पं० मंझावन में चन्द्रशेखर की चक्की से एहसान के दरवाजे शिव मन्दिर तक इ.टरलाकिंग।	5446.00	5421.00
3	ग्राम पं० जरकला में संतराम के दरवाजे से देवी जी के चबूतरे तक इ.टरलाकिंग।	6967.00	7243.00
4	ग्राम पं० पतेहुरी (मन्नीपुरवा) में रामस्वरूप के मकान से चन्द्रिका प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4800.00	5796.00
5	ग्राम पं० भारू में शशिभान के दरवाजे से बाबू सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	6024.00	6022.00
6	ग्राम पं० पिपरगवां में पिकू के दरवाजे से कंघई के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5227.00	5258.00
7	ग्राम पं० ओरियारा में रामस्वरूप कुशील के दरवाजे से रामकृपाल यादव के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	7137.00	7127.00
8	ग्राम पं० इटारा में मोती लाल कुशवाहा के दरवाजे से जौहरी सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	7840.00	7838.00
9	ग्राम पं० पिपौरी में चन्द्रपाल राजपूत से गुरु प्रसाद वर्मा तक इ.टरलाकिंग।	4256.00	4242.00
10	ग्राम पं० हरबसपुर में हमीरपुर रोड से महात्मा मनिंदर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10951.00	10949.00
11	ग्राम पं० कठारा के मजरा भरतपुर में चरन सिंह के तालाब से हनुमान मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10992.00	10989.00
12	ग्राम पं० बिधनू के मजरा शिवरामपुर में बच्चनलाल के मकान से देवीदीन के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5402.00	5405.00
13	ग्राम पं० सपई में मेला प्रांगण के मैदान के पास इण्टरलाकिंग कार्य।	3440.00	3435.00
कुल योग:-		87293.00	88399.00

अतः रू० 87293.00 का फायदा ठेकेदार को अनियमित रूप से पहुंचाने के कारण राजकीय धन की क्षति हुयी। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-25)

प्रस्तर 2 वर्ष आलोच्य में तेरहवें वित्त आयेग से ग्राम पंचायत राम खेड़ा के मजरा मंगलिया पुरवा में श्री बाल किशन के खेत के पास पुलिया का निर्माण कार्य हेतु सारिका ट्रेडिंग कम्पनी को उनके बिल रू० 73735.00 में 2 प्रति० आयकर रू० 1475.00 काटकर रू० 72260.00 का भुगतान चेक सं० 787703/07. 12.18 को किया गया। उक्त बिल में 2 प्रति० की दर से जी०एस०टी० रू० 1475.00 नहीं काटी गयी। जबकि जी०एस०टी० एक्ट की धारा 51 जो उ०प्र० में 01.10.2018 से प्रभावी है, पर 2 प्रति० की दर से स्रोत पर टी०डी०एस० कटौती अनिवार्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्डविकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-26)

2. क्षेत्र पंचायत सरसौलवर्ष 2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर-3 वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न तिथियों में मनरेगा प्रासंगिक मद से निम्न विवरणानुसार चेकों द्वारा कुल रू० 554470.00 रोजगार सेवकों के बकाया व आलोच्य वर्ष के मानदेय के रूप में आहरित किया गया है। लेकिन इस आहरण के समर्थन में रोजगार सेवकों की उपस्थिति पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गई। लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मॉगने के बावजूद भी रोजगार सेवकों के मानदेय की देयताएँ व भुगतान किये गये मानदेय के सापेक्ष कार्मिकों की प्रामाणिक उपस्थिति लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया

गया। सम्बन्धित प्रपत्रों के अभाव में मानदेय के रूप में संदिग्ध भुगतान की गई धनराशि रु0 554470.00 की वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव एवं श्री गंगाराम यादव तथा लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार रजक जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

दिनांक	चेक सं०	चेक की कुल धनराशि	चेक में रोजगार सेवक के मानदेय की धनराशि	चेक किसके पक्ष में काटा गया।
18.04.17	988 570	114700.00	98700.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
18.05.17	944709	10890.00	10890.00	अनीता राजगार सेवक रहनस
18.05.17	944708	7260.00	7260.00	विपिन कुमार, राजगार सेवक नौगवौ गौतम।
11.8.17	944718	53620.0	53620.0	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
11.8.17	944719	198000.00	198000.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
08.02.18	944729	90000.00	90000.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
23.03.18	944732	96000.00	96000.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
			554470.00	

(मूल आपत्ति सं०-22)

प्रस्तर-4 वि०वर्ष 2017-18 में सोशल आडिट प्रशिक्षण पर रु0 4000.00 का व्यय अगस्त 2017 में तथा रिवाल्विंग फंड पर रु0 400.00 का व्यय अप्रैल 2017 में किया गया है। लेकिन इस व्यय के समर्थन में कोई व्यय प्रमाणक व इससे सम्बन्धित पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः व्यय प्रमाणक व पत्रावली के अभाव में उक्त धनराशि रु0 4400.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण किये गये धनराशि रु0 4400.00 के लिए ख.वि.अधि. जिम्मेदार है। अतः रु0 4400.00 की ब्याज सहित वसूली श्री गंगाराम यादव, खण्डविकास अधिकारी तथा श्री राजेन्द्र कुमार रजक, सहायक लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-23)

प्रस्तर-5 वि०वर्ष 2017-18 में बायोगैस पर रु0 38600.00 का व्यय मई 2017 में किया गया है। लेकिन इस व्यय के समर्थन में कोई व्यय प्रमाणक इससे सम्बन्धित पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः व्यय प्रमाणक पत्रावली के अभाव में उक्त धनराशि रु0 38600.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण किये गये धनराशि रु0 38600.00 के लिए ख.वि.अधि. जिम्मेदार है। अतः रु0 38600.00 की ब्याज सहित वसूली श्री गंगाराम यादव, खण्डविकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार वर्मा, लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-24)

प्रस्तर-6 आलोच्य वर्ष 2017-18 में विभिन्न तिथियों में जेनरेटर के डीजल पर व्यय हेतु कुल रु0 12800.00 का आहरण विभिन्न तिथियों में किया गया है। विवरण निम्न है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	चेक नामे
29.06.17	944718	4800.00	राजेन्द्र कुमार रजक
13.09.17	726671	4000.00	राजेन्द्र कुमार रजक
12.10.17	726672	2000.00	राजेन्द्र कुमार रजक
07.3.18	726678	9000.00	राजेन्द्र कुमार रजक

उक्त व्यय के समर्थन में जेनरेटर की लॉगबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः जेनरेटर डीजल के रूप में अनियमित व्यय की गई धनराशि रु0 12800.00 के लिए ख.वि.अधि. श्री ऐश्वर्य यादव व श्री गंगाराम यादव तथा लेखा श्री राजेन्द्र कुमार रजक जिम्मेदार हैं। अतः ख.वि.अधि. श्री ऐश्वर्य यादव से रु0 3600.00 श्री गंगाराम यादव से रु0 6000.00 तथा श्री राजेन्द्र कुमार रजक से रु0 3200.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-25)

प्रस्तर-7 वर्ष 2017-18 में मनरेगा प्रासंगिक मद से विभिन्न तिथियों में रु0 16442.00 कार्यालय जीप सं०-यू. आर.डी. 6509 के डीजल हेतु व्यय दर्शित है। इस विवरण निम्न है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	चेक नामे
22.07.17	944716	12000.00	सरसौल एच.पी.
14.09.17	944724	4442.00	सरसौल एच.पी.

इस व्यय पर निम्न आपत्तिया रही—

1. गाड़ी सं० यू०आर०डी० 6509 की लॉग बुक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गई।
2. गाड़ी सं० यू०आर०डी० 6509 के री रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के सम्भागीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी होने वाले प्रपत्र लेखा परीक्षा में कहने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः जीप सं० यू०आर०डी० 6509 की बिना लॉगबुक, बिना री रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के काल्पनिक रूप से परिचालन दिखाकर व्यय की धनराशि रु० 16442.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण की गई धनराशि रु० 16442.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, श्री गंगाराम यादव तथा श्री राजेन्द्र कुमार रजक, सहायक लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-26)

प्रस्तर-8 वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास प्रासंगिक मद से दिनांक 13.2.18 को चेक सं० 726677 द्वारा रु० 15332.00 का आहरण संजय आटो मोबाइल घाटमपुर को गाड़ी सं०— यू.पी-78 बी.जी.-0871 के लिए बी०डी०ओ० घाटमपुर के पत्रांक 1065 दिनांक 12.2.18 के क्रम में किया गया है। किन्तु विकास खण्ड सरसौल क्षेत्र में परिचालन वाली गाड़ी का डीजल घाटमपुर के पेट्रोल पम्प से भराया गया, जो कि संदेहास्पद है। गाड़ी सं०— यू.पी-78 बी.जी.-0871 की लॉगबुक विकास खण्ड सरसौल में गाड़ी अटैचमेन्ट के प्रपत्र व सरसौल से डीजल भुगतान किये जाने का आदेश लेखा परीक्षा में न दिखाये जाने से इस व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः अनियमित व्यय की गई धनराशि रु० 15332.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, श्री गंगाराम यादव तथा श्री राजेन्द्र कुमार रजक, सहायक लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-27)

प्रस्तर-9 टेण्डर प्रपत्र का मूल्य 1 लाख से 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेण्डर के लिये अनुमानित मूल्य का 0.2 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 400.00 अधिकतम रु० 1500.00) और 10 लाख से ऊपर के लिये 0.15 प्रतिशत (अधिकतम 25000.00) जी०एस०टी० जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 17.12.18 पत्रांक 865/ दिनांक 20.11.18 को निविदा का प्रकाशन कराया गया हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०	नाम कार्य	आगणन की धनराशि लाख में	बिड सिक्थोरिटी	निविदा मूल्य (टेण्डरमें विज्ञापित)	निविदा मूल्य जो होना चाहिए
1	हाथीगँव में धनीराम से चिन्दन यादव तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	2.169	5700.00	350.00	434.00
2	सरसौल नवोदय नगर में जी०टी०रोड से बी०आर०पब्लिक स्कूल तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	4.944	10200.00	350.00	989.00
3	महाराजपुर में रामनारायण कुरील से ज्ञानसिंह तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	6.53	12000.00	350.00	1306.00
4	हाथीगँव में ब्रह्म कुषवाहा से नरवल रोड पुलिया तक नाला खुदाई।	3.86	7000.00	350.00	772.00
5	मन्धना में मेन रोड से मंडी परिशद तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	2.657	5000.00	350.00	532.00
6	नाराय.पुर में मेन रोड से भोला पासी बी०डी०सी तक नाला निर्माण	3.86	7000.00	350.00	772.00
7	महाराजपुर में सरवन से रामनरेश तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	6.621	13000.00	350.00	1324.00
8	सरसौल नवोदय नगर में सन्तोश से विनोद उत्तम तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	2.309	4000.00	350.00	462.00
9	धरमंगदपुर में सी०सी० रोड से फूलसिंह तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	1.59	3500.00	350.00	400.00

10	सुन्हेला में राम भरोसे से नन्हकुल भुर्जी तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	2.191	4000.00	350.00	439.00
11	सुन्हेला में बहादुर पासी से मुन्नू पासी तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	4.513	8500.00	350.00	903.00
12	सरसौल में सरसौल बाजार से रामऔतार तिवारी तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	8.678	17000.00	350.00	1500.00
13	रायपुर नर्वल में रमेश कुरील से ननकू मोती कुरील तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	6.287	12000.00	350.00	1257.00
14	विकास खण्डकार्यालय भवन मरम्मत रंगाई पुताई, वाटर आदि।	9.971	20000.00	350.00	1500.00
15	विकास खण्डमीटिंग हॉल का सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मत, लाइन फर्नीचर एवं विधुतीकरण कार्य।	8.764	17000.00	350.00	1500.00
योग:-		74.944		5250.00	14090.00

उक्त 15 कार्यों हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार 02-02 फर्मों ने निविदा फार्म क्रय किये थे। जिनसे रु0 कुल 10500.00 प्राप्त हुए होंगे। किन्तु आगणित धनराशि के अनुसार वास्तविक निविदा मूल्यों का योग 14090.00 होता है। इस अनुसार कुल रु0 28180.00 का राजस्व निविदा फार्म ब्रिकी से आना था। जिसमें रु0 17680.00 के राजस्व की कमी हुई है, जिसके लिए सहायक लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः निविदा फार्म ब्रिकी में हुई राजस्व की क्षति रु0 17680.00 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्मों से न हो पाने की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार वर्मा, सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-28)

प्रस्तर-10 आपत्ति सं0-19 के 15 कार्यों हेतु तुलनात्मक विवरण के अनुसार 02-02 फर्मों ने ही निविदा फार्म क्रय किये थे। जिनसे रु0 कुल 10500.00 प्राप्त हुए होंगे। किन्तु इन निविदा फार्मों से हुई ब्रिकी की धनराशि को ग्राँट रजिस्टर 3 के ठेकेदार रजिस्ट्रेशन एवं निविदा शुल्क मद में न पकड़कर धन का अपहरणकर लिया गया है। बार-बार मॉगे जाने के बावजूद भी लेखाकार द्वारा निविदा फार्मों का ब्रिकी रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः निविदा फार्मों की ब्रिकी की धनराशि न जमा करने के लिए सहायक लेखाकार जिम्मेदार हैं। अतः रु0 10500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार वर्मा, सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-29)

प्रस्तर-11 वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में मनरेगा प्रासंगिक मद से निम्न विवरणानुसार चेकों द्वारा कुल रु0 450000.00 रोजगार सेवकों के आलोच्य वर्ष के मानदेय के रूप में आहरित किया गया है। लेकिन इस आहरण के समर्थन में रोजगार सेवकों की उपस्थिति पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गई। लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मॉगने के बावजूद भी रोजगार सेवकों के मानदेय की देयताएँ व भुगतान किये गये मानदेय के सापेक्ष कार्मिकों की प्रामाणिक उपस्थिति लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया। सम्बन्धित प्रपत्रों के अभाव में मानदेय के रूप में संदिग्ध भुगतान की गई धनराशि रु0 450000.00 की वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ कुमार बरनवाल एवं श्री गंगाराम यादव तथा लेखाकार श्री राजकुमार वर्मा जिम्मेदार हैं। विवरण निम्न है-

दिनांक	चेक सं0	चेक की कुल धनराशि	चेक किसके पक्ष में काटा गया।
28.6.18	944740	90000.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
19.12.18	944746	96000.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
18.3.19	944751	264000.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 सरसौल
	योग	450000.00	

(मूल आपत्ति सं0-30)

प्रस्तर-12 वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 27.3.18 को खुले टेण्डर के माध्यम से वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त योजना से कराये गये निर्माण कार्यों में जो कार्य प्रारूप-01 में क्रमांक 01 से 17 तक अंकित हैं, (पेज सं0-) में रु0 6255262.00 के सापेक्ष 02 प्रतिशत आयकर रु0 111758.00 काटकर रु0 6143504.00 का शुद्ध भुगतान किया गया है, जबकि इस भुगतान में जी.एस.टी. की 12 प्रतिशत धनराशि रु0 670207.

00 भी सम्मिलित है। नियमानुसार भुगतान से पूर्व 2 प्रतिशत जी.एस.टी. की धनराशि रु0 111758.00 काटकर ही भुगतान किया जाना था। जिससे कि सम्बन्धित फर्म जी.एस.टी. की धनराशि को जी.एस.टी. डिपार्टमेंट में जमा कराने को बाध्य होती। किन्तु जी.एस.टी. की 2 प्रतिशतधनराशि न काटे जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से रु0 111758.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। जिसमें श्री गंगाराम यादव, ख.वि.अधि. से रु0 55879.00 तथा लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार रजक से रु 50878.00 व श्री राजकुमार वर्मा से रु0 5001.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर-13 वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 27.3.18 को खुले टेण्डर के माध्यम से वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त योजना से कराये गये निर्माण कार्यों में जो कार्य प्रारूप-01 में क्रमांक 01 से 17 तक अंकित हैं, (पेज सं0-) में रु0 6255262.00 के सापेक्ष 02 प्रतिशत आयकर रु0 111758.00 काटकर रु0 6143504.00 का शुद्ध भुगतान किया गया है। नियमानुसार भुगतान से पूर्व 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि रु0 55879.00 काटकर ही भुगतान किया जाना था। जिससे कि लेबर सेस की धनराशि को सम्बन्धित डिपार्टमेंट में जमा कराया जा सकता। किन्तु लेबर सेस की 1 प्रतिशत धनराशि न काटे जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से रु0 55879.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। जिसमें श्री गंगाराम यादव, ख.वि.अधि. से रु0 27940.00 तथा लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार रजक से रु 25439.00 व श्री राजकुमार वर्मा से रु0 2500.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर-14 वि0वर्ष 2018-19 में विकास खण्ड में शौचालय के सुदृढीकरण की मजदूरी भुगतान ग्रांट रजिस्टर-02 में दर्शित करके दिनांक 28.6.18 को चेक सं0- 216938 द्वारा रु0 24140.00 का भुगतान श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम, बी0ओ0 के नाम पर आहरित किया गया है। किन्तु इस व्यय के समर्थन में संबंधित पत्रावली व मस्टररोल इत्यादि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे इस व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनियमित व्यय दर्शित कर अपहरण की गई धनराशि रु0 24140.00 में खण्डवि0अधि0 श्री गंगाराम यादव से रु0 12070.00 तथा श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम, बी0ओ0 से रु0 12070.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-33)

3. क्षेत्र पंचायत- बिल्हौर

वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-15 आडिट दौरान पाया गया कि खाता सं0- 7335000100024384 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्रशासनिक मद खाता से श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी, लेखाकार द्वारा रु0 6600.00 चेक सं0 991792/ 23.7.18 से स्वयं आहरित किया गया है तथा प्रस्तुत पत्रावली में इसके सापेक्ष वा0सं0-82 दिनांक 14.9.16, रु0 3200.00, फर्म-बबलू कटियार,बिल्हौर वा0सं0-88 दिनांक 13.10.16 फर्म-बबलू कटियार,बिल्हौर तथा प्रिन्टेड वा0सं0-05 दिनांक-12.7.17 फर्म-मनमोहन मार्बल, पनकी, कानपुर को भुगतान किया जाना बताया गया।

उक्त व्यय के सापेक्ष आडिट में प्रस्तुत किये गये सभी वाउचर पुराने हैं एवं फर्म को चेक या नेट बैंकिंग से भुगतान नहीं किया गया है, एवं नकद भुगतान की पुष्टि हेतु लेखाकार द्वारा कही भी भुगतान के सापेक्ष उक्त फर्म की प्राप्तगी /हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये। अतः स्पष्ट है कि धनराशि रु0 6600.00 का आहरण लेखाकार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के मिलीभगत से चेक सं0 991792 से आहरित करके अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री दिनकर विधार्थी, श्री खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी, लेखाकार से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-24)

प्रस्तर-16 खाता सं0-7335000100024384 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्रशासनिक मद से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा धनराशि का आहरण किया गया है-

नाम	आहरित धनराशि	चेक सं0 व चेक क्लियरेंस दिनांक
सुरेन्द्रकुमार बाजपेयी	5018.00	725030 / 20.7.18
	6132.00	991791 / 23.7.18
	5390.00	991798 / 16.02.19
योग:-	16540.00	

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशि का आहरण श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी द्वारा किया गया है। व्यय की गयी धनराशि के व्यय प्रमाणकलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इनके व्यय का

औचित्य भी स्पष्ट नहीं किया गया । व्यय प्रमाणक के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि धनराशि किस हेतु आहरित की गयी। अतः धनराशिआहरण करके अपहरण कर लिया गया, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अपहृत की गयी धनराशि रु0 16540.00 कीब्याज सहित वसूली श्री दिनकर विधार्थी, खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-25)

प्रस्तर-17 आडिट दौरान पाया गया कि खाता सं0- 7335000100024384 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण (प्रशासनिक मद) से श्री दिनकर विधार्थी, खण्डविकास अधिकारी द्वारा दिनांक 24.8.18 को चेक सं0 991793 से रु0 12799.00 स्वयं आहरित किया गया है।आडिट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धनराशिखण्ड विकास अधिकारी बिल्हौर द्वारा क्यों आहरित किया गया एवं इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी माँगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली में व्यय के सापेक्ष कोई पत्र इत्यादि संलग्न नहीं पाया गया। अतः उक्त धनराशि रु0 12799.00 का श्री दिनकर विधार्थी, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपहरणकर लिया गया । जिसकी वसूली मय ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-26)

प्रस्तर-18 प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) प्रशासनिक मद का खाता सं0 तथा ग्रांट रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष दौरान का आय-व्यय में निम्नानुसार अन्तर पाया गया-

ग्रांट रजिस्टर के अनुसार	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार	अन्तर
प्रारम्भिक अवशेष-203754.00	प्रारम्भिक अवशेष-326372.69	प्रारम्भिक अवशेष-122618.69
प्राप्त धनराशि-101490.00	प्राप्त धनराशि-0	प्राप्त धनराशि-101490.00
प्राप्त ब्याज-17738.69	प्राप्त ब्याज-8510	प्राप्त ब्याज-9228.69
प्रयुक्त धनराशि-305280.80	प्रयुक्त धनराशि-257180.00	प्रयुक्त धनराशि-48100.80
अन्तिम अवशेष-34.00	अन्तिम अवशेष-77701.89	अन्तिम अवशेष-77667.89

अन्तर ब्याज, प्रयुक्त धनराशि, तथा अन्तिम अवशेष- सभी में उपरोक्तानुसार अन्तर पाया गया। अन्तर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। विवरण खोजकर अन्तर का समायोजन करवाया जाना अपेक्षित रहा।

अन्तर प्रारम्भिक अवशेष-उक्त तालिका के अनुसार ग्रांट रजिस्टर के आय पक्ष में रु0 122618.69 आय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है। अतः रु0 122618.69 को ग्रांट रजिस्टर के आय पक्ष में नहीं दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-27)

प्रस्तर-19 प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) प्रशासनिक मद के बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार दिनांक 15.01.2019 करे रु0 101250.00 तथा दिनांक 11667.00 का ट्रॉसफर किया गया हैं। पत्रावली में इसके सापेक्ष कोई विवरण संलग्न नहीं पाया गया तथा लेखाकार द्वारा यह स्पष्ट भी नहीं किया जा सका कि यह धनराशि किस व्यक्ति /संस्था को किस प्रयोजन हेतु स्थानान्तरित किया गया है। अतः स्थानान्तरित की गई उक्त धनराशि रु0 112917.00 की पुष्टि नहीं हो सकी। पुष्टि के अभाव में धनराशि रु0 112917.00की वित्तीय अनियमितता प्रतीत होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-28)

प्रस्तर-20 चतुर्थ राज्य वित्त खाता के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार चेक सं0 012729 से दिनांक 14.8.2018 को खाता से रु0 79500.00 का आहरण श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेई, लेखाकार द्वारा किया गया है। ग्रांट रजिस्टर 2 में इस धनराशि का अंकन इस तिथि को नहीं किया गया है। आगे दिनांक 01.9.18 को रु0 14000.00 नकद राज्य वित्त के खाते में धनराशि वापस जमा किया गया है। ग्रांट रजिस्टर 2 में दिनांक 22.11.18 को रु0 65500.00 का भुगतान मा0 पदेन सदस्यों को बी0डी0सी बैठक" जो कि दिनांक 18.08.2018 को हुई थी" का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। भुगतान रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिससे दिनांक 22.11.18 को बैठक दिनांक 18.08.2018 हेतु दिये गये किसी भी भुगतान की पुष्टि नहीं होती। दिनांक 25.02.2019 को दोबारा हुई बैठक हेतु रु0 80000.00 का दिनांक 25.02.2019 का आहरण किया गया था, जिसमें से रु0 68000.00 का भुगतान मा0पदेन सदस्यों को किया गया है। धनराशि रु0 12000.00 का वापस खाते में जमा कर दिया गया है। अतः जॉच से स्पष्ट होता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी द्वारा रु0 65500.00 का भुगतान मा0पदेन सदस्यों को नहीं किया गया है। ग्रांट रजिस्टर 02 में दिनांक 22.11.18 को व्यय पक्ष में फर्जी रूप से रु0 65500.00 का अंकन करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। प्रकरण की गहन जॉच कर, मा0पदेन सदस्यों से इसकी पुष्टि कराया जाना अनिवार्य रूप

से अपेक्षित है। पुष्टि नहीं होने की दशा में ₹0 65500.00 की ब्याज सहित वसूली सुरेन्द्र कुमार बाजपेई, लेखाकार से करके मा0 पदेन सदस्यों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-29)

प्रस्तर-21 उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23(1) के अनुसार ₹0 10000.00 से अधिक के कार्य का ठेका देने से पूर्व कम से कम 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति/ जमानत ठेकेदार से जमा करवाया जाता है। शेष 5 प्रतिशत की कटौती उसके भुगतान किये जाने वाले बिल से अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। परन्तु प्रारूप 01 पर अंकित निर्माण कार्य क्रं0 सं0-08-सुभानपुर में सियाराम के घर से श्यामबिहारी के खेत की तरफ (रामखेलावन तिवारी) के मकान तक नाला निर्माण तथा क्रं0सं0-09-चौबिगही में रामबाबू के घर से कालीमाता मन्दिर तक मिटटी व खडन्जा कार्यमें न तो 5 प्रतिशत जमानत की धनराशि कार्य प्रारम्भ करने के पहले जमा करवायी गयी है एवं न ही बिल से 5 प्रतिशत काटा गया है। क्रमांक 08 एवं 09 पर अंकित कार्य की 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में क्रमशः ₹0 57464.00 तथा ₹0 70664.00 की कटौती फर्म-मेसर्स राजेश कटियार से किया जाना चाहिए था। उ0प्र0 जि.पं. तथा क्षे.पं. (बजट तथा सा.लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत उक्त दोनों कार्यों की 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि ₹0 128128.00 का गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए पूर्ण रूप से खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-30)

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की मनरेगा प्रशासनिक मद से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली व अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान नहीं दिखाया गया। जिससे आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना अन्तर्गत किया गया व्यय धनराशि ₹0 1366546.00 अपुष्ट रहा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया अन्तरिम पत्र सं0- मेमो-20/आडिट /क्षे0पं0/ 2018-19, दिनांक 26.12.2019 को इस सम्बन्ध में पत्रावलियों प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, परन्तु पत्रावलियों प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ₹0 1366546.00 का अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण व्यय कि धनराशि गम्भीर अनियमितता योग्य है। पत्रावलियों प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं (मूल आपत्ति सं0-31)

4.-क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में डुडवा जमौली माखन निवादा में विजय पाल के दरवाजे से प्रा0 वि0 तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य कराया गया। जिस हेतु दिनांक 14.08.17 को दो अखबारों में निविदा प्रकाशित करायी गयी। (आई0डी0 4626248, कार्य लागत रु. 4.34 लाख) कार्यादेश सं0 491/च0रा0वि0आ0/क्षे0पं0/2017-18, दिनांक 14.08.17, निविदा दिनांक 22.08.2017 को खोली गई। निविदा बी0डी0ओ0 एवं प्रमुख के सम्मुख खोली गई एवं कार्यवाही की गयी।

मै0 न्यू खान इण्टरप्राइजेज की निविदा स्वीकृत हुई। कार्यादेश सं0 492/लेखा/च0रा0वि0आ0/वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति/2017-18, दिनांक 14.08.17 एवं पत्रांक 507 च0रा0वि0आ0/क्षे0पं0/सामग्री आपूर्ति/2017-18 दिनांक 22.08.2017 द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु आदेश मै0 न्यू खान इण्टरप्राइजेज को दिये गये। कार्य प्रभारी श्री वजीर अहमद सिद्दीकी नियुक्त किये गये।

मै0 न्यू खान इण्टरप्राइजेज द्वारा सामग्री आपूर्ति कर बिल इनवायस सं0 253, दिनांक 13.03.2018 रु.292879.05 पै0+एस0जी0एस0टी0 रु.15716.98 +सी0एस0टी0 रु.15716.98, कुल रु.324313.00 का भुगतान कर दिया गया) जिसमें से क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर द्वारा आयकर 2.24 प्रतिशत की दर से कटौती रु. 7265.00 करते हुए रु. 317048.00 का भुगतान चेक सं 948427 दिनांक 27.03.18 द्वारा कर दिया गया।

म0रोल दिनांक 01.03.2018 से 24.03.18 तक (22 श्रमिक एवं 9 मिस्त्री) कुल 188 दिनों का अंकन रु.92664.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री वजीर अहमद सिद्दीकी को चेक सं0 948428, दिनांक 27.03.18 के माध्यम से किया गया।

इससे संबंधित आपत्तियां निम्न प्रकार है :-

निविदा सादे कागज पर प्राप्त हुई हैं। लिफाफे भी सील नहीं हैं।

मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों को किये गये भुगतान पर श्रमिकों के निशानी अंगूठों को प्रमाणित नहीं किया गया है। श्रमिकों को भुगतान उनके खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न कर कार्य प्रभारी

के माध्यम से किया जाना उचित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी, शिवराजपुर का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०—)

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड कार्यालय, जी०टी० रोड से डा० गया प्रसाद की मूर्ति तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य कराया गया जिस हेतु कार्यादेश सं० 491 दिनांक 14.08.17 एवं निविदा आमंत्रण आदेश सं० 488/स०ले०/च०रा०वि०/निविदा/2017-18, दिनांक 14.08.17 द्वारा निविदा का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। कार्य प्रभारी श्री बलवन्त सिंह पाल, स०वि०अ०(एजी) नियुक्त किये गये।

मै० न्यू खान इण्टरप्राइजेज की निविदा स्वीकृत हुई। कार्यादेश सं० 492/लेखा/च०रा०वि०आ०/वित्तीय प्रशा० स्वी०/2017-18, दिनांक 14.08.17 द्वारा कार्य प्रभारी नियुक्त किये गये। वि०खण्डकार्या० के पत्र सं० 507 दिनांक 22.08.17 द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु मै० न्यू खान इ.टर० को पत्र लिखा गया।

मै० न्यू खान इण्टरप्राइजेज द्वारा सीमेंट, मौरंग, बालू, प्रथम श्रेणी ईट, 40 एम.एम. ब्रिक ब्लास्ट की आपूर्ति 15.11.17 को की गयी एवं बिल इनवायस सं० 70, दिनांक 15.11.17 द्वारा अंकन रु. 95697.09 + एस०जी०एस०टी० 5581.45 एवं सी०जी०एस०टी० रु.5581.45, कुल रु.106860.00 का बिल प्रस्तुत किया गया। क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती करते हुए (रु. 2394.00) शेष राशिरु. 104466.00 का भुगतान चेक सं० 948418, दिनांक 16.11.17 द्वारा कर दिया गया। इससे संबंधित आपत्तियां निम्न प्रकार हैं :-

निविदाएं पूर्व प्राप्त निविदाओं की भांति ही पुनः सादे कागज के लिफाफे पर बिना सील के ही प्राप्त हुआ हैं। जबकि मुहर बंद प्राप्त होनी चाहिए।

लिफाफे खोलने वाले के हस्ताक्षर नहीं हैं।

कार्य प्रारम्भ के पूर्व का फोटो ग्राफ नहीं लगा है जबकि कार्य के मध्य का एवं कार्य पूर्ण होने का लगा है। एम०बी० बुक लगी है।

पत्रावली में उपलब्ध कार्यपूर्ति के अनुसार कार्य प्रारंभ तिथि 22.08.17 है जबकि एम०आर० दिनांक 01.03.18 से 10.03.18 तक का है अर्थात् कार्य 01.03.18 को प्रारंभ हुआ तो किस प्रकार 22.08.17 दर्शित है साथ ही न्यू खान द्वारा दिनांक 15.11.17 को सामग्री आपूर्ति एवं अपना बिल दिनांक 15.11.17 रु. 95697.09 प्रस्तुत किया गया था तब इतने दिनों अधिक पूर्व ही सामग्री पड़ी रहने पर खराब होना या चोरी होना स्वाभाविक है। बिना श्रमिक लगाये ही सामग्री किन परिस्थितियों में मंगाई गयी अथवा सामग्री की आपूर्ति के बावजूद भी कार्य तत्काल प्रारंभ न कराये जाने का क्या कारण स्पष्ट नहीं होता।

म०रो० में अंकित क्रमांक 01 से 39 श्रमिकों का भुगतान कार्यप्रभारी द्वारा किया गया है। कार्यप्रभारी को चेक सं० 948426 दिनांक 12.03.2018 रु. 94788.000 का भुगतान किया गया है। जबकि भुगतान सीधे खाते में दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार कार्य प्रभारी के माध्यम से नकद भुगतान अनियमित है। साथ ही अंगूठे भी प्रमाणित नहीं कराये गये हैं। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, शिवराजपुर एवं विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस प्रकार की अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०—)

प्रस्तर-25 क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में पशु चिकित्सालय का सुन्दरीकरण कार्य कराया गया। तकनीकी स्वीकृति सं०003/11.08.17, लागत रु.2.12 लाख। निविदा प्रकाशन आदेश सं० 488 दिनांक 14.08.17 द्वारा दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई आई.डी.सं.4628252 कार्यादेश सं. 491 दिनांक 14.08.17 द्वारा निर्गत एवं निविदा आमंत्रण आदेश सं० 490, दिनांक 16.08.17 द्वारा कमेटी का गठन किया गया। कार्य प्रभारी श्री बलवन्त सिंह पाल, स०वि०अ०(एजी) नियुक्त किये गये।

मै० न्यू खान इण्टरप्राइजेज की निविदा स्वीकृत हुई। खण्डविकास अधि० द्वारा मै० न्यू खान इण्टरप्राइजेज को पत्र सं० 507, दिनांक 22.08.17 द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु पत्र लिखा गया। मै० न्यू खान इ.टर प्राइजेज द्वारा सामग्री आपूर्ति करते हुए अपना बिल/इनवायस सं० 67, दिनांक 10.10.17 रु.13942.68 + एस०जी०एस०टी० रु.12392.16 + सी०जी०एस०टी० रु.12392.16 कुल रु. 164214.00 एवं इनवायस सं० 69, दिनांक 15.10.17 अंकन रु. 9453.13 + एस०जी०एस०टी० 763.44 + सी०जी०एस०टी० रु.763.44, कुल रु.10988.00 का बिल प्रस्तुत किया गया। खण्डवि० अधि० द्वारा दोनो बिलों से आयकर 2.24 प्रतिशत की

दर से क्रमशः रु. 3678.00 एवं रु.246.00 कुल रु. 3924.00 की कटौती करते हुए रु.171270.00 का भुगतान चेक सं० 948416, किया गया।

उक्त कार्य के म०रो० दिनांक 08.10.17 से 20.10.17 रु. 25924.00 द्वारा कार्यप्रभारी श्री बलवन्त सिंह पाल, के नाम से चेक निर्गत करते हुए 3 कुशल एवं 6 श्रमिकों को भुगतान कार्य प्रभारी के नाम से कराया गया।

इस संबंध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं :-

निविदा मुहरबंद क्यों नहीं मंगाई गई ? निविदा खोलने वाले के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

कार्य के पूर्व एवं समाप्ति के फोटोग्राफ लगे हैं परंतु कार्य के मध्य का कोई भी फोटोग्राफ नहीं है। कार्य के मध्य का फोटोग्राफ क्यों नहीं लिया गया ?

म०रो० में अंकित श्रमिकों के भुगतान उनके खातों में न करके कार्य प्रभारी श्री बलवन्त सिंह पाल के नाम से चेक निर्गत किसर जाना अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, एवं विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं०—)

प्रस्तर-26 क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास खण्डकार्यालय मरम्मत एवं पुताई के कार्य 2017-18 में कराये गये। आई०डी०सं० 2617157 स्वी० लागत रु. 13.31 लाख जिसकी निविदा आमंत्रण पत्रांक मेमो दिनांक 15.03.17 द्वारा 24.03.17 के समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई।

कार्यदेश सं० 1510, दिनांक 21.03.17 श्री गिरीष बाबू कार्य प्रभारी नियुक्त किये गये। मै० न्यू खान इ.टर० की निविदा स्वीकृत हुई एवं पत्रांक 1561, दि०27.03.17 द्वारा कार्य प्रारम्भ। सामग्री आपूर्ति का पत्र फर्म को लिखा गया।

फर्म द्वारा अपने बिल सं० 49, दिनांक 31.03.17 रु. 132192.00 एवं 46, दिनांक 30.03.17 रु. 5613.00 प्रस्तुत किये गये जिन पर क्रमशः आयकर 2961.00+126.00 एवं 5289.00+225.00 कटौती करते हुए चेक सं० 948397, दिनांक 31.03.17 द्वारा रु.123943.00 एवं चेक सं० 948398 रु. 5262.00 का भुगतान कर दिया गया। (2016-17 में) पुनः वर्ष 2017-18 में बिल सं० 01, दिनांक 10.04.17 रु.5613.00 प्रस्तुत हुआ। आयकर रु. 126.00 एवं वा.िज्य कर रु. 225.00 कटौती करते हुए 5262.00 का भुगतान चेक सं०948402 कदनांक 03.05.17 को हुआ। म०रो० 28856.00 का भुगतान चेक सं० 948403, दिनांक 05.03.17 से हुआ। सामग्री का बिल सं० 04 दिनांक 26.04.17 रु. 535516.00 एवं बिल सं० 05, दिनांक 10.05.17, रु. 225526.00 प्रस्तुत हुआ जिस पर क्रमशः आयकर 11996.00 एवं रु. 5253.00 तथा वा.िज्यकर क्रमशः रु. 21421.00 एवं 9023.00 की कटौती करते हुए चेक क्रमशः 948404, दिनांक 11.05.17 रु. 502099.00 एवं चेक सं० 948406, रु. 2115.00, दिनांक 27.05.17 से भुगतान हुआ। पुनः म०रो० 13792.00 दिनांक 27.05.17 प्रस्तुत हुआ जिसका भुगतान चेक सं० 948409, दिनांक 21.06.17 द्वारा किया गया। पुनः सामग्री बिलरु.272275.00 प्रस्तुत किया गया जिसपर आयकर रु.6097.00एवं वा.िज्यकर 10891.00कटौती करते हुए रु.255285.00 चेक सं०948410, दि. 21.06.17 द्वारा किया गया। विकास खण्डकार्यालय हेतु बिल सं० 28/06.06.17 रु. 59500.0 स्टाईल फर्नीचर एवं 54/07.09.17 रु. 34472.00 फैंसी कर्टन हाउस के बिल का भुगतान चेक सं० 948414, दिनांक 08.09.17 रु. 59500.00 एवं चेक सं० 948415, दिनांक 08.09.17 रु. 34472.00 द्वारा भुगतान किया गया।

इस संबंध में आपत्तियां निम्नांकित हैं -

विकास खण्डकार्यालय में हुए पुताई एवं मरम्मत कार्य का भुगतान (म०रो०) का सीधे मजदूरों को उनके खातों में न कर कार्यप्रभारी के माध्यम से कराया गया यह अनियमितता रही। एवं कय किये गये फर्नीचर की प्रविष्टियां स्टोक बुक में की गई अथवा नहीं इनकी पुष्टि नहीं कराई गई। स्टोक बुक प्रस्तुत कर आगामी लेखा परीक्षा में पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०—)

प्रस्तर-27 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं हेतु निम्न प्रकार निविदा/टे.डर प्रपत्रों की बिक्री की गई है जबकि सम्मुख अंकित धनराशि प्राप्त की जानी चाहिए थी -

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निर्धारित बिक्री मूल्य	अपेक्षित मूल्य	कम ली गई राशि
1	कुर्मी खेडा में बाबा बन्देष्वर मंदिर.....	375000.00	767.00	750.00	+17.00
2	मुँह पोछा में राम रतन.....	296000.00	767.00	600.00	+167.00
3	सुज्जा निवादा में राजू दीक्षित.....	530000.00	856.00	1060.00	.204.00

4	वाकूपुर रबन में कृष्णा तिवारी.....	517600.00	856.00	1040.00	184.00
5	डुडवा जमौली माखन निवादा में विजय पाल..	434000.00	200.00	870.00	670.00
6	वि०ख० कार्यालय में डा. गया प्रसाद की मूर्ति के .	420000.00	200.00	840.00	640.00
7	पशु चिकित्सालय का सुंदरीकर.।	272000.00	200.00	550.00	350.00
	वर्ष 2018-19				
8	वाकूपुर हलबल में राम शंकर	290000.00	300.00	580.00	280.00
9	कुर्मी खेडा में बाबा बन्देधर मंदिर.....	375000.00	767.00	750.00	+17.00
10.	शाहपुर कामा में अरविंद के दरवाजे....	527400.00	500.00	1055.00	555.00
11	निसोन जैदपुर में धीर सिंह.....	369400.00	300.00	740.00	440.00
12	स.स.स. दुबियाना	997800.00	500.00	1500.00	1000.00
13	गोडरा में छेदी लाल के दरवाजे से	604800.00	500.00	1210.00	.710.00
14	जादेपुर धस्सा में बाबा की पुलिया से	676000.00	500.00	1360.00	860.00
15	दिनकर पुर बंषी निवादा में.....	376800.00	300.00	760.00	460.00
16	वीरामऊ गडरियन पुरवा में नेतराम	359000.00	300.00	720.00	420.00
17	हिन्दू पुर गुरैनी	75000.00	300.00	400.00	100.00
	योग		8113.00	14785.00	6873.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि टेण्डरमूल्य निर्धार.। में सावधानी नहीं बरती जा रही है। टेण्डरकी धनराशि हेतु उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत नियमावली 1984 के नियम 24(1) का पालन नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत द्वारा टेण्डरफार्म की बिक्री कम मूल्य पर करके प्रति फार्म/प्रति कार्य रु. 6873.00 से कम बिक्री अर्थात तीन फार्म की बिक्री के अनुसार कुल 6873×3.रु.20619.00 से क्षेत्र पंचायत की आय प्रभावित की गई है जिस हेतु संबंधित लेखाकार श्री रमेश कुषवाहा, श्री आर०के०रजक एवं खण्डविकास अधिकारी श्री आलोक पा.डेय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-)

प्रस्तर-28 इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतानों से लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है जबकि सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत केन्द्रीय उपकर नियमावली 1998 के नियम सं० 5 के अनुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस काट कर भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणबोर्ड के पक्ष में देय आयकर की भांति जमा की जायेगी जिसे न काटकर फर्म को लाभ पहुँचाया गया। विवरण निम्न प्रकार है :-

क. सं.	कार्य का विवरण वर्ष 2017-18	अनुमानित लागत	बिल की राशि	लेबर सेस कटौती अपेक्षित
1	कुर्मी खेडा में बाबा बन्देधर मंदिर.....	375000.00	333917.96	3339.00
2	मुँह पोछा में राम रतन.....	296000.00	195603.13	1956.00
3	सुज्जा निवादा में राजू दीक्षित.....	530000.00	471710.97	4717.00
4	वाकूपुर रबन में कृष्णा तिवारी.....	517600.00	457745.41	4577.00
5	डुडवा जमौली माखन निवादा में विजय पाल....	434000.00	292879.05	2929.00
6	वि०ख० कार्यालय में डा. गया प्रसाद की मूर्ति के	420000.00	95697.09 +188146.19	957.00 + 1881.00
7	पशु चिकित्सालय का सुंदरीकर.।	272000.00	139429.68 +9453.13	1394.00 + 945.00
	वर्ष 2018-19			
8	वाकूपुर हलबल में राम शंकर	290000.00	236368.52	2364.00
9	कुर्मी खेडा में बाबा बन्देधर मंदिर.....	375000.00	333917.00	3339.00
10.	शाहपुर कामा में अरविंद के दरवाजे....	527400.00	419802.94	4198.00
11	निसोन जैदपुर में धीर सिंह.....	369400.00	272044.20	2720.00
12	स.स.स. दुबियाना	997800.00	400576.05 + 483655.78	4006.00 + 4836.00
13	गोडरा में छेदी लाल के दरवाजे से	604800.00	532287.64	5323.00
14	जादेपुर धस्सा में बाबा की पुलिया से	676000.00	602089.70	6021.00
15	दिनकर पुर बंषी निवादा में.....	376800.00	288077.00	2880.00

16	वीरामऊ गडरियन पुरवा में नेतराम	359000.00	274673.96	2740.00
	योग लेबर सेस-			61122.00

क्षेत्र पंचायत द्वारा लेबर सेस का न काट का फर्म को भुगतान किया गया है किन्तु फर्म द्वारा संबंधित कार्य के लिये लेबर सेस की धनराशि को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणबोर्ड में जमा करवाकर डाकी रसीद/चालान अद्यतन प्रस्तुत नहीं की गई है। क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म को किये गये भुगतान से फर्म को लेबर सेस की धनराशि के बराबर का लाभ पहुँचाकर शासकीय धन की क्षति किया जाना एवं समस्त लेबर सेस को गबन मानते हुए संबंधित लेखाकार श्री रमेश कुषवाहा, श्री आर०के०रजक एवं खण्डविकास अधिकारी श्री आलाक पा.डेय को जिम्मेदार मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभाग का ध्यान इस ओर ओकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं०-)

प्रस्तर-29 क्षेत्र पंचायत द्वारा डुडवा जमौली माखन निवादा में विजय पाल के दरवाजे से प्रा० वि० तक सी सी रोड निर्माण कार्य का मजदूरी का भुगतान रु. 92664.00 किया गया है जिसकी जांच में पाया गया कि श्रमिकों की हाजिरी लेने वाले मेट द्वारा मात्र दिनांक 13, 18 एवं 24 तारीख पर ही श्रमिकों की हाजिरी के प्रमाण स्वरूप अपने हस्ताक्षर किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त तारीखों के अतिरिक्त तिथियों में बिना हाजिरी लिये ही भुगतान किया गया है जो वित्तीय अनियमितता है। इस प्रकार रु. 71116.00 मजदूरी का भुगतान अनियमित रहा तथा उक्त श्रमांश के अपहरण किये जाने की स्थिति को दर्शाता है। इस हेतु संबंधित कार्य प्रभारी, लेखाकार श्री रमेश कुषवाहा, एवं तत्कालीन खण्डविकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर क वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय तिथियों में रोजगार सेवकों को चेक के माध्यम से धनराशि भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति
1	21.02.2018	42000.00	
2	21.02.2018	168000.00	
3	27.02.2018	66000.00	
3	.06.2018	221540.00	
4	.08.2018	11940.00	
	.12.2018	218010.00	
	योग -	727490.00	

इस संबंध में निम्न आपत्तियां रही :-

1. रोजगार सेवकों द्वारा किया गया कार्य अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा।
2. रोजगार सेवकों की उपस्थिति पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

उपरोक्त किया भुगतान रु. 727490.00 लेखा परीक्षा की दृष्टि से अनियमित है। इस प्रति श्री बी.पी. अग्निहोत्री, सहायक लेखाकार, श्री आर.के.रजक, लेखाकार एवं श्री आलोक पाण्डेय, खण्डविकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। पुष्टि हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-)

क्षेत्र पंचायत- घाटमपुर वर्ष 2018-19

प्रस्तर-31 क्षेत्र पंचायत घाटमपुर में वर्ष 2018-19 को निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराये गये जिस पर सामग्री व श्रमांश का भुगतान किया गया। फर्मों के भुगतान पर जी०एस०टी० व एस०जी०एस०टी०, आयकर सिक्वोरिटी तो काटी गयी है किन्तु भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत केन्द्रीय उपकर नियमावली 1998 के नियम संख्या 05 के अनुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस काटकर भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणबोर्ड के पक्ष में देय आय कर की भाँति जमा की जायेगी जिसे न काट कर फर्म को लाभ पहुँचाया गया विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कुल भुगतान		योग	लेबर सेस 01 प्रतिशत
		सामग्री	मजदूरी		
1	डोहरू में राजेन्द्र शर्मा के घर से हनुमान	699719.00	169680.00	869399.00	8694.00

	मन्दिर गुफा तक खडन्जा निर्माण कार्य				
2	छहिलर अव्वल मोहटा मोड से जरैला पुर गॉव तक खडन्जा निर्माण कार्य	707135.00	168600.00	875735.00	8757.00
3	असगहा में बड़ी देवी से बिलगवॉ मार्ग तक खडन्जा निर्माण कार्य	378901.00	86040.00	464941.00	4649.00
4	मकरन्द पुर नया तलाब से टिकरी गॉव तक खडन्जा निर्माण कार्य	681309.00	151560.00	832869.00	8329.00
5	मकरन्दपुर में कोडरिया धाम परिसर में निर्माण कार्य	362791.00	77440.00	440231.00	4402.00
6	अमौली में मेन रोड से पंचायत घर तक नाला मरम्मत/ निर्माण कार्य	208602.00	---	208602.00	2086.00
योग					36917.00

अतः रूपया 36917.00 की ब्याज सहित वसूली खण्डविकास अधिकारी श्री गंगाराम यादव व लेखाकार श्री कपिल कुमार आर्या की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं०—)**

प्रस्तर—32 लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 के मद प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्राम) प्रासंगिक व्यय में रु०. 282515.00 का व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक की बार—बार मॉग करने पर भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सा० लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) एवं वित्तीय लेखा मेनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः रु०. 282515.00 का अपहरण सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगाराम यादव एवं श्री कपिल कुमार आर्या लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं०—)**

क्षेत्र पंचायत—ककवन वर्ष 2018—19

प्रस्तर—33 रहीमपुर विषधन हरीपूर्वा रोड से दुर्गेश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य में चेक संख्या 00074 दिनांक 4—6—2018से रूपए 555925-00 का भुगतान जगदेव कुरील एंड कंपनी को किया गया है। उक्त निर्माण कार्य दिनांक 15—04—2018 को पूर्ण हो गया था निर्माण सामग्री का भुगतान इतने दिनों के बाद किए जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा। जबकि निर्माण सामग्री की आपूर्ति के संलग्नक प्रमाणक / कैशमेमो पर दिनांक 16—4—2018 दर्शाया गया है। प्रमाणिक कैशमेमो/सेल इनवाइस पर है। कार्य प्रभारी द्वारा कोई भी मांग पत्र प्रेषित लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा निर्गत आपूर्ति चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। निर्माण सामग्री आमदउपभोग व अवशेष का रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आपूर्ति अप्रमाणित रही। फर्म द्वारा निर्गत चालान तथा स्टॉक रजिस्टर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए तथा संबंधित धनराशि की बराबर — बराबर ब्याज सहित वसूली श्री आलोक पांडे बी डी ओ श्रीमती निर्मला ब्लाक प्रमुख और श्री सतीश कुमार जे०ई०आर०ई०डी०से की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं०—1)**

प्रस्तर—34 राज्य वित्त योजना अंतर्गत आई डी संख्या 6154530 के द्वारा प्रसाद पुरवा रोड से प्राइमरी स्कूल तक इंटरलाकिंग कार्य व नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत लागत रूपए 4.46 लाख से कार्य प्रभारी श्री सतीश कुमार जे०ई०आर०ई०डी० द्वारा 90 मीटर लंबाई हेतु स्वीकृत रहा। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति संख्या 70/05—02—2018 रही। ई—टेंडरिंग की तिथि दिनांक 23—03—2018 थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 28—03—2018 तथा निर्माण कार्य समाप्ति की तिथि 15—04—2018 रही। निर्माण कार्य के माप की तिथि 16—04—2018 रही। जबकि निर्माण सामग्री का भुगतान चेक संख्या 000073/04—06—2018 द्वारा कार्य पूर्ण होने के इतने दिनों के बाद किए जाने का औचित्य लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। जबकि संबंधित व्यय प्रमाणिक / कैश मेमो पर संख्या तथा तिथि 01/15—04—2018 दर्शाई गई है। प्रमाणिक कैशमेमो/सेल इनवाइस पर है। कार्य प्रभारी द्वारा कोई भी मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया ना ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। जिससे निर्माण सामग्री की आपूर्ति अप्रमाणित रही। लेखा परीक्षा में संबंधित निर्माण सामग्री के स्टॉक

रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहे। जैसे निर्माण सामग्री के आमद उपभोग व शेष की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। संबंधित निर्माण कार्य में जे0ई0आर0ई0डी0कार्य प्रभारी श्री सतीश कुमार भी रहे। जबकि कार्यप्रभारी के अतिरिक्त जे0ई0आर0ई0डी0 का होना आवश्यक है। जे0ई0आर0ई0डी0 श्री सतीश कुमार का कार्य प्रभारी होना गंभीर आपत्ति का विषय है।

(मूल आपत्ति सं0-2)

प्रस्तर-35 प्रसाद पुरवा रोड से इंटरलाकिंग कार्य व नाली निर्माण कार्य में संलग्नक बिल संख्या 01/15-04-2018 में क्रम संख्या दो पर दर्शित मद बेस कोन 1:6:12 मात्रा 23.70 मीटर क्यूब/316/मीटर क्यूब द्वारा धनराशि रूपए 74892×00 का भुगतान संस्था द्वारा फर्म को दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में यह धनराशि रूपए 7489.20 प्राप्त हुई है। इस प्रकार अंतर रूपए 67402.80 से संस्था से हानि हुई है। फर्म द्वारा धनराशि का नुटिपूर्ण आगणन कर संस्था को हानि पहुँचाई गई। धनराशि रूपए 67402.80 की वसूली हेतु बी डी ओ श्री आलोक पांडे ब्लाक प्रमुख श्रीमती निर्मला तत्कालीन लेखाकार श्री के के सक्सेना उत्तरदाई है। इनसे बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-36 उपरोक्त निर्माण कार्य में निमा.1 सामग्री भुगतान की नुटिपूर्ण धनराशि पर जीएसटी आगणन भी 12% की दर से नुटिपूर्ण रहा। नुटिपूर्ण धनराशि पर यह आगणन रूपए 38910.00 दर्शित रहा जबकि लेखा परीक्षा में यह धनराशि रूपए 30821.22 प्राप्त हुई। अंतर की धनराशि रूपए 8088.78 की अधिक जीएसटी कटौती हुई। अंतर की धनराशि को संबंधित विभाग से वापस प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए बी डी ओ श्री आलोक पांडे ब्लाक प्रमुख श्रीमती निर्मला तत्कालीन लेखाकार श्री के के सक्सेना उत्तरदाई है। जिम्मेदारी निर्धारित कर समाधान की कार्यवाही की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति सं0-4)

प्रस्तर-37 उपरोक्त निर्माण कार्य में निमा.1 सामग्री एवं जीएसटी भुगतान पर टीडीएस / 2.24% दर से धनराशि रूपए 8135.00 का भुगतान किया गया। जबकि लेखा परीक्षा में रूपए 6444.00 प्राप्त हुआ। अंतर की धनराशि रूपए 1691.00 का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी समाधान संबंधित विभाग से किया जाना चाहिए। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए बी डी ओ श्री आलोक पांडे ब्लाक प्रमुख श्रीमती निर्मला तत्कालीन लेखाकार श्री के के सक्सेना उत्तरदाई है। संबंधित विभाग से धनराशि 6444.00 वापस प्राप्त की जानी चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-38 प्रधानमंत्री आवास योजना मद में दिनांक 1/4/2018 को प्रारम्भिक शेष रूपए 235069.00 व वर्ष दौरान प्राप्ति रूपए 27102.00 एवं भुगतान की धनराशि रूपए 108595.00 ग्रांट पंजिका तीन में दर्शाई गयी है। प्राप्ति व उपभोग से संबंधित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराए जाने अपेक्षित रहे। संबंधित बैंक ऑफ बडौदा अकाउंट खाता संख्या 12520100018795 प्रस्तुत रही जिससे ग्रांट रजिस्टर 3 का मिलान कर जांच की गई। प्रारम्भिक शेष व अन्य धनराशियां समान रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-9)

क्षेत्र पंचायत- पतारा वर्ष 2018-19

प्रस्तर-39 आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय (01/04/2018 से 30/09/2018 तक) रू0 609983.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 24329.00 व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी तथा सामग्री क्रय (01/10/2018 से 31/03/2018 तक) रू0 273704.00 पर 2 प्रतिशत की दर से रू0 5474.00 जीएसटी की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि आलोच्य वर्ष में व्यापार कर एवं जीएसटी की कोई कटौती नहीं की गयी है जिससे व्यापार कर रू0 24399.00 एवं जीएसटी रू0 5474.00 कुल रू0 29873.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 29873.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-06)

प्रस्तर-40 आलोच्य वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01/04/2018 को व्यापार कर कटौती मद में धनराशि रु036447.00 जमा थी जिसे चैक सं0 000276 दिनांक 13/06/2018 रु0 36447.00 द्वारा में0 माँ कात्यायनी डेबलर्स फर्म को वापस कर दिया गया है। जिससे व्यापार कर रु0 36447.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 36447.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष 2018-19 में इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी मद से रु0 120000.00 व्यय किया गया है जिसका भुगतान आवास माडल कार्यप्रभारी श्री रवि सिंह सहायक विकास अधिकारी सह0 को किया गया है किन्तु आवास माडल से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः अपहरण की गयी धनराशि रु0 120000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री श्याम नारायण सिंह खण्ड विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश लेखाकार एवं कार्यप्रभारी श्री रवि सिंह सहायक विकास अधि0 सह0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-13)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 त्रिस्तरीय पंचायत राज

प्रारूप - 3

जनपद - हरदोई

मण्डल - लखनऊ

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित प्रस्तर

क्षेत्र पंचायत - हरपालपुर

प्रस्तर 1- क्षेत्र पंचायत हरपालपुर की वर्ष 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुषंसा से सक्रामित धनराशि को उपयोग से निम्न विवरणानुसार कार्य कराया गया, जिसके सापेक्ष कुल रु0 36,36,871.00 का भुगतान किया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म का नाम/कार्य प्रभारी	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि (रु0)
1	मलौथा पुलिया से राजेश बी0डी0सी0 के मकान तक खड़न्जा कार्य।	सत्यम ब्रिक फील्ड / श्री अब्दुल हसन ए0डी0ओ0	मलौथा	8,24,271.00
2	दहेलिया बारामऊ मार्ग से गठिया विद्यालय तक खड़न्जा कार्य।	सत्यम ब्रिक फील्ड / श्री अब्दुल हसन ए0डी0ओ0	दहेलिया	4,03,014.00
3	कटेठा ईसेपुर मार्ग से गिरौहपुरवा सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कार्य	पाण्डे ब्रिक फील्ड / श्री अब्दुल हसन ए0डी0ओ0	कटेठा	9,70,258.00
4	महदायन कला से नाउपुरवा तक खड़न्जा कार्य	सत्यम ब्रिक फील्ड / श्री विमल कुमार ए0डी0ओ0	महदायन कला	9,54,164.00
			योग -	31,51,707.00

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी कार्यों से मात्र एक-एक ग्राम पंचायत आच्छादित हो रही है। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या/1839/55.03. 2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 25 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर किया जायेगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म का नाम/कार्य प्रभारी	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि (रु0)
1	ज्यूरी चन्द्रमपुर से जूनियर हाईस्कूल के आगे तक खड़न्जा	श्री हिम्मत लाल	ज्यूरी चन्द्रमपुर	4,85,164.00

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी।

- 1) कार्य प्रारम्भ एवं शर्तों में स्पष्ट अंकित है कि धरोहर राशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/ नकद के रूप में खण्ड विकास अधिकारी के नाम बन्धक करते हुये निविदा प्रपत्र के साथ करना होगा परन्तु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
- 2) उपरोक्त समस्त कार्य मिट्टी व खड्डजा कार्य से सम्बन्धित है। परन्तु किसी भी कार्य में मिट्टी, बालू, मौरंग, सीमेन्ट आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। जो कराये गये कार्य एवं उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
- 3) वर्ष 2017-18 व 2018 - 19 में प्रस्तुत मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों के पारिश्रमिक की धनराशि उनके खाते में ट्रान्सफर न करके कार्य प्रभारी के पक्ष में चेक निर्गत कर भुगतान किया गया है। मस्टर रोल की समीक्षा में यह प्रकाश में आया कि मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। जॉब कार्ड संख्या व बैंक खात संख्या भी अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी द्वारा ग्राम पंचायतों से श्रमिकों के मांग सम्बन्धी सूचना भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जिन श्रमिकों से कार्य कराये गये हैं, वे वास्तव में उसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं, या नहीं/मास्टर रोल पर कार्य आवधि भी नहीं अंकित है।
- 4) वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत मानदेय पर कार्यालय से स्वीकृत ओदश संख्या व दिनांक अंकित नहीं था।
- 5) कराये गये कार्य की कार्यपूर्ति व उपभोग भी पत्रावली में संलग्न नहीं था और न ही लेखा परीक्षा पूर्ण करने की तिथि तक प्रस्तुत किया गया।
- 6) कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित मार्ग पर एक साईन बोर्ड लगाया जाता है। जिस पर कराये गये कार्य का पूरा विवरण अंकित रहता है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
- 7) माप पुस्तिका पर भी समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण नहीं की गई है।

अतः क्षेत्र पंचायत द्वारा ₹0 31,51,707.00 + 4,85,164.00 कुल ₹0 36,36,871.00 के सापेक्ष किया गया निर्माण कार्य उक्त शासनादेश (मार्गदर्शन सिद्धान्त) से स्पष्ट विचलन है। इस हेतु लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती वन्दना जौहरी, श्रीमती सन्ध्या रानी व अरुण कुमार जौहरी उत्तरदायी हैं।

(सा0 आ0 सं0-26)

प्रस्तर 2- वर्ष 2017-18 व 2018-19 में राज्य वित्त व 14वां वित्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न कर आंशिक अभिलेख प्रस्तुत किये गये। इस कारण समस्त अभिलेखों की जांच न की जा सकी। विवरणवार निम्नवत् है।

क्र.सं.	मद	कुल व्यय (₹0)	उपलब्ध अभिलेख (कब)	अप्राप्त अभि0 कब	वर्ष
1	राज्य वित्त	7,34,273.00	4,85,164.00	2,49,109.00	2017-18
2	राज्य वित्त	32,54,495.00	31,51,707.00	1,02,788.00	2018-19
	योग-	39,88,768.00	36,36,871.00	3,51,897.00	

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वन्दना जौहरी, श्रीमती सन्ध्या रानी, श्री अरुण कुमार जौहरी तथा सुनील कुमार सिंह लेखाकार उत्तरदायी हैं। वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-27)

प्रस्तर 3- वर्ष 2017 - 18 व 2018-19 में निम्न शीर्षों में व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्र.सं.	शीर्ष	व्यय (₹0)	वर्ष	अभियुक्ति
1	इनकम टैक्स	31,866.00	2017-18	अभिलेख अप्रस्तुत
2	पी0एम0 आवास कन्टीजेन्सी	3,57,165.00	2017-18	अभिलेख अप्रस्तुत
3	निर्वाचन	196.00	2017-18	अभिलेख अप्रस्तुत
4	पी0एम0आवास कन्टीजेन्सी	1,61,956.00	2017-18	अभिलेख अप्रस्तुत
5	विधायक निधि	17,85,627.00	2018-19	अभिलेख अप्रस्तुत
6	बायोगैस	8,000.00	2018-19	अभिलेख अप्रस्तुत
	योग-	23,44,810.00		

उक्त मदों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त अनियमितता हेतु, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वन्दना जौहरी, श्रीमती सन्ध्या रानी, श्री

अरुण जौहरी व सुनील कुमार सिंह, लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0 आ0 सं0-28)

प्रस्तर 4 –

क्र.सं.	भुगतान फार्म का नाम	भुगतान किसके द्वारा किया गया	भुगतान किसने प्राप्त किया	चेक संख्या / दिनांक	धनराशि
1	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन			16742 / 25.08.17	9,283.00
2	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन			22776 / 26.10.17	18,823.00
3	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन			22782 / 29.12.17	15,971.00
4	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन	राम नरेश (झा0)	अतीहरहमान कैशियर	अज्ञात	14,463.00
5	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन	राम नरेश (झा0)	अतीहरहमान कैशियर	अज्ञात	9,874.00
6	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन	राम नरेश (झा0)	अतीहरहमान कैशियर	अज्ञात	7,598.00
7	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन	राम नरेश (झा0)	अतीहरहमान कैशियर	27948 / 19.03.19	11,500.00
8	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन	राम नरेश (झा0)	अतीहरहमान कैशियर	27941 / अज्ञात	13,894.00
9	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन	लालन श्री (झा0)	श्री सुनील कुमार सिंह	27949 / 20.09.19	2,213.00
10	दुर्गा माँ फिलिंग स्टेशन	लालन श्री (झा0)	श्री सुनील कुमार सिंह	27940 / 04.02.19	24,582.00
				योग—	1,28,201.00

उपरोक्त व्यय रू0 1,28,201.00 के सन्दर्भ में आपत्ति के निम्न बिन्दु है।

- 1) आकस्मिक व्यय से सम्बन्धित डीजल व्यय का उल्लेख किया गया है। लेकिन उपरोक्त व्यय की पुष्टि के सन्दर्भ में अनिवार्य प्रपत्र यथा कार्य का उद्देश्य गाड़ी की लॉग बुक, तथा बिल पास करने वाली पंजिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।
- 2) भुगतान किये गये समस्त बिलों पर भुगतान मेरे द्वारा किया गया सम्बन्धित ड्राईवर द्वारा लिखा गया है एवं भुगतान को प्राप्तकर्ता कोई दूसरा व्यक्ति है। यह वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।
- 3) भुगतान किये गये डीजल के मूल प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वन्दना जौहरी, श्रीमती सन्ध्या रानी, श्री अरुण कुमार सिंह एवम् लेखाकार श्री सुशील कुमार सिंह उत्तरदायी है।

इस प्रकार उक्त भुगतान लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतया अनियमित है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार जौहरी एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।(सा0 आ0 सं0-29)

प्रस्तर 5 –

क्र.सं.	रोकड़ बही में अंकित दि०	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम	चेक संख्या / दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति
1.	15.01.2019	श्री मनजीत कुमार कश्यप	38044 / 23.12.18	रू0 18,000.00	राजकीय कार्य हेतु खण्ड अधिकारी महोदय को गाड़ी संख्या यूपी 32/ डीवाई 2504 मंगाई गई।
2.	04.01.19	श्री मनजीत कुमार कश्यप	27938 / 04.01.19	रू0 18,000.00	
			योग—	36,000.00	

क्षेत्र पंचायत हरपालपुर के वर्ष 2018-19 के जाँच में पाया गया कि मनजीत कुमार कश्यप टैक्सी ड्राइवर को दो तिथियों में चेक के माध्यम से रुपये 36,000.00 भुगतान किया गया है। प्रमाणक पर राजकीय कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी महोदय को गाड़ी संख्या यूपी -32/डीवाई 2504 मंगाई गई अंकित है। व्यय किये गये धनराशि का विवरण ऊपर अंकित है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- 1) राजकीय वाहन का प्रयोग न करके प्राइवेट वाहन का प्रयोग किये जाने के कारण प्रमाणक व अन्य अभिलेखों पर अंकित नहीं है।
- 2) श्री कश्यप से वाहन किराये पर लिये जाने का कोई भी अल्पकालीन अनुबन्ध/आदेश प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं हैं।
- 3) श्री कश्यप के वाहन से किन-किन स्थानों की यात्रा राजकीय हित में किया गया है।
- 4) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये गये यात्राओं से सम्बन्धित विजिट नोट/विवरण का उल्लेख भी प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
- 5) चेक संख्या - 38044 दिनांक 23.12.2018 धनराशि रूपया 18,000/- को दिनांक 15.01.2019 को रोकड़ बही में प्रविष्टि किया गया है। 23 दिवसों के उपरान्त प्रविष्टि किये जाने से स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।
- 6) प्रमाणक पर श्री कश्यप का पूर्ण पता भी अंकित नहीं है।

इस प्रकार उक्त भुगतान लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतया अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार जौहरी एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(साठ आठ सं०-31)

प्रस्तर 6- संस्था के जिन खातों का संचालन हो रहा है। उन खातों पर बैंक द्वारा ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया है। इस कारण संस्था को ब्याज की क्षति हो रही है। ब्याज प्राप्ति के लिये संस्था को बैंक से पत्राचार करना चाहिये। लेखा परीक्षा द्वारा ब्याज का अनुमानित आंकलन किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	माह/वर्ष	अवशेष धनराशि	क्र०	माह/वर्ष	अवशेष
1	अप्रैल-17	17,48,256.35	1	अप्रैल-18	60,68,680.35
2	मई-17	17,08,256.35	2	मई-18	53,93,218.35
3	जून-17	17,08,256.35	3	जून-18	63,01,960.35
4	जुलाई-17	16,19,390.35	4	जुलाई-18	63,41,524.35
5	अगस्त-17	16,08,890.35	5	अगस्त-18	68,41,760.35
6	सितम्बर-17	24,40,890.35	6	सितम्बर-18	66,57,358.35
7	अक्टूबर-17	25,48,790.35	7	अक्टूबर-18	66,57,358.35
8	नवम्बर-17	2,52,790.25	8	नवम्बर-18	66,57,358.35
9	दिसम्बर-17	25,09,790.35	9	दिसम्बर-18	70,45,952.35
10	जनवरी-17	26,07,097.35	10	जनवरी-18	55,24,291.35
11	फरवरी-17	25,90,252.35	11	फरवरी-18	54,94,502.33
12	मार्च-17	61,83,888.35	12	मार्च-18	68,89,559.35
	योग-	2,98,01,571.20			7,58,73,524.20

अनुमानित आंकलित ब्याज

29801571.20×4

1200

99338.57 या

रु० 99339.00

अनुमानित आंकलित ब्याज

75873524.20×4

1200

252911.74

= 252912.00

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि संस्था को वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 99339.00 (अनुमानित) एवं 2018-19 रु० 252912.00 (अनुमानित) कुल रु० 352251.00 का लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से ब्याज की क्षति हुयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई जो कि उसके राजकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता का परिचायक है। अतः इस स्थिति में अविलम्ब बैंक

से पत्राचार करते हुये ब्याज को क्रेडिट किये जाने हेतु मांग किया जाना अपेक्षित हैं। उक्त ब्याज की क्षति हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती वन्दना जौहरी, श्रीमती सन्ध्या रानी एवं श्री अरुण कुमार जोशी एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-32)

प्रस्तर 7 —क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2017-18 में मनरेगा कन्टीजेन्सी की रोकड़ बही की जाँच में यह तथ्य पाया गया कि दिनांक 30.12.2018 को श्री आशुतोष उत्तम कम्प्यूटर आपरेटर को रु0 8,000/- मानदेय माह जनवरी-2018 में किया जाना दर्शाया गया है। परन्तु पासबुक से 742910200006155/बैंक ऑफ इण्डिया से दिनांक 30.01.2018 को रु0 16,000/- चेक संख्या 22790/दिनांक 02.02.2018 द्वारा आहरित किया गया है तथा कैश बुक पर आहरण दिनांक 30.01.2018 अंकित किया गया है।

क्र.सं.	कैशबुक दिनांक	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	पासबुक में आहरित धनराशि	दिनांक	अन्तर	
1	30.01.2018	22790 / 02.02.18	8,000.00	16,000.00	02.02.18	रु0 8,000.00	अधिक भुगतान

इस प्रकार बैंक से रुपए 16,000/- आहरण कर मात्र 8,000.00 ही मानदेय भुगतान किया गया है। शेष रु0 8,000.00 का अभिलेखों में अवशेष अंकित न कर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज रु0 लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त किया गया भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु श्री सुनील कुमार सिंह लेखाकार तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वन्दना जौहरी जिम्मेदार हैं।

(सा0 आ0 सं0-33)

प्रस्तर 8 — लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये पत्रावलियों के अनुसार कतिपय फार्मों, को भुगतान किये गये धनराशि में से आयकर व जी0एस0टी0 की कटौती नहीं किया गया है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है। विवरण निम्नवत् है —

क्र. सं.	कार्य का नाम व पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान की गई धनराशि	कटौती नहीं किया गया राजकीय कर	
				आयकर (रु0)	जी0एस0टी0 (रु0)
1	दहेलिया बारामऊ मार्ग से गढ़िया विद्यालय तक खड़न्जा कार्य।	1.सत्यम् ब्रिक फील्ड इकनौरा 2. "	326145.00	—	6523.00
			283080.00	—	5662.00
2	महदभान कला से नाउपुरवा तक खड़न्जा कार्य	1.सत्यम् ब्रिक फील्ड इकनौरा 2. "	172260.00	—	3445.00
			535154.00	—	10703.00
3	ज्यूरी चन्द्रमपुर डायर के पास में जू0 हा0 स्कूल तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	1.मेसर्स अनुरोग बिक्र फील्ड	315526.00	6310.00	6310.00
	—	योग—	1632165.00	6310.00	32643.00

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश (एडीशनल कमिश्नर जी0एस0टी0 अनुभाग) लखनऊ के पत्रांक/ए0डी0 कमि0 जी0एस0टी0 अनुभाग/2018-19/181949/705 दिनांक 26.09.2018 के अनुसार 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवम् 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 की कटौती किया जाना चाहिए। अतः रु0 6310/आयकर एवम् रुपया 32643/जी0एस0टी0 सम्बन्धित फर्मों से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वन्दना जौहरी व श्री अरुण जौहरी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-25)

प्रस्तर 9 —संस्था के दो खातों का संचालन बन्द है। दोनों खातों में संस्था का कुल रु0 39532.00 अवरुद्ध पड़ा है। खातों का संचालन शुरू कराकर नियमानुसार जिस मद की धनराशि है। उसका शासनादेश के अन्तर्गत उपभोग किया जाना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र.सं.	खाता संख्या	बैंक शाखा/पो0आ0 शाखा का नाम	01.04.2017 को प्रारम्भिक अवशेष	2017-18		2018-19		31.03.2019 को अन्तिम अवशेष
1	05	बैंक ऑफ इण्डिया हरपालपुर	रु0 14,307.00	—	—	—	—	रु0 14,307.00
2	अंकित नहीं	पोस्ट ऑफिस शाखा अंकित नहीं	रु0 25225.05	—	—	—	—	रु0 25225.05
							योग—	रु0 39532.05

(सा0 आ0 सं0-06)

क्षेत्र पंचायत — अहिरोरी

प्रस्तर 10— क्षेत्र पंचायत — अहिरोरी, वि0 खण्ड— अहिरोरी, हरदोई की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान विकास कार्य नहीं कराये गये। वर्ष दौरान राज्य वित्त आयोग' मद अन्तर्गत कुल रु0 240500.00 का व्यय हुआ, (ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार) जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं —

क्र.सं.	व्यय विवरण (ग्रान्ट रजि0 पार्ट-द्वितीय अनुसार)	धनराशि (रु0)	टिप्पणी
1	मेसर्स पाठक सेल्स, सिविल लाइन, हरदोई	51,000.00 चेक 4894 /दिनांक 12.05.2017	प्रमाणक एवं व्यय विवरण अप्राप्त
2	श्री आकाश वर्मा, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत	91,000.00 चेक 4895 /दिनांक 23.08.2017	प्रमाणक एवं व्यय विवरण अप्राप्त
3	श्री रविनेश कुमार, कैशियर, क्षेत्र पंचायत (98,500.00 चेक 4896 /दिनांक 11.12.2017)	—	दिनांक 22.12.2017 की क्षेत्र पंचायत बैठक हेतु/ चेक निरस्त अथवा बैंक में प्रस्तुत नहीं किया
4	श्री रविनेश कुमार, कैशियर, क्षेत्र पंचायत	98,500.00 चेक 4897 /दिनांक 18.12.2017	बी0डी0सी0 सदस्यों को भत्ता वितरण/प्रमाणक अप्राप्त
	योग	2,40,500.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 240500.00 के व्यय की पुष्टि में प्रमाणक जांच हेतु अप्राप्त रहे परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि बैंक खाता संख्या — 1707 की बैंक पासबुक से होती है। जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 दौरान रु0 240500.00 की अनियमितता की गयी है। जिस प्रति आंकिक श्री रमेश चन्द्र शुक्ला उत्तरदायी है। इनके अतिरिक्त व्यय विवरण' कालम में अंकित पार्टियां/व्यक्ति उनके नाम से सम्मुख दर्शित धनराशियों के अनुसार भी अनियमितता के उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0-10)

प्रस्तर 11— क्षेत्र पंचायत अहिरोरी, जनपद— हरदोई की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त योजना मद' अन्तर्गत किया गया कुल व्यय ग्राण्ट रजि0—तृतीय एवं बैंक खात संख्या— 741610110001707 पासबुक अनुसार रु0 2004355.00 हैं। जबकि संस्था वर्क रजिस्टर अनुसार, वर्ष 2018-19 दौरान कुल 20 विकास कार्य करवाए गये, जिनमें से मात्र 11 कार्यों की ही पत्रावलियां जांच हेतु सुलभ करायी गयी जिनका संलग्न तालिका में विवरण दर्शाया गया है।

तालिका अनुसार रु0 703933.00 के सामग्री क्रय तथा रु0 437500.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। इस प्रकार कुल रु0 1141433.00 के व्यय की ही पुष्टि तालिकानुसार होती है। शेष व्यय रु0 (20,04,355.00—11,41,433.00=8,62,922.00) सम्बन्धी पत्रावलियां जांच में अप्राप्त रहीं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं—

क्र.सं.	कार्य का नाम (वर्क रजि0 अनुसार)	व्यय (रु0) (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
1	विकास खण्ड कैम्पस में शौचालय मरम्मत कार्य	26,744.00
2	विकास खण्ड कैम्पस में सौन्दरीकरण तथा रंगाई पुताई,	24,899.00

	इंटरलाकिंग कार्य	
3	निरंजनपुरवा में बारात घर का निर्माण	1,83,226.00
4	ग्राम अहिरोरी में निरंजनपुरवा से पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण	63,281.00
5	क्रमांक 13,14,15 के कार्य अज्ञात रहे (इन कार्यों की फोटोप्रति नहीं सुलभ करायी।)	व्यय अज्ञात
6	बरखेरवा से देवी मन्दिर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	1,20,947.00
7	प्रा0पा0 समरेहटा से नकुडी गांव तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	54,789.00
8	व्यय विवरण अस्पष्ट (अन्तर राशि)	3,89,036.00
	योग—	8,62,922.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 862922.00 की पत्रावलियां लेखा परीक्षा हेतु नहीं सुलभ करायी हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अभिलेख नहीं सुलभ कराकर रु0 862922.00 की अनियमितता की हैं। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव सिन्हा, सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, अवर अभियन्ता श्री फरकान अहमद तथा श्री पंकज कुमार तथा ब्लाक प्रमुख श्री शिवरतन लाल समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0 आ0 सं0-14)

प्रस्तर 12 —क्षेत्र पंचायत अहिरोरी, हरदोई की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तालिका अनुसार वर्ष 2018-19 हेतु ग्यारह निर्माण कार्यों के आधार पर टी0डी0एस0 कटौती रु0 12553.00 एवं अरनेस्ट मनी, कटौती रु0 30,657.00 की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। समस्त निर्माण कार्य पत्रावलियां जांच में अप्राप्त रहने के कारण टी0डी0एस0 कटौती तथा अरनेस्ट मनी कटौती की वास्तविक स्थिति लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहीं। फिर भी उपलब्ध पत्रावलियों के आधार पर लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट होता है कि टी0डी0एस0 कटौती रु0 12553.00 एवं अरनेस्ट मनी कटौती रु0 30,657.00 की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्रांट रजि0 तृतीय में सम्बन्धित कटौती खाते नहीं खोले हैं। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। रु0 30657.00 की अरनेस्ट मनी कटौती की पुष्टि में पंजिका भी तैयार नहीं की गयी है। जिससे लेखा परीक्षा में अरनेस्ट मनी प्राप्ति एवं वापसी समायोजन की स्थिति अस्पष्ट रही। अतः अरनेस्ट मनी पंजिका तैयार करना लेखा परीक्षा में अपेक्षित है। साथ ही उक्त टी0डी0एस0 कटौती रु0 12553.00 के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक जमा चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि उक्त राशि जमा न करके क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 12553.00 की राजस्व हानि की गयी है। साथ ही लेखा परीक्षा में यह भी स्पष्ट होता है कि टी0डी0एस0 कटौती मद का खाता ग्रांट रजिस्टर तृतीय में न खोलकर एवं टी0डी0एस0 राशि जमा न करवाकर क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 12553.00 की धनराशि का अपहरण किया गया हैं। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव सिन्हा तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-15)

प्रस्तर 13 — क्षेत्र पंचायत अहिरोरी, हरदोई की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय में टेण्डर बिक्री की धनराशि/प्रपत्र बिक्री मद अन्तर्गत खाता नहीं खोला गया है, जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 दौरान कुल बीस विकास कार्य करवाये गये। इनमें से नौ विकास कार्यों की पत्रावलियां जांच हेतु अप्राप्त रहीं, जिस कारण इन कार्यों से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र मूल्य राशि जांच में अज्ञात रही। सुलभ रही ग्यारह पत्रावलियोंनुसार कुल (11×3=33) निविदा प्रपत्रों की बिक्री हुयी। पत्रावलियों की जांच में प्रत्येक प्रपत्र का मूल्य रु0 900.00 था। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को इन प्रपत्रों की बिक्री से रु0 (11×3×900=29700.00) प्राप्त हुयें। क्षेत्र पंचायत ने यह धन बैंक खाते में जमा किया कि पुष्टि में, जमा रसीद जांच हेतु सुलभ नहीं करायी। साथ ही इस सम्बन्ध में ग्रांट रजिस्टर तृतीय में खाता भी नहीं खोला गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार ने निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु0 29700.00 का सुनियोजित तरीके से अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव सिन्हा तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार से

की जानी चाहिये। विभागीय अधिकारियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0 आ0 सं0-16)

क्षेत्र पंचायत – भरावन

प्रस्तर 14 – सागरगढ़ी में जखवा पावर हाउस सम्पर्क मार्ग से इन्डियन आयल तक खड़न्जा कार्य दिनांक 10.10.2018 से दिनांक 05.11.2018 तक किया जाना दर्शित हैं। जिसमें सामग्री क्रय पर कुल रू0 3,60,568.00 का नकद भुगतान किया गया नियमानुसार रू0 2,000.00 से अधिक के क्रय का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये। इस प्रकार क्रय का नकद भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह/ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी दीक्षित/लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-02)

प्रस्तर 15 – औनादेवकली से भवानीखेड़ा तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य दिनांक 05.11.2018 से दिनांक 12.11.2018 तक किया जाना दर्शित हैं जिसमें सामग्री क्रय पर कुल रू0 1,96,521.00 का नकद भुगतान किया गया नियमानुसार रू0 2,000.00 से अधिक के क्रय का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये। इस प्रकार क्रय का नकद भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह/ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी दीक्षित/लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-03)

प्रस्तर 16 – कटरा से भभुआ तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य दिनांक 10.10.2018 से 15.11.2018 तक किया जाना दर्शित है। जिसमें सामग्री क्रय पर कुल रू0 4,28,130.00 का नकद भुगतान किया गया है। नियमानुसार रू0 2,000.00 से अधिक के क्रय का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये। इस प्रकार क्रय का नकद भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह/ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन देवी दीक्षित/लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-20)

प्रस्तर 17 – उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2012 को जारी शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किय गया हो तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार का आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा कर दिया जाय। क्षेत्र पंचायत भरावन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में धनराशि रू0 2,49,586.00 ब्याज अर्जित किया गया है जो राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है। जिसके लिये खण्ड वि0 अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह, डा0 सपना अवस्थी, श्री मो0 फारुक/ब्लाक प्रमुख/श्रीमती सुमन देवी दीक्षित लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सा0 आ0 सं0-05)

क्षेत्र पंचायत – बेहन्दर

प्रस्तर 18 – आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यों पर सामग्री पर रू0 1296769.00 की धनराशि व्यय की परन्तु अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त सामग्री पर 2 प्रतिशत की दर से रू0 25935.00 टी0डी0एस0 की कटौती की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी इं0 रिचा सिंह (इंचार्ज) व श्री पी0एन0 यादव तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार व श्री अतुल अवस्थी उत्तरदायी हैं।

(सा0 आ0 सं0-12)

प्रस्तर 19 – आलोच्य वर्ष 2018-19 में कराये गये निर्माण कार्यों पर सामग्री पर रू0 3223469.00 की धनराशि व्यय की परन्तु अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त सामग्री पर 2 प्रतिशत की दर से रू0 64469.00 टी0डी0एस0 की कटौती की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी इं0 रिचा सिंह (इंचार्ज) व श्री पी0एन0 यादव तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार व श्री अतुल अवस्थी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-13)

प्रस्तर 20 – वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में मात्र एक ही विक्रेता/संस्था असही ब्रिक फील्ड, हरदलमऊ से समस्त सामग्री क्रय दर्शित है, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि एक ही व्यक्ति/संस्था से सामग्री क्रय किये जाने से सामग्री की

गुणवत्ता व मूल्य प्रभावित होता है। वर्ष 2017-18 में असही ब्रिक फील्ड को ₹0 995369.00 एवं 2018-19 में ₹0 3223469.00 का भुगतान किया गया। जिसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1. इ0 रिचा सिंह व 2. श्री पी0 एन0 यादव तथा सहायक लेखाकार 1. श्री सुशील कुमार व 2. श्री अतुल अवस्थी की हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0-22)

प्रस्तर 21 —वर्ष 2017-18 में श्रमांश पर धनराशि ₹0 3,01,400.00 एवं वर्ष 2018-19 में धनराशि ₹0 7,04,725.00 का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मस्टर रोल एवं एम0बी0 अप्राप्त रहे। किये गये भुगतान की पुष्टि मात्र अनुदान रजिस्टर-2 एवं बैंक पासबुक से लेखा परीक्षा में की गयी। अतः मस्टर रोल एवं एम0बी0 से भुगतान की पुष्टि न कराये जाने के कारण उपरोक्त किये गये भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिये सहायक विकास अधिकारी (आईएस0बी0) श्री बाबूलाल वर्मा, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1. इ0 रिचा सिंह व 2. श्री पी0एन0 यादव तथा सहायक लेखाकार 1. श्री सुशील कुमार व 2. श्री अतुल अवस्थी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0-23)

क्षेत्र पंचायत — हरियावाँ

प्रस्तर 22 — वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये गए, जिसमें कार्य प्रभारी को निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत मजदूरी/श्रमांश धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया। जबकि संशोधित एस्टीमेटपारित कराकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, इस प्रकार स्वीकृत श्रमांश धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किया जाना कार्य के प्रति लापरवाही का सूचक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि – श्रमांश/मजदूरी	व्यय धनराशि मजदूरी श्रमांश/			अधिक धनराशि का भुगतान	प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी
			चेक सं०	दिनांक	धनराशि		
1	लोढ़िया खेड़ा से रामदास के खेत तक खड़न्जा कार्य	145900 /—	002339	11.05.18	118795.00	12515.00	श्री अवनीश कुमार (ग्रा०वि०आ०) श्री रामेन्द्र कुमार (लेखाकार)
			013029	07.08.18	39620.00		
				योग	158415.00		
2	पपाईपुरवा मोड़ से अंबेडकर मूर्ति तक खड़न्जा कार्य	132700 /—	002340	11.05.18	107200.00	9570.00	श्री अवनीश कुमार (ग्रा०वि०आ०) श्री रामेन्द्र कुमार (लेखाकार)
			002350	07.08.18	35070.00		
				योग	142270.00		
3	पुत्तू के खेत से पापाईपुरवा मोड़ तक खड़न्जा कार्य	132700 /—	002341	11.05.18	107200.00	9570.00	श्री अवनीश कुमार (ग्रा०वि०आ०) श्री रामेन्द्र कुमार (लेखाकार)
			013027	07.08.18	35070.00		
				योग	142270.00		
योग—		411300 /—	—	—	442955.00	31655.00	—

(सा0 आ0 सं0-17)

क्षेत्र पंचायत — बावन

प्रस्तर 23 — वर्ष 2017-18 में विधायक निधि मद में निर्माण कार्य पर कुल भुगतान ₹0 8,00,339/— व्यय किया गया जिसमें की सामग्री पर शुद्ध भुगतान ₹0 626241/— तथा मस्टर रोल/श्रमांश पर ₹0 174098/— पर व्यय है। सामग्री पर कुल टी0डी0एस0 ₹0 15,158/— एवं वैट पर ₹0 26,725/— (कुल—₹ 41,883/—) काटना दर्शित है परन्तु टी0डी0एस0 एवं वैट की धनराशि को राजकीय कोष में/बैंक में चालान द्वारा जमा कराये जाने के सबन्ध में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए, उपरोक्त धनराशि जमा कराने का दायित्व संबंधित लेखाकार (श्री विमलेश कुमार मिश्रा), खंड विकास अधिकारी (श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव) पर निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय कोषागार में मय ब्याज सहित

जमा कराये जाने के पश्चात लेखा परीक्षा में प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0 आ0 सं0-16)

क्षेत्र पंचायत – कोथावाँ

प्रस्तर 24 – वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कार्य के सापेक्ष सामग्री क्रय की गई परन्तु कार्य 2017-18 में कराया गया जिससे क्रय किये गए वाउचर 2016-17 से सम्बन्धित रहे। वर्ष 2017-18 में श्रमांश के मद में रु0 9,91,029/- व्यय किया गया परन्तु इसके सापेक्ष कराये गये कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। इसका कारण खंड विकास अधिकारी के पत्रांक 2780/लेखा/आडिट/क्षेत्र पं0/2018-19 दिनांक 04.02.2019 द्वारा अवगत कराया गया की मूल एम0बी0 वर्ष 2017-18 में तैनात अवर अभियन्ता श्री मूल चन्द्र यादव (आर ईडी) द्वारा उपलब्ध नहीं कारवाई गयी। साथ ही इस कारण कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में वर्ष 2017-18 में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही वर्ष 2016-17 के कार्य पर व्यय सामग्री जो की अनुमानित लागत के अनुसार रु0 16,32,771/- रही उपरोक्त सामग्री उपभोग की भी पुष्टि एम0बी0 न मिलने के कारण नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त समस्त धनराशि वित्तीय अनियमितता के दायरे में आती है। जिसके लिये श्री मूल चन्द्र यादव (जेईआर ईडी) सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।(सा0 आ0 सं0-17)

क्षेत्र पंचायत – टोडरपुर

प्रस्तर 25 –वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत में राज्य वित्त के अन्तर्गत पत्रावली के अनुसार कुल व्यय रु0 8581216.00 किया गया दर्शित हैं। जिसमें से रु0 51,43,250.00 वर्ष 2018-19 में सामग्री पर व्यय एवं रु0 2563335.00 वर्ष 2018-19 में श्रमांश पर व्यय दर्शित है। इस प्रकार 2018-19 में राज्य वित्त के मद में सामग्री एवं श्रमांश पर कुल व्यय रु0 7706585.00 दर्शित है। रु0 272971.00 का व्यय प्रमुख मानदेय, बी0डी0सी0 बैठक एवं मानदेय तथा टेंडर के लिए किया गया दर्शित है। वित्तीय 2018-19 में तीन चेकों क्रमशः 609714, 609715 एवं 609716 द्वारा क्रमशः रु0 1,59,733.00+1,75,706.00+2,66,221.00= कुल रु0 6,01,660.00 का व्यय दर्शित है, परन्तु व्यय से दर्शित कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ किया गया है, जो आपत्ति का विषय है इस प्रकार उपरोक्त व्यय क्रमशः रु0 77,06,585.00+2,72,971.00+6,01,660.00= कुल रु0 85,81,216.00 है।

चेक संख्या 609714 से रु0 1,59,733.00 टोडरपुर उमरौली मार्ग से मदन पाल के घर तक खड़न्जा अवशेष कार्य के लिए, चेक संख्या 609715 से रु0 1,75,766.00 फत्तेपुर गयन्द से राजू के खेत तक खड़न्जा निर्माण एवम् चेक सं0 609716 ये रु0 2,66,221.00 राजू के खेत से कामेपुर खड़न्जा निर्माण पर खर्च किया गया है। जो रु0 वित्तीय वर्ष 2018-19 में आहरित किया गया है। जबकि कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुरू किया गया है। जो वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह, सुश्री एकता सिंह लेखाकार श्री अनूप कुमार दीक्षित एवं ब्लाक प्रमुख श्री रामबाबू त्रिवेदी उत्तरदायी है। और एक ही कार्य के लिए दोहरे आहरण की सम्भावना को बढ़ाता है, जिसकी कार्यवाही आवश्यक है।
(सा0 आ0 सं0-11)

प्रस्तर 26 –वर्ष 2017-18 में सामग्री खरीद पर वैट रु0 19,401.00 काटा जाना था लेकिन नहीं काटा गया, जो वित्तीय अनियमितता है। वर्ष 2018-19 में सामग्री खरीद पर वैट रु0 2,07,105.00 काटा जाना था लेकिन मात्र रु0 26,404.00 ही काटा गया है। शेष रु0 1,80,701.00 लेखाकार द्वारा काटकर राजकीय कोष में सम्पूर्ण धनराशि रु0 19,401.00 वर्ष 2017-18 का एवं रु0 2,07,105.00 वर्ष 2018-19 का जमा कराना चाहिए था लेकिन अभी तक न जमा करना वित्तीय अनियमितता की तरफ इशारा करता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दीनदयाल, ऋषिपाल सिंह, सुश्री एकता सिंह ब्लाक प्रमुख श्री राम बाबू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री अनूप दीक्षित उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0 आ0 सं0-14)

प्रस्तर 27 – उ0प्र0 शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.03.2012 को जारी शासनादेश संख्या- ए0-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया हो तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये। क्षेत्र पंचायत टोडरपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 594489.59 ब्याज अर्जित है, जो राजकीय कोष

में जमा नहीं किया गया है। जो घोर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकार, श्री दीनदयाल, श्री ऋषि पाल सिंह, सुश्री एकता सिंह/ब्लाक प्रमुख, श्री राम बाबू त्रिवेदी एवं लेखाकार, श्री अनुप दीक्षित उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-15)

लखीमपुर-खीरी

क्षेत्र पंचायत – बेहजम विकास खण्ड – बेहजम वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-1 वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार राज्य वित्त/12वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर निम्न व्यय किये गये हैं :-

क्र० सं०	विवरण	फर्म का नाम	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	आयकर
1	ग्रा0पं0 मिर्जापुर में सोडियम लाईट की स्थापना	मे0 ओम जी ट्रेडर्स	02.06.2011	244467	92628.00	2122.00
2	नगरा पेन्टेड रोड से गुरु प्रसाद यादव के स्कूल तक सी0सी0 रोड	मे0 माँ दुर्गा ट्रेडर्स	19.09.2011	244477	124492.00	5335.00
			04.10.2011	244483	123600.00	
3	विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष की मरम्मत व रंगाई पुताई	मे0 माँ दुर्गा ट्रेडर्स	04.10.2011	244479	38484.00	
		मे0 रतन लाल अग्र0 ईट भट्टा	04.10.2011	244480	58527.00	
		मे0 दुर्गा इण्टरप्राइजेज	04.10.2011	244481	32450.00	2948.00
		मे0 माँ दुर्गा ट्रेडर्स	24.10.2011	244484	49082.00	
		मे0 पटेल ट्रेडिंग कं०	24.10.2011	244485	19998.00	
		डी0पी0 सिंह ए०डी०ओ०	24.10.2011	244486	28731.00	1125.00
		डी0पी0 सिंह ए०डी०ओ०	15.12.2011	244498	95160.00	
4	ककरहिया तालाब के पास मूडाबुजुर्ग में पुलिया निर्माण	मे0 माँ दुर्गा ट्रेडर्स	15.12.2011	24490	11466.00	
		मे0 सिंह स्पन पाइप	15.12.2011	24491	32828.00	
		डी0पी0 सिंह ए०डी०ओ०	26.12.2011	301851	46300.00	
5	गुलौला में पेन्टेड रोड के पास खडन्जे पर पुलिया	मे0 माँ दुर्गा ट्रेडर्स	15.12.2011	24492	2240.00	
		मे0 सिंह स्पन पाइप	15.12.2011	24493	24910.00	
		डी0पी0 सिंह ए०डी०ओ०	23.12.2011	24499	46140.00	
6	गंगापुर रायखेड़ा के बीच पुलिया निर्माण	मे0 आर०एस०ए० ईट उद्योग	15.12.2011	24494	66643.00	
		डी0पी0 सिंह ए०डी०ओ०	26.12.2011	24500	65950.00	
7	मुड़िया में पेन्टेड रोड के पास पुलिया निर्माण	मे0 आर०एस०ए०	15.12.2011	24495	12742.00	4358.00

		ईट उद्योग				
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	26.12.2011	301852	37980.00	
8	पसियनपुरवा में देवी स्थान से सुन्दर के खेत तक खडन्जा निर्माण	डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	26.12.2011	301853	9840.00	
		गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	24.02.2012	26905	141166.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	24.02.2012	26906	84460.00	
9	सरैया से आयेल खीरी रोड तक खडन्जा मरम्मत	डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	26.12.2011	301854	9600.00	
		गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	24.02.2012	26907	150082.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	24.02.2012	26908	100786.00	12546.00
10	इमलिया मजरा में अर्जुन मातादीन के घर के पास से पुलिया तक खडन्जा मरम्मत	डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	26.12.2011	301855	9600.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	21.03.2012	26915	58320.00	
		गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	22.03.2012	26924	130021.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	29.03.2012	26928	34000.00	
11	बढ़रिया में सज्जन मास्टर के घर से बेहजम अटरिया मार्ग तक खडन्जा	डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	26.12.2011	301856	19200.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	21.03.2012	26916	36000.00	
		गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	22.03.2012	26925	150453.00	6426.00
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	29.03.2012	26927	57500.00	
12	डिप्टीपुरवा में ओयल सम्पर्क मार्ग पर नंदा के घर से श्रीकृष्ण के घर तक खडन्जा मरम्मत व नाली निर्माण	डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	26.12.2011	301857	10680.00	
		माँ दुर्गा ट्रेडर्स	26.12.2011	301858	75036.00	1719.00
		गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	24.02.2012	26903	202440.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	24.02.2012	26904	77971.00	
13	लखीमपुर-मोहम्मदी रोड से रामानंद शुक्ल के घर तक खडन्जा मरम्मत	डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	26.12.2011	301860	19200.00	
		भदूरा ईट उद्योग	26.12.2011	301861	96587.00	
		भदूरा ईट	24.02.2012	26901	53866.00	2213.00

		उद्योग				
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	24.02.2012	26902	103856.00	
14	ग्राम मेनभीरी में चिमनी तालाब के पास पुलिया निर्माण	गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	24.02.2012	26910	34046.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	24.02.2012	26911	26390.00	
15	मुड़वा नाले पर पुलिया निर्माण	गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	24.02.2012	26912	74946.00	
		डी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0	24.02.2012	26913	32640.00	5488.00
16	विकास खण्ड में बी0डी0ओ0 आवास मरम्मत व विद्युतीकरण	ओम शान्ती इलेक्ट्रिकल्स	21.03.2012	26917	67743.00	1552.00
		बिजली मिस्त्री	21.03.2012	26919	5000.00	
17	पहाड़ा लिंक रोड से बेहजम तक खडन्जा मरम्मत	सुनील कुमार पाण्डेय	22.03.2012	26922	12000.00	
		गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	22.03.2012	26923	74298.00	
		गुरु कृपा ब्रिक फील्ड	29.03.2012	26929	154168.00	5234.00
18	लखनापुर-अल्लीपुर मार्ग से सिद्ध बाबा तक सी0सी0 रोड	आर0एल0ए0 ईट उद्योग	30.03.2012	26931	43043.00	2155.00
19	प्रमुख कक्ष हेतु साज सज्जा सामान	नकद	24.10.2011	24488	10500.00	
		नकद	24.11.2011	24489	13030.00	
		अरुण स्टील वर्क्स	21.03.2012	26920	8126.00	
		वी0एल0 इण्टरप्राइजेज	21.03.2012	26921	13580.00	
20	ग्राम पंचायत बेहजम में सोडियम लाइट स्थापना	मे0 वर्मा कम्पू0 एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	.	.	92950.00	
21	ग्राम पंचायत बहादुरपुर में सोडियम लाइट स्थापना	मे0 वर्मा कम्पू0 एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	.	.	185900.00	4260.00
22	विकास खण्ड परिसर में तकनीकी कक्ष की मरम्मत	मे0 माँ दुर्गा ट्रेडर्स	.	.	187733.00	
		अजीत कुमार सिंह	.	.	11954.00	
		अजीत कुमार सिंह	.	.	66400.00	
			योग :-		3755462.00	61783.00
23	मनरेगा क्षेत्र पंचायत से निर्माण पर व्यय	—	.	.	1416144.00	
24	पि0क्षे0अ0नि0 से निर्माण कार्य पर व्यय	—	.	.	1517807.00	
	वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त/12वाँ/13वाँ/मनरेगा/पि0क्षे0अ0नि0 से कुल व्यय		योग :-		6689413.00	61783.00

			महायोग :-		6751196.00

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/मनरेगा एवं पि0क्ष0अ0नि0 से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी राशि रू0 6751196.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

(i)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
(ii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
(iii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
(iv)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
(v)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
(vi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
(vii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत ब्याज देने की राशि लेना।
(viii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
(ix)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान
(x)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र देना।
(xi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
(xii)	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
(xiii)	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम-4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती		
(xiv)	उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती		
(xv)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती		
(xvi)	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि।		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रू0 6751196/- को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रू0 6751196/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 उ0प्र0 शासनादेश संख्या-ट-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमाकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये।

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त, मनरेगा एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त ब्याज का विवरण निम्न प्रकार रहा -

क्र0सं0	मद का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त ब्याज	योग
1	राज्य वित्त	52876.00	103307.00	156183.00
2	मनरेगा	47720.00	1057.00	48777.00
3	बी0आर0जी0एफ0	29203.00	12985.00	42188.00
	योग :-	129799.00	117349.00	247148.00

उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त राशि रु0 247148/- को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके बिना अनुमति के इसे अज्ञात मदों पर व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् रहा –

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	राज्य वित्त ब्याज से व्यय	33515.00
2	मनरेगा ब्याज से व्यय	39202.00
3	बी०आर०जी०एफ० ब्याज से व्यय	18681.00
	योग :-	91398.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः शासनादेश के विपरीत कोषागार में जमा करने के बजाय प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त राशि रु0 91398/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त राशि रु0 91398/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त मद से रु0 3048633/- 13वाँ वित्त मद से रु0 1218655/- एवं विधायक निधि मद से रु0 1403357/- कुल धनराशि रु0 5670645/- निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी है। जिनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, कार्यवाही, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, टेण्डर नोटिस, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी –

(i)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
(ii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
(iii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
(iv)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
(v)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
(vi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
(vii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
(viii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम०बी० करना।
(ix)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम०बी० का 90 प्रतिशत भुगतान
(x)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र देना।
(xi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
(xii)	उ०प्र० खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना एवं भुगतान।		
(xiii)	उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम-4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती		
(xiv)	उ०प्र० वैट अधिनियम, 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती		
(xv)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती		
(xvi)	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि।		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु0 5670645/- को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी,

ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 5670645/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 उ0प्र0 शासनादेश संख्या-ट-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये।

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से रु0 124426/- ब्याज अर्जित किया गया है जिसे राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया।

उक्त ब्याज में रु0 8814/- बिना अनुमति के अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः शासनादेश के विपरीत कोषागार में जमा करने के बजाय प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त राशि रु0 8814/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 8814/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त मद से रु0 1413647/-, 13वाँ वित्त मद से रु0 4219441/-, विधायक निधि मद से रु0 2552045/- एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद से रु0 527611/- कुल धनराशि रु0 8712744/- विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी है जिनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, कार्यवाही, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, टेण्डर नोटिस, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी-

(i)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
(ii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
(iii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
(iv)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
(v)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
(vi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
(vii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
(viii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
(ix)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान
(x)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र देना।
(xi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
(xii)	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना एवं भुगतान।		
(xiii)	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम-4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती		
(xiv)	उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती		
(xv)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती		
(xvi)	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि।		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु0 8712744/- को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 8712744/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – बेहजम विकास खण्ड – बेहजम वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-6 दिनांक 20/03/2015 को मनरेगा योजना के खाते से रु0 11939/- की राशि राज्य वित्त खाते में अंतरित की गयी जिसके द्वारा दिनांक 12/02/2015 को चेक संख्या 004227 द्वारा किये गये टेलीफोन बिल के भुगतान रु0 11939/- की क्षतिपूर्ति की गयी। उक्त अंतरण के लिये किसी भी सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी तथा टेलीफोन बिल भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत नहीं की गयी अतः उक्त रु0 11939/- का अंतरण एवं व्यय अमान्य है तथा वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 दिनांक 17/07/2014 को राज्य वित्त से स्टेशनरी क्रय हेतु रु0 15189/- का भुगतान तत्कालीन कैशियर श्री रमेश चन्द्र को चेक सं0 016883 द्वारा किया गया परन्तु स्टेशनरी क्रय की पुष्टि में सामग्री स्टॉक रजिस्टर एवं क्रय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रमाणक विहीन व्यय रु0 15189/- अमान्य है जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त अपहरण के लिये कैशियर, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः रु0 15189/- की ब्याज सहित वसूली प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से ब्लाक प्रमुख के कक्ष हेतु विभिन्न फर्नीचर एवं साज-सज्जा का सामान क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा :-

दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री	चेक नम्बर	धनराशि
04.09.2014	मे0 भारत फर्नीचर एण्ड टिम्बर	कुर्सी क्रय	16884	90504.00
16.10.2014	मे0 न्यू खान फर्नीचर हाउस	सोफा सेट + मेज	16892	125613.00
16.10.2014	मे0 न्यू खान फर्नीचर हाउस	पार्टीशन + कुर्सी मेज + टेबिल	16893	136860.00
16.10.2014	मे0 न्यू खान फर्नीचर हाउस	आफिस टेबिल, साइड टेबिल + रैक	16894	84366.00
01.12.2014	मे0 ज्योति इण्टरप्राजेज	इनवर्टर एवं बैटरी	001816	14100.00
02.01.2015	मे0 आबिद टिम्बर एण्ड रिपेयरिंग वर्क्स	3 सीटर सोफा सेट	001812	71242.00
		योग :-		522685.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं डेड स्टॉक रजिस्टर/चल सम्पत्ति रजिस्टर/क्रय प्रस्ताव, कोटेशन आदि उपलब्ध नहीं रहा। अतः व्यय रु0 522685/- प्रमाणक विहीन होने के कारण अमान्य है तथा अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक

प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 522685/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 वर्ष 2014-15 में मनरेगा प्रासंगिक योजना से निम्न व्यय दर्शित पाये गये -

दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्त कर्ता	चेक नम्बर	धनराशि
15.04.2014	गाड़ी किराया	भारत सिंह	2302	30000.00
06.06.2014	डीजल भुगतान	पवन फिलिंग स्टेशन	2318	12534.00
06.06.2014	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	सेल्फ	2319	4175.00
16.10.2014	गाड़ी किराया	मो0 हुसैन बक्स	0047	12000.00
26.11.2014	जीप किराया	मो0 हुसैन बक्स	0058	12000.00
12.12.2014	स्टेशनरी किराया	साहनी कम्पनी	0059	8920.00
12.12.2014	स्टेशनरी किराया	मास्टर बुक डिपो	0060	4415.00
12.12.2014	तौलिया क्रय	डी0सी0एम0 रिटेल	3181	3050.00
12.12.2014	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	आशीष इण्टरप्राइजेज	3182	27450.00
16.03.2015	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	3193	24000.00
16.03.2015	राज्य वित्त में वापस	-	3194	11939.00

22.03.2015	जीप किराया	मो० हुसैन खॉ	3195	12000.00
		योग :-		162483.00

(i) उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई गार्ड फाइल/व्यय प्रमाणक प्रस्ताव स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

(ii) स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री स्टॉक रजिस्टर/डेड स्टॉक रजिस्टर/स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा।

(iii) तौलिया क्रय का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।

(iv) गाड़ी किराया एवं जीप किराया की पत्रावली, किराया नामा, किराये पर लेने सम्बन्धी टेण्डर, लॉग बुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनकी जाँच नहीं की जा सकी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त समस्त व्यय प्रमाणक विहीन होने के कारण अमान्य है तथा अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं।

अतः उक्त राशि रु० 162483/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – “हसनापुर मेन खडन्जा से दयाल सिंह के झाला तक मिट्टी व खडन्जा कार्य” से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए—

(i) उक्त कार्य के कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार 625 मीटर मार्ग का निर्माण कराया गया जबकि टेण्डर 650 मीटर के लिये निकाला गया था।

(ii) पत्रावली में कार्य के दौरान का एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का कोई फोटो लगा नहीं पाया गया मात्र बोर्ड का एक फोटो लगा था।

(iii) भुगतान बिल के अनुसार कार्य दिनांक 05/11/2014 को समाप्त हुआ परन्तु एम०बी० के अनुसार कार्य की माप दिनांक 20/02/2015 को तीन माह के विलम्ब से ली गयी।

(iv) सामग्री आपूर्ति का टेण्डर मे० बालाजी ट्रेडर्स के नाम स्वीकृत हुआ परन्तु उक्त फर्म का बिल प्रिंटेड न होकर लेटर पैड पर बना पाया गया जिस पर बुक संख्या एवं क्रमांक अंकित नहीं था।

(v) श्रमिकों का भुगतान साप्ताहिक रूप से न करके दिनांक 15/10/2014 से 03/11/2014 तक कुल-17 दिन का एक साथ भुगतान किया गया है।

(vi) उक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार कार्य पर 2147.55 वर्गमीटर क्षेत्र में 59 ईट प्रति वर्गमीटर की दर से कुल 126705 ईट लगनी थी परन्तु एम०बी० के अनुसार मात्र 2075.95 वर्गमीटर क्षेत्र में ही कार्य कराकर कुल 122481 ईट का प्रयोग किया गया जबकि ईट क्रय के प्रमाणक पर कुल 121650 ईट की आपूर्ति अंकित थी। उक्त सभी तथ्य विरोधाभासी हैं। स्पष्ट है कि या तो कार्य का प्राक्कलन तैयार करते समय सही माप नहीं की गयी या एम०बी० गलत की गयी।

(vii) प्राक्कलन के अनुसार कुल रु० 169300/- की मजदूरी लगनी चाहिये थी जबकि एम०बी० के अनुसार मात्र रु० 73788/- की मजदूरी ही लगी जो कि अनुमान से लगभग 57 प्रतिशत कम थी। स्पष्ट है कि प्राक्कलन जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर तैयार किया गया।

(viii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-8 के अन्तर्गत पुनरीक्षित अनुमान तैयार नहीं किया गया।

(ix) सामग्री आपूर्ति के टेण्डर प्रकाशन की कटिंग पत्रावली में नहीं लगी पायी गयी।

उक्त सभी तथ्यों के आधार पर उक्त कार्य को अनियमित मानते हुये उस पर व्यय सम्पूर्ण राशि रु० 837592/- को **वित्तीय अनियमितता** की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री एस० जी० वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः राशि रु० 837592/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 राज्य वित्त से कराये गये कार्य—“गुलौला रोड से बसई गाँव तक मिट्टी व खडन्जा निर्माण” से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए —

(i) उक्त कार्य के टेण्डर प्रकाशन सम्बन्धी समाचार पत्र की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पायी गयी। नियम-19 का पालन नहीं किया गया।

(ii) अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 05/12/2014 तक समाप्त होना था परन्तु वास्तविक रूप से दिनांक 07/01/2015 को एक माह के विलम्ब से समाप्त हुआ जिसके लिये ठेका की शर्तें अध्याय-4 खण्ड 2(ग) के अन्तर्गत ठेकेदार पर 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु० 75500/- का जुर्माना लगाया जा सकता था परन्तु बिना कोई जुर्माना लगाये पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

(iii) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने से पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है तथा 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में तथा 5 प्रतिशत राशि प्रथम बिल से काटी जा सकती है। परन्तु उक्त कार्य में आवश्यक जमानत राशि रु0 75500/- में से रु0 16603/- (2.2 प्रतिशत) एफ0डी0 के रूप में, रु0 57917/- (7.67 प्रतिशत) प्रथम बिल से तथा शेष रु0 980/- (0.13 प्रतिशत) द्वितीय बिल से काटी गयी जो कि उक्त नियम का पूर्णतया उल्लंघन है।

(iv) निर्माण कार्य नियमावली 194 के नियम-24 के अन्तर्गत प्रत्येक बोलीदाता टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में टेण्डर के साथ जमा करेगा परन्तु उक्त कार्य में इस नियम का पालन नहीं किया गया तथा टेण्डर स्वीकृत होने के बाद टेण्डर पाने वाले ठेकेदार से 2.2 प्रतिशत राशि जमा करायी गयी।

(v) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-37 के अन्तर्गत ठेकेदार को कोई भी अग्रिम भुगतान एम0बी0 में दर्ज मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में प्रथम बिल की एम0बी0 रु0 723965/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत भुगतान करके उक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

(vi) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अनुसार किसी भी कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व रु0 दस लाख तक के कार्य का निरीक्षण परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा किया जायेगा परन्तु ऐसे निरीक्षण के बिना ही भुगतान कर दिया गया।

(vii) उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम0एम0-11 या फार्म-3सी न होने पर रु0 14/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी काट कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य पर व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 736210/- तथा जुर्मान न काटकर हानि रु0 75500/- कुल राशि रु0 811710/- की वित्तीय अनियमितताकी गयी है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री सतीश चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रु0 811710/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – “सरैया में कादिर के मकान से सुन्दर के मकान तक खडन्जा मरमत कार्य” से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

(i) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-19 के अन्तर्गत रु0 5000/- से अधिक के सभी निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया जायेगा परन्तु ऐसी कोई नोटिस की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पायी गयी।

(ii) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने से पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है तथा 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में एवं 5 प्रतिशत राशि प्रथम बिल से काटी जा सकती है। परन्तु उक्त कार्य में आवश्यक जमानत राशि रु0 17750/- में से रु0 3606/- (2 प्रतिशत) एफ0डी0 के रूप में, रु0 13904/- (7.8 प्रतिशत) प्रथम बिल से तथा शेष रु0 240/- (0.2 प्रतिशत) द्वितीय बिल से काटी गयी जो कि उक्त नियम का पूर्णतया उल्लंघन है।

(iii) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-24 के अन्तर्गत प्रत्येक बोलीदाता टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में टेण्डर के साथ जमा करेगा परन्तु उक्त कार्य में इस नियम का पालन नहीं किया गया तथा टेण्डर स्वीकृत होने के बाद टेण्डर पाने वाले ठेकेदार से 2 प्रतिशत राशि एफ0डी0 के रूप में जमा करायी गयी।

(iv) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-37 के अन्तर्गत ठेकेदार को कोई भी अग्रिम भुगतान एम0बी0 में दर्ज मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में प्रथम बिल की एम0बी0 रु0 173805/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत भुगतान करके उक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

(v) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 10,00,000/- तक के निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व उस कार्य का निरीक्षण परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा किया जायेगा परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

(vi) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम0एम0-11 या फार्म-3सी न होने पर

रु0 14/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी काट कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(vii) उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 04/02/2009 से उ0प्र0 में लागू है) के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत कर्मकार उपकर (लेबर सेस) काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में लागत रु0 176804/- का एक प्रतिशत 1768/- लेबर सेस नहीं काटा गया।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य पर व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 176804/- + लेबर सेस न काटकर रु0 1768/- कुल राशि रु0 178572/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री सतीश चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रु0 178572/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 वर्ष 2014-15 के ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार 13वाँ वित्त से रु0 1573959/-, विधायक निधि से रु0 2000360/- एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से रु0 538480/- कुल धनराशि रु0 4112799/- विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी है जिनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में कई माँग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 4, 6, 15, 19, 23, 24, 26, 37, 39 एवं 41, उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 2009 के नियम-4(3), उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा-3(7) तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के आलोक में कोई जाँच नहीं की जा सकी। अतः अभिलेखों एवं जाँच के अभाव में उक्त राशि रु0 4112799/- को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 4112799/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 दिनांक 11/05/2015 को रु0 15324/- एवं दिनांक 21/05/2015 को रु0 78500/- 13वाँ वित्त मद से राज्य वित्त मद में ट्रान्सफर किया गया तथा पुनः 14/08/2015 को राज्य वित्त मद से वापस 13वाँ वित्त मद में अंतरित किया गया है। उक्त अंतरण के लिये किसी भी सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी। उक्त अंतरण क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित करने हेतु किया गया परन्तु उक्त बैठक की कार्यवाही, सदस्यों को वितरित यात्रा भत्ता का रजिस्टर, बैठक का एजेण्डा आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त अंतरण अमान्य है तथा वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 93824/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 राज्य वित्त से वर्ष 2015-16 में डेड स्टॉक में निम्न सामग्री क्रय दर्शित पाया गया :-

दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का विवरण	चेक नम्बर	धनराशि
19.09.2015	मे0 इंडियन स्टील्स	कुर्सी क्रय	11808	30000.00
11.05.2015	मे0 संदीप एजेन्सीज	जनरेटर क्रय	05138	73540.00
		योग :-		103540.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, डेड स्टॉक रजिस्टर, चल सम्पत्ति रजिस्टर, जनरेटर की लॉग बुक, क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव, कोटेशन आदि उपलब्ध नहीं रहा। अतः उक्त व्यय रु0 103540/- प्रमाणक विहीन होने के कारण अमान्य है तथा अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 103540/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16-वर्ष 2015-16 में मनरेगा प्रासंगिक मद से निम्न व्यय दर्शित पाये गये -

दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक नम्बर	धनराशि
06.04.2015	जीप किराया	मे0 हुसैन खॉ	6066	12000.00
06.04.2015	टोनर, कार्टिज, पेन ड्राइव	मे0 इन्फोटेक कम्प्यूटर्स	6067	6250.00

08.06.2015	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	6068	24000.00
11.09.2015	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	6069	36000.00
23.09.2015	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	6080	12000.00
12.11.2015	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	14709	24000.00
26.02.2016	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	14710	48000.00
26.02.2016	टोनर, की बोर्ड, माउस, पेन ड्राइव आदि	मे0 दयाल इंफोसिस्टम	14712	7300.00
		योग :-		169550.00

- (i) उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई गार्ड फाइल/व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव, स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।
- (ii) कम्प्यूटर सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री स्टॉक रजिस्टर/डेड स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं रहा।
- (iii) गाड़ी किराया की पुष्टि में किराया की पत्रावली, किरायानामा, रसीदें, टेण्डर, लॉग बुक आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त समस्त व्यय प्रमाणक विहीन होने के कारण अमान्य है तथा अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 169550/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – “करनपुर पेन्टेड रोड से कैमा पेन्टेड रोड तक खडन्जा मरम्मत कार्य” से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

- (i) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-19 के अन्तर्गत रु0 5000/- से अधिक के सभी निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया जायेगा परन्तु ऐसी कोई नोटिस की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पायी गयी।
- (ii) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने से पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है जिसमें 5 प्रतिशत राशि तत्काल प्रतिभूति के रूप में तथा शेष 5 प्रतिशत राशि प्रथम बिल से काटी जा सकती है परन्तु उक्त कार्य में आवश्यक जमानत राशि रु0 52640/- में से रु0 12058/- (2.3 प्रतिशत) एफ0डी0 के रूप में, रु0 40342/- (7.67 प्रतिशत) प्रथम बिल से तथा शेष रु0 240/- (0.03 प्रतिशत) द्वितीय बिल से काटी गयी जो कि उक्त नियम का पूर्णतया उल्लंघन है।
- (iii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 के अन्तर्गत प्रत्येक बोलीदाता के लिये टेण्डर डालने के साथ टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में जमा करना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में इस नियम का पालन न करके टेण्डर स्वीकृत होने के बाद टेण्डर पाने वाले ठेकेदार से 2.3 प्रतिशत राशि एफ0डी0 के रूप में जमा करायी गयी।
- (iv) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-37 के अनुसार ठेकेदार को कोई भी अग्रिम भुगतान एम0बी0 में दर्ज मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में प्रथम बिल की एम0बी0 रु0 504279/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत भुगतान करके उक्त नियम का उल्लंघन किया गया।
- (v) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 1000000/- (रु0 दस लाख) तक के निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व उस कार्य का निरीक्षण परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा किया जायेगा परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।
- (vi) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र-एम0एम0-11 या फार्म-3सी न होने पर रु0 14/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान कर दिया गया।
- (vii) उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण/कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में लागत रु0 507278/- का 1 प्रतिशत रु0 5073/- लेबर सेस नहीं काटा गया।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य पर व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 507278/- + लेबर सेस न काटकर रु0 5073/- कुल राशि रु0 512351/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री सतीश चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रु0 512351/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य-“मड़राही प्रा0वि0 से नहर तक मिट्टी व खडन्जा कार्य” से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए -

(i) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-19 के अन्तर्गत रु0 5000/- से अधिक के सभी निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया जाना आवश्यक है परन्तु ऐसी किसी नोटिस की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पायी गयी।

(ii) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने से पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है जिसमें 5 प्रतिशत राशि तत्काल एफ0डी0 या एन0एस0सी0 के रूप में तथा शेष 5 प्रतिशत राशि प्रथम बिल से काटी जा सकती है परन्तु उक्त कार्य में आवश्यक जमानत राशि रु0 99900/- में से रु0 20000/- (2.0 प्रतिशत) एफ0डी0आर0 के रूप में, रु0 33078/- (3.3 प्रतिशत) प्रथम बिल से, रु0 44253 (4.43 प्रतिशत) द्वितीय बिल से तथा शेष रु0 240/- (0.02 प्रतिशत) तृतीय बिल से काटी गयी जो कि उक्त नियम का पूर्णतया उल्लंघन है तथा आवश्यक जमानत राशि से रु0 2300/- कम भी है।

(iii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 के अन्तर्गत प्रत्येक बोलीदाता के लिये टेण्डर डालने के साथ टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में जमा करना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में इस नियम का पालन न करके टेण्डर स्वीकृत होने के बाद टेण्डर पाने वाले ठेकेदार से 2 प्रतिशत राशि एफ0डी0 के रूप में जमा करायी गयी।

(iv) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-37 के अनुसार ठेकेदार को कोई भी अग्रिम भुगतान एम0बी0 में दर्ज मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में प्रथम बिल की एम0बी0 रु0 413477/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत पुनः द्वितीय बिल की एम0बी0 रु0 553166/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत भुगतान करके उक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

(v) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अन्तर्गत रु0 1000000/- (रु0 दस लाख) तक के निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व उस कार्य का निरीक्षण परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा किया जायेगा परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

(vi) उक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार कुल 2343 वर्गमीटर (710×3.30) में खडन्जा निर्माण होना था परन्तु एम0बी0 के अनुसार कुल 2281.1 वर्गमीटर ही कार्य हुआ है जो कि 61.9 वर्गमीटर कम है। स्पष्ट है कि प्राक्कलन तैयार करते समय सही माप नहीं की गयी।

(vii) पत्रावली में कार्य के दौरान की एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की कोई भी फोटो संलग्न नहीं पायी गयी। बिना प्रमाणित फोटो (पूर्णता के बाद की) के किया गया भुगतान मान्य नहीं है।

(viii) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र-एम0एम0-11 या फार्म-3सी न होने पर रु0 14/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान कर दिया गया।

(ix) उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण/कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में लागत रु0 969643/- का 1 प्रतिशत रु0 9696/- लेबर सेस काटे बिना ही भुगतान किया गया।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य पर व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 969643/- + लेबर सेस न काटकर रु0 9696/- कुल राशि रु0 979339/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री शिव गोविन्द वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रु0 979339/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 13वाँ वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – “कोटखेरवा सेन्टर के पास दो दर की पुलिया का निर्माण कार्य” की पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

- (i) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-19 के अन्तर्गत रु0 5000/- से अधिक के सभी निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया जाना आवश्यक है परन्तु ऐसी किसी नोटिस की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पायी गयी।
- (ii) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने से पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है जिसमें 5 प्रतिशत राशि तत्काल एफ0डी0 या एन0एस0सी0 के रूप में तथा शेष 5 प्रतिशत राशि प्रथम बिल से काटी जा सकती है परन्तु उक्त कार्य में आवश्यक जमानत राशि रु0 35740/- में से रु0 23000/- (6.43 प्रतिशत) एफ0डी0आर0 के रूप में, रु0 12990/- (3.63 प्रतिशत) प्रथम रनिंग बिल से तथा रु0 5150/- (1.44 प्रतिशत) द्वितीय रनिंग बिल से काटा गया है इस प्रकार कुल जमानत रु0 41140/- (11.51 प्रतिशत) ली गयी। जो कि उक्त नियम का पूर्णतया उल्लंघन है।
- (iii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 के अन्तर्गत प्रत्येक बोलीदाता के लिये टेण्डर डालने के साथ टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में जमा करना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में इस नियम का पालन न करके टेण्डर स्वीकृत होने के बाद टेण्डर मूल्य का 6.43 प्रतिशत ठेका पाने वाले ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है।
- (iv) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-37 के अनुसार ठेकेदार को कोई भी अग्रिम भुगतान एम0बी0 में दर्ज मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में प्रथम रनिंग बिल की एम0बी0 रु0 162372/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत एवं द्वितीय रनिंग बिल की एम0बी0 रु0 64370/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत भुगतान करके उक्त नियम का उल्लंघन किया गया।
- (v) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अन्तर्गत रु0 1000000/- (रु0 दस लाख) तक के निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जायेगा परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।
- (vi) पत्रावली में कार्य के दौरान की एवं कार्य के पूर्ण होने के बाद की कोई भी फोटो लगी नहीं पायी गयी। पूर्णता के बाद कार्य स्थल की प्रमाणित फोटो के बिना किया गया भुगतान अमान्य है।
- (vii) पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया जबकि जमानत वापसी दिनांक 26/06/2017 को कर दी गयी।
- (viii) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिटटी/बालू/गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र-एम0एम0-11 या फार्म-3सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान कर दिया गया।
- (ix) उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण/कर्मकार कल्याण अधिनियम 2009 की धारा 4(3) के अन्तर्गत ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में लागत रु0 226742/- का 1 प्रतिशत रु0 2267/- लेबर सेस काटे बिना ही भुगतान किया गया।
- (x) उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं एम0बी0 में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया –

क्र0सं0	आइटम	इस्टीमेट			एम0बी0		अन्तर की धनराशि
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
1	ई/डब्ल्यू फिलिंग इन ऑर्डिनरी सॉयल	423.23	127.10	53792.00	118.20	15023.00	38769.00 (72%)
2	ब्रिक सॉयलिंग लेड ऑन एज बिथ एम-275 ब्रिक्स	354.48	390.00	138247.00	126.58	49366.00	88881.00 (64%)
						कुल	127650.00

उक्त तालिका में दर्शित सभी विचलन सारवान हैं जिनके लिये नियम-8 एवं नियम-15 को प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। स्पष्ट है कि या तो प्राक्कलन तैयार करते समय कार्य स्थल की सही माप नहीं की गयी अथवा ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिये अधिक राशि का प्राक्कलन तैयार किया गया।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 226742/- + लेबर सेस न काटकर रु0 2267/- + सारवान विचलन द्वारा रु0 127650/- कुल धनराशि रु0 356659/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री शिव गोविन्द वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रु0 356659/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 13वें वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – ‘छोटेलाल के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य’ से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

(i) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-19 के अन्तर्गत रु0 5000/- से अधिक के सभी निर्माण कार्य के लिये टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया जाना आवश्यक है परन्तु ऐसी किसी नोटिस की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पायी गयी।

(ii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने से पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है जिसमें 5 प्रतिशत राशि तत्काल एफ0डी0 या एन0एस0सी0 के रूप में तथा शेष 5 प्रतिशत राशि प्रथम बिल से काटी जा सकती है परन्तु उक्त कार्य में आवश्यक जमानत राशि रु0 30520/- में से रु0 10000/- (2.84 प्रतिशत) एफ0डी0आर0 के रूप में, रु0 17522/- (5.7 प्रतिशत) प्रथम बिल से तथा रु0 5606/- (1.83 प्रतिशत) द्वितीय बिल से काटी गयी है जो कि इस नियम का पूर्णतया उल्लंघन है।

(iii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता के लिये टेण्डर डालने के साथ टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में जमा करना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में इस नियम का पालन न करके टेण्डर स्वीकृत होने के बाद टेण्डर पाने वाले ठेकेदार से 2.84 प्रतिशत जमानत राशि जमा करायी गयी।

(iv) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-37 के अनुसार ठेकेदार को कोई भी अग्रिम भुगतान एम0बी0 में दर्ज मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता परन्तु उक्त कार्य में प्रथम रनिंग बिल की एम0बी0 रु0 219030/- के सापेक्ष 100 प्रतिशत भुगतान किया गया जो कि इस नियम का उल्लंघन है।

(v) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 1000000/- (रु0 दस लाख) तक के निर्माण कार्य के बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व कार्य का निरीक्षण परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा किया जाना आवश्यक है परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

(vi) पत्रावली में कार्य के दौरान की एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो लगी नहीं पायी गयी। पूर्णता के बाद कार्य स्थल की प्रमाणित फोटो के बिना किया गया भुगतान अमान्य है।

(vii) पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया जबकि जमानत राशि दिनांक 11/09/2017 को वापस कर दी गयी थी।

(viii) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र – एम0एम0-।। या फार्म-3सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(ix) उ0प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2009 के नियम-4(3) के अन्तर्गत ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा परन्तु उक्त कार्य में लागत रु0 289150/- का 1 प्रतिशत 2892/- लेबर सेस काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(x) उक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार ई0/डब्ल्यू फिलिंग इन ऑर्डिनरी सॉईल 194.32 घनमीटर होना चाहिये था परन्तु एम0बी0 के अनुसार मात्र 169.44 घनमीटर पाया गया। मिट्टी भराई कम होने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 289150/- + लेबर सेस न काटकर रु0 2892/- कुल धनराशि रु0 292042/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री शिव गोविन्द वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः रु0 292042/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 वर्ष 2015-16 के ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार विधायक निधि से रु0 5725928/- एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से रु0 224970/- कुल धनराशि रु0 5950898/- विभिन्न निर्माण कार्यो पर व्यय की गयी है जिनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, टेण्डर नोटिस आदि लेखा परीक्षा में कई बार मॉग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी -

(i)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
(ii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
(iii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
(iv)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
(v)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
(vi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
(vii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
(viii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
(ix)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान
(x)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र देना।
(xi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
(xii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984		ढेका की शर्तें अध्याय-4 में वर्णित शर्तों का अनुपालन।
(xiii)	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अन्तर्गत रायल्टी की कटौती।		
(xiv)	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम-4(3) के अन्तर्गत लागत की 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती		
(xv)	उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती		
(xvi)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत टी0डी0एस0 की कटौती		
(xvii)	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव में प्रावधान आदि।		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 5950898/- को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 5950898/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 वर्ष 2016-17 में मनरेगा प्रासंगिक मद से निम्न व्यय किये गये दर्शित पाये गये -

दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक नम्बर	धनराशि
25.04.2016	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	16854	12000.00
25.04.2016	टेलीफोन किराया	बी0एस0एन0एल0	16855	18820.00
25.04.2016	टोनर क्रय	आशीष इण्टरप्राइजेज	16856	350.00
25.04.2016	टोनर, कार्टिज, पेपर की बोर्ड, माउस	मे0 दयाल इंफोसिस्टम	16857	4900.00
25.04.2016	स्टेशनरी क्रय	मास्टर बुक डिपो	16858	1380.00
16.08.2016	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	18449	48000.00
16.08.2016	जीप किराया	भारत सिंह	18450	42000.00

16.08.2016	स्टेशनरी क्रय	सिद्दीकी बुक डिपो	18451	10890.00
17.11.2016	जीप किराया	मो0 हुसैन खॉ	23381	24000.00
03.01.2017	बैटरी क्रय	मे0 ज्योति इण्टरप्राइजेज	23383	13200.00
04.03.2017	टेलीफोन बिल	बी0एस0एन0एल0	23391	19407.00
04.03.2017	जीप किराया	भारत सिंह	23392	42000.00
16.03.2017	स्टेशनरी क्रय	सिद्दीकी बुक डिपो	35901	15495.00
16.03.2017	टेलीफोन बिल	बी0एस0एन0एल0	35902	447.00
16.03.2017	इंक टोनर, कार्टिज, डिवाइस	मे0 दयाल इंसोसिस्टम	35903	6290.00
		योग :-		259179.00

(i) उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोई गार्ड फाइल/व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव, स्वीकृति, क्रय आदेश, मॉग पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहे।

(ii) कम्प्यूटर सामग्री क्रय की पुष्टि में सामग्री स्टॉक रजिस्टर/डेड स्टॉक रजिस्टर, कम्प्यूटर आपरेटर का मॉग पत्र आदि उपलब्ध नहीं रहा।

(iii) जीप किराया की पुष्टि में किराया की पत्रावली, किरायानामा, रसीदें, टेण्डर, लॉग बुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गयी।

(iv) टेलीफोन बिल की पुष्टि में बिल व जमा रसीद उपलब्ध नहीं रही।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त समस्त व्यय प्रमाणक विहीन होने के कारण अमान्य है तथा अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 259179/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 13वाँ वित्त में कराये गये निर्माण कार्य – “मढ़िया में सलीम के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य” से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

(i) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-19 के अन्तर्गत रु0 5000/- से अधिक के सभी निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया जाना आवश्यक है परन्तु ऐसी किसी नोटिस की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पाई गई।

(ii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने से पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है जिसमें 5 प्रतिशत राशि तत्काल एफ0डी0 या एन0एस0सी0 के रूप में तथा शेष 5 प्रतिशत राशि प्रथम बिल से काटी जा सकती है परन्तु उक्त कार्य में आवश्यक जमानत राशि रु0 23950/- में से रु0 10000/- (4.17 प्रतिशत) एफ0डी0आर0 के रूप में, रु0 13052/- (5.45 प्रतिशत) प्रथम बिल से तथा रु0 4268/- (1.78 प्रतिशत) द्वितीय बिल से कुल रु0 27320/- (11.4 प्रतिशत) जमानत ली गयी जो कि इस नियम का पूर्णतया उल्लंघन है।

(iii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता के लिये टेण्डर डालने के साथ टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में जमा करना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में इस नियम का पालन न करके टेण्डर स्वीकृत होने के बाद टेण्डर पाने वाले ठेकेदार से 4.17 प्रतिशत जमानत राशि जमा करायी गयी।

(iv) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-37 के अनुसार ठेकेदार को कोई भी चालू भुगतान एम0बी0 में दर्ज मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता परन्तु उक्त कार्य में प्रथम रनिंग बिल की एम0बी0 रु0 163145/- के सापेक्ष पूरा 100 प्रतिशत भुगतान करके इस नियम का उल्लंघन किया गया।

(v) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 1000000/- (रु0 दस लाख) तक के निर्माण कार्य के बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जायेगा परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

(vi) पत्रावली में कार्य के दौरान की एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो लगी नहीं पाई गयीं। पूर्णता के बाद कार्य स्थल की प्रमाणित फोटो के बिना किया गया भुगतान अमान्य है।

(vii) पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया। जबकि जमानत राशि दिनांक 11/09/2017 को वापस की जा चुकी है।

(viii) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 193 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम0एम0-।। या फार्म-3सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान कर दिया गया।

(ix) उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 2009 के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से निर्माण लागत का 1 प्रतिशत काटकर कर्मकार कल्याण कोष में जमा किया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में निर्माण लागत रु0 216499/- का 1 प्रतिशत रु0 2165/- काटे बिना ही भुगतान कर दिया गया।

(x) उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं एम0बी0 में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया -

क्र0सं0	आइटम	इस्टीमेट			एम0बी0		अन्तर की धनराशि
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
1	ई/डब्ल्यू फिलिंग इन ऑर्डिनरी सॉयल बाई मेक0	188.73	127.10	23987.00	86.10	10943.00	13044.00 (54%)
2	ब्रिक सॉयलिंग लेड ऑन एज बिथ एम-275 ब्रिक्स	123.48	390.00	48157.00	101.08	39421.00	8735.00 (18%)
						कुल	21779.00

उक्त तालिका में दर्शित सभी विचलन सारवान हैं जिनके लिये नियम-8 एवं नियम-15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है स्पष्ट है कि या तो प्राक्कलन तैयार करते समय कार्य स्थल की सही माप नहीं की गयी अथवा ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिये अधिक राशि का प्राक्कलन तैयार किया गया। उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 216499/- + लेबर सेस न काटकर रु0 2165/- + सारवान विचलन द्वारा रु0 21779/- कुल राशि रु0 240443/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री शिव गोविन्द वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 240443/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 13वाँ वित्त से कराये गये निर्माण कार्य - “रायपुर डिप्टीपुरवा के पश्चिम मधुराम के खेत के पास पुलिया निर्माण” से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए -

(i) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-19 के अन्तर्गत रु0 5000/- से अधिक के सभी निर्माण कार्य के लिये टेण्डर नोटिस का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में किया जाना आवश्यक है परन्तु ऐसी किसी नोटिस की कटिंग पत्रावली में लगी नहीं पायी गयी।

(ii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-23 के अन्तर्गत ठेका स्वीकृत किये जाने के पूर्व ठेका मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है जिसमें 5 प्रतिशत प्रतिभूति तत्काल एफ0डी0 या एन0एस0सी0 के रूप में तथा शेष 5 प्रतिशत प्रथम बिल से कटोती के रूप में दी जा सकती है परन्तु उक्त कार्य में ठेका मूल्य का 10 प्रतिशत रु0 21320/- जमानत दी जानी थी जिसमें से रु0 10000/- (4.69 प्रतिशत) एफ0डी0आर0 के रूप में तथा रु0 16772/- प्रथम बिल से (7.87 प्रतिशत) काटी गयी जो कि कुल रु0 26772/- (12.56 प्रतिशत) होती है। इस प्रकार 10 प्रतिशत से अधिक जमानत ली गयी।

(iii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 के अन्तर्गत प्रत्येक बोलीदाता के लिये टेण्डर डालने के समय टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में जमा करना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में टेण्डर स्वीकृत होने के बाद ठेका पाने वाले ठेकेदार द्वारा 4.69 प्रतिशत प्रतिभूति जमा की गयी।

(iv) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 1000000/- (रु0 दस लाख) तक के निर्माण कार्य के बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

(v) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं पाया गया जबकि जमानत वापसी दिनांक 15/06/2018 को की जा चुकी है।

(vi) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/गिट्टी आदि के खनन का वैध परिवहन पत्र एम0एम0-।। या

फार्म-3सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(vii) उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 2009 के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस काटकर कर्मकार कल्याण कोष में जमा किया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में निर्माण लागत रु0 209648/- का 1 प्रतिशत रु0 2096/- लेबर सेस काटे बिना ही भुगतान कर दिया गया।

(viii) उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं एम0बी0 में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया -

क्र0सं0	आइटम	इस्टीमेट			एम0बी0		अन्तर की धनराशि
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
1	ई/डब्ल्यू फिलिंग इन ऑर्डिनरी सॉयल	133.43	130.00	17345.00	112	14560.00	2785.00 (16%)
2	ब्रिक सॉयलिंग लेड ऑन एज बिथ एम-275 ब्रिक्स	86.40	413.00	35683.00	99.50	41093.00	5410.00 (15%)
3	एम/ओ साइन बोर्ड	1	जॉब	3000.00	-	-	3000.00 (100%)
						कुल	11195.00

उक्त सभी विचलन सारवान हैं तथा 10 प्रतिशत से अधिक है जिसके लिये नियम-8 एवं नियम-15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि या तो प्राक्कलन तैयार करते समय कार्य स्थल की सही माप नहीं ली गयी अथवा ठेकेदार के लाभ के लिये अधिक एम0बी0 की गयी।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य पर व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 209648/- + लेबर सेस न काटकर रु0 2096/- + सारवान विचलन द्वारा रु0 11195/- कुल राशि रु0 222939/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अवर अभियन्ता श्री आर0 डी0 भास्कर, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं अतः उक्त रु0 222939/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 13वाँ वित्त से कराये गये निर्माण कार्य - “बेरिनपुरवा के उत्तर रामरतन के खेत के पास पुलिया निर्माण” से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए -

(i) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-24 के अन्तर्गत प्रत्येक बोलीदाता के लिये टेण्डर डालने के समय टेण्डर मूल्य का 2 प्रतिशत बयाने के रूप में जमा करना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य के टेण्डर स्वीकृत होने के बाद ठेका पाने वाले ठेकेदार द्वारा 4.25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा की गयी।

(ii) निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम-39 के अन्तर्गत रु0 1000000/- (रु0 दस लाख) तक के निर्माण कार्य के बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा किया जाना आवश्यक है परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

(iii) पत्रावली में संलग्न एम0बी0 0में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित पेज क्रमांक व एम0बी0 क्रमांक नहीं पाया गया।

(iv) एम0बी0 के अन्त में अवर अभियन्ता द्वारा अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर नहीं किया गया। जबकि खण्ड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर थे।

(v) कार्य पूर्ण होने के पश्चात का पुलिया का एक फोटो पाया गया जिसमें हयूम पाइप दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे अतः कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(vi) उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी/बालू/गिट्टी आदि के खनन हेतु वैध परिवहन पत्र एम0एम0-11 या फार्म-3सी न होने पर निर्धारित दर से रायल्टी काटकर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त कार्य में रायल्टी काटे बिना ही भुगतान किया गया है।

(vii) उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 2009 के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस काटकर कर्मकार कल्याण कोष में जमा किया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त कार्य में निर्माण लागत रु0 211443/- का 1 प्रतिशत रु0 2114/- लेबर सेस काटे बिना ही भुगतान कर दिया गया।

(viii) उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं एम0बी0 में निम्न सीमा तक विचलन पाया गया -

क्र०सं०	आइटम	इस्टीमेट			एम०बी०		अन्तर की धनराशि
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
1	ई/डब्ल्यू फिलिंग इन ऑर्डिनरी सॉयल	191.42	130.00	24884.00	144.36	18766.00	6118.00 (25)
2	ब्रिक सॉयलिंग लेड ऑन एज बिथ एम-275 ब्रिक्स	119.40	413.00	49312.00	93.14	38466.00	10846.00 (22%)
3	एम/ओ साइन बोर्ड	1	3000.00	3000.00	.	.	3000.00 (100%)
						योग	19964.00

उक्त सभी विचलन सारवान हैं तथा 10 प्रतिशत से अधिक हैं जिसके लिये नियम-8 एवं 15 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया अतः स्पष्ट है कि या तो कार्य का प्राक्कलन तैयार करते समय कार्य स्थल की सही माप नहीं की गयी अथवा ठेकेदार के हित में प्राक्कलन बढ़ाकर बनाया गया।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण राशि रु० 211443/- + लेबर सेस न काटकर रु० 2114/- + सारवान विचलन द्वारा रु० 19964/- कुल राशि रु० 233521/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए अवर अभियन्ता श्री आर० डी० भास्कर, खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु० 233521/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 शासनादेश संख्या-ट.1.122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये। परन्तु वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से अर्जित ब्याज में से रु० 1114893/- का व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

अतः शासनादेश के विपरीत कोषागार में जमा न करके तथा प्रमाणक विहीन व्यय करके उक्त राशि रु० 1114893/- की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु० 1114893/- की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 वर्ष 2016-17 विधायक निधि से रु० 2479293/- एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से रु० 199516/- कुल धनराशि रु० 2678809/- विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी है जिनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत राशि, मस्टररोल, एम०बी०, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, टेण्डर, नोटिस आदि लेखा परीक्षा में कई बार माँग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी -

(i)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना का तैयार किया जाना।
(ii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार नक्शे एवं पूर्वानुमान तैयार किया जाना।
(iii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत नक्शों एवं अनुमानों में परिवर्तन करना।
(iv)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	तैयार पूर्वानुमानों की प्राविधिक स्वीकृति।
(v)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
(vi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि जमा करना।
(vii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि टेण्डर के साथ लेना।
(viii)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम०बी० करना।
(ix)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम०बी० का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाना।
(x)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।
(xi)	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाना।

(xii)	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-21 के अन्तर्गत रायल्टी की कटौती।
(xiii)	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम-4(3) के अन्तर्गत लागत की 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।
(xiv)	उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।
(xv)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत टी0डी0एस0 की कटौती।
(xvi)	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव आदि।

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय सम्पूर्ण राशि रु0 2678809/- को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रु0 2678809/- की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – मितौली

विकास खण्ड – मितौली वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-28 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि क्रमशः रु0 3312020.00 एवं रु0 367464.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु0 3679484.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि क्रमशः रु0 4190438.00 एवं रु0 2389379.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु0 6579817.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि क्रमशः रु0 9308228.00 एवं रु0 7412265.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु0 16720493.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – मितौली

विकास खण्ड – मितौली वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-31 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि क्रमशः रु0 8363831.00 एवं रु0 3862733.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि रु0 12226564.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर

अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि क्रमशः ₹0 3049657.00 एवं ₹0 2194499.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹0 5244156.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त से निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि क्रमशः ₹0 6644780.00 एवं ₹0 0.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ठेकेदारों के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण निर्माण कार्य नियमावली 1984 निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की सम्पूर्ण राशि ₹0 6644780.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – कुम्भी(गोला) विकास खण्ड – कुम्भी(गोला) वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-34 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अजान में जाकिर के मकान से दुर्गा मन्दिर 150 मीटर खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर ₹0 119094.00 एवं श्रमांश पर ₹0 13480.00 कुल ₹0 132574.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि ₹0 132570.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार झाऊपुर मुख्य मार्ग से सहकारी समिति तक 80 मीटर खडन्जा मरम्मत कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर ₹0 59173.00 एवं श्रमांश पर ₹0 6800.00 कुल ₹0 65973.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि ₹0 65973.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अमीरनगर (नरायनपुर) में सुरेन्द्र की दुकान के सामने से होते हुए हरिजन बस्ती के दक्षिण 165 मीटर खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर ₹0 108000.00 एवं श्रमांश पर ₹0 33125.00 कुल ₹0 141125.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि ₹0 141125.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा

(खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम नरायनपुर में उदय सिंह के मकान से डा0 सुरेन्द्र के मकान तक 56 मीटर मिट्टी खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 24336.00 एवं श्रमांश पर रू0 6166.00 कुल रू0 30502.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 30502.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम चठियामदनी में ठाकुर के मकान से सरोज के मकान तक 120 मीटर मिट्टी खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 25200.00 एवं श्रमांश पर रू0 18612.00 कुल रू0 43812.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 43812.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अमीरनगर मूड़ाखालसा मार्ग से मोहिद्दीनपुर गाँव के दक्षिण प्रा0वि0 तक मिट्टी खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री प्रेम कुमार कश्यप, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 165020.00 एवं श्रमांश पर रू0 49666.00 कुल रू0 214686.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 214686.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री प्रेम कुमार कश्यप, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम रसूलपुर (लालापुर) में नरेश के मकान से राजू के मकान से सी0सी0 रोड तक, वेदप्रकाश के मकान से तालाब तक 283 मीटर खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0(सहकारिता) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 164772.00 एवं श्रमांश पर रू0 44942.00 कुल रू0 209714.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 209714.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम बावनपुर (लन्दनपुरग्रन्ट) में लालाराम के मकान से गयाप्रसाद के मकान तक 275 मीटर मिट्टी खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 177439.00 एवं श्रमांश पर रू0 59770.00 कुल रू0 237209.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 237209.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा

प्रस्तर-42 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अजान में बालगोविन्द के मकान के आगे बाईपास बनी नाली तक 151 मीटर मिट्टी खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 54904.00 एवं श्रमांश पर रू0 27558.00 कुल रू0 82465.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 82465.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार विकास खण्ड कुम्भी(गोला) में खण्ड विकास अधिकारी आवास की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत कार्य कराया गया। जिस का कार्यदेश श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 75540.00 एवं श्रमांश पर रू0 31000.00 कुल रू0 106540.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 106540.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार विकास खण्ड परिसर में आवासों के सामने एवं मध्य में ब्रिक क्लोटिंग कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 186377.00 एवं श्रमांश पर रू0 46310.00 कुल रू0 232687.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 232687.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार विकास खण्ड के टाईप-3 आवास की चाहर दिवारी निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 82653.00 एवं श्रमांश पर रू0 20098.00 कुल रू0 102751.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 102751.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम सेहरूआ में सलीम के मकान से होते हुए पेन्टे रोड तक 107 मीटर मिट्टी खडन्जा कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 79800.00 एवं श्रमांश पर रू0 22516.00 कुल रू0 102316.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 102316.00 की ब्याज सहित वसुली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी)

तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अमीरनगर मूड़ाखालसा मार्ग से मोहिद्दीनपुर गाँव के दक्षिण प्रा0वि0 तक 330(2) नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री प्रेम कुमार कश्यप, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 334816.00 एवं श्रमांश पर रू0 69320.00 कुल रू0 404136.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 404136.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री प्रेम कुमार कश्यप, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम मूड़ाखालसा (नरायनपुर) में सुरेन्द्र यादव की दुकान के सामने से होते हुए हरिजन बस्ती के दक्षिण बाहर तक 170(2) नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 142315.00 एवं श्रमांश पर रू0 29670.00 कुल रू0 171985.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 171985.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम नरायनपुर में उदय सिंह के मकान से डा0 सुरेन्द्र के मकान तक 112 मीटर नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 39145.00 एवं श्रमांश पर रू0 5100.00 कुल रू0 47245.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 47245.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अजान में जाकिर के मकान से दुर्गा मन्दिर के पास खडन्जा तक 385 मीटर नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 154916.00 एवं श्रमांश पर रू0 33250.00 कुल रू0 188166.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 188166.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम चठियामदनी में ठाकुर के मकान से सरोज के मकान तक 124 मीटर नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 75255.00 एवं श्रमांश पर रू0 15900.00 कुल रू0 91155.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 91155.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी)

तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम रसूलपुर (लालापुर) में नरेश के मकान से राजू के मकान से सी0सी0 रोड तक वेदन प्रकाश के मकान से तालाब तक 245 मीटर नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 286124.00 एवं श्रमांश पर रू0 60320.00 कुल रू0 346444.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 346444.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम मझिगवाँ में रियाजुद्दीन के मकान से जमुनिया तालाब तक 95 मीटर नाला मरम्मत कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 181653.00 एवं श्रमांश पर रू0 81960.00 कुल रू0 263613.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 263613.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम सेहरूआ में सलीम के मकान से होते हुए पेन्टेड रोड तक 85 मीटर (2) नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 61064.00 एवं श्रमांश पर रू0 11530.00 कुल रू0 72594.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 72594.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती हिमाली मिश्रा (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-55 क्षेत्र पंचायत कुम्भी को वित्तीय वर्ष 2011-12 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मात्र सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई खीरी से रू0 543040.00 लघु सिंचाई बोरिंग हेतु लेबर भुगतान हेतु प्राप्त हुआ। गत वर्ष का इस मद में रू0 27000.00 अवशेष था। वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत के पास इस मद में रू0 570040.00 रहा। वर्ष में उक्त धनराशि में से रू0 569640.00 व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित प्रस्तावित कार्य योजना, कार्यादेश, मस्टररोल एवं एम0बी0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे उक्त व्यय किये गये धन की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 569640.00 का व्यय अपुष्ट होने के कारण जो अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि के व्यय करने का पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती हिमाली मिश्रा एवं लेखाकार श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव का है। अतः उक्त धनराशि रू0 569640.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती हिमाली मिश्रा एवं लेखाकार श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार रायपुर में पेन्टेड रोड से कल्याण सिंह के घर होते हुए गाँव के बाहर 327 मीटर खडन्जा मरम्मत कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 140175.00 एवं श्रमांश पर रू0 86206.00 कुल रू0 226381.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः

उक्त व्यय धनराशि रू0 226381.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहित्य प्रकाश मिश्र (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अजय कुमार शुक्ल (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम गप्फारनगर में शेर बहादुर के घर के बाहर से प्रा0वि0 के आगे तक 210 मीटर खडन्जा निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 115425.00 एवं श्रमांश पर रू0 19017.00 कुल रू0 158128.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 158128.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहित्य प्रकाश मिश्र (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अजय कुमार शुक्ल (लेखाकार) एवं श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार अमीरनगर रोड से रामखेड़ा रामदेवी स्थान से माधव राम के घर के आगे तक 400 मीटर खडन्जा मरम्मत कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 218500.00 एवं श्रमांश पर रू0 21450.00 कुल रू0 306180.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 306180.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहित्य प्रकाश मिश्र (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अजय कुमार शुक्ल (लेखाकार) एवं श्री बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम पिपरिया मूड़ाखालसा में रामपाल के घर से सुशीला के घर तक 320 मीटर खडन्जा निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 264570.00 एवं श्रमांश पर रू0 81043.00 कुल रू0 345613.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 345613.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहित्य प्रकाश मिश्र (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अजय कुमार शुक्ल (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार रायपुर पेन्टेड रोड से कल्याण सिंह के घर होते हुए गाँव के बाहर 327 मीटर नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 300627.00 एवं श्रमांश पर रू0 54930.00 कुल रू0 355557.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 355557.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार राठी (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अजय कुमार शुक्ल (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0 (एस0टी0) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार पिपरिया मूड़ाखालसा में रामपाल के घर से सुशीला के घर तक 320 मीटर नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री दुर्गा प्रसाद, ए0डी0ओ0(एस0टी0) को है। उक्त निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 324228.00 एवं श्रमांश पर रू0 60150.00 कुल रू0 384378.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 384378.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार राठी (खण्ड विकास अधिकारी)

तत्कालीन, श्री अजय कुमार शुक्ल (लेखाकार) एवं श्री दुर्गा प्रसाद, ए०डी०ओ० (एस०टी०) निर्माण कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कुम्भी में तकवा घाट पर पुलिया निर्माण कार्य जो कि विकास खण्ड कार्यालय के पत्रांक 340/राज्य वित्त आयोग/कार्य योजना दिनांक 17/03/2012 के द्वारा कार्यादेश श्री बालक राम, ए०डी०ओ०(आई०एस०बी०) को जारी किया गया। जिसकी निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच करने पर एवं ग्रांट रजिस्टर अनुसार निम्न कमियाँ पायी गयीं।

अ- वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कुम्भी में तकवा घाट पर पुलिया निर्माण कार्य जो कि विकास खण्ड कार्यालय के पत्रांक 340/राज्य वित्त आयोग/कार्य योजना दिनांक 17/03/2012 के द्वारा कार्यादेश श्री बालक राम, ए०डी०ओ०(आई०एस०बी०) को जारी किया गया। राज्य वित्त आयोग की धनराशि ₹ 283267.00 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उक्त कार्य कराया गया। जो नियमानुसार अनुमन्य नहीं हैं इस प्रकार विकास खण्ड कुम्भी द्वारा राज्य वित्त आयोग की धनराशि ₹ 283267.00 का विचलन किया गया।

ब- वर्ष 2012-13 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड कुम्भी में तकवा घाट पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु मे० सिंह स्पन पाईप इण्डस्ट्रीज ग्राम मनकापुर, गोला रोड, लखीमपुर से स्पन पाईप 9 नग, 1000 एम०एम० क्रय का ₹ 85860.00 चेक संख्या 384280 दिनांक 07/05/2012 के द्वारा किया गया। किये गये भुगतान में वेट टैक्स एवं सेल टैक्स सम्मिलित है। क्रय सामान कोटेशन/टेण्डर के आधार पर क्रय नहीं किया गया। बिल में बुक नम्बर एवं सीरियल नम्बर में कटिंग की गयी है। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित एम०बी० पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। जबकि उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक भुगतान पर जे०ई० (आर०ई०एस०) श्री मो० इस्लाम खाँ की भुगतान हेतु संस्तुति की गयी है।

स- वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कुम्भी में तकवा घाट पर पुलिया निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों को मस्टररोल क्रमांक 547 दिनांक 1 से 7 तथा मस्टररोल क्रमांक 548 में दिनांक 8 से 14 तक क्रमशः 98, 93 कार्य दिवसों का ₹ 12110.00 एवं ₹ 11610.00 का चेक संख्या 553460 दिनांक 15/05/2012 द्वारा भुगतान दर्शाया गया है। मस्टररोल पर न तो माह अंकित किया गया और न ही वर्ष अंकित किया गया है। जिससे यह पुष्टि नहीं हो सकी कि मस्टररोल उक्त निर्माण कार्य का ही है। अतः काल्पनिक मस्टररोल बनाकर उक्त धनराशि ₹ 23720.00 का अपहरण किया गया। इस प्रकार यह धनराशि अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि ₹ 23720.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहित्य प्रकाश मिश्र (खण्ड विकास अधिकारी) तत्कालीन, श्री अजय कुमार शुक्ला (लेखाकार), श्री बालक राम, ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 वर्ष 2012-13 में खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कुम्भी के कार्यालय के पत्रांक 32/रा०वि०/पि०क्षे०आ०नि०सा०आ०/कुटेशन/स्वीकृत/2012-13 दिनांक 10/09/2012 के द्वारा मेसर्स वर्मा ईट उद्योग, मुगलाखेड़ा, खीरी को 7200 ईट दर ₹ 3800.00 प्रति हजार की दर से स्वीकृत कर आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया। राज्य वित्त निधि के अन्तर्गत अजान में रघुवीर के घर से नरेश के घर के आगे तालाब तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट खंजड़ क्रय हेतु मे० वर्मा ईट उद्योग, मुगलाखेड़ा, खीरी द्वारा बिल नम्बर 202 पुस्तक संख्या 5 दिनांक 19/09/2012 के द्वारा सीधा खंजड़ ईट 7700 दर ₹ 3800.00 प्रति हजार से ₹ 29260.00 की होती है। ईट आपूर्ति की गयी। ₹ 29260.00 का भुगतान चेक संख्या 05585 दिनांक 15/10/2012 के द्वारा किया गया। इस प्रकार उपरोक्त बिल द्वारा कार्यादेश के अनुसार 7200 ईट की आपूर्ति की जानी थी। इसके विपरीत 500 ईट का दर ₹ 3800.00 प्रति हजार की दर से ₹ 1900.00 का अधिक भुगतान किय गया। जो अधिभार योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री बालक राम, ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) एवं श्री मो० इस्लाम खाँ, जे०ई० (आर०ई०एस०) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 इक्षेत्र पंचायत कुम्भी को वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मात्र सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई खीरी से ₹ 150000.00 लघु सिंचाई बोरिंग हेतु लेबर भुगतान हेतु प्राप्त हुआ। गत वर्ष का इस मद में ₹ 400.00 अवशेष था। वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत के पास इस मद में ₹ 150400.00 रहा। वर्ष में उक्त धनराशि में से ₹ 149395.00 व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित प्रस्तावित कार्य योजना, कार्यादेश, मस्टररोल एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

जिससे व्यय किये गये धन की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 149395.00 का व्यय अपुष्ट होने के कारण अधिभार की श्रेणी में आता है अतः उक्त धनराशि के व्यय करने का पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती हिमाली मिश्रा एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला का है। अतः उक्त धनराशि रु0 149395.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती हिमाली मिश्रा एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त निधि के अन्तर्गत गोला नई बाई पास पर मोरध्वज के मकान से भारत भूषण कालोनी में गणेश के मकान तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु मे0 अमन ईट उद्योग लक्ष्माणजती रोड ग्राम लाहवापुर, गोला गोकर्न नाथ, खीरी के बिल क्रम संख्या 123 बुक संख्या 3 दिनांक 06/10/2013 द्वारा खंजड़ ईट 7500 दर रु0 4600.00 प्रति हजार की दर से रु0 34500.00 का पाया गया। एम0बी0 अनुसार रु0 13800.0 जिसमें टी0डी0एस0 2.226 प्रतिशत से रु0 313.00 उपरान्त रु0 13487.00 का भुगतान हेतु दिनांक 28/10/2013 को खण्ड विकास अधिकारी कुम्भी द्वारा स्वीकृत किया गया तथा चेक संख्या 005540 दिनांक 28/10/2013 से भुगतान किया गया। इसके उपरान्त उक्त बिल पर पुनः दिनांक 07/02/2014 को रु0 20700.00 भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी कुम्भी द्वारा स्वीकृत किया गया। जिस पर टी0डी0एस0 रु0 469.00 कटौती कर रु0 20231.00 चेक संख्या 040077 दिनांक 07/02/2014 द्वारा उक्त फर्म को किया गया। इस प्रकार एक ही बिल पर दो बार भुगतान करने का क्या औचित्य है। रु0 20700.00 का अधिक भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री भूषण कुमार, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), कार्य प्रभारी बालक राम, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त निधि के अन्तर्गत जहानपुर गोला देहात में रामगोपाल के मकान से होते हुये राघव कुंज पंजाबी कालोनी तक खडन्जा निर्माण लं0 189 मी0 स्टीमेट अनुसार प्राकलन मूल्य रुपये 199800.00 की तकनीकी स्वीकृति थी। जिस पर कार्य पूर्ति/एम0बी0 के अनुसार खडन्जा निर्माण 170 मी0 जिसमें सामग्री पर रु0 164220.00 तथा श्रमांश पर रु0 49248.00 कुल रु0 213468.00 व्यय किया गया। कुल स्वीकृत खडन्जा 189 मी0 पर रु0 199800.00 व्यय किया जाना था। वहीं 19 मी0 कम खडन्जा निर्माण कर स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय की गयी। जबकि स्टीमेट/स्वीकृत धन के आधार पर 170 मी0 खडन्जा निर्माण पर रु0 179714.00 का व्यय किया जाना चाहिये। इस प्रकार रु0 33754.00 अधिक व्यय किया गया है। जो अधिभार योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री भूषण कुमार, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), कार्य प्रभारी श्री दुर्गा प्रसाद ए0डी0ओ0 (एस0टी0) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 सं0	विवरण	मस्टरोल नम्बर	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	अभ्युक्ति
1-	श्रमिकों को भुगतान	688	39375.00	082743	01.07.2013	श्रमिकों के अंगुष्ठ निशान प्रमाणित नहीं है।
		689	16875.00			
		690	18375.00			
		691	6000.00			
		692	32900.00			
		693	21250.00			

		694	7000.00			
		योग	141775.00			
2-	ईट क्रय 90000 दर रु० 4600.00 प्रति हजार		414000.00	0082742	01.07.2013	
	एम०बी० अनुसार		412551.00			
	टी०डी०एस०		9348.00			
	कुल भुगतान		403203.00			

प्रस्तर-67 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त निधि के अन्तर्गत कन्धार गाँव (देवकली) के बाहर कोरवा गाँव तक मिट्टी/खडन्जा निर्माण लम्बाई 500 मीटर पर निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय की गयी।

उपरोक्त विवरण में क्रमांक 2 में ईट क्रय का बिल देवकली ईट उद्योग, कोटवारा रोड, ग्राम देवकली, खीरी के लेटर पैड पर पाया गया। पक्का बिल नहीं पाया गया। उपलब्ध बिल में वैट टैक्स का कोई विवरण अंकित नहीं रहा। उक्त सामग्री कोटेशन/टेण्डर के आधार पर क्रय नहीं की गयी। इतनी अधिक धनराशि की सामग्री क्रय के सम्बन्ध में शासन द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 एवं शा०सं० ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23/09/2008 के अनुसार हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन रु० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रु० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि रु० 544978.00 अनियमित रूप से व्यय की गयी। जो अधिभार योग्य है। जिसका उत्तरदायित्व श्री उमेश चन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), कार्य प्रभारी श्री दुर्गा प्रसाद, ए०डी०ओ०(एस०टी०) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री उमेश चन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), कार्य प्रभारी श्री दुर्गा प्रसाद, ए०डी०ओ०(एस०टी०) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 क्षेत्र पंचायत कुम्भी को वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा योजना में निर्माण कार्य के अन्तर्गत बाबागंज गाँव से हरैया तक मिट्टी/खडन्जा कार्य लम्बाई 325 मीटर जिसका कार्यादेश पत्रांक 1532/मनरेगा/क्ष०पं०/निर्माण कार्य/2013-14 अनुसार कार्य प्रभारी श्री बालक राम, ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) एवं प्राक्कलन हेतु श्री मो० इस्माईल खाँ, जे०ई० (आर०ई०एस०) को था। उक्त कार्य पर स्वीकृत धनराशि रु० 357000.00 थी। जिसके सापेक्ष एम०डी० के अनुसार रु० 346841.00 व्यय किया गया। जिसमें सामग्री पर रु० 284975.00 तथा लेबर पर रु० 81866.00 व्यय किया गया। सामग्री टेण्डर के आधार पर क्रय नहीं की गयी। जो नियम संगत नहीं है। साथ ही लेबर को भुगतान हेतु जो मस्टररोल प्रयुक्त किये गये हैं वह मनरेगा के इश्यू मस्टररोल नहीं हैं। जिस पर मस्टररोल क्रमांक व इश्यू दिनांक एवं लेखाकार के हस्ताक्षर युक्त होते हैं। जो मस्टररोल पर नहीं पाये गये। साधारण मस्टररोल मान्य नहीं हैं। इस प्रकार अमान्य मस्टररोल का उपयोग की गई लेबर भुगतान की धनराशि अधिभार योग्य है तथा सामग्री पर व्यय की गयी धनराशि रु० 284975.00 संदिग्ध लगती है। अतः उक्त कार्य पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 346841.00 की ब्याज सहित वसूली श्री भूषण कुमार, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला तथा श्री मो० इस्लाम खाँ से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 क्षेत्र पंचायत कुम्भी को वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा योजना में निर्माण कार्य के अन्तर्गत हजरतपुर बस्तौली मार्ग से मगदापुर टेढ़ेनाथ बाबा मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य में कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 17/10/2013 से 23/10/2013 तक 70 कार्य दिवस का रु० 15700.00 चेक संख्या 797352 दिनांक 10/12/2013 के द्वारा किया गया। मस्टररोल मनरेगा योजना का न होकर साधारण मस्टररोल पाया गया। जबकि ग्राम्य विकास द्वारा मनरेगा योजना का मस्टररोल निर्धारित प्रारूप पर क्रमांक सहित निर्गत किया जाता है। जो अनुमन्य है।

साधारण मस्टररोल मान्य नहीं है। इस प्रकार अमान्य मस्टररोल पर उपयोग की गई उक्त धनराशि रु० 23100.00 अधिभार योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री भूषण कुमार, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), कार्य प्रभारी श्री बालक राम, ए०डी०ओ०(आई०एस०बी०) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 क्षेत्र पंचायत कुम्भी को वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा योजना में निर्माण कार्य के अन्तर्गत लीलापुर गाँव के पूरब पक्की रोड से नदी तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई कार्य लम्बाई 1.75

कि०मी०। खण्ड विकास अधिकारी कुम्भी के पत्रांक 1530/मनरेगा/क्षे०पं०/निर्माण कार्य/2013-14 का कार्यादेश श्री बालक राम, ए०डी०ओ०(आई०एस०बी०) कार्य प्रभारी, श्री मो० इस्लाम खॉं, जे०ई० (आर०ई०एस०) का था। निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य की लागत/स्टीमेट रु० 399000.00 थी। जिसके अनुसार 1 मीटर मिट्टी पटाई पर रु० 193.00 का व्यय दर्शाया गया है। मिट्टी पटाई का किया गया कार्य 1.300 कि०मी० है। जिसकी लागत रु० 252200.00 होती है। जबकि संस्था द्वारा रु० 273350.00 व्यय किया गया। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर रु० 21150.00 अधिक व्यय किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री भूषण कुमार, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), कार्य प्रभारी श्री बालक राम, ए०डी०ओ०(आई०एस०बी०) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 वर्ष 2013-14 में विकास खण्ड कुम्भी द्वारा निर्माण कार्य हेतु जो सामग्री क्रय की गयी है उस पर विकास खण्ड कार्यालय द्वारा टी०डी०एस० की धनराशि निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता से कम कटौती की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	योजना का नाम	निर्माण कार्य	क्रय सामग्री की धनराशि	टी०डी०एस० जो कटौती की गयी	टी०डी०एस० जो कटौती होना थी	कम कटौती की धनराशि
1-	राज्य वित्त	रोशननगर में देवी स्थान होते हुए पेन्टेड रोड तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	683452.00	5100.00	13669.00	8569.00
2-	तेरहवाँ वित्त	गोला में नई बाई पास मार्ग पर मोरध्वज के घर के पास नाली निर्माण	494569.00	9348.00	9891.00	543.00
		योग :-				9112.00

उपर्युक्त टी०डी०एस० की कम कटौती की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कान्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4 प्रति०) से मूल्य संवर्धित कर कटौती की जानी है, वैट अधिनियम की धारा 2(एयू) के अनुसार वर्क कॉन्ट्रैक्ट इनक्लूडस एनी एग्रीमेंट फॉर कैरिंग द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, मैनुयू फैक्टर्स प्रोग्रेसिंग, फॅब्रिकेशन, इरेक्शन, इन्स्टालेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मोडीफिकेशन, रिपेयर आर कमीशनिंग ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी शासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30/08/2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी०डी०एस० सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। संविदाकार के बिल के नियमानुसार भुगतान कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहिरत करने वाले विभाग/निगम में चेक जारी के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धारक है एवं संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है, परन्तु लेखा परीक्षा वर्षों में विकास खण्ड कुम्भी द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य हेतु जो सामग्री क्रय की गयी है, उस पर विकास खण्ड कार्यालय द्वारा वैट की धनराशि निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता से कम कटौती की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	निर्माण कार्य	क्रय सामग्री की धनराशि	टी०डी०एस० जो कटौती की गयी	टी०डी०एस० जो कटौती होना थी	कम कटौती की धनराशि
	वर्ष 2011-12				
1-	अलीपुर मढ़िया के बीच नाले पर रपटा निर्माण कार्य	576754.00	5765.00	23070.00	17505.00

	वर्ष 2012-13				
1-	विकास खण्ड कुम्भी में तकवा घाट पर पुलिया निर्माण	259547.00	2874.00	10382.00	7508.00
2-	विकास खण्ड कुम्भी में रामलोटन के खेत के पास पेरई नदी के पास पुलिया निर्माण कार्य	264316.00	2874.00	10572.00	7699.00
3-	विकास खण्ड कुम्भी में सुहेला ग्राम में ए0एन0एम0 सेन्टर झबरा तालाब पिरई पुलिया	203520.00	2874.00	8140.00	5267.00
4-	विकास खण्ड कुम्भी में दन्नापुर ग्राम के उत्तर पुलिया (गंगापुर ग्रंट नं0-3) निर्माण कार्य	246005.00	2874.00	9840.00	6966.00
5-	विकास खण्ड कुम्भी में बढैयाखेड़ा के पश्चिम मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य।	251152.00	2874.00	10046.00	7172.00
6-	विकास खण्ड कुम्भी में छतौनिया गाँव में छतौनिया गाँव के झाबर के पास पुलिया निर्माण कार्य	242918.00	2874.00	9717.00	6843.00
	वर्ष 2013-14				
1-	विकास खण्ड कुम्भी में अजान में पूजा क्लीनिक से देवी मन्दिर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण	326582.00	.	13063.00	13063.00
2-	विकास खण्ड कुम्भी में ग्राम छितौनिया में पी0सी0एफ0 गोदाम मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य।	216299.00	.	8652.00	8652.00
	योग :-				80475.00

उपर्युक्त वैट की कम कटौती की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – कुम्भी(गोला) विकास खण्ड – कुम्भी(गोला) वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-73 वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी को वी0पी0टी0 प्रशिक्षण मनरेगा के अन्तर्गत रु0 45770.00 प्राप्त हुआ। वर्ष 2014-15 में रु0 45720.00 व्यय किया गया। व्यय से सम्बन्धित पत्रावली एवं समायोजन लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। अतः उक्त व्यय की गई धनराशि अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु0 45720.00 की ब्याज सहित वसूली श्री भूषण कुमार खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा गोला सर्वोदयनगर में पुरानी बर्फ मिल के पास रामचन्द्र मिशन के आगे तक पक्का नाला निर्माण 435 मीटर का प्राक्कलन मु0 563000.00 रुपये का तकनीकी स्वीकृति के साथ कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कुम्भी(गोला)-खीरी के पत्रांक 3215/ते0वि0 आयोग/पक्का नाला निर्माण/कार्य आदेश/2013-14 दिनांक 21/12/2013 के द्वारा श्री सरदार सिंह राना (ग्राम पंचायत अधिकारी) को कार्य प्रभारी तथा श्री मो0 इस्लाम खाँ, अवर अभियन्ता (ग्रा0अभि0वि0) को माप अधिकारी नियुक्त किया गया।

अभिलेखों के अनुसार कार्य प्रारम्भ दिनांक 06/02/2014 को कराया गया। दिनांक 02/07/2014 को उक्त निर्माण कार्य का संशोधित स्टीमेट 410 मीटर तथा प्राक्कलन रु0 842000.00 स्वीकृत कार्य योजना वर्ष 2014-15 में क्रमांक 9 पर अंकित अनुमोदित दर्शित है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य रजिस्टर पर नाला की लम्बाई 435 मीटर थी तथा प्राक्कलन रु0 563000.00 पाया गया तथा दिनांक 02/07/2014 में इसी निर्माण कार्य का संशोधित स्टीमेट में नाला की लम्बाई 410 मीटर तथा प्राक्कलन रु0 842000.00 दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में किस कारण से प्राक्कलन प्रत्यावर्तित किया गया, कारण स्पष्ट नहीं की

गयी साथ ही उक्त नाले की लम्बाई 435 मीटर के स्थान पर 410 मीटर की गयी। जबकि कार्यपूर्ति/एम0बी0 में नाले की लम्बाई 407 मीटर ही अंकित पाई गयी। उक्त कार्य की कार्यपूर्ति/एम0बी0 के अनुसार नाला निर्माण पर सामग्री पर रू0 643314.00 तथा श्रमांश/मस्टररोल पर रू0 93295.00 कुल रू0 736609.00 व्यय किया गया। प्रथम स्टीमेट के अनुसार 435 मीटर नाला पर निर्माण लागत रू0 563000.00 थी। इसी लागत की औसत दर पर 407 मीटर नाले के निर्माण लागत रू0 526658.00 होती है, परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा 407 मीटर नाले के निर्माण कार्य के रू0 736609.00 भुगतान किया गया। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर रू0 209951.00 अधिक व्यय किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य पर अधिक व्यय की गयी धनराशि रू0 209951.00 अधिभार योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री भूषण कुमार खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, कार्य प्रभारी तथा मो0 इस्लाम खाँ, अवर अभियन्ता(ग्रा0अभि0वि0) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत छितौनिया में महिला सुलभ काम्पलेक्स में फिनिसिंग कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) को है। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 378265.00 व्यय किय गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 378265.00 की ब्याज सहित वसूली है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बाबूराम, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, कार्य प्रभारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार एंगिल आयरन साईन बोर्ड स्थापना कार्य कराया गया। जिसका कार्यादेश श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) को है। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 54000.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 54000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री बाबूराम, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, कार्य प्रभारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत छितौनिया में महिला सुलभ काम्पलेक्स में इनवर्टर एवं बैटरी 2.50 किलोवाट स्थापना कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) को है। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 54000.00 व्यय किय गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 54000.00 की ब्याज सहित वसूली है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बाबूराम, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, कार्य प्रभारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत छितौनिया में महिला सुलभ काम्पलेक्स में सोलर पैनल 1 किलोवाट स्थापना कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) को है। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 72150.00 व्यय किय गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 72150.00 की ब्याज सहित वसूली है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बाबूराम, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, कार्य प्रभारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अजान में हजरत अली के घर से कुटुमा पाल के मकान तक मिट्टी एवं खडन्जा निर्माण

कार्य 320 मीटर प्रस्तावित पर कार्य करवाया जाना था। जिसका स्टीमेट डी0आर0डी0ए0 खीरी द्वारा रू0 419800.00 अनुमोदित/स्वीकृत था। जबकि एम0बी0 में जे0ई0 द्वारा खडन्जा निर्माण 300 मीटर का प्राक्कलन किया गया है। जिस पर मु0 713877.00 रू0 व्यय/भुगतान दर्शाया गया है। जिसमें सामग्री पर रू0 323663.00 एवं श्रमांश पर रू0 90214.00 व्यय किया गया। उपरोक्त प्रस्तावित कार्य से 20 मीटर कम खडन्जा निर्माण कराया गया। स्टीमेट के अनुसार 320 मीटर खडन्जा पर निर्माण लागत रू0 419800.00 थी। इसी लागत की औसत दर पर 300 मीटर खडन्जा की निर्माण लागत रू0 393900.00 होती है, परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा 300 मीटर खडन्जा के निर्माण कार्य पर 413877.00 भुगतान किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य पर अधिक व्यय की गयी धनराशि रू0 19977.00 अधिभार योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बाबूराम, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन), लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, कार्य प्रभारी तथा श्री सतीश चन्द्र वर्मा (ग्राम विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी को वी0पी0टी0 प्रशिक्षण मनरेगा के अन्तर्गत धनराशि रू0 45777.00 प्राप्त हुआ। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 45722.00 व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। अतः उक्त धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बाबूराम, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अजान में पंचायत घर से ओमप्रकाश के घर तक सी0सी0 कार्य कराया गया। जिसका कार्यादेश श्री अजय कुमार वर्मा (ठेकेदार) निवासी भारत भूषण कालोनी, गोला गोकर्न नाथ, लखीमपुर-खीरी को है तथा श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0 (आर0ई0एस0) को माप अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 261026.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 261026.00 की ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राघवेन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0 (आर0ई0एस0) माप अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम उमरिया में पेन्टेड रोड से जयेन्द्र सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य कराया गया। जिस का कार्यादेश श्री सतीश चन्द्र (ठेकेदार) निवासी ग्राम जिगनहा, परगना पैला, लखीमपुर-खीरी को है तथा श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0. (आर0ई0एस0) को माप अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 591494.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 591494.00 की ब्याज सहित वसूली है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राघवेन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0 (आर0ई0एस0) माप अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार बेल पंचायत रोड से तुर्कीखेड़ा तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य कराया गया। जिसका कार्यादेश श्री सगीर (ठेकेदार) निवासी ग्राम जिगनहा, परगना पैला, लखीमपुर-खीरी को है तथा श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0 (आर0ई0एस0) को माप अधिकारी नियुक्त किया गया है। सगीर अहमद पुत्र सफी उल्ला खाँ, ग्राम अमेठी, मिताली, लखीमपुर-खीरी उक्त निर्माण कार्य पर रू0 156734.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 156734.00 की ब्याज सहित वसूली है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राघवेन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0 (आर0ई0एस0) माप अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार विकास खण्ड कुम्भी(गोला) के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य कराया गया। जिसका कार्यादेश श्री मनीष सिंह (ठेकेदार) निवासी वेंकटेश्वर इण्टर प्राइजेज लखीमपुर-खीरी को है तथा श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0(आर0ई0एस0) माप अधिकारी नियुक्ति किया गया है। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 214314.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जिसकी जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीं।

(i) उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत 136 विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य करवाया गया। स्ट्रीट लाईट मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की गयी। जबकि ग्राम पंचायतों द्वारा भी अधिकांशतः स्ट्रीट लाईट की स्थापना कराई जा रही है। इस प्रकार एक क्षेत्र/स्थान पर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाईट स्थापना तर्क संगत नहीं है। पत्रावली में न तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/मांग पत्र ही पाया गया कि ग्राम पंचायत में किस स्थान पर स्ट्रीट लाईट लगाने की आवश्यकता है। इस प्रकार उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रू0 214314.00 अनियमित रूप से व्यय की गयी है।

(ii) उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित निविदा किस समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी। उसका आदेश एवं प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति जिसमें विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी अनुपलब्ध रही।

(iii) सभी टेण्डर कर्ताओं के अनुबन्ध व शपथ पत्र नहीं पाया गया। मात्र स्वीकृत टेण्डर से सम्बन्धित ठेकेदार श्री मनीष सिंह, वेंकटेश्वर इण्टर प्राइजेज लखीमपुर-खीरी का अनुबन्ध पत्र पाया गया। टेण्डर कास्ट रू0 212700.00 पर जमानत राशि मात्र रू0 5000.00 ही एफ0डी0 के रूप में की गयी। शेष रू0 16300.00 बिल से कटौती हेतु अंकित है।

(iv) निविदा प्रपत्रों पर स्ट्रीट लाईट किस फर्म की लगाई जानी है, विवरण अंकित नहीं है। स्ट्रीट लाईट में अन्य क्या सामग्री/पार्ट्स लगाना है। उसका विवरण एवं दर अंकित नहीं पाई गयी। दर्शित दरों की पुष्टि में प्रमाण/विभिन्न फर्मों की रेट लिस्ट अनुपलब्ध रही।

(v) लगाई गयी स्ट्रीट लाईटों का सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी नहीं पाया गया।

(vi) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल पी डब्ल्यू ए फॉर्म 27 रनिंग अकाउन्ट बिल में जे0ई0 द्वारा माप के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर उक्त धनराशि रू0 214314.00 अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 214314.00 की ब्याज सहित वसूली है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राघवेन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0(आर0ई0एस0) माप अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी को वी0पी0टी0 प्रशिक्षण मनरेगा के अन्तर्गत रू0 14960.00 व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। अतः उक्त धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राघवेन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत कुम्भी द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के अन्तर्गत वर्क रजिस्टर के अनुसार ग्राम अजान में पंचायत घर से ओमप्रकाश के घर तक सी0सी0 रोड कार्य कराया गया। जिसका कार्यादेश श्री अजीत कुमार वर्मा (ठेकेदार) निवासी भारत भूषण कालोनी, गोला गोकर्न नाथ, लखीमपुर-खीरी को है तथा श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0 (आर0ई0एस0) को माप अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त निर्माण कार्य पर रू0 832992.00 व्यय किया गया। उक्त व्यय की गयी धनराशि में रू0 261026.00 राज्य वित्त आयोग की धनराशि में से व्यय की गयी है, शेष रू0 571966.00 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान से व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिस कारण धनराशि के व्यय की एवं निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अधिभार की श्रेणी में आता है। अतः उक्त व्यय धनराशि रू0 571966.00 की ब्याज सहित वसूली है। जिसकी ब्याज

सहित वसूली श्री राघवेन्द्र तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) एवं लेखाकार श्री अजय कुमार शुक्ला, श्री प्रेम प्रकाश, जे0ई0 (आर0ई0एस0) माप अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – लखीमपुर विकास खण्ड – लखीमपुर वर्ष 2011–12 से 2013–14

प्रस्तर-87 वर्ष 2011–12 में ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार राज्य वित्त से रू0 2775699.00, 12वें वित्त से रू0 1271662.00, मनरेगा से रू0 5718409.00 एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से रू0 2733084.00 कुल रू0 12498854.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

1—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
3—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
8—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12—	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
13—	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।		
14—	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।		
15—	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।		
16—	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू0 12498854.00 का वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्याक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 12498854.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 उ0प्र0 शासनादेश सं0 1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त, मनरेगा एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त ब्याज का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	31 मार्च को शेष
1—	राज्य वित्त	65127.00	299652.00	133.00	364646.00
2—	मनरेगा	87984.00	134650.00	222634.00	0.00
3—	पि0क्षे0अ0नि0	49522.00	95884.00	0.00	145406.00

	योग :-	202633.00	530186.00	222767.00	510052.00

शासनादेश के अनुसार उक्त धनराशि रु0 510052.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके रु0 222767.00 अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त धनराशि रु0 222767.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त मद से रु0 6891058.00, 13वें वित्त मद से रु0 5960416.00, बी0आर0जी0एफ0 से रु0 160808.00, मनरेगा मद से रु0 1321594.00 कुल धनराशि रु0 14333876.00 निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी है। जिनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, कार्यवाही, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, टेण्डर नोटिस, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न करने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकती।

1-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
3-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
8-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12-	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
13-	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।		
14-	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।		
15-	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।		
16-	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रु0 14333876.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 14333876.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए ब्याज सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	31 मार्च को शेष

1—	राज्य वित्त	364646.00	290181.00	84439.00	570388.00
2—	मनरेगा	0.00	19891.00	0.00	19891.00
3—	पि0क्षे0अ0लि0	145406.00	69988.00	0.00	215394.00
	योग :-	510052.00	380060.00	84439.00	805673

31 मार्च 2013 को रू0 805673.00 ब्याज शेष रहा जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया। उक्त ब्याज में रू0 84439.00 बिना अनुमति के अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अतः शासनादेश के विपरीत कोषागार में जमा करने के बजाय प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त धनराशि रू0 84439.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 84439.00 की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 मद से रू0 1603555.00 मनरेगा मद से रू0 5596608.00 कुल धनराशि रू0 7200163.00 विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी है जिनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, कार्य योजना, कार्यवाही, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, टेण्डर नोटिस, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उनमें गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय क सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न करने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

1—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
3—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
8—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12—	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963	के नियम 21	के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।
13—	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009	के नियम 4(3)	के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।
14—	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008	की धारा 3(7)	के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।
15—	आयकर अधिनियम 1961	की धारा 194सी	के अन्तर्गत आयकर की कटौती।
16—	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू0 7200163.00 को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 7200163.00 की ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – नकहा विकास खण्ड – नकहा वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-92 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0लि0 से रू0 3034470.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। जो निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	मद का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम शेष
1	राज्य वित्त आयोग	756148.00	2684500.00	2321078.00	1119570.00

2	13वाँ वित्त आयोग	552000.00	1557274.00	488966.00	1620308.00
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	224426.00	निल	224426.00	निल
4	ब्याज	73712.00	102079.00	771.00	175038.00
5	योग	1606286.00	4343853.00	3035241.00	2914916.00

उक्त व्यय की गई धनराशि रु0 3034470.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

- 1— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-4 परियोजना तैयार किया जाना।
- 2— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-6 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
- 3— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-15 स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
- 4— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-19 टेण्डर आमंत्रित करना।
- 5— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-16 प्राविधिक स्वीकृति लेना।
- 6— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-23 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
- 7— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-24 2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
- 8— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-36 निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
- 9— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-37 रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
- 10— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-38 कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
- 11— निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम-39 निर्माण कार्य की जाँच करना।
- 12— उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।
- 13— उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।
- 14— उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।
- 15— आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।
- 16— बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रु0 3034470.00 का वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 3034470.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 उ0प्र0 शासनादेश सं0 1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये।

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0नि0 से प्राप्त ब्याज धनराशि रु0 771.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके रु0 771.00 अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त धनराशि रु0 771.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है।

जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0लि0 से रू0 3094956.00 निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया है। जो निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	31 मार्च को शेष
1-	राज्य वित्त आयोग	1119570.00	3908963.00	2848961.00	2184572.00
2-	13वाँ वित्त आयोग	1620308.00	1534145.00	245995.00	2908458.00
3-	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	---	निल	---	---
4-	ब्याज	175038.00	108297.00	314887.00	.31552.00
	योग	2914916.00	5551405.00	3409843.00	5056478.00

उक्त व्यय की गई धनराशि रू0 3094956.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

1-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
3-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
8-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12-	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
13-	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।		
14-	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।		
15-	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।		
16-	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू0 3094956.00 का वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 3094956.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 उ0प्र0 शासनादेश सं0 1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है

तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये।

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0नि0 से प्राप्त ब्याज धनराशि रु0 314887.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके रु0 314887.00 अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त धनराशि रु0 314887.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0लि0 से रु0 11044185.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। व्यय की गई धनराशि रु0 11044185.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टाक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

1-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
3-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
8-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11-	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12-	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
13-	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।		
14-	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।		
15-	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।		
16-	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रु0 11044185.00 का वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 11044185.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - नकहा विकास खण्ड - नकहा

वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-97 1- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0लि0 से रु0 7290724.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। व्यय की गई धनराशि रु0 1697384.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टाक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की

सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

1—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
3—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
8—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12—	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
13—	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।		
14—	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।		
15—	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।		
16—	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रु0 1697384.00 का वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 1697384.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 उ0प्र0 शासनादेश सं0 1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये।

वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0नि0 से प्राप्त ब्याज धनराशि रु0 70.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके रु0 70.00 अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त धनराशि रु0 70.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0लि0 से रु0 5945333.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। व्यय की गई धनराशि रु0 709180.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

1—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना।
3—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-15	स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-24	2 प्रतिशत ब्याने की राशि लेना।
8—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12—	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
13—	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।		
14—	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।		
15—	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।		
16—	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रु0 709180.00 का वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 709180.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 उ0प्र0 शासनादेश सं0 1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये।

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0नि0 से प्राप्त ब्याज धनराशि रु0 279661.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके रु0 279661.00 अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त धनराशि रु0 279661.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0लि0 से रु0 1990916.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। व्यय की गई धनराशि रु0 1502773.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली, जमानत रजिस्टर, मस्टररोल, एम0बी0, सामग्री स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, ठेकेदार के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये अतः उनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त व्यय के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध न रहने से निम्न बिन्दुओं पर पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी।

1—	निर्माण कार्य नियमावली 1984	नियम-4	परियोजना तैयार किया जाना।
2—	निर्माण कार्य नियमावली	नियम-6	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व

3—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-15	ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार करना। स्वीकृत अनुमानों एवं नक्शों में परिवर्तन करना।
4—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-19	टेण्डर आमंत्रित करना।
5—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-16	प्राविधिक स्वीकृति लेना।
6—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-23	10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा करना।
7—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-24	2 प्रतिशत बयाने की राशि लेना।
8—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-36	निर्माण कार्य की एम0बी0 करना।
9—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-37	रनिंग एम0बी0 का 90 प्रतिशत भुगतान।
10—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-38	कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र।
11—	1984 निर्माण कार्य नियमावली	नियम-39	निर्माण कार्य की जाँच करना।
12—	उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 21 के अन्तर्गत रायल्टी की गणना व भुगतान।		
13—	उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियम 4(3) के अन्तर्गत एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती।		
14—	उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3 (7) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वैट की कटौती।		
15—	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अन्तर्गत आयकर की कटौती।		
16—	बजट, कार्यवाही, कार्य योजना, प्रस्ताव, मस्टररोल, बिल आदि		

उक्त बिन्दुओं पर जाँच के अभाव में उक्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रु0 1502773.00 का वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 1502773.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-102 उ0प्र0 शासनादेश सं0 1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये।

वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त/12वाँ वित्त/13वाँ वित्त/पि0क्षे0अ0नि0 से प्राप्त ब्याज धनराशि रु0 488143.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके रु0 488143.00 अज्ञात मदों पर व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित करके उक्त धनराशि रु0 488143.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद-लखनऊ मण्डल-लखनऊ

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत-मालवर्ष 2018-19 जनपद-लखनऊ

प्रस्तर सं0-01 क्षेत्र पंचायत माल का वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग से निम्न विवरणानुसार कुछ ऐसे कार्य कराये गये जो एक ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहे हैं जिसके सापेक्ष कुल रु0 4721817.00 का भुगतान किया गया।

क्रमांक	कार्य का विवरण	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि
1	हसनापुर में रोड से इसरार के खेत तक खड़न्जा	हसनापुर	323573.00

2	ग्रा.पं. रनीपारा में काशी के घर से गौरव सिंह के बाग तक खड़न्जा कार्य	रनीपारा	546056.00
3	ग्रा.पं. आरं में त्रिभुवन सिंह के बाग से तेचा के बाग तक खड़न्जा कार्य	अरं	394196.00
4	ग्रा.पं. सिसवारा में महावीर के घर से राजू के घर तक खड़न्जा	सिसवारा	248497.00
5	ग्रा.पं. नवीपनाह में लल्लू कहार के घर से दलकू के घर तक खड़न्जा निर्माण।	नवीपनाह	319510.00
6	ग्रा.पं. पिपरी कुराखर में दरोगा सिंह के घर से इण्टरलाकिंग मार्ग तक इण्टरलाकिंग।	पिपरी कुराखर	845991.00
7	ग्रा.पं. ससपन में डामर रोड से पुत्तिलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	ससपन	1556501.00
8	ग्रा.पं. ससपन में दिलावर के घर से तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य।	ससपन	487493.00
	योग		4721817.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य से मात्र एक गांव आच्छादित हो रहा है। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1838/33.03.2015/03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा अतः रु. 4721817.00 का व्यय उक्त शासनादेश से स्पष्ट विचलन करके किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश मिश्र, श्री विजय चौधरी, श्री अरुण कुमार, ब्लाक प्रमुख श्रीमती खातुना, लेखाकार श्री सुनील अवस्थी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—मलिहाबादवर्ष 2018—19 जनपद—लखनऊ

प्रस्तर सं०—02 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2018—19 में किए गये कार्यों में से निम्न कार्यों में शासनादेश का उल्लंघन किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण अधोलिखित है—

क्र.सं.	कार्य का विवरण	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि
1	पंचायत दतली मजरी अहौरा में छोटे लाल के खेत से राम जानकी के खेत तक खड़न्जा कार्य	दतली	253227 /—
2	पंचायत दतली दिलावर नगर में ग्राम पंचायत घर से राम औतार के घर तक खड़न्जा कार्य	दिलावर नगर	475501 /—
3	ग्राम पंचायत नवीनगर में जवाहर गौतम के घर से काकोरी माइनर पुलिया तक खड़न्जा कार्य	नवीनगर	378000 /—
4	फूलचन्द के खेतसे रमेश के ट्यूबवेल तक खड़न्जा कार्य	हटौली	324457 /—
5	छोटेलाल की बाग से श्रीकिशन के बाग तक खड़न्जा कार्य	पहाड़पुर	505992 /—
6	सुमानन नगर प्रा०वि० से हरिहरपुर रोड तक खड़न्जा कार्य	ईशापुर	390700 /—
7	शहजादपुर पुलिया से इन्द्रपाल के घर तक खड़न्जा मरम्मत	गढ़ी संजर खां	969351 /—
8	झूरीखेड़ा में कालीदीन के घर से रमेश के खेत तक खड़न्जा कार्य	मनकौटी	355867 /—
9	खड़का से नहर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	खड़का	484954 /—
10	मवाई कला सम्पर्क मार्ग से अमर शहीद मेमोरियल स्कूल तक खड़न्जा कार्य	दौलतपुर	331608 /—
11	कमल की बाग से मनोज की बाग तक खड़न्जा निर्माण	कनार	1047842 /—
			5517499 /—

उक्त खड़न्जा निर्माण कार्य/मरम्मत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्राप्त अनुदान से किया जाना दर्शित है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या

1839/33.03.2015/03/2015 दिनांक-19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा, का पालन उक्त खड़न्जा निर्माण कार्य में नहीं किया गया है। क्रमांक 1 से 11 तक का कार्य केवल एक पंचायत के आच्छादन तक ही सीमित है। अतः व्यय करने में उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त रु. 5517499.00 का अनियमित व्यय किया जाना दर्शित है। अनियमित व्यय के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह, श्री डी.के. दोहरे, ब्लाक प्रमुख श्रीमती निशा चौहान तथा लेखाकार शिशुपाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-चिनहट वर्ष 2018-19 जनपद-लखनऊ

प्रस्तर सं0-03 क्षेत्र पंचायत चिनहट के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुसंशा से संक्रमित धनराशि के उपयोग से निम्न विवरणानुसार कार्य किया गया, जिसके सापेक्ष कुल रु. 6056333.00 का भुगतान किया गया।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि
1	रायपुर में डब्लू के घर से राजकुमार के घर तक सी.सी. रोड	रायपुर	809615.00
2	नौबस्ता में प्राइमरी स्कूल से गोकर्न यादव के हाता तक इण्टरलाकिंग रोड	नौबस्ता	877138.00
3	पल्हरी में रामेन्दर के खेत से बरम बाबा तक खड़न्जा निर्माण	पल्हरी	1691643.00
4	सैदपुर जागीर शिवम सिटी में मेवालाल शर्मा के घर से साठ फीटा रोड तक खड़न्जा निर्माण	सैदपुर जागीर	784901.00
5	ग्राम पंचायत मल्हौर पुरवा में लल्लन के मकान से सहजराम के घर तक सी.सी. रोड	मल्हौर पुरवा	710752.00
6	ग्राम पंचायत जुगौर में साई सारदा बिहार होते हुए रामसिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य	जुगौर	484702.00
7	खरगापुर में विरेन्दर पाण्डेय के घर से दुलीचन्द के घर तक इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	खरगापुर	697582.00
	योग		6056333.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य से मात्र एक गांव आच्छादित हो रहा है। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1839/33.03.2015/03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा। अतः रु. 6056333.00 का व्यय उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन करके किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सुश्री संस्कृता मिश्रा, श्री राजेश कुमार त्रिपाठी (प्रभारी), ब्लाक प्रमुख श्री रंजीत यादव, लेखाकार सुश्री भगुता बीदेवी, सहायक लेखाकार, श्री विजय प्रकाश सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-सरोजनीनगर वर्ष 2018-19 जनपद-लखनऊ

प्रस्तर सं0-04 क्षेत्र पंचायत सरोजनी नगर के वित्तीय वर्ष 2018-19 ग्राण्ट रजिस्टर-2 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा प्रशासनिक निधि से व्यय किया जाना दर्शित है:-

क्र.सं.	संख्या / दिनांक	कार्य का उद्देश्य	फर्म का नाम	धनराशि
1	594 / 01.06.18	शासकीय जीप की सर्विसिंग यूपी-32 बीजी 6792	एस0आर0एम0 मोटर्स प्रा0लि0 सरोजनी नगर, लखनऊ।	9057.00

उपरोक्त व्यय क्रम सं0 01 के संदर्भ में आपत्ति का बिन्दु यह है कि मनरेगा दिशा निर्देश पुस्तिका 2013 के प्रस्तर 12.5.6 के पैरा (1) के अनुसं. मनरेगा निधि में प्राप्त धनराशि से वाहनों की खरीद तथा पुराने वाहन की मरम्मत व्यय प्रतिबंधित है। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 01.06.2018 को पुराने वाहन की मरम्मत पर रुपया 9057.00 व्यय किया गया है, जो कि गम्भीर प्रकार की अनियमितता है जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनेश चन्द्र एवं लेखाकार श्री अजीत कुमार उत्तरदायी है। इन सबसे समान मात्रा में रुपया 9057.00 की वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-05 क्षेत्र पंचायत सरोजनी नगर का वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा व संक्रमित धनराशि के उपयोग से निम्न विवरणानुसार कार्य किया गया, जिसके सापेक्ष कुल रूपया 1,12,45,566.00 का भुगतान किया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	फर्म का नाम	आच्छादित ग्राम पंचायत	देय धनराशि रूपया
1	जैती खेड़ा से पिपरी बाबा मन्दिर मार्ग तक खण्डजा मार्ग	रामानन्द ट्रेडर्स	जैती खेड़ा	246200.00
2	नारायणपुर फतेहगंज सम्पर्क मार्ग से परेहन्दा गांव तक खण्डजा मरम्मत कार्य 514938+331206=	जे०के० कान्स्ट्रक्टर्स	नारायणपुर	846144.00
3	मिर्जापुर से राम गढ़ी तक खण्डजा मरम्मत कार्य 460149+264457=	रामानन्द ट्रेडर्स	बेंती	724606.00
4	राम चौरा गांव से लाला खेड़ा सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी व खण्डजा निर्माण 396702+313705=	जे०के० कान्स्ट्रक्टर्स	रामचौरा	710407.00
5	नीवा सम्पर्क मार्ग से बरौली गांव तक खण्डजा निर्माण कार्य 613721+133243=	रामानन्द ट्रेडर्स	नीवा	746964.00
6	भागू खेड़ा सम्पर्क से शीतल के ट्यूबवेल तक खण्डजा निर्माण कार्य 492341+386797=	जे०के० कान्स्ट्रक्टर्स	जैती खेड़ा	879138.00
7	पुलिया से गुलाम के घर तक नूरनगर भदरसा में खण्डजा व नाली निर्माण कार्य।	रामानन्द ट्रेडर्स	नूरनगर भदरसा	628236.00
8	लोनहा गांव से तालाब तक खण्डजा निर्माण कार्य। 240344+64578=	मैसर्स वान्या एसोसिएट	लोनहा	304922.00
9	थरमौदा से बेहटा सम्पर्क मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य। 1158082+268664=	रामानन्द ट्रेडर्स	मौदा	1426746.00
10	अन्धपुर देव में अन्धपुर देव सम्पर्क मार्ग से नगवा नाले तक खण्डजा मरम्मत कार्य। 433447+310849=	रामानन्द ट्रेडर्स	अन्धपुर देव	744296.00
11	मौदा में मदोखर तालाब से उदयत खेड़ा में गणेश प्रसाद के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य। 146265+98625=	जे०के० कान्स्ट्रक्टर्स	मौदा	244890.00
12	नुर्दी खेड़ा डामर रोड से अजय यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। 548617+314934=	जे०के० कान्स्ट्रक्टर्स	कुरौनी	863551.00
13	हिमानी खेड़ा से भैरव बाबा मन्दिर तक पहाड़पुर में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	मैसर्स वान्या एसोसिएट	पहाड़पुर	625040.00
14	नीवा में बरौली ग्राम से किशनपुर कौड़िया खण्डजे तक खण्डजा मरम्मत कार्य। 603773+278993.00=	रामानन्द ट्रेडर्स	नीवा	882766.00
15	कल्ली पश्चिम में जगत खेड़ा डामर रोड रवी यादव के घर से बिरुरा डामर रोड तक खण्डजा मरम्मत कार्य। 373439+111817=	जे०के० कान्स्ट्रक्टर्स	कल्ली पश्चिम	485266.00
16	मौदा नहर की पुलिया से उदयत खेड़ा तक खण्डजा मरम्मत कार्य 524644+361750=	जे०के० कान्स्ट्रक्टर्स	मौदा	886394.00
	महायोग :-			11245566.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी कार्य से मात्र एक-एक ग्राम पंचायत आच्छादित हो रही है। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1839/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया गया जायेगा। अतः रूपया 1,12,45,566.00 के सापेक्ष किया गया निर्माण कार्य उक्त शासनादेश (मार्ग दर्शन सिद्धान्त) से स्पष्ट विचलन है। इसके लिये खण्ड विकास

अधिकारी श्री मुनेश चन्द, श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती निशा सिंह यादव एवं लेखाकार श्री अजीत कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—मोहनलालगंजवर्ष 2018—19 जनपद—लखनऊ

प्रस्तर सं०—06 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित/मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं एवं क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण/मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था, दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराये हैं जैसे सी.सी. रोड, खड़जा मार्ग, इंटर लॉकिंग आदि कार्य कराये गये हैं, जिन पर रु० 16153507.00 व्यय हुआ। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839/33.03.2015/03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा। स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये हैं, जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री भोलानाथ कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विजय लक्ष्मी उत्तरदायी हैं।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०—07 क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटिजेंसी में रु० 3165855.00, विविध (मनरेगा) में रु० 204630.00 व आंगनबाड़ी में रु० 198714.00 कुल रु० 3569199.00 (रु० पैंतीस लाख उनहत्तर हजार एक सौ निन्यानबे) से संबन्धित कोई भी अभिलेख, प्रमाणक, पंजी व पत्रावली आदि बार बार माँगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथासामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाये अतः भुगतान उक्त धारा का उल्लंघन करकिया गया है। जिसके अभाव में उक्त धनराशि रु० 3569199.00 को लेखा परीक्षामें सत्यापित नहीं किया जा सका व संस्था द्वारा किए गए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फलतः लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त शीर्षों पर किया गया व्यय अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री भोलानाथ कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विजय लक्ष्मी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— बक्शी का तालाब वर्ष 2018—19जनपद—लखनऊ

प्रस्तर सं०—08 क्षेत्र पंचायत बक्शी का तालाब की वित्तीय वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा में प्राप्त धनराशि के उपभोग में निम्न विवरणानुसार ऐसे कार्य कराते गये हैं, जो एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष कुल रु० 3795884.00 का भुगतान किया गया है—

क्र.सं.	कार्य का विवरण	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि
1	कुर्सी रोड से जयराम यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	गुडम्बा	894907.00
2	बृजनंदन के घर से गंगा प्रसाद मिश्रा के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	सरसांवा	227722.00
3	चन्द्रिका देवी रोड से कुंवर एल०पी० मिश्रा के फार्म तक सी०सी० रोड निर्माण	कठवारा	1304039.00
4	नन्दन सिंह के घर से सी०सी० रोड तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	रायपुर राजा	601431.00
5	रायपुर में आई.टी.आई. कालेज के पास से सोनिकापुर रोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य	रायपुर राजा	767785.00
	योग		3795884.00

उक्त विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इन सभी कार्यों से मात्र एक-एक गांव आच्छादित हो रहे हैं। जबकि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के उपभोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1838/33.03.2015/03/2015 दिनांक-19.06.2015 के प्रस्तर-2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा। अतः रु० 3795884.00 का व्यय उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन करके किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मोहित सिंह एवं लेखाकार श्री संजय श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- काकोरी वर्ष 2018-19 जनपद-लखनऊ

प्रस्तर सं०-09 क्षेत्र पंचायत काकोरीजनपद लखनऊ की वर्ष 2018-19 कीलेखापरीक्षामें पायागया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोगमें निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य किया गया। जिसके सापेक्ष रु० 4871939.00 का भुगतान किया गया।

क्र.सं.	क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत किए गए निर्माण कार्य	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि
1	ग्रा० सिकरौरी में नाजिम के घर से लड्डन के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	सिकरौरी	340663.00
2	दोना में डामर रोड से बाबा साहब की प्रतिमा तक सी०सी० रोड निर्माण	दोना	334557.00
3	सकरा दोना डामर रोड से गंगाराम के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	सकरा	305504.00
4	ग्रा०प० दोना में विशेश्वर खेड़ा डामर रोड से बाबा साहब की प्रतिमा तक खड़जा निर्माण	दोना	278660.00
5	ग्रा०प०जलियामऊ में प्रा०वि० जलिया मद से मंगरे गढ़ी के खेत तक खड़जा निर्माण।	जलियामऊ	816521.00
6	सैदपुर महरा में काकोरी सैदपुर डामर रोड साईबाबा के मंदिर तक सी०सी० रोड निर्माण।	सैदपुर महरा	262696.00
7	तेजकिशन खेड़ा में गांधी चबूतरा से बदबदा खेड़ा रोड तक पक्का नाला निर्माण।	तेजकिशन खेड़ा	139860.00
8	ग्रा०प० तेजकिशन खेड़ा में मंदिर के कोनेसे जयकरन यादव के पीछे तालाब पक्का नाला निर्माण कार्य।	तेजकिशन खेड़ा	218743.00
9	महिपतमऊ हरदोई मार्ग से अतीकुररहमान के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य	महिपतमऊ	802348.00
10	तेजकिशन खेड़ा में शिवकुमार लोधी के घर से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	तेजकिशन खेड़ा	66601.00
11	फतेहगंज से बबूरिहा खेड़ा रोड से सुनील (सुनीता सिंह) के घर तक खड़जा निर्माण कार्य।	फतेहगंज	231791.00
12	इब्राहिमगंज मोहान रोड से इब्राहिमगंज प्रा०वि०धालय तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	इब्राहिमगंज	814230.00
13	तेजकिशन खेड़ा में राजकुमार के घर से खारजा तक नाला निर्माण कार्य बी०बी० चक	तेजकिशन खेड़ा	259765.00
योग			4871939.00

उक्त भुगतान के संबंध में लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य/आपत्तियां पायी गयी-

1-क्रम सं० 01 से 13 तक क्षेत्र पंचायत काकोरी द्वारा कराए गए कार्य के विवरण से स्पष्ट होता है कि सभी कार्य से मात्र एक-एक ग्राम पंचायत ही आच्छादित हो रही है। जबकि शासनादेश 1838/33-03-2015-03/2015 दि० 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाए तथा शासनादेश 1839/33-03-2015-03/2015 दि० 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले की 50 प्रतिशत धनराशि पूर्व में हुए विकास कार्यों में सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। परन्तु उक्त शासनदेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत

क्षेत्र पंचायत काकोरी द्वारा रु0 4871939.00 की धनराशि से निर्माण कार्य करवाएं गए है जो कि शासनादेश (मार्ग दर्शक सिद्धांतों) से स्पष्ट विचलन है। अतः उक्त कराए गए निर्माण कार्य अनियमित है। जिस हेतु क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष/ब्लाक प्रमुख श्री कुँवर रामविलास व तत्कालीनखण्ड विकास अधिकारी सुश्री संस्कृता मिश्र उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2— उक्त निर्माण कार्य की पत्रावलियां से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कार्यों की डुप्लीकेसी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—गोसाईगंज वर्ष 2018—19 जनपद—लखनऊ

प्रस्तर सं0—10 क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज द्वारा भट्टी बरकत नगर नगराम रोड से बरकत नगर के समीप क खड़जा निर्माण कार्य कराया गया है उक्त कार्य की स्वीकृति लागत रु0 9.53 लाख थी तथा कार्य दिनांक 03.01.2019 को प्रारंभ होकर दिनांक 30.01.2019 को समाप्त हुआ। कार्य हेतु रु0 831484.00 सामग्री पर तथा श्रम पर रु0 15885.00 का भुगतान किया गया। कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई—

क—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृति किया हो उसकी स्वीकृति ना दे दे प्रतिबंध यह है कि नक्शे में किसी छोटे परिवर्तन की स्वीकृति जिसके परिणाम स्वरूप अनुमान में मूल अनुमान के 10 प्रतिशत अधिक है या 500 रुपये के इनमें से जो भी कम, वृद्धि हो ऐसे प्राधिकार द्वारा दी जा सकती है जो इस नियमावली के अधीन ठेका स्वीकृत करने के लिए सक्षम हो परंतु उक्त कार्य में विचलन 10%सेअधिक पाया गया उदाहरणार्थ—

क्र.सं.	कार्य	एस्टीमेट के अनुसार	एमबी के अनुसार	विचलन	प्रतिशत
1	सामान्य मिट्टी की खुदाई में ई/डब्ल्यू इंकटिंग या तटबंध में 1/2 मीटर से अधिक गहराई में नियमित गड्ढों की सूचना नहीं है और मिट्टी के काम के तटबंध 20 सेमी परत में होने चाहिए, जिसमें 105 मीटर लिफ्ट और 30 मीटर लीड की सतह को समतल करना और ड्रेसिंग करना शामिल है, जैसा कि इंजीनियर प्रभारी द्वारा निर्देशित किया गया।	433.13	369.32	63.81	14.7%
2	सामान्य मिट्टी की खुदाई में ई/डब्ल्यू इंकटिंग या तटबंध में 1/2 मीटर से अधिक गहराई में नियमित गड्ढों की सूचना नहीं दी जानी चाहिए और पृथ्वी कार्य तटबंध 20 सेमी परत में होना चाहिए जिसमें सतह 105 मीटर लिफ्ट और 30 मीटर लीड की रैमिंग और ड्रेसिंग शामिल है, जैसा कि इंजीनियर प्रभारी द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रति क्रमांक 253	433.13	360.66	42.47	16.7%
3	स्ट्रेट ओवर जली हुई ईंटों को किनारे पर बिछाकर और सुखाकर, स्थानीय मिट्टी के साथ आवश्यक कैम्बर फिलिंग जोड़ों के लिए सबग्रेड की तैयारी सहित, स्थानीय मिट्टी के 1 सेमी	600	500	100	16.7%

	गहरे ब्लाइंडिंग कोट, जिसमें काम के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी श्रम टीएंडपी आदि की आपूर्ति शामिल है। 786				

यह विचलन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 का उल्लंघन है जिसके लिए अवर अभियंता श्री रविंद्र यादव जिम्मेदार है।

(ख) प्रतिवेदन में कार्य के अधिकांश भाग का आबादी में होना अंकित किया गया है परंतु संलग्न फोटो में अधिकांश भाग बगीचे में होता हुआ स्पष्ट था प्रतीत होता है मिट्टी भी आसपास से उठाई गई है इसी कच्ची सड़क पर मिट्टी पटाई से पूर्व अर्थात् कार्यस्थल के प्रारंभिक फोटो संलग्न नहीं की गई है जिससे प्रतिवेदन में अंकित सूचनाओं का सत्यापन नहीं हो सका।

(ग) उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत के एक ही ग्राम पंचायत को लाभान्वित करता है जबकि चतुर्थ वित्त आयोग से संबंधित शासनादेश संख्या 1838/33.03.2015/03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार 1 से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा अतः यह शासनादेश का स्पष्ट विचलन है इसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार तिवारी, श्री अमित त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख श्री नरेंद्र रावत, लेखाकार श्री अहमद अब्बास, श्री आनंद श्रीवास्तव एवं श्री हिमांशु जोशी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-11 क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज द्वारा गोभी खेड़ा में डामर रोड से होलिया पीर बाबा तक खड़जा निर्माण कराया गया उक्त कार्य स्वीकृत लागत रुपये 635726.00 थी तथा कार्य दिनांक 03.01.2019 को प्रारम्भ होकर दिनांक 03.03.2019 को समाप्त हुआ उक्त कार्य हेतु सामग्री पर रुपये 543012.00 तथा श्रम पर रुपये 14095.00 का भुगतान रु० 5,57,107.00 किया गया है कार्य पत्रावली में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आए—

(क) प्रतिवेदन में कार्य के अधिकांश भाग का आबादी में होना अंकित है परन्तु कार्य का अधिकांश भाग बगीचे में होता हुआ स्पष्ट है पत्र से संलग्न प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि मिट्टी कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है। कार्यस्थल से 3 किलोमीटर दूर महुआ खुर्द से लाई जाएगी जबकि उक्त मार्ग ग्राम पंचायत गोभी खेड़ा को लाभान्वित करता है तथा ग्राम पंचायत महुआ खुर्द इससे लाभान्वित नहीं होता होता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के मानक के अनुसार कॉटेज निर्धारित करते समय न्यूनतम दूरी के सिद्धांत का पालन किया जाएगा उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के साथ संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि मार्ग के दोनों तरफ से मिट्टी लिया जा सकता था परन्तु स्थानीय मिट्टी ना लेकर 3 किलोमीटर दूर की मिट्टी का प्रावधान अनावश्यक कॉटेज के लिए रुपये $247.91 \times 127 = 31484.57$ का भुगतान दर्शित है अतः कॉटेज भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है इसके लिए अवर अभियन्ता से रविंद्र यादव जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(ख) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक की वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृति किया हो उसकी स्वीकृति ना दे दे प्रतिबंध यह है कि नक्शे में किसी छोटे परिवर्तन की स्वीकृति जिसके परिणाम स्वरूप अनुमान में मूल अनुमान का 10%से अधिक या रु० 500 की इनमें से जो भी कम हो वृद्धि हो ऐसे प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है जो इस नियमावली के अधीन ठेका स्वीकृति करने के लिए सक्षम हो परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि विचलन 10%से अधिक हुआ है इस ओर संबंधित उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग) उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत के एक ही ग्राम पंचायत गोभखेड़ा को लाभान्वित करता है जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश संख्या 1838/33.03.2015/03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार 1 से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा अतः यह शासनादेश का स्पष्ट विचलन है इसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार तिवारी, श्री अमित त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख श्री नरेंद्र रावत, लेखाकार श्री अहमद अब्बास, श्री आनन्द श्रीवास्तव एवं श्री हिमांशु जोशी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-12 क्षेत्र पंचायत द्वारा इन्दिरा नहर से कोतवाली सरहद तक खड़जा निर्माण का कार्य किया गया है कार्य की स्वीकृति लागत रु० 639000.00 थी तथा कार्य दिनांक 29.12.2018 को प्रारम्भ होकर दिनांक 3.1.2019 को समाप्त हुआ। उक्त कार्य हेतु सामग्री पर रु० 604728.00 तथा श्रम पर रु० 17155.00 का भुगतान कुल रुपये 621883.00 किया गया है पत्रावली में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई हैं— प्राक्कलन से संलग्न प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मिट्टी कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है कार्यस्थल से 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मदारपुर से लाई गई है जबकि उक्त कार्य मदारपुर को लाभान्वित नहीं करता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के मानक के अनुसार का निर्धारित समय न्यूनतम दूरी के सिद्धांत का पालन किया जाएगा कार्य से संबंधित पत्रावली के साथ संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों तरफ स्थानीय मिट्टी लिया सकता था परन्तु स्थानी मिट्टी ना लेकर 3 किलोमीटर दूर की मिट्टी का प्रावधान अनावश्यक कॉटेज के लिए रुपये $275.62 \times 127 = 35003.74$ का भुगतान दर्शित है अतः कॉटेज भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है इसके लिए अवर अभियन्ता श्री रविंद्र यादव जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-13 क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग से ऐसे कार्य कराए गए जो एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहे हैं

क्र.सं.	कार्य	आ.ग्रामपंचायत	धनराशि
1	केवली हरई मार्ग से इन्दिरा नहर सम्पर्क मार्ग पर खड़जा निर्माण	केवली हरई	504860.00
2	बरुआ में हरी के खेत से बरुआ सरहद तक खड़जा निर्माण	बरुआ	425413.00
3	बस्तौली में अमरीका की बाग से बरुआ सिफत नगर मार्ग पर खड़जा निर्माण	बस्तौली	629375.00
4	बस रहिया के काली डामर रोड से राजकुमार वर्मा के खेत तक खड़जा निर्माण	बसरहिया	531959.00
	योग		2091607.00

जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश संख्या 1838/33.03.2015/03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार 1 से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा अतः रु० 2091607.00 का व्यय उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन है इसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार तिवारी, श्री अमित त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र रावत, लेखाकार श्री अहमद अब्बास, श्री आनन्द श्रीवास्तव एवं श्री हिमांशु जोशी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

प्रस्तर-01 क्षेत्र पंचायत-सतांव जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं०-16)

समीक्ष्य वर्षों 2017-18 व 2018-19 में विधायक निधि मद में कुल व्यय रु० 1841611.00 (262 बैंक कटौती को छोड़कर) व्यय किया गया है लेखाकार द्वारा मांग करने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक माप पुस्तिका व टेण्डर/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 क्षेत्र पंचायत-सतांव जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं०-17)

समीक्ष्य वर्षों 2017-18 व 2018-19 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण (मनरेगा, आई०सी०डी०एस०) मदों में व्यय धनराशि रु० 601250.00 के सापेक्ष पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, फोटोग्राफी व टेण्डर/कोटेशन अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 क्षेत्र पंचायत-सतांव जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं०-19)

समीक्ष्य वर्षों 2017-18 व 2018-19 में इन्दिरा आवास/ प्रधानमंत्री आवास योजना कन्टीजेन्सी में कुल व्यय धनराशि रु० 813031.00 (457 बैंक कटौती) के सापेक्ष की गयी है उक्त के सापेक्ष पत्रावलियां व्यय

प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-04 क्षेत्र पंचायत-सतांव जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-20)

समीक्ष्य वर्षों 2017-18 व 2018-19 में शादी अनुदान मदों में कुल व्यय धनराशि रु0 695809.00 किया गया है। व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलिया/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-05 क्षेत्र पंचायत-सतांव जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-22)

समीक्ष्य वर्षों 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से सरकार दुकानों की मरम्मत एवं परिसर में इंटर लाकिंग कार्य पर कुल व्यय रु0 573971.00 किया गया है सरकारी दुकानों का स्वामित्व व इससे प्राप्त होने वाली आय से सम्बन्धित अभिलेख मांग के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में सरकारी दुकानों के स्वामित्व से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सरकारी दुकानों पर स्वामित्व क्षेत्र पंचायत सतांव का है इस प्रकार रु0 573971.00 सरकारी दुकानों पर मरम्मत व इंटर लाकिंग कार्य पर व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-06 क्षेत्र पंचायत-सतांव जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-23)

समीक्ष्य वर्षों 2018-19 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार से है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	मनरेगा गुडिया के घर से साधू महाराज के घर तक खण्डजा मरम्मत	3.292	283123.00
2	जगन्नाथ पासी के घर से पुलिस तक खण्डजा निर्माण	9.938	979511.00
3	जमील अहमद के घर से कटरा बाजार तक इंटर लाकिंग कार्य	7.29	530951.00
4	बांदा बहराइच मार्ग से नागेश्वर सिंह के दरवाजे तक इंटर लाकिंग कार्य	4.93	490043.00
5	हनुमान मंदिर से मोती के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	4.93	380161.00
6	विकास खण्ड परिसर में मा0 प्रमुख जी के कक्ष के पास शौचालय निर्माण व ग्रिल /चैनल बरामदे में लगवाने का कार्य	3.80	82555.00
योग			2746344.00

लेखाकार द्वारा उक्त कार्यों की पत्रावलिया गायब होने की बात कही गयी विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा गायब पत्रावलियों के सम्बन्ध में कृत्य कार्यवाही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त कार्यों पर व्यय धनराशि रु0 2746344.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-07 क्षेत्र पंचायत-सतांव जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-24)

समीक्ष्य वर्षों 2017-18 व 2018-19 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद में कराये गये कार्य इस प्रकार है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि
1	2	3
1	विकास खण्ड की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत कार्य	86776.70
2	प्रमुख कक्ष में फर्स की मरम्मत/टाइलिंग कार्य	81441.00
3	विकास खण्ड सतांव परिसर में शौचालय मरम्मत	40047.00
योग		208264.70

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि बिना कोटेशन व फर्म को नगद भुगतान कर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 12 के नियम 255-260 परिशिष्ट-18 में की गयी प्रक्रिया का पालन न कर वित्तीय अनियमितता की है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-08 क्षेत्र पंचायत-छतोह जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-09)

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में फण्ड रजिस्टर-2 के अनुसार आलोच वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों/योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष वार निम्न विवरणानुसार व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है।

वर्ष	योजना/मद	क्र0सं 0	कार्य का नाम एवं विवरण	धनराशि
1	2	3	4	5
2017-18	रा0वि0आयो ग	1	खण्डजा निर्माण 12 सम्पर्क मार्ग से सेवक पीर बाबा तक	266375.00
		2	खण्डजा निर्माण आर0सी0सी0 रोड से राम चरन के पास के घर तक	411828.00
		3	खण्डजा निर्माण नसीराबाद रोड से अम्बरपुर तक	771193.00
कुल योग				1449396.00

किन्तु समीक्ष्य वर्षों में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय भुगतानों की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां-कार्य योजनायें, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन/टेंडर व्यय प्रमाणक केश मेमो/बिल बाउचर्स व मस्टररोल आदि तथा एम0बी0 व कार्यपूति प्रमाण पत्र-डी0पी0सी0-9 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन की धनराशि मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार/पटल प्रभारी से इसकी ब्याज सहित वसूली किये जाने का अभिमत दिया जाता है।

प्रस्तर-09 क्षेत्र पंचायत-ऊँचाहार जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-19)

समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 01-10-2018 के बाद सप्लायर को भुगतान करते समय एक प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 और एक प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 के मद में स्रोत पर कटौती टी0डी0एस0 का दायित्व निर्धारित किया गया था परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गये भुगतान पर जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 की कटौती न करने के कारण राजकीय राजस्व की हानि हुई। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार श्री शैलेन्द्र कुमार सोनी एवं खण्ड विकास अधिकारी इ0 ऋचा सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

योजना	वर्ष	सामग्री पर व्यय	व्यापार कर जो काटा जाना था	व्यापार कर जो काटा गया	अन्तर
1	2	3	4	5	6
राज्य वित्त आयोग	2018-19 01.10.2018 के बाद किये गये भुगतान की धनराशि	935897.00	18718.00	—	18718.00

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत-ऊँचाहार जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-26)

समीक्ष्य वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बी0डी0सी0 बैठकों के लिए दर्शित मानदेय एवं उपस्थिति सदस्यों की संख्या में अन्तर की स्थिति आपत्ति जनक रही विवरण निम्न है:-

बैठक का दिनांक	उपस्थिति सदस्यों की संख्या	देय मानदेय	दर्शित मानदेय का भुगतान	अन्तर

1	2	3	4	5
26.05.2017	123	61500.00	66000.00	4500.00
04.01.2018	121	60500.00	66000.00	5500.00
28.05.2018	118	59000.00	65500.00	6500.00
योग				16500.00

अधिक भुगतान रु0 16500.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित लिपिक /अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत-ऊँचाहार जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-27)

मेसर्स अजन्ता एण्ड कम्पनी को फर्नीचर क्रय के लिए कम्पनी की बिल सं0-236/18.06.2018 धनराशि रु0 55094.00 का भुगतान किया गया है जबकि कम्पनी का कोटेशन रु0 46690.00 का स्वीकृत था इस प्रकार रु0 8404.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित लिपिक एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत-ऊँचाहार जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-28)

अजन्ता एण्ड कम्पनी को लैपटॉप क्रय के लिए कम्पनी की बिल सं0-189/18.07.2018 धनराशि रु0 94872.00 का भुगतान किया गया जबकि कम्पनी का कोटेशन रु0 80400.00 का स्वीकृत था इस प्रकार रु0 14472.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लिपिक एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत-शिवगढ़ जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-17)

अलोच्य वर्ष 2017-18 में अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार राज वित्त मद से स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु क्रमशः 1 गुमावा बार्डर 4 नग बाउचर सं0-3/142 दिनांक 19-03-2018 चेक सं0-75914 द्वारा रु0 150210.00 व 2-सी0एच0सी0 शिवगढ़ में 4 नग बाउचर सं0-3/141 दिनांक 19.03.2019 चेक सं0-75913 द्वारा रु0 150210.00 कुल रु0 300420.00 तथा आरोप स्थापना हेतु 1-सी0एच0सी0 शिवगढ़ में बाउचर सं0-6 दिनांक 24.03.2018 चेक सं0-75915 दिनांक 31.03.2018 द्वारा रु0 112940.00 व 2-विकास खण्ड परिसर में बाउचर सं0-05/24918 चेक सं0-75916 दिनांक 31.03.2018 द्वारा रु0 112940.00 कुल रु0 225880.00 इस प्रकार कुल रु0 526300.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शित है। किन्तु उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई व्यापार कर अधिनियम की धारा 34 व जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 की धारा 51 में दिये गये नियमों के विपरीत उपरोक्तानुसार फर्म के बिलों से नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि क्रमशः रु0 17718.00 व रु0 17718.00 कुल रु0 35436.00 तथा क्रमशः रु0 26825.00 व रु0 26825.00 कुल रु0 53650.00 इस प्रकार कुल रु0 89086.00 की जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की धनराशि की कटौती किये बिना ही केवल आय कर व जमानत की धनराशि की कटौती करके बिलों का भुगतान किया गया है इस प्रकार इकाई द्वारा फर्म के बिलों से जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कुल रु0 89086.00 कटौती न करके तथा फर्म को अधिक भुगतान करके शासकीय राजस्व की हानि हुई है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्रीराम खेलावन उत्तरदायी है। सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत-शिवगढ़ जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-18)

समीक्ष्य वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका-2 के अनुसार पृष्ठ सं0-85 पर राज्य वित्त आयोग के मद से चेक सं0-75924 दिनांक 05.09.2018 द्वारा रु0 50000.00 श्रीराम खेलावन लेखाकार को भुगतान दर्शित है किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी व्यय समायोजन विवरण तथा प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दर्शित व्यय भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। लेखा सिद्धान्तों के अनुसार यह धनराशि गबन मानते हुए श्री राम ,खेलावन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत-बछरावों जनपद-रायबरेली (आपत्ति सं0-17)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेन्सी में रु0 2438091.35, मनरेगा सोशल आडिट में रु0 19500.00, इन्दिरा आवास कंटीजेन्सी में रु0 20876.00, प्रधानमंत्री आवास कंटीजेन्सी में रु0 447336.00 व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में रु0 420000.00 कुल रु0 3345803.35 (रु0 तैतीस लाख